सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

{धारा – 4 (1) (ख) (v) में निर्देशित}

मैनुअल – पांच

(चार खण्डों में)

(खण्ड – एक)

कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

{सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 (1) (ख) (V) में निर्देशित}

मैनुअल–पॉचं

(चार खण्डों में)

(खण्ड – एक)

शहरी विकास की निदेशालय में उपलब्ध अधिनियम, नियमावली,

क्र0सं0	विषय
1.	प्रस्तावना
2.	मैनुअल – पांच में प्रकाशित अभिलेखो की सूची
3.	उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916
4.	नगरपालिका (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली, 1966
5.	नगर पालिका (केन्द्रीयत सेवा) सेवा निवृत लाभ नियमावली, 1981
6.	उ0प्र0 नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994.
7.	उ0प्र0 नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994.
8.	उ0प्र0 नगरपालिका परिषद (कक्ष समितियॉ) नियमावली, 1995.
9.	उ0प्र0 नगरपालिका सेवक अपील नियमावली, 1967.
10.	नगरपालिका परिषद के सेवकों का प्रतिधारण और सेवा निवृत्ति विनियम, 1965.
11.	उ0प्र0 नगरपालिका परिषद सेवक (जांच, दण्ड और सेवा मुक्ति) नियमावली, 1960.
12.	नगरपालिका सेवक आचरण विनियम।
13.	नगरपालिका कर्मचारियों की पदच्युति, पद से हटाने अथवा पदोन्नति से सम्बन्धित विनियम.
14.	राजनीति का अपराधीकरण– निर्वाचन प्रक्रिया में अपराधियों का प्रत्याशी के रूप में भाग लेना – अपराध के लिए सिद्ध दोश ठहराये जाने पर अर्नहता–अपील तथा जमानत का प्रभाव के सम्बन्ध में।
15.	शासन की अधिसूचना संख्या–422 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2005, दिनांक 31–01–2005।
16.	उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959
17.	उ0प्र0 नगर निगम (निर्वाचक नामावली तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994
18.	नगर निगम (स्थानों का आरक्षण और आवंटन नियमावली), 1994.
19.	उ0प्र0 नागर निकाय के निर्वाचन (जाति प्रमाण पत्र) आदेश, 1999.
20.	नगर निगम सम्पत्ति कर, नियमावली, 2002
21.	शासन की अधिसूचना संख्या–423 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2005, दिनांक 31–01–2005।
22.	शासन की अधिसूचना संख्या–68 / XXXVI(3) / 2019 / 16(1) / 2019, दिनांक 07–03–2019।
23.	शासन की अधिसूचना संख्या–230 / XXXVI(3) / 2018 / 44(1) / 2016, दिनांक 02–08–2016।
24.	शासन की अधिसूचना संख्या–230 / XXXVI(3) / 2018 / 95(1) / 2017, दिनांक 11–01–2018।

25.	शासन की अधिसूचना संख्या–353/XXXVI(3)/2018/71(1)/2018, दिनांक 17–10–2018।
26.	शासन की अधिसूचना संख्या–361/XXXVI(3)/2018/72(1)/2018, दिनांक 17–10–2018।
27.	उत्तराखण्ड नगर निगम ट्रेड लाईसेन्स परिष्करण नियमावली, 2020।
28.	उत्तराखण्ड नगर पालिका एवं नगर पंचायत ट्रेड लाईसेन्स परिष्करण नियमावली, 2020
29.	उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) अधिनियम, 2021।
30.	शासन की अधिसूचना संख्या–184/XXXVI(3)/2020/16(1)/2020, दिनांक 13–07–2020।
31.	शासन की अधिसूचना संख्या–273/XXXVI(3)/2018/53(1)/2018, दिनांक 26–07–2018।
32.	शासन की अधिसूचना संख्या–264/XXXVI(3)/2021/55(1)/2021, दिनांक 24–09–2021।
33.	शासन की अधिसूचना दिनांक 03–03–2021
34.	शासन की अधिसूचना संख्या–128/XXXVI(3)/2021/26(1)/2021, दिनांक 12–04–2021।
35.	शासन की अधिसूचना संख्या–127/XXXVI(3)/2021/27(1)/2021, दिनांक 12–04–2021।
36.	शासन की अधिसूचना संख्या–130/XXXVI(3)/2023/65(1)/2022, दिनांक 03–04–2023।
37.	शासन की अधिसूचना संख्या–133/XXXVI(3)/2023/77(1)/2022, दिनांक 03–04–2023।
38.	उत्तराखण्ड स्थानीय नगर निकाय (केन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा नियमावली, 2019।
39.	उत्तराखण्ड स्थानीय नगर निकाय (केन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021।
40.	उत्तराखण्ड पालिका (अकेन्द्रीयित) कर्मचारी (समूह ''ग'') सेवा नियमावली, 2017।
41.	उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आबंटन) नियमावली, 1994) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) नियमावली, 2013।
42.	उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण और आबंटन) नियमावली, 1994) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) नियमावली, 2013।
43.	उत्तराखण्उ नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली, 2015
44.	उत्तराखण्ड नगरीय फेरी व्यापारी (आजीविका सुरक्षा तथा फेरी व्यवसाय विनियमन) नियमावली, 2016
45.	उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यस्थापन तथा उससे सम्बन्धित व्यवस्थाओं एवं अतिक्रमण निषेध नियमावली, 2016
46.	उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेष नगर निगम (सम्पत्ति कर नियमावली, 2000 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेष, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) नियमावली, 2016
47.	उत्तराखण्ड कूड़ा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2022

48.	उत्तराखण्ड किरायेदारी विधेयक, 2021
49.	शहरी विकास विभाग में सेवा के अधिकार के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं के शासनादेश दिनांक 28–10–2011 एवं दिनांक 02–08–2016

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(ख) के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी को संगठन / विभाग से सम्बन्धित सभी सूचनाएं जो धारा 4(1)(ख) की उपधारा (ii) से (xvii) में उल्लिखित हैं, को प्रकाशित करना बाध्यकारी है, ताकि संगठन से सम्बन्धित सूचनाएं जनता के लिए सहज रूप से पहुॅच योग्य हों। अधिनियम में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शहरी विकास निदेशालय द्वारा 17 मैनुअल निम्नवत् प्रकाशित किये गये हैः

मैनुअल – एक, दो, तीन और चार
मैनुअल – पांच (चार खण्ड़ों में)
मैनुअल – छः, सात, आठ और नौ
मैनुअल – दस, ग्यारह, बारह और तेरह
मैनुअल – चौदह, पन्द्रह, सोलह और सत्रह

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड का गठन माह अगस्त 2001 में हुआ है। वर्तमान में शहरी विकास निदेशालय में विभिन्न संवर्गो में 70 पद सृजित / आवंटित है, जिसके सापेक्ष में मात्र 51 अधिकारी / कर्मचारी निदेशालय में तैनात है। इसके बावजूद शहरी विकास निदेशालय के अधिकारी / कर्मचारियों ने अभिलेख और सूचनाओं के रख–रखाव में कठिन परिश्रम किया है जिसका समावेश 17 मैनुअल में किया गया है।

शहरी विकास निदेशालय के मैनुअल वर्ष 2006 तैयार करने में मुख्य सूचना आयुक्त महोदय, उत्तराखण्ड और सूचना आयोग उत्तराखण्ड के अधिकारियों का अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ जिसके परिणाम स्वरूप मैनुअल का प्रकाशन सम्भव हो पाया था।

मैनुअल संख्या पांच जिसमें शहरी विकास से सम्बन्धित अधिनियम, अधिसूचनाएं व शासनादेश प्रकाशित हैं, को जून, 2024 तक अद्यतन करते हुए मैनुअल संख्या पांच की एक–एक प्रति राज्य सूचना आयोग के आदेशानुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय भेजी जा रही है ताकि जनता को वांछित सूचना स्थानीय निकाय में ही उपलब्ध हो सके।

शहरी विकास निदेशालय के 17 सूचना मैनुअल तैयार करने में निदेशालय के सभी अधिकारी व कर्मचारियों ने विशेष प्रयास व परिश्रम किया है। इसके लिए निदेशालय के समस्त अधिकारी / कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। शहरी विकास निदेशालय के 17 सूचना मैनुअल मा0 आयोग द्वारा वर्ष 2006 में अनुमोदित हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 की उपधारा (2) में यह निर्देश है कि प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षाओं के अक्सर, स्वप्रेरणा से, जनता का नियमित अंतरालो पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़ा। अधिनियम में दिये गये निर्देशों के अनुरूप शहरी विकास निदेशालय द्वारा इन प्रकाशनों को नियमानुसार नियमित रूप से अद्यतन किया जाता रहेगा। समस्त स्थानीय निकायों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने–अपने मैनुअल नियमानुसार अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे। शहरी विकास निदेशालय के 17 सूचना मैनुअलों को जून, 2023 तक की सूचनाओं सहित चतुर्थ संस्करण के रूप में अद्यतन किया जा रहा है।

(नितिन सिंह भदौरिया)
निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

{सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 (1) (ख) (V) में निर्देशित}

मैनुअल–पाँच

(चार खण्डों में)

शहरी विकास की निदेशालय में उपलब्ध अधिनियम, नियमावली, मैनुअल आदि अभिलेख

शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड में विभिन्न अधिनियम, नियमावली अभिलेख उपलब्ध हैं जिसका उपयोग शहरी विकास निदेशालय के स्तर पर और उत्तराखण्ड की स्थानीय नगर निकायों द्वारा कार्य व दायित्वों के सम्पादन हेतु किया जाता है। इन अभिलेखों का प्रकाशन मैनुअल पाँच के खण्ड एक, खण्ड दो एवं खण्ड तीन में निम्नवत् किया गया हैः –

खण्ड – एक

दस्तावेज का नाम

- उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916
- नगरपालिका (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली, 1966
- नगर पालिका (केन्द्रीयत सेवा) सेवा निवृत लाभ नियमावली, 1981
- उ0प्र0 नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994.
- उ0प्र0 नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994.
- उ0प्र0 नगरपालिका परिषद (कक्ष समितियॉ) नियमावली, 1995.
- उ0प्र0 नगरपालिका सेवक अपील नियमावली, 1967.
- नगरपालिका परिषद के सेवकों का प्रतिधारण और सेवा निवृत्ति विनियम, 1965.
- उ0प्र0 नगरपालिका परिषद सेवक (जांच, दण्ड और सेवा मुक्ति) नियमावली, 1960.
- नगरपालिका सेवक आचरण विनियम।
- नगरपालिका कर्मचारियों की पदच्युति, पद से हटाने अथवा पदोन्नति से सम्बन्धित विनियम.
- राजनीति का अपराधीकरण–

  निर्वाचन प्रक्रिया में अपराधियों का प्रत्याशी के रूप में भाग लेना – अपराध के लिए सिद्ध दोश ठहराये जाने पर अर्नहता–अपील तथा जमानत का प्रभाव के सम्बन्ध में।
- शासन की अधिसूचना संख्या–422/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005, दिनांक 31–01–2005।
- उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959
- उ0प्र0 नगर निगम (निर्वाचक नामावली तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994
- नगर निगम (स्थानों का आरक्षण और आवंटन नियमावली), 1994.

- उ0प्र0 नागर निकाय के निर्वाचन (जाति प्रमाण पत्र) आदेश, 1999.

खण्ड – दो

- उ0प्र0 वित्त हस्त पुस्तिका भाग–2 से 4 तक

उत्तर प्रदेश मूल नियम (नियम 1 से नियम 130 तक)

(i) सेवा की समान्य शर्तें
(ii) वेतन
(iii) वेतन में परिवर्द्धन
(iv) नियुक्तियों का संयोजन
(v) भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति
(vi) पदच्युति, पृथक्करण तथा निलम्बन
(vii) सेवा निवृति
(viii) अवकाश
(ix) कार्य ग्रहण काल
(x) बाह्य सेवा
(xi) स्थानीय निधियों के अंतर्गत सेवा

सहायक नियम (नियम 1 से नियम 208 तक)
प्रतिनिधायन
प्रपत्र

- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्योरमेंट) नियमावली, 2017
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2021
- म्युनिसिपल एकाउन्ट कोड

चैप्टर – i सामान्य सिद्धान्त और नियम
चैप्टर – ii चुंगी आदि से भिन्न कर जैसे किराया शुल्क आदि
चैप्टर – iii अन्य राजस्व
चैप्टर – iv जलापूर्ति
चैप्टर – v लोक निर्माण
चैप्टर – vi स्टोर्स एण्ड एकाउन्टस्
चैप्टर – vii इस्टैब्लिशमेन्ट एण्ड अदर चार्जेस
चैप्टर – viii म्युनिसिपल आफिस एकाउन्ट
चैप्टर – ix रजिस्टर आफ लोन्स

चैप्टर – X चुंगी
फार्म्स

- उत्तराखण्ड म्यूनिसिपल एकाउन्टिंग मैनुअल, 2021

खण्ड – तीन

- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–1065 /श0वि0–आ0/2002–270 (न0वि0)/2002 देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002
- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–1064 /श0वि0–आ0/2002–270 (न0वि0)/2002 देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश निगम, 1959) अनुकलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002
- चौहत्तरवां (संविधान संशोधन) अधिनियम, 1992
- आदर्श जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमावली उत्तराखण्ड, 2003
- उत्तराखण्ड जन्म मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियमावली, 2021
- नगरपालिका (अकेन्द्रीयत) सेवा निवृति लाभ विनियमावली, 1984
- नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000
- नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2003
- उत्तराखण्ड शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या – 422/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005, देहरादून दिनांक 31 जनवरी 2005 उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) (उत्तराखण्ड अधिनियम 11 सन् 2005)
- उत्तराखण्ड शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या – 423/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005, देहरादून दिनांक 31 जनवरी 2005 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005 (उत्तराखण्ड अधिनियम 12 वर्ष 2005)
- उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास/आवास अनुभाग की अधिसूचना संख्या – 1412 /श0वि0आ0 – 2003 – 285 (श0वि0)/2002, देहरादून दिनांक 30 अगस्त 2003
- उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या – 2312/श0वि0– आ0 – 2003–261 (श0वि0)/2003 देहरादून दिनांक 15 सितम्बर 2003
- उत्तराखण्ड शासन, आवास शहरी विकास अनुभाग की अधिसूचना संख्या – 2140 /श0वि0आ0 –03–261 (श0वि0)/2002, देहरादून दिनांक 29 अगस्त 2003
- उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास एवं आवास अनुभाग की अधिसूचना संख्या – 2129/श0वि0 –आ0–03–261 (श0वि0)/2003, देहरादून दिनांक 29 अगस्त 2003

- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र और अपील पर शुल्क) नियमावली, 1983) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
- (अधिसूचना संख्या–1077/श0वि0आ0/2002 –238/न0वि0 देहरादून दिनांक 8 नवम्बर 2002)
- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) निदेश, 1960) अनुकूलन एव उपान्तरण आदेश 2002 अधिसूचना संख्या–1075/श0वि0–आ0/2002– 238 (न0वि0)/ 2002, देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002
- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या – 1073/श0वि0–आ0/2002–270(न0वि0)/2002 देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002
- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका (केन्द्रियत सेवा नियमावली, 1966) अनूकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002
- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या – 1071/श0वि0 – आ0/2002–270 (न0वि0)/2002, देहरादून दिनांक 08 नवम्बर, 2002उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निकाय (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994) अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002
- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या – 1070/श0वि0 – आ0/2002–270 (श0वि0)/2002, देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका सेवक अपील नियमावली 1967) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002
- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या – 1067/श0वि0 – आ0/2002–270 (श0वि0)/2002, देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका सेवक आचरण विनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002
- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या – 1069/श0वि0 – आ0/2002–270 (न0वि0)/2002 देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिशद सेवक (जांच, दण्ड और सेवामुक्ति) विनियमावली, 1960) अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002
- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–1066 /श0वि0–आ0 /2002–270 (न0वि0)/2002 देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994) अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002
- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या – 1072/श0वि0–आ0/2002–270 (न0वि0)/2002, देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश (केन्द्रियत) सेवा, सेवा निवृति लाभ, नियमावली 1981) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002
- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं नगर विकास अनु – 1 की अधिसूचना संख्या – 3031ए/210 0वि0आ0 – 02–285/2002 देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002
- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास अनुभाग की अधिसूचना संख्या – 2812/2002–श0वि0आ0 – 04 (न0वि0)/2002 – टी0सी0 – II देहरादून दिनांक, 17 अक्टूबर, 2002
- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास अनुभाग की अधिसूचना संख्या – 2811/ 2002–210 0वि0आ0–04 (न0वि0)/2002 – टी0सी0 – II देहरादून 17 अक्टूबर 2002
- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या – 2813 /2002–श0वि0/आ0–04(न0वि0)/2002 – टी0सी0–प्प देहरादून दिनांक 17 अक्टूबर 2002

- उत्तराखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या – 225/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002 देहरादून 02 जुलाई 2002 उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916) (संशोधन) अध्यादेश, 2002
- उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या–16/नौ–4–97–एल0जी0/97, दिनांक 06–01–1997
- उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या–3105/11–4–33–2सी.एस.(जनरल)/88, दिनांक 18–06–1988
- उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास विभाग का कार्यालय ज्ञाप संख्याः 2403/अ–श0वि9–05–116(सा0)05, देहरादून : दिनांक 13 सितम्बर, 2005
- उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या–3084/28–1–2004, दिनांक 29–11–2006
- उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास विभाग का कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1553/ट–श0वि0–06–308(श0वि0)/02, देहरादून दिनांकः 30 जून, 2006
- उत्तराखण्ड शासन शहरी विकास विभाग का पत्र सं0 4086/V–श0वि0–05–285(न0वि0)/01, दिनांक 23–01–2006
- मौहल्ला स्वच्छता समितियों के गठन सम्बन्धी उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या – 205/सचिव, 0वि0, आ0/2003/शहरी विकास अनुभाग, देहरादून 03–07–2003 एवं शासनादेश संख्या – 254/श0वि0आ0/स्व0स0/2003 /शहरी विकास अनुभाग देहरादून 13–08–2003
- निदेशक शहरी विकास, उत्तराखण्ड द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या 2874/श0वि0 देहरादून दिनांक 31–10– 2003
- उत्तराखण्ड शासन का शासनादेश संख्या–2187, दिनांक 18–07–2002
- उत्तराखण्ड षासन का षासनादेष संख्या–1216/IV-3/2017–11(03 निर्वा0)/2017, दिनांक 06–04–2017
- उत्तराखण्ड षासन का षासनादेष संख्या–2401/IV-3/2017–01(24 न0नि0)/2017, दिनांक 04–12–2017
- उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या – 3751/V/श0वि0–06–151(श0वि0)/2002 देहरादून दिनांक 06–10–2006
- उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या – 1198/IV(1)@2009–02(घो0)/2008, दिनांक 05–11–2011
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1216/IV(1)/2011–03(घो0)/2008, दिनांक 08–12–2011
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1199/IV(1)/2011–01(घो0)/2008, दिनांक 08–12–2011
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–213/IV(1)/2012–02(घो0)/2009, दिनांक 17–04–2012
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–668/IV(1)/2012–05(घो0)/2009, दिनांक 05–07–2012
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–669/IV(1)/2012–03(घो0)/2009, दिनांक 05–07–2012
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–581/IV(1)/2012–01(घो0)/2011, दिनांक 09–07–2012
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–729/IV(1)/2012–24(सा0)/2004, दिनांक 23–07–2012
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–116/IV(1)/2014–01(19)/2012, दिनांक 08–02–2014
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–118/IV(1)/2014–04(नियम)/2011, दिनांक 08–02–2014
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–123/IV(1)/2014–01(घो0)/2009, दिनांक 08–02–2014
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–119/IV(1)/2014–03(घो0)/2011, दिनांक 08–02–2014

- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–120 / IV(1) / 2014–19(सा0) / 2004, दिनांक 08–02–2014
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–122 / IV(1) / 2014–01(36) / 2012, दिनांक 08–01–2014
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–183 / IV(1) / 2014–01(10) / 2014, दिनांक 07–10–2014
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1293 / IV(3) / 2016–01(10) / 2014, दिनांक 22–08–2016
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–185 / IV(1) / 2014–01(13) / 2014, दिनांक 07–10–2014
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–332 / VI(3) / 2015–304(सा0) / 2005, दिनांक 11–02–2015
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–573 / IV(3) / 2015–02(घो0) / 2014, दिनांक 13–02–2015
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–726 / IV(3) / 2014–02(घो0) / 2014, दिनांक 11–02–2015
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या– / IV(3) / 2015–09(06) / 2014, दिनांक 26–05–2015
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1289 / IV(3) / 2015–02(घो0) / 2015, दिनांक 01–08–2015
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1291 / IV(3) / 2015–04(घो0) / 2015, दिनांक 01–08–2015
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1564 / IV(3) / 2015–03(घो0) / 2015, दिनांक 14–09–2015
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1630 / IV(3) / 2015–129(सा0) / 2004, दिनांक 19–09–2015
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1661 / IV(3) / 2015–03(आष्वासन) / 2008, दिनांक 24–09–2015
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2045 / IV(3) / 2015–01(घो0) / 2014, दिनांक 17–11–2015
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–3063 / IV(3) / 2016–01(15) / 2013, दिनांक 26–02–2016
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–24 / IV(3) / 2017–06(08) / 2015, दिनांक 03–01–2017
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1398 / IV(3) / 2021–01(02न0नि0) / 2020, दिनांक 01–09–2021
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1362 / IV(3) / 2015–06(11) / 2015, दिनांक 13–10–2015
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–97 / IV(3) / 2016–06(06) / 2015, दिनांक 23–01–2016 नगर पालिका परिशद, महुआखेड़ांगंज।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1093 / IV(3) / 2016–07(घो0) / 2015, दिनांक 12–07–2016 नगर पंचायत, पीपलकोटी
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–23 / IV(3) / 2017–08(घो0) / 2015, दिनांक 03–01–2017 नगर पंचायत, चमियाला।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2215 / IV(3) / 2018–01(12) / 2010, दिनांक 06–08–2018 नगर पालिका परिशद, श्रीनगर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2018 / IV;3)@2017–01(15) / 2009, दिनांक 03–10–2017 नगर पंचायत, कीर्तिनगर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1821 / IV(3) / 2015–01(33) / 2011, दिनांक 14–10–2015 नगर निगम, रूड़की।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2197 / IV(3) / 2017–01(33) / 2011, दिनांक 10–11–2017 नगर निगम, रूड़की।
- उत्तराखण्ड षासन की षुद्धि पत्र संख्या–3183 / IV(3) / 2018–01(33) / 2011, दिनांक 28–11–2018 नगर निगम, रूड़की।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–3253 / IV(3) / 2018–01(33) / 2011, दिनांक 06–12–2018 नगर निगम, रूड़की।

- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1881/IV(3)/2017–01(19न0नि0)/2017, दिनांक 24–10–2017 नगर पंचायत, ऊखीमठ।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1882/IV(3)/2017–01(4 न0नि0)/2017, दिनांक 24–12–2017 नगर पालिका परिशद, नरेन्द्रनगर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1884/IV(3)/2017–01(17 न0नि0)/2017, दिनांक 24–10–2017 नगर पालिका परिशद, गदरपुर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1887/IV(3)/2017–01(14 न0नि0)/2017, दिनांक 24–10–2017 नगर पंचायत, सुल्तानपुर पट्टी।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1888/IV(3)/2017–01(11 न0नि0)/2017, दिनांक 24–10–2017 नगर पंचायत, झबरेड़ा।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1889/IV(3)/2017–01(15 न0नि0)/2017, दिनांक 24–10–2017 नगर पंचायत, दिनेषपुर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1890/IV(3)/2017–01(7 न0नि0)/2017, दिनांक 24–10–2017 नगर पंचायत, लण्ढौरा।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1963/IV(3)/2017–01(16 न0नि0)/2017, दिनांक 27–10–2017 नगर पालिका परिशद, सितारगंज।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2291/IV(3)/2017–01(53)/2010, दिनांक 20–11–2017 नगर निगम, रूद्रपुर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2294/IV(3)/2017–01(10 न0नि0)/2017, दिनांक 20–11–2017 नगर पालिका परिशद, विकासनगर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2300/IV(3)/2017–01(20 न0नि0)/2017, दिनांक 20–11–2017 नगर पालिका परिशद, टनकपुर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2302/IV(3)/2017–01(12 न0नि0)/2017, दिनांक 20–11–2017 नगर पंचायत, षक्तिगढ़।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2335/IV(3)/2017–01(14)/2012, दिनांक 23–11–2017 नगर निगम, हरिद्वार।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1880/IV(3)/2017–04(घां0)/2009, दिनांक 24–11–2017 नगर पंचायत, अगस्तमुनि।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1886/IV(3)/2017–01(43)/2010, दिनांक 24–10–2017 नगर पालिका परिशद, हरबर्टपुर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1896/IV(3)/2017–02(घो0)/2015, दिनांक 25–10–2017 नगर पालिका परिशद, बड़कोट।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2295/IV(3)/2017–01(17 न0नि0)/2012 टी0सी0–2, दिनांक 20–11–2017 नगर पंचायत, भीमताल।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2299/IV(3)/2017–09(06)/2014, दिनांक 20–11–2017 नगर पालिका परिशद, डोईवाला।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2301/IV(3)/2017–04(घो0)/2015, दिनांक 20–11–2017 नगर पालिका परिशद, कर्णप्रयाग।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2303/IV(3)/2017–03(घों0)/2015, दिनांक 20–11–2017 नगर पंचायत, गुलरभोज।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2353/IV(3)/2017–01(55)/2010, दिनांक 27–11–2017 नगर निगम, काषीपुर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2379/IV(3)/2017–01(09 न0नि0)/2017, दिनांक 30–11–2017 नगर पालिका परिशद, भवाली।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2400/IV(3)/2017–01(13 न0नि0)/2017, दिनांक 04–12–2017 नगर पालिका परिशद, जोषीमठ।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2095/IV(3)/2017–01(55)/2010, दिनांक 19–12–2017 नगर निगम, काषीपुर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2381/IV(3)/2017–303(सा0)/2005, दिनांक 30–11–2017 नगर पालिका परिशद, खटीमा।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2447/IV(3)/2017–01(13)/2012, दिनांक 08–12–2017 नगर निगम, हल्द्वानी।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2475/IV(3)/2017–06(07)/2016, दिनांक 12–12–2017 नगर पालिका परिशद, देवप्रयाग।

- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2587 / IV(3) / 2017–387(न0वि0) / 2001, दिनांक 21–12–2017 नगर निगम, देहरादून।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–924 / IV(3) / 2018–387(न0वि0) / 2001, दिनांक 05–04–2018 नगर निगम, देहरादून।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–25 / IV(3) / 2017–01(05 न0नि0) / 2017, दिनांक 02–01–2018 नगर पालिका परिशद, बाजपुर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–69 / IV(3) / 2018–06(04) / 2015, दिनांक 05–01–2018 नगर पालिका परिशद, बाड़ाहाट, उत्तरकाषी।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–119 / IV(3) / 2018–09(06) / 2014, दिनांक 10–01–2018 नगर पालिका परिशद, डोईवाला।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–905 / IV(3) / 2018–01(55) / 2010, दिनांक 05–04–2018 नगर निगम, काषीपुर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–906 / IV(3) / 2018–01(01) / 12 टी0सी0–14, दिनांक 05–04–2018 नगर पालिका परिशद, ऋशिकेष।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–913 / IV(3) / 2018–06(02) / 2016, दिनांक 05–04–2018 नगर पालिका परिशद, अल्मोड़ा।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–934 / IV(3) / 2018–01(02 न0नि0) / 2017, दिनांक 05–04–2018 नगर पालिका परिशद, बागेष्वर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–940 / IV(3) / 2018–01(01) / 2012 टी0सी0–1, दिनांक 06–04–2018 नगर निगम, ऋशिकेष।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–911 / IV(3) / 2018–01(13) / 2012, दिनांक 05–04–2018 नगर निगम, हल्द्वानी।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–914 / IV(3) / 2018–01(22 न0नि0) / 2014, दिनांक 05–04–2018 नगर पंचायत, नन्दप्रयाग।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–916 / IV(3) / 2018–06(17) / 2015, दिनांक 05–04–2018 नगर पालिका परिशद, किच्छा।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–920 / IV(3) / 2018–01(06 न0नि0) / 2017, दिनांक 05–04–2018 नगर पालिका परिशद, कोटद्वार।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–939 / IV(3) / 2018–01(06 न0नि0) / 2017, दिनांक 06–04–2018 नगर निगम, कोटद्वार।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–921 / IV(3) / 2018–01(03 न0नि0) / 2017, दिनांक 05–04–2018 नगर पालिका परिशद, पिथौरागढ़।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1926 / IV(3) / 2019–01(11 घो0) / 2018, दिनांक 22–08–2019 नगर पंचायत, चौखुटिया।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2101 / IV(3) / 2015–06(घो0) / 2011, दिनांक 20–11–2015 नगर पंचायत, सेलाकुई।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–810 / IV(3) / 2021–06(घो0) / 2011, दिनांक 29–04–2021 नगर पंचायत, सेलाकुई।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1165 / IV(3) / 2021–02(न0पं0) / 2016, दिनांक 23–07–2021 नगर पंचायत, ढण्डेरा।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–823 / IV(3) / 2021–01(03 न0नि0) / 2020, दिनांक 19–05–2021 नगर पंचायत, पाण्डलीगुर्जर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1166 / IV(3) / 2021–01(15 घो0) / 2019, दिनांक 23–07–2021 नगर पंचायत, लालपुर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1167 / IV(3) / 2021–01(08 घो0) / 2019, दिनांक 23–07–2021 नगर पंचायत, गरूड़।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1168 / IV(3) / 2021–01(06 घो0) / 2019, दिनांक 23–07–2021 नगर पंचायत, थलीसैण।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1216 / IV(3) / 2021–01(14 घो0) / 2019, दिनांक 29–07–2021 नगर पंचायत, सिरोली कलां।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1246 / IV(3) / 2021–01(01 न0नि0) / 2020, दिनांक 04–08–2021 नगर पंचायत, इमलीखेड़ा।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1884 / IV(3) / 2021–सी0एम0(04 घो0) / 2011, दिनांक 31–12–2021 नगर पालिका परिशद, लोहाघाट।

- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1838/IV(3)/2021–01(04 घो0)/2019, दिनांक 21–12–2021 नगर पालिका परिशद, नगला।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1853/IV(3)/2021–01(01 न0नि0)/2021, दिनांक 27–12–2021 नगर पंचायत, तपोवन।
- उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–166/IV(3)/2021–01(07 न0नि0)/2021, दिनांक 31–03–2022 नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर।
- उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–52110/IV(3)/2021–01(10 घो0)/2021, दिनांक 25–07–2022 नगर पालिका परिषद, गंगोलीहाट।
- उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–69075/IV(3)/2022–01(13)/2012 टी0सी0, दिनांक 10–10–2022 नगर निगम, हल्द्वानी।
- उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–141882/IV(3)/2023–01(11 घो0)/2021, दिनांक 31–07–2023 नगर पालिका परिषद, बेरीनाग।
- उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–172175/IV(3)/2023–01(04 न0नि0)/2017, दिनांक 01–12–2023 नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर।
- उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–70714/IV(3)/2023–01(15)/2009, दिनांक 06–12–2023 नगर पंचायत, कीर्तिनगर।
- उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–182220/IV(3)/2023–01(17)/12, दिनांक 18–12–2023 नगर पालिका परिषद, भीमताल।
- उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–180290/IV(3)/2023–151(श0वि0)/2002, दिनांक 09–01–2024 नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग।
- उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–199016/IV(3)/2024–01(01 घो0)/2021, दिनांक 15–03–2024 नगर पंचायत, गुप्तकाशी।
- उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–199712/IV(3)/2024–01(07 घो0)/2021, दिनांक 18–03–2024 नगर पंचायत, मुनस्यारी।
- उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–780/IV(3)/2024–01(3न0नि0)/2023, दिनांक 19–06–2024 नगर पालिका परिषद, खटीमा।

*****

कमेन्ट्री ऑन
उत्तर प्रदेश
नगरपालिका अधिनियम, 1916
(अधिनियम संख्या 2, वर्श 1916)

{उ0प्र0 अधिनियम संख्या 22, 23 सन् 2001 द्वारा संशोधित एवं उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 1 सन् 2001 और अध्यादेश संख्या 3 सन् 2002 द्वारा संशोधित}

U.P. MUNICIPALITY ACT

लेखक

शिवानन्द श्रीवास्तव

बी0ए0, एल0एल0बी0, साहित्यरन्त

एडवोकेट, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

हिन्द पब्लिशिंग हाउस

कानूनी पुस्तकों के प्रकाशक एवं विक्रेता

1, महात्मा गांधी मार्ग (उच्च न्यायालय के सामने) पोस्ट बाक्स संख्या 1–092

इलाहाबाद–211001

विषय–सूची

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916

			पृष्ठ
1.	अधिनियम का कारण और उद्देश्य कथन	…	1
2.	उद्देशिका	…	5
3.	परन्तुक	…	9
4.	पार्श्व टिप्पणी	…	12
5.	शीर्षक	…	14
6.	समेकन अधिनियम	…	15
7.	अधिनियमों का निर्वचन	…	16
	अध्याय 1 **प्रारम्भिक**		
धारा			
1.	संक्षिप्त शीर्ष, प्रसार और प्रारम्भ	…	18
	– विधायी परिवर्तन	…	18
	– अधिनियम का शीर्ष	…	18
	– अधिनियम का प्रसार	…	19
	– अधिनियम का प्रवृत्त होना	…	19
	– ग्राम का कृषि और गैर कृषि क्षेत्र	…	20
	– अधिनियम का काश्तकारों और अनुज्ञप्ति धारकों के अधिकारों पर विस्तार : प्रभाव	…	21
	– अधिनियम का रूढ़ियों, प्रथाओं या संविदा पर विस्तार : प्रभाव	…	22
	– अधिनियम के क्षेत्रीय विस्तार का अपवाद	…	22
2.	परिभाषायें	…	22
	– विधायी परिवर्तन	…	26
	– परिभाषा खण्ड : महत्व	…	27
	– 'के अन्तर्गत'	…	29
	– अभिप्राय	…	30
	– अथवा	…	30

	–विषय या सन्दर्भ में कोई नर	...	30
	– पिछड़ा वर्ग	...	31
	– भवन	...	32
	– उपविधि	...	33
	– नाली	...	33
	– निवास–गृह	...	34
	– स्वामी	...	34
	– भवन का भाग	...	34
	– सार्वजनिक स्थान	...	34
	– सार्वजनिक सड़क	...	34
	– सड़क	...	35
	– पेट्रोलियम	...	36
	अध्याय 2 **नगरपालिका का गठन शासन**	...	
3.	संक्रमणशील क्षेत्र और लघुत्तर नगरीय क्षेत्र की घोषणा इत्यादि	...	37
	– विधायी परिवर्तन	...	37
	– धारा 3 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	39
	– परिसीमा	...	39
	– उपधारा (3)	...	39
	– राज्यपाल की शक्ति।	...	39
3&d-	प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र और लघुउत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका	...	39
	– विधायी परिवर्तन	...	40
3&[k-	कक्ष समितियों का गठन और संरचना	...	41
	– विधायी परिवर्तन	...	41
4-	अधिसूचना जारी करने की प्रारम्भिक प्रक्रिया	...	42
	– विधायी परिवर्तन	...	42
	– प्रकाशन क्या आज्ञापक हैं?	...	43
	– आपत्तियों का आमन्त्रण परिसीमा अवधि	...	43
	– आपत्तियों का निस्तारण	...	43

5-	संक्रमणशील क्षेत्र अथवा लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में किसी क्षेत्र को सम्मिलित करने का प्रभाव	...	43
	– विधायी परिवर्तन	...	43
	– किसी क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र अथवा लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में शामिल करना : प्रभाव	...	44
6-	{***}	...	44
	– विधायी परिवर्तन	...	44
7-	नगरपालिका के कर्तव्य	...	44
	– विधायी परिवर्तन	...	46
	– नगर बोर्ड के कर्तव्य	...	48
	– सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था	...	48
	– खतरनाथ भवनों अथवा स्थानों को सुरक्षित बनाना और हटाना	...	48
	– घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जलापूर्ति करना	...	49
	– प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और उनका अनुरक्षण	...	49
	– नगरपालिका में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी सम्पत्ति की सुरक्षा करना, उसका अनुरक्षण तथा विकास करना।	...	49
	– नगरीय वानिकी और परिस्थितिकी की अधिवृद्धि करना और पर्यावरण का संरक्षण करना।	...	49
	– सांविधिक दायित्वों का अनुपालन करने में असफलता : परिणाम	...	49
	– अधिनियम की धारा 7, 8, 128 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14	...	50
8-	नगरपालिका के वैवेकिक कृत्य	...	50
	– विधायी परिवर्तन	...	52
	– नगरपालिका के वैवेकिक कृत्य	...	52
	– धारा 8 (1)(क) के अन्तर्गत नगरपालिका का दायित्व और शक्ति	...	53
	– धारा 8 (1)(झ) के अन्तर्गत नगरपालिका का दायित्व	...	53
8–क.	{***}	...	54
	– विधायी परिवर्तन	...	54
9-	नगरपालिका की संरचना	...	54
	– विधायी परिवर्तन	...	55
	– नगरपालिका की संरचना	...	56
	– राज्य सभा अथवा राज्य विधान परिषद् सदस्यों के निवास स्थल को सुनिश्चित किया जाना	...	56

	– राज्य सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य द्वारा निवास स्थल में परिवर्तन : परिवर्तन का उसकी नगरपालिका की सदस्यता पर प्रभाव	...	57
	– संशोधन अधिनियम, 1990 द्वारा जोड़ा गया चतुर्थ परन्तुक : क्या समता के सिद्धान्त का उल्लंघन करता है?	...	57
	– नामित सदस्यों का हटाया जाना : सुनवायी का अधिकार	...	58
9–क.	स्थानों का आरक्षण	...	59
	– विधायी परिवर्तन	...	60
	– नगरपालिका में स्थानों का आरक्षण	...	60
	– विहित नियम।	...	61
	– नगरपालिका में महिलों के लिए आरक्षण की व्यवस्था	...	64
	– आरक्षण की सीमा	...	64
	– आरक्षण की अवधि	...	65
10-	{***}	...	65
	– विधायी परिवर्तन	...	65
10–क.	नगरपालिका का कार्यकाल	...	65
	– विधायी परिवर्तन	...	65
	– नगरपालिका का कार्यकाल	...	66
	– नगरपालिका का विघटन	...	66
	– नगरपालिका के विघटन का परिणाम	...	67
	– विघटित नगरपालिका का उपचुनाव	...	68
	– पुनर्गठित नगरपालिका का कार्यकाल	...	68
10–कक.	{***}	...	68
	– विधायी परिवर्तन	...	68
11-	{***}	...	69
	– विधायी परिवर्तन	...	69
11–क.	कक्ष का परिसीमान	...	69
	– विधायी परिवर्तन	...	70
11–ख.	परिसीमन आदेश	...	70
	– विधायी परिवर्तन	...	70
11–ग.	परिसीमन आदेष का संशोधन	...	71

	– विधायी परिवर्तन	...	71
12-	{***}	...	71
	निर्वाचक नामावली		
12–क.	सदस्यों का निर्वाचन	...	71
	– विधायी परिवर्तन	...	71
12–ख.	प्रत्येक कक्ष के लिए निर्वाचक नामावली	...	72
	– विधायी परिवर्तन	...	72
12–ग.	निर्वाचकों के लिए अर्हता	...	73
12–घ.	निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनर्हतायें	...	73
12–ङ.	रजिस्ट्रीकरण केवल एक कक्ष में होगा	...	74
12–च.	{***}	...	74
	– विधायी परिवर्तन	...	74
12–छ.	निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण	...	75
	– विधायी परिवर्तन	...	75
12–ज.	निर्वाचक नामावली सम्बन्धी आदेश	...	75
	– विधायी परिवर्तन	...	76
	– किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली	...	76
13.	{***}	...	76
	निर्वाचन का संचालन	...	
13–क.	सामान्य निर्वाचन	...	77
	– विधायी परिवर्तन	...	77
13–ख.	निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण इत्यादि	...	77
	– विधायी परिवर्तन	...	77
13–ग.	सदस्यता के लिए अर्हतायें	...	77
	– विधायी परिवर्तन	...	78
13–घ.	सदस्यता के लिए अनर्हताएँ	...	78
	– विधायी परिवर्तन	...	80
	– सदस्यता के लिए अनर्हता	...	80
	– क्या अनर्हता के कारण किसी सदस्य की सदस्यता स्वतः समाप्त या निलम्बित हो जाती है?	...	80
	– धारा 13–घ और धारा 40	...	80

	– धारा 13–घ की उपधारा (घ)	...	81
	– धारा 13–घ की उपधारा (छ) और धारा 166	...	81
	– धारा 13–घ की उपधारा (झझ)	...	81
	– धारा 13–च की उपधारा (ञ)	...	82
13–ङ.	मत देने का अधिकार	...	82
13–च.	{***}	...	83
	– विधायी परिवर्तन	...	83
13–छ.	निर्वाचनों के संचालन के सम्बन्ध में आदेश	...	83
13–ज.	उप निर्वाचन	...	84
13–झ.	कतिपय आकस्मिक रिक्तियां जिनकी पूर्ति नहीं की जायेगी	...	84
13–ञ.	निर्वाचन सम्बन्धी अपराध	...	84
	– विधायी परिवर्तन	...	86
	– लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सुसंगत उपबन्ध	...	86
	– निर्वाचन के सम्बन्ध में वर्गो के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करना	...	86
	– निर्वाचन से पूर्ववर्ती दिन और निर्वाचन के दिन सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषोध	...	86
	– निर्वाचनों सभाओं में उपद्रव	...	87
	– पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन	...	87
	– मतदान की गोपनीयता को बनाये रखना	...	88
	– निर्वाचनों में ऑफिसर आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य नहीं करेंगे और न मत दिये जाने में कोई असर डालेंगे	...	88
	– मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संपाचना का प्रतिषेध	...	88
	– मतदान केन्द्रों में या उसके निकट विच्छंखल आचरण के लिए शस्ति	...	89
	– मतदान केन्द्र के अवचार के लिए शास्ति	...	89
	– निर्वाचनों से संसक्त पदीय कर्तव्य के भंग	...	89
	– निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति	...	90
	– मतदान केन्द्रों से मतपत्रों के हटाना अपराध होगा	...	90
	– बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध	...	90
	– अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियॉ	...	91
13–ट.	सिविल न्यायालय की अधिकारिता	...	91

	– विधायी परिवर्तन	...	92
	– सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर प्रतिबन्ध	...	92
	– उच्च न्यायालय की अधिकारिता	...	92
14-	{***}	...	92
15-	{***}	...	92
16-	{***}	...	93
17-	{***}	...	93
18-	{***}	...	93
	निर्वाचन याचिकाए	...	
19-	याचिका द्वारा नगरपालिका निर्वाचन पर आपत्ति करने की शक्ति	...	93
	– विधायी परिवर्तन	...	94
	– छोटी–मोटी त्रुटियां नजरन्दाज की जा सकेगी।	...	94
	– त्रुटि या भूल जो निर्वाचन के परिणाम को सारवान रूप से प्रभावित करती है।	...	94
20-	याचिका का प्रारूप और उसका प्रस्तुत किया जाना	...	94
	– विधायी परिवर्तन	...	95
	– याचिका का प्रस्तुत किया जाना	...	95
	– अभिवचन का सत्यापन	...	95
	– कोर्ट–फीस	...	95
	– परिसीमा	...	95
	– याचिका का पक्षकार	...	95
	– पक्षकार न बनाये जाने का परिणाम	...	96
21-	प्रत्यारोपक कार्यवाहियां	...	96
22-	निर्वाचन याचिका की सुनवाई	...	96
23-	प्रक्रिया	...	96
	– विधायी परिवर्तन	...	97
	– सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबन्धों का लागू होना	...	97
	– जिला न्यायाधीष द्वारा विधि के प्रश्नों को उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाना	...	98
	– जिला न्यायाधीश के निर्णय के विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण	...	99
	– पुर्नविलोकन हेतु आवेदन	...	99
	– पुनर्विलोकन हेतु आवेदन के लिए परिसीमा अवधि	...	99

	– भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 12(2)	...	99
23–ए.	{***}	...	104
24-	वाद व्यय के लिए उपबन्ध	...	104
	– वाद व्यय की वसूली	...	104
	– कुर्की से मुक्ति	...	106
25-	जिला न्यायाधीश का निष्कर्ष	...	107
	– विधायी परिवर्तन	...	107
	– जिला न्यायाधीष का निष्कर्ष	...	107
26-	निर्वाचन कार्यवाहियों का परिवर्तन	...	107
27-	भ्रष्ट आचरण के लिए अनर्हता	...	108
28-	भ्रष्ट आचरण	...	108
29-	{***}	...	108
29–क.	{***}	...	109
	नगरपालिका का नियन्त्रण	...	
30-	राज्य सरकार की नगरपालिका को विघटित करने की शक्ति	...	109
	– विधायी परिवर्तन	...	109
	– 1994 ई0 के संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित वर्तमान धारा 30 और पूर्ववर्ती धारा 30 में अन्तर	...	109
	– राज्य सरकार का समाधान	...	110
	– नगरपालिका को विघटित करने का आदेश तत्सम्बन्धी कारण के साथ पारित किया जायेगा	...	110
	– कारण सहित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का एक महत्वपूर्ण अंग है	...	111
	– सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर	...	114
	– सुनवायी के अवसर का अपवाद	...	118
	– राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका को विघटित करने के आदेश का सरकारी गजट में प्रकाशन	...	121
	– धारा 30 और धारा 35 तुलना	...	121
31-	{***}	...	121
	– विधायी परिवर्तन	...	121
31–क.	नगरपालिका के विघटन के परिणाम	...	122
	– विधायी परिवर्तन	...	122
32–ख.	स्थानीय निकाय निदेशक	...	123
32-	विहित प्राधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण	...	123

33-	सरकारी अधिकारियों द्वारा नगरपालिका के निर्माण कार्यो तथा संस्थाओं का निरीक्षण	...	123
34-	राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट को नगरपालिका के संकल्प या आदेश के निष्पादन या अग्रेत्तर निष्पादन को प्रतिबन्ध करने की शक्ति	...	123
	– विधायी परिवर्तन	...	125
	– उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी की शक्ति	...	125
	– उपधारा (1–क) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति	...	126
	– उपधारा (1–ख) और (2) के अधीन राज्य सरकार की शक्ति	...	126
	– उपधारा (1), (1–क) एवं (1–ख) के अधीन क्रमशः विहित प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार की शक्तियों की तुलना	...	128
	– उपधारा (1), (1–क) एवं (1–ख) के अधीन आदेशों का प्रभाव	...	128
	– उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द 'क्षोभ' का अभिप्राय	...	128
	– उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द 'क्षति' का अभिप्राय	...	128
35-	नगरपालिका के चूक करने की दशा में राज्य सरकार और विहित प्राधिकारी की शक्ति	...	128
	– धारा 35 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	129
	– धारा 35 के अधीन राज्य सरकार की शक्ति	...	129
	– धारा 35 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी की शक्ति	...	130
	– धारा 35 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति	...	130
36-	आपात्कालीन स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट की असाधारण शक्तियां	...	130
	– जिला मजिस्ट्रेट की धारा 36 के अधीन की शक्ति	...	131
	– धारा 35 और धारा 36 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां : तुलना	...	131
	नगरपालिका के सदस्य		
37-	सदस्यों और अध्यक्ष को पारिश्रमिक देने का प्रतिशेध	...	131
38-	आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित {***} सदस्यों की पदावधि	...	132
38–क.	{***}	...	132
39-	सदस्यों का त्याग–पत्र	...	132
	– धारा 39 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	132
	– सदस्यों का त्याग–पत्र कब से प्रवृत्त होगा	...	132
40-	सदस्यों का हटाया जाना	...	132
	– विधायी परिवर्तन	...	134
	– धारा 40 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	136

	– धारा 40 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अवधि की गणना	...	136
	– धारा 40(1) (च) के अधीन नगरपालिका के सदस्य का हटाया जाना।	...	136
	– धारा 40 की उपधारा (3)	...	137
	– धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन 'स्पष्टीकरण देने का अवसर' : अभिप्राय	...	137
	– धारा 40 की उपधारा (6)	...	138
41-	धारा 40 के अधीन हटाये गये सदस्यों की निर्योग्यतायें	...	138
42-	{***}	...	138
43-	अध्यक्ष का निर्वाचन	...	138
	– विधायी परिवर्तन	...	139
43–क.	भिन्न–भिन्न स्थानीय प्राधिकारियों के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद एक साथ धारण करने के सम्बन्ध में रोक	...	139
43–कक.	अध्यक्ष पद के लिए अर्हतायें	...	139
43–ख.	{***}	...	140
	– विधायी परिवर्तन	...	140
43–खख.	याचिका का अन्तरण	...	140
43–ग.	अध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में आदेश देने की शक्ति	...	141
43–घ.	राजनिष्ठा और पद की शपथ	...	141
44-	{***}	...	142
44–क.	अध्यक्ष का उपनिर्वाचन	...	142
45-	{***}	...	142
46-	अध्यक्ष की पदावधि	...	142
46–क.	{***}	...	142
47-	अध्यक्ष का त्याग–पत्र	...	142
47–क.	अविश्वास प्रस्ताव पर अध्यक्ष का त्याग–पत्र	...	143
	– विधायी परिवर्तन	...	143
	– धारा 47–क का उद्देश्य एवं विस्तार	...	144
	– धारा 87–क के उपबन्धों के अनुसार ....' अभिप्राय	...	144
48-	अध्यक्ष का हटाया जाना	...	144
	– विधायी परिवर्तन	...	146
	– धारा 48 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	146

	– सुनवायी का अवसर और कारण सहित आदेश उपधारा 2 और (2–क)	...	146
	– कारण राज्य सरकार की ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी द्वारा ही दिया जाना चाहिए, अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा नहीं।	...	147
	– राज्य सरकार की शक्ति	...	147
49-	अध्यक्ष का सदस्य होना	...	147
	– विधायी परिवर्तन	...	148
	– क्या अध्यक्ष पद से हटाये जाने का सदस्य का पद भी समाप्त हो जायेगा?	...	148
50-	नगरपालिका के कृत्य जिनका निर्वहन अध्यक्ष द्वारा अवश्य किया जायेगा	...	148
	– धारा 50 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	149
	– अध्यक्ष की शक्तियां	...	149
51-	अध्यक्ष के अतिरिक्त कर्तव्य	...	150
51–क.	सामान्य लोकहित के प्रश्न पर अध्यक्ष का राज्य सरकार से पत्र व्यवहार करने का प्राधिकार	...	151
52-	अध्यक्ष की रिपोर्ट आदि की अपेक्षा करने की नगरपालिका की शक्ति	...	151
53-	अध्यक्ष द्वारा अपनी शक्ति और कर्तव्य का उपाध्यक्ष को प्रत्यायोजन	...	151
53–क.	अध्यक्ष द्वारा धारा 50 के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन	...	151
54-	उपाध्यक्ष का निर्वाचन, उसकी पदावधि और त्याग–पत्र	...	151
	– विधायी परिवर्तन	...	152
	– धारा 54 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	152
	– उपाध्यक्ष के कार्यकाल में कटौती करने की नगरपालिका की शक्ति	...	152
54–क.	कतिपय आकस्मिकतओं में अध्यक्ष की शक्ति आदि का प्रयोग करने के लिए व्यवस्था और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया	...	152
	– विधायी परिवर्तन	...	154
	– धारा 54–क का उद्देश्य एवं विस्तार	...	154
	– उपधारा (1) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति	...	155
55-	उपाध्यक्ष के कर्तव्य	...	155
56-	निर्वाचनों, नाम निर्देशनों और रिक्तियों की अधिसूचना	...	155
	अधिशासी अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी		
57-	अधिशासी और स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त और नियोजित करने की नगरपालिका की शक्ति	...	156
58-	अधिशासी अधिकारी को दण्ड दिया जाना, पदच्युत किया जाना या उसक हटाया जाना और स्वास्थ्य अधिकारी का स्थानान्तरण	...	156

	– विधायी परिवर्तन	...	157
	– धारा 58 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	157
	– नगरपालिका की शक्तियां	...	157
59-	स्थानापन्न कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति	...	157
60-	नगरपालिका के कृत्य जिनका निर्वहन अधिशासी अधिकारी द्वारा अवश्य होना चाहिए	...	158
	– विधायी परिवर्तन	...	158
	– धारा 60 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	158
	– अधिशासी अधिकारी की शक्तियां	...	159
	– धारा 60 (1) (घ), 211, 318 और 321	...	159
	– धारा 60 (1) (घ), 185 और 314	...	159
	– धारा 60 (1) (घ), 620, 185 और 314	...	159
60–क.	कृत्य जिनका निर्वहन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा	...	159
60–ख.	विद्युत सार्वजनिक निर्माण और जल–कल विभाग के प्रधान अधिकारियों को शक्ति का प्रत्यायोजन	...	160
	– विधायी परिवर्तन	...	160
	– धारा 60–ख के अधीन शक्ति के प्रत्यायोजन का अधिशासी अधिकारी की शक्तियों पर प्रभाव	...	160
61-	कार्यपालक अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील करने का अधिकार	...	160
62-	अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन	...	161
63-	अध्यक्ष या नगरपालिका या समिति को, अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी से रिपोर्ट आदि की अपेक्षा करने की शक्ति	...	161
64-	अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी का बहस में भाग लेने का अधिकार	...	161
65-	राज्य सरकार की अधिशासी अधिकारी को नियुक्ति करने की शक्ति	...	162
	अन्य सेवक		
66-	सचिव की नियुक्ति	...	162
	– विधायी परिवर्तन	...	162
	– धारा 66 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	162
66–क.	स्थानापन्न सचिव की नियुक्ति	...	162
67.	सचिव को दण्ड देना और पदच्युत करना	...	163
68.	प्राविधिक विभागों के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति	...	163
69–क.	आपात स्थिति में सेवकों के लिए राज्य सरकार द्वारा की गयी अध्युपेक्षा का नगरपालिका द्वारा अनुपालन	...	164

69-	धारा 68 के अधीन नियुक्त अधिकारियों को दण्ड दिया जाना तथा उनका पदच्युत किया जाना	...	164
69–क.	धारा 68 के अधीन नियुक्त अधिकारियों को दण्ड दिया जाना तथा उनका पदच्युत किया जाना	...	164
	– विधायी परिवर्तन	...	165
	– धारा 69–क का उद्देश्य एवं विस्तार	...	165
	– क्या राज्य सरकार नगरपालिका के किसी अधिकारी को जांच के लम्बित रहने के दौरान निलम्बित कर सकती है?	...	165
	– क्या धारा 69–क की उपधारा (3) के अन्तर्गत नियमों के अभाव में की गयी जांच अवैध होगी	...	166
	– धारा 69–क(4) और धारा 58	...	166
	– क्या धारा 69–क विभेदपकर है?	...	166
69–ख.	नगरपालिका अधिकारियों तथा सेवकों की सेवाओं का केन्द्रीयकरण करना	...	166
70-	आपास्थिति के लिए अपेक्षित अस्थायी सेवक	...	167
71-	नगरपालिका की स्थायी कर्मचारी वर्ग अवधारित करने की शक्ति	...	167
	– विधायी परिवर्तन	...	167
	– धारा 71 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	167
	– राज्य सरकार की शक्तियां	...	168
72-	पदों का संशोधन	...	168
73-	शिक्षण अधिष्ठान में सेवकों की नियुक्ति आदि	...	168
	– विधायी परिवर्तन	...	168
	– धारा 73 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	168
	– उपधारा (2) के अन्तर्गत अपील के सम्बन्ध में नियम	...	169
	– धारा 69–क और धारा 73 में अन्तर	...	169
74-	स्थायी वरिष्ठ कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति पद्च्युति	...	169
	– धारा 74 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	169
	– राज्य सरकार की पुनरीक्षण शक्ति	...	169
75-	स्थायी अवर कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति	...	170
76-	स्थायी अवर वर्ग के कर्मचारी वर्ग को दण्ड दिया जाना और उनको पदच्युत किया जाना	...	170
77-	धारा 71 से 76 तक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का परिसीमन	...	170
77–क..	अनुषासनिक मामलों में अपी प्राधिकारी की शक्ति	...	170
77–ख.	निलम्बन की शक्ति	...	170
	कतिपय सेवकों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध		

78-	नगरपालिका द्वार नियोजित सरकार के सेवकों या सरकार द्वारा नियोजित नगरपालिका के सेवकों का पेन्शन और उनकी पदच्युति	...	171
79-	छुट्‌टी भत्ता, भविष्य निधि, वार्षिकी और उपदान	...	171
80-	पूर्ववर्ती धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति की परिसीमा	...	172
	सदस्यों, अधिकारियों तथा सेवकों के दायित्व		
81-	अधिभार	...	172
	– धारा 81 का उद्‌देश्य एवं विस्तार	...	173
82-	संविदा आदि में हित अर्जित करने वाले सदस्य या अध्यक्ष पर शास्ति	...	173
	– धारा 82 का उद्‌देश्य एवं विस्तार	...	174
	– कोई अंश या हित	...	174
	– यह समझा जायेगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 168 के अधीन अपराध किया है	...	174
83-	संविदा आदि में हित रखने वाले सेवकों के विरूद्ध उपबन्ध	...	174
84-	नगरपालिका के सभी अधिकारी और सेवक लोकसेवक समझे जायेंगे	...	175
	– धारा 84 का उद्‌देश्य एवं विस्तार	...	175
	– लोकसेवक	...	175
	– लोकसेवकों से सम्बन्धित अपराध	...	177
85-	विनिर्दिष्ट नगरपालिका सेवकों को अपने कर्तव्यों के पालन करने में चूक करने के लिए शास्ति	...	181
	अध्याय 3 **कार्य संचालन** **नगरपालिका की बैठकें और उनकी कार्यवाहियां**		
86-	नगरपालिका की बैठकें	...	182
87-	बैठकों में कार्य–सम्पादन	...	182
87–क.	अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव	...	182
	– विधायी परिवर्तन	...	185
	– धारा 87–क का उद्‌देश्य एवं विस्तार	...	185
	– उपधारा (1)	...	185
	– अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस उपधारा (2)	...	185
	– उपधारा (3)	...	186
	– उपधारा (3) आज्ञापक प्रवृति की हैं	...	186
	– उपधारा (3) में प्रयुक्त '30 दिन के पूर्व और 35 दिन के पश्चात् नहीं होगी' पद का अभिप्राय	...	187

	– नोटिस तामील करने की रीति	...	188
	– क्या नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् बैठक में उपस्थित होने के लिए सदस्य या अध्यक्ष बाध्य है	...	188
	– 'कम से कम 7 दिन पूर्व' पद का अभिप्राय	...	188
	– उपधारा (4) एवं (5)	...	189
	– उपधारा (9)	...	189
	– उपधारा (12)	...	190
	– उपधारा (13)	...	190
	– उपधारा (12) और उपधारा (13) में अन्तर	...	190
	– उपधारा (14)	...	190
	– उपधारा (14) और धारा 13–च	...	190
	– उपधारा (15)	...	191
	– जिला मजिस्ट्रेट	...	191
88-	गणपूर्ति	...	191
89-	बैठक का अध्यक्ष	...	191
90-	बैठक का प्रचार	...	191
91-	व्यवस्था बनाये रखने के लिए बैठक के अध्यक्ष की शक्ति	...	191
92-	मतदान द्वारा विनिष्चय	...	192
93-	बैठक में कतिपय अधिकारियों की उपस्थिति होने तथा बोलने का अधिकार	...	192
	– विधायी परिवर्तन	...	192
94-	कार्य–वृत्त पुस्तिका का संकल्प	...	192
	– विधायी परिवर्तन	...	193
	– उपधारा (3)	...	193
	पत्र–व्यवहार, लेखा, बजट आदि का संचालन		
95-	पत्र–व्यवहार, लेखा, बजट आदि का संचालन	...	194
	संविदा		
96-	संविदा की स्वीकृति	...	194
	– विधायी परिवर्तन	...	195
97-	संविदा का निष्पादन	...	195
	– धारा 97 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	196
	– ''प्रत्येक संविदा .... लिखित रूप में होगी''	...	196

97–क.	कतिपय परियोजनाओं के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध	...	197
98-	लिखित का रजिस्ट्रीकरण	...	197
	बजट		
99-	बजट	...	197
100-	पुनरीक्षित बजट	...	197
101-	बजट में दर्शित न्यूनतम अन्त अतिशेष	...	198
102-	ऋणी नगरपालिका का बजट	...	198
103-	बजट में अतिरिक्त व्यय करने का प्रतिपेक्ष	...	198
	समिति और संयुक्त समिति		
104-	समिति की नियुक्ति	...	198
105-	सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति	...	199
106-	समिति में रिक्तियां	...	199
107-	समिति का सभापति	...	199
108-	समितियों की प्रक्रिया	...	199
109-	समिति का नगरपालिका के अधीनस्थ होना	...	199
110-	संयुक्त समिति	...	200
110–क.	राज्य नगरपालिका संघ का बनाया जाना और उसके कृत्य	...	200
	– विधायी परिवर्तन	...	201
	नगरपालिका द्वारा षक्ति का प्रयोग और प्रत्यायोजन		
111-	शक्ति जिनका प्रयोग नगरपालिका संकल्प द्वारा कर सकती है	...	201
112-	नगरपालिका द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन	...	201
	कार्य और कार्यवाही की विधिमान्यता		
113-	उपधारण और आवृत्ति	...	202
	– विधायी परिवर्तन	...	202
	– धारा 113 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	202
	– उपधारा (2)	...	203
	अध्याय 4 **नगरपालिका निधि और सम्पत्ति**		
114-	नगरपालिका निधि	...	204
	– विधायी परिवर्तन	...	204

	– पूर्ववर्ती धारा और वर्तमान धारा में अन्तर	…	204
114–क.	धन उधार लेने की नगरपालिका की शक्ति	…	204
115-	नगरपालिका निधि की अभिरक्षा और उसका विनिधान	…	204
116-	नगरपालिका में निहित सम्पत्ति	…	205
	– धारा 116 का खण्ड (च)	…	205
	– धारा 116 का खण्ड (छ)	…	205
117-	भूमि का अनिवार्य अर्जन	…	206
118-	नगरपालिका का अपने प्रबन्ध में सौंपी गई सम्पत्ति के प्रबन्ध और नियन्त्रण की शक्ति	…	206
119-	सार्वजनिक संस्था	…	206
120-	नगरपालिका क्षेत्र निधि और सम्पत्ति का उपयोजन	…	206
120–क.	कतिपय मुकदमों पर नगरपालिका निधि से होने वाले व्यय का निर्बन्धक	…	207
120–ख.	नगरपालिका के भू–गृहादि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1966 के अध्याय 7 का लागू किया जाना	…	207
121-	जब क्षेत्र यथास्थिति संक्रमणशील क्षेंत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र न रह जाये तब निधि का निस्तारण	…	208
122-	जब क्षेत्र यथास्थिति संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित न रह जाय तब निधि का निस्तारण	…	208
123-	निधि और सम्पत्ति का उपयोग जो धारा 121 या 122 के अधीन सरकार को प्रोद्भूत हो	…	208
124-	सम्पत्ति अन्तरण सम्बन्धी नगरपालिका की शक्ति	…	209
	– धारा 124–क. उद्देश्य एवं विस्तार	…	209
125-	नगरपालिका निधि से प्रतिकर का भुगतान	…	209
126-	मेले आदि में पुलिस के विशेष संरक्षण के लिए नगरपालिका द्वारा भुगतान	…	209
127-	नगरपालिका निधि, सम्पतित से सम्बद्ध अन्य विषय	…	210
	अध्याय 4–क **जिला योजना समिति और वित्त आयोग**		
127–क.	जिला योजना समिति	…	211
127–ख.	योजना का तैयार किया जाना	…	211
127–ग.	वित्त आयोग	…	212
	अध्याय 5 **नगरपालिका कराधान, करों का अधिरोपण और परिवर्तन**		

128-	कर जो अधिरोपित किये जा सकते हैं	...	213
	– विधायी परिवर्तन	...	214
	– धारा 128 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	215
	– 'सम्पूर्ण नगरपालिका या उसके किसी भाग में' शब्दों का अभिप्राय	...	216
	– क्या नगरपालिका अधिनियम धारा 128 (1) के अधीन नगरपालिकाओं द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए कोई वास्तविक मार्ग दर्शन उपबन्धित करता है?	...	216
	– फीस और कर में अन्तर	...	217
	– उपधारा (1) का खण्ड (x)	...	217
128–क.	{***}	...	217
129.	जलकर के अधिरोपण पर निर्वधन	...	218
130.	अन्य करों के अधिरोपण पर निर्बन्धन	...	218
130–क.	नगरपालिका से कर अधिरोपित करने की अपेक्षा करने को राज्य सरकार की शक्ति	...	218
	– विधायी परिवर्तन	...	219
	– धारा 130–क का उद्देश्य एवं विस्तार	...	219
130–ख.	कतिपय प्रयोजनों के लिए प्राप्त करों का एकत्रीकरण	...	219
131-	प्रारम्भिक प्रस्ताव तैयार करना	...	219
	– विधायी परिवर्तन	...	220
	– धारा 131 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	220
	– धारा 94 में विहित प्रक्रिया	...	220
	– धारा 131 की उपधारा (3)	...	220
	– धारा 131 और संविधान का अनुच्छेद 14	...	221
	– विधायी परिवर्तन	...	221
	– धारा 132 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	221
	– उपधारा (2) के परन्तुक का प्रभाव	...	221
	– आपत्ति प्रस्तुत करने की परिसीमा अवधि	...	222
132-	प्रस्ताव तैयार करने के बाद की प्रक्रिया	...	222
133-	प्रस्तावों को अस्वीकृत या उपान्तरित करने की राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी की शक्ति	...	222
134-	कर का अधिरोपण निर्देशित करने का नगरपालिका का संकल्प	...	222

	– विधायी परिवर्तन	…	223
	– धारा 134 का उद्देश्य एवं विस्तार	…	223
	– उपधारा (2)	…	223
	– तिथि जब से अधिरोपित कर प्रभावी होगा	…	223
135-	कर का अधिरोपण	…	223
	– धारा 135 का उद्देश्य एवं विस्तार	…	224
	– उपधारा (3)	…	224
	– क्या धारा 135 की उपधारा (2) विभेदपरक है?	…	225
136-	करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया	…	225
	– धारा 136 का उद्देश्य एवं विस्तार	…	225
137-	कर का उपचार करने या समाप्त करने की राज्य सरकार की षक्ति	…	225
	समेकित कर		
138-	करों का समेकन	…	226
139-	छूट के लिए अपेक्षित कटौतियां	…	226
	भवन या भूमि या दोनों के वार्शिक मूल्य पर कर निर्धारण और उद्ग्रहण		
140-	वार्शिक मूल्य की परिभाषा	…	226
	– धारा 140 का उद्देश्य एवं विस्तार	…	227
	– उपधारा (1) का खण्ड (क)	…	227
	– उपधारा (1) के खण्ड (क) में प्रयुक्त 'अन्य ऐसे भवनों' पद से अभिप्राय	…	227
	– उपधारा (1) का खण्ड (ख)	…	227
	– उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रयुक्त 'युक्तियुक्त रूप से' पद का अभिप्राय	…	228
	– उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में अन्तर	…	228
141-	कर निर्धारण सूची का तैयार किया जाना	…	228
	– धारा 141 का उद्देश्य एवं विस्तार	…	229
142-	सूची का प्रकाशन	…	229
	– धारा 142 का उद्देश्य	…	229
143-	सूची में प्रविष्टियों पर आपत्ति	…	229
	– धारा 143 का उद्देश्य एवं विस्तार	…	230
	– उपधारा (1)	…	230

	– मृत स्वामी के विधिक प्रतिनिधि को सूचना देने का प्रभाव	...	230
	– धारा 142 के अधीन सूचना और धारा 143 के अधीन सूचना में अन्तर	...	230
144-	सूची का अधिप्रमाणीकरण और उसकी अभिरक्षा	...	230
145-	सूची का पुनरीक्षण और उसकी अवधि	...	231
	– विधायी परिवर्तन	...	231
	– धारा 145 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	231
	– कर निर्धारण सूची के प्रभावी बने रहने की अवधि	...	231
145–क.	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1952 के अधीन अवधारित संपत्ति के मूल्य का अंगीकरण	...	231
146-	सूची में प्रविष्टियों का निश्चायक होना	...	232
	– धारा 146 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	232
147-	सूची में संशोधन और परिवर्तन	...	232
	– विधायी परिवर्तन	...	233
	– धारा 147 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	233
	– उपधारा (1) का खण्ड (क)	...	234
	– उपधारा (1) का खण्ड (ग)	...	234
	– उपधारा (1) का खण्ड (घ)	...	234
148-	संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता	...	234
	– धारा 148 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	235
	– उपधारा (1) के अन्तर्गत सूचना हेतु परिसीमा अवधि	...	235
149-	वर्षिक मूल्य पर कतिपय कर भुगतान करने का दायित्व	...	235
150-	ऐसे अन्य करों के भुगतान का दायित्व	...	236
151-	अनध्यासन के कारण छूट	...	236
	– धारा 151 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	236
	– उपधारा (1)	...	237
	– उपधारा (3)	...	237
	– 'रिक्त' पद का अभिप्राय	...	237
	– उपधारा (4)	...	237
	– उपधारा (5)	...	238
152-	पुनः अध्यासन की नोटिस देने की बाध्यता	...	238

	संग्रह, संधान, छूट और कराधान सम्बन्धी अन्य विषय		
153-	कर–निर्धारण, संग्रह और अन्य विषयों के सम्बन्ध में नियमावली	...	238
	– विधायी परिवर्तन	...	239
	– धारा 153 का उद्‌देश्य एवं विस्तार	...	239
	– धारा 153 के खण्ड (च)	...	239
154-	{***}	...	239
	– विधायी परिवर्तन	...	239
155-	{***}	...	239
	– विधायी परिवर्तन	...	240
155–क.	{***}	...	240
	– विधायी परिवर्तन	...	240
156-	प्रशमन	...	240
157-	छूट	...	241
	– धारा 157 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	241
	– कर में छूट	...	241
	– धारा 157 की उपधारा (3)	...	241
158-	दायित्व प्रकट करने की बाध्यता	...	242
	– विधायी परिवर्तन	...	242
	– धारा 158 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	242
159-	पता लगाने की शक्ति	...	242
159–क.	अंको को पूर्णांकित करना	...	243
	कराधान के विरूद्ध अपील		
160-	कराधान से सम्बन्धित अपील	...	243
	– विधायी परिवर्तन	...	243
	– धारा 160 का उद्‌देश्य एवं विस्तार	...	243
	– अपील प्राधिकारी और उसकी शक्तियां	...	244
	– पुनरीक्षिण	...	244
	– पुनर्विलोकन	...	244
	– धारा 160 और धारा 164	...	244
	– धारा 160 और धारा 314	...	244

161-	परिसीमा और दावाकृत का प्रारम्भिक निक्षेप	...	245
	– धारा 161 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	245
	– अपील दाखिल करने के लिए परिसीमा अवधि	...	245
	– अपील के लिए इस धारा के अधीन परिसीमा अवधि और परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबन्ध	...	246
	– दावाकृत कर का प्रारम्भिक निक्षेप	...	246
162-	उच्च न्यायालय को निर्देश	...	247
	– धारा 162 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	247
	– उच्च न्यायालय का निर्देश कब किया जा सकेगा	...	247
	– निर्देश प्राप्त होने पर उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही	...	248
163-	वाद व्यय	...	248
164-	कराधान के विषय के सम्बन्ध में सिविल और दाण्डिक न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक	...	248
	– धारा 164 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	249
	– सिविल न्यायालयों को अधिकारिता	...	249
	– उपधारा (2)	...	249
	कर–निर्धारण और मांग में औपचारिक त्रुटि		
165-	व्यावृत्ति	...	250
	अध्याय 6 **कतिपय नगरपालिका दावों की वसूली**		
166-	बिल प्रस्तुत करना	...	251
167-	बिल की विषय वस्तु	...	251
168-	मांग की नोटिस	...	251
169-	वारन्ट जारी करना	...	251
170-	वारन्ट के निष्पादन के प्रयोजन के लिए बलपूर्वक प्रवेश	...	252
171-	वारन्ट निष्पादित करने की रीति	...	252
172-	वारन्ट के अधीन वस्तु की बिक्री और आगम का उपयोग किया जाना	...	253
173-	नगरपालिका क्षेत्र से बाहर सम्पत्ति के प्रति निष्पादन के मामलें में प्रक्रिया	...	253
173–क.	भू–राजस्व के बकाया के रूप में कर की वसूली	...	254
	– विधायी परिवर्तन	...	254

	– धारा 173–क का उद्देश्य एवं विस्तार	...	254
	– भू–राजस्व की बकाया की रीति	...	254
174-	फीस और व्यय	...	257
175-	व्याकृति	...	257
176-	वाद लाने की वैकल्पिक शक्ति	...	257
177-	करों में स्थावर सम्पत्ति का दायित्व	...	257
	अध्याय 7 **भवनों, सार्वजनिक नालियों, मार्गो, अग्निशमन समार्जन** **और जल–सम्भरण के बारें में शक्ति और षास्ति** **भवन सम्बन्ध विनियम**		
178-	भवन निर्माण करने या कुआं बनाने के आशय की नोटिस	...	258
179-	नोटिस को विधिमान्य बनाने के लिए अपेक्षित रेखांक और विनिर्देश	...	258
180-	नगरपालिका द्वारा निर्माण कार्य की स्वीकृति	...	259-
	– धारा 180 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	260
	– नगरपालिका द्वारा निर्माण कार्य को स्वीकृति करने की शक्ति	...	260
	– धारा 181 और 183	...	261
	– उपधारा (3)	...	261
	– उपधारा (6)	...	261
180–क.	कतिपय मामलों में आमोद स्थल के निर्माण की स्वीकृति देने के लिए नगरपालिका की शक्ति पर निर्बन्धन	...	261
181-	स्वीकृति की अवधि	...	262
182-	ऐसे निर्माण कार्य का निरीक्षण जिनके लिए स्वीकृति अपेक्षित हो	...	262
183-	धारा 180 के अधीन दिये गये आदेश के कारण क्षति के लिए प्रतिकर	...	262
184-	धारा 180 के अधीन स्वीकृति का प्रभाव	...	263
185-	किसी भवन का अवैध निर्माण या परिवर्तन	...	263
	– विधायी परिवर्तन	...	263
	– धारा 185 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	263
	– 'भवन या भवन का भाग' अभिप्राय	...	264
186-	निर्माण कार्य को रोकने तथ निर्मित भवन को गिरा देने की नगरपालिका की शक्ति	...	264
	– विधायी परिवर्तन	...	264

	– धारा 186 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	264
	– इस धारा के अधीन नगरपालिका की शक्ति	...	264
	अग्निशमन		
187-	अग्शिमन दल की स्थापना और उसका अनुरक्षण	...	265
188-	अग्निशमन के लिए अग्निशमन दल तथा अन्य व्यक्तियों की शक्ति	...	265
	सार्वजनिक नालियॉ		
189-	सार्वजनिक नालियों का निर्माण	...	266
190-	सार्वजनिक नालियों में परिवर्तन	...	266
191-	निजी स्वामियों द्वारा सार्वजनिक नालियों का प्रयोग	...	266
	– धारा 191 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	267
192-	सार्वजनिक नालियों के साथ जल–निस्सारण का संयोजन कराने की नगरपालिका की शक्ति	...	267
193-	किसी अन्य व्यक्ति की भूति से नाली ले जाने की किसी व्यक्ति की शक्ति	...	267
194-	भूमि के स्वामी का अपनी भूमि पर नाली मोड़ने का अधिकार	...	268
	संमार्जन और सफाई		
195-	गृह समार्जन की परिभाषा	...	268
196-	नगरपालिका द्वारा गृह समार्जन आदि का कार्य अंगीकार करना और त्यागना	...	268
197-	अंगीकार करने पर आपत्ति	...	269
198-	नगरपालिका द्वारा संमार्जन कार्य अंगीकार कर लिए जाने के बार उसे जारी रखना	...	269
199-	गृह संमार्जन के लिए नगरपालिका सेवाओं की शक्ति	...	269
200-	रूढ़िगत सफाईकारों और कृषकों के पक्ष में व्यावृत्ति	...	269
201-	रूढ़िगत सफाईकारों की अपेक्षा के लिए दण्ड	...	269
202-	कृषकों द्वारा व्यतिकृत किये जाने के मामलें में प्रक्रिया	...	270
	मार्ग सम्बन्धी विनियम		
203-	ऐसे स्थल पर, जो किसी सार्वजनिक या असार्वजनिक मार्ग से संशक्त न हो, किसी भवन का निर्माण के पूर्व मार्ग का विन्यास करने और उसे बनाने की व्यवस्था	...	270
204-	मार्ग का विन्यास करने और उसे बनाने की अनुज्ञा	...	270
205-	कतिपय मामलों में किसी मार्ग के विन्यास और निर्माण के लिए नगरपालिका की स्वीकृति की उपधारणा की जायेगी	...	271
206-	स्वीकृति की अवधि	...	271

207-	मार्ग का अवैध निर्माण	...	271
208-	बिना स्वीकति के बने मार्ग में परिवर्तन करने और उसे तोड़ देने की नगरपालिका की शक्ति	...	272
209-	मार्गो और नालियों के ऊपर प्रक्षेप के लिए नगरपालिका की स्वीकृति	...	272
210-	मार्ग या नाली के ऊपर बिना अनुज्ञा के प्रक्षेपण के निर्माण के लिए शास्ति	...	273
	– धारा 210 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	273
	– दाण्डिक न्यायालय की अधिकारिता	...	273
	– दण्ड की मात्रा	...	273
211-	सड़कों और नालियों पर अतिक्रमण और प्रक्षेपण हटाने की षक्ति	...	273
	– धारा 211 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	274
	– नोटिस का अभिप्राय लिखित नोटिस से है	...	274
	– अधिशासी अधिकारी का आदेश नगरपालिका का आदेश माना जायेगा	...	274
	– इस धारा के अधीन पारित आदेश को किसी विधि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी	...	274
212-	मार्ग को सममतल करने या खड़ंजा लगाने आदि की अपेक्षा करने की शक्ति	...	275
212–क.	नगरपालिका क्षेत्र के बारह भवन, मार्ग और नालियों के निर्माण को नियन्त्रित तथा विनियमित करने की नगरपालिका की शक्ति	...	275
213-	भवन आदि के निर्माण में मार्गो के संरक्षण की अपेक्षा करने की शक्ति	...	275
214-	पेड़ और झाड़ियों को काटने और छांटने की अपेक्षा करने की शक्ति	...	276
215	आकस्मिक बाधा को हटाने की शक्ति	...	276
216-	मार्ग को प्रभावित करने वाले नावों ओर जल निस्सारण के नालें का विनियमन	...	276
217-	मार्गो का नामकरण और भवनों का संख्यांकन	...	276
218-	भवन आदि में ब्रेकेट लगाने की शक्ति	...	277
	सार्वजनिक मार्ग		
219-	सार्वजनिक मार्ग पर सथल का निर्माण करने, सुधार करने और उसकी व्यवस्था करने की शक्ति	...	277
220-	विक्रेताओं और अन्य व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक मार्ग का उपयोग	...	278
221-	किसी मार्ग को सार्वजनिक मार्ग के रूप में अंगीकार करना	...	278
222-	सार्वजनिक मार्ग पर भवनों की पंक्ति विनियमित करने की शक्ति	...	278
223-	सार्वजनिक मार्गो आदि का निर्माण करते समय नगरपालिका का कर्तव्य	...	279
	जल सम्भरण		

224-	जल–कल का निर्माण और परिवर्तन करने की नगरपालिका की शक्ति	…	280
224–क.	लाइसेंसधारी की शक्ति और दायित्व	…	280
224–ख.	वर्तमान लाइसेन्सों का प्रतिसंहरण	…	281
224–ग.		…	281
	– विधायी परिवर्तन	…	284
	– धारा 224–ग का उद्देश्य एवं विस्तार	…	284
	– अधिनियम संख्या 45, सन् 1975 से पूर्व विद्यमान धारा 224–ग और वर्तमान धारा 224–ग में अन्तर।	…	284
	– क्या नगरपालिका बोर्ड प्रशासक के उस आदेश में बाध्य है जो विधि विरूद्ध हो?	…	285
	– धारा 224–ग की संवेधानिकता	…	285
225-	निजी जल मार्ग आदि की सफाई या उसे बन्द करने की अपेक्षा करने की शक्ति	…	286
226-	महामारी फैलने पर आपात्कालीन शक्ति	…	286
227-	जल सम्भरण के किसी स्त्रोत के निकट से शौचालय आदि का हटाया जाना	…	286
228-	जल–कल लगाने वाली नगरपालिका की बाध्यताएं	…	286
229-	करार द्वारा जल सम्भरण	…	287
230-	जल–सम्भरण के लिए प्रभार	…	287
231	दुर्घटना आदि के कारण दायित्व से नगरपालिका को छूट	…	287
232-	अन्य प्रयोजनों के लिए सम्भरण की अपेक्षा घरेलू प्रयोजनों के लिए सम्भरण की वरीयता	…	288
233-	सम्भरण के अधिकार का निर्बन्धनात्मक नियमों के अधीन होना	…	288
234-	मीटर और सयोजक नल सम्बन्धी उपबन्ध	…	288
235-	जल–सम्भरण नियमावली	…	288
235&d-	किसी व्यक्ति या कम्पनी द्वारा जल सम्भरण सम्बन्धी निबन्ध नियम	…	289
	सार्वजनिक संकर्म में हस्तक्षेप करने वाली संरचना को हटाने की शक्ति		
236-	किसी नाली या जल–कल के ऊपर अनधिकृत करना या पेड़ लगाना	…	289
	अध्याय 8 **अन्य शक्तियां और शास्ति** **बाजार, वधशाला, भोजन की बिक्री आदि**		
237-	बिक्री के लिए पशुओं के वध का स्थान	…	291
238-	ऐसे पशुओं के लिए वध स्थान जो बिक्री के लिए आशयित न हो या जिनका धार्मिक प्रयोजन के लिए वध किया जाये	…	291

239-	ऐसे पशुओं के सम्बन्ध में जिनका वध विक्री के लिए न किया जाये, जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति	...	291
240-	आयात को विनियमित करने की किसी उपविधि का उल्लंघन करके आयतित गोश्त का व्ययन	...	292
241-	कतिपय वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजारों और दुकानों को लाइसेन्स देना	...	292
242-	दुग्धशाला के प्रयोजन के लिए रखे गये भेजन के लिए उपयोग में आने वाले पशुओं को अनुचित चारा देना	...	292
243-	भोजन, पेय और औषधि के बिक्री के स्थान का निरीक्षण	...	292
244-	अस्वास्थ्यकर वस्तुओं का अभिग्रहण और हानिकरण और अप्रयुक्त औषधियों का हटाया जाना	...	292
	कतिपय व्यापार और वृत्ति सम्बन्धी अपदूषण		
245-	आपत्तिजनक व्यापार का विनियम	...	293
246-	अनैतिक प्रयोजन से आवारा घूना और प्रलोभन देना	...	294
247-	वेश्वागृह आदि	...	294
248-	भिक्षावृत्ति आदि	...	294
	सार्वजनिक सुरक्षा	...	
249-	पागत कुत्तों आदि का निस्तारण	...	295
250-	मुख पट्ट बांधने का आदेश	...	295
251-	विधिपूर्वक नष्ट किये गये कुत्ते के लिए प्रतिकर का वर्णन	...	295
252-	मार्ग के नियम की उपेक्षा करना	...	295
253-	उचित प्रकाश के बिना गाड़ी चलाना	...	295
254-	हाथी आदि को सुरक्षित दूरी पर हटाने में विफल होना	...	295
255-	मवेशी आदि पर सड़क पर बांधने का निषेध	...	296
256-	सार्वजनिक स्थलों पर गाड़ियों या पशुओं का पड़ाव	...	296
257-	ज्वलनशील संरचना के सम्बन्ध में शक्ति	...	296
258-	प्राधिकृत मात्रा से अधिक ज्वलनशील सामग्री की तलाशी लेने की शक्ति	...	297
259-	ज्वलनशील सामग्री का ढेर लगाना आदि	...	297
260-	संकटपूर्ण खदान कार्य	...	297
261-	खडंजा आदि को हटाना	...	298
262-	आग्नेयायुथ आदि चलाना	...	298
263-	खन्डहर, भवनों, आरक्षित कुओं आदि से संकट के निवारण के लिए शक्ति	...	298

	– विधायी परिवर्तन	...	299
	– धारा 263 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	299
	– नोटिस की प्रकृति	...	299
	– नोटिस देना किसकी आवश्यक है?	...	299
	– नोटिस देना कब आवश्यक नहीं है	...	299
	– धारा 263 और धारा 7	...	300
	– धारा 263 और सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 108 (ङ)	...	300
	– अधिशासी अधिकारी की शक्तियां	...	300
264-	अनध्यासित भवनों या भूमि को अपदूषण बनने से निवारित करने की शक्ति	...	300
265-	सड़कों पर बाधा	...	300
266-	सार्वजनिक भूमि की खुदाई	...	301
	स्वच्छता और रोग का निवारण		
267-	असार्वजनिक नालियॉ, नलकूप, कूड़ादान, शौचालय आदि	...	301
268-	कारखानों, स्कूलों और सार्वजनिक अभिगम के स्थानों के लिए शौचालय	...	302
269-	तालाब आदि से उत्पन्न अपदूशण हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति	...	302
270-	नालियों, संडासों आदि का निरीक्षण	...	302
271-	गन्दे भवन या भूमि को स्वच्छ रखना	...	303
272-	दुर्गन्धित पदार्थ को हटाने में विलफलता	...	303
273-	कूड़ाकरकट, विष्ठा आदि के निस्तारण का विनियमन	...	303
	– धारा 273 और धारा 116 (घ)	...	303
274-	कूड़ा–करकट, विष्ठा आदि के अनुचित निस्तारण के लिए शास्ति	...	304
275-	पशुओं के शव का निस्तरण	...	304
276-	सार्वजनिक सड़क आदि पर गन्दे जल को बहाने के लिए शास्ति	...	304
277-	भवनों में प्रवेश करने और उन्हें रोगाणुमुक्त करने की शक्ति	...	304
278-	मानवीय निवास के लिए अनुपयुक्त भवन	...	305
279-	हैजा, चेचक आदि की सूचना न देने के लिए शास्ति	...	305
279–क.	उन व्यक्तियों की परीक्षा की जाने की शक्ति, जिनके बारें में संक्रामक रोगों ग्रस्त होने का संदेह हो	...	305
280-	रोगियों को चिकित्सालय ले जाना	...	306
281-	कतिपय विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा कृत कार्यो के लिए शास्ति	...	306

282-	स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खेती, खाद का उपयोग या सिचाई करने का प्रतिषेध	...	306
283-	अनिष्ठकारी वनस्पतियों को साफ करने के लिए स्वामियों से अपेक्षा करने की शक्ति	...	307
284-	उत्खनन को भरने या उसके जल निस्तारण की अपेक्षा करने की शक्ति	...	307
285-	कब्रिस्तान और मशान भूमि के सम्बन्धमें शक्ति	...	307
286-	स्नान और धुलाई करने का स्थान	...	308
	निरीक्षण, प्रवेश, तलाशी आदि		
287-	सामान्य निरीक्षण	...	308
288-	निवारक निरीक्षण	...	308
289-	प्रवेश करने की शक्ति	...	309
290-	कतिपय निर्माण कार्यो को अपने अभिकरण द्वारा निष्पादित कराने की अपेक्षा करने की नगरपालिका की शक्ति	...	309
	किराया और प्रभार		
291-	भूमि के किराये की वसूली	...	309
292-	अन्य स्थावर सम्पत्ति के किराये की वसूली	...	310
293-	नगरपालिका सम्पत्ति का पट्टे के अधीन उपयोग किये जाने में अन्यथा उपयोग करने की फीस	...	310
	– विधायी परिवर्तन 310	...	310
	– धारा 293 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	310
	– स्थावर सम्पत्ति का उपयोग या अध्यासन	...	311
	– सार्वजनिक मार्ग से आवागमन हेतु फीस उद्ग्रहीत करने की षक्ति नगरपालिका को नहीं है।	...	311
293–क.	फीस अधिरोपित करने की शक्ति	...	311
294-	लाइसेन्स की फीस आदि	...	311
	– विधायी परिवर्तन	...	311
	– धारा 294 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	311
	– 'फीस' अभिप्राय	...	312
	– धारा 294 की धारा 131 से 135 तक से विहित प्रक्रिया	...	312
	नगरपालिका द्वारा नियोजित व्यक्यिों को बाधा पहॅुचाना		
295-	नगरपालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों को बाधा पहॅुचाने के लिए शास्ति	...	312
	– विधायी परिवर्तन	...	312

	– धारा 295 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	313
	अध्याय 9 नियम, विनियम और उपविधि		
296-	नियम बनाने को राज्य सरकार की शक्ति और बाध्यता	...	314
	– विधायी परिवर्तन	...	314
	– धारा 296 का उद्देश्य एवं विस्तार	...	314
	– उपधारा (2) का खण्ड (क)	...	314
	– राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति	...	314
297-	प्रक्रिया आदि के लिए विनियम बनाने की शक्ति	...	315
298-	नगर पालिका की उपविधि बनाने की शक्ति	...	317
299-	**नियमों और उप–विधियों का अतिलंघन**	...	326
300-	**राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों आदि का पूर्व**	...	326
301-	**विनियमों और उपविधियों का प्रकाशित किया जाना**	...	326
301–क.	**राज्य सरकार उपविधियों को परिष्कृत या निरस्त कर सकेगी**	...	326
	अध्याय 10 प्रक्रिया नगरपालिका नोटिस		
302	अनुपालन के लिए समुचित समय निश्चित करना	...	327
303-	नोटिस की तामील	...	327
304-	सार्वजनिक नोटिस देने की रीति	...	328
305-	त्रुटिपूर्ण आकार पत्र	...	328
306-	जन साधार पर लागू किसी सार्वजनिक नोटिस या अधिनियम के उपबन्ध की अवज्ञा	...	328
307-	किसी व्यक्ति को जारी किये गये नोटिस की अवज्ञा	...	328
308-	स्वामी के चूक करने पर अध्यासी का भुगतान करने का दायित्व	...	328
309-	स्वामी के चूक करने पर अध्यासी द्वारा निर्माण कार्य को निष्पादित करने का अधिकार	...	329
310-	अध्यासी द्वारा निष्पादन का विरोध किये जाने पर प्रक्रिया	...	329
311-	अध्यासी द्वारा कार्य के परिव्यय की वसूली	...	329
312-	धारा 21, 263, 264, 265 ओर 273 के अधीन नगरपालिका द्वारा हटाये जाने के कार्य के व्यय की वसूली	...	329
313-	अभिकर्ता और न्यासों को अनुतोष	...	330
	अभियोजन		

314-	अभियोजन का प्राधिकार	…	330
315-	अपराध का शमन करने की शक्ति	…	331
316-	नगरपालिका सम्पत्ति की क्षति के लिए प्रतिकर	…	331
317-	अपराधी और नगरपालिका प्राधिकारियों की सहायता देने के सम्बन्ध में पुलिस के कर्तव्य और शक्ति	…	331
	नगरपालिका के आदेश के विरूद्ध अपील और नगरपालिका के विरूद्ध वाद		
318-	नगरपालिका के आदेश के विरूद्ध अपील	…	331
319-	उच्च न्यायालय को निर्देश	…	332
320-	वाद व्यय	…	332
321-	अपील प्राधिकारी के आदेश का अन्तिम होना	…	332
322	अपील या सिविल वाद की विषय वस्तु के सम्बन्ध में अपील या सिविल वाद का निर्णय होने तक धरा 318 के अधीन आदेश पारित कतरने का निलम्बन	…	332
323-	न्यायालय के कतिपय आदेशों के विरूद्ध अपील	…	333
324-	नगरपालिका द्वारा देय प्रतिकर के सम्बन्ध में विवाद	…	333
325-	स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद का विनिश्चय	…	333
326-	नगरपालिका या उसके अधिकारियों के विरूद्ध	…	333
326&d-	सिविल न्यायालय कतिपय मामलों में अस्थायी व्यादेश नहीं देगा	…	334
	अध्याय 11 अनुपूरक		
327-	राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन	…	335
328-	कार्यवृत्त पुस्तक और कर निर्धारण सूचियों के निरीक्षण की सुविधा	…	335
329-	नियमावली, विनियमों तथा उपविधियों के प्रचार के लिए उपबन्ध	…	335
330-	नगरपालिका अभिलेखों के सबूत की रीति	…	335
331-	नगरपालिका सेवकों को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन करने पर निबन्धन	…	335
332-	सदस्यों द्वारा नगरपालिका के निर्माण कार्य और रजिस्टरों का निरीक्षण	…	335
333-	नगरपालिका की स्थापना होने तक नगरपालिका की शक्ति का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग	…	336
333–क.	किसी संक्रमणशील क्षेत्र के स्थान पर कोई लघुत्तर नगरीय क्षेत्र की घोषणा के परिणाम	…	336
	– विधायी परिवर्तन	…	337
	– धारा 333–क का उद्देश्य एवं विस्तार	…	338

333—ख.	किसी वर्तमान नगरपालिका क्षेत्र को निकाल कर नगरपालिका के गठन का परिणाम	...	338
334-	निरसन तथा व्यावृत्तियां	...	339
335-	भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के सम्बन्ध में व्यावृत्ति	...	339
336-	इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किये गये कार्यो की विधि मान्यता	...	339
336—क.	{***}	...	339
	अध्याय 12 नोटीफाइड एरिया		
337-	{***}	...	340
	— विधायी परिवर्तन	...	340
338-	{***}	...	340
	— विधायी परिवर्तन	...	340
339-	{***}	...	341
	— विधायी परिवर्तन	...	341
340	कठिनाई को दूर करने की शक्ति	...	341
341.	सन्दर्भो का अर्थ	...	342
342.	नगरपालिकाओं के गठन तक के लिए व्यवस्था	...	342
अनुसूची—I	नगरपालिका की शक्तियां और कृत्य	...	343
अनुसूची —II	अधिशासी अधिकारी की अनुसूचित शक्तियॉ	...	348
अनुसूची—III	कर अधिरोपित करने का प्रस्ताव का नोटिस	...	354
अनुसूची—IV	मांग को नोटिस का आकार—पत्र	...	354
अनुसूची—V	वारन्ट का आकार—पत्र	...	355
अनुसूची—VI	करस्थम किये गये सामान्य की तालिका और विक्रय के नोटिस का प्रभाव	...	356
अनुसूची—VII	राज्य सरकार की शक्तियां जो प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती है	...	356
अनुसूची—VIII	अपराधों की सूची	...	360

अनुसूची– **IX**	निरसित अधिनियमितियॉ	…	363
संलग्नक	–	…	पृष्ठ
संलग्नक–1	उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966	…	364
संलग्नक–2	उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित सेवा) सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1981	…	400
संलग्नक–4	उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994	…	431
	एकल अन्तरणीय मतदान द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया सम्बन्धी नियम **(Regulations Regarding the Method of Election by Single Transferable Vote)**	…	441
संलग्नक 5	उत्तर प्रदेश नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण और आबंटन) नियमावली, 1994	…	452
संलग्नक–6	उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिषद (कक्ष समितियॉ) नियमावली, 1995	…	458
संलग्नक–7	उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1996	…	459
संलग्नक–8	विभिन्न शासनादेश	…	477
संलग्नक–9	उ0 प्र0 नगर पालिका सेवक अपील नियमावली, 1967 **[U.P. Municipal Servants Appeal Rules, 1967]**	…	493
संलग्नक–10	राज्य नगर पालिका परिषद् संघ (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1969 [The State Municipal Borads union (Uttar Pradesh) Rules, 1969]	…	496
संलग्नक–11	नगर पालिका परिषद् के सेवकों का प्रतिधारण और सेवा निवृत्ति विनियम, 1965 **[Retention and Retirement of Sertvants of Municipal Boards Regulations, 1965]**	…	498
संलग्नक–12	उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद् सेवक (जांच, दण्ड और सेवामुक्ति) नियमावली, 1960 **[Uttar Pradesh Municipal Boards Servants (Inquiry Punbishment and Termination of Service) Rules, 1960]**	…	499
संलग्नक–13	नगर पालिका सेवक आचरण विनियम **[Municipal Servants Condusct Regulations]**	…	507
संलग्नक–14	कर्मचारियों का प्रतिधारण और सेवानिवृत्ति {खण्ड ट के अन्तर्गत}	…	513

संलग्नक–15	नगर पालिका कर्मचारियों की पदच्युति, पद से हटाने अथवा पदावनति से सम्बन्धित विनियम {खण्ड (ठ) के अंतर्गत}	...	514
संलग्नक–16	राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, अधिसूचना सं0 2230/रा0नि0आ02अनु0–98, दिनांक 17 नवम्बर, 1998, उ0प्र0 गजट, असाधारण, भाग 4, खण्ड (ख), दिनांक 17 नवम्बर, 1998 को प्रकाशित हुआ	...	515

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916

{अधि0 सं0 2, सन् 1916}

1916 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम 1,1919 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या II. VI और VII. 1920 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या XXXVIII, 1992 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या VI और IX, 1926 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या II और IV. 1929 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या V, XI और XV, 1923 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या VI और IX, 1939 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या IV, XVII और XIC. 1935 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या II,V और IX संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या V. 1936, 1937 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या III, भारत सरकार (भारतीय विधियों का अंगीकरण) आदेश, 1937, 1948 और 1950, 1939 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या V, 1940 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या XI, 1945 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या I और XIII, 1948 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या VIII, 1949 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या VII, 1950 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या XI, 1951 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या V, 1951 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या XV, 1953 का अधिनियम संख्या VII, 1955 का अधिनियम संख्या 1, 1964 का अधिनियम संख्या 27, 1975 का अधिनियम संख्या 30, 1972 का अधिनियम संख्या 17, 1973 का अधिनियम संख्या 2, 1975 का उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 45, 1978 का उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 1982 का उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 17, 1987 का उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1990 का उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, का उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1994 का उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1995 का अधिनियम संख्या 26, सन् 1996 का अधिनियम संख्या 3, उ0प्र0 अधिनियम संख्या 22 सन् 2001 उ0प्र0 अधिनियम संख्या 23 सन् 2001 और उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 1, सन् 2001 तथा उत्तराखण्ड अध्यायदेश सं0 3, सन् 2002 द्वारा यथा संशोधित।

संयुक्त प्रान्त में नगरपालिकाओं से सम्बद्ध विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रान्त में नगरपालिकाओं से सम्बद्ध विधि को समेकित और संशोधित किया जाये, अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

संक्षेप

1. अधिनियम का कारण और उद्देश्य कथन
2. उद्देशिका (Preamble)
3. परन्तुक (Proviso)
4. पार्श्व टिप्पणी (Marginal Notes)
5. शीर्षक (Heading)
6. समेकन अधिनियम (Consolidation Act)
7. अधिनियम का निर्वचन (Interprelation of statutes)

1. अधिनियम का कारण और उद्देश्य कथन.–नगरपालिका अधिनियम, 1916 का उद्देश्य संयुक्त प्रान्त में नगरपालिकाओं से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करना है। तात्कालीन समय में नगरपालिका बोर्ड का प्रशासन विभिन्न अधिनियमों के उपबन्धों में भिन्नता होने के कारण नगरपालिका बोर्डो के प्रशासन में भी भिन्न स्वाभाविक थी। अतः इस भिन्नता के समाप्त करने के उद्देश्य से नगरपालिका अधिनियम, 1916 पारित किया गया।

इसके अलावा इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नगरपालिका बोर्ड के आन्तरिक प्रशासन को नियन्त्रित करने वाले विधियों को संशोधित करना था, ताकि बोर्ड और उसके चैयरमेन के ऊपर विस्तृत प्रशासनिक दबात को कम किया जा सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में शक्तियों के प्रत्योजन हेतु उपबन्ध किया गया।

इस अधिनियम में बोर्ड और उसमें सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध उनके द्वारा बरती गयी उपेक्षा और अन्य अपकृत्यों के लिए मुकदमा चलाने के बारें में भी उपलब्ध किया गया है। एक अपवाद को छोड़कर के उपबन्ध इस विषय पर आंग्ल विधि के समरूप है। अपवाद यह है कि इंग्लैड में नगरपालिका अधिकारियों के विरूद्ध उनके द्वारा बरती गई उपेक्षा या अन्य अपकृत्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से वाद लाया जा सकता है, किन्तु उनके विरूद्ध पारित क्षतिपूर्ति की रकम भी भुगतान बोर्ड द्वारा ही किया जाता है, जबकि यह अधिनियम उपबन्धित करता है कि नगर पालिका के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा सद्भावपूर्वक की गई उपेक्षा का किसी अन्य अपकृत्यों के लिए वाद बोर्ड के विरूद्ध सीधे लाया जा सकता है और क्षतिपूर्ति की रकम वसूली की जा सकती है।

यह सार्वभौम रूप से स्वीकृत तथ्य है कि यद्यपि किसी बिल में संलग्न उद्देश्य और कारण कथन ारित अधिनियम के निर्माण में सहायक के रूप में अस्वीकार्य (inadmissible as an aid) है, फिर भी इसे तत्समय प्रचलित उन परिस्थितियों जिन्होने विधि–निर्माण की अवश्यंभावी बना दिया। अभिनिश्चित करने के सीमित उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने ए0 मंगल कामजू वाद में संप्रेक्षित किया कि ट्रावनकोर आयकर (जांच आयोग) अधिनियम द्वारा प्राप्त उद्देश्य (object sought to be) पूर्णतः निश्चित है और वह है– उन मुख्य आयकर बंचनकर्ताओं को पकड़ना जिन्होने युद्धकाल के दौरान काफी मात्रा में लाभ अर्जित किया है। वे अपने आपमें एक वर्ग का निर्माण करते हैं और अधिनियम के अधीन उपबन्धित प्रक्रिया के अधीन विशिष्ट बर्ताव किये जाने योग्य है। चूंकि वे अपने आपमें एक वर्ग है, अतः यह प्रक्रिया आयोग द्वारा उनकके मामलों मकी जांच के दौरान अपनायी जा सरही है और जिसके अधीन वे लोग है, विभेदपरक नहीं है। ऐसी प्रक्रिया को अधिनियम द्वारा प्राप्य उद्देश्य से युक्तियुक्त सम्बन्ध (reasonbale nexus) है और इसलिए ऐसा वर्गीकरण संवैधानिक सीमा के भीतर (within the constitutional limit) है। इस वर्ग में लाने हेतु ऐसे व्यक्तियों के मामलों के सरकार द्वारा चयन को मात्र इस आधार पर विभेदपरक (discriminatory) घोषित करते हुए चुनौती नहीं दी जा सकती कि चयन के इस अधिकार को सरकार के अमार्गदर्शित (unguided) रूप से छोड़ दिया गया है। चयन स्पष्ट रूप से उद्देश्य की धारा–5 की उपधारा (2) के अधीन उपबन्धित किया गया है, द्वारा मार्गदर्शित किया गया है और उद्देश्य की प्राप्ति सरकार में निहित विवेकाधिकार को नियंत्रित करती है और साथ ही सरकार को जांच आयोग द्वारा जांच करने हेतु विनिर्दिष्ट करने के लिए व्यक्तियों के मामलों में आवश्यक चयन हेतु मार्गदर्शित भी करती है।

यद्यपि कि उद्देश्य और कारण का कथन किसी अधिनियम के निर्माण में सहायक के रूप में स्वीकार्य (admissble) नहीं है फिर भी इसे तत्समय प्रचलित उन परिस्थितियों को जिन्होने विधेयक प्रायोजक को उसे प्रस्तुत करने हेतु बाध्य किया अभिनिश्चित करने के लिए तथा उन बुराइयों को जिनके उपचार के लिए व्यवस्था की गई है, को सुनिश्चित करने हेतु विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। जब अधिनियम की भाषा बिल्कुल स्पष्ट हो, तब अधिनियम के निर्माण के लिए उद्देश्य और कारण के कथन का अवलोकन करना आवश्यक नहीं है, किन्तु उस स्थिति में जब अधिनियम की भाषा अनेकार्थक हो तो उद्देश्य और कारण कथन का अवलोकन और उसका अनुसरण अनावश्यक नहीं होगा।

निःसन्देह कुछ तत्कालीन परिस्थितियों ऐसी होती है जो किसी विशिष्ट अधिनियम के निर्माण का अपरिहार्य और आवश्यक कारण होती है, किन्तु मात्र इसी आधार पर उस अधिनियम में प्रयुक्त भाषा को मात्र उन्हीं परिस्थितियों तक सीमित रखने के लिए सीमित अर्थ प्रदान करना गलत होगा। किसी अधिनियम का इस प्रकार विवेचन कि वह मात्र उन्हीं घटनाओं और परिस्थितियों (incidents and cirumstances) तक सीमित रहे जिनके सम्बन्ध में विधायिका ने यह मान लिया था कि अधिनियम उस पर लागू होगा, अनुमेय (permissible) नहीं होगा।

किसी अधिनियम का उद्देश्य और कारण कथन उसके निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता है, किन्तु इसको उन परिस्थितियों को इंगित करने हेतु विनिर्दिष्ट किया जा सकता है जो उस समय प्रचलित थी और जिन्होने अधिनियम–निर्माण का अपरिहार्य एवं आवश्यक बनाया।

इलाहाबाद के एक मामलें में न्यायमूर्ति भूथिम और न्यायमूर्ति एम0एल0 चतुर्वेदी ने संप्रेक्षित किया कि यदि किसी अधिनियम का उद्देश्य उसकी उद्देशिका में पूर्णतः वर्णित नहीं किया गया है तो इसे स्वयं अधिनियम के उपबन्धों से संग्रहीत किया जा सकता है। इसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश के

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उमामाहेश्वरम् ने संप्रेक्षित किया कि जब विधिक उपबन्धों की भाषा बिल्कुल स्पष्ट हो तो उसके कारण और उद्देश्य कथन पर दृष्टिगत करना वैध नहीं होगा।

निर्वचन का प्रथम और आधार भूत सिद्धान्त यह है कि विधायिका के आशय को उसके द्वारा अधिनियम में प्रयुक्त षब्दों में ही ढूँढा जाय। यदि अधिनियम में प्रयुक्त भाषा एकार्थक है, तो न्यायालयों के लिए ऐसा काल्पनिक निर्वचन (hypetherical construction), इस आधार पर करना कि ऐसा काल्पनिक निर्वचन अधिनियम के उद्देश्य और कारण के अत्याधिक निकट तथा अनुरूप होगा, करना अनुमेय (permissible) नहीं होगा। अधिनियम के तात्विक उपबन्धों में (in the material provisions) प्रयुक्त शब्दों का निर्वचन सामान्य व्याकरणीय अर्थो (Plain grammatical meaning) में किया जाना चाहिए और केवल उस स्थिति में उद्देश्य और कारण को विचार में लेने अथवा उस पर ध्यान आकर्षित करने का प्रश्न उठता है जब अधिनियम की भाषा द्वयर्थक हो। जब अधिनियम में प्रयुक्त तातविक शब्द (material work) द्वयर्थक है और उनमें से एक अर्थ अधिनियम के उद्देश्य और कारण से अंसगत है अथवा उसको नैराश्य करने वाला है, केवल तब न्यायालयों के लिए दूसरे अर्थ पर विचार करना और उसे स्वीकार करना उचित होगा। केवल ऐसे मामलों में उन बुराइयों और दोषी पर विचार करना सुसंगत होगा जिसे अधिनियम दूर करना अथवा जिसका उपचार करना चाहता है।

अधिनियम को संवैधानिकता पर विचार करते समय न्यायालयों के लिए विधायिका के किसी विशेष सदसय हेतुक (motive) पर विचार करना आवश्यक नहीं है, विशेशकर उस स्थिति में जहॉ यह स्पष्ट है कि अधिनियम विधायिका के सक्षमता क्षेत्राधिकार के अधीन था और संविधान के किसी उपबन्ध के विरूद्ध नहीं है।

विधायिका के आशय पर विचार करते समय न्यायालय सम्बद्ध अधिनियम के उद्देश्य और कारण कथन को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। इसे अलावा न्यायालय पार्श्व टिप्पणी और उद्देशिका को भी विनिर्दिष्ट कर सकते हैं, किन्तु निर्णायक तत्व को अधिनियम में प्रयुक्त भाशा ही होगी। अधिनियम का निर्वचन करते समय न्यायालय को अधिनियम की भाषा पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए उसका वही निर्वचन करना चाहिए जिससे विधायिका का आशय अधिनियम की भाषा से ही प्राप्त हो सके। वस्तुतः अधिनियम में विधायिका द्वारा प्रयुक्त भाषा विधायिका का एक सत्य निक्षेपागार (true depository) है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति द्विवेदी ने संप्रेक्षित किया कि विधि प्रायोगिक भाषायी विन्यास (linguistic discipline) नहीं है। यह सामाजिक व्यवस्था में उथल–पुथल के कारण उद्भूत होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है और इसके संश्लेषण (synthesis) एवं इसके कार्यो पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते के पश्चात् ही समझा जा सकता है। तद्नुसार न्यायालयों द्वारा यह मान्यता विकसित की जा रही है कि किसी अधिनियम का निर्वचन करने की अपेक्षा उसका विनिर्माण (construction) किया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में उसके उद्देश्य और चरित्र (object and character) का सहयोग लिया जा सकता है।

सन् 1995 में उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्ता शासन विधि (संशोधन) अधिनियम संख्या 26 द्वारा काफी व्यापक स्तर पर संशोधन किया गया है। इस संशोधन अधिनियम का कारण और उद्देश्य कथन निम्नवत् हैं–

''**कारण और उद्देश्य कथन**''–(1) उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्ता शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994, संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुसरण में राज्य को नगर स्वायत्त शासन विधियों में बृहत्त संशोधन करने के लिए अधिनियमित किया गया। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 में आगे संशोधन करने का निर्णय मुख्य रूप से कक्षों में परिसीमन के सम्बन्ध में आपत्तियां दाखिल करने की अवधि में कभी करने, मतदाता सूची तैयार करने और उसे प्रकाशित करने हेतु उपबन्ध बनाने, स्थानीय निकायों को मिट्टी का बर्तन बनाने के कार्यो के परम्परागत रूप से जुड़े हुए

व्यक्तियों को भूमि आबंटित करने के सम्बन्ध में उपविधियां बनाने हेतु शक्ति प्रदान करने, संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का नाम परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 करने और यह उपबन्धित करने के लिए के नगरमहापालिका के अन्तर्गत सेवा नगर निगम के अन्तर्गत सेवा मानी जायेगी, लिया गया है।

(2) 1994 का उक्त अधिनियम स्थानीय नगर निकायों में निर्वाचन प्रक्रिया उसके प्रारम्भ होने के छः माह के भीतर पूरा करने हेतु स्पष्ट रूप से उपबन्धित करता है। विद्यमान परिस्थितियों में नगर निकायों में छः माह के भीतर चुनाव करना सम्भव नहीं था। इसलिए नगर निकायों में निर्वाचन प्रक्रिया अगले छः माह के भीतर पूरा करने के लिए अवधि बढ़ाने के लिए, बुथ कैप्चरिंग को निर्वाचन अपराध घोषित करने के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में अधिकतम 27 प्रतिशत, आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए यह उपबन्ध करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय) राज्य चुनाव आयोग के निर्देश अधीक्षण और नियंत्रण में मतदाता सूची तैयार करेगा और निर्वाचन से सम्बन्धित कार्यो को सम्पादित करेगा, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

(3) इलाहाबाद और लखनऊ नगर निगमों का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 1994 को समाप्त होने वाला था और उक्त निगमों का पुर्नगठन 31 दिसम्बर, 1994 तक सम्भव नहीं था। इसलिए उनका कार्यकाल 31 दिसम्बर, 1994 के बाद तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त यह उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 में कुछ परिभाषाओं और कुछ अन्य उपबन्धों में सुधार करने की दृष्टि से संशाधन करना आवश्यक समझा गया।

(4) राज्य विधायिका के सत्र में न होने के कारण उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (अधिनियम) अध्यादेश, 1994 (उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 17 सन् 1994), उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय अधिनियम) अध्यादेश, 1994 (उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 28 सन् 1994 और उ0प्र0 स्वायत्त शासन विधि तृतीय अधिनियम, अध्यादेश, 1994 (उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 33 सन् 1994) राज्यपाल द्वारा क्रमशः 21 सितम्बर, 1994, 30 नवम्बर, 1994 और 28 दिसम्बर, 1994 को उपर्युक्त निर्णयों को तत्काल लागू करने के लिए जारी किया गया।

(5) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के विद्यमान उपबन्धों के अन्तर्गत नगरपालिकाओं और नगर निगमों द्वारा निर्मित उप–विधियों और विनियमों को प्रभावी होने के लिए इससे राज्य सरकार द्वारा पहले अभिपुष्ट किया जाना अपेक्षित था। इस उपबन्ध को विलुप्त करना आवश्यक समझा गया है। फिर भी राज्य सरकार को नगरपालिकाओं को प्रत्यावेदन देने का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् उनके द्वारा निर्मित उपविधियों को संशोधित अथवा निरसित करने हेतु शक्ति प्रदान की जा रही है।

(6) यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेशों को संशोधन सहित तद्नुसार प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया जा रहा है।''

2. उद्देशिका (Preamble)–विधेयक में सम्मिलित विविध खण्डों का तात्पर्य समझने हेतु उसकी उद्देशिका पर दृश्टिपात करना अनुमेय हैं फिर भी विधेयक के स्पष्ट उपबन्धों को ही पूर्ण रूप से प्रभावी बनाना चाहिए भले ही वे उद्देशिका की शर्तो के परें हों। जहां अधिनियम की भाषा स्पष्ट हो वहां उद्देशिका को आवश्यक रूप से किनारे कर देना चाहिए किन्तु जहां अधिनियम का उद्देश्य अथवा अर्थ स्पष्ट नहीं है, तो उद्देशिका का सहयोग इसके निर्वचन हेतु किया जा सकता है। पुनः जब अधिनियम में प्रयुक्त भाषा बहुत सामान्य है, जबकि यह स्पष्ट है कि मात्र सीमित अर्थो में ही उसका लागू होना आशयित है, वहां उद्देशिका का प्रयोग इस बात को इंगित करने हेतु किया जा सकता है कि किन विशिश्ट अवसरों पर अधिनियम का लागू होना आशयति है। इस प्रकार न्यायालय किसी अधिनियम के निर्वचन हेतु उसकी उद्देशिका से प्रारम्भ नही कर सकते हैं, किन्तु यदि वे पाते हैं कि संसद द्वारा प्रयुक्त भाषा काफी संदिग्ध अथवा सामान्य है, जबकि वास्तव में संसद का आशय इसके सीमित क्रियान्वयन हेतु था, तो वे इसका आश्रय ले सकते है। यदि अधिनियम की धारा में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है, तो बिना उद्देशिका की सहायता के लिए उस भाषा के अनुरूप ही निर्वचन किया जाना चाहिए और उद्देशिका को ऐसी स्पष्ट और असंदिग्ध भाषा को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, किन्तु कठिनाई वहां उत्पन्न होती है जहां अधिनियम की धारा की भाषा स्पष्ट नहीं होती है। ऐसी स्थिति में

अधिनियम की भाषा को विषय और विधायिका के उद्देश्यों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। जहां अधिनियम की भाषा सामान्य और सुस्पष्ट नहीं है, अपितु वास्तव में असंदिग्ध और बहुअर्थी है तो उस अर्थ को वरीयता देना चाहिए जो किसी प्रकार की असंगति को जन्म नहीं देता।

यदि किसी अधिनियम की धारा में प्रयुक्त भाषा के आधार पर किया गया निर्वचन स्पष्ट है तो उसी निर्वचन को लागू किया जाना चाहिए, चाहे अधिनियम की उद्देशिका में विवृत उद्देश्य कुछ भी हो। केवल उस समय जब किसी विशिष्ट धारा असम्भाव्य निर्वचन कुछ सन्देहास्पद हो और दो निर्वचन सम्भव हो, तो यह अभिनिश्चित करने हेतु कि कौन सा निर्वचन उचित होगा, अधिनियम की उद्देशिका का अवलोकन किया जा सकता है।

अधिनियम की उद्देशिका इसे समझने की कुंजी है और किसी सन्देह के समाधारन हेतु अथवा उन शब्दों का अर्थ सुनिश्चित करने हेतु जो बहुअर्थी है अथवा इसके वास्तविक क्षेत्र में अधिनियम को लागू करने हेतु जब अधिनियम के अधिनियमित भाग इनमें से किसी के बारे में सन्देह को जन्म देते है, तो इसकी सहायता ली जा सकती है। अधिनियम की उद्देशिका इसके कानूनी भागों को नियंत्रित नहीं कर सकती और न तो इसका उपयोग विनिर्देशन हेतु किया जा सकता है सिवाय द्वयवर्थक मामलों के, और यदि कानूनी भाग अपने सीधे अर्थो में उद्देशिका के परे जाता है तो उद्देशिका की भाषा में निरपेक्ष रहते हुए उस कानूनी भाग को लागू किया जाना चाहिए। यह सत्य है कि उद्देशिका किसी अधिनियम के निर्वचन का एकमात्र आधार नहीं हो सकती हैं विशेषकर तब जब यह अधिनियम की अधिकांश धाराओं से स्वयं असंगत हो, किन्तु अधिनियम के सार एवं तत्व (pitch and substance) को प्राप्त करने हेतु इस पर विचार किया जा सकता है और उस स्थिति में यह निर्वचन हेतु कुंजी का कार्य करती है।

निःसन्देह उद्देशिका अधिनियम के कानूनी उपबन्धों का पूर्ववर्ती होता है और प्रकृति में अधिनियम के निर्माण हेतु विधि निर्माताओं के विचारों का पारदर्शी होता है। यह भी माना जा सकता है कि विधायिका के आशय को स्पशट करने के सन्दर्भ में उद्देशिका निश्चायक तत्व है फिर भी अधिनियम के आशय और उद्देश्य के सम्बन्ध में इसे निश्चायक तत्व के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है। अधिनियम के उद्देश्य और आशय को स्वयं उसके विविध उपबन्धों से संग्रहीत किया जाना चाहिए न कि उद्देशिका की जांच मात्र से, जो कि अधिनियम के मात्र प्राथमिक उद्देश्यों को इंगित कर सकती है, लेकिन कुछ अन्य उद्देश्यों जो कि संपार्श्विक है और प्राथमिक उद्देश्यों से परे जा सकते हैं तो उन्हें आवश्यक रूप से लागू किया जाना चाहिए। किसी विशिष्ट विधि को निर्मित करने हेतु विधायिका की सक्षमता की अभिनिर्णीत करने के सन्दर्भ में उसके सार एवं तत्व को मुकर्रिर करने हेतु अधिनियम की समग्र रूप से जांच करना आवश्यक है और इस प्रयोजन हेतु मात्र उद्देशिका में प्रयुक्त शब्दों पर ही ध्यान केन्द्रित नहीं रखना चाहिए।

यह विचार कि उस प्रयोजन को लागू करने हेतु जो अधिनियम के स्पष्ट उपबन्धों को अधीन नहीं आता है, नियमों का निर्माण अधिनियम द्वारा अधिरोपित नियम निर्माणकारी शक्ति के अधीन नहीं किया जा सकता है, स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। यह निर्विवाद है कि अधिनियम के प्रयोजन के अभिनिश्चित करने हेतु न्यायालय अधिनियम की उद्देशिका को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार यह मुकर्रिर करने के सन्दर्भ में कि नियम निर्माणकारी षक्ति के अधीन नियमों का निर्माण किया जा सकता है अथवा नहीं और अधिनियम के प्रयोजन अथवा प्रयोजनों को अभिनिश्चित करने हेतु उद्देशिका को विनिर्दिष्ट करना अनुमेय है।

अधिनियम की नीतियां (Policies) उसके निर्वचन के लिए सुसंगत है, किन्तु अधिनियम के मुख्य प्रयोजन और नीति के विस्तृत आयाम के भीतर निर्वचन व्यापक रूप से, भौतिक रूप से और प्राथमिक रूप से अधिनियम में प्रयकुक्त शब्दों का निर्वचन है। यदि वास्तविक भाषा सन्देह के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ती है तो अधिनियम के मूल पाठ से असंगत और उद्देशिका से वाह्य स्रोतों से एकत्रित नीति–प्रत्यक्ष न तो निश्चायक हो सकते है और न ही विश्वसनीय। सर्वोच्च न्यायालय के सम्प्रेखण के अनुसार किसी दिये गये अधनिमय की नीति और प्रयोजन उसके लम्बे शीर्षक और उसकी उद्देशिका से निष्कसर्षित किये जा सकते है। इसलिए भी उद्देशिका अधिनियम को समझने की कुंजी है और इसे अधिनियम के निर्वचन में सहायक रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

यद्यपि की उद्देशिका अधिनियम को समझने की कुंजी है, फिर भी अधिनियम में वास्तव में क्या अधिनियमित किया गया है, इस पर विचार आवश्यक है। हो सकता है कि उद्देशिका और अधिनियमित भागों में कोई समानता न हो। अधिनियमित भाग उद्देशिका में उल्लिखित क्षेत्र और प्रयोजन से परे भी जा सकता है अथवा कुछ मामलों में उन प्रयोजनों से काफी कम भी हो सकता है। इसके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता है कि सुसंगत अधिनियम भाग का अर्थ अभिनिश्चित करने हेतु उद्देशिका को विनिर्दिष्ट करना अनुमेय अथवा वैध नहीं होगा। इन सबका तात्पर्य यह है कि कोई अधिनियम इसके उद्देशिका के अधीन समझा जाय और अधिनियम भाग जो कि विद्यमान विधि है, का मात्र एक ही निर्वचन सम्भव है तो उस निर्वचन को लागू किया जाना चाहिए जो उद्देशिका के सबसे नजदीक हो। इस प्रकार यह निष्कर्षित होता है कि यदि अधिनियम के किसी भाग में कोई उपबन्ध उसे उद्घोणात्मक सिद्ध नहीं करता है तो उसे मात्र इस आधार पर कि उद्देशिका में यह कहा गया है कि अधिनियम उद्घोशणात्मक अथवा समेकनात्मक है, उद्घोशणात्मक नहीं कहा जा सकता है।

किसी अधिनियम की उद्देशिका को अधिनियम की किसी विशिष्ट धारा की भाषा के निर्ववचन में किसी बाधार को दूर करने हेतु सहायक के रूप में विचारित किया जा सकता है, किन्तु यह अधिनियम के किसी भाग के सीधे और स्वाभाविक अर्थ को नियन्त्रित अथवा परिसीमित नहीं कर सकती है। न्यायालयों के लिए यह अनुमेय नहीं है कि वे मात्र इस आधार पर किसी सीधे अनियमित उपबन्ध को लागू करने से इन्कार कर दें, कि यह उस अधिनियम की उद्देशिका में प्रख्यापित विस्तार और उद्देश्य से परे है।

कोई पक्षकर अधिनियम की उद्देशिका में उल्लिखित विवरणों की सत्यता पर आपत्ति नहीं कर सकता है।

निर्वचन का मूलभूत नियम, जिसके अधीन अन्य सभी है, यह है कि अधिनियम का निर्वचन इसे निर्मित करने वालों के आशयानुसार किया जाना चाहिए। उद्देशिका का प्रयोग अधिनियमों को नियन्त्रित करने हेतु नहीं किया जा सकता है, जब वे स्पष्ट और असंदिग्ध भाषा में व्यक्त किये गये हों, लेकिन उद्देशिका अधिनियम की कुंजी है और जब बिना उद्देशिका की सहायता के उसमें प्रयुक्त शब्द एक से अधिक अर्थो को व्यक्त करते है तो वह अधिनियम के क्षेत्र को सुनिश्चित करने में सहायक होती है। फिर भी एक निर्वचन का अन्य नियम, जो बहुधा दुहराया नहीं जाता है, यह है कि आप उद्देशिका अथवा उसके विवरणों को सहायक के रूप में लाने हेतु असंगतता अथवा संदिग्धता की कल्पना नहीं कर सकते है। यदि अधिनियम का उद्देश्य और विस्तार, अन्य सुसंगत अधिनियमों और अन्य स्वीकार्य तथ्यों अथवा उद्देशिका अथवा दोनों को विनिर्दिष्ट कर, स्पष्ट किया जा सकता है, तो अधिनियम में प्रयुक्त सामान्य अर्थो वाले शब्दों को किनारे कर दिया जाना चाहिए।

अधिनियम की उद्देशिका को इसके अर्थो को सुनिश्चित करने हेतु एक अच्छे साधन के रूप में इसे समझने के लिए एक कुंजी के रूप में जाना जाता है। उद्देशिका का प्रयोग अधिनियम के तात्विक उपबन्धों के क्षेत्र को सीमित करने अथवा विस्तृत करने के लिए नहीं किया जा सका है। हॉ इस पर दृष्टिगत अधिनियम में किसी अस्पष्टता को स्पष्ट करने हेतु जरूर किया जा सकता है।

यद्यपि कि विधायिका का आशय स्वयं अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों से ही एकत्रित किया जाना चाहिए, किन्तु जब अस्पष्टतया है अथवा विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्द बहुअर्थी है तो यह सुनिश्चित करने हेतु कि अधिनियम का उद्देश्य क्या है अथवा वह कौन सी बुराई थी जिसका उपचार विधायिका करना चाहती थी, न्यायालयों के लिए उद्देशिका का दृष्टिपात करना अनुमेय हो सकता है।

अधिनियम की उद्देशिका विधायिका के प्राथमिक आशय से स्पष्ट करती है, किन्तु यदि अधिनियम के उपबन्ध उद्देशिका के विपरीत है और उस परिव्यय की अभिप्रेत करते हैं जो उद्देशिका के आशयित नहीं है तो उस स्थिति में यह अधिनियम के उपबन्धों पर अभिभावी नहीं हो सकती है।

अस्पष्ट अथवा संदिग्ध अर्थो वाले अधिनियम के निर्वचन में उद्देशिका एक उत्तम सहायक है। शीर्षक और उद्देशिका का अनुसरण अधिनियम के अर्थ को समझाने के लिए और विधायिका के सामान्य उद्देश्य और आशय को अभिनिश्चित करने हेतु किया जा सकता है। यह अधिनियम के निर्वचन की कुंजी है और इसके निर्माताओं के दिमाग को खोलने हेतु (to unlock the mind of its makers) विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

इलाहाबाद उच्च नयायालय के न्यायमूर्ति जगदीश सहाय ने एक वाद में संप्रेक्षित किया कि यह सुस्थपित है कि अधिनियम की उद्देशिका उसके निर्वचन की कुंजी है और इसका प्रयोग अधिनियम के उद्देश्य और आशय को समझने के लिए किया जा सकता है।

अधिनियम की उद्देशिका का प्रयोग अधिनियम की स्पष्ट और असंदिग्ध भाषा को परिसीमित करने हेतु नहीं किया जा सकता है। यह मान्यता प्राप्त सिद्वान्त है कि उद्देशिका अधिनियमित भागों को किसी अपरिहार्य कारण के सिवाय प्रभावित नहीं करेगी और यह अपरिहार्य कारण नहीं है कि अधिनियमित शब्द उद्देशिका द्वारा खींची गयी सीमा से कुछ आगे चल जाते है।

विधायिका का आशय और अधिनियम की नीति एवं उद्देश्य अधिनियम के शीर्षक, उद्देशिका और उसके अभिव्यक्त उपबन्धों से संग्रहीत किये जा सकते है। विधायिका का आशय अधिनियम की उद्देशिका द्वारा घोशित होता है। सामान्यः अधिनियम की उद्देशिका उसके उद्देश्य को संक्षेप में विनिर्दिष्ट करती है, यह सर्वागीण नहीं हो सकती है, फिर भी यह अधिनियम के प्राथमिक उद्देश्य को विनिर्दिष्ट करती है। यदि अधिनियम के अभिव्यक्त उपबन्ध स्पष्ट और एकार्थक है तो हमेशा यह सुझाव दिया जायेगा कि अधिनियम का उद्देश्य उन अभिव्यक्त उपबन्धों से ही संग्रहीत किया जाय, किन्तु यदि उपबन्ध अनेकार्थक हैं और नयायालय इन अभिव्यक्त उपबन्धों से अधिनियम का उद्देशय संग्रहीत करने में कठिनाई महसूस करते है, तो इसके लिए अधिनियम के शीर्षक और उद्देशिका को सन्दर्भित करना अनुमेय होगा।

अब यह सुस्थापित हो चुका है कि किसी अधिनियम की उद्देशिका ऐसे अधिनियम के सुस्पष्टट उपबन्धों की गति को नियन्त्रित नहीं कर सकती है न ही अधिनियम की सुस्पष्ट भाषा को, किसी द्ववर्थकता के अभाव की स्थिति में, उद्देशिका के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए। किन्तु इस संस्थपित विधिक स्थिति के बारें में भी कोई विवाद नहीं हो सकता कि अधिनियम के उपबन्ध स्पष्ट न हों, तो अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु उद्देशिका पर दृष्टिगत किया जा सकता है।

3. परन्तुक (**Proviso**)–सामान्यतः परन्तुक का प्रयोग किसी अधिनियम (enactment) को विशेषित करने हेतु अथवा अधिनियमन में जो बात है उसका अपवाद निर्मित करने हेतु किया जाता है और इसका निर्वचन सामान्य नियम की भांति नहीं होता है, किन्तु परन्तुक बहुधा मुख्य अधिनियमत में उसके अपवाद स्वरूप अथवा विशेषण स्वरूप नहीं जोड़े जाते है, अपितु बचाव खण्ड के रूप में जोड़े जाते है जिनमें आने वाले मामलें मुख्य अधिनियम से नियन्त्रित नहीं समझे जायेंगे। बचाव खण्डों का प्रयोग अधिनियमों के निर्वचन में यदा–कदा ही होता है।

परन्तुक का समुचित कार्य उस मामलें को अलग कर उसके लिए उपबन्ध करना है जो अन्यथा मुख्य अधिनियम की सामान्य भाषा के अधीन आ जाता। स्वाभाविक परिकल्पना यह है कि मुख्य अधिनियम परन्तुक के विषय को भी शामिल करता है। निःसन्देह यह सत्य है कि जब तक आवश्यक न हो परन्तुक का प्रयोग अधिनिमित शब्दों के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए कभी भी नहीं किया जाता है फिर भी जहां परन्तुक मुख्य अधिनियम के सीधे प्रतिकूल है तो वह बना रहेगा और मुख्य अधिनियम को अप्रभावी बना देगा क्योंकि वह निर्माताओं के आशय का अन्तिम शब्द है।

परन्तुक का सामान्य कार्य उस मामलें को पृथककरण उसके साथ बरताव करना है जो अन्यथा मुख्य अधिनियम की सामान्य भाषा के अधीन आ जाता और इसका प्रभाव मात्र उसी मामलें तक सीमित रहता है।

परन्तुक के साथ धारा के उपबन्धों के निर्वचन का मुख्य सिद्धान्त यह है कि धारा का सम्पूर्ण रूप से निर्वचन होना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उसके प्रत्येक भाग पर प्रकाश डालना चाहिए। निःसन्देह सत्य सिद्धान्त यह है कि अधिनियम का निर्वचन उसकी धाराओं, बचाव खण्डों और परन्तुकों को एक साथ लेकर उनका निर्वचन कर करना चाहिए। जबकि शब्द स्पष्ट न हों न्यायालयों को परन्तुक का निर्वचन इस प्रकार से नहीं करना चाहिए जिससे विधायिका का एक हाथ से देने और दूसरे हाथ से उसे वापस लेने का आशय स्पष्ट होता हो। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि धारा और परन्तुक के मध्य सांमजस्य स्थापित करने एवं दोनों के बीच असंगति अथवा विरोध को समाप्त करने का पूरा प्रयास होना चाहिए।

परन्तुक का उचित कार्य है कि यह अपवाद का उपबन्ध कर मुख्य धारा की सामान्यता (generality) को विशेषित कर देता है और उस भाग को मुख्य धारा से पृथक कर देता है, जो अन्यथा उस परन्तुक के न रहने पर मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाता। इस प्रकार परन्तुक के क्षेत्राधिकार

में मुख्य धारा का अपवार सृजित करना और उस चीज को जो अन्यथा धारा के अन्तर्गत हो तो धारा से अलग करना शामिल है। यह उसी खेत्र में लागू होता है और यदि मुख्य धारा की भाषा स्पष्ट है तो यह मुख्य धारा का निर्वचन करने हेतु प्रयुक्त नहीं हो सकता और न तो इसका प्रयोग उस निहितार्थ को अलग करने हेतु किया जा सकता जो धारा के शब्दों से स्पष्ट रूप से निगमित होता है, बशर्ते कि परन्तुक में प्रयुक्त शब्द ऐसे न हों कि इनका आवश्यक प्रभाव उक्त निहितार्थ को अलग करना हो।

यह सुस्थापित नियम है कि अधिनियम का निर्वचन करते समय यथासम्भव उसके सभी भागों और सभ षब्दों पर विचार किया जाना चाहिए। परन्तुक भी इसका अपवाद नहीं है। सामान्यतः परन्तुक का प्राथमिक उद्देश्य मुख्य धारा जिससे यह सम्बद्ध है, के क्षेत्र को सीमित करना तथा विशेषित करना होता है। इससे यह निगमित होता है कि यथासम्भव परन्तुक का निर्वचन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि मुख्य धारा के साथ इसका सामंजस्य बना रहे। यदि परन्तुक का निर्वचन मुख्य धारा के क्षेत्र को पूर्णतः विनष्ट करता हो तो न्यायालयों को परन्तुक का ऐसा निर्वचन करने से बचना चाहिए। अतः मुख्य धारा आदि परन्तुक को साथ–साथ पढ़ना और निर्वचित करना चाहिए।

प्रत्येक परन्तुक का प्रयोजन और विशय उस धारा, जिससे यह सम्बद्ध है, के सामान्य प्रयोजन को विनष्ट करना नहीं होता हैं, अपितु उसको सीमित करना होता है। परन्तुक को मुख्य धारा पर एक अवरोधक समझा जाना चाहिए, किन्तु स्वतन्त्र रूप से अधिकार प्रदान करने वाला नहीं।

अपवादित मामलों (exceptional cases) में परन्तुक मात्र मुख्य उपबन्ध, जिससे वह सम्बद्ध है, को प्रतिबन्धित करने वाला न रहकर एक नया स्वतंत्र उपबन्ध बन जाता है। 1922 में आयकर अधिनियम संख्या XI की धारा 24(1) का प्रथम परन्तुक इस अधिनियम की धारा 14 (2)(ग) के अधीन दिये गये अपवादों का संपूरक मालूम पड़ता है। अतः परन्तुक उस मामलें में लागू होगा जहां भारतीय राज्य में हुई हानि के समायोजन की मांग ब्रिटिश भारत में हुए लाभ के विरूद्ध की जाती है। यह नियम कि परन्तुक मुख्य धारा के क्षेत्र और विस्तार को विस्तृत (expeand) नहीं कर सकता, इन परिस्थितियों में इस परन्तुक पर लागू नहीं होता। परन्तुक निश्चित रूप से और स्पष्ट रूप से उपबन्धित करता है कि जहां भारतीय राज्य में हानि होती है, उस हानि के समायोजन की मांग ब्रिटिश भारत में हुए लाभ के विरूद्ध नहीं की जा सकती और केवल भारतीय राज्य जिन्हें धारा 14 (2)(ग) के अधीन उन्मुक्ति प्रदान की गयी है, में हुए लाभ के विरूद्ध समायोजित होती।

परन्तुक का कठोर रूप से निर्वचन (strictly construed) किया जाना चाहिए और उस उपबन्ध जिसको परिसीमित करने अथवा विशेषित करने हेतु यह उपबन्धित किया गया है, से पृथक इसका कोई अस्तित्व नहीं है, किन्तु सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि परन्तुक मुख्य उपबन्ध को प्रतिबन्धित करने और कुछ बातों को जो अन्यथा उसके अन्तर्गत आ जाती, को उससे पृथक करने के लिए अथवा कुछ हद तक मुख्य उपबन्ध को परिष्कृत करने हेतु आशयित होता है। परन्तुक केवल मुख्य उपबन्ध से विशिष्ट अपवाद का सृजन करता है और जो ऐसे अपवाद को स्थगित करता है उसे सिद्ध करना आवश्यक है कि यह परन्तुक के शब्दों से स्थापित होता है।

एक परन्तुक जो सार एवं तत्व की दृष्टि से परन्तुक है, केवल उन मामालें पर लागू होगा जो अन्यथा उस धारा जिससे वह सम्बद्ध है, की परिधि में आ जाता। धारा किसी विशिष्ट क्षेत्र पर लागू होती है और परन्तुक उस क्षेत्र से कुछ विशिष्ट भाग को निकाल देता है या पृथक कर देता है। अतः परन्तुक के लागू करने से पूर्व स्वयं धारा को लागू करना चाहिए। परन्तुक किसी अन्य क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिस पर धारा नहीं होती, लागू नहीं हो सकता। न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे परन्तुक को यथा सम्भव ऐसा सीमित अर्थ प्रदान करे जिससे कि उसे धारा की परिधि में रखा जा सके। यदि किसी परन्तुक का दो अर्थ–विस्तृत और सीमित, सम्भव है तो न्यायालयों के विस्तृत अर्थ की अपेक्षा सीमित अर्थ को ही वरीयता देनी चाहिए जिससे कि इसे धारा की परिधि में रखा जा सकें, किन्तु विधायिका परन्तुक के वेश–भूषा में स्वतन्त्र उपबन्ध को निर्मित कर सकती है और यदि न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट हो कि परन्तुक में प्रयुक्त भाशा इसे धारा के सम्बन्ध में लागू करना असम्भव बना देता है तब न्यायालय को इस परन्तुक पर विधायिका द्वारा निर्मित स्वतन्त्र उपलब्ध के रूप में विचार करना चाहिए और उसे उसी रूप में लागू करना चाहिए।

यदि कोई नियम नहीं है प्रथम भाग अथवा धारा का निर्वचन बिना परन्तुक को विनिर्दिष्ट किये ही करना चाहिए। उचित प्रक्रिया यह है कि निर्वचन के व्यापक सामान्य नियम (broad general rule) को अपनाया जाय, जो कि यह है कि धारा का निर्वचन समग्र रूप में उसके प्रत्येक भाग पर, यदि आवश्यक हो, प्रकाश डालते हुए किया जाना चाहिए।

निर्वचन का सामान्य नियम (general rule) यह है कि एक परन्तुक को अधिनियम केक उसी खण्ड या भाग (clause or portion) तक जो प्रत्यक्षतः इसका पूर्ववर्ती है, ही सीमित रखना चाहिए। यद्यपि कि उक्त सामान्य नियम हमेशा लागू नहीं होता है और अधिनियम के सभी उपबन्धों का निर्वचन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे किसी प्रकार की असंगतता अथवा विरोध को रोका जा सके। धारा का निर्वचन उसके परन्तुक के प्रकाश में नहीं करना चाहिए। यदि कोई बात है तो परन्तुक का निर्वचन उसकी धारा के प्रकाश में किया जा सकता है।

निर्वचन का मुख्य सिद्धान्त (cardinal rule) यह है कि अध्निियम के किसी विशिष्ट उपबन्ध का परन्तुक केवल उसी क्षेत्र को समाविष्ट करना (embraces) है जो मुख्य उपबन्ध से आच्छादित (covered) है। यह उस मुख्य उपबन्ध, जिसका यह परन्तुक निर्मित किया गया है, का ही एक अपवाद गठित करता है न कि किसी अन्य उपबन्ध का। एक परन्तुक को मुख्य धारा के क्षेत्र को विस्तृत करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, परन्तु स्वाभाविक रूप से मुख्य धारा के अपवार अथवा प्रतिबन्ध को विस्तृत करता है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सुब्बाराम ने आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (1) के अन्तर्गत एक मामलें पर विचार करते हुए संप्रेक्षित किया कि निर्वचन का यह अनम्य (पदसिमगपइसम) सिद्धान्त नहीं है कि अधिनियम के किसी परन्तुक को हमेशा मुख्य उपबन्ध पर प्रतिबन्ध के रूप में ही पढ़ा जाय। सामान्यतः स्वाभाविक परिकल्पना (natural presamption) यह है कि धारा का मुख्य भाग परन्तुक के विषयवस्तु (subjected matter) को सम्मिलित किये रहता है, किन्तु मुख्य भाग और परन्तुक के स्पष्ट शब्द यह स्थापित कर सकते हैं कि परन्तुक मुख्य उपबन्ध को विशोधित करने वाला खण्ड नहीं है अपितु अपने आप में यह स्वतन्त्र उपबन्ध है। मैक्सवेल के शब्दों में, "The true principal is that the sound view of enacting clause and the proviso taken and construct is to previailण (सत्य सिद्धान्त यह है कि विधिक खण्ड, बचाव खण्ड और परन्तुक के सही आशय को लेकर और उसके निर्वचन को अभिभावी किया जाय।''

परन्तुक का निर्वचन इस प्रकार नहीं करना चाहिए कि वह मुख्य उपबन्ध के उद्देश्य को ही समाप्त कर दें।

4. पार्श्व टिप्पणी (Marginal Notes)–पार्श्व टिप्पणी को अधिनियम का निर्वचन करने हेतु विनिर्दिश्ट नहीं किया जा सकता है, किन्तु न्यायालय धारा के आशय और उसके प्रयोजन को इंगित करने हेतु निश्चित रूप से उसका अवलोकन कर सकते है। किसी धारा की पार्श्व को धारा के स्पष्ट शब्दों को नियन्त्रित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, अपितु अधिक से अधिक निर्माणकर्ताओं के सामान्य प्रयोजन और बुराई जिसे लक्षित किया गया है, को समझने हेतु इस पर विचार करना अनुमेय हो सकता है।

यद्यपि कि पार्श्व टिप्पणी मात्र सन्दर्भ करने हेतु जोड़ी जाती है और सामान्य तौर पर यह विधायिका के आशय को वहन करने वाले तत्व के रूप में अस्वीकार्य होती है फिर भी विधायिका का आशय को इंगित करने हेतु उस पर विचार किया जा सकता है।

पार्श्व टिप्पणी धारा को नियन्त्रित नहीं कर सकती है।

भारत और उसी प्रकार इंग्लैण्ड में यह सुस्थापित है कि पार्श्व टिप्पणी को किसी विधि उपबन्ध, चाहे वह किसी अधिनियम की धारा में सन्निपिष्ट हो अथवा अधिनियम के अधीन निर्मित किसी नियम में हो के अर्थ को नियंनित्रत करने की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जा सकती है।

पार्श्व टिप्पणी की धारा के अन्तर्गत प्रयुक्त भाषा को नियन्त्रित नहीं कर सकती, यदि वह अन्यथा स्पष्ट और असंदिग्ध (clear and unambiguous) है। न्यायालय धारा के आशय को समझने हेतु उसकी पार्श्व टिप्पणी का अवलोकन कर सकते हैं, किन्तु जहां धारा में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट है तो उसे सम्भवतः इस कारण नियन्त्रित नहीं किया जायेगा क्योंकि विधायिका ने पार्श्व टिप्पणी में भिन्न भाषा का प्रयोग किया है।

यद्यपित कि किसी धारा का शीर्ष अथवा पार्श्व टिप्पणी उस धारा की स्पष्ट भाषा को नियन्त्रित नहीं कर सकता, किन्तु विधायिका के अनुसार उस धारा को अधिनियमित करने का प्रयोजन क्या था, इस बात का पता लगाने के प्रयोजन से धारा के शीर्ष और उसकी पार्श्व टिप्पणी पर सम्यक् रूप से विचार किया जा सकता है।

किसी धारा की पार्श्व टिप्पणी सामान्यतः धारा के शब्दों के निर्वचन हेतु प्रयुक्त नहीं की जा सकती, किन्तु सन्देह अथवा द्ववर्थकता की स्थिति में पार्श्व टिप्पणी को विनिर्दिश्ट किया जा सकता है।

अधिनियम का निर्वचन करते समय न्यायालयों को पार्श्व टिप्पणी पर विचार करने का कोई हक नहीं है।

एक समय था जब पार्श्व टिप्पणी को धारा के भाग के रूप में नहीं माना जाता था, किन्तु यह वह समय था जब विधेयक में पार्श्व टिप्पणी विधायिका द्वारा नहीं, अपितुम उसके प्राधिकार के परे जोड़ों जाती थी। उस समय यह एक प्रचलन थ, किनतु जबसे इस प्रचलन में परिवर्तन आया है अर्थात् जबसे पार्श्व टिप्पणी विधायिका द्वारा जोड़ी जाने लगी है तब से इसे धारा के रूप में जाना जाने लगा है।

यह सही है कि पार्श्व टिपपणी कठोर रूप से धारा का भाग नहीं होती है, किन्तु अब यसह सुस्थापित हो चुका है कि न्यायालय का मुकर्रिर करते समय कि धारा का आशय क्या है अथवा इस विशिष्ट धारा को निर्मित करने के पीछे विधायिका का क्या लक्ष्य था, पार्श्व टिप्पणी का अवलोकन कर सकते हैं और वास्तव में उन्हें करना चाहिए।

यद्यपि कि पार्श्व टिप्पणी धारा के किसी भाग को गठित नहीं करती है, फिर भी अधिनियम के निर्वचन में यह उस हद तक सहायक हो सकती है जहां तक इस धारा के आशय अथवा उसके झुकाव को स्पष्ट करती है और जहां तक उसमें प्रयुक्त शब्दों के संदिग्घार्थ को स्पष्ट करती है।

निर्वचन के प्रयोजन हेतु पार्श्व टिप्पणी के अस्वीकृत करने सम्बन्धी नियम अब अपूर्व बाध्यता (imperfect obligation) के रूप में रह गया है।

सामान्यतः पार्श्व टिप्पणी पर विचाराधारा के उपबन्धों का निर्वचन करने हेतु नहीं किया जा सकता है। किन्तु जहां धारा में प्रयुक्त शब्दों अस्पष्टता उत्पन्न होने की आशंका हो वहां इसका प्रयोग उसे स्पष्ट करने हेतु किया जा सकता है। न्यायालय इसका प्रयोग धारा के आशय को समझने हेतु भी करने के हकदार है। यद्यपि कि पार्श्व टिप्पणी धारा की भाषा, यदि वह स्पष्ट और असंदिग्ध है, को नियंत्रित नहीं कर सकती। हॉ यह धारा की प्रवृत्ति (drift) को स्पष्ट करने में कुद हद तक सहायक हो सकती है।

मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति राजामन्नार एवं न्यायमूर्ति राजगोपाला अध्यंगर ने संप्रेक्षित किया कि किसी भी निर्णय का आधार मात्र पार्श्व टिप्पणी को बचना सुरक्षित नहीं होगा।

यह सुस्थापित है कि पार्श्व टिप्पणी धारा के निर्वचन में सहायक के रूप में मान्य नहीं हो सकती और यह उसमें प्रयुक्त भाषा के सामान्य और स्वाभाविक अर्थ को भी प्रभावित नहीं कर सकती, किन्तु इसको धारा के अर्थ और आशय के बारें में महत्वपूर्ण जानकारी देने हेतु विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

पार्श्व टिप्पणी धारा के उपबन्धों पर अभिभावी नहीं हो सकती, यद्यपि कि इस पर उस समय विचार किया जा सकता है जब धारा असंदिग्ध और बहुअर्थी हों।

5. शीर्षक—यद्यपि शीर्षक का प्रयोग धारा में प्रयुक्त स्पष्ट शब्दों को भिन्न अर्थ प्रदान करने हेतु नहीं किया जा सकता है, किन्तु यदि शब्द द्वयर्धथक और संदिग्ध हों तो सन्देह के समाधान हेतु न्यायालय शीर्षक का अवलोकन कर सकते है।

शीर्षक को किसी सन्देहपूर्ण अभिव्यक्ति (doubtfull expression) का अभिप्राय ज्ञात करने हेतु विनिर्दिष्ट (refer) किया जा सकता है, किन्तु इस प्रयोग स्पष्ट शब्दों को भिन्न अर्थ प्रदान करने हेतु नहीं किया जा सकता है।

किसी अधिनियम के किसी अध्याय को शीर्षक उसमें वर्णित धाराओं, जब वे असंदिग्ध और स्पष्ट हो, के अर्थ को नियन्त्रित (control) नहीं कर सकता है।

कुछ आधुनिक में धारा अथवा धाराओं के सम्बन्ध में दिये गये शीर्षकों उनकी उद्देशिका के रूप में मान्य है। वे अधिनियम में प्रयुक्त स्पष्ट शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकते है, किन्तु सन्दिग्ध शब्दों की व्याख्या कर सकते है। यदि अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों के निर्वचन में किसी प्रकार का सन्देह पैदा होता है तो उसके समाधान हेतु न्यायालय निश्चित रूप से शीर्षक का प्रयोग कर सकते है।

यद्यपि कि धारा का शीर्षक अथवा पार्श्व टिप्पणी (marginal notes) धारा की स्पष्ट भाषा को नियन्त्रित नहीं कर सकती, किन्तु न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु कि विधायिका के अनुसार उस धारा को अधिनियमित करने के पीछे क्या प्रयोजन था, इनकी सहायता ले सकते है।

न्यायालयों द्वारा संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम के शीर्षक का अवलोनक करने से पूर्व यह आवश्यक है कि उसमें प्रयुक्त शब्द संदिग्ध हो और न्यायालय उसका समाधान करना चाहते हैं। इस बिन्दु पर विधि बहुत ही स्पष्ट है और वह यह है कि ऐसे शीर्षक का प्रयोग किसी अधिनियम में वर्णित धाराओं में प्रयुक्त शब्द यदि बिल्कुल ही स्पष्ट हो और उनके सामन्य अर्थ किसी भी प्रकार से संदिग्ध न हो, तो शीर्षक का प्रयोग उन्हें भिन्न अर्थ प्रदान करने हेतु नहीं किया जा सकता है।

शीर्षक मात्र पार्श्व टिप्पणी नहीं है, अपितु आधुनिक अधिनियमों की धाराओं के सम्बन्ध में प्रयुक्त शीर्षक उनकी उद्देशिका के रूप में मान्य है।

उच्चतम नयायालय की पूर्णपीठ ने एक वाद में शीर्षक के महत्व को स्पष्ट करते हुए अभिधारित किया कि अधिनियम का शीर्षक उद्देशिका और उसके अभिव्यक्त उपबन्धों से विधायिका का आशय और अधिनियम का उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। सामान्यतः अधिनियम का शीर्षक और उसकी उद्देशिका उसके उद्देश्य के विनिर्दिष्ट करता है। यदि अधिनियम के अभिव्यक्त उपबन्ध स्पष्ट और एकार्थक है, तो हमेशा अधिनियम का उद्देश्य इन अभिव्यक्त उपबन्धों से ही अभिप्राप्त किया जाना चाहिए, किन्तु यदि अभिव्यक्त उपबन्ध अनेकार्थ है, और न्यायालय इनसे अधिनियम का उद्देश्य संग्रहीत करने में कठिनाई महसूस करते है, तो इसके लिए अधिनियम के शीर्षक और उद्देशिका को सन्दर्भित करने की अनुमति दी जा सकती है।

6. समेकित अधिनियम (Consolidation Act)–1956 ई0 में उचचतम न्यायालय के न्यायमूर्ति वेकटरामा अय्यर ने समेकन अधिनियम के निर्वचन के बारें में संप्रेक्षित किया कि ऐसे अधिनियम के निर्वचन के बारें में निर्वचन का यह नियम लागू होगाजो लाई हर्शेल द्वारा बैंक आफ इंग्लैण्ड ब0 वेग्लियानो, में प्रतिपादित किया गया–"I think the proper course is in the first instance to examine the language of the statue and to ask what is its natural meaning uninfluenced by and consideration derived from the previous state of law, and not to start with enquiring how the law previously stood and then assuming that it was probably intended to have it unaltered." मैं सोचता हूँ कि उचित प्रक्रिया यह है कि प्रथम चरण में पूर्ववर्ती विधिक स्थिति द्वारा और उसमें व्युत्पन्न (derived) परिणाम से प्रभावित हुए बिना अधिनियम की भाषा की जांच करनी चाहिए और यह पूछना चाहिए कि उसका वास्तविक अभिप्राय क्या है, और पूर्व में विधि की स्थिति कैसी थी, से जांच की शुरूआत नहीं करना चाहिए और तब यह परिकल्पित करना चाहिए कि इसे सम्भवतः अपरिवर्तनीय (unaltered) बनाये रखने का आशय था।)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 ई0 में निर्मित हुआ जबकि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 ई0 में निर्मित हुआ। इसमें जोत चकबन्दी अधिनियम जमींदारी उन्मूलन अधिनियम या अभिभावी होगा। जोत चकबन्दी अधिनियम धारा 4 के अधीन

जारी विज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाली भूमि के सम्बन्ध में अधिकारों का न्यायनिर्णयन (Prejudication) करता है जबकि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम सामान्य भूमि के सम्बन्ध में उपकरों का न्याय निर्णयन करता है। अगर तुलनात्मक रूप में कहा जाय तो जोत चकबन्दी अधिनियम विशिष्ट अधिनियम (special Act) है जबकि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम सामान्य अधिनियम (general Act) है। यह सुस्थापित है कि सामान्य विधि भले ही पश्चात्वर्ती हो अपेक्षाकृत अधिक निहितार्थ (more implication) होने के कारण पूर्ववर्ती विशिष्ट अधिनियम पर अभिभावी नहीं होती। मैक्सवेल के अनुसार ऐसे मामलों में उपबन्ध विशिष्ट अधिनियम द्वारा नियंत्रित विशिष्ट मामलें पर लागू नहीं होगा।

सुप्रसिद्ध लैटिम सूत्र हैं– “Generallia specialbus non derogant” अर्थात सामान्य उपबन्ध विशिष्ट उपबन्ध पर अभिभावी नहीं होगा।

7. **अधिनियमों का निर्वचन (Interpretation of statues)**–निर्वचन का यह सत्यापित नियम है कि विधि न्यायालयों के अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों का लोप नहीं कर सकते जब तक कि इसके बिना अधिनियम के उपबन्धों को उचित अर्थ प्रदान न किया जा सकें। जहां अधिनियम में प्रयुक्त सभी शब्दों पर विचार करने के पश्चात् अधिनियम का उचित निर्वतन सम्भव हो अधिनियम जिस रूप में अधिनियमित किया गया हो उसकी रूप में विधायिका के आशय को स्पष्ट करता है, तो न्यायालयों द्वारा अधिनियम में प्रयुक्त किसी महत्वपूर्ण शब्द का विलोपन करने का कोई औचित्य नहीं है।

शब्दों के बहुअर्थी होने पर विभिन्न धाराओं और खण्डों में प्रयुक्त भाव को अधिनियम की योजना, उसके प्रसंग उपबन्धों की भाषा एवं उसके द्वारा आशयित प्रयोजनों के अनुसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खण्डपीठ के न्यायमूर्ति जगदीश सहाय और आर0एन0 मिश्र ने संप्रेक्षित किया कि यह सुस्थापित नियम है कि may और shall शब्द के प्रयोग पर कुछ भी निर्भर नहीं करता है और कोई अधिनियम जो आज्ञापक रूप में, तात्विक रूप से निर्देशात्मक हो सकता है। कोई उपबन्ध निर्देशात्मक है अथवा आज्ञापक है, यह निर्धारित करते समय केवल अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, अपितु अधिनियम की योजना, आशयित लाभ (intended benefit), जो उन अधिनियमूों के लागू किये जाने से जनता को होगा और उन उपबन्धों के लागू न किये जाने पर जनता को होने वाली हानि पर ध्यान देना आवश्यक है।

‘May” शब्द का प्रयोग निश्चायक (decisive) नहीं है और प्रसंगानुसार इसका अर्थ भिन्न–भिन्न हो सकता है। कुछ प्रसंगों में वह शुद्ध रूप से अनुज्ञापक हो सकता है, जबकि कुछ प्रसंगों में आज्ञापक हो सकता है।

मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ ने नोटसा मुदालकर वाद में संप्रेति किया कि सिकी अधिनियम के विधायी संशोधन में पुराने अधिनियम से भिन्न शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से निर्दिष्ट करता है कि विधि को परिवर्तित करने का आशय था। यदि पहले और बार वाले अधिनियमों में प्रयुक्त शब्द वास्तव में आसमान है और भाषा की मांग अर्थ में परिवर्तन की है एवं धारा का भाव भी यही अपेक्षित करता है, तो न्यायालयों को आवश्यक रूप से ऐसा करना चाहिए। यदि संशोधन निःसन्देह रूप से स्पष्ट करता है कि विधि में परिवर्तन हुआ है, तो न्यायालयों के लिए उसे काल्पनिक तर्को के आधार पर लागू न करने का कोई कारण नहीं है। यदि न्यायालय ऐसा करते हैं, तो यह उनके द्वारा अपनी अधिकारिता का उल्लंघन होगा।

निर्वचन का प्रारम्भिक नियम यह है, कि ’जब मूलपाठ सुस्पष्ट है, तो मूलपाठ निश्चायक है’ (when the text is explicit the text is conclusive)। निर्वचन का आधार विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्द है जिनका निर्वचन उनके स्वाभाविक अर्थ में होना चाहिए। यह सही है कि न्यायालय कभी–कभी कुछ उपबन्धों में कुछ शब्द, उन्हें सही अर्थ प्रदान करने हेतु जोड़ सकते है, किन्तु यह इस सामान्य नियम कि शब्दों को उनका व्याकरणीय एवं स्वाभाविक अर्थ प्रदान किया जाना चाहिए, का अपवाद है जिसे केवल उस समय अपनाया जा सकता है जबकि उपबन्ध का आशय स्पष्ट न हों।

जहां दो सामान्य अधिनियमों का अन्त सकरात्मक शबें से होता है, तो इस निष्कर्ष को अस्वीकार करना असम्भव है कि पूर्ववर्ती अधिनियम इसके द्वारा विवक्षित रूप से निरसित कर दिया गया है। यह सुस्थापित नियम है कि एक सामान्य अधिनियम भले ही पश्चात्वर्ती हो मात्र निहितार्थ के कारण पूर्ववर्ती विशिष्ट अधिनियम का अभिभावी नहीं हो सकता है।

किसी अधिनियम का निर्वचन करते समय यह आवश्यक है कि उस अधिनियम के उपबन्धों में प्रयुक्त किसी एक शब्द पर ही विशेष बल न दिया जाय और अन्य शब्दों के महत्वहीन न समझा जाय। अधिनियम के किसी भी उपबन्ध आदि धारा में प्रयुक्त किसी भी शब्द का निर्वचन अकेले ही किया जाना चाहिए, अपितु सभी उपबन्धों और सभी षब्दों पर सामान्य रूप से और प्रसंगानुसार ध्यान देना चाहिए।

यदि संविधि के शब्द स्पष्ट, असंदिग्ध एवं सार्थक हो, तो वहां पर बाहरी शब्दों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

किसी अधिनियम का निर्वचन करते समय न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह उस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के बीच समन्वय स्थापित करे। सुसंगत अर्थ प्रदान करे के लिए सभी उपबन्धों को एक दूसरे के साथ समायोजित करना चाहिए। विधायिका के आशय को अधिनियम के उपबन्धों से निःस्तृत किया जाना चाहिए, जो अभिव्यक्त रूप विवादित हो सकते है।

अधिनियमों के निर्वचन का यह सुस्थापित नियम है कि उसमें प्रयुक्त किसी भी पद का निर्वचन करते समय उसके सम्पूर्ण पाठ और सन्दर्भ पर दृष्टिपात कियाजाय। अधिनियम के किसी उपबन्ध का निर्वचन करते समय न्यायालयों को निश्चित तासैर पर उस प्रयोजन पर दृष्टिपात करना चाहिए। जिसे अधिनियम द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। अधिनियम का निर्वचन करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त शीर्ष, प्रसार और प्रारम्भ**–(1) यह अधिनियम {उत्तर प्रदेश} नगरपालिका अधिनियम, 1916 कहा जायेगा।
2. इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
3. यह पहली जुलाई, 1916 से प्रवृत्त होगा।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legisative changes)
2. अधिनियम का शीर्ष (Title of the Act)
3. अधिनियम का प्रसार (Extent of the Act)
4. अधिनियम का प्रवृत्त होना (Commencement of the Act)
5. ग्राम का कृर्षि और गैर कृषि क्षेत्र (Agrecultral and non agricultural part of the village)
6. अधिनियम का काश्तकारों और अनुज्ञप्ति धारकों के अधिकारों पर विस्तार : प्रभाव
7. अधिनियम का रूढ़ियों, प्रथाओं या संविदा पर विस्तार : प्रभाव
8. अधिनियम के क्षेत्रीय विस्तार का अपवाद

1. **विधायी परिवर्तन (Legisative changes)**–(1) इस धारा की उपधारा (2) को भारत सरकार (संशोधन) आदेश, 1951 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।

(2) इस धारा की उपधारा (1) में 'संयुक्त प्रान्त' शब्द के स्थान पर उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, 26 सन् 1995 द्वारा 'उत्तर प्रदेश' शब्द प्रतिस्थापित कर दिया गया।

2. **अधिनियम का शीर्ष (Title of the Act)**–यह सुस्थापित विधि है कि किसी अधिनियम का शीर्ष उसका महत्वपूर्ण भाग होता है और इसे इसके सामान्य क्षेत्र को सुनिश्चित करने हेतु एवं इसके निर्वचन हेतु विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

निःसन्देह अधिनियम का शीर्ष स्वयं अधिनियम का भाग होता है और अधिनियम का समग्र रूप में निर्वचन करने हेतु एवं इसके क्षेत्र को अभिनिश्चित करने हेतु इसका उपयोग करना वैध होगा। इस प्रकार जहां अधिनियम में प्रयुक्त भाषा संदिग्ध हो, वहां अधिनियम का निर्वचन करने हेतु उसके शीर्ष पर ध्यानाकर्षित किया जा सकता है और तत्पश्चात् अधिनियम में प्रयुक्त संदिग्ध भाषा को उसके शीर्ष के अनुरूप निर्वचन किया जा सकता है, किन्तु यदि अधिनियम की भाषा स्पष्ट है, तो न्यायालय उसे लागू करने से मात्र इस आधार पर इन्कार नहीं कर सकते है, क्योंकि वह शीर्ष में वर्णित मामलों से परे जाती है और मात्र अधिनियम के शीर्ष के कारण किसी धारा के निर्वचन के परिसीमित नहीं कर सकते।

आधुनिक अधिनियमों में सामान्य शीर्ष के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार के शीर्ष जिसे जनरल क्लाजेज एक्ट संख्या ग, सन् 1897 की धारा 28 के अन्तर्गत संक्षिप्त शीर्ष (short title) के रूप में विस्तृत किया गया है, का प्रयोग किया जा रहा है। अतः संक्षिप्त शीर्ष जो अधिनियम की धाराओं के रूप में संख्यांकित विवरणों के लिए दिये गये हैं, अधिनियम के भाग है।

जब विधायिका का आशय अधिनियम के कानूनी भागो से ही स्पष्ट हो जाता है तो उसे शीर्ष के विनिर्दिष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल उन मामलों में जहां विधायिका का आशय सन्देह से परे नहीं हो पा रहा है, अधिनियम के शीर्ष अथवा उद्देशिका को विनिर्दिष्ट करना चाहिए।

किसी दिये गये अधिनियम की नीति और प्रयोजन को उसके शीर्ष और उद्देशिका से भी निगमित किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने एक मामलें में संप्रेक्षित किया कि किसी अधिनियम के किसी अध्याय के शीर्ष के उस अध्याय में वर्णित कानूनी उपबन्धों के सीधे–सादे अर्थ को सीमित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकताहै। इसलिए अध्याय का शीर्ष भी उस अध्याय की धाराओं का निर्वचन करने में निश्चायक तत्व नहीं है, किन्तु फिर भी शीर्ष उन धाराओं के अर्थ पर काफी हद तक प्रकाश डालता है और जब तक सह धाराओं से असंगत न हो यह परिकल्पित किया जा सकता है कि शीर्ष अध्याय के उपबन्धों एवं उद्देश्यों का उल्लेख करता है इसी प्रकार किसी धारा के संक्षिप्त शीर्ष का भी प्रयोग उस धारा के विधान के प्रयोजन को अधिनिश्चित करने हेतु किया जा सकता है। लेकिन इसका प्रयोग उस धारा के स्पष्ट एवं सामान्य अर्थ पर अभिभावों के रूप में नहीं किया जा सकता है।

3. अधिनियम का प्रसार (Extent of the Act)–इस अधिनियम का प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में है।

4. अधिनियम का प्रवृत्त होना (Commencement of the Act)–इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के बारें में उपबन्ध इस अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के अन्तर्गत किया गया है। इसके अनुसार यह अधिनियम पहली जुलाई, 1916 से प्रवृत्त है।

किसी अधिनियम के प्रवृत्त होने के बारें में उत्तर प्रदेश जनरल क्लाजेज एक्ट संख्या 1, सन् 1904 की धारा 5 के अन्तर्गत उपबन्ध किया गया है। यह धारा 5 निम्नवत् है–

''(1) जहां किसी उत्तर प्रदेश के अधिनियम को प्रवृत्त होने के लिए कोई विशिष्ट तिथि निश्चित नहीं कि गयी है, तो (क) संविधान के लागू होने के पूर्व निर्मित उत्तर प्रदेश के अधिनियम के मामलें में, यदि वह विधायिका द्वारा पारित अधिनियम है, उस दिन को प्रवृत्त होगा जिस दिन उस पर गवर्नर अथवा गवर्नर जनरल, यथास्थिति, की अनुमति प्रथम बार सकरारी गजट में प्रकाशित होती है और यदि वह गर्वनर का अधिनियम है, तो उस दिन को जिस दिन प्रथम बार एक अधिनियम के रूप में सरकारी शासकीय गजट में प्रकाशित होता है।

संविधान के लागू होने के पश्चात् निर्मित उत्तर प्रदेश के अधिनियम के मामलें में वह उस दिन को प्रवृत्त होगा जिस दिन उस पर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की अनुमति प्रथम बार शासकीय गजट में प्रकाशित होती है।

(2) जब तक कि प्रतिकूल उपबन्धित न हो उत्तर प्रदेश का अधिनियम इसके प्रवृत्त होने के लिए निश्चित दिन की समाप्ति पर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।''

उत्तर प्रदेश के अधिनियम के लागू होने के बारें में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सन् 1933 में एक मामलें में संप्रेक्षित किया कि जब किसी उत्तर प्रदेश के अधिनियम के प्रवृत्त होने के लिए किसी विशिष्ट तिथि को निश्चित नहीं किया गया है, तो यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा जिस तिथि को यह गर्वनर जनरल की अनुमति प्राप्त करेगा। इसी प्रकार यदि अधिनियम में उसके प्रवृत्त होने की तिथि के बारें में कुछ भी उपबन्धित नहीं किया गया है, तो वह अपने प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होगा।

किसी अधिनियम के प्रवृत्त होने के बारें में प्रश्न विचारणार्थ एक मामलें में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष जब आया तो माननीय उच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि वह धारा जो अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रवृत्त होने के लिए विज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं करती है, सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पूर्णपीठ ने सन् 1957 में इस एक वाद में अभिधारित किया कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश गजट में प्रकाशित होने की तिथि को प्रवृत्त होंगे, बशर्ते कि अध्यादेश में निश्चित रूप से यह उल्लिखित न हो कि वह किसी पश्चात्वर्ती विधि से प्रवृत्त होगा। 'अधिनियम' अथवा 'अध्यादेश' शब्दों से इनके द्वारा वर्णित सम्पूर्ण विधायन विनिर्दिष्ट होता है। इससे मात्र अधिनियम का कोई विशिष्ट उपबन्ध अथवा धारा अथवा प्रस्तर ही अभिप्रेत नहीं है।

5. **ग्राम का कृषि और गैर कृषि क्षेत्र (Agrecultral and non agricultural part of the village)**–यदि किसी निश्चित तिथि को कोई भूमित ग्राम या टाउन का गैर कृषि क्षेत्र हो जाती है, तो यह सामान्य परिकल्पना कर ली जायेगी कि नियम ग्राम के कृषि क्षेत्र पर लागू होता है, ऐसी भूमि पर लागू नहीं होगा।

मात्र यह तथ्य कि ग्राम का कोई भाग नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है, प्रथा को उस पर लागू होने की सामान्य परिकल्पना को समाप्त नहीं कर देगा। राम सहाय वाद में एक भवन के भू–खण्ड पर प्रथा के अभिभावी माना गया यद्यपि कि उस ग्राम का कृषि क्षेत्र गैर कृषि क्षेत्र में परिवर्तित हो चुका था और टाउन की परिधि में शामिल कर लिया गया था, किन्तु इस वाद में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रथा को स्थापित किया गया। इस वाद में निर्णय उस क्षेत्र में प्रचलित प्रथा को सामान्य परिकल्पना पर आधारित नहीं था। अतः नगरपालिका क्षेत्र में शामिल उन ग्रामों के सम्बन्ध में विवाद 387 जिसके दो भाग थे। एक कृषिगत और दूसरा गैर कृषिगत। इसलिए यह अभिधारित किया गया कि इस प्रकक्रम में कि सामान्य परिकल्पना उत्पन्न हो उस समय की वस्तुस्थिति को देखना चाहिए जब वाद कारण उत्पन्न हुआ। यदि उस समय विवादित सम्पत्ति ग्राम या टाउन, की गैर कृषिगत सम्पत्ति का भाग हे, तो प्रथा की सामान्य परिकल्पना जो ग्राम या टाउन के कृषिगत क्षेत्र पर लागू होती है, अथवा भूमि वजीब–उल–अर्ज ऐसे अभिलेखोंक में दर्ज होगी, ऐसी परिकल्पना उस पर लागू नहीं होगी। वजील–उल–अर्ज उस समय तैयार किया जाता है जब ग्राम कृषिगत हो। अतः यह उस समय लागू नहीं होगा जब ग्राम का क्षेत्र गैर कृषिगत हो गया हो और ग्राम के निवासियों का जीवन स्तर तात्विक रूप से परिवर्तित हो चुका हो।

यह विवाद कि वजीब–उल–अर्ज में दर्ज प्रथा और रूढ़ि उस क्षेत्र पर लागू होगी जो गैर कृषिगत क्षेत्र हो चुका है और नगरपालिका अथवा टाउन क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है, से सम्बन्धित विवाद नया नहीं है। अपितु इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पूर्णपीठ ने इस बिन्दु पर 1944 ई0 में ही एक वाद में विस्तृत रूप से विचार किया था। न्यायालय ने अभिधारित किया गया कि वजीब–उल–अर्ज जिसमें प्रथा के बारें में दर्ज होता है, गैर कृषिगत होने वाली क्षेत्र के सम्बन्ध में तब तक लागू होता है जब तब तक कि वह स्थापित न कर दिया जाये कि वह प्रभावी नहीं है। ग्राम का गैर कृषिगत होने वाल क्षेत्र स्वयं दो श्रेणियों में विभक्त है–एक वह जो समय के परिवर्तन के साथ गैर कृषिगत हो गया और दूसरा वह जो किसी संविधि के लागू होने के फलस्वरूप अपना कृषिगत चरित्र खो बैठा। किन्तु पश्चात्वर्ती श्रेणी के सम्बन्ध में यह अभिनिर्धारित किया गया कि मात्र यह तथ्य कि कोई क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है, इस परिकल्पना के समाप्त नहीं कर सकता कि प्रथा लागू है, बशर्ते कि इसके लागू न होने के बारें में कोई स्पष्ट उपबन्ध न किया गया हो।

उपर्युक्त वाद में यह भी अभिधारित किया गया कि टाउन एरिया एक्ट के उपबन्धों को विस्तृत करना भू–स्वामियों के अधिकारों को मात्र उस सीमा तक प्रभावित कर सकता है जितना कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अनिवार्य है और अन्यथा उनके अधिकार अप्रभावित बने रहेगें एवं वजीब–उल–कर्ज प्रभाव समाप्त नहीं होगा और टाउन क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र के पक्षकारों के अधिकारों को नियन्त्रित करेगा। सम्भवतः यह वाद अम्बा सहाय वाद में खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, क्योंकि खण्डपीठ ने अपने निर्णय में इसका जिक्र तक नहीं किया गया है। इसीलिए इसका अनुसरण रघुवीर सरन के मामलें में भी नहीं किया गया है। रूढ़ि और प्रथम जो वजीब–उल–अर्ज में दर्ज है, अपनी शर्तो के अनुरूप ग्राम अथवा ग्राम के भाग पर लागू होगी चाहे वह क्षेत्र कृषिगत हो अथवा गैर कृषिगत और उस क्षेत्र के नगरपालिका अधिनियम की परिधि में आने मात्र से भी कोई अन्तर नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध न हो जो प्रथम अथवा रूढ़ि के प्रभाव को समाप्त न करता हो। जब तब तक यह साबित न कर दिया जाय तब तक यह समझा जायेगा कि पक्षकारों के अधिकार सम्बन्धित प्रथा अथवा रूढ़ि द्वारा नियन्त्रित है।

6. अधिनियम का काश्तकारों और अनुज्ञप्ति धारकों के अधिकारों पर विस्तार : प्रभाव–नगरपालिका अधिनियम के ग्रामों का विस्तार से जमींदारों के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। तत्प्रचलित सामान्य विधि ही लागू होगी बशर्ते कि अन्यथा दावा करने वाला व्यक्ति अपना हक साबित न कर दें। जमींदार जो भी कृषिगत अधिकार ग्राम में धारण करता है, वह अधिकार टाउन क्षेत्र में भी बक रहेगा।

टाउन एरिया एक्ट अथवा नगरपालिका अधिनियम जमींदारों के उन अधिकारों के समान्त नहीं कर सकते जो तत्प्रचलित विधि द्वारा उन्हें प्रदान किये गये है।

नगरपालिका अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जो भूस्वामियों के अधिकारों को प्रभावित करता हो। भूस्वामियों, उनके काश्तकारों एवं अनुज्ञप्तिधारकों के अधिकार एवं दायित्व इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रवृत्त होने के बावजूद अप्रभावित बने रहेगें। नगरपालिका अधिनियम का उद्देश्य भूस्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों के प्रभावित करने से भिन्न है।

7. अधिनियम का रूढ़ियों, प्रथाओं या संविदा पर विस्तार : प्रभाव–प्रथा के बारें में वजीब–उल–अर्ज में दर्ज प्रविश्ठि काफी महत्वपूर्ण साक्ष्य होती है और भौतिक साक्ष्य की अपेक्षा अधिक अनुसरणीय होती है।

जब तक कि प्रतिकूल साक्ष्य न हो वजीब–उल–अर्ज में दर्ज प्रथा और रूढ़ि के प्रवृत होने के बारें में सामान्य परिकल्पना बनी रहती है।

जहां नगरपालिका अधिनियम में कोई अन्यथा उपबन्ध न हो तब तक यह बात विधि अथवा सिद्धान्त के रूप में अनुसराणी नहीं हो सकती कि किसी क्षेत्र प्रथा के बारें में लागू प्रथा अथवा संविदा उस क्षेत्र के नगरपालिका क्षेत्र में षामिल होने के पश्चात् लागू नहीं होगी।

8. अधिनियम के क्षेत्रीय विस्तार का अपवाद–वैसे नगरपालिका अधिनियम का क्षेत्रीय विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में है, किन्तु यह अधिनियम उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है जिस पर नगरमहापालिका अधिनियम, 1959 लागू होता। किसी अधिनियम के क्षेत्रीय विस्तार और स्थानीय रूप से इसके प्रभावी क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण अन्तर होता है आदि स्थानीय क्षेत्र प्रायः छोटा क्षेत्र होता है।

2. परिभाषायें (Difinitions)–जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में–

(1) 'पिछड़े वर्गो' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गो से है।

(2) 'भवन' का तात्पर्य किसी मकान उपगृह, अस्तवज, छादक (शेड़) झोपड़ी या अन्य बाड़ा या ढांचे से है चाहे वह पक्की ईंट; लकड़ी, मिट्टी, धातु या चाहे किसी भी अन्य पदार्थ से बना हो; चाहे उनका उपयोग मनुश्यों के रहने के लिए या अन्यथा किया जाता हौ और

इसके अन्तर्गत कोई बरामदा, चबूतरा मकान की कुर्सी, जीना, देहली, दीवाल जिसमें किसी उद्यान या कृषि भूमि, जो किसी भवन से अनुलग्न न हो, की चहारदीवारी से भिन्न किसी अहाते की दीवाल सम्मिलित है, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई तम्बू या कोई अन्य ऐसा परिवहनीय अस्थायी आश्रय स्थल नहीं है।

(3) 'उपविधि' का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके बनायी गयी उपविधि से है।

(4) {***}

(5) 'अहाता' का तात्पर्य ऐसी भूमि से है, चाहे वह घिरी हुई हो या नहीं, जो किसी भवन से अनुलग्न हो या अनेक भवनों का सामान्य अनुलग्नक हो;

(5–क) 'निदेशक' का तात्पर्य धारा 31–ख के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश से है;

(5–कक) 'जिला योजना समिति' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद–243 य घ के अधीन गठित जिला योजना समिति से है;

(6) 'नाली' के अन्तर्गत सीवर, पाइप, खाई, कुल्या (चेनल) या कोई अन्य युक्त है जो कूड़ा–करकट, सीवरेज और दूषित जल या वर्षा–जल या अवभूमि जल को बहा ले जाने के लिए हो और उनके अन्तर्गत मैला घर, दुर्गन्धित वायु निरोधक यन्त्र, हौदी, हॉज, क्रलस टंकियों तथा उनसे अनुलग्न अन्य फिटिंग भी है;

(6–क) 'वित्त आयोग' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद–243–झ {के अधीन गठित} वित्त आयोग से है;

(7) किसी स्थानीय क्षेत्र के निर्देश में प्रयुक्त 'निवासी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो उस क्षेत्र में सामान्यतया निवास अथवा कारबार करता हो या वहां पर स्थावन सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी हो;

(8) 'निवास गृह' से अन्तर्गत भवनों का ऐसा समूह या भवन या किसी भवन का भाग है, जिसका उपयोग तीर्थ–यात्रियों और यात्रियों के आवास के लिए होता है सम्मिलित है;

(8–क) 'मास्टर प्लान' का तात्पर्य ऐसी व्यापक योजना से है, जिसमें निम्नलिखित का वर्तमान तथा प्रस्तावित सथल और सामान्य विन्यास दिखाया गया हो :–

(क) मुख्य सड़के और परिवहन;
(ख) आवासीय अनुभाग;
(ग) व्यापार क्षेत्र;
(घ) औद्योगिक क्षेत्र;
(ङ) शैक्षिक संस्थायें;
(च) सार्वजनिक पार्क खेल के मैदान और मनोरंजन के अन्य स्थान;
(छ) सार्वजनिक तथा अर्द्ध–सार्वजनिक भवन; तथा
(ज) कोई अन्य स्थान जो किसी विनिर्दिष्ट उपयोग के लिए हो।

(9) 'नगरपालिका' का तात्पर्य धारा {संविधान के अनुच्छेद 243–त के खण्ड(ङ) में निर्दिष्ट''} किसी सवायत्त शासी संस्था से है;

(9–क) 'नगरपालिका क्षेत्र' का तात्पर्य किसी नगरपालिका के प्रादेशिक क्षेत्र से है;

(9–ख) 'नगरपालिका परिषद्' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–घ के खण्ड(1) के उप खण्ड (ख) के अधीन गठित नगरपालिका परिषद् से है;

(9–ग) 'नगर पंचायत' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–य के खण्ड (1) के उप खण्ड (क) के अधीन गठित नगर पंचायत से है;

(10) 'अधिसूचना' का तात्पर्य सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है;

(11) 'अध्यासी' के अन्तर्गत ऐसा स्वामी है जिसका अपनी निजी भूमि या भवन पर वास्तविक अध्यासन हो;

(12) 'नगरपाकिा का अधिकारी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो तत्समय इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सृजित या चालू रखा गया कोई पद धारण करता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत इस प्रकार {नगरपालिका} का या उसकी समिति का कोई सदस्य न होगा;

(13) 'स्वामी' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जो तत्समय किसी भूमि या भवन का किराया या ऐसे किराये का कोई भाग, चाहे स्वयं अपने लेखे में या न्यासी के रूप में, या किसी व्यक्ति के लिए या किसी धार्मिक या पूर्व प्रयोजन के लिए अभिकर्ता के रूप में, या किसी न्यायालय के आदेश द्वारा या उसके अधीन नियुक्त प्रापक के रूप में प्राप्त कर रहा हो या प्राप्त करने का हकदार हो या, यदि उक्त भूमि या भवन किसी किरायेदार को उठाया गया होता तो उसे इस प्रकार प्राप्त करता है;

(13–क) 'पंचायत' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–त के खण्ड (च) में निर्दिष्ट पंचायत से है;

(14) 'भवन का भाग' के अन्तर्गत कोई दीवाल, भूमिगत कमरा या रास्ता, बरामदा, स्थित चबूतरा, कुर्सी जीना या देहली है जो किसी वर्तमान भवन से संलग्न हो, या उसके अहाते के भीतर हो, या जो एसी भूमि पर निर्मित हो जो किसी प्रक्षिप्त भवन का स्थल या अहाता होने वाली हो;

(15) 'पेट्रोलियम' का तात्पर्य इण्डियन पेट्रोलियम एक्ट, 1899 में यथापरिभाषित पेट्रोलियम से है;

(16) 'जनसंख्या' का तात्पर्य ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना पर यथाअभिनिश्चित जनसंख्या से है जिसके सुसंगत ऑकड़े प्रकाशित हो चुके हों;

(17)(एक) 'विहित' का तात्पर्य इस अधिनियम या तद्धीन बनी नियमावली द्वारा या के अधीन किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या के अधीन विहित से है;

(दो) 'विहित अधिकारी' द्वारा तात्पर्य ऐसे अधिकारी या नियमित निकाय से है जिसे राज्य सरकार ने इस निर्मित सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया हो; और यदि ऐसे अधिकारी या निगमित निकाय की नियुक्त न हो जाय, तो आयुक्त से है'

(18) 'सार्वजनिक स्थान' का तात्पर्य किसी ऐसी स्थान से है जो निजी सम्पत्ति न हो, और जो जनता के उपयोग या उपभोग के लिए खुला हो चाहे ऐसा स्थान नगरपालिका में निहित हो या नहीं;

(19) 'सार्वजनिक सड़क' का तात्पर्य किसी ऐसी सड़क से हैं –

(क) जो धारा 221 के उपबन्ध के अधीन नगरपालिका द्वारा सार्वजनिक सड़क घोषित की जाय; या

(ख) जिसे उस भूमि के जिसमें सड़क समाविष्ट हो, स्वामी की स्पष्ट या विवक्षित सम्मिति से नगरपालिका या अन्य लोक निधि से सममतल किया गया हो उसमें खडंजा बिछाया गया हो उसे पक्का किया गया हो, उसमें नालियां बनायी गयी हो; सीवर लगाया गया हो या उसकी मरम्मत की गयी हो;

(20) 'विनियम' का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके बनाये गये किसी विनियम से है;

(21) 'नियम' का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके बनाये गये किसी नियम से है;

(21–क) पद 'अनुसूचित बैंक' का वही अर्थ होगा जो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट, 1934 में 'शेड्यूल्ड बैंक' के लिए समनुदेशित है;

(22) 'नगरपालिका का सेवक' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो नगरपालिका से वेतन प्राप्त करता हो और उसकी सेवा में हो;

(22–क) 'लघुत्तर नगरीय क्षेत्र' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–य के खण्ड (2) के अधीन इस रूप में अधिसूचित क्षेत्र से है;

(22–ख) 'राज्य निर्वाचन आयोग का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–ट {के अधीन गठित} राज्य निर्वाचन आयोग से है;

(23) 'सड़क' का तात्पर्य किसी मार्ग, पुल, पगडंडी, गली, चौक ऑगन, संकरी गली या रास्ता से है जिसमें जनता को या जनता के किसी भाग को आने जाने का अधिकार हो और इसके अन्तर्गत दोनो पार्श्व, नालियां या नाबदान और सशक्त सम्पत्ति की परिभाषित सीमा तक की भूमि भी है, भले ही ऐसी भूमि के ऊपर कोई बरामदा या अन्य ऊपरी ढांचे का प्रक्षेपण हो;

(23–क) 'संक्रमणशील क्षेत्र' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–य के खण्ड (2) के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय खेत्र में संक्रमणशील क्षेत्र से है;

(24) 1935 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या–5 'गाड़ी' का तात्पर्य किसी पहियेदार वाहन से है जिसे संड़क पर प्रयुक्त किया जा सकता है और इसके अन्तर्गत बाईसिकिल, ट्राईसिकिल या संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 में यथा परिभाषित मोटर गाड़ी ळै।

(24–क) 'कक्ष समिति' का तात्पर्य {संविधान के अनुच्छेद 243–घ में निर्दिश्ट} कक्ष समिति से है;

(25) 'घरेलू प्रयोजनों के लिए जल' के अन्तर्गत ऐसा जल नहीं होगा, जो पशु या घोड़ा के लिए, अथवा गाड़ियों की धुलाई के लिए हो, जहां उक्त पशु, घोड़े या गाड़ियां बिक्री या किराये के लिए या किसी अन्य वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए या लोक वाहक द्वारा रखे गये हों, या ऐसा जल नहीं होगा जो किसी व्यापार, निर्माण का काराबार के लिए अथवा भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए अथवा उद्यान जो किसी आवासीय मकान से अनुलग्न न हो, की सिचाई के लिए, या फौव्वारों के लिए या किसी अलंकारिक प्रयोजन के लिए हो;

(26) 'जलकल' के अन्तर्गत ऐसी सभी झीलें, टंकियों, सरिता, हौज, सौते पम्प कुंऍं, जलाशय, जलसेतु, नहर, जलकपाट, मुख्य तल, पाइप, पुलियों, इंजन, बम्बा, खड़ा जल, जलवाहक नल और सभी मशीनरी, भूमि भवन, पुल और वस्तुएं है, जो जल–सम्भरण के लिए हों अथवा जल सम्भरण के लिए प्रयुक्त होती हों;

(27) जहां किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने या कोई अन्य कार्य करने की अपेक्षा करने के लिए किसी प्राधिकारी को कोई शक्ति प्रदत्त किया जाना अभिव्यक्ति हो, वहां उक्त प्राधिकारी, स्वविवेकानुसार, उक्त व्यक्ति से दोनों में से कोई एक कार्य कराने की या यदि ऐसे कार्य की प्रकृति अनुज्ञा दे, तो दोनों ही कार्य करने की अपेक्षा कर सकता है, या उस व्यक्ति को, ऐसे किसी भी कार्य को जिसे वह पसन्द करें, करने का विकल्प दे सकता है।

संक्षेप

1	विधायी परिवर्तन (Legislative changers)	8	उपविधि (Bye-Laws)
2.	परिभाषा खण्ड : महत्व	9	नाली (Drain)
3	'के अन्तर्गत (include)	10	निवास–गृह (Lodging house)
4	अभिप्राय (Means)	11	स्वामी (Owner)
5	'अथवा' (Or)	12	भवन का भाग (Part of the building)
6	विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न होने पर	13	सार्वजनिक स्थिान (Public place)

6–क	पिछड़ा वर्ग (Backward class)	14	सार्वजनिक सड़क (Public street)
7	भवन (Building)	15	सड़क (Street)
		16	पेट्रोलियम

1. विधायी परिवर्तन (**Legislative changers**)–इस धारा की उपधारा (4) जो 'नगर' शब्द को परिभाषित करती थी, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन्, 1994 द्वारा निरसित कर दी गयी है। निरसन से पूर्व यह उप–धारा निम्नवत् थी–

''(4) नगर से अभिप्राय उस नगरपालिका से जिसकी जनसंख्या 1,00,000 अथवा उससे अधिक हो और ऐसी किसी भी नगरपालिका से है, जो धारा 3 के अन्तर्गत जारी किसी विज्ञप्ति के द्वारा शहरी घोषित की गयी है।''

इस धारा के अनतर्गत उपधारा (6–क) 1994 ई0 में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 द्वारा जोड़ी गई जो कि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन्, 1995 द्वारा भी संशोधित की गयी है। संशोधन पूर्व यह उपधारा मूलरूप में निम्नवत् थी–

(6–क) 'वित्त आयोग का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–झ में निर्दिष्ट वित्त आयोग से है

उपधारा (9), (9–क), (9–ख) एवं (9–ग) में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1995 द्वारा मूलभूत संशोधन किया गया है। संशोधन से पूर्व ये उपधाराएं निम्नवत् थीं–

''(9) 'नगरपालिका' का तात्पर्य धारा 3 क के अधीन गठित किसी स्वायत्त शासी संस्था से है''।

(9–क) 'नगरपालिका क्षेत्र' का तात्पर्य किसी नगरपालिका के प्रादेशिक क्षेत्र से है जिसकी सीमाएं ऐसी होगी जैसे धारा 3 के अधीन परिनिश्चित की गई है''

(9–ख) 'नगरपालिका परिषद' का तात्पर्य धारा 3 क के अधीन किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए गठित नगरपालिका से है।

(9–ग) 'नगर पंचायत' का तात्पर्य धारा 3 क के अधीन किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए गठित नगरपालिका सेक है।

उपधारा (16) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी है। यह उपधारा संशोधन से पूर्व निम्नवत् थी–

(16) 'जनसंख्या' जो कि स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रयुक्त है, से अभिप्राय तत्समय अद्यतन सरकारी आकड़े के मुताबिक जनसंख्या से है।

उपधारा (22–क) जो उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 123 सन्, 1994 द्वारा जोड़ी गयी उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 1995 द्वारा संशोधन किया गया है। यह उप–धारा संशोधन से पूर्व अपने मूल–रूप में निम्नवत् थी–

(22–क) 'लघुत्तर नगरीय क्षेत्र' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन इस रूप में घोशित किसी स्थानीय क्षेत्र से है।

उपधारा (23–क) जो सन् 1994 में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 द्वारा जोड़ी गई और सन् 1995 में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गयी है। प्रतिस्थापित किये जाने से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी–

(23–क) संक्रमणशील क्षेत्र का तात्पर्य धारा 3 के अधीन इस रूप में घोशित किसी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत स्थानीय क्षेत्र से है।

उपधारा (24–क) भी उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 द्वारा जोड़ी गयी और उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1995 द्वारा संशोधित की गयी है। संशोधन से पूर्व यह धारा अपने मूल रूप में निम्नवत् थी–

(24–क) कक्ष समिति का तात्पर्य धारा 3–ख के अधीन गठित कक्ष समिति से है। ''

2. परिभाषा खण्ड : महत्व–धारा 2 कुछ शब्दों, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त किये गये है, को परिभाशा सन्निविश्ट करती है। इस अधिनियम के अधीन जहां कहीं भी इन शब्दों का प्रयोग किया गया है वहां इनका वही अर्थ होगा जो इस धारा के अन्तर्गत दिया गया है, बशर्ते कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो। यदि इस अधिनियम के अधीन किसी विषय अथवा प्रसंग में किसी शब्द का अर्थ धारा 2 के अधीन उस शब्द को प्रदान किये गये अर्थ से भिन्न अथवा प्रतिकूल है तो उस विषय अथवा प्रसंग में अभिप्रेत अर्थ को महत्व दिया जायेगा न कि धारा 2 के अधीन परिभाषित अर्थ के दूसरे शब्दों में ऐसी स्थिति में धारा 2 के अधीन दी गयी परिभाषा लागू नहीं होगी।

जब कोई अधिनियम उसमें प्रयुक्त शब्दों का स्वयं शब्दकोष भी उपबन्धित करता है, तो उसमें प्रयुक्त शब्दों का निर्वचन करने के लिए हमें सर्वप्रथम उस शब्दकोष पर नजर डालनी चाहिए। न्यायालय को विधायिका के परिकल्पित आशय के बारें में नहीं सोचना चाहिए और उसे उस आशय को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए जो अधिनियम में अभिव्यक्त किया गया है। यह सच है कि कोई बनावटी परिभाषा उस शब्द की सामान्य परिभाषा से भिन्न हो सकती है अथवा उसमें विस्तृत हो सकती है, किन्तु ऐसी स्थिति में सम्बन्धित प्रसंग में कुछ ऐसे शब्द होने चाहिए जिनसे यह परिलक्षित होता हो कि ऐसी भिन्न अथवा विस्तृत परिभाषा आशदित है।

यह सुस्थापित है कि सभी अधिनियमित परिभाषायें खण्ड में अभिव्यक्त विशेषण के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी शब्द का अभिप्राय भिन्न–भिन्न धाराओं में भिन्न–भिन्न हो सकता है।

जहां किसी विशिष्ट शब्द की ऐसी परिभाष किसी अधिनियम के अन्तर्गत दी गयी है तो उस शब्द का सामान्य अर्थ को सीमित अथवा प्रतिबन्धित करता है, तो जहां कही भी उस अधिनियम के अन्तर्गत उस शब्द का प्रयोग किया गया है वहां परिभाषित अर्थ ही लागू होगा, बशर्ते कि विपरीत आशय स्पष्टतः इंगित न होता हो।

जब अधिनियम में प्रयुक्त शब्द बहुअर्थी हो तो उसके विशिष्ट अर्थ का निर्धारण अधिनियम को योजना अथवा उस विशिष्ट भाग के आशय के अनुसार किया जाना चाहिए।

जहां परिभाषित शब्द और अधिनियम या धारा के प्रयोजन में प्रत्यक्षतः विरोध हो अथवा उस शब्द का शब्दिक निर्वचन वह आशय अभिप्रेत करता है जो विधायिका द्वारा आशयित नहीं है तो वहां न्यायालय उस शब्द के अर्थ को परिष्कृत (modify) कर सकते है और इस हेतु वे व्याकरण के नियमों से परे जा सकते है।

किसी अधिनियम में प्रयुक्त विस्तृत और अनिश्चित आशय वाले शब्द का निर्वचन उससे सम्बद्ध सहायक शब्दों को विनिर्दिष्ट करते हुए किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा निर्वचन उस अधिनियम के सामान्य प्रयोजन और उसकी परिधि से परे न हों।

जब विधायिका अधिनियम के भिन्न–भिन्न भागों में भिन्न–भिन्न भाषा का प्रयोग करती है, तो उसका निर्वचन अथवा उनके आशय का निर्धारण सम्बन्धित भाग के प्रयोजन के अनुसार किया जाना चाहिए।

यह सुस्थापित है कि सभी सांविधिक परिभाषायें (statutory definitions) परिभाषा खण्ड, जिसके अधीन वे निर्मित की गयी है, विभिन्न अभिव्यक्त विशेषण खण्डों के अधीन होगी और यह भी हो सकता है कि परिभाषा सर्वागीण (exhaustive) हो और परिभाषित शब्द किसी विशिष्ट बात को इंगित करता हो, किन्तु विभिन्न धाराओं में प्रयसुक्त उस शब्द का अर्थ सन्दर्भ और विषय के अनुसार भिन्न–भिन्न हो। ऐसी स्थिति में न्यायालय न केवल उस विशिष्ट शब्द तक सीमित रहेगें, अपितु विधायिका का आशय निर्धारित करने हेतु उस प्रसंग और उसके द्वारा प्राप्य प्रयोजन पर भी दृष्टिपात कर सकते है और उस प्रसंग और प्रयोजन द्वारा आशयित अर्थ उस शब्द को प्रदान कर सकते है।

किसी अधिनियम में दी गई परिभाषा अधिनियम की योजना और उसके प्रसंग के अनुसार पढ़ी जानी चाहिए। ये सभी परिभाषा को नियन्त्रित करते है।

सन्निविष्ट परिभाषा (inclusive difinition) में प्रयुक्त शब्द विस्तार को इंगित करते हैं ओर किसी प्रकार से उन्हें परिसीमित नहीं माना जा सकता है। न्यायालयों द्वारा किसी सन्निविष्ट परिभाषा का निर्वचन करते समय विस्तृत आशय रखने वाले शब्दों को परिसीमित अर्थ प्रदान करना अयुक्तियुक्त होगा।

निःसन्देह जब कोई शब्द किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया है, तो जहां कहीं भी अधिनियम के अन्तर्गत वह शब्द आयेगा, सामान्यतः वहीं परिभाषा लागू होगी, किन्तु निर्वचन का यह सुस्थापित नियम है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में जब किसी परिभाषा को कठारेता से लागू किया जाय तो उससे विरोध उत्पन्न होने की सम्भावना है, तो विषय आदि प्रसंग के अनुसार उस परिभाषा को परिष्कृत कर दिया जायेगा।

किसी शब्द का निर्वचन करते समय अधिनियम के अन्तर्गत उस शब्दो को दी गयी विशिष्ट परिभाषा का अनुसरण किया जाना चाहिए, किन्तु जहां किसी शब्द को कोई बनावटी परिभाषा दी गयी है वहां यह स्पष्ट होता है कि ऐसी परिभाषा दिये जाने का आशय उस शब्द के स्वाभाविक अर्थ (Natural meaning) को दूर करना है।

जब अधिनियम स्वयं प्रयुक्त शब्दों के कोष (dictionary) की व्यवस्था करता है तो उस अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों का निर्वचन करने हेतु न्यायालयों को सर्वप्रथम उस कोष पर दृष्टिपात करना चाहिए। न्यायालयों द्वारा विधायिका के किसी परिकल्पित आशय का ध्यान न देकर अधिनियम में अभिव्यक्त आशय पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कोई बनावटी उस परिभाषित शब्द के वास्तविक अर्थ से भिन्न परिभाषा को शामिल कर सकती है, किन्तु अधिनियम में ऐसे शब्द होने चाहिए जिनमें यह स्पष्ट होता है कि वास्तविक परिभाषा से भिन्न परिभाषा आशयित है। यदि दी गई परिभाषा से ही अधिनियम का प्रयोजन पूर्ण हो जाता है तो उस शब्द को उससे भिन्न परिभाषा देना गलत होगा।

यह सत्य है कि सामान्यतः अधिनियमें में दी गयी परिभाषाएँ उसमें प्रयुक्त शब्दों से कुछ बनावटी अर्थ प्रदान करती है। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है और न ही ऐसा कोई विधि का नियम है कि एक बार जब कोई शब्द किसी अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित कर दिया गया है तो वह निश्चित रूप से बनावटी और उस शब्द के स्वाभाविक अथवा वयाकरणीय अर्थ से भिन्न अर्थ रखने वाली परिभाषा ही होगी।

हैदराबाद उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ के अनुसार परिभाषा खण्ड का प्रभाव यह है कि उसमें परिभाषित शब्द को अधिनियम में कहीं भी वहीं अर्थ प्रदान किया जायेगा। वही वहीं अधिनियम में प्रयुक्त समान शब्दों को सामान्यतः एक ही अर्थ प्रदान किया जायेगा।

विधायिका के लिए किसी शब्द के प्रचलित और लोकप्रिय अर्थ से भिन्न अर्थ प्रदान करना युक्तियुक्त नहीं होगा, किन्तु यदि विधायिका स्पष्ट रूप से किसी शब्द को विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त करने का निर्णयि ले लेती है, तो उस शब्द को उसी अर्थ में पढ़ा जायेगा।

3. 'के अन्तर्गत' **(include)**–परिभाषा खण्ड में 'के अन्तर्गत' शब्द के प्रयोग का आशय है कि परिभाषित शब्द अपने सामान्य विस्तार के अलावा उन विषयों पर भी विस्तृत होगा जिन पर अन्यथा यह विस्तृत नहीं होता। जब ऐसे शब्द का निर्वचन किया जाता है तो उसके अधीन न केवल वे विषय सम्मिलित होंगे जो उसके स्वाभाविक अर्थ के अन्तर्गत आते है, अपितु वे विषय भी सम्मिलित होंगे जिन्हें परिभाषा खण्ड में शामिल करने की घोषणा की गयी है, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रत्येक परिस्थिति में यह परिभाषा अपने पूर्ण विस्तार के साथ कठोर रूप से लागू की जायेगी, अपितु इसका तात्पर्य मात्र इतना है कि जहां आवश्यक हो और परिस्थितियों की मांग हो वहाँ वह परिभाषा घोषित विषय पर भी लागू होगीं।

'के अन्तर्गत' शब्द का प्रयोग बहुधा परिभाषा खण्ड में अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ को विस्तृत करने हेतु किया जाता है। जब परिभाषा में इस शब्द का प्रयोग किया गया है तो उस शब्द का निर्वचन इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि वह मात्र अपने स्वाभाविक अर्थ के अन्तर्गत आने वाले विषयों तक ही सीमित हो, अपितु इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि वह उन विषयों को भी सन्निविष्ट करें जिनकों सन्निविष्ट करने की घोषणा की गयी है। इस प्रकार 'के अन्तर्गत' विस्तार वोधन शब्द है। यह शब्द परिभाषा में कुछ अन्य विषयों को भी जोड़ता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पूर्णपीठ ने संप्रेक्षित किया कि 'include' अथवा 'shall be deemed to include' का प्रयोग बहुथा अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ को विस्तृत करने हेतु परिभाषा खण्ड में किया जाता है। जब परिभाषा में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो परिभाषा न केवल उन विषयों पर लागू होगी जो विषय स्वाभाविक रूप से परिभाषित के अधीन आते है, अपितु उन विषयों पर भी लागू होगी जिन्हें परिभाषा में शामिल करने की घोषणा की गयी है।

'के अन्तर्गत' शब्द को बाबू विठ्टल वाद में परिभाषित करते हुए बम्बई उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ ने अभिधारित किया कि जहां किसी अधिनियम में प्रयुक्त पद का 'के अन्तर्गत' शब्द द्वारा निर्वतन किया जाता है तो उस शब्द का और निर्वचन नहीं करना चाहिए, अपितु उसका अर्थ इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि उसमें परिस्थितियों की अपेक्षानुरूप वे विषय भी शामिल हो सके जिन्हें शामिल करने की घोषणा की गयी है।

'के अन्तर्गत' शब्द परिभाषित शब्द को सीमित अर्थ प्रदान नहीं करता है, अपितु यह उस शब्द को व्यापक अर्थ प्रदान करता है।

4. अभिप्राय (Means)–जब किसी परिभाषा में 'Means' शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका अभिप्राय यह है कि दी गयी परिभाषा उस शब्द की एकमात्र परिभाषा है और उसके सिवाय कोई अन्य परिभाषा उस शब्द के लिए लागू नहीं होगी।

यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां विधायिका किसी 'पद' को सर्वागीण रूप से परिभाषित करती हो वहां 'means' शब्द का प्रयोग करती है।

5. 'अथवा' (Or)–जब दो अथवा अधिक वैकल्पिक (alternative) शब्दों के सम्बन्ध में 'or' शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका निश्चित रूप से इसका यह अर्थ नहीं है कि वैकल्पिक शब्द एक दूसरे के अपवर्जक (exclusive) है। इस प्रश्न कि वे एक दसूरे के अपवर्जक हैं अथवा नहीं, का निर्धारण इस नियम कि शब्दों का निर्वचन प्रश्नगत उपबन्ध के आशय को निर्धारित करने के लिए करना चाहिए, को लागू करने के पश्चात् करना चाहिए। इसी प्रकार का विचार कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी अभिव्यक्त किया है।

'or' और 'and' शब्द का प्रयोग बहुधा एक दूसरे के स्थान पर कर दिया जाता है। अधिनियम में इन शब्दों के सामान्य और असावधानीपूर्ण प्रयोग की स्थिति में न्यायालय, यदि आवश्यक हो तो निर्वचन के द्वारा इन शब्दों की एक दूसरे से परिवर्तित कर सकते है, किन्तु जहां अधिनियम में दिया गया अर्थ स्पष्ट है अथवा ऐसे परिवर्तन से विधि का अर्थ ही परिवर्तित हो जायेगा तो ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

6. विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न होने पर–जब अधिनियम की भाषा स्पष्ट और अंसदिग्ध है तब इन शब्दों को उनके स्वाभाविक सामान्य अर्थो में निर्वचित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि ऐसा करने से अधिनियम के अन्य उपबन्धों के साथ कोई असंगति अथवा विरोध उत्पन्न न हो। यदि विरोध अथवा अंसगति उत्पन्न होने की सम्भावना है तो बचने हेतु निर्वचन को परिष्कृत किया जा सकता है। जहां विषय या प्रसंग असंगत और विरोधाभासी है वहां न्यायालयों के लिए परिभाषा खण्ड में दी गयी परिभाषा को अनदेखी करना अनुमेय होगा।

निर्वचन का यह सुस्थापित नियम है कि अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों का निर्वचन उस अर्थ में करना चाहिए जिस अर्थ में उसका प्रयोग किया गया है, बशर्ते कि सम्बन्धित प्रसंग उससे भिन्न आशय की संकेत न करता है। विधि न्यायालय अधिनियम के उपबन्धों की विशेष परिस्थितियों के अनुसार उसमें प्रस्तुत किसी विशिष्ट शब्द को उचित अर्थ प्रदान कर सकतेत है।

6–क. **पिछड़ा वर्ग (Backward class)**–1994 के उ0प्र0 नगरपालिका स्वायत्त शासन (संशोधन) अधिनियम द्वक्षरा इस धारा में प्रतिस्थापित किये गये खण्ड (क) के अनुसार पिछड़े वर्गो का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गो से है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची एक निम्नवत् है–

अनुसूची–एक

1.	अहीर	26.	धीवर
2.	अरख	27.	नक्काल
3.	काछी	28.	नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी सम्मिलित न हों)
4.	कहार		
5.	केवट या मल्ला	29.	नायक
6.	किसान	30.	फकीर
7.	कोइरी	31.	बंजारा
8.	कुम्हार	32.	बढ़ई
9.	कुर्सी	33.	बारी
10.	कम्बोज	34.	बैरागी
11.	कसगर	35.	बिन्द

12.	कुंजड़ा या राईन	36.	बियार
13.	गोसाई	37.	भर
14.	गूजर	38.	भुर्जी या भड़भूजा
15.	गड़ेरिया	39.	भठियारा
16.	गद्दी	40.	माली, सैनी
17.	गिरि	41.	मनिहार
18.	चिकवा (कस्साब)	42.	मुराब या मुराई
19.	छोपी	43.	मोमिन (अंसार)
20.	जोगी	44.	मिरासी
21.	झोजा	45.	मुस्लिम कायस्थ
22.	डफाली	46.	नद्दाक (धुनिया), मन्सूरी
23.	तमोली	47.	मारछा
24.	तेली	48.	रंगरेज
25.	दर्जी	49.	लोध, लघा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत
50.	लोहार	53.	स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
51.	लोनिया	54.	हलवाई
52.	सोनार	55.	हज्जाम (नाई)

7. भवन (**Building**)–न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में निम्नलिखित भवन की श्रेणी में माना गया है–

(i) छत सहित लकड़ी का शेड
(ii) धारा 185 एवं 186 के उद्देश्यों हेतु दीवाल
(iii) गाय का शेड (cow-shed)
(iv) शेड साहित स्थायी चबूतरा (permanent chabutra)
(v) बरामदा
(vi) जमीन या लकड़ी का ढांचा अर्थात् गुमटी
(vii) नीवं
(viii) भवन का अंश
(ix) छप्पर

किन्तु न्यायालयों ने निम्नलिखित को भवन की श्रेणी में माना है–

(i) कम्पाउण्ड
(ii) तम्बू
(iii) कच्चा चबूतरा
(iv) चबूतरा जो भवन का भाग नहीं है।
(v) अस्थायी आश्रय स्थल
(vi) तार की चहारदीवारी

8. उपविधि (**Bye-Laws**)–उपविधि के अन्तर्गत विधायिका के अधीनस्थ प्राधिकारी का स्थानीय प्रतिकारों द्वारा निर्मित आदेश, नियम अथवा विनियम शामिल है। न्यायमूर्ति लिण्डले ने अभिधारित किया कि उपविधि कोई करार नहीं है, अपितु यह विधि है जो उन व्यक्तियों पर बाह्यकर होती है जिस पर यह लागू होती हे, चाहे वे उससे बाध्य होने के लिए सहमत हों अथवा नहीं निगमित निकाय द्वारा निर्मित समस्त विनियम जिसका आशय न केवल स्वयं एवं अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर प्रवृत होता था, अपितु उन व्यक्तियों पर भी प्रवृत्त होता था जो उसकी परिधि में आते थे, उपविधि की श्रेणी में रखे जा सकते है।

जब तक कि प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो उपविधि वैध और प्रभावी होगी। कोई योजना जो उपविधियों के उल्लंघन में बनायी जाती है, अधिकारातीत समझी जायेगी।

उप जिलाधिकारी द्वारा नोटीफाईड एरिया के प्रशासक के रूप में निर्मित विधि यदि विहित प्राधिकारों द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है तो वह वैध होगी।

उपविधियों का प्रकाशन आवश्यक है।

उपविधियां निगम के विनियम होते है जिसे पारित करने की शक्ति नगरपालिका बोर्ड को है, ताकि उसके अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आन्तरिक प्रशासन को नियन्त्रित किया जा सकें।

उपविधि प्रस्ताव के समान नहीं होती है, क्योंकि प्रस्ताव निगम मात्र किसी एक कार्य के सम्बन्ध में लागू होता है जबकि उपविधि भविश्य की घटनाओं के सम्बन्ध में भी लागू होती है और वे स्थायी प्रकृति की होती है। वस्तुतः उपविधियां स्वयं अधिनियम में प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में निर्मित की जाती है अतः इसके प्रतिकूल किया गया कोई भी कार्य अधिकारातीत होता है।

9. नाली (**Drain**)–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 2 का उपधारा (6) के अनुसार नाली के अन्तर्गत सीवर, पाइप, खाई, कुल्या (channel) अथवा कोई अन्य युक्ति है जो कूड़ा–करकट, सीवेज और दूषित जल अथवा वर्षा जल अथवा अवभूमि जल को बहा ले जाने के लिए हो और उसके अन्तर्गत मैला घर, दुर्गन्धित वायु निरोधक यन्त्र, हौदी, हौज, फ्लस टंकियां तथा उनसे अनुलग्न अन्य फिटिंग भी है।

नाली शब्द का प्रयोग उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत इतने विस्तृत अर्थ में किया गया है ताकि इसमें कुछ भी शामिल हो सकें।

मद्रास नगरपालिका अधिनियम के अनुसार नाली सड़क का भाग नहीं है।

10. निवास–गृह (**Lodging house**)–उप–धारा (8) के अनुसार निवास–गृह के अन्तर्गत भवनों का ऐसा समूह अथवा भवन किसी भवन का भाग सम्मिलित है जिसका उपयोग तीर्थयात्रियों और यात्रियों के आवास के लिए होता है।

11. **स्वामी (Owner)**–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अनुसार स्वामी के अन्तर्गत वह शक्ति शामिल है जो तत्समय किसी भूमि भवन अथवा भवन का किराया या आंशिक किराया, स्वयं अपने लेखें में अथवा नयासी के रूप में अथवा किसी व्यक्ति के लिए अथवा किसी धार्मिक अथवा पूर्ण प्रयोजनार्थ अभिकर्ता के रूप में अथवा किसी न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा उसके अधीन नियुक्त प्राप्तक के रूप में प्राप्त कर रहा हो अथवा प्राप्त करने का हकदार हो अथवा यदि उक्त भवन या भूमि किसी किरायेदार को किराये पर दिया गया हो तो इस प्रकार प्राप्त करता है।

अधिनियम के अन्तर्गत 'स्वामी' की दी गयी परिभाशा सर्वागीण नहीं है अपितु मात्र उदाहरणात्मक है। इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी शामिल है जो स्वयं अपने लेखें में अथवा न्यासी के रूप में प्राप्त करता है। किसी न्यायालय के आदेश द्वारा नियुक्त व्यक्ति अथवा किसी धार्मिक या पूर्ण प्रयोजनार्थ किसी भूमि अथवा भवन का किराया प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी स्वामी शब्द के अन्तर्गत शामिल है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के अनुसार शेबाइट को स्वामी का दर्जा कलकत्ता नगर महापालिका अधिनियम के उद्देश्य हेतु प्रदान किया जा सकता है।

12. **भवन का भाग (Part of the building)**–अधिनियम की उप–धारा (44) के अन्तर्गत कोई दीवाल, भूमिगत कमरा अथवा रास्ता, बरामदा स्थित चबूतरा, कुर्सी जीना अथवा देहली है जो किसी वर्तमान भवन से संलग्न हो अथवा उसके अहाते के भीतर हो अथवा जो ऐसी भूमि पर निर्मित हो किसी प्रक्षिप्त भवन का स्थल अथवा अहाता होने वाली हो।

नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत 'भवन का भाग' शब्द की दी गयी परिभाषा सर्वागीण परिभाषा नहीं है।

13. **सार्वजनिक स्थान (Public place)**–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 2 की उपधारा (18) के अनुसार सार्वजनिक स्थान से अभिप्राय ऐसे स्थान से है जो निजी सम्पत्ति न हो और जो जनता के उपयोग अथवा उपयोग के लिए खुला हो, चाहे ऐसा स्थान नगरपालिका में निहित हो अथवा नहीं।

सार्वजनिक स्थान की परिभाषा में 'Means' शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि यह परिभाशा सर्वागीण है।

14. **सार्वजनिक सड़क (Public street)**–उपधारा (19) के अनुसार 'सार्वजनिक सड़क' से अभिप्राय ऐसी सड़क, से है जो धारा 221 के उपबन्ध के अधीन नगरपालिका द्वारा सार्वजनिक सड़क घोषित की जाय अथवा जिसे उस भूमि के जिसमें सड़क समाहित हो, स्वामी की स्पष्ट अथवा विवक्षित सम्मति से नगरपालिका अथवा अन्य लोक निधि से मतल किया गया हो, उसमें ईट बिछायी गयी हो और उसे पक्का किया गया हो, उसमें नालियां बनायी गयी हों, सीवर लगाया गया हो अथवा उसकी मरम्मत की गयी है।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 221 के अनुसार नगरपालिका बोर्ड किसी भी समय किसी भी मार्ग उथवा उसके भाग को सार्वजनिक नोटिस लगाकर उसे सार्वजनिक मार्ग घोषित करने की सूचना दे सकेगा, बशर्ते कि वह मार्ग सार्वजनिक मार्ग न हो। ऐसी नोटिस लगाये जाने के पश्चात् आगामी दो माह के भीतर ऐसे मार्ग अथवा मार्ग के किसी भाग अथवा उसके अपेक्षाकृत बड़ेकि भाग का स्वामी अथवा स्वामीगण उक्त नोटिस के विरूद्ध नगरपालिका कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नगरपालिका ऐसी दाखिल की गयी आपत्ति पर विचार करेगी तथा यदि वह उन्हें अस्वीकृत कर दे, तो ऐसा मार्ग उसके ऐसे भाग पर अग्रतर सार्वजनिक नोटिस लगाकर उसको एक सार्वजनिक मार्ग घोषित कर सकेगी।

जब लोग किसी पार्क के किसी भी ओर निवास करते है, तो उस पार्क का उपयोग करने का उनका अधिकार होता है और वह पार्क सड़क बन जाता है।

कोई भी प्राईवेट सम्पत्ति सार्वजनिक सड़क में निहित नहीं हो सकती है।

सार्वजनिक सड़क के रूप प्रयुक्त भूमि नगरपालिका में निहित हो जाती है, बशर्ते कि वह उसको परिसीमा के अन्तर्गत हो। ऐसी भूमि का अन्तरण नहीं किया जा सकता है।

सार्वजनिक सड़क से संलग्न कोई बरामदा अथवा सार्वजनिक दुकान अथवा बाजार स्थल अथवा सार्वजनिक चौक भी सार्वजनिक सड़क का भाग माना जायेगा।

15. **सड़क (Street)**—धारा 2 की उपधारा 23 के अनुसार 'सड़क' का अभिप्राय किसी मार्ग, पुल, पंगडंडी, गली, चौक, आंगन, संकरी गली अथवा रास्ते हैं जिसमें जनता को अथवा जनता के किसी भाग को आने—जाने का अधिकार हो और इसके अन्तर्गत उसके दोनों पार्श्व नालियां अथवा नाबदान और संयुक्त सम्पत्ति की परिभाषित सीमा तक की भूमि भी है, चाहे ऐसी भूमि के ऊपर कोई बरामदा अथवा अन्य ऊपरी ढांचे का प्रक्षेपण ही क्यों न हों।

सड़क के अन्तर्गत सार्वजनिक सड़क भी शामिल है। सड़क शब्द वस्तुतः प्राइवेट और सार्वजनिक सड़क दोनों को शामिल करता है, किन्तु वह सड़क सार्वजनिक सड़क समझी जाती है जिसके ऊपर आम आदमी का आने—जाने का अथवा उसके उपयोग करने का अधिकार कम से कम 20 वर्षो से बना हुआ हो।

किसी सार्वजनिक सड़क और सार्वजनिक दुकान के बीच स्थित बरामदा सार्वजनिपक मार्ग माना जायेगा। यदि कोई सार्वजनिक मार्ग किसी दुकान के सामने है और उस दुकान द्वारा आच्छादित है, तो भी उसका 'सड़क के रूप में अस्तित्व समाप्त नहीं होगा।

16. **पेट्रोलियम**—धारा 2 की उपधारा (15) के अनुसार पेट्रोलियम से अभिप्राय भारतीय पेट्रोलियम अधिनियम, 1899 में यथापरिभाषित पेट्रोलियम से है। ऐसा ही उपबन्ध उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उपधारा (57) के अन्तर्गत भी किया गया है। भारतीय पेट्रोलियम अधिनियम, 1899 की धारा 2 (क) के अन्तर्गत 'पेट्रोलियम' शब्द को परिभाषित किया गया है। यह धारा निम्नवत् है—

''2(क) पेट्रोलियम का तात्पर्य किसी तरल हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के किसी मिश्रण और किसी तरल हाइड्रोकार्बन युक्त किसी ज्वलशील मिश्रण (तरल या ठोस) से है।''

अध्याय 2
नगरपालिका का गठन शासन

3. संक्रमणशील क्षेत्र और लघुत्तर नगरीय क्षेत्र की घोषणा इत्यादि–(1) संविधान के अनुच्छेद 243–य के खण्ड (2) के अधीन राज्यपाल द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र जिसकी सीमायें उसमें विनिर्दिष्ट हो, यथास्थिति, संक्रमणशील क्षेत्र या लघुउत्तर नगरीय क्षेत्र होगा।

(2) राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 243–य के खण्ड (2) के अधीन किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) में, यथास्थिति निर्दिष्ट किसी संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में से किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकते हैं या उसमें से किसी क्षेत्र को निकाल सकते है।

(3) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट अधिसूचनाएं इस शर्त के अधीन होगी कि ऐसी अधिसूचना धारा 9 द्वारा अपेक्षित पूर्व प्रकाशन के पश्चात् जारी की जाए और इस धारा में किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी क्षेत्र को, जो कोई छावनी हो अिवा किसी छावनी का भाग हो, इस धारा के अधीन संक्रमणशील क्षेत्र अथवा लघुत्तर नगरीय क्षेत्र घोशित नहीं किया जायेगा और न उसमें सम्मिलित किया जायेगा।

संक्षेप

1	विधायी परिवर्तन (Legislative changers)	4.	उपधारा (3)
2.	धारा 3 का उद्देश्य एवं विस्तार	5.	राज्यपाल की षक्ति।
3	परिसीमा		

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)–धारा 3 में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 एवं उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 1995 के द्वारा मूलभूत संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा संशोधित किये जाने से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी–

''3. **नगरपालिकाओं और नगरों की परिभाषा और घोषणा**–(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा–

(क) किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है;

(ख) किसी ऐसी नगरपालिका जिसकी जनसंख्या एक लाख से कम हो नगर घोषित कर सकती है;

(ग) किसी नगरपालिका की सीमा को परिभाषित कर सकती है;

(घ) किसी नगरपालिका में कोई क्षेत्र शामिल कर सकती है अथवा किसी क्षेत्र को बाहर कर सकती है; और

(ङ) किन्ही पूर्ववर्ती खण्डों के अधीन जारी की गयी किसी अधिसूचना को निरस्त कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि ऐसी अधिसूचना धारा 9 द्वारा अपेखित पूर्व प्रकाशन के पश्चात् जारी की जाय और इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी क्षेत्र को जो कोई छावनी हों अथवा किसी छावनी का भाग हो, इस धारा के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र घोशित नहीं किया जायेगा और न ही उसमें सम्मिलित किया जायेगा।''

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम संख्या 26, सन् 1995 द्वारा संशोधित किये जाने से पूर्व धारा 3 निम्नवत् थी–

''3. **संक्रमणशील क्षेत्र और लघुत्तर नगरीय क्षेत्र की घोषणा इत्यादि**–(1) राज्यपाल किसी स्थानीय क्षेत्र की जनसंख्या, इसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए प्राप्त राजस्व, गैर कृषिगत कार्यकलाप में सेवा योजन का प्रतिशत, आर्थिक महत्व अथवा ऐसे अन्य तथ्यों को जो वह उचित समझे, ध्यान में रखते हुए सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा–

(क) किसी स्थानीय क्षेत्र को–

(i) जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु पांच लाख से अनधिक हो, एक लघुउत्तर नगरीय क्षेत्र; या

(ii) जिसकी संख्या तीस हजार से अधिक, किन्तु एक लाख से अनधिक हो, एक संक्रमणशील क्षेत्र, घोषित कर सकते है।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य के गढ़वाल और कुमायू मण्डलों के जिलों में किसी स्थानीय क्षेत्र को, जिसकी जनसंख्या पचास हजार से अधिक हो, एक लघुउत्तर नगरीय क्षेत्र और जिसकी जनसंख्या पन्द्रह हजार से अधिक किन्तु पचास हजार से अनधिक हो, को एक संक्रमणशील क्षेत्र घोषित किया जा सकता है–

(ख) यथास्थिति, किसी संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में परिनिश्चित कर सकते है;

(ग) किसी क्षेत्र को, यथास्थिति; किसी संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कर सकते हैं, या उससे निकाल सकते हैं;

(घ) किन्तु पूर्ववर्ती खण्ड़ों के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना को निरस्त कर सकते है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी–

(क) प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र जिसे धारा 3 के, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश नगर शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, अधीन नगरपालिका घोषित किया गया था, इस अधिनियम के अधीन एक लघुत्तर नगरीय क्षेत्र समझा जायेगा।

(ख) प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र–

(i) जिसे धारा 337 के अधीन, जैसी कि वह खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, नोटिफाइड एरिया कहा जाता था, या

(ii) जिसे संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 के अधीन, जैसा कि वह खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिनियम द्वारा निसन के ठीक पूर्व था, टाउन एरिया घोषित किया गया था।

इस अधिनियम के अधीन एक संक्रमणशील क्षेत्र समझा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि ऐसी अधिसूचना धारा 4 द्वारा अपेक्षित पूर्व प्रकाशन के पश्चात् जारी की जाय और इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी क्षेत्र को जो छावनी हो या किसी छावनी का भाग हो, इस धारा के अधीन संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र घोषित नहीं किया जायेगा और न उसमें सम्मिलित किया जायेगा।

2. धारा 3 का उद्देश्य एवं विस्तार–यह धारा किसी विशिष्ट क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति राज्यपाल को प्रदान करती है। राज्यपाल ऐसे क्षेत्र की सीमा का भी पूर्णतः निर्धारण कर सकता है। इसके अलावा राज्यपाल किसी क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र अथवा लघुत्तर नगरीय क्षेत्र से परे भी कर सकता है।

3. परिभाषा–प्रत्येक दशा में नगरपालिका की परिसीमा का निर्धारण स्पष्ट रूप से होना चाहिए। यह परिसीमा सड़क, नदी आदि द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है। परिसीमा निर्धारित करने वाली रेखा सीधी होनी चाहिए, वक्राधार नहीं। वक्राधार रेखा से बचा जाना चाहिए, सिवाय सड़क अथवा नदी की स्थिति में।

4. उपधारा (3)–किसी स्थानीय क्षेत्र का नगरपालिका के रूप में घोषित किया जाना मात्र नागरिकों के अधिकासरों को प्रभावित नहें करता है और धारा 3 के अन्तर्गत जारी की जाने वाली अधिसूचना धारा 4 द्वारा अपेक्षित पूर्व प्रकाशन के पश्चात् ही जारी की जा सकती है। धारा 4 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत राज्यपाल पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह किसी क्षेत्र को नगरपालिका के रूप में घोषित करने से पूर्व उसके बारें में प्रस्तुत, लिखित आपत्तियों पर समुचित रूप से विचार कर उसका निस्तारण करें। इस प्रकार आपत्तियों को आमन्त्रित करने और उसका निस्तारण करने से सम्बन्धित यह उपबन्ध, राज्यपाल के इस कार्य को मात्र प्रशासनिक कार्य नहीं रहने देता है, अपितु उसे अर्द्ध न्यायिक कार्य का दर्जा प्रदान कर देता है।

5. राज्यपाल की शक्ति–धारा 3 के राज्यपाल को असीमित शक्ति प्रदान की गयी है। वह किसी क्षेत्र के संक्रमणशील क्षेत्र अथवा लघुत्तर नगरीय क्षेत्र घोषित कर सकता है, किन्तु उसकी यह शक्ति निरंकुश नहीं है अपितु अर्द्धन्यायिक प्रकृति की है। राज्यपाल की यह शक्ति संवैधानिक शक्ति है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243–य के अन्तर्गत प्रदत्त है।

1994 ई0 से पूर्व किसी क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र अथवा लघुत्तर नगरीय क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राज्यपाल के बजाय राज्य सरकार को प्राप्त थी, किन्तु देश में पंचायती राज्य स्थापित करने के उद्‌देश्य से और पंचायतों को राज्य सरकार के नियन्त्रण से मुक्त करने के उद्‌देश्य से यह शक्ति राज्यपाल में निहित कर दी गयी जो कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।

उ0प्र0 अधिनियम संख्या सन् 1916 की धारा 3 के अन्तर्गत किसी क्षेत्र को नगरपालिका परिषद् में शामिल करने अथवा उससे बाहर करने की शक्ति नगरपालिका परिषद् के प्रशासक को नहीं है अतः नगरपालिका परिषद् के प्रशासक द्वारा किसी क्षेत्र को नगरपालिका परिषद को शामिल करने हेतु जारी अधिसूचना पूर्णतः अवैध है।

3–क. **प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र और लघुउत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका**–(1) संविधान के अनुच्छेद 243–य के खण्ड (1) के अधीन और उसके भाग 9–क के अनुसार–

(क) प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र के लिए गठित नगरपालिका को नगर पंचायत के रूप में जाना जायेगा;

(ख) प्रत्येक लघुत्तर नगरीय खेत्र के लिए गठित नगरपालिका के नगरपालिका परिषद् के रूप में जाना जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक नगर पंचायत अथवा नगरपालिका परिषद् एक निगमित निकाय होगी।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी–

(क) प्रत्येक नगरपालिका जो उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान थी, ऐसे प्रारम्भ से और उक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका परिषद् के पहली बार गठित होने तक इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका परिषद् समझी जायेगी,

(ख) धारा 338 के अधीन गठित प्रत्येक नोटिफाइड एरिया कमेटी अथवा संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया एक्ट, 1914 के अधीन गठित प्रत्येक टाउन एरिया कमेटी जो कि खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिनियम के ठीक पूर्व थी। ऐसे प्रारम्भ से और खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिनियम द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के अधीन नगर पंचायत के पहली बार गठित होने तक इस अधिनियम के अधीन नगर पंचायत समझी जायेगी।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन

1. **विधायी परिवर्तन**—यह धारा सन् 1994 में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा जोड़ी गयी है, जिसमें उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम संख्या 26, सन् 1995 द्वारा मूलभूत परिवर्तन किये गये है। 1995 ई0 में परिवर्तित किये जाने से पूर्व यह धारा अपने मूलरूप में निम्नवत् थी—

''3—क. **प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र और लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका**—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए —

(क) प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगरपालिका गठित की जायेगी जिसे नगर पंचायत कहा जायेगा;

(ख) प्रत्येक लघुत्तर नगरी क्षेत्र के एिल एक नगरपालिका गठित की जायेगी जिसे नगपालिका परिषद् कहा जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यथास्थिति, कोई नगर पंचायत या कोई नगरपालिका परिषद् इस धारा के अधीन ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में, जिसे राज्यपाल क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापना द्वारा दी जा रही या दिये जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिका सेवाओं और ऐसे अन्य कारण जो वह उचित समझे, को ध्यान में रखते हुए सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट करें, या ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में जो कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन औद्योगिक विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया हो, गठित नहीं की जा सकेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन गठित, प्रत्येक नगर पंचायत या नगरपालिका परिषद् एक निगमित निकाय होगी।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) प्रत्येक नगरपालिका जो उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान थी, ऐसे प्रारम्भ पर इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका परिषद् समझा जायेगा;

(ख) धारा 338 के अधीन गठित प्रत्येक नोटीफाइड एरिया कमेटी या संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया एक्ट, 1914 के अधीन गठित प्रत्येक टाउन एरिया कमेटी जो कि खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिनियम के ठीक पूर्व थी, ऐसे प्रारम्भ पर इस अधिनियम के अधीन नगर पंचायत समझी जायेगी।''

3—ख. **कक्ष समितियों का गठन और संरचना**—(1) तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका परिषद् के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर संविधान के अनुच्छेद 243—घ के खण्ड (1) अधीन गठित प्रत्येक कक्ष समिति में पांच कक्ष होंगें।

(2) किसी कक्ष समिति का प्रादेशिक क्षेत्र उस समिति के समाविष्ट कक्षों के प्रादेशिक क्षेत्र से मिलकर बनेगा।

(3) प्रत्येक कक्ष समिति में निम्नलिखित होंगे—

(क) कक्ष समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर कखों का प्रतिनिधित्व करने वाले नगरपालिका परिषद के सभी सदस्य;

(ख) तीन में अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा सम्बद्ध कक्ष समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों में से जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव हो, नाम—निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(4) कक्ष समिति अपने गठन के पश्चात् अपनी प्रथम बैठक में और प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में उसी मास में अपनी प्रथम बैठक में उपधारा (3) के खण्ड (क) में उल्लिखित सदस्यों में से एक को उस समिति के अध्यक्ष के रूप निर्वाचित करेगी।

(5) अध्यक्ष के पद का कार्यकाल एक वर्ष होगा, किन्तु वह अपना उत्तराधिकारी चुने जाने तक पद धारण करेगा और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

(6) नगरपालिका परिषद् का सदस्य रह जाने पर अध्यक्ष तुरन्त अपना पद रिक्त कर देगा।

(7) अध्यक्ष के पद की उसकी पदावधि के समाप्त होने के पूर्व त्याग–पत्र या अन्यथा किसी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में कक्ष समिति, रिक्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, उपधारा (4) के अनुसार नये अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष केवल उस अवशेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके लिये वह व्यक्ति जिसके स्थान पर उसे निर्वाचित किया गया है, यह धारण करेगा जिसके वह व्यक्ति जिसके स्थान पर उसे निर्वाचित किया गया है, पद धारण करता यदि ऐसी रिक्ति न हुई होती।

(8) कक्ष समिति का कार्यकाल नगरपालिका परिषद् की अवधि के साथ समाप्त होगा।

(9) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कक्ष समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो नियमों द्वारा विहित किये जाएँ।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changers)**–यह धारा मूलरूप से उत्तर प्रदेश नगरस्थापित शासन विधि अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा इस अधिनियम में जोड़ी गयी जिसमें उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम संख्या 26, सन् 1995 द्वारा मूलभूत रूप से संशोधन किया गया है। संशोधन से पूर्व यह धारा अपने मूलरूप में निम्नवत थी–

''**3–ख. कक्ष समितियों का गठन और संरचना इत्यादि**–(1) तीन लाख अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाले किसी नगरपालिका क्षेत्र में कक्ष समितियां गठित की जायेगी जिनमें पांच लाख से अन्यून कक्षों की ऐसी संख्या होगी जैसी राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(2) कक्ष समिति के प्रादेशिक क्षेत्र मे ंउसके अन्तर्गत आने वाले कक्षों का प्रादेशिक क्षेत्र सम्मिलित होगा।

(3) किसी कक्ष समिति में एक अध्यक्ष और उस समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर के कक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले नगरपालिका के सभी सदस्य सम्मिलित होंगे।

(4) किसी कक्ष समिति का अध्यक्ष उस समिति के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायेगा।

(5) कक्ष समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग आदि ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगी जैसा कि नियमों द्वारा निहित किया जाय।

4. अधिसूचना जारी करने की प्रारम्भिक प्रक्रिया–(1) धारा 3 में निर्दिष्ट अधिसूचना जारी होने के पूर्व राज्यपाल सरकारी गजट में और सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा अनुमोदित ऐसे समाचार पत्र में जो उस जिले में प्रकाशित होता हो अथवा, जिले में यदि ऐसा समाचार पत्र न हो तो उस डिवीजन में जिसमें अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाला स्थानीय खेत्र स्थित हो, प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में, प्रस्तावित अधिसूचना की हिन्दी प्रारूप ऐसे नोटिस के साथ प्रकाशित करेगी जिसमें यह वर्णित होगा कि उक्त प्रारूप पर उस अवधि की समाप्ति पर जैसा उक्त नोटिस में उल्लिखित हो, विचार किया जायेगा और उसे जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में तथा सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्र के भीतर या उससे आसन्न एक या अधिक प्रमुख स्थानों में, चिपकवा देगी; और

(2) राज्यपाल अधिसूचना जारी करने के पूर्व किसी ऐसी लिखित आपत्ति या सुझाव पर विचार करेगा, जो उसे किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में, विवरणित अवधि के भीतर प्राप्त हो।

संक्षेप

1	विधायी परिवर्तन (Legislative changers)	3.	आपत्तियों का आमन्त्रण परिसीमा अवधि
2.	प्रकाशन क्या आज्ञापक हैं?	4.	आपत्तियों का निस्तारण

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changers)**–यह धारा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 1994 द्वारा संशोधन से पूर्व निम्नवत् थी–

''4. अधिसूचना जारी होने से पूर्व राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रस्तावित अधिसूचना का हिन्दी प्रारूप ऐसे नोटिस के साथ प्रकाशित करेगी जिसमें यह वर्णित होगा कि उक्त प्रारूप पर उस अवधि की समाप्ति पर जैसा उक्त नोटिस में उल्लिखित हो, विचार किया जायेगा और उसे जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में तथा सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्र के भीतर अथवा उससे आसन्न एक या प्रमुख स्थानों में चिपकवा देगी; और

(2) राज्य सरकार अधिसूचना जारी करने के पूर्व किसी ऐसी लिखित आपत्ति अथवा सुझाव पर विचार करेगी, जो उसे किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में, विवरणित अवधि के भीतर प्राप्त हों।''

तत्पश्चात् इस धारा में सन् 1994 में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 द्वारा 'राज्यपाल' शब्द को 'राज्य सरकार' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 1995 द्वारा उप–धारा (1) में 'धारा 3 के अधीन अधिसूचना' शब्दों को 'धारा 3 में निर्दिष्ट अधिसूचना' शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।

2. **प्रकाशन क्या आज्ञापक हैं?**–माननीय न्यायमूर्ति आर0एल0 गुलाटी ने अभिधारित किया कि मेरा यह विचार है कि यह उपबन्ध आज्ञापक है क्योंकि गजट में प्रकाशन इसे पूर्णतः प्रदान करता है और प्रकाशन के बिल इसे कभी भी विधिक रूप से पूर्णतया प्राप्त नहीं हो सकती है।

कर अधिरोपित करने की प्रक्रिया निश्चित् रूप से किसी न किसी प्रक्रम में पूर्ण होनी चाहिए, ताकि यह कहा जा सके कि अधिरोपित किया गया है। यह प्रक्रम उस समय नहीं आता है जब नगरपालिका बोर्ड का प्रस्ताव पारित होता है, अपितु तब आता है जब सरकार द्वारा अधिनियम जारी होती है।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 9 यह अपेक्षा करती है कि राज्य सरकार प्रस्तावित अधिसूचना का प्रारूप इस नोटिस के साथ प्रकाशित करेगी कि प्रारूप पर नोटिस में वर्णित अवधि के पश्चात् विचार होगा। यह उपबन्ध आज्ञापक (mandatory) है और इसका पालन न करने पर सारी प्रक्रिया अधिकारातीत हो जायेगी।

3. **आपत्तियों का आमन्त्रण परिसीमा अवधि**–गजट और समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना पर आमन्त्रित आपत्तियों को उसमें वर्णित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह धारा इसके लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं करती है अपितु यह राज्यपाल के विवेकाधीन कर देती है।

4. **आपत्तियों का निस्तारण**–प्रकाशित अधिसूचना के अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व राज्यपाल द्वारा उस सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करना आवश्यक है। राज्यपाल या तो उन आपत्तियों को स्वीकार कर प्रारूप में फेर बदल कर सकते हैं अथवा आपत्तियों को अस्वीकृत कर सकते है।

धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत आपित्तयों के निस्तारण सम्बन्धी राज्यपाल की शक्ति पूर्णतः प्रशासनिक शक्ति है न कि न्यायिक अथवा अर्द्ध न्यायिक।

5. संक्रमणशील क्षेत्र अथवा लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में किसी क्षेत्र को सम्मिलित करने का प्रभाव–जब धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना राज्यपाल किसी क्षेत्र को किसी संक्रमणशील क्षेत्र अथवा लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करे तो वह क्षेत्र एतदद्वारा उन सभी अधिसूचनाओं, नियमों, विनियमों, उप–विधियों, आदेशों और निदेशों के अधीन हो जायेगा जो इस या किसी अन्य अधिनियमित के अधीन जारी किये गये या बनाये गये हों और जो उकत क्षेत्र को सम्मिलित करने के तुरन्त पूर्व सम्पूर्ण संक्रमणशील क्षेत्र अथवा लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में प्रवृत्त रहे हों।

संक्षेप

1 विधायी परिवर्तन (Legislative changers)

2. किसी क्षेत्र को संक्रमणशील अथवा लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में शामिल करना : प्रभाव

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)–यह धारा मूलरूप में निम्नवत् थी–

''5. नगरपालिका में किसी क्षेत्र को सम्मिलित करने का प्रभाव–जबे धारा 3 के अधीन जारी अधिसूचना के कारण कोई स्थानीय क्षेत्र किसी नगरपालिका बोर्ड में शामिल होता है, तो ऐसा क्षेत्र एतद्द्वारा उन सभी अधिसूचनाओं, नियमों, विनियमों, उप–विधियों, आदेशों और निदेशों के अधीन हो जायेगा जो इस या किसी अन्य अधिनियमित के अधीन जारी किये या बनाये गये हों और जो उक्त क्षेत्र के सम्मिलित होने के तुरन्त पूर्व नगरपालिका में प्रवृत्त रहे हों।''

धारा 5 में उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्ता शासन विधि (संशोधन) अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन के पश्चात् यह धारा निम्नवत् थी–

''5. **संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरी क्षेत्र में किसी क्षेत्र को सम्मिलित करने का प्रभाव**–जब धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के फलस्वरूप कोई स्थानीय क्षेत्र किसी संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाय तो वह क्षेत्र एतद्द्वारा, उन सभी अधिसूचनाओं, नियमों, विनियमों, उप–विधियों, आदेशों और निदेशों के अधीन हो जायेग, जो इस या किसी अन्य अधिनियमित के अधीन जारी किये गये या बनाये गये हों और जो उक्त क्षेत्र को सम्मिलित करने के तुरन्त पूर्व सम्पूर्ण संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में प्रवृत्त रहे हों।''

2. किसी क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र अथवा लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में शामिल करना : प्रभाव– धारा 5 के अनुसार जब कोई क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग में किसी संक्रमणशील अथवा लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, जब उस संक्रमणशील अथवा लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में लागू तत्कालीन समस्त अधिसूचनायें, नियम, विनियम, आदेश, निदेश, उपविधियां आदि उस क्षेत्र के सम्बन्ध में भी स्वतः लागू हो जायेगी। इसके लिए अलग से किसी अधिसूचना अथवा आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

6. {***}

विधायी परिवर्तन—यह धारा 6 उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा निरसित कर दी गयी। निसन से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी—

''6. **नगरपालिका बोर्ड का निगमन तथा उसके सामान्य कृत्य**—प्रत्येक नगरपालिका में एक नगरपालिका बोर्ड के नाम से निगमित होगा जिसके नाम से नगरपालिका जानी जाती है, उसे शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर प्राप्त होगा और इस या किसी अन्य अधिनियमित के द्वारा अधिरोपित किसी प्रतिबन्ध या विशेषण के अधीन रहते हुए उसे अपने निगमित नाम से वाद लाने का अधिकार होगा या उसके विरूद्ध उस नाम से वाद लाया जा सकेगा एवं उसे चल या अचल सम्पत्ति को अधिगृहीत करने, धारण करने और अन्तरित करने तथा संविदा करने का अधिकार होगा।''

7. नगरपालिका के कर्तव्य—(1) प्रत्येक नगरपालिका का यह कर्तव्य होगा कि वह नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित व्यवस्था करे—

(क) सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर रोशनी;

(ख) सावर्जजनिक सड़कों और स्थानों पर पानी;

(खख) नगरपालिका की सीमा का सर्वेक्षण करना और सीमा चिन्ह लगाना।

(ग) सार्वजनिक सड़कों, स्थानों और नालियों की सफाई करना, हानिकर वनस्पति को हटाना और समस्त लोक न्यूसेंस का उपशमन करना;

(घ) संतापकारी, खतरनाक या आपत्तिजनक व्यापार, आजीविका या प्रथा का विनियमन करना।

(घघ) आवास कुत्तों तथा खतरनाक पशुओं को परिरूद्ध करना, हटाना या नष्ट करना।

(ङ) लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा के आधार पर सड़कों या सार्वजनिक स्थानों में अवांछनीय अवरोध और प्रक्षेप हटाना।

(च) खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना।

(छ) मृतकों के निस्तारण के लिए स्थाना अर्जित, अनुरक्षित, परिवर्तित और विनियमित करना और अदावाकृत षवों के पुलिस से लिखित रूप से यह अभिनिश्चित करने के पश्चात् कि ऐसा करने में काई आपत्ति नहीं है निस्तारण का प्रबन्ध करना;

(ज) सार्वजनिक सड़को, पुलियों, बाजारों, वध—शालाओं, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों, नालियों जलोत्सारण निर्माणकार्यो तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी निर्माण कार्यो का निर्मार्ण, परिवर्तन और अनुरक्षण करना;

(जज) घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति उपलब्ध कराना;

(झ) सड़क के किनारे तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में वृक्ष लगाना और उनका अनुरक्षण करना;

(ञ) ऐसे स्थानों में जहां वर्तमान जल संभरण के अपर्यापत या अस्वास्थ्यप्रद होने से वहां के निवासियों के स्वास्थ्य को संकट हो, शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद जल के पर्याप्त संभरण की व्यवस्था करना मनुष्यों के उपभोग के लिए प्रयुक्त होने वाले जल को प्रदूषित होने से बचाना और प्रदूषित जल के ऐसे उपयोग को रोकना।

(ञञ) जल संभरण के अन्य किसी स्त्रोत के अतिरिक्त, सार्वजनिक कुओं को यदि कोई हो, ठीक हालत में रखना, उनके जल को प्रदूषित होने बचाना और उसे मनुष्यों के उपयोग के योग्य बनाये रखना;

(ट) जन्म और मरण का रजिस्ट्रीकरण;
(ठ) सार्वजनिक टीका लगाने की प्रणाली की सथापना तथा उसका अनुरक्षण।
(ड) सार्वजनिक चिकित्सालयों और औषधालयों की सथापना उनका अनुरक्षण या उनकी सहायता करना और सार्वजनिक चिकित्सा सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था करना।
(डड) प्रसूति केन्द्रों, शिशु कल्याण और जन्म नियन्त्रण क्लीनिकों की स्थापना, अनुरक्षण और सहायता करना और जनसंख्या नियन्त्रण, परिवार कल्याण गैर छोटे परिवार के मानक संवर्द्धन करना;
(ढ) पशु चिकित्सालयों की अनुरक्षण करना या अनुरक्षण हेतु उन्हें सहायता प्रदान करना।
(ढढ) शारीरिक संवर्धन की संस्थाओं की स्थापना और उसका अनुरक्षण या उन्हें सहायता प्रदान करना।
(ण) प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और उनक अनुरक्षण करना;
(त) आग बुझाने में सहायकता देना और आग लगने पर जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करना।
(थ) नगरपालिका में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी सम्पत्ति की सुरक्षा करना, उसका अनुरक्षण तथा विकास करना;
(थथ) नगरपालिका की वित्त–व्यवस्था को संतोशप्रद स्थिति में बनाये रखना और उसके दायित्वों को पूरा करना;
(द) षासकीय पत्रों पर तत्काल ध्यान देना और ऐसी विवरणियॉ, विवरण और रिपोर्ट तैयार करना, जिन्हें राज्य सरकार नगरपालिका को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करें; और
(ध) विधि द्वारा उस पर अधिरोपित किसी बाध्यता की पूर्ति करना।
(न) चर्मशोधन शालाओं को विनियमित करना;
(प) पार्किग स्थल, बस स्टाप और जल सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण करना;
(फ) नगरीय वानिकी और परिस्थिति की पहलुओं की अभिवृद्धि और पर्यावरण का संरक्षण करना;
(भ) सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक पहलूओं की अभिवृद्धि करना;
(म) कांजी हाउस का निर्माण और अनुरक्षण करना और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करना;
(य) गन्दी–बस्ती सुधार और उन्नयन;
(य–क) नगरीय निर्धनता कम करना; और
(य–ख) नगरीय सुख–सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे कि पार्क, उद्यान और खेल के मैदानों की व्यवस्था करना;
(2) {***}

संक्षेप

1	विधायी परिवर्तन (Legislative changers)	7.	नगरपालिका में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी सम्पत्ति की सुरक्षा करना, उसका अनुरक्षण तथा विकास करना।
2.	नगर बोर्ड के कर्तव्य (Duties of Municipality)		
3	सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था	8.	

4.	खतरनाथ भवनों अथवा स्थानों को सुरक्षित बनाना और हटाना		नगरीय वानिकी और परिस्थिति की अधिवृद्धि करना और पर्यावरण का संरक्षण करना।
5.	घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जलापूर्ति करना	9.	सांविधिक दायित्वों का अनुपालन करने में असफलता : परिणाम
6.	प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और उनका अनुरक्षण	10.	अधिनियम की धारा 7, 8, 128 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changers)**–धारा 7 उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, संख्या 12, सन् 1994 द्वारा संशोधन से पूर्व निम्नवत् थी–

''7. **नगर बोर्ड के कर्तव्य (Duties of Municipality)**–(1) प्रत्येक बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह नगरपालिका के भीतर व्यवस्था करें।

(क) सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर रोशनी;

(ख) सावर्जजनिक सड़कों और स्थानों पर पानी;

(खख) नगरपालिका की सीमा का सर्वेक्षण करना और सीमा चिन्ह लगाना।

(ग) सार्वजनिक सड़कों, स्थानों और नालियों की सफाई करना, हानिकर वनस्पति को हटाना और समस्त लोक न्यूसेंस का उपशमन करना;

(घ) संतापकारी, खतरनाक या आपत्तिजनक व्यापार, आजीविका या प्रथा का विनियमन करना।

(घघ) आवास कुत्तों तथा खतरनाक पशुओं को परिरूद्ध करना, हटाना या नष्ट करना।

(ङ) लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा के आधार पर सड़कों या सार्वजनिक स्थानों में अवांछनीय अवरोध और प्रक्षेप हटाना।

(च) खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना।

(छ) मृतकों के निस्तारण के लिए स्थाना अर्जित, अनुरक्षित, परिवर्तित और विनियमित करना और अदावाकृत शवों के पुलिस से लिखित रूप से यह अभिनिश्चित करने के पश्चात् कि ऐसा करने में काई आपत्ति नहीं है निस्तारण का प्रबन्ध करना;

(ज) सार्वजनिक सड़को, पुलियों, बाजारों, वध–शालाओं, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों, नालियों जलोत्सारण निर्माणकार्यो तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी निर्माण कार्यो का निर्मार्ण, परिवर्तन और अनुरक्षण करना;

(जज) घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति उपलब्ध कराना;

(झ) सड़क के किनारे तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में वृक्ष लगाना और उनका अनुरक्षण करना;

(ञ) ऐसे स्थानों में जहां वर्तमान जल संभरण के अपर्यापत या अस्वास्थ्यप्रद होने से वहां के निवासियों के स्वास्थ्य को संकट हो, शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद जल के पर्याप्त संभरण की व्यवस्था करना मनुष्यों के उपभोग के लिए प्रयुक्त होने वाले जल को प्रदूषित होने से बचाना और प्रदूषित जल के ऐसे उपयोग को रोकना।

(ञञ) जल संभरण के अन्य किसी स्त्रोत के अतिरिक्त, सार्वजनिक कुओं को यदि कोई हो, ठीक हालत में रखना, उनके जल को प्रदूषित होने बचाना और उसे मनुषयों के उपयोग के योग्य बनाये रखना;

(ट) जन्म और मरण का रजिस्ट्रीकरण;
(ठ) सार्वजनिक टीका लगाने की प्रणाली की सथापना तथा उसका अनुरक्षण।
(ड) सार्वजनिक चिकित्सालयों और औषधालयों की सथापना उनका अनुरक्षण या उनकी सहायता करना और सार्वजनिक चिकित्सा सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था करना।
(डड) प्रसूति केन्द्रों एवं शिशु कल्याण केन्द्रों की स्थापना;
(ढ) पशु चिकित्सालयों की अनुरक्षण करना या अनुरक्षण हेतु उन्हें सहायता प्रदान करना।
(ढढ) शारीरिक संवर्धन की संस्थाओं की स्थापना और उसका अनुरक्षण या उन्हें सहायता प्रदान करना।
(ण) प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और उनक अनुरक्षण करना;
(त) आग बुझाने में सहायकता देना और आग लगने पर जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करना।
(थ) नगरपालिका में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी सम्पत्ति की सुरक्षा करना, उसका अनुरक्षण तथा विकास करना;
(थथ) नगरपालिका की वित्त–व्यवस्था को संतोषप्रद स्थिति में बनाये रखना और उसके दायित्वों को पूरा करना;
(द) शासकीय पत्रों पर तत्काल ध्यान देना और ऐसी विवरणियॉ, विवरण और रिपोर्ट तैयार करना, जिन्हें राज्य सरकार नगरपालिका को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करें; और
(ध) विधि द्वारा उस पर अधिरोपित किसी बाध्यता की पूर्ति करना।

2. नगर बोर्ड के कर्तव्य (Duties of Municipality)–नगरपालिका अधिनियम नगरपालिकाओं का कुछ सांविधिक दायित्व अधिरोपित करता है, जिसके अनुपालन में असफलता उसको भंग किये जाने का कारण बन सकती है। यह दायित्व इस अधिनियम की धारा 7 के द्वारा अधिरोपित किया गया है।

नगरपालिका बोर्ड जब धारा 7 के अधीन वर्णित दायित्वों का अनुपात करता है अथवा करना प्रस्तावित करता है तो वह ऐसा अपने कार्यालयी क्षमता के अन्तर्गत करता है। अपने सांविधिक दायित्वों की पूर्ति में जलकल की सथापना करना वाणिज्यिक कार्य नहीं है।

3. सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था–नगरपालिका बोर्ड द्वारा सड़कों और पार्को की मरम्मत करना और उस पर रोधनी की व्यवस्था करना, उसका सांविधिक दायित्व है और इसकी व्यवस्था इसी दायित्व के अधीन करता है न कि किसी अनुज्ञप्तिधारकों के लिए किसी विशेष सेवा के अधीन।

नगरपालिका बोर्ड का यह दायित्व है कि वह सार्वजनिक सड़कों पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करने की नहीं है।

4. **खतरनाक भवनों अथवा स्थानों को सुरक्षित बनाना और हटाना**–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत प्रत्येक नगरपालिका बोर्ड का यह सांविधिक दायत्वि है कि वह किसी खतरनाक भवन को सुरक्षित बनाने अथवा उसे हटाने के लिए कार्यवाही करे और यदि वह धारा 163 की उपधारा (2) के अधीन उचित कार्यवाही नहीं करता है तो सांविधिक दायित्व के पूरा करने में असफलता माना जायेगा।

किसी भवन को सुरक्षित रखने का दायित्व और उसकी मरम्मत करने का दायित्व भवन के स्वामी का होता है, यदि वह उस भवन को उसी खतरनाक स्थिति में किराये पर दे देता, तो उससे कारित क्षति को क्षतिपूर्ति करने हेतु वह उत्तरदायी होगा।

5. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जलापूर्ति करना–जल ही जीवन है, इसके बगैर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। जल के बिना कुछ भी सम्भव नहीं है। ऐसे महत्वपूर्ण वस्तु की आपूर्ति का दायित्व नगरपालिका को सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन

विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा धारा 7 की उपधारा (1) के प्रतिस्थापित खण्ड (जज) के द्वारा नगरपालिका को घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जलापूर्ति करने का दायित्व सौंपा गया है।

6. प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और उनका अनुरक्षण—व्यापार मण्डल वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पूर्णपीठ ने अभिधारित किया कि बेसिक शिक्षा अधिनियम के उपबन्धों को उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के उपबन्धों के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक विद्यालयों पर नियन्त्रण बेसिक शिक्षा द्वारा ले लिया गया है, किन्तु प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करने और उनका अनुरक्षण करने की नगरपालिका की शक्ति नगरपालिका बोर्ड के पास ही छोड़ दी गयी है। इस वाद में याची की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि नगरपालिका के कुछ अधिकारियों को नगरपालिका से लेकर बेसिक शिक्षा परिषदे को दे दिया गया है, फलतः यह समझा जाना चाहिए कि बेसिक शिक्षा अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात् नगरपालिका का बेसिक शिक्षा से कुछ भी लेना देना नहीं रह गया है, किन्तु न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकृत करते हुए अभिधारित किया कि चूँकि प्राथमिक विद्यालयों का नियन्त्रण बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा ले लिया गया है और प्राथमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों को भी बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रबन्धन हेतु ले लिया गया है। फलतः बेसिक शिक्षा अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) में संशोधन किया गया और कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति परिषद् को प्रदान कर दी गयी, किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने अथवा उसका अनुरक्षण करने का अधिकार भी परिषद द्वारा नगरपालिका से ले लिया गया है। वास्तव में नगरपालिका अधिनियम की धारा 7(1)(ण) बेसिक शिक्षा अधिनियम द्वारा निरसित नहीं की गयी है। अतः प्राथमिक विद्यालयों को स्थापित करने एवं अनुरक्षित करने की शक्ति विधायिका द्वारा नगरपालिका के पास ही छोड़ दिया गया है।

7. नगरपालिका में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी सम्पत्ति की सुरक्षा करना, उसका अनुरक्षण तथा विकास करना—नगरपालिका बोर्ड में निहित अथवा उसके प्रबन्ध के अधीन सौंपी गयी सम्पत्ति की सुरक्षा करने में उसके द्वारा असफल रहने पर इसे अधिनियम की धारा 7(1)(थ) द्वारा उस पर आरोपित सांविधिक दायित्व का जानबूझकर किया गया व्यतिवम माना जायेगा।

8. नगरीय वानिकी और परिस्थितिकी की अधिवृद्धि करना और पर्यावरण का संरक्षण करना—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 7 के अन्तर्गत नगरपालिका पर एक काफी महत्वपूर्ण दायित्व अधिरोपित किया गया है। यह दायित्व है नगरीय वानिकी और परिस्थितिकी को अभिवृद्धि करना और पर्यावरण का संरक्षण करना।

9. सांविधिक दायित्वों का अनुपालन करने में असफलता : परिणाम—यदि नगरपालिका बोर्ड धारा 9(1) द्वारा अधिरोपित दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है, तो धारा 125 के अधीन क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका की धारा 7 द्वारा नगरपालिका बोर्ड पर अधिरोपित सांविधिक दायित्व का अनुपालन करने में असफल रहने पर ऐसी असफलता के कारण कारित क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए नगरपालिका बोर्ड उत्तरदायी होगा।

धारा 125 के अन्तर्गत नगरपालिका बोर्ड न केवल सकारात्मक अथवा अधिकारातीत कार्य के लिए उत्तरदायी होगा, अपितु धारा 7 के अन्तर्गत किसी सांविधिक कार्य को करने में असफल रहने अथवा उसका लोप करने के लिए भी उत्तरदायी होगा और इसके लिए उसे क्षतिपूर्ति प्रदान करना पड़ेगा।

10. अधिनियम की धारा 7, 8, 128 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14—धारा 9 के अन्तर्गत नगरपालिका बोर्ड पर अधिरोपित कर्तव्य धारा 8 के अन्तर्गत अधिरोपित कर्तव्य से गुरूतर है।

नगरपालिका मात्र नगर के किसी भाग के ऊपर भी करावधान कर सकती है, यदि वह भाग अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण अथवा अन्यथा किसी कारण वश कुछ विशेष सुविधाओं का उपयोग कर रहा है ओर जिससे नगरपालिका पर भारी आर्थिक दबाव पड़ता है।

उच्चतम न्यायालय ने खानडिग श्याम भट्टे वाद में करावधान विधि पर विचार करते हुए वर्गीकरण के सिद्धान्त के सम्बन्ध में संप्रेक्षित किया कि करावधान विधि पुरूशोत्तम गोविन्दजी और भूपिल नायर में अभिधारित सिद्धान्त का अपवाद नहीं है, किन्तु इन सिद्धान्तो को लागू करते समय न्यायालयों द्वारा विधायिका को वित्तीय प्रशासन में जटिलता को सुलझाने हेतु वर्गीकरण के लिए उस सीमा तक व्यापक स्तर पर अपने विवेक का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए, जिससे उक्त सिद्धान्त के मूल तत्व का हनन न हो। विधायिका की वर्गीकरण की षक्ति काफी व्यापक और लचीली है ताकि वह अपने करावधान व्यवस्था को समुचित और युक्तियुक्त रूप से व्यवस्थित कर सकें।

गोपाल नारायण वाद में उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 7, 8 और 128 में अभिधारित नीति को देखते हुए और वर्गीकरण के सिद्धान्त से प्रअभिप्राप्त उदार दृष्टिकोण को करावधान विधि पर लागू करते हुए अभिधारित किया कि उक्त धाराओं में अभिधारित नीति संविधान के अनुच्छेद 14 में उपबन्धित समता के सिद्धान्त का उल्लंघन करती है। उच्चतम न्यायालय ने अनेकों वादों में यह अभिधारित किया है कि समता का सिद्धान्त भौगोलिक वर्गीकरण को प्रतिबन्धित नहीं करता है, बशर्ते कि भौगोलिक इकाइयों में अन्तर को युक्तियुक्त रूप से समाप्त करने का प्रयास किया गया हों।

8. नगरपालिका के वैवेकिक कृत्य—(1) नगरपालिका की सीमाओं के भीतर और विहित प्राधिकारी को स्वीकृत से ऐसी सीमाओं के बाहर, निम्नलिखित के लिए व्यवस्था कर सकता है—

(क) उन क्षेत्रों में जिनमें चाहे पहले के निर्माण किया गया हो या नहीं नवीन सार्वजनिक सड़को का विन्यास और इस प्रयोजन के लिए तथा भवनों ओर उनके अहातों के निर्माण के लिए जो ऐसी सड़को से संसक्त हों भूमि अर्जित करना;

(कक) मास्टर प्लान तैयार करना और उसे निष्पादित करना,

(ख) {***} पुस्तकालय, संग्रहालय, वाचनालय, रेडियों संग्रहों केन्द्रो कुष्ठाश्रम, अनाथालय, शिशु—सदन और महिला उद्धार—गृह, पागलखाना हाल, कार्यालय, धर्मशाला, विश्राम—गृह, दुग्धशाला, स्नानागार, स्नानघाट, धोबियों के धुलाई—स्थल, पीने के पानी का स्त्रोत (डिंकिग फाउन्टेन), तालाब, कुऑ, बॉध तथा अन्य लोकोपयोगी निर्माण कार्यो का निर्माण, उनकी स्थापना तथा उनका अनुरक्षण में अंशदान देना;

(ग) {***}

(घ) प्राथमिक स्कूलों की स्थापना और उनके अनुरक्षण से भिन्न उपायों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का प्रसार करना;

(ङ) जनगणना करना और ऐसी सूचना के लिए इनाम देना, जिससे जन्म—मरण के ऑकड़ों का सही रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित हो सकें;

(ङङ) ऐसी सूचना के लिए इनाम देना जिससे इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर के अपवर्चन का, या नगरपालिका में निहित या उसके प्रबन्ध या नियन्त्रण में सौंपी गई सम्पत्ति की हानि पहुॅचाने या उस पर अधिक्रमण करने का पता लगे;

(च) {***}

(छ) स्थानीय विपति पड़ने पर, सहायता कार्यो की स्थापना और उनका अनुरक्षण करके या अन्य प्रकार से सहायता करना;

(ज) {***}

(झ) धारा 298 के शीर्षक 'छ' के उपशीर्षक (क) के अधीन उल्लिखित किसी व्यापार या निर्माण के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करना या प्राप्त करने में सहायता देना;

(ञ) सीवरेज के निस्तारण के लिए फार्म या कारखाना स्थापित करना और उसका अनुरक्षण करना;

(ञञ) विष्ठा और कूड़ा करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करने के लिए प्रबन्ध करना;

(ट) ट्राम मार्ग, रेल पथ या संचालन के अन्य साधनों और बिजली या गैस की रोशनी या विद्युत या गैस के शक्ति संक्रम का निर्माण करना, उन्हें सहायता देना या उनकी प्रत्याभूमि देना;

(टट) पर्यटक यातायात की अभिवृद्धि करना;

(ठ) मेले की प्रदर्शनियॉ लगाना;

(ठठ) गृह और नगर नियोजन योजनाऍ तैयार करना और उनका निष्पादन;

(ठठठ) व्यापार और उद्योग की अभिवृद्धि के लिए उपाय करना;

(ठठठठ) दुग्ध संभरण;

(ठठठठठ) अपने कर्मचारियों के लिए श्रम कल्याण केन्द्र स्थापित करना और ऐसे कर्मचारियों के किसी एसोसियेशन संघ या क्लब की सामान्य उन्नति के लिए अनुदान अथवा ऋण देकर उसके कार्यकलापों में सहायता देना;

(ठठठठठठ) नगरपालिका संघों को संगठित करना और उन्हें अंशदान देना।

(ड) धारा 7 में या इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में विनिर्दिष्ट उपायों से भिन्न ऐसे उपाय करना, जिनसे लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा में अभिवृद्धि होने की संभावना हो; और

(डड) अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गो की सामाजिक निर्योग्यताओं की ऐसी रीति से दूर करना, जो विहित की जाऍ;

(डडड) भिक्षा–वृत्ति पर नियन्त्रण के लिए उपाय करना;

(ढ) कोई ऐसा कार्य करना, जिसके सम्बन्ध में व्यय राज्य सरकार द्वारा या नगरपालिका द्वारा विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से, नगरपालिका निधि पर समुचित प्रभार घोशित किया जाय–

परन्तु यह कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी नगरपालिका या समस्त नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में यह घोशण कर सकती है कि इस धारा में उल्लिखित कोई भी कृत्य, सम्बद्ध नगरपालिका या नगरपालिका का कर्तव्य होगा और तदुपरान्त इस अधिनियम के उपबन्ध उस पर लागू होंगे मानों वह धारा 7 द्वारा अधिरोपित कोई कर्तव्य हो।

(2) नगरपालिका, नगरपालिका की सीमाओं से परे किसी नगरपालिका उपक्रम की प्रसुविधाओं के विस्तार के लिए व्यवस्था कर सकता है–

परन्तु यह कि किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें किसी छावनी का सम्पूर्ण या उसका कोई भाग समाविष्ट तथा अन्तर्विष्ट हो, जल सम्भरण के लिए किसी नगरपालिका उपक्रम की प्रसुविधाओं के विस्तार के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई व्यवस्था नहीं की जायेगी।

(3) {***}

संक्षेप

1	विधायी परिवर्तन (Legislative changers)	4.	धारा 8 (1)(झ) के अन्तर्गत नगरपालिका का दायित्व
2.	नगर पालिका के वैकेकिक कृत्य (Discritionary duties of the Municipality)		

3 धारा 8 (1)(क) के अन्तर्गत नगरपालिका का दायित्व और शक्ति

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)—उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम संख्या, 12, 1994 द्वारा 8 (1) (ख) में संशोधन द्वारा 'सार्वजनिक पार्क उद्यान' शब्द को विलुप्त कर दिया गया है। अब इनके निर्माण और अनुरक्षण आदि की व्यवस्था करने हेतु उपबन्ध अधिनियम की धारा 7 (1) (ख–ख) के अन्तर्गत कर दिया गया है। इस प्रकार सार्वजनिक मार्ग और उद्यान का निर्माण और अनुरक्षण करना नगरपालिका का वैवेकिक कृत्य नहीं, अपितु उसका आवश्यक कर्तव्य बन गया है।

2. नगर पालिका के वैकेकिक कृत्य (Discritionary duties of the Municipality)—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 8 नगरपालिका के वैवेकिक कृत्यों के बारें में उपबन्ध करती है। ये कृत्य वे कृत्य है जिनका पालन या अपालन नगरपालिका के विवेक पर निर्भर करता है। वे कृत्य धारा 7 में वर्णित कृत्यों के समान बाध्यकारी नहीं है। इन कृत्यों का पालन न करने पर धारा 30 में उपबन्धित परिणाम उत्पन्न नहीं होंगे, अर्थात् राज्य सरकार नगरपालिका की विघटित नहीं कर सकती है जबकि धारा 7 के अन्तर्गत उपबन्धित कृत्यों को सम्पन्न करने पर राज्य सरकार नगरपालिका को कारण बताओं नोटिस जारी करने के पश्चात् उसे विघटित कर सकती है। वस्तुतः धारा 7 द्वारा नगरपालिका पर अधिरोपित कृत्य धारा 8 द्वारा अधिरोपित कृत्यों से काफी व्यापक और बाध्यकारी प्रवृत्ति के है।

3. धारा 8 (1)(क) के अन्तर्गत नगरपालिका का दायित्व और शक्ति—यह कहना उचित नहीं है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 8(1)(क) के अन्तर्गत नगरपालिका की शक्ति मात्र नयी सार्वजनिक सड़कों के निर्माणार्थ भूमि का अधिग्रहण करने तक ही है। इसी प्रकार यह कहना भी उचित नहीं होगा कि नगरपालिका की शक्ति मात्र भवनों और उनके अहातों के निर्माण तक ही सीमित है और इस उद्देश्य के लिए उसे भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति उसे नहीं है। यदि नगरपालिका की शक्ति मात्र उस भूमि पर भवन निर्माण तक सीमित है जो पहले से ही उसके अध्यासन में है, तो फिर इस धारा में ''तथा भवनों और उनके अहातों के निर्माण के लिए'' शब्दों को प्रयुक्त करने का कोई अर्थ नहीं होगा।
इस धारा का युक्तियुक्त निर्वाचन यह होगा कि नगरपालिका द्वारा भूमि का अधिग्रहण नवीन सार्वजनिक सड़कों के विन्यास और ऐसी सड़ों के संसक्त भवनों और उनके अहातों के निर्माणार्थ किया जा सकता है। मात्र इस कारण से कि धारा में 'Purpose' शब्द का प्रयोग एक वचन में किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता कि भूमि का अधिग्रहण मात्र एक उद्देश्य अर्थात्, नवीन सड़क के निर्माणार्थ ही किया जा सकता है और यह अधिग्रहण भवन निर्माण के प्रयोजनार्थ जो कि अधिनियम के उसी उपबन्ध में उपबन्धित किया गया है, नहीं किया जा सकता है।
भूमिका अधिग्रहण धारा 8 (1)(क) के उद्देश्यों के लिए किया गया। न्यायालय ने अभिधारित किया कि याची को प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार है।

4. धारा 8 (1)(झ) के अन्तर्गत नगरपालिका का दायित्व—यह उपधारा नगरपालिका के ऊपर कुछ व्यापार अथवा निर्माण के कार्यान्वयन के लिए जो धारा 298 के शीर्षक 'छ' उपशीर्षक (क) के अन्तर्गत उल्लिखित किये गये है, के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने का दायित्व अधिरोपित करती है। धारा 298 का शीर्षक 'छ' का उपशीर्षक (क) निम्नवत् है—

(छ) संतापकारी व्यापार

(क) अधिनियम संख्या 8, 1899—सिवाय उस दशा के जहां भारतीय पेट्रोलियम अधिनियम 1899 में या तद्धीन बनायी गयी नियमावली में कोई बात दी गयी हो और जहॉ तक कि वह उसमें दी हुई किसी बात से असंगत हो नगरपालिका द्वारा स्वीकृत लाइसेन्स के

व्यत्तिक्रम में या इस प्रकार स्वीकृत लाइसेन्स की शर्तो से भिन्न प्रकार से किसी स्थान का निम्नलिखित किसी फैक्ट्री या कारबार के अन्य स्थान के रूप में उपयोग करने का प्रतिवेध करना–

(एक) छीछड़ो, रक्त, हड्डियों अंतड़ियों या चीथड़ो को उबालना या संग्रह करना;
(दो) खाल, सींग या चमड़े का संग्रह करना;
(तीन) चर्मशोधन;
(चार) चमड़े या चमड़े के सामान का निर्माण;
(पांच) रंगाई;
(छः) चर्बी या गंधक गलाना;
(सात) ईट, खपरैल, मिट्टी के बर्तन या चूना गलाना या पकाना;
(आठ) साबुन बनाना;
(नौ) तेल उबालना;
(दस) सूखी घाट, भूसा, छप्पर की घास, लकड़ी, कोयला या अन्य खतरनाक ज्वलनशील सामग्री संग्रह करना;
(ग्यारह) पेट्रोलियम या कोई ज्वलनशील तेल या स्प्रिट संग्रह करना;
(बारह) रूई या रूई का कचरा संग्रह करना या दबाना;
(तेरह) कोई ऐसा अन्य प्रयोजन, यदि इस प्रकार उपयोग करने से लोक न्यूसेंक उत्पन्न होने की सम्भावना हो या आग लगाने का जोखिम हो–

8–क. {***}

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)–यह धारा उ0प्र0 अधिनियम संख्या 7, 1953 द्वारा जोड़ी गयी और उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1994 द्वारा निरसित कर दी गयी। यह धारा निरसन के पूर्व निम्नवत् थी–

''8–क परिभाषायें.–जब कि कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अध्याय में–

(क) 'निर्वाचन नामावली का तात्पर्य जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, XLIII, 1950 के उपबन्धों के अनुसार' या के अधीन निर्वाचन–क्षेत्र के लिए तैयार निर्वाचन नामावली से है;
(ख) 'निदेशक चुनाव (स्थानीय निकाय)' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विशष्टि द्वारा नियुक्त अधिकारी से है;
(ग) चुनाव का तात्पर्य बोर्ड की सीटों को भरने के लिए चुनाव से है;
(घ) किसी कक्ष से सम्बन्धित 'मतदाता' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका नाम उस कक्ष के मतदाता सूची में हर समय शामिल किया गया है;
(ङ) 'आदेश' का तात्पर्य विहित प्रक्रिया से सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश से है;
(च) 'अनुसूचित जाति' का तात्पर्य संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में विनिर्दिष्ट जातियों से है;
(छ) कक्ष का तात्पर्य धारा 11–ख के अन्तर्गत जारी परिसीमन आदेश द्वारा उपबन्धित कक्ष से है।

9. नगरपालिका की संरचना.–(1) किसी नगरपालिका में एक अध्यक्ष और–

(क) निर्वाचित सदस्य, जिनकी संख्या–

(एक) किसी नगर पंचायत की दशा में, 10 से कम और 24 से अधिक नहीं होगी; और

(क) निर्वाचित सदस्य, जिनकी संख्या 4 से कम और 45 से अधिक नहीं होगी, जैसा कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(दो) किसी नगरपालिका परिषद् की दशा में 25 से कम और 55 से अधिक नहीं होगी; जैसा कि राज्य सरकार सरकारी गजट में, विज्ञप्ति द्वारा, विनिर्दिष्ट करें।

(ख) पदेन सदस्य जिसमें लोकसभा और राज्य विधान सभा के ऐसे समस्त सदस्य सम्मिलित है, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें पूर्णतः या भागतः नगरपालिका क्षेत्र समाविष्ट है;

(ग) पदेन सदस्य, जिसमें राज्य सभा और राज्य विधान परिषद के ऐसे समस्त सदस्य सम्मिलित हैं जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(घ) नाम निर्दिष्ट सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नामित किये जायेगें और जिनकी संख्या–

(एक) नगर पंचायत की दषा में, दो से कम और तीन से अधिक नहीं होंगी;

(दो) नगरपालिका परिषद की दषा में तीन से कम और पांच से अधिक नहीं होगी।

(ङ) धारा 104 के अधीन स्थापित समितियों के अध्यक्ष, यदि स्थाई हो, यदि वे किन्हीं पूर्वगामी खण्डों के अधीन सदस्य न हों–

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा–

किन्तु अग्रेत्तर प्रतिबंध यह है कि खण्ड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट श्रेणी के सदसयों में किसी रिक्त से किसी नगरपालिका के गठन या पुनर्गठन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी।

संक्षेप

1 विधायी परिवर्तन (Legislative changers)

2. नगर पालिका की संरचना (Composition of Municipality)

3 राज्य सभा अथवा राज्य विधान परिषद सदस्यों के निवास स्थल को सुनिश्चित किया जाना

4. राज्य सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य द्वारा निवास स्थल में परिवर्तन : परिवर्तन का उसकी नगरपालिका की सदस्यता पर प्रभाव

5. संशोधन अधिनियम, 1990 द्वारा जोड़ा गया चतुर्थ परन्तुक : क्या समता के सिद्धान्त का उल्लंघन करता है?

6. नामित सदस्यों का हटाया जाना : सुनवायी का अधिकार

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changers)**–धारा सन् 1994 में उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम संख्या 12, 1994 द्वारा हाल ही में प्रतिस्थापित की गयी है। प्रतिस्थापित किये जाने से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी–

''9. बोर्ड की सामान्य संरचना–धारा 10 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी बोर्ड में निम्नलिखित होंगे–

(क) अध्यक्ष

(ख) निर्वाचित सदस्य जिनकी संख्या 10 से कम और 40 से अधिक नहीं होगी, जैसा कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिश्ट करें;

(ग) पदेन सदस्य, जिसमें लोक सभा और राज्य विधान सभा के ऐसे समस्त सदस्य सम्मिलित है, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें पूर्णतः या भागतः नगरपालिका क्षेत्र समाविष्ट है;

(घ) पदेन सदस्य जिसमें राज्य सभा और राज्य विधान परिषद् के ऐसे समस्त सदस्य सम्मिलित हैं जिनका निवास स्थल नगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्थित है।''

स्पष्टीकरण–इस खण्ड के प्रयोजन के लिए राज्य सभा राज्य विधान परिषद् के सदस्य का निवास स्थल वह स्थल समझा जायेगा जिसका उल्लेख उसकी चुनाव अथवा नामांकन यथास्थिति विज्ञप्ति में निवास स्थल के रूप में किया गया है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि खण्ड (ख) के अधीन चयनित कोई भी सदस्य महिला नहीं हैं तो राज्य सरकार किसी विज्ञप्ति द्वारा एक महिला को बोर्ड का सदस्य नामित कर सकती है और तदुपरान्त बोर्ड की सामान्य संरचना उस सीमा तक परिवर्धित हो जायेगी;

किन्तु आगे प्रतिबन्धित किया जाता है कि यदि स्थानीय अधिकार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य विधान परिषद के किसी सदस्य का निवास स्थल किसी नगरपालिका की सीमा में नहीं है, तो वह इनमें से उस नगरपालिका पदेन सदस्य समझा जायेगा जो उसके निर्वाचन क्षेत्र में स्थित हो और जिसका वह स्वेच्छा से चयन करता है;

किन्तु यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त किया गया कोई सदस्य सफाई मजदूर वर्ग से सम्बन्धित नहीं है तो राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा उस वर्ग से सम्बन्धित किसी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित कर सकती है और तदुपरान्त बोर्ड की सामान्य संरचना उस सीमा तक परिवर्तित हो जायेगी।

स्पष्टीकरण–कोई व्यक्ति सफाई मजदूर वर्ग से सम्बन्धित समझा जायेगा यदि वह पेशे से ऐसे वर्ग से सम्बन्धित हो अथवा यदि वह अनुसूचित जाति का हो और परम्परागत रूप से ऐसा करता आ रहा हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित किया जाय;

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि इस धारा के अन्तर्गत नामित व्यक्ति चाहे वह 15 फरवरी, 1990 से पूर्व अथवा उसके पश्चात् नामित हो, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा, किन्तु बोर्ड के कार्यालय के बाद तक पद धारण नहीं करेगा।

2. **नगर पालिका की संरचना (Composition of Municipality)**–नगरपालिका की संरचना उसके अध्यक्ष, निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्यों और अन्य नामनिर्दिष्ट सदस्यों को मिलकर होती है। इसमें से इसके सभापति अथवा अध्यक्ष को पृथक नहीं किया जा सकता है। यदि अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार हो रहा है, उस समय भी उसे नगरपालिका की सम्पूर्ण संख्या से पृथक नहीं किया जा सकता है।

3. **राज्य सभा अथवा राज्य विधान परिषद सदस्यों के निवास स्थल को सुनिश्चित किया जाना**–1994 के संशोधन अधिनियम से पूर्व धारा 9 का खण्ड (घ) यह उपबन्धित करता था कि राज्य सभा और राज्य विधान परिषद के ऐसे सभी सदस्य नगरपालिका बोर्ड के पदेन सदस्य होंगें जिनका निवास स्थल नगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्थित है। इस खण्ड का प्रथम स्पष्टीकरण इन सदस्यों के निवास स्थल को सुनिश्चित करने के लिए

उपबन्ध करता था जिसके अनुसार राज्य सभा अथवा राज्य विधान परिषद् के सदस्य का निवास स्थल वह स्थल समझा जायेगा जिसका उल्लेख उसकी निर्वाचन अथवा नामनिर्देशन यथास्थिति, विज्ञप्ति में निवास स्थल के रूप में किया गया है, किन्तु 1994 ई0 के संशोधन द्वारा इन उपबन्धों के स्थान पर यह उपबन्ध कर दिया गया है कि राज्य सभा और राज्य विधान परिषद के ऐसे सदस्य जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं।

धारा 9(घ) के अनुसार केवल वे ही राज्य सभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य नगरपालिका बोर्ड के पदेन सदस्य हो सकते हैं जिनका निवास स्थल जो कि उनके चुनाव अथवा नामांकन विज्ञप्ति में उल्लिखित है, इस नगरपालिका की परिसीमा के अन्तर्गत पड़ता हो। अपने निवास स्थल में चुनाव अथवा नामित किये जाने के पश्चात् परिवर्तन करने पर भी उनकी पदेन सदस्यता समाप्त नहीं हो सकती है।

धारा 9(घ) के उपबन्धों के आधार पर राज्य सभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य जिनका निवास स्थल जिस नगरपालिका की स्थानीय सीमा में स्थित है, उस नगरपालिका के सदस्य हो जाते हैं। खण्ड (घ) का स्पष्टीकरण 'निवास' पद के अभिप्राय को स्पष्ट करता है। इसके अनुसार इस खण्ड के उद्देश्य के लिए किसी सदस्य का निवास स्थल वह समझा जायेगा जो वर्णित किया गया है अथवा नामनिर्देशन विज्ञप्ति में प्रत्यक्ष रूप से इस स्पष्टीकरण का आशय राज्य सभा अथवा राज्य विधान परिषद के सदसय के निवास स्थल है जो सम्बन्धित नगरपालिका में उसकी सदस्यता को अभिधारित करने के लिए सुसंगत है। यह उपबन्ध न केवल इसलिए किया गया है ताकि किसी प्रकार का सन्देह को दूर किया जा सकें, अपितु इसलिए भी किया गया है ताकि इन व्यक्तियों को अपनी सुविधानुसार अथवा अपने राजनीतिक हित की पूर्ति हेतु अपने निवास स्थल में परिवर्तन कर विभिन्न नगरपालिकाओं की सदस्यता का दावा करने से रोका जा सकें।

4. राज्य सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य द्वारा निवास स्थल में परिवर्तन : परिवर्तन का उसकी नगरपालिका की सदस्यता पर प्रभाव—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 9(घ) के स्पष्टीकरण का अन्य आशय राज्य सभा अथवा राज्य विधान परिषद् के सदस्य यथास्थिति की किसी विशिष्ट नगरपालिका परिषद् की सदस्यता हेतु उसके निवास स्थल को सुनिश्चित करना है। यह निवास स्थल वह स्थल है जो उसके निर्वाचन या नामनिर्देशन, यथास्थिति विज्ञप्ति में उल्लिखित किया गया है। यदि निर्वाचन या नामनिर्देशन के पश्चात् वह अपने निवास स्थल में परिवर्तन करता है तो वह नगरपालिका परिषद् की सदस्यता हेतु असंगत होगा। यदि वह किसी विशिष्टि नगरपालिका परिषद् पदेन सदस्य उसकी निर्वाचन या नामनिर्देशन विज्ञपित में उल्लिखित उसके निवास स्थल के आधार पर होता है, तो वह इसे उस नगरपालिका परिषद् की स्थानीय सीमा से परिवर्तित कर देने मात्र से नहीं खो सकता है। इसी प्रकार यदि वह किसी नगरपालिका परिषद का पदेन सदस्य इस आधार पर नहीं होता है क्योंकि उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन विज्ञप्ति में वर्णित उसका निवास स्थल उस नगरपालिका परिशद की स्थानीय सीमा के अन्तर्गत नहीं आता था, तो वह उसे उस नगरपालिका परिषद के अन्तर्गत अथवा निवास स्थल परिवर्तित करने के प्राप्त नहीं कर सकता है। इस स्पष्टीकरण का अन्यथा निर्वचिन इन व्यक्तियों को अपने राजनैतिक हितों की पूर्ति के लिए समय—समय पर अपने निवास स्थल में परिवर्तन कर एक नगरपालिका परिषद् की सदस्यता ग्रहण करने के लिए उत्प्रेरित करेगा ऐसा निर्वाचन इस स्पष्टीकरण को निरर्थक बना देगा।

5. संशोधन अधिनियम, 1990 द्वारा जोड़ा गया चतुर्थ परन्तुक : क्या समता के सिद्धान्त का उल्लंघन करता है?—उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम संख्या 19, सन् 1990 के द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 9 में जोड़ा गया चतुर्थ परन्तुक राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी नामित नगरपालिका सदसय को अपने प्रसाद से किसी भी समय हटा सकती है। इस परन्तुक को संविधान के अन्तर्गत उपबन्धित समता के सिद्धान्त का उल्लंघनकारी मानते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी और न्यायालय ने इसे संविधान में उपबन्धित समता के सिद्धान्त का उल्लंघनकारी मानते हुए रद्द कर दिया, किन्तु उच्चतम नयायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित करते हुए अभिधारित किया कि किसी सांविधिक निकाय के सदस्य के रूप में निर्वाचित अथवा नामित किये जाने का अधिकार संविधि के अन्तर्गत उत्पन्न होता है और उस पर निर्भर करता है। यदि ऐसा नामनिर्देशन प्रारम्भिक रूप से राजनैतिक आधार पर किया जाता है और यदि विधायिका

राज्य सरकार को अपने प्रसाद पर ऐसी नियुक्ति को रद्द करने और उसके स्थान पर नयी नियुक्ति करने हेतु अधिकृत करती है तो इससे संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होता है। नामित सदस्य नगरपालिका बोर्ड के किसी भी सदसय की इच्छा शक्ति का प्राधिकार नहीं रखता है जैसा कि एक निर्वाचित सदस्य रखता है। निर्वाचित सदस्य की स्थिति में विधायिका ने अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत उसे हटाने के लिए उपबन्ध किया है, किन्तु जहां तक नामित सदस्यों का सम्बन्ध्ण है, विधायिका ने अपने विवेक से यह उपबन्धित किया है कि सरकार के प्रसाद पर्यन्त अथवा पद धारण करेंगे। अतः सन् 1990 में धारा 9 में जोड़ा गया चतुर्थ परन्तुक न तो किसी संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करता है और न ही संविधान द्वारा अभिधारित किसी सार्वजनिक नीति अथवा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त का उल्लंघन करता है।

डा0 रमा मिश्र वाद (1992) यू0पी0 एल0बी0ई0सी092 (डी0वी) में उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से यह अभिधारित किया था कि अधिनियम की धारा 9 के परन्तुक 4 में उपबन्धित 'प्रसाद सिद्धान्त' संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 (क) के अन्तर्गत उपबन्धित समता के सिद्धान्त का उल्लंघन करता है। उच्च न्यायालय का यह तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है। अनुच्छेद 15 का खण्ड (क) स्वयं अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के खण्ड (1) और (2) का पवाद है। अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत राज्य पर यह दायित्व अधिरोपित किया गया है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विध्यिों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(1) उपबन्धित करता है कि राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथ्वा इनमें से किसी आधार पर किसी नागरिक के विरूद्ध असमानता का व्यवहार नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 (2) उपबन्धित करता है कि केवल धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर कोई नागरिक दुकानों, होटलों, मनोरंजन स्थलों, कुओं, तालाबों, घाटों, सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थान जो जनता के उपयेाग के लिए समर्पित कर दिये गये है, अथवा पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य विधि द्वारा घोशित है, के उपयोग के सम्बन्ध में किसी शर्त, प्रतिबन्ध, उत्तर दायित्व एवं अयोग्यता से प्रमाणित नहीं होगा। इस प्रकार प्रथम खण्ड उन आधारों पर विभेद का प्रतिबन्ध करता है जो राज्य के नियन्त्रण में है और दूसरा खण्ड राज्य और निजी व्यक्तियों, दोनों द्वारा सार्वजनिक स्थलों के सम्बन्ध में विभेद का निषेद करता है। तत्पश्चात् अनुच्छेद 15 (क) उपबन्धित करता है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य की महिलाओं और बच्चों के लिए विशिष्ट उपबन्ध बनाने से नहीं राकेगी। इसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई विशिष्ट उपबन्ध महिलाओं के लिए बनाया जाता है तो वह लिंग के आधार अनुच्छेद 15 (1) और 15 (2) का उल्लंघन नहीं करेगा। अतः अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत एक या दो महिलाओं को नामित करने हेतु निहित कोई विशिष्ट उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 15 के खण्ड (3) के अन्तर्गत संरक्षित होगा। यहां यह ध्यातव्य है कि धारा 9 में चतुर्थ परन्तुक जोड़कर प्रसाद सिद्धान्त को उपबन्धित करना किसी भी प्रकार से बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को वापस नहीं लेता है अपितु यह राज्य सरकार को अपनी पसन्द के महिला सदस्य को नामित करने का मात्र अधिकार प्रदान करती है।

6. नामित सदस्यों का हटाया जाना : सुनवायी का अधिकार—उच्चतम न्यायालय ने अभिधारित किया कि उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत नगरपालिका के सदस्य के रूप में नामित किसी व्यक्ति को चतुर्थ परन्तुक के उपबन्धों के अधीन हटाये जान हेतु किसी भी प्रकार की सुनवायी का अवसर देना आवश्यक नहीं है। इससे प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धान्त का उल्लंघन नहीं होता है क्योंकि ऐसी नियुक्तियां पूर्णतः राजनीतिक आधार पर होती है।

9—क. **स्थानों का आरक्षण**—(1) प्रत्येक नगरपालिका में स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या उस नगरपालिका में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगी जैसी कि नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या नगरपालिका क्षेत्र में पिछड़े वर्गो की, या नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में विभिन्न कक्षों को चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाए, आबंटित किये जा सकेगें—

प्रतिबन्ध यह है कि नगरपालिका में पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण कुछ स्थानों की संख्या के सत्ताईस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा–

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गो के आंकडे उपलब्ध न हो तो नियमों द्वारा विहित रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।

(2) {***}

(3) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या का एक तिहाई से अन्यून स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो की स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जायेगें।

(4) किसी नगरपालिका में स्थानों कुल कुल संख्या उपधारा (3) के अधीन आरक्षित स्थानों को सम्मिलित करते हुए के एक तिहाई से अन्यून स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जायेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में विभिन्न कक्षों का चक्रानुक्रम द्वारा, ऐसे क्रम में जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय आबंटित किये जा सकेगें।

(5) राज्य में नगरपालिका के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो ओर स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित किये जायेगेंक जो नियमों द्वारा विहित की जाए।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नगरपालिका के अध्यक्ष का पद आरक्षित है तो उस नगरपालिका के उपाध्यक्षों का पद आरक्षित नहीं होगा।

(6) इस धारा के अधीन स्थानों और अध्यक्षों के पदों का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभाव में नहीं रह जायेगा।

स्पष्टीकरण–यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की काई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों और स्त्रियों को अनारक्षित स्थानों या पदो ंके लिए चुनाव पड़ने से निवारित नहीं करेगी।

संक्षेप

1.	विधायी परिवर्तन (Legislative changers)		की व्यवस्था
2.	नगरपालिका में स्थानों का आरक्षण	4.	आरक्षण की सीमा
2–क	विहित नियम।	5.	आरक्षण की अवधि
3.	नगरपालिका में महिलों के लिए आरक्षण		

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changers)**–यह धारा उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम संख्या 26, सन् 1995 द्वारा संशोधित किये जाने से पूर्व निम्नवत् थी–

''9–क. स्थानों का आरक्षण––(1) प्रत्येक नगरपालिका में स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों ओर पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या उस नगरपालिका में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगी जैसी कि नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या नगरपालिका क्षेत्र में पिछड़ेक वर्गो की, या नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में

हो और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में विभिन्न कक्षों को चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाए, आबंटित किये जा सकेगें–

(2) प्रत्येक नगरपालिका में, सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का सत्ताई प्रतिशत पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किया जायेगा और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में विभिन्न कक्षों को वक्रानुक्रम में ऐसे क्रम में, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय, आबंटित किये जा सकेंगें।

(3) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या का एक तिहाई से अन्यून स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो की स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जायेगें।

(4) किसी नगरपालिका में स्थानों कुल कुल संख्या उपधारा (3) के अधीन आरक्षित स्थानों को सम्मिलित करते हुए के एक तिहाई से अन्यून स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जायेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में विभिन्न कक्षों का चक्रानुक्रम द्वारा, ऐसे क्रम में जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय आबंटित किये जा सकेगें।

(5) राज्य में नगरपालिका के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो ओर स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित किये जायेगेंक जो नियमों द्वारा विहित की जाए।

(6) इस धारा के अधीन स्थानों और अध्यक्षों के पदों का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभाव में नहीं रह जायेगा।

स्पष्टीकरण–यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की काई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों और स्त्रियों को अनारक्षित स्थानों या पदो ंके लिए चुनाव पड़ने से निवारित नहीं करेगी।

2. नगरपालिका स्थानों का आरक्षण–धारा 9 (क) के अन्तर्गत नगरपालिका में स्थानों का आरक्षण आधारों पर किया गया है–

(क) जाति के आधार पर–इसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का उपबन्ध किया गया है।

(ख) वर्ग के आधार पर–इसके अन्तर्गत पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण का उपबन्ध किया गया है। धारा 2(1) के अनुसार 'पिछड़े वर्ग' से अभिप्राय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गो से है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम की अनुसूची एक के लिए धारा 2 के अन्तर्गत शीर्षक 6–क को देखे।

(ग) लिंग के आधार पर आरक्षण–इसके अन्तर्गत महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबन्ध किया गया है।

उपर्युक्त आरक्षण की व्यवस्था नगरपालि का के सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के स्थानों के लिए की गयी है, किन्तु अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद एक साथ आरक्षित नहीं हो सकता है।

यह धारा नगरपालिका के वार्डो को आरक्षित करने हेतु मार्गदर्शन तो प्रदान करती है, किन्तु नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए आरक्षण के बारें में कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं करती। इस धारा के अनुसार नगरपालिका के वार्डो को चक्रानुक्रम के अनुसार विहित नियमों के आधार पर आरक्षित किया जायेगा जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद विहित नियमों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा।

2–क. **विहित नियम**–धारा 9 के अन्तर्गत आरक्षण के लिए राज्य सरकार ने विहित नियम के रूप में उत्तर प्रदेश नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण और आबंटन) नियमावली, 1994 बनायी है। इस नियमावली के सुसंगत अंशों को निम्नवत् प्रस्तुत किया जा सकता है–

''3. कक्षों की व्यवस्था–अधिनियम की धारा 11–क की उपधारास (1) के अनुसार कक्षों का परिसीमन करने के पश्चात् किसी नगरपालिका के क्षेत्र में कक्षों को ऐसी रीति से संख्यांकित करने के पश्चात् क्रम में रखा जायेगा कि नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अधिकतम जनसंख्या वाले कक्ष को 1 संख्याकित किया जायेगा और कक्षा संख्या 1 को अपेक्षा अनुसूचित जातियों की कम जनसंख्या वाले कक्षा को 2 संख्यांकित कया जायेगा और शेष कक्षा को इसी प्रकार संख्यांकित किया जायेगा।''

4. **आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या की अवधारणा**–(1) अधिनियम की धारा 9–क की उपधारा (1) के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए किसी नगरपालिका में आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या की अवधारणा इस प्रकार किया जायेगा कि वह यथाशक्य निकटतम किसी नगरपालिका में कुल स्थानों की संख्या के उसी समानुपात में हो जो कि नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों का या नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और यदि स्थानों की ऐसी संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो यदि वह भाजक का आधा या आधे से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा और वह भाजक के आधे से अधिक हो तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या होगी।

(2) अधिनियम की धारा 9–क की उपधारा (2) के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए किसी नगरपालिका में आरक्षित किए जाने वाले कुल स्थानों की संख्या का सत्ताईस प्रतिशत होगी और यदि स्थानों की ऐसी संख्या का धारण करने में कोई शेष बचता है तो यदि वह भाजक का आधा या आधे से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा और वह भाजक के आधे से अधिक हो तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या होगी।

(3) अधिनियम की धारा 9–क की उपधारा (3) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए किसी नगरपालिका में आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या उप–नियम (1) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए और उप नियम (2) के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए अवधारित स्थानों की संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि स्थानों की ऐसी संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो यदि वह भागफल मेंएक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या होगी।

(4) अधिनियम की धारा 9–क की उपधारा (4) के अधीन महिलाओं के लिए किसी नगरपालिका में आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या उस नगरपालिका में कुल स्थानों की संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि स्थानों की ऐसी संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए उप–नियम (3) के अधीन अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या होगी।

5. **स्थानों का आबंटन**–(1) अन्य उप नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियम–4 के अधीन अवधारित स्थानों की संख्या किसी नगरपालिका में विभिनन कक्षों को एतद्द्वारा उपबन्धित रीति से आबंटित की जाएगी–

(क) पहले नगरपालिका क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनंसख्या के अनुसार नगरपालिका के कक्षों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा और नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते

हुए उक्त नियम के उप नियम (1) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नगरपालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आबंटित किया जायेगा–

परन्तु अनुसूचित जातियों की महिलाओं के अवधरित स्थानों की संख्या ऐसे कक्षों को पहले आबंटित की जाएगा।

(ख) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) के अधीन स्थान आबंटित किए गए हैं, कक्षों को नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों कीर जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उप नियम (1) के अधीन अनुसूचित जन–जातियों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जन–जातियों की जनसंख्या नगरपालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो आबंटित किया जायेगा–

परन्तु अनुसूचित जन–जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या ऐसे कक्षों को पहले आबंटित की जायेगी।

(ग) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) और (ख) के अधीन स्थान आबंटित किए गए हैं, कक्षों को नगरपालिका क्षेत्र में पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा आर नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उप नियम (1) के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों, जिनमें पिछड़े वर्गो की जनसंख्या नगरपालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आबंटित किया जायेगा–

परन्तु पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या ऐसे कक्षों को पहले आबंटित की जायेगी।

(घ) उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन स्थान आबंटित किए गए हैं कक्षों को नगरपालिका क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और पिछड़े वर्गो की महिलाओं के अवधारित स्थानों की संख्या को छोड़ते हुए उकत नियम के उप नियम (3) के अधीन महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे प्रथम और एकान्तर कक्षों को आबंटित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–इस नियम के खण्ड (क), (ख) और (ग) के प्रयोजनों के लिए कक्षों को इस रीति से अवरोही क्रम व्यवस्थित किया जायेगा कि नगरपालिका क्षेत्र में यथास्थिति अनुसूचित जन–जातियों या पिछड़े वर्गो के सबसे अधिक जनसंख्या वाले कक्ष को पहले रखा जायेगा और ऐसी जातियों, जन–जातियों या वर्गो की पहले कक्ष से कम जनसंख्या वाले कक्ष को उसके बाद रखा जायेगा और इसी प्रकार आगे भी और खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए नगरपालिका क्षेत्र में कक्षों की जनंसख्या को दृष्टिगत रखते हुए समान रीति से कक्षों को व्यवस्थिति किया जायेगा।

(2) यदि किसी नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या किसी नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की या किसी नगरपालिका क्षेत्र में पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के आधार पर–

(क) यथास्थिति अनुसूचित जातियों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए या पिछड़े वर्गो के लिए केवल एक ही स्थान आरक्षित किया जा सके तो ऐसा स्थान यथास्थिति ऐसी जातियों, जनजातियों या वर्गो की महिला को आबंटित किया जायेगा।

(ख) यथास्थिति, अनुसूचित जातियों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए या पिछड़े वर्गो के लिए कोई भी स्थान आरक्षित न किया जा सके तो उन नियम (1) के निर्दिष्टि स्थानों के आबंटन की रीति ऐसी होगी, मानों उसमें यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन–जातियों या पिछड़े वर्गो के लिए कोई निदेश नहीं है।

(3) किसी निर्वाचन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो या महिलाओं को आरक्षित स्थान उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो या महिलाओं को आबंटित नहीं किए जायेगें।

6. पदों का आरक्षण और आबंटन–(1) अधिनियम की धारा 9–क की उपधारा (5) के अधीन पदों का आरक्षण एतद्पश्चात उपबन्धित रीति से किया जायेगा।

(2) आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या–

(क) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए इस प्रकार अवधारित की जायेगी कि वह यथाशक्य निकटतम राज्य में पदों की कुल संख्या के उसी समानुपात में हो जो कि राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या राज्य के नगरीय क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का राज्य के ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और यदि ऐसे पदों की संख्या अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो यदि वह भाजक का आधा या आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा और यदि वह भाजक के आधे से अधिक हो तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन–जातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी;

परन्तु इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए आरिक्षत किये जाने वाले पदों की संख्या राज्य में पदों की कुल संख्या के चौदह प्रतिशत से अनधिक होगी।

(ख) महिलाओं के लिए, जिसमें यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की महिलायें भी सम्मिलित हैं, नियम 4 के उपनियम (2) और (3) के अधीन उपबन्धित रीति से अवधारित की जायेंगी।

3. (क) और (ख) के अधीन रहते हुए उपनियम (2) के अधीन अवधारित हुए, उप नियम (2) के अधीन अवधारित पदों की संख्या विभिन्न नगरपालिकाओं को इस रीति से आवंटित की जायेगी किः–

(एक). उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपनियम के खण्ड (क) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित पदों की संख्या को जिले की ऐसी नगर पालिकाओं को जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या जिले के नगरीय क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आबंटित किया जाए।

परन्तु अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या ऐसी नगरपालिकाओं को आबंटित की जाएगी।

(दो). उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपनियम के खण्ड (क) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित पदों की संख्या को जिले की ऐसी नगरपालिकाओं को जिनमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जिले के नगरीय क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आबंटित किया जाए।

परन्तु अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या ऐसी नगरपालिका को पहले आबंटित की जाएगी।

(तीन). उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपनियम के खण्ड (क) के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए अवधारित पदों की संख्या को जिले की ऐसी नगरपालिकाओं का, जिनमें पिछड़े वर्गो की जनसंख्या जिले के नगरीय क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आबंटित किया जाए

परन्तु पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या ऐसी नगरपालिका को पहले आबंटित की जाएगी।

(चार). उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को छोड़ते हुए, उक्त खण्ड के अधीन महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को उन नगरपालिकों को जिनको छोड़ते हुए जिनको उप खण्ड (एक), (दो) ओर (तीन) के अधीन पद आबंटित किए गए हैं, जिले की ऐसी नगरपालिकाओं को, जिनमें जिले के नगरीय क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या को आबंटित किया जाएगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन पदो ंके आबंटन के लिए, नियम 5 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के उपबन्ध यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

3. नगरपालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था–धारा 9–क के अन्तर्गत महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी हैं जिसे निम्नवत् प्रस्तुत किया जा सकता है–

(क) महिलाओं के प्रत्येक वर्ग में अलग–अलग कम से कम एक तिहाई भाग आरक्षित होना चाहिए और सम्पूर्ण आरक्षण की मात्रा भी कम से कम एक तिहाई होनी चाहिए।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की मात्रा उस अनुपात म4ें होगी जिस अनुपातल में नगरपालिका क्षेत्र मे ंउनकी जनसंख्या है।

(ग) पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित स्थानों की मात्रा उस अनुपात में होगी जिस अनुपात में नगरपालिका क्षेकत्र मे ंउनकी जनसंख्या है, किन्तु पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या कुल स्थानों के 27 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

5. आरक्षण की अवधि–उपधारा (5) के अनुसार नगरपालिका के सदस्यों और अध्यक्षों के पदों का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेदउ 3354 में विनिर्दिश्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभाव में नहीं रह जायेगा। संविधान (तिरसठवॉ संशोधन) अधिनियम, 1989 का धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा आरक्षण की अवधि सन् 2001 तक के लिए बढ़ा दी गयी है।

10. {***}

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)–यह धारा उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन (संशोधन) अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा निरसित कर दी गयी। निरसन से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी–

''10. बोर्ड की सामान्य संरचना के परिवर्तित करने की राज्य सरकार की शक्ति–यदि राज्य सरकार का किसी नगरपालिका के सम्बन्ध में यह समाधान हो जाय कि इसकी संरचना असन्तुलित हो गयी है, तो वह इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी धारा व के उपबन्धों को लागू कर विज्ञप्ति के द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि बोर्ड का गठन निम्नवत् होगा अर्थात्–

(क) नामित सदस्य–राज्य सरकार द्वारा ऐसी संख्या में सदस्य नामित किये जायेगें, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय;

(ख) निर्वाचित सदस्य–ऐसी संख्या में सदस्य उस रीति से और ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय;

(ग) अध्यक्ष–वह व्यक्ति जो ऐसी योग्यता धारित करेगा ओर उस रीति से निर्वाचित किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार विहित कतरे, अध्यक्ष होगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि धारा के उपबन्ध उस नगरपालिका पर लागू नहीं होगे जो अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1952 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व गठित की गयी थी, बशर्ते कि नगरपालिका ऐसी न हो जिसके बारें में राज्य सरकार का समाधान हो कि इसके गठन में अस्थायी तौर पर परिवर्तन करने की आवश्यकता है।''

10–क. नगरपालिका का कार्यकाल–(1) प्रत्येक नगरपालिका, जब तक कि धारा 30 के अधीन पहले ही विघटित न कर दी जाय, उसकी पहली बैठक के लिए नियत दिनांक से पांच वर्ष तक, न कि उससे अधिक बनी रहेगी।

(2) किसी नगरपालिका को गठित करने के लिए निर्वाचन–

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व, या

(ख) उसके विघटित होने के दिनांक से छः माह की अवधि के समाप्ति के पूर्व पूरा कराया जायेगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां शेष अवधि जिसके लिए विघटित नगरपालिका बनी रहती है, छः मास से कम है, वहॉ ऐसी अवधि के लिए नगरपालिका गठित करने के लिए इस धारा के अधीन कोई निर्वाचन करना आवश्यक नहीं होगा।

(3) किसी नगरपालिका के अवसान के पूर्व उसके विघटन पर गठित नगरपालिका केवल उस शेष अवधि के लिए बनी रहेगी, जिसके लिए इस प्रकार विघटित नगरपालिका उपधारा (1) के अधीन उस दशा में बनी रहती यदि उसे विघटित नहीं किया गया होता।

संक्षेप

1.	विधायी परिवर्तन (Legislative changers)	4.	नगरपालिका के विघटन का परिणाम
2.	नगरपालिका का कार्यकाल (Term of the municipality)	5.	विघटित नगरपालिका का उपचुनाव
3	नगरपालिका का विघटर (Dissalertaion of the Municipality)	6.	पुनर्गठित नगरपालिका का कार्यकाल

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changers)**–यह धारा सन् 1994 में उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा संशोधित किये जाने से पूर्व निम्नवत् थी–

''10–क. बोर्ड का कार्यकाल–(1) धारा 31–क में उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक बोर्ड का कार्यकाल पांच वर्ष होगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा सभी अथवा किसी भी बोर्ड का कार्यकाल उस सीमा तक समय–समय पर बढ़ा सकेगी, ताकि किसी भी बोर्ड के सम्बन्ध में कुछ वृद्धि तीन वर्ष से अधिक न हो।

(2) बोर्ड का कार्यकाल उस तिथि से प्रारम्भ होगा जिस तिथि को धारा 56 के अनुसरण में इदस आशय को विज्ञप्ति जारी की जाती है कि बोर्ड का गठन हो चुका है।''

2. **नगरपालिका का कार्यकाल (Term of the municipality)**—अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत नगरपालिका बोर्ड शाश्वत उत्तराधिकार वाला एक निगम माना गया है, किन्तु दूसरी तरफ धारा 10—क के अन्तर्गत इसके कार्यकाल को 5 वर्ष तक परिसीमित कर दिया गया है। धारा 10—क के सन्दभर्ए में बोर्ड से अभिप्राय अधिनियम की धरा 9 के अन्तर्गत वर्णित व्यक्तियों के समुदाय से है। धारा 10—क की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है। प्रत्येक बोर्ड कार्यकाल पांच वर्ष की अवधि के परू होने पर समाप्त हो जायेगा बशर्ते कि इस धारा के अन्तर्गत उसका कार्यकाल बढ़ाया न गया हो।

बोर्ड को सरकार द्वारा धारा 10—क की उपधारा (1) के अन्तर्गत उसके बढ़ाये गये कार्यकाल में भंग किया जा सकता है।

3. **नगरपालिका का विघटन**—इस धारा के अन्तर्गत गठित नगरपालिका को धारा 30 के उपबन्धों के अनुसार विघटित की जा सकती है। यह धारा निम्नवत् हैं—

''30. राज्य सरकार की नगरपालिका को विघटित करने की शक्ति—यदि किसी समय राज्य सरकार का या समाधान हो जाय कि कोई नगरपालिका इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या उसके अधनी उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में निरनतर चूक करती है या अपनी शक्तियों का एक से अधिक बार अतिलंघन अथवा दुरूपयोग करती है तो वह नगरपालिका को कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् कि ऐसा आदेश क्यों न कर दिया जाए आदेश द्वारा जिसके साथ तत्सम्बन्धी कारण होंगे, सरकारी गजट में प्रकाशित करके नगरपालिका को विघटित कर सकती है।''

इस धारा के अन्तर्गत किसी नगरपालिका को विघटित किये जाने से पूर्व उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है। कारण बताओ नोटिस का जवाब मिलन के पश्चात् उस पर विचार कर राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका को विघटित कर सकती है, किन्तु नगरपालिका को विघटित करने वाले आदेश में विघन किये जाने का कारण निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। कारण बताये जाने की अपेक्षा इसलिए की गयी है ताकि यह जाना जा सके नगरपालिकों को ठोस कारणों अथवा युक्तियुक्त कारणों के आधार पर किया गया है किसी तुच्छ कारणों से नही।

नगरपालिका के विघटित करने वाले आदेश में आरोपों का उल्लेख कर देने मात्र से कारण बताने की सांविधिक उपबन्ध का अनुपालन नहीं हो जाता है, अपितु उसमें सरकार का यह विचार भी होना चाहिए जिसके कारण नगरपालिका का विघटन किया जा रहा है।

यह कहना गलत होगा कि धारा 30 के अधीन विघटन का आदेश नगरपालिका की मूल अवधि के अन्तर्गत ही पारित किया जा सकता है, अपितु ऐसा आदेश धारा 10—क की उपधारा (1) के परन्तुक के अन्तर्गत बढ़ायी गयी अवधि में भी पारित किया जा रहा है।

4. **नगरपालिका के विघटन के परिणाम.**—नगरपालिका को विघटित किये जाने पर जो परिणाम उत्पन्न होते है उसके बारें में धारा 31—क के अन्तर्गत विस्तृत उपबन्ध किये गये है। यह धारा निम्नवत् है—

''31—क नगरपालिका के विघटरण के परिणाम.—(1) जहां धारा 30 के अधीन को नगरपालिका विघटित की जाय तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे—

(क) अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका के सभी सदस्य आदेश में विनिर्दिष्टि किये जाने वाले दिनांक को सदस्य का अध्यक्ष के रूप में अपना पर रिक्त कर देंगे, किन्तु इससे पुनर्विर्वाचन या पुनः नामनिर्देशन के लिए उनकी पात्रता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ख) नई नगरपालिका का गठन होने तक—

(i) नगरपालिका, उसके अध्यक्ष और समितियों की सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों में जैसा कि राज्य सरकार इस निर्मित नियत करें, विहित होंगे और उनके प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को विधि में अवसर की अपेक्षानुसार नगरपालिका, अध्यक्ष या समिति समझा जाएगा;

(ii) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को वेतन और भत्ता जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेश आदेश द्वारा इस निमित्त निश्चित करें नगरपालिका निधि से दिया जायेगा;

(iii) राज्य सरकार, समय–समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे आनुषंगिक या प्रासंगिक उपबन्ध जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का अनुकूलन, परिवर्तन या परिश्कार करने के भी उपबन्ध है, किन्तु जो तत्व पर प्रभाव न डाले, जो उसे इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या इष्टकर हो, कर सकती है।''

5. विघटित नगरपालिका का उपचुनाव–धारा 10–क की उपधारा (2) के अनुसार किसी नगरपालिका को छः माह से अधिक की अवधि के लिए विघटित अवस्था में नहीं रखा जा सकता है। यह उपधारा स्पष्ट रूप से उपबन्धित करती है कि विघटित नगरपालिका का उपचुनाव उसके विघटित होने की तिथि से छ5 माह की अवधि के समाप्त होने कसे पूर्व कराया जायेगा, किन्तु यदि नगरपालिकाओं में कार्यालय के समाप्त होने में छः माह से कम अवधि शेष है, तो उसका उपचुनाव उस कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व नहीं कराया जायेगा।

6. पुनर्गठित नगरपालिका का कार्यकाल.–इस धारा के अनुसार विघटित नगरपालिका का उपचुनाव कराये जाने के पश्चात् पुनगठित नगरपालिका का कार्यकाल मात्र तभी तक रहेगा, जब तक उसे विघटित न किये जाने की दशा में होता।

10–कक. **नया बोर्ड गठित किये जाने तक बोर्ड के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध**–जहां नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो चुका हो और नई नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत का गठन नहीं हुआ हो, तो नई नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत का समुचित गठन होने तक–

(क) नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत, उसके अध्यक्ष और समिति की समस्त शक्तियों कार्य और कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियुक्त अधिकारी (एतद्द्वारा प्रशासक कहा जायेगा) में निहित होगी और उसके द्वारा प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन की जायेगी और प्रशासक विधि की दृष्टि में नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत अध्यक्ष अथवा समिति जैसा कि परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जाएगा।

(ख) प्रशासक को ऐसा वेतन एवं भत्ता नगरपालिका कोष से देय होगा जैसा कि राज्य सरकार इस हेतु किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा नियत करें;

(ग) राज्य सरकार समय–समय पर, नई गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे आनुषंगिक या प्रासंगिक उपबन्ध जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के हिनहीं उपबन्धों का अनुकूलन, परिवर्तनप या परिष्कार करने के भी उपबन्ध शामिल है, किन्तु जो तत्व पर प्रभाव न डाले जो उसे इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा इष्टकर हो, बना सकेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां इस धारा के अन्तर्गत नियुक्त प्रशासक जिलधिकारी है वह राज्य सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी अथवा किसी शक्तियों, कार्यो एवं कर्तव्यों का प्रत्यायोजन अपने से किसी अधीनस्थ अधिकारी (एतद्द्वारा भारसारधक अधिकारी कहा जायेगा) को कर सकेगा और एतद्द्वारा भारसाधक अधिकार को वेतन एवं भत्ते खण्ड (ख) के अनुसार देय होगें।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह भी है कि इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासन के कार्यालय की अवधि छह मास या नई नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के गठन तक जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगी.

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन

1. विधायी परिवर्तन—यह धारा उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, सन् 1973 द्वारा जोड़ी गयी किन्तु उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम संख्या 12,ख 1994 द्वारा इसे निरसित कर दिया गया। निरसित किये जाने से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी—

10—कक— नया बोर्ड गठित किये जाने तक बोर्ड के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध—(1) धारा 11 में वर्णित परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में जब बोर्ड का बढ़ाया गया कार्यकाल समाप्त हो चुका हो और नये बोर्ड का गठन नहीं हुआ हो, तो नये बोर्ड का समुचित गठन होने तक—

(क) बोर्ड के अध्यक्ष और समिति की समस्त शक्तियों कार्य और कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियुक्त अधिवासी (एतद्द्वारा प्रशासक कहा जायेगा) में निहित होगी और उसके द्वारा प्रयुक्त एवं सम्पन्न किया जायेगा और प्रशासक विधि की पृष्टि में बोर्ड अध्यक्ष अथवा समिति जैसा कि परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जाएगा।

(ख) प्रशासक को ऐसा वेतन एवं भत्ता नगरपालिका कोष से देय होगा जैसा कि राज्य सरकार इस हेतु किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा सुनिश्चित करें;

(ग) राज्य सरकार समय—समय पर, गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे आनुषंगिक या प्रासंगिक उपबन्ध जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का अनुकूलन, परिवर्तन या परिष्कार करने के भी उपबन्ध शामिल है, किन्तु जो तत्व पर प्रभाव न डाले जो उसे इस धारा के प्रयोजनों को काकर्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा इष्टकर हो, बना सकेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां इस धारा के अन्तर्गत नियुक्त प्रशासक जिलधिकारी है वह राज्य सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी अथवा किसी शक्तियों, कार्यो एवं कर्तव्यों का प्रत्यायोजन अपने से किसी अधीनस्थ अधिकारी (एतद्द्वारा भारसारधक अधिकारी कहा जायेगा) को कर सकेगा और एतद्द्वारा भारसाधक अधिकार को वेतन एवं भत्ते खण्ड (ख) के अनुसार देय होगें।

(2) जहां बोर्ड के सदस्यों की संख्या किसी भी कारण से आकस्मिक रिक्तियों के कारण तत्समय बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या से आधे से कम हो जाये तो बोर्ड उस तिथि से जिस तिथि से बोर्ड के सदस्य की संख्या तत्समय आधे से कम हो जाती है या उस तिथि से जिस तिथि से वह धारा प्रवृत्त होती है, जो भी पश्चात्वर्ती हो, विघटित समझा जायेगा।

(3) जहां उप—धारा (2) के अन्तर्गत कोई बोर्ड विघटित समझा जाता है, ऐसे विघटन की तिथि से विधि की दृष्टि से जिलाधिकारी उसका प्रशासक समझा जायेगा और तदुपरान्त उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) तक में वर्णित परिणाम उत्पन्न होंगे।

11. {***}

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन

1. विधायी परिवर्तन—यह धारा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1953 द्वारा निरसित कर दिया गया था, किन्तु इसे उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 1972 द्वारा पुनजीर्वित कर दिया गया। पुनश्च इसे उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम संख्या 12, सन् 1974 द्वारा निरसित कर दिया गया। 1994 में से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी—

''11. कतिपय मामालों में बोर्ड के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध—जहां धारा 30 में प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में राज्य सरकार किसी बोर्ड को निलम्बित करने हेतु आदेश पारित करती है और ऐसा आदेश किसी विधि न्यायालय के आदेश द्वारा या परिणामस्वरूप या बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाने वाले राज्य सरकार के पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा या के परिणामस्वरूप, शून्य घोषित हो जाता है अथवा इस क्रियान्वयन निलम्बित हो जाता है और इस अवधि में बोर्ड का कार्यकाल या बढ़ाया गया कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो नये बोर्ड गठन किये जाने तक—

(क) बोर्ड के अध्यक्ष और इसकी समितियों की सभी शक्तियॉ, कार्य और कर्तव्य इस हेतु नियुक्त अधिकासी (एतद्द्वारा प्रशासक कहा जायेगा) में निहित होगी और उसके द्वारा प्रयुक्त एवं सम्पन्न किया जायेगा और प्रशासक विधि की पृष्टि में बोर्ड अध्यक्ष अथवा समिति जैसा कि परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जाएगा।

(ख) प्रशासक को ऐसा वेतन एवं भत्ता नगरपालिका कोष से देय होगा जैसा कि राज्य सरकार इस हेतु किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा सुनिश्चित करें;

(ग) राज्य सरकार समय—समय पर, गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे आनुषंगिक या प्रासंगिक उपबन्ध जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का अनुकूलन, परिवर्तन या परिष्कार करने के भी उपबन्ध शामिल है, किन्तु जो तत्व पर प्रभाव न डाले जो उसे इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा इष्टकर हो, बना सकेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां इस धारा के अन्तर्गत नियुक्त प्रशासक जिलधिकारी है वह राज्य सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी अथवा किसी शक्तियों, कार्यो एवं कर्तव्यों का प्रत्यायोजन अपने से किसी अधीनस्थ अधिकारी (एतद्द्वारा भारसारधक अधिकारी कहा जायेगा) को कर सकेगा और एतद्द्वारा भारसाधक अधिकार को वेतन एवं भत्ते खण्ड (ख) के अनुसार देय होगें।

11—क. **कक्ष का परिसीमान**—(1) किसी नगर पालिका के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र की प्रादेशिक निर्वाचन खेत्रों में जिन्हें कक्ष कहा जायेगा, ऐसी रीति से विभाजित किया जायेगा, कि जहां तक सम्भव हो सके, प्रत्येक कक्ष की जनसंख्या सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र मे ंएक समान हो।

(2) नगरपालिका में प्रत्येक कक्ष का प्रतिनिधित्व एक सदस्य द्वारा किया जायेगा।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन

1. विधायी परिवर्तन—यह धारा सन् 1950 में ए0एल0ओ0, 1950 द्वारा जोड़ी गयी और उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी है। यह धारा अपने मूल रूप में निम्नवत् थी—

''11–क. कक्षों का परीसीमन–(1) किसी बोर्ड के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ धारा 11 ख के अन्तर्गत पारित आदेश के अनुसार कक्ष होंगें।

(2) प्रत्येक कक्ष का प्रतिनिधित्व उस कक्ष की जनसंख्या जो अनितम जनगणना के अनुसार होगी, के आधार पर होगा और जहां तक सम्भव हो नगरपालिका की सम्पूर्ण सीटों और उसकी जनसंख्या के समानुपात में होगा।''

11–ख. **परिसीमन आदेश.**–(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निम्नलिखित अवधारणा करेगीं–

(क) कक्षों की संख्या जिसमें नगरपालिका के निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र विभाजित किया जायेगा;

(ख) प्रत्येक कक्ष का विस्तार;

(ग) {***}

(घ) अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो और स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जाने स्थानों की संख्या 4।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश का प्रारूप कम से कम 15 दिन की अवधि के लिए आपत्तियों हेतु प्रकाशित किया जायेगा और उसकी एक प्रति सम्बन्धित नगरपालिका या नगरपालिकाओं के पास टिप्पणियों के लिए भेजी जायेगी।

(3) राज्य सरकार उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गयी आपित्तयों पर विचार करेगी और आदेश का प्रारूप यदि आवश्यक हो, तद्नुसार संशोधित परिवर्तित या उपान्तरित किया जायेगा और तदुपरान्त वह अन्तिम हो जायेगा।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन

1. विधायी परिवर्तन–यह धारा सन् 1950 ए0एल0ओ0, 1950 द्वारा जोड़ी गई और उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी है। यह धारा अपने मूल रूप में निम्नवत् था–

''11–ख. **परिसीमन आदेश.**–(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निम्नलिखित अवधारणा करेगीं–

(क) कक्षों की संख्या जिसमें नगरपालिका बोर्ड के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए विभाजित की जायेगी;

(ख) प्रत्येक कक्ष का विस्तार;

(ग) प्रत्येक कक्ष को आबंटित सीटों की संख्या; और

(घ) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों, यदि कोई हो, की संख्या।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश का प्रारूप कम से कम 15 दिन की अवधि के लिए आपत्तियों हेतु प्रकाशित किया जायेगा और उसकी एक प्रति सम्बन्धित नगरपालिका या नगर पालिकाओं के पास टिप्पणियों के लिए भेजी जायेगी।

(3) राज्य सरकार उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गयी आपित्तयों पर विचार करेगी और आदेश का प्रारूप यदि आवश्यक हो, तद्नुसार संशोधित परिवर्तित या उपान्तरित किया जायेगा और तदुपरान्त वह अन्तिम हो जायेगा।

11–ग. **परिसीमन आदेश का संशोधन**–राज्य सरकार सम्बन्धित नगरपालिका से परामर्श करने के पश्चात् एक पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा धारा 11–ख की उपधारा (3) के अधीन दिये गये आदेश को परिवर्तित या संशोधित कर सकेगी।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन

1. विधायी परिवर्तन–यह धारा सन् 1953 में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1953 द्वारा जोड़ी गई और उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा संशोधित की गयी है। मूल रूप में यह धारा निम्नवत् थी–

''11–ग. **परिसीमन आदेश का संशोधन**–राज्य सरकार सम्बन्धित बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् एक पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा धारा 11–ख की उपधारा (3) के अधीन दिये गये आदेश को परिवर्तित या संशोधित कर सकेगी।

12. {***}

निर्वाचक नामावली

12–क. **सदस्यों का निर्वाचन**–किसी नगरपालिका के सदसय इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किये जायेंगे।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)
2. व्यस्क मताधिकार

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)–यह धारा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित की गई प्रतिस्थापित किये जाने से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी–

''12–क. **सदस्यों का निर्वाचन**–धारा 10 में उपबन्धित के सीवाय, बोर्ड के सदस्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नगरपालिका के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे।

2. व्यस्क मताधिकार–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 12–क नगरपालिका के सदस्यों का निर्वाचन व्यस्क मताधिकार के आधार पर करने हेतु उपबन्ध करती है। किन्तु यह उपबन्ध इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों अर्थात्, धारा 12–ख से 13–ङ के अधीन है।

व्यस्क मताधिकार का उपबन्ध हमारे संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया है। वयस्कता की आयु 67वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गयी है। दूसरे शब्दों में अनु0 326 के अनुसार 18 का प्रत्येक व्यक्ति संसद एवं राज्य विधान मण्डलों में निर्वाचन में मत दे सकते हैं। संविधान द्वारा उपबन्धित व्यस्क मताधिकार की यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 12–क द्वारा भी अपनायी गयी है।

12–ख. प्रत्येक कक्ष के लिए निर्वाचक नामावली–(1) प्रत्येक कक्ष के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए प्रत्येक कक्ष के लिए निर्वाचक नामावली निर्वाचन अधिकार (नगर स्थानीय निकाय) के पर्यवेक्षण के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण के नियमों द्वारा विहित रीति से तैयार और प्रकाशित की जायेगी।

(2–क) उपधारा (2) के निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकरी राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी होंगे जैसा राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, इस निमित्त नाम–निर्दिष्ट या पदाभिहित करें।

(2–ख) निर्वाचक नामावली के प्रकाशन पर यह, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किये गये किसी परिवर्तन, परिवर्धन या उपान्तर के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अनुसार कक्ष के लिए तैयार की गयी निर्वाचक नामावली होगी।''

(3) इस अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी कक्ष की निर्वाचक नामवली तैयार करने के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गयी निर्वाचक नामावली को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपना सकता है जहां तक उसका सम्बन्ध इस कक्ष के क्षेत्र से हो;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कक्ष के निर्वाचन नामवली में ऐसे कक्ष के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व किसी संशोधन, परिवर्तन या शुद्धि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन

1. विधायी परिवर्तन–यह धारा सन् 1995 में उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम संख्या 26, द्वारा व्यापक रूप से संशोधित की गयी है। इस संशोधन से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी–

''**12–ख. प्रत्येक कक्ष के लिए निर्वाचक नामावली**–(1) प्रत्येक कक्ष के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग ऐसी निर्वाचन नामावली को नियमों द्वारा विहित रीति से तैयार और प्रकाशित करायेगा और इसके प्रकाशन पर वह, इस अधिनियम के अधीन या उसके अनुसार किये गये किसी परिवर्धन, परिवर्द्धन या परिश्कार के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अनुसार तैयार की गयी निर्वाचक नामावली होगी।

(3) इस अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, राज्य निर्वाचन आयोग किसी कक्ष की निर्वाचक नामवली तैयार करने के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गयी निर्वाचक नामावली को अपना सकता है जहां तक उसका सम्बन्ध इस कक्ष के क्षेत्र से हो;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कक्ष के निर्वाचन नामवली में ऐसे कक्ष के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व किसी संशोधन, परिवर्तन या षुद्धि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।''

12–ग. **निर्वाचकों के लिए अर्हता**–धारा 12–घ और 12–ङ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और जो कक्ष के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हो, कक्ष की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा–

स्पष्टीकरण–(i) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण कि कक्ष के क्षेत्र में उसका किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा है, यह न समझा लिया जायेगा कि वह उस कक्ष के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(ii) अपने मामूली निवास–स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थिति रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध के केवल इसी कारण यह न समझा जायेगा कि वहां मामूली तौर से निवासी नहीं रहा।

(iii) संसद या विधान मण्डल का सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में कक्ष के क्षेत्र से अनुपस्थित रहने मात्र के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होने से परिविरत नहीं समझा जायेगा।

(iv) यह विनिश्चय करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर पर निवासी समझा जाय या न समझा जाय, किन्हीं अन्य तथ्यों पर, जिन्हें विहित किया जाय, विचार किया जायेगा।

(v) यदि किसी मामलें में यह प्रश्न उठें कि किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट मामूली तौर से वहां का निवासी है तो उस प्रश्न का अवधारण मामलें के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जायेगा।

12–घ. **निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनर्हतायें**–(1) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनर्ह होगा, यदि वह–

(एक) भारत का नागरिक न हो; या

(दो) विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो; या

(तीन) निर्वाचन सम्बन्धों भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तत्समय अनर्ह हो।

(2) जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन अनर्ह हो जाय, उसका नाम उस निर्वाचक नामावली से तत्काल काट दिया जायेगा जिसमें वह दर्ज हैं–

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति के नाम को जो ऐसी किसी अनर्हता केक कारण निर्वाचक नामावली से काट दिया गया हो उस नामावली में तत्काल फिर से रख दिया जायेगा, यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्ति रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है।

12–ङ **रजिस्ट्रीकरण केवल एक कक्ष में होगा**–(1) कोई एक से अधिक कक्ष की निर्वाचक नामावली में, या एक ही कक्ष की निर्वाचक नामावली से एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार न होगा।

(2) कोई व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होग, यदि उसका नाम किसी नगर, अन्य नगरपालिका क्षेत्र छावनी या ग्राम पंचायत का क्षेत्र से सम्बन्धित किसी निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, जब तक कि वह दर्शित न करें कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है।

12—च. (1) जहां निर्वाचक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का चाहे उसको दिये गये किसी आदेश पत्र पर या स्वप्रेरण से ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, यह समझाया हो आदेश निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निश्कासित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्धन किया जाना चाहिए वहां वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अधीन रहते हुए, किसी प्रविष्टि का, यथास्थिति निश्कासन, सुधार या परिवर्धन करेगा—

परन्तु ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्धन, कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अंतिम दिनांक के पश्चात् और इस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि सुधार या निष्कासन जो किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालनवे वाला हो उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना, नहीं किया जायेगा।

(2) निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित करने, निश्कासित करने या सुधार करने के संबा में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी आदेश के विरूद्ध अपील ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को, जिसे नियमों द्वारा विहित किया जाय, प्रस्तुत की जायेगी।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changers)**—यह धारा सन् 1995 में उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि संशोधन अधिनियम संख्या 26, सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित की गई प्रति स्थापना से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी—

''12—च. निर्वाचक नामावलियों में सुधार—(1) जहां राज्य निर्वाचन आयोग, चाहे उसको दिये गये किसी आवेदन—पत्र पर या स्व—प्रेरण से, ऐसी जांच, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निश्कासित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्धन किया जाना चाहिए वहां वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के उपबन्धों के अधीन, किसी प्रविष्टि का, यथास्थिति निष्कासन, सुधार या परिवर्धन करेगा—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, निश्कासन या परिवर्धन, कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अंतिम दिनांक के पश्चात् और इस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व नहीं किया जायेगा—

किन्तु अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार या निश्कासन जो किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालनवे वाला हो उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना, नहीं किया जायेगा।

12—छ. **निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण**—राज्य निर्वाचन आयोग यदि वह सामान्य या उप—निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली काऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, {***} पुनरीक्षित करने का निर्देश दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कक्ष को निर्वाचक नामावली, जैसी कि कोई ऐसा निदेश दिये जाने के समय प्रवृत्त बनी रहेगी, जब तक कि इस प्रकार निर्देशित {***} पुनरीक्षण पूरा न हो जाय।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)—इस धारा में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1994 द्वारा संशोधन किया गया। संशोधन से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी—

''12—छ. **निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण**—निदेशक चुनाव यदि वह सामान्य या उप—निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली का ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, विशेष पुनरीक्षण करने का निर्देश दे सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कक्ष को निर्वाचक नामावली, जैसी कि कोई ऐसा निदेश दिये जाने के समय प्रवृत्त बनी रहेगी, जब तक कि इस प्रकार निर्देशित विशेष पुनरीक्षण पूरा न हो जाय।''

12—ज. **निर्वाचक नामावली सम्बन्धी आदेश**—जहां तक निम्नलिखित में से किसी के सम्बन्ध में इस नियम यातद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा उपबन्ध किया जाये, राज्य निर्वाचन आयोग नामावलियों में सम्बद्ध निम्नलिखित विषयों के बारें, आदेश द्वारा उपबन्ध बना सकती है, अर्थात्—

(क) दिनांक जिस पर इस अधिनियम के अधीन प्रथमतः तैयार की गई और तत्पश्चात् तैयार की गई निर्वाचक नामावलियॉ प्रवृत्त होंगी और उनके प्रवर्तन की अवधि;

(ख) सम्बन्धित निर्वाचक के आवेदन—पत्र पर निर्वाचक नामावली में किसी वर्तमान प्रविश्टि को ठीक करना,

(ग) निर्वाचक नामावलियों में लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटियों को ठीक करना;

(घ) निर्वाचक नामावलियों में किसी ऐस वयक्ति का नाम सम्मिलित करना—

(एक) जिसका नाम कक्ष से सम्बद्ध क्षेत्र की विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो किन्तु उस कक्ष की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो या जिसका नाम गलती से किसी अन्य कक्ष की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कर दिया गया हो; या

(दो) जिसका नाम इस प्रकार विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं हो किन्तु जो कक्ष की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अन्यथा अर्ह हो।

(ङ) {***}

(ङङ) नाम सम्मिलित करने या निकालने के लिए आवेदन—पत्रों पर देय फीस;

(च) निर्वाचक नामावलियोंक की अभिरक्षा और उसका परिरक्षण; और

(छ) सामान्यतया ऐसे सभी विषय जो निर्वाचक नामावली तैयार करने और प्रकाशित करने से सम्बद्ध हो।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)
2. किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करना

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)—इस धारा में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, सन् 1978 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी और उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 120 सन! 1994 द्वारा संशोधित की गयी। 1994 के संशोधन द्वारा इस धारा की उपधारा (ङ) को निरसित कर दिया गया है। निरसन से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी—

''ङ—निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण।''

2. किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करना—छेदी लाल वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह अभिधारित किया कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 12—ज की उपधारा (घ) के खण्ड (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति का नाम किसी कक्ष के निर्वाचक नामावली में शामिल करने का अधिकार प्रदान करती है जिसका नाम इस प्रकार की विधान सभा निर्वाचक नामावली में भले ही सम्मिलित न हो, किन्तु जो कक्ष की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने के लिए अन्यथा अर्ह हो। राज्य सरकार की शक्ति किसी परन्तुक के अधीन नहीं है। अतः राज्य सरकार द्वारा कक्षों की निर्वाचन नामावली में नाम शामिल करने के लिए फीस निर्धारित करना मनमानी एवं अवैध नहीं है। इस उपबन्ध से किसी व्यक्ति के किसी अधिकार का हनन नहीं होता है।

13. {***}

निर्वाचन का संचालन

13—क. **सामान्य निर्वाचन.**—धारा 31—क में यथा उपबन्धित के सिवाय राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी नगरपालिका के सामान्य निर्वाचन हेतु एक या उससे अधिक दिनांक नियत कर सकती है।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)—यह धारा सन् 1953 में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 द्वारा जोड़ी गयी और उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1983 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी। यह धारा अपने मूलरूप में निम्नवत् थी—

''13—क. सामान्य निर्वाचन.—(1) धारा 31 या 31—क में यथा उपबन्धित के सिवाय, बोर्ड का सामान्य निर्वाचन धारा—क के अन्तर्गत उसके कार्यकाल या बढ़ाये गये कार्याकाल, यथास्थिति के पूर्व ऐसी तिथि या तिथियों को होगा जैसा राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत करें।

(2) जब कोई नगरपालिका धारा 3 के अन्तर्गत गठित की जाती है तो उसके प्रथम बोर्ड का गठन इस अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड के सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।''

13—ख. **निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण इत्यादि.**—(1) नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचनों का अधीक्षण निर्देशन, और नियन्त्रण राज्य निर्वाचन आयोग करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए उपधारा 12 (ख) की उपधारा (2–क) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय) नगरपालिकाओं के सामान्य निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।

(3) राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनायें जैसा आवश्यक समझे, का शपथ पत्र के साथ घोषणा पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिये खण्ड (ग) तथा (ङ) की सूचनाओं को छोड़कर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगा–

(क) क्या वह अतीत में किसी आपराधिक मामलें में दोषी पाया गया है? दोष मुक्त हुआ है? आरोप से उन्मोचित हुआ है? या दोषी पाये जाने की स्थिति में उसे दण्ड या अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हो?

(ख) नामांकन भरने से छः माह पूर्व क्या अभ्यर्थी किसी ऐसे लम्बित मामलें में अभियुक्त रहा है जिसमें दो वर्ष या अधिक की सजा हो सकती है, एवं मामलें में आरोप निर्धारित हो चुके हों या न्यायालय ने संज्ञान में लिया हो? का विवरण;

(ग) वह और उसके पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल अचल सम्पत्तियां, बैंक बैलेंस की आदि से सम्बन्धित पूर्ण सूचना;

(घ) उस पर देनदारियों विशेषकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय सस्थान या सरकार की अवशेष राशि का समय से भुगतान न करने की दशा में उसका पूर्ण विवरण;

(ङ) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान मासिक/वार्षिक आय का पूर्ण विवरण;

(च) वह विवाहित अथवा अविवाहित;

(छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय का विवरण;

(ज) उसकी आयकर तथा भूमि भवनकर, प्रक्षेपकर/शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्षिक धनराशि का पूर्ण विवरण; और

(झ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)–यह धारा इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1953 द्वारा जोड़ी गयी और उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1983 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी। सन् 1995 में इस धारा में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, द्वारा उपधारा (2) जोड़ी गयी है। यह धारा अपने मूलरूप में निम्नवत् थी–

13–ख. **निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निदेशक, निर्वाचन (स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा.**–निदेशक निर्वाचन (स्थानीय निकाय) इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्वाचनों का संचालन करेगा।

13–ग. **सदस्यता के लिए अर्हतायें.**–कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में चुने जाने और बने रहने के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि–

(क) वह नगरपालिका में किसी कक्ष के लिए निर्वाचक न हो;

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो और स्त्रियों के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, वह यथास्थिति, उक्त श्रेणी का व्यक्ति न हो,

(ग) उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।

(घ) वह एक से अधिक वार्ड के लिए अभ्यर्थी हो।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changers)**—यह धारा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1983 और उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी। सन् 1983 में प्रतिस्थापित धारा निम्नवत् थी—

''13—ग. **बोर्ड की सदस्यता के लिए अर्हतायें.**—कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में निर्वाचित किये जाने और बने रहने के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि—

(क) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीट की दशा में वह इनमें से किसी जाति के सदस्य न हो और नगरपालिका के किसी कक्ष के लिए निर्वाचक न हो,

(ख) किसी अन्य सीट की दशा में वह नगरपालिका के किसी कक्ष के लिए निर्वाचक न हो।''

13—घ. सदस्यता के लिए अनर्हताएँ.—कोई भी व्यक्ति इस बात के होते हुए भी कि वह अन्यथा अर्ह है किसी नगरपालिका का सदसय निर्वाचित चुने जाने या सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह होगा यदि—

(क) वह किसी स्थानीय प्राधिकाारी का कोई पदच्युत सेवक हो और उसके अधीन पुनः सेवायोजन के लिए विवर्जित किया गया हो; या

(क) वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धार किया हो और उसकी पदच्युत से छः वर्ष की अवधि समाप्त न हो गई हो; या

(ख) वह किसी प्राधिकारी के आदेश द्वारा विधि—व्यवसायी के रूप में कार्य करने से विवर्जित किया गया हो; या

(ग) वह नगरपालिका के दान स्वरूप या उसके नियन्त्रण में कोई लाभ का पद धारण करता हो; या

(घ) वह धारा 27 या 41 के अधीन अनर्ह हो; या

(ङ) उसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिसमें से एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की तिथि के 300 दिवस के पश्चात् हुआ है; या

(च) वह राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो, या जिला सरकारी काउन्सेल या अपर सहायक जिला सरकारी काउन्सेल या अवैधानिक मजिस्ट्रेट या अवैतनिक मुन्सिफ या कोई अवैतनिक सहायक कलेक्टर हो; या

(छ) उस पर एक वर्ष से अधिक की मॉग के नगरपालिका कर या अन्य देयों का, जिन पर धारा 166 लागू होती है, भुगतान बकाया हो; या

(ज) महिला के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया है; या

(झ) (1) वह अनुमोचित दिवालिया हो; या

(झझ) वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 171—ङ के अधीन कारावास से दण्डनीय किसी अपराध अथवा धारा 171—च के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो; या

(ञ) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 या उत्तर प्रदेश आपूर्ति नियन्त्रण (अस्थाई शक्ति) अधिनियम, 1947 जैसा कि उत्तर प्रदेश आपूर्ति नियन्त्रण (अस्थाई शक्ति) अधिनियम, 1953 द्वारा पुनः अधिनियमित किया गया या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के

अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के लिए या किसी ऐसे अपराध के लिए जिसे राज्य सरकार ने यह घोषित किया हो कि उसमें ऐसी नैति अघमता अन्तर्वलित है, जिससे वह सदस्य होने के लिए अयोग्य कर दिया गया हो, कारावास का दण्डादेश दिया गया हो या उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 109 या 110 के अधीन की गई कार्यवाहियों के फलस्वरूप सदाचार के लिए बन्धपत्र निश्पादित करने का आदेश दिया गया हो और ऐसा दण्डादेश या आदेश बार में परिवर्तित न कर दिया गया हो;

परन्तु (क) और (ख) की दशा में उक्त अनर्हता राज्य सरकार के इस निर्मित दिये गये आदेश द्वारा दूर की जा सकती है।

परन्तु यह और कि (छ) की दशा में बकाया भुगतान करने पर यथाशीघ्र अनर्हता समाप्त हो जायेगी।

परन्तु यह और भी कि (ञ) की दशा में–

(1) यथास्थिति उसके कारावास से निर्मुक्त होने के दिनांक से पांच वर्ष की समाप्ति पर या उस अवधि, जिसके लिए उससे सदाचार बनाये रखने के लिए बन्ध–पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गयी हो, समाप्ति के दिनांक से अनर्हता नहीं रह जायेगी; और

(2) ऐसे व्यक्ति की दशा में जो अनर्हता के दिनांक को नगरपालिका का सदस्य हो, अनर्हता तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि ऐसी अनर्हता के दिनांक से तीन मास तक बीत गये हों, या यदि उक्त तीन मास के भीतर सिद्ध दोष ठहराने या आदेश के सम्बन्ध में पुनरीक्षण के लिए कोई अपील या याचिका प्रस्तुत की गई हो तो जब ऐसी अपील या विस्तारण न कर दिया गया हो।

स्पष्टीकरण–खण्ड (च) के अर्थ में, कोई सरकारी कोश्अध्यक्ष राज्य या केन्द्रीय सरकार की सेवा में नहीं समझा जायेगा।

(ट) वह राज्य के विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार अनर्ह कर दिया जाता है–

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्रापत कर ली है, इस आधार पर अनर्ह नहीं किया जायेगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है।''

(ठ) किसी ऐसे समाचार पत्र में, जिसमें नगरपालिका के कार्यकलापों से सम्बन्धित काई विज्ञापन दिया जा सकता है, अंश या हित रखता है; या

(ड) किसी ऐसी संस्था, जो नगरपालिका के किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, का वैतनिक कर्मचारी है; या

(ढ) यदि वह या उसके परिवार का सदस्य या उसका कानूनी वारिस नगरपालिका के स्वामित्व या प्रबन्धन की भूमि या भवन या सार्वजनिक सड़क या पटरी, नाली, नाला पर अनधिकृत कब्जा करता है अथवा किसी ऐसे अनधिकृत कब्जे से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करता है; या

(ण) नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी संवर्ग या वर्ग के संघ या यूनियन का प्रतिनिधि या पदाधिकारी है; या

(त) नगरपालिका के अधिनियम, नियम, उपविधियां, विनियम, शासनादेश का उल्लंघन करने, नगरपालिका के हितों की उपेक्षा करने का सिद्ध दोषी ठहराया गया हो,''

संक्षेप

1.	विधायी (Legislative changers)	परिवर्तन	5.	धारा 13–घ की उपधारा (घ)

2.	सदस्यता के लिए अनर्हता	6.	धारा 13–घ की उपधारा (छ) और धारा 166
3	क्या अनर्हता के कारण किसी सदस्य की सदस्यता स्वतः समाप्त या निलम्बित हो जाती है?	7.	धारा 13–घ की उपधारा (झझ)
4.	धारा 13–घ और धारा 40	8.	धारा 13–च की उपधारा (ञ)

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changers)**–इस धारा में काफी संशोधन पश्चात्वर्ती संशोधन अधिनियमों द्वारा किये गये है। इस धारा की उपधारा (ज) सन् 1994 में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, द्वारा निरसित की गयी है। निरसन से पूर्व यह उपधारा निम्नवत थी–

''(ज) वह कुष्ठ रोग या ऐसी किसी संक्रामक बीमारी, जो राज्य सरकार अपने आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, से ग्रसित हो।''

2. **सदस्यता के लिए अनर्हता**–यह धारा उन आधारों का उल्लेख करती है जिनके होने पर कोई व्यक्ति नगरपालिका का सदस्य चुने जाने अथवा उसका सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह हो जाता है। यदि नगरपालिका का कोई सदस्य इस अधिनियम की धारा 166 के अनुसार करों का भुगतान नहीं करता है तो वह नगरपालिका का सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह होगा। धारा 13–घ के उपबन्ध नगरपालिका के उन सदस्यों पर भी लागू होते है जो उस अनर्हता से सदस्य बने रहने के दौरान ग्रसित होते है। और यह धारा मात्र निर्वाचन से पूर्व की स्थिति पर ही लागू नहीं होती। किन्तु इस धारा में या अधिनियम की किसी अन्य धारा में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जो सम्यक रूप से निर्वाचित किसी सदस्य के धारा 13–घ में वर्णित किया अनर्हता से ग्रसित हो जाने पर उसकी सदस्यता के स्वतः निलम्बित या समाप्त हो जाने के बारें में उपबन्ध करती है। दूसरी तरफ इस अधिनियम की धारा 40 के निर्वचन से यह निरस्त होता है कि यदि कोई सदस्य धारा 12–घ या 13–घ के वर्णित किसी अनर्हता का शिकार हो जाता है तो भी वह बोर्ड की कार्यवाहियों में भाग ले सकेगा और सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य को सम्पन्न कर सकेगा।

3. **क्या अनर्हता के कारण किसी सदस्य की सदस्यता स्वतः समाप्त या निलम्बित हो जाती है?**–नहीं। उच्चतम नयायालय के अनुसार किसी नगरपालिका बोर्ड के सदस्य के धारा 13–घ में वर्णित किसी भी प्रकार अनर्हता से ग्रसित हो जाने पर उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त या निलम्बित नहीं हो जाती है। ऐसा निश्कर्श निकालना बहुत ही अस्थिरता को जन्म देगा और कार्यवाहियों की वैधता को पूर्णतः अनिश्चित बना देगा और बोर्ड के कार्य को भी अनिश्चित बना देगा, क्योंकि किसी भी समय बोर्ड का कोई भी सदस्य यह अविन्यवायों नहीं कर सकता कि अमुक सदस्य अनर्हता से ग्रसित हो चुका है। यह एक ऐसा तथ्य है जो पूर्णतः साक्ष्यों पर निर्भर करता है। अतः साक्ष्यों द्वारा सिद्ध हुए बिना किसी व्यक्ति को स्वतः अनर्ह नहीं माना जा सकता है।

4. **धारा 13–घ और धारा 40**–नगरपालिका अधिनियम की धारा 40 (1) का खण्उ (ख) उपबन्धित करता है कि यदि किसी व्यक्ति जो नगरपालिका का सदस्य है, ने धारा 12–घ या 13–घ में वर्णित किसी अनर्हता को उपगत कर दिया है, तो उसे राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। किन्तु न तो धारा 13–घ और न ही धारा 40 में ऐसी कोई बात है जिससे वह विवक्षित होता हो कि ऐसी अनर्हता की शुरूआत होते ही किसी सदस्य की सदस्यता स्वतः समाप्त कर निलम्बित हो जायेगी। धारा 40 के निर्वाचना से यह स्पष्ट होता है कि किसी अनर्हता के उपगत करने पर

भी। कोई व्यक्ति तब तक सदस्य बना रह सकता है और नगरपालिका की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है एवं अपने कर्तव्यों को संपन्न कर सकता है, जब तक कि उस राज्य सरकार द्वारा हटा न दिया जाय।

5. धारा 13–घ की उपधारा (घ)–यह उपधारा उपबन्धित करती है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 27 या धारा 41 के अधीन अनर्ह है तो वह किसी नगरपालिका का सदस्य निर्वाचित किये जाने या सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह होगा। धारा 27 यह उपबन्धित करती है कि जिला न्यायाधीश किसी निर्वाचन याचिका की सुनवायी करने पर यह पाता है कि सम्बन्धित उम्मीदवार ने कोई भष्ट आचरण किया है, नगरपालिका का सदस्य निर्वाचित किये जाने का नगरपालिका के दान स्वरूप या उसकी व्यवस्था में किसी पद या स्थान पर नियुक्त किये जाने या बने रहने के लिए पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए असमर्थ घोषित कर सकता है।

धारा 41 (3) के अनुसार यदि किसी सदस्य की राज्य सरकार द्वारा इस आधार पर हटाया जाता है कि उसने नगरपालिका के वर्तमान या अन्तिम पूर्ववर्ती काल में सदस्य होते हुए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी समिति के सभापति या किसी अन्य हैसियत से उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् कार्य करते हुए अपने पद का इतना घोर दुरूपय्रो किया है या इस अधिनियम, या किसी नियम, या विनियम, या उपविधि के उपबन्धों का जानबुझकर इतना उल्लंघन किया है। या नगरपालिका की निधि या सम्पत्ति की इतनी हानि या क्षति पहुंचायी है कि वह सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य हो गया है, तो वह हटाये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक पुनः सदस्य निर्वाचित होने के अर्ह नहीं होगा, बशर्ते कि सरकार पर्याप्त कारणों से इस अनर्हता से अवमुक्त कर दें।

6. धारा 13–घ की उपधारा (छ) और धारा 166–इस अधिनियम की धारा 13–घ की उपधारा (छ) यह उपबन्धित करती है कि यदि किसी वयक्ति पर एक वर्ष से अधिक की मांग के नगरपालिका कर या अन्य देयों का, जिन पर धारा 166 लागू होती है, भुगतान बाकी है, तो वह किसी नगरपालिका का सदस्य निर्वाचित होने या उसका सदस्य बने रहने के लिए अर्ह नहीं होगा। इस प्रकार यह धारा मात्र यह कहती है कि यदि किसी व्यक्ति पर किसी कर या अन्य देय जो उसके द्वारा नगरपालिका की धारा 166 के अन्तर्गत देय हो और उनकी मात्रा एक वर्ष में देय कर या अन्य देयों की मात्रा से अधिक हो गयी हो तो वह व्यक्ति किसी नगरपालिका का सदस्य निर्वाचित होने या उसके सदस्य बने रहने के लिए अर्ह नहीं होगा। इस धारा में प्रयुक्त ''मॉग'' शब्द उस रकम को विनिर्दिष्ट करती है जो देय है और वसूल किये जाने योग्य है, न कि उस रकम को जिसकी मांग औपचारिक रूप से की गयी है।

धारा 13–घ के अन्तर्गत प्रत्येक टैक्स या शुल्क के भुगतान के दायित्व की अवधि का प्रारम्भ उस समय होता है जब ये टैक्स या शुल्क देय हो जाते है न कि उस समय से जबसे इनकी मांग की जाती है।

धारा 13–घ की उपधारा (छ) का प्रभाव यह है कि यह किसी व्यक्ति केा जिस पर नगरपालिका टैक्स या अन्य कोई देय एक वर्ष की मांग से अधिक है और बकाया है, नगरपालिका का सदस्य निर्वाचित होने से अनर्ह घोषित कर देती है। इस सन्दर्भ में यह बात बिल्कुल अतात्विक है कि देय टैक्स उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में है जिसका स्वामी वह स्वयत् है या जिसका मात्र प्रबन्धक है। वर्ष तक हो सकेगी या अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित होगा।

7. धारा 13–घ की उपधारा (झझ)–यह उपधारा उपबन्धित करती है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 171–ङ के अधीन कारावास से दण्डनीय अपराध या धारा 171–च के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, तो वह नगरपालिका का सदस्य निर्वाचित होने या नगरपालिका का सदस्य बने रहने के अनर्ह होगा।

भारतीय दण्ड संहित, 1860 की धारा 171–ङ के अनुसार यदि कोई व्यक्ति रिश्वत लेने का अपराध कारित करता है जो वह किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित होगा।

इसी प्रकार भारतीय दण्ड संहिता, की धारा 171–च के अनुसार जो भी व्यक्ति यदि किसी निर्वाचन में असम्यक् असर या बनावटी करण का अपराध कारित करता है, तो वह किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित होगा।

8. धारा 13–च की उपधारा (ञ)–उपधारा (ञ) यह उपबन्धित करती है कि यदि किसी व्यक्ति को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 या उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) एक्ट या खाद्य अपमिरण निवारण अधिनियम, 1954 के अधी न दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने हेतु या किसी ऐसे अपराध के लिए जिसे राज्य सरकार ने यह घोषित किया हो कि उसमें नैतिक अधमता अन्तर्निहित है, जिससे वह नगरपालिका का सदस्य होने के लिए अयोग्य कर दिया गया हो, आवास का दण्डावेश दिया गया हो या उसे दण्ड प्रक्रिया संहित 1873 की धारा 109 या 110 के अधीन की गयी कार्यवाहियों के फलस्वरूप सदाचार हेतु बन्धपत्र निश्पादित करने का आदेश दिया हो। और ऐसा दण्डावेश या आदेश बाद में उलट न दिया गया हो, तो वह व्यक्ति नगरपालिका का सदस्य निर्वाचित होने के लिए या नगरपालिका का सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह होगा।

प्रभुदयाल वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिधारित किया कि यदि किसी निर्वाचक के विरूद्ध पारित कोई दण्डावेश वाद में उलट दिया जाता है, तो वह धारा 13–घ की उपधारा (ञ) के अन्तर्गत नगरपालिका का सदस्य निर्वाचित होने या नगरपालिका का सदस्य बने रहने से अनर्ह नहीं होगा।

12 सितम्बर, 1953 को राज्य सरकार ने विज्ञप्ति जारी करके भारतीय दण्ड संहिता की कुछ धाराओं के अन्तर्गत दोष सिद्धी को नैतिक अधमता अन्तर्निहित करने वाला अपराध घोषित कर दिया। किन्तु इसका निर्वाचन इस प्रकार नहीं करना चाहिए कि संविधान के पूर्व लागू दण्ड सहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध व्यक्ति भी इस श्रेणी के अन्तर्गत आ जाये। अतः जहां कोई व्यक्ति भारतीय दण्ड सहिता की धारा 392/397 के अन्तर्गत 1941 में दोषसिद्ध किया गया और 9 वर्ष में कठोर कारावास से दण्डित किया गया और पश्चात्वर्ती रूप से 1953 में राज्य सरकार ने कुछ नैतिक अधमता वाले अपराधों की घोषणा की जिसमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392 और 397 भी शामिल थे, वहां यह नहीं कहा जा सकता कि वह व्यक्ति उस अपराध के सम्बन्ध में 1941 में दोष सिद्ध घोषित किया गया था जिसे सन् 1953 में राज्य सरकार ने नैतिक अधमता वाला अपराध घोषित किया है। अतः धारा 13–च की उपधारा (ञ) के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नगरपालिका के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अनर्ह नहीं होगा।

13–ङ मत देने का अधिकार–(1) कोई व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि न हो उस कक्ष में मत देने का हकदार न होगा जैसा कि इस अधिनियम में स्पष्टतः उपबन्धित है उसके सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि हो, उस कक्ष में मत देने का हकदार होगा।

(2) कोई व्यक्ति किसी कक्ष में निर्वाचन में मत नहीं देगा, यदि वह धारा 12 घ में निर्दिष्ट किसी अनर्हता के अधीन है।

(3) कोई व्यक्ति किसी साधारण निर्वाचन में एक से अधिक कक्षों में मत नहीं देगा और यदि कोई व्यक्ति ऐसे एक से अधिक कक्षों में मत देता है तो ऐसे सभी कक्षों में उसके दिये गये मत शून्य हो जायेंगें।

(4) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक ही कक्ष में एक से अधिक बार मत नहीं देगा भले ही उस कक्ष की निर्वाचक नामावली में उस कनाम एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, और यदि वह इस प्रकार मत देता है, तो उस कक्ष में उसके दिये गये सभी मत शून्य हो जायेंगे।

(5) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा, यदि वह कारागार में, चाहे करावास के या निर्वासन दण्डादेश के अधीन या अन्य प्रकार से परिरूद्ध हो, या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में हो;

परन्तु इस उपधार की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू न होगी, जिसको तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निवारक निरोध किया गया हो।

13–च. **मतदान की रीति.**–किसी वार्ड के प्रत्येक निर्वाचन में, जहां मतदान लिया जाए मत गूढ़ शलाका या वोटिंग मशीन द्वारा दिये जायेंगे तथा कोई मत प्रतिनिधिक मतदान द्वारा नहीं लिया जायेगा।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)–यह धारा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1953 द्वारा जोड़ी गयी थी, किन्तु सन् 1994 में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, द्वारा द्वारा निरसित कर दी गयी। निरसित किये जाने पूर्व यह धारा निम्नवत् थी–

''13–च. मतदान की रीति.–(1) बहुसदस्यीय कख को उतने मत का अधिकार होगा जितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है। किन्तु कोई भी निर्वाचक किसी एक उम्मीदवार को एकाधिक मत नहीं देगा।

(2) यदि कोई निर्वाचक उपधारा –(1) के उपबन्धों के विपरीत किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में एकाधिक मत देता है, तो मतगणना के समय ऐसे उम्मीदवार को उसके द्वारा दिये गये मतों में एक से अधिक मत की गणना नहीं की जायेगी और ऐसे उम्मीदवार को उसके द्वारा दिये गये अन्य सभी शून्य मानकर अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।''

13–छ. **निर्वाचनों के संचालन के सम्बन्ध में आदेश.**–जहां तक इस अधिनियम के द्वारा किसी विषय के सम्बन्ध में उपबन्ध न किया गया हो तो राज्य निर्वाचन आयोग आदेश द्वारा निर्वाचनों के संचालिन से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयेां के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकता है, अर्थात्–

(क) सामान्य निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी करना;

(ख) रिटनिंग आफिसर, सहायक रिटर्निग आफिसर, पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी तथा लिपिकों की नियुक्ति, उनकी शक्ति और; कर्तव्य

(ग) नाम निर्देशन, संवीक्षा नाम वापस लेने तथा मतदान के लिए दिनांक नियत करना;

(घ) नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की रीति और उसका प्रपत्र, विधि मान्य नाम निर्देशन के लिए अपेक्षायें, नाम निर्देशनों की संवीक्षा और उम्मीदवारी से नाम वापस लेना;

(ङ) निर्वाचन अभिकर्ताओं तथा मतदान अभिकर्ताओं तथा मत गणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति और उनके कर्तव्य;

(च) सामान्य निर्वाचनों में प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत मतदान के पूर्व किसी उम्मीदवार की मृत्यु भी हैस, सविरोध और निर्विरोध निर्वाचनों में प्रक्रिया, {***}

(छ) मतदाताओं की पहचान;

(ज) मतदान का समय;

(झ) मतदान स्थगित किया जाना, तथा फिर से मतदान कराना;

(ञ) निर्वाचनों में मतदान की रीति;

(ट) मतों की संवीक्षा तथा गणना जिसके अन्तर्गत मतदों की पुर्नगणना भी है और मत बराबर होने की दशा में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और परिणाम की घोषणा;

(ठ) नगरपालिका के विभिन्न कक्षों के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम विज्ञापित करना और नगरपालिका का सम्यक् गठन;

(ड) निक्षित धन वापसस करना या उसका समपहरण;

(ढ) ऐसे पीठासीन अधिकारी, मतदान अभिकर्ता या किसी ऐसे मतदान केन्द्र पर जहां वह मत देने के लिए हकदार न हो, कर्तव्यरूढ़ प्राधिकृतया नियुक्ति हो;

(ण) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो स्वयं को किसी दूसरे व्यक्ति के ऐसे निर्वाचक के रूप में मत देने के पश्चात् ऐसा निर्वाचक बतलाता हो, मत देने के सम्बन्ध में अनुकरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(त) मतपेटियों, मत–पत्रों तथा निर्वाचक सम्बन्धी अन्य पत्रादि की सुरक्षित अभिरक्षा; ऐसी अवधि, जब तक के लिए ऐसे पत्रादित सुरक्षित रखे जायेंगे और ऐसे पत्रादि का निरीक्षण करना तथा उन्हें प्रस्तुत करना; और

(थ) सामान्यतया निर्वाचको के संचालन से सम्बन्धित सभी विषय।

13–ज. (1) **उप निर्वाचन**–उपधारा (2) और धारा 13–झ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जब नगरपालिका के किसी निर्वाचन सदस्य का स्थान रिक्त हो जाय या रिक्त घोषित किया जाय या उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाए, तो 'राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से' सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा सम्बन्धित कक्ष से इस प्रकार की हुई रिक्ति को ऐसे दिनांक के पूर्व जो उक्त विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाय, भरने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति का निर्वाचन करने के लिए कहेगा और इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियम और दिये गये आदेशों के उपबन्ध, यथासम्भव, ऐसी रिक्त के भरने के लिए किसी सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(2) यदि इस प्रकार हुई रिक्ति किसी ऐसे कक्ष में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो या स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थान की रिक्ति हो, तो उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति में यह विनिर्दिष्ट किया जायेगा कि उक्त स्थान को भरने वाला व्यक्ति अनुसूचित जातियों, या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गो का होगा या स्त्री होगी।

12–झ. **कतिपय आकस्मिक रिक्तियां जिनकी पूर्ति नहीं की जायेगी**–जहां नगरपालिका में किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु उसके पद त्याग करने, हटाये जाने या उसके निर्वाचन के परिवर्तन के कारण कोई रिक्ति हो जाये और उस सदस्य का पदावधि साधारण रूप में ऐसी रिक्ति होने के एक वर्ष के भीतर समाप्त होती तो ऐसी रिक्ति भरी न जायेगी।

13–ञ. **निर्वाचन सम्बन्धी अपराध**–(1) लोक प्रतिनित्व अधिनियम, 1951 के भाग सात के अध्याय तीन की धारा 125, 126, 127, 127–क, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 134–क, 135–क और 136 के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों–

(क) किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में आया हुआ निर्देश इस अधिनियम के अधीन किये गये निर्वाचन का निर्देश हो;

(ख) शब्द 'निर्वाचन–क्षेत्र के स्थान पर षब्द 'कक्ष' रख दिया गया हो;

(खख) धारा 27–क की उपधारा (2) केक खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) में, शब्द 'मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्थान पर शब्द मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय रख दिये गये हों;

(ग) {***}

(घ) धारा 134 और 136 में, शब्द 'इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन' के स्थान पर शब्द उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के द्वारा या के अधीन' रख दिये गये हों।

(2) यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी {नगर स्थानीय निकाय} को यह विश्वास करने का कारण हो कि नगरपालिका के किसी निर्वाचन के निर्देश में उक्त अध्याय की धारा 129 या धारा 134 या धारा 134–क के अधीन या धारा 136 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय) का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जांच कराये और ऐसा अभियोग संस्थित कराये जो मामलें की परिस्थितियों में उसे उचित प्रतीत हो।

(3) कोई नयायालय धारा 129 या धारा 134या धारा 134–क या धारा 136 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय) के आदेश या प्राधिकार से परिवाद न किया गया हो।

संक्षेप

1.	विधायी परिवर्तन (Legislative changers)	(vi)	मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संपाचना का प्रतिषेध
2.	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सुसंगत उपबन्ध	(viii)	मतदान केन्द्रों में या उसके निकट विच्छंखल आचरण के लिए शास्ति
(i)	निर्वाचन के सम्बन्ध में वर्गो के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करना	(ix)	मतदान केन्द्र के अवचार के लिए शास्ति
(ii)	निर्वाचन से पूर्ववर्ती दिन और निर्वाचन के दिन सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध	(x)	निर्वाचनों से संसक्त पदीय कर्तव्य के भंग
(iii)	निर्वाचनों सभाओं में उपद्रव	(xi)	निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति
(iv)	पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन	(xii)	मतदान केन्द्रों से मतपत्रों के हटाना अपराध होगा
(v)	मतदान की गोपनीयता को बनाये रखना	(xiii)	बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध
(vi)	निर्वाचनों में आफिसर आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य नहीं करेंगे और न मत दिये जाने में कोई असर डालेंगे	(xiv)	अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियॉ

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changers)**–इस धारा में उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधनों) अधिनियम, 1955 द्वारा काफी संशोधन किये गये हैं इन संशोधनों से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी–

''13–ग. (1) निर्वाचन सम्बन्धी अपराध––(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 7 के अध्याय तीन की धारा 125, 126, 127, 127–क, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 134–क, 135–क और 136 के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों–

(क) किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में आया हुआ निर्देश इस अधिनियम के अधीन किये गये निर्वाचन का निर्देश हो;

(ख) शब्द 'निर्वाचन–क्षेत्र के स्थान पर शब्द कक्ष (ख) रख दिया गया हो;

(खख) धारा 27–क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) में, शब्द ''मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्थान पर शब्द राज्य निर्वाचन आयोग रख दिये गये हों;

(ग) धारा 130 में शब्द 'एक सौ मीटर' के स्थान पर शब्द 'पच्चीस मीटर' रख दिये गये हो;

(घ) धारा 134 और 136 में, शब्द 'इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन' के स्थान पर शब्द उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के द्वारा या के अधीन' रख दिये गये हों।

(2) यदि राज्य निर्वाचन आयोग को यह विश्वास करने का कारण हो कि नगरपालिका के किसी निर्वाचन के निर्देश में उक्त अध्याय की धारा 129 या धारा 134 या धारा 134–क के अधीन या धारा 136 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया है तो राज्य निर्वाचन आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जांच कराये और ऐसा अभियोग संस्थित कराये जो मामलें की परिस्थितियों में उसे उचित प्रतीत हो।

(3) कोई न्यायालय धारा 129 या धारा 134 या धारा 134–क या धारा 136 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश या प्राधिकार से परिवाद न किया गया हो।

2. **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सुसंगत उपबन्ध**–नगरपालिका के निर्वाचन में घटित अपराधों के बारें में भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपबन्ध ही मामूली परिवर्तनों सहित लागू होंगे। इस धारा के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के निम्नलिखित उपबन्ध नगर पालिका निर्वाचन के घटित अपराधें के बारें में लागू होंगे–

(i) **निर्वाचन के सम्बन्ध में वर्गो के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करना**–जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के सम्बन्ध में शत्रुता या घृणा की भावनाएँ भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गो के बीच धर्म, मूलवंश, प्रति, समुदाय या भाषा के आधारों पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा वह कारावास में, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा। धारा 125)

(ii) **निर्वाचन से पूर्ववर्ती दिन और निर्वाचन के दिन सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध**–(1) कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घन्टों की कालावधि के दौरान कोई सार्वजनिक सभा न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थिति होगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा–(1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से, जो ढाई सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। {धारा 126}

(iii) **निर्वाचनों सभाओं में उपद्रव**–(1) जो कोई व्यक्ति ऐसी सार्वजनिक सभा में जिसके, सम्बन्ध में यह धारा लागू है, उस कारवार के संव्यवहार को निवारित करने के प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह सभा बुलाई गई है, विच्छूंखलता से कार्य करेगा या दूसरों को कार्य करने के लिए उद्दोप्त करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) यह धारा राजनीतिक प्रकृति की किसी ऐसी सार्वजनिक सभा को लागू है जो सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन–क्षेत्र से अपेक्षा करने वाली इस अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचना की तारीख के और उस तारीख के बीच, जिस तारीख को ऐसा निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन–क्षेत्र में की गई।

(3) यदि कोई पुलिस आफिसर किसी व्यक्ति की बावत युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि उसने उपधारा (1) के अधीन अपराध किया है तो यदि सभा के सभापति द्वारा उससे ऐसा करने की प्रार्थना की जाए तो वह उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह तुरन्त अपना नाम ओर पता बताए और यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इन्कार करता है या बताने में असफल रहता है या यदि पुलिस आफिसर उसकी बाबत युक्तियुक्त रूप से सन्देह करता है कि उसने मिथ्या नाम या पता दिया है, तो पुलिस आफिसर उसे वारन्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा। {धारा 127}

(iv) **पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन**–(1) कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका का पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित करायेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को–

(क) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित कराएगा जिसमें वह उसके प्रकाशक की अन्नयता के बारें में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उेस स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषण मुद्रक को परिदन कर देता है; तथा

(ख) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रक घोषण को एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित–

(i) उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राधानी में मुद्रित की जाती है, मुख्य निर्वाचन आफिसर को, तथा

(ii) किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है जिला मजिस्ट्रेट की दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियॉ बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियॉ बनाने से भिन्न है, यह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है, और 'मुद्रक' पद का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा; तथा

(ख) 'निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर' से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है.

किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिश्टियों को केवल अख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को चर्चा सम्बन्धी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता।

(4) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रूपए, तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा। {धारा 127–क}

(v) **मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना**–(1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति को निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा। {धारा 128}

(vi) **निर्वाचनों में आफिसर आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य नहीं करेंगे और न मत दिये जाने में कोई असर डालेंगे**–(1) जो कोई जिला निर्वाचन आफिसर या रिटनिंग आफिसर या सहायक रिटनिंग आफिसर हैं या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान आफिसर है या ऐसा आफिसर है या लिपिक है जिसे रिटनिंग आफिसर या पीठासीन आफिसर ने निर्वाचन से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त किया है वह निर्वाचन के संचालन या प्रबंध में (मत देने के लिए) कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए न करेगा।

(2) यथापूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस बल का कोई भी सदस्य–

(क) न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिए मनाने का; और न

(ख) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत न देने के लिए मनाने का; और न

(ग) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति के असर डालने का, प्रयास करेगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह करावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा। {धारा 129}

(vii) **मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संपाचना का प्रतिशेध**–(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख को या उन तारीखों को, जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से एक सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में निम्नलिखित कार्यो से कोई कार्य न करेगा; अर्थात्–

(क) मतों के लिए संयापना;

(ख) किसी निर्वाचक से उनके मत की याचना करना;

(ग) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने को किसी निर्वाचक को मनाना;

(घ) निर्वाचन में मत देने के लिए किसी निर्वाचक को मनाना; और

(ङ) निर्वाचन के संबंध में (शासकीय सूचना से भिन्न) कोई सूचना संकेत प्रदर्शित करना।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो ढाई सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संक्षेप होगा। {धारा 130}

(viii) **मतदान केन्द्रों में या उसके निकट विच्छंखल आचरण के लिए शास्ति**–(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख या उन तारीखों को जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है–

(क) मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युपादन के लिए कोई मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसा साधित्र मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे न तो उपयोग में लाएगा और न चलाएगा; और न

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस के किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे चिल्लाएगा या विच्छृंखलता से ऐसा कोई अन्य कार्य करेगा.

कि मतदान के लिए मतदान केन्द्र में आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान केन्द्र में कर्तव्यारूढ़ आफिसरों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप हों।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघ करेगा या में जानबुझकर सहायता देगा या उनका दुश्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह किसी पुलिस आफिसर को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करें और पुलिस आफिसर उस पर उसे गिरफ्तार करेगा।

(4) कोई पुलिस आफिसर ऐसे कदम उठा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसे या जैसा उपधारा (1) के उपबन्धों में किसी उल्लंधन का निवारण करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है और ऐसे उल्लंघन के लिए उपयोग में लाए गए किसी साधित्र को अभिगृहीत कर सकेगा। {धारा 131}

(ix) **मतदान केन्द्र के अवचार के लिए शास्ति**–(1) जो कोई व्यक्ति किसी मतदान केन्द्र में मतदान के लिए नियत घंटों के दौरान स्वयं अवचार करता हैं या पीठासीन आफिसर के विधिपूर्ण निदेशों के अनुपालन में असफल रहता है उसे पीठासीन आफिसर या कर्तव्यारूढ़ कोई पुलिस आफिसर या ऐसे पीठासीन आफिसर द्वारा एतन्निमित प्राधिकृत कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र से हटा सकेगा।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियॉ ऐसे प्रयुक्त न की जायेंगी जिससे कोई ऐसा निर्वाचक, जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उस केन्द्र में मतदान करने का अवसर पाने से निवारित हो जाएं।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र से ऐसे हटा दिया है, पीठासीन आफिसर की अनुज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में प्रवेश करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा। {धारा 132}

(x) **निर्वाचनों से संसक्त पदीय कर्तव्य के भंग**–(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे यह धारा लागू है, अपने पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य या लोप का युक्तियुक्त हेतुक के बिना दोशी होगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(क) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यथापूर्वोक्त किसी कार्य या लोप की बावत नुकसानी के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ न होगी।

(3) वे व्यक्ति, जिन्हें यह धारा लागू है ये हैं, जिला निर्वाचन आफिसर, रिटनिंग आफिसर, सहायक रिटनिंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, मतदान आफिसर और अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन प्राप्त करने या अभ्यर्थिताएं वापस लेने या निर्वाचन में मतों का अभिलेख करने या गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, तथा 'पदीय कर्तव्य' पदावली का अर्थ इस धारा के प्रयोजनों के लिए तद्नुसार लगाया जाएगा किन्तु इसके अन्तर्गत वे कर्तव्य न होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित है। {धारा 134}

(xi) **निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति**—यदि सरकार की सेवा में का कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, तो वह कारावास से, जिसका अवधि तीन मास तक की हो सकेगा या जुर्माने में, या दोनों से, दण्डनीय होगा। {धारा 134—क}

(xii) **मतदान केन्द्रों से मतपत्रों के हटाना अपराध होगा**—(1) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र कपटपूर्वक बाहर ले जाएगा या बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसी किसी कार्य के करने में जानबुझकर सहायता देगा या उसका दुरूप्रेरणा करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा आफिसर ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र छोड़े जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आफिसर को निदेश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस आफिसर द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा—

परन्तु जब कभी किसी स्त्री की तलाशी कराई जानी आवश्यक हो, तब वह अन्य स्त्री द्वारा, शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए, ली जाएगी।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति को तलाशी लेने पर उसके पास कोई मिला मतपत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पीठासीन आफिसर द्वारा पुलिस आफिसर के हवाले कर दिया जाएगा या जब तलाशी पुलिस आफिसर द्वारा ली गई हो तब उसे ऐसा आफिसर सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेप होगा। {धारा 135}

(xiii) **बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध**—जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा और वहां ऐसा अपराध सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्राविधानों के लिए 'बुथ काबलात् ग्रहण' के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रियाकलाप है, अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों के मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यपित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है;

(ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने अपने अधिकार का प्रयोक करने देना और अन्योंक को मतदान करने से निवारित करना;

(ग) किसी निर्वाचक को धमकी देना और उसे अपने मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से विारित करना;

(घ) किसी व्यक्तियों या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान का अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतों को व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है;

(ङ) सरकार को सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन को संभाव्याताओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रियाकलाप में सहायता करना या मीनानुमति देना। {धारा 135—क}

(xiv) **अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियॉ** –(1) यदि किसी निर्वाचन में कोई व्यक्ति–

(क) कोई नाम निर्देशन–पत्र कपटपूर्वक निरूपित करेगा या कपटपूर्वक नश्ट करेगा, अर्थात्

(ख) रिटनिंग आफिसर के प्राधिकार के द्वारा या अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करेगा, या नष्ट करेगा या हटाएगा; अर्थात्

(ग) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र पर के शासकीय चिन्हृ का अनन्यता को किसी घोषण या शासकीय लिफाफे को, जो डाक–मतपत्र द्वारा मत देने के संबंध में उपयेाग में लाया गया है कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा; अथवा

(घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र देगा या किसी व्यक्ति से मतपत्र प्राप्त करेगा या सम्यक् प्राधिकार के बिना उसके कब्जें में कोई मतपत्र हो; अथवा

(ङ) किसी मतपेटी में उसे मतपत्र में भिन्न, जिसे वह उसमें डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई चीज कपटपूर्वक डालेगा; अथवा

(च) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को, जो निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में है, नष्ट करेगा, लेगा, खोलेगा या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा; अथवा

(छ) यथास्थिति कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यो में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करेगा या किन्हीं ऐसे कार्यो के करने में जानबुझकर सहायता देगा या उन कार्यो का दुष्प्रेरण करेगा, जो यह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति–

(क) यदि वह रिटनिंग आफिसर के सहायक रिटनिंग आफिसर या मतदान केन्द्र में पीठासीन आफिसर या निर्वाचन से संसक्त पदोय कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य आफिसर या लिपिक है तो कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक को ही सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा;

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो, कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक को हो सकेगी या जुर्माने से, यह दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति पदीय कर्तव्य पर समझा जाएगा। जिसका वह कर्तव्य है कि वह निर्वाचन के जिसके अन्तर्गत मतों की गणना आती है, या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उपयोग में लाए गए मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात् उत्तरदायी यह किन्तु 'पदीय कर्तव्य' पद के अन्तर्गत ऐसा कोई कर्तव्य न होगा जो इस अधिनियम के साथ अधिरोपित किए जाने से अन्यथा अधिरोपित है।

(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा। {धारा 136}

13–ट. **सिविल न्यायालय की अधिकारिता**–(1) किसी भी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित के सम्बन्ध में अधिकारिता न होगी–

(क) किसी ऐसे प्रश्न को ग्रहण करना या उस पर न्याय निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने का हकदार है या नहीं; या

(ख) निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन या तैयारी के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन की गई किसी कार्यवाही की वैधता पर आपत्ति करना; या

(ग) रिटनिंग आफिसर द्वारा या इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही या किये गये किसी विनिश्चय की वैधता पर आपत्ति करना।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रस्तुत की गई निर्वाचन याचिका द्वारा की गई आपत्ति के सिवाय किसी निर्वाचन पर अन्य प्रकार से आपत्ति न की जा सकेगी।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)
2. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर प्रतिबन्ध
3. उच्च न्यायालय की अधिकारिता

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)—यह धारा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1953 द्वारा जोड़ी गई और उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा इस धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) को प्रतिस्थापित कर दिया गया। प्रतिस्थापित किये जाने से पूर्व यह खंड निम्नवत् था—

''(ख) ऐसा किसी नामावली के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के द्वारा या उससे प्राधिकार के अधीन किये गये किसी कार्य या इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी निर्णय की वैधता पर आपत्ति करना।'' या

2. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर प्रतिबन्ध—यह धारा सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर प्रतिबन्ध लगाती है। अन्य अधिनियमों की भांति इस धारा में 'To any court' अथवा 'No court' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि आपराधिक न्यायालयों, और उच्च न्यायालय आदि की अधिकारिता विवर्जित नहीं है और वे न्यायालय निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारियों के आदेशों की वैधता की जांच कर सकते है।

प्रीवि कौंसिल ने एक वाद में संप्रेक्षित किया है कि यह विधि सुस्थापित नियम है कि सिविल न्यायालयों की अधिकारिता के विर्वजन के बारें में स्वतः निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, अपितु ऐसा विवर्जन या तो स्पष्ट रूप से उपबन्धित हो अथवा विवक्षित रूप से निष्कर्षित होता है। यह भी सुस्थापित नियम है कि यदि अधिकारिता का इस प्रकार से विवर्जन किया गया हो, तब भी सिविल न्यायालय को उन मामलों की जांच करने की अधिकारिता होती है जहां अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया गया हो, अथवा सांविधिक न्यायधिकरण ने न्यायिक प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुसार कार्यवाही नहीं की है।''

उक्त सिद्धान्त का अनुसरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा भी श्रीमती आबिद बेगम (1) वाद में किया गया।

3. उच्च न्यायालय की अधिकारिता—इस धारा द्वारा उच्च न्यायालय की अधिकारिता पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। अतः उच्च न्यायालय किसी भी प्रक्रम में इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी की अधिकारिता और उसके द्वारा पारित आदेश को वैधता के बारें में आपत्ति कर सकता है। वैसे भी उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यापक अधिकारिता प्रदान की गयी है और उस पर संविधान से इन्टर किसी अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिबनध नहीं लगाया जा सकता है।

14. {***}

15. {***}

16. {***}

17. {***}

18. {***}

निर्वाचन याचिकाएं

19. **याचिका द्वारा नगरपालिका निर्वाचन पर आपत्ति करने की शक्ति**–(1) किसी व्यक्ति के नगरपालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचन याचिका द्वारा इस आधार पर आपत्ति की जा सकती है कि–

(क) ऐसे व्यक्ति ने निर्वाचन कार्यवाहियों के दौरान या उसके सम्बन्ध में धारा 28 में यथा परिभाषित कोई भ्रष्ट आचरण किया है;

(ख) ऐसा व्यक्ति एक से अधिक मतों के अनुचित रूप से अस्वीकार या स्वीकार किये जाने के कारण निर्वाचित घोषित किया गया है, या किसी अन्य कारनण से वैध मतों के बहुमत से सम्यक् रूप में निर्वाचित नहीं हुआ है।

(ग) ऐसा व्यक्ति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में नाम–निर्देशित किये जाने के लिए अर्ह नहीं था या यह कि याचिका देने वाले का नाम निर्देशन–पत्र अनुचित रूप से अस्वीकृत किया गया था।

(2) नगरपालिका के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन के सम्बन्ध में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि–

(क) किसी ऐसे व्यक्ति का नाम, जो मत देने के लिए अर्ह था, निर्वाचक नामावली या नामावलियों में से छोड़ दिया गया है, या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम, जो मत देने के लिए अर्ह नहीं था, उसमें या उनमें रख दिया गया है;

(ख) इस अधिनियम या किसी नियम का अनुपालन किया गया है या एतद्द्वारा अपेक्षित प्रपत्रों में कोई भूल है या किसी ऐसे अधिकारी या अधिकारियों ने जिस पर या जिन पर इस अधिनियम या किन्हीं नियमों की कार्यान्वित करने का भार सौंपा गया हो, कोई त्रुटि अनियमितता या अनौपचाकिरता की है, जब तक कि ऐसा अनुपालन भूल त्रुटि या अनौपचारिकता का निर्वाचन के परिणाम पर कोई सारवान प्रभाव न पड़ा हो।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)
2. छोटी–मोटी त्रुटियां नजरन्दाज की जा सकेगी।
3. त्रुटि या भूल जो निर्वाचन के परिणाम को सारवान रूप से प्रभावित करती है।

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changers)**–इस धारा में उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा 'बोर्ड' शब्द के स्थान पर 'नगरपालिका' शब्द परिस्थापित किया गया है।

2. **छोटी–मोटी त्रुटियां नजरन्दाज की जा सकेगी**–छोटी–मोटी त्रुटियों को वास्तव में सारवान नहीं होती है, के आधार पर विधि न्यायालयों में कोई अनुतोश प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी त्रुटियों को विधि न्यायालयों द्वारा नजरन्दाज किया जाना चाहिए। बैलेट पेपर में उम्मीदवार के नाम की मात्रा गलत हो जाने से यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 19 (2) के खण्ड (ख) का अनुपालन नहीं हुआ है।

3. **त्रुटि या भूल जो निर्वाचन के परिणाम को सारवान रूप से प्रभावित करती है**–यदि निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई ऐसी भूल या त्रुटि कारित की गयी है जो निर्वाचन को सारवान रूप से प्रमाणित करती है, तो उस आधार पर इस धारा के अन्तर्गत न्यायालयों में आपत्ति की जा सकती है।

20. **याचिका का प्रारूप और उसका प्रस्तुत किया जाना**–(1) जिस दिन रिटनिंग आफिसर द्वारा ऐसे निर्वाचन का परिणाम घोशित किया जाय जिसके सम्बन्ध में आपत्ति ईप्सित हो, उसके पश्चात् 30 दिन के भीतर निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जायेगी और उसमें ऐसा आधार या ऐसे आधार विनिर्दिश्ट कियेक जायेंगे जिन पर प्रत्यर्थी के निर्वाचन पर आपत्ति की गई हो और उसमें ऐसे सारवान तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा जिन पर याचिका देने वाला निर्भर करता हो और ऐसे भ्रष्ट आचरण के, जो अर्जीदार ने आरोपित किए हों, पूरे ब्यौरे होंगे जिसमें ऐसे पक्षों के नामों का जिन पर ऐसे भ्रष्ट आचरण करने का आरोप लगाया हो और ऐसा प्रत्येक आचरण करने का दिनांक तथा स्थान यथासम्भव पूरा ब्यौरा होगा।

(2) याचिका पर याची द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा और उसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अभिवचन के सत्यापन के लिए अधिकथित रीति से सत्यापित किया जायेगा।

(3) याचिका किसी ऐसे उम्मीदवार द्वारा जिसके पक्ष में मत अभिलिखित किये गये हों और जिसकी याचिका में ऐसे व्यक्ति के स्थान पर जिसके निर्वाचन के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी हो, निर्वाचित घोषित किये जाने का दावा किया हो या नगरपालिका के दास या उससे अधिक निर्वाचकों द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो यह दावा करे कि उसका नाम निर्देशन पत्र अनुचित रूप से अस्वीकृत किया गया था, प्रस्तुत की जा सकती है।

(4) वह व्यक्ति जिसके निर्वाच न के सम्बन्ध में आपत्ति की गई हो और जहां याची यह दावा करे कि ऐसे व्यक्ति के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति निर्वाचित घोषित किया जाये तो प्रत्येक असफल उम्मीदवार जो याचिका में याची न हो, याचिका में प्रत्यर्थी बनाया जायेगा।

''याचिका उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत की जायेगी जिसमें वह नगरपालिका स्थिर है, जिससे निर्वाचन याचिका सम्बन्धित है–

परन्तु याचिका जिला न्यायधीश द्वारा ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि उसके साथ कोषागार चालान हो जिसमें वह दर्शित हो कि विहित प्रतिभूति जमा कर दी गयी है।''

संक्षेप

1.	विधायी परिवर्तन (Legislative changers)	4.	कोर्ट–फीस

2.	याचिका का प्रस्तुत किया जाना (Presentation of petition)	5.	परिसीमा
3.	अभिवचन का सत्यापन	6.	याचिका का पक्षकार
		7.	पक्षकार न बनाये जाने का परिणाम

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changers)**–सन् 1982 में उ0प्र0 अधिनियम संख्या 17 द्वारा इस अधिनियम में उपधारा (5) को प्रतिस्थापित किया गया।

2. **याचिका का प्रस्तुत किया जाना (Presentation of petition)**–इस धारा के अन्तर्गत यचिका प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में भी बातें अपेखित हैं, वे सब निदेशात्मक है न कि आदेशात्मक। यह भी आवश्यक नहीं है कि याचिका स्वयं याची द्वारा ही प्रस्तुत की जाय। किन्तु इसे विहित प्राधिकारी के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, किसी अन्य के समक्ष नहीं (1) इस धारा के अन्तर्गत जिला न्यायाधीश को निर्वाचन याचिका सुनने के लिए अधिकारिता प्रदान की गयी है। अतः याचिका मात्र उसी के समक्ष प्रस्तुत की जाना चाहिए।

3. **अभिवचन का सत्यापन**–उपधारा (2) के अनुसार निर्वाचन याचिका में वर्णित अभिवचनों का सत्यापन सिविल प्रक्रिया संहित, 1908 के उपबन्धों के अनुसार किया जाना चाहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभिवचनों के सत्यापन हेतु उपबन्ध आदेश vi के

4. नियम 15 में उपबन्ध किया गया है। वह नियम निम्नवत् है–

''15 अधिवचन का सत्यापन–उसके सिवाय जैसा कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित है, हर अभिवचन उसे करने वाले पक्षकार द्वारा या पक्षकारों में से एक द्वारा या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसके बारें में न्यायालय का समाधान रूप में साबित कर दिया गया है कि वह मामलें के तथ्यों से परिचिति है, इसके बाद भाग में सत्यापित किया जायेगा।

(2) सत्यापन करने वाला व्यक्ति अभिवचन में संख्यांकित प्रस्तरों का जिक्र करते हुए यह विनिर्दिष्ट करेगा कि कौन सा प्रस्तर वह अपने निजी ज्ञान के आधार पर सत्यापित करता है और कौन सा प्रस्तर वह ऐसी जानकारी के आधार पर सत्यापित करता है जो उेस मिली है और जिसके बारें में उसका विश्वास है कि वह सत्य है।''

4. **कोर्ट फीस**–उपधारा (5) के अनुसार कोई भी निर्वाचन याचिका तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि उसके लिए निर्धारित प्रतिभूति जमा न कर दी गयी हो।

5. **परिसीमा**–उपधारा (1) के अनुसार किसी भी निर्वाचन याचिका को प्रस्तुत करने की परिसीमा अवधि 30 दिन है। यह अवधि रिटनिंग अधिकारी द्वारा सम्बन्धित निर्वाचन के परिणाम की घोषण किये जाने की तिथि से प्रारम्भ होती है।

6. **याचिका के पक्षकार**–निर्वाचन याचिका में निम्नलिखित व्यक्ति क्रमशः याची और प्रत्यर्थी हो सकते हैं–

याची–1(1) ऐसा उम्मीदारवार जिसके पक्ष में मत अभिलिखित किये गये हों और जो निर्वाचित उम्मीदवार के स्थान पर स्वयं को निर्वासित होने का दावा करता हो या

(2) नगरपालिका के दस या उससे अधिक निर्वाचक या कोई अन्य व्यक्ति जो यह प्रदर्शित करें कि उसका नाम निर्देशन पत्र में अस्वीकृत कर दिया गया था।

प्रत्यर्थी–(1) निर्वाचित व्यक्ति जिसके निर्वाचन के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी है; और

(2) यदि याची द्वारा याचिका में यह दावा किया जाता है कि ऐसे निर्वाचित व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाये, तो प्रत्येक असफल उम्मीदवार जो याची न हो।

7. **पक्षकार न बनाये जाने का परिणाम**–यदि निर्वाचन याचिका में समुचित व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया जाता है, तो निर्वाचन याचिका खारिज की जा सकती है।

21. **प्रत्यारोपक कार्यवाहियां (Recriminatory Proceedings)**–जहां किसी निर्वाचन यचिका में यह घोषणा की जाये कि निर्वाचित उम्मीदवार किसी अन्य उम्मीदवार ने सम्यक् रूप से निर्वाचित होने का दावा किया है, तो निर्वाचित उम्मीदवार या कोई अन्य पक्षकार यह साबित करने के लिए ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है कि ऐसे उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य हो गया होता यदि वह निर्वाचित उम्मीदवार होता और ऐसी याचिका प्रस्तुत की गयी होती जिनमें उसके निर्वाचन के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी हो.

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचित उम्मीदवार या ऐसा अन्य पक्षकार ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने का तब तक हकदार न होगा जब तक कि उस पर निर्वाचन याचिका की नोटिस की तामील होने के दिनांक से इक्कीस दिन के भीतर उसमें निर्वाचन न्यायधिकारण को अपने ऐसा करने के आशय को नोटिस न दे दी हो और ऐसी प्रतिभूति भी जमा न कर दी हो जो किसी सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में आपत्ति करने की निर्वाचन याचिका के मामलें में विहित की गई हो।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक नोटिस के साथ किसी निर्वाचन याचिका के मामलें में धारा 20 द्वारा अपेक्षित आधार या आधारों और सारवान तथ्यों का विवरण और पूरा ब्यौरा दिया जायेगा और उसी रीति से उस पर हस्ताक्षर और उसका सत्यापन किया जायेगा। (N.M. 87)

22. **निर्वाचन याचिका की सुनवाई–(1)** कोई निर्वाचन याचिका जो धारा 20 के उपबन्धों के अनुरूप न हो या जिस पर प्रस्तुत किये जाने के समय पर या चौदह दिन से अनधिक के ऐसे अग्रेतर समय के भीतर जैसा कि जिला न्यायाधीश ने स्वीकृत किया हो अपेक्षित न्यायालय फीस संदत न की गई हो, ऐसे न्यायाधीश द्वारा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जिस निर्वाचन याचिका को अस्वीकार न किया गया हो, उसकी सुनवाई जिला न्यायाधीश द्वारा की जायेगी।

23. **प्रक्रिया**–जहां तक इस अधिनियम द्वारा या नियम द्वारा अन्यथा उपबन्धित किया जाय, उसके सिवाय सिविल प्रक्रिया संहिता के वादों के सम्बन्ध में उपबन्धित प्रक्रिया का जहां तक वह इस अधिनियम या किसी नियम से असंगत न हो और जहां तक वह लागू हो निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई में अनुसरण किया जायेगा।

परन्तु यह कि–

(क) दो या उससे अधिक ऐसे व्यक्तियों को जिनके निर्वाचन के सम्बन्ध आपत्ति की गयी हो एक ही याचिका में प्रत्यर्थी बनाया जा सकता है और उनके मामालें पर एक साथ निचारण किया जा सकता है, और किन्हीं दो या उससे अधिक निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई एक साथ की जा सकती है, किन्तु ऐसी याचिका जहां तक कि वह संयुक्त विचारण या सुनवाई से संगत हो, प्रत्येक प्रत्यर्थी के सम्बन्ध में पृथक पृथक याचिका समझी जायेगी।

(ख) जिला न्यायाधीश से पूर्ण रूप से साक्ष्य अभिलिखित करने या कराने की अपेक्षा न की जायेगी किन्तु वह साक्ष्य का ऐसा ज्ञापन तैयार करेगा, जो उसकी राय में मामलें में विनिश्चिय करने के प्रयोजन के लिए पर्याप्त हो;

(ग) जिला न्यायाधीश कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर याची से ऐसे समस्त व्यय का जो प्रत्यर्थी द्वारा उपगत किया गया हो या उपगत किये जाने की सम्भावना हो, भुगतान करने के लिए अग्रेत्तर प्रतिभूमि देने की अपेक्षा कर सकता है;

(घ) जिला न्यायाधीश किसी वाद–विषय का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए केवल उतना हो, मौलिक या दस्तावेजों साक्ष्य जितना वह आवश्यक समझें, प्रस्तुत करने या प्राप्त करने की अपेक्षा करने के लिए आबद्ध होगा;

(ङ) किसी मामलें की सुनवाई के दौरान जिला न्यायाधीन कोई विधि का प्रश्न सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 46 के अधीन उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकता है, किन्तु न तो किसी विधि के प्रश्न या तथ्य के सम्बन्ध में कोई अपील होगी और न जिला न्यायाधीश के विनिश्चय के विरूद्ध या सम्बन्ध में कोई पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया जायेगा;

(च) कोई व्यक्ति जो स्वयं को विनिश्चय से क्षुब्ध समझता हो, विनिश्चय के दिनांक से 30 दिन के भीतर जिला न्यायाधीश को पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकता है और तदुपरि जिला न्यायाधीश किसी भी प्रश्न के सम्बन्ध में विनिश्चय कर सकता है–

प्रतिबन्ध यह है कि परिसीमा की संगणना करने में परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 12 की उपधारा (2) का उपबन्ध लागू होना।

संक्षेप

1.	विधायी परिवर्तन (Legislative changers)	5.	पुर्नविलोकन हेतु आवेदन
2.	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबन्धों का लागू होना	6.	पुनर्विलोकन हेतु आवेदन के लिए परिसीमा अवधि
3.	जिला न्यायाधीश द्वारा विधि के प्रश्नों को उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाना	7.	भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 12(2)
4.	जिला न्यायाधीश के निर्णय के विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण		

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)—इस धारा में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, 17 सन् 1982 द्वारा 'निर्वाचन न्यायाधिकरण' के स्थान पर 'जिला न्यायाधीश' शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है। इससे पूर्व सन् 1978 में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 द्वारा इस धारा के अन्तिम परन्तुक को प्रतिस्थापित किया गया।

2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबन्धों का लागू होना—यह धारा स्पष्ट रूप से उपबन्धित करती है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत वादों के सम्बन्ध में किये गये उपबन्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्वाचन याचिकाओं के सम्बन्ध में भी लागू होंगे, बशर्ते कि वे उपबन्ध इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के असंगत न हो। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि निर्वाचन याचिका दाखिल करने, उसकी सुनवायी, पक्षकारों को समन जारी किये जाने, अभिलेख प्रस्तुत करने का आदेश, साक्षियों का परीक्षण आदि के बारें में सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्वाचन याचिकाओं के सम्बन्ध में भी लागू होगे।

3. जिला न्यायाधीश द्वारा विधि के प्रश्नों को उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाना—निर्वाचन याचिका की सुनवाई के दौरान यदि जिला न्यायाधीश को विधि के किसी प्रशन के बारें में कोई समस्या प्रतीत होती है, तो वह उस प्रश्न को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 46 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 46 निम्नवत् है—

आदेश 46
निर्देश

1. उच्च न्यायालय को प्रश्न का निर्देश—जहां ऐसे वाद या अपील की जिसमें डिक्री की अपील नहीं होती, सुनवाई के पूर्व या सुनवाई में अथवा जहां किसी ऐसी डिक्री के निष्पादन में किसी विधि का या विधि के बल रखने वाली प्रथा का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है, जिसके बारें में वह न्यायालय जो वाद या अपील का विचारण कर रहा है या डिक्री का निष्पादन कर रहा है, युक्तियुक्त शंका रखता है वहां वह न्यायालय स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर, मामलें के तथ्यों का और उस विषय—बिन्दु का जिसके बारें में शंका है, कथन तैयार कर सकेगा और ऐसे कथन को उस विषय—बिन्दु के बारें में अपनी राय के सहित उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।

2. न्यायालय ऐसी डिग्री पारित कर सकेगा जो उच्च न्यायालय के विनिश्चय पर समाश्रित है—न्यायालय कार्यवाहियों को रोक सेगा या ऐसे निर्देश के किए जाने पर भी मामलें को अग्रसर हो सकेगा और उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किए गए विषय—बिन्दु के विनिश्चय पर समाश्रित डिक्री पारित कर सकेगा या आदेश कर सकेगा;

किन्तु किसी भी ऐसे मामलें में जिसमें ऐसा निर्देश किया गया है, कोई भी डिक्री या आदेश निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस निर्देश का उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति प्राप्त न हो जाये।

3. उच्च न्यायालय का निर्णय पारेषित किया जाएगा और मामला तद्नुसार निपटाया जाएगा—यदि पक्षकार उपसंजात हो और सुनवाई की वांछा करे तो उच्च न्यायालय उन्हें सुनने के पश्चात् इस प्रकार निर्दिष्ट किए गए विषय—बिन्दु का विनिश्चय करेगा और अपने निर्णय को रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित प्रति उस न्यायालय को पारेषित करेगा जिसमें निर्देश किया था और ऐसा न्यायालय उसकी प्राप्ति पर उस मामलें की उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुरूप निपटाने के लिए अग्रसर होगा।

4. उच्च न्यायालय को किए गए निर्देश के खर्चे–उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए किए गए निर्देश के परिणामस्वरूप खर्चे (यदि कोई हों) मामलें के खर्चे होंगे।

4–क. धारा 113 के परन्तुक के अधीन उच्च न्यायालय को निर्देश–न्यायालय द्वारा धारा 113 के परन्तुक के अधीन किए गए किसी भी निर्देश को नियम 2, नियम 3 और नियम 4 के उपबन्ध वैसे हो लागू होंगे जैसे वे नियम 1 के अधीन किए गए निर्देश को लागू होते है।

5. निर्देश करने वाले न्यायालय की डिक्री को परिवर्तित करने आदि की शक्ति–जहां उच्च न्यायालय को किसी मामलें का निर्देश नियम 1 के अधीन या धारा 113 क परन्तुक के अधीन किया जाता है वहां उच्च न्यायालय मामलें को संशोधन के लिए लौटा सकेगा और किसी ऐसी डिक्री या आदेश को परिवर्तित, रद्द या अपास्त कर सकेगा जिसे निर्देश करने वाले न्यायालय ने उस मामलें में किया है या पारित किया है जिसमें से निर्देश उठा था और ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझें।

6. लघुवादों में अधिकारिता सम्बन्धी प्रश्नों को उच्च न्यायालय को निर्देशित करने की शक्ति–(1) जाहं निर्णय के पूर्व किसी भी समय वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया गया है यह शंका करता है कि क्या वह लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय है या इस प्रकार संज्ञेय नहीं है वहां वह वाद की प्रकृति के बारें में शंका के लिए अपने कारणों के कथन सहित अभिलेख को उच्च न्यायालय को निवेदित कर सकेगा।

(2) अभिलेख और कथन के प्राप्त होने पर उच्च न्यायालय को वाद में अग्रसर होने के लिए या वाद पत्र के ऐसे अन्य न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए जिसके बारें में वह अपने आदेश द्वारा घोषित करे कि वह न्यायालय वाद का संज्ञान करने के लिए सक्षम है, लौटाने के लिए आदेश दे सकेगा।

7. लघुवादों में अधिकारिता सम्बन्धी भूल के अधीन की गई कार्यवाहियों को पुनरीक्षण के लिए निवेदित करने की जिला न्यायालय की शक्ति–(1) जहां जिला न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उसका अधीनसथ न्यायालय यह गलत धारणा करने के कारण कि वह लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय है या इस प्रकार संज्ञेय है कि अपने में विधि द्वारा निहित की गई अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है या इस प्रकार निहित न की गई अधिकारिता का प्रयोग कर चुका है वहां जिला न्यायालय इस बारें में कि वाद की प्रकृति की बाबत अधीनस्थ न्यायालय की राय गलत है अपने कारणों के कथन सहित अभिलेख को उच्च न्यायालय को निवेदित कर सकेगा और यदि पक्षकार द्वारा अपेक्षित किया जाय तो निवेदित करेगा।

(2) अभिलेख और कथन की प्राप्ति पर उच्च न्यायालय मामलें में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझें।

(3) ऐसे मामलें में जो उच्च न्यायालय को इस नियम के अधीन निवेदित किया गया है, डिक्री को पश्चात्वर्ती किन्हीं भी कार्यवाहियों के बारें में उच्च न्यायालय ऐसा आदेश कर सकेगा जो परिस्थितियों में उसे न्यायसंगत और उचित प्रतीत हों।

(4) जिला न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय ऐसी अध्यपेक्षाकृत अनुपालन करेगा जो न्यायालय इस नियम के प्रयोजनों के लिए किसी अभिलेख या जानकारी के लिए करें।

4. जिला न्यायाधीश के निर्णय के विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण–निर्वाचन याचिका में जिला न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णय के खिलाफ किसी प्रकार की अपील अथवा पुनरीक्षिण के बारें में इस धारा के अन्तर्गत अथवा इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अन्तर्गत किसी प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। अतः प्रश्न उठता है कि क्या जिला न्यायाधीश के निर्णय से क्षुब्ध पक्षकार को उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार का उपचार प्राप्त नहीं है और उसका निर्णय ही अन्तिम होगा। नहीं ऐसा नहीं है। क्षुब्ध व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत जिला नयायाधीश के निर्णय को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दे सकता है।

5. पुर्नविलोकन हेतु आवेदन—संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत जिला न्यायाधीश के निर्णय को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देने से पूर्व क्षुब्ध पक्षकार जिला न्यायाधीश के समक्ष पुनर्विचार हेतु याचिका दाखिल कर सकता है। ऐसी याचिका जिला न्यायाधीश के निर्णय के दिनांक से 30 दिन के भीतर दाखिल की जानी चाहिए।

6. पुनर्विलोकन हेतु आवेदन के लिए परिसीमा अवधि—इस धारा का खण्ड (च) यह उपबन्धित करता है कि जिला न्यायाधीश के समक्ष उसके निर्णय के पुनर्विलोकन हेतु कोई भी आवेदन ऐसे निर्णय के दिनांक से तीस दिन के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए।

7. भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 12(2)—इस धारा का अन्तिम परन्तुक यह उपबन्धित करता है कि परिसीमा अवधि की संगणना करने में परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 12 (2) के उपबन्ध लागू होंगे। यह धारा निम्नवत् है—

धारा 12 वैध कार्यवाहियों में लगाये समय का उपवर्जन (Exclusion oh time in legal proceedings—(1) किसी वाद पर, अपील या आवेदन के लिए विहित मर्यादा काल की संगणना में से वह दिन, जिससे ऐसी कालावधि प्रगणित की जाती है, अपवर्जित कर दिया जायेगा।

(2) किसी अपील के लिए अपील करने को इजाजत के आवेदन के लिए और किसी निर्णय के पुनर्विलोकन के आवेदन के लिए विहित मर्यादा काल की संगणना में वह दिन जिसको कि परिवादित निर्णय दिया गया था और वह समय की आज्ञप्ति दण्डादेश को आदेश की प्रति जिसकी अपील की गई है या पुर्नविलोकन कराने का प्रयास है, अभिप्राप्त कराने के लिए अपेक्षणीय हो, पुनर्वर्जित कर दिया जायेगा।

(3) जहां कि आज्ञप्ति को अपील की जाये या पुनर्विलोकन कराने का प्रयास किया जाये वहां वह समय भी जो उस निर्णय के प्रति, जिस पर वह आज्ञप्ति आधारित है, अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षणीय हो, अपवर्जित कर दिया जायेगा।

(4) किसी पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन के लिए विहित मर्यादा—काल की संगणना में से वह समय जो कि पंचाट को प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षणीय हो, अपवर्जित कर दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अन्तर्गत आज्ञप्ति या आदेश की प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षणीय समय की संगणना में वह समय, जो न्यायालय ने आज्ञप्ति या आदेश तैयार करने में उसके लिए आवेदन किये जाने के पूर्व लिया हो, अपवर्जित नहीं किया जायेगा।

यह धारा समय के अपवर्जन के लिए पक्षकारों की ओर से किसी प्रार्थना या आवेदन की अपेक्षा नहीं करती, क्योंकि स्वतः उसी के द्वारा ऐसे अपवर्जन को अनिवार्य बना दिया गया है। ऐसे समय का अपवर्जन न्यायालय का कर्तव्य है।

द्वितीय अपील के लिए मर्यादा अवधि काल की गणना करने में प्रथम पदीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री को प्रतिलिपियॉ प्राप्त करने में बीता समय अपवर्जित नहीं किया जा सकता।

इस धारा के अन्तर्गत पुनरीक्षण (revision) के लिए उपबन्ध करें ध्यान में रखते हुए, यह तथ्य मात्र कि षासन द्वारा बनाये गये नियम यह अपेक्षा करते हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 85 के अन्तर्गत पुनरीक्षण के आबंटन के साथ उस आदेश की प्रतिलिपि भी होनी चाहिए जिसका पुनरीक्षण चाहा जाता है आवेदक को प्रतिलिपि प्रापत करने में बीते समय की छूट का अधिकारी नहीं बना देती।

जब हम इस धारा के उपबन्धों का विश्लेषण करते हैं तो पाते है कि—

(ii) वाद के संस्थित करने के निर्धारित अवधि की गणना करने में वह दिन, जिससे समय बीतना आरम्भ होता है, छोड़ (excluded) दिया जाता है। जैसे किसी प्रोनोट पर वाद करते समय प्रोनोट लिखे जाने की अवधि की गणना करते समय छोड़ दिया जायेगा।

(iii) अपील के लिए निर्धारित अवधि की गणना करने में निम्नलिखित अवधि छोड़ दिया (excluded निकाय दिया) जायेगा—

(अ) वह दिन जिससे अवधि बीतना शुरू हुआ,

(ब) वह दिन जिस पर निर्णय सुनाया गया, और

(स) उतने दिनों का, जितना कि उस आज्ञप्ति, दण्डादेश अथवा आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की जानी है, की एक प्रति प्राप्त करने के लिए वांछित समय है, तथा

(द) उतने दिनांक को जितना कि उस निर्णय की एक प्रति प्राप्त करने के लिए वांछित है,

(iv) पुनरीक्षक (revision) अथवा पुनरावलोकन (review) अथवा अपील के लिए आज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र के लिए निर्धारित अवणि की गणना करने में निम्नलिखित अवधि छोड़ दिया जायेगा–

(अ) वह दिन जिससे अवधि बीतना शुरू हुआ,

(ब) वह दिन जिस पर निर्णय सुनाया गया,

(स) आज्ञप्ति की प्रति प्राप्त करने में लगा आवश्यक समय, तथा

(द) निर्णय की एक प्रति प्राप्त करने में लगा आवश्यक समय।

(v) पंचाट (award) को खारिज करने के लिए प्रार्थना पत्र के लिए निर्धारित मियाद की अवधि की गणना में निम्नलिखित अवधि छोड़ दिया जायेगा–

(अ) उस दिन को जिस दिन से समय बीतना शुरू हुआ, तथा

(ब) पंचाट (award) की प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगा आवश्यक समय।

(vi) किसी अन्य आवेदन के लिए निर्धारित कालावधि की गणना करने में केवल वह दिन, जब से समय बीतना आरम्भ करता है, छोड़ दिया जायेगा। धारा 2, 3 तथा 4 के अनतर्गत वह दिन जिस दिन की अवधि का बीतना आरम्भ हुआ और निर्णय का दिन एक ही होता है।

रिट की कार्यवाही (Writ proceedings)–इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नियमों के अध्याय 7 के नियम 6 में प्रयुक्त 'वाद' शब्द के अर्थ के भीतर इस कार्यवाही की प्रकृति वाद की है, और इस कारण रिट के मामलें में डिक्री तैयार की जा सकती है, और अपील के लिए अवधि–काल की गणना करने में उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने में बीता समय अपवर्जित किया जा सकता है।

धारा 12 (2) में आया 'आदेश' शब्द इतना व्यापक है कि उसमें सब प्रकार के आदेश तथा औपचारिक आदेश सम्मिलित हो जाते है। इस अर्थ यह हुआ कि तैयार किया गया संलेख, जिसे डिक्री कहते है, एक औपचारिक आदेश समझा जा सकता है और उसके प्रापत करने में बीता समय धारा 12 (2) के अन्तर्गत अपवर्जित किया जा सकता है।

'अपेक्षित समय' का अर्थ (Time requistite : Meaning o h)–इस धारा के अन्तर्गत आने वाली सभी मामलों के लिए कोई निश्चित नियम निरूपित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक मामलें का विनिश्चय उसके अपने गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। किन्तु एक सामान्य निपयम या सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित उल्लेख किया जाना सम्भव है–

(vii) 'अपेक्षित समय' (Time requistite) का अर्थ है केवल मध्यान्तर अर्थात् उस बीच का समय जबकि प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दिया गया है और जब कि प्रतिलिपि आवेदक को देने के लिए तैयार की गयी हो;

(viii) यह कि मध्यान्तर के समय वादकारी (htigent) की ओर से उचित श्रम किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है; तथा

(ix) यह कि विलम्ब क्षम्य नहीं है, जब तक कि ऐसा विलम्ब ऐसी परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न न हो, जिस पर वादकारी का कोई नियन्त्रण न था और जो उचित श्रम द्वारा बचाया (avoid) नहीं जा सकता था।

'अपेक्षित समय' पद से तात्पर्य ऐसे समय से है, जिसकी उचित तथा युक्तिसंगत रूप से अपेक्षा की जाती हो। ऐसा कोई समय अपेक्षित नहीं समझा जा सकता जिसका बीतना, यदि अपीलान्ट ने आदेश प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत और उचित कार्यवाही की होती, अनावश्यक था।

डिक्री के हस्ताक्षरित और तैयार हो जाने पर वह समय, जो पक्षकार उस पर विचार करने और अपने वकील की सलाह प्राप्त करने में बिताये 'अपेक्षित' नहीं किया जा सकता, अपीलाण्ट की लापरवाही या गफलत से विलम्ब 'अपेक्षित समय' नहीं समझा जा सकता और न अपवर्जित किया जा सकता है।

जहां अपीलाण्ट से अपने ही व्यय पर प्रतिलिपि प्राप्त करना अपेखित नही है वरन् यह परिनियम के अन्तर्गत सम्बद्ध प्राधिकार के एक नियत अवधि के भीतर निःशुल्क प्रतिलिपि प्रापत करने का अधिकार है, वहां सम्बद्ध प्राधिकार द्वारा प्रतिलिपि के प्रदाय में लिया गया समय धारा 12 (2) के अर्थ के भीतर 'अपेक्षित समय' होगा।

प्रतिलिपियों के लिए आवेदन (Application hor Copies)—समय के अपवर्जन की मांग करने के लिए यह आवश्यक नही है कि प्रतिलिपियों के लिए आवेदन पक्षकार द्वारा स्वयं किया जाये। कोई पक्षकार किसी अन्य पक्षकार या किसी परजन द्वारा प्राप्त की गई प्रतिलिपि को उपयोग में ला सकता है। और उस प्रतिलिपि के प्राप्त करने में लगे समय के अपवर्जन की अभ्यर्थना कर सकता है। हिन्दु विवाह अधिनियम के अन्तर्गत अपील के लिए 30 दिन की अवधि की परिसीमा की संगना करते समय डिक्री की नकल प्राप्त करने में जो समय बीता हो, उसका अपवर्जन (exclusion : छोड़ने, निकालने) करने का अपीलार्थी अधिकारी होगा।

किसी निर्णय आज्ञप्ति या अन्य आदेश की एक प्रति प्राप्त करने में जो समय लगता है, उसे अपील आदि की गणना करते समय निहित अवधि में नहीं लिया जजाता और छोड़ दिया जाता है, क्योंकि बिना उक्त प्रति के अपील आदि की ही नहीं जा सकती है। पर उतने ही दिन को छोड़ा जाता है (excluded : निकाला जाता है) जो कि एक प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो।

इस धारा के स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि अवधि की गणना करते समय उस समय को नहीं छोड़ा जायेगा जो कि निर्णय के बाद न्यायालय द्वारा आज्ञपित या आदेश तैयार करने में लिया गया, यदि उसके पहले आवेदन न कर दिया गया हो। जैसे प्रथम न्यायालय ने 1 मई, 1948 ई0 को निर्णय दिया और डिक्री 20 जून, 1984 को हस्ताखरित किया गया। अपील करने की अवधि 90 दिनों की थी और 4 अगस्त, 1948 को दाखिल की गई तो अपी कालतिरोहित (Time Harred) होगी, क्योंकि अपील किये जाने के लिए 95 दिन व्यतीत हो चुके थे। पर यदि डिक्री हस्ताक्षरित होने से पूर्व ही आवेदन कर दिया गया हो तो वह समय जो एक प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित है, 90 दिनों की गणना करते समय छोड़ दिया जायेगा।

यदि पक्ष अपील की परिसीमा की अवधि के अन्तर्गत फैसले व डिक्री की नकल के लिए प्रार्थना नहीं करता है, तो उसकी अपील अवधि के अन्तर्गत नहीं होगी।

आवेदन करने के दिनांक से लेकर प्रतिलिपि की तैयारी की सूचना दिये जाने के दिनांक तक का समय ही अपेक्षित समय होता है। प्रतिलिपियों के आवेदन का उसी उपयुक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जो ऐसे आवेदनों को ग्रहण करने के लिए नियुक्त किया गया हो।

डिक्री, निर्णय, आदेश की प्रतिलिप प्राप्त करने में व्यतीत हुआ समय अपेक्षित समय है, जिसको मर्यादा—काल की संगणना में से अपवर्जित किया जायेगा। यदि कोई प्लान डिक्री का ही भाग है, तो उसकी प्रतिलिपि लेने में जो समय लगा है वह अपवर्जन किये जाने योग्य है।

गोविन्द राम के वाद में कहा गया है कि जब आवेदक की ओर से या उसके वकील की ओर से कोई भूल, अकर्मण्यता या सद्भाव का अभाव नहीं है और प्रतिलिपि देने में प्रतिलिपि—विभाग या नियमों के प्रमाद के कारण विलम्ब हुआ है, तो प्रतिलिपि प्राप्त करने के समय माना जायेगा और उसे अपवर्जित किया जायेगा।

वास्तव में किसी डिक्री की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय दो भागों मे में बंटा हुआ है—(1) एक तो वह समय है, जब मूल डिक्री के अस्तित्व में आने के लिए कुछ किया जाना बाकी रहता है, और (2) दूसरा वह समय है जो डिक्री के अस्तित्व में आ जाने पर उसकी प्रतिलिपि तैयार करने में लगता है। यदि पहले भाग के सम्बन्ध में, ''डिक्री के अस्तित्व में आने के लिए स्वयं आवेदक को ही कुछ करना है, जो

उसने नहीं किया है, तो वह अपने आवेदन की तारीख से डिक्री के अस्तित्व में आने की तारीख तक के बीच के समय को अपवर्जित किये जाने का दावा नहीं कर सकता है।''

किन्तु जहां डिक्री को तैयार करने में पक्षकार का कोई हस्तक्षेप कतई आवश्यक नहीं होता है, वहां उसको तैयार करने में जो भी समय लगा हो वह पूरा अपवर्जित किया जायेगा। क्योंकि वह समय न्यायालय के कार्यालय और न्यायाधीश की गतिविधियां पर आश्रित रहता है।

जहां प्रतिलिपियों के लिए आवेदन दोषपूर्ण हो और शोधन के लिए लौटा दिया जाय, वहां निश्पादन की अवधि उसी दिनांक से आरम्भ होती है जबकि शोधन के बाद आवेदन पुनः प्रस्तुत किया गया हो।

प्रतिलिपि का परिदान ग्रहण करने में विलम्ब (Delay in taking delivery of copy)—उस दिनांक से जब कि प्रतिलिपि तैयार हई और उस दिनांक से जब कि उसका परिदान वस्तुतः ग्रहण किया गया हो, बीच का समय अपवर्जित नहीं किया जा सकता।

उस दिनांक की, जबकि प्रतिलिपि परिदान के लिए तैयार की गई, पक्षकार को सूचना के अभाव में परिदान ग्रहण करने में विलम्ब की गणना अपीलाण्ट के विरूद्व नहीं की जा सकती।

इस सम्बन्ध में एन0 नीलमणि सिंह का मामला एक दिलचस्प उदाहरण है। इस मामलें में सरकार की ओर से सरकारी वकील ने जिला जज के न्यायालय में प्रथम अपील दाखिल करने के लिए 19 दिसम्बर, 1959 को डिक्री की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। यद्यपि प्रतिलिपि 31 दिसम्बर को तैयार हो गई थी किन्तु उस पर कुछ स्टाम्प लगाना था जिसकी पूर्ति कर दिये जाने पर नोटिस बोर्ड पर उसके तैयार हो जाने की सूचना लगा दी गई। किन्तु अपीलार्थी को यह सूचना नहीं दी गई कि प्रतिलिपि उसको कब दी जायेगी। अस्तु सरकारी वकील ने प्रतिलिपि लेने के लिए अपना क्लर्क तैनात कर दिया और तब उसको 12 जनवरी, 1960 को प्रतिलिपि दी गई। अस्तु सरकारी वकील ने 8 फरवरी, 1960 को अपील दाखिल किया और साथ में शपथ—पत्र के साथ विलम्ब की क्षमा के लिए आवेदन—पत्र भी दाखिल किया। जिला जज ने 19 दिसम्बर, 1959 से 12 जनवरी, 1960 तक के समय को प्रतिलिपि लेने में अपेक्षित समय मानते हुए बिना आवेदन—पत्र पर विचार किये उसे समय की म्याद की गणना से अपवर्जित कर दिया और अपील ग्रहण कर लिया। इस आदेश के विरूद्व निगरानी किये जाने पर जुडीशल कमिशनर ने आदेश को अपास्त करते हुए विलम्ब की क्षमा के लिए पेश किये गये आवदेन—पत्र पर विचार करने के लिए जिला जज को आदेश दिया। जिला जज ने शपथ पत्र पर विचार करते हुए पुनः आवेदन को स्वीकार कर लिया और विलम्ब को क्षमा कर दिया। शपथ—पत्र में पूरे तथ्यों का हवाला देते हुए यह भी कहा गया था कि प्रतिलिपि में निर्धारित कालम में यह भी नहीं बताया गया था कि प्रतिलिपि विलम्ब से दिये जाने का क्या कारण था। तब अपील में जुडीशल कमिशनर ने प्रतिलिपिकार की असावधानी मानते हुए जिला जज के आदेश को उचित ठहराया। न्यायालय ने 31 दिसम्बर, 1959 को प्रतिलिपितैयार होने की सूचना, नोटिस—बोर्ड में लगाये जाने, और उसके बाद 2 जनवरी, 1960 (1 जनवरी को छुट्टी थी) से 12 फरवरी, 1960 तक नोटिस बोर्ड में इस सम्बन्ध में कोई सूचना न लगाये जाने की प्रतिलिपिकार की असावधानी की भी आलोचना की।

उस दिनांक, जबकि प्रतिलिपि तैयार हो गई, और उस दिनांक के, जब कि डाक से रवाना की गई, बीच की अवधि अपवर्जित की जाती है, परन्तु डाक द्वारा पहुंचने का समय नहीं।

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी है कि यदि डिक्री को तेयार करने में देरी की कोई समयावधि स्वयं आवेदनकर्ता की चूक या उपेक्षा के कारण हुई है तो उसे इस धारा के अन्तर्गत परिसीमावधि की कोई छूट न मिल सकेगी।

23—ए. {***}

24. **वाद व्यय के लिए उपबन्ध**—इस अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन याचिका में जिला न्यायाधीश द्वारा वाद व्यय के लिए या वाद व्यय के प्रतिभूति—पत्र की वसूली के लिए दिया गया कोई आदेश उसके द्वारा जिले के कलेक्टर को निष्पादन के लिए भेजा जा सकता

है जिसमें सम्बद्ध नगरपालिका स्थित है और इस प्रकार भेजा गया आदेश कलेक्टर द्वारा उस रीति से निश्पादित किया जायेगा मानों वह भू–राजस्व की बकाया के सम्बन्ध में हो।

संक्षेप

1. वाद व्यय की वसूली 2. कुर्की से मुक्ति

1. वाद व्यय की वसूली–धारा 24 नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत वाद व्यय या उसके प्रतिभूमि जमा करने का आदेश दिया जाता है किन्तु यह जमा नहीं किया जाता है, तो उसकी वसूली कलेक्टर द्वारा की जा सकती है। कलेक्टर वसूली के लिए वे सभी तरीके अपना सकता है जो मालकुमजारी के बकाये की वसूली के लिए अपनाये जाते हैं। मालगुजारी की वसूली के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1951 के धारा 279 से लेकर धारा 282 तक में उपबन्ध किये गये है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन धाराओं के क्रमशः निम्नवत् प्रस्तुत किया जा सकता हैं–

''धारा 279. मालगुजारी की बकाया की वसूली की रीति–(1)मालगुजारी की बकाया निम्नलिखित रीति में से एक या अधिक से वसूली की जा सकेगी–

(क) किसी बाकीदार पर मांग–पत्र (writ of demand) या उपस्थिति–पत्र (citation to appear) तामील करके;
(ख) उस व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोधन से;
(ग) उसकी चल सम्पत्ति की, जिसके अन्तर्गत उपज भी है, कुर्की और नीलाम से;
(घ) उस खाते की कुर्की से जिसके सम्बन्ध में बकाया हो;
(ङ) उस खाते का पट्टा करके या विक्रय करके जिसके सम्बन्ध में बकाया हो;
(च) बाकीदार की दूसरी अचल सम्पत्ति की कुर्की और नीलाम से; तथा
(छ) बाकीदार की चल या अचल किसी सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्त करके।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित रीतियों (Processes) में से किसी का व्यय मालगुजारी में जोड़ दिया जायेगा और मालगुजारी के बकाये की भांति वसूली के योग्य होगा।''

धारा 279 में वर्णित ढंगों में से एक को या एक साथ एक अधिक ढंगो को मालगुजारी की वसूली हेतु कलेक्टर द्वारा अपनाया जा सकता है।

भू–राजस्व के बकाये की वसूली के लिए गिरफ्तारी का आश्रय केवल तभी लिया जा सकता है, जब बकायेदार के पास भू–राजस्व के बकाये के भुगतान के लिए पर्यापत साधन होते हुए भी वह बकाया अदा करने में अपेक्षा बरत रहा हो अथवा बनाया अदा करने से इनकार कर रहा हो।

उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम में अथवा इसके अधीन निर्मित नियमावली के अधीन जंगम सम्पत्ति की कुर्की अथवा विक्रय के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के अनुसार ही कार्यवाही की जायेग। विक्रय तब पूर्ण होता है जब विक्रय प्रमाण–पत्र जारी कर दिया जाता है, न कि तब जब सम्पत्ति की नीलामी की जाती है।

उच्चतम न्यायालय ने श्रीमती प्रियबन्दा सिंह के मामलें में अभिधारित किया कि आयुध को अनुज्ञप्ति का निलम्बन ऋण था भू–राजस्व के बकाया को वसूलने का ढंग नहीं है।

धारा 280 मांग–पत्र और उपस्थिति–पत्र–(1) मालगुजारी की बकाया के दये होते ही तहसीलदार मांग जारी करके बाकीदार को आदेश दे सकता है कि वह निर्दिष्ट किये जाने वाले समय के भीतर बकाया दे दे।

(2) मांग–पत्र के अतिरिक्त या उसके स्थान पर तहसीलदार निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक पर उपस्थित होने और देय बकाया को जमा करने के लिए बाकीदार के विरूद्ध उपस्थिति–पत्र जारी कर सकता है।

धारा 281. गिरफ्तारी और निरोधन (Arrest and detention)–कोई भी मालगुजारी का बकायेदार की गिरफ्तार कर ऐसी अवधि के लिए, जो 15 दिन से अधिक न हो, अभिरक्षा में निरोधित किया है, जब तक कि वह बकाया गिरफ्तारी और निरोध के व्यय समेत, यदि कोई हो, जो धारा 279 की उपधारा (2) समेत उक्त अवधि से पहले ही न दे दे–

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन किसी स्त्री या अवयस्क की गिरफ्तारी का निरोधन न हो सकेगा;

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति उस खाते की बकाया के लिए, जिसका वह भूमिधर नहीं है केवल इसलिए गिरफ्तार या निरूद्ध नहीं हो सकेगा कि धारा 243 के अधीन मालगुजारी के भुगतान का उसका संयुक्त दायित्व है।

गिरफ्तारी का वारण्ट उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 279 में वर्जित तरीकों में से किसी को अपनाये जाने के बाद भी, जारी किया जा सकता। (1) गिरफ्तारी का वारण्ट मांग–पत्र या उपस्थिति पत्र को जारी किये जाने के पूर्व भी जारी किया जा सकता है।

भू–राजस्व के बकाये को वसूल करने के सम्बन्ध में, कलेक्टर को यह पूर्ण अधिकर है कि वह भू बकायेदार के विरूद्ध भू–राजस्व की वसूली की कार्यवाही में उसकी चल सम्पत्ति की कुर्की और नीलामी के आदेश के पूर्व ही गिरफ्तारी तथा निरोधन का ओदश दे सकता है।

भू–राजस्व के बकाये की वसूली के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निरोधन से मुक्ति प्राप्त है–

(1) अवयस्क
(2) स्त्री
(3) भारतीय सेना का कर्मचारी
(4) भारतीय रिजर्व पुलिस बल का सदस्य
(5) 500 रू0 से कम का बकायेदार
(6) कृत्रिम व्यक्ति

''धारा 282. चल सम्पत्ति की कुर्की और नीलाम–(1) बकायेदार चाहे गिरफ्तार हुआ हो या नहीं, कलेक्टर उसकी चल सम्पत्ति को कुर्क और नीलाम कर सकते है।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक कुकी और नीलाम, सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में चल सम्पत्ति की कुर्की और नीलाम के विषय में समय विशेष पर प्रचलित विधि के अनुसार किया जायेगा।

(3) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60 की उपधारा (1) के परन्तुक खण्ड (क) से (ण) तक में उल्लिखित विवरणों के अतिरिक्त, ऐसी वस्तुंए की, जो केवल धार्मिक उपासना के लिए अलग कर दी गयी हो, इस धारा के अधीन कुर्की और विक्रय से मुक्त रहेगी।''

यदि भू–राजस्व के बकायेदार के विरूद्ध बकाया की वसूली की कार्यवाही के अन्तर्गत उसकी सम्पत्ति को कुर्क करके नीलामी की कार्यवाही के दौरान किसी वयक्ति द्वारा सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में आपत्ति की जाती है, तो आपत्ति के निपटारे के बाद ही नीलामी की कार्यवाही की जा सकेगी ओर ऐसा न करने पर नीलामी की कार्यवाही अवैध होगी।

यदि कलेक्टर भू–राजस्व के बकाया की वसूली के लिए मांग पत्र जारी के पूर्व ही बकायेदार की गिरफ्तारी एवं निरोधन की कार्यवाही के साथ उसकी सम्पत्ति की कुर्की और नीलामी की कार्यवाही करता है, तो कलेक्टर की ऐसी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होगी और अवैध होगी।

इस धारा के अन्तर्गत मात्र कलेक्टर को ही सम्पत्ति का विक्रय करने का अधिकार है यदि कुर्क अमीन द्वारा सम्पत्ति का विक्रय किया जाता है, तो वह अवैध होगा।

2. कुर्की से मुक्ति–धारा 282 की उपधारा (3) के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 की उपधारा (1) में वर्णित जिन वस्तुओं की कुर्की नहीं हो सकती है, उनकी कुर्की इस धारा के अन्तर्गत भी नहीं हो सकती। धारा 60 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित वस्तुओं की कुर्की नहीं हो सकती है–

(1) पत्नी, बच्चे आदि के आवश्यक वस्त्र, भोजन बनाने के पात्र, चारपाई, निजी आभूशण आदि,
(2) कारीगर के औजार, कृषि उपकरण, पशु और बीच आदि,
(3) लेखा, बहियॉ,
(4) भविष्य निधि वेतनभोगी से,
(5) निर्णीत ऋणी की जीवन बीमा पालिसी के अधीन संदेय सभी धन,
(6) पूजा के सामान आदि।

25. **जिला न्यायाधीश का निष्कर्ष**–(1) यदि जिला न्यायाधीश ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में जिसके निर्वाचन पर याचिका द्वारा आपत्ति की गयी है, यह निष्कर्ष निकालता है कि उसका निर्वाचन विधिमान्य था तो वह ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध याचिका को खारिज कर देता और स्वविवेकानुसार खर्चा दिला सकता है और प्रतिभूमि या उसके भाग को वापस करने या समपहृत करने का आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।

(2) यदि जिला न्यायाधीश यह निष्कर्ष निकालता है कि किसी व्यक्ति का निर्वाचन अविधिमान्य था या याची को नाम निर्देशन–पत्र अनुचित रूप में अस्वीकृत किया गया था तो वह मामलें को विशिष्ट परिस्थितियों में चाहे मार्ग अधिक उपयुक्त हो, या तो–

(क) यह घोषित करेगा कि एक आकस्मिक रिक्त हो गयी है; या
(ख) यह घोषित करेगा कि दूसरा कि उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हो गया है, और किसी एक मामलें में वाद व्यय का अधिनिर्णय कर सकता है।

संक्षेप

1.	विधायी परिवर्तन (Legislative changers)	2.	जिला न्यायाधीश का निष्कर्ष

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)–इस धारा में से उपधारा (3) को उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1953 द्वारा निरसित कर दिया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 1982 द्वारा इस धारा में प्रयुक्त निर्वाचन न्यायाधिकरण शब्द को 'जिला न्यायाधीश' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।

2. जिला न्यायाधीश का निष्कर्ष–जिला न्यायाधीश किसी निर्वाचन याचिका में यदि इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन वैध था, तो वह याचिका को खारिज कर स्वविवेक से निर्वाचित व्यक्ति को याची से वाद का खर्चा दिला सकता है। इसके विपरीत यदि

जिला न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन अवैध था तो वह उसका निर्वाचन रद्द कर सकता है और दूसरे उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर सकता है।

26. **निर्वाचन कार्यवाहियों का परिवर्तन**–(1) पूर्ववर्ती धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि जिला न्यायाधीश को, किसी निर्वाचन याचिका की सुनवाई के अनुक्रम में यह राय हो कि साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि प्रश्नगत निर्वाचन कार्यवाहियों से भ्रष्ट आचारण उस हद तक प्रचलित था, जिसके कारण सम्पूर्ण कार्यवाहियों को अपास्त करना उचित है, तो वह इस आशय का सशर्त आदेश करेगा और निर्वाचित घोषित किये गये ऐसे प्रत्येक उम्मीदवार को जिसे मामलें में पहले ही पक्षकार न बना लिया गया हो, तत्सम्बन्धी नोटिस देगा जिसमें उससे यह कारण बताने की अपेक्षा की जायेगी कि क्यों ऐसे सशर्त आदेश को अन्तिम रूप दे दिया जाये।

(2) तदुपरान्त ऐसा प्रत्येक उम्मीदवार उपस्थित हो सकता है और कारण बता सकता है और उसके प्रश्न पूछने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे साक्षी को जो मामलें में उपस्थित हुआ हो, फिर से बुलाया जा सकता है।

(3) तत्पश्चात् जिला न्यायाधीश या तो उस सशर्त आदेश को रद्द कर देगा या उसे नष्ट कर देगा, ऐसी दशा में वह नगरपालिका को नये सिरे से निर्वाचन कार्यवाहियां करने का निदेश देगा।

स्पष्टीकरण–इस खण्ड में पद 'प्रश्नगत निर्वाचन कार्यवाहियों' और 'सम्पूर्ण कार्यवाहियों' का तात्पर्य ऐसी समस्त कार्यवाहियों (जिनके अन्तर्गत नामनिर्देशन और निर्वाचन की घोषणा भी होगी) से होगा जो किसी एक ही मतदान के सम्बन्ध में की गई हो, चाहे ऐसा मतदान किसी कक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों का चयन करने से या अन्यथा किया गया हो।

27. **भ्रष्ट आचरण के लिए अनर्हता**–जिला न्यायाधीश किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके बारें में यह मालूम हो कि उसने कोई भ्रष्ट आचरण किया है, नगरपालिका का सदस्य निर्वाचित किये जाने या नगरपालिका के दान स्वरूप या उसकी व्यवस्था में किसी पद या स्थान पर नियुक्त किए जाने या बने रहने के लिए पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए असमर्थ घोषित कर सकता है;

परन्तु यह कि यह घोषणा ऐसे उम्मीदवार के सम्बन्ध में नहीं की जायेगी, जो निर्वाचन याचिका में कोई पक्षकार न हो या जिसे धारा 26 के अधीन सुनवाई किये जाने का अवसर न दिया गया हो।

28. **भ्रष्ट आचरण**–ऐसा व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा–

(1) किसी मतदाता को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने या मत देने से विरत रहने के लिए कपट, साशय, दुर्व्यपदेशन, प्रपीड़न, क्षति पहुंचाने की धमकी, द्वारा उत्प्रेरित करे या उत्प्रेरित करने का प्रत्यन्त करें;

(2) किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने के या मत देने से विरत रहने के लिए किसी मतदान को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से, किसी व्यक्ति को कोई धन या मूल्यवान प्रतिफल या कोई स्थान या नियोजन देने का प्रस्ताव करे या दे या किसी व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत फायदा या लाभ का वचन दें;

(3) किसी ऐसे मतदार के नाम से जो इस प्रकार मत देने वाला व्यक्ति नहीं है कोई मत दे या मत उपाप्त करें;

(4) खण्ड (1) (2) और (3) में विनिर्दिष्ट किसी कार्य को करने में भारतीय दण्ड संहिता के अर्थान्तर्गत दुष्प्रेरित करें;

(5) किसी उम्मीदवार अथवा निर्वाचक को ऐसा विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करे या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करे कि वह, या अन्य कोई व्यक्ति, जिसमें वह हित रखता है, दैवी अप्रसाद या अध्यात्मिक परिनिन्दा का पात्र हो जायेगा बना दिया जायेगा;

(6) जाति, सम्प्रदाय, पंथ या धर्म के आधार पर संरचना करें;

(7) कोई ऐसा अन्य कार्य करे जिसे राज्य सरकार नियम द्वारा भ्रष्ट आचरण विहित करे;

यह समझा जायेगा कि उसने भ्रष्ट आचरण किया है।

स्पष्टीकरण—'किसी व्यक्तिगत फायदार या लाभ का व चन' के अन्तर्गत स्वयं उस व्यक्ति के या किसी ऐसे व्यक्ति के जिसमें वह हित रखता हो, लाभ का वचन भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत नगरपालिका की किसी विशेष कार्यवाही से पक्ष में या विरूद्ध मत देने का वचन नहीं है।

29. {***}

29—क. {***}

नगरपालिका का नियन्त्रण

30. **राज्य सरकार की नगरपालिका को विघटित करने की शक्ति**—यदि किसी समय राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि कोई नगरपालिका इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में निरन्तर चूक करती है या अपनी शक्तियों का एक से अधिक बार अतिलंघन या दुरूपयोग करती है तो वह नगरपालिका को कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् कि ऐसा आदेश क्यों न कर दिया जाय, आदेश द्वारा जिसके साथ तत्सम्बन्धी कारण होंगे, सरकारी गजट में प्रकाशित करके नगरपालिका को विघटित कर सकती है।''

संक्षेप

1.	विधायी परिवर्तन (Legislative changers)	5.	कारण सहित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का एक महत्वपूर्ण अंग है।
2.	1994 ई0 के संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित वर्तमान धारा 30 और पूर्ववर्ती धारा 30 में अन्तर	6.	सुनवायीी का युक्तियुक्त अवसर
3.	राज्य सरकार का समाधान	4.	सुनवायी के अवसर का अपवाद
4.	नगरपालिका को विघटित करने का आदेश तत्सम्बन्धी कारण के साथ पारित किया जायेगा	8.	राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका को विघटित करने के आदेश का सरकारी गजट में प्रकाशन
		9.	धारा 30 और धारा 35 : तुलना

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changers)**—यह धारा उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी है। प्रतिस्थापित किये जाने से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी—

''30. **राज्य सरकार की बोर्ड को विघटित करने की शक्ति**—यदि किसी समय राज्य सरकार का बोर्ड के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो जाये कि बोर्ड इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में जान बुझकर चूक किया है या अपनी शक्तियों का अतिलंघन या दुरूपयोग करती है तो वह आदेश द्वारा जिसके साथ तत्सम्बन्धी कारण होंगे, सरकारी गजट में प्रकाशित करके बोर्ड को विघटित या ऐसे समय के लिए, जैसा विनिदिष्टट किया जायेग, अतिष्ठित कर सकेगी

स्पष्टीकरण—आदेश में अतिष्ठित किये जाने की अवधि, यदि राज्य सरकार आवश्यक समझे, को समय—समय पर विज्ञप्ति के माध्यम से बढ़ा सकेगी।''

2. **1994 ई0 के संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित वर्तमान धारा 30 और पूर्ववर्ती धारा 30 में अन्तर**—पूर्ववर्ती धारा 30 और वर्तमान धारा 30 पर अगर तुलनात्मक दृष्टि से नजर डाले तो स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार की शक्ति को इस धारा के अन्तर्गत काफी सीमित कर दिया गया। नगरपालिका को अतिष्ठित करने की पूर्ववर्ती धारा के अन्तर्गत राज्य सरकार की शक्ति अब समाप्त कर दी गयी है। राज्य सरकार को अब किसी भी नगरपालिका को अतिष्ठित नहीं कर सकती है। यही नहीं नगरपालिका को मात्र उसी स्थिति में विघटित किया जा सकता है जब तक नगरपालिका अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के अनुपालन में निरन्तर चूक करती है अथवा अपनी शक्तियों का एक से अधिक बार अतिलंघन अथवा दुरूपयोग करती है। पहले राज्य सरकार बोर्ड को इन कर्तव्यों का जानबुझकर चूक करने अथवा अपनी शक्तियों का अतिलंघन अथवा दुरूपयोग करने पर ही विघटित कर सकती थी। इसके अलावा वर्तमान धारा के अन्तर्गत नगरपालिका को विघटित करने से पूर्व उसे कारण बताओं नोटिस जारी करना और उसे सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करना भी आवश्यक है।

3. **राज्य सरकार का समाधान**—इस धारा के अन्तर्गत नगरपालिका को विघटित करने का आदेश राज्य सरकार अपने इस समाधान के होने के पश्चात् कर सकती है कि कोई नगरपालिका इस अधिनियम के अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में निरन्तर चूक कर रही है या उसे अपनी शक्तियों का एक से अधिक बार अतिलघंन अथवा दुरूपयोग किया है। राज्य सरकार का यह समधान किसी भी प्रकार की सूचना पर आधारित हो सकता है। किन्तु विघटन का आदेश पारित करने से पूर्व सम्बन्धिता नगरपालिका को कारण बताओं नोटिस जारी की जायेगी और उसे सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर किया जायेगा।

4. **नगरपालिका को विघटित करने का आदेश तत्सम्बन्धी कारण के साथ पारित किया जायेगा**—धारा 30 यह उपबन्धित करती है कि यदि राज्य सरकार किसी नगरपालिका को विघटित करने का आदेश देती है, तो उसके साथ विघटित किये जाने के कारण भी उल्लिाति किया जाना आवश्यक है।

विघटन आदेश के साथ तत्सम्बन्धी कारण उल्लिखित करना इसलिए आवश्यक है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य सरकार का आदेश उसमें निहित शक्ति की परिधि के भीतर ही है।

कासिम अली वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति सगीर अहम एवं न्यायमूर्ति आई0एस0 माथुर की खण्डपीठ ने उ0प्र0 नगरपालिका अिाियम की धारा 30 का विस्तृत विवेचन करते हुए अभिधारित किया कि धारा 30 में प्रयुक्त भाषा से यह स्पष्ट होता है कि

राज्य सरकार बोर्ड को विघटित करने का आदेश तब तक पारित नहीं कर सकती जब तक कि बोर्ड द्वारा प्रस्तुत, स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् उसका यह समाधान नही हो जाता कि बोर्ड ने अपने कर्तव्यों के पालन में जानबुझकर चूक की है अथवा अपनी शक्ति का दुरूपयोग अिवा उसकी सीमा से परे कार्य किया है। आगे यह अपेक्षित है कि राज्य सरकार बोर्ड को विघटित करने का आदेश पारित करते समय ऐसे आदेश को पारित करने का कारण भी अभिलिखित करें। इसके अलावा एक अन्य अपेक्षा यह है कि ऐसे कारण सहित आदेश का प्रकाशन सरकारी गजट में होना चाहिए। न्यायालय ने आगे अभिधारित किया कि धारा से स्पष्ट रूप से यह विवक्षित होता है कि बोर्ड का विघटन तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसे सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। 'सुनवायी' शब्द से यह स्पष्ट होता है कि बोर्ड का स्पष्टीकरण पहले मांगा जाना चाहिए। स्पष्टतः यह स्पष्टीकरण इस अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत बोर्ड द्वारा अपनी शक्तियों का दुरूपयोग किये जाने अथवा उन मामलों के सम्बन्ध में होना चाहिए जिनमें बोर्ड ने अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण किया है। इससे यह स्पष्ट रूप से विवक्षित होता है कि बोर्ड द्वारा जानबुझकर अपने कर्तव्यों के पालन में की गयी चूक अथवा किये गये शक्ति के दुरूपयोग से सम्बन्धित सभी साक्ष्य सरकार के पास है। यदि ऐसा है और सरकार के पास उपर्युक्त से सम्बन्धित सभी साक्ष्य मौजूद है ओर बोर्ड को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया जाता है तो बोर्ड को विशेष कर उसके द्वारा मांगे जाने पर इन सभी साक्ष्यों से सम्बन्धित दस्तावेज भी दिये जाने चाहिए। ऐसे दस्तावेज या तो चार्जशीट जारी किये जाने के समय दिये जाने चाहिए अथवा यदि कोई और अग्रिम जांच बोर्ड के खिलाफ की जानी है, तो चार्जशीट का जवाब पेश किये जाने के पश्चात् ऐसी जांच प्रक्रिया के प्रक्रम में दिये जाने चाहिए। यदि ऐसे दस्तावेज बोर्ड को उपलब्ध नहीं कराये जाते है और सरकार उनका उपयोग बोर्ड के विघटित करने का आदेश परित करने में करती है, तो इससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघ होगा।

5. **कारण सहित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का एक महत्वपूर्ण अंग है**—इंग्लैण्ड में इस सिद्धान्त को एक कानूनी समर्थन दिया गया है। इंग्लैण्ड के ट्रिब्यूनल एण्ड इन्क्वायरीज एक्ट, 1958 की धारा 12 के अन्तर्गत पक्षकारों के निवेदन पर कारण बताने का प्रावधान है, बशर्ते कि राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा न हो। इसी प्रकार अमेरिका में ए0पी0ए0 की धारा 8 की उपधारा 6 के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि प्रशासी निर्णय कार्यवाही की समाप्ति व निष्कर्ष के साथ होना चाहिए और उसके साथ कारणों का भी उल्लेख सम्बन्धित अभिलेख के तथ्यों, विधि और विवेक के आधार पर होना चाहिए। भारत में भी इस मत की पुष्टि उच्चतम न्यायालय द्वारा एक वाद में की गयी है। जिसमें उच्चतम न्यायालय ने संप्रेक्षित किया—

''कल्याणकारी राज्य के सन्दर्भ में प्रशासनिक न्यायाधिकारण का अस्तित्व अक्षुण्ण है........ परन्तु उसके संचालन मे मनमाना ढंग अपनाना कल्याणकारी राज्य के गन्तव्य को ही नष्ट कर देता है.... न्यायाधिकारण कम से कम अपना विचार व्यक्त कर सकता है। प्रकटन की अनिवार्यता विचारों की प्रत्याभूति है। करणों के उल्लेख से स्पष्टतया का प्रादुर्भाव होता है अथवा कम निर्णय के मनमानेपन में कमी आ जाती है। सम्बन्धित पक्ष को जिसके विरूद्ध निर्णय किया गया है, ऐसे आदेश से सन्तुष्टि होती है।''

कारण सहित आदेश की मान्यता नैसर्गिक न्याय का एक अंक है। और इसके कई ठोस आधार है। जहां एक अपीलीय अधिकारी किसी प्रशासी अधिकारी के आदेश के विरूद्ध उसके आदेश की वैधता एवं औचित्य की जांच के लिए सुनवायी करता है, वहां यह आवश्यक है कि प्रशासी अधिकारी अपने आदेश के कारण को भी प्रकट करें। यह न्याय निर्णायक के मस्तिष्क की न्यायप्रियता के भाव को विकसित करता है और अपीलीय अधिकारी के काम में सुविधा प्रदान करता है दूसरे कारण युक्त निर्णय की परिपाटी से प्रभावित पक्ष के मन में यह विश्वास पैदा होगा कि निर्णय ठीक है। यह सत्य है कि सम्बन्धित पक्ष कारणों की शुद्धता व औचित्य को भले ही न समझे, फिर भी कारणों के उल्लेख से बात ही दूसरी हो जाती है। कारणों का अभाव मनमानी प्रवृति को बढ़ावा देता है और सम्बन्धित पक्षकार के लिए असन्तोष का कारण बनता है। तीसरे कारणयुक्त निर्णय की परिपाटी से विधि व्यवस्था को बल मिलता है। ऐसा करने से न्यायिक क्षेत्र में एक स्वस्थ परम्परा का विकास होता है। इस तरह पूर्व अनुभवों के आधार पर निर्णायक को न्याय देने में सुविधा होती है और न्याय की गतिशीलता में तीव्रता आती है।

भारत में न्यायालयों ने इस सिद्धान्त को और भी क्षेत्रों में लागू किया है, जहां सामान्यतः इसकी आवश्यकता नहीं है। मेसर्स हरी नगर वाद में उच्चतम न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि सांविधिक कार्यवाहियों में सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा कारण बताना आवश्यक है। उस वाद में केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 111 के अन्तर्गत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, बिना कोई कारण दिखाये कम्पनी के निदेशकों के प्रस्ताव को रद्र कर दिया, क्योंकि कम्पनी ने कुछ अंशों के अन्तरण का रजिस्ट्री अस्वीकृत कर दी थी। केन्द्रीय सरकार के इस निर्णय के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की गयी। अधिनियम की धारा 111 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सरकार की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया कि केन्द्रीय सरकार के समक्ष अपील की कार्यवाही गोपनीय थी और अधिकारी जो अपील की सुनवाई कर रहा था अपने निर्णय के समर्थन में कारण बताने के लिए बाध्य नहीं था। न्यायमूर्ति शाह ने बहुमत की तरफ से निर्णय देते हुए अभिनिर्धारित किया, ''केवल यह तथ्य कि कार्यवाही गोपनीय है, निर्णय की आवश्यकता को समाप्त नहीं करती और न ही आदेश के समर्थन में साक्ष्य व पर्याप्त आधार को प्रकट करने से रोकती है।''

इसी प्रकार रतीलाल वाद में गुजरात उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सम्बन्धित अधिकारी के ऐसे मामलें में भी कारण बताना चाहिए जहां कारण बताना लोकहित के विरूद्ध है। इस मामलें में आग्रेयायुध का लाइसेन्स पहले निलम्बित किया गया और बाद में मजिस्ट्रेट द्वारा बिना कोई कारण बताये रद्द कर दिया गया।

कारण बताने के नियम की कुछ सीमा है। बहुधा न्यायिक कल्प कार्यवाही करने वाले अधिकारी के समक्ष यह कठिनाई होती है कि वह प्रो0 शिवसन के मतानुकुल कार्यवाही के स्तर को कैसे बचाये रखें। उनका कहना है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को सभी मामलों में कारण सहित निर्णय देना चाहिए और जहां तक हो सके उस सिद्धान्त का भी उल्लेख करना चाहिए जिसका वे अनुसरण कर रहे है।

डा0 सी0के0 एलन ने इस सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए कहा है कि ब्रिटिश कानून इसके लिए बाध्य नहीं करता कि विभागीय मामलों में निर्णय के कारण बताये जायें। यद्यपि सामान्य रूप से विभागीय मामलों में भी कारण के साथ निर्णय देने की परिपाटी है जो केवल आनुग्रहिक है। डा0 एलन ने आगे संप्रेक्षित किया है कि प्रो0 राबसन के सिद्धान्त से सहमत होना असम्भव है क्योंकि बहुत सारे छोटे–मोटे विवाद ग्रस्त मामलों में भी साक्ष्य–सम्बन्धी झगड़े खड़े हो जाते हैं जिन पर विसतार के साथ गम्भीर विचार की आवश्यकता पड़ जाती है और निर्णय तक पहुंचने में बुद्धि और कौशल का उपयोग करते हुए घण्टों लग जाते है। यदि इस बात को मान लिया जाये तो आशंका है कि कुछ न्यायाधिकरण अपना काम पूरा ही न कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में न्यायाधीश सुब्बाराव का उत्तर है कि वादों के निस्तारण में विलम्ब के बहुत से कारण हो सकते हैं, परन्तु न्यायधिकारण द्वारा कारण बताये जाने से नहीं।

परन्तु आधुनिक परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। इस विषय पर कानून में पर्याप्त विकास हो चुका है और भारतीय न्यायालयों ने इसका उपयोग न्यायिक–कल्प निकायों के लिए भी मान्य कर दिया है। कारणों के अभाव में प्रशासी अपीली व न्यायिक पुनर्विलोकन का कार्य केवल औपचारिकता बन कर रह जाता है। कारणों की जानकारी के बिना किसी भी अपीली पुनर्विलोकन अथवा निरीक्षण–अधिकारी के लिए सही न्याय देना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। ट्राबन्कोर रेयन्स लिमिटेड के वाद का निर्णय उक्त सम्बन्ध में महत्वपूर्ण है। यह विवाद केन्द्रीय आबकारी अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत उत्पन्न हुआ। अपीली कम्पनी (Cellulose) पौध सम्बन्धी ढांचों का चित्र बनाती थी। केन्द्रीय आबकारी विभाग के उप–अधीक्षक के विचार से यह (Inter-cellulose Lacquer) अन्दर–अन्दर वारनिश बनाने का काम करती थी और अन्तर्देशीय व्यापार करती थी। इसलिए कम्पनी पर आबकारी–शुल्क निर्धारित कर दिया।

कम्पनी ने शुल्क–निर्धारण का विरोध किया और विवाद किया कि चूँकि कम्पनी वार्निश (Inter-cellulose Lacquer) का नहीं कर रही है, इसलिए केन्द्रीय आबकारी और नमक अधिनियम, 1944 के अधीन शुल्क नहीं लगना चाहिए। कम्पनी ने उप–अधीक्षक के निर्णय के विरूद्ध सीमा–शुल्क के कलेक्टर के यहां अपील की। कलेक्टर ने कम्पनी की सुनवाई की। तत्पश्चात् कम्पनी के प्रतिविरोध को खरित कर दिया। कम्पनी ने कलेक्टर के निर्णय से असन्तुष्ट होकर भारत सरकार को पुनर्निरीक्षण के लिए प्रर्थना पत्र दिया। भारत सरकार ने भी उसे अस्वीकार कर दिया

और कलेक्टर के निर्णय को बिना सुनवाई का अवसर दिये ठीक माना। सरकार ने कारण नहीं बताया कि क्यों उसने कम्पनी के प्रति विरोध को नहीं माना और कलेक्टर के आदेश को ठीक समझा। कम्पनी ने अनुच्छे 136 के अन्तर्गत सरकार के आदेश के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की। न्यायालय ने अपील स्वीकार किया और सरकार को विधि के अनुसार निर्णय लेने के मामलें को उत्प्रेषित किया न्यायालय को पूरा विश्वास हो गया था कि आदेश न्यायसंगत नही था, क्योंकि सरकार ने बिना कोई कारण बताये आदेश पारित किया था। यहो न्यायालय पिछले मत का, जो उसने एच.पी. इण्डस्ट्रीज राजा बनाम भारतीय संघ के वादों में व्यक्त किया था, समर्थन नहीं किया। इन दोनों वादों में उच्चतम न्यायालय का यह मत रहा कि जहां ऊँचे न्यायालय द्वारा नीचे न्यायाधिकरण की पुष्टि होती हो वहां पूरे कारणों के साथ निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु यदि अपीलीय अधिकारी के यहां नीचे के न्यायालय के निर्णय उलटने का प्रश्न हो तो कारणों का विस्तार रूप से उल्लेख होना चाहिए। जहां उच्च अधिकारी अपने नीचे वाले अधिकारी के निर्णय से सहमत हो, लेकिन उस अधिकारी ने कुछ अच्छे कारणें ओर कुछ बुरे कारणों का उल्लेख किया या कार्यवाही में और किसी प्रकार का दोष है तो उच्च अधिकारी को अपनी सहमति कारणों के साथ प्रकट करनी चाहिये।

इस मामलें के पूर्व ऐसा ओर कोई वाद नही है जहां न्यायालय ने उच्च आकिारी को कारणों के उल्लेख के लिए कहा हो जबकि उच्च अधिकारी अपने नीचे वाले अधिकारी के निर्णय से सहमत रहा हो जिसमें कारण की जानकारी पूरी तरह से मौजूद है। वहां न्यायालय ने सरकार के आदेश को रद्द कर दिया, क्योंकि सरकार ने कारणयुक्त निर्णय नहीं दिया था यद्यपि कलेक्टर का आदेश, जिसमें सरकार की सहमति रही, विस्तृत व कारणयुक्त था।

इस विषय पर दूसरा महत्वपूर्ण वाद नारायन दास का है। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत प्रादेशिक सरकारों को अधिकार हैं कि वह किसी समाचार पत्र व पुस्तक को, कारणों की व्याख्या करते हुए, जब्त कर सकती है यदि सरकार की दृष्टि में वह समाचार पत्र व पुस्तक भारत की प्रादेशिक अखंडता को इस प्रकार प्रभावित करतती है जिससे भारत की रक्षा व सुरक्षा के लिए भय हों। अभ्यर्थी की एक पुस्तक सरकार के आदेश द्वारा बिना कोई बतायें जब्त की गई। उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आदेश पारित करते समय उपर्युक्त प्रावधान की पुनरावृत्ति हुई है ओर कानूनी प्रावधान का पर्याप्त परिपालन है। उच्चतम न्यायलय ने उच्च न्यायालय का आदेश उलट दिया और निर्णय दिया कि आदेश के समर्थन में कारण देना आवश्यक था।

उच्चतम न्यायालय ने पुनः भारतीय संध बनाम एस.एल. कपूर के वाद में कारणयुक्त निर्णय देने की पुष्टि की है। यहां अभ्यर्थी का नाम प्रोन्नति की सूची में भारतीय पुलिस सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) परिनियम 1955 के अन्तर्गत था। सूची में नाम 1967 तक रहा, परन्तु 1968 में नाम कट गया। चयन की कार्यवाही में समिति यदि किसी सिविल सेवा के सदस्य को उसे हटाकर पदोन्नति करना चाहती है तो समिति को उसका कारण प्रकट करना चाहिये। अभ्यर्थी को अतिष्ठित करने का मुख्य कारण यह था कि अभिलेखों की छानबीन के पश्चात् इस निश्चय पर पहुँचा गया कि वे भारतीय पुलिस सेवा की नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं थे। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि रबर स्टाम्प कारणों का आधार लेते हुए एक–दूसरे के अनुकूल या प्रतिकूल निर्णय लेना पर्याप्त कारण नहीं समझा जा सकता। न्यायालय ने निर्णय दिया कि चयनसमिति को कारण स्पष्ट करना अनिवार्य था कि उसे अभ्यर्थी को क्यों अतिष्ठित कर दिया और किस प्रकार उसे अतिश्ठित किया गया।

साइमन इन्जीनियरिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कं0 में उच्चतम न्यायालय ने यह अत्यंत ही जोरदान शब्दों में कहा कि किसी आदेश के समर्थन में कारणों का स्पष्ट किया जाना, 'दूसरे पक्ष की बात सुनो' की भांति नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का एक मूल सिद्धान्त हो गया है, इसका सारतः प्रतिपालन किसी न्यायिक कल्प कार्यवाही में आवश्यक है। इसका केवल औपचारिक पालन विधिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता। इस मामलें में अपीलाथ्री को रेयान बनाने हेतु प्लांट स्थापित करने का लाइसेन्स मंजूर किया गया था। उन्हें रेयान प्लांट तथा सम्बन्धित कल–पूर्जो का आयात करने के लिए आयात लाइसेन्स दिया गया था। सामानों का आयात होने पर अपीलार्थी ने उस सपर अनुक्षेप रियायती दरों पर दावा किया कस्टम प्राधिकारियों द्वारा कस्टम की दरों में रियायत मंजूर कर ली गयी, किन्तु बाद में कस्टम कलेक्टर ने रियायती दर को नामंजूर कर दिया जिसके परिणामस्वरूप उसने भारत सरकार के समक्ष पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसे खारित करते समय किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कस्टम अधिकारियों तथा सरकार के समक्ष की गयी कार्यवाहियां प्रस्तुत मामलें में न्यायिक कल्प

प्रकृति की थी और उनमें कारण बताया जाना अनिवार्य था। बिना कारण बताये हुए उसके विरूद्ध आदेश पारित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का हनन करता है।

पुनः सुनील बात्रा वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिधारित किया कि जेल अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत जेल सुपरिटेंडेट का यह कर्तव्य है कि वह किसी कैदी को लोह श्रृंखला में बांध कर रखने का आदेश पारित करते समय उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख करें। यदि इस प्रकार का आदेश सम्भरण नहीं है, तो वह अवैध होगा।

हरभजन सिंह के मामलें में उच्चतम न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि जब कोई व्यक्ति किसी विदेश राज्य के विरूद्ध वाद दाखिल करता है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 86 एवं 87 के अनुसार केन्द्र सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार स्वीकृत देने में सामान्यतः वाद के गुणावगुण पर विचार नही कर सकती, क्योंकि यह कार्य न्यायालयों का है, भले ही सरकार राजनैनिक कारणों पर ध्यान दे सकती है। इन उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग नैसर्गिक न्याय के नियमों के अनुसार ही कर सकती है तथा जो छ्मी आदेश पारित किया जायेगा वह सकारण आदेश होना चाहिये। प्रस्तुत मामलें में याची हरभजन सिंह ने एक विदेश राजदूर के विरूद्ध वाद दायर करने की अनुमति केन्द्र सरकार से मांगी जो कि अस्वीकृत कर दी गयी। अनुमति देने से अस्वीकृत किये जाने का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय ने उक्त आदेश को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण अपास्त कर दिया और यह निर्देश दिया कि उस पर नैसर्गिक सिद्धान्तों के अनुरूप विचार करके पुनः आदेश पारित किया जाये।

6. **सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर**—धारा 30 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किसी नगरपालिका के विरूद्ध विघटन सम्बन्धी आदेश पारित किये जाने से पूर्व सम्बन्धित नगरपालिका को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। सुनवायी के अवसर के अभाव में पूरी कार्यवाही दूषित हो जायेगी।

भारतीय विधि के अन्तर्गत सुनवायी की आवश्यकता प्रशासनिक एवं न्यायिक कल्प कार्यवाही का आवश्यक अंक है। किसी भी प्राधिकारी द्वारा पारित कोई भी प्रशासनिक आदेश बिना सुनवायी का अवसर प्रदान किये किया जाता है, तो वह अवैध होगा और उसे अपास्त किया जा सकता है।

सुनवायी का अवसर की दो मुख्य बातें हैं—

(क) अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए; एवं

(ख) अवसर युक्तियुक्त हो।

ये दोनों बाते न्याय संगत है। न्यायालय इस बात का निर्णय ले सकता है कि किसी मामलें में जो अवसर प्रदान किया जा रहा है, युक्तियुक्त है या नहीं। ऐसा करने हेतु उसे मामलें के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। निर्णायक प्राधिकारी के निर्णय के दौरान प्रस्तावित कार्यवाही सामग्री जिस पर आरोप आधारित है उस व्यक्ति का रूख जिसके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित है, उत्तर में अभिवाद का ढंग जो उठाया गया है, सुनवायी के लिए दूसरा अवसर यदि कोई है, आचरण व अन्य किसी प्रकार से उसकी स्वीकृति जिससे मामलें के सम्बन्ध में निर्णय पर पहॅुचना सुविधाजनक हो आदि बातों पर विचार करना आवश्यक है। उचित सुनवायी का अवसर प्रदान करने के लिए निम्नलिखित अन्य बातें भी आवश्यक है—

(1) निर्णायक प्राधिकारी द्वारा समस्त सुसंगत सामग्रियां, जो एक व्यक्ति प्रस्तुत, करना चाहता है, प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

(2) सभी सूचनाएॅ, सामग्रियां या साक्ष्य जिनका प्रयोग प्राधिकारी उस व्यक्ति के विरूद्ध किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है, उस व्यक्ति को प्रकट करना चाहिए;

(3) प्रभावित व्यक्ति को पर्याप्त सूचना या तथ्यों का खण्डन करने का अवसर देना चाहिए;

(4) प्रभावित पक्षकार को यह अवसर प्रदान किया जाना चाहिए कि वह साक्षियों का प्रतिपरीक्षण कर सके।

प्रशासनिक न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों के समक्ष जब वास्तविक सुनवायी आरम्भ होती है और मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए प्रशासनिक कार्यवाही की जाती है तो उसके पूर्व यह उचित प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर दिया जाय। जब तक प्रशासनिक प्राधिकारी के समख पूरे तथ्य न हो कोई सन्तोष प्रद कार्यवाही नहीं की जा सकती है। भारतीय न्यायालयों ने इस बात को स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया है कि साक्ष्य देने का अधिकार सुनवायी के अधिकार में शामिल है। अतः निर्णायक प्राधिकारियों को चाहिए कि सम्बन्धित पक्ष को पूर्ण रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करें।

इसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि यदि कोई निर्णायक प्राधिकारी किसी तात्विक साक्ष्य के अथवा अभिलेख के आधार पर सम्बन्धित पक्ष के विरूद्ध निर्णय देना चाहता है, तो वह सभी साक्ष्य और अभिलेख उस पक्ष को उपलब्ध कराना चाहिये ताकि वह अपनी टिप्पणी दे सकें या उसका खण्डन कर सके। नैसर्गिक न्याय का यह आधारभूत सिद्धान्त है कि पक्ष के विरूद्ध किसी साक्ष्य पर तब तक निर्भर नहीं होना चाहिये जब तक सम्बन्धित पक्ष का उस पर अपनी टिप्पणी देने का अवसर न दिया जाय। अपनी प्रतिरक्षा के अधिकार की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि व सारी सामग्री, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाने वाला है, सम्बन्धित पक्ष को उसकी जानकारी के लिए उपबन्ध कराया जाये; क्योंकि यह उसका अधिकार है। कई वादों में इस आधारभूत सिद्धान्त की पुष्टि की गई है। महादयाल प्रेमचन्द्र के वाद में जब विक्रयकर अधिकारी ने अपने ज्येष्ठ अधिकारी की सलाह मानकर अपीलार्थी पर कर निर्धारित कर दिया और अपीलार्थी ने न ज्येष्ठ अधिकारी का मत बताया गया और न ही उसे प्रतिवाद का अवसर दिया गया तो उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कर–निर्धारण की समस्त कार्यवाही को अभिखण्डित कर दिया। धूप सिंह के वाद में प्रार्थी याची को आधारी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये गये जबकि उसके विरूद्ध आरोप लगा दिये गये, यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रार्थी याची को अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और चूंकि प्रार्थी चायी अपनी प्रतिरक्षा में असुविधाग्रस्त हुआ इसलिए जांच–अधिकारी की रिपोर्ट पर आधारित ओदश को रद्द किया जाना चाहिये ताकि 'दूसरे पक्ष को भी सुनो' की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। परिवारी द्वारा साक्षियों की परीक्षा विपक्षी के सामने होनी चाहिए और उसे उन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा का अवसर उसकी इच्छानुसार दिया जाना चाहिये।

जोजेफ विन्गिडेन बनान इक्जीक्यूटिव इन्जिनियर (पी0डब्लू0डी0) इरनाकुलम के वाद में याची एक कान्ट्रैक्टर था और इक्जीक्यूटिव इन्जिनियर के आदेश द्वारा काली सूची में रख दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप वह भविष्य में सरकार के साथ संविदा करने से अपवर्जित कर दिया गया। उसकी संविदा को रद्द करने से पूर्व उन्होने उसको एक हेतु संदर्शित की नोटिस दी यह बताते हुए कि वह दोषी है किन्तु नोटिस में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि भविष्य में उसे सरकार के साथ संविदा करने से अपवर्जित करने की प्रतिपादना है। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि याची को अपनी बात कहने और स्पष्टीकरण का पर्याप्त अवसर नहीं प्रदान किया गया जिससे कि वह इनिजनियर की कार्यवाही के विरूद्ध जिसमें वह काली सूची (Black List) में रखा था अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व कर सकता। इस प्रकार के मामलों में उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं माना जाता।

प्रति–परीक्षा को इस आधार पर निराकृत नहीं किया जा सकता है कि उससे कोई उपयोगी लाभ नहीं होगा।

श्याम सुन्दर वाद में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अभिधारित किया कि यह एक प्रारम्भिक बात है कि किसी आरोप को सिद्ध अथवा असिद्ध करने के लिए जांच प्राधिकारी द्वारा लोक–सेवक को साक्ष्य परीक्षण व साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने के लिए पूरा अवसर मिलना चाहिए। लोकसेवक को उस आरोप में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अधिकार होना चाहिए। यह सब इस प्रकार होना चाहिए कि न्याय में किसी प्रकार की त्रुटि न हो जाये।

कर सम्बन्धी वादों में विभागीय साक्षियों की प्रति परीक्षा पर बल नही दिया जाता तथापि यह कोई अनिवार्य नियम नहीं है।

गोपाल सिंह वाद में पटना उच्च न्यायालय ने सुनवायी के अवसर के बारें में विस्तार से विचार किया। इस वाद में जिलाधीश की रिपोर्ट पर कुछ आरोपों के आधार पर सरकार ने याची को सेवा से बर्खास्त करने की सजा देने का प्रस्ताव किया। याची द्वारा उस रिपोर्ट की एक प्रति की मांग

किये जाने पर भी वह उसे नहीं दी गयी। उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को सुनवायी के अवसर के विरूद्ध मानते हुए रद्द कर दिया। न्यायालय ने अभिधारित किया कि उस रिपोर्ट की अर्न्तवस्तु बता देने मात्र से सुनवायी के अवसर के सिद्धान्त की पूर्ति नही होती। पर्याप्त एवं उचित सुनवायी के अवसर से यह अपेक्षित है कि प्रभावित पक्षकार को उन सभी बातों से अवगत कराया जाये जो उसके विरूद्ध जाता हो।

किन्तु आज्ञप्ति की मंजूरी में प्रशासनिक अथवा न्यायिक कल्प प्राधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह गुप्त रिपोर्ट भी बताने के लिए दायित्वाधीन है। ऐसे मामलों में गुप्त रिपोर्ट को न बताना सुनवायी के नियम का उल्लंघन नहीं है।

विष्णु राम बुर्रा वाद में मदिरा बेचने के लाइसेन्स के बारें में प्रश्न था जिसमें राजस्व परिषद को लाइसेन्स स्वीकृत करने का अधिकार था। इसमें उपयुक्त की रिपोर्ट को गोपनीय माना जाता था। याची ने उस रिपोर्ट की प्रति नहीं मांगी थी, अतः उसे बताने का कोई प्रश्न नहीं उठता। उच्चतम न्यायालय ने अभिधारित किया कि यदि उसकी मांग की भी जाती तब भी उस रिपोर्ट का न दिया जाना सुनवायी के अवसर का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता।

किन्तु जहां कोई कर्मचारी गोपनीय रिपोर्ट पर सीनियर टाइम स्केल पाने से वंचित कर दिया जाता है और वह गोपनीय रिपोर्ट उसे सूचित नहीं की जाती है वहां सुनवायी के अधिकार का उल्लंघन होता है।

सुनवाई के अधिकार के विषय में यह सामान्य अवधारणा है कि जो व्यक्ति सूने वहीं फैसला दे। यदि कोई दूसरा व्यक्ति सुनता है और फैसला कोई और देता है तो इस अधिकार का उल्लंघन होता है। सुनवाई के मामलें में विभाजित जिम्मेदारी की विचार धारा घातक है और इस प्रकार की प्रक्रिया से व्यक्तिगत सुनवाई के सिद्धान्त का हृास होता है। व्यक्तिगत सुनवायी के माध्यम से सुनने वाला अधिकारी साक्षियों की गतिविधि से बहुत सी जानकारी कर लेता है ओर बहस के दौरान समस्त शंकाओं को भी दूर कर लेता है। यदि एक व्यक्ति सुननता है और दूसरा फैसला देता है तो सुनवाई मात्र एक औपचारिकता बनकर रह जाती है।

सुरेश कोषी जार्ज के मामलें में केरल विश्वविद्यालय के एक छात्र के विरूद्ध अनुचित साधनों के प्रयोग के आरोपों में अनुशासनिक कार्यवाही की गयी जिसमें वाइस चांसलर ने एक व्यक्ति को जांच के लिए नियुक्त किया जो निर्णय लेने के अधिकार से युक्त था। पश्चात् वाइस चांसलर ने कारण बताओं नोटिस जारी किया। छात्र ने उक्त रिपोर्ट की प्रति न तो मांगी और न ही उसे दी गयी। बाद में अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उसने आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि उसे जांच रिपोर्ट की प्रति प्रदान नहीं की गयी थी। उच्चतम न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् संप्रेक्षित किया–

''ऐसा लागत है कि एक गलत अवधारणा कुछ समूहों में उत्पन्न हो गयी है कि प्रत्येक अनुशासनिक कार्यवाही में दो प्रकार की जांच आवश्यक है एक तो कारण बताओं नोटिस जारी करने से पूर्व और दूसरी नोटिस जारी करने के पश्चात् किन्तु सुनवायी के सिद्धान्त की यह अपेक्षा नहीं है। विधि ऐसी प्रक्रिया बना सकती है जहां कारण बताओं नोटिस जारी की जाती है, वहां यह आवश्यक नहीं है कि जांच की रिपोर्ट की प्रति नोटिस के पूर्व उसको दे दी जाय उसके पश्चात् कार्यवाही प्रारम्भ की जाय अथवा उसके पश्चात् दूसरी जांच करवायी जाये।''

सुनवायी का अधिकार का यह आवश्यक तत्व नहीं है कि जिस व्यक्ति के विरूद्ध जांच हो रही हो उसे जांच के पश्चात् उसे जांच की रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाये।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का आधुनिक प्रशासनिक विधि में काफी महत्वपूण्र स्थान है। उन्हें 'hair play in action' के रूप में परिभाषित किया गया है। न्यायिक अथवा अर्द्ध न्यायिक कार्य करने वाले किसी प्राधिकारी द्वारा प्रकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के उल्लंघन में पारित कोई भी आदेश प्रक्रियात्मक रूप से अधिकारिता विहिन होगा। किन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को लागू करते समय हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि वे नियम अनम्य नहीं अपितु नम्य है और उन्हें किसी अनम्य विधिक जैकेट में नहीं रखा जा सकता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं यह प्रत्येक मामलें के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

7. **सुनवायी के अवसर का अपवाद**–सामान्य नियम यह है कि यदि किसी व्यक्ति के सिविल अधिकारी का प्रशासनिक कार्यवही से हनन होता है, तो वह उचित नोटिस प्रापत करने एवं सुनवायी का अधिकारी होता है। परन्तु कुछ असाधारण परिस्थितियों इसकी आवश्यकता अपवर्जित की जा सकती है। सुनवायी के अधिकार पर ऐसी परिसीमायें या तो कानूनी प्रावधान पर आधारित है या लोकनीति पर।

सुनवाई के अवसर की सिद्धान्त कानूनी उपबन्धों पर अभिभावी नही हो सकती है और कानूनी अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से इस सिद्धान्त के किसी न किसी भाग के प्रवर्तन को अववर्जित कर सकता है।

विधि का यह सुस्थापित नियम है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त अनम्य नहीं है, अपितु वे नम्य है उनका लागू होना सांविधिक उपबन्धों की योजना और पृष्ठभूमि अधिकार की प्रकृति जो प्रभावित हो रहा है और उसके परिणाम ओर प्रत्येक मामलें की परिस्थितियों एवं तथ्यों पर निर्भर करता है। नैसर्गिक नयाय का सिद्धान्त सभी मामलों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है और इसे सुविधि के स्पष्ट अथवा विवक्षित उपबन्धों द्वारा विवर्जित किया जा सकात है।

निम्नलिखित परिस्थितियों में सुनवायी के अवसर के सिद्धान्त को आंशिक या पूर्ण रूप से अपवर्जित किया जा सकता है–

1. जहां प्राधिकारी का कार्य न्यायिक नहीं है।
2. जहां सम्बन्धित अभिकरण के कार्य प्रशासनिक एवं वैवेकिक है।
3. जहां सूचना और सुनवायी का अवसर देने से शीघ्र कार्यवाही करने में बांधा पहुंचती है, विशेष रूप से निवारक अथवा औपचारिक ढंग की कार्यवाही में।
4. जहां प्रभावित पक्ष को सुसंगत सूचना का प्रकटन लोकहित में प्रतिकूल पड़ता है।
5. जहां शक्ति का प्रयोजग अनुशासनिक है।

1. **जहां प्राधिकारी का कार्य न्यायिक नहीं है**–कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक मामलें सुनवायी के नियमों की आवयकता से मुक्त है; किन्तु न्यायिक मामलें नहीं। के0एस0 आडवानी के मामलें में उच्चतम न्यायालय ने अभिधारित किया कि इस मामलें में चूंकि सरकार की कार्यवाही कार्यवपालिका अथाा प्रशासनिक थी न्यायिक अथवा न्यायिक कल्प नहीं, अतः सुनवायी का अवसर न देने के बावजूद कार्यवाही को अवैध नहीं घोशित किया जा सकता है।

प्रशासनिक कार्यवाही केवल एक विशेषाधिकार को समाप्त करने के लिए और पर्याप्त रूप से यह न्यायिक नहीं होती है। फलतः इसमें सुनवायी के नियम को लागू नहीं किया जा सकता है।

मोएंगा चेन्य पेंगू के मामलें में गोहाटी उच्च न्यायालय ने अभिधारित किया कि सुनवायी के सिद्धान्त की अपेक्षायें प्रत्येक मामलें की परिस्थितियों, जांच की प्रकृति, उन सांविधिक उपबन्धों पर जिसके अन्तर्गत प्राधिकारण कार्य करते है ओर सम्बन्धित विषय वस्तु पर निर्भर करते हैं। इस नियम को प्रभावी करने से पूर्व संविधिक एवं तथ्यगन सन्दर्भो पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकताजन स्वास्थ्य सुरक्षा एवं एवं संरक्षा के मामलें में होती है, ऐसे मामतलों में यह एक सामान्य उपधारणा होती है कि सुनवायी का अवसर दिये बिना ही कार्यवाही की जा सकती है। प्रशासनिक विधि से पूर्व सूचना और सुनवायी के अवसर की प्राप्ति प्रथम दृष्टया अधिकार के सम्बन्ध में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह तब अपवर्जित हो जायेगा जब मामलें के तथ्यों के साथ निम्नलिखित बातें अलग से अथवा किसी अन्य के साथ प्रस्तुत होती हैं–

(अ) जहां कार्यवाही किसी अधिकार में हस्तक्षेप से भिन्न रूप में विशेषाधिकार को अस्वीकृत करने वाली है।

(ब) जहां, कोई दायित्व इस सम्बन्ध में आरोपित किया गया हो जिसमें ऐसी सुसंगत सूचना की जानकारी अपेक्षित हो, जहां पक्षकार लोकहित से पक्षपातपूर्वक प्रकाशित होता हो।

(स) जहां, किसी अन्य कारण से पूर्ण सूचना अथवा सुनवायी का अवसर देना अव्यवहारिक हो।

(द) जहां, पूर्वसूचना अथवा सुनवायी के अवसर को प्रदान करने का कोई उपयुक्त विकल्प प्राप्त हो।

(य) जहां, विधायक कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के अभिव्यक्ति रूप में सूचना एवं सुनवायी अपेक्षित करता हो, परन्तु उसमें उस उद्देश्यों के लिए कोई प्रतिक्रियात्मक अपेक्षा न की गयी हो।

(र) जहां, विवादित वस्तु का मूल्य इतना तुच्छ हो कि सूचना और सुनवायी का अवसर दिया जाना औचित्यपूर्ण न होगा।

तुलसीराम पटेल वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 311(2) के परन्तुक का एक क्रान्तिकारी निर्वचन किया जिसमें उसने सुनवायी के अवसर के नियम का अनुपालन को अनावश्यक घोषित कर दिया। प्रस्तुत मामलें में याची तुलसीराम पटेल सेन्ट्रल इण्डस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में एक पुलिस कर्मी था। उसने एवं अन्य पुलिस कर्मियों ने अनुशासनहीनता की चरम सीमा के उदाहरण प्रस्तुत किया, और उन्होने अपने अधिकारियों के आदेशों की खुलकर और जानबुझकर अवहेलना की, उनका घेराव किया, भूख हड़ताल की, धरना दिया, उत्तेजनात्मक नारेबाजी की अधिकारियों को मारने की धमकी दी और तरह–तरह के हिंसात्मक कृत्यों में भाग लिया। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि सेना बुलानी पड़ी। सेना एवं सिक्योरिटी फोर्स में जबरदस्त लड़ाई हुई। इन परिस्थितियों में तुलसीराम सहित अन्य पुलिसकर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गयी। उनकी सेवा संविधान के अनुच्छेद 311(2) के परन्तुक (ख) के अन्तर्गत समाप्त की गयी जिसके अन्तर्गत कोई जांच करना आवश्यक नहीं बताया गया है और सुनवायी का अवसर दिये बिना एवं नैसर्गिक न्याय की अपेक्षाओं को पूरा किये बिना सेवा समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 311(2) के दूसरे परन्तुक के अनुसार जहां किसी सरकारी कर्म चारी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में जांच सम्भव नहीं है, वहां उस बात की जांच करना कि जांच सम्भव थी अथवा नहीं, उचित नहीं है। ऐसे स्थिति में सरकारी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने से पूर्व उसके सुनवाई का अवसर दिया जाना न्याय संगत नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय के अनुसार इस प्रकार की परिस्थितियों में नैसर्गिक न्याय की अपेक्षाओं की पूर्ति अनावश्यक ओर अवांछनीय होगी। ऐसे मामलों में यह तर्क प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है कि नैसर्गिक नयाय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल उनकी सेवा समाप्त करने से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ। भले ही इन सिद्धान्तों को अब अनुच्छेद 14 का अभिन्न भाग उसके विकासशील निर्वचन के अन्तर्गत अब मान लिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने आगे संप्रेक्षित किया कि नैसर्गिक न्याय के दो नियमों को भलीभांति प्रतिष्ठित किया जा चुका है, किन्तु फिर भी वे अधिनियम नियम नही है। इसमें प्रत्येक नियम विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में परिवर्तनशील है। वे न केवल बदले जा सकते है बल्कि असामान्य परिस्थितियों में अपवर्जित किये जा सकते है। यदि आवश्यकताएं तथा विधि द्वारा उनको अवर्जित किया जा सकता है, तो संविधान भी प्रतिवादनाओं से भी उसको विवर्जित किया जा सकता है। अनुच्छेद 311 (2) के परन्तुक (ख) के अन्तर्गत जनहित, जनसुरक्षा आदि आधारों पर इन नियमों को अपवर्जित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इन नियमों को पुनः पीछे के दरवाजे से नहीं लाया जा सकता है जिससे उन नियमों के अनुपालन में जो दिया जाता। जो प्रक्रिया अनुच्छेद 311(2) के परन्तुक (ख) द्वारा अपवर्जित कर दी गयी है उसे पुनः अनुच्छे 14 की गतिशील व्याख्या द्वारा सन्निविष्ट नहीं किया जा सकता है।

2. **जहां सम्बन्धित अभिकरण के कार्य प्रशासनिक एवं वैवेकिक है**—यह सुनवायी के अवसर का यह अपवाद उन परिस्थितियों में लागू होता है जहां सम्बन्धित प्राधिकारियों को विस्तृत, वैवेकिक अधिकार दिये गये है और वे किसी मामलें में इस ओर या उस ओर निर्णय ले सकते है।

3. **जहां नोटिस और सुनवायी के अवसर की सूचना देना कार्यवाही की शीघ्रता में बाधक होगा**—कभी—कभी अचानक ऐसी गम्भीर परिस्थितियां सामने आ जाती है जहां सुनवायी का अव सर या नोटिस का उपबन्ध औपचारिक कार्यवाही के उद्देश्य को ही समाप्त कर देता है। कुछ परिस्थितियों में तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता होती। युद्ध के दौरान कानून प्रशासनिक प्राधिकारियों को विशेषाधिकार प्रदान करता जिससे वे लोक सुरक्षा सम्बन्धी मामलों में संदिग्ध आचरण वाले अपराधियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही कर सकें। ऐसे अपराधियों के लिए यभी यदि नोटिस एवं सुनवायी की व्यवस्था की जायेगी तो फिर प्रदत्त विशेषाधिकार निरर्थक हो जायेगा। इस सम्बन्ध में एक प्रमुख अंग्रेजी वाद डावरसीज ब0 एण्डसन उल्लेखनीय है। इस वाद में हाऊस आफ लार्ड्स ने अभिधारित किया कि चूंकि सुरक्षा हेतु त्वरित निरीक्षक कार्यवाही की

आवश्यकता थी, इसलिए न्यायालय निरोधक कार्यवाही के औचित्य की जांच नहीं करते। लार्ड मेहम ने अभिधारित किया कि इस मामलें में राज्य संचिव किसी विधिक कर्तव्य से बाध्य नहीं था कि सम्बन्धित पक्षों को नोटिस देता या सुनवायी का अवसर प्रदान करता।

भारत में त्वरित कार्यवाही करने की आवश्यकता पर न्यायालयों ने संप्रेक्षित किया है कि प्रशासनिक प्राधिकारियें को जो अतिरिक्त अधिकार प्रदान किये जाते हैं, विधिमान्य है। यदि वे व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट है, तो सुनवायी की आवश्यकता नहीं है उदाहरणार्थ–

(अ) किसी खतरनाक भवन को ध्वस्त करना।

(ब) शांति भंग के परिरक्षणार्थ किसी अभियोजन अथवा सभा को रोकना।

(स) किसी व्यवसायी अथवा उपजीविका को रोकना अथवा विनियमित करना, जिससे समुदाय को खतरा हो।

(द) खातेदारों को बचाने हेतु किसी बैंकिग कम्पनी का परिसमापन करना।

दूसरी तरफ जहां षांति भंग को तुरन्त रोकने की आवश्यकता नहीं है, जैसे–किसी विशेष क्षेत्र में किसी साहित्य के प्रकाशन को रोक देना। वहां ऐसा कानून जो कार्यपालिकीय प्राधिकारी अथवा सरकार को उसकी व्यक्तिगत सन्तुष्टि पर अतिरिक्त अधिकार प्रदान करता है और सम्बन्धित पक्ष को अभ्यावेदन प्रस्तुत, करने का अवसर नहीं देता है, तो ऐसा प्रतिबन्ध अनुचित प्रतिबन्ध कहा जायेगा, क्योंकि इससे अनुच्छेद 19(1) द्वारा प्रदत्त भौतिक अधिकार पर आक्षेप जाता है।

4. **जहां प्रभावित पक्ष को सुसंगत सूचना का प्रकरन लोकहित में विरूद्ध होगा**–ब्रिटन में कभी भी लोकाधिकारयों पर यह बाध्यता नहीं डाली गयी कि वे किसी ऐसी सूचना को प्रकट करें जिसे प्रकट करना लोकहित में न हो। यथा सुरक्षा नीति एवं सुरक्षा कार्मिक का अवस्थान तथा सिविल सेवकों से मन्त्री द्वारा प्राप्त सूचना। ब्रिटिश न्यायालयों का यह दृष्टिकोण इसलिए युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि देश की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामलें में प्रभावित पक्ष को भी सूचना देना सरकार की सुरक्षा नीतियों को भारी क्षति पहुंचा सकता है। इसी प्रकार मन्त्री और सिविल सेवक के बीच की रिपोर्ट अथवा अभिलेख किसी पक्षकार को प्रकट करना मन्त्री के सम्भावित आदेश एवं सिविल सेवा की व्यवस्था में व्यवधान पैदा कर सकता है।

5. **जहां शक्ति का प्रयोग अनुशासनिक है**–सुनवायी के अवसर का नियम अनुशासनिक कार्यवाहियों के लिए अपवर्जित है। अभय कुमार वाद में प्रधानाचार्य के एक आदेश द्वारा एक छात्र को विद्यालय परिसर में प्रवेश करने एवं कक्षा में उपस्थित रहने से तब तक के लिए वंचित कर दिया गया था, जब तक कि इस छात्र के विरूद्ध अपने सहपाठी के प्रति किये गये अपराध के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 में अभियोजन की कार्यवाही की जा रही हो। इस आदेश को सुनवायी के अवसर के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गयी जिसमें दिल्लीर उच्च न्यायालय द्वारा इस तर्क को अस्वीकार करते हुए आदेश को तार्किक एवं न्यायिक निर्धारित किया गया।

जब किसी छात्र का निश्कासन इस आधार पर किया गया हो कि उसका शैक्षणिक आचरण असन्तोषप्रद है तब वह नैसगिर्क न्याय के नियम सुनवायी के अवसर की प्राप्ति का दावा नही कर सकता। यह स्थिति ठीक उसी प्रकार की है जैसी कि अनुशासनहीता के आधार पर किये गये निश्कासन की होती है। ऐसे मामलों में लगभग शैक्षणिक मूल्याकंन अन्तर्गस्त होता है। छात्र का शैक्षिणिक मूल्याकंन विहित विश्वविद्यालय प्राधिकरण के मत में उत्तम होना चाहिए एवं उत्तम शैक्षिक योग्यता आदि पर निर्भर होता है।

8. **राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका को विघटित करने के आदेश का सरकारी गजट में प्रकाशन**–इस धारा के अन्तर्गत यदि राज्य सरकार किसी नगरपालिका को विघटित करती है, तो उस आदेश का प्रशासन सरकारी गजट में होना चाहिए। यह उपबन्ध आदेशात्मक है और राज्य सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में उपबन्धित है।

9. **धारा 30 और धारा 35 : तुलना**—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 35 के अनतर्गत एक अन्य उपबन्ध किया गया है जिसके अनुसार राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकेगी कि कोई बोर्ड अपने कर्तव्यों का अनुपालन समुचित रूप से कर रहा है अथवा नहीं। धारा 35 का यह उपबन्ध धारा 30 के उपबन्ध की भांति राज्य सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग करने हेतु पूर्व शर्त की भांति लागू होता है।

31. {***}

1. विधायी परिवर्तन

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changes)**—यह धारा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा निरसित कर दी गयी है। वस्तुतः इस संशोधन द्वारा बोर्ड को अतिष्ठित करने की सरकार की शक्ति समाप्त कर दी गयी है। इस संशोधन द्वारा अब सरकार की शक्ति को मात्र नगरपालिका को विघटित करने तक परिसीमित कर दिया गया है। निरसन के पूर्व यह धारा निम्नवत् थी—

''31. **बोर्ड को अतिष्ठित किये जाने का परिणाम**—जहां धारा 30 के अधीन कोई बोर्ड अतिष्ठित किया जाये, तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे—

(क) अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका के सभी सदस्य आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक को सदस्य या अध्यक्ष के रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे, किन्तु इससे पुनः निर्वाचन या पुनः नाम निर्देशन के लिए उनकी पात्रता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ख) जब तक कि बोर्ड का अतिष्ठित किया जाना समाप्ति नहीं हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तिगण जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किये जायें, बोर्ड की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का यथासम्भव प्रयोग और निष्पादन करेंगे और सभी प्रयोजनों के लिए बोर्ड समझे जायेंगे, और इस प्रकार से नियुक्त व्यक्ति प्रशासक कहे जायेंगे और तद्नुसार धारा 10—कक के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित उन पर लागू होंगे;

(ग) अतिष्ठित किये जाने की अवधि समापत होने पर नये बोर्ड का गठन किया जायेगा, जैसे कि धारा 10—कक के अधीन नियत अवधि समाप्त हो गयी हो।''

31—क. **नगरपालिका के विघटन के परिणाम**—(1)जहां धारा 30 के अधीन कोई नगरपालिका विघटित की जाये तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे—

(क) अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका के सभी सदस्य आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक को सदस्य या अध्यक्ष के रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे, किन्तु इससे पुनर्निर्वाचन या पुनः नाम निर्देशन के लिए उनकी पात्रता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) नई नगरपालिका का गठन होने तक—

(ii) नगरपालिकाय, उसके अध्यक्ष और समितियों को सभी शक्तियां, कृत्य ओर कर्तव्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों में जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त नियत करें, निहित होंगे ओर उनके प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जाएगा ओर ऐसे व्यक्ति को विधि में अवसर की अपेक्षानुसार नगरपालिका, अध्यक्ष या समिति समझा जायेगा;

(iii) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को वेतन और भत्ता राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त निश्चित करें नगरपालिका निधि से दिया जायेगा;

(iii) राज्य सरकार, समय समय पर, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसे आनुषंगिक या प्रासंगिक उपबन्ध जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का अनुकूलन, परिवर्तन या परिष्कार करने के भी उपलब्ध है, किन्तु जो तत्व पर प्रभाव न डालें, जो उसे इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या इष्टकर हो कर सकती है।''

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)

1.— **विधायी परिवर्तन (Legislative changes)**—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 19 संख्या सन् 1916 के अन्तर्गत यह धारा सन् 1949 में उ0प्र0 अधिनियम संख्या 7 द्वारा जोड़ी गयी। तत्पश्चात् इस धारा को उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1 सन् 1955 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया और सन् 1994 में इस धारा को उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12, द्वारा पुनः प्रतिस्थापित किया गया है। उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1, सन् 1955 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी धारा जो कि सन् 1994 तक बनी रही, निम्नवत् थी—

''31—क. बोर्ड के विघटन के परिणाम— जहां धारा 30 के अधीन कोई बोर्ड विघटितकिया जाये तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे—

(क) अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका के सभी सदस्य आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक को सदस्य या अध्यक्ष के रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे, किन्तु इससे पुनर्निर्वाचन या पुनः नाम निर्देशन के लिए उनकी पात्रता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) तत्पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, सदसयों और अध्यक्ष का निर्वाचन या नामनिर्देशन यथास्थिति किया जायेगा, जैसे कि धारा 13—क के अधीन सामान्य निर्वाचन अपेक्षित था;

(ग) जब तक बोर्ड पुनर्गठित नहीं हो जाता है, ऐसा व्यक्ति या व्यगितगण जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किये जायें, बोर्ड की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का यथासम्भव प्रयोग और निशपादन करेंगे और सभी प्रयोजनों के लिए बोर्ड समझे जायेंगें।

31—ख. **स्थानीय निकाय निदेशक**—(1) राज्य सरकार, किसी अधिकारी को स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश नियुक्त करेगी।

(2) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अभिव्यक्ततः समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त, निदेशक, नगर पालिका के कार्यकलापों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को ऐसी शक्तियों का (जो धारा 30 के अधीन शक्तियां न हों) जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तो तथा निर्बन्धों के अधीन (जिसके अन्तर्गत स्वयं उसके द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है) जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, उसे प्रत्यायोजित करें, प्रयोग करेगा।

32. **विहित प्राधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण—विहित प्राधिकारी—**

(क) किसी ऐसे स्थावन सम्पत्ति का, जो नगरपालिका या संयुक्त समिति के उपयोग या अधिभोग में हो, या किसी ऐसे निर्माण कार्य का, जो नगरपालिका या ऐसी समिति के निदेश के अधीन किया जा रहा हो, निरीक्षण कर सकता है या किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो परगनाधिकारी के पद से कम न हो, निरीक्षण करवा सकता है;

(ख) लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसी बही या दस्तावेज, को जो नगरपालिका या ऐसी समिति के कब्जें में या नियन्त्रण में हो, मांग सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है;

(ग) लिखित आदेश द्वारा, नगरपालिका या ऐसी समिति की कार्यवाहियों या कर्तव्यों से उबपन्धित ऐसे विवरण, लेखें, रिपोर्ट या दस्तावेजों की प्रतियां जिन्हें वह मंगाना उचित समझे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है; और

(घ) नगरपालिका या ऐसी समिति के विचारार्थ नगरपालिका या समिति की कार्यवाहियों या कर्तव्यों के सम्बन्ध में ऐसे संप्रेषण लेखबद्ध कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझें।

33. **सरकारी अधिकारियों द्वारा नगरपालिका के निर्माण कार्यो तथा संस्थाओं का निरीक्षण**—किसी ऐसे निर्माण—कार्य या संस्था का? जिसका नियम या अनुरक्षण पूर्णतः या अंशतः नगरपालिका के व्यय से किया गया हो या किया जाता हो, और उससे सम्बन्धित सभी रजिस्ट्ररों, बहियों, लेखें या अन्य दस्तावेजों का सभी समयों पर ऐसे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करें।

34. **राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट को नगरपालिका के संकल्प या आदेश के निष्पादन या अग्रेत्तर निष्पादन को प्रतिबन्ध करने की शक्ति**—(1) विहित प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा इस या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन, नगरपालिका या नगरपालिका की समिति या संयुक्त समिति द्वारा पारित किसी संकल्प या नगरपालिका या संयुक्त समिति के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित किये गये किसी संकल्प या आदेश इस प्रकार का हैं कि उससे जनता को या विधिपूर्वक नियेाजित व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय को कोई बाधा, क्षोभ या क्षति पहुँचे या पहुँचने की सम्भावना है और किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे संकल्प या आदेश के अनुसरण में या उसके अधीन किसी कार्य के लिए किये जाने या उसका किया जाना जारी रखने का प्रतिषेध कर सकता है।

(1—क) जिला मजिस्ट्रेट, अपने जिले की सीमाओं के भीतर, लिखित आदेश द्वारा, इस आशय या किसी अन्य अधिनियमित के अधीन नगरपालिका या नगरपालिका की समिति या संयुक्त समिति द्वारा पारित संकल्प या नगरपालिका या संयुक्त समिति के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा दिये गये आदेश के निष्पादन या अग्रेत्तर निष्पादन को प्रतिषिद्ध कर सकता है, यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प या आदेश इस प्रकार का है कि उसमें मानव जीवन या स्वास्थ या सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न हो या उत्पन्न होने की सम्भावना हो या उसके बलवा या दंगा हो या होने की सम्भावना हो और किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे संकल्प या आदेश के अनुसरण में उसके अधीन किसी कार्य के लिए किए जाने या उसका किया जाना रखने का प्रतिषेध कर सकता है।

(1—ख) राज्य सरकार, स्वतः या रिपोर्ट या शिकायत प्राप्त होने पर आदेश द्वारा, इस या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन नगरपालिका या नगरपालिका की समिति या संयुक्त समिति द्वारा पारित संकल्प या नगरपालिका या संयुक्त समिति के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा दिये गये आदेश के निष्पादन या अग्रेत्तर निष्पादन को प्रतिषिद्ध कर सकती है, यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प या आदेश लोक हित के प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है या जिसे शक्तियों का दुरूपयोग करके अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों का स्पष्ट भंग करके पारित किया गया है और किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे संकल्प या आदेश के अनुसरण में या उसके अधीन किसी कार्य के किये जाने या उसका किया जाना जारी रखने का प्रतिषेध कर सकती है।

(2) जहां उपधारा (1) या (1—क) के अधीन कोई आदेश दिया जाय तो उसकी एक प्रतिलिपि उसे दिये जाने के कारणों के विवरणों के साथ विहित प्राधिकारी द्वारा या, यथास्थिति विहित प्राधिकारी के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तुरन्त राज्य सरकार को भेजी जायेगी जो तदुपरान्त, यदि वह उचित समझे, उस आदेश को विखण्डित या उपान्तरित कर सकती है।

(3) {***}

(4) जहां किसी संकल्प या आदेश को निष्पादन या अग्रेत्तर निश्पादन उपधारा (1) (1–क) या (1–ख) के अधीन दिये गये आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया हो और वह आदेश प्रवृत्त बना रहे तो नगरपालिका या यदि उक्त उपधारा के अधीन आदेश करने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, यह कर्तव्य होगा कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करें, जिसे वह करने का हकदार होता यदि उक्त, संकल्प या आदेश पारित ही न किया गया होता या दिया ही न गया होता, और जो किसी व्यक्ति को उस संकल्प या आदेश के अधीन जिसका अग्रेत्तर निश्पादन किया गया हो, कोई कार्य करने या करना जारी रखने से रोकने के लिए आवश्यक है।

संक्षेप

1.	विधायी परिवर्तन (Legislative changes)	6.	उपधारा (1), (1–क) एवं (1–ख) के अधीन आदेशों का प्रभाव
2.	उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी की षक्ति	7.	उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द 'क्षोभ' का अभिप्राय
3.	उपधारा (1–क) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति	8.	उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द 'क्षति' का अभिप्राय
4.	उपधारा (1–ख) और (2) के अधीन राज्य सरकार की शक्ति		
5.	उपधारा (1), (1–क) एवं (1–ख) के अधीन क्रमशः विहित प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार की शक्तियों की तुलना		

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changes)**–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 34 में विधायिका द्वारा संशोधन अधिनियमों के माध्यम से निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं–

(क) सर्वप्रथम सन् 1953 में उ0प्र0 अधिनियम संख्या 7 द्वारा इस धारा में उपधारा (1–क) और (1–ख) जोड़ी गयी।

(ख) तत्पश्चात् सन् 1964 में उ0प्र0 अधिनियम संख्या 27 द्वारा उपधारा (1–ख) में 'आदेश लोकहित के प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है' शब्दों और 'और किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे संकल्प' शब्दों के बीच निम्नांकित वाक्यांश को अन्तः स्थापित किया गया–

''या जिसे शक्तियों का दुरूपयोग करके अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों का स्पष्ट भंग करके पारित किया गया है''

(ग) तत्पश्चात् सन् 1994 में उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12 द्वारा उपधारा (3) को निरसित कर दिया गया। निरसित किये जाने से पूर्व यह उपधारा निम्नवत् थी–

''जहां किसी अन्य नगरपालिका के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोई आदेश पारित किया जाय, तो उसकी एक प्रतिलिपि उसे दिये जाने के कारणों के विवरणों के साथ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विहित प्राधिकारी को भेजी जायेगी जो तदुपरान्त, यदि वह उचित समझे, उस आदेश को विखण्डित या उपान्तरित कर सकती है।''

2. उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी की शक्ति–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 34 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी को व्यापक शक्ति प्रदान की गयी है। इस उपधारा के अधीन शक्ति के अधीन विहित प्राधिकारी उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन निम्नलिखित के निष्पादन या अग्रेत्तर निष्पादन को प्रतिषिद्ध कर सकता है–

(i) नगरपालिका या नगरपालिका की समिति या संयुक्त समिति द्वारा पारित संकल्प;

(ii) नगरपालिका या संयुक्त समिति के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित संकल्प;

(iii) नगरपालिका या संयुक्त समिति के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित आदेश;

(iv) उपर्युक्त के संकल्प या आदेश के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किये जाना या उसे जारी रखना।

किन्तु उपर्युक्त में से किसी संकल्प या आदेश के निष्पादन या अग्रेत्तर निष्पादन पर प्रतिषेध मात्र उसी स्थिति में लगाया जा सकता है जब कि विहित प्राधिकारी की राय में ऐसे, संकल्प या आदेश से निम्नलिखित में से कुछ भी होता है–

(i) जनता की या विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय को कोई बाधा कारित हो या कारित होने की सम्भावना हो;

(ii) जनता को या विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय को कोई क्षोभा कारित हो या कारित होने की सम्भावना हो;

(iii) जनता को या विधिपूर्वक व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय को कोई क्षोभ कारित हो या कारित होने की सम्भावना हो।

इस उपधारा के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी की राय युक्तियुक्त आधारों पर आधारित होनी चाहिए न कि मनमानी और काल्पनिक आधारों पर।

3. उपधारा (1–क) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति–विहित प्राधिकारी की भांति जिला मजिस्ट्रेट को भी इस अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत कुछ शक्तियां प्रदान की गयी हैं। इस धारा की उपधारा (1–क) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट को अपने जिले की सीमा में स्थित नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान की गयी ळै। इस धारा के अधीन प्राप्त शक्ति के अधीन जिला मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या किसी अन्य अधिनियमित के अधीन निम्नलिखित निष्पादन या अग्रेत्तर निष्पादन को प्रतिषि; कर सकता है–

(i) नगरपालिका या नगरपालिका की समिति या संयुक्त समिति द्वारा पारित संकल्प;

(ii) नगरपालिका या संयुक्त समिति के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित संकल्प;

(iii) नगरपालिका या संयुक्त समिति के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित आदेश;

(iv) उपर्युक्त संकल्प या आदेश के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाना या जारी रखना।

किन्तु उपर्युक्त में से किसी संकल्प या आदेश के निष्पादन या अग्रेत्तर निष्पादन पर प्रतिषेध मात्र उसी स्थिति में लगाया जा सकता है जबकि जिला मजिस्ट्रेट की राय में ऐसे संकल्प या आदेश से निम्नलिखित में से कुछ भी होता है–

(i) मानव जीवन या स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न होता है या उत्पन्न होने की संभावना हो;

(ii) बलवा होता है या होने की सम्भावना हो;

(iii) दंगा होता है या होने की सम्भावना हो।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 34 (1–क) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट को आकस्मिक षक्तियां प्रदान की गयी हैं और इस धारा के अधीन उसके द्वारा पारित आदेश केवल तभी स्थाी हो सकते हैं जबकि इस धारा की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विखण्डित या उपान्तरित न कर दिया जाये।

धारा 34 की उपधारा (1–क) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की अधिकारित उस समय उत्पन्न होती है जबकि नगरपालिका द्वारा कोई संकल्प या आदेश पारित किया जाता है, किन्तु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस उपधारा के अधीन अपनी अधिकारिता को प्रयोग किये जाने के पश्चात् इसकी सकारण सूचना उपधारा (12) के अधीन तुरन्त राज्य सरकार को दी जायेगी। यदि ऐसी सूचना राज्य सरकार को नहीं दी जाती है, तो जिला मजिस्ट्रेट का आदेश स्थायी रूप से लागू नहीं हो सकता है।

4. उपधारा (1–ख) और (2) के अधीन राज्य सरकार की शक्ति–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 34 की उपधारा (1–ख) और उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार को काफी व्यापक शक्ति प्रदान की गयी है। उपधारा (1–ख) के अधीन राज्य सरकार उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या किसी अन्य अधिनियमित के अधीन निम्नलिखित के निष्पादन या अग्रेत्तर निष्पादन को प्रतिषि; कर सकती है–

(i) नगरपालिका या नगरपालिका की समिति या संयुक्त समिति द्वारा पारित संकल्प;

(ii) नगरपालिका या संयुक्त समिति के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित संकल्प;

(iii) नगरपालिका या संयुक्त समिति के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित आदेश;

(iv) उपर्युक्त संकल्प या आदेश के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाना या जारी रखना।

किन्तु उपर्युक्त में से किसी संकल्प या शक्ति या आदेश के निष्पादन या अग्रेत्तर निष्पादन पर प्रतिबन्ध मात्र उसी स्थिति में लगाया जा सकता है जबकि राज्य सरकार की राय में ऐसे संकल्प या आदेश से कुछ भी होता है–

(i) लोकहित के प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला; या

(ii) शक्तियों का दुरूपयोग करके अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधिक उपबन्धों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करके पारित किया गया है।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 34 की उपधारा (1–ख) के अधीन राज्य सरकार केवल उस स्थिति में आदेश पारित कर सकती है जबकि संकल्प या आदेश के अनुसरण में कोई कार्य किया जाना हों। जहां ऐसे संकल्प के आदेश के अनुसरण में कार्य पूरा किया जा चुका है, वहां राजय सरकार इस उपधारा के अधीन कोई आदेश परित कर सकती है। वस्तुतः वह ऐसे किसी प्रस्ताव के अनुसरण में पारित किसी कार्य के शून्य या अवैध घोषित नहीं कर सकती है।

धारा 34 की उपधारा (1–ख) के अधीन कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा कोई रिपोर्ट या शिकायत प्राप्त होने पर पारित किया जा सकता है या स्वप्रेरक से भी पारित किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 34 की उपधारा 34 (1–ख) राज्य सरकार को ऐसे किसी संकल्प को निरस्त करने के लिए शक्ति प्रदान नहीं करती है जिसके अनुसरण में आगे कोई निष्पादन अपेक्षित न हो।

धारा 34 (1–ख) के अधीन राज्य यसरकार द्वारा कोई आदेश मात्र तभी पारित किया जा सकता है जबकि बोर्ड द्वारा पारित आदेश या संकल्प प्रतिषिद्ध किये जाने हेतु अपेक्षित हो।

एक वाद में नगरपालिका द्वारा टैक्सी–टैम्पो स्टैण्ड आदि के लिए ठेका और तहबाजारी संहग्रहीत करने के लिए नीलामी की गयी, किन्तु नीलामी के लिए सम्यक् रूप से कोई प्रकाशन नहीं किया गया और पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त सरकारी राजस्व से कम मूल्य पर नीलामी कर दी गयी। राज्य सरकार द्वारा इस नीलामी को स्थगित कर पुनः नीलामी हेतु आदेश दिया। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी0एम0लाल एवं जे0एस0 सिद्धू की खण्डपीठ ने मामलें की सुनवायी के पश्चात् संप्रेक्षित किया कि राज्य सरकार ऐसा कोई भी आदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 34 की उपधारा (1–ख) के अधीन पारित कर कसती है।

उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार विहित प्राधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (1) एवं (1–क) में पारित आदेशों को विखण्डित या उपान्तरित कर सकती ळै।

5. उपधारा (1), (1–क) एवं (1–ख) के अधीन क्रमशः विहित प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार की शक्तियों की तुलना–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 34 की विभिन्न उपधाराओं के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट एवं राज्य सरकार को प्रदत्त शक्ति प्रतिषेधात्मक है। इसके अन्तर्गत कोई सकारात्मक आदेश पारित नही किया जा सकता है, अपितु इसके अन्तर्गत नगरपालिका या उसकी समिति या संयुक्त समिति या नगरपालिका को किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित आदेश को भाव प्रतिषिद्ध किया जा सकता है।

इन उपधाराओं के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों की प्रकृति एक समान है, किन्तु व्यापकता में और इसका उपयोग किये जाने के आधारों में अन्तर है।

6. उपधारा (1), (1–क) एवं (1–ख) के अधीन आदेशों का प्रभाव–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 34 की इन उपधाराओं के अधीन आदेश पारित होने के पश्चात् संकल्प या आदेश के अनुसरण में कोई कार्यवाही न तो की जा सकेगी और न ही उसे जारी रखा जा सकेगा, किन्तु ऐसे किसी आदेश के फलस्वरूप संकल्प या आदेश के अनुसरण में किया जा चुका कोई भी कार्य अवैध या शूल्य नहीं होगा।

7. उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द 'क्षोभ' का अभिप्राय–'क्षोभ' शब्द न्यूसेंस शब्द से काफी व्यापक है। कोई बात जो किसी व्यक्ति को युक्तियुक्त रूप से मानसिक परेशानी कारित करती है वह क्षोभ के अन्तर्गत आती है। यह परेशानी किसी असाधारण या किसी बौद्धिक व्यक्ति की परेशानी नहीं है, अपितु एक साधारण रूप से संवेदनशील व्यक्ति को परेशानी है। यदि कोई बात किसी साधारण व्यक्ति की युक्तियुक्त मानसिक शक्ति में हस्तक्षेप करती है, तो वह क्षोभ कारित करने वाली होगी, भले ही उससे उस व्यक्ति को कोई शारीरिक क्षति कारित न हो।

8. उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द 'क्षति' का अभिप्राय–इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक वाद में संप्रेक्षित किया कि जहां 'क्षति' शब्द का अभिप्राय किसी अन्य व्यक्ति के विधिक अधिकारों के उल्लंघन या उसमें हस्तक्षेप से है।

35. **नगरपालिका के चूक करने की दशा में राज्य सरकार और विहित प्राधिकारी की शक्ति**–(1) यदि किसी भी समय अभ्यावेदन किये जाने पर या अन्यथा राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि नगरपालिका इस या किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या के अधीन अधिरोपित किसी कर्तव्या का पालन करने में चूक या इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनिमित द्वारा प्राप्त किसी शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी आदेश या जारी किये गये किसी निदेश का पालन करने में चूक की है, तो राज्य सरकार नगरपालिका से स्पष्टीकरण मांगने और इस धारा के अधीन कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नगरपालिका द्वारा उक्त कर्तव्य का पालन करने या उक्त आदेश या निदेश के निष्पादन के लिए कोई अवधि निश्चित कर सकती है।

(2) यदि उक्त कर्तव्य का पालन या आदेश अथवा निदेश का निष्पादन इस प्रकार निश्चित की गयी अवधि के भीतर न किया जाय तो, यथास्थिति, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, या जिला मजिस्ट्रेट को या किसी ऐसे अन्य अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न पंक्ति का न हो, उसका पालन करने के लिए नियुक्त कर सकता है और यह आदेश दे सकती है कि उक्त कर्तव्य का पालन करने या आदेश या निदेश का निष्पादन करने में होने वाला व्यय का (यदि कोई हो) नगरपालिका द्वारा ऐसे समय के भीतर, जो नियम किया जाय, जिला मजिस्ट्रेट को भुगतान किया जायेगा।

(3) यदि उक्त व्यय का इस प्रकार भुगतान न किया जाये तो जिला मजिस्ट्रेट, यथास्थिति राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृत से आदेश द्वारा उस व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षाा में नगरपालिका निधि हो, ऐसी निधि से उक्त व्यय का भुगतान करने का निदेश दे सकता है।

संक्षेप

1.	धारा 35 का उद्‌देश्य एवं विस्तार	4.	धारा 35 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति
2.	धारा 35 के अधीन राज्य सरकार की शक्ति		
3.	धारा 35 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी की शक्ति		

1. धारा 35 का उद्देश्य एवं विस्तार—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 35 राज्य सरकार की उन शक्तियों को विहित करती है जिनका प्रयोग नगरपालिका द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन या राज्य सरकार द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश का निष्पादन करने में चूक करने की दशा में किया जाता है। इस धारा के अनुसार राजय सरकार इस सम्बन्ध में नगरपालिका को कारण बताओं नोटिस जारी कर कसती है और सम्बन्धित कर्तव्य का पालन एवं या आदेश या निदेश का अनुपालन करने के लिए कोई कालावधि नियत कर सकती है। किन्तु यदि ऐसी कालावधि के भीतर भी नगरपालिका ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन या आदेश या निदेश का निष्पादन नहीं करती है, तो राज्य सरकार उसके अनुपालन या निष्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से किसी की नियुक्ति कर सकती है—

(i) विहित प्राधिकारी;

(ii) जिला मजिस्ट्रेट;

(iii) डिप्टी कलेकटर से अनिम्न पंक्ति का कोई अन्य अधिकारी

साथ ही ऐसे कर्तव्यों या आदेशों या निदेशों के अनुपालन में उपगत व्ययों का सम्बन्धित नगरपालिका द्वारा संदाय या आदेश भी राजय सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है। यह धारा आगे उपबन्धित करती है कि ऐसी रकम या संदाय करने में नगरपालिका द्वारा असफल रहने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे व्यक्ति को जिसके कब्जे में नगरपालिका निधि है, के सीधे ऐसी रकम का संदाय करने का आदेश दे सकती है।

2. धारा 35 के अधीन राज्य सरकार की शक्ति—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत राज्य सरकार को काफी व्यापक शक्ति प्रदान की गयी है। इस धारा के अन्तर्गत यदि नगरपालिका द्वारा नगरपालिका अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम, नियम या विनियम आदि द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का अनुपालन नहीं किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम, नियम या विनियम आदि के अधीन प्राप्त शक्ति के प्रयोग में पारित किसी आदेश या निदेश का निष्पादन नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार उससे स्पष्टीकरण मंगा सकती है। और ऐसे कर्तव्य के अनुपालन या आदेश या निदेश के निष्पादन हेतु कोई कालावधि निहित कर सकती है यदि बावजूद इसके नगरपालिका ऐसे कर्तव्य का अनुपालन या आदेश या निदेश का निष्पादन करने में असफल रहती है, तो राज्य सरकार उसके अनुपालन या निष्पादन हेतु विहित प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न पंक्ति के किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। साथ ही राज्य सरकार एतद्‌प्रयोजनार्थ उपगत व्यय का संदाय सम्बन्धित नगरपालिका द्वारा किये जाने का आदेश भी दे सकती है।

धारा 35 के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त शक्ति अतिरिक्त शक्ति है न कि धाररा 30 के अधीन शक्ति की पूरक। इसका प्रयोग किये जाने से पूर्व यह आवश्यक नहीं है कि पहले वह धारा 30 के अधीन कार्यवाही करें।

3. धारा 35 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी की शक्ति–इस धारा के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी हो यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह नगरपालिका से अपने स्वयं के आदेश का निश्पादन कराये, अपितु वह मात्र उन्हीं कर्तव्यों जो नगरपालिका अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम, नियम या विनियम के अधीन नगरपालिका पर अधिरोपित किये गये हैं या उन्हीं आदेशों या निदेशों का निष्पादन को नगरपालिका अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम, नियम या विनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हैं, का अनुपालन ही सुनिश्चित करा सकता है।

4. धारा 35 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाने के पश्चात् नगरपालिका के उन कर्तव्यों का अनुपालन और राज्य सरकार के उन आदेशों या निदेशों का निष्पादन कर सकता है, जिनका अनुपालन या निष्पादन करने में नगरपालिका द्वारा चूक की जाती है।

जिला मजिस्ट्रेट को धारा 35 के अधीन नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष को सार्वजनिक बैठक बुलाने हेतु आदेश देने की शक्ति प्राप्त नहीं है।

धारा 35 की उपधारा (2) एवं (3) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गयी है।–

(1) नगरपालिका द्वारा किसी कर्तव्य या राज्य सरकार के आदेश या निदेश के अनुपालन में चूक कारित किये जाने के फलस्वरूप उसके अनुपालनार्थ नियुक्त किये गये प्राधिकारियों द्वारा उसका अनुपालन करने में हुए व्यय की रकम का नगरपालिका से संदाय प्राप्त करना।

(2) नगरपालिका द्वारा ऐसी रकम का संदाय न किये जाने पर ऐसे व्यक्ति को इसका संदाय करने का सीधे आदेश देने की शक्ति, जिसके नियन्त्रण में नगरपालिका की निधि है, किन्तु ऐसा कोई आदेश राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना जारी नहीं किया जा सकता है।

36. **आपातकालीन स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट की असाधारण शक्तियां**–(1) आपातकालीन स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट विहित प्राधिकारी की अनुमति से, किसी ऐसे निम्राण कार्य के निष्पादन या ऐसे कार्य के सम्पन्न किये जाने की व्यवस्था कर सकता है, जिसके निष्पादन या सम्पन्न करने की नगरपालिका की शक्ति प्राप्त हो और उसकी राय में, जिसका तात्कालिक निष्पादन या सम्पन्न किया जाना जनता की सुरक्षा संरक्षण या सुविधा के लिए आवश्यक हो और यह निदेश दे सकता है कि निर्माण कार्य के निष्पादन का कार्य सम्पन्न किये जाने से सम्बन्धित व्यय का नगरपालिका द्वारा तुरन्त भुगतान किया जायेगा।

(2) यदि उक्त व्यय का इस प्रकार भुगतान न किया जाय तो जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिका निधि हो, ऐसी निधि से उक्त व्यय का भुगतान करने का निदेश दे सकता है।

(3) जिला मजिस्ट्रेट तुरन्त ऐसे मामलें की, जिसमें वह धारा द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करे, विहित प्राधिकारी को तुरन्त रिपोर्ट करेगा।

संक्षेप

1.	जिला मजिस्ट्रेट की धारा 36 के अधीन की शक्ति	2.	धारा 35 और धारा 36 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां : तुलना

1. जिला मजिस्ट्रेट की धारा 36 के अधीन की शक्ति—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 36 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्ति असाधारण प्रकृति की है और इसका उपयोग मात्र आकस्मिक आपातकालीन परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। इस धारा के अनुसार ऐसी शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित शर्तो के पूरा होने पर किया जा सकता है—

(i) किसी निर्माण कार्य, जनता की सुरक्षा, संरक्षण के लिए तात्कालिक निष्पादन आवश्यक है; और

(ii) ऐसे निर्माण कार्य का निष्पादन करने की शक्ति नगरपालिका को प्राप्त है, किन्तु उसने उसका निष्पादन नहीं किया है।

उपर्युक्त दोनों शर्तो के पूरा होने पर जिला मजिस्ट्रेट ऐसे कार्य को निष्पादन करने की व्यवस्था कर सकता है। ऐसी व्यवस्था और निष्पादन में उपगत व्यय का तत्काल भुगतान करने के लिए वह नगरपालिका को निदेश दे सकता है, किन्तु नगरपालिका द्वारा इसका, तत्काल भुगतान न किये जाने पर वी सीधे उस व्यक्ति को भुगतान करने हेतु निर्देश दे सकता है जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिका की निधि है, किन्तु इस धारा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोई भी आदेश विहित प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता है।

2. धारा 35 और धारा 36 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां : तुलना—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 35 और 36 दोनो के अधीन जिला मजिस्ट्रेट को शक्तियां प्रदान की गयी है, किन्तु इन दोनों ही शक्तियों की प्रकृति, सीमा और विस्तार में काफी अन्तर है। जहां धारा 35 के अधीन प्रदत्त शक्तियां सामान्य प्रकृति की हैं, धारा 35 के अधीन प्रदत्त शक्तियां असाधारण प्रकृति की हैं जिनका प्रयोग मात्र आपात्कालीन दशाओं में ही किया जा सकता है। धारा 35 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति पूर्णतः राज्य सरकार के निदेश और अनुमति के अधीन है, किन्तु धारा 36 के अधीन उसे कुछ हद तक विवेकाधिकारी प्रदान किया गया है और वह इस धारा में विहित परिस्थितियों में खुद यह निर्णय ले सकता है कि इस असाधारण शक्ति का प्रयोग करें या नहीं, किन्तु इस धारा के अन्तर्गत भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग विहित प्राधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकता है। इसके अलावा जि मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी सभी कार्यवाही की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को देना आवश्यक है जिसके सम्बन्ध में उसने इस धारा के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग किया है।

धारा 36 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति की व्यापकता काफी सीमित है। इस धारा के अन्तर्गत वह केवल ऐसे निर्माण कार्य के निश्पादन को ही सम्पन्न कराने की व्यवस्था कर सकता है जिसके निष्पादन की तत्काल आवश्यकता जनता की सुरक्षा, संरक्षण एवं सुविधा के लिए है। जबकि धारा 35 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट उन सभी कार्यो का निष्पादन कर सकता है जिसको करने के लिए नगरपालिका इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम, नियम या विनियम या राज्य सरकार के आदेश या निर्देश के अधीन उत्तरदायी है।

नगरपालिका के सदस्य

37. **सदस्यों और अध्यक्ष को पारिश्रमिक देने का प्रतिषेध**—किसी नगरपालिका के सदस्य या अध्यक्ष को सिवाय राज्य सरकार की स्वीकृति के या इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार, किसी प्रकार का पारिश्रमिक या यात्रा भत्ता स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

38. **आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित {***} सदस्यों की पदावधि**—किसी आकस्मिक रिक्ति को या ऐसी रिक्ति को भरने के लिए जो सामान्य निर्वाचन {***} के सयम न भरी गयी हो, निर्वाचित {***} सदस्य की पदावधि इस अधिनियम के अधीन उसका निर्वाचन या {***} घोशित किये जाने पर प्रारम्भ होगी और नगरपालिका को शेष कार्यकाल तक के लिए होगी।

38—क. {***}

39. **सदस्यों का त्याग–पत्र**–यदि अध्यक्ष से भिन्न नगरपालिका का कोई सदस्य लिखकर अपने हस्ताक्षर से राज्य सरकार को सम्बोधित करके अपना त्याग–पत्र देता है तो तदुपरान्त उसका स्थान रिक्त हो जायेगा। त्याग–पत्र उस जिले के, जिसमें नगरपालिका स्थित हो, जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में दिया जायेगा जो इसकी सूचना तुरन्त अध्यक्ष को देगा और त्याग–पत्र को राज्य सरकार के पास भेज देगा।

संक्षेप

1.	धारा 39 का उद्देश्य एवं विस्तार	2.	सदस्यों का त्याग–पत्र कब से प्रवृत्त होगा

1. धारा 39 का उद्देश्य एवं विस्तार–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 39 नगरपालिका के सदस्यों को अपने से स्वेच्छापूर्वक त्याग–पत्र देने हेतु अधिकार प्रदान करती है, किन्तु इस धारा के अन्तर्गत किसी सदस्य द्वारा त्याग–पत्र दिये जाने के पश्चात् उसे स्वीकार करने से पूर्व कोई जांच कराने का उपबन्ध नहीं किया गया है। किन्तु फिर भी त्याग–पत्र प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का यह विवक्षित कर्तव्य है कि वह अपना यह समाधान कर ले कि पत्र सम्बन्धित सदस्य द्वारा ही स्वतंत्रापूर्वक लिखा गया है।

2. सदस्यों का त्याग–पत्र कब से प्रवृत्त होगा–नगरपालिका के किसी सदस्य का कार्यकाल उस समय से प्रवृत्त हो जाता है जबकि जिला मजिस्ट्रेट उसको या तो सीधे सरकार के पास भेज या उसकी सरकार तक अग्रसारित करने हेतु आयुक्त के पास प्रेषित कर दें।

40. **सदस्यों का हटाया जाना**–(1) राज्य सरकार निम्नलिखित किसी भी आधार पर नगरपालिका के सदस्य को हटा सकती है–

(क) वह नगरपालिका की स्वीकृति प्राप्त किये बिना लगातार तीन मास से अधिक तक नगरपालिका के अधिवशेनों में या लगातार तीन अधिवेशनों में इनमें, जो भी अवधि अधिक हो, अनुपस्थित रहा है,

परन्तु जिस अवधि में सदस्य विचाराधीन बन्दी निरूद्धबन्दी या राजनीति बन्दी के रूप में कारावास में रहा हो, उसकी गणना नहीं की जायेगी;

(ख) उसने धारा 12–घ और 13–घ में वर्णित कोई अनर्हता उपगत कर ली हो;

(ग) उसने धारा 82 के अर्थ में, नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में या भागीदार के द्वारा जानबुझकर कोई अंश या हित, चाहे वह धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का हो, अर्जित किया हो या उसे धृत रखा हो;

(घ) उसने धारा 82 में निर्दिष्ट विषय से भिन्न किसी ऐसे विशय में, जिसमें उसका या भागीदार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, कोई निजी हित रहा हो, चाहे वह धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार हो या जिनमें वह किसी मुवक्किल, मालिक या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से वृत्तिक रूप से हितबद्ध रहा हो, जानबुझ कर सदस्य के रूप में कार्य किया हो,

(ङ) वह विधि व्यवसायी होने के कारण अपनी सदस्यता की अवधि में नगरपालिका के विरूद्ध या नगरपालिका के प्रबन्ध में सौंपी गयी किसी नजूल भूमि के सम्बन्ध में राज्य सरकार के विरूद्ध किसी व्यक्ति की ओर से, किसी वाद या कार्यवाही में काग्र करे या उपस्थिति हो या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उसकी ओर से जिसके विरूद्ध नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गयी हो, कोई कार्य करे या उपस्थित हो;

(च) उसने सम्बद्ध नगरपालिका क्षेत्र में अपने सामान्य निवास स्थान का परित्याग कर दिया है या स्वेच्छा से या अन्यथा वहां से अपना निवास स्थान स्थानान्तरित कर दिया है, जब तक कि सदस्य स्वयं निवास स्थान का इस प्रकार परित्याग या स्थानान्तरण करने के तीन मास के भीतर अपने पद से त्याग–पत्र दे दे;

(छ) वह नगरपालिका के अधिवेशनों में बार–बार कदाचार या विच्छृंखलता का दोषी रहा और तदर्थक शिकायत अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा राज्य सरकार को की गयी हो;

(ज) वह सदस्य के रूप में या उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में या अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपाध्यक्ष के रूप में किसी अनरू दुराचारण का दोषी है, चाहे वह उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् किया गया हो।

(2) {***}

(3) राज्य सरकार नगरपालिका से किसी सदस्य को हटा सकेगी जिसने, उसकी रायमें नगरपालिका के वर्तमान या अन्तिम पूर्ववर्ती कार्यकाल में सदस्य होते हुए, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी समिति के सभापति या किसी अन्य हैसियत से उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात्, कार्य करते हुए अपने पद का इतना घोर दुरूपयोग किया है या इस अधिनियम या किसी नियम, विनियम या उपविधि के उपबन्धों का जान–बुझकर इतना उल्लंघन किया है या नगरपालिका की निधि या सम्पत्ति की इतनी हानि या क्षति पहुँचायी है कि वह सदस्य रहने के लिए अयोग्य हो गया है।

(4) परन्तु जब राज्य सरकार इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन कार्यवाही करने का विचार करे, तो सम्बद्ध सदस्य को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जायेगा और जब ऐसी कार्यवाही हो जाय तो उसके कारणों को अभिलिखित किया जायेगा।

(5) {***}

(6) किन्हीं पूर्वगामी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर सदस्य को हटाने के बजाय उसे चेतावनी दे सकती है।

{***}

संक्षेप

1.	विधायी परिवर्तन (Legislative changes)	5.	धारा 40 की उपधारा (3)
2.	धारा 40 का उद्देश्य एवं विस्तार	6.	धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन 'स्पष्टीकरण देने का अवसर' : अभिप्राय
3.	धारा 40 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अवधि की गणना	7.	धारा 40 की उपधारा (6)
4.	धारा 40(1) (च) के अधीन नगरपालिका के सदस्य का हटाया जाना।		

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 40 को उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। यह धारा प्रतिस्थापित किये जाने से पूर्व निम्नवत् थी–

''42. सदस्यों का हटाया जाना–(1) राज्य सरकार, नगर की दशा में या विहित प्राधिकारी, किसी अन्य दशा में, बोर्ड के किसी सदस्य को निम्नलिखित किसी भी आधार पर हटा सकती है–

(क) कि वह बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त किये बिना लगातार तीन मास से अधिक तक बोर्ड के अधिवेशनों में या लगातार तीन अधिवेशनों में इनमें, जो भी अवधि अधिक हो, अनुपस्थित रहा है,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है जिस अवधि में सदस्य विचाराधीन बन्दी निरूद्धबन्दी या राजनीति बन्दी के रूप में कारावास में रहा हो, उसकी गणना नहीं की जायेगी;

(ख) कि उसने धारा 12–घ और 13–घ में वर्णित कोई अनर्हता उपगत कर ली हो;

(ग) कि उसने धारा 82 के अर्थ में, बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में या भागीदार के द्वारा जानबुझकर कोई अंश या हित, चाहे वह धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का हो, अर्जित किया हो या उसे धृत रखा हो;

(घ) कि उसने धारा 82 में निर्दिष्ट विषय से भिन्न किसी ऐसे विषय में, जिसमें उसका या भागीदार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, कोई निजी हित रहा हो, चाहे वह धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार हो या जिनमें वह किसी मुवक्किल, मालिक या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से वृत्तिक रूप से हितबद्ध रहा हो, जानबुझ कर सदस्य के रूप में कार्य किया हो,

(ङ) कि वह विधि व्यवसायी होने के कारण अपनी सदस्यता की अवधि में बोर्ड के विरूद्ध या बोर्ड के प्रबन्ध में सौंपी गयी किसी नजूल भूमि के सम्बन्ध में राज्य सरकार के विरूद्ध किसी व्यक्ति की ओर से, किसी वाद या कार्यवाही में कार्य करे या उपस्थिति हो या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उसकी ओर से जिसके विरूद्ध नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गयी हो, कोई कार्य करे या उपस्थित हो;

(च) कि उसने सम्बद्ध नगरपालिका क्षेत्र में अपने सामान्य निवास स्थान का परित्याग कर दिया है या स्वेच्छा से या अन्यथा वहां से अपना निवास स्थान स्थानान्तरित कर दिया है, जब तक कि सदस्य स्वयं निवास स्थान का इस प्रकार परित्याग या स्थानान्तरण करने के तीन मास के भीतर अपने पद से त्याग–पत्र दे दे;

(छ) कि वह बोर्ड के अधिवेशनों में बार–बार कदाचार या विच्छूंखलता का दोषी रहा और तदर्थक शिकायत अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा राज्य सरकार को की गयी हो;

(ज) कि वह सदस्य के रूप में या उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में या अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपाध्यक्ष के रूप में किसी अनरू दुराचारण का दोषी है, चाहे वह उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् किया गया हो।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ग) , (घ) या (ङ) के अधीन विहित प्राधिकारी के आदेश द्वारा हटाया गया कोई सदस्य, आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक मास के भीतर उसके विरूद्ध राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकेगा और तदुपरि राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, आदेश को निरस्त कर सकेगा और सदस्य को बहाल कर सकेग या उपधारा (6) के अधीन आदेश प्रतिस्थापित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार बोर्ड से किसी सदस्य को हटा सकेगी जिसने, उसकी राय में बोर्ड के वर्तमान या अन्तिम पूर्ववर्ती कार्यकाल में सदस्य होते हुए, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी समिति के सभापति या किसी अन्य हैसियत से उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात्, कार्य करते हुए अपने पद का इतना घोर दुरूपयोग किया है या इस अधिनियम या किसी नियम, विनियम या उपविधि के उपबन्धों का जान–बुझकर इतना उल्लंघन किया है या बोर्ड की निधि या सम्पत्ति की इतनी हानि या क्षति पहुँचायी है कि वह सदस्य रहने के लिए अयोग्य हो गया है।

(4) किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब राज्य सरकार इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन कार्यवाही करने का विचार करे, तो सम्बद्ध सदस्य को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जायेगा और जब ऐसी कार्यवाही हो जाय तो उसके कारणों को अभिलिखित किया जायेगा।

(5) राज्य सरकार किसी सदस्य को जिसे उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किसी मामलें के सम्बन्ध में कारण बताने के लिए बुलाया गया है, या जिसके विरूद्ध किसी अपराध, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अद्यःपतन को अन्तर्ग्रस्त करता है, के सम्बन्ध में अभियोजन प्रारम्भ हो गया है, जांच या अभियोजन, यथास्थिति, के पूरा होने तक निलम्बित रख सकेगी और कोइ्र सदस्य जो इस प्रकार से निलम्बित किा गया है, जब तक कि निलम्बन आदेश प्रवृत्त रहेगा बोर्ड की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने या अन्यथा सदस्य के कर्तव्यों को सम्पन्न करने का हकदार नहीं होगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उप–धारा के अधीन निलम्बन के आदेश के होते हुए भी, धारा 87–क के प्रयोजनार्थ वह निरन्तर सदस्य के रूप में समझा जायेगा और उस धारा के अधीन सम्पन्न किसी कार्यवाही या अधिवेशन में भाग लेने का हकदार होगा।

(6) किन्हीं पूर्वगामी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर सदस्य को हटाने के बजाय उसे चेतावनी दे सकती है या निर्दिष्ट अवधि के लिए जो एक समय में तीन मास से अधिक नही होगी, निलम्बित कर सकेगा और कोई सदस्य जो इस प्रकार से निलम्बित किया गया है, जब तक कि निलम्बन आदेश प्रवृत्त रहेगा, बोर्ड की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने या अन्यथा सदस्य के कर्तव्यों को सम्पन्न करने का हकदार नहीं होगा।;;

स्पष्टीकरण–उपधारा (6) के अधीन किसी सदस्य को चेतावनी देने या निलम्बित करने की शक्ति का प्रयोग उप–धारा (1) या उपधारा (3) के अधीन मूलतः किसी विषय पर कार्यवाही करते समय, यथास्थिति या तो राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी द्वारा या उपधारा (2) के अधीन किसी अपील पर राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

2. धारा 40 का उद्देश्य एवं विस्तार—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या मुख्य उद्देश्य नगरपालिका के किसी सदस्य को हटाने के लिए प्रक्रिया विहित करना है। इस धारा की उपधारा (1) उन सामान्य आधारों को विनिर्दिष्ट करती है जिनके आधार पर नगरपालिका के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। जब कि उपधारा (3) उन विशेष आधारों को विनिर्दिष्ट करती है जिनके आधार पर किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। उपधारा (4) किसी सदस्य को उपधारा (1) या (3) के अधीन हटाये जाने से पूर्व उसे सुनवायी या अवसर प्रदान करती है कि वह उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आधारों पर किसी सदस्य को पद से हटाने के बजाय उसे मात्र चेतावनी देकर छोड़क सकती है। इस प्रकार यह धारा जहां एक ओर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को अन्तर्विष्ट करती है, वही सदस्यों को एक बार माफ करने हेतु भी राज्य सरकार को विवेकाधिकारी प्रदान करती है।

इस धाारा के अधीन किसी सदस्य को पद से हटाने का कोई भी आदेश राज्य सरकार द्वारा ही दिया जा सकता है, न कि किसी अन्य अधिकारी द्वारा।

3. धारा 40 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अवधि की गणना—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 40 (1) (क) के अनुसार यदि नगरपालिका का कोई सदस्य नगरपालिका की स्वीकृति प्राप्त किये बिना लगातार तीन मास से अधिक अवधि तक नगरपालिका के अधिवेशनों में या लगातार तीन अधिवेशनों में इनमें से जो भी अवधि अधिक हो, अनुपस्थित रहता है तो राज्य सरकार उसे उसके पद से हटा सकती है। इस धारा के अधीन अवधि की गणना अनुपस्थित रहने की प्रथम तिथि के बीच की जायेगी।

धारा 40 (1) (क) के अधीन राज्य सरकार किसी सदस्य को हटाने के लिए आदेश केवल तभी पारित कर सकती है जबकि उसमें दी गयी शर्ते पूरी हो। यदि कोई सदस्य तीन मास से कम अवधि के लिए अनुपस्थित रहा हो, तो उसे इस धारा के अन्तर्गत नहीं हटाया जा सकता है।

4. धारा 40(1) (च) के अधीन नगरपालिका के सदस्य का हटाया जाना—धारा 40 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अनुसार कोई भी नगरपालिका का सदस्य नगरपालिका की सदस्यता से हटाया जा सकता है, अगर उसका निवास स्थान नगरपालिका के क्षेत्र से बाहर हो।

नगरपालिका की महिला सदस्य के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसका निवास स्थान नगरपालिका के क्षेत्र के अन्तर्गत हो। यह निर्णय हुआ कि धारा 9 में यह भी प्रावधान है कि विधानसभा एवं लोकसभा के सभी सदस्यों जिसका चुनाव क्षेत्र सम्पूर्ण या उनका कोर्ठ भाग नगरपालिका के क्षेत्र में हो वह नगरपालिका का पदेन सदस्य है उसके लिए यह जरूरी नही है कि वह नगरपालिका के क्षेत्र के अन्तर्गत ही निवास करें, परन्तु सदस्य विधान परिषद के लिए यह जरूरी है कि उनका निवास स्थान नगरपालिका के क्षेत्र के अन्तर्गत ही हो।

5. धारा 40 की उपधारा (3)—यह उपधारा उपबन्धित करती है कि यदि कोई सदस्य, सदस्य के रूप में या नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी समिति के सभापति या किसी अन्य हैसियत से कार्य करते हुए अपने पद का घोर दुरूपयोग करता है या नगरपालिका अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम, नियम, विनियम या उपविधि के उपबन्धों का जानबुझकर उल्लंघन करता है, तो उसे हटाया जा सकता है। किन्तु इस उपधारा के अन्तर्गत यह दुरूपयोग या उल्लंघ इस सीमा तक होना चाहिए कि राज्य सरकार की राय में वह सदस्य नगरपालिका का सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य हो गया हो।

धारा 40 (3) में प्रयुक्त वाक्यांश ' सदस्य होते हुए .... अपने पद का इतना घोर दुरूपयोग किया है' का निश्चित रूप से यह आशय है कि सद स्य ने निश्चित रूप से वह कार्य, जिससे बोर्ड का नाम धूमिल हुआ हो, अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में कार्य करते हुए किया हो। यदि सदस्य ने ऐसा कोई कार्य उस मामलें में किया है जिसका उसके कर्तव्यों से कोई सम्बन्ध न हो, पद का दुरूपयोग नहीं कहा जा सकता है। किसी सदस्य द्वारा अपने पद का दुरूपयोग किया गया है अथवा नहीं इसका अभिनिर्धारण करने की एकमात्र शक्ति राज्य सरकार में है। किन्तु राज्य सरकार द्वारा इस शक्ति का प्रयोग युक्तियुक्त रूप से किया जाना चाहिए और निर्णय सम्यक् सावधानी पूर्वक एवं सद्भावपूर्वक लिया जाना

चाहिए। यदि राज्य सरकार द्वारा निर्णय सम्यक् सावधानीपूर्वक एवं सद्भावपूर्वक लिया गया है, तो उसके विरूद्ध कोई वाद किसी सिविल न्यायालय में दाखिल नहीं किया जा सकता है।

'पद के घोर दुरूपयोग' से अभिप्राय है कि सदस्य ने अपनी शक्ति का प्रयोग गलत प्रयोजनों के लिए या अपनी स्थिति का लाभ भ्रष्ठ तरीके से लिया है।

नगरपालिका अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन मात्र 'पद का दुरूपयोग; नहीं कहा जायेगा। कोई कार्य पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में किया गया है यानहीं इसकी एक कसौटी यह है कि क्या वह सदस्य अपने कार्य की प्रतिरक्षा कर्तव्य की प्रकृति की दलील देकर कर सकता है या नहीं ?

6. धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन 'स्पष्टीकरण देने का अवसर' : अभिप्राय—नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 40 की उपधारा (4) प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित है। इस उपधारा के अनुसार किसी सदस्य को हटाने से पूर्व स्पष्टीकरण का अवसर दिया जायेगा और तत्पश्चात् कारण सहित लिखित आदेश पारित किया जायेगा।

जहां किसी अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को 'स्पष्टीकरण का अवसर देने' के लिए उपबन्ध किया जाता है, तब इसका विवक्षित रूप से अभिप्राय यह है कि उस व्यक्ति को अपने विरूद्ध साक्षियों का परीक्षण करने का अवसर प्रदान किया जायेगा और यदि आवश्यक हो तो अपने पक्ष में साक्षियों को प्रस्तुत करने एवं सुसंगत साक्ष्यों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

उपधारा (4) में वर्णित शर्त का अनुपालन उपधारा (1) एवं (3) के अधीन कार्यवाही किये जाने से पूर्व होना चाहिए। वस्तुतः यह इन उपधाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की पूर्व शर्त है। यह उपधारा आदेशात्मक प्रकृति की है और इसका अनुपालन न किये जाने पर सम्पूर्ण कार्यवाही अकृत एवं शूल्य होगी।

धारा 40 के अधीन किसी सदस्य को हटाये जाने का कोई आदेश लिखित रूप में होना चाहिए और उसको उसे हटाये जाने का कारण स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए।

7. धारा 40 की उपधारा (6)—नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 40 की उपधारा (6) के अनुसार राज्य सरकार उपधारा (1) के विनिर्दिष्ट किसी भी आधार पर नगरपालिका के किसी सदस्य को हटाने के बजाय उसे मात्र चेतावली देकर छोड़ सकती है। इस प्रकार यह उपधारा राज्य सरकार को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करती है, जिसके अधीन वह किसी सदस्य को सुधार का मौका दे सकती है।

उपधारा (6) के उपबन्ध मात्र उपधारा (1) के अधीन उपबन्धित आधारों के सम्बन्ध में ही लागू होते है, उपधारा (3) के अधीन उपबन्धित आधारों के सम्बन्ध में नहीं। इसलिए यदि किसी सदस्य द्वारा पद का दुरूपयोग किया जाता है तो उसके सम्बन्ध में उपधारा (6) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

41. **धारा 40 के अधीन हटाये गये सदस्यों की निर्योग्यतायें**—(1) पूर्ववर्ती धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन हटाया गया कोई सदस्य यदि अन्यथा अर्ह हो फिर से निर्वाचित या नाम—निर्देशित किये जाने का पात्र होगा।

(2) पूर्ववर्ती धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन हटाया गया कोई सदस्य तब तक इस प्रकार पात्र नहीं होगा जब तक कि उसकी निर्योग्यता समाप्त न हो जाय।

(3) पूर्ववर्ती धारा की उपधारा (3) के अधीन हटाया गया कोई सदस्य, अपने हटाये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक इस प्रकार पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह कि राज्य सरकार पर्याप्त कारणों से किसी व्यक्ति को इस निर्योग्यता से मुक्त कर सकती ळै।

(4) पूर्ववर्ती धारा के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन हटाया गया कोई सदस्य तब तक इस प्रकार पात्र नहीं होगा जब तक कि ऐसे कारणों से जो विनिर्दिष्ट किये जायेंगे यह घोषित न कर दिया जाय कि अब आपात नही है और उसे राज्य सरकार से इस प्रकार घोषित किया जा सकता है।

42. {***}

43. **अध्यक्ष का निर्वाचन—(1)** अध्यक्ष नगरपालिका क्षेत्र में निर्वाचक द्वारा मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जायेगा।
(2) बहिर्गामी अध्यक्ष पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा।
(3) किसी सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन और निर्वाचन अपराध से सम्बन्धित विवाद भी है) इस अधिनियम के उपबन्ध और तद्धीन बनाये गये निगम अध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
(4) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति नगरपालिका के सदस्य और अध्यक्ष दोनों ही रूप में निर्वाचित हो जाये, या नगरपालिका सदस्य होते हुए किसी उप—निर्वाचन में अध्यक्ष निर्वाचित हो जाये, तो वह धारा 49 में यथा उपबन्धित के सिवाय, अध्यक्ष निर्वाचित होने के दिनांक से सदस्य न रह जायेगा।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 43 अन्तिम बार उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी है। इससे पूर्व यह धारा जो कि सन् 1982 में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी थी। सन् 1982 से 1994 तक यह धारा निम्नवत् थी—

''43. अध्यक्ष का निर्वाचन—धारा 43 के अधीन घोषित किसी नगर से भिन्न किसी नगर के बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन किसी सामान्य निर्वाचन में होने के बाद यथाशीघ्र सभी सदसय आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मताधिकार द्वारा ऐसे बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और ऐसे निर्वाचन में मतदान पृथक मतपत्र के द्वारा होगा।''
स्पष्टीकरण—इस उप—धारा के प्रयोजनार्थ, बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन, किसी सीट के भरे न जा सकने की स्थिति में भी, पूर्ण समझा जायेगा, यदि धारा 9 के अधीन विनिर्दिष्ट सदस्योंक की सम्पूर्ण संख्या के कम से कम 4/5 सदस्यों का निर्वाचन हो गया हो।
(2) उप—धारा (1) में विनिर्दिष्ट बोर्ड से भिन्न बोर्ड का अध्यक्ष नगरपालिका के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।

परन्तु कि यदि कोई व्यक्ति बोर्ड जिस पर यह उपधारा लागू होती है, का सदस्य और अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है, या ऐसे बोर्ड का सदस्य होते हुए किसी उपनिर्वाचन में अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है, तो वह धारा 40 में उपबन्धित के सिवाय अध्यक्ष निर्वाचित होने की तिथि से सदस्य नहीं रह जायेगा।''

43–क. **भिन्न–भिन्न स्थानीय प्राधिकारियों के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद एक साथ धारण करने के सम्बन्ध में रोक**–कोई व्यक्ति नगरपालिका और किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी दोनों का एक ही समय में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न होगा–

परन्तु यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के किसी ऐसे या उसी तरह के किसी पद पर निर्वाचित हो जाय तो वह अपने विकल्प से एक स्थानीय प्राधिकारी में पद धारण करता रहेगा ओर अन्य प्राधिकारियों में निहित अवधि के भीतर, त्याग–पत्र दे देगा।

43–कक. **अध्यक्ष पद के लिए अर्हतायें**–(1) कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका का अध्यक्ष चुने जाने के लिए अर्ह न होगा जब तक कि वह–

(क) सम्बन्धित नगरपालिका किसी कक्ष का निर्वाचक न हो; और

(ख) अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किये जाने के लिए उम्मीदवार के रूप में अपने नाम–निर्देशन के दिनांक को तीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी नगरपालिका का अध्यक्ष, चुने जाने या होने के लिए अनर्ह होगा यदि वह–

(क) धारा 13 घ के (क) से (ठ) तक और (छ) से (ट) तक ये उल्लेखित किसी अनर्हता के कारण अनर्ह हो या हो गया हो और ऐसी अनर्हता उक्त धारा के अधीन न तो समाप्त हुई हो और न हटाई गई हो।

(ख) {***}

(3) {***}

43–ख. {***}

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changes)**–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 43–ख उ0प्र0 अधिनियम संख्या 35, सन् 1978 द्वारा निरसित कर दी गयी है। निसन से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी–

''43–घ. निर्वाचन याचिका–(1) अध्यक्ष के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को, निर्वाचन में मतदान देने के लिए हकदार किसी सदस्य द्वारा या किसी ऐसे अभ्यर्थी द्वारा जो निर्वाचन में पराजित हो गया है, या किसी व्यक्ति द्वारा जिसका नामांकन पत्र धारा 19 की उपधारा (1) में उल्लिखित आधारों में से किसी अधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है या इस अधिनियम

या इसके अधीन निर्मित किसी नियम या आदेश के अनुपालन के आधार पर जहां ऐसे अनुपालन के परिणाम को तात्विक रूप से प्रभावित किया है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने के सिवाय अन्य रीति से चुनौती नहीं दी जायेगी।

(2) निर्वाचन याचिका उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें नगरपालिका, जिससे निर्वाचन याचिका सम्बद्ध है, स्थित है।

(3) निर्वाचन याचिका जिसके साथ धारा 43–ग के उल्लिखित प्रतिभूति केा जमा करने को प्रदर्शित करने वाले ट्रेजरी चालान संलग्न हो, या जो कालावधि के भीतर या धारा 43–ग में विहित रीति के अनुसार प्रस्तुत न की गयी हो, या जिसके सम्बन्यध में अपेक्षित शुल्क का संदाय प्रस्तुत करते समय या ऐसी आगे की अवधि जो जिला न्यायाधीश द्वारा प्रदान की जाये जो कि 14 दिन से अनधि क होगी, न किया गया हो, अस्वीकृत कर दी जायेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन अस्वीकृत न की गयी निर्वाचन याचिका की सुनवायी जिला न्यायाधीन द्वारा की जायेगी।''

43–खख. याचिका का अन्तरण–(1) धारा 20 की उपधारा (5) {***} के अधीन प्रस्तुत किसी निर्वाचन याचिका के किसी पक्षकार के आवेदन–पत्र और उसके अन्य पक्षकारों को नोटिस देने के पश्चात् और उनमें से ऐसे पक्षकारों को जो सुने जाने की इच्छा प्रकट करें, सुनवाई करने के पश्चात् या स्वयमेव, ऐसी नोटिस के बिना, उच्च न्यायालय किसी प्रक्रम पर,–

(क) किसी जिला न्यायाधीन के समक्ष विचारण के लिए लम्बित किसी निर्वाचन याचिका का अन्तरण किसी अन्य जिला न्यायाधीन को कर सकता है; या

(ख) उसे उस जिला न्यायाधीश को जिससे उसे वापस लिया गया था, विचारण के लिए पुनः अन्तरित कर सकता है।

(2) जिला न्यायाधीश इस अधिनियम के अधीन अपने समक्ष लम्बित किसी निर्वाचन याचिका का किसी प्रक्रम पर अन्तरण किसी अपर जिला न्यायाधीश को कर सकता है और किसी अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष लम्बित किसी निर्वाचन याचिका को वापस ले सकता है और–

(एक) उसका अन्तरण या निस्तारण कर सकता है; या

(दो) विचारण या निस्तारण के लिए अन्तरण किसी अन्य अपर जिला न्यायाधीश को कर सकता है; या

(तीन) विचारण या निस्तारण के लिए उसका पुनः अन्तरण उस न्यायालय को कर सकता है जिससे उसे वापस लिया गया था।

(3) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी निर्वाचन याचिका का अन्तरण या पुनः अन्तरण किया गया हो, वहां जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश, जो तत्पश्चात् ऐसी याचिका का विचारण करें, अन्तरण के आदेश में किसी प्रतिकूल निदेश के अधीन रहते हुए उस बिन्दु से कार्यवाही करेगा, जिस पर उसे अन्तरित किया गया था या पुनः अन्तरित किया गया था;

परन्तु यदि वह उचित समझे तो पहले ही परीक्षित किसी साक्षी को पुनः बुला सकता है और उसक पुनः परीक्षण कर सकता है।

43–ग. अध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में आदेश देने की शक्ति–जहां तक निम्नलिखित विषयों में से किसी संबंध में इस अधिनियम या इसके अधी न बनाये गये नियमों द्वारा उपबन्ध न किया जाय, राज्य निर्वाचन आयोग आदेश द्वारा, अध्यक्ष के निर्वाचन के संचालन से {***} सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकती है, अर्थात्–

(क) रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति, शक्ति और कर्तव्य;

(ख) नाम–निर्देशन, संवीक्षा, नाम वापस लेने और मतदान के लिए दिनांक नियम करना;

(ग) नाम–निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की रीति और उसका प्रपत्र, विधिमान्य नाम–निर्देशन के लिए अपेक्षाएं, नाम–निर्देशन की संवीक्षा और उम्मीदवारी से नाम वापस लेना;

(घ) निर्वाचन की प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत मतदान के पूर्व किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाना भी है, और सविरोध और निर्विरोध निर्वाचनों की प्रक्रिया;

(ङ) मतदान के घन्टे और मतदान का स्थगन;

(च) निर्वाचन में मतदान की रीति;

(छ) मतों की संवीक्षा और गणना जिसके अन्तर्गत मतों की पुनर्गणना भी है और मत बराबर–बराबर होने की स्थिति में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ज) परिणाम की घोषणा और अधिसूचना;

(झ) नाम–निर्देशन के साथ प्रतिभूति जमा करना और उसकी वापसी और उसका समपहरण;

(ञ) {***}

43–घ. **राजनिष्ठा और पद की षपथ**–(1) नगरपालिका का अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य नगरपालिका के अधिवेशन में अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व निम्नलिखित रूप में संविधान के प्रति अपनी राजनिष्ठा की शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा–

''मैं, क ख, इस नगरपालिका का अध्यक्ष/सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर षपथ लेता हूॅं/सत्यनिश्ठा से प्रतिज्ञान करता हूॅं कि विधि द्वारा स्थापित 'भारत का संविधान' के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूॅंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता को बनाये रखूंगा और मैं सद्भावपूर्वक और निश्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूगा जिन्हें मैं करने वाला हूॅं।''

(2) अध्यक्ष या सदस्य जो अपने पद की अवधि से आरम्भ होने के दिनांक से तीन मास के भीतर अथवा उस दिनांक के पश्चात् नगरपालिका के प्रथम तीन बैठकों में से किसी एक में, जो भी पश्चात्वर्ती हो, जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह अवधि बढ़ा न दी जाये, उपधारा (1) में अधिकाधिक और उसकी अपेक्षानुसार षपथ लेने या प्रतिज्ञान करने में चूक करेगा, अपने पद पर न रह जायेगा और उसका स्थान रिक्त हुआ समझा जायेगा।

(3) कोई व्यक्ति जिससे उपधारा (1) के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने की अपेक्षा की गई हो, नगरपालिका की बैठक में अपना स्थान ग्रहण नही करेगा अथवा नगरपालिका के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में कोई कार्य नहीं करेगा, जब तक कि उसने उपधारा (1) में अभिकथित शपथ न ले ली हो या प्रतिज्ञान न कर लिया हो और हस्ताक्षर न कर लिया हो।

(4) नगरपालिका के गठन के पश्चात्, यथाशीघ्र, जिला मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन विहित रीति से षपथ दिलाने और प्रतिज्ञान कराने के लिए नगरपालिका की बैठक बुलायेगा और ऐसी बैठक की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट किसी डिप्टी कलेक्टर द्वारा की जायेगी।

(5) कार्यपालक अधिकारी, यथाशीघ्र, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य के, यदि कोई हो, जो उप–धारा (2) के अधीन अपने पद पर न रह जाय, नाम की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

44. {***}

44–क. **अध्यक्ष का उपनिर्वाचन**–यदि मृत्यु या त्याग पत्र दिये जाने या किसी अन्य कारण से अध्यक्ष के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो तत्पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, किन्तु उस रिक्ति होने के दिनांक से तीन मास के भीतर, धारा 43 में उपबन्धित रीति से, अध्यक्ष निर्वाचित किया जायेगा।

45. {***}

46. **अध्यक्ष की पदावधि**–(1) इस अधिनियम में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष की पदावधि, नगरपालिका के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी।

(2) आकस्मिक रिक्ति में निर्वाचित अध्यक्ष की पदावधि उसके पूर्वाधिकारी की पदावधि से शेष भाग के लिए होगी।

46–क. {***}

47. **अध्यक्ष का त्याग–पत्र**–(1) नगरपालिका का अध्यक्ष, जो पद त्याग करना चाहे, अपना लिखित त्याग–पत्र जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य सरकार को भेज देगा।

(2) नगरपालिका द्वारा यह सूचना प्राप्त होने पर कि त्याग–पत्र, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है, ऐसे अध्यक्ष के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

47–क. **अविश्वास प्रस्ताव पर अध्यक्ष का त्याग–पत्र**–(1) यदि धारा 87–क के उपबन्धों के अनुसार नगरपालिका द्वारा अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया गया हो और अध्यक्ष को संसूचित कर दिया गया हो तो अध्यक्ष–

(क) ऐसी संसूचना प्राप्त करने के तीन दिन के भीतर अपने पद से त्याग–पत्र दे देगा और

(ख) जब तक कि वह खण्ड (क) के अधीन त्याग–पत्र न दे दे, ऐसी संसूचना की प्राप्ति के पश्चात् तीन दिन की समाप्ति पर अध्यक्ष के पद पर न रह जायेगा और तदुपरि यह समझा जायेगा कि धारा 44–क के अर्थ में अध्यक्ष के पद पर आकस्मिक रिक्ति हो गई हो।

{***}

(2) {***}

(3) {***}

(4) {***}

(5) {***}

(6) {***}

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)
2. धारा 47–क का उद्देश्य एवं विस्तार
3. धारा 87–क के उपबन्धों के अनुसार ....' अभिप्राय

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changes)**–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 47–क में समय–समय पर संशोधन किये गये है। सर्वप्रथम सन् 1964 में उ0प्र0 अधिनियम संख्या, 27 द्वारा इस धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) को प्रतिस्थापित कर दिया गया और उपधारा (2) (4) एवं (5) को निरसित कर दिया गया। उसके बाद सन् 1994 में उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12 द्वारा उपधारा (1) के खण्ड (क) में संशोधन किया गया और खण्ड (ख) के परन्तुक एवं उपधारा (3) एवं (6) को निरसित कर दिया गया। 1994 में संशोधित किये जाने से पूर्व उपधारा (1) की खण्ड (क) निम्नवत् था–

''(क) ऐसी संसूचना प्राप्त करने के तीन दिन के भीतर या तो अपने पद से त्याग–पत्र दे देगा या राज्य सरकार के समक्ष बोर्ड को अतिष्ठित करने हेतु, उसके लिए कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवेदन करेगा, और;

उ0प्र0 अधिनियम संख्या, 12 सन् 1994 द्वारा निरसित किये जाने से पूर्व उपधारा (1) के खण्ड (ख) का परन्तुक निम्नवत् था–

''परन्तु यदि खण्ड (क) के अनुसार कोई आवेदन किया गया है, तो जब तक कि उप–खण्ड (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है, बोर्ड अध्यक्ष का चुनाव नहीं करेगा।''

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा निरसित किये जाने से पूर्व उपधारा (3) एवं उपधारा (6) निम्नवत् थी–

''(3) यदि उपधारा (1) के अनुसार आवेदन किया गया है, तो राज्य सरकार उस पर विचार करने के पश्चात् या तो बोर्ड को ऐसी अवधि के लिए जो बोर्ड के शेष अवधि से अधिक नहीं होगी, जो विनिर्दिष्ट की जाये, अतिष्ठित कर सकेगी या आवेदन को अस्वीकृत कर सकेगी।''

*   *

*

''(6) यदि राज्य सरकार उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के अतिष्ठित करती है, तो धारा 31 वर्णित परिणाम होंगे, मानो अतिष्ठित किया जाना धारा 30 के अधीन कारित हुआ था।''

2. **धारा 47–क का उद्देश्य एवं विस्तार**–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 47–क मुख्यतः धारा 87–क के उपबन्धों के अनुसार नगरपालिका के अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने और अध्यक्ष को इसकी संसूचना के प्रभाव के बारें में विहित करती है। इस धारा के अनुसार ऐसी संसूचना प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर वह अपने पद से त्याग–पत्र दे देगा, किन्तु यदि वह तीन दिन की अवधि के भीतर अपने पद से त्याग–पत्र नहीं देता है, तो उसके पश्चात् उसका अध्यक्ष पद पर बने रहना समाप्त समझा जायेगा और यह समझा जायेगा कि धारा 44–क के अधीन उसका पद रिक्त हो गया है।

3. **धारा 87–क के उपबन्धों के अनुसार ....' अभिप्राय**–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 87–क के अन्तर्गत नगरपालिका के अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रसताव पारित करने हेतु उपबन्ध विहित किया गया है। इन उपबन्धों के अनुसार यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव वैध रूप से पारित किया जाता है, केवल तभी धारा 47–क के उपबन्ध लागू होंगें।

48. अध्यक्ष का हटाया जाना–(1) {***}

(2) जहां राज्य सरकार को, किसी भी समय यह विश्वास करने का कारण हो कि–

(क) अध्यक्ष ने अपना कर्तव्य पालन करने में चूक की है; या

(ख) अध्यक्ष ने–

(i) धारा 12–घ ओर 43–कक में उल्लिखित कोई अनर्हता प्राप्त कर ली है; या

(ii) धारा के अर्थ में, नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से, किसी संविदा या सेवायोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भागीदार द्वारा, कोई अंश या हित, चाहे धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का हो, जानबूझ कर अर्जित किया है या चालू रखता है; या

(iii) धारा 82 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (छ) में निर्दिष्ट विषय से भिन्न किसी अन्य अंश या हित, चाहे धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकृति का हो या जिसमें उसका हित किसी मुवक्किल मालिक या अन्य व्यक्ति की ओर से वृत्तिक रूप में था, जानबूझ कर अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य किया है; या

(iv) विधि व्यवसायी होने के कारण, नगरपालिका के प्रबन्ध में सौंपी गयी किसी नजूल भूमि के सम्बन्ध में, किसी व्यक्ति की ओर से किसी वाद या अन्य कार्यवाही में नगरपालिका के विरूद्ध या राज्य सरकार के विरूद्ध कार्य किया है या उपस्थित हुआ है या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से जिसके विरूद्ध नगरपालिका द्वारा या उसी ओर से कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई हो; कार्य किया है या उपस्थित हुआ है; या

(v) सम्बद्ध नगरपालिका क्षेत्र में अपने सामान्य निवास स्थान का परिणाम कर दिया है; या

(vi) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गम्भीर अवचार का दोषी है; या

(vii) नगरपालिका के वर्तमान या अन्तिम पूर्ववर्ती कार्यकाल में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में, या किसी समिति के सभापति या सदस्य के रूप में या किसी अन्य हैसियत से, उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् कार्य करते हुए अपने पद का इतना घोर दुरूपयोग किया है या इस अधिनियम या किसी नियम, विनियम या उपविधि के उपबन्धों का जानबुझकर इतना उल्लंघन किया है या नगरपालिका की निधि या सम्पत्ति को ऐसी हानि या क्षति पहुंचायी है कि वह अध्यक्ष बने रहने के अयोग्य हो जाता है; या

(viii) चाहे अध्यक्ष के रूप में या अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपाध्यक्ष के रूप में, या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी अन्य दुराचरण का अपराध उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् किया है;

तो राज्य सरकार उससे नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकेगी कि उसे क्यों न पद से हटाया जाय।

(2–क) राज्य सरकार, अध्यक्ष द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने और ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे अध्यक्ष को, ऐकसे कारणों से जो अधिलिखित किये जायेंगे, उसके पद से हटा सकेगी;

परन्तु ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार ने उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii), (iii), (iv), (vii) या (viii) में उल्लिखित किसी आधार के सम्बन्ध में नोटिस जारी की हो, तो वह उसे हटाने के बजाय चेतावनी देगी।

(2–ख) उपधारा (2–क) के अधीन पारित आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(3) {***}

(4) उपधारा (2–क) के अधीन हटाया गया अध्यक्ष नगरपालिका का सदस्य भी नहीं रह जायेगा और उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के उपखण्ड (vi), (vii) या (viii) में उल्लिखित किसी आधार पर हटाये जाने की दशा में अपने हटाये जाने के दिनांक से 5 वर्श की अवधि तक अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)
2. धारा 48 का उद्‌देश्य एवं विस्तार
3. सुनवायी का अवसर और कारण सहित आदेश उपधारा 2 और (2–क)
4. कारण राज्य सरकार की ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी द्वारा ही दिया जाना चाहिए, अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा नहीं।
5. राज्य सरकार की शक्ति

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changes)**–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 48 में समय–समय काफी संशोधन किये गये है। सर्वप्रथम उ0प्र0 अधिनियम संख्या 7 सन् 1949 द्वारा इस धारा की उपधारा (1) को निरसित कर दिया गया। तत्पश्चात् उ0प्र0 अधिनियम संख्या 27, सन् 1964 द्वारा उपधारा (2) को प्रतिस्थापित कर दिया गया और उपधारा (2–क) एवं (2–ख) को जोड़ दिया गया। तत्पश्चात् उ0प्र0 अधिनियम संख्या 41, सन् 1976 द्वारा उपधारा (1) के खण्ड (vii) को प्रतिस्थापित कर दिया गया और उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा उपधारा (3) को निरसित कर दिया गया। निरसित किये जाने से पूर्व उपधारा (3) निम्नवत् थी–

''(3) राज्य सरकार किसी अध्यक्ष को जिससे उपधारा (2) के खण्ड (क) या उपधारा खण्ड (ख) के उप–खण्ड (vi), (vii), (viii) के अधीन स्पष्टीकरण मांगा गया है या जिसके विरूद्ध किसी अपराध, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अद्यःपतन को अन्तर्गत करता है, के लिए अथ्मयोजन कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है, जब तक कि जांच का अभियोजन, यथास्थिति, समाप्त न हो निलम्बित रख सकती है, औक्र जहां इस प्रकार से किसी अध्यक्ष को निलम्बित किया गया है, जब तक निलम्बन जारी रहेगा, वह–

(क) इस अधिनियम या तत्सयम प्रचलित किसी अन्य अधिनियम के अधीन अधिरोपित या प्रदत्त अध्यक्ष पद की शक्तियों या कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए हकदार नही होगा, या

(ख) बोर्ड की कार्यवाहियों में भाग लेने का हकदार नहीं होगा।''

2. **धारा 48 का उद्देश्य एवं विस्तार**–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 48 के अधीन नगरपालिका के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने के लिए राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की गयी है और उन आधारों को उपबन्धित किया गया है जिनके आधार पर राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है। ये आधार उपधारा (2) के अन्तर्गत उपबन्धित किये गये हैं, साथ ही इस उपधारा में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को अन्तर्विष्ट किया गया है। इसके अनुसार अध्यक्ष को इसमें विनिर्दिष्ट आधारों के आधार पर हटाये जाने से पूर्व उसे कारण बताओं नोटिस जारी की जायेगी। तदुपरान्त उपधारा (2–क) के अनुसार इस नोटिस के जवाब में अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करने और आवश्यक जांच के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा कारण सहित आदेश द्वारा उसे पद से हटाया जा सकेगा। उपधारा (2–ख) राज्य सरकार द्वारा किसी नगरपालिका के अध्यक्ष को हटाये जाने के आदशे को अन्तिमता प्रदान करती है और उसे किसी न्यायालय के समक्ष चुनौती दिये जाने को प्रतिबन्धित करती है, किन्तु यह प्रतिबन्ध अनुच्छेद 226 के अधीन आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देने पर लागू नहीं

होगा। उपधारा (4) उपबन्धित करती है कि यदि किसी नगरपालिका के अध्यक्ष को अपने कर्तव्य का पालन क रने में चूक करने के कारण या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गम्भीर अवचार का दोषी होने के कारण या अपने पद का घोर दुरूपयोग करने के कारण या अध्यक्ष उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में कोई अन्य दुराचरण करने के कारण पद से हटाया जाता है, तो वह 5 वर्ष तक अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।

3. **सुनवायी का अवसर और कारण सहित आदेश उपधारा 2 और (2–क)**–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) किसी नगरपालिका के अध्यक्ष को उसमें विनिर्दिष्ट किसी आधार पर पद से हटाने से पूर्व उसे कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु उपबन्ध करती है। जबकि उपधारा (2–क) यह विहित करती है कि ऐसी नोटिस के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करने और अपेक्षित जांच करने के पश्चात् कारण सहित आदेश द्वारा अध्यक्ष द्वारा हटाया जा सकता है। इस उपधारा का यह उपबन्ध आदेशात्मक (Mandatory) प्रकृति का है। उसका उल्लंधन आदेश को शून्य बना देगा।

धारा 48 के अधीन अध्यक्ष को हटाये जाने से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यवाही को दो चरणों में चरणबद्ध किया जा सकता है। प्रथम चरण में अध्यक्ष के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव किया जाता है और उसे कारण बताओं नोटिस जारी की जाती है। जबकि दूसरा चरण अध्यक्ष का स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर शुरू होता है और ऐसे स्पष्टीकरण के प्राप्त होने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त अध्यक्ष को हटाने के लिए आदेश पारित किया जा सकता है। ऐसा आदेश कारण सहित होना चाहिए।

4. **कारण राज्य सरकार की ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी द्वारा ही दिया जाना चाहिए, अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा नहीं**–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 40 की उपधारा (2–क) के अधीन किसी नगरपालिका के अध्यक्ष को हटाने जाने के लिए आदेश में कारण स्वयं उस अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए जिसे राज्य सरकार द्वारा अपनी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, न कि किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा।

5. **राज्य सरकार की शक्ति**–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 40 के अन्तर्गत राज्य सरकार को काफी व्यापक शक्ति प्रदान की गयी है। इस धारा के अन्तर्गत राज्य सरकार किसी भी नगरपालिका के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकती है, किन्तु साथ ही इस धारा के अन्तर्गत राज्य सरकार की शक्ति को काफी हद तक निर्बंधित किया गया है। इन निर्बन्धों को निम्नवत् प्रस्तुत किया जा सकता है–

(1) उपधारा (2) के अधीन आधारों में से किसी के होने पर ही राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष को हटाने की कार्यवाही की जायेगी,

(2) अध्यक्ष को हटाने से पूर्व उसे कारण बताओ नोटिस जारी की जायेगी।

(3) हटाने का आदेश कारण सहित होना चाहिए।

(4) यदि नोटिस धारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii), (iii), (iv), (vi), (vii) या (viii) में उल्लिखित किसी आधार के सम्बन्ध में जारी की गयी हो, तो राज्य सरकार अध्यक्ष को हटाने के बजाय उसे चेतावनी देगी।

धारा 48 के अधीन राज्य सरकार की शक्ति अर्द्धन्यायिक प्रकति की है।

धारा 48 की उपधारा (2–ख) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किसी नगरपालिका के अध्यक्ष को हटाने या चेतावनी देने वाला आदेश अन्तिम होगा।

49. **अध्यक्ष का सदस्य होना**–नगरपालिका का अध्यक्ष नगरपालिका का पदेन सदस्य होता है।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)
2. क्या अध्यक्ष पद से हटाये जाने का सदस्य का पद भी समाप्त हो जायेगा?

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changes)**–उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, 1916 की धारा 49 को उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। प्रतिस्थापित किये जाने से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी–

''49. अध्यक्ष हमेशा बोर्ड का सदस्य होगा–बोर्ड का अध्यक्ष यदि वह बोर्ड का सदस्य नहीं है, तो वह बोर्ड का पदेन सदस्य होगा।''

2. **क्या अध्यक्ष पद से हटाये जाने का सदस्य का पद भी समाप्त हो जायेगा?**–यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका का सदस्य नगरपालिका अध्यक्ष होने के कारण पदेन रूप से है, तो अध्यक्ष के रूप में पद से हटाये जाने पर उसका सदस्य पद भी समाप्त हो जायेगा।

50. **नगरपालिका के कृत्य जिनका निर्वहन अध्यक्ष द्वारा अवश्य किया जायेगा**–नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा नगरपालिका की निम्नलिखित शक्ति का प्रयोग किया जा सकेगा और धारा 53 और 53–क के उपबन्धों, के अधीन रहते हुए, न कि अन्यथा, कर्तप्व्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन किया जायेगा अर्थात्–

(क) धारा 70, 74 और धारा 75 और 76 के परन्तुकों द्वारा अध्यक्ष में निहित, नगरपालिका के सेवकों को नियुक्त करने, दण्ड देने या पदच्यूत करने की शक्ति;

(ख) इस निमित्त किसी विनियम के अनुसार नगरपालिका के सेवकों को सेवा, स्थानान्तरण, अवकाश, वेतन विशेषाधिकार और मतों के सम्बन्ध में उद्भूत प्रश्नों का अवधारण;

(खख) (नगरपालिका) के समस्त अधिकारियों और निर्माण कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण;

(ग) विहित प्राधिकारी; की धारा 32 के अधीन विवरण–पत्र, लेखा, रिपोर्ट या दस्तावेज की प्रतिलिपि का और धारा 94 की उपधारा (4) और (5) और धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन (नगरपालिका) द्वारा या (नगरपालिका) की किसी समिति द्वारा पारित संकल्प की प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाना;

(घ) अनुसूची 1 के स्तम्भ तीन में निर्दिष्ट शक्ति, कर्तव्य और कृत्य जो धारा 112 के अधीन (नगरपालिका) द्वारा अध्यक्ष को प्रतिनिहित किये गये हों; और

(ङ) निम्नलिखित को छोड़कर सभी अन्य कर्तव्य, शक्ति और कृत्य–

(i) जहां कार्यपालक अधिकारी हो, ऐसे कर्तव्य, शक्तियों और कृत्य जो धारा 60 द्वारा कार्यपालक अधिकारों में निहित किये गये हों और जहां स्वास्थ्य अधिकारी हों, ऐसे कर्तव्य शक्ति और कृत्य जो धारा 60–क द्वारा स्वास्थ्य अधिकरों में निहित किये गये हों;

(ii) अनुसूची 1 के दूसरे स्तम्भ में विनिर्दिष्ट कर्तव्य, शक्ति और कृत्य; और

(iii) धारा 112 के अधीन नगरपालिका द्वारा प्रतिनिहित कर्तव्य, शक्ति और कृत्य।

संक्षेप

1. धारा 50 का उद्देश्य एवं विस्तार
2. अध्यक्ष की शक्तियां

1. **धारा 50 का उद्देश्य एवं विस्तार**—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 50 नगरपालिका के उन कर्तव्यों को विहित करती है जिनका निर्वहन नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है। इस धारा के अनुसार वह नगरपालिका के सेवकों को नियुक्त करने, दण्डित करने और पदच्युत करने की सम्पूर्ण शक्ति अध्यक्ष में निहित होगी। इसके अलावा धारा के खण्ड (ख) से (घ) तक में अन्य अनेक कर्तव्यों को विहित किया गया है जिनका सम्पादन नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है, किन्तु इस धारा का खण्ड (ङ) कुछ ऐसे कर्तव्यों, शक्तियों और कृत्यों के बारें में उपबन्धित करता है जिनका प्रयोग अध्यक्ष द्वारा नहीं किया जा सकता है।

2. **अध्यक्ष की शक्तियां**—इस धारा के अन्तर्गत नगरपालिका के अध्यक्ष को काफी व्यापक शक्ति प्रदान की गयी है। जहां कोई नगरपालिका बोर्ड के विरूद्ध कोई वाद अध्यक्ष के माध्यम से दाखिल किया जाता है और बोर्ड के विरूद्ध डिग्री पारित हो जाती है, व हां नगरपालिका सचिव द्वारा अध्यक्ष के माध्यम से दाखिल अपील को वापस लेनेक की पूरी शक्ति, अध्यक्ष में निहित है। वह धारा 50 और धारा 297 (1) के अधीन निर्मित विनियम के अन्तर्गत अपील को वापस ले सकता है।

नगरपालिका अधिनियम द्वारा अध्यक्ष उस पर विशेष रूप से अधिरोपित शक्तियों के अलावा अवशिष्ट शक्तियों भी प्राप्त है। किन्तु वह सम्पूर्ण प्रशासन को अपने हाथों में नहीं ले सकता है।

धारा 50 (खख) के अन्तर्गत नगरपालिका के समस्त अधिकारियों का सामान्य पर्यवेक्षण करने का अध्यक्ष की शक्ति के बारें में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश बी0के0 खन्ना और न्यायमूर्ति आर0आर0 के0 त्रिवेदी की खण्ड पीठ ने एक विशेष अपील में विस्तार से विचार किया। इस बवाद में आजमगढ़ नगरपालिका के सफाई विभाग में 8 मौलिक पद रिक्त थे। इन पदों पर नियुक्ति हेतु कार्यवाही की गयी और रोजगार दफ्तर के माध्यम से 8 सुयोग्य अभ्यर्थियों को बुलाया गया। 15—4—1993 को इन्टरव्यू हुआ किन्तु अध्यक्ष द्वारा आदेश पारित कर इसे रद्द कर दिया गया और अधिशासी अधिकारी को आदेश दिया गया कि पद को समाचार पत्रों में प्रकाशित कर आवेदन मंगाये जायें। तद्नुसार ''दैनिक जागरण'' समाचार पत्र में 20—4—1993 को पद विज्ञापित हुआ और आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 29—4—1993 रखी गयी। 1—5—1993 को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। तत्पश्चात् इन नियुक्तिुया के खिलाफ शिकायत की गयी। अध्यक्ष ने इन नियुक्तियों से सम्बन्धित समस्त अभिलेख मंगाया और आवश्यक जांच कराने के पश्चात् 21—7—1993 को विस्तृत आदेश पारित करते हुए अधिशासी अधिकारी को इन नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश दिया, किन्तु जब उसके इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो उसने 20—8—1993 को सफाई निरीक्षक को इन अपीलार्थियों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश पारित करने का आदेश दियां इसके अलावा जिलाधिकारी आजमगढ़ ने भी 19—8—1993 को एक आदेश पारित कर इन अपीलार्थियों की नियुक्तियां इस आधार पर रद्द करने का आदेश दिया क्योंकि मुख्य राजस्व अधिकारी की जांच आख्या के अनुसार इनकी नियुक्तियों में गम्भीर अनियमितताएं बरती गयी है। अध्यक्ष के आदेश को अपीलार्थियों द्वारा रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी जिसे विद्वान न्यायमूर्ति द्वारा 2—12—93 को खारित कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध स्पेशल अपील दाखिल की गयी।

विशेष अपील में अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अध्यक्ष को अधिशासी अधिकारी द्वारा उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 74 और 75 के अन्तर्गत अपने सांविधिक दायित्वों के अनुपालन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की, की गयी नियुक्ति में हस्तक्षेप करने की कोई अधिकारिता हनीं है। अतः उसके द्वारा दिनांक 20—8—1993 को पारित आदेश पूर्णतः अवैध और बिना अधिकारिता के है। अधिनियम की

धारा 60(1)(5) को सन्दर्भित करते हुए आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की धारा 75 एवं 76 के अन्तर्गत बोर्ड के कार्यो के निर्वहन में अधिशासी अधिकारी द्वारा ये नियुक्तियां की गयी हैं और इन नियुक्तियों को स्थगित करने की अधिकारिता अध्यक्ष को नहीं है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण की सेवा समाप्त करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया और मात्र इस आधार पर ही अध्यक्ष द्वारा नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश अवैध है।

प्रतिपक्षीगण का पक्ष प्रस्तुत करते हुए उनके अधिवक्ता द्वारा प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 29–4–93 थे। उसी दिन चयन समिति का गठन, अभ्यर्थियों का तथाकथित इन्टरव्यू और उसी दिन चयन एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा उनकी सम्पुष्टि की गयी। यह सम्पूर्ण कार्यवाही एक विशेष तरीके से की गयी जो नियुक्ति की वैधता के विरूद्ध गम्भीर सन्देह पैदा कर देती है। अतः इन नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश बिल्कुल सही और वैध है। यह मामला ऐसा था कि इसने अम्य प्राधिकारियों के भी कान खड़े कर दिये जो कि इस बात से स्पष्ट हो है कि जिलाधिकारी ने मुख्य राजस्व अधिकारी के माध्यम से इसकी जांच करने के पश्चात् रद्द करने का आदेश दिया। अध्यक्ष और मुख्य राजस्व अधिकारी दोनों द्वारा की गयी जांच से यह स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थियों के चयन हेतु किसी प्रकार इन्टरव्यू नहीं हुआ।

उपर्युक्त तथ्यों और तर्कों पर पूर्ण विचार करने के पश्चात् न्यायालय ने अभिधारित किया कि यह विश्वास करना बहुत ही कठिन है कि 29–4–1993 को जो कि आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि थी, चयन प्रक्रिया पूरी की जा सकती थी। 29–4–93 को आवेदन पत्र जमा करने की कोई अवधि निश्चित् नहीं थी, अतः कोई व्यक्ति अन्तिम क्षणों में भी आवेदन पत्र जमा कर सकता था। ऐसी परिस्थिति में यह कोई भी तर्क कि सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया 29–4–93 को ही पूरी कर ली गयी, स्वीकार्य नहीं हो सकता। इस प्रकार यह तथ्य ही सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया को अत्यन्त सन्देहास्प्रद बना देता है। अतः विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिया गया आदेश बिल्कुल सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई औचित्य नही है।

माननीय न्यायमूर्तिगण ने धारा 50 (खख) के अन्तर्गत अध्यक्ष की शक्तियों के बारें में संप्रेक्षित किया कि धारा 50 (खख) और धारा 63 (क) एवं (ख) नगरपालिका के अध्यक्ष के नगरपालिका के अधिकारियों के क्रियाकलापों पर पर्यवेक्षण का पर्याप्त प्राधिकार प्रदान करती है और इसके अन्तर्गत अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति का पर्यवेक्षण भी शामिल है। यह कहा जा सकता है कि यह किसी वैयक्तिक अधीनस्थ कर्मचारी के विरूद्ध सेवा समाप्ति का मामला नहीं है, अपितु यह अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अपनायी गयी समान चयन प्रक्रिया को रद्द करने का मामला है। यदि चयन प्रक्रिया अनुचित, अयुक्तियुक्त और मनमानी थी, तो इसे अध्यक्ष द्वारा रद्द किया जा सकता है और उसकी इस शक्ति पर अधिनियम में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध अधिरोपित नहीं है।

51. **अध्यक्ष के अतिरिक्त कर्तव्य**–अध्यक्ष का यह भी कर्तवय और शक्ति होगी कि वह–

(क) जब तक इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबन्धित न हो या युक्तिसंगत रूकावट न हो;

(एक) नगरपालिका की समस्त बैठकों को बुलाये और उनकी अध्यक्षता करें,

(दो) {***}

(तीन) इस निमित्त बनायी गये किसी विनियम के अनुसार नगरपालिका की सभी बैठकों में कार्य संचालन का अन्यथा नियन्त्रण करें,

(ख) नगरपालिका के वित्तीय प्रशासन की देख–रेख और कार्यपालिका प्रशासन का अधीक्षण करें ओर उनमें किसी त्रुटि की ओर नगरपालिका की ध्यान आकृष्ट करें, और

(ग) ऐसे अन्य कर्तव्य का पालन करे, जो इस या किसी अन्य अधिनियम के द्वारा या अधीन उससे अपेक्षित हो, या उस पर अधिरोपित किये गये हों,

51—क. **सामान्य लोकहित के प्रश्न पर अध्यक्ष का राज्य सरकार से पत्र व्यवहार करने का प्राधिकार**—अध्यक्ष राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग से सामान्य लोकहित के किसी प्रश्न पर विहित रीति से पत्र—व्यवहार कर सकता है—

52. **अध्यक्ष की रिपोर्ट आदि की अपेक्षा करने की नगरपालिका की शक्ति**—(1) नगरपालिका, अध्यक्ष से निम्नलिखित को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है—

(क) नगरपालिका के प्रकाशन से सम्बन्धित किसी विशय के सम्बन्ध में कोई विवरणी कथन, प्राक्कलन, आंकडे या अन्य सूचना,

(ख) किसी ऐसे मामलें में कोई रिपोर्ट स्पष्टीकरण, और

(ग) किसी ऐसे अभिलेख, पत्र—व्यवहार या योजना या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि जो अध्सयक्ष की हैसियत से उसके कब्जे या नियन्त्रण में हो या जो उसके कार्यालय में या किसी नगरपालिका सेवक के कार्यालय में अभिलिखित या दाखिल की गई हो।

(2) अध्यक्ष, अयुक्ति संगत विलम्ब के बिना उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपेक्षा का अनुपालन करेगा।

(3) इस धारा की या इस अधिनियम की किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि वह नगरपालिका को ऐसे विनियम बनाने से रोकती है, जिससे सद स्यों को नगरपालिका की बैठकों में ऐसी शर्तो और निर्बन्धनों के अधीन, जो विनियम में विहित किये जायें प्रश्न पूछने के लिए प्राधिकृत किया जाय।

53. **अध्यक्ष द्वारा अपनी शक्ति और कर्तव्य का उपाध्यक्ष को प्रत्यायोजन**—(1) अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, धारा 51 के खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट शक्ति, कर्तव्य और कृत्य के सिवाय अपनी किसी एक या अधिक शक्तियों, कर्तव्यों का कृत्यों को अपने नियंत्रणाधीन किसी उपाध्यक्ष को प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है।

(2) अध्यक्ष द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश में किसी शक्ति के प्रयोग, किसी कर्तव्य के पालन या किसी कृत्य के निर्वहन के सम्बन्ध में कोई शर्त लगाई जा सकती है और कोई निर्बन्धन लगाया जा सकता है।

(3) विशेष रूप से ऐसे आदेश में यह शर्त लगाई जा सकती है कि उपाध्यक्ष ने उपधारा (1) द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में जो आदेश दिया है, उसका विखण्डन या पुनरीक्षण अध्यक्ष को विनिर्दिष्ट अवधि में प्रस्तुत अपील में अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

53—क. **अध्यक्ष द्वारा धारा 50 के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन**—(1) अध्यक्ष, धारा 50 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट शक्तियों में से एक या अधिक शक्ति का प्रयोग अपने नियन्त्रण के अधीन करने के लिए, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, नगरपालिका के किसी सेवक को सशक्त कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष के आदेश में किसी शक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई शर्त विहित की जा सकती है और निर्बन्धन लगाया जा सकता है।

(3) नगरपालिका के सेवक द्वारा उपधारा (1) के अधीन उसे प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में दिया गया आदेश, अध्यक्ष द्वारा विखण्डित या पुनरीाति किया जा सकेगां

54. **उपाध्यक्ष का निर्वाचन, उसकी पदावधि और त्याग—पत्र**—(1) प्रत्येक नगरपालिका विशेष संकल्प द्वारा अपने सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष या यथास्थिति एक ज्येष्ठ और कनिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगा।

(2) किसी उपाध्यक्ष के पद का कार्यकाल, उसके निर्वाचन के दिनांक से एक वर्ष या नगरपालिका के सदस्य के रूप में उसके पद के कार्यकाल की शेष अवधि, इसमें जो भी कम हो, होगा।

(3) कोई उपाध्यक्ष जो परित्याग करना चाहे, अपने इस आाय की लिखित सूचना अध्यक्ष को भेज सकता है और नगरपालिका द्वारा उसका त्यागपत्र स्वी कृत कर लिए जाने पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

(4) उपधारा (1), (2) और (3) के अधीन उपाध्यक्ष का निर्वाचन, यथास्थिति, नगरपालिका के सम्यक् गठन के दिनांक से जैसा कि धारा 56 के अधीन अधिसूचित किया जाय या रिक्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर पूरा किया जायेगा।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)
2. धारा 54 का उद्देश्य एवं विस्तार
3. उपाध्यक्ष के कार्यकाल में कटौती करने की नगरपालिका की शक्ति

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 54 में दो बार के संशोधित किये गये है—

(क) उ0प्र0 अधिनियम संख्या 41, सन् 1976 द्वारा उपधारीा (2) को प्रतिस्थापित किया गया उपधारा (4) जोड़ी गयी।

(ख) उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा उपधारा (2) को पुनः प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 1994 में प्रतिस्थापित किये जाने से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी–

''(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय किसी प्रकार के उपाध्यक्ष का कार्यकाल बोर्ड के कार्यकाल के बराबर होगा।''

2. धारा 54 का उद्देश्य एवं विस्तार–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 54 नगरपालिका के उपाध्यक्ष के निर्वाचन, उसके कार्यकाल और त्यागपत्र के बारें में उपबन्धित करती है। इस उपधारा के अनुसार नगरपालिका के उपाध्यक्ष का निर्वाचन नगरपालिका के गठन के पश्चात् धारा 56 केक अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में विहित अवधि के भीतर या पद रिकत होने से तीन मास के भीतर नगरपालिका के विशेष संकल्प द्वारा किया जायेगा। उसका कार्यकाल एक वर्ष या नगरपालिका के सदस्य के रूप में उसके पद के शेष कार्यकाल तक जो भी कम हो, होगा।

2. उपाध्यक्ष के कार्यकाल में कटौती करने की नगरपालिका की शक्ति–नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 54 के अनुसार यदि नगरपालिका के किसी उपाध्यक्ष का सदस्य के रूप में कार्यकाल एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए शेष है, तो वहां उपाध्यक्ष का एक वर्ष होगा। नगरपालिका इस अवधि में कटौती करने हेतु कोई संकल्प पारित नहीं कर सकती है। इस धारा के अन्तर्गत ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है, जो कि नगरपालिका को उपाध्यक्ष के कार्यकाल में कटौती करने हेतु प्राधिकृत करती हो।

54–क. कतिपय आकस्मिकताओं में अध्यक्ष की शक्ति आदि का प्रयोग करने के लिए व्यवस्था और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया–(1) जहां कोई व्यक्ति अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने पर कार्य करने में असफल रहता है या उससे इन्कार करता है या कार्य करने में अन्यथा असमर्थ रहता है या धारा 44–क के अर्थान्तर्गत अध्यक्ष के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है, और इस अधिनियम के अनुसार को उपाध्यक्ष निर्वाचित नहीं हुआ है, या कोई उपाध्यक्ष अन्यथा कार्य करने के लिए नहीं है, वहां अध्यक्ष की शक्तियों और कृत्यों का, जब तक कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कृत्य करने के योग्य न हो जायें, प्रयोग और निर्वहन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्ति डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जायेगा और ऐसा अधिकारी प्रशासक कहलायेगा, और उसमें अध्यक्ष की सभी शक्तियों, कृत्य और कर्तव्य निहित होंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निवर्हन किया जायेगा।

(2) धारा 54 उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए बैठक (नगरपालिका) के कार्यकाल में और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियम दिनांक को और समय पर होगी। बैठक और उसके लिए नियम दिनांक और सम य की की नोटिस बैठक के लिए निश्चित दिनांक से पूरे सात दिन पूर्व (नगरपालिका) से प्रत्येक सदस्य को उनके निवास स्थान पर भेजी जायेगी। ऐसी नोटिस की एक प्रति ऐसी रीति से भी प्रकाशित की जायेगी जिसका निदेश जिला मजिस्ट्रेट की ओर ऐसे प्रकाशन पर यह समझा जायेगा कि प्रत्येक सदस्य को नोटिस मिल गयी है।

(3) जिला मजिस्ट्रेट, इस धारा के अधीन बुलाई बैठक की अध्यक्षता करने के लिए, जिला न्यायाधीन से एक वैतनिक सिविल न्यायिक अधिकारी का प्रबन्ध करने के लिए कहेंगेक और कोई अन्य व्यक्ति उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। यदि बैठक के लिए नियम समय से आधा घंटे के भीतर बैठक की अध्यक्षता करने के लिए न्यायिक अधिकारी उपस्थित न हो, तो बैठक ऐसे दिनांक और समय के लिए, जो उपधारा (4) के अधीन उस अधिकारी द्वारा बाद में नियत और सदस्यों को अधिसूचित किया जाये, स्थगित हो जायेगी।

(4) यदि न्यायिक अधिकारी बैठक की अध्यक्षत करने में असमथ्र हो तो वह, अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात् उस बैठक को ऐसे अन्य दिनांक और समय के लिए स्थगित कर सकता है जिसे वह नियत करे, किन्तु वह उपधारा (2) के अधीन बैठक के लिए नियम दिनांक के सात दिन के बाद न होगा। वह बैठक के स्थान की लिखित संसूचना अविलम्ब जिला मजिस्ट्रेट को देगा। स्थगित बैठक के

दिनांक और समय का नोटिस सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भेजना आवश्यक न होगा, किन्तु जिला मजिस्ट्रेट स्थगित बैठक के दिनांक और सिमय का नोटिस उपधारा (2) में उपबन्धित रीति से प्रकाशित करके देगा।

(5) उपधारा (3) तथा (4) के अधीन किये गये उपबन्ध को छोड़कर, इस धारा के अधीन बुलाई गई बैठक किसी भी कारण से स्थगित नहीं की जायेगा।

(6) इस धारा के अधीन बुलाई गई बैठक जैसे ही प्रारम्भ हो, नगरपालिका उपाध्यक्ष को निर्वाचित करने की कार्यवाही करेगी।

(7) न्यायिक अधिकारी निर्वाचन में मत देने का हकदार न होगा।

(8) मतों के बराबर होने की दशा में, न्यायिक अधिकारी लाटरी डालकर विनिश्चय करेगा कि उन उम्मीदवारों में से जिनके मत बराबर है, कौन उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जाये।

(9) न्यायिक अधिकारी बैठक में निर्वाचन का परिणाम घोषित करेगा और बैठक के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि अध्यक्ष और जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)
2. धारा 54—क का उद्‌देश्य एवं विस्तार
3. उपधारा (1) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 54—क सर्वप्रथम उ0प्र0 अधिनियम संख्या, 1 सन् 1955 द्वारा जोड़ी गयी। तत्पश्चात् उ0प्र0 अधिनियम संख्या 41 सन् 1976 द्वारा उपधारा (1) और (2) को प्रतिस्थापित कर दिया गा। पुनः उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा उपधारा (1) में प्रयुकत वाक्यांश और तद्‌नुसार, धारा 10—कक के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगें, के स्थान पर निम्नलिखित वाक्यांश को प्रतिस्थापित कर दिया गया है—

''और उसके अध्यक्ष की सभी शक्तियां कृत्य आध्र्र कर्तव्य निहित होगें और उसके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायेगा।''

2. धारा 54—क का उद्देश्य एवं विस्तार—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 54—क के शीर्ष से ही स्पष्ट होता है कि यह धारा दो उद्देश्यों को अन्तर्विष्ट करती है ये उद्देश्य हैं—

(1) कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में नगरपालिका के अध्यक्ष की शक्तियों कर्तव्यों आदि का प्रयोग करने हेतु व्यवस्था करना; और

(2) उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु प्रक्रिया।

इस धारा के अनुसार यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त होने या दोनों द्वारा किसी भी कारण से अध्यक्ष पद के कर्तव्यों को निर्वहन करने में असफल या असमर्थ रहने की दशा में इनका निर्वहन प्रशासक द्वारा किया जायेगा। प्रशासन के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति कार्य कर सकते है–

(i) जिला मजिस्ट्रेट या

(ii) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त डिप्टी कलेक्टर से अभिन्न श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी।

प्रशासक तब तक कार्य करेगा जब तक कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद भरा न जाय और उनमें से कोई भी पद को कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम न हो जाये।

धारा 54 की उपधारा (2) से (9) तक में नगरपालिका के उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया विहित की गयी है।

धारा 54 मात्र वहां लागू होती है जहां कि कार्य करने वाला कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष विद्यमान न हो। यह धारा जिलाधिकारी को उपाध्यक्ष के निर्वाचन की वैधता या अवैधता के बारें में जांच करने की शक्ति प्रदान करती है।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 54–क की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रशासक की नियुक्ति के बारें में जो उपबन्ध किया गया है, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य उपाध्यक्ष के पद के रिक्ति होने के कारण अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु किसी व्यक्ति के अभाव की स्थिति में आपात्कालीन उपबन्ध करना है। इस उपबन्ध के द्वारा विधायिका ने अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पदाधिकारी की व्यवस्था कर दी है जिससे कि उपाध्यक्ष के अभाव में नगरपालिका अपने सांविधिक दायित्वों का निर्वाह करने में अपने को अपंगु न महसूस करें।

3. **उपधारा (1) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति**–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 54–क की उपधारा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्ति मात्र उसी स्थिति में प्रभावी हो सकती है जबकि नगरपालिका उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो और अध्यक्ष पद की शक्तियों एवं कर्तव्यों का निर्वहन के लिए कोई व्यक्ति उपबन्ध हो। यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त नहीं है और अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन एवं शक्तियों का उपयेाग कर रहा है, तो जिला मजिस्ट्रेट इस धारा के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

इस धारा के अन्तर्गत उपाध्यक्ष के निर्वाचन की वैधता के बारें में जांच करने की जिलाधिकारी को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। यह धारा प्रत्यक्ष या विवक्षित किसी प्रकार से उपाध्यक्ष के निर्वाचन की वैधता में झांकने की शक्ति जिला मजिस्ट्रेट को प्रदान नहीं करती है। यह धारा जिला मजिस्ट्रेट को जो शक्ति प्रदान करती है, वह यह देखने की शक्ति है कि उपाध्यक्ष पद पर कोई व्यक्ति आसीन है कि नहीं और वह अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है या नहीं।

55. **उपाध्यक्ष के कर्तव्य–(1)उपाध्यक्ष–**

(क) नगरपालिका की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में और जब तक कि युक्तसंगत कारण से कोई रूकावट न हो, उस बैठक की अध्यक्षता करेगा उसके कार्य संचालन का विनियमन करेगा और उसमें व्यवस्था बनाये रखेगा और व्यवस्था का पालन करायेगा और जब इस प्रकार अध्यक्षता करे तब वह धारा 91 में विनिर्दिष्ट शक्ति का प्रयोग करेगा;

(ख) अध्यक्ष के पद में कोई रिक्ति होने या अध्यक्ष की असमर्थता या अस्थायी अनुपस्थिति की अवधि में, अध्यक्ष का कोई अन्य कर्तव्य करेगा ओर जब अवसर उत्पन्न हो किसी अन्य शक्ति का प्रयोग करेगा;

(ग) किसी भी समय अध्यक्ष द्वारा धारा 53 के अधीन उसे प्रत्यायोजित किसी कर्तव्य का पालन करेगा और जब अवसर उत्पन्न हो, आवश्यकतानुसार, किसी भी शक्ति का प्रयोग करेगा।

(2) जहां दो उपाध्यक्ष हो, वहां उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट कर्तवय का पालन और शक्ति का प्रयोग ज्येष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा तथा उसकी अनुपस्थिति में कनिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा और खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट कर्तव्य का पालन और शक्ति का प्रयोग, किसी भी ऐसे उपाध्यक्ष द्वारा जो प्रत्यायोजन के आदेश में नामांकित हो, किया जायेगा या किया जा सकता है।

(3) धारा 48 के उपबन्ध यथावयक परिवर्तन सहित इस आधार के अधीन किसी कर्तव्य का पालन और षक्ति का प्रयोग करने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष पर लागू होंगे।

56. **निर्वाचनों, नाम निर्देशनों और रिक्तियों की अधिसूचना**–नगरपालिका के सदस्यों या अध्यक्ष का प्रत्येक निर्वाचन और नाम–निर्देशन, नगरपालिका या यथोचित गठन और सदस्य या अध्यक्ष के पद को प्रत्येक रिक्ति सरकारी गजट में अधिसूचित की जायेगी।

अधिशासी अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी

57. **अधिशासी और स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त और नियोजित करने की नगरपालिका की शक्ति**–(1) प्रत्येक नगरपालिका जब तक कि राज्य सरकार या तो स्वतः या नगरपालिका द्वारा किया गया अभ्यावेदन पर अन्यथा निदेश न दे, विशेष संकल्प द्वारा एक अधिशासी अधिकारी नियुक्त करेगा।

परन्तु प्रत्येक दशा में, जिसमें उक्त अधिनियम के पारित होने के समय ऐसे नगरपालिका में सचिव हो किन्तु अधिशासी अधिकारी न हो, सचिव को अधिशासी अधिकारी समझा जायेगा जब तक कि उसे सम्यक् रूप से प्रतिस्थापित न कर दिया जाये।

(2) प्रत्येक नगरपालिका, जिसकी प्रति वर्ष 50,000 रू0 या उससे अधिक हो, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, ऐसी शर्तो ओर निर्बन्धनों पर जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये, एक स्वास्थ्य अधिकारी को जो उत्तर प्रदेश प्रादेशिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा का सदस्य हो और एक लेखाकार को जो राज्य लेखा–सेवा को सदस्य हो, नियोजित करेगा–

परन्तु यदि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश चिकित्सा और स्वास्थ सेवा के किसी स्वास्थ्य अधिकारी की सेवायें उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता प्रकट करें तो नगरपालिका एक विशेष संकल्प द्वारा अस्थायी स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है।

(2–क) प्रत्येक नगरपालिका, यदि रासज्य सरकार ऐसी अपेक्षा करे लेखाकार के अतिरिक्त या उसके स्थान पर राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित लेखा अधिकारी, या तो पृथक रूप से या किसी एक या एक से अधिक नगरपालिकाओं या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के साथ संयुक्त रूप से, ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाय, नियोजित करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन कार्यपालक अधिकारी की और उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन स्वास्थ्य अधिकारी की नगरपालिका द्वारा की गई प्रत्येक नियुक्त राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन और उनका वेतन और सेवा की शर्त वही होगी जो विहित की जाय।

58. **अधिशासी अधिकारी को दण्ड दिया जाना, पदच्युत किया जाना या उसको हटाया जाना और स्वास्थ्य अधिकारी का स्थानान्तरण**–नगरपालिका अपने अधिशासी अधिकारी को किसी विशेष संकल्प द्वारा जिसका नगरपालिका के दो तिहाई से अन्यून सदस्यों ने समर्थन किया हो पदच्युत कर सकती है, या हटा सकती है या अन्यथा दण्डित कर सकती है, किन्तु उसे ऐसे समय के भीतर ऐसी रीति से जो विहित की जाय, राज्य सरकार के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा–

परन्तु नगरपालिका, अधिशासी अधिकारी को पदच्युत करने, हटाने या अन्यथा दण्डित करने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसररण करेगी जो इस निमित्त विहित की जाये।

(2) {***}

(3) यदि कोई नगरपालिका धारा 57 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन नियुक्त स्वास्थ्य अधिकारी से भिन्न, अपने स्वास्थ्य अधिकारी या अपने लेखराकार के स्थानान्तरण की विशेष संकल्प द्वारा सिफारिश करता है तो राज्य सरकार, यथास्थिति, स्वास्थ्य अधिकारी या लेखाकार की नगरपालिका के नियोजन से स्थानान्तरित कर देगा, बशर्ते नगरपालिका द्वारा उसके लिए पर्याप्त कारण दिया जाये।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)
2. धारा 58 का उद्देश्य एवं विस्तार
3. नगरपालिका की शक्तियां

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 58 की उपधारा (2) उ0प्र0 अधिनियम संख्या 27, सन् 1964 द्वारा प्रतिस्थपित कर दिया गया है और उपधारा (3) में यदि कोई नगरपालिका शब्द और 'अपने स्वास्थ्य अधिकारी' शब्दों के बीच में इसी अधिनियम द्वारा निम्नलिखित वाक्यांश को अन्तःस्थापित किया गया –

''धारा 57 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन नियुक्त स्वास्थ्य अधिकारी से भिन्न।''

2. धारा 58 का उद्देश्य एवं विस्तार–इस धारा के शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि इस धारा का उद्‌देश्य निम्नलिखित दो प्रकार के कार्यो के लिए नगरपालिका को शक्ति प्रदान करना हैं–

(क) अधिशासी अधिकारी को पदच्युत करना, हटाना अथवा अन्यथा दण्डित करना।

(ख) स्वास्थ्य अधिकारी या लेखाकार का स्थानान्तरण की सिफारिश करना।

यह धारा नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को राज्य सरकार के समक्ष अपील करने का अधिकार भी प्रदान करती है। इसके अलावा यह धारा नगरपालिका पर यह दायित्व भी अधिरोपित करती है कि किसी अधिशासी अधिकारी पदच्युत करने, हटाने या दण्डित कर

3. नगरपालिका की शक्तियां–धारा 58 के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी पर पूर्व नियन्त्रण रखने की शक्ति नगरपालिका को प्रदान की गयी है, किन्तु स्वास्थ्य अधिकारी और लेखाकार पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में मात्र आंशिक शक्ति प्रदान की गयी है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को परच्युत कर सकती है उसे पद से हटा सकती है अन्यथा दण्डित कर सकती है, किन्तु स्वास्थ्य अधिकारी और लेखाकार के सम्बन्ध में स्थानानान्तरण आदेश पारित करने हेतु राज्य सरकार से सिफारिश कर सकती है।

नगरपालिका बोर्ड द्वारा धारा 58(1) के अधीन यदि अपील में स्थगित किया जाता है, तो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो जायेगा।

59. **स्थानापन्न कार्यपालिका अधिकारी की नियुक्ति**–(1) किसी कार्यपालक अधिकारी के छुट्टी पर, अनुपस्थित रहने या उसके पद को अन्य अस्थायी रिक्ति में, यदि ऐसी छुट्टी या रिक्ति की अवधि दो मास से अधिक न हो, अध्यक्ष किसी व्यक्ति को कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है, और यदि उक्त अवधि दो मास से अधिक की हो तो धारा 57 के उपबन्धों के अनुसार नगरपालिका द्वारा नियुक्त की जायेगी–

परन्तु जब रिक्त की अवधि, जो प्रारम्भ में दो मास से अधिक की हों, बाद में अनवेक्षित परिस्थितियों के कारण बढ़ जाती है, तो अध्यक्ष द्वारा की गयी नियुक्ति राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए चालू रह सकती है।

(2) इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसके स्थान पर वह कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, इस या किसी अन्य अधिनियमित के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग या अधिरोपित कर्तव्य का पालन करेगा।

(3) ऐसी नियुक्तियों के सम्बद्ध वेतन और सेवा की शर्ते वही होगी जो विहित की जाय और धारा 58 के उपबन्ध, ऐसे परिवार के साथ जो विहित किये जायें, इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों पर लागू होंगे।

60. **नगरपालिका के कृत्य जिनका निर्वहन अधिशासी अधिकारी द्वारा अवश्य होना चाहिए**–(1) किसी नगरपालिका में, जहां कोई अधिशासी अधिकारी हो, नगरपालिका के निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायेगा ओर उनका प्रयोग धारा 62 में की गयी व्यवस्था को छोड़कर अन्यथा नहीं किया जायेगा, अर्थात्–

(क) बाजार वधशाला या किराये की गाड़ी के लाइसेन्स से भिन्न ऐसे लाइसेन्स की जो नगरपालिका द्वारा दिया जा सकता हो, अपने हस्ताक्षर से स्वीकृत और जारी करने या इन्कार करने की शक्ति;

(ख) किसी ऐसे लाइसेन्स को निलम्बित करने या वापस लेने की शक्ति;

(ग) नगरपालिका को देय या प्रस्तुत की गई कोई धनराशि प्राप्त करने, वसूल करने की नगरपालिका निधि में जमा करने की शक्ति;

(घ) अनुसूची 2 के प्रथम स्तम्भ में विनिर्दिष्ट धारा या उपधाराओं द्वारा प्रदत्त शक्ति या जहां ऐसी धारा या उपधाराओं के पश्चात् 'अंशतः' आया हो उसके ऐसे अंशों द्वारा प्रदत्त शक्ति, जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में दिये गये विवरण में उपदर्शित है, और इन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सभी आवश्यक कार्य करने की शक्ति;

(ङ) नगरपालिका के सेवकों के सम्बन्ध में, धारा 75 और 76 द्वारा अधिशासी अधिकारी में निहित शक्ति ओर किसी ऐसे पद के जिस पद नियुक्ति करने की उसे शक्ति हो, पदधारी की अनुपस्थिति की छुट्टी स्वीकृत करने की शक्ति,

(च) कोई अन्य शक्ति जो अधिशासी अधिकारी की प्रतिनिहित की गयी हो।

(2) {***} नगरपालिका के सभी कर्मचारी अधिशासी अधिकारी के अधीनसथ होंगे।

संक्षेप

1.	विधायी परिवर्तन (Legislative changes)	4.	धारा 60 (1) (घ), 211, 318 और 321
2.	धारा 60 का उद्देश्य एवं विस्तार	5.	धारा 60 (1) (घ), 185 और 314

3.	अधिशासी अधिकारी की शक्तियां	6.	धारा 60 (1) (घ), 620, 185 और 314

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 में अब तक दो बार संशोधन किये गये हैं—

(क) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 1966 संख्या 26, सन् 1964 द्वारा उपधारा (2) के प्रारम्भ में प्रयफकत शब्दों 'धारा 73 में उपबन्धित के सिवाय' को विलुप्त कर दिया गया।

(ख) उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 29, सन् द्वारा उपधारा (1) के प्रथम वाक्य को प्रतिस्थापित कर दिया गया।

2. धारा 60 का उद्देश्य एवं विस्तार—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 60 मुख्य रूप से नगरपालिका के कुद कृत्यों को उपबन्धित करती है, जिनका निर्वहन नगरपालिका के अधिशासी आिकारी द्वारा किया जायेगा। साथ ही यह धारा यह भी उपबन्धित करती है कि इन अधिकारों का प्रयोग धारा 62 के उपबन्धों के अधीन होगा। यह धारा 62 के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किसी अधीनस्थ अधिकारी को कर सकता है।

3. अधिशासी अधिकारी की शक्तियां—इस धारा के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी को काफी व्यापक षक्तियां प्रदान की गयी है। इस धारा के अलावा अनुसूची II में भी उसकी शक्तियों को विनिर्दिष्ट किया गया है। धारा 60(1)(ङ) के अन्तर्गत उसे सब शक्तियां प्राप्त है जो नगरपालिका द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाये। वस्तुतः यह खण्ड अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है।

प्रतिमाह 40 रू0 से कम वेतन पाने वाले नगरपालिका के कर्मचारी को अधिशासी अधिकारी द्वारा सेवा से विमुक्त किया जा सकता है। किन्तु अधिशासी अधिकारी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा ऐसे सेवक की सेवा विमुक्ति का आदेश अधिकारिता विहीन नहीं होगा। अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही कर सकेगा जिसने नगरपालिका की उपवियिधयों का उल्लंघन किया है।

4. धारा 60 (1) (घ), 211, 318 और 321—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 321 अधिशासी अधिकारी द्वारा पारित आदेश पर लागू नही होती है। यह धारा नगरपालिका बोर्ड द्वारा धारा 318 में उल्लखित किसी धारा के अधीन पारित आदेश के सम्बन्ध में लागू होती है। इसलिए जहां धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अधीन अधिशासी अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को उसके भवन से संलग्न छज्जे को गिराने के लिए धारा 211 के अधीन नोटिस जारी की जाती है, वह व्यक्ति नगरपालिका के विरूद्ध स्थायी परमादेश हेतु वाद दाखिल कर सकता है और उसका यह अधिकार किसी भी प्रकार से धारा 321 से बाधित नहीं होता है।

5. धारा 60 (1) (घ), 185 और 314—जहां किसी व्यक्ति द्वारा नगरपालिका अधिनियम की धारा 185 के अधीन कोई अपराध कारित किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध परिवाद, नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा प्राकृित किसी व्यक्ति द्वारा, दाख्लिा किया जा सकता है। अतः अधिशासी अधिकारी द्वारा अभियन्ता को परिवाद दाखिल करने हेतु प्राधिकृत करना किसी भी प्रकार से विधि विरूद्ध नही है।

6. धारा 60 (1) (घ), 620, 185 और 314—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 314 के प्रयोजनार्थ अधिशासी अधिकारी स्वंय बोर्ड है और धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) सपठित धारा 314 के अनुसार धारा 185 के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में दाखिल परिवाद पर न्यायालय कार्यवाही कर सकता है। धारा 185 के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में परिवार दाखिल करने की शक्ति अधिशासी

अधिकारी को धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत प्रदत्त की गयी है। ऐसी शक्ति को वह धारा 62 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुमति से नगरपालिका के किसी कर्मचारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।

60–क. **कृत्य जिनका निर्वहन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा**–धारा 60 में दी गई किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि किसी नगरपालिका में स्वास्थ्य अधिकारी, अधिशासी अधिकारी के सामान्य नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित शक्ति का प्रयोग करेगा, परन्तु इन अधिकारियों के बीच असहमति होने की दशा में प्रश्न अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा–

(क) बाजार या वधशाला के लिए अनुज्ञा–पत्र या लाइसेन्स से भिन्न ऐसे प्रत्येक अनुज्ञा–पत्र या लाइसेन्स को जो धारा 298 की सूची–1 के भाग ख, घ, च, छ और झ ओर सूची 2 के भाग झ के अधीन बनाई गई उप–विधियों के सम्बन्ध मे नगरपालिका द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, अपने हस्ताक्षर से स्वीकृत और जारी करने की शक्ति;

(ख) ऐसी किसी अनुज्ञा–पत्र या लाइसेन्स को निलम्बित करने या वापस लेने की षक्ति;

(ग) धारा 191(1) और (2), 192(1), 196(ग) और (घ), 201(1), 202(1) और (2), 227, 244(1) और (2), 245(1), 249, 250(2), 267, 268, 269, 270, 271, 273(1)(क), 276, 277, 278, 280, 283, 294 के सम्बन्ध में और 307 के सम्बनध में भी जहां तक कि उसमें निर्दिष्ट नोटिस का सम्बन्ध इस खण्ड में विनिर्दिष्ट अन्य धाराओं से है धारा (6) (1) (घ) के अधीन कार्यपालन अधिकारी को प्रदत्त शक्ति;

(घ) नगरपालिका के ऐसे सेवकों के सम्बन्ध में, जो सुफाई, लोक–स्वास्थ्य, टीका लगाने और जन्म–मरण रजिस्ट्रीकरण के लिए नियोजित किये गये हों, ऐसी शक्ति जो धारा 75(क) और 76 (क) द्वारा कार्यपालक अधिकारी में निहित की गई हों और किसी ऐसे पद के, जिस पर नियुक्ति करने की उसे शक्ति हो, पदधारी की अनुपस्थिति की छुट्टी मंजूर करने की शक्ति।

60–ख. **विद्युत सार्वजनिक निर्माण और जल–कल विभाग के प्रधान अधिकारियों को शक्ति का प्रत्यायोजन**–राज्य सरकार, सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती है कि किसी नगरपालिका में विद्युत, सार्वजनिक निर्माण ओर जल–कल विभाग और नगरपालिका संग्रहालय के प्रधान अधिकारी, अपने–अपने विभाग या संग्रहालय के सम्बन्ध में, धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करेंगे और इस धारा के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके की गयी किसी बात के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह अधिशासी अधिकारी द्वारा की गयी कोई बात या प्रयुक्त शक्ति है।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)
2. धारा 60–ख के अधीन शक्ति के प्रत्यायोजन का अधिशासी अधिकारी की शक्तियों पर प्रभाव

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की यह धारा इस अधिनियम में सर्वप्रथम सन् 1949 में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 द्वारा जोड़ी गयी।

2. धारा 60–ख के अधीन शक्ति के प्रत्यायोजन का अधिशासी अधिकारी की शक्तियों पर प्रभाव–यह धारा राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह विद्युत सार्वजनिक निर्माण, जल–कल विभाग और नगरपालिका संग्रहालय के प्रधान अधिकारियों को उसके विभाग के सम्बनध

में उन्हें कोई शक्ति प्रत्यायोजित कर सकती है। ऐसी शक्ति के प्रत्यायोजित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी की वह शक्ति समाप्त हो जायेगी और उस शक्ति के अधीन वह कोई कार्य करने हेतु समर्थ नहीं होगा।

61. **कार्यपालिका अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील करने का अधिकार**–(1) अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा धारा 60–क द्वारा प्रदत्त षक्ति का प्रयोग करके दिये गये किसी आदेश के विरूद्ध नगरपालिका को अपील न की जा सकेगी, जब तक कि–

(क) वह आदेश ऐसा आदेश न हो जिसके सम्बन्ध में अनुसूची 2 के तृतीय स्तम्भ में कोई प्रविष्ट दर्शित की गई हो और ऐसी प्रविष्टियां या धारा 297 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन बनाये गये विनियम द्वारा शून्य न हुई हो और प्रवृत्त हो; या

(ख) वह आदेश किसी लाइसेन्स के सम्बन्ध में दिया गया आदेश हो और किसी उप–विधि द्वारा उसके विरूद्ध अपील करने का उपलब्ध किया गया हो।

(2) जहां अपील की जा सकती हो वहां उक्त आदेश की संसूचना के या जिस दिनांक को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उक्त आदेश संसूचित किया गया समझा जाय, उस दिनांक के दस दिन के भीतर वह दाखिल की जायेगी।

62. **अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन**–(1) अध्यक्ष की मंजूरी, कार्यपालक अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, नगरपालिका के किसी सेवक को इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त शक्ति का जो धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन उसे प्रत्यायोजित शक्ति से भिन्न हो, प्रयोग करने नियन्त्रण के अधीन करने के लिए सशक्त कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश में किसी षक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में, कोई शर्त विहित की जा सकती है और कोई र्निबन्धन अधिरोपित किया जा सकता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका के सेवक द्वारा दिया गया कोई आदेश, यथास्थिति, अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी, यथास्थिति द्वारा विखण्डित या पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

63. **अध्यक्ष या नगरपालिका या समिति को, अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी से रिपोर्ट आदि की अपेक्षा करने की शक्ति**–(1) अध्यक्ष या नगरपालिका या नगरपालिका की कोई समिति अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी से निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकता है–

(क) नगरपालिका प्रशासन की उस शाखा से जिससे वह सम्बद्ध हो, सम्बन्धित किसी विषय के बारें में कोई विवरणी, कथन, प्राक्कलन, आंकड़े या अन्य सूचना;

(ख) किसी ऐसे मामलें में रिपोर्ट या स्पष्टीकरण; और

(ग) किसी ऐसे अभिलेख, पत्र–व्यवहार या योजना या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि जो कार्यपालक अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी की हैसियत से उसके कब्जे में या नियन्त्रण में हो या जो उसके कार्यालय में या उसके किसी अधीनस्थ सेवक के कार्यालय में अभिलिखित या दाखिल की गयी हो।

(2) अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी उपधारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक अधिचायन को बिना अनुचित विलम्ब के पूरा करेगा।

64. अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी का बहस में भाग लेने का अधिकार—अधिशासी अधिकारी, लेखा अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी, अध्यक्ष का अनुज्ञा से या नगरपालिका अथवा समिति की किसी बैठक में इस निमित्त पारित संकल्प के आधार पर, किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जिस पर बहस चल रही हो, कोई स्पष्टीकरण दे सकता है, किन्तु वह ऐसी बैठक में कोई मत न देगा या कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

65. राज्य सरकार की अधिशासी अधिकारी को नियुक्ति करने की शक्ति—यदि कोई नगरपालिका, जो धारा 57 या धारा 59—क के उपबन्धों के अधीन नियुक्ति करने के लिए बाध्य हो, ऐसे समय के भीतर जिसे राज्य सरकार उचित समझे, नियुक्ति करने {***} में असफल रहे तो राज्य सरकार स्वयं नियुक्ति कर सकती है और ऐसी नियुक्ति के सम्बन्ध में वेतन, भविष्य निधि या पेंशन में अंशदान और अन्य शर्ते निश्चित कर सकती है—

परन्तु यदि राज्य सरकार ने इस धारा द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके कोई नियुक्ति की हो, तो नगरपालिका इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्ति के वेतन छुट्टी के भत्ते और अंशदान के लिए, तीन लाख या उससे अधिक आय वाली नगरपालिकाओं की दशा में 1,000 रूपये से या अन्य नगरपालिकाओं की दशा में 500 रूपये से अधिक मासिक औसत धनराशि देने के लिए बाध्य न होगा।

अन्य सेवक

66. सचिव की नियुक्ति—(1) प्रत्येक नगरपालिका जिसमें कोई अधिशासी अधिकारी नहीं है, विशेष संकल्प द्वारा एक या एक से अधिक सचिव नियुक्त करेगी।

(2) ऐसी नियुक्ति विहित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्ति के वेतन और सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होंगी जो विहित की जाये।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)
2. धारा 66 का उद्देश्य एवं विस्तार

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 66 में अब तक दो प्रकार के संशोधन किये गये है, जो कि निम्नवत् हैं,

(क) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1964 द्वारा उएपधारा (2) को प्रतिस्थापित कर दिया गया;

(ख) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा उपधारा (1) में प्रयुक्त 'बोर्ड' शब्द के स्थान पर 'नगरपालिका' शब्द प्रतिस्थापित कर दिया गया।

2. धारा 66 का उद्देश्य एवं विस्तार—यह धारा किसी नगरपालिका को जहां कोई भी अधिशासी अधिकारी नहीं है, सचिव नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करती है। ऐसी नियुक्ति नगरपालिका के विशेष संकल्प द्वारा की जायेगी और विदित प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगी।

66–क. **स्थानापन्न सचिव की नियुक्ति**–(1) धारा 66 के अधीन किये गये सचिव के पद पर छुट्टी की अनुपस्थिति में या अन्य अस्थायी रिक्त में, यदि ऐसी छुट्टी या रिक्ति की अवधि दो मास से अधिक न हो, अध्यक्ष किसी व्यक्ति को सचिव के पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है, और यदि उक्त अवधि दो मास से अधिक हो तो नगरपालिका धारा 66 के उपबन्धों के अनुसार नियुक्ति करेगा।

(2) जब ऐसी रिक्ति की अवधि जिसमें उपधारा (2) के प्रथम भाग के अधीन नियुक्ति की गयी हो, बाद में अनवेक्षित परिस्थितियों के कारण दो मास से अधिक बढ़ाई जाय तो अध्यक्ष द्वारा की गयी नियुक्ति राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन बनी रहेगी।

(3) इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, उस व्यक्ति को जिसके स्थान पर वह कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमित के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग या अधिरोपित कर्तव्य का पालन करेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्ति का वेतन और सेवा की अन्य शर्ते वहीं होगी जो विहित की जायें।

67. **सचिव को दण्ड देना और पदच्युत करना**–नगरपालिका, ऐसे विशेष संकल्प द्वारा जिसे नगरपालिका को गठित करने वाले कम से कम दो–तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो धारा 66 या धारा 66–क के अधीन नियुक्त किये गये किसी सचिव को पदच्युत कर सकती है, पद से हटा सकती है या अन्यथा दण्डित कर सकती है, किन्तु उसे ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जो विहित की जाय, अपील करने का अधिकार होगा–

परन्तु नगरपालिका, सचिव को पदच्युत करने, पद से हटाने या अन्यथा दण्डित करने में उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो इस निमित्त विहित की जाय।

68. **प्राविधिक विभागों के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति**–(1) नगरपालिका, विशेष संकल्प द्वारा अपने प्राविधिक विभागों के मुख्य अधिकारी जैसे सिविल अभियन्ता, सहायक सिविल अभियन्ता, विद्युत अभियन्ता, सहायक विद्युत अभियन्ता, जल–कल अभियन्ता, सहायक जल–कल अभियन्ता, विद्युत एवं जल–कल अभियन्ता या ओवरसियर तथा जहां पहले से कोई अधिशासी अधिकारी हो, सचिव की नियुक्ति कर सकता है और राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर करेगा।

(2) उपधारा (2) से उल्लिखित किसी अधिकारी के छुट्टी पर अनुपस्थिति रहने में या अन्य अस्थायी रिक्ति में, यदि ऐसी छुट्टी या रिक्ति की अवधि दो मास से अधिक न हो, अध्यक्ष ऐसे पद पर कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। यदि उक्त अवधि दो मास से अधिक की हो तो उपधारा 1 के उपबन्धों के अनुसार नगरपालिका द्वारा नियुक्ति की जायेगी।

(3) जब ऐसी रिक्ति की अवधि, जिसमें उपधारा (2) के प्रथम भाग के अधी न नियुक्ति की गई हो, बाद में अनवेक्षित परिस्थितियों के कारण दो मास से अधिक के लिए बढ़ायी जाये तो अध्यक्ष द्वारा की गयी नियुक्ति राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन बनी रहेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति जिसके स्थान पर वह कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है इस या किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग या अधिरोपित कर्तव्य का पालन करेगा।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (2) के द्वितीय खण्ड के अधीन की गयी नियुक्ति राज्य सरकार के पूर्व–अनुमोदन के अधीन होगी।

(6) इस धारा के अधीन नियुक्ति किये गये व्यक्ति का वेतन और सेवा की अन्य शर्त वही होगी जो विहित की जाये।

68–क. **आपात स्थिति में सेवकों के लिए राज्य सरकार द्वारा की गयी अध्युपेक्षा का नगरपालिका द्वारा अनुपालन**–युद्ध, दुर्भिक्ष, अकाल, मनुश्य या पशु की महामारी, बाढ़ या इसी प्रकार कि किसी आपातस्थिति के होने पर और हाट, मेले या अवसरों पर जहां पर विशाल जन–समूह एकत्र होता है, नगरपालिका राज्य सरकार द्वारा या अध्युपेक्षा करने के लिए सामान्य या विशेष आदेश से प्राधिकृत सरकार के किसी

अधिकारी द्वारा नगरपालिका के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी की सेवाओं के लिए जो उसके चिकित्सा, जन–स्वास्थ्य, स्वच्छता, टीका, पशु–चिकित्सा, विद्युत, जल–कल या सार्वजनिकी निर्माण विभाग में कोई पद धारण करता हो, नगरपालिका द्वारा सेवायोजित किसी वैद्य या हकीम के सेवाओं के लिए की गई किसी अध्युपेक्षा का तुरन्त अनुपालन करेगा और अध्युपेक्षा करने से सम्बन्धित प्रभार को ऐसे अनुपात में पूरा करेगा जैसा कि राज्य सरकार नगरपालिका पर उचित प्रभार विनिश्चित करें।

69. **धारा 68 के अधीन नियुक्त अधिकारियों को दण्ड दिया जाना तथा उनका पदच्युत किया जाना**–(1) नगरपालिका अधिशासकी अधिकारी को पदच्युत करने, हटाने या अन्य दण्ड देने के सम्बन्ध में धरा 58 में उपबन्धित शर्तो के अधीन रहते हुए विशेष संकल्प द्वारा, धारा 68 या धारा 57 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी को पदच्युत कर सकती है, सेवा से हटा सकती है या अन्यथा दण्डित कर सकती है।

(2) {***}

69–क. **अध्यक्ष द्वारा अधिकारियों के विरूद्ध तैयार किया जाना या उनका निलम्बन**–(1) यदि अध्यक्ष को यह विश्वास करने का कारण हो कि अधिशासी अधिकारी या सचिव या धारा 68 अथवा धारा 53 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन नियुक्त नगरपालिका का कोई अन्य अधिकारी, भ्रष्ट है या अपने कर्तव्यों का पालन करने में निरन्तर चूक करता है, या अन्यथा अत्याचार का दोषी है, तो वह उसके विरूद्ध आरोप विरचित कर सकता है और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करना आवश्यक है, तो ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, जांच की समाप्ति तक और उपधारा (4) के अधीन, यथास्थिति, विहित प्राधिकारी या नगरपालिका द्वारा अन्तिम आदेश दिये जाने तक उसे निलम्बित कर सकता है।

(2) जब कभी अध्यक्ष उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करे, तो एक सप्ताह के भीतर विहित प्राधिकारी को सूचित करेगा और उसे आरोपों की एक प्रतिलिपि भी भेजेगा और यदि निलम्बन का ओदश दे दिया गया हो तो अध्यक्ष आरोपों की आधार सामग्री भी विहित प्राधिकारी को भेजेगा।

(2–क) उपधारा (1) के अधीन निलम्बन का आदेश किसी भी समय विहित प्राधिकारी द्वारा संहत या परिश्कृत किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन जांच ऐसी रीति से की जायेगी जो नियमतों द्वारा विहित की जाय।

(4) जांच समाप्त होने के पश्चात् अध्यक्ष अभिलेख को अपनी संस्तुति के साथ, विहित प्राधिकारी या नगरपालिका को जैसा कि वह उचित समझे, प्रस्तुत करेगा। तदुपरि, यथास्थिति, विहित प्राधिकारी या नगरपालिका, धारा 56 की उपधारा (1) या धारा 67 या धारा 69 में किसी अन्य बात के होते हुए भी, रिपोर्ट पर विचार करेगा और ऐसी अन्तरिम जांच के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, यथास्थिति, अधिशासी अधिकारी या सचिव या अन्य अधिकारी को पदच्युत कतर सकेगा, सेवा से हटा सकेगा या अन्यथा दण्ड दे सकेगा या दोषमुक्त कर सकेगा;

परन्तु इस उपधारा के अधीन नगरपालिका विशेष संकल्प द्वारा कार्य करेगी जिसका समर्थन नगरपालिका के संघटक सदस्यों के दो तिहाई से कम द्वारा न किया गया हो।

(5) उपधारा (4) के अधीन विहित प्राधिकारी या नगरपालिका द्वारा पारित पदच्युत किये जाने, हटाये जाने या अन्य दण्ड आदेश के विरूद्ध अपील ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जो विहित की जाये, राज्य सरकार को की जायेगी।

संक्षेप

1.	विधायी परिवर्तन (Legislative changes)	4.	क्या धारा 69–क की उपधारा (3) के अन्तर्गत नियमों के अभाव में की गयी जांच अवैध होगी।
2.	धारा 69–क का उद्देश्य एवं विस्तार	5.	धारा 69–क(4) और धारा 58
3.	क्या राज्य सरकार नगरपालिका के किसी अधिकारी को जांच के लम्बित रहने के दौरान निलम्बित कर सकती है?	6.	क्या धारा 69–क विभेदपकर है?

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 62–क जो कि इस अधिनियम में मूल रूप से सन् 1947 उ0प्र0 अधिनियम संख्या 7 द्वारा जोड़ी गयी है, में सन् 1964 उ0प्र0 अधिनियम संख्या 27 द्वारा निम्नलिखित संशोधन किये गये–

(क) उपधारा (1) के अन्त में और उपधारा (4) के अधीन, यथास्थिति, विहित प्राधिकारी या नगरपालिका द्वारा अन्तिम आदेश दिये जाने तक' शब्दों को अन्तः स्थापित किया गया।

(ख) उपधारा (2) को प्रतिस्थापित कर दिया।

(ग) उपधारा (2–क) जोड़ी गयी।

(घ) उपधारा (3) के पश्चात् उपधारा (4) एवं (5) जोड़ी गयी।

2. धारा 69–क का उद्देश्य एवं विस्तार–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की यह धारा नगरपालिका के अधिनियमों के विरूद्ध आरोप तैयार करने हेतु अध्यक्ष को शक्ति प्रदान करती है और उनके निलम्बन हेतु प्रक्रिया विहित करती है। उपधारा (1) के अनुसार यदि नगरपालिका अधिशासी अधिकारी, सचिव या अन्य अधिकारियों के विरूद्ध यह विश्वास करने का आधार हो कि वह भ्रष्ट है या अपने कर्तव्यों का पालन करने में निरन्त चूक करतें है या किसी अनय प्रकार अवचार के दोषी हैं, तो नगरपालिका अध्यक्ष उनके विरूद्ध आरोप विरचित कर सकता है और जांच पूरी होने तक और विहित प्राधिकारी या नगरपालिका द्वारा अन्तिम आदेश दिये जाने तक उन्हें निलम्बित कर सकता है।

उपधारा (2) नगरपालिका अध्यक्ष पर उपर्युक्त कार्यवाही की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर विहित प्राधिकारी के पास प्रेषित करने का दायित्व अधिरोपित करती है। जबकि उपधारा (2–क) विहित प्राधिकारी को निलम्बन आदेश को संहृत (क) या परिष्कृत करने की शक्ति प्रदान करती है। उपधारा (3) जांच के लिए प्रक्रिया के बारें में उपन्धित करती है। जबकि उपधारा (4) विहित प्राधिकारी या प्रक्रिया द्वारा अध्यक्ष द्वारा की गयी कार्यवाही पर अन्तिम आदेश पारित करने के बारें में विहित करती है। उपधारा (5) क्षुब्ध व्यक्ति को अपील का अधिकार प्रदान करती है। ऐसी अपील राज्य सरकार के समक्ष नियत अवधि के भीतर की जा सकती है।

3. क्या राज्य सरकार नगरपालिका के किसी अधिकारी को जांच के लम्बित रहने के दौरान निलम्बित कर सकती है?– उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 69–क के अन्तर्गत किसी अधिकारी के विरूद्ध जांच के लम्बित रहने के दौरान उसे निलम्बित करने की शक्ति राज्य सरकार नहीं है।

4. क्या धारा 69–क की उपधारा (3) के अन्तर्गत नियमों के अभाव में की गयी जांच अवैध होगी–नहीं। नगरपालिका अधिनियम की धारा 69–क की उपधारा (3) के अन्तर्गत नियमों का अभाव न तो जांच को किसी प्रकार से दूषित कर सकता है और न ही नगरपालिका के अध्यक्ष को ऐसी जांच करने की शक्ति को प्रभावित कर सकता है।

5. धारा 69–क(4) और धारा 58–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 69–क की उपधारा (4) के अन्तर्गत कार्य करते समय बोर्ड को धारा 58 में उल्लिखित शर्तो और दशाओं के बारें में ध्यान दिया जाना चाहिए।

6. क्या धारा 69–क विभेदपकर है?–एक वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 69–क को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि यह विभेदपक है, किन्तु उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारित करते हुए अभिधारित किया कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा किसी भी प्रकार से विभेदपरक नहीं है।

69–ख. **नगरपालिका अधिकारियों तथा सेवकों की सेवाओं का केन्द्रीयकरण करना**–(1) धारा 57, 59, 65 से 68, 69, 69–क,71, 74, 79 और 80 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय ऐसे अधिकारियों और सेवकों की जिन्हें वह उपयुक्त समझे एक या अधिक ऐसी सेवायें सृजित करने के लिए नियमों द्वारा व्यवस्था कर सकती है जो राज्य में सभी या कुछ नगर पंचायतों या नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायतों, नगरपालिका परिषदों, नगर निगमों या जल संस्थानों; के लिए सामान्य हो, और किसी ऐसी सेवा में भर्ती करने की रीति और उसमें और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्ते विहित कर सकती है।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के कुमायूँ और गढ़वाल मण्डलों के जिलों में नगर पंचायतों और नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों, नगरपालिका परिषदों, नगर निगमों और जल संस्थानों के लिए सामान्य सेवायें सृजित की जा सकती है।

(2) जब कोई ऐसी सेवा सृजित की जाये तो सेवा में सम्मिलित पदों पर काम करने वाले अधिकारियों और सेवकों को यदि वे उपयुक्त पायें जायें, विहित रीति से अस्थायी या अन्तिम रूप से सेवा में लिया जा सकता है और अन्य व्यक्तियों की सेवायें विहित रूप से समाप्त हो जायेंगी।

परन्तु सेवा में ऐसे आमेलन से सेवा के किसी सदस्य के विरूद्ध ऐसे आमेलन के दिनांक के पूर्व किये गये कार्य के सम्बन्ध में कोई अनुशासन की कार्यवाही करनेक या जारी रखने में कोई रूकावट न होगी।

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में, उक्त उपधाराओं में अभिर्दिष्ट किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की भी व्यवस्था की जा सकती ळै।

(4) पूर्ववर्ती उपधारा (1), (2) और (4) में या अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, विहित दिनांक के पूर्व की गयी अस्थायी और तदर्थ नियुक्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किये बिना विनियमित करने के लिए भी नियमों द्वारा उपबन्ध कर सकती है।

70. **आपास्थिति के लिए अपेक्षित अस्थायी सेवक**–आपातस्थिति में अस्थायी सेवकों की नियुक्ति करने और उनके वेतन निश्चित करने की शक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष ऐसी शक्ति के प्रयोग में,–

(क) अध्यक्ष ऐसी शक्ति के प्रयोग में,–

(i) ऐसे किसी सामान्य या विशेष निदेश का, जिसे राज्य सरकार समय–समय पर जारी करे;

(ii) नगरपालिका के ऐसे किसी आदेश का जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के लिए अस्थायी सेवकों को सेवायोजित करने का प्रतिषेध किया गया हो।

उल्लंघन करते हुए कार्य न करेगा; और

(ख) इस धारा के अधीन अध्यक्ष द्वारा की गयी प्रत्येक नियुक्ति की रिपोर्ट ऐसी नियुक्ति के पश्चात् होने वाले नगरपालिका की अगली बैठक में दी जायेगी।

71. **नगरपालिका की स्थायी कर्मचारी वर्ग अवधारित करने की शक्ति**–धारा 57, 66, 68 और 70 द्वारा किये गये उपबन्धों को छोड़कर तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये किसी सामान्य या विशेष निदेश के अधीन रहते हुए नगरपालिका विशेष संकल्प द्वारा यह अवधारित कर सकता है कि नगरपालिका के कर्तव्यों के लिए कितने सेवक अपेक्षित होंगे और उनकी अर्हतायें और सेवा की शर्ते क्या होंगी।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)
2. धारा 71 का उद्देश्य एवं विस्तार
3. राज्य सरकार की शक्तियां

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changes)**–उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1964 द्वारा इस धारा में दो प्रकार के संशोधन किये गये जो कि निम्नवत् हैं–

(क) इस धारा की तीसरी पंक्ति में 'नगरपालिका' और 'संकल्प' शब्द के बीच में 'विशेष' शब्द अन्तःस्थापित कर दिया गया।

(ख) इस धारा के अन्त में 'और उनकी अर्हतायें और सेवा की शर्ते क्या होंगी' शब्दों को जोड़ दिया गया।

2. **धारा 66 का उद्देश्य एवं विस्तार**–यह धारा नगरपालिका को अपने कर्तव्यों के लिए अपेक्षित सेवकों की संख्या और उनकी अर्हता एवं सेवा शर्तो का अभिनिर्धारण करने की शक्ति प्रदान करती है। ऐसा अभिनिर्धारण नगरपालिका के विशेष संकल्प द्वारा किया जाना चाहिए न कि सामान्य संकल्प द्वारा, किन्तु नगरपालिका की यह शक्ति धारा 37, 66, 68 एवं 70 और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अधीन है।

3. **राज्य सरकार की शक्तियां**–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 71 के अन्तर्गत राज्य सरकार को केवल निदेश देने की शक्ति प्राप्त है। यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई निदेश जारी नहीं किया गया है, तो नगरपालिका के सेवकों का वेतन निर्धारण करने हेतु पारित नगरपालिका के प्रस्ताव में हस्तक्षेप करने का उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

राज्य सरकार निरीक्षक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता का निर्धारण नहीं कर सकती है।

72. **पदों का संशोधन**–इस अधिनियम या किसी नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, नगरपालिका अध्यक्ष या अधिशासी अधिकारी किसी एक व्यक्ति की किन्हीं दो या दो से अधिक पदों के कर्तव्यों के निर्वन के लिए नियुक्ति कर सकता है।

73. शिक्षण अधिष्ठान में सेवकों की नियुक्ति आदि–(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी नगरपालिका के शिक्षण अधिष्ठान में व्यक्तियों की नियुक्ति ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, और अधिशठान के भिन्न–भिन्न वर्गो के पदो के लिए भिन्न–भिन्न प्रधिकाारी विनिर्दिष्ट किये जा सकते है।

परन्तु किसी संस्था के प्रधान या अध्यापक की नियुक्ति यथास्थिति, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 या इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के उपबन्धों द्वारा नियन्त्रित होंगी।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)
2. धारा 73 का उद्देश्य एवं विस्तार
3. उपधारा (2) के अन्तर्गत अपील के सम्बन्ध में नियम
4. धारा 69–क और धारा 73 में अन्तर

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)–इस धारा में अब तक तीन बार संशोधन किये जा चुके है। ये संशोधन निम्नवत् हैं–

(क) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 1978 द्वारा उपधारा (1) में परन्तुक जोड़ा गया;

(ख) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1964 द्वारा उपधारा (2) में 'दण्ड देने' और 'अपील करने' शब्दों के बीच में प्रयुक्त 'विमुक्त करने' शब्द को विलुप्त कर दिया गया;

(ग) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा उपधारा (1) में प्रयुक्त 'बोर्ड' शब्द के स्थान पर 'नगरपालिका' शब्द प्रतिस्थापित कर दिया गया।

2. धारा 73 का उद्देश्य एवं विस्तार–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की यह धारा नगरपालिका द्वारा संचालित शिक्षण अधिष्ठानों में सेवकों की नियुक्ति आदि के बारें में उपबन्ध करती है। उपधारा (1) के अनुसार नगरपालिका के शिक्षण संस्थानों में व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की जायेगी। किन्तु इसका परन्तुक एक अपवाद गठित करता है। इसके अनुसार ऐसी किसी शिक्षण संस्था के अध्यापक या प्रमुख की नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 या उ0प्र0 इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के उपबन्धों केक अनुसार की जायेगी।

उपधारा (2) राज्य सरकार को नगरपालिका द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में भर्ती करने, उसमें नियुक्त व्यक्तियों को दण्डित करने, क्षुब्ध व्यक्तियों द्वारा अपील करने और सेवा की अन्य शर्तो को विनियमित करने हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

3. उपधारा (2) के अन्तर्गत अपील के सम्बन्ध में नियम–धारा 73 की उपधारा (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार को अपील के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गयी है। इस शक्ति के अधीन राज्य सरकार ने 'उ0प्र0 नगरपालिका सेवक अपील नियमावली, 1967' निर्मित की है। इस नियमावली के नियम 4 के उप–नियम (2) के अनुसार अपील करने की अवधि 60 दिन है।

4. धारा 69–क और धारा 73 में अन्तर–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 69–क एक विशिष्ट उपबन्ध है, और किसी अधिकारी के विरूद्ध आरोप विरचित करने या उसे निलम्बित करने हेतु नगरपालिका के अध्यक्ष को शक्ति प्रदान करती है, जबकि धारा 73 सामान्य उपबन्ध है और यह शिक्षण संस्थानों में सेवकों की नियुक्तियों, उन्हें दण्डित करने आदि के बारें में सामान्य उपबन्ध करती है।

74. **स्थायी वरिष्ठ कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति पद्च्युति**–धारा 57 से 73 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अकेन्द्रीयित सेवाओं में जिन पदों का वेतनमान लिपिक कर्मचारी वर्ग को अनुमन्य निम्नतम वेतनमान के बराबर या उससे अधिक हो, उन पर अध्यक्ष द्वारा सेवकों को नियुक्त किया जायेगा और उन्हें पद्च्युत किया जा सकता है, हटाया जा सकता है या अन्यथा दण्डित किया जा सकता है या परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा समाप्त की जा सकती है, किन्तु किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा समाप्ति के मामलें के सिवाय अन्य मामलों में ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जो विहित की जाय, अपील करने का अधिकार होगा–

परन्तु कर अधीक्षक, सहायक कर अधीक्षक, निरीक्षक, प्रधान लिपिक, अनुीाागीय प्रधान लिपिक, अनुभागीय लेखाकार, डाक्टर, वैद्य, हकीम और नगरपालिका के अग्निशमन केन्द्राधिकारी के पदों पर नियुक्तियां नगरपालिका के अनुमोदन के अधीन होगी।

संक्षेप

1. धारा 74 का उद्देश्य एवं विस्तार
2. राज्य सरकार की पुनरीक्षण शक्ति

1. धारा 74 का उद्देश्य एवं विस्तार–यह धारा नगरपालिका के स्थायी वरिष्ठ कर्मचारी वर्ग के अकेन्द्रीयित सेवाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति, पद्चयुति आदि के बारें में नगरपालिका के अध्यक्ष को शक्ति प्रदान करती है। इसके अलावा परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा समाप्त करने के लिए अध्यक्ष को शक्ति प्रदान की गयी है। किन्तु इस धारा के परन्तुक के अनुसार इसमें विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्तियां नगरपालिका के अनुमोदन के अधीन होंगी। दूसरे शब्दों में इन पदों पर नियुक्ति हेतु नगरपालिका के अध्यक्ष की शक्ति सीमित है और उसके द्वारा की गयी नगरपालिका के अनुमोदनाधीन होगी।

2. राज्य सरकार की पुनरीक्षण शक्ति–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 74 के अधीन यदि नगरपालिका के किसी सेवक को पदच्युत किया जाता है, या पद से हटाया जाता है या अन्यथा दण्डित किया जाता है, तो वह ऐसे आदेश के विरूद्ध विहित प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।

धारा 74 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अपील में पारित आदेश विशुद्ध रूप से प्रशासनिक प्रकृति का है और इस धारा में ऐसा कोई भी उपबन्ध नहीं है जो राज्य सरकार को अपने ऐसे आदेश का पुनरीक्षण करने से प्रतिबन्धित करता हो।

75. **स्थायी अवर कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति**–जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, अधिशासी अधिकारी धारा 74 में निर्दिष्ट निम्नतम वेतनमान से न्यून वेतनमान पाने वाले सेवकों को नियुक्त करेगा–

परन्तु अधिशासी अधिकारी न होने की स्थिति में उक्त नियुक्तियां अध्यक्ष द्वारा की जायेगी

76. **स्थायी अवर वर्ग के कर्मचारी वर्ग को दण्ड दिया जाना और उनको पदच्युत किया जाना**–अन्यथा किये गये उपबन्ध के सिवाय अधिशासी अधिकारी और जहां कोई अधिशासी अधिकारी न हो तो अध्यक्ष धारा 75 में निर्दिष्ट नगरपालिका के सेवकों को पदच्युत कर

सकता है, सेवा से हटा सकता है, अन्यथा दण्डित कर सकता है या परिवीक्षाधीन सेवकों की सेवायें समापत कर सकता है, किन्तु परिवीक्षाधीन सेवक की सेवा समाप्ति के मामलें को छोड़कर अन्य मामलें में उन्हें ऐसे प्राधिकारी को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से अपील करने का अधिकार होगा जो विहित की जाये।

77. **धारा 71 से 76 तक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का परिसीमन**—(1) धारा 71, 73, 74, 75 और 76 के उपबन्ध निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन होंगे—

(क) धारा 78; और

(ख) कोई नियम, विशेष रूप से ऐसा नियम जिसमें पदों पर या किसी ऐकसे पद—विशेष पर जिसमें वृत्तिक कौशल अपेक्षित हों, व्यक्तियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में और इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियोंक को निलम्बित करने या पदच्युत करने, सेवा से हटाने या अन्य दण्ड देने या सेवामुक्त करने या उसकी सेवा समाप्त करने की शर्ते अधिरोपित की गयी हो।

(2) धारा 74, 75 और 76 के उपबन्ध किसी ऐसे विनियम के उपबन्धों के अधीन होंगे जिनसे कर्मचारी वर्ग के सम्बन्ध मे नगरपालिका, अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की सम्बन्धित शक्ति के प्रति निर्देश में उपधाराओं में निहित किसी अधिकतम या न्यूनतम मासिक वेतन में वृद्धि की जाये।

77—क. **अनुशासनिक मामलों में अपील प्राधिकारी की शक्ति**—पदच्युत करने, सेवा से हटाये जाने या अन्य दण्ड दिये जाने के विरूद्ध इस अधिनियम या नियमावली के अधीन जिस अपील प्राधिकारी को अपील की जाय वह—

(क) शास्ति को अपास्त, कम या पुष्ट कर सकता है; या

(ख) मामलें को उस प्राधिकारी को जिसने शक्ति अधिरोपित की हो, ऐसे निदेश के साथ जिसे वह उचित समझे, प्रेषित कर सकता है।

77—ख. **निलम्बन की शक्ति**—(1) नगरपालिका के किसी अधिकारी या सेवकों को दण्डित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उसे निलम्बित कर सकता है—

(क) जहां उसके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही अनुध्यात या लम्बित हो; या

(ख) जब उसके विरूद्ध नैतिक अधमता के सम्बन्ध में किसी आपराधिक मामलें का अन्वेषण, जांच या विचारण किया जा रहा हो।

(2) जहां नगरपालिका के किसी अधिकारी या सेवक पर अधिरोपित पदच्युत या सेवा से हटाये जाने की षक्ति इस अधिनियम या नियमावली के अधीन किसी अपील में अपास्त कर दी जाये, तो अधिकारी या सेकवक को पदच्युत या सेवा से हटाये जाने के मूल आदेश के दिनांक से निलम्बित चला आ रहा समझा जायेगा।

(3) जब नगरपालिका के किसी अधिकारी या सेवक पर अधिरोपित पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की षक्ति किसी विधि न्यायालय के विनिश्चय के फलस्वरूप या उसके द्वारा अपास्त कर दी जाय या शून्य घोषित कर दी जाय या हो जाये और दण्ड देने वाला प्राधिकारी मामलें की परिस्थितियों पर विचार करने पर उसके विरूद्ध ऐसे अभिकथन को, जिन पर पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की शास्ति मूल रूप से अधिरोपित की गई थी, अग्रेत्तर जांच करने का विनिश्चय करे तो अधिकारी या सेवक पदच्युत या सेवा से हटाये जाने के मूल आदेश के दिनांक से दण्ड देने वाले प्राधिकारी द्वारा निलम्बित या निम्बित चला आ रहा समझा जायेगा।

(4) इस धारा के अधनी दिया गया या दिया गया समझा गया निलम्बन का कोई आदेश उस प्राधिकारी द्वारा जिसके द्वारा उक्त आदेश दिया गया हो या जिसके द्वारा आदेश दिया गया समझा जाय अथवा अपील प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय प्रतिसंहृत किया जा सकता है।

(5) नगरपालिका किसी विशेष संकल्प द्वारा जिसका कम से कम दो–तिहाई ऐसे सदस्यों में जिनसे नगरपालिका गठित हुआ है, समर्थन किया हो, इस धारा के अधीन कार्य करेगी।

(6) कोई अधिकारी या सेवक जिसे निलम्बित किया गया या रखा गया समझा जाय, ऐसे निलम्बन की अवधि में वेतन के बजाय ऐसा जीवन निर्वाह भत्ता पाने का हकदार हेागा, जो विहित किया जाये।

कतिपय सेवकों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

78. नगरपालिका द्वार नियोजित सरकार के सेवकों या सरकार द्वारा नियोजित नगरपालिका के सेवकों का पेन्शन और उनकी पदच्युति–(1) नगरपालिका किसी ऐसे सेवक की पेन्शन और छुट्टी के भत्ता में अंशदान करेगी–

(क) जिसकी सेवायें सरकार द्वारा नगरपालिका को उधार दी गई हों या स्थानान्तरित की गयी हो; या

(ख) जिसकी सेवायें नगरपालिका द्वारा सरकार को उधार दी गई हों या स्थानान्तरित की गई हो; या

(ग) जो अंशतः सरकार द्वारा और अंशतः नगरपालिका द्वारा नियोजित किया गया हो।

(2) ऐसा अंशदान उस परिमाण तक किया जायेगा जो सम्बन्धित सरकार द्वारा बनाये गये किनहीं सामान्य नियमों या विशेष आदेशों द्वारा विहित किया गया हो।

(3) नगरपालिका, सरकार की अनुमति के बिना, उपधारा (1) के खण्ड (क) या (ग) में वर्णित किसी सेवक की सेवायें समाप्त नहीं करेगी या उपधारा (1) के खण्ड (ख) में वर्णित किसी सेवक को अपनी सेवा से अन्तिम रूप से पदच्युत नहीं करेगी, जब तक कि उसने सरकार को इस सम्बन्ध में कम से कम छः मास का नोटिस न दे दिया हो।

(4) इस धारा में 'सरकार' का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से होगा।

79. छुट्टी भत्ता, भविष्य निधि, वार्षिकी और उपदान–(1) प्रत्येक मामलें में जिसमें नगरपालिका किसी अधिकारी या सेवक को वेतन देने का हकदार हो, वह इस निमित्त बनाये गये विनियमों के अधीन रहते हुए ऐसे प्राधिकारी या सेवक को छुट्टी भत्ता देने की हकदार होगी।

(2) नगरपालिका भविष्य निधि स्थापित कर सकती है और उसे बनाये रख सकती है और उसमें स्वयं अंशदान कर सकती है।

(3) नगरपालिका, अपने किसी ऐसे सेवक को जिसे भविश्यनिधि के लाभ उठाने से अपवर्जित किया गया हो, उसके सेवानिवृत्त होने पर, उपदान दे सकती है।

(4) नगरपालिका, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, निम्नलिखित के लिए वार्शिक स्वीकृहित कर सकती है या उसके क्रय करने का प्रबन्ध कर सकती है–

(क) कोई सेवक, जो अपनी सेवानिवृत्ति के दिनांक को, उपधारा (2) के अधीन स्थापित भविष निधि में अंशदान न कर रहा हो या जिसने 10 वर्ष से कम की अवधि तक उसमें अंशदान किया हो; और

(ख) कोई अधिकारी या सेवक, जिसे अपने कर्तव्य के निष्पादन में, स्वयं अपने ही व्यतिक्रम से भिन्न किसी कारण से, क्षति हुई हो या जहां ऐसी क्षति के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाय तो ऐसे अधिकारी या सेवक को कुटुम्बी।

(5) नगरपालिका इसी प्रकार स्वीकृति लेकर, उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन कार्यवाही करने के बजाय उसमें निर्दिष्ट अधिकारी या सेवक को या ऐसे अधिकारी या सेवक के कुटुम्बी को अनुकम्पा भत्ता स्वीकृत कर सकती है।

80. **पूर्ववर्ती धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति की परिसीमा**—धारा 279 के उबन्ध इस शर्त के अधीन होंगे कि नगरपालिका, राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति के बिना, किसी अधिकारी या सेवक या उसके कुटुम्बी को उस राशि से अधिक पेंशन, वार्षिकी या उपदान स्वीकत नहीं करेगी, जिसका कि वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन हकदार होता, यदि पेन्शन, वार्षिकी या उपदान के लिए अर्ह सेवा उस सरकार के अधीन, उतने ही समय के लिए उसी वेतन पर और अन्य दृष्टिकोणों से उसी प्रकार की होती।

सदस्यों, अधिकारियों तथा सेवकों के दायित्व

81. **अधिभार**—(1) नगरपालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अधिकारी ओर सेवक नगरपालिका के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय तथा दुरूपयोजन के लिए अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यव या दुरूपयोजन ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या सेवक के रूप में कार्य करते हुए उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हुआ हो।

परन्तु ऐसी हानि, दुर्व्यव या दुरूपयोजन के होने के 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उस दिनांक से जब ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी या सेवक अपने पद पर न रह जाये, पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जो भी पश्चात्वर्ती हो, ऐसा दायित्व समाप्त हो जायेगा।

(2) इस प्रकार आरोपित अधिभार की राशि इस प्रकार वसूल की जयेगी मानों व भूराजस्व की बकाया हो और कलेक्टर, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त राशि देय है, उसे बकाया की भांति वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

(3) अधिभार की प्रक्रिया और हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन में सम्मिलित राशि की वसूली ऐसी होगी जैसी विहित की जाये।

(4) जहां अधिभार की कार्यवाही न की जाये वहां नगरपालिका विहित प्रधिकारी की पूर्व स्वीकृति से या उसके द्वारा निर्देश दिये जाने पर ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिकर

संक्षेप

1. धारा 81 का उद्देश्य एवं विस्तार **धारा 81 का उद्देश्य एवं विस्तार**—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 81 नगरपालिका के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय एवं दुरूपयोजन के लिए अधिभार लगाये जाने और वसूले जाने के बारें में उपबन्ध करती है, इसके अनुसार यदि ऐसी हानि या दुर्व्यय या दुरूपयोजन नगरपालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी सदस्य या अधिकारी या सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के अनुपालन में कार्य करते हुए उसकी उपेक्षा या अपतार के फलस्वरूप धारित हुआ है, तो उसके लिए अधिकार का देनदार होगा।

धारा 81 उपबन्धित करती है कि नगरपालिका का अध्यक्ष नगरपालिका की सम्पत्ति की हानि के लिए अधिभार का देनदार होगा, बशर्ते कि ऐसी हानि उसके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए उसके या अपचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप कारित हुई हो।

यह धारा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1964 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी। इससे पूर्व अधिभार के सम्बन्ध में इस अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं था और यह धारा भी भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती है। अतः इसके लागू होने से पूर्व की किसी हानि के लिए किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

82. **(1) संविदा आदि में हित अर्जित करने वाले सदस्य या अध्यक्ष पर शास्ति**—(1) नगरपालिका के ऐसे सदस्य या अध्यक्ष के बारें में जो विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयं या अपने भागीदार द्वारा, किसी संविदा या नियोजन में, नगरपालिका के साथ, नगरपालिका द्वारा या उसके निमित्त कोई अंश या हित, चाहे वह धन सम्बन्धी हो या अन्य प्रकार का जानबुझ कर अर्जित करता है या उसे बनाये रखता है, यह समझा जायेगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 168 के अधीन अपराधन किया है।

(2) परन्तु किसी व्यक्ति के बारें में उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए केवल निम्नलिखित कारणों से यह न समझा जायेगा कि उसने किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या हित, चाहे वह धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का अर्जित किया है या उसे बनाये रखा है—

(क) उसका भूमि या भवन के किसी पट्टे, या विक्रय या क्रय में या उसके लिए किसी करार में कोई अंश या हित है, चाहे वह धन सम्बन्ध हो या किसी अन्य प्रकार का, परन्तु ऐसा अंश या हित, चाहे वह धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का उसके सदस्य होने के पूर्व अर्जित किया गया हो; या

(ख) उसकी किसी ऐसी संयुक्त स्टाक कम्पनी में अंश है, जो नगरपालिका के साथ संविदा करेगी नगरपालिका द्वारा या उसके निमित्त विनियोजित की जायेगी; या

(ग) उसका किसी ऐसे समाचारपत्र में अंश या हित है, चाहे वह धन सम्बन्धी हो या अन्य प्रकार का जिसमें नगरपालिका के कार्य के सम्बन्ध में विज्ञापन दिया जाता है; या

(घ) उसके पास ऋण पत्र है या वह नगरपालिका द्वारा या उसके निमित्त लिये गये ऋण में अन्य का हित रखता है; या

(ङ) नगरपालिका द्वारा उसे विधि व्यवसायी के रूप में रहने दिया गया है; या

(च) उसका किसी ऐसी वस्तु का जिसमें नगरपालिका से नियमित रूप से ऐसे मूल्य तक व्यापार करता है, जो एक वर्ष में उस रकम से अधिक न हो जिसे नगरपालिका राज्य सरकार की स्वीकृति से उस निमित्त निश्चित करें, यदाकदा बिक्री में अंश या हित है, चाहे वह धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार; या

(छ) वह धारा 196 (ग) या धारा 229 के उपबन्धों के अधीन नगरपालिका के साथ की गयी किसी करार का एक पक्षकार है।

संक्षेप

1. धारा 82 का उद्देश्य एवं विस्तार
2. कोई अंश या हित
3. यह समझा जायेगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 168 के अधीन अपराध किया है।

1. धारा 40 का उद्देश्य एवं विस्तार—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की यह धारा नगरपालिका के साथ किसी संविदा आदि में हित अर्जित करने वाले नगरपालिका के सदस्य और अध्यक्ष पर शास्ति लगाये जाने हेतु उपबन्ध करती है, किन्तु साथ ही यह धारा इस बात का एक अपवार

भी सृजित करती है ओर विहित प्राधिकारी की लिखित अनुमति से कोई सदस्य या अध्यक्ष ऐसे संविदा में हित रख सकता है। इसके अलावा उपधारा (2) स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती जिसके अनुसार इसमें विनिर्दिष्ट प्रकार के हित संविदा या नियोजन में हित नहीं समझे जायेंगे।
धारा 82 बोर्ड के सभी सदस्यों पर लागू होती है।

2. कोई अंश या हित–धारा 82 में प्रयुक्त 'कोई अंश या हित चाहे वह धन सम्बन्धी हो या अन्य प्रकार का' शब्दों को उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1964 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इन शब्दों को प्रतिस्थापित किये जाने के बाद से अब इस बात में कोई सन्देह नहीं रह गया है कि इस धारा में 'अंश या हित' शब्द के अन्तर्गत सभी प्रकार के हित सम्मिलित है, चाहे वे धन सम्बन्धी अंश या हित हो या किसी अन्य प्रकार के अंश या हित हों।

3. यह समझा जायेगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 168 के अधीन अपराध किया है–भारतीय दण्ड संहित की धारा 168 यह उपबन्धित करती है कि यदि कोई लोकसेवक इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह व्यापार में न लगे, यदि व्यापार में लगता है, तो वह एक वर्श तक के सादे कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा। नगरपालिका अधिनियम की धारा 82 के अनुसार यदि नगरपालिका का सदस्य या अध्यक्ष नगरपालिका के साथ की जाने वाली संविदा या नियोजन में अंश या हित रखता है, तो वह भी ऐसे ही दण्ड का भागी होगा।

83. **संविदा आदि में हित रखने वाले सेवकों के विरूद्ध उपबन्ध**–(1) ऐसा व्यक्ति, जिसका नगरपालिका सेवक से भिन्न व्यक्ति के रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, स्वयं या अपने भागीदार नगरपालिका के साथ, नगरपालिका द्वारा या उसके निमित्त किसी संविदा में या नगरपालिका के साथ, नगरपालिका के अधीन नगरपालिका द्वारा या उसके निमित्त किसी संविदा में या नगरपालिका के साथ, नगरपालिका के अधीन नगरपालिका द्वारा या उसके निमित्त किसी नियोजन में कोई अंश या हित हो, चाहे वह धन सम्बन्धी हो, या किसी अन्य प्रकार का, जो नगरपालिका का सेवक होने के लिए अनर्ह हो जायेगा।

(2) कोई नगरपालिका सेवक जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या अपने भागीदार द्वारा किसी ऐसे संविदा या नियोजन में जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, कोई अंश या हित चाहे वह धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का अर्जित करेगा या उसे बनाये रखेगा, नगरपालिका का सेवक न रह जायेगा और उसक पद रिक्त हो जायेगा।

(3) किसी ऐसे नगरपालिका सेवक के बारें में जो जिस नगरपालिका का वह सेवक हो उस नगरपालिका के साथ, नगरपालिका के अधीन नगरपालिका द्वारा या उसके निमित्त किसी संविदा में जहां तक नगरपालिका सेवक के रूप में नियोजन का सम्बन्ध है उसके सिवाय किसी नियोजन में प्रत्यक्ष या परोघ रूप से कोई अंश या हित चाहे वह धन सम्बन्धी हो या अन्य प्रकार का जानबुझ कर अर्जित करता है या उसको बनाये रखता है, यह समझा जायेगा कि भारतीय दण्ड संहित की धारा 168 के अधीन अपराध किया है।

(4) इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे अंश या हित पर चाहे वह धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का, जो नगरपालिका के साथ, नगरपालिका के अधीन नगरपालिका द्वारा या उसके निमित्त किसी संविदा या नियोजन में हो, जैसा कि धारा 82 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (घ) और (छ) में निर्दिष्ट किया गया है या किसी ऐसे अंश या हित पर चाहे वह सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का जो विहित प्राधिकारी की अनुज्ञा से भूमि या भवन के किसी पट्टे, बिक्री या क्रम में या उसके लिए की गयी किसी करार में अर्जित किया गया हो या बनाये रखा हो, लागू न होगी।

84. **नगरपालिका के सभी अधिकारी और सेवक लोकसेवक समझे जायेंगे**—नगरपालिका का प्रत्येक अधिकारी या सेवक भारतीय दण्ड संहित, 1860 (1860 के अधिनियम संख्या 45) के अर्थ में लोकसेवक समझा जायेगा और उक्त संहित की धारा 161 में 'वैध पारिश्रमिक की परिभाशा में शब्द 'सरकार' के अन्तर्गत इस धारा के प्रयोजनों के लिए नगरपालिका सम्मिलित समझा जायेगा।

संक्षेप

1. धारा 84 का उद्देश्य एवं विस्तार
2. लोकसेवक
3. लोकसेवकों से सम्बन्धित अपराध

1. धारा 84 का उद्देश्य एवं विस्तार—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की यह धारा नगरपालिका के अधिकारियों एवं सेवकों को लोकसेवक का दर्जा प्रदान करती है। इस प्रकार यह धारा नगरपालिका के अधिकारियों एवं सेवकों को व्यापक अधिकार प्रदान कर देती है। वहीं दूसरी रतफ उन पर गुरूत्तर दायित्व भी अधिरोपित कर देती है। वस्तुतः नगरपालिका के इन अधिकारियों को वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो एक लोक सेवक को भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्राप्त है और ये उन दायित्वों के अधीनर होंगे जिनके अधीन लोकसेवक है।

2. लोकसेवक—इस शब्द को काफी व्यापाक परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 21 में दी गयी है। यह धारा निम्नवत् प्रस्तुत की जा रही ळै—

''21 **'लोक सेवक'**—लोक सेवका शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जो एतस्मिन्पश्चात् निम्नगत वर्णनों में से किसी में आता है, अर्थात्—

पहला—{***}

दूसरा—भारत सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त आफिसर;

तीसरा—हर न्यायाधीश जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णायिक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो;

चौथा—न्यायालय का हर आफिसर, जिसके अन्तर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आिता है जिसका एक आफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामलें में अन्वेषण या रिपोर्ट करें, या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणितकृत करें, या रखे, या किसी सम्पत्ति का भार संभाले या उस सम्पत्ति का व्ययन करे, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करें, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे और हर व्यक्ति, जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्ही का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो;

पांचवा—किसी न्यायालय या लोकसेवक की सहायता करने वाले हर जूरी सदस्य अग्रेसर या पंचायत का सदस्य;

छठा—हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति, जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्दिशित किया गया हो;

सातवां—हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो, जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो;

आठवां—सरकार का हर आफिसर जिसका ऐसे आफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करें, अपराधों की इतला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करें, या लोक के स्वास्थ्य, श्रेय या सुविधा की संरक्षा करें;

नवॉ–हर आफिसर जिसका ऐसे आफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि सरकार की ओर से किसी सम्पत्ति को ग्रहण करे, रखे या न्याय करें, या सरकार की ओकर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करें, या किसी राजस्व आदेशिका का निश्पादन करे, या सरकार से धन सम्बन्धी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामलें में अन्वेशण या रिपोर्ट करें, या सरकार के धन सम्बन्धी हितों से सम्बन्धित किसी दस्तावेज को बनाये, अधिप्रमाणित करे, या रखे; {***}

दसवॉ–हर आफिसर जिसका ऐसे आफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करें, रखे या व्यय करें, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, या कोई रेट या कर उद्गृहीत करे, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चयन के लिए कोई दस्तावेज बनाये, अधिप्रमाणिकृत करे या रखे;

ग्यारहवॉ–हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाये रखने या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन या निर्वाचन के भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो;

बारहवॉ–हर व्यक्ति, जो

(क) सरकारी सेवा या वेतन में हो, या किसी लोककर्तवय के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो,

(ख) स्थानीय प्राधिकारी की, अथवा केन्द्र, प्रान्त या राज्य के अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित नियम की अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कम्पनी की, सेवा या वेतन में हों,

दृष्टान्त

नगरपालिका आयुक्त लोक सेवक है।

स्पष्टीकरण 1.–ऊपर के वर्णनों में से किसी में आने वाले व्यक्ति लोकसेवक हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हों या नहीं।

स्पष्टीकरण 2.–जहॉ कहीं 'लोकसेवक' शब्द आयें हैं, वे उस हर व्यक्ति के सम्बन्ध में समझे जायेंगे जो लोकसेवक के पद को वास्तव में धारण किए हुए हों, चाहे उस पद के धारण करने में उसके अधिकार में किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि हों।

स्पष्टीकरण 3.–'निर्वाचन' शब्द ऐसे किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोकसेवक प्राधिकारी के नाते, चाहे वह किसी भी स्वरूप का हो, सदस्यों के वरणार्थ निर्वाचन का द्योतक है जिसके लिए वरण की पद्धति किसी विधि के द्वारा या अधीन निर्वाचन के रूप में विहित की गयी हो।

3. लोकसेवकों से सम्बन्धित अपराध–इसके बारें में व्यापक उपबन्ध भारतीय दण्ड संहित की धारा 161 से 171 तक में दिया गया है। अध्ययन की सुविधान हेतु इन धाराओं को क्रमशः निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है–

161. **वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण का लोकसेवक द्वारा पदीय कार्य के लिए लिया जाना**—जो कोई, लोकसेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार का भी कोई परितोषण इस बात के करने हेतु या इनाम के रूप में किसी व्यक्ति से प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहलत करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोकसेवक अपना कोई पदीय कार्य करे या करने में प्रविरत रहे अथवा किसी व्यक्ति को अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह या अनुग्रह दिखाए या दिखाने से प्रविरत रहे अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार या संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल में या धारा 21 में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी निगम या सरकारी कम्पनी में या किसी लोकसेवक के यहां उसकी जैसी हैसियत में किसी व्यक्ति का कोई उपकार या अपकार करेकं या करने का प्रत्यत्न करें, यह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—'लोकसेवक होने की प्रत्याशा रखते हुए यदि कोई व्यक्ति, जो किसी पद पर होने की प्रत्याशा न रखते हुए, दूसरों की अर्हता से यह विश्वास करा कर कि वह किसी पद पर होने वाला है और यह कि तब वह उनका उपकार करेगा, उनसे पारितोषण अभिप्राप्त करेगा, तो वह छल करने का दोषी हो सकेगा किनतु वह इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी नहीं है।'

'परितोषण'—'परितोषण' शब्द धन सम्बन्धी परितोषण तक या उन परितोषणों तक ही जो उनके धन के झांके जाने योग्य है, निर्बधित नही है।

'वैध पारिश्रमिक'—'वैध पारिश्रमिक' शब्द उस पारिश्रमिक तक ही निर्बन्धित नहीं है जिसकी मांग कोई लोकसेवक विधिपूर्ण रूप से कर सकता है, किन्तु उसके अन्तर्गत वह समस्त पारिश्रमिक आता है, जिसको प्रतिगृहीत करने के लिए उस सरकार द्वारा, जिसकी सेवा में वह है, उसे अनुज्ञा दी गयी हो।

'करने के लिए हेतु या इनाम'—वह व्यक्ति, जो बात करने के लिए हेतु के रूप में, जिसे करने का उसका आशय नहीं है, या वह बात करने के लिए इनाम के रूप में, जो उसने नहीं की है, पारितोशण प्राप्त करता है, इन षब्दों के अन्तर्गत आता है।

दृष्टान्त

(क) क एक मुन्सिफ, एक बैंक य से य के पक्ष में किसी मामलें का विनिश्चय करने के लिए क के लिए इनाम के रूप में क के भाई के लिए य के बैंक में एक ओहदा अभिप्राप्त करता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

(ख) क, जो किसी विदेशी राज्य में कौन्सिल का पद धारण किये हुए है, उस राज्य के मन्त्री से एक लाख रूपये प्रतिगृहीत कर लेता है। वह प्रतीत नहीं होता कि क ने यह राशि विशिष्ट पदीय कार्य करने या करने से प्रविरत रहने के, या भारत सरकार में उस राज्य का विशिष्ट उपकार करने या करने का प्रयत्न करने के लिए हेतु या इनाम के रूप में प्रतिगृहीलत की थी। किन्तु यह अवश्य प्रतीत होता है कि क ने उस राशि को उस राज्य के प्रति अपनी पदीय कृत्यों के प्रयोग में साधारणतया अनुग्रह दिखाने के लिए हेतु या इनाम के रूप में प्रतिगृहीत किया था। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

(ग) क, एक लोकसेवक, य को यह गलत विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है कि सरकार के ऊपर क के असर से य को खिताब अभिप्राप्त हुआ है, और इस प्रकार य को इस उपकार के ईनाम के रूप में क को धन देकने के उत्प्रेरित करता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

162. **लोकसेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण कर लेना**—जो कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का भी कोई परितोषण किसी लोकसेवक को भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा इस बात के लिए उत्प्रेरित करने के लिए हेतु या इनाम के रूप में किसी व्यक्ति से प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोकसेवक कोई पदीय कार्य करे या करने से प्रविरत रहे अथवा किसी व्यक्ति को अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह या अनुग्रह

दिखाये अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार या संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल में या धारा 21 में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या सरकारी कम्पनी में या किसी लोक सेवक के यहां उसकी वैसी हैसियत में किसी व्यक्ति को कोई उपकार या अपकार करें या करने का प्रयत्न करे, वह दोनों में से किसी भाति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

163. **लोकसेवक पर वैयक्तिक असर डालने के लिए परितोषण का लेना**—जो कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का भी परितोषण किसी लोकसेवक को अपने वैयक्तिक असर के प्रयोग द्वारा इस बात के लिए उत्प्रेरित करने को सहमत हो या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोकसेक कोई पदीय कार्य करे या करने से प्रविरत रहे अथवा किसी व्यक्ति को ऐसे लोकसेवक के पदीय कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह या अनुग्रह दिखाये अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार या संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल में या धारा 21 में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या सरकारी कम्पनी में या किसी लोक सेवक के यहां उसकी वैसी हैसियत में किसी व्यक्ति को कोई उपकार या अपकार करें या करने का प्रयत्न करे, वह दोनों में से किसी भाति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

दृष्टान्त

एक अधिवक्ता, जो किसी न्यायाधीन के समक्ष किसी मामलें में बहस करने के लिए फीस पाता है, एक व्यक्ति, जो सरकार को सम्बोधित अभ्यावेदन को, जिसमें अभ्यावेदक की सेवाएं और दावे प्रदर्शित है, व्यवस्थित तथा शुद्ध करने के लिए वेतन पाता है; दोषसिद्ध अपराधी का एक वैतनिक अभिकर्ता, जो सरकार सरकार के समक्ष ऐसे कथनों को रखता है, जिनसे यह प्रकट होता है कि दोषसिद्धि अन्यायपूर्ण थी, इस धारा के अन्तर्गत इसलिए नहीं आते है कि वे वैयक्तिक असर का प्रयोग नहीं करते या प्रयोग करना प्रव्यक्त नहीं करते।

164. धारा 162 या 163 में परिभाषित अपराधों के लोकसेवक द्वारा दुष्प्रेरण के लिए दण्ड—जो कोई ऐसा लोकसेवक होते हुए, जिसके बारें में उन अपराधों में से कोई अपराध किया जाये, जो पूर्वगामी अन्तिम दो धाराओं में परिभाषित है, उस अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

दृष्टान्त

क एक लोकसेवक है। क की पत्नी ख किसी विशिष्ट व्यक्ति को कोई पद दिलवाने के लिए क से अनुनय करने के लिए हेतु स्वरूप उपहार प्राप्त करती है। क ऐसा करने के लिए उसे दुष्प्रेरित करता है ख एक वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय है। क कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय है।

165. **लोकसेवक, जो ऐसे लोकसेवक द्वारा की गयी कार्यवाही या कारागार से सम्युक्त व्यक्ति से, प्रतिफल के बिना, मूल्यवान चीज अभिप्राप्त करता है**—जो कोई लोकसेवक होते हुए, अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिए,

किसी व्यक्ति से यह जानते हुए कि ऐसे लोकसेवक द्वारा की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही या कारबार से वह व्यक्ति सम्मृक्त रह चुका है, या है या उसका सम्मृक्त होना संभाव्य है या स्वयं उसके या किसी ऐसे लोकसेवक के, जिसका वह अधीनस्थ है, पदीय कृत्यों से वह संसक्त है,

अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से यह जानते हुए कि वह इस प्रकार सम्पृक्त व्यक्ति से हितबद्ध है या नातेदारी रखता है,

किसी मूल्यवान चीज को किसी प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए जिसे वह जानता हो कि अपर्याप्त है, प्रतिगृहीत करेगा या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा।

वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

दृष्टान्त

(क) एक कलेक्टर क जिसके समक्ष य का एक व्यवस्थापन मामला लम्बित है, य का गृह भाड़े पर लेता है। यह करार हो जाता है कि क पचास रूपये प्रतिमाहस घटा देगा। गृह ऐसा था कि यदि सौदा सदभावपूर्वक किया जाता तो क को दो सौ रूपये प्रतिमास देने पड़ते। क ने पर्याप्त प्रतिफल के बिना य से मूल्यवान जीच अभिप्राप्त की है।

(ख) क एक न्यायाधीश, य से, जिसका एक मामला क के न्यायालय में लम्बित है, सरकारी वचन पत्र बट्‌टे पर खरीदता है, जबकि बाजार में वे प्रीमियम पर बिक रहे है। क ने यह से पर्याप्त प्रतिफल के बिना मूल्यवान चीज अभिप्राप्त की है।

(ग) य का भाई शपथ भंग के आरोप में पकड़ा जाता है और एक मजिस्ट्रेट क के समक्ष लाया जाता है। य को एक बैंक के अंश क प्रीमियम पर बेचता है जबकि बाजार में उसका विक्रय बट्‌टे पर हो रहा है। य अंशों के लिए क को तदनुकूल भुगतान करता है। क द्वारा इस प्रकार अभिप्राप्त किया हुआ धन मूल्यवान चीज है, जो उसके पर्याप्त प्रतिफल के बिना अभिप्राप्त की है।

165—क. **धारा 161 या 165 में परिभाषित अपराधों के दुश्प्रेरण के लिए दण्ड**—जो कोई धारा 161 या धारा 165 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया हो या नहीं, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

166. **लोकसेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है**—जो कोई लोकसेवक होते हुए विधि से किसी ऐसे निदेश की, जो उस ढंग के बारें में हो, जिस ढंग से लोकसेवक के नाते उसे आचरण करना है, जानते हुए अवज्ञा इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसी अवज्ञा से वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करेगा, वह सादा करावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

दृष्टान्त

क, जो एक आफिसर है और न्यायालय द्वारा य के पक्ष में दी गई डिक्री की तुष्टि के लिए निष्पादन में सम्पत्ति लेने के लिए विधि द्वारा निदेशित है, यह ज्ञान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि तद्‌द्वारा वह य की क्षति कारित करेगा, जानते हुए विधि के उस निदेश की अवज्ञा करता है; क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

167. **लोकसेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है**—जो कोई लोकसेवक होते हुए और ऐसे लोकसेवक के नाते किसी दस्तावेज की रचना या अनुवाद करने का भारवहन करते हुए उस दस्तावेज की रचना या अनुवाद ऐसे प्रकार से जिसे वह जानता हो या विश्वास करता हो कि अशुद्ध है, इस आशय से, या यह संभाव्य जाते हुए करेगा, कि तद्‌द्वारा वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

168. **लोकसेवक, जो विधि विरूद्ध रूप से व्यापार में लगता है**—जो कोई लोकसेवक होते हुए और ऐसे लोकसेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह व्यापार में न लगे, व्यापार में लगेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक ही हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

169. **लोकसेवक, जो विधि विरूद्ध रूप से सम्पत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है**—जो कोई लोकसेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह अमुक सम्पत्ति की न तो क्रय करे और न उसके लिए बोली जगाए, या तो अपने मित्र के नाम में या किसी दूसरे के नाम से अथवा दूसरों के साथ संयुक्त रूप से, या अंशों में, उस सम्पत्ति को क्रय करेगा, या उसके लिए बोली लगाएगा, वह सादा करावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा और यदि वह सम्पत्ति क्रय कर ली गई है, तो वह अधिहृत कर दी जायेगी।

170. **लोकसेवक का प्रतिरूपण**—जो कोई किसी विशिष्ट पद को लोकसेवक के नाते धारण करने का अपदेय यह जानते हुए करेगा कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है या ऐसा पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का छद्‌म प्रतिरूपेण करेगा ओर ऐसे बनावटी रूप में ऐसे पदाभाष से कोई कार्य करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

171. **कपटपूर्ण आशय से लोकसेवक के उपभोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना**—जो कोई लोकसेवकों से किसी खास वर्ग का न होते हुए, इस आशय से कि वह विश्वास किया जाये या इस ज्ञान से कि सम्भाव्य है कि यह विश्वास किया जाए; कि वह लोकसेवकों के उस वर्ग का है, जोकसेवकों के उस वर्ग द्वारा उपयोग में लागए जाने वाली पोशाक के सदृश पोशाक पहनेगा या टोनक के सदृश कोई टोकन धारण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो सौ रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

85. **विनिर्दिष्ट नगरपालिका सेवकों को अपने कर्तव्यों के पालन करने में चूक करने के लिए शास्ति**—(1) नगरपालिका द्वारा नियोजित सफाई कर्मचारी जो—

(क) सिवाय सेवा की लिखित शर्तो के अनुसार या नगरपालिका की अनुज्ञा के, अपने नियोजन से त्याग पत्र देता है या उसका परित्याग करता है; या

(ख) बिना ऐसे यथोचित कारण के जिसका, जहां सम्भव हो, नगरपालिका को नोटिस दे दिया गया हो, अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहता है;

दोषसिद्ध ठहराये जाने पर, कारावास के दण्ड का भागी होगा जो दो मास तक का हो सकता है।

(2) विहित प्राधिकारी निदेश दे सकता है कि किसी भावी विनिर्दिष्ट दिनांक से उपधारा (1) के उपबन्ध नगरपालिका द्वारा नियोजित किसी ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट वर्ग के सेवकों पर भी लागू होगी, जिनके कृत्यों का लोकस्वास्थ्य या सुरक्षा से घनिष्ठ सम्बन्ध हो,

परन्तु विहित प्राधिकारी इस उपधारा के अधीन कोई आदेश देता है, तो वह तत्काल उसकी एक प्रतिलिपि आदेश देने के अपने कारणों के विवरण सहित, राज्य सरकार को भेजेगा, जो तदुपरान्त उस आदेश को विखण्डित कर सकती है या यह निदेश दे सकती है कि वह उपान्तर सहित या उसके बिना स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे, प्रवृत्त रहेगा।

अध्याय 3
कार्य संचालन
नगरपालिका की बैठकें और उनकी कार्यवाहियां

86. **नगरपालिका की बैठकें.**—(1) नगरपालिका की कम से कम एक बैठक प्रतिमास उस दिन होगी जो विनियम द्वारा निश्चित की जाए या जिसके बारें में उस रीति से, जिसका विनियम द्वारा इस निमित्त उपबन्ध किया गया हो, नोटिस दिया जाए;

(2) अध्यक्ष जब उचित समझे एक बैठक बुला सकता है और नगरपालिका के पते पर प्राप्ति स्वीकृत की अपेक्षा सहित रजिस्ट्री डाक द्वारा उसके कार्यालय भेजा गया पंचमांश से अन्यून सदस्यों के लिखित अधियाचन पर, जो अध्यक्ष पर तामील किया जाये या नगरपालिका हो, ऐसे अधियाचन को तामीन या प्राप्ति के दिनांक से 15 दिन की अवधि के भीतर एक बैठक बुलायेगा;

परन्तु अध्यक्ष ऐसा नोटिस देकर उसकी व्यवस्था इस निमित्त विनियम द्वारा की गयी हो, उपरोक्त रूप से सदस्यों के अधियापन पर बुलाई गयी बैठक से भिन्न किसी बैठक को, अभिलिखित किये गये कारणों से स्थगित कर सकता है।

(3) बैठक अगले दिन या किसी पश्चात्वर्ती दिन के लिए स्थगित की जा कसती है और कोई स्थगित बैठक उसी रीति से अग्रेततर स्थगित की जा सकती है।

(4) प्रत्येक बैठक नगरपालिका के कार्यालय में यदि कोई हो या ऐसे अन्य सुविधाजनक स्थान पर जिनके वारे में सम्यक् रूप से नोटिस दे दिया गया हो, की जायेगी।

(5) अध्यक्ष उस सदस्य के नाम की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा जो नगरपालिका से स्वीकृति प्राप्त किये बिना नगरपालिका की बैठकों में लगातार तीन मास तक अथवा लगातार तीन बैठकों में जो अवधि दीर्घ हो, अनुपस्थित रहा हो।

87. **बैठकों में कार्य–सम्पादन.**—विनियम द्वारा इस निमित्त बनाये गये किसी प्रतिकूल उपबन्ध के अधीन रहते हुए, किसी बैठक में कोई भी कार्य किया जा सकता है—

परन्तु कोई ऐसा कार्य, जो विशेष संकल्प द्वारा किया गया जाना अपेक्षित हो, तभी किया जायेगा जब तक कि ऐसा काग्र करने के अभिप्राय की नोटिस न दे दी गयी हो—

परन्तु यह भी कि इस धारा की कोई बात ऐसे प्रस्ताव पर लागू नहीं होगी कि नगरपालिका अध्यक्ष के प्रति प्रति अविश्वास प्रकट करने का संकल्प अंगीकार करे या ऐसे प्रस्ताव पर किस नगरपालिका अध्यक्ष से पद त्यागी को मांग करने या संकल्प अंगीकार करें।

87—क. **अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव**—(1) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव केवल नीचे निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(2) नगरपालिका के अध्यक्ष में अविश्वास का प्रस्ताव करने के अभिप्राय की लिखित नोटिस, जो नगरपालिका के कुल सदस्यों के आधे से न्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो, उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि के साथ जिसे प्रस्तुत करने का विचार हो, नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले किन्हीं दो सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक साथ जिला मजिस्ट्रेट को दी जायेगी।

(3) तब जिला मजिस्ट्रेट उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठकें आयोजित करेगा, जो उसके द्वारा नियत किये गये ऐसे दिनांक और समय पर नगरपालिका के कार्यालय में होगी जो उस दिनांक से जिस दिनांक को उपधारा (2) के अधीन उसे नोटिस दिया गया था, 30 दिन के पूर्व और 35 दिन के पश्चात् नहीं होगी। वह बैठक के दिनांक से कम से कम 7 पूरे दिन पूर्व, नगरपालिका के प्रत्येक सदस्य के पास

उसके निवास पर रजिस्ट्री डाक द्वारा ऐसी बैठक और इस निमित्त नियत दिनांक और समय का नोटिस भेजेगा और साथ ही ऐसी नोटिस को उस रीति से, जिसे वह उचित समझे, प्रकाशित करायेगा। तदुपरान्त यह समझा जायेगा कि प्रत्येक सदस्य के पास नोटिस पहुंच गयी है।

(4) जिला मजिस्ट्रेट जिला न्यायाधीश से इसकी व्यवस्था करायेंगे कि एक वैतनिक सिविल न्यायिक अधिकारी इस धारा के अधीन आयोजित बैठक की अध्यक्षता करे और कोई अन्य व्यक्ति उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। यदि बैठक के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर, बैठक की अध्यक्षता करने के लिए न्यायिक अधिकारी उपस्थिति न हो, तो बैठक ऐसे दिनांक और समय के लिए स्थगित हो जायेगी जो उपधारा (5) के अधीन उस अधिकारी द्वारा नियत किया जाय और सदस्यों को अधिसूचित किया जाय।

(5) यदि न्यायिक अधिकारी बैठक अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो वह अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात् उस बैठक ऐसे अन्य दिनांक और समय के लिए स्थगित कर सकता हे जिसे वह नियत करें, किन्तु ऐसा दिनांक उपधारा (3) के अधीन बैठक के लिए नियत दिनांक से 15 दिन के बार का न होगा। वह बैठक के स्थगन की लिखित संसूचना अविलम्ब जिला मजिस्ट्रेट को देगा। स्थगित बैठक के दिनांक आध्रैर समय की नोटिस सदस्यों को अलग–अलग भेजना आवश्यक न होगा, किन्तु जिला मजिस्ट्रेट स्थगित बैठक के दिनांक और समय की नोटिस, उपधारा (3) में उपबन्धित रीति से प्रकाशन द्वारा देगा।

(6) उपधारा (4) और (5) में किये गये उपबन्ध के सिवाय, इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव पर विचार करने के प्रयोजनार्थ आयोजित बैठक किसी अन्य कारण से स्थगित नहीं की जायेगी।

(7) इस धारा के अधीन आयोजित बैठक के प्रारम्भ होते ही, न्यायिक अधिकारी नगरपालिका को तब प्रस्ताव पढ़कर सुनायेगा जिस पर विचार करने के लिए बैठक आयोजित की गई है और यह घोषित करेगा कि अब उस पर चर्चा की जा सकती है।

(8) इस धारा के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित नहीं की जायेगी।

(9) बैठक के प्रारम्भ होने के लिए नियम समय से तीन घन्टे व्यतीत होने पर ऐसी चर्चा, यदि वह पहले ही समाप्त न हो, स्वतः समाप्त हो जायेगी, यथास्थिति वाद–विवाद की समाप्ति पर या उस तीन घन्टे की, अवधि व्यतीत होने पर, प्रस्ताव नगरपालिका के समक्ष मतदान के लिए रखा जायेगा।

(10) न्यायिक अधिकारी प्रस्ताव के गुणदोष पर कोई विचार व्यक्त नहीं करेगा और न वह प्रस्ताव पर मत देने का हकदार होगा।

(11) बैठक की समाप्ति पर न्यायिक अधिकारी बैठक के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि को प्रस्ताव को प्रतिलिपि और उस पर मतदान के परिणाम के साथ अविलम्ब अध्यक्ष और जिला मजिस्ट्रेट को भेज देगा;

परन्तु यदि अध्यक्ष इस प्रकार भेजी गयी प्रतिलिपियों को लेने से इंकार करता है, या बचता है, तो उसके अन्तिम ज्ञात निवास स्थान के बाहरी द्वार पर उन्हें चिपका दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि उसने इस प्रकार चिपकायें जाने के समय उन्हें प्राप्त कर लिया है।

(11–क) उपधारा (ख) में उल्लिखित प्रतिलिपियां प्राप्त हिोने के दिनांक से तीन दिन के बाद, यथाशक्य षीघ्र जिला मजिस्ट्रेट उन्हें राज्य सरकार को भेज देगा और यदि अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया हो, तो उसके साथ वह रिपोर्ट भी भेजेगा कि अध्यक्ष ने धारा 47 और धारा 47–क के उपबन्धों के अनुसार अपना त्याग–पत्र भेज दिया है या नहीं।

(12) प्रस्ताव तभी स्वीकृत हुआ समझा जायेगा जब वह नगरपालिका के कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित हुआ हो।

(13) यदि प्रस्ताव तथा उपर्युक्त बहुमत द्वारा स्वीकृत न किया जाय या यदि बैठक गणपूर्ति के अभाव के कारण, जो तत्समय नगरपालिका की कुल सदस्य संख्या के, दो तिहाई से कम नहीं होंगे न हो सके तो उसी अध्यक्ष में अविलश्वास के प्रैस्ताव की कोई अनुवर्ती नोटिस प्राप्त नहीं किया जायेगा जब तक कि बैठक के दिनांक से दो वर्ष की अवधि व्यतीत न हो जाय।

(14) इस धारा के अधीन अविश्वास के प्रस्ताव को कोई नोटिस अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाएगी।

(15) इस धारा के उपबन्धों के अनुसरण में, नगरपालिका के किसी सदस्य, जिला मजिस्ट्रेट, न्यायिक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी कार्य पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति न की जायेगी।

संक्षेप

1.	विधायी परिवर्तन (Legislative changers)	10.	'कम से कम 7 दिन पूर्व' पद का अभिप्राय
2.	धारा 87–क का उद्देश्य एवं विस्तार	11.	उपधारा (4) एवं (5)
3.	उपधारा (1)	12.	उपधारा (9)
4.	अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस उपधारा (2)	13.	उपधारा (12)
5.	उपधारा (3)	14.	उपधारा (13)
6.	उपधारा (3) आज्ञापक प्रवृति की हैं	15.	उपधारा (12) और उपधारा (13) में अन्तर
7.	उपधारा (3) में प्रयुक्त '30 दिन के पूर्व और 35 दिन के पश्चात् नहीं होगी' पद का अभिप्राय	16.	उपधारा (14)
8.	नोटिस तामील करने की रीति	17.	उपधारा (14) और धारा 13–च
9.	क्या नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् बैठक में उपस्थित होने के लिए सदस्य या अध्यक्ष बाध्य है।	18.	उपधारा (15)
		19.	जिला मजिस्ट्रेट

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changers)**–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की इस धारा में पश्चात्वर्ती संशोधन अधिनियमों द्वारा कई बार संशोधन किये गये है। इन संशोधन को क्रमशः निम्नवत् प्रस्तुत किया जा रहा है–

(क) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1995 द्वारा उपधारा (11–क) जोड़ी गयी।

(ख) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1964 द्वारा उपधारा (11) में विद्यमान परन्तुक जोड़ा गया एवं उपधारा 13 में 'गणपूर्ति के अभाव और कारण' और 'न हो सके तो' शब्दों के बीच में निम्नलिखित शब्दों को अन्तः स्थापित किया गया–''जो तत्समय बोर्ड की कुल सदस्य संख्या के आधे से कम नहीं होंगे।''

(ग) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 41, सन् 1976 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा को प्रतिस्थापित किया गया–

''(2) बोर्ड के अध्यक्ष में अविश्वास का पस्ताव करने के आशय की लिखित नोटिस, जो बोर्ड के कुल सदस्यों के दो तिहाई से अन्यूनतम सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो, उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि के साथ जिसे प्रस्तुत करने का विचार हो, नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले किन्हीं दो सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक साथ जिला मजिस्ट्रेट को दी जायेगी।''

इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा उपधारा (12), (13) एवं (14) को भी प्रतिस्थापित कर दिया गया जो विद्यमान उपधाराओं जैसी ही थी।

(घ) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 1982 द्वारा उपधारा (2) एवं (12) में प्रयुक्त, 'दो तिहाई' शब्दों के स्थान पर 'आधे से अधिक' शब्दों को प्रतिस्थापित कर दिया गया।

(ङ) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 1990 द्वारा उपधारा (13) एवं (14) में प्रयुक्त 'दो वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्दों को प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसके अलावा उपधारा (13) में प्रयुक्त 'दो तिहाई से कम नहीं होंगे' शब्दों के स्थान पर 'आधे से अधिक होंगे' शब्दों को प्रतिस्थापित कर दिया गया।

(च) इस धारा में अन्तिम बार संशोधन उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1992 द्वारा किया गया है। इसके द्वारा उपधारा (12) में प्रयुक्त 'आधे से अधिक' शब्दों के स्थान पर पुनः 'दो तिहाई' शब्दों को प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसी प्रकार उपधारा (13) एवं (14) में प्रयुक्त 'एक वर्ष' शब्दों के स्थान पर पुनः 'दो वर्ष' शब्दों को प्रतिस्थापित कर दिया गया। उपधारा (13) में प्रयुक्त ''आधे से अधिक होंगे'' शब्दों के स्थान पर पुनः ''दो तिहाई से कम नहीं होगें' शब्दों को प्रतिस्थापित कर दिया गया।

2. धारा 87—क का उद्देश्य एवं विस्तार—यह धारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की काफी महत्वपूर्ण धारा हो जो कि नगरपालिका के निर्वाचित अध्यक्ष के विरूद्ध नगरपालिका के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने के लिए प्रक्रिया विहित करती है, जिसका अनुपालन बाध्यकारी है।

3. उपधारा (1)— उपधारा (1) आज्ञपक प्राकृति उपबन्ध करती है और उपबन्धित करती है कि नगरपालिका के अध्यक्ष के विरूद्ध कोई भी अविश्वास प्रस्ताव उप धारा (2) से (15) तक में विहित प्रक्रिया के अनुसार ही लाया जायेगा। इसके अलावा कोई अन्य प्रक्रिया नहीं अपनायी जायेगी। इस उपधारा में ''Shall'' शब्द का प्रयोग इसे बाध्यकारी स्वरूप प्रदान करता है।

4. अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस उपधारा (2)—इस उपधारा के अनुसार किसी नगरपालिका के अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिये जाने हेतु निम्नलिखित दो बातें आवश्यक हैं—

(क) नोटिस नगरपालिका के कुल सदस्यों के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए।

(ख) ऐसी नोटिस को, उस पर हस्ताक्षर करने दो सदस्यों द्वारा एक साथ व्यक्तिगत रूप से जिला मजिस्ट्रेट को दी जायेगी।

उपधारा (2) के अन्तर्गत नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले दो सदस्यों द्वारा एक साथ व्यक्तिगत रूप से जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस दिये जाने से अभिप्राय यह है कि ऐसी नोटिस जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले कम से कम दो सदस्यों की उपस्थिति में दी जायेगी।

उपधारा (2) के उपबन्ध आदेशात्मक प्रकृति के हैं न कि मात्र निदेशात्मक प्रकृति के।

5. उपधारा (3)— उपधारा (3) के अनुसार नगरपालिका के अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नगरपालिका के आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस जब दो सदस्यों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को दी जाये तो वह उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए नगरपालिका की बैठक आयोजित करेगा। ऐसी बैठक नगरपालिका कार्यालय में आयोजित की जायेगी। इस बैठक के लिए नियत अवधि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् तीस दिन की अवधि से पूर्व ओर 35 दिन के बाद नहीं होगी। ऐसी तिथि नियम करने के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट ऐसी

तिथि से कम एक सप्ताह पूर्व नगरपालिका के प्रत्येक सदस्य के निवास के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा पूरे विवरण के साथ इसकी सूचना प्रेष्ति करेगा और आवश्यक होने पर किसी अन्य प्रकार से भी उसका प्रकाशन करा सकेगा।

जहां उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 87—क के अधीन नोटिस से बैठक की तिथि, समय और स्थान विनिर्दिष्ट है और उसमें यह भी विनिर्दिष्ट है कि बैठक बोर्ड के अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए होगी, तब नोटिस के साथ अविश्वास प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्रेषित करना आवश्यक नहीं है, और ऐसी नोटिस अपने आप में पर्याप्त मानी जायेगी। यदि विधायिक का आराम होता कि प्रस्ताव मूल रूप से प्रत्येक सदस्य को सूचित किया जाये, तो वह यह उपबन्ध कर सकती थी कि नोटिस में बैठक की तिथि, समय, स्थान एवं उद्‌देश्य के अलावा प्रस्ताव का पूर्ण पाठ भी उल्लिखित किया जाये।

6. उपधारा (3) आज्ञापक प्रवृति की हैं—87—क की भाशा एवं उसके उद्‌देश्य को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि 35 दिन के भीतर बैठक आयोजित करने और बैठक को स्थगित करने के बारें में विहित प्रक्रिया मात्र निदेशात्मक प्रकृति की है। यह प्रक्रिया मामलें की जड़ तक को प्रभावित करती है और इसका अनुपालन सम्पूर्ण कार्यवाही को दूषित करत देगा।

यदि धारा 87—क की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित नोटिस किसी सदस्य को प्रेषित नहीं की जाती है, तो आयोजित बैठक वैध नहीं मानी जायेगी और ऐसी बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित होगी। कोई निगम सांविधि में उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित बैठकों के माध्यम से ही कार्य कर सकता है। किसी निगम या निगमित कार्य विधि द्वारा तभी मान्य हो सकता है जबकि वह सुसंगत संविधि के उपबन्धों के अनुसार किया गया हो। प्रत्येक सदस्य को इसी सूचना देना और इस शर्त का अनुपालन कितये बिना बुलायी गयी बैठक और की गयी कार्यवाही पूर्णतः अधिकारिताविहीन होगी।

धारा 87—क की उपधारा (3) के उपबन्ध मात्र निदेशात्मक नहीं हैं अपितु आज्ञापक है। यदि बैठक के बारें में निर्णय जिला मजिस्ट्रेट के बजाय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, तो वह निर्णय शून्य होगा।

जहां धारा 87'क (3) में उल्लिखित नोटिस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक आयोजित करने हेतु तिथि, स्थान एवं समय के बारें में निर्णय लिये जाने के पश्चात्, उस बोर्ड के सदस्यों को प्रेष्निहीं की जाती है, ऐसी बैठक की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही दोषपूर्ण होगी।

धारा 87—क की उपधारा (3) आवश्यक रूप से यह उपबन्ध करती है कि जिला मजिस्ट्रेट नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार हेतु बैठक आयोजित करने से पूर्व नगरपालिका के सभी सदस्यों को नोटिस देगा। यह उपबन्ध आज्ञापक है और इसका अनुपालन बैठक के उद्‌देश्य को ही निष्फल कर देगा, किन्तु नोटिस तामील करने और उसे प्रकाशित करने की रीति के बारें में उपबन्ध निदेशात्मक है।

धारा 87—क (3) जिलाधिकारी के बोर्ड के सदस्यों को पंजीकृत डाक के अलावा अन्य माध्यमों द्वारा सूचना भेजने से प्रतिबन्धित नहीं करती है। एक बार जब उपधारा (2) के अन्तर्गत बोर्ड के पर्याप्त सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की सूचना दे दी जाती है तो यह जिलाधिकारी का कर्तव्य है कि वह बोर्ड के सभी सदसयों की बैठक बुलाने के लिए सूचना प्रेषित करें, किन्तु अपेक्षित यह है कि ऐसी नोटिस इस रीति से प्रेषित की जानी चाहिए ताकि वह बोर्ड के सदस्यों को बैठक होने से सात दिन पूर्व प्राप्त हो सकें। यदि सूचना बैठक होने से 7 दिन पूर्व पंजीकृत डाक और प्रकाशन से भिन्न माध्यम द्वारा भी तामील कर दी जाती है, तो उपधारा (3) का पर्याप्त अनुपालन माना जायेगा। निःसन्देह 28—10—1991 को बैठक बुलाने हेतु सूचना 21—10—1991 को पंजीकृत उाक द्वारा प्रेशित की गयी और इस प्रकार इस बीच सात दिन का अवसर नहीं था। अतः निश्चित रूप से यह अभिधारित किया जाता है कि 21—10—1991 को नोटिस वैध नहीं थी, किन्तु याचीगण द्वारा बात से कही भी इन्कार नहीं किया गया जो कि प्रतिपक्षीगण द्वारा अपने प्रतिशपथ पत्र में कही गयी है कि 19—10—1991 को ही जिलाधिकारी द्वारा बैठक आहूत

करने की सूचना सदस्यों को भेज दी गयी और वह सूचना उन्हीं उसी दिन प्राप्त हो गयी। इस प्रकार यह उपधारा (3) का पर्याप्त अनुपालन माना जायेगा और 19–10–1991 की सूचना को चुनौती नहीं दी जा सकती।

7. **उपधारा (3) में प्रयुक्त '30 दिन के पूर्व और 35 दिन के पश्चात् नहीं होगी' पद का अभिप्राय**–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 87–क की उपधारा (3) में प्रयुक्त '30 दिन के पूर्व या नहीं' पद को '30 से कम नहीं' पद के समान नहीं माना जा सकता है। जहां 'अमुक दिन से कम नहीं' पद का प्रयोग होता है वहां उन दिनों की गणना करते दोनों सीमावर्ती दिनों को अपवर्णित कर दिया जाता है और उल्लिखित दिनों की संख्या पूर्ण होती है, किन्तु जहां 'अमुक दिन से पूर्व नहीं' पद का प्रयोग होता है वहां स्थिति भिन्न होती है। इस आशय मात्र यह होता है कि 30 दिन से पूर्व बैठक नहीं होगी अर्थात् बैठक 29वें दिन तक नहीं होगी, किन्तु बैठक 30वें दिन हो सकती है। इस प्रकार यहां 30 पूर्ण दिनों के व्यतीत होने की आवश्यकता नहीं है और अन्तिम सीमावर्ती दिन को दिनों की एवं गणना करते समय अपवर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार '35 दिन के पश्चात् नहीं' पद का अभिप्राय है कि बैठक 35वें दिन तक हो सकती है किन्तु 36वें दिन नहीं हो सकती है।

8. **नोटिस तामील करने की रीति**–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 87–क की उपधारा (3) के अन्तर्गत नगरपालिका के सदस्यों को नोटिस तामीन करने की रीति पंजीकृत डाक विहित की गयी है। इसके अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यदि नोटिस नगरपालिका के प्रत्येक सदस्य को कम से कम सात दिन पूर्व पंजीकृत डाक से प्रेषित कर दी जाती है और नोटिस का प्रकाशन, उस रीति से जिसे वह आवश्यक समझे, करा दिया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि प्रत्येक सदस्य के पास नोटिस पहुंच गयी है।

धारा 87–क की उपधारा (3) के अन्तर्गत पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस प्रेषित किये जाने और उसका प्रकाशन कराये जाने के बारें में उपबन्ध निदेशात्मक प्रकृति का है न कि आज्ञापक प्रकृति का किन्तु यदि नोटिस पंजीकृत डाक से भिन्न रीति से प्रेशित की जाती है, तो फिर यह नहीं समझा जायेगा कि नोटिस उस सदस्य के पास पहुंच गयी है और उस स्थिति में यह विशेष रूप से सिद्ध करना पड़ेगा कि नोटिस उस सदस्य तक पहुंच गयी है।

यदि धारा 87–क के अधीन किसी सदस्य को बैठक के बारें में नोटिस पंजीकृज डाक से न भेजकर किसी अन्य रीति से भेजी जाती है, तो बैठक और उसकी की गयी कार्यवाहियॅा मात्र इस आधार पर अवैध नहीं हो जायेगी बशर्ते कि यह सिद्ध हो जाये कि नोटिस उस सदस्य को प्राप्त हो गयी थी और बैठक के बारें मे उसे परिज्ञान था।

यदि कोई सदस्य बैठक में उपस्थिति नहीं होता है तो इसका अभिप्राय यह नहीं कि उसे नोटिस तामील नहीं हुई है, बशर्ते कि यह सिद्ध न कर दिया जाय कि उसे नोटिस पंजीकृत डाक से भिन्न रीति से प्रेषित की गयी थी और उसे बैठक के बारें में कोई परिज्ञान नहीं था।

9. **क्या नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् बैठक में उपस्थित होने के लिए सदस्य या अध्यक्ष बाध्य है?**–इस प्रश्न पर विचार करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने डा0 बी0एन0 सरन के मामलें संप्रेक्षित किया कि यदि धारा 87–क की उपधारा (3) के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित नहीं की जाती है तो वह बैठक विधि विरूद्ध होगी, किन्तु यदि नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् भी सदस्य बैठक में उपस्थिति नहीं होता है तो इससे बैठक और उसमें की गयी कार्यवाही विधि विरूद्ध नहीं हो जायेगी। कारण है कि नोटिस प्राप्त के पश्चात् भी कोई सदस्य बैठक में उपस्थित होने या न होने के लिए स्वतन्त्र है, किन्तु बैठक में जानबुझकर उपस्थित न होने पर बाद में वह उस बैठक या उसमें की गयी कार्यवाहियों के बारें में आपत्ति नहीं कर सकता है।

10. **'कम से कम 7 दिन पूर्व' पद का अभिप्राय**–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 87–क की उपधारा (3) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नगरपालिका के सदस्यों को नोटिस दिये जाने के लिए एक और आवश्यक शर्त यह है कि ऐसी नोटिस बैठक

के लिए नियत दिनांक से कम से कम सात पूरे दिन पूर्व प्रेषित कर दी जानी चाहिए। यहां 7 दिन नोटिस प्रेषित किये जाने के अगले दिन से प्रारम्भ होंगे और बैठक का दिन 7 दिनों की संगणना में से अपवर्जित कर दिया जायेगा।

आमीन खालिद वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति बी0एम0 लाल एवं माननीय न्यायमूर्ति मारकण्डे काटजू की खण्डपीठ ने संप्रेक्षित किया कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 87–क की उपधारा (3) का प्रथम भाग जिसके अनुसार जिलाधिकारी द्वारा बैठक आहूत करना और सदस्यों को नोटिस भेजना आज्ञापक है। इस उपबन्ध का किसी भी प्रकार का अनादर बैठक के प्रयोजन को निरर्थक बना देगी। विधायिका ने स्वविवेक से 7 दिन की स्पष्ट सूना दिये जाने का उपबन्ध किया है और ''shall'' शब्द का प्रयोग किया है।

11. **उपधारा (4) एवं (5)**–इस धारा की उपधारा (4) एवं उपधारा (5) के अनुसार नगरपालिका अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा की जायेगी, किन्तु यदि न्यायिक अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ रहता है तो यह कारण सहित बैठक को किसी अन्य दिनांक से लिए स्थगित कर सकता है।

उपधारा (5) के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि न्यायिक अधिकारी बैठक में उपस्थित हों और तब बैठक को स्थगित करें, क्योंकि उपधारा (4) स्पष्ट शब्दों में यह विहित करती है कि यदि बैठक की अध्यक्षता करने के लिए न्यायिक अधिकारी उपस्थित न हो, तो बैठक ऐसे दिनांक और समय के लिए स्थगित हो जायेगी जो उपधारा (5) के अधीन उक्त अधिकारी द्वारा नियत किया जाय और सदस्यों को सूचित किया जाय। इसलिए यह सोचना आधारहीन लगता है कि यदि न्यायिक अधिकारी पहले से यह जानता है कि वह बैठक की अध्यक्षता में समर्थ नहीं होग, तो बैठक को पहले ही स्थगित करने की उसे शक्ति नहीं होगी। दूसरे शब्दों में यदि न्यायिक अधिकारी को पहले सही यह परिाात है कि नियम तिथि को वह बैठक की अध्यक्षता नहीं कर पायेगा, तो वह बैठक को उससे पूर्व ही स्थगित कर सकता है और इसके लिए उसे बैठक होने तक इन्तजार करने और बैठक में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

12. **उपधारा (9)**–धारा 87–क की उपधारा (9) अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए आयोजित बैठक में बहस के लिए अवधि नियत करती है। यह अवधि अधिकतम तीन घंटे की है। इसके अनुसार यदि बहस पहले ही समाप्त न हो तो तीन घंटे की अवधि समाप्त होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी और तत्पश्चात् प्रस्ताव पर मतदान होगा।

उपधारा (9) के अन्तर्गत मतदान की पद्धति के बारें में कुछ भी उपबन्धित नहीं किया गया है। यह धारा इस बात को मतदान अधिकारी के विवेक पर छोड़ देती है। अतः यदि मतदान अधिकारी मतदान हेतु 'हाथ उठाने' की पद्धति अपनाता है तो इसमें उसके द्वारा किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं हो गयी है।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 87–क की उपधारा (9) में मतदान के लिए कोई पद्धति विहित नहीं की गयी है, अपितु इसमें मात्र 'प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष मतदान के लिए रखा जायेगा' शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार मतदान के लिए मतदान अधिकारी द्वारा स्वविवेक से कोई भी पद्धति अपनायी जा सकती है। सामान्यता खुले मतदान की दशा में हाथ उठाकर मतदान किया जाता है। कभी–कभी आवाज के द्वारा भी मतदान किया जाता है, किन्तु यह उपधारा गुप्त मतदान को वर्णित नहीं करती है। अतः मतदान अधिकारी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर गुप्त पद्धति द्वारा मतदान कराया जाना अवैधानिक नहीं है।

13. **उपधारा (12)**–इसके अनुसार नगरपालिका के अध्यक्ष के विरूद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव केवल तभी स्वीकृत हुआ समझा जायेगा जबकि नगरपालिका के कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित हुआ हो। इस प्रकार यदि कोई प्रस्ताव तत्समय नगरपालिका की कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, तो यह स्वीकृत हुआ नहीं समझा जायेगा।

14. **उपधारा (13)**—यह उपधारा उपबन्धित करती है कि यदि निम्नलिखित में से किसी कारणवश कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है, तो उसी अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए दुबारा नोटिस दो वर्ष से पहले नही दीर जायेगी—

(क) प्रस्ताव नगरपालिका के कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा स्वीकृत न किया जाय;

(ख) गणपूर्ति के अभाव में।

जहां इनमें से कोई भी स्थिति नहीं आती है ओर अविश्वास प्रस्ताव किसी अन्य कारण से निश्फल हो जाता है, तो वहां दो वर्ष का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा और अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस किसी भी समय दी जा सकती है।

उपधारा (13) के प्रयोजनार्थ दो वर्ष की अवधि की गणना अविश्वास प्रस्ताव पर विनारण के लिए आयोजित बैठछक की तिथि से की जायेगी।

15. **उपधारा (12) और उपधारा (13) में अन्तर**—उपधारा (12) में 'नगरपालिका के कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत' शब्दों का प्रयोग किया गया है जबकि उपधारा (13) में 'तत्समय नगरपालिका को कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई' शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस दोनों में काफी अन्तर है। यहां पूर्ववर्ती उपधारा नगरपालिका के गठन के समय सदस्यों की संख्या के बारें में बात करती है जबकि पश्चातवर्ती उपधारा बैठक के समय नगरपालिका के सदस्यों के बारें में बात करती है। इसका अभिप्राय यह है कि रिक्तियां उपधारा (12) के प्रयोजन के लिए महत्वहीन है और उसे किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करती, किन्तु उपधारा (13) के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण है।

16. **उपधारा (14)**—धारा 87—क उपधारा (14) के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव की कोई नोटिस नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा पदग्रहण के दिनांक से दो वर्ष के भीतर प्रस्तुत नहीं की जायेगी। इस प्रकार यह उपधारा नगरपालिका के अध्यक्ष को कुछ समय तक निर्भय होकर कार्य करने और कार्यकुशलता प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती है।

उपधारा (14) के अनुसार अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण की तिथि महत्वपूर्ण है न कि सरकार द्वारा कोई विज्ञप्ति जारी किये जाने की तिथि। यदि कोई व्यक्ति 3 जून, 1951 को पदभार ग्रहण करता है, किन्तु विज्ञप्ति 14 जुलाई 1951 को जारी होती है, तो दो वर्ष की अवधि का प्रारम्भ 3 जून से होगा न कि 14 जुलाई से।

17. **उपधारा (14) और धारा 43—घ**—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 43—घ की उपधारा (2) यह उपबन्धित करती है कि यदि कोई बोर्ड का सदसय या अध्यक्ष निर्वाचन के पश्चात् तीन माह के भीतर या बोर्ड की तीन बैठक होने तक जो भी पूर्ववर्ती हो, शपथ ग्रहण नहीं कर लेता है, वह सदस्य या अध्यक्ष नहीं रह जायेगा, जबकि उपधारा (3) उपबधित करती है कि कोई भी व्यक्ति जिसको शपथ लेना अपेक्षित है, शपथ ग्रहण किये बिना न तो बोर्ड की बैठक में अपनी सीट ग्रहण करेगा और न ही सदस्य या अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। धारा 87—क की उपधारा (14) मात्र पद ग्रहण करने की बात करती है, शपथ ग्रहण करने की नहीं। अतः यहां स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या शपथ ग्रहण, पद ग्रहण की पूर्ववर्ती शर्त है? यदि कोई व्यक्ति शपथ ग्रहण करने से पूर्व सदस्य या अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण कर लेता है और बाद में शपथ ग्रहण कर लेता है, तो पद ग्रहण और शपथ ग्रहण के बीच की अवधि के दौरान उसके द्वारा किये गये कार्यो पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में इन उपबन्धों का सामंजस्य दर के दार निर्वचन अपेक्षित किया जाना चाहिए। शपथ ग्रहण पद ग्रहण की पूर्ववर्ती शर्त नहीं होगी और शपथ ग्रहण से पूर्व किये गये सभी कार्य शपथ ग्रहण के पश्चात् अनुसमर्पित समझे जायेंगे।

18. **उपधारा (15)**—इस उपधारा के अनुसार नगरपालिका के किसी सदस्य, जिला मजिस्ट्रेट, न्यायिक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी कार्य पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं उठायी जायेगी, वहां किसी 'न्यायालय' शब्द का अभिप्राय मात्र सिविल न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय से है न कि दण्ड न्यायालय और उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से।

19. **जिला मजिस्ट्रेट**—इस धारा के अधीन 'जिला मजिस्ट्रेट' शब्द के अन्तर्गत कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट भी सम्मिलित है। यह नहीं कहा जा सकता कि वह अधिकारी जो अस्थायी तौर पर जिले का प्रशासन सम्भालता है और जिला मजिस्ट्रेट के सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, धारा 87—क के प्रयोजनार्थ जिला मजिस्ट्रेट नहीं है।

88. **गणपूर्ति**—(1) ऐसे कार्य जिसे विशेष संकल्प द्वारा किया जाना अपेक्षित है, से भिन्न किसी कार्य को करने के लिए यह आवश्यक होगा कि तत्समय नगरपालिका के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित हों।

(2) किसी ऐसे काय्र को करने के लिए जिसे विशेष संकल्प द्वारा किया जाना अपेक्षित है, यह आवश्यक होगा कि ऐसे सदस्यों के कम से कम आधे सदस्य उपस्थिति हों।

परन्तु यह कि यदि किसी बैठक में विहित गणपूर्ति के अभाव के कारण कार्य स्थगित करना आवश्यक हो जाय, तो अध्यक्ष ऐसा कार्य करने के पश्चात् जो किया जा सकता है, बैठक को अन्य दिनांक के लिए स्थगित कर देगा और विहित गणपूर्ति के अभाव के कारण उक्त स्थगित कार्य ऐसे दिनांक को, या बैठक को किसी पश्चातवर्ती दिनांक के लिए अग्रेतर स्थगित किये जाने की दशा में ऐसे पश्चात्वर्ती दिनांक को किया जायेगा, भले ही उसमें उपस्थिति सदस्यों की संख्या में कोई कमी हो।

89. **बैठक का अध्यक्ष**—यदि किसी बैठक में न तो अध्यक्ष उपस्थित हो और न ही उपाध्यक्ष, तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी को बैठक का अध्यक्ष निर्वाचित करेगें और ऐसा अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करते समय बोर्ड के अध्यक्ष के सभी कर्तव्यों का पालन करेगा और उसकी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

90. **बैठक का प्रचार**—प्रत्येक बैठक जनसाधारण के लिए खुली रहेगी, जब तक कि उसके अध्यक्ष को यह विचार न हो कि सम्पूर्ण बैठक या उसके किसी भाग से जन साधारण को अपवर्जित किया जाना चाहिए।

91. **व्यवस्था बनाये रखने के लिए बैठक के अध्यक्ष की शक्ति**—जहां नगरपालिका की बैठक में कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति अध्यक्ष के किसी ऐसे निदेश का पालन करने से इन्कार करता है जो उसने किसी कार्य, चर्चा या विषय को नियम विरूद्ध घोषित करने, या अन्यथा सदस्यों के आचरण या कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए दिया हो, या जहां कोई सदसय या व्यक्ति जानबुझकर बैठक में विघ्न डालता है तो अध्यक्ष उस सदसय या व्यक्ति को बैठक से निकल जाने का आदेश दे सकता है और उसके ऐसा न करने पर उसके विरूद्ध ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है, जो उसे बैठक से हटाने या अपवर्जित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या जिसके आवश्यक होने का उसे सदभावपूर्वक विश्वास हो।

92. **मतदान द्वारा विनिश्चय**—(1) ऐसे समस्त प्रशनों का जो नगरपालिका की किसी बैठक में उत्पन्न हो उसका विनिश्चय, उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा।

परन्तु जहां {***} अध्यक्ष की यह राय हो कि किसी प्रश्न पर (जिसके अर्न्तगत बजट के तखमीने और करावधान के प्रस्ताव भी है) नगरपालिका की बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत उसका निर्णय नगरपालिका के हित के विरूद्ध है तो वह अपनी टिप्पणियों सहित उसे निदेशक को भेज देगा, जो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, उस पर ऐसा निर्णय ले सकता है (जो नगरपालिका के निर्णय का

अतिक्रमण या आंशिक परिश्कार करते हुए लिया जा सकता है) जिसे वह उचित समझे और उसका निर्णय ऐसे प्रभावी होगा मानो व नगरपालिका का निर्णय हो :

परन्तु आगे यह कि निदेश अपना अन्तिम निर्णय देने तक ऐसे अन्तरित निदेश दे सकता है जिनहें वह उचित समझे, और ऐसे निदेश ऐसे प्रभावी होंगे मानों वे नगरपालिका के निर्णय हो।

(2) मतों के बराबर होने की दशा में बैठक के अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

(3) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्ध धारा 94 की उपधारा (6) के उपबन्धों के और इस निमित्त या किसी अन्य अधिनियम के या उसके अधीन किसी ऐसे अन्य उपबन्ध के, जिसमें किसी संकल्प का सदस्यों के किसी अनुपात या संख्या द्वारा समर्थन अपेक्षित हो, अधीन होंगे।

93. **बैठक में कतिपय अधिकारियों की उपस्थिति होने तथा बोलने का अधिकार**–''मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश निगम, निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश या सहायक निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवारण कल्याण, उत्तर प्रदेश, जितले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी'' अधिशासी अभियनता, विद्यालय निरीक्षक और राज्य सरकार द्वारा इस निर्मित विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, नगरपालिका की बैठक में उपस्थित रहने और किसी ऐसे विषय पर जिसका उनसे सम्बन्धित विभागों पर प्रभाव पड़ता हो, नगरपालिका को सम्बोधित करने के हकदार होंगे।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 को इस धारा में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन! 1994 द्वारा संशोधत किये गये। इस संशोधन द्वारा इस धारा के प्रयुक्त 'मुख्य अभियन्ता, सथानीय सवायत्त शासन अभियांत्रिकी निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं या सहायक निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जिले का सिविल सर्जन'' शब्दों के स्थान पर इस धारा के कोष्टक के अन्दर उल्लिखित शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।

94. **कार्य–वृत्त पुस्तिका का संकल्प**–(1) नगरपालिका की बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम, की गयी कार्यवाही और पारित संकल्प एक पुस्तिका में जो कार्य–वृत्त पुस्तिका कहलायेगी, दर्ज किये जायेंगे।

(1–क) नगरपालिका का अधिशासी अधिकारी या जहां अधिशासी अधिकारी न हो, वहॉ सचिव, सदस्यों की एक उपस्थिति पंजिका रखेगा जिसमें नगरपालिका की किसी बैठक में भाग लेने के पूर्व प्रत्येक सदस्य हस्ताक्षर करेगा।

(2) कार्य–वृत्त को उस बैठक में या उसके ठीक बाद की बैठक में पढ़ा जायेगा और उसे जिस बैठक में पढ़ा जाये उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर यह प्रमाणित किया जायेगा कि पारित हो गया, जब तक पढ़े जाने के समय उपस्थित सदस्य जो उस कार्यवृत्त में अभिलखित कार्यवाही में भी उपस्थित रहे हों बहुमत द्वारा आपत्ति न करें।

(3) किसी बैठक में नगरपालिका द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प उसके पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन के प्रयोजनार्थ अनुमोदित जिले में प्रकाशित होने वाले किसी समाचार पत्र में या यदि जिले में कोई ऐसा समाचार पत्र नहीं है तो उस मण्डल में, जहां सम्बन्धित नगरपालिका स्थित है, प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में हिन्दी में प्रकाशित किया जायेगा और वहां ऐसा समाचार पत्र नहीं है, वहां नगरपालिका कार्यालय तथा कलेक्टरी कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगातार तीन दिनों के लिए लगाया जायेगा।

(4) बैठक में नगरपालिका द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प की प्रतिलिपि अधिवेशन के दिनांक से दस दिन के भीतर विहित प्राधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट को प्रेशित की जायेगी।

(5) जब उपधारा (3) या (4) के अधीन किसी संकल्प के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाये तब उसके पश्चात्, किन्तु कार्यवृत्त पर, जिसमें उक्त संकल्प अभिलिखित हो, उपधारा (2) की अपेक्षानुसार हस्ताक्षर किये जाने के पूर्व, उस कार्यवृत्त की शब्दावली में कोई परिवर्तन किया जाय तो ऐसा परिवर्तन, यथास्थिति प्रकाशित किया जायेगा या विहित प्राधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट को संसुचित किया जायेगा।

(6) नगरपालिका का संकल्प उसके पारित होने के बाद छः मास के भीतर तब तक उपांतरित या रद्द नहीं किया जायेगा–

(क) जब तक कि पूर्व नोटिस जिसमें उस संकल्प को जिसे उपान्तरित या रद्द करने का प्रस्ताव हो, और ऐसे संकल्प को उपान्तरित या रदद करने का प्रस्ताव या प्रस्थापना का पूर्ण वर्ण हो, न दे दी गयी हो; और

(ख) ऐसे संकल्प के सिवाय, जिसका समर्थन तत्समय नगरपालिका के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा किया गया हो।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)
2. उपधारा (3)

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की इस धारा में सन् 1964 में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 द्वारा संशोधन किया गया। इसके द्वारा इस धारा में उपधारा (1–क) जोड़ी गयी और उपधारा (2) को प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसके अलावा उपधारा (3) में कोश्ठक में ये उल्लिखित वांक्यां को प्रतिस्थापित किया गया।

2. उपधारा (3)–उपधारा (3) का अनुपालन आज्ञापक नहीं है, अपितु निदेशात्मक है। अतः नोटिस हन्दी के बजाय उर्दू में प्रकाशित किया जाना अवैध नहीं है।

धारा 94 की उपधारा (3) में विहित रीति के अनुसार विशेष प्रस्ताव का प्रकाशन न करने के कारण उत्पन्न दोष को धारा 135 की उपधारा (3) के अनुसार सही किया जा सकता है

पत्र–व्यवहार, लेखा, बजट आदि का संचालन

95. **पत्र–व्यवहार, लेखा, बजट आदि का संचालन.**–निम्नलिखित विशय राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली से विनियमित तथा नियन्त्रि होंगे, अर्थात्

(क) ऐसा या ऐसे मध्यवर्ती कार्यालय, यदि कोई हों जिसके द्वारा या जिनके माध्यम से नगरपालिका और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच पत्र–व्यवहार किया जायेगा और नगरपालिका द्वारा सरकार को सम्बोधित अभ्यावेदन भेजे जायेंगे;

(ख) निर्माण कार्य का रेखांकन और प्राक्कलन तैयार करना जो अंशतः या पूर्णतः नगरपालिका के व्यय पर निर्मित किया जाना हो;

(ग) प्राधिकारी जिले द्वारा शर्त जिसके अधीन रहते हुए ऐसे रेखांकन और प्राक्कलन स्वीकृत किये जा सकते हैं;

(घ) अभिकरण जिसके द्वारा ऐसे रेंखाकंन और प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे जिसके द्वारा निर्माण कार्य कार्यान्वित किये जायेंगे;

(ङ) लेखा जो नगरपालिका द्वारा रखे जायेंगे, रीति जिसके अनुसार लेखा की परीक्षा की जायेगी और वे प्रकाशित किये जायेंगे और अनुज्ञात करने तथा अधिभार के सम्बन्ध में लेखा परीक्षक की शक्ति;

(च) दिनांक जिसके पूर्व बजट स्वीकृत करने के लिए बैठक होगी;

(छ) बजट तैयार करने में अंगीकृत की जाने वाली प्रणाली और उसका रूप;

(ज) शर्ते जिनके अधीन रहते हुए नगरपालिका को, जिसके सम्बन्ध में धारा 102 के अधीन आदेश जारी किया गया है, अपने बजट में फेरबदल या परिवर्तन करने का हक होगा;

(झ) नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी, वक्तव्य और रिपोर्ट और

(ञ) नगरपालिका के कार्यालय और निर्माण कार्य का नियमित आवधिक निरीक्षण।

संविदा

96. **संविदा की स्वीकृति**–(1) ऐसे प्रत्येक संविदा की दशा में संकल्प द्वारा नगरमहापालिका की अनुमति अपेक्षित है–

(क) जिसके लिए बजट में व्यवस्था नहीं है; या

(ख) जिसमें किसी नगरपालिका परिषद् द्वारा किये गये संविदा की दशा में पचास हजार रूपये और नगर पंचायत द्वारा किये गये संविदा की दशा में पन्द्रह हजार रूपये से अधिक मूल्य या धनराशि अन्तर्ग्रस्त हो;

परन्तु नगरपालिका परिशद की दो बैठकों के मध्यम की अवधि के दौरान;

अध्यक्ष एक लाख रूपयसे अनधिक मूल्य या धनराशि अन्तर्ग्रस्त करने वाली संविदाओं की स्वीकृत कर सकता है।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दोनों से किसी प्रकार की संविदा से भिन्न कोई संविदा को नगरपालिका के संकल्प द्वारा या नगरपालिका की समिति द्वारा जो सलाहकार समिति न हो जिसे इस निमित्त विनियम द्वारा सशक्त किया गया हो या नगरपालिका के इस प्रकार सशक्त किये गये किसी एक या एक से अधिक अधिकारी या सेवक द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है–

परन्तु समिति, अधिकारी या सेवक द्वारा स्वीकृति संविदा को नगरपालिका की आगामी बैठक के समक्ष रखा जायेगा।

(3) जहां किसी परियोजना के रेंखाकन और प्राक्कलन को इस निमित्त बनाये गये किसी नियम के अनुसार, नगरपालिका द्वारा स्वीकृत किया गया है और कार्य का निष्पादन नगरपालिका द्वारा अपनी सेवा या नियोजन में किसी अभियन्ता को सौंप दिया गया है, वहां नगरपालिका परियोजना के निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी संविदाओं को, या किसी विशिष्ट प्रकार के किसी एक या अधिक संविदा को, जो धारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की संविदा से भिन्न हो, स्वीकृत करने की शक्ति विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से उस अभियन्ता को प्रदान कर सकती है। इस प्रकार प्रदत्त शक्ति के प्रयोग पर कोई शर्त या निबंन्धन उसी रीति से अधिरोपित कर सकता है।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 96 में अब तक दो बार संशोधित किये जा चुके है। सर्वप्रथम संशोधन सन् 1964 में किया गया। इन संशोधन को निम्नवत् प्रस्तुत किया जा सकता है–

(क) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन्, 1964 द्वारा उपधारा (2) में परन्तुक जोड़ा गया और उपधारा (3) के अन्तिम वाक्य के सिवाय सम्पूर्ण उपधारा को प्रतिस्थापित कर दिया गया;

(ख) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन्, 1964 द्वारा उपधारा (1) के खण्ड (ख) के प्रतिस्थापित कर दिया गया। प्रतिस्थापन से पूर्व यह खण्ड निम्नवत् था।

''(ख) जिसमें नगर बोर्ड द्वारा की गयी संविदा की दशा में दो हजार रूपये और अन्य दशाओं में पांच सौ रूपये से अधिक मूल्य या धनराशि अन्तर्ग्रस्त हो।''

97. **संविदा का निश्पादन**–(1) नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से की गयी प्रत्येक संविदा जिसका मूल्य या राशि 250 रूपया से अधिक हो, लिखित रूप में होगीः

परन्तु जब तक संविदा का लिखित रूप में निष्पादन सम्यक् रूप से न किया गयाहो, कोई भी कार्य जिसमें उक्त संविदा से सम्बन्धित सामग्री का संग्रह करना भी सम्मिलित है, न तो प्रारम्भ किया जायेगा और न हाथ में लिया जायेगा।

(2) इस प्रकार की प्रत्येक संविदा पर–

(क) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा और अधिशासी अधिकारी या सचिव द्वारा; या

(ख) पूर्ववर्ती धारा की उपधारा (2) या (3) के अधीन संविदा स्वीकृत करने के लिए सशक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा यदि नगरपालिका द्वारा अग्रतर और इसी रीति से इस निर्मित सशक्त किये जायें;

(3) यदि कोई संविदा जिस पर इस धारा के पूर्वगामी उपबन्ध लागू होते है, उनके अनुरूप नहीं निश्पादित की जाती है तो नगरपालिका उसमें आबद्ध नहीं होगी।

संक्षेप

1. धारा 97 का उद्देश्य एवं विस्तार
2. प्रत्येक संविदा .... लिखित रूप में होगी

1. धारा 97 का उद्देश्य एवं विस्तार–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 97 नगरपालिका के साथ की जाने वाली किसी संविदा के निष्पादन के लिए प्रक्रिया विहित करती है। इसके अनुसार ऐसी संविदा के विधिपूर्वक होने के लिए निम्नलिखित शर्ते पूरी की जानी आवश्यक हैं–

(क) संविदा लिखित होनी चाहिए;

(ख) संविदा पत्र पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा और अधिशासी अधिकारी या सचिव द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए।

(ग) संविदा पत्र पर धारा 96 की उपधारा (2) एवं (3) के अधीन संविदा स्वीकृत करने के लिए सशक्त किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा भी हस्ताक्षर होना चाहिए।

किन्तु उपर्युक्त शर्ते मात्र उसी संविदा पर लागू होती हैं, जिसकी रकम या जिसका मूल्य रू0 250 से अधिक हो।

इसके अलावा इस धारा की उपधारा (1) का परन्तुक यह उपबन्धित करता है कि जब तक संविदा का लिखित रूप में सम्यक् रूप से निष्पादन नहीं कर दिया जाता है जब तक ऐसी संविदा से सम्बन्धित कोई सामग्री न तो संग्रहीत की जायेगी और न ही कोई कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

उपधारा (3) के अनुसार यदि कोई संविदा उपर्युक्त शर्तो के अनुसार निश्पादित नहीं की जाती है तो नगरपालिका उस संविदा से बाध्य नहीं होगी।

2. **''प्रत्येक संविदा .... लिखित रूप में होगी''**—धारा 97 का यह उपबन्ध आदेशात्मक है। अतः जब तक कोई संविदा लिखित रूप में सम्यक् रूप से निश्पादित नहीं की जाती है, जब तक वह वैध होगी। एक वाद में नगरपालिका बोर्ड द्वारा तहबाजारी की वसूली करने के अधिकार का विक्रय रू0 1900 में कर दिया गया, किन्तु संव्यवहार का निष्पादन लिखित रूप में नहीं किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि नगरपालिका बोर्ड द्वारा ऐसी संविदा का निष्पादन मौखिक रूप से किया जाना जिसका मूल्य रू0 250 से अधिक है, धारा 97 के उपबन्धों का उल्लंघन है। धारा 97 का यह उपबन्ध आज्ञपक है। अतः इसके अनुपालन से संविदा अवैध एवं शून्य हो जाती है।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 97 यह बाध्यकर बनती है कि नगरपालिका द्वारा रू0 250 से अधिक की संविदा लिखित रूप में की जायेगी, किन्तु लिखित रूप में किये जाने के अभिप्राय यह नहीं है कि संवदि एक ही दस्तावेज में लिखित होनी चाहिए जिस पर दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर होने चाहिए। एक वैध संविदा का निष्पादन पत्र व्यवहार के माध्यम से भी किया जा सकता है। नगरपालिका अधिनियम की धारा 97 के उपबन्धों के अनुसार संविदा का निष्पादन केवल लिखित रूप में होना चाहिए। जहां नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम की सूची जिस पर बोर्ड के अध्यक्ष का हस्ताक्षर हो, लिखित रूप में तैयार की गयी है, सबसे ऊँची बोली लगाने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर उसके नाम के सामने करा लिया जाता है, वहां यह मान लिया जायेगा कि संविदा का लिखित रूप में सम्यक् निष्पादन किया गया है।

97—क. **कतिपय परियोजनाओं के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध**—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विश्व बैंक या किसी अन्य विदेश संगठन से सहायता प्राप्त करने वाली केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किसी नगर विकास परियोजना के सम्बन्ध में प्रत्येक संविदा की तखमोने राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार तैयार या स्वीकृत की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा परियोजना के अनुमोदन के दिनांक से एक मास के भीतर ऐसी नगर विकास परियोजना के लिए निधि की स्वीकृति के लिए नगरपालिका की बैठक आयोजित करके विनिश्चय किया जाएगा—

परन्तु आगे यह कि यदि नगरपालिका की बैठक प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट समय के भीतर न बुलायी जाय या विनिश्चय न किया जाय तो यह समझा जायेगा कि नगरपालिकाने निधि स्वीकृति कर दी है और यदि स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया जाय या उपान्तरों सहित स्वीकृति दी जाय तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम और नगरपालिका पर बाध्यकारी होगा और यह समझा जायेगा कि नगरपालिकास ने तद्नुसार निधि स्वीकृत कर दी है। अधिशासी अधिकारी तदुपरान्त परियोजना का निष्पादन कर सकता है, निधि व्यय कर सकता है और नियत समय के भीतर परियेाजना का पूरा होना सुनिश्चित कर सकेगा—

परन्तु यह भी है कि नगरपालिका परियोजनाओं का नियमित अनुश्रवण करेगी और राज्य सरकार को अपनी आख्या भेजेगी।

98. **लिखित का रजिस्ट्रीकरण**—जहां भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम, में यह अपेक्षित या अनुज्ञात है कि किसी दस्तावेज के सम्बन्ध में, उसे निश्पादित करने वाले या उसके अधीन दावा पेश करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाये और दस्तावेज को नगपालिका की ओर से निष्पादित किया गया है या वह दस्तावेज जिसके अधीन नगरपालिका दावा पेश करती है, वहां वह कार्य उपर्युक्त अधिनियमिति या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नगरपालिका के

अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी या नगरपालिका के सचिव द्वारा या नगरपालिका के किसी अधिकारी द्वारा, जिसे विनियम द्वारा इस निमित शक्ति प्रदान की जाय, किया जा सकता है।

बजट

99. **बजट**–(1) प्रत्येक नगरपालिका आगामी मार्च के 31वें दिनांक को समाप्त होने वाले वर्श के लिए वास्तविक औक्र प्रत्याशित प्राप्तियों और व्यय का पूर्ण लेखा तैयार करायेगी और उसके ठीक बाद आगामी अप्रैल के प्रथम दिनांक को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिए नगरपालिका की आय और वयय के बजट प्राक्कलन के साथ उसे प्रतिवर्ष ऐसे दिनांक के पूर्व जो इस निमित्त किया जाय, होने वाली बैठक में अपने समक्ष रखवाएगी।

(2) धारा 102 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नगरपालिका ऐसी बैठक में बजट प्राक्कलन में वर्णित विनियोग और अर्थोपाय के बारें में निर्णय करेगी और विशेष संकल्प द्वारा स्वीकृत करेगी जिसे राज्य सरकार को या ऐसे अधिकारियों को जिन्हें राज्य सरकार आदेश द्वारा इस निमित्त निर्दिश्ट करें, प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त के समान उपबन्धों के अधीन रहते हुए नगरपालिका समय–समय पर जैसा परिस्थितियों के अनुसार वांछनीय हो सके, उपधारा (2) के अधीन स्वीकृत बजट में, विशेष संकल्प द्वारा, फेरबदल कर सकती है या परिवर्तन कर सकती है।

100. **पुनरीक्षित बजट**–पहली अक्टूबर के पश्चात् यथाशक्य–शीघ्र उस वर्ष के लिए एक पुनरीक्षित बजट तैयार किया जायेगा और ऐसा पुनरीक्षित बजट यथाशक्य उन सभी उपबन्धों के अधीन होगा जो धारा 99 के अधीन तैयार किये गये बजट पर लागू होते है।

101. **बजट में दर्शित न्यूनतम अन्त अतिशेष**–बजट के तैयार करने में नगरपालिका ऐसा न्यूनतम अन्त अतिशेष (यदि कोई हो) बनाये रखने की व्यवस्था करेगी, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा विहित करें।

102. **ऋणी नगरपालिका का बजट**–यदि राज्य सरकार की राय में किसी नगरपालिका की ऋणता की दशा ऐसी हो कि उसके कारण उसके बजट पर राज्य सरकार का नियन्त्रण वांछनीय हो, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा उस दशा की घोशण करके यह निदेश दे सकती है कि ऐसे नगरपालिका का बजट राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगा और यह कि धारा 99 का उपधारा (3) के अधीन बजट में फेरबदल या उसमें परिवर्तन करने की षक्ति नियम द्वारा विहित षर्तो के अधीन होगी।

103. **बजट में अतिरिक्त व्यय करने का प्रतिपेक्ष**–(1) जहां बजट स्वीकृत कर दिया गया हो, वहां नगरपालिका बजट के किसी भी ऐसे शीर्षक के अधीन, जो उस शीर्षक से भिन्न हो जिसमें के प्रतिदाय की व्यवस्था की गई हो, उस शीर्षक के अधीन स्वीकृत राशि से अधिक राशि का व्यय बजट में फेरबदल या परिवर्तन न करके ऐसी अधिक राशि की व्यवस्था किये बिना नहीं करेगा।

(2) जहां किसी ऐसे शीर्षक के अधीन, जिसमें करों के प्रतिदाय की व्यवस्था की गयी हो, उस शीर्षक के अधीन स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया जाये तो ऐसे व्यय के लिए बजट में फेरबदल करके अविलम्ब व्यवस्था की जायेगी।

समिति और संयुक्त समिति

104. **समिति की नियुक्ति**–(1) नगरपालिका निम्नलिखित कार्य कर सकती है और जहां राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाये, ऐसा कार्य करेगा–

(क) विनियम द्वारा ऐसी समितियां स्थापित करना जिन्हें वह उचित समझे या जिनके लिए राज्य सरकार ऐसी शक्तियों के प्रयोग का, ऐसे कर्तव्यों का पालन या ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए जो धारा 112 के अधीन किसी समिति को प्रत्याजित किये जाय, निदेश दे; और

(ख) इस प्रकार स्थापित किसी समिति के लिए, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अपने ऐसे सदस्यों को जिन्हें वह उचित समझे एकल संक्रमणीय मत द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सभापति द्वारा विधान परिषद् में अनुसरणीय कार्य–संचालन और प्रक्रिया के लिए 15 मार्च, 1921 के स्थायी आदेश के आदेश 82 और 87 के अनुसरण में बनाये गये विनियम में विहित रीति के अनुसार निर्वाचन करना और उक्त विनियम में आये हुए शब्द 'अध्यक्ष' और 'कौंसिल' इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए क्रमशः 'नगरपालिका अध्यक्ष एवं नगरपालिका' पढ़े जायेगें, परन्तु यह कि राज्य सरकार समय–समय पर जैसा वह उचित समझे, इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए उक्त विनियम में संशोधन कर सकती है; और

(ग) खण्ड (ख) के अधीन नियन्त्रित किसी सदस्य को संकल्प द्वारा हटाना।

(1–क) केवल बालियों की शिक्षा के लिए पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन स्थापित किसी समिति में उसके कम से कम आधा सदस्य नगरपालिका की महिला सदस्य होगी और साथ ही ऐसी अन्य महिलाएं भी होगी जो नगरपालिका की निवासी हो, किन्तु नगरपालिका की सदस्य न हो, किन्तु बालिकाओं की शिक्षा में उनकी अभिरूचि होने के कारण धारा 105 के अधीन नियुक्ति की गयी हो।

किसी ऐसी समिति का सभापति वह व्यक्ति होगा जो ऐसी समिति की महिला सदस्यों में से निर्वाचित किया गया हो।

(2) परन्तु यह कि नगरपालिका समय–समय पर संकल्प द्वारा किसी ऐसे विषय पर जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के द्वारा या अधीन नगरपालिका का विनिश्चय अपेक्षित हो जांच करने और रिपोर्ट देने के प्रयोजन के लिए एक या एक से अधिक सलाहकार समितियां स्थापित कर सकती है और उसके सदस्य नियुक्त कर सकता है।

105. **सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति**–इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे संकल्प द्वारा, जिसका समर्थन तत्सम सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों ने किया हो, किसी भी व्यक्ति को चाहे वह स्त्री हो या पुरूष और जो नगरपालिका का सदस्य न हो किन्तु नगरपालिका की राय में ऐसी समिति में कार्य करने के लिए विशेष अर्हत रखता हो, समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करें–

परन्तु समिति में इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की संख्या समिति की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक न होगी।

(2) इस अधिनियम के और किसी ऐसी नियमावली के सभी उपबन्ध जो सदसय के कर्तव्य, शक्ति दायित्व, अनर्हता और निर्योग्यता से सम्बन्धित हो, उन अनर्हताओं के सिवाय जो लिंग भेद के आधार पर हों, यथाशक्य उस व्यक्ति पर लागू होगा।

106. **समिति में रिक्तियां**–किसी समिति में हुई रिक्ति की पूर्ति किसी भी समय नगरपालिका द्वारा धारा 104, या धारा 105 में, विहित रीत के अनुसार दूसरे सदस्य या व्यक्ति को नियुक्त करके कि जा सकती है।

107. **समिति का सभापति**–नगरपालिका संकल्प द्वारा किसी समिति का सभापति नियुक्त कर सकती है।

(2) नगरपालिका द्वारा सभापति नियुक्त न करने की दशा में समिति अपने सदस्यों में से सभापति नियुक्त करेगी।

108. **समितियों की प्रक्रिया**—(1) धारा 92 की उपधारा (1) और (2), धारा 93 और धारा 94 की उपधारा (1), (2), (4), (5) और (6) के उपबन्ध नगरपालिका की समितियों की कार्यवाहियों पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो शब्द 'नगरपालिका' के स्थान पर, जहां कही भी वह उनमें आया हो, शब्द 'समिति' रख दिया गया हो।

(2) समितियां, जब वे उचित समझे, बैठक कर सकती है या उसे स्थगित कर सकती है, किन्तु समिति का सभापति, जब भी वह ठीक समझे, समिति की बैठक बुला सकता है, और नगरपालिका के अध्यक्ष या समिति के कम से कम दो सदस्यों के लिखित अनुरोध पर बैठक बुलायेगा।

(3) उपधारा (4) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध के अधीन रहते हुए किसी बैठक में तब तक कोई कार्य नहीं किया जायेबगा जब तक कि उसमें समिति के एक चौथाई से अधिक सदस्य उपस्थित न हो।

(4) जहां किसी समिति की बैठक में विहित गणपूर्ति के अभाव में कोई कार्य—स्थगित करना आवश्यक हो, वहां धारा 88 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

109. **समिति का नगरपालिका के अधीनस्थ होना**—(1) नगरपालिका, किसी भी समय, किसी समिति से किसी भी कार्यवाही के उद्धरण और किसी ऐसे विषय से, जिसके लिए समिति कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत या निदेशित की गयी हो, सम्बद्ध या संसक्त कोई विवरणी, विवरण—पत्र, लेखा, की रिपोर्ट मांग सकती है।

(2) प्रत्येक समिति उपधारा (1) के अधीन नगरपालिका द्वारा किये गये किसी अधिवचन का विधि के अनुसार शीघ्र अनुपालन करेगी।

(3) नगरपालिका, समिति के किसी विनिश्चय के कारणों को अभिलिखित करके, फेरबदल या उसको अधिभूत कर सकती है।

110. **संयुक्त समिति**—(1) नगरपालिका, एक या एक से अधिक किसी अन्य अनुमति देने वाले स्थानीय प्राधिकारी को सम्मिलित करके, कोई ऐसा कार्य करने के प्रयोजनार्थ जिसमें वे संयुक्त रूप से हितबद्ध हो, सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारियों के हस्ताक्षर युक्त लिखत के माध्यम से संयुक्त समिति नियुक्त कर सकती है, और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो नियुक्त करेगी।

(2) ऐसे लिखत में, उन सदस्यों की संख्या जिन्हें प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उक्त संयुक्त समिति में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जायेगा, वह व्यक्ति जो उसका सभापति होगा, शक्ति जो एक या एक से अधिक सहमति देने वाले स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य होने के कारण संयुक्त समिति द्वारा प्रयोग की जा सकेगी, और उसकी कार्यवाही और पत्र—व्यवहार के संचालन की रीति विहित होगी।

(3) ऐसे लिखत में समय—समय पर किसी अग्रेत्तर लिखत द्वारा, जिस पर सभी सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारियों ने हस्ताक्षर किये हों, फेरबदल किया जा सकता या उसको विखण्डित किया जा सकता है और इस उपधारा के अधीन किसी लिखत के विखण्डन की दशा में तद्धीन सभी कार्यवाहियॉ, उक्त अग्रेत्तर लिखत में विनिर्दिश्ट दिनांक से अप्रवर्तनशील समझी जायेगी।

(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान दो या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच उत्पन्न किसी मतभेद का विनिश्चय धारा 225 के अधीन राज्य सरकार को निर्देश करके किया जाएगा।

110—क. **राज्य नगरपालिका संघ का बनाया जाना और उसके कृत्य**—(1) उत्तर प्रदेश में नगरपालिकायें एक संघ बनाने के लिए सम्मिलित हो सकती है जिसे राज्य नगरपालिका संघ कहा जायेगा;

परन्तु ऐसा कोई संघ तब तक न बनाया जायेगा जब तक कि राज्य में आधे से अधिक नगरपालिकायें, सदस्य बनने के लिए अने आशय का संकल्प पृथक—पृथक पारित न कर दें।

(2) इस धारा की उपधारा (1) के अधीन बनाया गया संघ नगरपालिकाओं के सामान्य हित की समस्याओं की जांच करेगा, नगरपालिका प्रशासन में सुधार के लिए नगरपालिकाओं को सलाह देगा और ऐसे अन्य कृत्य करेगा जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर विहित करें।

(3) निम्नलिखित विषय राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली द्वारा विनियमित और नियन्त्रित होंगे, अर्थात्–

(क) संघ का गठन तथा उसके लक्ष्य और उद्देश्य;

(ख) नगरपालिका द्वारा संघ को किये जाने वाले अंशदान की धनराशि और उसकी रीति;

(ग) संघ के वित्त का प्रबन्ध और नियंत्रण;

(घ) {***}

(ङ) सामान्यतया ऐसे अन्य विषय जो इस धारा के लिए आवश्यक हो।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)–उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा धारा 110–क उपधारा (3) के खण्ड (घ) को निरसित कर दिया गया। निरसन से पूर्व यह उपधारा निम्नवत् थी।–

''(घ) संघों के संयुक्त हितों से सम्बन्धित मामलों पर विचार विमर्श हेतु और, यदि अपेक्षित हो, ऐसे संघो की सामान्य रूप से विशिष्ट समस्याओं के परीक्षण और विचार विमर्श के लिए संयुक्त समिति की स्थापना करने हेतु संघ के साथ राज्य जिला बोर्ड संघ की संयुक्त बैठक का आयोजन करना; और''

नगरपालिका द्वारा षक्ति का प्रयोग और प्रत्यायोजन

111. **शक्ति जिनका प्रयोग नगरपालिका संकल्प द्वारा कर सकती है**–(1) नगरपालिका अनुसूची 1 के द्वितीय स्तम्भ में विनिष्टि शक्ति, कर्तव्य और कृत्य, सिवाय उनके जिनके सम्मुख उक्त अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में प्रविष्ट की गई है का प्रयोग, पालन और निर्वहन कर सकती है और नगरपालिका द्वारा उनक प्रयोग, पालन और निर्वहन नगरपालिका की बैठक में पारित संकल्प द्वारा या अन्यथा नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह नगरपालिका के किसी संकल को इस अधिनियम के द्वारा या अधीन इस निमित्त यथाविधि प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा अथवा नगरपालिका के किसी ऐसे सेवक द्वारा जो अपने नियोजन की परिधि के भीतर कार्य कर रहा हो, निष्पादित किये जाने से निवारित करती है।

112. **नगरपालिका द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन**–(1) ऐसी शक्ति, कर्तव्य या कृत्य के अपवाद स्वरूप, जो–

(क) अनुसूची 1 के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट हों और जिनके सामने तृतीय स्तम्भ में कोई प्रविष्टि नहीं की गई हो;

(ख) धारा 50 के खण्ड (क) (ख) और (ग) द्वारा या धारा 51 द्वारा अध्यक्ष के लिए आरक्षित हो या उसको समनुदेशित किये गये हो; और

(ग) जहां अधिशासी अधिकारी या कोई स्वास्थ्य अधिकारी हो वहां धरा 60 द्वारा अधिशासी अधिकारियों के लिए या धारा 60–क द्वारा स्वास्थ्य अधिकरी के लिए आरक्षित हो,

नगरपालिका सभी या किसी शक्ति, कर्तव्य या कृत्य को, जो इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका को प्रदत्त या अधिरोपित या समनुदेशित किये गये हों, विनियम द्वारा प्रत्यायोजित कर सकती है।

(2) उपधारा (3) में दिये गये उपबन्ध के सिवाय, नगरपालिका ऐसी शक्ति, कर्तव्य या कृत्य का, जिसे उसने उपधारा (1) के अधीन प्रत्यायोजित किया है, प्रयोग पालन या निर्वहन स्वयं नहीं करेगा अथवा उसके प्रयोग, पालन या निर्वहन में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

(3) नगरपालिका द्वारा उपधारा (1) के अधीन किसी शक्ति, कर्तव्य या कृत्य का प्रत्यायोजन इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जा सकता है कि प्रत्यायोजन के अनुसरण में दिये गये समस्त या कोई आदेश इस शर्त के अधीन होगा कि विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसके विरूद्ध नगरपालिका की अपील करने का अधिकार होना या नगरपालिका द्वारा उसका पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह नगरपालिका की किसी समिति के संकल्प को इस अधिनियम के द्वारा या अधीन इस निमित्त यथाविधि प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा निष्पारित किये जाने से निर्धारित करती है अथवा नगरपालिका के किसी सेवक को अपने नियोजन की परिधि के भीतर कार्य करने से प्रवारित करनी है।

कार्य और कार्यवाही की विधिमान्यता

113. उपधारण और आवृत्ति–(1) नगरपालिका में या नगरपालिका की समिति में किसी रिक्ति के कारण नगरपालिका या ऐसी समिति का कोई कार्य कार्यवाही दूषित नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन {नगरपालिका या इस अधिनियम के अधीन की गयी किसी समिति यथास्थिति के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में} या नगरपालिका के या ऐसी समिति की किसी बैठक के अध्यक्ष या सभापति के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन या नाम–निर्देशन किये जाने में किसी नियोग्यता या त्रुटि के कारण नगरपालिका या समिति के किसी कार्य या कार्यवाही को दूषित नहीं समझा जायेगा, यदि कार्य करते या कार्यवाही किये जाते समय अधिकांश उपस्थिति व्यक्ति अर्ह या नगरपालिका या समिति के सम्यक् रूप से निर्वाचित या नाम–निर्दिष्ट सदस्य रहे हों।

(3) जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न हो जाय, किसी लेख्य या कार्यवृत्त को जिसका नगरपालिका या समिति की कार्यवाही का अभिलेख होना तात्पर्यित हो, यदि वह ऐसी कार्यवाही का अभिलेख तैयार करने और उस हस्ताक्षर करने के लिए विहित रीति के अनुसार सारतः तैयार किया गया हो और उस पर हस्ताक्षर किये गये हों, ऐसे सम्यक् रूप से गठित नगरपालिका या समिति द्वारा जिसके सभी सदस्य सम्यक् रूप से अर्ह हो, सम्यक् रूप से बुलाई गई बैठक की कार्यवाही का अभिलेख समझा जायेगा।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)
2. धारा 113 का उद्देश्य एवं विस्तार
3. उपधारा (2)

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changers)**—उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा इस धारा की उपधारा (2) में कोष्ठक में उल्लिखित शब्दों को निम्नलिखित शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है—

''बोर्ड या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति।''

2. **धारा 113 का उद्देश्य एवं विस्तार**—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 13 उपधारा एवं आवृत्ति खण्ड है। इसे धारा की उपधारा (1) एवं (2) के अनुसार नगरपालिका या नगरपालिका जो समिति या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अन्य समिति की कोई कार्यवाही या उसका कोई कार्य निम्नलिखित कारणों से दूशित नहीं होगी।

(क) नगरपालिका या नगरपालिका की समिति में किसी रिक्ति के कारण;

(ख) नगरपालिका या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त की गयी किसी समिति के सदस्य या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति निर्वाचन नाम निर्देशन या नियुक्ति में किसी त्रुटि के कारण या ऐसे व्यक्ति की नियोग्यता के कारण;

(ग) नगरपालिका या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति की किसी बैठक के अध्यक्ष या सभापति के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन या नाम निर्देशन किये जाने में त्रुटि के कारण या ऐसे वयक्ति की निर्योग्यता के कारण।

उपर्युक्त खण्ड (ख) और (ग) मात्र उसी स्थिति में लागू होंगे जब नगरपालिका या समिति के द्वारा कार्य करते समय या कार्यवाही किये जाते समय अधिकांश उपस्थित व्यक्ति अर्ह रहे हों या सम्यक् रूप से निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट रहे हों।

धारा 113 की उपधारा (1) एव (2) दोनों के उपबन्धों में भिन्नता है। उपधारा (1) बोर्ड या उसकी समिति के कार्य या कार्यवाही की वैधता को सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि नगरपालिका उसकी समिति में कोई रिक्त रही हो। उपधारा यह उपबन्ध करती है कि ऐसे कार्यवाही या ऐसा कार्य उसी प्रकार से वैध होगा मानों कोई रिक्ति नहीं थी। जबकि उपधारा (2) बोर्ड या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी कार्य या कार्यवाही की वैधता को सुरक्षा प्रदान करती है।

इसके अनुसार बोर्ड या समिति के किसी सदस्य या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम निर्देशन या नियुक्ति में बोर्ड के अध्यक्ष या समिति के सभापति के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को निर्वाचन या नाम निर्देशन किये जाने में किसी निर्योग्यता या त्रुटि के कारण बोर्ड या ऐसी किसी समिति का कोई कार्य या उसकी कार्यवाही दूषित नहीं समझी जायेगी। इस प्रकार जहां उपधारा (1) के अधीन रिक्ति को विधि एवं तथ्य दोनों रूपों में होना आवश्यक है, वहां उपधारा (2) के अधीन रिक्ति मात्र विधि के रूप में होना आवश्यक है तथ्य के रूप में होना आवश्यक नहीं ळै।

3. **उपधारा (2)**—यह उपधारा मात्र उस स्थिति में लागू होती है जबकि सदस्य या अध्यक्ष ने अपनी हैसियत के अधीन सद्भावनापूर्वक कार्य किया है, किन्तु उसकी नियुक्ति, निर्वाचन या नाम निर्देश में त्रुटि थी या वह उसके लिए निर्योग्य था। जहां कोई सदस्य या अध्यक्ष किसी न्यायालय द्वारा या सक्षम अधिकारी द्वारा निर्योग्य सिद्ध किये जाने या उसकी नियुक्ति, निर्वाचन या निर्देशन को अभिखण्डित कर दिये जाने के बाद भी बोर्ड या समिति की बैठक में भाग लेता है वहां, वही उपधारा लागू नहीं होगी।

———————

अध्याय 4
नगरपालिका निधि और सम्पत्ति

114. **नगरपालिका निधि.**–(1) प्रत्येक नगरपालिका के लिए एक निधि स्थापित की जायेगी जिसे नगरपालिका निधि कहा जायेगा और इसमें प्राप्त सभी राशियॉ, जिसमें राज्य की संचित निधि से प्राप्त अनुदान और नगरपालिका द्वारा या उसके निमित्त लिए गए सभी ऋण सम्मिलित है, जमा की जायेगभ।

(2) इस धारा की किसी बात का नगरपालिका के किसी ऐसी बाध्यता पर प्रभाव न पड़ेगा जो उस पर निधि द्वारा अधिरोपित या उसके द्वारा स्वीकृत किसी न्यास से उत्पन्न हो।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)
2. पूर्ववर्ती धारा और वर्तमान धारा में अन्तर

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)–उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1994 द्वारा धारा 114–क को प्रतिस्थापित किया गया है। प्रतिसथापित किये जाने से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी–

''114–क. ऋण लेने की शक्ति–बोर्ड राज्य सरकार की पूर्वानुमति से और इस निमित्त विहित नियमों के अधीन रहते हुए खुले बाजार में डिबेंचर जारी करके ऋण ले सकती है।''

2. पूर्ववर्ती धारा और वर्तमान धारा में अन्तर–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 114–क नगरपालिका को ऋण लेने हेतु अधिकार प्रदान करती है, किन्तु सन् 1994 से पूर्व उसका यह अधिकार काफी सीमित था और वह मात्र खुले बाजार में डिबेंचर जारी करते हैं ऋण प्राप्त कर सकती थी किन्तु सन् 1994 के पश्चात् वर्तमान धारा के अन्तर्गत यह अधिकार व्यापक कर दिया गया है और अब वह खुले बाजार में डिबेंचर के अलावा अन्य कोई प्रतिभूति जारी करके या किसी वित्तीय संस्था से भी ऋण प्राप्त कर सकती है।

114–क. **धन उधार लेने की नगरपालिका की शक्ति**–नगरपालिका अपने कर्तव्यों और कृत्ज्यों के सम्पादन के लिए चाहे वे आज्ञापक या वैवेक्तिक हों, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, और इस निमित्त विहित नियमों के अधीन रहते हुए, डिबेंचर जारी करे या किसी अन्य प्रतिभूति पर खुले बाजार से या किसी वित्तीय संस्था से ऋण ले सकती है।

115. **नगरपालिका निपधि की अभिरक्षा और उसका विनिधान**–(1) नगरपालिका निधि सरकारी कोषागार या उप कोषागार में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया में या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तर प्रदेश को आपरेटिव बैंक या किसी अनूसचित बैंक में रखी जायेगी।

(2) उन स्थानों में जहां कोई ऐसा कोषाकार या उप कोषागार या बैंक न हो, नगरपालिका निधि बैंकर के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति के पास रखी जायेगी, जिसने इस प्रकार रखी गयी निधि की सुरक्षित अभिरक्षा और मांग किए जाने पर प्रतिसंदाय की ऐसी प्रतिभूति दी हो, जिसे राज्य सरकार प्रत्येक मामलें में पर्याप्त समझें।

परन्तु यह कि इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों से यह समझा जाएगा कि उनसे नगरपालिका, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, अपनी नगरपालिका निधि के किसी भाग को जो तुरन्त व्यय के लिए अपेक्षित न हो, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 में वर्णित किसी प्रतिभूति में विनिहित करने या प्रेसीडेन्सी बैंक में सावधि निक्षेप में रखने से प्रविरत होती है।

116. **नगरपालिका में निहित सम्पत्ति**–राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी विशेष आरक्षण के अधीन रहते हुए इस धारा में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट और नगरपालिका क्षेत्र में स्थित सभी प्रकार की सम्पत्ति, नगरपालिका में निहित होगी और नगरपालिका की होगी और ऐसी समस्त अन्य सम्पत्ति के साथ जो नगरपालिका में निहित हो जाय नगरपालिका के निदेश, प्रबन्ध और नियन्त्रण में रहेगी, अर्थात्–

(क) सभी सार्वजनिक नगर भित्तियां, फाटक, बाजार, वध–शालायें, खाद और विष्ठा डिपो और प्रत्येक प्रकार के सार्वजनिक भवन जो नगरपालिका क्षेत्र निधि से निर्मित किए गयें हो या अनुरक्षित किए जाते हों;

(ख) सभी सार्वजनिक स्त्रोत, झील, झरने तालाब, कुएँ और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जल कर सम्भरण, संचल और वितरण करने के सभी निर्माण कार्य और उससे संसक्त या अनुलग्न सभी पुल, भवन इंजन, सामग्री और वस्तुये और कोई पार्श्वस्य भूमि भी जो निजी सम्पत्ति न होते हुए किसी सार्वजनिक तालाब या कुएँ से अनुलग्न हों;

(ग) सभी सार्वजनिक सीवर, नालियॉं, पुलिया और जल–प्रणालियां और उनसे अनुलग्न सभी निर्माण कार्य सामग्री और वस्तुए;

(घ) सभी धूल, गोबर, विष्ठा, राख, कूड़ा–करकट, किसी प्रकार प्राणि–पदार्थ या गन्दगी या कचरा या मृत पशुओं के शब जो नगरपालिका द्वारा सड़कों, गृहों, 273 के अधीन नगरपालिका द्वारा नियत स्थानों में जमा किये जाएँ;

(ङ) सभी सार्वजनिक बत्तियां, बत्ती के खम्भे और उससे संसक्त या अनुलग्न यन्त्र;

(च) सभी भूमि या अन्य सम्पत्ति जो स्थानीय सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा या दान या क्रय द्वारा या अन्यथा नगरपालिका को अन्तरित की गई हो; और

(छ) सभी सार्वजनिक सड़कें और उसके खडंजें, पत्थर और अन्य सामग्री और ऐसी सड़कों पर विद्यमान या उसके अनुलग्न सभी वृक्ष निर्माण, सामग्री, उपकरण और वस्तुएँ।

संक्षेप

1. धारा 116 का खण्ड (च)
2. धारा 116 का खण्ड (छ)

1. धारा 116 का खण्ड (च)–इस खण्ड के अनुसार ऐसी सभी भूमि या अन्य कोई सम्पत्ति जो स्थानीय सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा या दान द्वारा या क्रय द्वारा या अन्य किसी प्रकार से नगरपालिका को अन्तरित की गयी हो, नगरपालिका में निहित होगी और नगरपालिका की होगी। ऐसी सम्पत्ति नगरपालिका के प्रबन्ध और नियन्त्रण में रहेगी।

किन्तु जहां नजूल की भूमि नगरपालिका बोर्ड के प्रबन्ध के अधीन कर दी जाती है। ऐसी भूमि में नगरपालिका बोर्ड को कोई सम्पत्तिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है।

2. धारा 116 का खण्ड (छ)–इस खण्ड के अनुसार सभी सार्वजनिक सड़कें और उसके खड़न्जेस, पत्थर और अन्य सामग्री और ऐसी सड़कों पर विद्यमान या उससे अनुलग्न सभी वृक्ष, निर्माण, निर्माण सामग्री, उपकरण और वस्तुए नगरपालिका में निहित होंगी और नगरपालिका होगी। ऐसी सम्पत्ति नगरपालिका के प्रबन्ध और नियन्त्रण में रहेगी।

किन्तु इस खण्ड के अधीन नगरपालिका किसी सार्वजनिक सड़क पर ऐसा कोई संस्थान निर्मित नहीं कर सकती है जो उस सड़क के रख रखाव या उपयेाग के लिए आवश्यक न हो। महात्मा गांधी की मूर्ति की स्थापना किसी सड़क के रखरखाव या उपयोग के लिए आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में सड़क से अनुलग्न भूमि का स्वामी नगरपालिका के ऐसे कार्य के विरूद्ध आदेश का हकदार है।

117. **भूमि का अनिवार्य अर्जन**—जहां नगरपालिका इस या किसी अन्य अधिनियम के अधीन, किसी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्तव्य के पालन के प्रयोजन के लिए जो उसे प्रदत्त किया गया था उस पर अधिरोपित किया गया हो, राज्य सरकार से भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 या किसी अन्य विद्यमान विधि के उपबन्धों केक अधीन उसकी ओर सके कोई भूमि या किसी भूमि के सम्बन्ध में कोई अधिकार स्थायी या अस्थायी रूप में अर्जित करने की अपेक्षा करें, वहां राज्य सरकार विहित रीति से नगरपालिका द्वारा किये गये निवेदन पर पूर्वोक्त उपबन्धों के अधीन, ऐसी भीूमि या ऐसे अधिकार को अर्जित कर सकती है और नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार को तदान्तर्गत अधिनिर्णीत प्रतिकर और उपर्युक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किये गये परिव्ययय का भुगतान किये जाने पर यथास्थिति उक्त भूमि या अधिकार नगरपालिका में निहित होंगे।

118. **नगरपालिका का अपने प्रबन्ध में सौंपी गई सम्पत्ति के प्रबन्ध और नियन्त्रण की शक्ति**—नगरपालिका आगामी धारा के उपबन्धों और सम्पत्ति के स्वामी द्वारा अधिरोपित किसी शर्त के अधीन रहते हुए अपने प्रबन्ध और नियन्त्रण में सौंपी किसी सम्पत्ति का प्रबन्ध और नियन्त्रण कर सकती है।

119. **सार्वजनिक संस्था**—(1) प्रत्येक सार्वजनिक संस्था का, जिसका अनुरक्षण अनन्य रूप से नगरपालिका विधि से किया जाता हो, प्रबन्ध, नियन्त्रण और प्रशासन नगरपालिका में निहित होगा।

(2) नगरपालिका में कोई अन्य सार्वजनिक संस्था निहित की जा सकती है, उसका प्रबन्ध, नियन्त्रण और प्रशासन उसके अधीन रखा जा सकता है, परन्तु उसके सम्बन्ध में नगरपालिका के स्वतन्त्र प्राधिकार का विस्तार नियम द्वारा विहित किया जा सकता है।

(3) किसी सार्वजनिक संस्था की, जो नगरपालिका में निहित हो या उसके प्रबन्ध, नियन्त्रण और प्रशासन के अधीन रखी गई हो, समस्त सम्पत्ति विन्यास और निधि नगरपालिका द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए न्यास में रखी जायेगी जिसके लिए ऐसी सम्पत्ति, विन्यास और निधि उस समय वैध रूप में प्रयोजन होती जब कि उक्त संस्था इस प्रकार निहित थी या इस प्रकार रखी गई थी।

(4) परन्तु यह कि इस धारा से पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह किसी न्यास की सम्पत्ति का पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 के अधीन पूर्व विन्यास के कोषाध्यक्ष में निहित करने से निवारित करती है।

120. **नगरपालिका क्षेत्र निधि और सम्पत्ति का उपयोजन**—(1) नगरपालिका में निहित नगरपालिका क्षेत्र निधि और समस्त सम्पत्ति का उपयोजन उन अभिव्यक्त या विवक्षित प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, जिसके लिए इस या किसी अन्य अधिनियम के अधीन, नगरपालिका को शक्ति प्रदत्त है या उस पर कर्तव्य या बाध्यता अधिरोपित किये गये है।

(2) परन्तु यह कि नगरपालिका क्षेत्र की सीमा से बाहर भूमि अर्जन करने या उसे कर पर देने या ऐसी सीमा से बाहर कोई निर्माण कार्य करने के लिए सिवाय—

(क) राज्य सरकार की स्वीकृति के; और

(ख) ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर जिन्हें राज्य सरकार अधिरोपित करें; कोई व्यय नहीं करेगा।

(3) परन्तु यह भी कि नगरपालिका के निम्नलिखित दायित्वों और बाध्यताओं को नीचे वर्णित क्रम में प्राथमिकता दी जायेगी।

(क) सफाई मजदूरों के वेतन और भत्तों का भुगतान;

(क.क) नगरपालिका पर वैध रूप से अधिरोपित या उसके द्वारा स्वीकृत न्यास से उत्पन्न दायित्व और बाध्यतायें;

(ख) स्थानीय प्राधिकरण उधार अधिनियम, 1914 के उपबन्धों के अधीन उपगत किसी ऋण का प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज का भुगतान;

(ग) {खण्ड (क) के अधीन भुगतान को छोड़कर, स्थापना व्यय का भुगतान} जिनके अन्तर्गत ऐसे अंशदान है, जो धारा 78 में निर्दिष्ट किये गये हैं और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिशासी अधिकारियों का वेतन, भत्ते और पेंशन;

(घ) कोई धनराशि जिसका धारा 35 के उपधारा (3) धारा 36 की उपधारा (2), धारा 126, धारा 163 की उपधारा (3) या धारा 320 की उपधारा (3) के अधीन नगरपालिका निधि से भुगतान करने का आदेश दिया गया हो।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, ऐसे किसी व्यक्ति को सफाई मजदूर समझा जायेगा और वह नगरपालिका की सड़कों, गलियों, रास्तो, नालियों, सीवरों, शौचालयों और मूत्रालयों में झाडू लगाने और उनकी सफाई करने, मृत पशुओं और कूड़ा करकट ढोने के प्रयोजनों के लिए और इस प्रकार के अन्य कार्यो के लिए नगरपालिका द्वारा सेवायोजित हो।

{120–क. **कतिपय मुकदमों पर नगरपालिका निधि से होने वाले व्यय का निर्बन्धक**– राज्य सरकार द्वारा धारा 30, धारा 34, धारा 40 या धारा 48 के अधीन, जो आदेश दिया गया है या दिया हुआ तात्पर्यित है, उसके सम्बन्ध में नगरपालिका या उसके अध्यक्ष द्वारा या उसकी ओर से किसी न्यायालय से संस्थित या प्रारम्भ की गई किसी कार्यवाही पर खर्च करने के प्रयोजनार्थ नगरपालिका निधि से कोई व्यय निदेशक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा।}

{120–ख. **नगरपालिका के भू–गृहादि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1966 के अध्याय 7 का लागू किया जाना**–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अध्याय 7 के उपबन्ध किसी ऐसे भू–गृहादि के सम्बन्ध में, जो नगरपालिका के हों या उसमें निहित हों अथवा नगरपालिका द्वारा पट्टे पर लिये गये हों, इस एक्ट के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित 'परिषद के भू–गृहादि' के सम्बन्ध में लागू होते हों और उसमें परिषद तथा उक्त अधिनियम के अधीन नियम विषय के लिए किये गये अभिदेश क्रमशः इस अधिनियम में यथा परिभाषित नगरपालिका तथा इस अधिनियम में नियत विषय के लिए किये गये अभिदेश समझे जायेंगे।

121. **जब क्षेत्र यथास्थिति संक्रमणशील क्षेंत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र न रह जाये तब निधि का निस्तारण**–(1) जब धारा 3 के अधीन अधिसूचना के कारण कोई स्थानीय क्षेत्र यथास्थिति संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र न रह जाये और उसे तत्काल किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के नियन्त्रण के अधीन रख दिया जाये तब नगरपालिका में निहित नगरपालिका निधि और सम्पत्ति ऐसे स्थानीय प्राध्किारी में निहित हो जायेगी, और नगरपालिका के दायित्व ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारी को अंतरित हो जायेंगे।

(2) इस प्रकार जब कोई स्थानीय क्षेत्र यथास्थिति यथास्थिति संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र न रह जाये और उसे तत्काल अन्य स्थानीय प्राधिकारी के नियन्त्रण के अधीन न रख दिया जाये, तब नगरपालिका में निहित नगरीय क्षेत्र निधि का अतिशेष और अन्य सम्पत्ति राज्य सरकार में निहित हो जायेगी और नगरपालिका के दायित्व राज्य सरकार को अन्तरित हो जायेंगे।

122. **जब क्षेत्र यथास्थिति संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित न रह जाय तब निधि का निस्तारण**–(1) जब धारा 3 के अधीन अधिसूचना के कारण कोई स्थानीय क्षेत्र यथास्थिति संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित न रह जाये और उसे तत्काल किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के नियन्त्रण के अधीन रख दिया जाय, तब नगरपालिका में निहित यथास्थिति संक्रमणशील क्षेत्र

या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र निधि का ऐसा भाग अन्य सम्पत्ति उस अन्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो जायेगी और नगरपालिका के दायित्वों का ऐसा भाग जिसे राज्य सरकार नगरपालिका और उस अन्य स्थानीय प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा घोषित कर उस अन्य स्थानीय प्राधिकारी को अन्तरित हो जायेगा।

(2) इसी प्रकार जब कोई स्थानीय क्षेत्र यथास्थिति संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित न रह जायेग और उसे तत्काल किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के नियन्त्रण के अधीन रख दिया जाय, तब नगरपालिका में निहित नगरपालिका निधि का ऐसा भाग और सम्पत्ति राज्य सरकार में निहित जो जायेगी और नगरपालका के दायित्वों का ऐसा भाग जिसे राज्य सरकार, नगरपलिका से परामर्श करने और अपवर्जित क्षेत्र के निवासियों द्वारा किये गये किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा घोषित कर राज्य सरकार को अन्तरित हो जायेगा।

(3) परन्तु यह कि यदि कोई अपवर्जित स्थानीय क्षेत्र किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के नियन्त्रण के अधीन रखा जाये जो अपवर्जन के पूर्व के दिनांक को विद्यमान न हो, तो राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन घोशण करने के पूर्व अपवर्जित क्षेत्र के निवासियों द्वारा किये गये किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगी।

(4) परन्तु यह भी कि इस धारा के पूर्वगामी उपबन्ध ऐसे किसी मामलें के सम्बन्ध में लागू न होंगे जहां राज्य सरकार की राय में परिस्थिति ऐसी हो जिससे यथास्थिति संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र निधि या दायित्व के किसी भाग का अन्तर अवांछनीय हो जाय।

123. **निधि और सम्पत्ति का उपयोग जो धारा 121 या 122 के अधीन सरकार को प्रोद्भूत हो**—नगरपालिका निधि या नगरपालिका निधि के किसी भाग या नगरपालिका की अन्य सम्पत्ति का उपयेाग जो धारा 121 या 122 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार को प्रोदभूत हो, सर्वप्रथम ऐसे उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार को अन्तरित नगरपालिका के दायित्वों की पूर्ति करने के लिए और तत्पश्चात् स्थानीय क्षेत्र के निवासियों के लाभ के लिए किया जायेगा।

124. **सम्पत्ति अन्तरण सम्बन्धी नगरपालिका की शक्ति**—(1) नगरपालिका, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित किसी निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, नगरपालिका में निहित किसी सम्पत्ति को, जो किसी न्यास के सम्बन्ध में उसके द्वारा धृत सम्पत्ति न हो, जिसकी शर्ते इस प्रकार अन्तरण के अधिकार से असंगत हों, विक्रय, बन्धक, पट्टा, दान विनियम द्वारा या अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकता है।

(2) नगरपालिका, उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की स्वीकृति से, नगरपालिका में निहित किसी सम्पत्ति का सरकार को अन्तरण कर सकती है, किन्तु इस प्रकार से नहीं कि उससे किसी न्यास या सार्वजनिक अधिकार पर जिसके अधीन वह सम्पत्ति हो, कोई प्रभाव पड़े।

(3) परन्तु यह कि उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अन्तरण ऐसे पट्टे को छोड़कर जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक न हो, लिखत द्वारा किया जायेगा जो नगरपालिका की सामान्य मुदर से मुद्रांकित होगी और अन्यथा वह ऐसी सभी शर्तो का अनुपालन करेगी जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन संविदा के सम्बन्ध में अधिरोपित की गई हो।

संक्षेप

1. धारा 124—क. उद्देश्य एवं विस्तार

1. **धारा 124—क. उद्देश्य एवं विस्तार**—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की यह धारा सम्पत्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में नगर पालिका की शक्तियों के बारें में वर्णित करती है। उपधारा (1) के अनुसार नगरपालिका स्वयं में निहित किसी सम्पत्ति का अन्तरण विक्रय, बन्धक पट्टा, दान या विनियम द्वारा या अन्य किसी प्रकार से कर सकती है, किन्तु यदि कोई सम्पत्ति न्यास की सम्पत्ति है और उसकी शर्ते ऐसे किसी अन्तरण के प्रतिकूल हो, तो ऐसा अन्तरण नहीं किया जायेगा। उपधारा (2) के अनुसार नगरपालिका अपनी किसी सम्पत्ति का अन्तरण सरकार को भी कर सकती है।

उपधारा (3) उपधारा (1) के अधीन अन्तरण के लिए प्रक्रिया और शर्ते विहित करती है। इसके अनुसार ऐसा अन्तरण, यदि वह एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे के सम्बन्ध में न हो, लिखित रूप में नगरपालिका की सामान्य मुद्रा के अधीन होगा।

धारा 124 एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे के निर्माण के सिवाय लिखत के रूप में, प्रतिबद्ध करती है। उपधारा (3) इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करती है। इसके अनुसार कोई भी एक वर्ष से अधिक का पट्टा बिना लिखत के निश्पादित नहीं किया जायेगा।

125. **नगरपालिका निधि से प्रतिकर का भुगतान**—नगरपालिका निधि में से किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर दे सकती है जिसे इस या किसी अन्य अधिनियम के अधीन नगरपालिका उसके अधिकारियों या किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए कारण, कोई क्षति पहुंची हो, और ऐसा प्रतिकर उस दशा में होगा जब उस व्यक्ति ने, जिसे क्षति पहुँची हो स्वयं उस मामलें में कोई चूक न की हो, जिसके सम्बन्ध में उस शक्ति का प्रयोग किया गया थी।

126. **मेले आदि में पुलिस के विशेष संरक्षण के लिए नगरपालिका द्वारा भुगतान**—जब राज्य सरकार की राय में नगरपालिका द्वारा आयोजित किसे मेले, कृषि—प्रदर्शन या औद्योगिक प्रदर्शनी के अवसर पर पुलिस का विशेष संरक्षण अपेक्षित हो तब राज्य सरकार ऐसे संरक्षण की व्यवस्था कर सकती है और नगरपालिका उसके पूरे प्रभार का या उस प्रभार के ऐसे भाग का जिसे राज्यसरकार उसके द्वारा साम्यिक रूप में देय समझे, भुगतान करेगा।

(2) यदि प्रभार की धनराशि का भुगतान न किया जाये तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिका निधि हो, ऐसी निधि से उक्त व्यय का भुगतान करने का निदेश देते हुए आदेश कर सकता है।

127. **नगरपालिका निधि, सम्पत्ति से सम्बद्ध अन्य विषय**—निम्नलिखित मामलें धारा 296 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली द्वारा विनियमित और नियंत्रित होंगे; अर्थात्—

(क) प्राधिकारी जिसके सम्बन्ध में नगरपालिका निधि से भुगतान किया जा सकता है;

(ख) शर्ते जिनके आधार पर नगरपालिका द्वारा सम्पत्ति अर्जित की जा सकती है या जिसके आधार पर नगरपालिका में निहित सम्पत्ति का विक्रय, बन्धक, पट्टा विनियम द्वारा या अन्य प्रकार से अन्तरण किया जा सकता है; या

(ग) नगरपालिका निधि या नगरपालिका सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई ऐसा अन्य मामला जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में कोई उपबन्ध न हो या अपर्याप्त उपबन्ध हो और उपबन्ध करना आवश्यक हो।

———————

अध्याय 4—क
जिला योजना समिति और वित्त आयोग

127—क. **जिला योजना समिति**—(1) प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति, जिले में पंचायतों और नगर निगमों, नगरपालिका, परिषदों और नगर पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को सम्मिलित करने के लिए और सम्पूर्ण जिले के लिए एक विसा योजना प्रारूप तैयार करने के लिए, गठित की जाएगी।

(2) जिला योजना समिति में ऐसे व्यक्ति होंगे जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय;

परन्तु जिला समिति के सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम चार बटा पांच भाग पंचायत के और जिलेय में नगर निगम, नगरपालिका, परिषदों और नगर पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से, जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के बीच अनुपात के अनुसार निर्वाचित किये जायेगें;

परन्तु अग्रेत्तर कि अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित आदेशों द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

परन्तु यह भी है कि सदस्यों की कोई रिक्ति ऐसी समिति के गठन या पुनगर्ठन में बंधक नहीं होगी।

(3) जिला योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी रीति से चुना जाएगा जो नियमों द्वारा विहित की जाए।

(4) जिला योजना समिति, विकास योजना का प्रारूप तैयार करने में—

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी :—

(i) पंचायतों और नगर निगमों, नगरपालिका परिशदों और नगर पंचातयों के बीच सामान्य वित्त के विषय, जिनके अन्तर्गत स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक और प्राकृतिक साधनों में हिस्सा, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है;

(ii) उपबन्ध साधनों की सीमा और प्रकार चाहे यह वित्तीय हो या अन्य;

(ख) ऐसे संस्थाओं ओर संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(5) प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की गई विकास योजना राज्य सरकार को भेजेगा।

127—ख. **योजना का तैयार किया जाना**—(1) प्रत्येक नगरपालिका का अधिशासी अधिकारी नियमों द्वारा विहित रीति में नगरपालिका क्षेत्र के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई योजना नगरपालिका की बैठक में उसके समक्ष रखी जायेगी और नगरपालिका उसे उपान्तरों सहित या बिना किसी उपान्तर के अनुमोदित कर सकती है।

(3) अधिशासी अधिकारी योजना के नगरपालिका द्वारा अनुमोदित कर दिये जाने के पश्चात् उसे ऐसे दिनांक के पूर्व जो नियमों द्वारा विहित किया जाये जिला योजना समिति को भेजेगा।

127—ग. **वित्त आयोग**—(1) वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा और राज्यपाल को निम्नलिखित के सम्बन्ध में सिफारिशें करेगा —

(क) उन सिद्धान्तों के बाबत जो निम्नलिखित को शासित करेगा,—

(i) राज्य द्वारा उद्ग्रहणी ऐसे करों, शुल्कों, पक्षकारों और फीसों के शुद्ध आगमों की राज्य और नगरपालिकाओं के बीच वितरण और ऐसे आगमों का नगरपालिकाओं के अंश का आबंटन;

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पक्षकारों और फीसों का अवधारण जो नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट या उनके द्वारा विनियोजित किये जा सकेगें।

(iii) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान;

(ख) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय,

(ग) कोई अन्य विषय जो राज्यपाल द्वारा नगरपालिकाओं को ठीक वित्त व्यवस्था के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाय।

(2) राज्यपाल उपधारा (1) के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गयी प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गयी कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखे जायेंगे।

——————

अध्याय 5
नगरपालिका कराधान, करों का अधिरोपण और परिवर्तन

128. **कर जो अधिरोपित किये जा सकते हैं**–(1) इस निमित्त राज्य सरकार के किसी सामान्य नियम या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए ऐसे कर, जिन्हें नगरपालिका सम्पूर्ण नगरपालिका या उसके किसी भाग में अधिरोपित कर सकती है, निम्नलिखित है–

(i) भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर;

(ii) व्यापार और आजीविका पर कर, जो नगरपालिका की सीमा के भीतर की जाती हो और जिसे नगरपालिका सेवाओं से विशेष लाभ हो रहा हो, या जिससे उस पर विशेष भार पड़ रही हो;

(iii) व्यापार, आजीविका और व्यवसाय पर कर जिसमें ऐसे सभी सेवायोजन भी सम्मिलित है, जिनमें वेतन या फीस के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है;

(iv–क) नाट्यशाला–कर जिसका तात्पर्य विनोद या आमोद पर कर से है;

(iv) नगरपालिका के भीतर किराये पर चलयी जा रखी जाने वाली गाड़ी या अन्य सवारी पर या उसमें बांधी जाने वाली नावों पर कर;

(v) नगरपालिका के भीतर रखे गये कुत्तो पर कर;

(vi) ऐसे पशुओं पर कर, जिनका उपयोग, जब उन्हें नगरपालिका के भीतर रखा जाय, सवारी करने, चलाने खींचने या बोझा ढोने के लिए किया जाता हो;

(vii) {***}

(viii) {***}

(ix) निवासियों पर उनकी परिस्थिति और सम्पत्ति के अनुसार निर्धारित कर;

(x) भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल पर जल–कर;

(x–क) भवन के वार्षिक मूल्य पर जल निकास कर, जो ऐसे भवन का उद्ग्रहणीय हो, जो निकटतम सीवर लाईन से प्रत्येक नगरपालिका के लिए इस निमित्त नियम निर्धारित दूरी के भीतर स्थिति हो;

(xi) समार्जन–कर;

(xii) संण्डासो, मूत्रालयों और नलकूपों से मलादि और प्रदूषित पदार्थो का संग्रह करने, हटाने और निस्तारण करने के लिए सफाई कर;

(xiii) {***}

(xii–क) {***}

(xiv–ख) नगरपालिका की सीमा में स्थित यथावर सम्पत्ति के अन्तरण विलो पर कर;

(xv) {***}

(2) प्रतिबन्ध उपधारा (1) के खण्ड (iii) और (ix) के अधीन कर एक साथ उद्ग्रहणीय नहीं होगें; {***} और न ही उपधारा (1) के खण्ड (x–क) और (xii) के अधीन कर एक साथ उद्ग्रहणीय होंगे;

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के खण्ड (xiii–ख) के अधीन नगरपालिका के ऐसे क्षेत्र मेंक जो यू0पी0 टाउन इम्प्रूवमेनट एक्ट, 1919 की धारा 3 के अधीन सृजित किसी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का स्थानीय क्षेत्र हो, स्थिति स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण विलेख पर कोई कर उद्ग्रहणीय न होगा;

प्रतिबन्ध यह भी है कि उपधारा (1) के खण्ड (iv) के अधीन कोई कर किसी मोटर गाड़ी के सम्बन्ध में उद्ग्रहणीय न होगा।

(3) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे कर के अधिरोपण का प्राधिकार न देगी जिसके लिए राज्य विधान मंडल को संविधान के अधीन राज्य में अधिरोपित करने की शक्ति न हो;

प्रतिबन्ध यह है कि नगरपालिका जो संविधान के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व, तत्समय प्रवृत्त इस धारा के अधीन कोई ऐसा कर विधिपूर्वक उद्ग्रहीत कर रही थी उस कर का उद्ग्रहण जारी रख सकती है जब तक कि संसद इसके प्रतिकूल कोई उपबन्ध न बनायें।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)
2. धारा 128 का उद्देश्य एवं विस्तार
3. 'सम्पूर्ण नगरपालिका या उसके किसी भाग में' शब्दों का अभिप्राय
4. क्या नगरपालिका अधिनियम धारा 128 (1) के अधीन नगरपालिकाओं द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए कोई वास्तविक मार्ग दर्शन उपबन्धित करता है?
5. फीस और कर में अन्तर
6. उपधारा (1) का खण्ड (x)

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)–इस धारा में अब तक कुल तीन बार संशोधन किये जा चुके है। इन संशोधनों को क्रमशः निम्नवत् प्रस्तुत किया जा सकता है–

(क) सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1964 द्वारा इस धारा की उपधारा (1) में खण्ड (iii–क) एवं (xii–ख) जोड़ा गया। इसके अलावा उपधारा (2) का अन्तिम वाक्यांश और प्रथम परन्तुक भी इसी संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गये है।

(ख) तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, 9, सन् 1991 द्वारा इस धारा की उपधारा (1) के खण्ड (vii), (viii), (xiii) एवं (xiv) को निरसित कर दिया गया। निरसन से पूर्व ये खण्ड क्रमशः निम्नवत् थे–

''(vii) यात्रियों के ग्रहोपयोगी वस्तुओं से भिन्न अन्य वस्तुओं से लदे मोटर वाहन एवं अन्य सवारियों, पशुओं और कुलियों जो कि नगरपालिका की सीमाओं में प्रवेश करते हैं और ऐसी वस्तुओं या उसके किसी भाग को ऐसी सीमाओं में उतारते है, पर कर;

(viii) उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए नगरपालिकाओं की सीमाओं में लगायी गयी वस्तुओं या आये गये पशुओं पर चुंगी;

* * * *

(xiv) किसी एक नगरपालिका से दूसरी नगरपालिका को निर्यात या आयात की जाने वाली वस्तुओं, जिन पर छः जुलाई, 1917 को चुंगी लागू थी, पर कर या केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से कर;

*　　　　　　　*　　　　　　　*　　　　　　　*

(xiv) कोई अन्य कर जो राज्य विधान मण्डल द्वारा संविधान के अन्तर्गत राज्य में अधिरोपित कर सकती है।''

इसके अलावा इस संशोधन अधिनियम द्वारा उपधारा (2) में प्रयुक्त शब्दों 'उपधारा (1) के खण्ड (viii) के अधीन वस्तुओं पर चुंगी और उपधारा (1) के खण्ड (xiii) के अधीन कर एक साथ उद्ग्रहणीय नहीं होगे' को निरसित कर दिया गया।

(ग) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 द्वारा उपधारा (3) में 'बोर्ड शब्द के स्थान पर 'नगरपालिका' शब्द को प्रतिस्थापित कर दिया गया।

2. धारा 128 का उद्देश्य एवं विस्तार—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 नगरपालिका को नगरपालिका सीमा में या उसके किसी भाग में उपधारा (1) में वर्णित करों को अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान करती है। नगरपालिका की यह शक्ति राज्य सरकार द्वारा जारी किसी सामान्य नियम या विशेष आदेश के अधीन है। इसके अलावा उपधारा (2) एवं (3) के उपबन्धों और प्रतिबन्धों के अनुसार ही ये कर अधिरोपित किये जा सकते है। उपधारा (2) निम्नलिखित करों को एक साथ अधिरोपित और उद्ग्रहीत किये जाने पर प्रतिबन्ध लगायी है—

(1) उपधारा (1) के खण्ड (iii) के अधीन व्यापार, आजीविका और व्यवसाय पर कर जिसमें ऐसे सभी सेवायोजन भी सम्मिलित हैं, जिनमें वेतन या, फीस के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है; एवं खण्ड (ix) निवासियों पर उनकी परिस्थिति और सम्पत्ति के अनुसार निर्धारित कर।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (x—क) के अधीन भवन के वार्षिक मूल्य पर जल निकास कर जो ऐसे भवन पर उद्ग्रहणीय हो, जो निकटतम सीवर लाइन से प्रत्येक नगरपालिका के लिए इस निमित्त नियम द्वारा निर्धारित दूरी के भीतर स्थिति हो, एवं खण्ड (xii) के अधीन सण्डासों, मूत्रालयों और नलकूपों से मलादि और प्रदूषित पदार्थो का संग्रह करने, हटाना और निस्तारण करने के लिए सफाई कर।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 1991 द्वारा इस धारा में संशोधन किये जाने से पूर्व उपधारा (1) के खण्ड (viii) के अधीन उपभोग, उपयोग का विक्रय के लिए नगरपालिका की सीमाओं में लायी गयी वस्तुओं या लाये गये पशुओं पर चुंगी एवं खण्ड (xiii) के अधीन एक नगरपालिका से दूसरी नगरपालिका में आयात—निर्यात की जाने वाली वस्तुतओं पर चुगी भी एक साथ अधिरोपित एवं उद्ग्रहीत नहीं की जा सकती थी।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की इस धारा के अन्तर्गत नगरपालिका किसी ऐसी भूमि पर करारोपण नहीं कर सकती है जिसका उपयोग कृषि कार्यो के लिए होता है।

धारा 128 के अन्तर्गत कोई भी कर इस अधिनियम की धारा 131 से 135 तक में दी गई प्रक्रिया के पश्चात ही अधिरोपित और वसूल किया जा सकता है।

3. 'सम्पूर्ण नगरपालिका या उसके किसी भाग में' शब्दों का अभिप्राय—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 की उपधारा (1) के अनुसार कोई नगरपलिका सम्पूर्ण नगरपालिका या उसके किसी भाग में इस उपधारा के विभिन्न खण्डों में उल्लिखित करों में से कोई कर अधिरोपित कर सकती है। यदि नगरपालिका सीमा के भीतर स्थिति दो स्थानों की भौगोलिक स्थिति और स्थानीय व्यवस्था में अन्तर है, तो दोनों स्थानों के लिए करों की मात्रा और स्वरूप भिन्न—भिन्न हो सकती है। इस वाद में नगरपालिका बरेली के सिविल लाइन्स क्षेत्र में भूमि अधिग्रहीत कर सड़कों का निर्माण किया। अच्छे भवनों का निर्माण किया एवं उसके लिए भूमि उपलब्ध करायी, पार्क, बाग आदि की व्यवस्था की, पानी और बिजली की विशेष व्यवस्था की, सफाई आदि की समुचित व्यवस्था निश्चित रूप से शहर के अन्य भागों की व्यवस्था से काफी अच्दी है। ऐसी स्थिति में नगरपालिका द्वारा सिविल लाइन्स क्षेत्र में इन सुविधाओं के लिए शहर के अन्य भागों से अधिक कर लगाना अनुचित और अवैध नहीं है। इससे न तो नगरपालिका अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघ होता है, और न ही संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघ हतोता है।

4. क्या नगरपालिका अधिनियम धारा 128 (1) के अधीन नगरपालिकाओं द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए कोई वास्तविक मार्ग दर्शन उपबन्धित करता है?–उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न पर गोपाल नारायण वाद में विस्तार से विचार किया। न्यायालय ने अभिधारित किया कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रचलित नगरपालिका विधियों को संशोधित एवं समेकित करने हेतु बनाया गया। इस अधिनियम की धारा 7 नगरपालिका के कर्तव्यों के बारें में उल्लेख करती है। यह धारा नगरपालिका को नगरपालिका सीमा में स्वास्थ्य एवं सफाई, जल निकासी जलापूर्ति, स्कूल, सड़क, हास्पिटल, जच्चा–बच्चा केन्द्रों आदि की व्यवस्था और निर्माण करने हेतु निर्देशित करती है। धारा 18 उपबन्धित करती है कि नगरपालिका स्वविवेक से विशेष सेवाओं और ऐसे अन्य कर्तव्यों को अपने हाथ में ले सकती है, जिसमें अधिक खर्च निहित है।

नगरपालिका उपर्युक्त कर्तव्यों का निष्पादन तब तक नहीं कर सकती है जब तक कि उसे कर के रूप में धन वसूलने का अधिकार प्रदान न किया जाए। धारा 128 नगरपालिका को ऐसी ही शक्ति एवं अधिकार प्रदान करती है। यह धारा उपबन्धित करती है कि नगरपालिका सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र या उसके किसी भाग पर कोई कर अधिरोपित कर सकती है। इस प्रकार इन धाराओं को एक साथ पढ़ने पर स्पष्ट हो जाता है कि नगरपालिका को कर अधिरोपित करने और वसूलने की शक्ति मात्र उसे अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में सक्षम बनाने हेतु प्रदान किया गया है, किन्तु प्रश्न यह है किनगरपालिका कर अधिरोपित करने हेतु किसी भाग चयन किस आधार पर करेगी। धारा 128 में इसके बारें में कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं है। न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचारोपरान्त संप्रेक्षित किया कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 7 एवं 8 नगरपालिका के जिन कर्तव्यों का उल्लेख करती है उनका अनुपालन एवं निशपादन सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में एक साथ करना आवश्यक नहीं है। उनका प्रारम्भ किस विशेश क्षेत्र में किया जा सकता है जिसका विस्तार सामान्य क्रम में अन्य क्षेत्रों में भी किया जायेगा। कुछ सुविधाएं जो नगरपालिका के किसी क्षेत्र में आवश्यक है, अन्य क्षेत्रों में आवश्यक नहीं हो सकती है या उनका स्वरूप भिन्न हो सकता है। किसी स्थान की दूरी और भौगोलिक स्थिति के कारण एक ही प्रकार की सुविधाओं के लिए खर्च में भिन्नता आ सकती है। इन भिन्नताओं के आधार पर कर अधिरोपित करने हेतु नगरपालिका द्वारा कर अधिरोपित करने हेतु क्षेत्रों का चयन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह कहना उचित नहीं है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत नगरपालिका द्वारा करारोपण करने और क्षेत्रों का चयन करने हेतु कोई मार्ग निर्देशन नहीं किया गया है।

5. फीस और कर में अन्तर– फीस और कर में व्यापक अन्तर नहीं है। दोनों जनता से धन वसूलने की रीति है, किन्तु जहां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अधिरोपित किया जाता है, और किसी सेवा के बदले में नहीं लगाया जाता है, फीस प्रदान की गयी सेवा के बदले में अधिरोपित और वसूल की जाती है।

फीस उसी अनुपात में होनी चाहिए जिस अनुपात में सेवाएं प्रदान की गयी है, किन्तु इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे अनिुपात में गणितीय शुद्धता हो।

धारा 110 की उपधारा (1) के खण्ड (X) के अधीन अधिरोपित जलकर नहीं है अपितु कर है।

6. उपधारा (1) का खण्ड (X)–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (X) के अन्तर्गत नगरपालिका को भवन कर और जलकर दोनों अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान हैं, किन्तु इस अधिनियम की धारा 141 से 144 तक के उपबन्धों का अनुसरण पत्र मात्र भवन कर के निर्धारण के प्रयोजनार्थ ही आवश्यक है न कि जलकर के निर्धारण किये जाने के लिए।

128–क. (1)–यदि किसी नगरपालिका ने धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (xii–ख) में अभिदिश्ट कर अधिरोपित किया हो तो अचल सम्पत्ति के किसी हस्तानतरण पर विलेख भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 द्वारा आरोपित शुल्क ऐसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति की दशा में, प्रतिफल की धनराशि या मूल्य पर, जिसके अभिेदश में उक्त अधिनियम के अधीन शुल्क की गणना की जाये, दो प्रतिशत बढ़ा दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नगरपालिका विशेष संकल्प द्वारा शुल्क में वृद्धि के उपर्युक्त प्रतिशत कतो पांच प्रतिशत तक बढ़ा सकती है।

(2) उक्त वृद्धि के परिणामस्वरूप समस्त संग्रहीत धनराशि आनुषंगिक व्यय की, यदि कोई हो, कटौती करने, पश्चात् राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से जिसे विहित किया जाय सम्बद्ध नगरपालिका को भुगतान की जायेगी।

(3) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 इस प्रकार पढ़ी जायेगी और सउसका अर्थ इस पकार लगाया जायेगा मानों विनिर्दिष्ट रूप से यह अपेक्षित है कि उसमें निर्दिष्ट विशिष्टियों का निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक–पृथक उल्लेख किया जायेगा–

(क) सम्पत्ति जो नगरपालिका की सीमा के भीतर स्थित है; और

(ख) सम्पत्ति जो नगरपालिका की सीमा के बाहर स्थित है।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 64 में सरकार को किये गये समस्त निर्देशों से यह समझा जायेगा कि उसमें नगरपालिका भी सम्मिलित है।

129. **जलकर के अधिरोपण पर निर्वधन**–जलकर अधिरोपण निर्वधन धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (x) के अधीन कर, इस निर्बन्धन के अधीन रहते हुए लगाया जायेगा कि निम्नलिखित पर ऐसा कर न लगाया जाय–

(i) किसी ऐसी भूमि पर जिसका उपयोग एक मात्र कृषि प्रयोजन के लिए किया जाता हो, जब तक कि नगरपालिका द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए जल सम्भरित न किया जाये; या

(ii) किसी ऐसे भू–खण्ड या भवन पर जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रूपये से अधिक न हो, और जिसे नगरपालिका द्वारा जल सम्भरित न किया जाता हो; या

(iii) किसी ऐसे भू–खण्ड या भवन पर जिसका कोई भाग निकटतम नल या जलकल से, जहां पर जनता को नगरपालिका द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता हो उस नगरपालिका के लिए विहित अर्द्ध व्यास के भीतर न हो।

स्पश्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) 'भवन में उसका अहाता (यदि कोई हो), और जहां एक ही समान अहाते में अनेक भवन हों, वहां ऐसे समस्त भवन और सामान्यस हाता भी सम्मिलित है;

(ख) 'भू–खण्ड' का तात्पर्य किसी ऐसे भूमि के खंड से है जो किसी एकल अध्यासी द्वारा, या अनेक अध्यासियों द्वारा सामान्य रूप से, धृत हो, जिसका कोई भी एक भाग किसी दूसरे भाग से किसी अन्य अध्यासी या अध्यासियों की भूमि या सार्वजनिक सम्पत्ति के द्वारा पूर्णतया पृथक–कृत न हो।

130. **अन्य करों के अधिरोपण पर निर्बन्धन**–धारा 128 की उपधारा (1) के खन्ड (xi) या (xii) के अधीन कर का अधिरोपण इस निर्बन्धन के अधीन होगा कि कर किसी गृह या भवन पर निर्धारित नहीं किया जायेगा अथवा किसी गृह या भवन के अध्यासी से उद्ग्रहणीय न

होगा जब तक कि नगरपालिका द्वारा 196 के खण्ड (क) के अधीन गृह समार्जन का या भवनों के संडासों, मूत्रालयों और नलकूपों से मलादि और प्रदूषित पदार्थ का संग्रह करने, उसे हटाने और उसके निस्तारण का दायित्व न लें।

130—क. **नगरपालिका से कर अधिरोपित करने की अपेक्षा करने को राज्य सरकार की शक्ति**—(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में सामान्य या विशेष आदेश प्रकाशित करके, नगरपालिका से धारारा 128 में वर्णित कोई कर जो पहले से अधिरोपित न हो ऐसी दर से और ऐसी अवधि के भीतर, जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, अधिरोपित करने की अपेक्षा कर सकती है और तब नगरपालिका तद्नुसार कार्यवाही करेगी।

(2) राज्य सरकार पहले से अधिरोपित किसी कर की दर को बढ़ाने, उपान्ततिरत या उसमें परिवर्तन करने की नगरपालिका से अपेक्षा कर सकती और तब नगरपालिका कर को अपेक्षानुसार बढ़ायेगी, उपान्तरित या उसमें फेर—फार करेगी।

(3) यदि नगरपालिका उपधारा (1) या (2) के अधीन दिये गये आदेश का पालन करने में असफल रहती है, तो राज्य सरकार कर को अधिरोपित करने, बढ़ाने उपान्तरित करने या उसमें परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त आदेश दे सकता और तब राज्य सरकार का आदेश उसी प्रकार परिवर्तित होगा मानो वह नगरपालिका द्वारा धारा 134 की उपधारा (2) के अधीन सम्यक् रूप से पारित किसया गया कोई संकल्प हो।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)
2. धारा 130—क का उद्देश्य एवं विस्तार

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changers)**—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 में यह धारा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन्, 1949 द्वारा जोड़ी गयी है।

2. **धारा 130—क का उद्देश्य एवं विस्तार**—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 130(क) असमान्य परिस्थितियों से निबटने के लिए उपबन्धित की गयी है। अतः इसके द्वारा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होता है।

130—ख. **कतिपय प्रयोजनों के लिए प्राप्त करों का एकत्रीकरण**—धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (x), (x—क), (xi) और (xii) में उल्लिखित, जल निकास, समार्जन और सुफाई करों से समस्त धन तथा सन्डासों, मूत्रालयों और मलकूपों से एकत्रित किया जायेगा और इसका उपयोग जलकल और जल निकास कार्यो के निर्माण अनुरक्षण, विस्तार और सुधार से सम्बद्ध प्रयोजनों तथा सन्डासों, मूत्रालयों और मलकूपों से, जिसमें सलेज फार्म भी सम्मिलित है, मलादि और प्रदूषित पदार्थो को एकत्र करने, हटाने और निस्तारण करने का प्रबन्ध करने के लिए किया जायेगा।

131. **प्रारम्भिक प्रस्ताव तैयार करना**—(1) जब नगरपालिका कर अधिरोपित करना चाहे तो वह विशेष संकल्प द्वारा प्रस्ताव तैयार करेगी जिसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जायेगा—

(क) धारा 128 की उपधारा (1) में वर्णित करों में से कोई कर जिसे वह अधिरोपित करना चाहती है;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिसे दायी बनाया जायेगा और सम्पत्ति का अन्य करादेय वस्तु या परिस्थितियों का वर्णन, जिसके सम्बन्ध में उन्हें दायी बनाया जायेगा, सिवाय इसके कि जहां और जहां तक कोई ऐसा वर्ग या वर्णन का खण्डन (क) के अधीन या इस अधिनियम के द्वारा पहले ही पर्याप्त रूप से परिभाषित किया जा चुका हो;

(ग) धनराशि या दर, जो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से उद्धरणीय होगी;

(घ) धारा 153 में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार नियम द्वारा निर्दिष्ट करने की अपेक्षा करें।

(2) नगरपालिका नियमावली का एक प्रारूप भी तैयार करेगी जिसे वह धारा 153 में निर्दिष्ट विषयों के बारें में राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने की वांछा करे।

(3) नगरपालिका तब उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये प्रस्ताव और उपधारा (2) के अधीन बनाई गई नियमावली के प्रारूप को अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में नोटिस के साथ धारा 94 में विहित रीति से प्रकाशित करेगी।

संक्षेप

1.	विधायी परिवर्तन (Legislative changers)	4.	धारा 131 की उपधारा (3)
2.	धारा 131 का उद्देश्य एवं विस्तार	5.	धारा 131 और संविधान का अनुच्छेद 14
3.	धारा 94 में विहित प्रक्रिया		

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)—उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा इस धारा में प्रयुक्त 'नगरपालिका' शब्दों को 'बोर्ड' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है।

2. धारा 131 का उद्देश्य एवं विस्तार—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 131 नगरपालिका पर एक दायित्व अधिरोपित करती है। इसके अनुसार यदि नगरपालिका कोई कर अधिरोपित करना चाहती है तो उपधारा (1) के विभिन्न खण्डों में विनिर्दिष्ट अन्तर्वस्तुओं को अन्तर्विष्ट करने वाला प्रस्ताव विशेष संकल्प से पारित करेगी। इसके अलावा वह नियमावली का एक प्रारूप भी तैयार करेगी जिसे वह धारा 153 में निर्दिष्ट विषयों के बारें में राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने की वांछा करें। प्रस्ताव और नियमावली का प्रारूप तैयार करने के पश्चात् इस अधिनियम की अनुसूची III में दिये गये प्रपत्र में एक नोटिस के साथ धारा 94 में विहित रीति से प्रकाशित किया जायेगा।

नगरपालिका अधिनियम की धारा 131 से 134 तक में प्रक्रिया विहित की गयी जिसका अनुसरण धारा 128 के अन्तर्गत करारोपण करने हेतु किया जाना आवश्यक है। धारा 131 इस प्रक्रिया के प्रारम्भिक चरण के बारें में विहित करती है। इसके बाद अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया धारा 132 से लेकर 134 तक में वर्णित की गयी है। इन धाराओं के अन्तर्गत किये गये कुछ उपबन्ध आदेशात्मक और कुछ उपबन्ध निदेशात्मक है। इनका अनुपालन न किया जाना अधिरोपित कर को अवैध बना सकता है।

3. धारा 94 में विहित प्रक्रिया—धारा 131 की उपधारा (3) के अनुसार यदि उपधारा (1) के अन्तर्गत नगरपालिका द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है या नियमावली का प्रारूप तैयार किया जाता है, तो उसका प्रकाशन धारा 94 में विहित रीति से किया जायेगा। किसी संकल्प के प्रकाशन के लिए रीति धारा 94 की उपधारा (4) में विहित की गयी है। इसके अनुसार नगरपालिका की किसी बैठक में पारित प्रत्येक संकल्प यथाशक्ति

शीघ्र राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन के प्रयोजनार्थ अनुमोदित जिले में प्रकाशित होने वाले किसी समाचार पत्र में या यदि जिले में ऐसा कोई समाचार पत्र नहीं है तो उस मण्डल में जाहं सम्बन्धित नगरपालिका स्थिति है प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में हिन्दी में प्रकाशित किया जायेगा और जहां ऐसा समाचार पत्र नहीं है, वहां नगरपालिका कार्यालय तथा कलेक्टरी कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगातार तीन दिनों के लिए लगाया जायेगा।

4. धारा 131 की उपधारा (3)–यह उपधारा उपबन्धित करती हैं कि नगरपालिका द्वारा धारा 131 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया प्रस्ताव और उपधारा (2) के अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रारूप को अनुसूची III में दिये गये प्रपत्र में नोटिस के साथ 94 में विहित रीति से प्रकाशित किया जायेगा उपधारा (3) के विश्लेषण से दो प्रकार के उपबन्ध सामने आते है–प्रस्ताव का प्रकाशन होना चाहिए और (2) प्रकाशन अनुसूची III में दिये गये प्रपत्र में नोटिस के साथ धारा 94 में विहत रीति से होना चाहिए।

धारा 131(3) का यह उपबन्ध कि प्रस्ताव का प्रकाशन किया जायेगा आदेशात्मक है, किन्तु यह उपबन्ध कि उसका प्रकाशन धारा 94 (4) में विहत रीति से किया जायेगा मात्र निदेशात्मक है ओर उसका शब्दशः अनुपालन न किया जाना प्रक्रिया को अवैध नहीं बनाता है।

नोटिस का प्रकाशन उर्दू समाचार पत्र में हिन्दी भाश में किया जाना 94 का तात्विक रूप से अनुपालन है और इससे प्रक्रिया दूषित नहीं होती है।

धारा 131 के अन्तर्गत प्रारम्भिक प्रस्ताव का पृथक से प्रकाशन विहित प्रारूप में नहीं किया जाना मात्र एक अनियमितता है और इससे कार्यवाही अवैध या दूषित नहीं हो जाती है।

5. धारा 131 और संविधान का अनुच्छेद 14–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 131 द्वारा नगरपालिका बोर्ड को प्रदत्त शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती है।

संक्षेप

1.	विधायी परिवर्तन (Legislative changers)	3.	उपधारा (2) के परन्तुक का प्रभाव
2.	धारा 132 का उद्देश्य एवं विस्तार	4.	आपत्ति प्रस्तुत करने की परिसीमा अवधि

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)–इस धारा की उपधारा (2) में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 77, सन् 1964 द्वारा कोष्ठक में उल्लिखित परन्तुक जोड़ा गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा कोष्ठक में प्रयुक्त 'नगरपालिका' शब्दों के 'बोर्ड' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।

2. धारा 132 का उद्देश्य एवं विस्तार–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 को इस धारा की उपधारा (1) उपबन्धित करती है कि यदि धारा 131 के अन्तर्गत नोटिस और प्रस्ताव के प्रकाशित होने के पश्चात् कोई व्यक्ति आपत्ति करता है जो नगरपालिका उस पर विचार कर विशेष संकल्प द्वारा उसका निस्तारण करेगी। इस प्रकार यह उपधारा उन व्यक्तियों के जिन पर करारोपण का प्रस्ताव किया गया है, आपत्ति करने का अधिकार प्रदान करती है और नगरपालिका पर उस आपत्ति का निस्तारण करने का दायित्व अधिरोपित करती है।

(2) नगरपालिका द्वारा अपने किसी प्रस्ताव में उपान्तरण किये जाने पर उसके प्रकाशन हेतु नगरपालिका का दायित्व अधिरोपित करती है, किन्तु उसका परन्तुक ऐकसे उपान्तरण के पश्चात् प्रकाशन करने के इस दायित्व से नगरपालिका को मुक्ति प्रदान करता है, बशर्ते कि उपान्तरण मूलतः प्रस्तावित कर भी धनराशि या दर में कमी करने तक ही सीमित हो। उपधारा (3) के अनुसार उपान्तरण के पश्चात् उपधारा (1) के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी। उपधारा (4) के अनुसार प्रस्ताव को अन्तिम रूप प्रदान करने के पश्चात् नगरपालिका आपत्तियों के साथ प्रस्ताव को विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

3. **उपधारा (2) के परन्तुक का प्रभाव**—इस धारा की उपधारा (2) में सन् 1964 में जोड़े गये परन्तुक के अनुसार यदि नगरपालिका द्वारा किसी प्रस्ताव में उपान्तरण किया जाता है और इसके द्वारा मूलतः प्रस्तावित कर की धनराशि या दर में कमी की जाती है तो उसका प्रकाशन आवश्यक नहीं होगा।

यह परन्तुक किसी व्यक्ति को कर की दर में की गयी कटौती को चुनौती देने की अनुमति प्रदान नहीं करता है।

यदि नगरपालिका द्वारा अपने प्रारम्भिक प्रस्ताव में उपान्तरण करके मूलतः प्रस्तावित कर की दर में कमी कर दी जाती है तो ऐसे उपान्तरण के सम्बन्ध में धारा 131 से धारा 135 तक में उपबन्धित प्रक्रिया का अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

4. **आपत्ति प्रस्तुत करने की परिसीमा अवधि**—उपधारा (1) के अन्तर्गत करारोपण हेतु प्रस्ताव के प्रकाशन की तिथि से एक पखवाड़ा अर्थात् 15 दिन के भीतर ही आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है, किन्तु चूंकि करारोपण का कार्य विधायी है, अर्द्ध—न्यायिक नहीं अतः एक पखवाड़े के बाद प्रस्तुत आपत्तियों पर भी बोर्ड द्वारा विचार किया जा सकता है।

132. **प्रस्ताव तैयार करने के बाद की प्रक्रिया**—(1) उक्त नोटिस के प्रकाशन के एक पक्ष के भीतर नगरपालिका का कोई निवासी पूर्ववर्ती धारा के अधीन तैयार किये गये सम्पूर्ण प्रस्ताव या उसके किसी भाग पर उपस्थित हो सकता है और नगरपालिका इस प्रकार प्रस्तुत की गयी आपत्ति पर विचार करेगी और विशेष संकल्पों द्वारा उस पर आदेश देगी।

(2) यदि नगरपालिका अपने प्रस्ताव या उनमें से किसी भी प्रस्ताव को उपान्तरित करने का विनिश्चिय करें, तो वह उपान्तरित प्रस्तावों और (यदि आवश्यक हो) पुनरीक्षित नियमावली के प्रारूप को, नोटिस के साथ प्रकाशित करेगी जिसमें वह उपदर्शित होगा कि उक्त प्रस्ताव और नियमावली (यदि कोई हो) आपत्तियां आमंन्ति करने के लिए पूर्व प्रकाशित प्रस्ताव और नियमावली का उपानतर है;

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा प्रकाशन आवश्यक न होगा जहां ऐसा उपानतरण मूलतः प्रस्तावित कर की धनराशि या दर में कमी करने तक ही सीमित हो।

(3) किसी आपत्ति पर जो उपान्तरित प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्राप्त हो, उपधारा (1) में विहित रीति से कार्यवाही की जायेगी।

(4) जब नगरपालिका ने अपने प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया हो तो वह उन्हें उनके सम्बन्ध में की गयी आपत्तियों के साथ (यदि कोई हो) विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

133. **प्रस्तावों को अस्वीकृत या उपान्तरित करने की राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी की षक्ति**—यदि प्रस्तावित कर धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (i) से (xii) तक के अन्तर्गत हो तो विहित अधिकारी, धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् या तो प्रस्ताव को स्वीकृत करने से इन्कार कर सकता है या उन्हें नगरपालिका को अग्रसर विचारार्थ लौटा सकता है अथवा उन्हें बिना उपान्तर के या ऐसे उपान्तर के साथ, जिसमें अधिरोपित की जाने वाली धनराशि में कोई वृद्धि न हो, जिसे वह उचित समझे, स्वीकृत कर सकता है।

(2) किसी अन्य दशा में विहित प्राधिकारी प्रस्ताव और आपत्तियॉ राज्यसरकार को प्रस्तुत करेगा, जो उन पर उपधारा (1) में वांछित कोई भी आदेश दे सकती है।

134. **कर का अधिरोपण निर्देशित करने का नगरपालिका का संकल्प**–(1) जब विहित प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्रसताव स्वीकृत कर लिए हों तो राज्य सरकार, नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत की गई नियमावली के प्रारूप पर विचार करने के पश्चात् कर के सम्बन्ध में धारा 296 के अधीन ऐसी नियमावली बनाने के लिए, जिन्हें वह तत्समय आवश्यक समझे, तुरन्त कार्यवाही करेगी।

(2) नियमावली बन जाने पर, स्वीकृति के आदेश और नियमावली की एक प्रति नगरपालिका विशेष संकल्प द्वारा ऐसे दिनांक से, जो संकल्प द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा, कर के अधिरोपण का निदेश देगी।

संक्षेप

1.	विधायी परिवर्तन (Legislative changers)	3.	उपधारा (2)
2.	धारा 134 का उद्देश्य एवं विस्तार	4.	तिथि जब से अधिरोपित कर प्रभावी होगा

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)–इस धारा में कोश्ठक में प्रयुक्त 'नगरपालिका' शब्दों को उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा 'बोर्ड' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया गया।

2. धारा 134 का उद्देश्य एवं विस्तार–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की यह धारा नगरपालिका द्वारा करारोपण निर्देशित करने हेतु संकल्प पारित कतरने का उपबन्ध करती है। इस धारा की उपधारा (1) के अनुसार जब नगरपालिका द्वारा पारित कोई प्रस्ताव विहित प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है, तो राज्य सरकार नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत की गयी नियमावली के प्रारूप पर विचारोपरान्त धारा 296 के अधीन ऐसी नियमावली बनाने हेतु कार्यवाही करेगी।

उपधारा (2) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियमावली बनाये जाने के पश्चात् उसकी एक प्रति के साथ स्वीकृति आदेश सम्बन्धित नगरपालिका को प्रेषित कर दी जायेगी, तद्नुसार नगरपालिका विशेष संकल्प द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि से करारोपण हेतु निदेश देगी।

3. उपधारा (2)–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की उपधारा (2) के अन्तर्गत बोर्ड विशेष संकल्प द्वारा यह निदेश दे सकता है कि करारोपण अमुक तिथि से प्रभावी होगा, किन्तु ऐसी तिथि निश्चित रूप से राज्य सरकार से स्वीकृति आदेश और नियमावली की प्रतिलिपि प्राप्त होने की तिथि की पश्चात्वर्ती होनी चाहिए। बोर्ड को जब तक स्वीकृति आदेश और नियमावली की प्रति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक वह करारोपण हेतु विशेष संकल्प पारित नहीं कर सकता है।

4. तिथि जब से अधिरोपित कर प्रभावी होगा–यदि नगरपालिका द्वारा करारोपण हेतु पारित विशेष संकल्प में करारोपण के प्रभावी होने के लिए किसी तिथि का उल्लेख नहीं किया जाता है तो भी वह करारोपण अवैध नहीं होगा और वह संकल्प के पारित किये जाने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

धारा 134 की उपधारा (1) के अधीन करारोपण के लिए पारित संकल्प में विनिर्दिष्ट तिथि में किसी प्रकार की तकनीकी दोष करारोपण को अवैध एवं शून्य नहीं बना सकता है।

135. **कर का अधिरोपण**—(1) धारा 134 के अधीन पारित संकल्प की एक प्रति राज्य सरकार को यदि राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान किया हो, भेजी जायेगी और किसी अन्य दशा में विहित प्राधिकारी को भेजी जायेगी। संकल्प की प्रति प्राप्त होने पर, यथास्थिति, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी नियत दिनांक से करारोपण शासकीय गजट में प्रकाशित करेगा और सभी दशाओं में करारोपण इस शर्त के अधीन होगा कि उसे इस प्रकार अधिसूचित कर दिया गया है।

(3) उपधारा (2) के अधीन करारोपण की अधिसूचना इस बात का निश्चायक प्रमाण होगी कि कर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अधिरोपित किया गया है।

संक्षेप

1. धारा 135 का उद्देश्य एवं विस्तार
2. उपधारा (3)
3. क्या धारा 135 की उपधारा (2) विभेदपरक है?

1. धारा 135 का उद्देश्य एवं विस्तार—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 135 के अन्तर्गत नगरपालिका द्वारा प्रस्तावित कर को राज्य सरकार द्वारा अन्तिम रूप से अधिरोपित करने हेतु उपबन्ध किया गया है। उपधारा (1) के अनुसार जब राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी द्वारा नगरपालिका के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किये जाने के पश्चात् नगरपालिका उसे लागू करने के लिए विशेष संकल्प पारित कर,ख उसकी एक प्रति राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, यथास्थिति को भेजेगी।

उपधारा (2) के अनुसार ऐसे संकल्प की प्रति प्राप्त होने पर राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित कर का प्रकाशन शासकीय गजट में किया जायेगा।

उपधारा (3) के अनुसार अधिरोपित कर के अधिसूचना द्वारा प्रकाशित हो जाने के पश्चात् यह समझा जायेगा कि करारोपण इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अधिरोपित किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि करारोपण के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया के अनुपालन में कोई त्रुटि या लोप कारित हो गयी है तब भी कर के अधिसूचित हो जाने पर करारोपण ऐसी त्रुटि या लोप के कारण अवैध नहीं माना जायेगा। वस्तुतः कर की अधिसूचना द्वारा प्रकाशन उससे पहले पारित किसी त्रुटि या लोप का उपचार कर देता है।

2. उपधारा (3)—उपधारा (3) धारा 135 का एक महत्वपूर्ण उपबन्ध है। यह उन सभी विकारों और दोषों का उपचार करती है जो करारोपण में पूर्ववर्ती प्रक्रिया के अनुपालन में किसी लोप या त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए हो। इस उपधारा के प्रभाव का कारण यदि नगरपालिका बोर्ड द्वारा धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन कोई अनियमितता बरती गयी है, तो वह धारा 135 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिरोपित कर के अधिसूचना में प्रकाशन के पश्चात् दूर हो जायेगी।

धारा 135 की उपधारा (3) का के अनुसार यदि धारा 135 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन हो जाता है तो यह इस बात का निश्चायक प्रमाण होगा कि करारोपण हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है और यदि कोई प्रक्रियात्मक दोष पारित हुआ है, तो भी वह सही मान लिया जायेगा।

धारा 135 की उपधारा (2) के अन्तर्गत करारोपण के सम्बन्ध में प्रकाशित अधिसूचना करारोपण की वैधता के सम्बन्ध में 'निश्चायक साक्ष्य' है इसके प्रतिकूल किसी अन्य साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

धारा 135 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना इस बात का निश्चायक प्रकरण है कि करारोपण के सम्बन्ध में सभी आवश्यक कार्यवाही पूरी कर ली गयी है।

करारोपण के सम्बन्ध में प्रक्रियात्मक त्रुटि करारोपण को अवैध नहीं बना सकती है, बशर्ते कि नगरपालिका के निवासियों को कोई तात्विक क्षति कारित न हुई हो। धारा 131 की उपधारा (3) के अनुसार धारा 94 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण न करना, धारा 132 की उपधारा (2) के अनुसार उपान्तरित प्रस्ताव का प्रकाशन न करना केवल प्रक्रियात्मक दोष है और धारा 135 की उपधारा (2) में अधिरोपित कर का अधिसूचना में प्रकाशन होते ही ये सारे दोष स्वतः समाप्त हो जाते है।

कतिपय 3 उपबन्ध जो निदेशात्मक प्रकृति के है, का अनुपालन सम्पूर्ण कार्यवाही को दूषित नहीं करता है और ऐसे मामलों में धारा 135 की उपधारा (3) का सरंक्षण प्राप्त होता है किन्तु यदि मामलें में अविवादित तथ्यों से यह स्पश्ट होता है कि करारोपण नगरपालिका अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नहीं किया गया है, तो मात्र धारा 135 (3) की उपधारणा के आधार पर उसे वैध नहीं मान लिया जायेगा। धारा 135(2) के अधीन अधिसूचना तथ्य के बारें में निश्चायक प्रमाण है, किन्तु जहां वह तथ्य ही विद्यमान न हो वहां अधिसूचना निश्चायक प्रमाण नहीं हो सकती है।

3. क्या धारा 135 की उपधारा (3) विभेदपरक है?—इस प्रश्न पर विचार करते हुए उच्चतम् न्यायालय ने हापुड़ म्यूनिसिपैलिट वाद में अभिधारित किया गया कि धारा 135 की उपधारा (3) विदेभपरक नहीं है, क्योंकि यह मात्र करारोपण के सम्बन्ध में अनुसरण की गयी प्रक्रिया के सम्बन्ध में की जाने वाली आपत्तियों को समाप्त कर देती है।

136. **करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया**—कर को समाप्त करने या धारा 131 की उपधारा (1) के खंड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में कर में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, यथा सम्भव, वही होगी जो धारा 131 से धारा 135 द्वारा किसी कर के अधिरोपण के लिए विहत है;

संक्षेप

1. धारा 136 का उद्‌देश्य एवं विस्तार

1. धारा 136 का उद्देश्य एवं विस्तार—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 136 नगरपालिका द्वारा अधिरोपित किये गये करों में परिवर्तन करने हेतु प्रक्रिया के बारें में उपबन्ध करती है; किन्तु यह धारा अलग से कोई प्रक्रिया विहित नहीं करती हैस, अपितु मात्र यह उपबन्धित करती है कि किसी कर को समाप्त करने या धारा 131 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में कर में परिवर्तन करने की प्रक्रिया यथासम्भव वही जो धारा 131 से धारा 135 तक में किसी कर के अधिरोपण हेतु विहित की गयी है।

धारा 136 में प्रयुक्त 'यथा सम्भव' शब्द नगरपालिका बोर्ड इस बात के लिए छूट प्रदान नहीं करता है कि वह धारा 131 से 135 तक में विहित प्रक्रिया को दरकिनार कर दें। नगरपालिका बोर्ड इस प्रक्रिया को तब तक दरकिनार नहीं कर सकता है जब तक कि करों के परिवर्तन को लागू करने हेतु ऐसा करना अपरिहाग्र न हो।

137. **कर का उपचार करने या समाप्त करने की राज्य सरकार की शक्ति**–(1) जब कभी शिकायत किये जाने पर या अन्यथा राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी कर का उद्ग्रहण लोकहित के प्रतिकूल है या यह कि किसी कर का भार अनुचित है, तो राज्य सरकार सम्बद्ध नगरपालिका के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात्, आदेश द्वारा ऐसे नगरपालिका से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जायेगा, किसी ऐसे दोष को दूर करने का उपाय करे जो उसके विचार से उस कर में अथवा उस कर के निर्धारण या वसूली की प्रणाली में विद्यमान हो।

(2) राज्य सरकार के समाधान–प्रद रूप में उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश का पालन करने में नगरपालिका के असफल या असमर्थ रहने पर, राज्य सरकार अधिसूचना प्रकाशित करके उक्त कर या उसके किसी भाग के उद्ग्रहण को उस समय तक के लिए जब तक कि ऐसा दोश दूर न हो जाय निलम्बित कर सकती है, या ऐसे कर को समाप्त या कम कर सकती है।

समेकित कर

138. **करों का समेकन**–(1) धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (i), (x) और (xi) में वर्णित करों के निर्धारण, उद्ग्रहण अथवा वसूली के प्रयोजन के लिए, न कि उसके अधिरोपा या उसमें छूट देने के प्रयोजन के लिए नगरपालिका किन्ही दो या अधिकारों को जो भवन या भूमि अथवा दोनों पर अधिरोपित किये जायें, समेकित कर सकेगी।

(2) परन्तु समेकित कर से सम्बन्धित और किसी व्यक्ति को तदन्तर्गत उसके दायित्व की सूचना देने अथवा धारा 129 या 130 के उपबन्धों का पालन सुनिश्चित करने के लिए समेकित कर के सम्बन्धित और उसके प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किसी रजिस्टर और कर निर्धारण सूची में नगरपालिका उसमें समविष्ट विभिन्न करों में समेकित कर को प्रभावित करेगी जिससे प्रत्येक अलग–अलग कर के अधीन निर्धारित या वसूल की गई धनराशि लगभग में दिखाई जा सके।

139. **छूट के लिए अपेक्षित कटौतियां**–(1) समेकित कर का निर्धारण करते समय उसमें समविष्ट किसी एकल कर में कोई आंशिक या पूर्णतः छूट प्रभावी होगी।

(2) यह निम्नलिखित प्रकार से प्रभावी होगी–

(क) आंशिक छूट की दशा में, समेकित कर की, जो ऐसे भवन या भूमि या दोनों के सम्बन्ध में जिन्हें कर में ऐसी छूट दी गयी हो, अन्यथा उद्ग्रहणीय या निर्धारित होती, कुल धनराशि में से ऐसी धनराशि के, जो अन्यथा एकल कर के कारण निर्धारित की गयी होती, छूट के समनुरूप आनुपातिक भाग की कटौती करके; और

(ख) पूर्ण छूट की दशा में ऐसी कुल धनराशि में से एकल कर के कारण निर्धारित सम्पूर्ण धनराशि की कटौती करके।

भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर निर्धारण और उद्ग्रहण

140. **वार्षिक मूल्य की परिभाषा**–(1) 'वार्षिक मूल्य' से तात्पर्य है–

(क) रेलवे स्टेशनों, होटलों, कालेजों, स्कूलों, चिकित्सालयों, कारखानों और अन्य ऐसे भवनों की दशा में भवन–निर्माण को वर्तमान अनुमानित लागत ओर उससे अनुलग्न भूमि के अनुमानित मूल्य को जोड़कर निकाली गयी धनराशि का पांच प्रतिशत से अनधिक का अनुपात, जिसे इस निमित्त बनाये गये नियम द्वारा निश्चित किया जायेगा; और

(ख) किसी भवन या भूमि की दशा में जो खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आती हो, यह सकल वार्षिक किराया जिस पर ऐसा भवन, उसमें फर्नीचर या मशीनरी को छोड़कर या ऐसी भूमि वास्तव में पट्‌टे पर दी गई हो, या जहां भवन या भूमि पट्‌टे पर न दी गई हो या नगरपालिका की राय में वह उचित मूल्य से कम रकम या पट्‌टे पर दी गई हो, तो वह सकल वार्षिक किराया जिस पर उसे युक्तियुक्त रूप से वर्ष प्रतिवर्ष पट्‌टे पर दिये जाने की प्रत्याशा की जा सकती है।

(2) प्रतिबन्ध यह है कि जहां नगरपालिका की राय में किसी कारण से या असाधारण परिस्थिति में किसी भवन के वार्षिक मूल्य यदि उपर्युक्त रीति से गणना की गई हो, अत्याधिक हो, वहां नगरपालिका किसी भी कम धनराशि पर जो उसे न्याय संगत प्रतीत हो, वार्षिक मूल्य पर नियत कर सकता है।

संक्षेप

1. धारा 140 का उद्‌देश्य एवं विस्तार
2. उपधारा (1) का खण्ड (क)
3. उपधारा (1) के खण्ड (क) में प्रयुक्त 'अन्य ऐसे भवनों' पद से अभिप्राय
4. उपधारा (1) का खण्ड (ख)
5. उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रयुक्त 'युक्तियुक्त रूप से' पद का अभिप्राय
6. उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में अन्तर

1. धारा 140 का उद्देश्य एवं विस्तार—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की यह धारा इस अधिनियम की धारा 128 के अधीन भवन या भूमि का अधिरोपित करके निर्धारण और उद्‌ग्रहण हेतु भवन और भूमि के वार्षिक मूल्य की परिभाषा विहित करती है। यह धारा भवन और भूमि को दो कोटियों में विभक्त करती है। एक कोटि रेलवे स्टेशनों होटलों, कालेजों, स्कूलों, चिकित्सालयों, कारखानों और अन्य ऐसे भवनों व उनसे संलग्न भूमि की है, जबकि दूसरी कोटि ऐसे भवनों एवं भूमि से भिन्न प्रकार के भवनों एवं भूमि से है। दोनों के वार्षिक मूल्य की परिभाषा अलग–अलग उपधारा (1) के खण्ड (क) एवं (ख) में दी गयी है।

उपधारा (2) नगरपालिका को वार्षिक मूल्य को कम धन पर निर्धारित करने का विवेकाधिकार प्रदान करती है, किन्तु इस विवेकाधिकार का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जबकि किसी भवन का उपधारा (1) के अधीन रीति से संगणित वार्षिक मूल्य अत्याधिक हो।

धारा 140 की उपधारा (1) के अन्तर्गत वार्षिक मूल्य के निर्धारण हेतु प्रक्रिया निहित की गयी।

2. उपधारा (1) का खण्ड (क)—धारा 140(क) की उपधारा (1) यह खण्ड माल रेलवे स्टेशनों, होटलों, कालेजों, स्कूलों, चिकित्सालयों कारखानों और ऐसे भवनों तथा उससे संलग्न भूमि के सम्बन्ध में लागू होता है। अन्य किसी प्रकार के भवन पर नहीं है। यदि भवन का उपयोग भागतः निर्माण कार्य के लिए और भागतः आवासीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है, तो खण्ड (क) के अन्तर्गत नहीं आयेगा, किन्तु यदि भवन पूर्णतः कारखाना है, तो उस पर यह खण्ड लागू होगा किन्तु यदि भवन का उपयोग पूर्ण रूप से कारखाने के रूप में नहीं किया जाता है और उसका कुछ भाग का उपयोग आवासीय भी है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि सम्पूर्ण भवन कारखाना है।

बैंक उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः उसका कर निर्धारण इस खण्ड के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है।

3. उपधारा (1) के खण्ड (क) में प्रयुक्त 'अन्य ऐसे भवनों' पद से अभिप्राय—खण्ड (क) में प्रयुक्त 'अन्य ऐसे भवनों' पद का निर्वाचन 'इजस्टम जनीरस' (ejeastem generis) के नियमानुसार किया जायेगा। इस खण्ड में प्रयुक्त सभी भवनों में एक बात सामान्य है कि इन सभी का प्रयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया जाता है। अतः 'अन्य ऐसे भवनों' पद के अन्तर्गत उनभवनों को सम्मिलित किया जा सकता है जिसका उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया जा सकता है। यह भवन जिसका भागतः उपयोग कारखाने के लिए और भागतः उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ किया जाता है, अन्य ऐसे भवनों' पद के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

4. उपधारा (1) का खण्ड (ख)—जहां किसी भवन का उपयोग मालगोदाम के रूप में किया जाता है और दैनिक प्रभार पर किराये पर दिया जाता है, वह धारा 140 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आयेगा।

धारा 140 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत किसी भवन के वार्षिक मूल्य के निर्धारण हेतु किराया वही होगा जो उत्तर प्रदेश (अस्थायी) किराया नियन्त्रण और बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत नियत किया गया हो।

कोई भवन जिसका उपयेाग बैंक के रूप में किया जा रहा है, कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ धारा 140 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आयेगा।

5. उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रयुक्त 'युक्तियुक्त रूप से' पद का अभिप्राय—'युक्तियुक्त रूप से पद' का सामान्य निर्वाचन सम्भव है, क्योंकि यह पद विषयनिष्ट है और इसका निर्वाचन सम्बन्धित परिस्थितियों और विषय के अनुसार ही किया जा सकता है, भिन्न—भिन्न परिस्थितियों में इसका निर्वाचन भिन्न—भिन्न हो सकता है।

धारा 140 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के खण्ड (क) में भवनों और भूमि से भिनन भवनों और भूमि के वार्षिक किराये को परिभाषित करता है। इसके अन्तर्गत यदि भवन या भूमि पट्‌टे पर दी गयी है, तो वहां पट्‌टे का वार्षिक मूल्य भवन या भूमि का वार्षिक मूल्य होगा, किन्तु यदि पट्‌टा उचित मूल्य से कम मूल्य पर पट्‌टे पर दिया गया है, तो नगरपालिका उत्तर प्रदेश किराया नियन्त्रण अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किराया निश्चित कर सकती है।

6. उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में अन्तर—धारा 140 की उपधारा (1) के दोनों खण्डों का विस्तार बिल्कुल भिन्न—भिन्न है। खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले भवन और भूमि खण्ड (ख) के अन्तर्गत नहीं आ सकते। ये देानों खण्ड एक दूसरे को विवर्जित करते है, किन्तु यदि किसी भवन या भूमि का उपयोग परिवर्तित हो जाता है, तो उस पर लागू होने वाला खण्ड भी परिवर्तित हो जायेगा। तथा यदि किसी भवन या भूमि का प्रयोग आवासीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है, तो उसके वार्षिक किराये का मूल्याकंन खण्ड (ख) के अन्तर्गत किया जायेगा, किन्तु यदि कालान्तर में उसका उपयोग स्कूल चिकित्सालय या कारखाने आदि के लिए किया जाता है, तो उसके वार्शिक मूल्य का निर्धारण खण्ड (क) के अन्तर्गत किया जायेगा।

141. कर निर्धारण सूची का तैयार किया जाना—(1) जब भवन या भूमि या दोनों पर कर अधिरोपित किया जाय, तो नगरपालिका समय—समय पर नगरपालिका क्षेत्र या उसके किसी भाग में सभी भवनों या भूमि दोनों की एक कर—निर्धारण सूची तैयार करायेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होगा—

(क) मार्ग या मौहल्ले का नाम, जहां सम्पत्ति स्थित हो;

(ख) सम्पत्ति का अभिधान या तो नाम से या संख्या से, जो पहचान के लिए पर्याप्त हो;

(ग) स्वामी और अध्यासी का नाम, यदि ज्ञात हो;
(घ) पट्टे पर देने का वार्षिक मूल्य या अन्य विवरण जो वार्षिक मूल्य अवधारित करे, और
(ङ) उस पर निर्धारित कर की धनराशि ।
(2) ऐसी कर निर्धारण सूची बनाने के प्रयोजन के लिए नगरपालिका समय–समय पर पारिश्रमिक सहित या रहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, चाहे वे सदस्य हो, या न हों, नियुक्त कर सकती है और इस प्रकार नियुक्त किया गया या किये गये व्यक्ति ऐसे प्रयोजन के लिए किसी सम्बद्ध सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते है।

संक्षेप

1. धारा 141 का उद्देश्य एवं विस्तार

1. धारा 141 का उद्देश्य एवं विस्तार–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की यह धारा किसी भवन या भूमि पर अधिरोपित कर के निर्धारण हेतु सूची तैयार करने हेतु प्रक्रिया विहित करती है। उपधारा (2) सूची तैयार करने के प्रयोजनार्थ दैनिक पारिश्रमिक पर या बिना पारिश्रमिक के आवश्यक व्यक्तियों को नियोजित करने हेतु अधिकार प्रदान करती है।
जलकर के सम्बन्ध में कर निर्धारण सूची का तैयार करना बाध्यकारी नहीं है।

142. **सूची का प्रकाशन**–जब कर–निर्धारण सूची तैयार हो जाय तो नगरपालिका उस स्थान के सम्बन्ध में, जहां पर सूची या उसकी प्रति का निरीक्षण किया जा सकेगा, सार्वजनिक नोटिस देगी और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो सूची में सम्मिलित की गयी सम्पत्ति का या तो स्वामी या अध्यासी होने का दावा करे और ऐसे व्यक्ति का कोई अभिकर्ता उक्त सूची का निरीक्षण कर सकेगा और उससे निःशुल्क उद्धरण ले सकेगा।

संक्षेप

1. धारा 142 का उद्देश्य

1. धारा 142 का उद्देश्य–नगरपालिका अधिनियम की यह धारा कर निर्धारण के सम्बन्ध में तैयार की गयी सूची का प्रकाशन करने हेतु उपबन्ध करती है। इसका मूल उद्देश्य सूची में सम्मिलित व्यक्तियों को जानकारी देना है। यदि कर निर्धारण सूची के सम्बन्ध में धारा 142 या 144 तक के उपबन्धों का अनुपालन किया जाता है, तो कर निर्धारण सूची तैयार करने वाले अधिकारियों के पक्ष में यह निश्चात्मक साक्ष्य होगा कि उन्होने अपने दायित्व का पूर्णतः वाहन किया है।

143. **सूची में प्रविष्टियों पर आपत्ति**–नगरपालिका उसी समय कम से कम एक मास की सार्वजनिक नोटिस देगी जिनके पश्चात् जब वह सूची में प्रविष्ट मूल्याकंन और कर–निर्धारण पर विचार करने की कार्यवाही करेगी और ऐसे सभी मामलों में जिनमें किसी सम्पत्ति पर प्रथम बार कर निर्धारण किया गया हो या कर निर्धारण में वृद्धि की गई हो, तो नगरपालिका सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी को यदि ज्ञात हो, उसको भी नोटिस देगी।

(2) मूल्याकंन और कर–निर्धारण के सम्बन्ध में सभी आपत्तियां नोटिस में निश्चित दिनांक के पूर्व, नगरपालिका को लिखित आवेदन–पत्र द्वारा की जायेगी जिसमें ऐसे कारण उल्लिखित किये जायें जिनके आधार पर मूल्याकंन तथा कर निर्धारण पर आपत्ति की गई है, और इस प्रकार दिये गये सभी आवेदन पत्र नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तिका में रजिस्ट्रीकृत किये जायेंगे।

(3) नगरपालिका या समिति जिसे इस निमित्त प्रत्यायोजन द्वारा, अधिकृत किया गया हो या सरकार अथवा नगरपालिका का ऐसा अधिकारी, जिसे विहित प्राधिकारी की अनुमति से नगरपालिका प्रत्यायोजित करे और संकल्प द्वारा इस निमित्त शक्ति का प्रत्यायोजित करने के लिए इस प्रकार एतद्द्वारा अधिकृत किया जाय, आवेदक को स्वयं या उसके अभिकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्–

(क) आपत्तियों की जांच और निस्तारण करेगा;

(ख) उसके परिणाम को उपधारा (2) के अधीन रखी गई पुस्तिका में दर्ज करायेगा; और

(ग) ऐसे परिणाम के अनुसार कर निर्धारण सूची में आवश्यक संशोधन करायेगा।

संक्षेप

1. धारा 143 का उद्देश्य एवं विस्तार
2. उपधारा (1)
3. मृत स्वामी के विधिक प्रतिनिधि को सूचना देने का प्रभाव
4. धारा 142 के अधीन सूचना और धारा 143 के अधीन सूचना में अन्तर

1. धारा 143 का उद्देश्य एवं विस्तार–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की यह धारा कर निर्धारण के सम्बन्ध में तैयार की गयी सूची के सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्तियों को आपत्तियां आमन्त्रित करने हेतु सूचना देने और तत्पश्चात् प्राप्त आपत्तियों की जांच कर उनका निस्तारण और तद्नुसार कर निर्धारण सूची में संशोधन करने हेतु नगरपालिका पर दायित्व अधिरोपित करती है।

2. उपधारा (1)–धारा 143 की उपधारा (1) दो प्रकार की सूचना के बारें में उपबन्ध करती है। (i) सार्वजनिक सूचना और (ii) व्यक्तिगत सूचना, सार्वजनिक सूचना कर दिया जाना हर दशा में अनिवार्य है। किन्तु व्यक्तिगत सूचना मात्र दो दशाओं में अनिवार्य है।

(i) जब किसी सम्पत्ति पर कर निर्धारण प्रथम बार किया गया हो; या

(ii) कर निर्धारण में वृद्धि की गयी हो।

यदि उपर्युक्त में से किसी भी दशा में व्यक्ति सूचना उस सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी को उसके ज्ञात पते पर नहीं दी जाती है, तो सम्पूर्ण कर निर्धारण अवैध हो जायेगा।

3. मृत स्वामी के विधिक प्रतिनिधि को सूचना देने का प्रभाव–यदि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत कर निर्धारण सूची पर आपत्तियां आमन्त्रित करने हेतु सम्पत्ति के मृत स्वामी के विधिक प्रतिनिधि को सूचना दिये बिना कर निर्धारण किया जाता है, तो कर निर्धारण पूर्णतया अवैध होगा।

4. धारा 142 के अधीन सूचना और धारा 143 के अधीन सूचना में अन्तर–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की इन दोनों धाराओं में कर निर्धारण सूची में सम्मिलित सम्पत्ति के स्वामियों या अध्यासियों को सूचना देने के बारें में उपबन्ध किया गया है किन्तु इन दोनों में निम्नलिखित अन्तर विद्यमान है–

(i) धारा 142 मात्र सार्वजनिक सूचना के बारें में उपबन्ध करती है, जब कि धारा 143 सार्वजनिक एवं कुछ दशाओं में व्यक्तिगत सूचना, के बारें में भी उपबन्ध करती है।

(ii) धारा 142 के अधीन सूचना का उद्देश्य कर निर्धारण सूची के निरीक्षण हेतु स्थान के बारें में व्यक्तियों को जानकारी देना है, जबकि धारा 142 के अधीन सूचना का मुख्य उद्देश्य कर निर्धारण सूची में की गयी प्रविश्टियों के बारें में आपत्तियां आमन्त्रित करना है।

144. **सूची का अधिप्रमाणीकरण और उसकी अभिरक्षा**–(1) जब धारा 143 के अधीन की गयी सभी आपत्तियों का निस्तारण हो गया हो और उक्त धारा उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित सभी संशोधन कर निर्धारण सूची में कर दिये गये हों, तो उक्त सूची का अधिप्रमाणीकरण अध्यक्ष के हस्ताक्षर से या धारा 143 के अधीन किसी समिति को या सरकार के अलावा नगरपालिका के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजन किये जाने की दशा में ऐसी समिति के कम से कम दो सदस्यों के हस्ताक्षर से या पूर्वोक्त अधिकारी के हस्ताक्षर से, किया जायेगा और सूची को इस प्रकार अधिप्रमाणीकृत करने वाले या करने वाला व्यक्ति यह प्रमाणित करेगा कि सम्यक् रूप से की गयी सभी आपत्तियों पर विचार किया गया है और ऐसी आपत्तियों पर किये गये निर्णयों के अपेक्षानुसार सूची संशोधित कर दी गयी है।

(2) इस प्रकार अधिप्रमाणीकृत सूची नगरपालिका कार्यालय में जमा कर दी जायेगी और तदुपरान्त वह सार्वजनिक नोटिस द्वारा निरीक्षण के लिए उपबब्ध घोषित की जायेगी।

145. **सूची का पुनरीक्षण और उसकी अवधि**–(1) साधारणतया प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार नयी कर–निर्धारण सूची धारा 141 तक में विहत रीति से तैयार की जायेगी।

(2) धारा 147 के अधीन किये गये किसी परिवर्तन या संशोधन और धारा 160 के अधीन की गयी किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए मूल्यांकन सूची में प्रविष्टि प्रत्येक मूल्याकंन या कर निर्धारण नगरपालिका क्षेत्र या उसके भाग में उक्त सूची के प्रभावी होने के दिनांक से और नई सूची के पूर्ण होने के ठीक पश्चात् आगामी मास के प्रथम दिन तक विधि मान्य रहेगा।

संक्षेप

1.	विधायी परिवर्तन	3.	कर निर्धारण सूची के प्रभावी बने रहने की अवधि
2.	धारा 145 का उद्देश्य एवं विस्तार		

1. विधायी परिवर्तन–उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1987 द्वारा इस धारा की उपधारा (2) में कोश्ठक में दिये गये शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है।

2. धारा 145 का उद्देश्य एवं विस्तार–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की यह धारा मुख्यतः दो बातों के बारें में उपबन्ध करती है–

(i) कर निर्धारण सूची का पुनरीक्षण अर्थात् नवीन कर निर्धारण सूची तैयार करने के बारें में। यह पुनरीक्षण प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार किया जायेगा।

(ii) मूल्याकंन सूची में प्रविष्ट मूल्याकंन या कर निर्धारण के प्रभावी बने रहने के बारें में। इस सूची में प्रविष्ट प्रत्येक मूल्याकंन या कर निर्धारण उस सूची के प्रभावी होने की तिथि से लेकर नयी सूची के पूर्ण होने के ठीक पश्चात् आगामी माह के प्रथम दिन तक विधिमान्य रहेगी।

3. कर निर्धारण सूची के प्रभावी बने रहने की अवधि—नगरपालिका अधिनियम की धारा 145 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कोई भी कर निर्धारण सूची अप्रैल से लागू होती है और नयी सूची तैयार होने के पश्चात् एक अप्रैल तक बनी रहती है। यदि सूची के लागू होने के पश्चात् इस अधिनियम की धारा 160 में किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित आदेश द्वारा सूची में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो वह सूची के लागू होने की तिथि से किया गया समझा जायेगा।

145—क. **उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1952 के अधीन अवधारित संपत्ति के मूल्य का अंगीकरण**—इस अधिनियम में अन्यत्र किसी बात के होते हुए भी नगरपालिका विशेष संकल्प द्वारा विनिश्चित कर सकेगी कि उत्तर प्रदेश (क्षेत्र) भूमि और भवन कर अधिनियम, 1962 की धारा 4 के खण्ड (2) के अधीन भवन या भूमि पर अवधारित कराधेय मूल्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वार्षिक मूल्य होगा।

146. सूची में प्रविष्टियों का निश्चायक होना—कर—निर्धारण सूची में की गयी कोई प्रविष्टि—

(क) उक्त सूची में निर्दिष्ट कर से सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिए सूची से सम्बन्धित अवधि के दौरान, किसी भवन या भूमि के सम्बन्ध में उद्ग्रहणीय धनराशि का, और

(ख) किसी अन्य नगरपालिका कर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, उक्त अवधि के दौरान किसी भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य का;

निश्चायक प्रमाण होगी।

संक्षेप

1. धारा 146 का उद्देश्य एवं विस्तार

1. धारा 146 का उद्देश्य एवं विस्तार—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की यह धारा कर निर्धारण सूची में की गयी प्रविष्टियों को सूची के विधिमान्य बने रहने की अवधि के दौरान निम्नलिखित दो परिस्थितियों में निश्चायक साक्ष्य के रूप में मान्यता प्रदान करती है—

(i) कर निर्धारण सूची से सम्बद्ध किसी प्रयोजन के लिए किसी भवन या भूमि के सम्बन्ध में उद्ग्रहणीय रकम के सम्बनध में; और

(ii) किसी अन्य नगरपालिका कर के निर्धारण के प्रयोजनार्थ किसी भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य के लिए।

किन्तु यह धारा मात्र उसी स्थिति में लागू होगी जब इस अध्याय में उपबन्धित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया हो। उस स्थिति में जहां मृत व्यक्ति का स्वामी या अध्यासी के रूप में नाम बना हुआ है और उसके सम्बन्ध में की गयी आपत्ति का निस्तारण नहीं किया गया है, यह धारा लागू नहीं होगी।

147. **सूची में संशोधन और परिवर्तन**—(1) नगरपालिका किसी भी समय कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित रूप में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है—

(क) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसी सम्पत्ति का नाम, जिसकी प्रविष्टि होनी आवश्यक थी या किसी ऐसी सम्पत्ति को, जो कर–निर्धारण सूची में अधिप्रमाणीकृत होने के पश्चात् कराधान के लिए दायी हो गयी हो, प्रविष्ट करके; या

(ख) उसमें किसी सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी के नाम के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का नाम जिसने अन्तरण द्वारा या अन्य प्रकार से सम्पत्ति का स्वामित्व या अध्यासन का उत्तराधिकार प्राप्त किया हो, प्रतिस्थापित करके; या

(ग) किसी सम्पत्ति के जिसका मूल्याकंन या कर निर्धारण गलत हो गया है या जिसका मूल्याकंन या निर्धारण कपट, मिथ्या व्यपदेशन या त्रुटि के कारण गलत किया है मूल्याकंन या कर निर्धारण में वृद्धि करके; या

(घ) किसी सम्पत्ति का जिसका मूल्य भवन में किये परिवर्द्धन या परिवर्तन के कारण बढ़ गया हो, पुनः मूल्याकंन या पुनः कर–निर्धारण करके, या

(ङ) जहां वार्षिक मूल्य का, जिस पर कोई कर उद्ग्रहीत किया जाना हो, प्रतिशत नगरपालिका द्वारा धारा 136 के उपबन्धों के अधीन परिवर्तित कर दिया गया हो, वहां प्रत्येक मामलें में देय कर धनराशि में तदनुरूप परिवर्तन करके; या

(च) स्वामी के आवेदन–पत्र देने या ऐसे संतोषप्रद साक्ष्य पर कि स्वामी का पता नहीं चल रहा है और कमी करने की आवश्यकता सिद्ध कर दी गई है, स्वप्रेरण से किसी ऐसे भवन के जो पूर्णतः या अंशतः तोड़ दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है, मूल्याकंन में कमी करके; या

(छ) किसी लिपिकीय गणना सम्बन्धी या अन्य प्रत्यक्ष भूल को ठीक करके;

(2) प्रतिबन्ध यह है कि नगरपालिका किसी हितबद्ध व्यक्ति को ऐसे परिवर्तन की जिसे नगरपालिका उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) के अधीन, करने का प्रस्ताव करे और उस दिनांक के सम्बन्ध में जब उक्त परिवर्तन किया जायेगा, कम से कम एक मास की नोटिस देगी।

(3) धारा 143 की उपधारा (2) और (3) के उपबन्ध, जो तदन्तर्गत वर्णित आपत्तियों पर लागू हतोते हैं, यथा संभव, उपधारा (2) के अधीन दी गयी नोटिस के अनुसरण में की गयी किसी आपत्ति पर और उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन दिये गये किसी आवेदन–पत्र पर लागू होगें।

(4) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक परिवर्तन धारा 144 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणीकृत किया जायेगा, और धारा 160 के अधीन की गयी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए उस दिनांक से प्रभावी होगा जब अगली किश्त देय हो।

संक्षेप

1.	विधायी परिवर्तन (Legislative changers)	4.	उपधारा (1) का खण्ड (ग)
2.	धारा 147 का उद्देश्य एवं विस्तार	5.	उपधारा (1) का खण्ड (घ)
3.	उपधारा (1) का खण्ड (क)		

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changers)**–उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1987 द्वारा इस धारा के उपधारा (1) के खण्ड (ग) में कोष्ठक में प्रयुक्त शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12स, सन् 1994 द्वारा इस धारा में बोर्ड शब्द के स्थान पर 'नगरपालिका' शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है।

2. धारा 147 का उद्देश्य एवं विस्तार—यह धारा कर निर्धारण सूची में संशोधन या परिवर्तन के बारें में उपबन्धित करती है। इसकी उपधारा (1) उन दशाओं में विहित करती है जिसके अधीन सूची में संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सकता है, किन्तु उपधारा (2) उपबन्धित करती है कि उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) तक में दी गयी शर्तो के अधीन कर निर्धारण सूची में कोई संशोधन या परिवर्तन हितबद्ध व्यक्ति को बिना सूचना दिये नहीं किया जा सकता है। सूचना की अवधि कम से कम एक माह होनी चाहिए। उपधारा (3) के अनुसार यदि नोटिस के पश्चात् हितबद्ध व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति दाखिल की जाती है या उपधारा (1) के खण्ड (च) के अन्तर्गत स्वामी द्वारा कोई आवेदन पत्र दिया जाता है, तो धारा 143 की उपधारा (2) एवं (3) में विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। दूसरे शब्दों में ऐसी आपत्ति या आवेदन पत्र देने पर नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजनार्थ रखी गयी पुस्तिका में इन्हें पंजीकृत किया जायेगा, तदुपरान्त नगरपालिका द्वारा या इस निमित्त अधिकृत समिति द्वारा आपत्तिकर्ता या आवेदक को स्वयं या उसके अभिकर्ता की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आपत्ति या आवेदन पत्र की जांच की जायेगी तथा उसका निस्तारण कर परिणाम को इस निमित्त रखी गयी पुस्तिका में प्रविष्ट किया जतायेगा एवं सूची में तद्नुसार आवश्यक संशोधन दिया जायेगा। उपधारा (4) के अनुसार किया गया प्रत्येक संशोधन या परिवर्तन धारा 144 के अन्तर्गत अधिप्रमाणित किया जायेगा और उस तिथि से प्रभावी होगा जब अगली किश्त देय हो, किन्तु यदि धारा 160 के अधीन कोई अपील की जाती है, तो ऐसा संशोधन या परिवर्तन का लागू होना अपील में पारित आदेश के अधीन होगा।

यदि धारा 147(1) के अधीन सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य का पुननिर्धरण आवश्यक हो जाता है, तो धारा 140 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 147 के अन्तर्गत कर निर्धारण सूची में परिवर्तन या संशोधन के सम्बन्ध में पारित कोई आदेश न्यायिक प्रकृति का आदेश है और न्यायालयें द्वारा उसकी समीक्षा कर उसे विखण्डित कया जा सकता है।

3. उपधारा (1) का खण्ड (क)—धारा 147 की उपधारा (1) के इस खण्ड के अनुसार नगरपालिका किसी भी समय जब उसके परिज्ञान में यह आये कि किसी आवश्यक सम्पत्ति या व्यक्ति का नाम कर निर्धारण सूची में प्रविष्ट होने से छूट गया है कोई सम्पत्ति कर निर्धारण सूची में अधिप्रमाणित होने के पश्चात् कराधान के लिए दायी हो गयी हो, तो उस व्यक्ति या सम्पत्ति को कर निर्धारण सूची में प्रविष्ट कर सकती है।

धारा 147 की उपधारा (1) का खण्ड (क) में प्रयुक्त 'कराधान के लिए' खण्डों और धारा 149 में प्रयुक्त 'कतिपय करों का भुगतान करने का दायित्व' शब्दों में काफी अन्तर है और यही कारण है कि विधायिका द्वारा इन दोनों का पृथक–पृथक धाराओं में किया गया है।

4. उपधारा (1) का खण्ड (ग)—धारा 147 की उपधारा (1) के इस खण्ड के अनुसार यदि कोई सम्पत्ति का गलत मूल्याकंन या कर निर्धारण हो गया है या किसी कपट या मिथ्या व्यवदेशन या त्रुटि के कारण गलत मूल्याकंन या कर निर्धारण किया गया है तो किये गये मूल्याकंन या कर निर्धारण में वृद्धि करके कर निर्धारण सूची में संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है, किन्तु यदि कपट या मिथ्या व्यदेशन या त्रुटि के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, तो सम्पत्ति का पुर्नमूल्याकंन या पुनर्कर निर्धारण बिल्कुल अवैध होगा।

5. उपधारा (1) का खण्ड (घ)—इस खण्ड के अनुसार यदि किसी संपत्ति का मूल्य भवन में किये गये किसी परिवर्द्धन या परिवर्तन के कारण बढ़ गया हो, तो नगरपालिका उसका पुनर्मूल्याकंन या पुनर्निर्धारण कर सकती है और तदनुरूप कर निर्धारण सूची में संशोधन कर सकती है।

किन्तु यदि सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य में भवन के परिवर्द्धित या परिवर्तित मांग का मूल्याकंन जोड़ दिया जाता है तो यह उचित नहीं होगा। सम्पत्ति का पुनर्मूल्याकंन या पुनर्निधारण धारा 140 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में विहित प्रऊिया के अनुसार होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 147 की उपधारा (1) का खण्ड (घ) के अन्तर्गत किसी परिर्द्धित या परिवर्तित भवन का पुनर्मूल्याकंन करते समय भवन की स्थानीय स्थिति, भवन के संसाधन, उस स्थानीय सीमा में रहने वाले लोगों का स्तर और स्थानीय सीमा की सम्पूर्ण दशा जिससे कि भवन की किरायेदारी हेतु मांग के बारें में पता चल सके, आदि बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

148. **संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता**–(1) जब किसी भवन का निर्माण पुनर्निर्माण या विस्तार किया जाय, तो स्वामी ऐसे भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण या विस्तार पूरा हो जाने के दिनांक से अथवा ऐसे भवन के अध्यासन के दिनांक से, उसमें से जो भी दिनांक पहले हो, पन्द्रह दिन के भीतर नगरपालिका को उसकी नोटिस देगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित नोटिस देने में असफल रहे, दोषसिद्ध ठहराये जाने पर जुर्माने से दन्डित किया जायेगा जो पचास रूपये तक अथवा ऐसे निर्माण या विस्तार पर तीन मास के लिए देय कर की दस गुनी धनराशि तक, इसमें जो भी अधिक हो, हो सकता है।

संक्षेप

1. धारा 148 का उद्देश्य एवं विस्तार
2. उपधारा (1) के अन्तर्गत सूचना हेतु परिसीमा अवधि

1. धारा 148 का उद्देश्य एवं विस्तार–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की यह धारा भवन के स्वामी पर यह दायित्व अधिरोपित करती है कि जब कभी वह किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण या विस्तार करें, उसकी सूचना नगरपालिका को पन्द्रह दिन कि अवधि के भीतर दें। ऐसा न करने पर पर उपधारा (2) में उपबन्धित दण्ड से दण्डित किया जायेगा, किन्तु उपधारा (2) में विहित दण्ड मात्र उस स्थिति में ही दिया जा सकता है जब कि वह व्यक्ति दोषसिद्ध ठहराया जायें।

2. उपधारा (1) के अन्तर्गत सूचना हेतु परिसीमा अवधि–धारा 148 की उपधारा (1) जहां भवन स्वामी पर भवन निर्माण, पुनर्निर्माण या विस्तार के बारें में नगरपालिका को सूचना देने हेतु उत्तरदायित्व अधिरोपित करती है, वहीं यह धारा ऐसी सूचना देने के लिए परिसीमा अवधि की विहित करती है। यह परिसीमा अवधि निम्नवत् है–

(i) भवन का निर्माण पुनर्निर्माण या विस्तार पूरा होने की तिथि से पन्द्रह दिन; या

(ii) भवन के अध्यासन की तिथि से पन्द्रह दिन, इसमें से जो भी तिथि पूर्ववर्ती हो, के भीतर।

149. **वार्षिक मूल्य पर कतिपय कर भुगतान करने का दायित्व**–(1) नियम द्वारा किये गये अन्यथा उपबन्ध के सिवाय, भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर प्रत्येक कर (समार्जन पर या शौचालय और संडास की सफाई के लिये कर से भिन्न) प्रथमतः ऐसी सम्पत्ति के, जिस पर उक्त कर निर्धारित किये गये हों, वास्तविक अध्यासी से वसूल किया जायेगा; यदि वह उक्त भवन या भूमि का स्वामी है या वह उन्हें सरकार से या नगरपालिका से भवन सम्बन्धी या अन्य पट्टे पर या किसी व्यक्ति से भवन सम्बन्धी पट्टे पर धारण करता हो।

(2) किसी अन्य दशा में कर प्रथमतः निम्नलिखित रूप में उद्ग्रहणीय होगा, अर्थात्–

(क) यदि सम्पत्ति पट्टे पर दी गई हो तो पट्टाकर्ता से;

(ख) यदि सम्पत्ति शिकमी पट्टे पर दी गई हो तो वरिश्ठ पट्टाकर्ता से;

(ग) यदि सम्पत्ति पट्टे पर न दी गई हो तो उस व्यक्ति से, जिसमें उसे पट्टे पर देने का अधिकार निहित हो।

(3) प्रथमतः देनदान व्यक्ति से ऐसे कर के रूप में देय कोई रकम वसूल न होने पर नगरपालिका उक्त भवन या भूमि के, जिसके सम्बन्ध में वह देय हो, किसी भाग के अध्यासी से उसक कर का ऐसा भाग वसूल कर सकता है, जिसका सम्पूर्ण देय कर की धनराशि से वही अनुपात हो जो अनुपात ऐसे अध्यासी द्वारा संदेय वार्षिक किराये की धनराशि का उकत सम्पूर्ण भवन या भूमि के सम्बन्ध में संदेय किराये की कुल धनराशि से या अधिप्रमाणीकृत निर्धारण–सूची में उनके पट्टे पर देने के मूल्य की कुल धनराशि से हो।

(4) कोई अध्यासी जो ऐसा भुगतान करता है, जिसके लिए वह पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन प्रथमतः देनदान नहीं है, किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर, प्रथमतः देनदार व्यक्ति द्वारा प्रतिपूर्ति किये जाने का हकदार होगा।

150. **ऐसे अन्य करों के भुगतान का दायित्व**–(1) भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर समार्जन पर या शौचालय और सण्डास की सफाई के लिए कर, उस सम्पत्ति के, जिस पर उक्त कर–निर्धारित किये गये हों, वास्तविक अध्यासी से उद्ग्रहणीय होंगे।

(2) किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी सम्पत्ति एक से अधिक अध्यासियों को पट्टे पर दी गई हो, तो नगरपालिका अपने विकल्प से वास्तविक अध्यासियों के बजाय पट्टाकर्ता से कर उद्ग्रहीत कर सकती है।

(3) पट्टाकर्ता जिससे उपधारा (2) के अधीन कर उद्ग्रहीत किया जाय, किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर उक्त कर किसी या सभी वास्तविक अध्यासियों से वसूल कर सकता है।

151. **अनध्यासन के कारण छूट**–(1) पूर्णतः या अंशतः किसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित नगरपालिका क्षेत्र से भिन्न नगरपालिका क्षेत्र में, जब कोई भवन या भूमि किसी वर्श में लगातार नब्बे या उससे अधिक दिनों तक रिक्त रही हो और उससे कोई किराया न मिलता हो, तो नगरपालिका उस वर्ष के कर में उतनी छूट देगा या उतना वापस कर देगा, जो उतने दिनों की संख्या के अनुपात में होगा जितने दिन उक्त भवन या भूमि रिक्त रही हो और उससे किराया न मिला हो।

(2) जब किसी ऐसी नगरपालिका क्षेत्र के किसी भवन में अलग–अलग निवास गृह हो जिनमें से एक या से अधिक निवासगृह पूर्वोक्त किसी अवधि में रिक्त रहे हो और किराया न मिला हो तो नगरपालिका का या किस्त के ऐसे भाग से (यदि कोई हो) छूट दे सकता है या उसे वापस कर सकता है जैसा कि नियम द्वारा विहित किया जाय।

(3) किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कर में तब तक कोई छूट नहीं दी जायेगी जब तक कि नगरपालिका को इस तथ्य की लिखित नोटिस न दे दी गयी हो कि भवन या भूमि रिक्त है और उससे कोई किराया नहीं मिल रहा है, और यह भी कि ऐसी नोटिस दिये जाने के दिनांक के पूर्व की किसी अवधि के लिए कर में कोई छूट नहीं दी जायेगी और न उसे वापस किया जायेगा।

(4) उन तथ्यों को प्रमाणित करने का भार उसी व्यक्ति का होगा जो इस धारा के अधीन उपचार पाने के लिए हकदार हों।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई भवन या भूमि रिक्त नहीं समझी जायेगी यदि वह मनोरंजन स्थल अथवा नगरगृह या ग्राम्यगृह के रूप में अनुरक्षित की जाती हो, अथवा न यह समझा जायेगा कि उससे किराया नहीं मिल रहा है यदि उसे ऐसे किरायेदार को पट्टे पर दिया गया हो जिसको उसके अध्यासन का निरन्तर अधिकार हो, चाहे वह उसके वास्तविक अध्यासन में हो या न हो।

संक्षेप

1.	धारा 151 का उद्देश्य एवं विस्तार	4.	'रिक्त' पद का अभिप्राय
2.	उपधारा (1)	5.	उपधारा (4)
3.	उपधारा (3)	6.	उपधारा (5)

1. धारा 151 का उद्देश्य एवं विस्तार—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की यह धारा किसी भवन या भूमि या भवन के किसी निवासगृह के रिक्त रहने की दश में कर से छूट देने के बारें में उपबन्ध करती है, किन्तु इसके लिए निम्नलिखित शर्तो का पूरा होना आवश्यक है—

(i) भवन या भूमि पर्वतीय क्षेत्र में स्थित नगरपालिका से भिन्न नगरपालिका क्षेत्र में स्थित होना चाहिए।

(ii) भवन या भूमि का को निवासगृह लगातार 90 दिनों या उससे अधिक दिनों से रिक्त होना चाहिए।

(iii) ऐसे भवन या भूमि या भवन के निवासगृह से कोई किराया न मिल रहा हो।

(iv) भवन या भूमि भूमि या भवन के निवासगृह के रिक्त होने और उससे कोई किराया न मिलने के तथ्य की सूचना नगरपालिका को दे दी गयी हो।

2. उपधारा (1)—नगरपालिका अधिनियम की धारा 151 की यह उपधारा (1) उपबन्धित करती है कि यदि कोई भवन या भूमि किसी वर्ष में लगातार 90 या उससे अधिक दिनों तक रिक्त रही हो और उससे कोई किराया न मिला हो तो नगरपालिका भवन या भूमि के रिक्त रहने और किराया न मिलने के दिनांक के अनुपात के अनुसार उस भवन या भूमि के उस वर्ष में कर में छूट देगी, किन्तु ऐसी कोई छूट मात्र उन्हीं भवनों या भूमि को मिलेगा जो पूर्णतः या भागतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थिति नगरपालिका क्षेत्र से भिन्न किसी नगरपालिका क्षेत्र में रिक्त हो।

3. उपधारा (3)—यह उपधारा कर में छूट प्राप्त करने के लिए एक शर्त का उपबन्ध करती है। इसके अनुसार कर में छूट मात्र तभी दी जायेगी जबकि नगरपालिका को इस तथ्य की सूचना दे दी गयी हो कि भवन या भूमि रिक्त है और उससे कोई रिकाया नहीं मिल रहा है। ऐसी नोटिस लिखित होनी चाहिए न कि मौखिक। यह उपधारा आगे उपबन्धित करती है कि नोटिस दिये जाने के दिनांक से पूर्व की किसी अवधि के लिए कर में कोई छूट प्रदान नहीं की जायेगी।

उपधारा (3) के अन्तर्गत स्वामी द्वारा दी गयी सूचना तब तक प्रभावी बनी रहेगी जब तक कि पुनर्अध्यासन की सूचना नहीं दी जाती है।

4. 'रिक्त' पद का अभिप्राय—धारा 151 में प्रयुक्त 'रिक्त' पद का अभिप्राय 'अनध्यासन' से है। जब कोई भवन न तो स्वामी द्वारा अध्यासित है और न उसके मित्रों, रिश्तेदारों और किरायेदारी द्वारा अध्यासित है, तो रिक्त है।

धारा 151 की उपधारा (5) के अनुसार यदि कोई भवन या भूमि मनोरंजन स्थल या नगरगृह या ग्राम्यगृह के रूप में अनुरक्षित की जाती हो, तो वह भवन या भूमिकर में छूट के लिए रिक्त नहीं समझी जायेगी।

5. उपधारा (4)–यदि किसी भवन या भूमि या निवासगृह के रिक्त होने के बारें में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उपधारा (4) के अनुसार ऐसी रिक्ति को सिद्ध करने का उत्तरदायित्व उस व्यक्ति का होगा जो इस धारा के अधीन उपचार पाने के लिए हकदार हो।

यह प्रश्न कि कोई विशिष्ट भवन रिक्त रहा है या नहीं और क्या उसका स्वामी इस धारा के अन्तर्गत छूट का हकदार है या नहीं, तथ्य का प्रश्न है जो कि प्रत्येक मामलें के तथ्यों के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है, किन्तु यदि कोई भवन बारह माह से अधिक अवधि से रिक्त है और इसके रिक्त होने के लिए की गयी सूचना भवन के पुनः अध्यासित होने की किसी सूचना के अभाव में, विधिमान्य मानी जायेगी और यह भवन के रिक्त होने के बारें में पर्याप्त प्रमाण मानी जायेगी।

6. उपधारा (5)–धारा 151 की यह उपधारा मूलतः उपधारणा खण्ड का कार्य करती है। यह उपधारा मुख्यतः दो प्रकार की उपधारण करती है–

(i) यदि कोई भवन या भूमि मनोरंजन स्थल या नगरगृह या ग्राम्यगृह के रूप में अनुरक्षित किया गया है, तो वह इस धारा के प्रयोजनार्थ रिक्त नहीं समझा जायेगा;

(ii) यदि भवन या भूमि ऐसे किरायेदार को पट्टे पर दिया गया है जिसको उसके अध्यासन का निरन्तर अधिकार हो, चाहे वह उसके वास्तविक अध्यासन में हो या न हो, तो इस धारा के प्रयोजनार्थ यह नहीं समझा जायेगा कि उससे किराया नहीं मिला रहा है।

यदि कोई भवन बैंक के लिए किराये पर दिया गया है और बैंक द्वारा किराया अग्रिम ऋण के भुगतान में किश्तों के रूप में समायोजित किया जाता है, तो इस धारा के प्रयोनार्थ यह नहीं समझा जायेगा कि उस भवन से कोई किराया प्राप्त नहीं हो रहा है।

152. **पुनः अध्यासन की नोटिस देने की बाध्यता**–(1) किसी ऐसे भवन या भूमि का स्वामी जिसके लिए पूर्ववर्ती धारा के अधीन कर में छूट देने या उसकी वापसी के लिए आवेदन किया गया हो, या ऐसी छूट दे दी गई हो या वापस कर दिया गया हो, उसका स्वामी ऐसे भवन या भूमि का पुनः अध्यासन करने के पन्द्रह दिन के भीतर पुनः अध्यासन की नोटिस देगा।

(2) कोई स्वामी, जो उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित नोटिस देने से असफल रहे, दोषसिद्ध ठहराये जाने पर ऐसे जुर्माने से दण्डितम किया जायेगा जो उस कर की धनराशि के जो ऐसे भवन या भूमि पर उस अवधि के लिए देय हो जिसमें वह बिना नोटिस के पुनः अध्यासित की गयी हो, दुगुने से कम न होगा और जो पचास रूपये तक या उस कर की धनराशि के दस गुने तक, इसमें जो भी अधिक हो, हो सकता है।

संग्रह, संधान, छूट और कराधान सम्बन्धी अन्य विषय

153. **कर–निर्धारण, संग्रह और अन्य विषयों के सम्बन्ध में नियमावली**–निम्नलिखित, सिवाय जहां तक उनके लिए अधिनियम में उपबन्ध किया जाये, नियमावली द्वारा अधिनियतिम और नियन्त्रित होंगे, अर्थात्–

(क) करों का निर्धरण, संग्रह या संसाधन {***}

(ख) करों के अपवचन का निवारण;

(ग) ऐसे प्रणाली, जिसके अनुसार कर वापस किये जाने की अनुज्ञा दी जायेगी और उनका भुगतान किया जायेगा;

(घ) किसी कर के सम्बन्ध में भुगतान करने की मांग के नोटिस के लिए करस्थम् अधिपत्र के निष्पादन के लिए फीस;

(ङ) करस्थम् किये गये पशुधन के अनुरक्षण के लिए प्रभावी दरें; और

(च) करों से सम्बद्ध कोई अन्य विषय, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में कोई उपबन्ध न हो या अपर्याप्त उपबन्ध किया गया हो और राज्य सरकार की राय में ऐसा उपबन्घ करना आवश्यक हो।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)
2. धारा 153 का उद्देश्य एवं विस्तार
3. धारा 153 के खण्ड (च)

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)—उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन्, 1991 द्वारा 153 के खण्ड (क) में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को निरसित कर दिया गया—

''और चुंगी या पथकर की दशा में चुंगी या पथकर का अधिनिर्धारणए।''

2. धारा 153 का उद्‌देश्य एवं विस्तार—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की यह धारा उन विशयों के बारें में राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति प्रदान करती है, जिनके बारें में नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत उपबन्ध नहीं किया गया है। इस धारा के अन्तर्गत दिये गये विषय मुख्यतः करों के निर्धारण, संग्रह और उससे सम्बन्धित विशयों से है।

3. धारा 153 के खण्ड (च)—यह खण्ड उपबन्धित करता है कि यदि करों के सम्बद्ध कोई अन्य विषय जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में कोई उपबन्ध न किया गयाहो या अपर्याप्त किया गया हो और राज्य सरकार की राय में ऐसा उपबन्ध करना आवश्यक हो, तो राज्य सरकार इसके लिए नियम विहित कर सकती है।

पूरन चन्द्र के मामलें में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने धारा 153 के खण्ड (च) के बारें में विचार करते हुए संप्रेक्षित किया गया कि यह खण्ड राज्य सरकार को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है।

चूंकि पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित भवन या भूमि के करों में छूट देने के बारें में नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, अतः राज्य सरकार उसके लिए इस खण्ड के अन्तर्गत नियम बना सकती है।

154. {***}

विधायी परिवर्तन (Legislative changers)—उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन्, 1991 द्वारा यह धारा निरसित कर दी गयी है। निरसित किये जाने से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी—

''154. चुंगी सीमा सुनिश्चित करने की शक्ति—(1) जब केन्द्रीय सरकार, की अनुमति से छावनी प्राधिकारण संलग्न नगरपालिका से सहमत हो जाये कि चुंगी या पथकर प्रभार छावनी निधि और नगरपालिका निधि में विभाजित कर लिया जायेगा। नियमों द्वारा निश्चित की गयी चुंगी या पथकर सीमा के अन्तर्गत छावनी और नगरपालिका दोनों के क्षेत्रों को उस सीमा तक शामिल कर लिया जायेगा जहां तक राज्य सरकार आवश्यक समझे।

(2) बोर्ड को उसकी सीमाओं के भीतर लाये जाने वाले पशुओं या वस्तुओं पर चुंगी या ऐसी, सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों और अन्य साधनों, पशुओं और लदे हुए कूलियों पर पथकर संग्रहीहत करने की वहीं शक्ति होगी और चुंगी एवं पथकर सम्बन्धी इस अधिनियम के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होगे मानों ऐसी सीमा नगरपालिका के पूर्णतः भीतर है।''

155. {***}

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changers)**—यह धारा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, सन् 1991 द्वारा निरसित कर दी गयी। निरसित किये जाने से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी—

''155. चुंगी देयों के अपवचन के लिए शास्ति—कोई व्यक्ति चाहे स्वयं वह अपनी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी पशु या वस्तु को, जो चुंगी के भुगतान के लिए उत्तरदायी है और जिसके प्रवेश के लिए देय चंगी का न तो भुगतान किया गया है और न ही उसकी निविदा की गयी है, चूंगी सीमा के भीतर प्रवेश कराता है या प्रवेश कराने का प्रयास कराता है या चुंगी सीमा के भीतर प्रेवश होते दुष्प्रेरित करता है, जुर्माने से जो कि या तो ऐसी चुंगी के मूल्य का बीस गुना या पॉच सौ रूपये तक, जो भी अधिक हो और जो ऐसी चुंगी के चार गुना से कम न हो, हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।''

155—क. {***}

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changers)**—यह धारा इस अधिनियम में सर्वप्रमि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1964 द्वारा जोड़ी गयी किन्तु उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, सन् 1991 द्वारा इसे निरसित कर दी गयी। निरसित किये जाने से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी—

''155—क. चुंगी के सम्बन्ध में तलाशी प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति—ऐसी शर्तो और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जो कि इस निमित्त विहित की जाये, अधिशासी अधिकारी या अनिम्न श्रेणी का अधिकारी, जैसा कि विहित किया जाये,—

(i) किसी भवन, जहाज या स्थान, जहां उसे यह विश्वास करने का कारण है कि चुंगी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कोई वस्तु जिसके लिए चुंगी का भुगतान नहीं किया गया है, रखी गयी है,

कोई लेखा पुस्तिका या अन्य दस्तावेज जो उसके विचार में इससे सम्बन्धित किसी कार्यवाही में सुसंगत होंगे, पाये जा सकेगें, में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा;

(ii) यदि स्वामी या अध्यासी अनुपस्थित है या उपस्थित है, किन्तु अवरोध शक्ति करता है या प्रतिरोध करता है, तो ऐसे प्रवेश के लिए किसी दरवाजे को तोड़कर खाले सकेगा या बुलवा सकेगा और किसी अन्य अवरोध को हटा सकेगा या हटासा सकेगा;

(iii) किन्तु वस्तु या लेखा पुस्तिका या अन्य दस्तावेजों की जांच, निरीक्षण या अभिग्रहण कर सकेगा।''

156. **प्रशमन**—(1) किसी नियम के उपबन्धें के अधीन रहते हुए, नगरपालिका विहित प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किये गये विशेष संकल्प द्वारा, यह व्यवस्था कर सकेगी कि सभी या किन्हीं व्यक्तियों को कर का प्रशमन करने की अनुज्ञा दी जा सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी कर के प्रशमन के कारण देय प्रत्येक राशि अध्याय 6 में उपबन्धित रीति से वसूल की जा सकेगी।

157. **छूट**—(1) नगरपालिका इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर या कर के किसी अंश का भुगतान किये जाने से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसकी राय में निर्धनता के कारण उसका भुगतान करने में असमर्थ हो, एक वर्ष से अनधि की अवधि के लिए छूट दे सकेगी और ऐसी छूट जितनी बार वह आवश्यक समझे, पुनः दे सकेगी।

(2) नगरपालिका विहित प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किये गये विशेष संकल्प द्वारा; किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को अथवा किसी सम्पत्ति या सम्पत्ति के प्रकार को, इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी कर या कर के किसी अंश के भुगतान किये जाने छूट दे सकेगी।

(3) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को अथवा किसी सम्पत्ति या सम्पतित के प्रकार को इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी कर या कर के किसी अंश का भुगतान किये जाने से छूट दे सकेगी।

संक्षेप

1. धारा 157 का उद्देश्य एवं विस्तार
2. कर में छूट
3. धारा 157 की उपधारा (3)

1. धारा 157 का उद्देश्य एवं विस्तार—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की इस धारा का मुख्य उद्देश्य नगरपालिकाओं एवं राज्य सरकार को इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिरोपित किये जाने वाले करों से किसी व्यक्ति सम्पत्ति को छूट प्रदान करने की शक्ति प्रदान करना है। इस धारा की उपधारा (1) एवं (2) नगरपालिका की शक्ति के बारें में उल्लेख करती है जबकि उपधारा (3) राज्य सरकार की शक्ति के बारें में उल्लेख करती है। उपधारा (1) के अन्तर्गत नगरपालिका निर्धनता के आधार पर किसी व्यक्ति को कर से छूट प्रदान कर सकती है, किन्तु ऐसी छूट दो शर्तो के अधीन है—(i) निर्धनता ऐसी होन चाहिए कि व्यक्ति कर का भुगतान करने में असमर्थ हो, और (ii) ऐसी छूट एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिए दी जा सकती है किन्तु जितनी बार आवश्यक हो पुनः प्रदान की जा सकती है। उपधारा (2) के अन्तर्गत नगरपालिका विहित प्राधिकारी द्वारा अभिपुष्ट किये गये विशेष संकल्प द्वारा किसी भी व्यक्ति या सम्पत्ति को किसी कर के भुगतान से पूर्णतः या अंशतः छूट प्रदान कर सकती है। इसी प्रकार राज्य सरकार उपधारा (3) के अन्तर्गत आदेश द्वारा किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को किसी कर के भुगतान से पूर्णतः या अंशतः छूट प्रदान कर सकती है।

2. कर में छूट—धारा 157 के अन्तर्गत नगरपालिका एवं राज्य सरकार दोनों को इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिरोपित किये जाने वाले करों से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को छूट प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गयी है, किन्तु इस शक्ति का प्रयोग छूट मात्र उसी स्थिति में प्रदान की जा सकती है जबकि कर अधिरोपित किया गया हो।

3. धारा 157 की उपधारा (3)—यह उपधारा राज्य सरकार के इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित करों से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में काफी व्यापक शक्ति प्रदान की गयी है। इसके अन्तर्गत वह किसी भी व्यक्त या सम्पत्ति को कर से छूट प्रदान करने के लिए नियम और प्रक्रिया विहित कर सकती है। ऐसी नियम और प्रक्रिया के विहित होने का किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को कर से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में उस नियम और प्रक्रिया का अनुसरण निश्चित रूप से किया जाना चाहिए।

जहां किसी सरकारी संविदाकर द्वारा सरकारी संविदा के अनुपालन में किसी वस्तु का आयात किया जाता है, तो ऐसी वस्तु को चुंगी से छूट केवल तभी प्राप्त हो सकती है, जबकि सरकारी अधिकारी द्वारा ऐसी वस्तु को इस निमित्त अधिप्रमाणित किया जाये।

जब कोई वस्तु जिसके सम्बन्ध में पथकर का भुगतान गया है, सरकार की सम्पत्ति हो जाती है, तो वह व्यक्ति जिन्हें उस वस्तु के सम्बन्ध में पथकर का भुगतान किया है, उसे वापस प्राप्त करने का हकदार होगा।

158. दायित्व प्रकट करने की बाध्यता—(1) इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका या कोई कर निर्धारण प्राधिकारी, लिखित संसचूना द्वारा नगरपालिका के किसी निवासी से ऐसी सूचना देने या ऐसे अभिलेख, लेखा बही और दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जो निम्नलिखित को अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो—

(क) क्या ऐसा निवासी अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी कर का देनदार है;

(ख) उस पर कितनी धनराशि का कर निर्धारण किया जाना चाहिये;

(ग) ऐसे भवन या भूमि का, जो उसके अध्यासन में हो, वार्षिक मूमल्य और उसके स्वामी का नाम व पता।

(2) यदि कोई निवासी जिससे सूचना देने या अभिलेख, लेखा बही या दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई हो, उसे न दे या प्रस्तुत न कर सके या उसे दे या प्रस्तुत करे ओर नगरपालिका या कर निर्धारण प्राधिकारी को गलत या अपूर्ण प्रतीत हो तो, यथास्थिति नगरपालिका या कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसी जांच के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, अपने सर्वोत्तम विवेकानुसार कर निर्धारण कर सकेगा।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)
2. धारा 158 का उद्देश्य एवं विस्तार

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)—इस धारा में उपधारा (2) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1964 द्वारा जोड़ी गयी है।

2. धारा 158 का उद्देश्य एवं विस्तार—उत्तर प्रदेश अधिनियम की इस धारा का मुख्य उद्देश्य नगरपालिका करों की किसी व्यक्ति द्वारा चोरी को रोकना है। इस हेतु यह धारा नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर यह दायित्व अधिरोपित करती है कि जब कभी नगरपालिका द्वारा या किसी कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) तक में विहित बातों को अभिनिश्चित करने हेतु किसी व्यक्ति से

कोई सूचना, अभिलेख, लेखा बही दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने में असफल रहता है या गल या अपूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है, तो नगरपालिका या कर निर्धारण अधिकारी अपने विवेकानुसार कर निर्धारण कर सकेगा।

जहां कोई व्यक्ति किसी कराधेय वस्तु का आयात करता है, किन्तु कर का भुगतान नहीं करता है तो उसे धारा 158 के अन्तर्गत सूचना जारी की जा सकती है और सूचना में विहित अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असमर्थ रहने पर नगरपालिका या विहित प्राधिकारी द्वारा उपधारा (2) में अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

159. **पता लगाने की शक्ति**—धारा 287 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तो और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और यदि इस निमित्त संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया गया हो तो नगरपालिका का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी, या सेवक मूल्याकंन के प्रयोजनों के लिए किसी भवन में प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है तथा उसे माप सकता है अथवा किसी घुड़साल या वाहनगृह या अन्य स्थान में जिसके सम्बन्ध में यह विश्वास करने का कारण हो कि वहां वाहन या पशु है, जो इस अधिनियम के अधीन कराधान के योग्य है, में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है।

159—क. **अंको को पूर्णांकित करना**—इस अधिनियम के अधीन किसी कर की धनराशि की संगणना करने में रूपये का भाग जो पांच पैसे से कम हो या जो पांच पैसे का कोई गुणक न हो, यथास्थिति, पांच पैसे या पांच पैसे के अगले उच्च गुणक में पूर्णांकित किया जायेगा।

कराधान के विरूद्ध अपील

160. **कराधान से सम्बन्धित अपील**—(1) भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर निर्धारित किसी कर की दशा में धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 147 की उपधारा (3) के अधीन दिये गये आदेश के विरूद्ध अपील और किसी अन्य कर की दशा में, किसी कर निर्धारण या कर निर्धारण में किये गये किसी परिवर्तन के विरूद्ध अपील, जिला मजिस्ट्रेट को या ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाये, की जा सकेगी।

(2) {***}

संक्षेप

1.	विधायी परिवर्तन (Legislative changers)	5.	पुनर्विलोकन ;त्मअपमूद्ध
2.	धारा 160 का उद्देश्य एवं विस्तार	6.	धारा 160 और धारा 164
3.	अपील प्राधिकारी और उसकी शक्तियां	7.	धारा 160 और धारा 314
4.	पुनरीक्षण (Revision)		

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)—उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा इस धारा की उपधारा (2) को निरसित कर दिया गया है। निरसित किये जाने से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी—

''(2) किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई बोर्ड धारा 30 के अन्तर्गत अधिष्ठित कर दिया गया है और बोर्ड के कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए धारा 31 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गयी है, अपील ऐसे प्राधिकारी के समक्ष दाखिल की जायेगी जो विहित की जाये।''

2. धारा 160 का उद्देश्य एवं विस्तार—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की यह धारा कराधान से सम्बन्धित अपील के बारें में उपबन्धित करती है। इस धारा के अन्तर्गत निम्नलिखित के सम्बन्ध में अपील दाखिल की जा सकती है।

(i) किसी भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर निर्धारित कर की दशा में धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 147 की उपधारा (3) के पारित किसी आदेश के विरूद्ध।

(ii) किसी अन्य कर की दशा में कर निर्धारण या कर निर्धारण में परिवर्तन के विरूद्ध।

धारा 160 करा धान से सम्बन्धित अपील के बारें में उपबन्ध करती है और उन प्राधिकारियों के बारें में उपबन्ध करती है जिनके समक्ष अपील की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 160 जिला मजिस्ट्रेट के अपीली; अधिकारिता को विहित नहीं करती है। जिला मजिस्ट्रेट कराधान के सिद्धान्तों और कर की मात्रा, दोनों के बारें में जांच कर सकता है और उपबन्ध साक्ष्यों के आधार पर कोई भी आदेश पारित कर सकता है। यह अधिरोपित कर में कमी या वृद्धि कर सकता है। कर में वृद्धि वह उस स्थिति में कर सकता है जबकि वह सिद्ध हो जाये कि कम कर लगाये जाने वाला सिद्धान्त गलत था।

3. अपील प्राधिकारी और उसकी शक्तियां—इस धारा के अन्तर्गत कोई भी अपील निम्नलिखित प्राधिकारियों के यहां दाखिल की जा सकती है—

(i) जिला मजिस्ट्रेट; या

(ii) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अन्य प्राधिकारी।

धारा 160 के अन्तर्गत अपील की सुनवायी करने वाले अधिकारी के लिए यह खुला है कि वह यह निर्णीत कर सके कि निर्धारण अधिकारी के समक्ष जो आपत्ति नहीं की गयी उसे अपील के समय करने की छूट दी जाये या नहीं।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 160 के अन्तर्गत अपील की सुनवाई करते समय जिला मजिस्ट्रेट उन तथ्यों पर भी विचार कर सकता है जो सामान्य जानकारी के विषय है। ऐसा करते समय वह कर निर्धारण अधिकारी से भिन्न अभिमत धारण कर सकता है।

4. पुनरीक्षण (Revision)—इस धारा के सम्बन्ध में एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या इस धारा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी द्वारा अपील में परित आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण दाखिल किया जा सकता है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न काफी पहले हो और माननीय उच्च न्यायालय ने सन् 1933 में राम सहाय वाद में ही यह अभिनिर्णीत कर दिया कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 160 के अन्तर्गत अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण दाखिल नहीं किया जा सकता है।

5. पुनर्विलोकन (Review)—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 160 के अन्तर्गत अपील प्राधिकारी को अपील के पारित ओदश कर पुनर्विलोकन करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।

6. धारा 160 और धारा 164–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 164 के द्वारा कराधान के विषय में सिविल एवं दण्डित न्यायालयों की अधिकारिता पर पूर्णतः रोक लगा दी गयी है। अतः किसी कर की मात्रा के बारें में कोई विवाद धारा 160 के अधीन अपील अधिकारी के समक्ष उठाया जा सकता है न कि वाद के माध्यम से सिविल न्यायालय के समक्ष।

धारा 164 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 160 के अधीन अपील दाखिल किये जाने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है।

7. धारा 160 और धारा 314–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 315 के अन्तर्गत नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी या नगरपालिका के अध्यक्ष को इस अधिनियम के अन्तर्गत धारा 237(4), 242, 246, 247, 281, 285, (5) और 295 में वर्णित किसी अपराध से भिन्न अपराध उपशमन करने की शक्ति प्रदान की गयी है। यदि इस धारा के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी या नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है, तो धारा 160 के अन्तर्गत उसके विरूद्ध कोई अपील दाखिल नहीं की जा सकती है।

161. **परिसीमा और दावाकृत का प्रारम्भिक निक्षेप**–ऐसी कोई अपील तब तक न सुनी जायेगी और अवधारित की जायेगी जब तक कि–

(क) वह अपील भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर निर्धारित किये गये कर की दशा में आदेश के (उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को छोड़कर) संसूचित किये जाने के दिनांक के ठीक आगामी तीस दिन के भीतर और किसी अन्य कर की दशा में कर निर्धारण की या कर निर्धारण के परिवर्तन की नोटिस के प्राप्त होने के दिनांक के ठीक आगामी तीस दिन के भीतर या यदि कोई नोटिस न दी गयी हो, तो कर निर्धारण या कर निर्धारण में परिवर्तन के अधीन प्रथम मांग के दिनांक के ठीक आगामी तीस दिन के भीतर न की गई हो; और

(ख) अपीलार्थी ने जिस धनराशि का दावास किया हो उसे उसने नगरपालिका कार्यालय में निक्षेप न कर दिया हो।

संक्षेप

1. धारा 161 का उद्देश्य एवं विस्तार
2. अपील दाखिल करने के लिए परिसीमा अवधि
3. अपील के लिए इस धारा के अधीन परिसीमा अवधि और परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबन्ध
4. दावाकृत कर का प्रारम्भिक निक्षेप

1. धारा 161 का उद्देश्य एवं विस्तार–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की यह धारा किसी अपील की सुनवाई और अवधारित किये जाने हेतु दो प्रकार की शर्ते विहित करती है जिनका अनुपालन पूर्ववर्ती रूप से किया जाना आवश्यक है। ये निम्नवत् है–

(i) अपील खण्ड (क) में विहित परिसीमा अवधि के भीतर दाखिल की गयी हो; और

(ii) अपीलार्थी द्वारा दावाकृत धनराशि का निक्षेप नगरपालिका कार्यालय में कर दिया गया हो।

इनमें से किसी भी शर्त के अपूर्ण रहने पर अपील की सुनवाई नहीं की जा सकती है।

2. अपील दाखिल करने के लिए परिसीमा अवधि—धारा 161 के खण्ड (क) के अन्तर्गत अपील दाखिल करने के लिए परिसीमा अवधि विहित की गयी है। अतः ऐसी स्थिति में यहां पर भारतीय परिसीमा अधिनियम के उपबन्ध आकर्षित नहीं होगें। खण्ड (क) के अनुसार कोई भी अपील तीस दिन की अवधि के भीतर दाखिल की जा सकती है। इस अवधि का प्रारम्भ निम्नवत् होगा—

(i) भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर निर्धारित कर की दशा में आदेश के संसूचित किये जाने की तिथि से।

(ii) किसी अन्य कर की दशा में कर निर्धारण या कर निर्धारण में परिवर्तन की सूचना प्राप्त होने की तिथि से, या

(iii) यदि ऐसी कोई सूचना न दी गयी हो, तो कर निर्धारण या कर निर्धारण में परिवर्तन के अधीन प्रथम मांग की तिथि से।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 147 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत किये गये पुनः कर निर्धारण से क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील धारा 160 के अन्तर्गत ऐसे पुनः कर निर्धारण आदेश की संसूचना की प्राप्ति तिथि से 30 दिन के भीतर दाखिल की जानी चाहिए।

3. अपील के लिए इस धारा के अधीन परिसीमा अवधि और परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबन्ध—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 161 के अन्तर्गत अपील दाखिल करने के लिए परिसीमा अवधि 30 दिन निहित की गयी है। इस प्रकार परिसीमा अवधि के बारें में परिसीमा अधिनियम में कुछ सामान्य उपबन्ध किये गये है जो किसी भी अधिनियम या विधि के सम्बन्ध में लागू होते है। ये उपबन्ध धारा 3 और 12 में किये गये है। धारा 5 में उन आधारों का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर परिसीमा अवधि की संगणना के बारें में उपलन्ध किया गया है। अध्ययन की सुविधा हेतु इन दोनों धाराओं और इनमें सम्बन्धित न्यायालयों के निर्णयों को क्रमशः निम्नवत् प्रस्तुत किया जा रहा है।

''धारा 5—कतिपय अवस्थाओं में विनिर्दिष्ट परिसीमा अवधि का विस्तार—कोई अपील या वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के किसी उपबन्ध के अन्तर्गत अवधि के पश्चात् भी ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदनकर्ता न्यायालय का समाधान कर दे कि ऐसे काल के अन्दर अपील या आवेदन न करने का उसके पास पर्याप्त कारण था।

स्पष्टीकरण—यह तथ्य कि अपीलार्थी या आवेदक विनिर्दिष्ट अवधि को अभिनिश्चित करने या संगठित करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय के कारण भ्रम में पड़ गया था, इस धारा के अर्थो में पर्याप्त कारण हो सकता है।

''धारा 12. परिसीमा काल की संगणना'(1) किसी वाद पर अपील या आवेदन के लिए विहित परिसीमा अवधि की संगणना में से वह दिन, जिससे ऐसी कालावधि प्रमाणित की जाती है, अपवर्तित कर दिया जायेगा।

(2) किसी अपील के लिए अपील करने की अजाजत के आवेदन के लिए और किसी निर्णय के पुनर्विलोकन के आवेदन के लिए विहित परिसीमा अवधि की संगणना में से वह दिन जिसको कि परिवादित निर्णय दिया गया था और वह अवधि जो कि उस आज्ञप्ति दण्डादेश या आदेश की प्रति जिसकी अपील की गई है या पुनर्विलोकन कराने का प्रयास अपवर्जित कर दिया जायेगा।

(3) जहां कि आज्ञपित की अपील की जावे या पुनर्विलोकन कराने के काम का प्रयास किया जाये वहां वह समय भी, जो कि उस निर्णय की प्रति जिस पर वह आज्ञप्ति आधारित है अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षणीय हो, अपवर्जित कर दिया जायेगा।

(4) किसी पंचाट को अपास्त करने के आवेदन के लिए विहित परिसीमा अवधि की संगणना में से वह अवधि जो कि पंचाट की प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षणीय हो, अपवर्जित कर दिया जायेगा।

व्याख्या—इस धारा के अन्तर्गत आज्ञप्ति या आदेश की प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय की संगणना में वह समय जो न्यायाल के आज्ञप्ति या आदेश तैयार कराने में प्रतिलिप के लिए आवेदन किये जाने के पूर्व व्यय किया हो वह समय अपवर्जित नहीं किया जायेगा''

4. दावाकृत कर का प्रारम्भिक निक्षेप—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की इस धारा 160 के अन्तर्गत अपील की सुनवाई एवं उसका अवधारण किये जाने हेतु एक पूर्व शर्त लगाता है। इसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा वह रकम जिसका दावा उसने अपी के माध्यम से किया है, नगरपालिका कार्यालय में जमा कर दिये जाने के पश्चात् ही न्यायालय द्वारा अपील की सुनवायी एवं अभिनिर्धारण किया जायेगा।
धारा 161 के अधीन दावाकृत रकम को अपील की सुनवाई के पूर्व किसी किसी भी समय जमा किया जा सकता है।

162. उच्च न्यायालय को निर्देश—(1) यदि धारा 160 के अधीन किसी अपील सुनवाई के दौरान में, किसी कर के दायित्व या कर निर्धारण के सिद्धान्त के बारें में कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जिस पर अपील सुनने वाले अधिकारी को यथोचित संदेह हो जाये, तो वह या तो स्वप्रेरणा से या हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन–पत्र पर, मामलें के तथ्यों और उस प्रश्न का जिस पर सन्देह किया गया हो, विवरण तैयार करेगा और उस विवरण को उस प्रश्न पर अपनी राय के साथ उच्च न्यायालय को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन निर्देश किये जाने पर, मामलें को पश्चात्वर्ती कार्यवाहियां, यथाशक्य सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 46 में अन्तर्विष्ट उच्च न्यायालय के निर्देश से सम्बन्धित नियमावली या ऐसी अन्य नियमावली के अनुसार की जायेगी जो उच्च न्यायालय द्वारा उक्त संहित की धारा 122 के अधीन बनायी जाये।

संक्षेप

1. धारा 162 का उद्देश्य एवं विस्तार
2. उच्च न्यायालय का निर्देश कब किया जा सकेगा
3. निर्देश प्राप्त होने पर उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही

1. धारा 162 का उद्देश्य एवं विस्तार—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की यह धारा अपील अधिकारी द्वारा किसी मामलें को उच्च न्यायालय को विनिश्चय हेतु निर्दिष्ट करने हेतु और उच्च न्यायालय द्वारा उसका विनिश्चय करने हेतु उपबन्ध करती है। इस धारा की उपधारा (1) के अनुसार धारा 160 के अन्तर्गत अपील की सुनवाई के दौरान यदि किसी कर के दायित्व या कर निर्धारण के सिद्धान्त के बारें में कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाये जिसे बारें में अपील अधिकारी को सन्देह हो जाये, तो वह मामलें के तथ्यों और सम्बन्धित प्रश्न का विवरण तैयार कर अपनी राय के साथ उच्च न्यायालय को विनिश्चय हेतु विनिर्दिष्ट करेगा। यह निर्देश अपील अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से या हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पत्र पर किया जा सकता है। उपधारा (2) के अनुसार अपील अधिकारी द्वारा किसी मामलें का निर्देश उच्च न्यायालय को किया जाता है, तो निर्देश की प्राप्ति के पश्चात् उच्च न्यायालय द्वारा यथासम्भव सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 46 में उच्च न्यायालय को निर्देश से सम्बन्धित नियमावली या इस संहित की धारा 122 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित किसी नियमावली के अधीन कार्यवाही की जायेगी।
धारा 162 उपबन्धित करती है कि जहां किसी कर के निर्धारण या कर के दायित्व के बारें में अपील अधिकारी को अपील की सुनवाई के समय कोई युक्तियुक्त संदेह होता है, तो वह मामलें को विनिश्चिय के लिए उच्च न्यायालय के निर्दिष्टि कर सकता है।

2. उच्च न्यायालय का निर्देश कब किया जा सकेगा—धारा 162 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को निर्देश निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है—

(i) धारा 160 के अन्तर्गत अपील की सुनवाई के समय कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ हो,

(ii) ऐसा प्रश्न किसी कर के दायित्व या कर निर्धारण के सिद्धान्त के बारें में हो,

(iii) ऐसे प्रश्न के बारें में अपील सुनने वाले अधिकारी को संदेह हो,

(iv) ऐसा संदेह युक्तियुक्त होना चाहिए।

इस धारा के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को निर्देश मात्र धारा 160 के अधीन अपील की सुनवाई के दौरान ही किया जा सकता है, न कि अपील का निस्तारण करने के पश्चात् धारा 164 (2) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किये जाने पर।

उच्च न्यायालय की धारा 162 के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्देश में यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि निर्दिष्ट प्रश्न उस मामलें को किस प्रकार से प्रभावित करता है। उद्धरण और सामान्य प्रश्नों के आधार पर कार्यवाही नहीं की जायेगी, जब तक कि निर्देश से उसकी सुसंगतता स्पष्ट न हो जाये।

जहां किसी प्रश्न में न तो कर का दायित्व है और न ही कर निर्धारण का सिद्धान्त निहित है और वह प्रश्न धारा 162 में वर्णित किसी आधार से सम्बन्धित नहीं है, तो उस प्रश्न के सम्बन्ध में विनिश्चय हेतु उच्च न्यायालय को कोई निर्देश नहीं किया जायेगा।

3. **निर्देश प्राप्त होने पर उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही**—धारा 162 की उपधारा (2) उपबन्धित करती है कि उपधारा (1) के अधीन निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् उच्च न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 46 में उच्च न्यायालय को निर्देश से सम्बन्धित नियमावली के अधीन या उच्च न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 122 के अधीन निर्मित नियमावली के अधीन कार्यवाही की जायेगी। सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 46 के नियम 3 के अनुसार उच्च न्यायालय निर्देश प्राप्त होने पर पक्षकारों को सुनवाई कर विनिर्दिष्ट प्रश्न का विनिश्चय करेगा और निर्देश करने वाले न्यायालय को आदेश की प्रति के साथ मामलें को वापस कर देगा, जो उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामलें का निस्तारण करेगा।

163. **वाद व्यय**—(1) प्रत्येक अपील में वाद व्यय अपील का विनिश्चय करने वाले अधिकारी के स्वविवेकानुसार दिया जायेगा।

(2) नगरपालिका को इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत किया गया वाद व्यय नगरपालिका द्वारा अध्याय—6 में उपबन्धित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

(3) यदि नगरपालिका, अपीलार्थी को अधिनिर्णीत किये गये वाद व्यय का, नगरपालिका को उसके भुगतान का आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक के पश्चात् दस दिन के भीतर, भुगतान करने में असफल रहे तो वाद व्यय को अधिनिर्णित करने वाला अधिकारी उन व्यक्तियों को जिनकी अभिरक्षा में नगरपालिका निधि का अवशेश हो, उक्त धनराशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है।

164. **कराधान के विषय के सम्बन्ध में सिविल और दाण्डिक न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक**—(1) इस अधिनियम में किये गये उपबन्ध से भिन्न अन्य रीति से या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी मूल्याकंन या कर निर्धारण पर न तो कोई विचार किया जाएगा और न कर निर्धारण किये जाने या कर लगाये जाने के लिए किसी व्यक्ति के दायित्व पर कोई प्रश्न उठाया जायेगा।

(2) किसी मूल्याकंन या कर निर्धारण अथवा कर निर्धारण या कराधान के दायित्व के बारें में दिये गये आदेश को पुष्ट करने, निरस्त करने या उपान्तरित करने का अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा;

प्रतिबन्ध यह है कि अपील प्राधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह मूल आदेश के दिनांक से तीन मास के भीतर आवेदन–पत्र देने पर या स्वप्रेरणा से एक अग्रेत्तर आदेश द्वारा किसी अपील में दिये गये अपने आदेश का पुनर्विलोकन करें–

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि अपील प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन आदेश के दिनांक से तीन मास के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

संक्षेप

1.	धारा 164 का उद्‌देश्य एवं विस्तार	3.	उपधारा (2)
2.	सिविल न्यायालयों को अधिकारिता		

1. धारा 164 का उद्देश्य एवं विस्तार–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की यह धारा मुख्यतः कराधान के विशय में सिविल और दाण्डिक न्यायालयों के अधिकारिता पर रोक लगाने के बारें में उपबन्ध करती है। इसकी उपधारा (1) के अनुसार किसी सम्पत्ति के मूल्याकंन या कर निर्धारण आदि के बारें में नगरपालिका अधिनियम में विहित उपबन्धों से भिन्न किसी रीति से विचार नहीं किया जायेगा। उपधारा (2) के अनुसार अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा। इसे दूसरे शब्दों में इस आदेश को किसी सिविल या दाण्डिक न्यायालयों में अपील या पुनरीक्षण के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती है। किन्तु इस धारा का परन्तुक अपील प्राधिकारी के आदेश की अन्तिमता का एक अपवाद सृजित करता है। इसके अनुसार अपील प्राधिकारी अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। यह पुर्नविलोकन मूल आदेश पारित होंगे कि तिथि से तीन माह के भीतर किया जा सकता है। पुनर्वितलोकन किसी पक्षकार द्वारा आवेदन–पत्र दिये जाने पर अथवा स्वप्रेरणा से भी किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 164 मूल्याकंन या कर निर्धारण लगाये जाने वाले किसी व्यक्ति के दायित्व के बारें में किसी प्रश्न के बारें में विचार करने से सिविल एवं दाण्डिक न्यायालयों को प्रतिबन्धित करती है। किन्तु यदि कराधान बोर्ड की अधिकारित से परे है, तो यह धारा लागू होगी और उच्च न्यायालय द्वारा उसे विखण्डित किया जा सकता है।

2. सिविल न्यायालयों को अधिकारिता–यद्यपि कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 164 के अन्तर्गत सिविल न्यायालयों की अधिकारिता को विवर्जित किया गया है, किन्तु यह विवर्जन वहां लागू नहीं होगा जहां नगरपालिका अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया गया है या सांविधिक न्यायाधिकरणों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के मौलिक सिद्धान्तों का अनुसरण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय मामलें की जांच कर सकते हैं, और उपयुक्त आदेश पारित कर सकते है।

जहां पर निर्धारण सूची विधि के अनुसार तैयार नहीं की गयी है, वहां सिविल न्यायालयों की अधिकारित विवर्जित नहीं है यह विवर्जन मात्र उसी स्थिति में लागू होगा जहां पर निर्धारण सूची विधि के अनुसार तैयार की गयी हो।

3. उपधारा (2)–यह उपधारा अपील प्राधिकारी के आदेश को अन्तिमता प्रदान करती है और साथ ही उसे पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करती है। अपील में अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश, उसके द्वारा पुनर्विलोकन के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

जहां अपील में आदेश पारित हो जाने के पश्चात् किसी पक्षकर द्वारा पुनर्विलतोकन याचिका के माध्यम से यह बात उठायी जाती है कि उसके द्वारा उठाये गये कुछ प्रश्नों को आदेश में छोड़ दिया गया है, तो अपील प्राधिकारी इस प्रश्न पर विचार करने के लिए बाध्य है कि क्या वे प्रश्न महत्वपूर्ण एवं सुसंगत है और क्या न्याय के हित में उन पर आगे विचार आवश्यक है। यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि न्याय के हित में ऐसे प्रश्न पर आगे विचार किया जाना आवश्यक है तो वह पुनर्विलोकन याचिका को मात्र इस आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता कि ऐसे प्रश्न निरसित समझे जायेंगे।

कर–निर्धारण और मांग में औपचारिक त्रुटि

165. **व्यावृत्ति**–कोई कर–निर्धारण सूची या अन्य सूची नोटिस बिल या ऐसा अन्य दस्तावेज जिसमें किसी कर, प्रभार किराया या शुल्क के निर्देश में कोई व्यक्ति सम्पत्ति, वस्तु या परिस्थिति विनिर्दिष्ट की गई हो या उसमें उनकी विदिष्ट करना तात्पर्यित हो केवल इस कारण से अविधिमान्य न होगा कि उसमें उक्त व्यक्ति के नाम, निवास–स्थान, कारबार या उपजीविका का स्थान अथवा सम्पत्ति, वस्तु या परिसिथति के विवरण के सम्बन्ध में कोई त्रुटि है या उसमें केवल लिपिकीय भूल है अथवा उसके प्रपत्र में कोई त्रुटि है और अभिज्ञान के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, वस्तु या परिस्थिति का पर्याप्त वर्णन कर दिया जाना पर्याप्त होगा ओर किसी ऐसी सम्पत्ति के जिसमें सम्बन्ध में कर दिया जाना हो, स्वामी अथवा अध्यासी का नाम दिया जाना आवश्यक न होगा।

——————

अध्याय 6
कतिपय नगरपालिका दावों की वसूली

166. **बिल प्रस्तुत करना**–(1) जैसे ही कोई व्यक्ति–

(क) किसी ऐसे कर के सम्बन्ध में जो तुरन्त मांग किये जाने पर देय किसी कर से भिन्न हो, किसी धनराशि का, या

(ख) धारा 196 के खण्ड (ग) या धारा 229 या जल सम्भरण के सम्बन्ध में धारा 230 के अधीन देय या किसी अन्य नगरपालिका सेवा या उपक्रम के सम्बन्ध में देय किसी धनराशि का, या

(ग) इस अधिनियम द्वारा या नियमावली या उप विधि द्वारा इस अध्याय में व्यवस्थित रीति से वसूल की जा सकने वाली घोषित किसी अन्य धनराशि का भुगतान करने का देनदान हो जाये, तो नगरपालिका सभी सुविधानुसार शीघ्रता से इस प्रकार देनदान व्यक्तियों को बिल प्रस्तुत करवायेगी।

(2) जब तक नियिम द्वारा अन्यथा उपबन्धित न हो, कोई व्यक्ति प्रत्येक कर और लाइसेन्स फीस का, ऐसी अवधि के प्रारम्भ होने पर जिसके सम्बन्ध में ऐसा कर या फीस देय हो, भुगतान करने के लिए देनदान समझा जाएगा।

167. **बिल की विषय वस्तु**–ऐसी प्रत्येक बिल में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा–

(क) ऐसी अवधि, जिसके लिए बिल और सम्पत्ति, उपजीविका, परिस्थितियां या कोई बात जिसके सम्बन्ध में धनराशि का दावास किया गया हो, और

(ख) ऐसा दायित्व या शास्ति जो भुगतान करने में चूक करने में प्रवर्तनीय हो, और

(ग) ऐसा समय (यदि कोई हो) जिसके भीतर अपील निर्दिष्ट की जा सकती है जैसा कि धारा 161 में उपबन्ध किया गया है।

168. **मांग की नोटिस**–यदि ऐसी धनराशि का, जिसके लिए उपर्युक्त के अनुसार बिल प्रस्तुत किया गया हो, उसे प्रस्तुत किये जाने के पन्द्रह दिन के भीतर नगरपालिका कार्यालय में या ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा भुगतान प्राप्त करने के लिए विनियम द्वारा अधिकृत किया गया हो, भुगतान न किया जाये तो नगरपालिका उक्त धनराशि के भुगतान के लिए देनदान व्यक्ति को अनुसूची 4 में निर्धारित या इसी आशय के प्रपत्र में मांग की नोटिस तामील करा सकेगी।

169. **वारन्ट जारी करना**–(1) यदि उक्त धनराशि के भुगतान के लिए देनदान व्यक्ति ऐसी मांग की नोटिस तामीन होने के 15 दिन के भीतर–

(क) नोटिस से मांगी गयी धनराशि का भुगतान न करे, या

(ख) यथास्थिति नगरपालिका को या ऐसे अधिकारी को जिसे नगरपालिका विनियम द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे, या जहां कोई अधिशासी अधिकारी हो, वहां यथास्थिति अधिशासी अधिकारी को समाधान प्रद रूप में यह कारण न बताये कि उसे इसका भुगतान नहीं करना चाहिए,

तो ऐसी धनराशि, वसूली के समस्त व्यय सहित वारन्ट के अधीन जो अनुसूची 5 के या इसी आशय के प्रपत्र में नगरपालिका द्वारा जारी कराया जायेगा, बाकीदार की जंगम सम्पत्ति के करस्थम् या बिक्री द्वारा वसूल की जा सकती है।

(2) इस धारा के अधीन जारी किये गये प्रत्येक वारन्ट पर नगरपालिका को अध्यक्ष के, या ऐसे अधिकारी के, जिसे नगरपलिका ने विनियम द्वारा अपनी शक्ति प्रत्यायेजित की हो या अधिशासी अधिकारी के, यदि कोई हो, हस्ताक्षर होंगें।

170. वारन्ट के निष्पादन के प्रयोजन के लिए बलपूर्वक प्रवेश–(1) ऐसे नगरपालिका अधिकारी के लिए धारा 169 के अधीन जारी किया गया वारन्ट संबोधित किया गया हो, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच, किसी भी समय किसी भवन के किसी बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर उसमें प्रवेश करना विधिपूर्ण होगा, जिससे निम्नलिखित परिस्थितियों में और न कि अन्यथा, वारन्ट में निर्दिष्ट करस्थम् का निष्पादन किया जा सकें।

(क) यदि वारन्ट में ऐसा कोई विशेष आदेश हो, सिजमें उसे इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो; और

(ख) यदि उसे यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण हो कि भवन में ऐसी सम्पत्ति है, जो वारन्ट कते अधीन जब्त किये जाने योग्य है; और

(ग) यदि अपना प्राधिकार और प्रयोजन अधिसूचित करने और सम्यक् रूप से प्रवेश करने की मांग करने के पश्चात् यह अन्यथा प्रवेश न कर सके।

(2) प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अधिकारी महिला के रहने के लिए अलग किये गये किसी कक्ष से तब तक प्रवेश न करेगा अथवा उसके दरवाजे को न तोड़ेगा, जब तक कि उसने उन महिलाओं को, जो उसमें हो, वहां से हट जाने का अवसर न दिया हो।

171. वारन्ट निष्पादित करने की रीति–(1) ऐसे अधिकारी के लिए उपधारा (2) तथा (3) के प्रयोजनों के अधीन रहते हुए, ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम, व्यतिक्रमी के रूप में दिया गया हो, जंगम सम्मति का, जहां कहीं वह पायी जाये, करस्थम् करना विधिपूर्ण होगा।

(2) निम्नलिखित सम्पत्ति का करस्थम् नहीं किया जायेगा–

(क) व्यतिक्रमी, उसकी पत्नी तथा बच्चों के पहने के आवश्यक वस्त्र और बिस्तर;

(ख) कारीगरों के औजार;

(ग) लेखा बही;

(घ) यदि व्यतिक्रमी कृशक हो, तो उसके कृषि कर्म के उपकरण, अन्न बीज और ऐसे पशु, जो उसके जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक हो।

(3) करस्थम् अतिशयपूर्ण न होगा, अर्थात् करस्थम् की गई सम्पत्ति का मूल्य यथासम्भव, वारन्ट के अधीन वसूल की जा सकने वाली धनराशि के बराबर होगी, और यदि ऐसी वस्तुओं का करस्थम् किया गया हो जो उस व्यक्ति की राय में, जिसे धारा 169 की उपधारा (2) के द्वारा या अधीन वारन्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, इस प्रकार करस्थम् नहीं की जानी चाहिये थी, तो उन्हें तुरन्त वापस कर दिया जायेगा।

(4) उक्त अधिकारी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने पर तुरन्त उसकी तालिका बनायेग तथा उसे हटाने के पूर्व उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे में वह सम्पत्ति अभिग्रहण के समय रही हो, अनुसूची 6 में दिये गये प्रपत्र में एक लिखित नोटिस देगा कि उक्त सम्पत्ति बेच दी जायेगी जैसा कि उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

172. वारन्ट के अधीन वस्तु की बिक्री और आगम का उपयोग किया जाना–(1) जब अभिग्रहित सम्पत्ति शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील हो या जब उसे अभिरक्षा में रखने का व्यय वसूल की जाने वाली धनराशि सहित उसके मूल्य से अधिक हो जाने की सम्भावना हो, तो अध्यक्ष या उन अधिकारी जिसने वारन्ट पर हस्ताक्षर किये हों, तुरन्‍ उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से सम्पत्ति अभिग्रहित की गयी थी, इस आशय

का एक नोटिस देगा कि उसे तुरन्त बेच दिया जायेगा और यदि वारन्ट में बताई गई धनराशि का तुरन्त भुगतान नहीं किया जाता है तो वह तद्नुसार उसे बेच देगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन सम्पत्ति तुरन्त न बेच दी जाये, तो अभिग्रहित सम्पत्ति या उसके पर्याप्त भाग को वारन्ट निश्पादित करने वाले अधिकारी द्वारा तामील किये गये नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर नगरपालिका के आदेश के अधीन सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेच दिया जायेगा, जब तक कि वारन्ट उस वयक्ति द्वारा, जिसे उस पर हस्ताक्षर किये हों, निलम्बित न कर दिया जाये या व्यतिक्रमी से देय राशि का, नोटिस; वारन्ट और करस्थम् और सम्पत्ति को निरूद्ध रखने से सम्बन्धित सभी आनुशांगिक व्यय सहित, भुगतान न कर दिया जायेग।

(3) अधिशेष को यदि कोई हों, तुरन्त नगरपालिका निधि में जमा कर दिया जायेगा, इसके साथ साथ इस प्रकार जमा किये गये अधिशेष को नोटिस उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से सम्पत्ति ली गई थी दिया जायेगा, किन्तु यदि नोटिस के दिनांक से एक वर्ष के भीतर नगरपालिका को लिखित आवेदन—पत्र देकर इसका दावास किया जाय तो उसे ऐसे व्यक्ति को वापस कर दिया जायेगा। कोई रकम जिसके सम्बन्ध में नोटिस के दिनांक से एक वर्ष के भीतर कोई दावा न किया जाये, नगरपालिका की सम्पत्ति हो जायेगी।

173. **नगरपालिका क्षेत्र से बाहर सम्पत्ति के प्रति निष्पादन के मामलें में प्रक्रिया**—(1) यदि किसी व्यक्तिक्रमी की या उस परिसर में, जिसके सम्बन्ध में उस पर कर निर्धारित किया गया हो, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर पर्याप्त जंगम सम्पत्ति, न पाई जाये तो जिला मजिस्ट्रेट नगरपालिका के आवेदन पत्र देने पर, अपने न्यायालय के किसी अधिकारी को—

(क) व्यतिक्रमी की किसी ऐसी जंगम सम्पत्ति के, जो उक्त मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के किसी अन्य भाग में हो, करस्थम् और विक्रय के लिए, या

(ख) व्यतिक्रमी की किसी ऐसे जंगम सम्पत्ति के, जो उत्तर प्रदेश में अधिकारित का प्रयोग करने वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में हो करस्थम् और विक्रय के लिए, अपना वारन्ट जारी कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कार्यवाही की जाने की दशा में अन्य मजिस्ट्रेट इस प्रकार जारी किये वारन्ट को पृष्ठांकित करेगा और उसे निष्पादित करायेगा ओर वसूल की गई कोई धनराशि वारन्ट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को प्रेषित करायेगा जो उसे नगरपालिका को प्रेषित कर देगा।

173—क. **भू—राजस्व के बकाया के रूप में कर की वसूली**—(1) जहां नगरपालिका को किसी व्यक्ति से कर {तुरन्त मांग किये जाने पर देय किसी कर से भिन्न} के कारण कोई रकम देय हो, तो नगरपालिका वसूली के किसी अन्य ढंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलेक्टर से ऐसी रकम को, कार्यवाही के व्यय सहित, वसूल करने के लिए आवेदन कर सकती है, मानों वह भू—राजस्व की बकाया थी।

(2) कलेक्टर, यह समाधन हो जाने पर कि उक्त रकम देय है, भू—राजस्व की बकाया के रूप में उसे वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)
2. धारा 173—क का उद्देश्य एवं विस्तार
3. भू—राजस्व की बकाया की रीति

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changers)**—यह धारा इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1964 में जोड़ी गयी। तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा इस धारा में संशोधन किया गया और जहां कही भी इस धारा में 'बोर्ड' शब्द का प्रयोग किया गया था उसे 'नगरपालिका' शब्द प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसके अलावा उपधारा (1) में ''तुरन्त मांग किये जाने पर देय चुंगी या पथकर या किसी तत्समान कर से भिन्न'' शब्दों के स्थान पर ''तुरन्त मांग किये जाने पर देय किसी कर से भिन्न'' शब्दों को प्रतिस्थापित कर दिया गया।

2. **धारा 173—क का उद्देश्य एवं विस्तार**—यह धारा तुरन्त मांग किये जाने पर देय करों से भिन्न करों की वसूली के लिए रीति निहित करती है और वसूली की शक्ति कलेक्टर को प्रदान करती है। इस धारा की उपधारा (1) के अनुसार यदि कोई कर नगरपालिका को किसी व्यक्ति द्वारा देय है, किन्तु उसका भुगतान नहीं किया गया है, तो वह कलेक्टर से उस कर की धनराशि ककार्यवाही के व्यय सहित वसूल करने के लिए इस प्रकार से आवेदन कर सकती है कि मानों वह भू—राजस्व की बकाया हो। किन्तु नगरपालिका द्वारा ऐसा आवेदन देय कर को वसूल करने के किसी अन्य ढंग पर कोई प्रतिकूल प्रीााव नहीं डालेगा। दूसरे शब्दों में नगरपालिका द्वारा भले ही देय कर को मालगुजारी के बकाये की भांति वसूलने हेतु कलेक्टर से आवेदन किया गया हो, अन्य रीतियों से भी उसकी वसूली की जा सकती है। उपधारा (2) के अनुसार नगरपालिका द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर अपना समाधान करेगा कि क्या नगरपालिका द्वारा वसूली हेतु आवेदित धनराशि वास्तव में देय है। यदि हां, तो कलेक्टर भू—राजस्व के बकाये की भांति उसे वसूल करने हेतु कार्यवाही करेगा।

3. **भू—राजस्व की बकाया की रीति**—भू—राजस्व (मालगुजारी) के बकाये की वसूली की रीति के बारें में उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (1951 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 279, से 282, 284, 286 एवं 286—क के अन्तर्गत विहित किया गया है। अध्ययन की सुपिवधा के दृष्टिकोण से जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की इन धाराओं को निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है—

''279. **मालगुजारी के बकाया की वसूली की रीति**—मालगुजारी का बकाया निम्नलिखित रीतियों में से एक या अधिक से वसूल की जा सकती है—

(क) किसी व्यतिक्रमी पर मांग—पत्र या उपस्थिति—पत्र तामील करके;
(ख) उस व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोधन से
(ग) उसकी चल सम्पत्ति की, जिसके अन्तर्गत उपज भी सम्मिलित है, कुर्की और विक्रय से,
(घ) उस खाते की कुर्की से जिसके सम्बन्ध में बकाया हो,
(ङ) उस खाते का पट्टा या विक्रय करके जिसके सम्बन्ध में बकाया हो,
(च) व्यतिक्रमी की अन्य अचल संपत्ति को कुर्क और विक्रय करवा कर,
(छ) व्यतिक्रमी की किसी चल या अचल संपत्ति का प्रापक नियुक्त करके।
(2) उपधारा (1) में वर्णित किसी प्रक्रिया का खर्चा मालगकुजारी के बकाया को जोड़ दिया जायेगा।

280. **मांग पत्र और उपस्थित पत्र**—(1) मालगुजारी बकाया के देय होते ही तहसीलदार मांग—पत्र जारी करके व्यतिक्रमी को आदेश दे सकते हैं कि वह निर्दिष्ट किये जाने वाले समय के भीतर दे दे।

(2) मांग–पत्र के अतिरिक्त या उसके स्थान पर तहसीलदार निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक पर उपस्थित होने और देय बकाया को जमा करने के लिए व्यतिक्रमी के विरूद्ध उपस्थित पत्र जारी कर सकता है।

281. **गिरफ्तारी और निरोधन**–कोई भी मालगुजारी के बकाया का व्यतिक्रमी व्यक्ति गिरफ्तार किया जायेगा ऐसी अवधि के लिए जो पन्द्रह दिन से अधिक न हो निरोधन में रखा जा सकता है जब तक कि बकाया और धारा 279 की उपधारा (2) के अन्तर्गत व्यय, यदि कोई हो, पहले ही न दे दे;

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी स्त्री या अवयस्क की इस धारा के अधीन गिरफ्तारी या निरोधन न हो सकेगा;

प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई भी व्यक्ति उस खाते के बकाये के लिए जिसका वह भूमिधर नहीं है केवल इसलिए गिरफ्तार या निरूद्ध नहीं हो सकेगा कि धारा 242 के अधीन मालगुजारी के भुगतान का उसका संयुक्त दायित्व है।

282. **चल सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय**–(1) व्यतिक्रमी गिरफ्तार हुआ हो अथवा नहीं कलेक्टर उसकी चल संपत्ति को कुर्क और विफ्य कर सकता है।

(2) इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक कुर्की और विक्रय, दीवानी न्यायालय की डिक्री के निश्पादन में चल संपत्ति की कुर्की और विक्रय के विषय में समय–विशेष पर प्रचलित विधि के अनुसार किया जायेगा।

(3) सिविल प्रक्रिया संहित, 1908 की धारा 60 की उप–धारा (1) के परन्तुक के खंडो (क) से (ण) तक उल्लिखित विवरणों के अतिरिक्त, ऐसी वस्तुये भी, जो केवल धार्मिक उपासना के लिए अलग कर दी गई हों, इस धारा क अधीन कुर्की और विक्रय से मुक्त रहेगी।

4. {***}

284. **खाते की कुर्की, पट्टा और बिक्री**–(1) कलेक्टर एतद्पूर्व उल्लिखित किन्ही प्रक्रमों के अतिरिक्त या बजाय, या तो स्वतः भूमि–प्रबन्धक समिति की प्रार्थना पर, उस खाते को कुर्क कर सकता है जिसके सम्बन्ध में कोई बकाया देय है।

(2) जहां कोई खाता इस तरह कुर्क किया गया हो, कलेक्टर, इस अधिनियम में कोई अन्य व्यवस्था होने के बावजूद, लेकिन विहित की गई शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, खाते की, ऐसी अवधि के लिए जो आगे आने वाली पहली जुलाई से दस वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, पट्टे पर व्यतिक्रमी के अलावा किसी और व्यक्ति को उठा सकता है, जो उस खाते पर देय समस्त बकाया का भुगतान करे और मालगुजारी की वही रकम पट्टे की अवधि के दौरान, जो कि व्यतिक्रमी कुर्की से ठीक पहले देता रहा हो, अदा करने का करार करें।

(3) यदि पट्टी की अवधि के दौरान, पट्टेदार पट्टे के अन्तर्गत देय मालगुजारी के भुगतान में चूक करता है तो बकाया धारा 279 की उपधारा (1) के खंडो (क) से (ग) तक, (च) और (छ) में वर्णित प्रक्रमों से किसी एक या अधिक के द्वारा उसे वसूल किया जा सकता है और उसका पट्टा भी समाप्त किया जा सकता है।

(4) पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने पर, खाता सम्बन्धित खातेदार को उससे सम्बद्ध किसी बकाया मालगुजारी के राज्य सरकार के किसी दावे मुक्त लौटा दिया जायेगा।

(5) यदि कलेक्टर सन्तुष्ट हो जाये कि उपधारा (2) के अन्तर्गत उपयुक्त व्यक्ति पट्टे पर लेने के लिए नहीं आ रहा है, तो इस अधिनियम में कोई अन्य व्यवस्था होने के बाजवूद वह खाते को समस्त आभारों से मुक्त, ऐसी रीति से जैसा कि विहित की जाये, बेच सकता है और उसके आगामों को बकाया के चुकाने में प्रयोग कर सकता है, और बढ़ोत्तरी को, यदि कोई हो, व्यतिक्रमी को वापस कर सकता है।

(6) उपधारा (5) के अन्तर्गत किये गये विक्रय को कलेक्टर बोर्ड आफ रेवेन्यू को संसूचित करेगा।

{284–क से 285 निरस्त}

286. **व्यतिक्रमी का अन्य अचल सम्पत्ति में हित के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार**–(1) यदि मालगुजारी की कोई बकाया धारा 279 के खंड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित प्रक्रमों में से किसी भी प्रक्रम द्वारा वसूल न हो सके तो, क्लेक्टर यह व्यतिक्रमी की किसी दूसरी अचल सम्पत्ति में हि की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूल कर सकता है।

(2) वह धनराशि जो मालगुजारी की बकाया के बतौर वसूली जा सकती है लेकिन किसी विशिष्ट भूमि के बाबत देय नहीं है, इस धारा के अन्तर्गत व्यतिक्रमी को किसी अचल सम्पत्ति से, उस जोत सहित जिसका कि वह भूमिधर या असामी है, कार्यवाही द्वारा वसूल की जा सकती है।

286–क. **प्रापक की नियुक्ति**–(1) इस अधिनियम में कोई अन्यथा व्यवस्था होने के बावजूद, जब मालगुजारी का कोई बकाया देय हो कलेक्टर एतद्पूर्व उल्लिखित प्रक्रमों में से किसी के अतिरिक्त या अजाय आदेश द्वारा–

(क) ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, व्यतिक्रमी की किसी चल या अचल सम्पत्ति का प्रापक नियुक्त कर सकता है;

(ख) किसी वयक्ति को उस सम्पत्ति के कब्जे या अभिरक्षा से अलग कर सकता है;

(ग) उसको प्रापक के कब्जे अभिरक्षा या प्रबन्ध दे सकता है;

(घ) प्रापक को ऐसी सब शक्तिया जैसी की वादों को लाने या प्रतिवाद करने और वसूली, प्रबन्ध, रक्षा, सम्पत्ति के संरक्षण और विकास, उसके लगानों और लाभों के संग्रह, ऐसे लगानों और लाभों के ऐसे उपभ्योग और व्ययन और दस्तावेजों के निष्पादन के लिए हों, जो कि व्यतिक्रमी स्वयं रखता हो या उनमें से ऐसी शक्तियां, जिन्हें कलेक्टर ठीक समझे, प्रदत्त कर सकता है।

(2) इस धारा में की गई कोई बात कलेक्टर की सम्पत्ति के कब्जे या अभिरक्षा से किसी व्यक्ति को हटाने का अधिकर नहीं देती है और जिसे व्यतिक्रमी को हटाने का वर्तमान अधिकार नहीं रखता है।

(3) कलेक्टर समय–समय पर प्रापक की नियुक्ति की अवधि बढ़ा सकता है।

(3–क) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अन्तर्गत कोई भी आदेश, व्यतिक्रमी को कारण बताओं नोटिस दिये बिना और ऐसे अभिवेदनों पर विचार करने बाद जो कि ऐसी नोटिस के जवाब में प्राप्त हो, नहीं दिया जायेगा।

परन्तु उपधारा (1) या उपधारा (3) के अन्तर्गत कोई अन्तरिम आदेश, किसिी भी समय नोटिस जारी करने के पूर्व या पश्चात् किया जा सकता है।

परन्तु जहां एक अन्तरिम आदेश ऐसे नोटिस जारी होने के पूर्व किया गया है, तो ऐसा आदेश रद्द हो जायेगा यदि अनतरिम आदेश की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर नोटिस जारी नहीं किया जाता है।

(4) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम सूची आदेश 40 के नियम 2 से 4 तक के प्राविधान, इस अध्याय के अन्तर्गत नियुक्त एक प्रापक के सम्बन्ध में लागू होंगे, जिस प्रकार वह उक्त संहिता के अन्तर्गत नियुक्त एक प्रापक के सम्बन्ध में लागू होते है, केवल जहां न्यायालय का उल्लेख है वहां कलेक्टर का उल्लेख प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा।''

174. **फीस और व्यय**–

(क) धारा 168 के अधीन जारी किये गये प्रत्येक नोटिस की फीस,

(ख) धारा 171 के अधीन किये गये प्रत्येक करस्थम् की फीस, और

(ग) उक्त धारा के अधीन अभिग्रहीत किसी पशुधन के भरण–पोषण का व्यय,

राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली में इस निमित्त क्रमशः विनिर्दिष्ट दरों पर प्रभार्य होगा और वूसली के व्यय में सम्मिलित किया जायेगा जो धारा 169 के अधीन उद्ग्रहीत किया जायेगा।

175. **व्याकृति**–इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई करस्थम् या विक्रय विधि विरूद्ध नहीं समझा जायेगा और न ऐसा करने वाला कोई व्यक्ति, बिल, नोटिस, करस्थम् के वारन्ट, तालिका या उससे सम्बन्धित किसी अन्य कार्यवाही में कोई गलती, त्रुटि या प्रपत्र का आभास होने के कारण अतिचारी समझा जायेगा।

176. **वाद लाने की वैकल्पिक शक्ति**–करस्थम और विक्रय द्वारा कार्यवाही करने के बदले में या इससे सम्पूर्ण मांग या उसका कोई भाग वसूल न हो सकने की दशा में नगरपालिका, सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध जो उसका भुगतान करने के लिए देनदार हो, वाद ला सकती है।

177. **करों में स्थावर सम्पत्ति का दायित्व**–भवन या भूमि या दोनों ही के वार्षिक मूल्य पर अधिरोपित कर के कारण देय समस्त धनराशि जो उन पर सरकार को देय भू–राजस्व (यदि कोई हों) के पूर्व भुगतान के अधीन रहते हुएस, ऐसे भवन या भूमि पर प्रथम प्रभार होगी।

————————

अध्याय 7
भवनों, सार्वजनिक नालियों, मार्गो, अग्निशमन समार्जन और जल–सम्भरण के बारें में शक्ति और शास्ति
भवन सम्बन्ध विनियम

178. **भवन निर्माण करने या कुआं बनाने के आशय की नोटिस**–(1) कोई भी व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के भीतर–

(क) किसी नये भवन का या किसी भवन के नये भाग का निर्माण करने; या

(ख) किसी भवन का पुननिर्माण करने या उसमें तात्विक परिवर्तन करने; या

(ग) कोई कुंआ बनाने या उसमें विस्तार करने;

का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व नगरपालिका को अपने इस आशय की नोटिस देगा।

(2) उप–धारा (1) में निदिष्टि नोटिस, जो किसी भवन के मामलें में अपेक्षित हो, तभी आवश्यक होगी जहां भवन किसी ऐसे सार्वजनिक मार्ग या स्थान या सम्पत्ति से, जो सरकार या नगरपालिका में निहित हो, संलगन हो या उससे लगा हो, जब तक कि उस क्षेत्र में, जिसमें भवन स्थित हो, लागू किसी उपधि द्वारा समस्त भवनों के लिए नोटिस देने की आवश्यकता न हो जाये।

(4) इस अध्याय और किसी उपविधि के प्रयोजनों के लिए किसी भवन में किये गये परिवर्तन को तात्विक माना जायेगा यदि–

(क) किसी भवन के स्थायित्व या उसकी सुरक्षा पर, भवन की दशा पर, उसको जल निस्तारण संबातन, सफाई या स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की सम्भावना हो; या

(ख) उसमें भवन की ऊंचाई या उसके द्वारा आच्छादित या उसकी धन–धारित बढ़ जाती हो या घट जाती हो या उससे भवन में किसी कमरे की धन–धारित किसी उपविधि में विहित न्यूनतम धन धारित से कम हो जाती हो; या

(ग) उसके कारण कोई भवन या किसी भवन का ऐसा भाग, जो मूल रूप से अन्य प्रयोजनों के लिए निर्मित किया गया हो, माानवीय निवास स्थान के रूप में संपरिवर्तित हो जाता हो; या

(घ) वह ऐसा परिवर्तन हो जो इस निर्मितत बनायी गई किसी उपविधि द्वारा तात्विक परिवर्तन घोषित किया गया हो।

179. **नोटिस को विधिमान्य बनाने के लिए अपेक्षित रेखांक और विनिर्देश**–(1) जहां कोई ऐसी उपविधि बनाई गई हो, जिसमें नोटिस के अतिरिक्त को सूचना और रेखांक विहित और अपेक्षित हो, वहां धारा 178 के अधीन दी गई कोई नोटिस तब तक विधिमान्य नहीं समझी जोयगी जब तक कि ऐसी उपविधि द्वारा अपेक्षित सूचना, यदि कोई हो, नगरपालिका को समाधानप्रद रूप में प्रस्तुत न कर दी गयी हो।

(2) किसी अन्य मामलें में नगरपालिका धारा 178 के अधीन अपेक्षित नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर उस व्यक्ति से जिसने नोटिस दिया हो, यह अपेक्षा कर सकती है कि वह वर्तमान या प्रस्तावित भवन या भवन के भाग, या कुंये का रेखांक, विनिर्देश तथा भूमि के स्थल का रेखांक ऐसे अन्य यथोचित ब्यौरो के साथ जिन्हें नगरपालिका अपनी अध्यापेक्षा में विहित करे, प्रस्तुत करे और ऐसी स्थिति में उक्त नोटिस तब तक विधिमान्य नहीं समझी जायेगी जब तक कि ऐसा रेखांक और विनिर्देश नगरपालिका को समाधानप्रद रूप से प्रस्तुत न कर दिये गये हो।

180. नगरपालिका द्वारा निर्माण कार्य की स्वीकृति—(1) किसी उपविधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नगरपालिका किसी ऐसे निर्माणकार्य को जिसको धारा 178 के अधीन नोटिस दिया गया हो, या तो स्वीकृत करने से इन्कार कर सकेगी या उसे पूर्ण रूप से अथवा निम्नलिखित निर्देशों के अधीन स्वीकृत कर सकेगी;

(क) कोई ऐसे लिखित निर्देश, जिन्हें नगरपालिका धारा 298 के शीर्षक 'क' के उप शीर्षक (ज) में उल्लिखित समस्त या किन्हीं विषयों के बारें में जारी करना उचित समझे; या

(ख) कोई ऐसा लिखित निर्देश, जिसके अनुसार किसी भवन या भवन के भाग को धारा 222 के अधीन विहित मार्ग की नियमित पंक्ति में या, उक्त धारा के अधीन कोई नियमित पंक्तिविहित न होने की दशा में, किसी निकटवर्ती भवन या भवनों के अग्रभाग की पंक्ति में पीछे हटाना अपेक्षित हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वीकृति देने से इन्कार करने की दशा में, नगरपालिका धारा 178 के अधीन नोटिस देने वाले व्यक्ति को लिखित रूप में अपनी स्वीकृति देने से इन्कार करने के कारणों से संसूचित करेगी।

(3) यदि नगरपालिका, धारा 178 के अधीन कोई विधिमान्य नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् एक मास तक उसके बारें में उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार का आदेश जारी करने और उसे उस व्यक्ति को, जिसने उक्त नोटिस दिया हो, देने में उपेक्षा या यूक करे तो ऐसा व्यक्ति लिखित संसूचना द्वारा नगरपालिका का ध्यान ऐसी अपेक्षा या चूक की ओर आकृष्ट कर सकता है और यदि ऐसी उपेक्षा या चूक पन्द्रह दिन की अग्रेत्तर अवधि पर्यन्त जारी रहे तो यह समझा जायेगा कि नगरपालिका ने प्रस्तावित कार्य के लिए पूर्ण रूप से स्वीकृति दे दी है।

(4) प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (3) में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के या किसी उप विधि के उल्लंघन में कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

(5) कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्माण कार्य को जिसके बारें में धारा 178 के अधीन नोटिस दिया गया हो तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा, जब तक कि इस धारा के अधीन उसी स्वीकृति न दे दी गई हो या यह न समझा लिया जाये कि उसके लिए स्वीकृति दे दी गई है।

(6) नगरपालिका उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा की गई किसी स्वीकृति कतो छः मास के भीतर रद्द या उपान्तरित कर सकती है, यदि यह पाया जाये कि उक्त स्वीकृति कपट या दुर्व्यपदेशन से प्राप्त की गई थी और तदन्तर्गतकृत किसी निर्माण कार्य के लिए यह समझा जायेगा कि वह बिना ऐसी स्वीकृति के किया गया है—

प्रतिबन्ध यह है कि किसी स्वीकृति को रद्द या उपान्तरित करने के पूर्व नगरपालिका सम्बद्ध पक्ष को सुनवाई का यथोचित अवसर देगी।

संक्षेप

1.	धारा 180 का उद्देश्य एवं विस्तार	3.	धारा 181 और 183
2.	नगरपालिका द्वारा निर्माण कार्य को स्वीकृति करने की षक्ति	4.	उपधारा (3)
		5.	उपधारा (6)

1. धारा 180 का उद्देश्य एवं विस्तार—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की यह धारा किसी ऐसे निर्माणकार्य को जिसके लिए धारा 178 के अन्तर्गत उसे सूचित किया गया है, स्वीकृत या अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में शक्ति प्रदान करती है। उपधारा (2) के अनुसार नगरपालिका पर यह दायित्व अधिरोपित करती है कि यदि वह ऐसे निर्माण कार्य को अस्वीकृत कर देती है, तो सम्बन्धित व्यक्ति को अपने इस आशय की सकारण सूचना देगी।

उपधारा (3) उपबन्धित करती है कि नगरपालिका किसी निर्माण कार्य के लिए सूचना प्राप्त होने के एक माह के भीतर कोई आदेश पारित नहीं करती है और सम्बन्धित व्यक्ति को सूचित नहीं करती है, तो वह व्यक्ति नगरपालिका का ध्यान लिखित संसूचना द्वारा आकर्षित कर सकता है।

किन्तु ऐसी संसूचना के पश्चात् भी नगरपालिका द्वारा पन्द्रह दिन के भीतर ऐसा कोई आदेश पारित और सम्बन्धित व्यक्ति को संसूचति नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि नगरपालिका द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य को पूर्णतः स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है। किन्तु साथ ही उपधारा (4) यह भी उपबन्ध करती है कि नगरपालिका द्वारा स्वीकृति प्रदान न किये जाने के पश्चात् की जाने वाली उपधारणा का अभिप्राय यह नहीं कि कोई व्यक्ति नगरपालिका अधिनियम या उसके अन्तर्गत निर्मित किसी उपविधि का उल्लंधन करते हुए निर्माण कार्य करने हेतु प्राधिकृत है। इसका अभिप्राय मात्र इतना है कि यदि प्रस्तावित निर्माण कार्य नगरपालिका अधिनियम के उपबन्धों या किसी उपविधि के उपबन्धों के अधीन सही है, तो नगरपालिका द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति का आदेश पारित न होने और इसकी सूचना न मिलाने पर निर्माण कार्य नगरपालिका द्वारा स्वीकृत मान कर किया जा सकता है।

इस धारा की उपधारा (6) नगरपालिका को उपधारा (1) में प्रदत्त स्वीकृति आदेश के रद्द या उपान्तरित करने की शक्ति प्रदान करती है। किन्तु यह शक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन है—

(i) स्वीकृति कपट या दुर्व्यपदेशन से प्राप्त की गयी हो;

(ii) स्वीकृति आदेश पारित होने के पश्चात् छः माह की अवधि बीत न गयी हो।

नगरपालिका द्वारा स्वीकृति आदेश को रद्द या उपान्तरित करने के पश्चात् उस स्वीकृति आदेश के अधीन किया गया कोई भी निर्माण कार्य बिना स्वीकृति के किया गया समझा जायेगा और सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उस व्यक्ति और निर्माण कार्य के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जा सकेगी।

2. नगरपालिका द्वारा निर्माण कार्य को स्वीकृति करने की शक्ति—धारा 180 की उपधारा (1) में प्रयुक्त 'may' शब्द नगरपालिका द्वारा स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति को विनिर्दिष्ट करता है और उपधारा के प्रारम्भिक शब्दों को नियन्त्रित नहीं करता है। अतः नगरपालिका को अपनी स्वयं की उपविधियों के उल्लंघन में प्रस्तावित निर्माण कार्य को स्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त है, और यदि ऐसे किसी निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो वह अवैध होगी।

न तो धारा 180 और न ही धारा 318 यह इंगित करती है कि धारा 178 के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण के लिए दी गई सूचना प्राप्त होने पर अपील प्राधिकारी को उसे अस्वीकृत करने की शक्ति मात्र उसी सीमा तक सीमित है, जहां तक वह नगरपालिका की उपविधियों के विरूद्ध है। धारा 180 मात्र इतना नहीं कहती है कि धारा 178 के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्य को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की शक्ति का प्रयोग नगरपालिका की किसी उपविधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा। इसका अभिप्राय मात्र केवल इतना है कि यदि प्रस्तावित निर्माण कार्य से किसी उपविधि का उल्लंघन होता है, तो उसे स्वीकृत करने की शक्ति नगरपालिका बोर्ड को नहीं है। किन्तु इसका यह अभिप्राय निकालना कि चूंकि नगरपालिका बोर्ड की किसी उपविधि के उल्लंघनकारी किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य को स्वीकृत करने की कोई शक्ति नहीं है, अतः यदि प्रस्तावित निर्माण कार्य किसी उपविधि का उल्लंघन नहीं करता है, तो नगरपालिका बोर्ड उसे स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है, गलत होगा।

3. धारा 181 और 183—कोई नगरपालिका बोर्ड सिविल न्यायालयों की अधिकारिता ग्रहण नहीं कर सकता है और किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य को इस आधार पर कि इससे किसी दूसरे व्यक्ति के प्रकाश और वायु के अधिकार में हस्तक्षेप होगा, स्वीकृति प्रदान करने से इन्कार नहीं कर सकता है। नगरपालिका बोर्ड को प्राइवेट विवादों में जाने का कोई अधिकार नहीं है और किसी निर्माण कार्य को उन आधारों पर अस्वीकृत करने का कोई अधिकार नहीं है, जिनका भवन उपविधियों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

4. उपधारा (3)—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 180 की उपधारा (3) मात्र ऐसे व्यक्ति के मामलों को सम्मिलित करती है जो त्रुटिपूर्ण न हो। उपधारा (3) का लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि—

(i) बोर्ड की एक वैध आवेदन पत्र दिया गया हो;

(ii) एक माह तक इन्तजार किया गया हो;

(iii) तत्पश्चात् आदेश पारित करने में किये गये लोप या उपेक्षा के बारें में नगरपालिका बोर्ड का ध्यान आकर्षित करने हेतु लिखित संसूचना दी गयी हो; और

(iv) तत्पश्चात् 15 दिन तक नगरपालिका बोर्ड के आदेश का इन्तजार किया गया हो।

5. उपधारा (6)—नगरपालिका अधिनियम की धारा 180 की उपधारा (6) के अर्न्तगत किसी स्वीकृति आदेश को रद्द करने या उपान्तरित करने की शक्ति का प्रयोग मात्र उस समय किया जा सकता है जबकि आदेश कपट या दुर्व्यपेदशन द्वारा प्राप्त किया गया हो।

180—क. **कतिपय मामलों में आमोद स्थल के निर्माण की स्वीकृति देने के लिए नगरपालिका की शक्ति पर निर्बन्धन**—इस अधिनियम में या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि में किसी बात के होते हुए भी, सार्वजनिक आमोद के किसी भवन के निर्माण या परिवर्द्धन के लिए स्वीकृति नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, नहीं दी जायेगी यदि ऐसे भवन का स्थल या प्रस्तावित स्थल—

(क) निम्नलिखित से एक फलांग के अर्द्धव्यास के भीतर हो—

(i) किसी आवासिक संस्था, जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था, जैसे कालेज, हाई स्कूल या कन्या विद्यालय से सम्बद्ध हो; या

(ii) किसी सार्वजनिक चिकित्सालय, जिसमें अन्तर्वासी रोगियों के लिए वृहत्तकक्ष हो; या

(iii) किसी अनाथालय जिसमें एक सौ या अधिक निवासी रहते हो; या

(ख) किसी ऐसी घनी आबादी वाले आवासिक क्षेत्र में जो या तो अनन्य रूप से आवसिक क्षेत्र हो, या सामान्यतया कारबार के प्रयोजनों से सुभिन्न आवासिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित हो प्रयुक्त किया जाता हो; या

(ग) ऐसे क्षेत्र में स्थित हो जो किसी अधिनियमिति के अधीन किसी गृह निर्माण या नियोजन सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत या अन्य प्रकार से आवासिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित हो;

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे भवन के, जिसे चलचित्र प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त करना आशयित हो, निर्माण करने की अनुज्ञा तब तक न दी जायेगी जब तक कि कोर्ड का यह समाधान न हो जाये कि लेखांको और विनिर्देशन के लिए चलचित्र अधिनियम, 1918 के अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुसार स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

181. **स्वीकृति की अवधि**—(1) नगरपालिका द्वारा धारा 180 के अधीन दी गई या दी गई समझी जाने वाली स्वीकृति एक वर्ष के लिए या इससे कम ऐसी अवधि के लिए, जो उपविधि द्वारा विहित की जाये, उपलब्ध रहेगी। जब तक कि उसे नगरपालिका द्वारा एक वर्ष तक की अग्रेत्तर अवधि के लिए न बढ़ाया जाये।

(2) उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् प्रस्तावित निर्माण कार्य का प्रारम्भ ऐसी नई स्वीकृति के अनुसरण के सिवाय जिसके लिए आवेदन किया गया हो और उसी धारा के अधीन स्वीकृति दी गई हो, नहीं किया जायेगा।

182. **ऐसे निर्माण कार्य का निरीक्षण जिनके लिए स्वीकृति अपेक्षित हो**—नगरपालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और यदि संकल्प द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय तो कोई अन्य सदस्य, अधिकारी या सेवक किसी निर्माण कार्य का, जिसके बारें में धारा 178 के अधीन नोटिस देना अपेक्षित हो, किसी भी समय और बिना किसी चेतावनी के—

(क) जब कि वह निर्माणाधीन हो; या

(ख) ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के एक मास के भीतर कि निर्माण कार्य पूरा हो गया है या ऐसी रिपोर्ट प्राप्त न होने पर, उसके पूरे हो जाने के बाद किसी भी समय, निरीक्षण कर सकता है।

183. **धारा 180 के अधीन दिये गये आदेश के कारण क्षति के लिए प्रतिकर**—धारा 125 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 178 के अधीन नोटिस देने वाला व्यक्ति, नगरपालिका द्वारा धारा 180 के अधीन दिये गये किसी आदेश के कारण हुई क्षति या हानि के लिए तब तक किसी प्रतिकर का हकदार न होगा जब तक कि—

(क) आदेश ऐसे आधार से भिन्न आधार पर न दिया गया हो कि प्रस्तावित निर्माण कार्य से किसी उपविधि का उल्लंघन होता या जनता या किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; या

(ख) आदेश में धारा 180 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रकार का निर्देश अन्तर्विष्ट न हो; या

(ग) वह आदेश ऐसा आदेश न हो जिसके द्वारा किसी भवन के पुनः निर्माण के लिए इस आधार पर स्वीकृति देने से इन्कार किया गया हो कि वह परिक्षेत्र के रेखांक या परिकल्पना के अनुपयुक्त हैं, या ऐसे प्रयोजन के लिए आशयित है जो उस परिक्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है, या उससे धारा 298 के शीर्षक (क) के उपशीर्षक (च) के अधीन किसी उपविधि का उल्लंघन होता है।

184. **धारा 180 के अधीन स्वीकृति का प्रभाव**—(1) धारा 180 के अधीन दी गई या दी गई समझी गई स्वीकृति से, ऐसे व्यक्ति को जिसको स्वीकृति दी गई हो या दी गई समझी जो, किसी दण्ड या ऐसे परिणाम से जिसके लिए वह अन्यथा धारा 186, 186 या 222 के अधीन जिम्मेदार होता, छूट देने के अतिरिक्त कोई अधिकार या नियोग्यता प्रदान की जायेगी या समाप्त न की जायेगी ओर न वह विबन्ध या स्वीकृति के रूप में प्रवृत्त होगी या न उससे समपत्ति के किसी हक पर कोई प्रभाव पड़ेगा या उसका कोई विधिक प्रभाव चाहे जो हो, नहीं होगा।

(2) विशेशताः ऐसी स्वीकृति इस प्रकार प्रवर्तित नहीं होगी कि उससे कोई व्यक्ति ऐसी बाध्यता से मुक्त हो जाये, जो धारा 209 में निर्दिष्ट किसी संरचना के लिए पृथक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उक्त धारा के अधीन अधिरोपित की गई हो।

185. **किसी भवन का अवैध निर्माण या परिवर्तन**—कोई भी व्यक्ति जो धारा 178 द्वारा अपेक्षित नोसि दिये बिना या धारा 180 की उपधारा (5) के उपबन्धों का या नगरपालिका के ऐसे आदेश का, जिसमें स्वीकृति देने से इन्कार किया गया हो, या धारा 180 के सा किन्ही उपविधियों के अधीन नगरपालिका द्वारा दिये गये किन्हीं लिखित निदेशों का उल्लंघन करके किसी भवन या भवन के भाग के निर्माण, पुननिर्माण या उसमें कोई तात्विक परिवर्तन या किसी कुएं का निर्माण या विस्तार आरम्भ करे, जारी रखे या समाप्त करे, सिद्धदोष ठहराये जाने पर जुर्माने का भागी होगा जो एक हजार रूपये तक हो सकता है, किन्तु जो न्यायालय के निर्माण में उल्लिखित विशेष और पर्याप्त प्रतिकूल कारणों के न होने पर, दो सौ पचास रूपये से कम न होगा।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)
2. धारा 185 का उद्देश्य एवं विस्तार
3. 'भवन या भवन का भाग' अभिप्राय

1— **विधायी परिवर्तन (Legislative changers)**—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधियिम, 1916 द्वारा इस धारा में 'पांच सौ रूपये' शब्दों के सथान पर 'एक हजार रूपये' शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया।

2. धारा 185 का उद्देश्य एवं विस्तार —यह धारा किसी भवन या कुयें का अवैध निर्माण या परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित करने का उपबन्ध करती है। इसके अनुसार यदि किसी भवन या कुंये का निर्माण या परिवर्तन निम्नलिखित रूप से किया जाता है, तो अवैध होगा—

(i) धारा 178 के अन्तर्गत अपेक्षित नोटिस दिये बिना;
(ii) धारा 180 की उपधारा (5) के उपबन्धों के उल्लंघन में;
(iii) नगरपालिका द्वारा स्वीकृति देने से इन्कार करने वाले आदेश के उल्लंघन में;
(iv) धारा 180 या किन्हीं उपविधियों के अधीन नगरपालिका द्वारा दिये गये किन्हीं लिखित निर्देशों के उल्लंघन में।

किन्तु, इस धारा के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के ऊपर शास्ति मात्र उसी स्थिति में अधिरोपित की जा सकती है, जबकि उसे किसी न्यायालय द्वारा सिद्ध—दोष ठहराया जाये।

धारा 185 का निर्वचन करने पर यह स्पष्ट होता है कि कोई व्यक्ति जो बोर्ड के लिखित निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, तो उससे किसी उपविधि का उल्लंघन होने पर भी इस धारा के अधीन उस पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है।

धारा 185 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित की जा सकती है यदि उसने किसी भवन का निर्माण धारा 178 में विहित नोटिस दिये बिना किया हो।

3. 'भवन या भवन का भाग' अभिप्राय—अस्थाई प्रकृति का कोई चबूतरा जो न तो विद्यमान भवन की चारदिवारी के भीतर है, न तो प्रस्तावित भवन के निर्माण स्थान पर स्थित है, अपितु सार्वजनिक सड़क से संलग्न स्थान पर पृथक रूप से निर्मित किया जाता है, तो वह धारा 185 में प्रयुक्त 'भवन का भाग' शब्द के अन्तर्गत नहीं आता हैं और उसका निर्माण करने वाले व्यक्ति को इस धारा के अन्तर्गत दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।

186. **निर्माण कार्य को रोकने तथ निर्मित भवन को गिरा देने की नगरपालिका की शक्ति**—नगरपालिका किसी भी समय किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी को किसी भवन याभवन के भाग के निर्माण, पुनर्निर्माण, या परिवर्तन या उसमें किसी कुऐं के निर्माण या विस्तार की किसी ऐसी दशा में जहां नगरपालिका का यह विचार हो कि इस प्रकार का निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्तन, निर्माण या विस्तार धारा 185 के अधीन कोई अपराध है, लिखित नोटिस देकर रोकने का निदेश दे सकता है और इसी प्रकार, यथास्थिति ऐसे भवन या भवन के भाग या कुएं में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने का जिसे वह आवश्यक समझे, निर्देश दे सकता है।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)
2. धारा 186 का उद्देश्य एवं विस्तार
3. इस धारा के अधीन नगरपालिका की षक्ति

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)—उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, 12 सन् 1994 द्वारा इस धारा में 'बोर्ड' शब्द के स्थान पर 'नगरपालिका' शब्द को प्रतिस्थापित किया गया।

2. धारा 186 का उद्देश्य एवं विस्तार—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की यह धारा नगरपालिका क्षेत्र में किसी भी समय किसी ऐसे निर्माण आदि को रोकने और गिराने हेतु शक्ति प्रदान करती है, जो कि धारा 185 के अन्तर्गत अपराध है। किन्तु ऐसे किसी निर्माण को मात्र लिखित नोटिस द्वारा ही रोका जा सकता है, और किसी निर्माण को गिराने के पूर्व भी लिखित नोटिस उसके स्वामी या अध्यासी को दिया जाना आवश्यक है।

3. इस धारा के अधीन नगरपालिका की शक्ति—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 186 के अन्तर्गत नगरपालिका को व्यापक शक्ति प्रदान की गयी है। इसके अन्तर्गत वह किसी भी अवैध निर्माण को रोक या गिरा सकती है। धारा 186 सपठित धारा 185 के अन्तर्गत वह किसी निर्माण से सम्बन्धित योजना को परिवर्तित करने हेतु निर्देश दे सकती है।

अशोक कुमार सरोन वाद में याची द्वारा प्रस्तुत, भवन निर्माण योजना को नगरपालिका बोर्ड द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया गया क्योंकि वह नगरपालिका की उपविधियों का उल्लंघन करता है। अपील में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नगरपालिका बोर्ड को यह आदेश दिया कि वह याची को दूसरी नयी भवन योजना प्रस्तुत, करने का अवसर प्रदान करे जो उन विधियों के अनुरूप हो। किन्तु याची ने इस आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर इस अनुरोध के लिए प्रार्थना किया कि उसे नयी भवन योजना प्रस्तुत करने हेतु बाध्य न किया जाय और उसके द्वारा प्रस्तुत परिवर्धित योजना को ही स्वीकृति प्रदान कर दी जाय। माननीय न्यायमूर्ति रविस्वरूप धवन ने याची के आवेदन को अवीकार करते हुए यह अभिधारित किया कि किसी भवन योजना को स्वीकृति प्रदान करना या न करना न्यायालय का कार्य नहीं है विशेष कर जब यह आरोप लगाया गया हो कि भवन योजना उप–विधियों के अनुसार नहीं है। अपील प्राधिकारी ने याची को उपविधियों के अनुसार भवन योजना प्रस्तुत करने का आदेश देकर कोई त्रुटि नहीं की है और याची को इस आदेश के स्थगित करने की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती। प्रस्तुत दस्तावेजों यह स्पष्ट होता है कि याची ने निर्माणाधीन क्षेत्र के क्षेत्रफल के बारें में सही सूचना नगरपालिका बोर्ड को नहीं दी है। जबकि नगरपालिका प्राधिकारियों का दायित्व है कि वे नगर क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा किये जा रहे निर्माण के बारें में पूरी जानकारी रखे। माननीय न्यायमूर्ति ने आगे अभिधारित किया कि नगरीकरण की कीमत कठोर अनुशाासन है, जिसमें असफलता जंगलराज को बढ़ावा देगा। इसलिए यह

न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। याची को यह आदेश दिया जाता है कि वह अपील प्राधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार भवन योजना प्रस्तुत करे। तदुपरान्त नगरपालिका बोर्ड उसकी समीक्षा करेगा और उपविधियों केक अनुकूलन होने पर उसे स्वीकृति प्रदान करेगा।

बलराम एवं अन्य के वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ ने संप्रेक्षित कि कि सार्वजनिक सड़क का अतिक्रमण बनाये गये किसी भी भवन को ध्वस्त करने का पूरा अधिकार नगरपालिका को है। सार्वजनिक सड़कों के किसी भी अतिक्रमण को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए।

अग्निशमन

187. **अग्निशमन दल की स्थापना और उसका अनुरक्षण**—नगरपालिका अग्निशमन दल की स्थापना और उसका अनुरक्षण कर सकेगी और ऐसे उपकरण, मशीन या आसूचना देने के साधनों की व्यवस्था कर सकेगी, जिन्हें वह आग लगने की रोकथाम और उसे बुलाने के लिए आवश्यक समझे;

188. **अग्निशमन के लिए अग्निशमन दल तथा अन्य व्यक्तियों की शक्ति**—(1) किसी नगरपालिका क्षेत्र में आगल लगने के अवसर पर कोई मजिस्ट्रेट, नगरपालिका का कोई सदस्य, नगरपालिका का अधिशासी अधिकारी, अभियन्ता या सचिव या अग्निशामक दल का कोई भी सदस्य जो उसके कार्य संचालन का निदेश दे रहा हो और (यदि किसी मजिस्ट्रेट नगरपालिका के सदस्य नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी, अभियन्ता या सचिव द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाये) कान्स्टेबिल के रैंक के ऊपर का कोई पुलिस अधिकारी—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वहां उपस्थित रहकर अग्निशमन या जीव या सम्पत्ति को बचाने का कार्य संचालन में हस्तक्षेप करता है या अड़चल डालता है, हटा सकता है या हटाने का आदेश दे सकता है;

(ख) किसी ऐसे मार्ग या रास्ते को, जिसमें या जिसके निकट आग लगी हो, बन्द कर सकता है।

(ग) आग बुझाने के प्रयोजनों के लिए या हौज या अन्य उपकरणों को ले जाने के लिए किसी भू–गृहादि को तोड़कर उसमें प्रवेश कर सकता है या उसे खुलवा या गिरा सकता है या उसे तोड़ने या खोलने या गिराने या प्रयुक्त करने के लिए कह सकता है;

(घ) मुख्य नल और नल बन्द करवा सकता है, जिससे उस स्थान पर और उसके निकट जहां आग लगी हो, जल का दबाव अपेक्षाकृत बढ़ जायें।

(ङ) दमकल के प्रभारी व्यक्ति से अनुरोध कर सकता है कि वह यथासम्भवन सहायता करे; और

(च) साधारणतया ऐसे उपाय कर सकता है जो जीवन या सम्पत्ति के परिरक्षण के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में के लिए, जो उसे उपधारा (1) के अधीन सद्भाव से किया हो, क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार न होगा;

(3) ऐसी क्षति, जो इस धारा के अधीन अधिरोपिते किसी कर्तव्य का पालन के लिए प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते समय हुई हो, अग्नि–बीमा की पालिसी के अर्थ में अग्नि से हुई क्षति समझी जायेगी।

सार्वजनिक नालियॉ

189. **सार्वजनिक नालियों का निर्माण**—(1) नगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर, या धारा 120 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बाहर ऐसी नालियां बनवा सकेगी; जिन्हें नगरपालिका क्षेत्र को समुचित रूप से स्वच्छ

रखने और उसके जल–निस्तारण के लिए आवश्यक समझे और ऐसी नालियों को किसी मार्ग या स्थान से होकर या उसके आरपार या उसके नीच से ले जा सकेगी और किसी भवन या भूमि के स्वामी या अध्यासी को युक्तियुक्त लिखित नोटिस देने के पश्चात् ऐसे भवन या भूमि से या उससे होकर या उसके नीचे से ले जा सकेगी।

(2) प्रतिबन्ध यह है कि किसी छावनी की सीमाओं के भीतन निर्माण राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना और अन्यािा उसके, जिसमें उक्त छावनी स्थित हो, जनरल आफिसर कमांडिग की सहमति की बिना या ऐसी सहमति के रोक दिये जाने की दशा में, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, किसी नाली का निर्माण नही किया जायेगा।

190. **सार्वजनिक नालियों में परिवर्तन**–(1) नगरपालिका, समय–समय पर किसी सार्वजनिक नाली को बढ़ा सकेगी, उसका मार्ग परिवर्तित कर सकेगी, उसे ढक सकेगी या उसमें किसी अन्य प्रकार से सुधार कर सकेगी और ऐसी किसी नाली का बनाया जाना रोक सकेगी, उसे बन्द कर सकेगी या हटा सकेगी।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग इस शर्त के अधीन किया जायेगा कि नगरपालिका ऐसी किसी वर्तमान नाली के बदले जिसका उपयोग करने से कोई व्यक्ति उक्त शक्ति का प्रयोग किये जाने से वंचित हो जाता हो, दूसरी ओर उतनी ही उपयुक्त नाली की व्यवस्था करेगी।

191. **निजी स्वामियों द्वारा सार्वजनिक नालियों का प्रयोग**–(1) नगरपालिका क्षेत्र में स्थित किसी भवन या भूमि का स्वामी या अध्यासी अपनी नालियों को नगरपालिका की नाली में गिराने का हकदार होगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह पहले नालियों की लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर ले और वह उन शर्तो का अनुपालन करे जो उसे उपविधि से संग हो जिसे नगरपालिका ऐसे ढंग और अधीक्षण के सम्बन्ध में विहित करे, जिसके अनुसार और अधीन ऐसी नालियों को जो नगरपालिका में निहित न हो और नगरपालिका में निहित नालियों से मिलाया जा सकें।

(2) कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना या बनाई गई किसी उपविधि का या किसी ऐसे निदेश या शर्त का, जो उपधारा (1) के अधीन दी गयी हो या अधिरोपित की गयी हो, उल्लंघन करके अपनी या किसी अन्य व्यक्ति को नाली को नगरपालिका में निहित नाली के साथ जोड़े या जुड़वाये या उसमें परिवर्तन कराये, तो दोषसिद्ध ठहराये जाने पर ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचास रूपये तक हो सकता है और नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह इस प्रकार तोड़ी गई नाली को बन्द कर दें, परिवर्तित कर दे या पिर से बनवा दें या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य कार्यवाही करे, जिसे वह उचित समझें।

संक्षेप

1. धारा 191 का उद्देश्य एवं विस्तार

1. धारा 191 का उद्देश्य एवं विस्तार–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की यह धारा नगरपालिका क्षेत्र में स्थित किसी भूमि या भवन के स्वामी या अध्यासी को नगरपालिका क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक नालियों का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करती है, किन्तु इसके लिए नगरपालिका बोर्ड से पूर्णलिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान कर दी जाती है, तो कोई तीसरा व्यक्ति उस पर आपत्ति करने हेतु हकदार नहीं है।

192. **सार्वजनिक नालियों के साथ जल–निस्सारण का संयोजन कराने की नगरपालिका की शक्ति**–(1) जब किसी सार्वजनिक नाली के एक सौ फुट के भीतर स्थित किसी भवन या भूमि का जल निस्सारण किसी भी समय ऐसी नाली से या ऐसी नाली से पर्याप्त जल

निस्सारण आयोजन से नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में न हो तो नगरपालिका नोटिस द्वारा ऐसे भवन या भूमि के स्वामी या अध्यासी से वह अपेक्षा कर सकता है कि वह उक्त नाली से जल–निस्सारण का ऐसी रीति से संयोजन करे और उसका अनुरक्षण करें जैसा कि नगरपालिका किसी उप–विधि के अधीन निदेश दें।

(2) धारा 306 से 312 (दोनों को सम्मिलित करते हुए) के उपबन्ध ऐसी किसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किये जाने पर इस बात के होते हुए भी लागू होंगे, कि भूमि का वह भाग जिससे होकर उक्त निस्सारण संयोजन को ले जाना अपेक्षित हो, उस व्यक्ति का न हो उक्त व्यतिक्रम किया हो, जब तक कि वह साबित न कर दे कि व्यतिक्रम उक्त अंतिम उल्लिखित भूमि के स्वामी या अध्यासी के कार्य के कारण हुआ था, और उसके अधारा 193 के अधीन नगरपालिका को आवेदन कर दिया गया है।

193. **किसी अन्य व्यक्ति की भूति से नाली ले जाने की किसी व्यक्तित की शक्ति**–(1) कोई अन्य व्यक्ति जो यह चाहता हो कि उसकी भूमि पर वर्तमान या प्रस्तावित नाली किसी अन्य व्यक्ति को जो उससे संशक्त भवन या भूमि का स्वामी हो, भवन या भूमि से होकर या उसके नीचे से जाये या उसकी नाली से मिलाई जाय या नगरपालिका की नाली से मिलाई जाये, नगरपालिका को आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर, नगरपालिका उक्त अन्य व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकता है कि क्यों न आवेदक की नाली उसके भवन याभूमि से होकर या उसके नीचे से ले जायी जाये या उसकी नाली से जोड़ दी जाये।

(3) नगरपालिका ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई किसी आपत्ति की, यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाये सुनवाई करेगा, और तत्पश्चात् यदि उसका यह विचारी हो कि नाली बनाई जारी चाहिए या जल निस्सारण का संयोजन किया जाना चाहिए जो वह इस निमित्त आदेश अभिलिखित करेगा।

(4) उक्त आदेश में निम्नलिखित उपबन्धित किया जायेगा–

(क) वह अवधि जिसमें पक्षकार नाली बनाने या जल–निस्सारण का संयोजन कि ये जाने के सम्बन्ध में कोई करार कर लेंगे;

(ख) वह अवधि जिसमें नाली बनाई जायेगी या जल–निस्सारण का सयोजन किया जायेगा;

(ग) सम्बन्धित पक्षकारों का नाली बन जाये या जल–निस्सारण संयोजन कर दिये जाने या उसके अनुरक्षण, मरम्मत और सफाई के लिए अपना–अपना उत्तरदायित्व; और

(घ) आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, भूमि, भवन या नाली के स्वामी को या तो किराये के रूप में अन्य प्रकार से देय धनराशि (यदि कोई हो)।

(5) यदि उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन अधिनिर्णीत धनराशि एकमुश्त भुगतान करने के रूप में हो तो नगरपालिका उसे अध्याय 6 में उपबन्धित रीति से वसूल कर सकेगी और वसूल की गई कोई धनराशि का भुगतान ऐसे व्यक्ति को कर सकेगी जिसे वह देय हो। यदि किराया अधिनिर्णीत किया गया हो तो ऐसा व्यक्ति जिसे वह देय हो, उसे किसी अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय में वाद लाकर वसूल कर सकेगी।

(6) यदि सम्बन्धित पक्षकार आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करार करने में विफल रहते हैं या यदि नाली या जल निस्सारण के संयोजन का निर्माण उस अवधि के भीतर जो उससे निर्माण के लिए विनिर्दिष्ट हो, नहीं किया जाता है तो नगरपालिका स्वंय उसका निर्माण कर सकेगी और उसकी लागत को आवेदक से अध्याय 6 द्वारा उपबन्धित रीति से वसूल कर सकेगी।

194. **भूमि के स्वामी का अपनी भूमि पर नाली मोड़ने का अधिकार**–किसी ऐसी भूमि का स्वामी जिसकी भूमि में या जिससे होकर या जिसके नीचे से कोई नाली पूर्ववर्ती धारा के उपबन्धों के अधीन ले जाई गई हो, किसी भी समय नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा से और और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो नगरपालिका अधिरोपित करें, स्वयं अपने व्यय से नाली को मोड़ सकेगा।

संमार्जन और सफाई

195. **गृह समांर्जन की परिभाषा**–गृह संमार्जन का तात्पर्य किसी गृह या भवन में रखे गये या उससे सम्बन्धित कूड़ेदान, संडास, नलकूप या ऐसी पदार्थो के लिए रखे गये अन्य, पात्र से गलीज, कूड़ा–करकट, दुर्गन्ध या अन्य घृणास्पद पदार्थ को हटाने से है।

196. **नगरपालिका द्वारा गृह समार्जन आदि का कार्य अंगीकार करना और त्यागना**–रूढ़िवाद सफाईकारों और कृषकों के अधिकारी के सम्बन्ध में इससे इसके पश्चात् दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए नगरपालिका

(क) सार्वजनिक नोटिस द्वारा ऐसे दिनांक से, जो नोटिस के जारी करने के पश्चात् दो मास से कम न हो नगरपालिका क्षेत्र में स्थित गृहों या भवनों के संमार्जन या विष्ठापूर्ण और प्रदूषित पदार्थ को संडास, मूत्रालय और मलकूप से संग्रह करने, हटाने और उसके निस्तारण का जिम्मा ले सकेगी।

(ख) सम्बन्धित पक्षकारों को सार्वजनिक नोटिस द्वारा या अन्यथा कम से कम दो मास की नोटिस देकर खण्ड (क) के अधीन दिए गए कार्य की जिम्मेदारी त्यागी सकेगी,

(ग) अध्यासी के आवेदन–पत्र पर या उसकी सहमति से, किसी भी समय इस निमित्त उपविधि द्वारा निर्धारित निबन्धनों पर किसी गृह या भवन के गृह समार्जन या किसी भवन में या भूमि से, संडास, मूत्रालयों और मलकूप से विष्टापूर्ण और प्रदूषित पदार्थ को संग्रह करने, हटाने और उसके निस्तारण या किसी भवन या भूमि से अन्य दुर्गन्धयुक्त पदार्थ, कूड़ा–करकट हटाने के कार्य का जिम्मा ले सकेगी और

(घ) अध्यासी को कम से कम दो मास की नोटिस देने के पश्चात् खण्ड (ग) के अधीन ली गई जिम्मेदारी त्याग सकेगी।

197. **अंगीकार करने पर आपत्ति**–(1) किसी गृह या भवन का अध्यासी, जो धारा 196 के खण्ड (क) के अधीन जारी किये किसी नोटिस द्वारा प्रभावित हो, नोटिस जारी होने के बाद किसी भी समय उक्त गृह याभवन को नोटिस से अपवर्जित करने के लिए नगरपालिका को आवेदन कर सकेगा।

(2) नगरपालिका ऐसे आवेदन–पत्र पर विचार करेगी और उसकी प्राप्ति से छः सप्ताह के भीतर उस पर आदेश जारी करेगा और ऐसे आदेश द्वारा उस गृह या भवन को नोटिस से अपवर्जित कर सकेगी।

(3) नगरपालिका यह विनिश्चित करने के लिए कि किसी गृह या भवन की नोटिस से अपवर्जित किये जाय या नहीं, अन्य बातों के साथ–साथ अध्यासी द्वारा गृह समार्जन के लिए प्रबन्ध की दक्षता पर भी विचार करेगी।

198. **नगरपालिका द्वारा संमार्जन कार्य अंगीकार कर लिए जाने के बार उसे जारी रखना**–जब नगरपालिका धारा 196 के अधीन किसी गृह या भवन के कार्य का भार अपने ऊपर ले तो वह तत्समय ऐसे गृह या भवन के अध्यासी की सहमति से या उसके बिना भी ऐसे गृह या भवन के सर्माजन का कार्य जारी रख सकेगी।

199. **गृह संमार्जन के लिए नगरपालिका सेवाओं की शक्ति**–संमार्जन कार्य के लिए नियोजित नगरपालिका के सेवक, सभी समुचित समय पर, नगरपालिका द्वारा जिम्मे लिये गये गृह सर्मांजन कार्य के उचित सम्पादन के लिए आवश्यक सभी कार्य कर सकेगें।

200. **रूढ़िगत सफाईकारों और कृषकों के पक्ष में व्यावृत्ति**–धारा 196 में किसी बात के होते हुए भी नगरपालिका धारा 201 और 202 के उपबन्धों के अनुसार के सिवाय–

(क) किसी ऐसे गृह या भवन को, जिसके संमार्जन कार्य का किसी सफाईकार का रूढ़िगत अधिकार को, सफाईकार की सहमति के बिना ऐसे संमार्जन कार्य का, जिम्मा ले लेगी, या

(ख) किसी ऐसे कृषक द्वारा जो नगरपालिका क्षेत्र में स्थित भूमि या उसने आसन्न किसी गांव की भूमि पर स्वयं खेती करता हो, अध्यासित किसी गृह या भवन के गृह संमार्जन का जिम्मा अध्यास की सहमति के बिना नहीं लेगी।

201. **रूढ़िगत सफाईकारों की अपेक्षा के लिए दण्ड**–(1) यदि किसी गृह या भवन संमापर्जन का रूढ़िगत अधिकार प्राप्त कोई सफाईदार (जिसे एतद्पश्चात् रूढ़िगत सफाईकार कहा गया है) उचित ढंग से संमार्जन कार्य नही करता है तो उस गृह या भवन अथवा नगरपालिका किसी मजिस्ट्रेट से इसकी शिकायत कर सकती है।

(2) मजिस्ट्रेट शिकायत मिलने पर उसकी जांच करेगा और यदि उसे प्रतीत हो कि रूढ़िगत सफाईकार ने सम्बन्धित गृह या भवन का संमार्जन उचित ढंग से या समुचित अन्तराल पर नहीं किया है तो वह ऐसे सफाईकार पर जुर्माना कर सकेगा, जो दस रूपये तक हो सकेगा और उसकी गृह या भवन के सम्बन्ध में दूसरी बार या बाद में दोशसिद्ध ठहराये जाने पर, यह भी निर्देश दे सकेगा कि उक्त गृह या भवन का संमार्जन का रूढ़िगत सफाईकार का अधिकार समपहृत कर दिया जाये और तदुपरान्त ऐसा अधिकार समपहृत कर दिया जायेगा–

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन किसी भी प्रक्रम पर मामलें के लम्बित रहने पर मजिस्ट्रेट नगरपालिका को मामलें में उसके द्वारा अन्तिम आदेश दिये जाने तक ऐसे गृह या भवन के संमार्जन का जिम्मा लेने का प्राधिकार दे सकेगा।

202. **कृषकों द्वारा व्यतिकृत किये जाने के मामलें में प्रक्रिया**–(1) यदि कोई कृषक जो नगरपालिका क्षेत्र में या उससे आसन्न किसी गांव की भूमि पर स्वयं खेती करता है, अपने द्वारा अध्यासित किसी गृह या भवन के संमार्जन को उचित व्यवस्था नहीं करता है तो नगरपालिका किसी मजिस्ट्रेट से इसकी शिकायत कर सकेगी।

(2) मजिस्ट्रेट शिकायत मिलने पर उसकी जांच करेगा और यदि उसे यह प्रतीत हो कि कृषक ने गृह या भवन के संमार्जन की उचित व्यवस्था नहीं की है तो वह नगरपालिका को उसका जिम्मा लेने के लिए आदेश द्वारा सशक्त कर सकेगा और तदुपरान्त नगरपालिका उक्त गृह या भवन के संमार्जन का जिम्मा लेने का हकदार हो जायेगी।

मार्ग सम्बन्धी विनियम

203. **ऐसे स्थल पर, जो किसी सार्वजनिक या असार्वजनिक मार्ग से संशक्त न हो, किसी भवन का निर्माण के पूर्व मार्ग का विन्यास करने और उसे बनाने की व्यवस्था**–सिवाय ऐसी दशा में जब कोई स्थल किसी सार्वजनिक या निजी मार्ग से संशक्त हो, यदि कोई वयक्ति जो ऐसी भूमि का स्वामी हो या उस पर कब्जा रखता हो, जिसका उपयोग उस समय तक भवन निर्माण के प्रयोजनार्थ न किया गया हो, ऐसी भूमि या उसके किसी भाग को भवन निर्माण के स्थल में उपयोग करने, विक्रय करने, पट्टे पर देने या किसी अन्य रीति से हसतान्तरित

करने का विचार करे तो वह ऐसे स्थल का उपयोग करने, विऊय करने, पट्टे पर देने या अन्य रीति से हसतान्तरित करने के पूर्व ऐसे मार्ग का विन्यास करेगा और उसे बनायेगा जो ऐसे स्थल को किसी वर्तमान सार्वजनिक या निजी मार्ग से मिला देगा।

204. **मार्ग का विन्यास करने और उसे बनाने की अनुज्ञा**–(1) प्रत्येक व्यक्ति किसी ऐसे नये मार्ग का विन्यास करने या उसे बनाने के पूर्व, नगरपालिका को एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें वह ऐसे का विन्यास करने या उसे बनाने की अनुज्ञा मांगेगा और ऐसे आवेदन पत्र के साथ रेखांक प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नांकित विवरण दिया जायेगा–

(क) मार्ग का प्रस्तावित तल, दिशा और चौड़ाई;

(ख) मार्ग सरेक्षण तथा भवन पंक्ति और साथ ही आवेदन–पत्र में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि मार्ग को समतल करने, उसमें खडंजा लगाने, पक्का करने, उसमें चौरस पत्थर बिछाने, मोरियां बनाने, सीवर डालने, नालियां बनाने, संपार्जन तथा रोशनी के लिए क्या प्रबन्ध किया जायेगा।

(2) सार्वजनिक मार्ग का तल और उसकी चौड़ाई तथा उससे संशक्त भवन की ऊचाई के सम्बन्ध में इस अधिनियम तथा तन्दतर्गत बनाई गई किसी नियमावली या उपविधि के उपबन्ध, उपधारा (1) में उल्लिखित मार्ग पर लागू होंगे और उक्त उपधारा में निर्दिष्ट समस्त अन्य विवरण नगरपालिका के अनुमोदन के अधीन होंगे।

(3) नगरपालिका उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिनांक से सात दिन के भीतर या तो मार्ग का विन्यास करने या उसे बनाने के कार्य की स्वीकृति ऐसी शर्तो पर देगी जिन्हें वह अधिरोपित करना उचित समझे, या उसे अस्वीकृत कर देगी या उसके सम्बन्ध में युक्तियुक्त अवधि के भीतर अग्रेत्तर सूचना मांगेगी।

(4) ऐसी स्वीकृति देने से इन्कार किया जा सकेगाा–

(i) यदि प्रस्तावित मार्ग किसी ऐसे प्रबन्ध के प्रतिकतूल पड़ता हो जो मार्ग के उन्नयन को किसी सामान्य योजना को कार्यान्वित के लिए किसी गये हों या नगरपालिका की राय में जिनके किये जाने की सम्भावना हो, या

(ii) यदि प्रस्तावित मार्ग उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिनियम, नियमावली और उपविधियों के उपबन्धों के अनुरूप न हो, या

(iii) यदि प्रस्तावित मार्ग की परिकल्पना इस प्रकार न की गई हो कि उसका कम से कम एक सिरा किसी सार्वजनिक मार्ग या ऐसे निजी कार्य से मिलता हो जो पहले से सार्वजनिक मार्ग से सम्बद्व हो।

(5) कोई भी व्यक्ति नगरपालिका के आदेश के बिना या अन्यथा उक्त आदेश की अनुरूपता से भिन्न, किसी नये निजी मार्ग या सड़क का न तो विन्यास करेगा और न उसे बनायेगा। यदि उपधारा (3) के अघीन अग्रेत्तर सूचना मांगी जाय तो मार्ग का विन्यास या उसे बनाने का कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जायेगा जब तक किसी ऐसी सूचना प्राप्त हो जाने के बाद आवेदन–पत्र पर आदेश न दिये गये हो;

प्रतिबन्ध यह है कि नगरपालिका ऐसी समस्त सूचना प्राप्त हो जाने के बाद जिसे वह आवेदन–पत्र के अन्तिम निस्तारण के लिए आवश्यक समझे, उक्त आदेश दिये जाने में किसी भी दशा में तीस दिन से अधिक विलम्ब नहीं करेगी।

205. **कतिपय मामलों में किसी मार्ग के विन्यास और निर्माण के लिए नगरपालिका की स्वीकृति की उपधारणा की जायेगी**–यदि नगरपालिका, धारा 204 की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद साठा दिन तक की उपेक्षा या चूक करे या यदि अग्रेत्तर सूचना मांगने के लिए उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश दिया गया हो, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस व्यक्ति को, जिसने आवेदन–पत्र दिया है नगरपालिका द्वारा अपेक्षित सूचना का विवरण देने में असफल रहे हो ऐसा व्यक्ति लिखित संसचूना द्वारा नगरपालिका का

ध्यान ऐसी चूक, उपेक्षा या असफल होने की ओर आकृष्ट कर सकेगा और यदि ऐसी चूक, उपेखा या असफलता तीस दिन की अग्रेत्तर अवधि तक जारी रहे तो यह समझा जायेगा कि नगरपालिका ने प्रस्तावित मार्ग विन्यास और निर्माण के लिए पूर्ण रूप से स्वीकृति दे दी है।

प्रतिबन्ध यह है कि यहां दी गई किसी बात का अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि इससे किसी व्यक्ति इस अधिनियम या उपविधि का उल्लंघन करने का प्राधिकार है।

206. **स्वीकृति की अवधि**–(1) धारा 204 और 205 के अधीन नगरपालिका द्वारा दी गई या समझी गई स्वीकृति एक वर्ष तक रहेगी।

(2) उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तावित मार्ग का कार्य पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन अग्रेत्तर स्वीकृति के लिए आवेदन करने और प्रदत्त स्वीकृति के अनुसरण के सिवाय प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

207. **मार्ग का अवैध निर्माण**–जो कोई व्यक्ति धारा 204 द्वारा अपेक्षित नोटिस दिये बिना या धारा 205 के अधीन नगरपालिका द्वारा दिये गये लिखित निदेश या किसी उपविधि या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करके किसी मार्ग का विन्यास या निर्माण आरम्भ करता है, उसे जारी रखता है या पूरी करता है, उसे जारी रखता या पूरा करता है, दोषसिद्ध ठहराये जाने पर ऐसे जुर्माने का भागी होगा जो पांच सौ रूपये तक हो सकेगा।

208. **बिना स्वीकति के बने मार्ग में परिवर्तन करने और उसे तोड़ देने की नगरपालिका की शक्ति**–(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 204 में निर्दिष्ट किसी मार्ग का विन्यास या निर्माण नगरपालिका का आदेश प्राप्त किये बिना या उसके आदेश की अनुरूपता से भिन्न रूप में करे तो नगरपालिका ऐसे किसी अभियोजन के होते हुए भी, जो इस अधिनियम के अधीन अपराधी के विरूद्ध चलाया गया हो, लिखित नोटिस द्वारा–

(क) अपराधी से अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व अपने हस्ताक्षर से और नगरपालका को भेजे गये लिखित विवरण द्वारा इस बात का पर्याप्त कारण बताये कि ऐसे मार्ग को नगरपालिका के समाधानप्रदन रूप में क्यों न परिवर्तित कर दिया जाय, या यदि ऐसा परिवर्तन व्यवहार्य न हो तो ऐसे मार्ग को क्यों न तोड़ दिया जाये, या

(ख) अपराधी से अपेक्षा कर सकेगी कि वह या तो स्वयं या सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा ऐसे दिनांक और ऐसे समय तथा स्थान पर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये, नगरपालिका के समक्ष उपस्थित हो और यथापूर्वोक्त कारण बतायें।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसे नोटिस दिया गया हो, नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त कारण बताने में असफल रहता है तो नगरपालिका ऐसा आदेश दे सकेगी जिसमें ऐसे मार्ग को परिवर्तन करने या छोड़ देने का, जैसा कि वह उचित समझे निदेश दे दिया गया हो।

209. **मार्गो और नालियों के ऊपर प्रक्षेप के लिए नगरपालिका की स्वीकृति**–(1) राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी किसी नियमावाली के अधीन रहते हुए जिसमें नगरपालिका द्वारा मार्गो या नालियों के ऊपर प्रक्षेप की स्वीकृति देने की शर्त दी गई हो, नगरपालिका–

(क) मार्गो में या उन पर स्थिति भवन के स्वामियों या अध्यासियों को भवन की किसी ऊपरी मन्जिल से मार्ग के ऊपर प्रक्षेप के लिए मार्ग की सतह से ऐसी ऊंचाई पर और कुर्सी की रेखा या नीव की दीवाल से आगे उस सीमा तक जैसा कि ऐसी उप–विधियों में विहित हो, खुले बरामदे, छज्जे, या कमरों का निर्माण या पुनर्निर्माण करने की; और

(ख) किसी भवन या भूमि के स्वामी या अध्यासी को किसी प्रक्षेप या संरचना का निर्माण या पुनर्निर्माण करने की जिससे वह मार्ग में किसी नाली पर या उसके ऊपर उस सीमा तक और शर्तो के अनुसार जो उसी रीति से विहित हों, अवलम्बित हो, या प्रक्षेपित हो या उसका अतिक्रमण करता हो, लिखित अनुज्ञा ने सकेगी, जहां ऐसी अनुज्ञा देने के लिए उपविधि में उपबन्ध किया गया हो।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अनुज्ञा देने में नगरपालिका वह सीमा जहां तक और वे शर्ते जिनके अधीन ऐसे मार्गो के ऊपर किन्ही छज्जो, गर्त, ऋतु फलक, दुकान के पट्टे तथा तत्सदृश प्रक्षेप की अनुमति दी जा सकेगी, विहित कर सकेगी।

210. **मार्ग या नाली के ऊपर बिना अनुज्ञा के प्रक्षेपण के निर्माण के लिए शास्ति**—धारा 209 में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे प्रक्षेप या संरचना का तद्द्वारा अपेक्षित अनुज्ञा के बिना या तद्धीन दी गई किसी अनुज्ञा के उल्लंघन में निर्माण या पुनर्निर्माण करने वाला व्यक्ति दोषसिद्ध ठहराये जाने पर जुर्माने से दन्डनीय होगा जो एक हजार रूपये तक हो सकता है और किसी ऐसे प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारण के न होने पर, जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किया जायेग, दो सौ पचास रूपये से कम न होगा।

संक्षेप

1.	धारा 210 का उद्देश्य एवं विस्तार	3.	दण्ड की मात्रा
2.	दाण्डिक न्यायालय की अधिकारिता		

1. धारा 210 का उद्देश्य एवं विस्तार—यह धारा नगरपालिका की अनुज्ञा बिना या अनुज्ञा के उल्लंघन में किसी मार्ग या नाली पर प्रक्षेप या संरचना का निर्माण या पुनर्निर्माण करने वाले भवन स्वामियों या अध्यासियों को दण्डित करने के बारें में उपबन्ध करती है। किन्तु किसी व्यकित को इस धारा के अन्तर्गत किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा ही दोषसिद्ध ठहराये जाने पर दण्डित किया जा सकता है। इस प्रकार इस धारा के अन्तर्गत दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नगरपालिका द्वारा दाण्डिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की जा सकती है।

एक व्यक्ति द्वारा नगरपालिका बोर्ड की अनुमति के बिना तख्ते से कुछ संरचना किसी मार्ग के ऊपर निर्मित की गयी थी। यह संरचना उसी पक्की दुकान से स्थायी रूप से जुड़ी थी। न्यायालय द्वारा अभिधारित किया गया कि यह मामला उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 210 के अन्तर्गत आयेगा।

2. दाण्डिक न्यायालय की अधिकारिता—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की इस धारा के अन्तर्गत दोशी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही दाण्डिक न्यायालय के समक्ष की जा सकती है और दाण्डिक करने की पूर्ण अधिकारिता है। किन्तु न्यायालय द्वारा इस धारा में विहित अधिकतम और न्यूनतम दण्ड से अधिक या न्यून दण्ड अधिरोपित नहीं कर सकता। किन्तु विशेष और पर्याप्त कारण होने पर नयायालय दण्ड की मात्रा इस धारा में विहित न्यूनतम दण्ड से न्यून कर सकता है।

3. दण्ड की मात्रा—धारा 210 दोषी व्यक्ति के लिए अधिकतम और न्यूनतम दण्ड को भी विहित करती है। इसके अनुसार दण्ड की अधिकतम मात्रा एक हजार रूपये और न्यूनतम दण्ड दो सौ पचास रूपये का जुर्माना हो सकता है। किन्तु विशेष और पर्याप्त कारण की स्थिति में न्यायालय द्वारा जुर्माने की रकम दो सौ पचास रूपये से भी कम की जा सकती है।

211. सड़कों और नालियों पर अतिक्रमण और प्रक्षेपण हटाने की शक्ति—नगरपालिका नोटिस द्वारा किसी भवन के स्वामी या अध्यासी के किसी मार्ग में या उसमें किसी नाली, सीवर या जल सेतु में या उस पर या उसके ऊपर अवलम्बित, प्रक्षेपित या अतिक्रमण करने वाले किसी प्रक्षेप या संरचना को हटाने या उसे परिवर्तित करने की अपेक्षा कर सकेगी;

प्रतिबन्ध यह है कि 10 मार्च, 1900 को या उसके पूर्ण वैधतः विद्यमान ऐसे प्रक्षेप या संरचना की दशा में नगरपालिका उसे हटाये जाने या परिवर्तित करने के कारण किसी नुकसान के लिए प्रतिकर देगा जो उसके निर्माण और गिराये जाने की लागत का दस गुना से अधिक न होगा।

संक्षेप

1. धारा 211 का उद्देश्य एवं विस्तार
2. नोटिस का अभिप्राय लिखित नोटिस से है
3. अधिशासी अधिकारी का आदेश नगरपालिका का आदेश माना जायेगा
4. इस धारा के अधीन पारित आदेश को किसी विधि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी

1. धारा 211 का उद्देश्य एवं विस्तार—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की यह धारा नगरपालिका को किसी मार्ग, नाली, सीवर या जल सेतु अपर अवलम्बित, प्रसक्षेपित या अतिक्रमण करने वाले किसी प्रक्षेप या संरचना को हटाने की शक्ति प्रदान करती है। ऐसे प्रक्षेप या संरचना को हटाने के लिए नगरपालिका द्वारा सम्बन्धित भवन के स्वामी या अध्यासी को किसी प्रकार का प्रतिकर देने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि निम्नलिखित दो शर्ते विद्यमान न हो—

(i) ऐसा प्रक्षेप या संरचना 10 मार्च, 1900 से पूर्व निर्मित हो;

(ii) ऐसा प्रक्षेप या संरचना विधितः निर्मित और विद्यमान हो।

यह धारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए किसी पर प्रक्षेप या संरचना को हटाने से पूर्व नगरपालिका का यह दायित्व अधिरोपित करती है, कि वह सम्बन्धित भवन स्वामी या अध्यासी को इसकी नोटिस दे और उससे स्वयं उसे हटाने की अपेक्षा करें।

इस धारा का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हितों की रक्षा करना है और उन्हें प्राइवेट हितों पर वरीयता प्रदान करना है। यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक मार्ग पर जानबुझकर किसी भवन का निर्माण करता है, तो भवन चाहे कितना भी मूल्यवान क्या न हों, सार्वजनिक मार्ग पर निर्बाध आवागमन के व्यक्तियों के सार्वजनिक अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु नगरपालिका द्वारा गिराया जा सकता है।

2. नोटिस का अभिप्राय लिखित नोटिस से है—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 216 के अन्तर्गत नोटिस 'शब्द' का अभिप्राय लिखित नोटिस से है अतः किसी अतिक्रमण या प्रक्षेप को हटाये जाने से पूर्व भवन के स्वामी या अध्यासी का इसकी पूर्व लिखित सूचना दी जानी आवश्यक है।

3. अधिशासी अधिकारी का आदेश नगरपालिका का आदेश माना जायेगा—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 211 के अन्तर्गत किसी अतिक्रमण या प्रक्षेप को हटाने के लिए अधिशासी अकिारी बोर्ड है और उसका आदेश बोर्ड का आदेश माना जायेगा।

यह बात निर्विवाद है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 211 सपठित धारा 60 (घ) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने की शक्ति, अधिनियम की अनुसूची (11) में सम्मिलित करके, प्रदान नहीं की गयी थी। किन्तु धारा 60 के अन्तर्गत बोर्ड के कर्तव्यों का निर्वहन

अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है, भले ही वह अनुसूची (11) में सम्मिलित न हो। धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत उन शक्तियों को सम्मिलित किया गया है जो कि अनुसूची (11) में सम्मिलित होने के कारण अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रयोग की जा सकती है। किन्तु खण्ड (ङ) के अन्तर्गत अधिशासी द्वारा उन सभी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, जो खण्ड (क) से (घ) तक किसी में सम्मिलित नहीं है, किन्तु जिन्हें बोर्ड द्वारा अधिशासी अधिकारी को प्रत्यायोजित किया गया है। अतः धारा 211 के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी को नोटिस जारी करने की पूरी शक्ति और उसका आदेश बोर्ड का आदेश माना जायेगा।

4. इस धारा के अधीन पारित आदेश को किसी विधि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी—इस प्रश्न पर कि क्या उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 211 के अन्तर्गत किसी अतिक्रमण को हटाने के आदेश को किसी न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है, मथुरा प्रसाद वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिधारित किया कि ऐसे किसी आदेश को किसी भी विधि न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है।

212. **मार्ग को सममतल करने या खड़ंजा लगाने आदि की अपेक्षा करने की शक्ति**—(1) यदि कोई निजी मार्ग या उसका भाग नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में समतल न किया गया हो, उसा पर खड़ंन्जा न बिछाया गया हो, उसे पक्का न किया गया हो, उस पर पत्थर की पटरी न बनायी गयी हो, उसकी नालियां न बनायी गयी हो, उस पर सीवर न डाला हो, उसका जल निस्तारण, समार्जन न किया हो या उस पर रोशनी न हो तो नगरपालिका नोटिस द्वारा ऐसे भू—गृहादि या भूमि के, जो उक्त मार्ग या उसके भाग के सामने या उससे संशक्त हो, स्वामियों और अध्यासियों से अपेक्षा कर सकती कि वे ऐसा निर्माण कार्य जो नगरपालिका की राय में आवश्यक हो और ऐसे, समय के भीतर कार्यान्वित करें जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया गया हो।

(2) यदि ऐसा निर्माण कार्य नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यान्वित न किया जाये तो नगरपालिका यदि वह उचित समझे, उसे निष्पादित कर सकेगी, और उपगत व्यय, अध्याय 6 के अधीन व्यतिक्रम करने वाले स्वामियों या अध्यासियों से उनसे सम्बन्धित भू—गृहादि या भूमि अग्रभाग के अनुसार और ऐसे अनुपात में, जो नगरपालिका द्वारा तय किया जायेगा।

(3) यदि कोई मार्ग पूर्ववर्ती उपधाराओं के उपबन्धों के अधीन समतल किया गया हो, उस पर खड़ंजा बिछाया गया हो, उसे पक्का किया गया हो, उस पर पत्थर की पटरी बनाई गई हो, उसकी नालियां बनाई गई हो उसमें सीवर डाला गया हो, उसका जल निस्सारण, सर्म्थाजन होता हो और उसमें प्रकाश की व्यवस्था हो तो ऐसा मार्ग उसके कम से कम तीन—चौथाई स्वामियों द्वारा अधियाचन किये जाने पर सार्वजनिक मार्ग घोषित कर दिया जायेगा।

212—क. **नगरपालिका क्षेत्र के बारह भवन, मार्ग और नालियों के निर्माण को नियन्त्रित तथा विनियमित करने की नगरपालिका की शक्ति**—इस अधिनियम में अन्यत्र किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका ऐसी शर्तो और परिसीमा के अधीन, जो विहित की जाये नगरपालिका क्षेत्र के बाहर पांच मील की दूरी तक किसी भवन, मार्ग या नाली के निर्माण को इस अध्याय के अधीन नियन्ण्णि कर सकेगी।

213. **भवन आदि के निर्माण में मार्गो के संरक्षण की अपेक्षा करने की शक्ति**—(1) कोई व्यक्ति नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना न तो किसी पेड़ की शाखा को, काटेगा, न किसी भवन या भवन के किसी भाग का निर्माण पुर्ननिर्माण करेगा या न उसे गिरायेगा, न किसी भवन में कोई परिवर्तन करेगा या उसके बाहरी भाग की मरम्मत करेगा, जहां इस प्रकार के कार्य के कारण मार्ग का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति को कोई बाधा, खतरा या क्षोप हो या बाधा, खतरा या क्षोप होने का जोखिम हो।

(2) नगरपालिका नोटिस द्वारा किसी भी समय किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई कार्य कर रहा हो या करने वाला हो, यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उक्त कार्य आरम्भ करने या कार्य को जारी रखने से तब तक विरत रहे जब तक कि वह नोटिस से यथाविनिर्दिष्ट सूचना पट्ट या परदे न लगाये, उनका अनुरक्षण न करे और सूर्यास्त तक पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था न करे और अग्रतर किसी भी समय पर नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, उपर्युक्त किसी कार्य की प्रत्याशा में लगाये गये किसी परदे या विज्ञापन–पट्ट को हटाने की अपेक्षा कर सकेगी।

(3) जो कोई भी उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करे, वह दोषसिद्ध ठहराये जाने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पांच सौ रूपये तक हो सकेगा और अग्रतर जुर्माने से जो पहली बार दोषसिद्ध ठहराये जाने के दिनांक के पश्चात् लगातार उल्लंघन करने के दिनांक तक प्रतिदिन दस रूपये तक हो सकेगा।

214. **पेड़ और झाड़ियों को काटने और छांटने की अपेक्षा करने की शक्ति**–नगरपालिका नोटिस द्वारा किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी से किसी भूमि पर और मार्ग के किनारे उगी झाड़ियों को ऐसी भूमि पर उगे पेड़ की किसी शाखा को, जो मार्ग पर लटकती हो, और जिसे उसमें बाधा पड़ती हो या खतरा उत्पन्न होता हो, काटने या छांटने की अपेक्षा कर सकेगी।

215. **आकस्मिक बाधा को हटाने की शक्ति**–जब कोई निजी गृह, दीवार या अन्य निर्माण उसमें लगी हुई कोई वस्तु या कोई वस्तु या पेड़ गिर जाये और उससे किसी सार्वजनिक नाली पर बाधा पड़े या कोई मार्ग अवरूद्ध हो, तो नगरपालिका ऐसी दशा में बाधा या अवरोध को उक्त गृह के स्वामी के व्यय पर हटवायेगी और उक्त व्यय को कोई अध्याय 6 में व्यवस्थित रीति से वसूल करेगी या नोटिस द्वारा उक्त स्वामी से नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर हटाने की अपेक्षा कर सकेगी।

216. **मार्ग को प्रभावित करने वाले नावों ओर जल निस्सारण के नालें का विनियमन**–नगरपालिका नोटिस द्वारा किसी मार्ग से संसक्त किसी भवन या भूमि के स्वामी या अध्यासी से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उक्त भवन या भूमि में जल ग्रहण करने और उसे बाहर ले जाने और उसका ऐसी रीति से निस्सारण करने के लिए जैसा कि नगरपालिका ठीक समझे, समुचित नॉद और नल लगवाये और उन्हें ठीक हालत में रखे जिससे कि मार्ग पर चलने वालों को कोई असुविधा न हो।

217. **मार्गो का नामकरण और भवनों का संख्यांकन**–(1) नगरपालिका–

(क) विहित प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से किसी मार्ग का नाम या नया नाम रख सकेगी, और

(ख) किसी भवन पर उस कनाम या नाया ऐसी स्थिति में, जैसा कि वह ठीक समझे, लगवा सकेगी या चिन्हित करवा सकेगी, या

(ग) लिखित नोटिस द्वारा किसी भवन के स्वामी या अध्यासी से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उकत भवन पर नगरपालिका द्वारा अनुमोदित नमूने की एक संख्या पट्टिका (नम्बर प्लेट) या नयी संख्या पट्टिका लगवाये या नगरपालिका स्वयं किसी भवन पर कोई संख्या या नयी संख्या लगवा सकेगी या चिन्हित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी भवन पर लगाये या चिन्हित किये गये नाम या संख्या पट्टिा को यदि कोई व्यक्ति नष्ट करेगा, गिरायेगा विरूपित या परिवर्तित करेगा या किसी भवन पर नगरपालिका के आदेश द्वारा उसके अधीन लगाये या चिन्हित किये गये नाम या संख्या से भिन्न कोई नाम या संख्या लगायेगा या चिन्हित करेगा, तो वह दोषसिद्ध ठहराये जाने पर ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो दो सौ पचास रूपये तक हो सकेगा।

218. **भवन आदि में ब्रेकेट लगाने की शक्ति**–(1) नगरपालिका किसी परिसर में या किसी भवन के बाहरी भाग में या किसी पेड़ पर–

(क) तेल, गैस; बिजली या अन्य बत्तियों के लिए खम्भे, ब्रेकेट या अन्य टेक लगा सकेगी;

(ख) टेलीग्राफ के तार, टेलीफोन के तार या रेल इंजन के प्रयोजनार्थ बिजली के तारों के लिए खम्भे, ब्रेकेट या अन्य टेक लगा सकेगी; या

(ग) ऐसे शाफ्ट या नल लगा सकेगी जो नालियों और जल–कल के उचित संवातन के लिए आवश्यक समझें जाये।

(2) प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे टेक, शाफ्ट और नल इस प्रकार न लगाये या जोड़े जायेंगे कि उनसे क्षति या असुविधा हो और उक्त कार्य, यथा सम्भव, भारतीय तार अधिनियम, 1885 से किन्ही ऐसे उपबन्धों के अधीन किया जायेगा जो किसी तार की लाइन या खम्भे लगाने, हटाने या बदलने के सम्बन्ध में लागू होते हों।

सार्वजनिक मार्ग

219. **सार्वजनिक मार्ग पर सथल का निर्माण करने, सुधार करने और उसकी व्यवस्था करने की शक्ति**–नगरपालिका–

(क) किसी न ये मार्ग का विन्यास और निर्माण कर सकेगी और सुरंग और उससे समनुषंगी अन्य निर्माण कार्य कर सकेगी; और

(ख) किसी वर्तमान मार्ग को, यदि वह नगरपालिका में निहित हो, चौड़ा कर सकेगी या सकेगी, उसका विस्तार, परिवर्तन कर सकेगी या अन्य प्रकार से उसमें सुधार कर सकेगी और

(ग) इस प्रकार निहित किसी सार्वजनिक मार्ग को घुमा सकेगी, उसे समाप्त या बन्द कर सकेगी, और

(घ) उपर्युक्त खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन नगरपालिका द्वारा या राज्य सरकार द्वारा बनाये गये, चौड़ा किये गये, बढ़ाये गये, विस्तार किये गये, परिवर्द्धित या सुधारे गये, किसी सार्वजनिक मार्ग के संसक्त या आसन्न ऐसे आयाम के जिसे वह उचित समझे, भवन स्थलों की व्यवस्था, विवेकानुसार कर सकेगी, और

(ङ) किसी ऐसे नियम के उपबन्धों के अधीन होते हुए जिसमें ऐसी शर्त विहित की गयी हो, जिस पर नगरपालिका द्वारा कोई सम्पत्ति अर्जित की जा सकेगी, किसी ऐसी भूमि को उस पर बने भवन सहित अर्जित कर सकेगी, जिसे वह पूर्ववर्ती खण्डों द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके आरम्भ की गयी या बनायी गयी किसी योजना या निर्माण कार्य के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे, और

(च) किसी ऐसे नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसी शर्ते विहित की गयी हों, जिनके आधार पर नगरपालिका में निहित सम्पत्ति अन्तरित की जा सकें, खण्ड (ढ) के अधीन नगरपालिका द्वारा अर्जित किसी को या नगरपालिका द्वारा सार्वजनिक मार्ग के लिए सम्पत्ति प्रयुक्त किसी भूमि को, और जो अब उसके लिए अपेक्षित न हो, पट्टे पर दे सकेगी, बेच सकेगी या अन्यथा निस्तारित कर सकेगी और ऐसा करने में वह उस भूमि पर किसी वर्तमान भवन को हटाने उस पर निर्माण किए जाने वाले किसी नये भवन का विवरण देने, ऐसी अवधि के जिसके भीतर ऐसे नये भवन का निर्माण पूरा किया जायेगा और ऐसे अन्य विषय के सम्बन्ध में जिसे वह ठीक समझें, कोई शर्त आरोपित कर सकेगी।

220. **विक्रेताओं और अन्य व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक मार्ग का उपयोग**–किसी नगरपालिका क्षेत्र में (पहले से) अर्जित, प्रोदभूत या उपभुक्त, किसी ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार के होते हुए भी, जिसके लिए धारा 298 के शीर्षक (ङ) के उप शीर्षक (ख) के अधीन कोई उपविधि बनायी गयी और प्रवृत हो, कोई भी परिभ्रामी विक्रेता या कोई अन्य व्यक्ति ऐसी उप–विधि के अनुसार दी गई नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना

वस्तुओं के विक्रय के लिए या किसी आजीविका के लिए या कोई बूथ या स्टाल लगाने के लिए किसी सार्वजनिक मार्ग या स्थान का उपयोग या अध्यासन करने का हकदार न होगा।

221. **किसी मार्ग को सार्वजनिक मार्ग के रूप में अंगीकार करना**–(1) नगरपालिका किसी भी समय, और जब धारा 212 की उपधारा (3) के अधीन अधियाचन द्वारा अपेक्षा की जाये, किसी मार्ग, जो सार्वजनिक मार्ग न हो, या ऐसे मार्ग के किसी भाग पर सार्वजनिक नोटिस लगाकर उसे सार्वजनिक मार्ग घोषित करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगी और देगी। ऐसी नोटिस लगाये जाने के पश्चात् आगामी दो मास के भीतर ऐसे मार्ग या मार्ग के किसी भाग या उसके अपेक्षाकृत बड़े भाग का स्वामी या स्वामीगण उक्त नोटिस के विरूद्ध नगरपालिका कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नगरपालिका प्रस्तुत की गई आपत्ति पर विचार करेगी और यदि वह उन्हें अस्वीकृत कर दें, तो ऐसा मार्ग या उसके ऐसे भाग पर अग्रतर सार्वजनिक नोटिस लगवाकर उसको एक सार्वजनिक मार्ग घोषित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित कोई सार्वजनिक नोटिस मार्ग पर लगाये जाने के अतिरिक्त किसी स्थानीय समाचार पत्र (यदि कोई हों) में या ऐसी अन्य रीति से जैसा कि नगरपालिका उचित समझे, प्रकाशित करायेगा।

222. **सार्वजनिक मार्ग पर भवनों की पंक्ति विनियमित करने की शक्ति**–(1) जब कभी नगरपालिका के विचार में किसी वर्तमान या प्रस्तावित मार्ग के प्रत्येक ओर या किसी और भवनों की सामान्य पंक्ति की परिनिश्चित करना समीचीन हो तो वह ऐसा करने के अपने आशय की सार्वजनिक नोटिस देगी।

(2) ऐसी प्रत्येक नोटिस में कोई अवधि विनिर्दिष्ट की जायेगी जिसके भीतर आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी।

(3) नगरपालिका विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों पर विचार करेगी और तब उक्त पंक्ति को परिनिश्चित करते हुए संकल्प पारित करेगी और इस प्रकार परिनिश्चित पंक्ति 'मार्ग की नियमित पंक्ति' कहलायेगी।

(4) तत्पश्चात् किसी व्यक्ति के लिए किसी भवन या भवन के भाग का इस प्रकार निर्माण पुर्ननिर्माण या परिवर्तन विधिपूर्ण न होगा कि उससे मार्ग की नियमित पंक्ति के आगे प्रक्षेप हो जाये, जब तक कि वह धारा 180 के अधीन दी गई स्वीकृति से या इस धारा के अधीन लिखित अनुज्ञा द्वारा (और नगरपालिका एतद्द्वारा ऐसी अनुज्ञा स्वीकृत करने के लिए सशक्त है) ऐसा करने के लिए प्राधिकृत न किया गया हो।

(5) कोई भू–स्वामी, जिसे इस धारा के उपबन्धों के अधीन किसी भूमि पर कोई भवन निर्मित, पुनर्निर्मित या परिवर्तित करने से निवारित कर दिया जाये, नगरपालिका से किसी ऐसी क्षति के लिए जो उसे इस प्रकार निवारित करने के कारण हुई हो प्रतिकर अपेक्षा कर सकेगा और ऐसे मार्ग की नियमित पंक्ति के भीतर स्थित किसी भूमि के प्रतिकर का भुगतान किये जाने पर ऐसी भूमि नगरपालिका में निहित हो जायेगी।

(6) नगरपालिका नोटिस द्वारा उपधारा (4) का उल्लंघन करके निर्मित या परिवर्तित किसी भवन या भवन के भाग को परिवर्तित करने या गिराने की अपेक्षा कर सकेगी।

223. **सार्वजनिक मार्गो आदि का निर्माण करते समय नगरपालिका का कर्तव्य**–(1) नगरपालिका किसी सार्वजनिक मार्ग या किसी जल–कल, नाली या परिसर के, जो उसमें निहित हो, निर्माण या मरम्मत के दौरान या जब कभी उसमें निहित कोई सार्वजनिक मार्ग, जल–कल, नाली या परिसर की मरम्मत न होने के कारण या अन्यथा सार्वजनिक उपयोग के लिए असुरक्षित हो जाये, किसी दुर्घटना से बचने के लिए निम्नलिखित उपायों द्वारा सभी आवश्यक पूर्ण सावधानियां बरतेगी–

(क) स्पष्टतः दर्शनीय बनाकर और आसन्न भवनों को सुरक्षित करके; और

(ख) ऐसे निर्माण या मरम्मत के दौरान यातयात को रोकने, दूसरे मार्ग से मोड़ने के प्रयोजनार्थ–मार्ग के आर पार या उसमें डन्डे, जींज या खम्भे लगाकर; और

(ग) किसी चालू निर्माण कार्य पर पहरा रखकर और सूर्यास्त से सूर्यादय तक उसमें पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करके।

(2) जो कार्य, नगरपालिका के प्राधिकार या सम्मति के बिना उपधारा (1) के अधीन नगरपालिका द्वारा किये गये किसी प्रबन्ध या निर्माण कार्य में दुर्घटना के बचाव के किसी कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें, वह दोषसिद्ध ठहराये जाने पर ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचास रूपये तक हो सकेगा।

जल सम्भरण

224. **जल–कल का निर्माण और परिवर्तन करने की नगरपालिका की शक्ति**–नगरपालिका–

(क) नगरपालिका क्षेत्र के भीतर या धारा 120 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नगरपालिका क्षेत्र के बाहर, जल–कल का निर्माण कर सकेगी और ऐसे निर्माण कार्य की किसी भी मार्ग या स्थान से होकर आर–पार, ऊपर या नीचे और स्वामी या अध्यासी को लिखित रूप में युक्तियुक्त नोटिस देने के बाद, किसी भवन या भूमि में, उससे होकर, उसके ऊपर या नीचे निश्पादित कर सकेगी;

(ख) समय–समय पर किसी जल–कल का विस्तार कर सकेगी, उसे घटा सकेगी, उसका मार्ग बदल सकेगी औक्र आगे का निर्माण कार्य रोक सकेगी या, बन्द कर सकेगी है या उसे हटा सकेगी;

(ग) राज्य सरकार को पूर्व स्वीकृत से किसी व्यक्ति या कम्पनी को नगरपालिका के भीतर जल–सम्भारण के लिए लाइसेंस दे सकेगी और इस प्रयोजन के लिए मुख्य नल और अन्य नल, लगाने जल–कल का निर्माण करने और अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही या कार्य करने की अनुज्ञा दे सकेगी; और

(घ) उक्त स्वीकृति से ही अपने वर्तमान जल–कल के सभी या किसी भाग का ऐसे लाइसेंसधारी के प्रबन्ध में अन्तरण कर सकेगी–

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी स्वीकृति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि राज्य सरकार का समाधान न हो जाय कि ऐसा करना सम्बद्ध जनता के सार्वधिक हित में होगा।

224–क. **लाइसेंसधारी की शक्ति और दायित्व**–(1) जब धारा 224 के खण्ड (ग) के अधीन कोई लाइसेंस स्वीकृत किया जाय तो वह दर जिस पर, वह रीति जिससे, और वह व्यक्ति जिसके द्वारा लाइसेंसधारी का उसके द्वारा सम्भरण किये गये जल के लिए, भुगतान किया जायेगा, और ऐसे निबन्धन और लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं का जल संयोजन स्वीकृत कर सकेगा, नगरपालिका तथा लाइसेंसधारी के बीच तय की जायेगी और लाईसेंस में प्रविष्ट की जायेगी और नगरपालिका इस अधिनियम या नियमावली द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति को जो जल कल और जल सम्भरण से सम्बन्धित हो, लाइसेंसधारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी;

प्रतिबन्ध यह है कि जल कल के निर्धारण और सिविल वाद में भिन्न अन्य प्रकार से उसकी वसूली की शक्ति लाईसेंसधारी को प्रत्यायोजित नहीं की जायेगी–

(2) ऐसा लाइसेंसधारी, नगरपालिका की पूर्व स्वीकृत से, इस अधिनियम की धारा 225 और 227 द्वारा नगरपालिका को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकेगा।

224–ख. **वर्तमान लाइसेन्सों का प्रतिसंहरण**–धारा 224 के खण्ड (ग) के अधीन दिया गया प्रत्ये लाइसेन्स यदि पहले ही प्रतिसंहत न कर दिया गया हो, 13 जून, 1975 से प्रतिसंहत हो जायेगा।

224—ग. (1) यदि किसी लाइसेंसधारी का लाइसेन्स 224 के अधीन, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, प्रतिसंहृत कर दिया जाये या उक्त अधिनियम द्वारा यथा प्रतिस्थापित नई धारा 224—ख के आधार पर प्रतिसंहृत हो जाये तो लाइसेन्स के प्रतिसंहरण के दिनांक (जिसे इस धारा में आगे 'उक्त दिनांक' कहा गया है) के ठीक पूर्व लाइसेंसधारी की या उसमें निहित जल—कल सम्बन्धी समस्त सम्पत्ति (अर्थात् समस्त वर्तमान जल—सम्भरण सेवायें जिनके अन्तर्गत सभी संयत्रस, मशीनरी, जल—कल, पम्पिंग सेट, फिल्टर बैड तथा किसी सार्वजनिक मार्ग के किनारे, ऊपर या नीचे बिछाये गये पानी की मुख्य पाइप और अन्य नल भी है और उनसे संलग्न सभी भवन और अन्य निर्माण कार्य, सामग्री, भण्डार तथा वस्तुंए) उक्त दिनांक से उक्त सम्पत्ति से सम्बद्ध लाइसेंसधारी के किसी ऋण बन्धक या तत्समान आभार से मुक्त होकर नगरपालिका में निहित और उसकी अन्तरित हो जायेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा ऋण बन्धक या तत्समान आभार ऐसी सम्पत्ति के स्थान पर उपधारा (2) में निर्दिश्ट धनराशि से सम्बद्ध हो जायेगा।

(2) जहां किसी लाइसेन्सधारी की कोई सम्पत्ति नगरपालिका में उपधारा (1) के अधीन निहित हो जाती है, और वह ऐसा जल—कल नहीं है जिसका प्रबन्ध मात्र नगरपालिका ने धारा 224 के खण्ड (घ) के अधीन उस लाइसेन्सधारी को अन्तरित किया था, वहां नगरपालिका उस लाइसेन्सधारी को इस धारा के आगे के उपबन्धों के अनुसार अवधारित धनराशि देगी;

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त दिनांक से उक्त धनराशि के भुगतान के दिनांक तक की अवधि के लिए उक्त धनराशि पर उक्त दिनांक की प्रभावशाली रिजर्व बैंक की दर से एक प्रतिशत आकि ब्याज लाइसेन्सधारी को उक्त धनराशि के अतिरिक्त दिया जायेगा।

(3) राज्य सरकार इस धारा में उल्लिखित कटौतियां करने के पश्चात् लाइसेन्सधारी की इस धारा के अधीन देय किसी धनराशि का निर्धारण करने के लिए लेखा सम्बन्धी विषयों के पर्याप्त ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति को लिखित आदेश द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी।

(4) (क) विशेष अधिकारी दिये जाने वाली शुद्ध धनराशि का निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार के स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों या लाइसेन्सधारी से सहायता की अपेक्षा कर सकता है, जिसे वह उचित समझें।

(ख) विशेष अधिकारी की निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वैसे ही शक्तियां होगी जैसी किसी वाद पर विचार करते समय सिविल क्रिया संहित, 1908 के अधीन न्यायालय में निहित होता हैः

(i) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(ii) दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना;

(iii) साक्षियों का परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करना।

विशेष अधिकारी को ऐसी और शक्तियां भी होगी, जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(5) ऐसे लाइसेन्सधारी को दिये स्थूल धनराशि नीचे विनिर्दिष्ट धनराचि का कुल योग होगी—

(i) जल—कल से सम्बन्धित और नगरपालिका द्वारा किए गए सभी निर्माण कार्य (उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए हुए निर्माण—कार्यो को छोड़कर) जो पूरे हो गये है और लाभप्रद उपयोग वाले हों, उनका पुस्तांकित मूल्य जिसमें से इस धारा में संलग्न सारणी के अनुसार आकलित अवक्षय को कम कर दिया जायेगा;

(ii) लिये गये निर्माणाधीन कार्य (उपभोक्ताओं या भावी उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किये गये निर्माण कार्य को छोड़कर) का पुस्तांकित मूल्य;

(iii) लिए गए सभी भण्डार का जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त पुर्जे भी है, पुस्तांकित मूल्य और उपयोग किये गये भंडार तथा अतिरिक्त पूर्जो की दशा में, यदि लिये गये हों, ऐसी धनराशि जो विशेष अधिकारी द्वारा विनिश्चित की जायें;

(iv) ली गई तथा उक्त दिनांक को उपयोग में लायी जा रही अन्य सभी स्थिर अस्तियों का पुस्तांकित मूल्य, जिसमें से उक्त सारणी के अनुसार आकलित अवक्षय को कर दिया जायेगा;

(v) जो संयंत्र और उपस्कर उक्त दिनांक को विद्यमान थे और अब घिसाई–पिटाई या अप्रचलन के कारण उपयोग में नहीं लाये जा रहे हैं, यदि वे ले लिये गये हों, तो जिस सीमा तक लाइसेन्सधारी ने अपनी बहियों में उनका मूल्य बट्‌टे में न डाल दिया हो, उस सीमा तक उन सबका पुस्तांकित मूल्य जिसमें से उक्त सारणी के अनुसार आकलित अवक्षय को कम कर दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण–किसी स्थित आस्ति के पुस्तांकित मूल्य का तात्पर्य उसकी मूल्य लागत से है और इसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित होगा–

(i) लाइसेन्सधारी के द्वारा आस्ति के लिए दिये गये क्रम मूल्य जिसके अन्तर्गत परिदान का खर्च और आस्ति को अस्तित्व में लाने और लाभप्रद उपयोग के योग्य बनाने में उचित रूप से उपगत प्रभार (जैसा कि लाइसेन्सधारी की बहियों में दिखाया गया है)।

(ii) पर्यवेक्षण की वास्तविक लागत, किन्तु जो पैरा (1) में निर्दिष्ट धनराशि से पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न हो;

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन धनराशि का विनिश्चय करने के पूर्व, विशेष अधिकारी द्वारा लाइसेन्सधारी की सुवाई का अवसर इस बात के लिए कम से कम 15 दिन की नोटिस देने के पश्चात् दिया जायेगा।

(6) नगरपालिका लाइसेन्सधारी को उपधारा (5) के अधीन देय स्थूल धनराशि में से निम्नलिखित धनराशि काटने का हकदार होगी–

(क) लाइसेन्सधारी द्वारा नगरपालिका को देय समस्त धनराशि और उस पर ब्याज का बकाया, यदि कोई हो;

(ख) राज्य सरकार या राज्य विद्युत परिषद की देय समस्त धनराशि तथा उस पर ब्याज का बकाया, यदि कोई हो;

(ग) जल–कल के सम्बन्ध में (संयुक्त प्रान्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अर्थान्तर्गत) मजदूर के रूप में सेवायोजित व्यक्तियों को देय और उक्त दिनांक को भुगतान की गई मजदूरी बोनस, अनुतोष भविष्य निधि या अन्य भुगतान की कोई धनराशि;

(घ) लाइसेन्सधारी द्वारा जल–कल के सम्बन्ध में सेवायोजित व्यक्तियों के विषय में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन अपने अंशदान या अपने द्वारा वसूल किये गये कर्मचारी के अंशदान या लाइसेन्सधारी से वसूली योग्य अन्य देयों के सम्बन्ध में भुगतान न की गयी धनराशि।

(7) लाइसेन्सधारी, यथास्थिति, राज्य सरकार या राज्य विद्युत परिषद् के प्रति या अपने कर्मचारियों के प्रति उपधारा (6) के अधीन की गयी कटौतियों तक अपने दायित्व से उन्मोचित हो जायेगा। ऐसी कोई कटौती की जाने पर, नगरपालिका यथास्थिति राज्य सरकार या राज्य विद्युत परिषद् या मजदूर को उस सीमा तक भुगतान करने का उत्तरदायी होगी।

(8) जहां लाइसेन्सधारी को देय स्थूल धनराशि इस धारा के अधीन कटौती की जाने वाली धनराशि के बराबर या उससे कम हो तो नगरपालिका द्वारा लाइसेन्सधारी को कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

(9) नगरपालिका द्वारा लाइसेन्सधारी को देय धनराशि, यदि कोई हो, वहीं होगी जो उपधारा (5), (6) तथा (8) के अधीन विशेष अधिकारी द्वारा अवधारित की जाये और धारा 324 की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह इस धारा के अधीन नगरपालिका द्वारा देय धनराशि के अवधारण के सम्बन्ध में लागू होती है।

विभिन्न आस्तियों की प्रयोगावधि के आधार पर अवक्षय सारणी

लाइसेन्सधारी के उपक्रम में लगी स्थिर आस्तियों के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष के लिए उतनी धनराशि काटी जायेगी, जो यदि निम्नलिखित सारणी से निर्दिष्ट समपूर्ण अवधि पर्यन्त प्रति वर्ष अलग रखी जाये तथा उस पर चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज संचित होने दिया जाये, तो उससे उक्त अवधि के अन्त में उतनी धनराशि प्राप्त हो जो लाइसेन्सधारी की बहियों में पहले से उल्लिखित तथा पृथक् की गयी धनराशि को ध्यान में रखते हुए, उक्त आस्ति की मूल लागत के नब्बे प्रतिशत के बराबर हो—

	स्तम्भ—1 आस्ति का ब्यौरा	स्तम्भ—2 अवधि या वर्ष संख्या
(क)	भूमि जो पूर्ण हक के अधीन स्वामित्व में हो	अपरिमित।
(ख)	पट्टे के अन्तर्गत धृत भूमि	पट्टे की अवधि का पट्टे के अभ्वर्पण पर असमाप्त शेष अवधि
(ग)	नई क्रय की गई आस्तियां	
	(क) स्थायी प्रकार के भवन तथा सिविल अभियान्त्रिक निर्माण—कार्य जिनका ऊपर उल्लेख न किया गया हों—	.... पचास
	(1) कार्यालय	
	(2) अस्थायी संस्थापन जैसे काष्ठ संरचनायें	पांच
	(3) कच्ची सड़कों से भिन्न	एक सौ
	(4) अन्य	पचास
	(ख) सवचिलत गाड़ियां	सात
	(ग) (1) कार्यालय फर्नीचर तथा फिटिंग्स	बीस
	(2) कार्यालय उपस्कर	दस
(घ)	खरीदी गई पुरानी आस्तियां तथा ऐसी आस्तियां जो इस सारणी में अन्यथा न दी गई हो।	ऐसी युक्तियुक्त अवधि जिसे विशेष अधिकारी द्वारा आस्तियों के अर्जन के समय उनका प्रकार, आयु तथा दशा को ध्यान में रखते हुए अवधारित किया जाये।)

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)
2. धारा 224—ग का उद्देश्य एवं विस्तार
4. क्या नगरपालिका बोर्ड प्रशासक के उस आदेश में बाध्य है जो विधिविरूद्ध हो?
5. धारा 224—ग की संवेधानिकता।

3. अधिनियम संख्या 45, सन् 1975 से पूर्व विद्यमान धारा 224–ग और वर्तमान धारा 224–ग में अन्तर।

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)–उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1933 द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम में सर्वप्रथम इस धारा को जोड़ा गया। पुनः उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1975 द्वारा उस धारा को वर्तमान धारा द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।

2. धारा 224–ग का उद्देश्य एवं विस्तार–यह धारा जल–सम्भरण करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रदत्त लाइसेन्स का धारा 224–ख के अधीन प्रतिसंहरण होने के पश्चात् उसके नगरपालिका में निहित और अन्तर्गत होने, तथा नगरपालिका द्वारा इस धारा में विहित रीति से आंकलिक धनराशि का भुगतान करने के बारें में उपबन्ध करती है। यह धारा काफी वृहद है और लाइसेन्सधारी को देय धनराशि को संगणित करने करने हेतु उपबन्धों का सुस्पश्ट उल्लेख करती है।

3. अधिनियम संख्या 45, सन् 1975 से पूर्व विद्यमान धारा 224–ग और वर्तमान धारा 224–ग में अन्तर–उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, सन् 1975 द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने से पूर्व विद्यमान धारा की वर्तमान धारा में मूलभूत अन्तर निम्नवत् थे–

(i) जब जल सम्भरण के लिए किसी व्यक्ति के प्रदत्त लाइसेन्स का प्रतिसंहरण धारा 224 चख के अधीन किया जाता था, तो बोर्ड द्वारा लाइसेन्सों को प्रतिसंहरण की नोटिस तामील किया जाना आवश्यक था। ऐसी नोटिस में प्रतिसंहरण के प्रभावी होने की तिथि निश्चित किया जाना आवश्यक था। ऐसी निश्चित तिथि के पश्चात लाइसेन्सी को लाइसेन्स के अधीन प्रापत सभी शक्तियां पूर्णतः समाप्त हो जाती थी और वे अधिकार बोर्ड में निहित हो जाते थे। किन्तु जलकल सम्बन्धी कोई सम्पत्ति बोर्ड में विहित और उसको अन्तरित नहीं होती थी। ऐसी सम्पत्ति को बोउं में निहित होने के लिए लाइसेन्सी द्वारा बोर्ड को उसका विक्रय आवश्यक था। किन्तु वर्तमान धारा के अन्तर्गत लाइसेन्सी को प्रतिसंहरण की कोई सूचना देना आवश्यक नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1975 द्वारा प्रतिस्थापित धारा 224–ख के फलस्वरूप यदि 13 जून, 1975 ऐसे सभी लाइसेन्सी का प्रतिसंहरण हो जायेगा, बशर्ते कि उनका प्रतिसंहरण पहले हो न हो चुका हो। यदि किसी लाइसेन्स का प्रतिसंहरण 13 जून, 1975 को या उससे पहले हुआ है, तो उससे पूर्व लाइसेन्सी का प्रतिसंहरण 13 जून, 1975 को या उससे पहले हुआ है, तो उससे पूर्व लाइसेन्सी में निहित जल सम्भरण सम्बन्धी सभी अधिकारों के साथ–साथ जल–कल सम्बन्धी सम्पत्ति भी लाइसेन्स के प्रतिसंहरण की तिथि से नगरपालिका में निहित और उसको अन्तरित हो जायेगी। इसके लिए लाइसेंसी द्वारा नगरपालिका के पक्ष में किसी प्रकार के अन्तरण की आवश्यकता नहीं है।

(ii) पूर्ववर्ती धारा के अन्तर्गत जल–कल सम्पत्ति का मूल्य निर्धारण तत्कालीन बाजार मूल्य के आधार पर लाइसेन्सी और बोर्ड के बीच सहमति के आधार पर नियत किया जाता था, किन्तु वर्तमान धारा के अन्तर्गत जल–कल सम्पत्ति के लिए लाइसेन्सी देय सकल धनराशि की संगणना राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी द्वारा इस धारा की उपधारा (5) एवं (6) के अनुसार की जाती है और तद्नुसार संगणित धनराशि का भुगतान ही नगरपलिका द्वारा लाइसेन्सी को किया जाता है।

4. क्या नगरपालिका बोर्ड प्रशासक के उस आदेश में बाध्य है जो विधिविरूद्ध हो?–नहीं। एन0गजनफरूल्ल वाद में उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 224–ग (जो उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, सन् 1975 के लागू होने से पूर्व विद्यमान थी) के अन्तर्गत बोर्ड के

प्रशासक ने को लाइसेन्सी द्वारा आवेदन किये जाने पर 31–3–1975 को नोटिस जारी कर जल सम्भरण सम्बन्धी उसके समस्त अधिकारों का प्रतिसंहरण कर लिया। नोटिस में प्रतिसंहरण प्रभावी होने की तिथि 1 अप्रैल, 1975 विहित की गयी थी। जो नोटिस के अनुसार 1 अप्रैल, 1975 से जल सम्भरण सम्बन्धी लाइसेन्सी के समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे और उनके साथ जलकल सम्बन्धी समस्त सम्पत्ति बोर्ड में निहित हो जायेगी। इस धारा के खण्ड (क) एवं (ख) के अनुसार किसी लाइसेन्सी का जल सम्भरण सम्बन्धी लाइसेन्स प्रतिसंहत किये जाने के पश्चात् मात्र वे अधिकार प्रतिसंहरण की तिथि से बोर्ड में निहित हो सकते थे, न कि जल कल सम्बन्धी समस्त सम्पत्ति भी। ऐसी सम्पत्ति मात्र लाइसेन्सी द्वारा बोर्ड को विक्रय किये जाने के पश्चात् ही बोर्ड में निहित हो सकती थी। किन्तु ऐसा कोई विक्रय लाइसेन्सी द्वारा बोर्ड को नहीं किया गया था। फलतः प्रशासक द्वारा 31.3.1975 को नोटिस दिया गया आदेश कि 1.4.1975 से लाइसेन्सी की जलकल सम्बन्धी समस्त सम्पत्ति बोर्ड में निहित हो जायेगी इस धारा के उपबन्धों के प्रतिकूल था औरऐसे आदेश के कारण वह सम्पत्ति बोर्ड में निहित नहीं हो सकती थी। वस्तुतः वह सम्पत्ति लाइसेन्सी में ही निहित बनी रही। और बोर्ड में वह मात्र उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, सन् 1975 द्वारा प्रतिस्थापित धारा 224–ग के प्रभाव के कारण 1.4.1975 से निहित हुई। अतः बोर्ड का दायित्व पूर्ववर्ती धारा से नहीं अपितु नवीन धारा से नियन्त्रित होगा और प्रशासन के आदेश के बावजूद वह उससे बाध्य नहीं होगा।

5. धारा 224–ग की संवेधानिकता–उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, सन्, 1975 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 224–ग की संवैधानिकता पर विचार करते इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिधारित किया कि यह धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (5) या अनुच्छेद 31 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नही करती है। अतः यह धारा पूर्वतः संवैधानिक है।

इसी प्रकार एन.गजन फरूल्ला वाद में उच्चतम न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 224–ग (जो उत्तर प्रदेश अधिनियम संया 45, सन् 1975 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी है) को असंवैधानिक कहना बिल्कुल भ्रमपूर्ण है। यह धारा किसी भी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ङ) और 31 का उल्लंघन नहीं करती है।

225. **निजी जल मार्ग आदि की सफाई या उसे बन्द करने की अपेक्षा करने की शक्ति**–(1) नगरपालिका नोटिस द्वारा किसी ऐसे स्वामी या व्यक्ति से जिसके नियन्त्रण में कोई निजी जल मार्ग, सोता, टंकी, कुंआ या अन्य स्थान हो जिसका जल पीने के लिए उपयोग में लाया जाता हो, यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उसे अच्छी दशा में रखे और ठीक से मरम्मत करके उसका अनुरक्षण करे और समय–समय पर उससे खाद, कूड़ा–करकट या सड़ी वनस्पति को निकाल कर उसकी सफाई करें और उससे यह भी अपेक्षा कर सकेगी कि वह उसे ऐसी रीति से प्रदूषण से बनाये जैसा कि नगरपालिका ठीक समझें।

(2) जब नगरपालिका के समाधानप्रद रूप से ऐसे किसी जल मार्ग, सोत, टंकी, कुंए या अन्य स्थान का पीने का पानी अनुपयुक्त सिद्ध हो जाये, तो नगरपालिका नोटिस द्वारा उसके स्वामी या उस पर नियन्त्रण रखने वाली व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगी कि वह उस जल का उपयोग करने से और दूसरों को उसका उपयोग करने की अनमति देने प्रतिविरत रहे, और यदि ऐसे नोटिस के बाद, ऐसा जल किसी व्यक्ति द्वारा पीने के लिए उपयोग में लाया जाय, तो नगरपालिका नोटिस द्वारा उसके स्वामी या उस पर नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगी कि वह उस कुयें को या तो अस्थायी रूप से स्थायी रूप से बन्द कर दें या ऐसे जलमार्ग, सोते, टंकी, कुंआ या अन्य स्थान को ऐसी रीति से, जैसा कि नगरपालिका निदेश दे, घर दें या उसके चारों ओर बाड़ा लगा दे जिससे कि उसके जल का इस प्रकार उपयोग न किया जा सकें।

226. **महामारी फैलने पर आपात्कालीन शक्ति**–किसी नगरपालिका या उससे किसी भाग में हैजा या कोई अन्य संक्रामक रोग, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किये गये हों फैलने की दशा में नगरपालिका का अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत

कोई व्यक्ति महामारी फैले होने के दौरान बिना सूचना के और किसी भी समय कुयें, टंकी, या अन्य स्थान का, जहां से जल पीने के पीने के प्रयोजन के लिए लिया जाता हो या लिये जाने की सम्भावना हो, निरीक्षण कर सकेगी और उसका विसंक्रमण कर सकेगी, और वहां इस जल लेने को रोकने के लिए ऐसी अग्रेत्तर कार्यवाही कर सकेगी जिसे वह ठीक समझें।

227. **जल सम्भरण के किसी स्त्रोत के निकट से शौचालय आदि का हटाया जाना**—नगरपालिका नोटिस द्वारा, किसी स्वामी या अध्यासी से, जिसकी भूमि पर कोई नाली, संडास, शौचालय, मूत्रालय, नलकू या गलीज या कूड़ा करकट रखने के अन्य पात्र को, जो किसी जल स्त्रोत, कुएं, टंकी, जलाशय या अन्य स्त्रोत के जिससे सार्वजनिक उपयोग के लिए जल लिया जाता हो या लिया जा सकता हो, पचास फुट के भीतर स्थित हो, ऐसे नोटिस की तामील से एक सप्ताह के भीतर उसे हटाने या बन्द करने की अपेक्षा कर सकेगी।

228. **जल—कल लगाने वाली नगरपालिका की बाध्यताएं**—(1) प्रत्येक नगरपालिका जिसमें जल कर अधिरोपित किया जाता हो, निम्नलिखित के बाध्य होगी—

(क) सम्पूर्ण विहित क्षेत्र या विहित क्षेत्रों में—

(i) नलों के माध्यम से जल सम्भरण प्रणाली का अनुरक्षण करने; और

(ii) विहित दबाव पर और विहित घन्टों के दौरान जल पहुँचाने; और

(iii) सभी मुख्य मार्गो पर, जिसमें मुख्य नल डाले गये हों, खड़े नालों या पम्पों को, जो ऐसे अन्तरालों पर स्थिर हों, जो विहित किये जायें जल सम्भरण करेगी और

(ख) ऐसी नियमावली के अधीन रहते हुए, जो बनाई जाये, किसी भवन में या भूमि के जिसका न्यूनतम विहित जल कर निर्धारण किया गया हो, स्वामी या अध्यासी को घरेलू प्रयोजनों के लिए जल प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ भवन या भूमि को विहित मापऔर प्रकार के संयोजक नल मुख्य नल से जोड़ने की अनुमति दे सकेगी, और

(ग) खण्ड (ख) के अधीन गृह संयोजन के हकदार प्रत्येक स्वामी या अध्यासी को, जिसकी भूमि या भवन में इसकी व्यवस्था हो, भूमि या भवन में या उस पर निर्मित ऐसे संचयन जलकुन्ड में, जिसकी धारित ऐसे परिणाम से कम न हो और विहित प्रतिरूप का हो और जो इसके लिए अधिकतम विहित ऊॅचाई से अधिक ऊॅचाई पर न हो, प्रत्येक चौबीस घन्टे में उतने परिणाम में जल सम्भरण करेगा जितना उसके द्वारा देय जल कर और घरेलू प्रयोजनों के लिए उसकी अनुमानित आवश्यकताओं के प्रति निर्देश में विहित हो।

(2) उपधारा (1) में शब्द 'विहित' का तात्पर्य धारा 235 के अधीन नियम द्वारा विहित से है।

229. **करार द्वारा जल सम्भरण**—प्रत्येक नगरपालिका करार द्वारा किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी को, उसकी आवश्यकतानुसार किसी भी प्रयोजन के लिए, ऐसे पारिश्रमिक पर जो नियम द्वारा विहित किसी दर या दरों से संगत हो और इस अधिनियम और किसी नियम से संगत ऐसे निबन्धों और शर्तो पर जिसका नगरपालिका और ऐसे स्वामी या अध्यासी के बीच करार हुआ हो, जल सम्भरण कर सकेगी।

230. **जल—सम्भरण के लिए प्रभार**—(1) जब किसी भवन याभूमि को मुख्य नल से संयोजित किया जाये तो नगरपालिका, जहां तक धारा 22 के अधीन किये गये किसी करार से संगत हो, स्वामी, पट्टाधारी या अध्यासी से, जो भी नियम द्वारा विहित किया जाये, समस्त उपयुक्त जल के लिए इस प्रकार विहित दर या दरों पर प्रभार लेगी।

(2) प्रतिबन्ध यह है कि नगरपालिका क्षेत्र किसी मास में सम्भारित जल के लिए, लिये गये प्रभार में से भवन या भूमि पर निर्धारित जल–कल का बारहवॉ भाग घटा सकेगी।

231. **दुर्घटना आदि के कारण दायित्व से नगरपालिका को छूट**–धारा 228 द्वारा या धारा 229 के अधीन किये गये किसी करार द्वारा नगरपालका पर अधिरोपित किसी बाध्यता के होते हुए भी कोई नगरपालिका जल संम्भरण न कर सकने के कारण किसी समपहरण, शास्ति या नुकसान के लिए देनदान न होगी यदि सम्भरण न करने का कारण कोई दुर्घटना या अप्रायिक अनावृष्टि या अन्य अपरिहार्य कारण रहा हो।

232. **अन्य प्रयोजनों के लिए सम्भरण की अपेक्षा घरेलू प्रयोजनों के लिए सम्भरण की वरीयता**–धारा 229 के अधीन किसी करार द्वारा जल सम्भरण के लिए अधिरोपित किसी बाध्यता के होते हुए भी नगरपालिका किसी भी समय घरेलू प्रयोजनों के लिए जल सम्भरण को समाप्त कर सकेगी यदि उसकी राय हो किस ऐसे सम्भरण से घरेलू प्रयोजनों के लिए लिये किसी सम्पहरण, शास्ति या नुकसान के लिए तब तक देनदान न होगी–

(क) जब तक ऐसे जल सम्भरण में असफलता धारा 231 में विनिर्दिष्ट कारण से भिन्न किसी अन्य कारण से न हुई हो; और

(ख) जब तक कि नगरपालिका ने धारा 229 के अधीनकिये गये किसी करार द्वारा, जिसमें ऐसा जल सम्भरण न करने पर समपहरण शास्ति या नुकसान के लिए स्पष्ट उपबन्ध न हो, घरेलू प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजन के लिए जल सम्भरण का भार अपने ऊपर न लिया हो।

233. **सम्भरण के अधिकार का निर्बन्धनात्मक नियमों के अधीन होना**–धारा 228 या धारा 229 के अधीन किसी करार में दी गई किसी बात के होते हुए भी किसी भवन याभूमि को जल–सम्भरण धारा 235 के अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबन्धों और विशिष्टतः सम्भरण को सीमित करने या रोकने और उसकी बरबादी तथा दुरूपयोग को निवारण के सम्बन्ध में किसी उपबन्ध के अधीन किया गया और स्वीकृत किया गया समझा जायेगा।

234. **मीटर और सयोजक नल सम्बन्धी उपबन्ध**–किसी भवन या भूमि में जल सम्भरण से सम्बन्धित सभी मोटरों, योजक, नल और अन्य आनुषंगिक संकर्म की सम्पूर्ति, मरम्मत या विस्तारण परिवर्तन जैसी आवश्यकता हो, नियमों में किये गये अन्यथा उपबन्ध के सिवाय सम्भरण की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति के व्यय पर किया जायेग, किन्तु नगरपालिका के नियन्त्रण के अधीन किया जायेगा।

235. **जल–सम्भरण नियमावली**–(1) नगरपालिका और सार्वजनिक जल कल से जल–सम्भरण से सम्बद्ध निम्नलिखित विशय नियमावली द्वारा विनियमित और नियन्त्रित किये जायेंगे–अर्थात्

(क) नगरपालिका कोई विषय जिसके सम्बन्ध में यह घोषित किया जाये कि नियम द्वारा उसकी व्यवस्था की जायेगी;

(ख) नगरपालिका द्वारा जल सम्भरण के लिए बिछाये जाने वाले मुख्य नल और निर्मित किये जाने वाले जल–कल का आकार और प्रकार;

(ग) नगरपालिका के जल–कल और तत्सम्बन्ध्णी नल और अन्वायुक्तियों का निर्माण; नियन्त्रण और अनुरक्षण;

(घ) नगरपालिका द्वारा लगाये जाने वाले खड़े नल और पम्प का आकार और प्रकार;

(ङ) मुख्य नल या नल जिसमें फायर प्लग लगाये जाने हों, और ऐसे स्थान जहां पर फायर प्लग की कुॅजियां जमा की जायेगी;

(च) नगरपालिका द्वारा सम्भरति जल का किसी अर्ह विश्लेषक द्वारा कालिक विश्लेषण;

(छ) जल–सम्भरण के स्त्रोत और साधान और जल–वितरण के साधित्र का, चाहे वे नगरपालिका की सीमा के भीतर हो या बाहर, संरक्षण और क्षति और दूषण से निवारण;

(ज) ऐसी रीति, जिससे जल–कल से संयोजन का निर्माण या अनुरक्षण किया जा सके और वह अभिकरण जिसे ऐसे निर्माण या अनुरक्षण के लिए नियोजित किया जायेगा या किया जा सकेगा,

(झ) जल के सम्भरण और उपयोग तथा उसे खोलने और बन्द करने तथा उसके अपवचन का निवारण के सम्बन्ध में सभी विषयों और वादों का विनियमन;

(ञ) जल–कर और जल–सम्भरण के सम्बन्ध में प्रभार का संग्रह और उसके अपवंचन का निवारण; और

(ट) जल–सम्भरण सम्बन्ध कोई अन्य विषय जिसके लिए इस अधिनियम में कोई उपबन्ध न हो या अपर्याप्त उपबन्ध हो और राज्य सरकार की राय में अग्रेत्तर उपबन्ध आवश्यक हो।

(2) प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन कोई ऐसा नियम जिसका प्रभाव किसी छावनी के भाग पर पड़ता हो, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं बनाया जायेगा।

235–क. **किसी व्यक्ति या कम्पनी द्वारा जल सम्भरण सम्बन्धी निबन्ध नियम**–इस अधिनियम की धारा 224 के खण्ड (ग) के अधीन लाइसेन्स स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्नलिखित विषय, धारा 300 में विहित शर्तो के अधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली द्वारा विनियमित और नियन्त्रित होंगे–

(1) लाइसेन्सधारी का चयन,

(2) लाइसेन्स के लिए आवेदन का आकार पत्र,

(3) लाइसेन्स का आकार पत्र,

(4) लाइसेन्सधारी द्वारा विहित आकार पत्र में विवरणों और लेखें तैयार और प्रस्तुत करना;

(5) लाइसेन्सधारी के कर्तव्य,

(6) लाइसेन्धारी द्वारा उपभोक्ताओं को नियमित रूप से और स्वास्थ्यप्रद जल का सम्भरण सुनिश्चित करना;

(7) यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम और जल–कलन सम्बन्धी नियमावली के उपबन्धों का कार्यान्वयन उचित रूप से किया जा रहा है; और

(8) कोई अन्य विषय जो लाइसेन्स के उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक हो।

सार्वजनिक संकर्म में हस्तक्षेप करने वाली संरचना को हटाने की शक्ति

236. **किसी नाली या जल–कल के ऊपर अनाधिकृत करना या पेड़ लगाना**–(1) जहां 10 मार्च, 1900 को या उसके पश्चात्, नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना नगरपालिका में निहित, किसी सार्वजनिक नाली या पुलिया या किसी जल–कल के ऊपर कोई मार्ग बनाया गया हो या कोई भवन, दीवार या संरचना निर्मित की गयी हो, या कोई पेड़ लगाया गया हो, तो नगरपालिका–

(क) उस व्यक्ति से, जिसने मार्ग बनाया हो, संरचना का निर्माण किया हो या पेड़ लगाया हो, या भूमि, जिस पर मार्ग बनाया गया हो, संरचना का निर्माण किया गया हो या पेड़ लगाया गया हो, के स्वामी या अध्यासी से नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उक्त मार्ग, संरचना या पेड़ को हटा लें या अन्य प्रकार से ऐसी कार्यवाही करे, जिसे नगरपालिका ठीक समझे, या

(ख) उक्त मार्ग, संरचना या पेड़ को स्वयं हटा सकेगी, या उसके सम्बन्ध में अन्य प्रकार से कोई ऐसे कार्यवाही कर सकेगी, जिसे वह ठीक समझे।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) की गई किसी कार्यवाही पर नगरपालिका द्वारा उपगत व्यय अध्याय 6 में विहित रीति से उस व्यक्ति से जिसने मार्ग बनाया हो, संरचना का निर्माण किया हो या पेड़ लगाया हो, वसूल किया जा सकेगा।

अध्याय 8
अन्य शक्तियां और शास्ति
बाजार, वधशाला, भोजन की बिक्री आदि

237. **बिक्री के लिए पशुओं के वध का स्थान**–(1) नगरपालिका जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन से बिक्री के लिए पशुओं या किसी विनिर्दिष्ट प्रकार के वध के लिए या तो नगर नगरपालिका की सीमा के भीतर या बाहर कोई परिसर निश्चित कर सकेगी और इसी प्रकार के अनुमोदन से ऐसे परिसर का उपयोग करने के लिए लाइसेन्स स्वीकृत कर सकेगी और उसे वापस ले सकेगी।

(2) जब नगरपालिका द्वारा नगरपालिका की सीमा के बाहर ऐसे परिसर निश्चित किये जाएँ तो नगरपालिका को उनका निरीक्षण करने और उनके उचित विनियमन के लिए उपविधियां बनाने की वही शक्ति होगी, मानों उक्त परिसर नगरपालिका की सीमा के भीतर स्थित हो।

(3) जब ऐसा परिसर निश्चित कर दिया जाय तो कोई भी व्यक्ति नगरपालिका के भीतर किसी अन्य स्थान पर बिक्री के लिए किसी ऐसे पशु का वध नहीं करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका के भीतर किसी अन्य स्थान पर बिक्री के लिए किसी ऐसे पशु का वध करता है तो दोष सिद्ध होने पर वह ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो इस प्रकार वध किये गये प्रत्येक पशु के लिए बीस रूपये तक हो सकेगा।

238. **ऐसे पशुओं के लिए वध स्थान जो बिक्री के लिए आशयित न हो या जिनका धार्मिक प्रयोजन के लिए वध किया जाये**– नगरपालिका सार्वजनिक नोटिस द्वारा और जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृत से, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर ऐसे परिसर निश्चित कर सकेगी जिनमें किसी विशेष प्रकार के पशुओं के वध की जो बिक्री के लिए न हो अनुज्ञा दी जायेगी और नगरपालिका के भीतर अन्यत्र, सिवाय ऐसे मामलों के जो आवश्यक हो, ऐसा वध करना निषिद्ध कर सकेगी;

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के उपबन्ध धार्मिक प्रयोजनों के लिए वध किये जाने वाले पशुओं पर लागू न होंगे।

239. **ऐसे पशुओं के सम्बन्ध में जिनका वध विक्री के लिए न किया जाये, जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति**–जब कभी जिला मजिस्ट्रेट को लोक शांति या व्यवस्था के परिरक्षण के लिए यह आवश्यक प्रतीत हो, तो वह विहित प्राधिकारी के नियन्त्रण अधीन रहते हुए, सार्वजनिक नोटिस द्वारा नगरपालिका की सीमा के भीतर बिक्री से भिन्न प्रयोजन के लिए पशु या किसी विनिर्दिष्ट प्रकार के पशुओं का वध करना निशिद्ध विनियमित कर सकेगा और ऐसा ढंग और रास्ता जिस प्रकार और जिसके द्वारा ऐसे पशुओं को वध स्थान तक लाया जायेगा और वहां से मांस ले जाया जायेगा, विहित कर सकेगा।

240. **आयात को विनियमित करने की किसी उपविधि का उल्लंघन करके आयतित गोश्त का व्ययन**–यदि धारा 298 के शीर्षक 'च' के उप शीर्षक (ङ) के अधीन बनाई गई किसी उपविधि के उल्लंघन में नगरपालिका की सीमा के भीतर किसी ढोर, भेड़, बकरे या सुअर का गोश्त लाया जाये, तो नगरपालिका के उस निर्मित प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा उसका अभिग्रहण किया जायेगा और उसे नष्ट या अन्यथा निस्तारित किया जा सकेगा, जैसा कि नगरपालिका सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दें।

241. **कतिपय वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजारों और दुकानों को लाइसेन्स देना**–(1) नगरपालिका की सीमा के भीतर, मानव भोजन के लिए अशायित, पशु–मांस या मछली की बिक्री के लिए बाजार या दुकान के रूप में या फल और शाक–सब्जी की बिक्री के लिए बाजार

के रूप में नगरपालिका क्षेत्र बाजार से भिन्न किसी स्थान का उपयोग करने का किसी व्यक्ति का अधिकार धारा 298 के शीर्षक 'च' के अधी न बनाई गयी उपविधि (यदि कोई हों) के अधीन होगा।

(2) प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई ऐसी उपविधि प्रवृत्त हो जिसके अनुसार उपधारा (1) में वर्णित किसी वस्तु की बिक्री के लिए किसी बाजार या दुकान स्थापित करने या उसके अनुरक्षण के लिए कोई लाइसेन्स अपेक्षित हो, वहां नगरपालिका–

(क) ऐसी उपविधि के प्रवर्तन के दिनांक को विधिपूर्वक स्थापित किसी बाजार या दुकान के अनुरक्षण के लिए लाइसेन्स देने से इन्कार नहीं करेगी, यदि आवेदन–पत्र ऐसे दिनांक से छः मास के भीतर दिया जाये, सिवास इस आधार पर कि उस स्थान से, जहां बाजार या दुकान स्थापित है, अधिनियम के द्वारा या अधीन विहित किन्ही शर्तो का अनुपालन नहीं होता है, या

(ख) ऐसी उपविधि के अधीन स्वीकृत किये गये किसी लाइसेन्स को, लाइसेन्सी द्वारा लाइसेन्स की शर्तो या इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी उपबन्ध का अनुपालन न करने से भिन्न किसी अन्य कारण से रद्द, निलम्बित या उसका नवीकरण करने से इन्कार नहीं करेगी।

242. **दुग्धशाला के प्रयोजन के लिए रखे गये भोजन के लिए उपयोग में आने वाले पशुओं को अनुचित चारा देना**–जो कोई किसी ऐसे पशु को, जो दुग्धशाला के प्रयोजन के लिए रखा गया हो या जिसका भोजन के लिए उपयोग किया जा सकता हो, मलिन या हानिकारक पदार्थ का चारा खिलाता है या खिलाने देता है वह दोषसिद्ध होने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचास रूपये तक हो सकेगा।

243. **भोजन, पेय और औषधि के बिक्री के स्थान का निरीक्षण**–नगरपालिका का अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी और यदि इस निमित्त संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया जाये तो नगरपालिका का कोई सदस्य, अधिकारी या सेवक रात या दिन में किसी भी समय बिना नोटिस के किसी बाजार, दुकान स्टाल या ऐसे स्थान में, जिसका उपयेाग मानव भोजन या पेय पदार्थ की बिक्री के लिए या वधशाला के रूप में या औषधि की बिक्री के लिए किया जाता हो, प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा ओर वहां किसी भी भोजन या पेय पदार्थ या किसी भी पशु या औषधि का निरीक्षण और परीक्षण कर सकेगा।

244. **अस्वास्थ्यकर वस्तुओं का अभिग्रहण और हानिकरण और अप्रयुक्त औशध्यिों का हटाया जाना**–(1) यदि पूर्ववर्ती धारा के अधीन किसी स्थान का निरीक्षण करते समय कोई भोजन की वस्तु या पेय पदार्थ का कोई पशु जो मानव उपयोग के लिए आशयित और उसके लिए अनुपयुक्त प्रतीत हो, तो नगरपालिका उसका अभिग्रहण कर सकेगा और उसे हटा सकेगा और उसे नष्ट करा सकेगा या उसका निस्तारण इस प्रकार करा करा सकेगा कि वह बिक्री के लिए अभिदर्शित न किया जा सके या ऐसे उपभोग के लिए उपयोग में न लाया जा सके।

(2) यदि युक्तियुक्त रूप से यह संदेह हो कि किसी औशधि में अनुचित मिलावट की गई है या पुरानी हो जाने या जलवायु के प्रभाव से अक्रिय या अस्वास्थ्यकर हो गई है या अन्यथा ऐसी रीति से उसका हास हो गया है जिससे कि उसकी प्रभावकारिता कम हो गई हो या उसकी प्रवृत्ति बदल गई हो या वह हानिकारक हो गई हो, तो नगरपालिका उसके लिए रसीद देकर उसे हटा सकेगी और किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत कर सकेगी।

(3) यदि किसी मजिस्ट्रेट को जिसके समक्ष उपधारा (2) के अधीन कोई औशधि प्रस्तुत की गई हो, यह प्रतीत हो कि औशधि में अनुचित मिलावट की गई है या उपर्युक्त रूप से अक्रिय, अस्वास्थ्यकार या हानिकर हो गयी है तो वह आदेश दे सकेगा कि उसे नष्ट कर दिया जाय या उसका निस्तारण इस प्रकार किया जाय जो वह ठीक समझे, और यदि यह प्रतीत हो कि कोई अपराध किया गया है, तो वह उसका संज्ञान करने की कार्यवाही करेगा।

कतिपय व्यापार और वृत्ति सम्बन्धी अपदूषण

245. **आपत्तिजनक व्यापार का विनियम**–(1) यदि नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में यह दिखाया जाय कि नगरपालिका की सीमा के भीतर किसी ऐसे भवन या स्थान का, जिसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु के विनिर्माण, भंडार, अभिक्रिया या निस्तारण के लिए किसी कारखाने या अन्य कारबार के स्थान के रूप में उपयेाग करता है या उपयोग करना चाहता है, इस प्रकार उपयोग करने के कारण या ऐसे आशयित उपयोग के कारण कोई लोक अप्रदूषण होता है या होने की सम्भावना है, तो नगरपालिका अपने विकल्प पर उक्त भवन या स्थान के स्वामी या अध्यासी से, नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि–

(क) वह उक्त भवन या स्थान का ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग करने या उपयोग करने देने से यथास्थिति, प्रतिविरत या विरत रहे, या

(ख) उक्त भवन या स्थान का ऐसे प्रयोजन के लिए केवल ऐसा शर्तो के अधीन या ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन के पश्चात् जिन्हें नगरपालिका उस नोटिस में ऐसे भवन या स्थान का बिना किसी आपत्ति के ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से अधिरोपित या विहित कतरे उपयोग करेगा या उपभोग करने देगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दी गई नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उक्त नोटिस का उल्लंघन करके किसी भवन या स्थान का उपयोग करता है या करने देता है वह दोषसिद्ध ठहराये जाने पर जुर्माने से, जो दो सौ रूपये तक हो सकेगा, और अग्रतर जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जब तक उक्त स्थान या भवन का इस प्रकार उपयोग करे या करने दे, चालीस रूपये तक हो सकेगा।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस धारा या 298 के शीर्षक 'छ' के अधीन बनाई गई किसी उपविधि के उपबन्धों को किसी भी ऐसे क्षेत्र में लागू कर सकेगी जो नगरपालिका के बाहर नगरपालिका सीमा से एक मील की दूरी के भीतर हो।

246. **अनैतिक प्रयोजन से आवारा घूना और प्रलोभन देना**–जो कोई व्यक्ति, नगरपालिका की सीमा के भीतर की किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति कते प्रयोजन से आवारागर्दी करता है या किसी व्यक्ति से व्यभिचार करने के लिए दुराग्रह करता है, दोषसिद्ध ठहराये जाने पर ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचास रूपये तक हो सकेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई न्यायालय, सिवाय किसी दुराग्रहीत व्यक्ति की शिकायत के, या इस निमित्त नगरपालिका और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत क्रमशः किसी नगरपालिका अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी की शिकायत के, जो सब इन्सपेक्टर के पद से नीचे का न हो, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान न करेगा।

247. **वेश्वागृह आदि**–(1) जब प्रथम वर्ग के किसी मजिस्ट्रेट को यह सूचना प्राप्त हो कि–

(क) किसी पूजा के स्थान या किसी शैक्षिक संस्था या छात्रों के उपयोग में या उनके द्वारा अध्यासित किसी छात्रावास या, भोजनालय के पास में किसी गृह का उपयोग, वेश्यागृह के रूप में या नियमित रूप में वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए या किसी प्रकार के विच्छूंखल व्यक्तियों द्वारा किया जाता है; या

(ख) किसी गृह का उपर्युक्त रूप में उपयोग सामीप्य के प्रतिष्ठित निवासियों के लिए क्षोभ का कारण है; या

(ग) छावनी के ठीक पड़ोस में स्थित किसी गृह का उपयोग वेश्यागृह के रूप में या नियमित रूप से वेश्यावृत्ति के लिए किया जाता है;

तो उक्त गृह के स्वामी, किरायेदार, प्रबन्धक या अध्यासी को या तो स्वयं या अभिकर्ता द्वारा अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुला सकेगा यदि उसका समाधान हो जाये कि उक्त गृह का उपयोग खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में वर्णित रूप से किया जाता है तो वह ऐसे स्वामी, किरायेदार, प्रबन्धक या अध्यासी को निदेश दे सकेगा कि ऐसे आदेश में उल्लिखित अवधि के भीतर, जो उसके दिनांक से पांच दिन से कम न हो, ऐसा उपयोग करना बन्द करे दे–

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही केवल–

(i) जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से या उसके आदेश द्वारा; या

(ii) ऐसे गृह के जिसके सम्बन्ध में शिकायत की गई हो, निकट सामीप्य से रहने वाले तीन या अधिक व्यक्तियों की शिकायत पर; या

(iii) नगरपालिका की शिकायत पर; की जायेगी।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (1) के अधीन आदेश दिया गया हो, उसमें उल्लिखित अवधि के भीतर ऐसे आदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है तो मजिस्ट्रेट उस पर ऐसा जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा जो उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् जिसके दौरान उक्त गृह का इस प्रकार उपयोग किया जाये, प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रूपये तक हो सकेगा।

248. **भिक्षावृत्ति आदि**–जो कोई व्यक्ति नगरपालिका के भीतर किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान में, दुराग्रहपूर्वक भिक्षा मांगता है या दान भावना जागृत करने के उद्देश्य से किसी विकलांगता या रोग या किसी संतापकारी कण या घाव को खुला रखता है या प्रदर्शित करता है वह दोषसिद्ध ठहराये जाने पर कारावास से जो एक माह तकत हो सकेगा या जुर्माने से जो पचास रूपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

सार्वजनिक सुरक्षा

249. **पागत कुत्तों आदि का निस्तारण**–नगरपालिका किसी ऐसे कुत्ते या अन्य पशु को, जो जलतिक (रेबीज) से पीड़ित हो या जिसके युक्तियुक्त रूप से पीड़ित होने का सन्देह हो या जिसे उपर्युक्त रूप में पीड़ित या संदिग्ध किसी कुत्ते या अन्य पशु ने काटा हो, नष्ट कराने या उसे ऐसी अवधि के लिए जिसके लिए नगरपालिका निदेश दे, परिरूद्धकराने के लिए किसी व्यक्ति की प्राधिकृत कर सकेगी।

250. **मुख पट्ट बांधने का आदेश**–(1) जब किसी नगरपालिका में नगरपालिका की राय में जलतिक फैलने पर ऐसा करना आवश्यक हो तो नगरपालिका सार्वजनिक नोथ्टस द्वारा नगरपालिका में या नगरपालिका के किसी भाग में ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे या जब तक कि उक्त नोटिस रद्द न कर दी जाये सभी कुत्तों के मुख पट्ट बांधने की अपेक्षा कर सकेगी।

(2) नगरपालिका ऐसी अवधि के दौरान किसी ऐसे कुत्ते के सम्बन्ध में, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक के पश्चात् मुखपट्ट बांधे बिना घूमता हुआ पाया जाये, धारा 249 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकेगी;

251. **विधिपूर्वक नष्ट किये गये कुत्ते के लिए प्रतिकर का वर्णन**–धारा 249 या 250 या धारा 298 के शीर्षक 'ज' के उपशीर्षक (ज) या (ठ) के अधीन बनाई गई किसी उपविधि के अधीन नष्ट किये गये या अन्यथा निस्तारित किये गये किसी कुत्ते या अन्य पशुओं के सम्बन्ध में कोई क्षतिपूर्ति देय न होगी।

252. **मार्ग के नियम की उपेक्षा करना**—जो कोई व्यक्ति, सिवाय वास्तविक आवश्यकता की स्थिति के, किसी सड़क पर गाड़ी चलाने, आगे ले जाने या ढकेलने में—

(क) बायीं ओर रहने में विफल रहता है; और

(ख) ज बवह उसी दिशा में, जिसमें वह जा रहा हो, जाने वाली गाड़ी के आगे निकलने में उस गाड़ी के दाहिनी ओर रहने में विफल रहता है, तो दोषसिद्ध ठहराये जाने पर ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो दस रूपये तक हो सकेगा।

अपवाद—यह धारा ऐसी नगरपालिका की स्थिति में लागू न होगी जो पूर्णतः या अंशतः किसी पर्वतीय प्रदेश में स्थित हो।

253. **उचित प्रकाश के बिना गाड़ी चलाना**—जो कोई व्यक्ति रात्रि और प्रातःकाल के मध्य किसी सड़क पर कोई गाड़ी चलाता है, आगे ले जाता है या ढकेलता है, यदि गाड़ी में प्रकाश की उचित व्यवस्था न हो, दोषसिद्ध होने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा जो बीस रूपये तक हो सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि नगरपालिका विशेष संकल्प द्वारा, जिसकी पुष्टि विहित प्राधिकारी द्वारा की गयी हो, निर्देश दे सकेगी कि वह धारा उन गाड़ियों पर लागू न होगी जो पैदल चलने की गति से अधिक न चलायी जा रही हो।

254. **हाथी आदि को सुरक्षित दूरी पर हटाने में विफल होना**—किसी हाथी, ऊँट या भालू का प्रभारी कोई व्यक्ति यदि किसी घोड़े के निकट आने पर जिस पर कोई सवार हो या वह जूता हो या ले जाया जा रहा हो, हाथी, ऊँट, या भालू को, यथासाध्य, किसी सुरक्षित दूरी पर हटाने के लिए अनुरोध किये जाने पर ऐसा करने में चूक करता है, तो वह दोषसिद्ध होने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा जो बीस रूपये तक हो सकेगा।

255. **मवेशी आदि पर सड़क पर बांधने का निषेध**—(1) कोई ऐसा स्वामी या रखवाला जिसके मवेशी या अन्य पशु किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर बंधे हुए हो, या बिना रखवाले के इधर—उधर भटकते पाये जाये, दोषसिद्ध ठहराये जाने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो दौ सौ पचास रूपये तक हो सकेगा।

(2) उपर्युक्त रूप से बंधे हुए किसी पशु को किसी नगरपालिका अधिकारी या सेवक द्वारा या किसी निम्न अधिकारी द्वारा किसी कांजी हाउस में हटाया जा सकेगा मानो उक्त पशु भटकता हुआ पाया गया हो।

256. **सार्वजनिक स्थलों पर गाड़ियों या पशुओं का पड़ाव**—जहां नगरपालिका में निहित किसी भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान या नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी गाड़ी या पशु का पड़ाव स्थल या घेरा डालने के स्थान के रूप में उपयोग किया जाय, वहां यथास्थिति, गाड़ी या पशु को स्वामी या रखवाला या डेरा डालने वाला व्यक्ति दोषसिद्ध ठहराये जाने पर जुर्माने से जो एक सौ रूपये तक हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में अग्रेत्तर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दोषसिद्ध के दिनांक के पश्चात्, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी का बारम्बार अपराध किया जाना सिद्ध हो, दस रूपये तक हो सकेगा।

257. **ज्वलनशील संरचना के सम्बन्ध में शक्ति**—नगरपालिका सार्वजनिक नोटिस द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा निश्चित की गयी कतिपय सीमाओं के भीतर नगरपालिका की लिखित सहमति के बिना, झोपड़ियों या अन्य भवनों की शर्तो और बाहरी दीवालें, घास, चटाई, पत्तियों या अन्य अतिज्वलनशील सामग्री से बनाई या नवीकृत नहीं की जाएगी।

(2) नगरपालिका किसी भी समय, लिखित नोटिस द्वारा ऐसे भवन के, किसी बाहरी छत या दीवाल, यथापूर्वोक्त, सामग्री की बनाई गई हो, स्वामी से अपेखा कर सकेगी कि वह ऐसी छत या दीवाल को ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जायेग, हटा दे भले ही उपधारा (1) के अधीन कोई सार्वजनिक नोटिस जारी न किया गया हो या ऐसी छत या दीवाल नगरपालिका की सहमति से अथवा ऐसे सार्वजनिक नोटिस के, यदि कोई हो जारी होने के पहले बनाई गई हो;

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी छत या दीवाल की दशा में जो ऐसी सार्वजनिक नोटिस जारी होने के पूर्व विद्यमान रही हो या नगरपालिका की सहमति से बनाई गयी हो, नगरपालिका उसे हटाये जाने के कारण से हुए किसी नुकान के लिए प्रतिकर देगी जो उस दत या दीवार के निर्माण के मूल व्यय से अधिक न होगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित सहमति के बिना यथापूर्वोक्त किसी छत या दीवाल का निर्माण या नवीकरण करता है या निर्माण या नवीकरण कराता है या उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी नोटिस की अवज्ञा करके उसे बनाये रखता है, दोषसिद्ध ठहराये जाने पर जुर्माने से जो पच्चीस रूपये तक हो सकेगा और ऐसे अग्रतर जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब अपराध जारी रहे, दस रूपये तक हो सकेगी।

258. **प्राधिकृत मात्रा से अधिक ज्वलनशील सामग्री की तलाशी लेने की शक्ति**–(1) नगरपालिका बिना नोटिस के और दिन या रात में, किसी भी समय ऐसे गृह या भवन में प्रवेश कर सकेगी और उसका निरीक्षण कर सकेगी जिसमें उसे यह सन्देह हो कि धारा 245 या किसी उपविधि के उपबन्ध के अधीन ऐसे गृह या भवन में रखे जाने के लिए अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा में पेट्रोलियम या अन्य ज्वलनशील सामग्री है।

(2) यदि ऐसी सामग्री ऐसी अधिक मात्रा में पाई जाये, तो उसके सम्बन्ध में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये आदेश के अधीन रहते हुए उसे अभिगृहीत किया जा सकेगा, और रखा जा सकेगा।

(3) यदि मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करे कि अभिगृहीत सामग्री का धारा 245 के अधीन दिये गये किसी निदेश या किसी उपविधि के उपबन्ध के प्रतिकूल, उक्त गृह या भवन में संग्रह किया गया है तो वह उसके अधिग्रहण का आदेश दे सकेगा।

(4) इस अधिनियम के या किसी अन्य अधिनियमित के अधीन बनाये गये किसी उपबन्ध के अधीन रहते हुए इस प्रकार अधिहरण की गयी सामग्री को, मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा बेचा जा सकेगा और आगम को ऐसे विक्रय के व्यय को चुकता करने के बाद नगरपालिका निधि में जमा कर दिया जायेगा।

(5) इस धारा के अधीन अधिहरण का कोई आदेश किसी ऐसे अन्य दाण्डिक या सिविल कार्यवाही को, जो अत्याधिक मात्रा में सामग्री का संग्रह करने के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध की जा सकती हो, प्रवर्तित होने से निवारित नहीं करेगा।

259. **ज्वलनशील सामग्री का ढेर लगाना आदि**–नगरपालिका जहां जीवन या सम्पत्ति के लिए संकट के निवारणार्थ आवश्यक प्रतीत हो, सार्वजनिक नोटिस द्वारा सभी व्यक्तियों को नोटिस में विनिर्दिष्ट सथान पर या सीमा के भीतर लकड़ी, सूखी घास, भूसा या अन्य ज्वलनशील सामग्री का ऐर लगाने को जमा करने या जहां पर चटाइयां बिछाने या छप्पर उालने या आग जलाने से प्रतिषेध कर सकेगी।

260. **संकटपूर्ण खदान कार्य**–(1) यदि नगरपालिका की राय में किसी स्थान पर खदान या भूमि से पत्थर, मिट्टी या अन्य सामग्री का हटाया जाना उसके पड़ोस में निवास करने वाले या उसके परिदर्शन के हकदार व्यक्तियों के लिए संकटपूर्ण है या उससे लोक अपदूषण होने या उसके हो जाने की सम्भावना है, तो नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा, उक्त खदान या स्थान के स्वामी को या ऐसे खदान कार्य करने या सामग्री हटाने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को ऐसे खदान कार्य को जारी रखने या उसकी अनुज्ञा देने या ऐसी सामग्री को हटाने

का प्रतिषेध कर सकेगी या ऐसे खदान या स्थान के सम्बन्ध में ऐसा आदेश प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकेगी जैसा कि नगरपालिका ऐसे संकट के निवारण के या ऐसे अपदूषण के उपशमन के प्रयोजनार्थ, जो उससे उत्पन्न हो या जिसके उत्पन्न होने की सम्भावना हो, निदेश देगी।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी मामलें में किसी आसन्न खतरे के निवारणार्थ नगरपालिका को आवश्यक प्रतीत हो तो वह यात्रियों की सुरक्षा के लिए खदान या स्थान के निकट समुचित विज्ञापन पट्ट या बाड़ा लगवायेगा और ऐसी कार्यवाही करने पर नगरपालिका द्वारा उपगत व्यय का भुगतान उपर्युक्त स्वामी या अन्य व्यक्ति द्वारा किया जायेगा और उसे अध्याय 6 में उपबन्धित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

261. **खडंजा आदि को हटाना**–(1) जो कोई व्यक्ति नगरपालिका या किसी अन्य विधिपूर्ण प्राधिकारी की लिखित सहमति के बिना, सार्वजनिक सड़क का कोई खड़ंजा, नाबदान, बिछाये गए चौकोर पत्थर या अन्य सामग्री को, या उसकी बाड़, दीवाल, या खम्भो को, या किसी नगरपालिका की बत्ती, बत्ती के खम्भे ब्रेकेट, निर्देश खम्भा, स्टेन्ड पोस्ट बम्बा या नगरपालिका की ऐसी अन्य सम्पत्ति को हटाता है, उठाता है या उसमें परिवर्तन करता है, या अन्यथा हस्तक्षेप करता है, और जो कोई व्यक्ति नगरपालिका के किसी प्रकार को बुझाता है, वह दोषसिद्ध होने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा।

(2) उपधारा (1) में वर्णित कोई भी ऐसा कार्य करने के कारण किया गया व्यय अपराधी से अध्याय 6 में उपबन्धित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

262. **आग्नेयायुथ आदि चलाना**–जो कोई व्यक्ति ऐसी रीति से आग्नेयायुध चलाता है, या आतिशबाजी के गुब्बारे छोड़ता है या किसी ऐसे खेल में ल गा रहता है, जिससे कि वहां से गुजरने वाले या पड़ोस में रहने वाले या काम करने वाले व्यक्तियों के लिए संकट, या किसी सम्पत्ति के क्षतिग्रस्त होने की जोखिम उत्पन्न हो या होने की सम्भावना हो, तो वह दोष सिद्ध होने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा जो बीस रूपये तक हो सकेगा।

263. **खन्डहर, भवनों, आरक्षित कुओं आदि से संकट के निवारण के लिए शक्ति**–(1) नगरपालिका नोटिस द्वारा किसी भूमि या भवन के स्वामी या अध्यासी से अपेक्षा कर सकेगी है कि वह–

(क) ऐसे किसी भवन, दीवाल या किनारा अन्य संरचना, या उससे सम्बद्ध किसी भी वस्तु को, तोड़ दे या उसकी ऐसी रीति से मरम्मत कराये जैसा कि नगरपालिका आवश्यक समझे, या ऐसे किसी वृक्ष को जो उक्त स्वामी का हो या उक्त अध्यासी के कब्जे में हो हटा दे, जो नगरपालिका को खण्डर स्थिति में या व्यक्ति या सम्पत्ति के लिए संकटपूर्ण प्रतीत हो, या

(ख) उक्त स्वामी के या उक्त अध्यासी के कब्जे के किसी कुयें, तालाब, जलाशय, पोखर या खुदाई कार्य की, जो नगरपालिका का उसकी स्थिति, मरम्मत न होने या ऐसी ही अन्य परिस्थितियों के कारण संकटपूर्ण प्रतीत हो, ऐसी रीति से मरम्मत कराये, संरक्षित रखे या घेर दे, जैसा कि नगरपालिका आवश्यक समझे।

(2) जहां नगरपालिका को यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के आसन्न संकट के निवारण के प्रयोजनार्थ तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है तो नगरपालिका का यह कर्तव्य होगा कि वह तुरन्त ऐसी कार्यवाही करे और ऐसे मामलें में, धारा 287 के उपबन्धों के होते हुए भी नगरपालिका के लिए नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा, यदि नगरपालिका को यह प्रतीत हो कि नोटिस देने में होने वाला विलम्ब से इस प्रकार तुरन्त कार्यवाही करने का उद्देश्यय विफल हो जायेगा।

संक्षेप

1.	विधायी परिवर्तन (Legislative changers)	5.	नोटिस देना कब आवश्यक नहीं है
2.	धारा 263 का उद्देश्य एवं विस्तार	6.	धारा 263 और धारा 7
3.	नोटिस की प्रकृति	7.	धारा 263 और सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 108 (ङ)
4.	नोटिस देना किसकी आवश्यक है?	8.	अधिशासी अधिकारी की शषक्तियां

1. **विधायी परिवर्तन (Legislative changers)**–इस धारा में जहां कही भी कोष्ठक दिया गया है, वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा 'बोर्ड' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।

2. **धारा 263 का उद्देश्य एवं विस्तार**–यह धारा नगरपालिका की उस शक्ति के बारें में उपबन्ध करती है जिसके अन्तर्गत वह किसी खण्डर, भवन, आरक्षित कुओं आदि से संकट के निवारण हेतु कार्यवाही कर सकती है। ऐसी कार्यवाही इस धारा के अनुसार निम्नवत् प्रकार से कर सकती है।

(i) यदि उपधारा (1) के खण्ड (क) एव (ख) में विनिर्दिष्ट कोई संरचना या कार्य किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के लिए संकटपूर्ण हो गया है तो उसे हटाने या उसकी मरम्मत कराने या संरक्षित कराने का कार्य को रोक देने हेतु नोटिस द्वारा निर्देशित कर सकती है।

(ii) यदि उपर्युक्त प्रकार की किसी संरचना या कार्य से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को आसन्न संकट इस प्रकार है कि उसके निवारण हेतु तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है, तो बिना नोटिस के नगरपालिका स्वयं उपर्युक्त में से कोई कार्यवाही कर सकती है।

3. **नोटिस की प्रकृति**–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 263 के अन्तर्गत विहित नोटिस कारण बताओं (show cause) नोटिस की प्रकृति की है। इसके द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को उसमे विनिर्दिष्ट कार्यो को बोर्ड द्वारा किये जाने की चेतावनी दी जाती है, यदि नोटिस के निर्देशानुसार उस व्यक्ति द्वारा उन कार्यो का निष्पादन किया जाता है।

4. **नोटिस देना किसकी आवश्यक है?**–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 263 की उपधारा (1) के अन्तर्गत संकटपूर्ण संरचना या कार्य के स्वामी या अध्यासी को नोटिस दिये जाने के बारें में उपबन्ध किया गया है। इस सम्बन्ध में यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या ऐसी नोटिस स्वामी और अध्यासी दोनों को तामील की जानी आवश्यक है या दोनों में से किसी एक को। इस प्रश्न पर विचार करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने संप्रेक्षित किया कि इस धारा में 'स्वामी' शब्द और 'अध्यासी' शब्दों दोनों के बीच में 'या' शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि संयोजक नहीं, अपितु वियोजक है। अतः इस धारा के अन्तर्गत नोटिस स्वामी या अध्यासी दोनों को नहीं अपितु दोनों में से किसी एक को आवश्यक है।

5. **नोटिस देना कब आवश्यक नहीं है**–जहां किसी भवन का स्वामी स्वयं नगरपालिका बोर्ड हो, और किरायेदार अध्यासन में न हो, वहां भवन को गिराने हेतु किसी व्यक्ति को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।
धारा 263 की उपधारा (2) के अनुसार निम्नलिखित परिस्थिति में उपधारा (1) में विहित नोटिस देना आवश्यक नहीं है–

(i) यदि किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के आसन्न संकट के निवारण के लिए तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हो, और

(ii) यदि नगरपालिका की राय में नोटिस देने में विलम्ब से तत्काल कार्यवाही करने का उद्देश्य विफल हो जायेगा।

6. धारा 263 और धारा 7—किसी संकटपूर्ण भवन के निवारणार्थ उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 263 में विहित उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करने में असफलता इस अधिनियम की धारा 7 द्वारा नगरपालिका बोर्ड पर अधिरोपित कर्तव्यों की उपेक्षा मानी जायेगी और उसके कारण कारित क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु वह उत्तरदायी होगा।

7. धारा 263 और सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 108 (ङ)—इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने रहीम बक्श के ममालें में संप्रेक्षित किया कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 263 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नोटिस के अनुपालन में स्वामी द्वारा किसी भवन का गिराया जाना सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 108 के खण्ड (ङ) के अर्थो में बाध्यकारी शक्ति द्वारा परिसर का गिराया जाना नहीं कहा जा सकता है। अतः जब भी भवन पुनर्निर्मित होगा पट्टाकर्ता और पट्टाधारक के अधिकार प्राप्त होंगे।

किन्तु श्रीमती श्याम कुमारी के मामलें में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने उपर्युक्त निर्णय को उलटते हुए अभिधारित किया कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 263 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नोटिस के अनुपालन में भवन का गिराया जाना सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 108 (ङ) के अर्थो में बाध्यकारी शक्ति द्वारा परिसर का गिराया जाना कहा जायेगा और भवन के पुनर्निर्मित होने की दशा में पट्टाकर्ता के अधिकार उपलब्ध नहीं होंगें।

8. अधिशासी अधिकारी की शक्तियां—इस धारा के अन्तर्गत नोटिस जारी करने की शक्ति अधिशासी अधिकारी की अनुसूची II के द्वारा प्रदान की गयी है। अतः उसके द्वारा जारी नोटिस पूर्णतः विधिमान्य है।

264. **अनध्यासित भवनों या भूमि को अपदूषण बनने से निवारित करने की शक्ति**— नगरपालिका नोटिस द्वारा किसी ऐसे भवन या भूमि के, जो परित्याग करने या विवादग्रस्त स्वामित्व या अन्य कारणवश अनध्यासित है और बेकार उच्छूखल व्यक्तियों का अभिगम स्थान बन गयी है या अन्यथा लोक अपदूषण हो गई है या होने की सम्भावना है, स्वामी से अपेक्षा कर सकेगी कि वह उसे नोटिस में निश्चित किए गए युक्तियुक्त समय के भीतर उसे सुरक्षित कर दे और घेर दें।

265. **सड़कों पर बाधा**—(1) जो कोई व्यक्ति नगरपालिका को लिखित अनुज्ञा के बिना—

(क) किसी गाड़ी को, जिसमें कोई पशु जुता हो, या न हो, किसी सड़क पर माल चढ़ाने या उतरने के लिए या सवारियां लेने या उतारने के लिए आवश्यकता से अधिक समय तक रोकता है या खड़ा रखता है या उसकी अनुमति देता है, जिससे सड़क पर बाधा पहुंचती है; या

(ख) किसी गाड़ी या पश को ऐसे छोड़ देता है या इस प्रकार बांधता है, जिससे कि सड़क पर बाधा पहुंचती है; या

(ग) किसी वस्तु को, चाहे किसी स्टाल या बूथ पर या किसी अन्य रीति से बिक्री के लिए इस प्रकार प्रदर्शित करता है, जिससे सड़क पर बाधा पहुंचती है, या

(घ) किसी सड़क पर कोई भवन—निर्माण सामग्री, सन्दूक, गॉठ, बण्डल या व्यापारिक सामग्री जमा करने देता है, या

(ङ) किसी सड़क पर कोई बाड़ा, जंगला, खम्भा, स्टाल या कोई पाड़ या ऐसा कोई अन्य उपस्कर खड़ा करता या लगवाता है; या

(च) किसी रीति से किसी सड़क के निर्बाध आवागमन में जानबूझकर बाधा डालता या बाधा डलवाता है।

तो वह दोष सिद्ध ठहराये जाने पर जुर्माने से, पांच सौ रूपये तक हो, सकेगा, और उल्लंघन जारी रहने की दशा में अग्रेत्तर जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का बार–बार अपराध करना साबिता हो, दस रूपये तक हो सकेगा।

(2) नगरपालिका को उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी बाधा को हटाने की शक्ति होगी और इस प्रकार हटाने का व्यय अपराधी से अध्याय 6 में उपबन्धित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

(3) सड़क से बाधा हटाने के लिए उपधारा (2) के अधीन नगरपालिका द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति को नगरपालिका द्वारा किसी ऐसी खुली जगह से, चाहे वह नगरपालिका में निहित हो या न हो, जो निजी सम्पत्ति हो, बाधा हटाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकेगा।

(4) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी सड़क को ऐसी किसी बाधार पर लागू न होगी जिसकी अनुज्ञा नगरपालिका द्वारा इस अधिनियम की किसी धारा के तद्धीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि या स्वीकृत किसी लाइसेन्स के अधीन दी गई हो।

266. **सार्वजनिक भूमि की खुदाई**–जो कोई व्यक्ति, नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना, किसी ऐसे खुले स्थान से, चाहे वह नगरपालिका में निहित हो या न हो, जो निजी सम्पत्ति न हो, मिट्टी बालू या अन्य सामग्री खोदता है, या हटाता है, वह दोष सिद्ध ठहराये जाने पर पांच सौ रूपये से अनधिक के जुर्माने से और यदि अपराध निरन्तर जारी रहता है, तो ऐसे अग्रेत्तर जुर्माने से दण्डनीय होगा जो ऐसे अपराध के लिए प्रथम बार सिद्धदोष ठहराये जाने के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, दस रूपये तक हो सकेगा।

स्वच्छता और रोग का निवारण

267. **असार्वजनिक नालियॉ, नलकूप, कूड़ादान, शौचालय आदि**–(1) नगरपालिका नोटिस द्वारा, किसी भूमि या भवन के स्वामी या अध्यासी से अपेक्षा कर सकेगी कि वह–

(क) ऐसी भूमि या भवन से सम्बद्ध किसी शौचालय, नाबदान, नाली, मलकूप, कूड़ादान या गन्दगी, मैला पानी, कूड़ा–करकट या कचरे के किसी अनय पात्र को ढक दे, हटा दे परिवर्तित कर दे, उसकी मरम्मत कराये, सफाई कराये, उसे रोगाणुमुक्त कराये या अच्छी हालत में रखे या ऐसे किसी शौचालय, मूत्रालय या नाबदान के किसी द्वार या छत द्वार को, जो किसी सड़क पर पानी की ओर खुलता हो, हटा दे या परिवर्तित कर दे; या

(ख) ऐसे शौचालयों, मूत्रालयों, नाबदानों, नालियों, मलकूपों, कूड़ादान या गन्दगी या मैला पानी, कूड़ा करकट या कचरे के अन्य पात्रों की व्यवस्था करें जिनकी उसकी राय में उक्त भवन या भूमि में व्यवस्था की जानी चाहिये, किसी वर्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त हो या न हो; या

(ग) भवन या भूमि के लिए व्यवस्थित किसी शौचालय, मूत्रालय या नाबदान को पर्याप्त छत और दीवाल या बाड़ से इस प्रकार बन्द कर दे कि वहां से गुजरने वाले व्यक्तियों या पड़ोस के निवासियों को दिखायी न दें।

(2) जब उपधारा (1) की अपेक्षानुसार किसी बात की व्यवस्था की जानी हो, कोई परिवर्तन या कोई कार्य किया जाता हो तो नगरपालिका नोटिस में जिस बात की व्यवस्था की जानी हो उसका विवरण, जिसके अनुरूप उस परन्तु का परिवर्तन किया जाना हो, उसका प्रतिरूप और जिसके अनुसार कार्य किया जाना हो, उसको रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

268. **कारखानों, स्कूलों और सार्वजनिक अभिगम के स्थानों के लिए शौचालय**—नगरपालिका किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके नियोजन में बीस से अधिक कर्मकार या श्रमिक हो या जिसके स्वामित्व प्रबन्ध या नियन्त्रण में कोई बाजार, स्कूल या थियेटर या सार्वजनिक अभिगम का अन्य स्थान हो, नोटिस द्वारा ऐसे शौचालयों और मूत्रालयों की व्यवस्था करेने जैसा वह ठीक समझे और उसे उचित स्थिति में रखने और उसका दैनिक सफाई करने की अपेक्षा कर सकेगी,

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा में कोई बात इण्डियन फैक्ट्री एक्ट, 1911 द्वारा विनियमित किसी कारखाने पर लागू न होगी।

269. **तालाब आदि से उत्पन्न अपदूषण हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति**—(1) नगरपालिका नोटिस द्वारा, किसी भूमि या भवन के स्वामी या अध्यासी से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उसके निजी कुयें, तालाब, जलाशय, पोखर, गर्त, या गड्ढे को, जो नगरपालिका को, 'पड़ोस के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या संतापकारी प्रतीत हो, स्वच्छ करायें, मरम्मत कराये, ढक दें या भर दे या उसके जल का निस्तारण कर दें;

(2) प्रतिबन्ध यह है कि कोई स्वामी या अध्यासी नगरपालिका से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उपधारा (1) के अधीन आदिष्ट जलोत्सारण करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक किसी भूमि या भूमि के अधिकार को अपने व्यय पर अर्जित करें या अन्यथा व्यवस्था करें।

270. **नालियों, संडासों आदि का निरीक्षण**—(1) 278 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नगरपालिका किसी नाली, संडास, नाबदान, शौचालय, मूत्रालय, मूलकूप या गन्दी के अन्य पात्र का निरीक्षण कर सकेगी और उस प्रयोजन के लिए, जहां वह ठीक समझे, भूमि को खुदवा सकेगी।

(2) ऐसे निरीक्षण और भूमि को भरने और पहले की तरह ठीक करने का व्यय नगरपालिका द्वारा वहन किया जायेगा, जब तक कि उक्त नाली, संडास, नाबदान, शौचालय, मूत्रालय, मलकूप या गन्दगी के अन्य पात्र खराब दशा या स्थिति में न पाये जायें या उनका निर्माण, इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमिति के या अधीन बनाये गये किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में न किया गया हो, जिस दशा में उक्त व्यय का भुगतान स्वामी या अध्यासी द्वारा किया जायेगा और अध्याय 6 में उपबन्धित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

271. **गन्दे भवन या भूमि को स्वच्छ रखना**—यदि कोई भवन या भूमि गन्दी या अस्वास्थ्य कर स्थिति में हो, तो नगरपालिका नोटिस द्वारा, उसके स्वामी या अध्यासी से उकत भवन या भूमि की स्वच्छ या अन्यथा उचित स्थिति में रखने और तत्पश्चात् उसको स्वच्छ और उचित स्थिति बनाए रखने की अपेक्षा कर सकेगी।

272. **दुर्गन्धित पदार्थ को हटाने में विलफलता**—जहां किसी भवन या भूमि पर—

(क) धूल, गोबर, हड्डी, राख, विश्ठा या गन्दगी या कोई हानिकारक या संतापकारी पदार्थ चौबीस घन्टे से अधिक समय से किसी उचित पात्र में न रखकर अन्यथा रखा जाता हो; या

(ख) ऐसी वस्तुओं का कोई पात्र गन्दी या हानिकारक स्थिति में हो या किसी उचित ढंग से उसे स्वच्छ या षुद्ध न किया जाता हो,

तो ऐसे भवन या भूमि का स्वामी या अध्यासी दोषसिद्ध ठहराये जाने पर ऐसे जुर्माने से जो पचास रूपय तक हो सकेगा, और उल्लंघन जारी रहने की दशा में अग्रेत्तर जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें अपराधी द्वारा साधारण अपराध किया जाना साबित हो, पांच रूपया तक हो सकेगा।

273. **कूड़ाकरकट, विष्ठा आदि के निस्तारण का विनियमन**–(1) नगरपालिका

(क) संतापकारी पदार्थ कूड़ा–करकट को सथायी रूप से जमा करने के लिए पात्र और सथान की व्यवस्था कर सकेगी;

(ख) विष्ठा, लोथ और अन्य संतापकारी पदार्थ और कूड़ा–करकट के निस्तारण के लिए स्थान नियत कर सकेगी, और

(ग) सार्वजनिक नोटिस द्वारा ऐसा समय, ऐसी रीति और शर्तो के सम्बन्ध में निदेश जारी कर सकेगी जब, जिसके अनुसार ओर जिनके अधीन रहते हुए खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट कोई संतापकारी पदार्थ या कूड़ा–करकट किसी सड़क से हटाया जाये, जमा किया जाये और या उसका अन्यथा निस्तारण किया जाये।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन स्थान नियत किये जाने के लिए यह नोटिस पर्याप्त होगी कि ऐसे नियम स्थान पर या उसके निकट ऐसी नियत सथान को इंगित करते हुए एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जाये।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन नगरपालिका की सीमा के बाहर कोई सथान नियत करने के पूर्व नगरपालिका जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करेगी।

संक्षेप

1. धारा 273 और धारा 116 (घ)

1. धारा 273 और धारा 116 (घ)–जब कोई कूड़ा करकट या विष्ठा आदि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 273 के अधीन नियत स्थान पर जमा कर दिया जाता है, तो वह बोर्ड की सम्पत्ति हो जाता है और उसमें निहित हो जाता है।

274. **कूड़ा–करकट, विष्ठा आदि के अनुचित निस्तारण के लिए शास्ति**–जिस भवन या भूमि से कोई संतापकारी पदार्थ, कूड़ा–करकट, विष्ठा या लोथ, खण्ड (ख) के अधीन नियत किसी स्थान या धारा 273 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन व्यवस्थित किसी पात्रता से भिन्न अन्यथा किसी सार्वजनिक स्थान या सड़क के किसी भाग पर या किसी सार्वजनिक सीवर या नाली में जो किसी सार्वजनिक सीवर नाली से मिलने वाली किसी नाली में फेंका या जमा किया जाता है, ऐसे भवन या भूमि या अध्यासी और कोई ऐसा व्यक्ति जो उपधारा के खण्ड (ग) के अधीन जारी किये गये नगरपालिका के किसी निदश का उल्लंघ करता है, दोषसिद्ध ठहराये जाने पर दो सौ पचास रूपये से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

275. **पशुओं के शव का निस्तरण**–(1) जब कभी किसी व्यक्ति के भारसाधन में किसी ऐसे पशु को या तो बिक्री के लिए या उपभोग के लिए या किसी अन्य धार्मिक प्रयोजन के लिए वध किये जाने से भिन्न प्रकार से मृत्यु हो जाये तो उसका भारसाधक व्यक्ति चौबीस घन्टे के भीतर, या तो–

(क) उस लोथ को धारा 273 के अधीन नगरपालिका द्वारा पशुओं के शव के निसतारण के लिए नियम किसी स्थान (यदि कोई हो) या नगरपालिका की सीमा के बाहर किसी स्थान पर, जो उक्त सीमा से एक मील के भीतर न हो, ले जायेगा;

(ख) नगरपालिका को उसकी मृत्यु की सूचना देगा, जिस पर नगरपालिका उक्त लोथ का निस्तारण करायेगा

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अनुसार कार्य करने के लिए आबद्ध हो, यदि ऐसा कार्य करने में विफल रहता है, दोषसिद्ध ठहराये जाने पर जुर्माने से, जो दस रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन किसी पशु के शव के निस्तारण के लिसए नगरपालिका ऐसी फीस ले सकता है, जो नगरपालिका ने विहित की हो, और उक्त फीस को यदि उसका अग्रिम भुगतान न किया गया हो, तो अध्याय 6 द्वारा उपबन्धित रीति से पशु के स्वामी या रखवाले से वसूल कर सकता है।

276. **सार्वजनिक सड़क आदि पर गन्दे जल को बहाने के लिए शास्ति**—जब कभी किसी हौदी, सीवर या मलकूप या जल या किसी अन्य संतापकारी पदार्थ को, नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना, या ऐसी अनुज्ञा में विहित किसी शर्त का उल्लंघन करके, किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान, पर या करने दिया जाये या निकलने दिया जाये तो ऐसा स्वामी या अध्यासी, जिसकी भूमि या भवन से ऐसा जल या संतापकारी पदार्थ इस प्रकार बहता हो, उसका निस्तारण होता हो या निकाला जाता हो, दोषसिद्ध ठहराये जाने पर जुर्माने से दन्डनीय होगा जो दो सौ पचास रूपये तक हो सकेगा।

277. **भवनों में प्रवेश करने और उन्हें रोगाणुमुक्त करने की शक्ति**—धारा 287 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नगरपालिका किसी भवन में प्रवेश कर सकेगी, उसका निरीक्षण कर सकेगी और नोटिस द्वारा निर्देश दे सकेगी कि उसे सम्पूर्णतया या उसके किसी भाग के भीतर या बाहर से स्वच्छता सम्बन्धी कारणों में चूने से पुताई कराई जाय, रोगाणुमुक्त कराया जाय या अन्यथा स्वच्छ कराया जाये।

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात इण्डियन फैक्ट्रीज एक्ट, 1911 द्वारा विनियमित किसी कारखाने पर लागू न होगी।

278. **मानवीय निवास के लिए अनुपयुक्त भवन**—(1) यदि कोई भवन या भवन का कोई कमरा नगरपालिका की राय में, जल निस्तारण या संघाजन या अन्य प्रकार से उचित साधनों के अभाव के कारण मानवीय निवास के लिए अनुपयुक्त हो, तो नगरपालिका नोटिस द्वारा, उसके स्वामी या अध्यासी को उस भवन या कमरे को मानवीय निवास के उपयोग करने या इस प्रकार उपयोग किये जाने के लिए रहने से या तो पूर्णतया तब तक के लिए प्रतिषिद्ध कर सकेगी जब तक कि वह नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसमें ऐसे परिवर्तन न करवा दे जैसा कि नोटिस में विहित किया जाये।

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस दिया गया हो, उसका अनुपालन करने पर, नगरपालिका के लिए वह विधिपूर्ण होगा कि वह अग्रेत्तर नोटिस द्वारा उक्त भवन या कमरने को तोड़ देने की अपेक्षा करें।

279. **हैजा, चेचक आदि की सूचना न देने के लिए शास्ति**—ऐसा व्यक्ति जो—

(क) चिकित्सा व्यवसायी हो और जिसे ऐसे व्यवसाय के दौरान यह संज्ञान हो जाय कि हैजा प्लेग, चेचक या कोई ऐसा संक्रामक रोग जिसे राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाय नगरपालिका क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक चिकित्सालय से भिन्न किसी निवास स्थान में फैला हुआ है; या

(ख) ऐसे चिकित्सा व्यवसायी द्वारा व्यतिक्रम करने पर ऐसे निवास स्थान का स्वामी या अध्यासी और जिसे उसमें किसी ऐसे संक्रामक रोग फैलने का संज्ञान हो जाये,

(ग) ऐसे स्वामी या अध्यासी द्वारा व्यतिक्रम करने पर ऐसे निवास—स्थान में किसी ऐसे संक्रामक रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति या भारसाधक हो या उसकी परिचर्या में लगा हो और जिसे उसमें ऐसा फैलने का संज्ञान हो जाये, ऐसा संज्ञान हो जाने के चौबीस घन्टे के भीतर

उक्त रोग फैलाने के सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी को, जिसे नगरपालिका इस निमित्त नियुक्त करे, सूचना देने में विफल रहता है या मिथ्या सूचना देता है, दोष सिद्ध ठहराये जाने पर जुर्माने से दण्डनीय हो जो पचास रूपये तक हो सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके लिए प्रथमतः सूचना देना अपेक्षित न हो, किन्तु किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा व्यतिक्रम करने पर ही सूचना देना अपेक्षित हो, दण्डनीय नहीं होगा; यदि यह बताया जाये कि उसके पास यह मान लेने के लिए युक्तियुक्त कारण था कि सूचना दे दी गयी है या सम्यक् रूप से दी जायेगी।

279—क. **उन व्यक्तियों की परीक्षा की जाने की शक्ति, जिनके बारें में संक्रामक रोगों ग्रस्त होने का संदेह हो**—जब वह विश्वास करने का कारण हो कि किसी भवन मे ंधारा 279 के अधीन अधिसूच्य संक्रामक रोग घटना हुई है, तो स्वास्थ्य अधिकारी या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त अन्य सक्षम व्यक्ति धारा 287 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उक्त भवन में प्रवेश करेगा और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को परीक्षण करेगा जिसके बारें में रोगग्रस्त होने का सन्देह हो और व्याधिकीय परीक्षा के लिए, यदि आवश्यक हो, सामग्री भी प्राप्त कर सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि आठ वर्ष से अधिक आयु की महिला की परीक्षा केवल महिला द्वारा ही की जायेगी।

280. **रोगियों को चिकित्सालय ले जाना**—जब हैजा, प्लेग, चेचक से या अन्य संक्रामक रोग से, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, ग्रस्त या किसी सम्यक् रूप से अर्ह चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसे रोग से ग्रस्त प्रमाणित किया गया व्यक्ति—

(क) बिना किसी उचित आवास या स्थन के हों; या

(ख) किसी सराय या अन्य सार्वजनिक आवास में रहता हो; या

(ग) किसी ऐसे कमरे या गृह में रहता हो जो न तो उसका हो और न उसके अध्यासन के लिए अन्यथा हकदार हो; या

(घ) किसी ऐसे कमरे या कोष्ठ बलि में रहता हो जो एक से अधिक परिवार के अध्यासन में हो और उसके वहां बने रहने पर आपत्ति हो, तो नगरपालिका ऐसे चिकित्सा अधिकारी की सलाह से, जो सहायक सर्जन के पद से नीचे का न हो, ऐसे रोगी को ऐसे चिकित्सालय में या किसी ऐसे स्थान पर हटा सकेगी जहां उक्त रोग से ग्रस्त व्यक्तियों का चिकित्सीय उपचार किया जाता हो और कोई भी ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो इस प्रकार हटाये जाने के लिए आवश्यक हो।

281. **कतिपय विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा कृत कार्यो के लिए शास्ति**—यदि किसी संक्रामक, सांसर्गिक या घृणित विकास से ग्रस्त होने पर कोई भी व्यक्ति—

(क) मानवीय उपभोग के लिए खाद्य पदार्थ या पेय या कोई औषधि या भेषज बिक्री के लिए बनाता है, या प्रस्तुत करता है; या

(ख) ऐसे पदार्थ औषधि या भेषज का अन्य व्यक्तियों द्वारा बिक्री के लिए रखे जाने पर जानबुझकर स्पर्श करता है; या

(ग) गन्दे कपड़ों को धोने या ले जाने के कारबार में कोई भाग लेता है, तो दोषसिद्ध ठहराये जाने पर जुर्माने से दन्डनीय होगा जो पचास रूपये तक हो सकेगा।

282. **स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खेती, खाद का उपयोग या सिचाई करने का प्रतिशेध**—(1) यदि स्वास्थ्य सेवा—निदेशक या सिविल सर्जन या स्वास्थ्य अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि किसी प्रकार की फसलों की खेती या किसी किस्म की खाद का उपभोग या किसी विनिर्दिष्ट रीति से भूमि की सिचाई—

(क) नगरपालिका की सीमा के भीतर किसी स्थान में करना हानिकर है या ऐसे कार्य करने में सहायक होता है जो पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो; या

(ख) नगरपालिका की सीमा के भीतर या बाहर किसी स्थान में करने से ऐसी नगरपालिका के जल सम्भरण के दूषित होने की संभावना हो या जल पीने के प्रयोजनों के लिए अन्यथा अनुपयुक्त होता हो,

तो, नगरपालिका सार्वजनिक नोटिस द्वारा, ऐसी फसल की खेती करने, ऐसी खाद का उपयोग करने, या सिंचाई की उस विधि का प्रयोग करने का, जिस इस प्रकार हानिकर बताया गया हो, प्रतिषेध कर सकेगी या उनके सम्बन्ध में ऐसी शर्त अधिरोपित कर सकेगबी जिससे ऐसी हानि का दूषण निवारण किया जा सके।

(2) प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी ऐसी भूमि में, जिसके सम्बन्ध में ऐसी नोटिस जारी किया जाय प्रतिषेध किये जाने के दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती लगातार पांच वर्ष तक कृषि के सामान्य क्रम में प्रतिसिद्ध कार्य किया गया हो, तो उसमें हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों को ऐसी क्षति के लिए जो उन्हें ऐसा प्रतिषेध करने से हुई हो, नगरपालिका निधि से प्रतिकर दिया जायेगा।

283. **अनिष्टेकारी वनस्पतियों को साफ करने के लिए स्वामियों से अपेक्षा करने की शक्ति**–नगरपालिका नोटिस द्वारा, किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी से किसी ऐसी वनस्पति या झाड़ झंझाड़ को जो पड़ोस के स्वास्थ्य के लिए हानिकर या संतापकारी हो, साफ करने या हटाने की अपेक्षा कर सकेगी।

284. **उत्खनन को भरने या उसके जल निस्तारण की अपेक्षा करने की शक्ति**–(1) किसी नगरपालिका में जिसके लिए धारा 293 के शीर्षक 'झ' के उपशीर्षक (छ) के अधीन उपविधियां बनाई गई हो, नगरपालिका नोटिस द्वारा, जिस भूमि पर कोई उत्खनन, मलकूप, तालाब या गड्ढा उक्त उपविधियों का उल्लंघन करके या उन शर्तो के भंग करके जिसके अधीन कोई ऐसी उत्खनन, नलकूप, तालाब या गड्ढा बनाने की अनुज्ञा दी गई हो, बनाया गया हो, उस भूमि के स्वामी या अध्यासी से उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस उत्खनन, मलकूप, तालाब या गड्ढे को भरने या उनका जल निस्तारण करने की अपेक्षा कर सकेगी

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस धारा के और इस धारा के प्रयोजनों के लिए बनायी गयी उपविधियां के उपबन्धों की नगरपालिका के बाहर किसी ऐसे क्षेत्र में भी लागू कर सकेगी जो नगरपालिका की सीमा से एक मील की दूरी के भीतर पड़ता हो।

285. **कब्रिस्तान और श्मशान भूमि के सम्बन्ध में शक्ति**–(1) नगरपालिका सार्वजनिक नोटिस द्वारा, कब्रिस्तान या ऐसी श्मशान भूमि के लिए जिसके बारें में सिविल सर्जन या स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाये कि पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए संकट–पूर्ण है या उसक संकट–पूर्ण होने की सम्भावना है, नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक से बन्द करने का आदेश दे सकेगी, और ऐसी दशा में, यदि समुचित दूरी के भीतर कोई उपयुक्त कब्रिस्तान या श्मशान भूमि न हो तो इस प्रयोजनार्थ उपर्युक्त स्थान की व्यवस्था करेगी।

(2) ऐसे कब्रिस्तानों में निजी कब्रगाहों को ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए जिन्हें नगरपालिका इस निमित्त अधिरोपित करे, उक्त नोटिस से अपवादित रखा जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कब्रगाहों की सीमा पर्याप्त रूप से परिनिश्चित की गई होर और उनका उपयोग केवल उनके स्वामियों के परिवार के सदस्यों की अन्त्येष्टि के लिए ही किया जायेगा।

(3) कोई भी कब्रिस्तान या श्मशान भूमि, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के तिबना, बनाई या निर्मित नहीं की जायेगी।

(4) कोई भी व्यक्ति, नगरपालिका की लिाति अनुज्ञा के सिवाय, किसी शव को मान्यता प्राप्त कब्रिस्तान या श्मशान भूमि से भिन्न किसी अन्य स्थान पर अन्त्येष्टि या दाह–संस्कार नहीं करेगा और अन्तयेष्टि या दाह संस्कार करायेगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति, इस धारा के उपबनों के प्रतिकूल, किसी शब की अन्त्येष्टि या दाहसंस्कार करता है या अन्त्येष्टि या दाह–संस्कार कराता है या उसकी अनुमति देता है, तो वह दोषसिद्ध ठहराये जाने पर ऐसे जुर्माने से दन्डनीय होगा जो पांच सौ रूपये तक हो सकेगा।

286. **स्नान और धुलाई करने का स्थान**–नगरपालिका स्नान के प्रयोजन के लिए उपयुक्त स्थानों को पृथक कर सकता है, और यह भी विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि ऐसे स्थानों का उपयोग किस समय और महिलाओं या पुरूषो में से किसके द्वारा किया जायेगा और पशुओं या कपड़ों या अन्य वस्तुओं की धुलाई के लिए इस प्रकार पृथक न किया गया हो, या विनिर्दिष्ट किये गये समय या व्यक्तियों से भिन्न समय पर या भिन्न व्यक्तियों द्वारा, स्नान करने या पशुओं या कपड़ों या अन्य वस्तुओं की धुलाई का प्रतिषेध कर सकेगी, और इसी प्रकार किसी ऐसे कार्य का भी प्रतिषेध कर सकेगी, जिससे सार्वजनिक स्थान या नदियों का पानी गन्दा हो या उपयोग में न लाया जा सके जिससे ऐसे स्थान का विधिपूर्वक उपयोग करने वाले व्यक्तियों को असुविधा या क्लेश उत्पन्न हो या उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

निरीक्षण, प्रवेश, तलाशी आदि

287. **सामान्य निरीक्षण**–(1) अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और यदि इस निमित्त संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया गया हो तो नगरपालिका का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी या सेवक, किसी भवन या भूमि में सहायकों कया कर्मकारों के साथ या उसके बिना, निरीक्षण या सर्वेक्षण करने या कोई ऐसा कार्य निष्पादित करने के उद्देश्य से प्रवेख कर सकेगा, जिसे करने या निश्पादित करने के लिए नगरपालिका को इस अधिनियम या नियमों या उपविधियों द्वारा प्राधिकृत किया गया हो या जिसे करना या निष्पादित करना नगरपालिका के लिए इस अधिनियम अथवा नियमों या उपविधियों के किन्ही भी उपबन्धें के प्रयोजनार्थ या अनुसरण में आवश्यक हो :

(2) प्रतिबन्ध यह है कि–

(क) इस अधिनियम या नियमों या उपविधियों में अन्यथा स्पष्टतया किये गये उपबन्ध के सिवाय, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच ऐसा प्रवेश नहीं किया जायेगा; और

(ख) इस अधिनियम या नियमों या उपविधियों में अन्यथा स्पष्टतया किये गये उपबन्ध के सिवाय किसी ऐसे भवन में, जिसका उपयोग मानव निवास के रूप में किया जाता हो उसके अध्यासी की सहमति के सिवाय, उक्त अध्यासी को इस प्रकार प्रवेश करने के आशय क कम से कम चार घन्टे पूर्व लिखित नोटिस दिये बिना प्रवेश नहीं किया जायेगा; और

(ग) ऐसे प्रत्येक अवसर पर भी जब किसी परिसर में नोटिस दिये बिना अन्यथा प्रवेश किया जाये, पर्याप्स नोटिस दिया जायेगा जिससे कि महिलाओं के लिए अलग किये गये किसी कमरे की निवासी महिलाओं को परिसर के किसी ऐसे भाग से हटाया जा सके जहां उसकी एकान्तता में किसी प्रकार की बाध न पहुंचे; और

(घ) उस परिसर के, जहां प्रवेश किया जाये, अध्यासियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सम्यक् ध्यान रखा जायेगा।

288. **निवारक निरीक्षण**–जहां यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी भवन या भूमि में किसी नगरपालिका जल–कल, जल–निस्सारण सम्बन्धी निर्माण कार्य या अन्य नगरपालिका उपक्रम के सम्बन्ध में कोई कार्य इस अधिनियम के नियमों या उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंधन करके निश्पादित किया गया है, वहां अध्यक्ष या यदि अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार निदेश दिया जाये, तो अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी, किसी भी समय और बिना नोटिस के उक्त भवन या भूमि का निरीक्षण कर सकेगा।

289. **प्रवेश करने की शक्ति**–धारा 287 या 288 के उपबन्धों के अधीन निरीक्षण करने या तलाशी लेने के प्रयोजन से प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए किसी दरवाजे, फाटक या अन्य अवरोध को खोलना या खुलवाना विधि पूर्ण होगा–

(क) यदि वह यह समझता हो कि ऐसे प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिए उसे खोलना आवश्यक है; और

(ख) यदि स्वामी या अध्यासी अनुपस्थित हो, तो या उपस्थित होते हुए भी, ऐसे दरवाजे फाटक या अवरोध को खोलने से इन्कार करें।

290. **कतिपय निर्माण कार्यो को अपने अभिकरण द्वारा निष्पादित कराने की अपेक्षा करने की नगरपालिका की शक्ति**–(1) नगरपालिका उपविधि द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगी किसी जल–कल या धारा 192, 267 और 268 में निर्दिष्टि प्रकार के निर्माण कार्य का निष्पादन उसके आदेशों के अीन नगरपालिका या अन्य अभिकरण द्वारा किया जाये।

(2) इस प्रकार निष्पादित किसी निर्माण कार्य के व्यय का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसके द्वारा उक्त निर्माण कार्य अन्यथा निष्पादित किया जाता, तब तक कि नगरपालिका किसी सामान्य या विशेष आदेश या संकल्प द्वारा नगरपालिका निधि के प्रभार से ऐसे निर्माण कार्य का निष्पादन करने की स्वीकृति न दे देगी जैसा कि उसे देने के लिए एतद्द्वारा सशक्त किया जाये।

(3) किसी जल–कल के लिए उसके या किसी निजी भवन या भूमि के जल निस्तारण के सम्बन्ध में किसी नल, फिटिंग, पात्र या अन्य साचित्र का यदि नगरपालिका के खर्चे से सम्भरण, निर्माण या परिनिर्माण किया जाये तो वह नगरपालिका की सम्पत्ति समझी जायेगी, तब तक कि नगरपालिका ने उसमें अकपने हित का ऐसे भवन या भूमि के स्वामी को अन्तरण न कर दिया हो।

किराया और प्रभार

291. **भूमि के किराये की वसूली**–(1) जहां नगरपालिका ने निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी भूमि के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से किराये के मद्दे कोई रकम नगरपालिका को देय हो वहां नगरपालिका कलेक्टर को ऐसे किराये की किसी बकाया को वसूल करने के लिए आवेदन कर सकेगी मानों वह भू–राजस्व की बकाया रही हो।

(2) कलेक्टर, वह समाधान हो जने पर कि रकम देय है, उसे भू–राजस्व की बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

292. **अन्य स्थावर सम्पत्ति के किराये की वसूली**– नगरपालिका में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गई भूमि से भिन्न अन्य स्थान सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से किराये के मद्दे नगरपालिका को कोई बकाया अध्याय 6 में निहित रीति से वसूल की जायेगी।

293. **नगरपालिका सम्पत्ति का पटटे के अधीन उपयोग किये जाने में अन्यथा उपयोग करने की फीस**–(1) नगरपालिका में निहित या उसके प्रबनध में सौंपी गई स्थावर सम्पत्ति का जिसमें कोई सार्वजनिक सड़क या ऐसा स्थान सम्मिलित है। जिसका उपयोग या अध्यासन करने की उसने अनुमति दी हो, चाहे वह अनुमति उस पर किसी प्रक्षेपण की हो या अन्य प्रकार की, उपयोग या अध्यासन करने के लिए (किसी पट्टे के अधीनउपयोग या अध्यासन से अन्यथा) नगरपालिका किसी उपविधि द्वारा या सार्वजनिक नीलाम द्वारा या किसी करार द्वारा निश्चित फीस ले सकेगी।

(2) ऐसी फीस या तो धारा 294 के अधीन लाइसेन्स या अनुज्ञा के लिए भारित फीस के साथ उद्ग्रहीत की जायेगी या अध्याय 6 में उपबन्धित रीति से वसूल की जायेगी।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)
2. धारा 293 का उद्देश्य एवं विस्तार
3. स्थावर सम्पत्ति का उपयोग या अध्यासन
4. सार्वजनिक मार्ग से आवागमन हेतु फीस उद्ग्रहीत करने की शक्ति नगरपालिका को नहीं है।

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)–उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन्, 1994 द्वारा इस धारा में 'बोर्ड' शब्द के स्थान पर 'नगरपालिका' शब्द को प्रतिस्थापित कर दिया गया।

2. धारा 293 का उद्देश्य एवं विस्तार–उत्तर प्रदेश अधिनियम की यह धारा नगरपालिका को किसी ऐसी अचल सम्पत्ति का उपयोग करने वाले व्यक्तियों से फीस उद्ग्रहीत करने की शक्ति प्रदान करती हे, जो नगरपालिका में विहित है या उसके प्रबनध के अधीन सौंपी गयी है, किन्तु यदि नगरपालिका में विहित या उसके प्रबन्ध के अधीन सौंपी गयी सम्पत्ति का अध्यासन या उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा पट्टे के अधीन किया जा रहा है, तो नगरपालिका द्वारा उसके लिए कोई फीस उद्ग्रहीत नहीं की जा सकती है।

उपधारा (2) ऐसी फीस को उद्ग्रहीत करने के लिए दो रीतियां विहित करती है, जो कि निम्नवत् हैं–

(i) धारा 294 के अधीन स्वीकृति, लाइसेन्स या अनुज्ञा के लिए प्रभारित फीस के साथ; या

(ii) इस अधिनियम के अध्याय 6 में उपबनिधत रीति से।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 293 नगरपालिका बोर्ड को नगरपालिका की सम्पत्ति के ऊपर ऐसे प्रक्षेपण के सम्बन्ध में फीस प्रभारित करने की शक्ति प्रदान करती है, जो ऐसी फीस अधिरोपित करने हेतु अविधियों के अधिनियमित कितये जाने के पूर्व से विद्यमान हो, बशर्ते कि प्रक्षेपण डालने वाले व्यक्ति ने उस सम्पत्ति में कोई हक प्राप्त न कर लिया हो जिसके ऊपर प्रक्षेपण डाला गया हो और उसने फीस अधिरोपित करने हेतु उपविधियों के अधिनियमित किये जाने के बाद भी प्रक्षेपण को बने रहने देने के लिए नगरपालिका बोर्ड से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो।

ऐसी किसी अचल सम्पत्ति के लिए जो नोटिफाइड एरिया कमेटी में विहित या उसके प्रबन्धाधीन हो, नोटीफाइड एरिया कमेटी धारा 293 के अधीन विहित फीस उस सम्पत्ति का उपयोग करने वाले या अध्यासी व्यक्ति से उद्ग्रहीत कर सकती है, बशर्ते कि ऐसा उपयोग या अध्यासन वह उस सम्पत्ति में किसी हक के अधीन न कर रहा हो।

3. स्थावर सम्पत्ति का उपयोग या अध्यासन–बाजार में व्यवसाय करने वाले किसी व्यक्ति से तहबाजारी देय संग्रहीत करने का अधिकार उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 293 में प्रयुक्त 'स्थावर सम्पत्ति का उपयोग या अध्यासन' पद के अर्थ के अन्तर्गत नहीं आता है।

4. सार्वजनिक मार्ग से आवागमन हेतु फीस उद्ग्रहीत करने की शक्ति नगरपालिका को नहीं है–एक वाद में नगरपालिका द्वारा नगरपालिका सीमा में प्रवेश करने और आवागमन के लिए फीस अधिरोपित करने वाली नोटिस को चुनौती दी गयी। सार्वजनिक मार्ग लगभग चार फलॉग तक उस नगरपालिका से होकर जाता था। यह मार्ग पी0डब्लू0डी0 के स्वामित्व और प्रबन्ध के अधीन था। नगरपालिका बोर्ड उस पर सफाई और प्रकाश सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराता था। उच्चतम न्यायालय ने अभिधारित किया कि यह मार्ग न तो नगरपालिका बोर्ड में निहित है और न

ही उसके प्रबन्धाधीन है। अतः उस पर उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 293 लागू नहीं होगी। किसी सार्वजनिक मार्ग पर आने जाने का आम जनता को पूरा अधिकार है और इसके लिए उसे नगरपालिका बोर्ड से अनुज्ञा लेना आवश्यक नहीं है। फलस्वरूप बोर्ड ऐसे आवागमन हेतु कोई फीस प्रभारित नहीं कर सकता। धारा 293 का विस्तार इस सीमा तक नहीं किया जा सकता कि मात्र आवागमन हेतु सार्वजनिक सड़क का उपयेाग करने हेतु व्यक्तियों से फीस उद्ग्रहीत की जाये।

293–क. **फीस अधिरोपित करने की शक्ति**– नगरपालिका, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, किसी ऐसे स्थान का जहां जनता को प्रवेश करने की अनुमति हो ओर जहां पर नगरपालिका जनता के लिए स्वच्छता और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर सकेगी, उपयोग करने के लिए फीस अधिरोपित और उद्ग्रहीत कर सकेगी।

294. **लाइसेन्स की फीस आदि**– नगरपालिका किसी लाइसेन्स, स्वीकति या अनुज्ञा के लिए जिसे वह इस अधिनियम के द्वारा या अधीन देने का हकदार हो या देने की अपेक्षा की जाती हो, कोई फीस ले सकेगी, जो उपविधि द्वारा निश्चित की जायेगी।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)
2. धारा 294 का उद्देश्य एवं विस्तार
3. 'फीस' अभिप्राय
4. धारा 294 की धारा 131 से 135 तक से विहित प्रक्रिया

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)–उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा इस धारा में 'बोर्ड' शब्द के स्थान पर 'नगरपालिका' शब्द को प्रतिस्थापित कर दिया गया।

2. धारा 294 का उद्देश्य एवं विस्तार–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 294 नगरपालिका अधिनियम, के अन्तर्गत कोई लाइसेन्स, स्वीकृति या अनुज्ञा प्रदान करने के लिए उपविधियों के निर्धारित फीस प्रभारित करने हेतु अधिकृत करती है।

3. 'फीस' अभिप्राय–सब्जियों या फलों के क्रेताओं और विक्रेताओं पर एक आना प्रति रूपया फसी उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम द्वारा अधिकृत नहीं की जा सकती है। अतः ऐसी फीस अधिरोपित करने वाली उपविधि को धारा 294 के अधीन अनुसमर्पित नहीं कहा जा सकता है।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 294 में उल्लिखित फीस से अभिप्राय ऐसी फीस से है जो व्यापार और व्यवसाय को विनियमित करने एवं सेवा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ अधिरोपित की जाती है। ऐसी फीस नगरपालिका के सार्वजनिक राजस्व में सम्मिलित नहीं की जा सकती और उसका उपयोग सड़कों और अन्य सामान्य सुविधाओं के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

4. धारा 294 की धारा 131 से 135 तक से विहित प्रक्रिया–क्या उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 294 के अन्तर्गत फीस अधिरोपित करने में इस अधिनियम की धारा 131 से 135 तक में विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना आवश्यक है। इस प्रश्न पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने एक वाद में संप्रेषित किया कि यह कहना सही है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 294 के अधीन प्रभार्य फीस को न केवल बहुत सीतिम अर्थो में प्रयुक्त किया गया है, अपितु उस अर्थ में भी प्रयुक्त किया गया है जिसमें कराधान का तत्व अभिभावी है और इसलिए धारा 131 से 135 तक में उपबन्धित प्रक्रिया या ऐसे मामलों में अनुसरण किया जाना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश

नगरपालिका अधिनियम की योजना के अन्तर्गत कर और फीस के बीच सुस्पष्ट अन्तर किया गया है। अधिनियम को विधि अध्यायों में विभक्त करने के पीछे तर्कपूर्ण आधार है और कर, चाहे जिस प्रकार के हों, इस अधिनियम के अध्याय 5 के अन्तर्गत उपबन्धित किये गये है। जबकि फीस के बारें में उपबन्ध इस अधिनियम के अध्याय 8 के अन्तर्गत किया गया है, किन्तु यदि नगरपालिका बोर्ड लाइसेन्स फीस के रूप में किसी रिक्शा के स्वामी या रिक्शा चालक पर कर धारा 131 से 135 तक में उपबन्धित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना अधिरोपित करता है, तो वह फीस विधि मान्य नहीं कही जायेगी।

नगरपालिका द्वारा नियोजित व्यक्यिों को बाधा पहुॅचाना

295. **नगरपालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों को बाधा पहुॅचाने के लिए शास्ति**–जो कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका द्वारा या उसके साथ किसी संविदा के अधीन नियोजित हो, उनके कर्तव्यों का पालन करने में या उसकी संविदा को पूरा करने में बाध पहुंचाता है या उससे छेड़–छांड़ करता है या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत निर्माण कार्य के निश्पादन के लिए आवश्यक किसी सतह या दिशा को उपदर्शित करने के प्रयोजनार्थ लगाये गये किसी चिन्ह को हटाता है, वह दोष सिद्ध ठहराये जाने पर जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा, या कारावास से जो छः मास की अवधि के लिए हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)
2. धारा 295 का उद्‌देश्य एवं विस्तार

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)–इस धारा में अब तक दो बार संशोधन किया गये है, जिसे निम्नवत् प्रस्तुत किया जा सकता है–

(i) सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1969 द्वारा इस धारा के अन्तिम वाक्य को प्रतिस्थापित किया गया।

(ii) तत्पश्चात् 1994 ई. में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 द्वारा इस धारा में प्रयुक्त 'बोर्ड' शब्द के स्थान पर 'नगरपालिका' शब्द का प्रयोग किया गया।

2. धारा 295 का उद्‌देश्य एवं विस्तार–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की यह धारा नगरपालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के कर्तव्यों के पालन में हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति को दण्डित करने के बारें में उपबन्धक रती है। यह धारा इस हेतु दण्ड की अधिकतम सीमा एक हजार रूपये का जुर्माना और छः माह का करावास विहित करती है, किन्तु न्यूनतम दण्ड के बारें में कोई उपबन्ध नहीं करती है। न्यूनतम दण्ड की मात्रा को दण्ड देने वाले न्यायालय के विवेक पर छोड़ देती है जो प्रत्येक मामलें की परिस्थितियों के अनुसार अधिरोपित कर सकेगा।

———————

अध्याय 9
नियम, विनियम और उपविधि

296. **नियम बनाने को राज्य सरकार की शक्ति और बाध्यता–** (1) राज्य सरकार धारा 65, 127, 153 और 235 में वर्णित विषयों के सम्बनध में इस अधिनियम से सुसंगत नियम बना सकेगी।

(2) राज्य सरकार निम्नलिखित के सम्बन्ध में इस अधिनियम से सुसंगत नियम बना सकेगी–

(क) किसी ऐसे विषय की व्यवस्था करना जिसके लिए राज्य सरकार के इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय पर प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा उपबन्ध बनाने की शक्ति स्पष्ट रूप से या विवक्षित रूप से प्रदत्त की गयी हो,

(ख) नगर पालिका के सम्बन्ध में इस अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियमिति के उपबन्धों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित किसी विषय में सामान्यतया नगरपालिका या किसी सरकार अधिकारी का मार्गदर्शन करना;

(ग) नगरपालिका के लिए मास्टर प्लान तैयार करने और उसके निष्पादन के सम्बन्ध में नगरपालिका को परामर्श देने के लिए तदर्थ समिति नियुक्त करना; और

(ध) सार्वजनिक सड़को निवास क्षेत्रों, आवासिक और अनावासिक क्षेत्रों के अभिन्यास के लिए व्यवस्था करना।

संक्षेप

1.	विधायी परिवर्तन (Legislative changers)	3.	उपधारा (2) का खण्ड (क)
2.	धारा 296 का उद्‌देश्य एवं विस्तार	4.	राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)– सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 द्वारा इस धारा में प्रयुक्त 'बोर्ड' शब्द को 'नगरपालिका' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 1996 द्वारा इस धाारा में प्रयुक्त 'नगरपालिका क्षेत्र' शब्द को भी 'नगरपालिका' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।

2. धारा 296 का उद्‌देश्य एवं विस्तार– उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की यह धारा राज्य सरकार को नियम, बनाने की व्यापक शक्ति प्रदान करती है। इसकी उपधारा (1) राज्य सरकार को धारा 65 के अन्तर्गत अधिशासी अधिर की नियुक्ति, धारा 127 के अनतर्गत नगरपालिका निधि सम्पत्ति से सम्बन्धित अन्य विषयों, धारा 153 के अन्तर्गत कर निर्धारण, संग्रह और अन्य विषयों तथा 235 के अन्तर्गत जल सम्भरण के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है, किन्तु ये नियम हर हालत में नगरपालिका अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप होने चाहिए। इसके अलावा उपधारा (20) राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति को खण्ड (क) से लेकर खण्ड (घ) तक में विहित करती है और राज्य सरकार तदनुसार नियम बना सकती है।

उत्तर प्रदेश नगरपाकि अधिनियम की धारा 296 में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति और बाध्यता के बारे में विहित कि गया है। उपधारा (1) राज्य सरकार पर उसमें उल्लिखित उपबन्धों से निहित मामलों के सम्बन्ध में नियम बनाने के लिए कर्तव्य अधिरोपित करती है। इसमें

उल्लिखित सभी उपक्रम स्पष्ट रूप से उपबन्धित करते हैं कि उनमें विहित मामलें नियमों द्वारा विनियमित होंगें। जबकि उपधारा (2) उसमें उल्लिखित विषयों के बारें में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। [1]

3. उपधारा (2) का खण्ड (क)—नगरपालिका अधिनियम की धारा 296 की उपधारा (2) का खण्ड (क) दो बातें विहित करता है—

(i) किसी विषय के बारें में उपनियम बनाने की शक्ति स्पष्ट या विवक्षित रूप से नगरपालिका अधिनियम द्वारा या इसके प्रारम्भ होने के समय प्रयुक्त किसी अन्य अधिनियम द्वारा प्रदान की गयी हो, और

(ii) यह शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त की गयी हो। इन दोनों बातों के विद्यमान होने पर ही राज्य सरकार इस खण्ड के अन्तर्गत नियम बना सकती है।

4. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति— राज्य सरकार नगरपालिका अधिनियम की धारा 296 द्वारा नगरपालिका अधिनियम के उपबन्धों से सुसंगत नियम बनाने के लिए प्राधिकृत है। ये नियम इस धारा में वर्णित किसी भी विशय के बारें में निर्मित किये जा सकते है।

अभिवहन पास फीस प्रभारित करना अतिरिक्त कर लगाना नहीं है। यह मात्र वाहनों वस्तुओं आदि को अभिवहन को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रभारित किया जाता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि 'नगरपालिकाओं के लिए अभिवहन पास नियमावली' को निर्मित करने की शक्ति राज्य सरकार को धारा 296 के अन्तर्गत प्राप्त नहीं है।

297. **प्रक्रिया आदि के लिए विनियम बनाने की शक्ति**—(1) नगरपालिका विशेष संकल्प द्वारा निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के सम्बन्ध में इस अधिनियम या राज्य सरकार द्वारा धारा 296 के अधीन बनाये गये किसी नियम या उपधारा (2) के अधीन बनाये गये विनियम से सुसंगत विनियम बना सकेगी—

(क) नगरपालिका की बैठकों का समय और स्थान;

(ख) बैठक बुलाने और उसको नोटिस देने की रीति;

(ग) बैंठक की कार्यवाही (जिसमें सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछा जाना भी सम्मिलित है) का संचालन और बैठक स्थगित करना;

(घ) किसी भी प्रयोजन के लिए ऐसी समितियॉ बनाना जो केवल परामर्श समिति से भिनन हो, और ऐसी समितियों के गठन और प्रक्रिया से सम्बद्ध समस्त विषयों का अवधारण;

(ड़) अनुसूची दो के स्तम्भ तीन में प्रदर्शित किसी प्रविष्टि का परिवर्जन;

(च) धारा 77 की उपधारा (2) के निर्देश में कर्मचारी वर्ग के विषय में प्राप्त शक्ति के प्रति—निर्देश में धारा 74—75 या 76 में विनिदिर्ष्टि अधिकतम या न्यूनतम मासिक वेतन में वृद्धि करना;

(छ) निम्नलिखित शक्तियों, कर्तव्यों या कृत्यों का प्रत्यायोजन—

(i) [1]{नगरपालिका} के अध्यक्ष;

(ii) खण्ड (घ) के अधीन गठित समिति;

(iii) ऐसी समिति के सभापति;

(iv) अधिशासी अधिकारी; या

(v) [2]{नगरपालिका} के किसी अन्य सेवक;

(vi) सरकार की सेवा में, कोई ऐसा व्यक्ति जो सिविल सर्जन, चिकित्सालय या औषधालय का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, विद्यालय उप–निरीक्षक या विद्यालय अवर उप निरीक्षक के रूप में नियोजित हो;

(ज) अनुपस्थित व्यक्ति या [3]{नगरपालिका} द्वारा नियोजित सेवकों को अन्य भत्ते;

(झ) [4]{नगरपालिका} के ऐसे सेवक द्वारा जिससे प्रतिभूमि की अपेक्षा करना समीचीन समझा जाये, प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूमि की धनराशि और उसका प्रभार;

(ञ) [5]{नगरपालिका} के सेवकों को छुट्टी स्वीकृत करना और ऐसे व्यक्तियों को, जो पाई गई हो, जो उनके छुट्टी पर रहने की अवधि में उनके निमित्त कार्य करने के लिए नियुक्त किये जोयं दिया जाने वाला पाश्रिमिक;

(ट) सेवा की शर्ते जिसमें [6]{नगरपालिका} के समस्त सेवकों की सेवा की अवधि सम्मिलित है ओर ऐसी शर्ते जिनके अधीन ऐसे सेवक या उनमें से कोई सेवक के सेवानिवृत्त होने पर या अपने कर्तव्य पालन करते हुए निर्योग्य हो जाने उपदान या अनुकम्पा भत्ता प्राप्त करेगा और ऐसे उपदान और अनुकम्पा भत्ता की धनराशि और ऐसी शर्ते जिनके अधीन कोई उपदान या अनुकम्पा भत्ता किसी सेवक के जिसकी मृत्यु अपना कर्तव्य पालन करते हुए हई हो, उत्तरजीवी सम्बन्धी को दिया जा सकेगा।

(ठ) उस सेवक द्वारा पेंशन या भविष्य निधि में, जो [7]{नगरपालिका} द्वारा या [8]{नगरपालिका} के अनुमोदन से स्थापित की गयी हो, ऐसी दरों और ऐसी शर्तो के अधीन जो ऐसे विनियम में विहित की जाये अभिदाय का भुगतान करना;

(ड) ऐसी शर्ते जिनके अधीन रहते हुए [9]{नगरपालिका} को देय किसी रकम को वसूल न हो सकेने पर बट्टे खाते में डाला जा सकता है और ऐसी शर्ते जिनके अधीन रहते हुए करस्थम के लिए प्रभार्य सम्पूर्ण फीस या उसके किसी भाग की छूट दी जा सकेगी,

(ढ) ऐसे सभी विषय जो खण्ड (क) से खण्ड (ट) तक में दिये गये विषयों के समरूप हो और जिनके लिए इस उपधारा में अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है; और

(ण) ऐसी सभी विषय जो खण्ड (क) से खण्ड (घ) तक में दिये गये विषयों के समरूप हो और जिनके लिए इस उपधारा में अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है।

(2) प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, उपधारा (1) के खण्ड (घ) और खण्ड (ज) से खण्ड (ढ) तक में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय के सम्बन्ध में इस अधिनियम से सुसंगत विनियम बना सकेगी, और इस प्रकार बनाये गये कोई भी विनियम उक्त उपधारा के अधीन नगरपालिका द्वारा उसी विषय के सम्बन्ध में या उससे असंगत बनाये गये किसी विनियम को विद्वांउित करने के लिए प्रभावी होगा।

298. नगर पालिका की उपविधि बनाने की शक्ति–(1) नगरपालिका विशेष संकल्प द्वारा और जहॉ राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाय, नगरपालिका के निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा की अभिवृद्धि या उनके अनुरक्षण के प्रयोजनार्थ और इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका प्रशासन को अग्रसर करने के लिए इस अधिनियम और किसी नियम से सुसंगत ऐसी उपविधि बनायेगा जो सम्पूर्ण नगरपालिका या उसके किसी भाग पर लागू हों।

(2) विशेषतः और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई नगरपालिका जहॉ कहीं भी स्थित हो, उक्त शक्ति का प्रयोग करके नीचे सूची I में वर्णित कोई उपविधि बना सकेगी और कोई नगरपालिका जो पूर्णतः या अंशतः किसी पर्वतीय भू–भाग में स्थित हो, उक्त शक्ति का प्रयोग करके नीचे सूची II में वर्णित कोई उपविधि भी बना सकेगी।

सूची– I
किसी नगरपालिका के लिए उपविधियॉ
(क) भवन

(क) धारा 178 की उपधारा (2) के प्रति निर्देश में, समस्त भवनों को नोटिस की आवश्यकता का विस्तार करना;

(ख) धारा 178 उपधारा (3) के खण्ड (घ) के प्रति निर्देश में, किसी विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन को 'सारवान परिवर्तन' घोषित करना;

(ग) ऐसे सूचना और ऐसे रेखांक अवधारित करना जो धारा 179 के अधीन नगरपालिका क्षेत्र को प्रस्तुत किये जायेगें;

(घ) यह विहित करना कि रेखांक और विनिर्देश नगरपालिका से या नगरपालिका द्वारा विहित किसी अभिकरण से ऐसे मापमान के अनुसार, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाय, फीस का भुगतान करने का प्राप्त किये जायेगें;

(ड़) धारा 181 के प्रति निर्देश में ऐसी अवधि निर्धारित करना जब तक के लिए स्वीकृति प्रवृत्त रहेगा;

(च) किसी विहित क्षेत्र या क्षेत्रों में जो भवन बनाये जायें या न बनाये जाये और किस प्रयोजन के लिए बनाये जायें या न बनाये जाय, उन भवनों का प्रकार या वर्णन विहित करना;

(छ) ऐसी परिस्थितियां विहित करना, जिसमें कोई मजिस्द, गिरजाघर या अन्य पवित्र भवन निर्मित पुर्ननिर्मित या परिवर्तित कियाजा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा;

(ज) भवनों या किसी वर्ग के भवनों के निर्माण, पुर्ननिर्माण या परिवर्तन के प्रति निर्देश में निम्नलिखित सभी या कोई भी विषय विहित करना;

(i)बाहरी तथा बीच की दीवालों, छतो और फर्श के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री और उनके निर्माण की रीति;

(ii) अंगीटियों, चिमनियों, नालियों, शौचालयों, सन्डासों, मूत्रालयों और मलमूप की स्थिति उनके लिए सामग्री और उनके निर्माण की रीति;

(iii) ऐसी सबसे ऊपरी मंजिल के, जिसमें मनुष्य रहेंगे या भोजन बनाने का कार्य किया जाएगा, ऊपर की छत की ऊंचाई ओर उसकी ढलान;

(iv) संघातन और ऐसा स्थान, जो वायु के र्बिब संचार को सुनिश्चित करने, संमार्जन कार्य को सुकन बनाने और आग लगने की रोकथाम के लिए भवन के चारों ओर छोड़ा जायेगा;

(v) नींव का तल और उसकी चौड़ाई, सबसे नीचे की मंजिल का तल और संरचना की स्थिरता;

(vi) मंजिलों की, जो कि ऐसे भवन में हो सकती है, संख्या ओर ऊंचाई;

(vii) आग लगने पर भवन के बाहर निकलने के लिए किये जाने वाले साधन;

(viii) कोई अन्य विषय जिसमें भवन के सयातन या स्वच्छता पर प्रभाव पड़ता हो, और;

(ix) ऐसी शर्त जिनके अधीन रहते हुए किसी कूंएॅ के निर्माण या परिवर्तन के लिए स्वीकृत दी जा सकती है या स्वीकृति देने से इस दृष्टि इन्कार किया जा सकता है कि जल प्रदूषण को और कुयें या उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को खते से बचाया जा सके;

(झ) नगरपालिका की सीमा के भीतर स्थित किसी भूमि पर किसी घेरा, दीवाल, बाड़ा, तम्बू सायवान या अन्य संरचना के निर्माण का चाहे वह किसी भी किस्म या प्रकार का हो, ऐसी रीति से विनियमन करना, जिसका इस अधिनियम में विशिष्ट रूप से उपबन्ध न किया गया हो।

(ख) नालियां, संडाल मलकूप आदि

(क) नालियों, संघातन शाफ्ट और पाइप, नाबदान, संडास, शौचालय, मूत्रालय, मलकूप और अन्य जल–निस्तारण निर्माण कार्यो के निर्माण, परिवर्तन अनुरक्षण, परिरक्षण उनकी सफाई और मरम्मत का विनियमन ऐसी रीति से करना जिसका इस अधिनियम में विशिष्ट रूप से प्रबन्ध किया गया हो;

(ख) गन्दी पानी मलमूत्र, प्रदूषित जल तथा अन्य संतापकारी या बाधक पदार्थो को नालियों में गिराने या जमा करने का विनियमन या प्रतिषेध;

(ग) धारा 192, 267 और 268 के अधीन जिन निर्माण कार्यो का निर्माण करने की स्वामियों या अध्यासियों से अपेक्षा की जाये उन निर्माण कार्यो के आकार और प्रकार को और ऐसे निर्माण कार्यो के निष्पादन के लिए जिस अभिकरण को नियोजन किया जायेगा या किया जा सकेगा, उस अभिकरण को विहित करना।

(ग) अग्नि–शमन

(क) ऐसा अधिकारी जिसकी और ऐसा स्थान जहॉ आग लगने की रिपोर्ट की जायेगी, विहित करना; और

(ख) आग लगने के अवसर पर जनता द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया और पूर्वोपायों के लिए लगने से सम्बन्धित किसी ऐसे अन्य बात के लिए जिसके सम्बन्ध में उपबन्ध करना आवश्यक हो, सामान्तया उपलब्ध करना।

(घ) संमार्जन

(क) समय और ऐसा स्थान विहित करना जहॉ गलीज, कूड़ा–करकट या अन्य संतापकारी पदार्थ के पात्र नगरपालिका संमार्जन अभिकरण द्वारा उनकी अन्तर्वस्तुओं को हटाने के लिए तैयार रखें जायेगें;

(कक) रूढ़िगत सफाईकारों द्वारा गृह संमार्जन के कार्य की और उनके लाईसेन्स देने की व्यवस्था औरे ऐसे किसी लाईसेन्स की शर्तो को विनियमित करनाद्ध और

(ख) गृह समार्जन से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के लिए उपबन्ध करना।

(ड़) सड़कें

(क) ऐसी सूचना और रेखांक अवधारित करना जो धारा 203 के अधीन नगरपालिका को प्रस्तुत किये जायेगें;

(ख) फेरी लगाने वाले विक्रेताओं या किसी भी व्यक्ति द्वारा वस्तुओं की बिक्री के लिए या कोई आजीविका करने के लिए या कोई (बूथ) या स्टाल लगाने के लिए किसी या सभी सार्वजनिक सड़कों या स्थानों के उपयोग या अध्यासन की अनुमति देना, उसका प्रतिषेध या विनियमन करना और ऐसे उपयोग या अध्यासन के लिए फीस के उद्ग्रहण की व्यवस्था करना;

(ग) ऐसी शर्तो को विनियमित करना, जिनके आधार पर धारा 209 के अधीन सड़कों और नालियों के ऊपर प्रक्षेपण के लिए और धारा 265 के अधीन सड़कों के अस्थायी अध्यासन के लिए अनुमति दी जा सकती है।

(च) बाजार, बधशाला, भोजन की बिक्री इत्यादि

(क) नगरपालिका द्वारा दिये गये लाइसेन्स के व्यतिवम में या इस प्रकार दिये गये लाइसेन्स की शर्तो से भिनन प्रकार से किसी स्थान का वधशाला के रूप में, या मानव भोजन के लिए आशयित पशु, अथवा मांस या मछली की बिक्री के लिए किसी बाजार या दुकान के रूप में, या फल या सब्जियों की बिक्री के लिए किसी बाजार के रूप में, उपयोग करने की धारा 241 के उपबन्ध के अधीन रहते हुए, प्रतिषेध करना,

(ख) ऐसी शर्तो को जिनके अधीन, और ऐसी परिस्थितियों को, जिनमें और ऐसे क्षेत्र या स्थलों को विहित करना जिनके सम्बन्ध में ऐसे उपयोग के लिए लाइसेन्स स्वीकृत, अस्वीकृत या निलम्बित किये जा सकते हतै या वापस लिये जा सकते है,

(ग) पूर्वोक्त रूप में उपयोग में लाये गये किसी स्थान का निरीक्षण करने और उसमें कारबार के संचालन के विनियम की व्यवस्था करना जिससे उसमें स्वच्छता सुनिश्चित हो सके या किसी ऐसे हानिकारक संतापकारी, या खतरनाक प्रीााव को, जो उससे उत्पन्न हो या जिसके उत्पन्न होने की संभवना हो, कम से कम किया जा सके;

(घ) बाजारों और वधशालाओं अश्वशालाओं, पड़ाव भूमि, सराय, आटे की चक्यियों नानबाई के तन्दूर, (बेकरी) खाद्य या पेय के विनिर्दिश्ट पदार्थो के निर्माण, तैयार करने या बिक्री के या बिक्री या किराये के लिए पशुओं को, या ऐसे पशुओं को जिनका उत्पाद बेच दिया जाता है, रखने या प्रदर्शित करने के स्थानों को और सार्वजनिक मनोरंजन या समागम के स्थानों को स्थापित करने के लिए और सिवाय उस दशा के जहां तक कि उपशीर्षक (ग) के अधीन उपविधि द्वारा उपबन्ध किया जाये, उनके विनियम और निरीक्षण के लिए और उनमें समुचित और स्वच्छता से कारबार का संचालन करने के लिए व्यवस्था करना;

(घघ) ऐसी शर्तो को, जिनके अधीन रहते हुए, और ऐसी परिस्थितियो को, जिनमें और ऐसे क्षेत्रों या स्थलों को विहित करना जिनके सम्बन्ध में, उपशीर्षक (घ) के प्रयोजनों के लिए लाइसेन्स स्वीकृत, अस्वीकृत, निलम्बित किये जा सकते हैं या वापस लिये जा सकते है, और ऐसे लाइसेन्सों के लिए देय फीस निर्धारित करना, और नगरपालिका द्वारा दिये गये लाइसेन्स के व्यतिक्रम में या इस प्रकार दिये गये लाइसेन्स की शर्तो से भिन्न प्रकार से, उपशीर्षक (घ) में उल्लिखित कारबार के स्थानों को स्थगित करने का प्रतिशेध करना;

(ङ) ऐसी नगरपालिका में जहां नगरपालिका द्वारा युक्तियुक्त संख्या में वधशालाओं की व्यवस्था की गई हो या उनके लिए लाइसेन्स दिये गये हों, नगरपालिका की सीमा के भीतर उस वधशाला या स्थान में, जिसका इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षण न किया जाता हो या जिसके लिए लाइसेन्स न दिया गया हो, वध किये गये किसी पशु भेड़, बकरे या सुअर का मांस (सुखाये गये परिरक्षित मांस को छोड़कर) बिक्री के प्रयोजनों के लिए जाने को नियंत्रित और विनियमित करना।

(छ) संतापकारी व्यापार

(क) सिवाय उस दशा में जहां इन्डियन पेट्रोलियम एक्ट, 1899 अधिनियम संख्या 8 सन् 1899 में या तद्धीन बनाया गया नियमावली में कोई बात दी गई हो ओर जहां तक कि वह उसमें दी हुई किसी बात से असंगत हो नगरपालिका द्वारा स्वीकृत लाइसेन्स के व्यतिक्रम में या इस प्रकार स्वीकृत लाइसेन्स की शर्तो से भिन्न प्रकार से किसी स्थान या निम्नलिखित किसी फैक्ट्री या कारबार के अन्य स्थान के रूप में उपयोग करने का प्रतिषेध करना–

(i) छीछड़ो रक्त, हड्डियों, अंतड़ियों या चीथड़ो को उबालना या संग्रह करना,

(ii) खाल, सींग या चमड़े का संग्रह करना,

(iii) चर्मशोशन,

(iv) चमड़ेक या चमड़े के सामान का निर्माण,

(v) रंगाई,

(vi) चर्बी या गंधक चलाना,

(vii) ईट, खपरैल, मिट्टी के बर्तन या चूना गलाना या पकाना,

(viii) साबुन बनाना,

(ix) तेल उबालना,

(x) सूखी घास, भूसा, छप्पर छाने को घास, लकड़ी, कोयला या अन्य खतरनाक ज्वलनशील सामग्री संग्रह करना,

(xi) पेट्रोलियम या कोई ज्वलनशील तेल या स्प्रिट संग्रह करना,

(xii) रूई या रूई या कचरा संग्रह करना या दबाना,

(xiii) कोई ऐसा अन्य प्रयोजन, यदि इस प्रकार उपयोग करने से लोक अपदूषण उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लगने का जोखिम हो;

(ख) ऐसी परिस्थितियों को जिनमें ओर ऐसे क्षेत्रों या स्थलों को, जिनके सम्बन्ध में लाइसेन्स स्वीकृत, अस्वीकृत या निलम्बित किये जा सकते है या वापस लिये जा सकते है, विहित करना (किन्तु इस प्रकार नहीं कि उससे धारा 245 द्वारा नगरपालिका को प्रदत्त किसी शक्ति का अल्पीक (ख) हो जाये); और

(ग) पूर्वोक्त रूप से उपयोग में लाये गये किसी स्थान में कारबार के संचालन के निरीक्षण और विनियमन की व्यवस्था करना, जिससे उसमें स्वच्छता प्रतीक हो सकें या किसी ऐसे हानिकर संतापकारी या खतरनाक प्रभाव को जो उससे उत्पन्न हो या जिनके उत्पन्न होने की सम्भावना हो, कम से कम किया जा सके।

(ज) लोक सुरक्षा और सुविधा

(क) नगरपालिका के भीतर उपयोग में लाये जाने वाले मानक बाट और माप विहित करना, और उनके निरीक्षण की व्यवस्था करना,

(ख) सड़कों में किसी प्रकार के यातायात के विनियमन और प्रतिषेध की व्यवस्था करना, जहां ऐसा विनियमन या प्रतिषेध करना नगरपालिका की आवश्यकता प्रतीत हो;

(ग) नगरपालिका की सीमा के भीतर किराये पर रखी गई या किराये पर चलने वाली गाड़ियों (मोटरगाड़ियों से भिन्न) नावों या पशुओं के स्वामियों या चालकों पर या ऐसे व्यक्तियों पर जो बोझा ढोने के प्रयोजनार्थ स्वयं मजदूरी करें, लाइसेन्स लेने की बाध्यता अधिरोपित करना, और ऐसे लाइसेन्सों के लिए देय फीस और शर्ते निर्धारित करना जिन पर ऐसे लाइसेन्स स्वीकृत किये जायेंगे और प्रतिसंहृत किये जा सकेंगे;

(घ) ऐसी दरों का जिनकी किसी वाहन, ठेला नाव या अन्य सरावी के किराये के लिए या बोझा ढोने के लिए किराये पर लिये गये पशुओं के लिए, या बोझा ढोने के लिए रखे गये व्यक्तियों की सेवाओं के लिए मांग की जोय और ऐसे बोझा का परिसीमन करना जो इन

सवारियों पशुओं या व्यक्तियों द्वारा ढोया जाये, जब उन्हें नगरपालिका की सीमा के भीतर चौबीस घन्टे में अनधिक की अवधि के लिए या ऐसी सेवा के लिए जिसका सम्पादन साधारणतया चौबीस घन्टे के भीतर हो जाये, किराये पर रखा जाये;

(ड़) किसी विनिर्दिष्ट सड़क या क्षेत्र में लोक वेश्याओं के रने और वेश्यागृह चलाने, या किसी गृह या भवन को लोक वेश्याओं को या वेश्यागृह के लिए किराये पर देने या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने का प्रतिषेध करना;

(च) बिल और विज्ञापन चिपकाये जाने का विनियमन;

(छ) ऐसे स्थान जहॉं नावें बांधी जा सकेंगी, उन पर माल लादा याउनसे माल उतारा जा सकेगा, निश्चित करना और उनके उपयोग को विनियमित करना औरे ऐसे स्थानों के सिवाय जो नगरपालिका द्वारा विहित किये जायें, अन्य स्थान पर नाम बांधने, उन पर माल लादने औरउनसे माल उतारने का प्रतिषेध करना;

(ज) नगरपालिका की सीमा के भीतर छुट्टा स्वामीहीन पशुओं के अभिग्रहण और अधिहरण की व्यवस्था करना;

(झ) पशुओं के रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था करना;

(ट) यह अपेक्षा करना कि प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत पशु पट्टा पहनेगा जिसमें नगरपालिका द्वारा दिया गया प्रतीक लगा रहेगा।

(ठ) यह व्यवस्था करना कि कोई पशु जब तक कि यह रजिस्ट्रीकृत न हो, और ऐसा प्रतीक न पहने हो, यदि किसी लोक स्थान में पाया जाये तो उसे नष्ट कर दिया जायेगा या उसका अन्यथा निस्तारण कर दिया जायेगा;

(ड़) लोक सुरक्षा या सुविधा की अभिवृद्धि की दृष्टि से किसी ऐसे कार्य का प्रतिषेध या विनियमन करना जिसमें लो न्यूसेन्स उत्पन्न होने की सम्भावना हो और जिसके प्रतिषेध या विनियमन के लिए इस शीर्षक के अधीन कोई उपबन्ध न किया गयाहो;

(ढ) पशुओं को परिरूद्ध करने, हटाने या नष्ट करने की व्यवस्था करना;

[6]{(ण) मवेशियों को पालने और बांध कर रखने को विनियमित करना;

(झ) स्वच्छता और रोग निवारण

(क) सार्वजनिक स्वस्थ्य के लिए खते के निवारण के प्रयोजनार्थ घोड़ो, ऊंटो, मवेशियों, सुअरों, गदहों, भेड़ों या बकरियों को थान में बांधने या उन्हे झुण्ड में रखने का विनियमन या प्रतिषेध करना;

(ख) ग्वालों या दूध–विक्रेताओं के रूप में व्यापार करने वाले व्यक्तियों के अध्यासन में स्थित दुग्धशालाओं और पशु–शालाओं के निर्माण, उनकी लम्बाई–चौड़ाई, उनमें संवातन, रोशनी, सफाई, जल–निस्सारण और जल–सम्भरण को विहित और विनियमित करना और दुधारूपशुओं के निरीक्षण की व्यवस्था करना तथा दूध के भण्डारों, दूध की दुकानों और ग्वालों या मक्खन विक्रेताओं द्वारा दूध या मक्खन रखने के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले पात्रों की स्वच्छता को सुनिश्चित करना;

(ग) कब्रिस्तान या श्मशान भूमि के उपयोग और प्रबन्ध को नियन्त्रित और विनियमित करना और जहॉं ऐसी भूमि की व्यवस्था नगरपालिका द्वारा की गयी हो तो यहॉं उसके लिए ली जाने वाली फीस निश्चित करना और शब को कब्रिस्तान या श्मशान भूमि पर ले जाने के लिए मार्ग विहित या प्रतिषिद्ध करना;

(घ) स्वच्छता और सफाई विनियमित करना;

(ड़) यह घोषित करना कि किसी स्थान का, जब तक कि उसके विशेष रूप से छूट न दी गयी हो, आवास–गृह के रूप में तब तक उपयोग नहीं किया जायेग जब तक कि नगरपालिका द्वारा उसे उस रूप में उपयोग करने का सम्यक् रूप से लाईसेन्स न दिया गया हो और ऐसी शर्ते विहित करना, जिनके अधीन रहते हुए ऐसे लाईसेन्स स्वीकृत, अस्वीकृत, निलम्बित किये जा सकेंगें या वापस लिये जा सकेंगें, और ऐसे लाईसेन्सों के लिए देय फीस निश्चित करना;

(च) पूर्ववर्ती उप–शीर्षक के अधीन बनायी गयी किसी उपविधि के व्यतिवम में आवासगृहों का रजिस्ट्रीकरण तथा निरीक्षण करने, अत्यधिक भीड़भाड़ के निवारण, उनमें सफाई औरसंवातन में सुधार लिये और उनमें किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग के फैलने की स्थिति में दिये जाने वाली नोटिस और बरती जाने वाली सावधानी को विहित करने और सामान्य आवास–गृहों के उचित विनियमन के लिए व्यवस्था करना;

(छ) विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए सिवाय नगरपालिका को अनुज्ञा के उल्लंघन करने, मलकूप, टंकियां या गड़ढे बनाने का प्रतिषेध करना और ऐसी शर्ते विनिर्दिष्ट करना, जिनके अधीन रहते हुए ऐसी अनुज्ञा दी जाये;

(ज) स्वच्छता या रोग–निवारण की दृष्टि से किसी ऐसे कार्य प्रतिषेध या विनियमनकरना, जिससे लोक न्यूसेंस उत्पन्न हो या उत्पन्न होने की सम्भावना हो और जिसके प्रतिषेध या विनियमन के लिए इस शीर्षक के अधीन कोई उपबन्ध न किया गया हों।

(ञ) प्रकीर्ण

(क) किसी ऐसे कार्य का प्रतिषेध या विनियमन करना, जिससे लोक अपदूषण उत्पन्न हो या उत्पन्न होने की सम्भावना हो और जिसके प्रतिषेध या विनियमन के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कोई उपबन्ध न किया गया हो;

(ख) नगरपालिका के भीतर जन्म, मृत्यु तथा विवाह का रजिस्ट्रीकरण और जनगणना कराने और ऐसी सूचना, जो ऐसे रजिस्ट्रीकरण या जनगणना को प्रभावकारी बनाने के लिए आवश्यक हो, अनिवार्य रूप से देने की व्यवस्था करना;

(ग) नगरपालिका के भीतर किसी ऐसी वस्तु को, जो सरकार की या नगरपालिका की सम्पत्ति हो या नगरपालिका के नियन्त्रण में हो, क्षति पहूंचाने या उसमें हस्तक्षेप करने से संरक्षणके लिए;

(घ) इस अधिनियम की धारा 196(ग) के अधीन गृह–सम्मार्जन या शौचालयों और संडासों की सफाई के लिए या किसी अन्य नगरपालिका सेवा या उपक्रम के लिए दिये जाने वाले धारा 293 (1) या धारा 294 के अधीन दिये जाने वाले किसी प्रभार या फीस को या प्रभार या फीस के किसी मापमान को नियत करना और ऐसा समय विहित करना, जब ऐसा प्रभार याफीस देय होगी, और उसके भुगतानको प्रापत करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों को पदाभिहित करना;

(ड़) नगरपालिका के भीतर और नगरपालिका के नियन्त्रण में मेले और औद्योगिक प्रदर्शनियां आयोजित करने की व्यवस्था करना और उासमें उद्ग्रहणीय फीस नियत करना;

(घ) नगरपालिका में स्थित भवनों या भूमि के स्वामियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जो नगरपालिका के भीतर या उसके निकट निवास करते हों, इस अधिनियम के या किसी नियम या उपविधि के सभी या किसी प्रयोजन के लिए अपने अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करने की अपेक्षा करना और ऐसी नियक्ति को विनियमित करना;

(छ) [4]{नगरपालिका} के या उसके कब्जे में ऐसे अभिलेख और दस्तावेज विनिर्दिष्ट करना जिनका निरीक्षण किया जा सकेगा या जिनकी प्रतियॉ दी जा सकेगी और ऐसे प्रभार विनिर्दिष्ट करना, जो उक्त अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने या उनकी प्रतियॉ दिये जाने के लिए उद्ग्रहणीय होगें, और निरीक्षण करने और प्रतियॉ दिये जाने को विनियमित करना;

(ज) औषधीय भेषजों की बिक्री और औषधि तैयार करने के लिए लाइसेन्स देने की व्यवस्था करना;

(झ) ऐसी धात्रियों और दाइयों; जो, सार्वजनकि रूप से अपना व्यवसाय करती हों, रजिस्ट्रीकरण और उन पर नियन्त्रण रखने की व्यवस्था करना;

(ज) {***}

(ट) प्रसूति केन्द्र तथा शिशु–कल्याण क्लीनिक स्थापित करने और उसके अनुरक्षण की व्यवस्था करना;

(ठ) शारीरिक सम्बर्धन और दुग सम्भरण संस्थायें स्थापित करने उनके अनुरक्षण और उन्हें सहायक अनुदान देने की व्यवस्था करना;

(ड) रेडियों संग्राही स्टेशनों का अधिष्ठान और उनके अनुरक्षण की व्यवस्था करना;

(ढ) शिशु–सदन और महिला उद्धार–गृह स्थापित करने और उनके अनुरक्षण की व्यवस्था करना;

(ण) अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गो की सामाजिक नियोग्यताओं को दूर करने की व्यवस्था करना;

(त) भिक्षा–वृत्ति पर नियन्त्रण रखने के लिए कार्य करना;

(थ) किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र से दूसरे विनिर्दिष्ट में वेश्याओं को हटाने के लिए कार्यवाही करना।

(द) मिट्टी के बर्तन बनाने के व्यवसाय में परम्परागत रूप से जुड़े हुए व्यक्तियों की भूमि के आबंटन के लिए व्यवस्था और रीति;

स्पष्टीकरण– किसी व्यक्ति को ऐसे व्यवसाय में परम्परागत रूप से जुड़ा हुआ समझा जायेगा यदि वह व्यक्तियों के ऐसे वर्ग का हो जैसा कि राज्य सरकार द्वरा इस रूप में अधिसूचित किया जायें;

सूची–II

पर्वतीय नगरपालिका के लिए अग्रत्तर उपविधियां

(ज) लोक सुरक्षा और सुविधा

(ढ) वृक्षों या झाड़ियों को काटने या नष्ट करने या उत्खनन करने या मिट्टी हटाने या खदान कार्य का विनियम या प्रतिषेध करना और भवनों और अहातों में परिवर्तन मरम्मत और उनके समुचित अनुरक्षण की, मार्गो और उपमार्गो को बन्द करने की और किसी गिरि पार्श्व की सतही भूमि के सामान्य संरक्षण की व्यवस्था करना, जहां नगरपालिका को ऐसा प्रतीत हो कि किसी जल–सम्भरण के अनुरक्षण, भूमि के परिरक्षण, भू–स्खलन या खड्डे निर्माण या प्रचण्ड धारा को रोकने, भूमि को कटाव से बचाने या उस पर रेत कंकड़ या पत्थरों के जमा होने से रोकने के लिए ऐसी उपविधि आवश्यक है;

(ण) किसी भवन की उसके अन्य भवनों से संलग्न होने से सबसे ऊपर की मंजित में इस कारण आग जलाने का प्रतिषेध करना कि उसमें लगाने की दशा में उक्त अन्य भवनों के लिए खतरा हो सकता है और जिस मंजिल की दीवारों की ऊंचाई सात फुट से अधिक न हो, या लैम्प या मोमबत्तियों के लिए स्टैन्ड इस प्रकार रखने का प्रतिषेध करना जो नगरपालिका की राय में लोक सुरक्षा के लिए खतरनाक हो;

(त) मार्ग के नियम को विनियमित करना;

(ध) नगरपालिका के भीतर

(i) माल ढोने के लिए कुलियों का कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए;

(ii) एक दिन या उसके किसी भाग के लिए किराये पर चलने वाले पशुओं, गाड़ियों और अन्य वाहलों के लिएये; और

(iii) ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो गाड़ियों या अन्य वाहनों को खीचते हो या चलाते हो; लाइसेन्स लेना आवश्यक बनाना,

(द) ऐसी शर्ते विहित करना, जिनके अधीन रहते हुए ऐसे लाइसेन्स स्वीकृत, अस्वीकृत, निलम्बित किये जा सकते हैं या वापस लिये जा सकते हैं;

(ध) उपर्युक्त कुलियों की सेवाओं के लिए और ऐसे पशुओं, गाड़ियों या अन्य वाहनों के किराये के लिए और ऐसी गाड़ियों या वाहनों को खींचने या चलाने वाले व्यक्तियों के पारिश्रमिक के लिए दिये जाने वाले प्रभार को विनियमित करना।

(झ) स्वच्छता और रोग–निवारण

(झ) बाजार में किसी परिवार की अश्वशाला या गौशाला के रूप में या भेड़, बकरी और कुक्कुट आदि के लिए स्थान के रूप में उपयोग करने के लिए लाइसेन्स लेना आवश्यक बनाना,

(ञ) मकानों और निवास स्थानों में अत्यधिक भीड़ का निवारण करना; और

(ञ) प्रकीर्ण

(झ) नगरपालिका में प्रवेश करने वाले या वहां से जाने वाले व्यक्तियों के लिए सामान्यतया या विशिश्ट मास में रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था करना।

299. नियमों और उप–विधियों का अतिलंघन– (1) कोई नियम बनाने में राज्य सरकार और उपविधि बनाने में नगरपालिका, राजय सरकार की स्वीकृति से निर्देश दे सकेगी कि उक्त नियम या उपविधि का भंग किया जाना, जुर्माने से दण्डनीय होग, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाये तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जा सकेगा, जो प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, पच्चीस रूपये तक हो सकेगा–

नगरपालिका ऐसी ही स्वीकृति से किसी ऐसे नियम का जो संयुक्त प्रान्त म्यूनिसिपलिटीज अधिनियम 1873 (1877 का अधिनियम सं0 15) के अधीन विधिपूर्वक बनाया गयाहो और अब भी प्रवृत्त हो, भंग करने के लिए लिए इसी प्रकार शास्ति विहित कर सकेगी।

{**300. राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों आदि का पूर्व–प्रकाशन–**(1) इस अध्याय के अधीन नियम या विनियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति को ऐसे नियम तथा विनियम का पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाये जाने और सरकार बजट में उनके प्रकाशित होने तक प्रभावित न होने की शर्त के अधीन होगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई नियम या विनियम सभी नगरपालिकाओं के लिए या ऐसी सभी नगरपालिकाओं के लिए जिन्हे उनके प्रवर्तनसे स्पष्टतः अलग न किया गया हो, सामान्य हो सकता है, या किसी एक या एक से अधिक सम्पूर्ण नगरपालिका या उसके किसी भाग के लिए जैसा राज्य सरकार निर्देश दे, विशेष हो सकता है।

301.विनियमों और उपविधियों का प्रकाशित किया जाना– (1) धारा 298 के अधीन उपविधियॉ बनाने की नगरपालिका की शक्ति ऐसी उपविधियों के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाये जाने की शर्त के अधीन होगी।

(2) धारा 297 और संयक्त प्रान्त प्रारम्भिक शिक्षा अधिनियम, 1919 के अधीन बनाये गये विनियम और धारा 298 के अधीन बनायी गयी उपविधियॉ सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेंगी।

(**301–क. राज्य सरकार उपविधियों को परिष्कृत या निरस्त कर सकेगी–**(1) यदि राज्य सरकार को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि किसी उपविधि को पूर्णतः या अंशतः परिश्कृत या निरस्त किया जाना चाहिए, तो वह अपने ऐसे मत के कारण नगरपालिका को सूचित करेगी और एक उपयुक्त अवधि विहित करेगी, जिसके भीतर उसके सम्बन्ध में नगरपालिका कोई ऐसा अभ्यावेदन कर सकगी जिसे वह उचित समझे।

(2) ऐसे किसी अभ्यावेदन के प्राप्त होने और उस पर विचार करने के पश्चात् या यदि उस समय के भीतर कोई अभ्यावेदन प्राप्त न हुआ हो तो विहित अवधि के समाप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा उक्त उपविधि को पूर्णतः या अंशतः परिष्कृत या निरस्त कर सकेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी उपविधि या परिष्कार या निरसन अधिसूचना के शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगा।

——————

अध्याय 10
प्रक्रिया
नगरपालिका नोटिस

302. **अनुपालन के लिए समुचित समय निश्चित करना**—जहां इस अधिनियम की किसी बात के अधीन किसी नियम या उपविध के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस में कोई ऐसा कार्य किये जाने की अपेक्षा की जाये, जिसके लिए ऐसी धारा या नियम या उपविधि में कोई समय निश्चित न किया गया हो वहां नोटिस में ऐसा कार्य किये जाने के लिए समुचित समय विनिर्दिष्ट किया जायेगा और यह अवधारण करना न्यायालय पर निर्भर करेगा कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गया समय इस धारा के अर्थान्तर्गत समुचित समय है या नहीं।

303. **नोटिस की तामील**—(1) इस अधिनियम की किसी धारा के अधीन या किसी नियम या उपविधि के अधीन जारी या तैयार किया गया प्रत्येक नोटिस या बिल जब तक कि ऐसी धारा या नियम या उपविधि में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो, निम्नलिखित रूप में तामील या प्रस्तुत किया जायेगा—

(क) ऐसी नोटिस या बिल या उस व्यक्ति जिसे वह सम्बोधित हो, देकर या प्रस्तुत करके या उसे उाक द्वारा भेजकर; या

(ख) यदि ऐसे व्यक्ति का पता न चले तो उक्त नोटिया या बिल को उस व्यक्ति के अन्तिम ज्ञात वास स्थान पर, यदि वह नगरपालिका की सीमा के भीतर हो, छोड़कर या उक्त नोटिस या बिल उसके परिवार के किसी वयस्क पुरूष सदस्य या सेवक को देकर या प्रस्तुत करके या उक्त नोटिस या बिल या उस भवन या भूमि के (यदि कोई हो) जिससे उस नोटिस या बिल का सम्बन्ध हो, किसी सहजदृश्य भाग पर लगा करः

(2) जब इस अधिनियम के अधीन या किसी नियम अथवा उपविधि के अधीन कोई नोटिस इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी नियम या उपविधि के अधीन किसी भवन या भूमि के स्वामी या अध्यासी पर तामील करना अपेक्षित हो या तामील करने की अनुज्ञा दी गयी हो तो उसके स्वामी या अध्यासी का नाम देना आवश्यक न होगा और उसकी तामील ऐसे मालों में जिसके लिए इस अधिनियम में विशेष रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो, या तो—

(क) स्वामी या अध्यासी को या यदि एक से अधिक स्वामी या अध्यासी हो, तो उनमें से किसी एक को नोटिस देकर या प्रस्तुत करके या उसे डाक द्वारा भेजकर; या

(ख) यदि किसी ऐसे स्वामी या अध्यासी का पता न चले तो उसके परिवार के किसी व्यस्क पुरूष सदस्य या सेवक को नोटिस देकर या प्रस्तुत करके या उस भवन या भूमि के, जिससे उसका सम्बन्ध हो, किसी सहजदृश्य भाग पर नोटिस लगाकर, की जायेगी।

(3) जब ऐसा व्यक्ति जिस पर नोटिस या बिल तामील किया जाताहै, अवयस्क हो, तो उसके संरक्षक या उसके परिवार के किसी वयस्क पुरूष सदस्य या सेवक पर उसकी तामील करना उक्त अवयस्क पर तामील करना समझा जायेगा।

304. **सार्वजनिक नोटिस देने की रीति**—इस अधिनियम में या किसी नियम, विनियम या उपविधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे प्रत्येक मामलें में जहां नगरपालिका द्वारा सार्वजनिक नोटिस दिया जाना हो, ऐसा नोटिस दे दिया गया समझा जायेगा, यदि वह किसी स्थानीय अंग्रेजी या स्थानीय भाषा का समाचार—पत्र में (यदि कोई हो) प्रकाशित किया जाये या उसे ऐसे भवन के, जिसमें सामान्यतया नगरपालिका की बैठकें होती हो, सूचना पट्ट पर सार्वजनिक सूचना के लिए प्रदर्शनार्थ चिपका दिया जाये।

305. **त्रुटिपूर्ण आकार पत्र**—कोई नोटिस या बिल आकार पत्र की त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगा।

306. **जन साधार पर लागू किसी सार्वजनिक नोटिस या अधिनियम के उपबन्ध की अवज्ञा**— जहां इस अधिनियम या तद्धीन जारी किये गये किसी नोटिस द्वारा जनसाधारण से कोई कार्य करने या उससे विरत रहने की अपेक्षा की जाये, वहां ऐसा व्यक्ति जो ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहता है, यदि इस प्रकार विफल रहना किसी अन्य धारा के अधीन दण्डनीय अपराध न हो, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्ध ठहराये जाने पर प्रत्येक बार इस प्रकार विफल रहने के लिए एक हजार रूपये से अनधिक जुर्माने के, और निरन्तर भंग करने की दशा में अग्रेत्तर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात्, जिसमें अपराधी द्वारा निरन्तर भंग किया जाना साबित हो, प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रूपये तकत हो सकेगा।

307. **किसी व्यक्ति को जारी किये गये नोटिस की अवज्ञा**—यदि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम या किसी नियम या उपविध के उपबन्धों के अधीन कोई नोटिस दिया गया हो जिसमें उससे नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में चाहे वह जंगम या स्थावर, सार्वजनिक हो या निजी कोर्ठ कार्य निष्पादित करने या किसी कार्य की व्यवस्था करने या उसे करने से विरत रहने की अपेक्षा की गयी हो और यदि ऐसा व्यक्ति उस नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहता है तो—

(क) नगरपालिका ऐसे कार्य को निष्पादित करवा सकेगी या ऐसी बात की व्यवस्था कर सकेगी या उसे करवा सकेगी और इस सम्बन्ध में उसके द्वारा उपगत समस्त व्यय को उस व्यक्ति से अध्याय 6 में उपबन्धित रीति से वसूल कर सकेगी और अग्रेत्तर यह कि—

(ख) उक्त व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्ध ठहराये जाने पर जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा और निरन्तर भंग करने की दशा में अग्रेत्तर जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोषसिद्ध के दिनांक के पश्चात् जिसमें अपराधी द्वारा निरन्तर भंग किया जाना साबित हो, प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रूपये तक हो सकेगा।

308. **स्वामी के चूक करने पर अध्यासी का भुगतान करने का दायित्व**—(1) यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 307 में उल्लिखित नोटिस दिया गया हो, उस सम्पत्ति का जिसके सम्बन्ध में वह दिया गया हो, स्वामी हो, तो नगरपालिका (चाहे ऐसे स्वामी के विरूद्ध कोई वाद लाया गया हो या अन्य कार्यवाही की गई हो या नहीं) ऐसे व्यक्ति से, यदि कोई हो, जिसके अध्यसन में उक्त स्वामी के अधीन ऐसे सम्पत्ति या उसका कोई भाग हो, यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में उसके द्वारा देय किराये का, जब वह देय हो जोय, धारा 307 के अधीन स्वामी से वसूल की जा सकने वाली धनराशि तक स्वामी को भुगतान के के बजाय नगरपालिका को भुगतान कर और अध्यासी द्वारा नगरपालिका को दिया गया कोई भी ऐसा भुगतान, उक्त सम्पत्ति के स्वामी और अध्यासी के बीच इसके प्रतिकूल कोई संविदा न होने पर, ऐसी सम्पतित के स्वामी को किया गया समझा जायेगा।

(2) यह विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए कि उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही की जानी चाहिये या नहीं, नगरपालिका सम्पत्ति के अध्यासी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी सम्पत्ति के लिए किराये के रूप में देय धनराशि के सम्बन्ध में और उस व्यक्ति के नाम और पते के सम्बन्ध में, जिसे वह देय हो, सूचना प्रस्तुत करे और यदि अध्यासी ऐसी सूचना प्रस्तुत करने से इन्कार करे तो वह सम्पूर्ण व्यय के लिए देनदान होगा, मानों वह स्वामी हो।

(3) इस धारा के अधीन नगरपालिका द्वारा वसूल किया जा सकने वाला सम्पूर्ण धन अध्याय 6 में उपबन्धित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

309. **स्वामी के चूक करने पर अध्यासी द्वारा निर्माण कार्य को निष्पादित करने का अधिकार**—जब कभी किसी भवन या भूमि के स्वामी द्वारा इस अधिनियम के द्वारा या अधी न अपेक्षित किसी निर्माण कार्य के निष्पादन करने में चूक की जाये तो ऐसे भवन या भूमि का अध्यासी

नगरपालिका के अनुमोदन से ऐसे कार्य को निष्पादित करा सकेगा और उसके व्यय का भुगतान किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर स्वामी द्वारा उसे किया जायेगा या धनराशि की कटौती उसके द्वारा ऐसे स्वामी की समय–समय पर देय होने वाले किराये में से की जा सकेगी।

310. **अध्यासी द्वारा निष्पादन का विरोध किये जाने पर प्रक्रिया**–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन जारी की गयी किसी नोटिस के अनुपालन में किसी भवन या भूमि के स्वामी से उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने के आशय की सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात् अध्यासी उक्त स्वामी को ऐसी कार्यवाही करने की अनुमति देने से इन्कार करे तो स्वामी मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा।

(2) मजिस्ट्रेट ऐसे इन्कार किये जाने का सबूत मिलने या लिखित रूप में आदेश दे सकेगा जिसमें अध्यासी से स्वामी को उक्त भवन या भूमि के सम्बन्ध में ऐसे सभी निर्माण कार्य जो उक्त नोटिस के अनुपालन के लिए आवश्यक हो, निष्पादित करने की अनुमति देने की अपेक्षा की गयी हों और यदि वह उचित समझे, अध्यासी को यह भी आदेश दे सकेगा कि वह स्वामी को ऐसे आवेदन पत्र या आदेश से सम्बन्धित व्यय का भुगतान करें।

(3) यदि मजिस्ट्रेट के आदेश के दिनांक से आठ दिन समाप्त होने के पश्चात्, अध्यासी स्वामी को ऐसा निर्माण कार्य निष्पादित करने की अनुमति देने से इन्कार करते रहे तो अध्यासी दोषसिद्ध ठहराये जाने पर जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें वह इस प्रकार अनुमति देने से इन्कार करता रहा है, पच्चीस रूपये तक हो सकेगा दण्डनी य होगा।

(4) प्रत्येक स्वामी इस प्रकार इन्कार किये जाने के दौरान किन्हीं ऐसी शास्ति से उन्मुक्त रहेगा जिनके लिए वह ऐसे निर्माण कार्य के निष्पादन में उसके द्वारा चूक करने के कारण अन्यथा दण्डनीय होता।

311. **अध्यासी द्वारा कार्य के परिव्यय की वसूली**–जब किसी भवन या भूमि के अध्यासी ने इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किये गये नोटिस के अनुपालन में कोई ऐसा निर्माण कार्य निष्पादित किया हो जिसके लिए ऐसे भवन याभूमि का स्वामी, या तो किरायेदारी के संविदा के अनुसरण में या विधि द्वारा उत्तरदायी हो तो वह किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर, ऐसे निर्माण कार्य के समुचित व्यय को उसके द्वारा देय किराये से कटौती करके या अन्यथा स्वामी से वसूल करने का हकदार होगा।

312. **धारा 21, 263, 264, 265 और 273 के अधीन नगरपालिका द्वारा हटाये जाने के कार्य के व्यय की वसूली**–(1) नगरपालिका द्वारा धारा 263 या 265 के अधीन हटाने का कोई कार्य करने में, या धारा 211, 263, 264 या 278 के अधीन जारी की गयी लिखित नोटिस का धारा 307 के अधीन अनुपालन न किये जाने की दशा में, किया गया व्यय, हटायी गयी सामग्री की बिक्री से वसूल किया जा सकेगा और यदि ऐसा विक्रय आगम पर्याप्त न हो तो शेष धनराशि उक्त सामग्री के स्वामी से अध्याय 6 में उपबन्धित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

(2) यदि किसी मामलें में हटाने के कार्य का व्यय का सामग्री की बिक्री किये जाने के पूर्व भुगतान कर दिया जाय तो नगरपालिका उक्त सामग्री उसके स्वामी को उसके बेचे जाने या अन्यथा निस्तारण किये जाने के पूर्व किसी भी समय उसके द्वारा उसके लिए दावा किये जाने पर या ऐसे अन्य समस्त व्यय का, यदि कोई हो, तो नगरपालिका द्वारा उसके सम्बन्ध में या उसकी आशयित बिक्री या उसके निस्तारण के सम्बन्ध में किया गया हो, उसके द्वारा भुगतान किये जाने पर वापस कर देगा।

(3) यदि सामग्री का उसके स्वामी द्वारा कोई दावा न किया जाये तो उसे यथा शीघ्र सुविधानुसार उसे हटाने के दिनांक से एक मास के पश्चात् चाहे इस बीच हटाने जाने के व्यय का भुगतान कर दिया हो या नहीं, नीलाम द्वारा बेच दिया जायेगा, या उसका अन्यथा निस्तारण कर दिया जायेग, जैसा नगरपालिका ठीक समझें, और बिक्री या अन्य निस्तारण के आगम को उसमें से बिक्री या अन्य निस्तारण के व्यय और

यदि आवश्यक हो तो हटाये जाने का व्यय चुकता करने के पश्चात् नगरपालिका निधि में जमा कर दिया जायेगा और यह नगरपालिका की सम्पत्ति हो जायेगी।

313. **अभिकर्ता और न्यासों को अनुतोष**–(1) जब कोई व्यक्ति किसी व्यकित के सोसाइटी का न्यासी या अभिकर्ता के रूप में स्थावर सम्पत्ति का किरया प्रापत करने, या प्राप्त करने का हकदार होने के कारण, इस अधिनियम के अधीन ऐसे बाध्यता के निर्वहन के लिए आबद्ध हो जो उक्त सम्पत्ति के स्वामी पर इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की गयी हो और उसके निर्वाहन के लिए धन अपेक्षित हो तब वह उक्त बाध्यता का निर्वहन करने के लिए तब तक आबद्ध नहीं होगा, जब तक कि उसके पास स्वामी की ऐसी निधि न हो जो इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त हो या जो स्वयं उसके कोई अनुचित कार्य या व्यतिक्रम न करने के कारण रही होती।

(2) जब कोई अभिकर्ता या न्यासी इस धारा के अधीन अनुताष के लिए अपने अधिकार का दावा करे और उसे सिद्ध करे तब नगरपालिका उसे नोटिस दे सकता है कि वह उपर्युक्त बाध्यता के निर्वहन के लिए ऐसे धन का प्रयोग करे जो स्वामी की ओर से या स्वामी के लिए सर्वप्रथम उसे प्राप्त हो, और यदि वह ऐसी नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहता है तो उसे स्वयं उपर्युक्त बाध्यता क`निर्वहन के लिए उत्तरदायी समझा जायेगा।

अभियोजन

314. **अभियोजन का प्राधिकार**–जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का (जिनकी सूची अनुसूची आठ में केवल सुगम निर्देश के प्रयोजन से दी गई है) या किसी नियम या उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा, सिवाय इसके कि नगरपालिका या नगरपालिका द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश से प्राधिकृत किसी व्यक्ति ने शिकायत की हो या इनसे कोई सूचना प्राप्त हुई हो।

315. **अपराध का शमन करने की शक्ति**–(1) किसी नगरपालिका का अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी, या ऐसी नगरपालिका में जहां कोई अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी न हो, नगरपालिका का अध्यक्ष का तो कार्यवाही किये जाने के पूर्व या पश्चात् धारा 239 (4), 242, 246, 281, 285 (5) या 295 में वर्णित किसी अपराध के सिवाय इस अधिनियम या नियम या उपविधि के विरूद्ध किसी अपराध का शमन कर सकेगा;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किसी अपराध का शमन नहीं किया जा सकेगा जो नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से जारी किये गये किसी लिखित नोटिस के अनुपालन, जहां तक कि इसका अनुपालन किया जाना सम्भव हो, न कर दिया जाये।

(2) जब किसी अपराध का शमन कर दिया हो, तो अपराधो, यदि अभिरक्षा में हो मुक्त कर दिया जायेगा और उसके विरूद्ध इस प्रकार शमन किये गये अपराध के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(3) इस धारा के अधीन शमन के रूप में दी गई धनराशि नगरपालिका निधि में जमा की जायेगी।

316. **नगरपालिका सम्पत्ति की क्षति के लिए प्रतिकर**–यदि किसी कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम से, जिसके कारण कोई व्यक्ति इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित कोई शक्ति उपगत करेगा, नगरपालिका की किसी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई जायेगी तो ऐसी शास्ति उपगत करने वाला व्यक्ति ऐसी क्षति को पूरा करने और साथ ही ऐसी शास्ति का भुगतान करने का जिम्मेदार होगा और क्षति की धनराशित्र, विवाद की स्थिति में, ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जायेगी जिसने उक्त शास्ति उपगत करने वाले व्यक्ति को दोषसिद्ध ठहराया हो और ऐसी

धनराशि की मांग किये जाने पर भुगतान न करने पर उसे करस्थम द्वारा उद्ग्रहीत किया जायेगा और उक्त मजिस्ट्रेट तद्नुसार वारन्ट जारी करेगा।

317. **अपराधी और नगरपालिका प्राधिकारियों की सहायता देने के सम्बन्ध में पुलिस के कर्तव्य और शक्ति**–प्रत्येक पुलिस अधिकारी नगरपालिका को उसकी जानकारी में आने वाले ऐसे अपराध को तुरन्त सूचना देगा जो इस अधिनियम के विरूद्ध या धारा 114 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी अधिनियम के विरूद्ध या उपर्युक्त किसी भी अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम के विरूद्ध किया गया हो और वह नगरपालिका के समस्त सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों को उनके विधिपूर्ण प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता देने के लिए आबद्ध होगा।

नगरपालिका के आदेश के विरूद्ध अपील और नगरपालिका के विरूद्ध वाद

318. **नगरपालिका के आदेश के विरूद्ध अपील**–(1) नगरपालिका द्वारा, धारा 180 (1), 186, 204, 205 (1), 208, 211, 212, 222(6), 241(2), 245, 278 और 285 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन या धारा 298 के शीर्षक (छ) के अधीन बनाई गई किसी उपविधि के अधीन दिये गये आदेश या निदेश से क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति ऐसे निदेश या आदेश से तीस दिन के भीतर, उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को छोड़कर, ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार ऐसी अपीले या उनमें से किसी अपील की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, या ऐसी नियुक्ति करे, या ऐसी नियुक्त न की जाने पर जिला मजिस्ट्रेट को अपील कर सकेगा।

{***}

(2) अपील प्राधिकारी, यदि उचित समझे, अपील के लिए उपधारा (1) अनुज्ञात अवधि काहा बढ़ा सकता है।

(3) कोई भी अपील तब तक अंशतः या पूर्णतः खारिज या स्वीकृत न की जायेगी जब तक कि पक्षकरों को कारण बताने या सुनवाई किये जाने का समुचित अवसर न दे दिया गया हो।

319. **उच्च न्यायालय को निर्देश**–(1) यदि धारा 318 के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने पर प्रतिषेध, नोटिस या आदेश की वैधता के सम्बन्ध में कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है जिस पर अपील की सुनवाई करने वाले अधिकारी को यथोचित सन्देह, हो तो वह या तो स्वप्रेरणा से या हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर उस मामलें के तथ्यों का और उस प्रश्न का, जिस पर सन्देह किया गया हो, एक विवरण तैयार करेगा और उस विवरण का निर्देश उक्त प्रश्न पर अपनी राय के साथ उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्देश दिये जाने पर, इस मामलें में पश्चात्वर्ती कार्यवाहियों यथा यथासम्भव सिविल प्रक्रिया संहित, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 46 में दिये गये उच्च न्यायालय को निर्देश करने से सम्बन्धित नियमों या ऐसे अन्य नियमों के अनुरूप की जायेगी जो उक्त संहिता की धारा 122 के अधीन उच्च न्यायलय द्वारा बनायी जाये।

330. **वाद व्यय**–(1) ऐसे न्यायालय को जो अपील या निर्णय करे, स्वविवेक से व्यय दिलवाने की शक्ति होगी।

(2) इस धारा के अधीन नगरपालिका को दिलवाया गया व्यय नगरपालिका द्वारा उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानों वह अपीलार्थी से दये किसी कर का बकाया रहा हो।

(3) यदि नगरपालिका इस धारा के अधीन किसी अपीलार्थी को दिलवाये गये किसी व्यय का उसके भुगतान करने के आदेश की संसूचना के दिनांक के पश्चात् दस दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहे तो उक्त व्यय दिलवाने वाला नयायालय उस वयक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिका निधि का अवशेष हो, उस धनराशि का भुगतान करने के आदेश दे सकेगा।

321. अपील प्राधिकारी के आदेश का अन्तिम होना–(1) धारा 318 में निर्दिष्ट किसी आदेश या निर्देश पर उसमें उपबन्धित से भिन्न किसी अन्य रीति से या प्राधिकारी द्वारा, आपत्ति न की जा सकेगी।

(2) अपील प्राधिकारी का कोई आदेश जिसके द्वारा ऐसा कोई आदेश या निदेश पुष्ट, निरस्त या उपबन्धित किया गया हो, अन्तिम होगा;

प्रतिबन्ध यह है कि अपील प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आवेदन करने पर और दूसरे पक्षकार को नोटिस देने के पश्चात् अपील में अपने द्वारा दिये गये किसी आदेश पर अपने मूल आदेश के दिनांक से तीन मास के भीतर दिये गये किसी अग्रेत्तर आदेश से पुनर्विलोकन करें।

322. अपील या सिविल वाद की विषय वस्तु के सम्बन्ध में अपील या सिविल वाद का निर्णय होने तक धरा 318 के अधीन आदेश पारित कतरने का निलम्बन–जहां धारा 318 में निर्दिष्ट किसी आदेश या निदेश के विरूद्ध अपील की जा सकती हो उसके विरूद्ध अपील संस्थित की गई हो या उसके सम्बन्ध में सिविल वाद संस्थित किया गया हो वहां ऐसे आदेश को प्रवर्तित करने की समस्त कार्यवाहियों और उसे भंग करने के लिए समस्त, अभियोजनों को, यथास्थिति, अपील प्राध्किाारी पर सिविल न्यायालय के आदेश द्वारा अपील या सिविल वाद का निर्णय होने तक निलम्बित किया जा सकेगा और यदि आदेश में या सिविल न्यायालय के विनिश्चय द्वारा अपास्त कर दिया जाय तो उसकी अवज्ञा को अपराध नहीं समझा जायेगा।

323. न्यायालय के कतिपय आदेशों के विरूद्ध अपील–धारा 201 के अधीन समयहरण का प्रत्येक आदेश और धारा 302 या धारा 258 के अधीन प्रत्येक आदेश के विरूद्ध अपील जिस न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया हो उससे ठीक वरिष्ठ न्यायालय को की जा सकेगी किन्तु अपील या पुनरीक्षण अन्यथा नहीं किया जा सकेगा।

324. नगरपालिका द्वारा देय प्रतिकर के सम्बन्ध में विवाद–(1) यदि ऐसे प्रतिकर की धनराशि के सम्बन्ध में, जिसका भुगतान करना इस अधिनियम द्वारा नगरपालिका के लिए अपेक्षित हो, कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे ऐसी रीति से जिसके लिए पक्षकार करार करें, या किसी करार के अभाव में, कलेक्टर द्वारा नगरपालिका का प्रतिकर का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा उन्हें आवेदन–पत्र दिये जाने पर, तय किया जायेगा।

(2) प्रतिका अधिनिर्णय करने में कलेक्टर का कोई विनिश्चय प्रतिकर के लिए आवेदक के ऐसे अधिकार के अधीन होगा जिससे वह भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, की धारा 18 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार जिला न्यायाधीश को निर्देश किये जाने की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) ऐसे मामलों में जिनमें भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर का दावा किया जाये, कलेक्टर और जिला न्यायाधीश, यथाशक्य, उस प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे जो उक्त अधिनि में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अर्जित किये जाने वाली भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर सम्बन्धी कार्यवाहियों के लिए विहित की गई है।

325. स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद का विनिश्चय–(1) यदि नगरपालिका और किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के बीच किसी ऐसे मामलें में, जिसमें वे संयुक्त रूप से हितबद्ध हो, कोई विवाद उत्पन्न हो तो ऐसा विवाद राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) राज्य सरकार धारा 296 के अधीन बनाये गये नियम द्वारा ऐसे सम्बन्ध का विनियमन कर सकती है जिसका नगरपालिका और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बी च किसी ऐसे मामलें में जिनमें वे संयुक्त रूप में हितबद्ध हो, अनुपालन किया जायेगा।

326. नगरपालिका या उसके अधिकारियों के विरूद्ध–(1) नगरपालिका के विरूद्ध या नगरपालिका के किसी सदसय, अधिकारी या सेवक के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में, जो उसके द्वारा अपनी पदीय हैसियत से किया गया हो या किया जाना तात्पर्यित हो, तब तक कोई वाद संस्थित नहीं किया जायेगा जब तक कि लिखित नोटिस के पश्चात् जो नगरपालिका की दशा में उसके कार्यालय में प्रेषित कर दिया गया हो और सदस्य अधिकारी या सेवक की दशा में, उसे दे दिया गया हो या उसके कार्यालय या निवास–स्थान पर प्रेषित कर दिया गया हो, आगामी दो मास की अवधि समाप्त न हो जाये जिसके वाद का कारण, इंप्सित अनुतोष का प्रकार, दावाकृत प्रतिकर की धनराशि और आशयित वादी का नाम और निवास स्थान स्पष्ट रूप से दिया गया हो, और वाद–पत्र में ऐसा विवरण दिया होगा कि उक्त नोटिस इस प्रकार दे दी गई है या छोड़ी गयी है।

(2) यदि नगरपालिका, सदस्य, अधिकारी या सेवक ने कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के पूर्व वादों की पर्याप्त अभिवृष्टि निविदत कर दी हो तो वादी इस प्रकार निविदत धनराशि से अधिक कोई राशि वसूल नहीं करेगा और इस प्रकार निविदत करने के पश्चात् प्रतिवादी द्वारा उपगत समस्त वाद–व्यय का भुगतान करेगा।

(3) ऐसी कोई कार्यवाही जैसा कि उपधारा (1) में वर्णित है, जब तक कि वह स्थावर सम्पत्ति को वसूली के लिए या उसके हक की घोषणा के लिए कार्यवाही न हो, अन्यथा प्रारम्भ न करके वाद–कारण के प्रोद्भूत होने के पश्चात् आगामी छः मास के भीतर प्रारम्भ की जायेगी।

(4) प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे वाद पर लागू होती है, जिसमें केवल अनुतोष कोई ऐसा व्यादेश हो, जिसका उद्देश्य नोटिस देने का वाद या कार्यवाही के प्रारम्भ किये जाने को स्थगित करने से विफल हो जायेगा।

326–क. सिविल न्यायालय कतिपय मामलों में अस्थायी व्यादेश नहीं देगा–कोई सिविल न्यायालय किसी वाद के दौरान निम्नलिखित के सम्बन्ध में अस्थायी व्यादेश या अंतरिम आदेश नहीं देगा–

(क) किसी व्यक्ति को नगरपालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या नगरपालिका की समिति या उपसमिति के सभापति या नगरपालिका की समिति या उपसमिति के सदस्य, अधिकारी या सेवक को शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का निर्वहन या कर्तव्यों का पालन करने से इस आधार पर अवरूद्ध करना कि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, अधिकारी या सेवक या सेवक के रूप में सम्यक्रूप से निर्वाचित, नाम–निर्दिष्ट या नियुक्त नहीं किया गया है, या

(ख) किसी व्यक्ति या किसी नगरपालिका की समिति या उप–समिति को कार्य निर्वाचन करने या किसी विशिष्ट रीति से कोई निर्वाचन करने से अवरूद्ध करना।

———————————

अध्याय 11
अनुपूरक

327. **राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन**—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकारी को उसकी या अपनी अधिकारिता के भीतर, किसी विनिर्दिष्ट नगरपालिका या नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा उसमें निहित किसी एक शक्ति या अधिक शक्तियों को, सिवाय उन शक्तियों के जिनका ब्यौरा अनुसूची सात में दिया गया है, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

328. **कार्यवृत्त पुस्तक और कर निर्धारण सूचियों के निरीक्षण की सुविधा**—नगरपालिका का कार्यवृत्त पुस्तक और कर निर्धारण सूची का किसी करदाता या निर्वाचक द्वारा ऐसी शर्तो के अधीन, जो इस निर्मित उप—विधि द्वारा विहित की जायेगी, निःशुल्क निरीक्षण किया जा सकेगा।

329. **नियमावली, विनियमों तथा उपविधियों के प्रचार के लिए उपबन्ध**—ऐसी पुस्तक जिसमें प्रत्येक नियम, विनियम और उपविधि अन्तर्विष्ट हो, नगरपालिका कार्यालय में रखी जायेगी और किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्य के सामान्य घन्टों में उनका निःशुल्क निरीक्षण किया जा सकेगा और जनता के लिए ऐसे कार्यालय से उचित मूल्य पर, जो इस निमित्त उपविधि द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, बिक्री के लिए रहेगी।

330. **नगरपालिका अभिलेखों के सबूत की रीति**— नगरपालिका के कब्जे में किसी रसीद, आवेदन—पत्र, रखांक, नोटिस, आदेश, रजिस्टर की प्रविष्टि या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि को, यदि उसे उसके विधिक संरक्षक ने या इस निमित्त उपविधि द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति में सम्यक् रूप से प्रमाण्ति किया हो, ऐसी प्रविष्टि या दस्तावेज होने के प्रथम—दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जायेगा ओर उसे प्रत्येक मामलें में उसमें अधिलिखित विषयों तथा संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में, जहां और जिस सीमा तक मूल, प्रविष्टि या दस्तावेज, आदि प्रस्तुत किया जाता, ऐसे विषयों को साबित करने के लिए ग्राहृा होगा, स्वीकार किया जायेगा।

331. **नगरपालिका सेवकों को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन करने पर निबन्धन**—किसी भी नगरपालिका अधिकारी या सेवक से किसी ऐसे विधिक कार्यवाही में जिसमें नगरपालिका एक पक्षकार न हो, किसी ऐसे रजिस्टर या दस्तावेज को जिसकी अन्तर्वस्तु को पूर्ववर्ती धारा के अधीन किसी प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा साबित किया जा सके, प्रस्तुत करने की या उसमें अभिलिखित विषयों या संव्यवहारों को साबित करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायेगी, जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से ऐसा करने का आदेश न दे।

332. **सदस्यों द्वारा नगरपालिका के निर्माण कार्य और रजिस्टरों का निरीक्षण**—अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से, नगरपालिका का कोई सदस्य ऐसे निर्माण कार्य या संस्था जिसका पूर्णतः या अंशतः नगरपालिका के व्यय से निर्माण किया गया हो या अनुरक्षण किया जाता हो और किसी रजिस्टर, पुस्तक, लेखें या अन्य दस्तावेज का, जो नगरपालिका का हो या नगरपालिका के कब्जे में हो, निरीक्षण कर सकता है।

333. **नगरपालिका की स्थापना होने तक नगरपालिका की शक्ति का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग**—जब इस अधिनियम के अधीन किसी नगरपालिका का सृजन किया जाये तब जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अधिकारी जब तक नगरपालिका स्थापित

न हो जाये, नगरपालिका की शक्ति का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन कर सकता है और उसे उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए नगरपालिका समझा जाएगा।

प्रतिबन्ध सदैव यह है कि जिला मजिस्ट्रेट या ऐसा अधिकारी, या समिति या प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र प्रथम निर्वाचन कराने के लिए और सामान्यतया नगरपालिका द्वारा, उसके गठित हो जाने पर, शीघ्रता से अपना कर्तव्य–भार ग्रहण करने के लिए प्रारम्भिक व्यवस्था करेगा।

333–क. **किसी संक्रमणशील क्षेत्र के स्थान पर कोई लघुत्तर नगरीय क्षेत्र की घोशण के परिणाम**–जहां किसी संक्रमणशील क्षेत्र के स्थान पर कोई लघुत्तर नगरीय क्षेत्र घोषित किया जाय, वहां लघुउत्तर नगरीय क्षेत्र की घोशणा के दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे–

(i) ऐसे समस्त कर, शुल्क, लाइसेन्स, जुर्माने या शास्ति को; जो उक्त दिनांक के, दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को नगर पंचायत द्वारा अधिरोपित, विहित या उद्ग्रहीत किये गये हों, इस अधिनियम के अधीन या इनके उपबन्धों के अनुसार नगरपालिका परिषद, द्वारा अधिरोपित विहित या उद्गृहीत किये गये समझे जायेंगे और जब तक कि उन्हें उपान्तरित या परिवर्तित न किया जाये, पूर्ववत् वूसल किया जायेगा।

(ii) नगर पंचायत द्वारा उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को या उसके पूर्व अपनी निधि से उपगत किया गया कोई भी व्यय नगरपालिका परिषद् द्वारा उसी प्रकार उपगत किया जाता रहेगा मानों वह इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत कोई व्यय रहा हो;

(iii) उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को नगर पंचायत में निहित समस्त सम्पत्ति जिसके अन्तर्गत किसी विलेख, संविदा, बन्ध, प्रतिभूमि या वाद–प्राप्य वस्तु के अधीन कोई अधिकार या लाभ भी है, नगरपालिका परिषद को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेगी और उसके लाभ के लिए प्रवृत्त हो जायेगी;

(iv) ऐसे समस्त दायित्व, चाहे वे संविदा के कारण या अन्यथा उत्पन्न हुए हो जो नगर पंचायत के प्रति प्रोद्भूत हुए हों, और उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को बकाया हो, तत्पश्चात्, नगरपालिका परिशद के दायित्व हो जायेंगे;

(v) नगर पंचायत की नगरपालिका निधि ओर इसके द्वारा उद्गृहीत या वसूल किये गये कर, पथकर, फीस या जुर्माना का व्यय न किया गया समस्त आगम नगरपालिका परिषद् की नगरपालिका निधि को अन्तरित हो जायेगा और उसकी निधि का भाग वनज ायेगा;

(vi) समस्त विधिक कार्यवाहियां जो नगर पंचायत या उसके विरूद्ध आरम्भ की गयी हों और उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को विचाराधीन हों, नगरपालिका परिषद द्वारा या उसके विरूद्ध चलती रहेंगी;

(vii) कोई ऐसा अधिकारी या सेवक जो उक्त दिनांक के पूर्ववर्ती दिनांक को नगर पंचायत द्वारा पूर्णकालिक नियोजन में नियोजित हो, नगरपालिका परिषद् को स्थानानतरित हो जायेगा और उसका अधिकारी या सेवक हो जायेगा मानों वह उसके द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नियुक्त किया गया हो; और

(viii) नगर पंचायत द्वारा किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही जिसमें की गयी कोर्ठ नियुक्त या प्रत्योजन, जारी की गयी कोई अधिसूचना, जारी किया गया कोई आदेश या निदेश, बनाया गया कोर्ठ नियम, विनियम, आकार–पत्र, उपविधि या योजना स्थापित किया गया कोई अनुज्ञापत्र या लाइसेन्स या किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण भी है, नगरपालिका परिषद् द्वारा किया गया या की गई समझी जायेगी और तद्नुसार तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह इसके द्वारा किये गये किसी कार्य या की गयी किसी कार्यवाही द्वारा अधिष्ठित न हो जाये।

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)
2. धारा 333–क का उद्देश्य एवं विस्तार

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)–यह धारा सर्वप्रथम इस अधिनियम में सन् 1950 में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 द्वारा जोड़ी गयी और सन् 1994 में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी। सन् 1994 में प्रतिस्थापित किये जाने से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी–

333–क. टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया के स्थान पर कोई नगरपालिका क्षेत्र की स्थापना के परिणाम–जहां किसी टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया के स्थान पर कोई नगरपालिका क्षेत्र की स्थापना की जाय, वहां टाउन एरिया एक्ट, 1914 (1914 द यू.पी. सं0 2) की धारा 34 से अन्तर्विश्ट किसी बात के हो हुए भी, नगरपालिका क्षेत्र की स्थापना के दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे–

(i) ऐसे समस्त कर, शुल्क, लाइसेन्स, जुर्माने या शास्ति को; जो उक्त दिनांक के, दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को टाउन एरिया समिति या नोटीफाइड एरिया समिति, यथास्थिति द्वारा अधिरोपित, विहित या उद्ग्रहीत किये गये हों, इस अधिनियम के अधीन या इनके उपबन्धों के अनुसार बोर्ड द्वारा अधिरोपित विहित या उद्गृहीत किये गये समझे जायेंगे और जब तक कि उन्हें उपान्तरित या परिवर्तित न किया जाये, पूर्ववत् वसूल किया जायेगा।

(ii) टाउन एरिया समिति या नोटीफाइड एरिया समिति द्वारा उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को या उसके पूर्व अपनी निधि से उपगत किया गया कोई भी व्यय बोर्ड द्वारा उसी प्रकार उपगत किया जाता रहेगा मानों वह इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत कोई व्यय रहा हो;

(iii) उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया में निहित समस्त सम्पत्ति जिसके अन्तर्गत किसी विलेख, संविदा, बन्ध, प्रतिभूमि या वाद–प्राप्य वस्तु के अधीन कोई अधिकार या लाभ भी है, बोर्ड को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेगी और उसके लाभ के लिए प्रवृत्त हो जायेगी;

(iv) ऐसे समस्त दायित्व, चाहे वे संविदा के कारण या अन्यथा उत्पन्न हुए हो जो टाउन एरिया समिति या नोटीफाइड एरिया समिति बोर्ड के प्रति प्रोद्भूत हुए हों, और उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को बकाया हो, तत्पश्चात्, बोर्ड के दायित्व हो जायेंगे;

(v) टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया की निधि और टाउन एरिया समिति या नोटीफाइड एरिया समिति, यथास्थिति द्वारा उद्गृहीत या वसूल किये गये कर, पथकर, फीस या जुर्माना का व्यय न किया गया समस्त आगम क्षेत्र की नगरपालिका निधि को अन्तरित हो जायेगा और उसकी निधि का भाग बन जायेगा;

(vi) समस्त विधिक कार्यवाहियां जो टाउन एरिया समिति या नोटीफाइड एरिया समितिया उसके विरूद्ध आरम्भ की गयी हों और उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को विचाराधीन हों, बोर्ड द्वारा या उसके विरूद्ध चलती रहेंगी;

(vii) कोई ऐसा अधिकारी या सेवक जो उक्त दिनांक के पूर्ववर्ती दिनांक को टाउन एरिया समिति या नोटीफाइड एरिया समिति द्वारा पूर्णकालिक नियोजन में नियोजित हो, बोर्ड को स्थानानतरित हो जायेगा और उसका अधिकारी या सेवक हो जायेगा मानों वह उसके द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नियुक्त किया गया हो; और

(viii) यूनाइटेड प्राविन्स टाउन एरिया एक्ट, 1914 (1914 का यू0पी0 एक्ट सं0 2) या इस अधिनियम के उपबन्ध जो नोटीफाइड एरिया में लागू होते है, के अधीन किया गया कोई कार्य की गयी कोई कार्यवाही जिसमें की गयी कोई नियुक्त या प्रत्योजन, जारी की गयी कोई अधिसूचना, जारी किया गया कोई आदेश या निदेश, बनाया गया कोर्ठ नियम, विनियम, आकार–पत्र, उपविधि या योजना स्थापित किया गया कोई अनुज्ञापत्र या लाइसेन्स या किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण भी है, इस अधिनियम के तत्समय उपबन्धों के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी और तद्नुसार तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह इसके द्वारा किये गये किसी कार्य या की गयी किसी कार्यवाही द्वारा अधिष्ठित न हो जाये।

2. धारा 333–क का उद्देश्य एवं विस्तार–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 333–क किसी संक्रमणशील क्षेत्र के स्थान किसी लघुत्तरीय नगरीय क्षेत्र की घोषणा के परिणामों को विहित करती है। इन परिणामों को इस धारा के खण्ड (i) से खण्ड (viii) तक में उपबन्धित किया गया है। यह धारा मूलतः कराधान उपबन्ध है।

धारा 333–क की भाषा, उद्देश्य एवं इतिहास विधायिका के इस आशय को कि इस धारा को नगरपालिका क्षेत्र की स्थापना की तिथि में भूतलक्षी रूप से प्रभावी की जाये, सुस्पष्ट करता है। यह धारा किसी कर को अधिरोपित परिवर्द्धित या समाप्त नही करती है, अपितु मात्र पूर्ववर्ती करों निरन्तरता प्रदान करती है।

333–ख. **किसी वर्तमान नगरपालिका क्षेत्र को निकाल कर नगरपालिका के गठन का परिणाम**–नगरपालिका क्षेत्र के लिए कोई नगरपालिका ऐसे वर्तमान नगरपालिका क्षेत्र से (जिसे आगे इस धारा में अविभाजित नगरपालिका क्षेत्र कहा गया है) निकाल कर गठित की जाये, वहां नगरपालिका के गठन के दिनांक से (जिसे इस धारा में उक्त दिनांक कहा गया है) निम्नलिखित परिणाम होंगे–

(क) अविभाजित नगरपालिका क्षेत्र की नगरपालिका द्वारा उक्त दिनांक कसे ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को अधिरोपित, विहित या उद्ग्रहीत समस्त कर फीस, लाइसेन्स, जुर्माने या शास्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नवगठित नगरपालिका द्वारा अधिरोपित, विहित या उद्ग्रहीत समझा जायेगा।

(ख) नव–गठित नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्र के सम्बन्ध में अविभाजित नगरपालिका क्षेत्र को नगरपालिका द्वारा उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को या उसके पूर्व अपनी निधि से उपगत किया गया कोई भी व्यय, नव–गठित नगरपालिका द्वारा उसी प्रकार उपगत किया जाता रहेगा मानों वह इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत कोई व्यय रहा हो;

(ग) नव–गठित नगरपालिका के क्षेत्र के भीतर ऐसी समस्त सम्पत्ति जिसके अन्तर्गत किसी विलेख, संविदा, बन्ध, प्रतिभूति या वाद प्राप्य वस्तु के अधीन कोई अधिकार या फायदा भी है, जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को विभाजित नगरपालिका क्षेत्र की नगरपालिका में निहित थी नव–गठित नगरपालिका को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेगी और उसके फायदें के लिए प्रवृत्त हो जाएगा;

(घ) नव–गठित नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसे समस्त दायित्व, चाहे वे संविदा के कारण या अन्य प्रकार से उत्पन्न हुए हो, जो अविभाजित नगरपालिका क्षेत्र की नगरपालिका के प्रति प्रोदभूत हुए हों, और उक्त दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को बकाया हो, तत्पश्चात् नव–गठित नगरपालिका के दायित्व हो जायेंगें;

(ङ) अविभाजित नगरपालिका क्षेत्र को नगरपालिका की निियध का ऐसा भाग और अविभाजित नगरपालिका क्षेत्र की नगरपालिका द्वारा उद्गृहीत या वसूल किये गये कर, पथकर, फीस या जुर्माना का व्यय न किये गये आगमन का ऐसा भाग जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा, नव–गठित नगरपालिका की नगरपालिका निधि को अन्तरित हो जायेगा; और उसका भाग वनज ायेगा;

(च) अविभाजित नगरपालिका क्षेत्र की नगरपालिका के ऐसे सेवक जिनका स्थानान्तरण विहित प्राधिकारी के परामर्श से नव–गठित नगरपालिका में किया जाये, नव–गठित नगरपालिका के सेवक हो जायेंगे मानों उन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और अध्यधीन रहते हुए, नव–गठित नगरपालिका द्वारा नियुक्त किया गया है;

(छ) नव–गठित नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्र के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही जिसके अन्तर्गत की गई कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी की गई कोई अधिसूचना, जारी किया गया कोई आदेश या निदेश, बनाया गया कोई नियम, विनियम, आकार पत्र उपविधि या योजना, स्वीकृत किया गया अनुज्ञा–पत्र या लाइसेन्स या किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण भी है, नव–गठित नगरपालिका द्वारा किया गया या की गई समझी जायेगी।

334. **निरसन तथा व्यावृत्तियां**–(1) अनुसची में 9 विनिर्दिष्ट अधिसमितियां निरसित की जाती है।

(2) प्रतिबन्ध यह है कि इस नियमों का प्रभाव निम्नलिखित पर नहीं पड़ेगा––

(क) किसी नियुक्ति की विधिमान्यता पर, या धनराशि या सम्पत्ति के अनुदान या विनियोग पर, या किसी कर या चुंगी; जो एतद्द्वारा निरस्त की गयी किसी अधिनियमित के अधीन की गई या अधिरोपित की गई हो; या

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व नियुक्त किसी अधिकारी के पारिश्रमिक के निबन्धन या पेन्शन सम्बन्धी अधिकार।

335. **भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के सम्बन्ध में व्यावृत्ति**–इस अधिनियम की किसी बात का भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के या उस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम के किसी उपबन्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

336. **इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किये गये कार्यो की विधि मान्यता**–इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किये गये समस्त कार्य जो यदि यह अधिनियम प्रवृत्त रहता, विधिपूर्ण किये गये होते, विधिपूर्ण किये गये समझे जायेंगे।

336–क. {***}

––––––––

अध्याय 12
नोटीफाइड एरिया

337. {***}

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)–यह धारा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन्, 1994 द्वारा निरसित कर दी गयी। निरसन से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी–

''337. नोटीफाइट एरिया का गठन–(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नगरपालिका क्षेत्र, टाउन क्षेत्र या कृषि ग्राम से भिन्न किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में उद्घोषित कर सकेगी कि धारा 7 और 8 की इस अध्याय के उपबन्धों पर विस्तृत कर, उनमें विहित सभी या कुछ मामलों के सम्बन्ध में प्रशासनिक उपबन्ध करना अपेक्षित है।

(2) कोई स्थानीय क्षेत्र जिनके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी की गयी है, एतद्पश्चात् नोटीफाइड एरिया कहा जायेगा।

(3) राज्य सरकार का यह निर्णय कि कोई स्थानीय निकाय क्षेत्र इस धारा के उपधारा (1) के अर्थो में कृषि ग्राम नहीं है, अन्तिम और निश्चायक होगा, और, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र का नोटीफाइड एरिया के रूप में प्रकाशन ऐसे निर्णय का निश्चायक साक्ष्य होगा।''

338. {***}

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)–यह धारा उपर्युक्त धारा के समान उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन्, 1994 द्वारा निरसित कर दी गयी। निरसन से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी–

''338. नोटीफाइड एरिया में करों के अधिरोपण और उसके लिए समितियों के गठन के लिए अधिनियमितयों का निस्तारण–(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा–

(क) किसी नोटीफाइड एरिया के लिए, इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम, की किसी धारा को, जो नगरपालिका क्षेत्र में लागू होता है या ऐसी धारा के किसी भाग या किसी नियम, विनियम या उपविधि को जो इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के उपबन्धों के अीन नगरपालिका क्षेत्र में लागू हैं या लागू किया जा सकता है, ऐसे निबन्धों एवं परिवर्द्धनों, यसदि को हों, के अधीन जैसा कि उचित समझें, लागू या स्वीकृत कर सकेगी.

(ख) ऐसी एरिया के सम्पूर्ण या किसी भाग में धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (vii) और (viii) में विनिर्दिष्ट किसी कर से भिन्न र्को कर जो उस क्षेत्र में यदि वह नगरपालिका क्षेत्र होता, तो इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जा सकती, अधिरोपित कर सकेगी।

(ग) उन व्यक्तियों की संख्या जिनसे मिलकर खण्ड (ख) के अधीन अधिरोपित कर के निर्धारण एवं वसूली करने, और ऐसे करों के सम्यक् खर्च की व्यवस्था करने और समुचित लेखा को तैयार करने एवं अनुरक्षित करने, और खण्ड (क) के अधीन लागू या स्वीकृत की गयी किसी धारा या नियम, विनियम या उपविधि के उपबन्धों को सामान्यतया लागू करने के प्रयोजनार्थ समिति गठित होगी,

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त समिति में तीन या अधिक सदस्यों से मिलकर गठित होगी जो या तो विहित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त होंगे या इस अधिनियम, या नियमावली द्वारा विहित रीति से निर्वाचित होंगे या भागतः उक्त प्रकार से निर्वाचित होंगे, जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा नियत करें।

(3) इस धारा के अधीन नोटीफाइड एरिया में अधिरोपित किसी कर से प्राप्त धनराशि का उपयोग ऐसी किसी रीति से किया जा सकेगा जिस रीति से नगरपालिका निधि का ऐसे क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता, यदि नोटीफाइड एरिया नगरपालिका क्षेत्र होती।

(4) किसी अधिनियमिती जो किसी नोटीफाइड एरिया में लागू किया जा सकेगा, के प्रयोजनार्थ, उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन ऐसी एरिया के नियुक्त समिति, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड और एरिया नगरपालिका क्षेत्र समझी जायेगी।''

339. {***}

संक्षेप

1. विधायी परिवर्तन

1. विधायी परिवर्तन (Legislative changers)—धारा 337 एवं 338 के साथ यह धारा भी उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन्, 1994 द्वारा निरसित कर दी गयी। निरसन से पूर्व यह धारा निम्नवत् थी—

''339. नोटीफाइड क्षेत्र न रहने वाली एरिया की निधि का उपयोग—जब धारा 337 के अधीन किसी अधिसूचना को निरस्त किये जाने के कारण कोई नोटीफाइड एरिया, नोटीफाइड नहीं रह जाती है, तो धारा 338 के अधीन उसमें अधिरोपित किसी कर की यह धनराशि जो खर्च नहीं हुई है, उक्त क्षेत्र के निवासियों के लाभ के लिए, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझेस, उपयोग में लायी जायेगी।''

340. **कठिनाई को दूर करने की शक्ति**—(1) यदि इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित में किसी बात के होने के कारण इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभाी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार जैसा अवसर विशेष पर अपेक्षित हो, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबनध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से अंसगत न हो और जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा बनाये गये उपबनध प्रभावी होंगे मानों इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हैं और ऐसा कोई आदेश भूतलक्षी दिनांक से किन्तु जो उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व का दिनांक नहीं होगा, दिया जा सकता है।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते है।

341. **सन्दर्भो का अर्थ**–उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक की ओर से, किन्हीं नियमों, विनियमों, उपविधियसों, परिनियत लिखतों में या तत्समय प्रवृत्त तिकसी अन्य विधि में, या लेख्य या कार्यवाही में नगरपालिका या संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 के अधीन टाउन एरिया कमेटी या धारा 338 के अधीन गठित नोटीफाइड एरिया कमेटी के उल्लेख का अर्थ यह किया जायेगा कि वह क्रमशः नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत का उल्लेख है।

342. **नगरपालिकाओं के गठन तक के लिए व्यवस्था**–(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक नगरपालिका बोर्ड, इसके अध्यक्ष और समितियों, नोटीफाइड एरिया कमेटी और उसके अध्यक्ष या टाउन एरिया कमेटी और उसके अध्यक्ष, जैसे कि वे उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थे, की सभी शक्तियां कृत्य और कर्तव्य ऐसे प्रारम्भ कर जिला मजिस्ट्रेट में निहित हो जायेगी और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उनका प्रयोग पालन और निर्वहन किया जायेगा जो नगरपालिका बोर्ड, उसके अध्यक्ष और समितियों के सम्बन्ध में नगरपालिका परिषद, उसका अध्यक्ष और समितियां समझा जायेगा और नोटीफाइड एरिया कमेटी और उसके अध्यक्ष या टाउन एरिया कमेटी और उसका अध्यक्ष के सम्बन्ध में नगर पंचायत और उसका अध्यक्ष समझा जायेगा जैसा कि अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, और यथास्थिति, उसे नगरपालिका, उसका अध्यक्ष या समिति या नोटीफाइड एरिया कमेटी या उसका अध्यक्ष या टाउन एरिया या उसका अध्यक्ष समझा जायेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट उक्त समस्त या किसी शक्ति, कृत्य और कर्तव्य को किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है।

(3) जिला मजिस्ट्रेट किसी नगरपालिका और उसके अध्यक्ष या नोटीफाइट एरिया कमेटी और उसका अध्यक्ष या टाउनएरिया कमेटी और अध्यक्ष की शक्ति, कृत्य और कर्तव्य उत्तर प्रदेश नगरपालिकाओं, नोटीफाइड एरिया औक्र टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1994 के अधीन निहित है जिसमें ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी भी सम्मिलित है जिसे जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी शक्ति प्रतिनिहित कर दी है, में इस धारा के उपबन्धों के अधीन ऐसी शक्ति कृत्य और कर्तव्य निहित समझे जायेंगे।

(4) इसा धारा में किसी बात के होते हुए भी नगरपालिका परिशदों और नगर पंचायतों के गठन के लिये निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक से डेढ़ वर्ष के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कराये जायेंगे जो यथास्थिति नगरपालिका परिषद, या नगर पंचायत के गठित हो जाने पर उपधारा (1), (2) और (3) के उपबन्ध प्रभावी नहीं रह जायेगें।

अनुसूची–I
नगरपालिका की शक्तियां और कृत्य

{धारा 50 (ङ)(दो), 111(1) 112(1)(क)}

धारा	शक्ति और कर्तव्य	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)
2*	{***}	
3*	{***}	
*	{***}	
*	{***}	
44—क	आकस्मिक रिक्ति होने पर अध्यक्ष का निर्वाचन करना	
47—क	अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्तार पारित करना।	
52	अध्यक्ष से रिपोर्ट आदि को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।	
54	उपाध्यक्ष निर्वाचित करना, या उसका त्याग—पत्र स्वीकार करना।	
57	अधिशासी अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त और नियोजित करना	
58	अधिशासी अधिकारी पदच्युत करना, हटाना या अन्यथा दण्ड देना और स्वास्थ्य अधिकारी के स्थानान्तरण को सिफारिश करना।	
59	ऐसे मामलें में जिसमें रिक्ति दो माससे अधिक हो किसी व्यक्ति को स्थानापन्न अधिशासी अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करना।	
61	अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अधीन ग्रहण करना।	प्रत्यायोजित किया जा सकेगा।
63	अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी के विवरणी आदि को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।	
66	सचिव नियुक्त करना, सचिव को पदच्युक्त करना, हटाना या अन्यथा दण्ड देना।	
68	सिविल अभियन्ता, सहायक सिविल अभियन्ता, विद्युत अभियन्ता, सहायक विद्युत अभियन्ता, जल कल अभियन्तमा, सहायक जल—कल अभियन्ता, विद्युत एवं जल—कल अभियन्ता, सहायक विद्युत एवं जल—कल अभियन्ता, अर्हता प्राप्त ओवचरसियर या सब—ओवरसियर, सचिव, शिक्षा अधीक्षक या महिला शिक्षा अधीक्षक नियुक्त करना।	
69	धारा 68 के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी को पदच्युत करना, हटाना, या अन्यथा दण्ड देना।	
70(क)	किसी विशेष कार्य के लिए अस्थायी सेवक नियोजित करने का प्रतिषेध करना।	
71	नगरपालिका के स्थायी कर्मचारी वर्ग की संख्या और वेतन अवधारित करना।	
72	किसी एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक अधिकारियों के कर्तव्यों का निर्वहन के लिए नियुक्त करना।	

72(2)	भविष्य–निधि स्थापित करना।	
79(3) (4) और (5)	उपदान या अनुकम्पा भत्ता स्वीकृत करना या वार्षिकी स्वीकृत करना या उसे क्रय करना।	
81	किसी सदस्य के विरूद्ध वाद संस्थित करना।	
82(2)(च)	ऐसी धनराशि निश्चित करना जिस धनराशि तक कोई सदस्य नगरपालिका को यदा कदा होने वाली बिक्री में हित रखता हो।	
94 (6)	किसी संकल्प को उपान्तरित या रद्द करना।	
96 (1)	ऐसी संविदा स्वीकृत करना जिसके लिए बजट में कोई व्यवस्था न हो या जिसमें ऐसा मूल्य या धनराशि अन्तर्गस्त हो जो किसी नगरपालिका परिषद द्वारा की गयी संविदा की दशा में दस हजार रूपये और नगर पंचायत द्वारा की गई संविदा की दशा में तीन हजार रूपये से अधिक न हो,''	
96 (2)	नगरपालिका की किसी समिति या अधिकारी या सेवा की अन्य संविदा स्वीकृत करने के लिए सशक्त करना।	
96 (3)	अभियन्ता की संविदा स्वीकृत करने के लिए सशक्त करना।	
97 (2) (ख)	{***}	
99	बजट स्वीकृत करना या बजट में फेरफार या परिवर्तन करना।	
104 (1)	समितियों के सदस्यों को नियुक्त क रना और हटाना।	
104 (2)	सलाहकार समितियां स्थापित करना और उनके सदस्यों की नियुक्ति करना।	
105	नगरपालिका के सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों को समितियों में नियुक्त करना।	
106	समितियो में रिक्तियों की पूर्ति करना।	
107 (1)	किसी समिति का सभापति नियुक्त करना।	
109	समिति से विवरणी इत्यादि मांगना।	
110	संयुक्त समितियां नियुक्त करना और किसी ऐसे लिखत में फेरफार करना या उसको विखण्डित करना जिसके आधार पर कोई संयुक्त समिति नियुक्त की गई है।	
112	नगरपालिका को प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजित करना।	
115	नगरपालिका निधि के किसी भाग विनिधान करना।	
117	भूमि–अर्जन के लिए राज्य सरकार से निवेदन करना।	
118	नगरपालिका को सौंपी गई सम्पत्ति का प्रबन्ध या नियन्त्रण करना।	
119	सार्वजनिक संस्थाओं की निधि का प्रबन्ध, नियन्त्रण और प्रशासन करना और उसे न्यासतः धारित करना।	
124	नगरपालिका में निहित किसी सम्पत्ति का अन्तरण करना।	यदि अन्तरण जंगम सम्पत्ति से सम्बन्धित है, तो इसे प्रत्यायोजित किया जा सकेगा।

125	नगरपालिका निधि से प्रतिकर देना।	
128 से 138	कर के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना।	
141	कर निर्धारण सूची को तैयार कराना और कर निर्धारण सूची बनाने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करना।	प्रत्यायोजित की जा सकेगी।
143 (3)	आपत्तियां सुनना और उनको विनिश्चित करना या तदैव आपत्तियों को सुनने ओर उनको विनिशचित करने के लिए शक्ति का प्रत्यायोजित करना।	तदैव
147 (1)	कर निर्धारण सूची का संशोधन करना।	प्रत्योजित की जा सकेगी।
156	कर का प्रकाशन करने के लिए अनुज्ञा देना।	
157 (1) और (2)	कराधान से छूट देना।	
186	{***}	
187	अग्निशामक दल की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना।	
189	{***}	
190	{***}	
196 (क) और (ख)	सार्वजनिक नोटिस द्वारा गृह–संमार्जन या शौचालयों या सन्डासों की सफाई का जिम्मा लेना और इस जिम्मेदारी का त्याग करना।	
197 (2)	किसी मकान को धारा 196 (क) के अधीन नोटिस से अपवर्जित करने के लिए आवेदन–पत्र पर आदेश देना।	प्रत्यायोजित की जा सकेगी।
211	{***}	
211–क	नगरपालिका के बाहर दो मील की दूरी तक किसी भवन या मार्ग और नाली के निर्माण को नियन्त्रित और विनियमित करना।	
217 (1) (क)	किसी मार्ग का नाम रखना।	
219	किसी सार्वजनिक मार्ग का निर्माण करना, उसे परिवर्तित करना, मोड़ना या बन्द करना, उस पर भवन स्थलों की व्यवस्था करना, ऐसे प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन करने की कार्यवाही करना और इस प्रकार अर्जित भूमि को बेचना या उसका निस्तारण करना।	
221	किसी मार्ग को सार्वजनिक मार्ग घोषित करना।	
222 (1) और (3)	मार्ग की नियमित पंक्ति परिभाषित करना।	
224	जल–कल का निर्माण करना और उसमें परिवर्तन करना।	
237 (1)	बिक्री के लिए पशुओं के वध के परिसर निश्चित करना।	
238	ऐसे पशओं के लिए वध स्थान निश्चित करना जो बिक्री के लिए आशयित न हों या जिसका धार्मिक प्रयोजन के लिए वध किया जाये और अन्य स्थान पर ऐसे वध का प्रतिशेध करना।	
245 (1)	{***}	

250 (1)	कुत्तों के मुख पट्टेक बांधने की अपेक्षा करना।	
253 प्रतिबन्धातमक खण्ड	निदेश देना कि यह धारा उन गाड़ियों पर लागू न होगी जो पैदल चलने की गति से अधिक न चलाई जा रही हो।	
257 (1)	निदेश देना कि नगरपालिका की सहमति के बिना छतें और बाहरी दीवालें ज्वलनशील सामग्री से नहीं बनायी जायेंगी।	
259	ज्वलनशील सामग्री आदि का ढेर लगाने या जमा करने का प्रतिषेध करना।	
269	तालाब और ऐसे ही अन्य स्थानों के अपदूषण को हटाने की अपेक्षा करना जब ऐसा करने में नगरपालिका द्वारा भूमि का अर्जन करना या उसकी व्यवस्था करना, अन्तर्दिष्ट हो।	
273 (1) (ख) और	सन्तापकारी पदार्थ और कूड़ा–करकट के निस्तारण के लिए स्थान नियत करना और उसे हटाने के लिस समय, रीति, और शर्तो के सम्बन्ध में निदेश जारी करना।	
275 (3)	पशुओं के शव के निस्तारण के लिए फीस विहित करना।	
278	{***}	
282	स्वास्थ्य के लिए हानिकर खेती; खाद का उपयोग या सिंचाई करने का प्रतिशेध करना।	
285	कब्रिस्तान और श्मशान भूमि की व्यवस्थास करना या उन्हें बन्द करना या उन्हें बनाये जाने की अनुमति देना, सार्वजनिक नोटिस से निजी कब्रगाहों को अपवादित करना और किसी गैर मान्यता प्राप्त कब्रिसतान या श्मशान भूमि का उपयोग करने की अनुमति देना।	
286	स्नान और धुलाई करने के स्थान को पृथक करना, ऐसे स्थानों के प्रयोग के लिए शर्ते विहित करना और अन्य स्थानों पर स्नान और धुलाई करने का प्रतिषेध करना।	
290 (2)	नगरपालिका निधी से जल–कल या धारा 192, 267 और 268 के अधीन किसी कार्य के निश्पादन की स्वीकृति देना।	
290 (3)	किसी जल–कल या जल निस्तारण से अनुलग्नक साधित्र में नगरपालिका के हित को किसी भवन या भूमि के स्वामी को अन्तरित करना।	
297	विनियम बनाना।	
298	उपविधियां बनाना।	
299	यह निदेश देना कि उपविधियों का भंग किा जाना जुर्माने से दण्डनीय होगा।	
सामान्य	कोई शक्ति, कर्तव्य या कृत्य जिसके बारें में नियम द्वारा यह अपेक्षित हो कि उसका प्रयोग, पालन या निर्वहन स्वयं नगरपालिका द्वारा संकल्प के माध्यम से किया जायेगा।	

अनुसूची –II
अधिशासी अधिकारी की अनुसूचित शक्तियॉ
{धारा 60(1)(घ) और 61(1)(क)}

धारा	शक्ति और कर्तव्यों का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)
75	स्थायी अवर कर्मचारी वर्ग की निमुक्ति करना।	
76	[2]{ स्थायी अवर कर्मचारी वर्ग को पदच्युत करना, हटाना या अन्यथा दन्ड देना }	
79(1)	अधिकारी या सेवक को छुट्टी भत्ता देना।	
142	उस स्थान की सार्वजनिक नोटिस देना, जहां कर–निर्धारण सूची का निरीक्षण किया जा सकेगा।	
143(1)	मूल्याकंन और कर निर्धारण पर विचार करने के लिए निश्चित समय की सार्वजनिक नोटिस देना और सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी को नोटिस देना।	
143(2)	मूल्याकंन और कर निर्धारण के सम्बन्ध में आपत्तियां प्राप्त करना।	
147(2)	कर–निर्धारण सूची के प्रस्तावित परिवर्तन में हितबद्ध–व्यक्तियों को उस दिनांक की, जिस दिनांक को परिवर्तन किया जायेगा, नोटिस देना।	
148(1)	किसी भवन के नव–निर्माण, पुर्ननिर्माण या विस्तार की नोटिस प्राप्त करना।	
150(2)	पट्टाकर्ता से कर उद्ग्रहण करने के विकल्प का प्रयोग करना।	
151(1) और (2)	ऐसे किसी भवन, वासगृह या भूमि जो खाली और जिससे किराया न मिलता हो, कर से छूट देना या उसे वापस करना।	
152 (1)	किसी भवन या भूमि के पुनः अध्यासन की नोटिस प्राप्त करना।	
158	ऐसी सूचना मांगना, जिसका प्रभाव कराधन के दायित्व पर पड़ता हो।	
166	करों और अन्य देयों के बिल प्रस्तुत करना।	
168	मांग की नोटिस तामील करना।	
169	करस्थम वारण्ट जारी करना।	
172(2) और (2)	करस्थम माल को बेचना।	

172 (3)	वपसी के लिए आवेदन–पत्र प्रापत करना और उसे वापस करना।	
173	वारन्ट जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन–पत्र देना।	
176	मांग के लिए वाद लाना।	
178(1)	भवन इत्यादि का निर्माण, पुर्ननिर्माण करने या उसमें तात्विक परिवर्तन करने के आशय की नोटिस प्राप्त करना।	
179(1)	यह अवधरित करना कि ऐसी नोटिस के सम्बन्ध में सूचना समाधानप्रद है।	
179(2)	रेखांक विनिर्देश, और अग्रेत्र सूचना मांगना।	
1{186	नोटिस द्वारा यह निदेश देना कि किसी भवन इत्यादि का निर्माण, पुर्ननिर्माण या परिवर्तन रोक दिया जाय या किसी भवन इत्यादि में परिवर्तन किया जाय या उसे गिरा दिया जाये।	अपीलीय
2}189	नालियों का निर्माण करनास।	
3}190	नगरपालिका की नालियों से परिवर्तन करना और उन्हें बन्द करना।}	
191(1)	निजी नालियों को नगरपालिका की नालियों से जोड़ने की अनुज्ञा देना और उसके लिए शर्ते विहित करना।	
191(2)	किसी उपविधि का या अनुज्ञा की शर्तो का उल्लंघन करके या बिना अनुज्ञा प्राप्त किये बनायी गयी नाली को बन्द करने आदि की अपेक्षा करना।	
192(1)	सार्वजनिक नाली के साथ जल निस्तारण का संयोजहन करना।	
193	नालियों का निर्माण करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना, आपत्तियां मांगना, उन पर आदेश देना और निर्माण की लागत और प्रतिकर वसूल करना	उपधारा (3) के अधीन अभिलिखित आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकेगी।
194	नाली को मोड़ने के लिए अनुज्ञा देना और इस प्रकार नाली मोड़ने के लिए शर्ते विहित करना।	
196 (ग) और (घ)	अध्यासी की सहमति– से गृह–संमार्जन करने या विष्टा या अन्य दुर्गन्धयुक्त पदार्थ या कूड़ा–करकट हटाने का जिम्मा लेना और इस जिम्मेदारी का त्याग करना।	
201(1)	रूढ़िगत सफाईकारों द्वारा उपेक्षा किये जाने पर मजिस्ट्रेट से शिकायत करना।	
202 (1)	किसी कृषक द्वारा गृह संमार्जन की उचित व्यवस्था न किये जाने पर मजिस्ट्रेट से शिकायत करना।	
204	मार्ग का विन्यास करने और उसे बनाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन–पत्र प्राप्त करना।	
209	प्रक्षेप के लिए अनुज्ञा देना	अनुज्ञा देने से इन्कार करने के विरूद्ध अपील की जा सकेगी।
211	प्रक्षेप को हटाने या उसे परिवर्तित करने के लिए नोटिस जारी करना।	अपीलीय
213	भवन आदि के निर्माण और मरम्मत के लिए अनुाा देना और सूचना–पट्ट आदि के सम्बन्ध में आदेश जारी करना।	
214	झाड़ियों और पेड़ों को काटने और छॉटने की अपेक्षा करना।	

215	गिरे हुए मकान इत्यादि के कारण हुई बाधा को हटाना और उसे हटाने में होने वाले व्यय को वसूल करना या उसे हटाये जाने की अपेक्षा करने के लिए नोटिस जारी करना।	
216	बरसाती पानी के लिए नांदों और नलों की व्यवस्था करने की अपेक्षा करना।	
217(1)(ख) और (ग)	थ्कसी मार्ग का नाम रखना या भवन पर संख्या डलवाना या स्वामी या अध्यासी से संख्या पट्टिका लगाने की अपेक्षा करना और ऐसे नामों और संख्याओं में परिवर्तन कराने या करने की अपेक्षा करना।	
218	भवनों पर बत्तियों टेलीग्राफ या टेलीफोन के तारों इत्यादि के लिए खम्भे और ब्रेकेट लगवाना।	
220	किसी सार्वजनिक मार्ग या स्थान का उपयोग या अध्यासन करने के लिए अनुज्ञा देना।	
223	सार्वजनिक मार्गो इत्यादि की मरम्मत के समय बाड़ा लगाने और रोशनी की व्यवस्था करना।	
225(1)	निजी कुंओं आदि की सफाई किये जाने की अपेक्षा करना।	
225(2)	किसी व्यक्ति से निजी कूएँ इत्यादि का प्रयोग न करने या उसे बन्द कर देने या बाड़ा लगा देने की अपेक्षा करना।	अपीलय
227	जल–सम्भरण के किसी स्त्रोत के निकट नालियों, शौचालयों इत्यादि को हटाने या बन्द करने की अपेक्षा करना।	अपीलीय
229	करार द्वारा जल–सम्भरण करना।	
230	जल सम्भरण के लिए प्रभार लेना।	
236	नालियों इत्यादि के ऊपर अनधिकृत भवनों को हटाना या उसके सम्बन्ध में अन्य प्रकार की कार्यवाही करना या ऐसे भवन इत्यादि को हटाने के लिए नोटिस जारी करना।	अपीलीय
240	किसी उपविधि का उल्लंघन करके नगरपालिका की सीमा के भीतर लागये गये गोश्त का अभिग्रहण करने के लिए अधिकारी को प्राधिकार देना और ऐसे गोश्त के निस्तारण के लिए आदेश जारी करना।	
244(1)	बिक्री के लिए प्रदर्शित ऐसी वस्तुओं को जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त प्रतीत हों और ऐसी औशधियों को, जिनमें मिलावट होने की या जिनके निश्प्रभावी हो जाने की शंका हो, अभिगृहीत करना और ऐसी औशध्यिों को मजिस्ट्रेंट के समक्ष प्रस्तुत करना।	
245(1)	आपत्तिजनक व्यापार के सम्बन्ध में नोटिस जारी करना।	अपीलीय
249	ऐसे कुत्तों को जिनके जलान्तक (रेबीज) रोग आदि से पीड़ित होने का सन्दे हो नष्ट या परिरूद्ध करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करना।	
250(2)	बिना मुख–पट्टे बॅधे हुए कुत्तों को नष्ट या परिरूद्ध करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करना।	
256	किसी सार्वजनिक भूमि को पशुओं या गाड़ियों के पड़ाव के लिए उपयोग में लाने की अनुाा देना।	
257(2)	किसी छत और दीवाल को, यदि वे ज्वलनशील हों, हटाने की अपेक्षा करना।	अपीलीय

258	ज्वलनशील सामग्री की तलाशी लेना और अनुज्ञात मात्रा से अधिक किसी मात्रा में रखी गयी सामग्री अभिगृहीत करना।	
260	संकटपूर्ण खदान कार्य के सम्बन्ध में नोटिस जारी करना और आसन्न खतरे के निवारणार्थ विज्ञापन पट या बाड़ा लगाना।	
261	खड़ंजा आदि को हटाने की अनुज्ञा देना और इस प्रकार हटाने जाने के कारण नगरपालिका द्वारा किये गये व्यय को वसूल करना।	
263	नोटिस द्वारा ऐसे भवन इत्यादि को जो खतरनाक हालत में या खंडहर के रूप में हो, तोड़ देने या उसकी मरम्मत करा देने या कुएँ, तालाब आदि की मरम्मत कराने और उनको घेरने की अपेक्षा करना और आसन्न संकट होने की स्थिति में तुरन्त कार्यवाही करना।	किसी तालाब की मरम्मत करवाने या उसे घेरने के आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकती है।
264	अनध्यासित भवन या भूमि को, जिससे लोक अप्रदूषण होता हो, सुरक्षित करने या घेर देने की अपेक्षा करना।	
265	किसी सड़क पर अस्थायी बाधा पहुंचाने की लिखित अनुज्ञा देना और किसी सड़क से कोई बाधा हटाना और हटाये जाने का व्यय वसूल करना।	
266	खुले स्थानों से मिट्टी इत्यादि हटाने के लिए अनुज्ञा देना।	
267	असार्वजनिक नालियों, नलकूपों, कूड़ेदानों, शौचालयों इत्यादि की व्यवस्था करने, उनमें परिवर्तन करने, हटाने, बंद करने सफाई करने और दिखाई न देने की अपेक्षा करना।	शौचालय, मूत्रालय, नाबुदान, नाली, नलकूप, कूड़ादान, या गन्दगी, मैला पानी, कूड़ा–करकट या कचरे के किसी अन्य या कचे के किसी अन्य पात्र को उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसकी उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन उनकी व्यवस्था करने के आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकती है।
268	कारखानों आदि के लिए शौचालयों मूत्रालयों की व्यवस्था करने और उनकी सफाई करने की अपेक्षा करना।	
269 (अंशतः)	कुंओं, तालाबों इत्यादि की सफाई, मरम्मत, ढकने, भरने या अपीलीय जल का निस्सारण करने की अपेक्षा करना।	
270	नालियों, संडासों इत्यादि का निरीक्षण करना और भूमि खुदवाना।	
271	गन्दे भवन या भूमि को स्वच्छ रखने की अपेक्षा करना।	

273(1)(क)	संतापकारी पदार्थ को अस्थायी रूप से जमा करने के लिए पात्र और स्थान की स्थापना करना।	
275(1)	पशुओं के शब के निस्तारण का प्रबन्ध करना।	
275(3) (अंशतः)	ऐसे निस्तारण के लिए फीस देना और वसूल करना।	
276	सीवरेज आदि बहाने के लिए अनुज्ञा देना और उससे सम्बन्धित शर्ते विहित करना।	
277	किसी भवन में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना और उसे रोगाणुमुक्त आदि करने का निदेश देना।	
1{278	मनवीय निवास के लिए अनुपयुक्त भवन के सम्बन्ध में आदेश जारी करना।	अपीलीय
280	हैजा या चेचक के रोगी इत्यादि को चिकित्सालय भेजना।	
283	किसी स्वामी या अध्यासी के अनिष्टकारी वनस्पतियों को साफ करने की अपेक्षा करना।	
284(1)	उपविधियों का अनुज्ञा की शर्तो का उल्लंघन करके लिये गये उत्खनन आदि को भरने या उसके जल–निस्तारण की अपेक्षा करना।	
291	भूमि के किराये की वसूली के लिए क्लेक्टर को आवेदन करना।	
293	नगरपालिका में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी स्थावर सम्पत्ति के प्रयोग या अध्यासन के लिए फीस लेना और ऐसा प्रभार उद्ग्रहीत या वसूल करना।	
294	लाइसेन्स स्वीकृति और अनुज्ञा के लिए फीस लेना।	
307	किसी कार्य को निश्पादित करवाना और उसके व्यय को वसूल करना।	
308	चूक करने वाले स्वामी के बजाय अध्यासी से नगरपालिका को किराये का भुगतान करने की अपेक्षा करना और किसी अध्यासी से अपेक्षा करना कि वह अपने द्वारा देय किराये इत्यादि के बारे में सूचना प्रस्तुत करें।	
309	अध्यासी द्वारा निष्पादित कार्य को अनुमोदित करना।	
312	हटायी गयी सामग्री की बिक्री से हटाये जाने का व्यय वसूल करना, कतिपय शर्तो के अधीन सामग्री स्वामी को लौटा देना या स्वामी द्वारा दावा न किये जाने पर उन्हें बेच देना।	
313(2)	किसी न्यासी या अभिकर्ता को नोटिस देना कि वह स्वामी की ओर से प्राप्त धन को स्वामी की बाध्यता के निर्वहन के लिए प्रयोग में लायें।	
314	शिकायत करके यह सूचना देकर अभियोजन संस्थित करना और ऐसी शिकायत करने और ऐसी सूचना देने के लिए अन्य व्यक्तियों को प्राधिकृत करना।	
317	किसी पुलिस अधिकारी से सूचना प्राप्त करना।	

अनुसूची–III
कर अधिरोपित करने का प्रस्ताव का नोटिस
{धारा 131 की उपधारा (3)}

.... नगरपालिका के निवासियों को एतद्द्वारा नोटिस दी जाती है कि नगरपालिका (...)के नाम से ज्ञात करके स्थान पर) संलग्न प्रस्ताव में वर्णित कर स्थानीय कर {***} या उपकर अधिरोपित करना चाहता है।

नगरपालिका का कोई निवास, जिसे यहां संलग्न प्रस्ताव या नियमावली पर कोई आपत्ति हो, इस नोटिस के दिनांक के एक पक्ष के भीतर अपनी आपत्तियां लिखित रूप में नगरपालिका को भेज सकेगा।

प्रस्ताव

धारा 131 की उपधारा (1) के अधीन नगरपालिका द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव संलग्न किया जायेगा।

नियमावली

धारा 131 की उपधारा (3) के अधीन बनाई गई नियमावली यहां संलग्न की जायेगी उसी स्थिति में रखा जायेगा जब कि कर किसी वर्तमान कर के लिए प्रतिस्थापित किया गया हो।

अनुसूची–IV
मांग को नोटिस का आकार–पत्र
(धारा 168)

सेवा में,

क, ख, ... निवासी .... नोटिस दी जाती है कि .... नगरपालिका श्री .... से .... की धनराशि की मांग करता है, जो श्री से .... के अधीन, दिनांक .... मास .... 19................ से आरम्भ होने वाली और दिनांक .... मास .... 19 .... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए .... के मदें (यहां सम्पत्ति, उपजीविका, परिस्थिति याउस बात का जिसके सम्बन्ध में उक्त धनराशि उद्ग्रहणीय है विवरण दिया जाये) देय है, और इस नोटिस के तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उक्त धनराशि का भुगतान .... स्थित नगरपालिका कार्यालय में नहीं किया जाता है या नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में पर्याप्त कारण नहीं बताया जाता है तो व्यय सहित उक्त धनराशि की वसूली के लिए करस्थम का वारन्ट (वारन्ट आफ डिस्ट्रेस) जारी किया जायेगा।

हस्ताक्षर

दिनांक .... मास 19

.... नगरपालिका के आदेश से।

अनुसूची–V
वारन्ट का आकार–पत्र
{धारा 169 की उपधारा (1)}

(यहां पर उस अधिकारी का नाम लिखिये जिसे वारन्ट के निष्पादन का भार सौंपा गया हो)

चूंकि .... के निवसी क, ख ने पार्श्व में उल्लिखित दायित्व के निमित्त देय .... की धनराशि का, जो .... के अधीन उद्ग्रहणीय है, दिनांक .... 19 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, भुगतान नहीं किया है और न भुगतान किये जाने का सन्तोषजनक कारण ही बताया है;

और चूंकि उस पर तत्सम्बन्धी मांग का नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन व्यतीत हो चुके है।

अतएव इसके द्वारा आपको समादेश किया जाता है कि आप संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 171 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त क, ख, का .... की धनराशि के, जो उसके द्वारा देय धनराशि है, मूल्य का माल और जंगम वस्तु का अभिग्रहण कर लें जो उसके निम्नांकित रूप में प्राप्य है–

	रूपया	पैसा
उक्त दायित्व के पट्टे		
नोटिस तामील करने के लिए		

और इस वारन्ट के साथ ऐसे समस्त माल के विवरण की सूचना तत्काल मेरे पास भेजें जो आपने इसके अन्तर्गत अभिगृहीत किया हो।

आज दिनांक .... मास 19

(हस्ताक्षर किया)
चेयरमैन या अन्य अधिकारी।

{धारा 162 (2) देखिये}

टिप्पणी–यदि माल के हटाये जाने के पूर्व व्यतिक्रमी आपको सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कर देता है, तो वारन्ट को निष्पादित करना आवश्यक न होगा।

अनुसूची–VI

करस्थम किये गये सामान्य की तालिका और विक्रय के नोटिस का प्रभाव

{धारा 171 की उपधारा (4)}

सेवा में

क, ख.............................. निवासी .... को सूचित हो कि मैनें आज नीचे दी हुई तालिका में विनिर्दिश्ट सामान और जंगम वस्तुत को दिनांक .... 19 से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक .... 19 को समान्त होने वाली अवधि के लिए पार्श्व में उल्लिखित दायित्व के लिए प्राप्य .... रूपये के मूल्य के लिए और मांग का नोटिस तामील करने के लिए प्राप्य .... रूपये के लिए अभिगृहीत कर लिया है और यदि आप इस नोटिस की तामील के दिनांक से पांच दिन के भीतर नगरपालिका काय्रालय में उकत धनराशि का और उसकी वसूली के व्यय का भुगतान कर देंगे तो उक्त माल और जंगम वस्तु बेच दिया जायेगा।

आज दिनांक 19

(वारन्ट का निष्पादन कने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

तालिका

(यहां अधिगृहीत माल और जंगम वस्तु का विवरण दीजिये)

अनुसूची–VII

राज्य सरकार की शक्तियां जो प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती है।

{धारा 327}

धारा	शक्ति और कर्तव्यों का प्रकार
(1)	(2)
3–(1)	किसी क्षेत्र की सीमाओं के साथ, यथास्थित संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करना।
(2)	यथास्थिति, किसी संक्रमणशील क्षेत्र या किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में किसी क्षेत्र को सम्मिलित करना या उससे निकालना।
8 (1) (ढ)	किसी निर्मित किए गए व्यय को नगरपालिका निधि का समुचित प्रभार घोषित करना;
9–(क)	अधिसूचना द्वारा नगरपालिका के सदस्यों की संख्या जो निर्वाचित किये जा सकते हो, विहित करना।
9–(घ)	सदस्यों को यथास्थिति नगर पंचायत या नगर परिषद् के नाम–निर्दिष्ट करना।
10	{***}
13–क–	किसी नगरपालिका के सामान्य निर्वाचन के लिए दिनांक नियत करना।
13–च	इस धारा के (क) और (ख) के अधीन किसी अनर्हता को हटाना
13–झ	{***}
30	किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी नगरपालिका का विघटन {***} करना।
31	{***}
34 (2)	किसी नगर के सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश को खिण्डित या उपांतरित करना।
35 (अंशतः)	{***} किसी कर्तव्य के पालन के लिए अवधि निश्चित करना और यदि इस प्रकार निश्चित अवधि के कर्तव्य का पालन न किया तो उसका करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त करना और यह निदेश देना कि उक्त कर्तव्य के पालन में होने वाले व्यय का भुगतान नगरपालिका द्वारा किया जायेगा।
40 (1)	किसी नगर के नगरपालिका के किसी सदस्य को हटाना।
40 (2)	{***}
40 (3)	कतिपय विनिर्दिश्ट परिस्थितियों में किसी सदस्य को हटाना।
40 (5)	{***}
40 (6)	किसी सदस्य को दण्ड के रूप में चेतनावनी देना {***}
41 (4)	राज्य सरकार द्वारा हटाये गये, किसी सदस्य को पुनः निर्वाचन या नाम–निर्देशन के लिए अपात्र न रह गया घोषित करना।

47—क	{***}
48	किसी अध्यक्ष को हटाना {***}
55 (3)	किसी उपाध्यक्ष को हटाना {***}
57	अधिशासी अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन करना।
57 (2—क)	लेखा अधिकारी को नाम निर्दिष्ट करना और उसकी सेवा की शर्तो और निबन्धनों को निर्धारित करना।
58	किसी अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने पदच्युक्त किये जाने, हटाये जाने या अन्यथा दण्डित किये जाने के विरूद्ध की गई अपील ग्रहण करना और उस पर आदेश पारित करना, किसी स्वास्थ्य अधिकारी का स्थानान्तरण एवं नगरपालिका से दूसरे नगरपालिका में करना।
59 (3)	किसी स्थानापन्न अधिशासी अधिकारी नियुक्ति को अनुमोदित करना यदि नियुक्ति की अवधि दो मास से अधिक हो।
60—क	यह निदेश देना कि किसी नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी को प्रदत्त कतिपय शक्तियों का प्रयोग स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा कि अधिशासी अधिकारी द्वारा।
60—ख	यह निदेश देना कि किसी नगरपालिका में विद्युत, सार्वजनिक निर्माण और जल—कल विभागों और नगरपालिका संग्रहालय के मुख्य अधिकारी अपने विभाग के सम्बन्ध में धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करेंगें।
65	नगरपालिका द्वारा अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति करने में असफल रहने पर किसी व्यक्ति को अधिशासी अधिकारी, या अधिशासी अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करना और ऐसी नियुक्ति के सम्बन्ध में वेतन, भविष्य निधि के लिए अंशदान या पेंशन और शर्ते निश्चित करना।
73 और 74	{***}
79 (4) और (5)	नगरपालिका द्वारा अनुकम्पाा भत्ता या वार्षिकी दिये जाने या उसके क्रय किये जाने की स्वीकृति देना।
99 (2)	विनिर्दिष्ट अधिकारियों को बजट प्रस्तुत करने का निदेश देना।
102	यह निदेश देना कि विनिर्दिष्ट नगरपालिका का बजट स्वीकृत के अधीन होगा।
104 (1)	नगरपालिका में समितियां नियुक्त करने की अपेक्षा करना।
110	संयुक्त समितियां नियुक्त करने की अपेक्षा करना।
114—क	नगरपालिका को ऋण लेने की अनुमति देना।
115 (2)	बैंकर की प्रतिभूति की धनराशि निर्धारित करना।
116	नगरपालिका में साधारणतया निहित सम्पत्ति के सम्बन्ध में आरक्षण करना।
117	भूमि अर्ज अधिनियम के अधीन नगरपालिका के लिए भूमि अर्जित करना।
122 (1)	जब किसी नगरपालिका का कोई भाग किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारों के नियन्त्रण के अधीन रखा जाये तो अधिसूचना द्वारा यह घोषित करना कि नगरपालिका की घोषण की सम्पत्ति और दायित्व का कितना भाग ऐसे अन्य स्थानीय प्राध्किाारी को अन्तरित किया जायेगा।

122 (2)	जब कोई स्थानीय क्षेत्र यथास्थिति संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र से अपवर्जित किया जाये और उसे तत्काल किसी अनय स्थानीय प्राधिकारी के नियन्त्रण के अधीन न रखा जाये जो यह घोषित करना कि किसी नगरपालिका की सम्पत्ति और दायित्व का कितना भाग राज्य सरकार को अन्तरित किया जायेगा।
122 (4)	उपधारा (1) या (2) के अधीन आने वाले किसी मामलें में यह निनिश्चय करना कि क्या नगरपालिका निधि या दायित्व के किसी भाग का अन्तरण अवांछनीय है।
124 (2)	नगरपालिका में निहित किसी सम्पत्ति को सरकार को अन्तरित करने की मन्जूरी देना।
126	मेला इत्यादि में पुलिस संरक्षण को व्यवस्था करना और किसी नगरपालिका द्वारा प्रभार के भाग को अवधारित करना।
130—क	नगरपालिका में कर अधिरोपित करने या उसकी दरों में परिवर्तन करने की अपेक्षा करना।
133 (2)	किसी नगर द्वारा धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) से (बारह) के अधीन प्रस्तुत कर के प्रस्तावों या धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (तेरह) के अधीन किसी नगरपालिका से प्राप्त कर प्रस्तावों को स्वीकार करना, स्वीकार करने से इन्कार करना या अग्रेत्तर विचारार्थ लौटा देना।
135 (2)	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत करके अधिरोपण के लिए अधिसूचना जारी करना।
137 (2)	नगरपालिका से किसी कर या उससे सम्बन्धित दोष दूर करने की अपेक्षा करना।
137 (2)	किसी कर को निलम्बित, समाप्त या कम करना।
137 (3)	कर से छूट देना।
160 (1)	कराधान के विरूद्ध अपील सुनने के लिए किसी अधिकारी को सशक्त करनां
180—क	सार्वजनिक आमोद स्थलों के निर्माण को अनुमोदित करना।
279 और 280	संक्रामक रोंगों को अधिसूचित करना।
296 (अंशतः)	नगरों से भिन्न नगरपालिका पर लागू धारा 153 के खण्ड (क) और (ख) और (ग) के अधीन नियमों को छोड़कर नियम बनाना।
318	नगरपालिका के कतिपय आदेशों के विरूद्ध अपील सुनने के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करना।
327	शक्ति प्रत्यायोजित करना।
336—क	यह निदेश देना कि संक्रमणशील अवधि के दौरान अधिनियम के कुछ अनुकूलनों परिवर्तनों ओर उपान्तरों के अधीन प्रभावी होगा।
337	{***}
338 (1) (ग)	{***}
338 (2)	{***}
339	{***}

अनुसूची–**VIII**
अपराधों की सूची
(धारा 314)

धारा	अपराध का वर्णन	जुर्माना या अन्य दण्ड जो अधिरोपित किया जाये।
1	2	3
148 (2)	सम्पत्ति कर निर्धारण सूची में नये या परिवर्तित भवन की प्रविष्टि के लिए रिपोर्ट करने में असफल रहना।	50 रूपया या तीन मास के लिए देय कर का दस गुना।
152 (2)	खाली भवन के पुनः अध्यासन की रिपोर्ट करने में असफल रहना।	50 रूपया या अध्यासन के दिनांक से देय कर का दस गुना।
155	{***}	{***}
185	किसी भवन का अवैध निर्माण या परिवर्तन।	न्यूनतम 250 रूपये के अधीन रहते हुए 1,000 रूपये।
191 (2)	किसी नाली का अवैध निर्माण या परिवर्तन।	50 रूपया।
201 (2)	रूढ़िगत सफाईकारों द्वारा उपेक्षा।	10 रूपया।
207	मार्ग का अवैध निर्माण।	500 रूपया।
210	मार्ग या नाली के ऊपर प्राधिकृत प्रयोग का निर्माण।	न्यूनतम 250 रूपये के अधीन रहते हुए 1,000 रूपया।
213 (3)	खतरनाक पेड़ काटने और भवन बनाने की अनुमति प्राप्त करने और उसके पूर्वोपाय में असफल रहना।	500 रूपया और दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराध जारी रखा जाये 10 रूपया।
217 (2)	मार्गो के नाम और भवनों की संख्या में अनुसचित हस्तक्षेप	250 रूपया।
223 (2)	मार्गो की मरम्मत इत्यादि के दौरान किये गये प्रबन्ध में हस्तक्षेप	50 रूपया।
237 (4)	बिना लाइसेन्स प्राप्त परिसर में बिक्री के लिए पशुओं का वध करना।	20 रूपया प्राप्त पशु
242	दुग्धशाला के प्रयोजन के लिए रखे गये या भोजन के लिए उपयोग में आने वाले पशओं को अनुचित चारा देना।	50 रूपया।

245	आपत्तिजनक व्यापार के लिए परिसर के प्रयोग को प्रतिषिद्ध या विनियमित करने के लिए दी गयी नोटिस का पालन करने में असफल रहना।	200 रूपया और दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराध जारी रखा जाये 40 रूपया।
240	अनैतिक प्रयोजना से अवारा घूमना और प्रलोभन देना।	50 रूपया।
247 (2)	किसी गृह को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करने का प्रतिषेध करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये आदेश का अनुपालन	25 रूपया प्रतिदिन।
248	दुराग्रहपूर्वक भिक्षा मांगना।	50 रूपया।
252	मार्ग के नियमों की उपेक्षा।	10 रूपया।
253	डचित प्रकाश के बिना गाड़ी चलाना।	20 रूपया।
254	हाथी आदि को सुरक्षित दूरी पर हटाने से विफल होना।	20 रूपया।
255 (1)	पशुओं को सड़क पर भटकने देना या बॉधना	250 रूपया।
256	नगरपालिका भूमि पर पड़ा स्थल के रूप में अप्राधिकृत प्रयोग	100 रूपया और दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराध जारी रखा जाये 10 रूपया।
257 (3)	अप्राधिकृत ज्वलनशील निर्माण या उसे रहने देना।	55 रूपया और दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराध जारी रखा जाये।
261 (1)	खड़ंजों और नगरपालिका की अन्य सम्पत्ति में अनधिकृत हस्तक्षेप	1,000 रूपया
262	खतरनाक तरीके से अग्रेवायुध चलाना या आतिशबाजी छोड़ना या खतरनाक खेल खेलना	20 रूपया
265	सड़कों पर बाधा पैदा करना	500 रूपया और दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराध जारी रखा जाये 10 रूपया।
266.	सार्वजनिक भूमि की अनधिकृत खुदाई	500 रूपया और दोश सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराध जारी रखा जाये 10 रूपया।
272	स्वामी या अध्यासी दुर्गन्धित पदार्थ को हटाने में विफलता	50 रूपया और दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराध जारी रखा जाये 5 रूपया।
274	स्वामी या अध्यासी द्वारा कूड़ा करकट, विष्ठा आदि का अनुचित निस्तारण	250 रूपया
275 (2)	पशु लोध के निस्तारण में विफलता।	10 रूपया

276	किसी सड़क या नाली में गन्दके पानी का अनुचित रूप से बहाना।	250 रूपया
279	हैजा, चेचक आदि की सूचना देने में विफलता।	50 रूपया।
281	संक्रामक विकार से प्राप्त होते हुए कतिपय कायर्य करना।	50 रूपया
285 (5)	ऐसे स्थान पर जिसे कब्रिस्तन या श्मशान भूमि की मान्यता न प्राप्त हो शब की अन्त्येन्ष्टि या दाह संस्कार करना।	500 रूपया।
295	नगरपालिका कर्मचारियोंक को बाधा पहुॅचाना।	1,000 रूपया या छः माह का कारावास या दोनों।
299	ऐसे नियमों या उपविधियों का उल्लंघन करना जिनके उल्लंधन के लिए शास्ति लगाई जाती है।	1000 रूपया से अनधिक कोई धनराशि जो विहित हो और दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराध जारी रखा जाये 25 रूपया।
306	जनसाधारण पर लागू किसी सार्वजनिक नोटिस या अधिनियम के उपबन्धों की अवज्ञा।	1,000 रूपया और दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराध जारी रखा जाये 25 रूपया।
307	किसी व्यक्ति को जारी की गई नोटिस की अवज्ञा।	1,000 रूपया और दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराध जारी रखा जाये 25 रूपया।
310	नोटिस के अनुसार स्वामी द्वारा कार्यवाही करने के लिए अनुमति देने से अध्यासी द्वारा इन्कार करना।	इन्कार करने के प्रत्येक दिन के लिए 25 रूपया।

अनुसूची–IX
निरसित अधिनियमितियॉ
{धारा 334 (1)}

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम या विषय
1	2	3
		राज्य सरकार के अधिनियम
1900	1	दि यूनाइटेड प्राविन्सेज म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट
1901	5	दि यूनाइटेड प्राविन्सेज म्यूनिसिपैलिटीज (अमेन्डमेंट) एक्ट
1907	1	दि यूनाइटेड प्राविन्सेज म्यूनिसिपैलिटीज (अमेन्डमेंट) एक्ट
1891	1	दि यूनाइटेड वाटर वर्क्स एक्ट
1895	2	दि यूनाइटेड प्राविन्सेज वाटर वर्क्स एक्ट (अमेन्डमेंट) एक्ट

1901	1	दि यूनाइटेड प्राविन्सेज वाटर वर्क्स एक्ट (अमेन्डमेंट) एक्ट
1908	8	दि यूनाइटेड प्राविन्सेज वाटर वर्क्स एक्ट (अमेन्डमेंट) एक्ट
1892	1	दि यूनाइटेड प्राविन्सेज लाजिंग हाउस एक्ट
1894	3	दि यूनाइटेड प्राविन्सेज सीवरेज एन्ड ड्रेनेज एक्ट

————————————

संलग्नक–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम स्तर पर पंचायतों की स्थापना करने के बारें में उपबन्ध किया गया और पंचायतों को ऐसे अधिकार प्रदान करने के बारें में राज्य को निर्देश दिया गया है जिससे कि पंचायतें स्वतन्त्रं रूप से कार्य कर सके और स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना हो सके। किन्तु इस सम्बन्ध में कदम संविधान निर्माण के 42 वर्षो के लम्बे अन्तराल के पश्चात् उठाया गया और 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के माध्यम से संविधान में भाग 9 एवं 9–क जोड़कर क्रमशः ग्राम स्तर एवं नगर स्तर पर पंचायतों की स्थापना हेतु उपबन्ध किये गये। इसके अलावा संविधान में ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायतों के क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले विषयों को अन्तर्विष्ट करते हुए क्रमशः 12 वीं और 13 वीं अनुसूची भी जोड़ी गयी। नगरों में पचायती राज्य की स्थापना के लिए जो उपबन्ध संविधान के भाग 9–क और अनुसूची 13 में किया गया है, उसे निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है–

भाग 9–क
नगरपालिकाएं

243–त. **परिभाषाएं**–इस भाग में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) 'समिति' से अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(ख) 'जिला' से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है।

(ग) 'महानगर क्षेत्र' से दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिनमें एक या अधिक जिले समविष्ट हैं और जो दो या अधिक नगरपालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है तथा जिसे राज्यपाल, इस भाग के प्रयोगों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करें;

(घ) 'नगरपालिका क्षेत्र' से राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किसी नगरपालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ङ) 'नगरपालिका' से अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है;

(च) 'पंचायत' से अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित कोई पंचायत अभिप्रेत है;

(छ) 'जनसंख्या' से ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित् की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए है।

243–थ. **नगरपालिकाओं का गठन**–(1) प्रत्येक राज्य में, इस भाग के उपबन्धों के अनुसार–

(क) किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए कोई नगर पंचायत (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो);

(ख) किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिशद् का; और

(ग) किसी वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा;

परन्तु इस खण्ड के अधीन कोई नगरपालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग मे ं गठित नहीं की जा सकेगी जिसे राज्यपाल क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापन द्वारा दी जा रही या दिए जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिका सेवाओं और ऐसी बातों को, जो वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए, लोक अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट करें।

(2) इस अनुच्छेद में, 'संक्रमणशील क्षेत्र' 'लघुत्तर नगरीय क्षेत्र' या 'वृहत्तर नगरीय क्षेत्र' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनुों के लिए, उस क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्व या ऐसी अन्य बातों को, जो वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए लोक, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

243 द. **नगरपालिकाओं की संरचना**–(1) खण्ड (2) में जैसा उपबन्धित है उनके सिवाय, किसी नगरपालिका के सभी स्थान नगरपालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्येक निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे ओर इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन–क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो वार्ड के नाम से ज्ञात होंगे।

(2) किसी राज्य का विधान–मण्डल, विधि द्वारा,–

(क) नगरपालिका में–

(i) नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान व अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का;

(ii) लोक सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान सभा के ऐसे सदस्यों का, जो उन निर्वाचन–क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें कोई नगरपालिका क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है;

(iii) राज्य सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद् के ऐसे सदस्यों का, जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(iv) अनुच्छेद 243 ध के खण्ड (5) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्षों, का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबन्ध कर सकेगा;

परन्तु पैरा (i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिका के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा :

(ख) किसी नगरपालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का उपबन्ध कर सकोग।

243–ध. **वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना**–(1) ऐसी नगरपालिका के, जिसको जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, जो एक या अधिक वार्डो से मिलकर बनेंगी।

(2) राज्य का विधान–मण्डल, विधि द्वारा,–

(क) वार्ड समिति की संरचना और उसके प्रादेशिक क्षेत्र की बाबत;

(ख) उस रीति की बाबत जिससे किसी वार्ड समिति में स्थान भरे जाएगें, उपबन्ध कर सकेगा।

(3) वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी नगरपालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य होगा।

(4) जहां कोई वार्ड समिति–

(क) एक वार्ड से मिलकर बनती है वहां नगरपालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य; या

(ख) दो या अधिक वार्डो से मिलकर बनती है वहां नगरपालिका में ऐसे वार्डो का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य, जो उस वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा,

उस समिति का अध्यक्ष होगा।

(5) इस अनुच्छेद की किसी बात से यह नही समझा जाएगा कि वह किसी राज्य के विधान–मण्डल को वार्ड समितियों के अतिरिक्त समितियों का गठन करने के लिए उपबन्ध करने से निवारित करती है।

243–न. स्थानों का आरक्षण–(1) प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेगें और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वहीं होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसचित जातियों को अथवा उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न–भिन्न निर्वाचन–क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेगें।

(2) खण्ड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान, यथासिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के आरक्षित होंगें।

(3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक–तिहाई सथान (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे ओर ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न–भिन्न निर्वाचन–क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आबंटित किये जा सकेगें।

(4) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रितयों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेगें जो राज्य का विधान–मण्डल, विधि द्वारा उपबन्धित करें।

(5) खण्ड (1) और खण्ड (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खण्ड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान–मण्डल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी नगरपालिका में स्थानों के या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने में निवारित नहीं करेगी।

243–प. नगरपालिकाओं की अवधि आदि–(1) प्रत्येक नगरपालिका, यदि तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी इससे अधिक नहीं।

परन्तु किसी नगरपालिका का विघटन करने के पूर्व उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जायेगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी नगरपालिका का, जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

(3) किसी नगरपालिका का गठन करने के लिए निर्वाचन–

(क) खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व;

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व, पूरा किया जाएगा;

परन्तु जहां वह शेष अवधि, जिसके लिए विघटित नगरपालिका बनी रहती, छह मास से कम है वहां ऐसी अवधि के लिए उस नगरपालिका का गठन करने के लिए इस खण्ड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(4) किसी नगरपालिका की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस नगरपालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगरपालिका उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगरपालिका खण्ड (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती।

243 फ. **सदस्यता के लिए निर्रहताएं**–(1)कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा–

(क) यदि वह सम्बन्धित राज्य के विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निहित कर दिया जाता है;

परन्तु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्रापत कर ली है;

(ख) यदि वह राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है;

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी नगरपालिका को कोई सदस्य खण्ड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को, और ऐसी रीति से जो राज्य का विधान–मण्डल, विधि द्वारा उपबन्धित करे, विनिश्चय के लिए निर्दिशित किया जाएगा।

243–व. **नगरपालिकाओं आदि की षक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व**–इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा–

(क) नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो और ऐसी विधि में नगरपालिकाओं को, ऐसी षर्तो के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के सम्बन्ध में शक्तियों और उत्तरदायित्व न्यागत करने के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे अर्थात्–

(i) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना;

(ii) ऐसे कृत्यों का पालन करना और ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अन्तर्गत वे स्कीमें भी हैं जो बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के सम्बन्ध में, कार्यान्वित करना;

(ख) समितियों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें अपने को प्रदत्त उत्तरदायित्वों को, जिनके अन्तर्गत वे उत्तरदायित्व भी हैं जो बारहवी अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के सम्बन्ध में है, कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों।

243–भ. **नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने शक्ति और उनकी निधियां**–किसी राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा–

(क) ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्‌गृहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी नगरपालिका को, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बधनों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत कर सकेगा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा उद्‌गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी नगरपालिका को, ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शर्तो निर्बधनों के अधीन रहते हुए, समनुदिष्ट कर सकेगा।

(ग) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के लिए ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबन्ध कर सकेगा; और

(घ) नगरपालिकाओं द्वारा या उनकी ओर क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकालने के लिए भी उपबन्ध कर सकेगा,

जो विधि में विनिर्दिश्ट किए जाए।

243—म. (1) **अनुच्छेद** 243 झ के अधीन गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनविलोकन करेगा और जो—

(क) (i) राज्य द्वारा उद्ग्रहीत ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध

आगमों के राज्य और नगरपालिकाओं के बीच, जो इस भाग के अधीन उसमें विभाजित किए जाएॅ, वितरण को और सभी स्तरों पर नगरपालिकाओं के बीच ऐसे आगमों के तत्सम्बन्धी भाग के आबंटन को;

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को, जो नगरपालिकाओं की समनुदिष्ट की जा सकेंगी; या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेगी;

(iii) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान को;

शासित करने वाले सिद्धान्तों के बारें में;

(ख) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारें में;

(ग) नगरपालिकाओं के सुदृढत्र वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारें में;

राज्यपाल को सिफारिश करेगा।

(2) राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित राज्य के विधान—मण्डल के समक्ष रखवाएगा।

243—यक. **नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन**—(1) नगरपालिकाओं के लिए कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, अनुच्छेद 243 ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग मे निहित होगा।

(2) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान—मण्डल, विधि द्वारा नगरपालिकाओं के निर्वाचनों से सम्बन्धित या संसक्त सभी विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकेगा।

243—यख. **संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना**—इस भाग के उपबन्ध संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्यक्षेत्र को उनके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानों किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश हों और किसी राज्य के विधान मण्डल या विधान सभा के प्रति निर्देश, किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसमें विधान सभा है, उस विधान सभा के प्रति निर्देश हों;

परन्तु राश्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि इस भाग के उपबन्ध किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, लागू होंगे जो वह अधिसूचना में विनिर्दिश्ट करें।

243–यग. इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना–(1) इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निर्दिश्ट अनुसूचित क्षेत्रों और इसके खण्ड (2) में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी।

(2) इस भाग की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् के कृत्यों और शक्तियों पर प्रभाव डालती है।

(3) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद, विधि द्वारा, इस भाग के उपबन्धों का विस्तार खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर, ऐसे अपवादों और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिश्ट किए जाएं और ऐसी किसी विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जायेगा।

243–यघ. जिला योजना के लिए समिति–(1) प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर, जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और सम्पूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप करने के लिए, एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा।

(2) राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा, निम्नलिखित की बाबत उपबन्ध कर सकेगा, अर्थात्–

(क) जिला योजना समितियों की संरचना;

(ख) वह रीति जिससे ऐसी समितियों में स्थान भरे जाऐगे;

परन्तु ऐसी समिति को कुल सदस्य संख्या के कम से कम चार बटा पांच सदस्य, जिला स्तर पर पंचायत के और जिले में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, अपने में से, जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाएगें;

(ग) जिला योजना से सम्बन्धित ऐसे कृत्य जो ऐसी समितियों को समनुदिष्ट किए जाएं;

(घ) वह रीति जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्ष चुने जाएगें।

(3) प्रत्येक जिला योजना समिति, विकास योजना प्रारूप तैयार करने में–

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी, अर्थात्–

(i) पंचायतों और नगरपालिकाओं के सामान्य हित के विषय, जिनके अन्तर्गत स्थानिक योजना, जल तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बंटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है;

(ii) उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधनों की मात्रा और प्रकार;

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(4) प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष, वह विकास योजना, जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, राज्य सरकार को भेजेगा।

243–यङ महानगर योजना के लिए समिति–(1) प्रत्येक महानगर क्षेत्र में, सम्पूर्ण महानगर क्षेत्र के विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए, एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा।

(2) राज्य का विधान–मण्डल, विधि द्वारा, निम्नलिखित की बाबत उपबन्ध कर सकेगा, अर्थात्–

(क) महानगर योजना समितियों की संरचना;

(ख) वह रीति जिससे ऐसी समितियों में स्थान भरे जाएंगे;

परन्तु ऐसी समिति के कम से कम दो तिहाई सदस्य, महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्ष द्वारा, अपने में से, उस क्षेत्र में नगरपालिकाओं की और पंचातयों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे;

(ग) ऐसी समितियों में भारत सरकार और राज्य सरकार का तथा ऐसे संगठनों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व जो ऐसी समितियों को समनुर्दिष्ट कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे जाएं:

(घ) महानगर क्षेत्र के लिए योजना और समन्वय से सम्बन्धित ऐसे कृत्य जो ऐसी समितियों को समनुदिष्ट किए जाएं;

(ङ) वह रीति जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्ष चुने जाएंगे;

(3) प्रत्येक महानगर, योजना समिति, विकास योजना प्रारूप तैयार करने, में—

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी; अर्थात्—

(i) महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाऐं;

(ii) नगरपालिकाओं और पंचायतों के सामान्य हित के विषय, जिनके अन्तर्गत उस क्षेत्र की समन्वित स्थानिक योजना, जल तथा अन्य भौतिक और प्राकृति संसाधनों में हिस्सा बंटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है;

(iii) भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निश्चित् समस्त उद्देश्य और पूर्विकताऍं;

(iv) उन विनिधानों की मात्रा और प्रकृति जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किए जाने संभाव्य है तथा अन्य उपबन्ध वित्तीय या अन्य संसाधन।

(ख) ऐसी संस्थाओं ओर संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा विनिदिष्ट करें।

(4) प्रत्येक महानगर योजना समिति का अध्यक्ष, वह विकास योजना, जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, राज्य सरकार को भेजेगा।

243—यच. विद्यमान विधियों अकोर नगरपालिकाओं का बना रहना—इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त नगरपालिकाओं से सम्बन्धित किसी विधि का कोई उपबन्ध, जो इस भाग के उपबन्धों से असंगत है, जब तक सक्षम विधान मण्डल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा;

परन्तु ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी नगरपालिकाएं, यदि उस राज्य की विधान सभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में, जिसमें विधान परिषद् है, उस राज्य के विधान मण्डल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेगी।

243—यछ. निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप का वर्णन—इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) अनुच्छेद 243 यक के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि को विधिमान्यता, जो निर्वाचन—क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से सम्बन्धित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी;

(ख) किसी नगरपालिका के लिए कोई निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जायेगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गयी है जिसका किसी राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाई गयी किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबन्ध किया जाये, अन्यथा नहीं।

बारहवीं अनुसूची
(अनुच्छेद 243 ब)

1. नगरीय योजना जिसके अन्तर्गत नगर योजना भी है।
2. भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण।
3. आर्थिक और सामाजिक विकास योजना।
4. सड़कें और पुल।
5. घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय।
6. लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा–करकट प्रबन्ध।
7. अग्निशमन सेवाएं।
8. नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और परिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि।
9. समाज के दुर्बल वर्गो के, जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं हितों की रक्षा।
10. गन्दी–बस्ती सुधार और प्रोन्नयन।
11. नगरीय निर्धनता उन्मूलन।
12. नगरीय सुख सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था।
13. सांस्कतिक शैक्षणिक और सौन्दर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि।
14. शव गाड़ना और कब्रिस्तान शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह।
15. कॉफी हाउस पशुओं प्रति क्रूरता का निवारण।
16. जन्म–मरण सांख्यिकी जिसके अन्तर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है।
17. सार्वजनिक सुख सुविधाएं, जिसके अन्तर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टाप, और जन सुविधएं भी है।
18. वधशालाओं और चर्म शोधन शालाओं का विनियमन।

संलग्नक–2
उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966
भाग I

1. संक्षिप्त शीर्ष, विस्तार और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीय) सेवा नियमावली 1966 कही जा सकेगी और सभी नगरमहापालिकओं एवं म्यूनिसिपल बोर्ड (नगरपालिकाओं) पर लागू होगी।

(2) यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन की विधि से लागू होगी।

2– **परिभाषायें**–यदि विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो तो इस नियमावली में–

(एक) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार के से है;

(दो) 'केन्दीयित सेवाओं' का तात्पर्य ऐसी सेवाओं से है जो नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों, और नगर पंचायतों तीनों के लिए नियम 3 के अधीन सृजित हों;

(तीन) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता हो;

(चार) 'श्रेणी एक, दो, तीन या चार की नगरपालिका परिशदों' का तात्पर्य समय–समय पर सरकार द्वारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट नगर परिषदों से है;

(पांच) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है,

(छः) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(सात) 'निगम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 4 के अधीन गठित नगर निगम से है;

(आठ) 'सीधी भर्ती' का तात्पर्य इस नियमावली के भाग 5 में नियत रीति से की गयी भत्तों से है;

(नौ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(दस) 'सामान्य संवर्ग' का तात्पर्य केन्द्रीयित सेवाओं के पदों के संवर्ग से है, जो पालिका पर्वतीय उप संवर्ग में सम्मिलित नहीं है;

(ग्यारह) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन केन्द्रीयित सेवा के संवर्ग में किसी पद के प्रति आमेलित या नियुक्त व्यक्ति से है;

(बारह) 'अधिकारियों' का तात्पर्य नियम 3 के अधीन सृजित केन्द्रीयत सेवाओं के अधिकारियों से है।

(तेरह) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए (आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–एक में विनिर्दिश्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गो से है;

(चौदह) 'पालिका' का तात्पर्य, यथास्थिति किसी नगर निगम या नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत से है;

(पन्द्रह) 'पालिका पर्वतीय उप संवर्ग' का तात्पर्य नियम 43 के अधीन गठित पालिका पर्वतीय उप संवर्ग से है;

(सोलह) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है'

(सत्रह) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो।

भाग II

3. **कैडर और क्षमता**–निम्नलिखित केन्द्रीयित सेवायें होंगी और सेवाओं में उनके सामने उल्लिखित पद होंगे–

1. उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासनिक (प्रवर) सेवा–
   - (एक) नगर निगमों के उप नगराधिकारी;
   - (दो) निगमों के सहायक नगराधिकारी;
   - (तीन) श्रेणी एक की नगरपालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी;
   - (चार) श्रेणी–दो की नगरपालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी;
   - (पांच) नगर निगम कानपुर, कानपुर के अनुभागीय अधिकारी।
2. उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासनिक (अधीनस्थ) सेवा–
   - (एक) श्रेणी–तीन की नगरपालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी;
   - (दो) श्रेणी–चार की नगरपालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी;
   - (तीन) नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी।
3. उत्तर प्रदेश पालिका राजस्व (प्रवर) सेवा–
   - (एक) नगर निगमों के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी;
   - (दो) नगर निगमों के कर निर्धारण अधिकारी;
   - (तीन) श्रेणी–एक की नगरपालिका परिषदों के कर निर्धारण अधिकारी।
4. उत्तर प्रदेश पालिका राजस्व (अधीनस्थ) सेवा–

(एक) नगर निगमों के कर अधीक्षक;
(दो) श्रेणी–दो की नगरपालिका परिषदों के कर निर्धारण अधिकारी;
(तीन) श्रेणी–एक की नगरपालिका परिषदों के कर अधीक्षक;
(चार) नगर निगमों के सहायक कर अधीक्षक;
(पांच) श्रेणी–तीन और चार की नगरपालिका परिषदों के कर निर्धारण अधिकारी;
(छः) श्रेणी–एक के नगरपालिका परिषदों के सहायक कर अधीक्षक;
(सात) नगर निगमों के राजस्व/कर निरीक्षक;
(आठ) श्रेणी दो के नगरपालिका परिषदों के कर अधीक्षक;
(नौ) श्रेणी–तीन के नगरपालिका परिषदों के कर अधीक्षक;
(दस) श्रेणी दस की नगरपालिका परिषदों के राजस्व कर निरीक्षक;
(ग्यारह) श्रेणी तीन की नगरपालिका परिषदों के राजस्व कर अधीक्षक;
(5) उत्तर प्रदेश पालिका एलोपैथिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा (पुरूष)–
(एक) नगर निगमों और नगरपालिका परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों और औशधालयों और संक्रामक रोग चिकित्सालयों के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (पुरूष);
(दो) नगर निगमों और नगरपालिका परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों और औषधालयों और संक्रामक रोग चिकित्सालयों के श्रेणी एक के चिकित्साधिकारी (पुरूष)
(तीन) नगर निगमों और नगरपालिका परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों और औषधालयों और संक्रामक रोग चिकित्सालयों के श्रेणी दो के चिकित्साधिकारी (पुरूष)
(6) उत्तर प्रदेश पालिका एलोपैथिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा (महिला)–
(एक) नगर निगमों और नगरपालिका परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों और आषधालयों और संक्रामक रोग चिकित्सालयों के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (महिला);
(दो) नगर निगमों और नगरपालिका परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों और औषधालयों और प्रसूति एवं शिशु कल्याण तथा परिवार नियोजन केन्द्रों की श्रेणी एक के चिकित्सा अधिकारी (महिला);
(तीन) नगर निगमों और नगरपालिका परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों और औषधालयों और प्रसूति एवं शिशु कल्याण तथा परिवार नियोजन केन्द्रों की श्रेणी दो के चिकित्सा अधिकारी (महिला)।
(7) उत्तर प्रदेश पालिका, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा–
(एक) नगर निगमों के होम्योपैथिक औषधालयो के श्रेणी एक के चिकित्सा अधिकारी;
(दो) नगर निगमों के होम्योपैथिक औषधालयों के श्रेणी दो के चिकित्सा अधिकारी।
(8) उत्तर प्रदेश पालिका आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा–
(एक) नगर निगमों के श्रेणी एक के वैद्य;
(दो) नगर निगमों के श्रेणी दो के वैद्य।
(9) उत्तर प्रदेश पालिका यूनानी चिकित्सा सेवा–
(एक) नगर निगमों के श्रेणी एक के हकीम;
(दो) नगर निगमों के श्रेणी दो के हकीम।

(10) उत्तर प्रदेश पालिका लोक स्वास्थ्य सेवा–
(एक) नगर निगमों और नगरपालिका परिषदों के मुख्य सफाई निरीक्षक;
(दो) नगर निगमों और नगरपालिका पारिषदों के सफाई निरीक्षक।
(11) उत्तर प्रदेश पालिका पशु–चिकित्सा सेवा–
(एक) नगर निगमों और श्रेणी एक और दो की नगरपालिका परिषदों के श्रेणी एक के सहायक पशु चिकित्सक;
(दो) नगर निगमों और नगरपालिका परिषदों के श्रेणी दो के सहायक पशु चिकित्सक।
(12) उत्तर प्रदेश पालिका अभियंत्रण (प्रवर) सेवा–
(एक) नगर निगमों के मुख्य अभियन्ता;
(दो) नगर निगमों और श्रेणी एक और दो की नगरपालिका परिषदों के श्रेणी दो के सहायक पशु चिकित्सक;
(तीन) नगर निगमों के सहायक अभियंता (सिविल, विद्युत, यांत्रिक या आटोमोबाइल);
(चार) श्रेणी एक की नगरपालिका परिषदों के सिविल अभियंता;
(पांच) श्रेणी दो की नगरपालिका परिषदों के अर्ह सिविल अभियंता।
(13) उत्तर प्रदेश पालिका अभियन्ता (अधीनस्थ) सेवा–
(एक) श्रेणी दो की नगरपालिका परिषदों के अर्ह सिविल अभियंता;
(दो) नगर निगमो और नगरपालिका परिषदों के अवर अभियंता (सिविल, विद्युत, यांत्रिक या आटोमोबाइल)।
(14) उत्तर प्रदेश पालिका यांत्रिक अभियन्तत्रण सेवा–नगर निगम, कानपुर के यांत्रिक अभियन्ता।
(15–क) उत्तर प्रदेश पालिका यातायात अभियंत्रण सेवा–
(एक) नगर निगमों के अधिशासी अभियन्ता (यातायात और परिवहन नियोजन);
(दो) नगर निगमों के सहायक अभियन्ता (यातायात और परिवहन नियोजन);
(तीन) नगर निगमों के अवर अभियन्ता (यातायात और परिवहन नियोजन);
(16) उत्तर प्रदेश पालिका तरूपालन (प्रवर) सेवा नगर निगम, कानपुर के तरूपालक।
(17) उत्तर प्रदेश पालिका तरूपालन (अधीनस्थ) सेवा–नगर निगमों और नगरपालिका परिषदों के उद्यान और बाग अधीक्षक।
(18) उत्तर प्रदेश पालिका लेखा (प्रवर) सेवा–
(क) नगर निगमों के लेखा अधिकारी;
(ख) नगर निगमों के सहायक लेखा अधिकारी।
(19) उत्तर प्रदेश पालिका लेखा (अधीनस्थ) सेवा–
(क) नगर निगम के लेखाकार;
(ख) श्रेणी एक की नगरपालिका परिषदों के लेखाकार।
(20) उत्तर प्रदेश पालिका लेखा परीक्षा (प्रवर) सेवा–नगर निगमों के मुख्य नगर लेखा परीक्षक।
(21) उत्तर प्रदेश पालिका लेखा परीक्षा (अधीनस्थ) सेवा–नगर निगमों के लेखा परीक्षक और सहायक लेखा परीक्षक।
(22) उत्तर प्रदेश पालिका जनसम्पर्क सेवा–नगर निगमों के जनसम्पर्क अधिकारी।
(23) उत्तर प्रदेश पालिका लिपिकवर्गीय सेवा–
(एक) नगर निगमों के कार्यालय अधीक्षक;
(दो) नगरपालिका श्रेणी–एक की नगरपालिका परिषद के कार्यालय अधीक्षक और प्रधान लिपिक,

(तीन) नगर निगमों और श्रेणी–एक की नगरपालिका परिषदों के अनुभागीय/विभागीय प्रधान लिपिक।
(चार) श्रेणी–दो की नगरपालिका परिषदों के प्रधान लिपिक/कार्यालय अधीक्षक;
(पांच) श्रेणी–तीन की नगरपालिका परिषदों के प्रधान लिपिक।
स्पष्टीकरण–(1) नीचे दिए हुए स्तम्भ–1 में
1. उल्लिखित सेवाओं के पदों पर संविलीन अधिकारी अपने संविलीनीकरण दिनांक से इन पदों के सामने स्तम्भ–2 में उल्लिखित सेवाओं के पदों पर संविलीन समझे जायेगें।

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
(1)	(2)
1. उत्तर प्रदेश पालिका चिकित्सा (प्रवर) सेवा और उत्तर प्रदेश पालिका लोक स्वास्थ्य (प्रवर) सेवा– नगर निगमों के एलौपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों के श्रेणी–1 के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	नगर निगमों और नगरपालिका परिशदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों औषधालयों तथा संक्रामक रोग चिकित्सालयों को श्रेणी–1 के चिकित्सा अधिकारी (पुरूष)
नगर निगमों के संक्रामक रोग चिकित्सालयों के प्रभारी अधिकारी।	नगर निगमों और नगरपालिका परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों, औषधालयों तथा संक्रामक रोग चिकित्सालयों को श्रेणी–1 के चिकित्सा अधिकारी (पुरूष)
2. नगरपालिका परिषदों के संक्रामक रोग चिकित्सालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी।	2. उत्तर प्रदेश पालिका एलोपैथिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (पुरूष)
(1) नगर निगमों के एलोपैथिक चिकित्सालयों औषधालयों के श्रेणी–2 के चिकित्सा अधिकारी। (2) नगरपालिका परिषदों के एलौपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (पुरूष)	नगर निगमों और नगरपालिका परिशदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों और औषधालयों एवं संक्रामक रोग चिकित्सालयों के श्रेणी 2 के चिकित्सा अधिकारी (पुरूष)।
3. उत्तर प्रदेश पालिका चिकित्सा (प्रवर) सेवा नगर निगमों के होम्योपैथिक औषधालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी। उत्तर प्रदेश पालिका चिकित्सा (अधीनस्थ) सेवा नगर निगमों के होम्योपैथिक औषधालयों के श्रेणी–1 के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी।	3. उत्तर प्रदेश पालिका होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नगर निगमों के होम्योपैथिक औश्धालयों के श्रेणी–2 के चिकित्सा अधिकारी। नगर निगमों के होम्योपैथिक औषधालयों के श्रेणी–2 के चिकित्सा अधिकारी।
4. उत्तर प्रदेश पालिका चिकित्सा (प्रवर) सेवा और नगर निगम के श्रेणी–2 के वैद्य उत्तर प्रदेश पालिका चिकित्सा (अधीनस्थ) सेवा नगर निगमों के श्रेणी–1 के वैद्य	4. उत्तर प्रदेश पालिका आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा– नगर निगमों के श्रेणी–1 के वैद्य नगर निगमों के श्रेणी–2 के वैद्य
5. उत्तर प्रदेश पालिका चिकित्सा (प्रवर) सेवा नगर निगमों के श्रेणी–2 के हकीम।	5. उत्तर प्रदेश पालिका यूनानी चिकित्सा सेवा–

उत्तर प्रदेश पालिका चिकित्सा (अधीनस्थ) सेवा नगर निगमों के श्रेणी–1 के हकीम।	नगर निगामें के श्रेणी–1 के हकीम नगर निगमों के श्रेणी–2 के हकीम।
6. उत्तर प्रदेश पालिका लोक स्वास्थ्य (प्रवर) सेवा एवं उत्तर प्रदेश पालिका चिकित्सा (प्रवर) सेवा नगर निगमों में प्रसूति एवं शिशु कल्याण तथा परिवार नियोजन केन्द्रों की श्रेणी–1 को महिला डाक्टर।	6. उत्तर प्रदेश पालिका होम्योपैथिक चिकित्सा एवं सस्वास्थ्य (महिला) नगर निगमों एवं नगरपालिका परिषद् के एलोपैथिक चिकित्सालयों औषधालयों और प्रसूति एवं शिशु कल्याण तथा परिवार नियोजन केन्द्रों की श्रेणी–1 की चिकित्सा अधिकारी (महिला)
7. उत्तर प्रदेश पालिका लोक स्वास्थ्य (प्रवर) सेवा। नगर निगमों में प्रसूति एवं शिशु कल्याण तथा परिवार नियोजन केन्द्रों की श्रेणी–2 की महिला डाक्टर।	7. उत्तर प्रदेश पालिका एलोपैथिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महिलायें। नगर निगमों एवं पालिका परिशदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों, औषधालयों और प्रसूति एवं शिशु कल्याण तथा परिवार नियोजन केन्द्रों की श्रेणी–2 की चिकित्सा अधिकारी (महिला)।

एवं

उत्तर प्रदेश पालिका चिकित्सा (प्रवर) सेवा।

नगर निगमों के एलोपैथिक चिकित्सालयों और औषधालयों की श्रेणी–2 की चिकित्सा अधिकारी (महिला)–

(2) नगरपालिका परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (महिला)।

8. उत्तर प्रदेश पालिका लोक स्वास्थ्य (अधीनस्थ) सेवा– (1) नगर निगमों एवं श्रेणी 1 एवं 2 में नगर पालिका परिषदों के मुख्य सफाई निरीक्षक। (2) नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों के सफाई निरीक्षक।	8. उत्तर प्रदेश पालिका लोक स्वास्थ्य सेवा– (1) नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों के मुख्य सफाई निरीक्षक। (2) नगर निगमों एवं नगरपालिका परिषदों के सफाई निरीक्षक।

स्पष्टीकरण–(2) प्रसूति एवं शिशु कल्याण तथा परिवार नियोजन केन्द्रों की श्रेणी–3 की महिला डाक्टरों के सम्बन्ध में वहीं स्थिति लागू होगी जो केन्द्रीयकरण के पहले थी।

4. वेतनमान–केन्द्रीयित सेवाओं के अधीन विभिनन पदो के लिए वेतनमान वे होंगे जो सरकार समय–समय पर आदेश द्वारा अभिधारित करें।

5. कर्मचारियों की संख्या–(1) नियम 3 के अधीन सृजित प्रत्येक केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों की संख्या उतनी होगी जितनी कि सरकार द्वारा समय–समय पर सुनिश्चित की जाये।

(2) पालिकाओं के अधीन ऐसे सभी वर्तमान पद, जो केन्द्रीयित सेवाओं के अन्तर्गत आते हो, इन सेवाओं के वर्तमान की संख्या के बराबर होंगे।

(3) पालिका को केन्द्रीयित सेवाओं के अधीन वर्तमान पदों में से किसी पद को या किसी ऐसे पद को जो भविश्य में सृजित किये जाये, समाप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

भाग III

6. भर्ती के स्त्रोत, वर्तमान अधिकारियों और सेवकों का संविलियन और उनकी सेवा की समाप्ति–

1. उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए–

(i) अनुसूची I में वर्णित पद नियम 20 में उपबन्धित रीति से प्रोननति द्वारा भरे जायें;

(ii) अनुसूची II में वर्णित पद इस नियमावली के भाग ट में उपबन्धित रीति से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे;

(iii) अनुसूची III में वर्णित पद उक्त वर्णित रीति से दोनों स्त्रोंतों से बराबर–बराबर भरे जायेंगे फिर भी असमान पद, यदि कोई हो, प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस उपनियम के अन्तर्गत प्रोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा यथास्थित, भरे जाने के लिए अपेक्षित संख्या में सुयोग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो कमी को अन्य स्त्रोत से अथवा सरकार के अधीन सेवारत अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी नियुक्ति द्वारा पूरा किया जा सकेगा,

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि अनुसूची III में वर्णित सहायक अभियन्ता के पदो के सम्बन्ध में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में से पांच प्रतिशत रिक्तियां ऐसे अवर अभियन्ताओं में से भरी जायेगी, जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अभियान्त्रि की स्नातक की उपाधि हो या जो इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स के एसोसियेट मेम्बर हों।

2. पालिका के अधिकारियों या सेवकों, जो इस नियमावली के लागू होने के ठीक पूर्व नियम 3 में विनिर्दिष्ट पद को धारण करते हों या उसके कर्तव्यों एवं कार्यो को सम्पन्न करते हों, की सेवाओं का संविलयन या समाप्ति निम्नलिखित उपबन्धों द्वारा नियन्त्रित होगी–

(i) पालिका के स्थायी अधिकारी एवं सेवक और उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 577 के खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट अधिकारी एवं सेवक, ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए जो प्रत्येक मामलें में शासन के द्वारा जारी किये जायेंगे अन्तिम रूप से समायोजित होंगे, बशर्ते कि उन्होंने अन्यथा किसी विकल्प का चयन न किया हो।

(ii) अन्य अस्थायी अधिकारी एवं सेवक ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो प्रत्येक मामलें में शासन के द्वारा जारी किये जायेंगे अन्तिम रूप से समायोजित होंगे, बशर्ते कि उन्होने अन्यथा किसी विकल्प का चयन न किया हों।

(iii) खण्ड (i) एवं (ii) के अन्तर्गत अन्तिम रूप से समायोजित किये गये अधिकारी एवं सेवक आदि सुयोग्य पाये जाते हैं, तो पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा जो शासन द्वारा 31 अगस्त, 1967 ई0 से पूर्व पारित किया जायेगा, अन्तिम रूप से समायोजित होंगे।

(iv) यदि खण्ड (iii) में वर्णित तिथि से पूर्व शासन द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो अधिकारी एवं सेवक अन्तिम रूप से समायोजित समझे जायेंगे।

(v) पूर्ववर्ती खण्डों में विनिर्दिष्ट अधिकारियों एवं सेवकों की सेवाएं जो संविलयन के विपरीत विकल्प का चयन करते हैं और उनकी सेवाएं जो संविलयन हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, समाप्त हो जायेंगी और उनको किसी छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्यूटी जिसे वे अपनी सेवा निवृत्ति या सेवा समाप्ति, यथास्थिति पर, यदि वह नियमावली न बनी होती तो, पाने के हकदार होते, उनके दावे पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव डाले, निम्नलिखित प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा–

(अ) खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों एवं सेवकों को–

(क) अपनी सेवा की अवशेष अवधि के लिए वेतन; या

(ख) छः माह का वेतन, उन अधिकारियों एवं सेवकों की दशा में जिनकी निरन्तर सेवा की कुल अवधि इस नियमावली के लागू होने के ठीक पूर्व से वर्ष से अधिक हो, और तीन माह को वेतन, उन अधिकारियों एवं सेवकों की दशा में जिसकी उक्त निरन्तर सेवा की कुल अवधि दस वर्ष से अधिक न हों।

(ब) खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों एवं सेवकों को एक माह का वेतन।

स्पष्टीकरण 1–खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों एवं सेवकों, जिनकी सेवा इस खण्ड के अन्तर्गत समाप्त हो जाये, को स्वीकृत होने योग्य पेंशन या ग्रेच्यूटी की गणना के प्रयोजनार्थ पेंशन या ग्रेच्यूटी के लिए अर्हकारी सेवा की अवधि में निम्नलिखित अवधि जोड़ी जायेगी–

(i)	पांच वर्ष तक	एक वर्ष
(ii)	पांच वर्ष से अधिक और दस वर्ष तक	दो वर्ष
(iii)	दस वर्ष से अधिक और पन्द्रह वर्ष तक	तीन वर्ष
(iv)	पन्द्रह वर्ष से अधिक	चार वर्ष

स्पष्टीकरण ।।–इस खण्ड के प्रयोजनार्थ 'वेतन' में किसी भी प्रकार का मंहगाई भत्ता या अन्य तदर्थ भत्ता जो अन्तरिम उपचार के तौर पर स्वीकृत किये जाने योग्य हो, शामिल है।

(vi) खण्ड (v) में उल्लिखित प्रतिकर का भुगतान उस पालिका के द्वारा किया जायेगा जिसमें अधिकारी या सेवक इस नियमावली के लागू होने के ठीक पूर्व नियोजित था।

(vii) खण्ड (i) एवं खण्ड (ii) में उल्लिखित विकल्प का प्रयोग 15 नवम्बर, 1966 से पूर्व किसी भी समय किया जा सकेगा और इसकी सूचना सरकार को प्रेषित की जायेगी। जब तक कि प्रतिकूल विकल्प का चयन न किया गया हो, अधिकारी या सेवक, उपर्युक्त पूर्ववर्ती खण्डों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम रूप से संविलीन होंगें।

3. किसी नगरपालिका का वर्ग । की नगरपालिका में उन्नयन होने के परिणामस्वरूप उन्नयन से ठीक पूर्व कर अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षक प्रधान लिपिक और लेखाकार का पद धारण करने वाले व्यक्तियों का संविलयन या अन्य बातें निम्नलिखित उपबन्धों से नियन्त्रित होंगी–

(i) कर अधीक्षक, यदि वह सुयोग्य पाया जाता है, पालिका प्रशासनिक (अधीनस्थ) सेवा में नगर महापालिका के सहायक कर अधीक्षक के रूप में संविलीन हो जायेगी बशर्ते कि उसने संविलयन के प्रतिकूल विकल्प का चयन न किया हो।

(ii) कार्यालय अधीक्षक या प्रधानलिपिक, यथास्थिति, यदि सुयोग्य पाये जाते है, पालिका (अनुसचिवीय) सेवा में वर्ग । के म्यूनिसिपल बोर्ड के कार्यालय अधीक्षक/प्रधान लिपिक के रूप में संविलीन हो जायेंगे, बशर्ते कि उन्होनें संविलयन के प्रतिकूल विकल्प का चयन न किया हो।

(iii) लेखाकार, यदि सुयोग्य पाया जाता है उस, पालिका लेखा (अधीनस्थ) सेवा में नगरपालिका और वर्ग । नगरपालिका बोर्ड के लेखाकार के रूप में संविलीन हो जायेगी, बशर्ते कि उसने संविलयन के प्रतिकूल विकल्प का चयन न किया हो।

(iv) कर अधीक्षक कार्यालय अधीक्षक, प्रधान लिपिक या लेखाकार जो संविलयन के प्रतिकूल विकल्प का चयन करते हैं या जो अयोग्य पाये जाते है, की सेवा समाप्त हो जायेगी।

4. किसी नोटीफाइड एरिया कमेटी या किसी टाउन कमेटी के नगरपालिका श्रेणी (vi) या (iii) में परिवर्तित होने के परिणामस्वरूप सचिव, बख्शी या अधीक्षक का पद अधिशासी अधिकारी श्रेणी (iv) या (iii), यथास्थिति, में परिवर्तित किया गया समझा जायेगा, और–

(क) यदि उपर्युक्त का परिवर्तन अधिशासी अधिकारी श्रेणी ।।। से होता है, तो–

(i) ज्येश्ठतम अधिशासी अधिकारी, श्रेणी IV की पदोन्नति की जायेगी और उसे उक्त पद पर नियुक्त किया जायेगा।

(ii) ज्येष्ठतम सचिव, बख्शी या अधीक्षक, यथास्थिति, अधिशासी अधिकारी वर्ग IV के रूप में नियुक्त होंगे।

(iii) नगरपालिका, में परिवर्तित नोटीफाइड एरिया/टाउन एरिया कमेटी के सचिव, बख्शी या अधीक्षक, यथास्थिति, कैडर में ज्येष्ठतम नहीं है, स्थानान्तरण ज्येष्ठतम सचिव, बख्शी या अधीक्षक जिनकी नियुक्ति अधिशासी अधिकारी वर्ग IV के रूप में दी गयी है, के स्थान पर होगा।

(ख) यदि उपर्युक्त सचिव बख्शी या अधीक्षक का पद अधिशासी अधिकारी श्रेणी IV के पद के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) और (iii) के उपबन्ध लागू होंगे।

(ग) ज्येश्ठतम सचिव, बख्शी या अधीक्षक, यथासिथति, यदि सरकार द्वारा सुयोग्य पाया जाता है, पालिका (केन्द्रीयत)सेवा में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका बोर्ड, श्रेणी IV के रूप में नियुक्त किया जायेगा, बशर्ते कि उसने ऐसी नियुक्ति के प्रतिकूल विकल्प का चयन न किया हो।

(घ) ओवर सीयर या जूनियर इंजीनियर, यदि सरकार द्वारा सुयोग्य पाया जाता हे, पालिका (केन्द्रीयत) सेवा में जूनियर इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया जायेगा, बशर्ते कि उसने ऐसी नियुक्ति के प्रतिकूल विकल्प का चयन न किया हो।

(ङ) सचिव, बख्शी या अधीक्षक, ओवरसीयर या जूनियर इंजीनियर, जो नियुक्ति के प्रतिकूल विकल्प का चयन करते हैं या जो सरकार द्वारा अयोग्य पाये जाते हैं, की सेवा–

5. (i) उपनियम (2) के खण्ड (V) और (vi) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों
सहित उन कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिनकी सेवायें उपनियम (3) या उपनियम (4) के अन्तर्गत समाप्त की जाये।

(ii) उपनियम (3) और (4) में उल्लिखित विकल्प का प्रयोग किसी नगरपालिका के उन्नयन या किसी टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड कमेटी के नगरपालिका में परिवर्तन की तिथि के एक माह के भीतर किया जाना चाहिए और उक्त प्रयोग किया गया विकल्प, प्रत्येक व्यक्ति से सम्बन्धित उसकी सेवा पुस्तिका, चरित्र पंजिका और अन्य व्यक्तिगत फाइल ओर उसकी शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ, जिलाधिकारी के द्वारा शासन को प्रेषित किया जायेगा। उस जिले का जिलाधिकारी जिसमें सम्पूर्ण निकाय स्थित है, निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से अपना अनुमोदन राज्य शासन को प्रेषित करेगा, चाहे कर्मचारी का कार्य, व्यवहार, योग्यता और उसकी आस्था के बारें में सामान्य ख्याति, उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा में किसी पद पर उसकी नियुक्ति को उचित ठहराती हो या नहीं।

6. स्थानीय निकाय के कर्मचारी जिनका उन्नयन या परिवर्तन जुलाई, 1966 को या उसके पश्चात् हुआ हो, भी अपने विकल्प का प्रयोग 5 दिसम्बर, 1979 से पूर्व किसी भी समय करने के हकदार होंगे और उसकी सूचना शासन को प्रेषित की जायेगी। पालिका (केन्द्रीयत) सेवा में या अन्यथा संविलयन/नियुक्ति के उनके मामलें उपनियम (3) (4) और (5) के उपबंधों के अनुसार देखें जायेंगे।

7. नियम 3 के अन्तर्गत किसी नये पद के केन्द्रीयत सेवा में शामिल किये जाने या नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया कमेटी के किसी श्रेणी की नगरपालिका में परिवर्तन किये जाने पर पालिका/नोटीफाइड एरिया कमेटी के अन्तर्गत उक्त शामिल किये जाने या परिवर्तन से ठीक पूर्व पद धारण करने वाले या कर्तव्यों और कार्य को सम्पन्न करने वाले अधिकारियों एवं सेवकों की सेवाओं का संविलयन नियुक्ति या उनकी सेवा की समाप्ति निम्नलिखित खण्ड (i) से (vii) तक में दिये गये उपबन्धों से नियन्त्रित होगा–

(i) पालिका के अधिकारियों एवं सेवकों के ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए जो शासन द्वारा प्रत्येक मामलें में जारी किये जायेंगे औपचारिक रूप से, संविलीन किया जायेगा बशर्ते कि उन्होंने अन्यथा विकल्प का चयन न किया हो।

(ii) ऐसे अधिकारी या सेवक जो खण्ड (i) के अन्तर्गत औपचारिक रूप से संविलीन किये गये है पश्चात्वर्ती षासनादेश द्वारा जो उनके पदों के केन्द्रीयित सेवा में शामिल किये जाने के 180 दिन की अवधि के भीतर पारित किया जा सकेगा, यदि सुयोग्य पाये जाते है, तो अन्तिम रूप से संविलीन कर लिए जायेंगें।

(iii) यदि किसी मामलें में शासन उपर्युक्त 180 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व शासन द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश परित नहीं किया जाता है, तो अधिकारी या सेवक अन्तिम रूप में संविलीन समझे जायेगें।

(iv) खण्ड (i) में वर्णित संविलयन नियुक्ति के लिए विकल्प का प्रयोग नये पद केन्द्रीयत सेवा में शामिल किये जाने या नोटीफाइड एरिया टाउन एरिया कमेटी के किसी श्रेणी की नगरपालिका में परिवर्तित किये जाने की तिथि से 60 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय किया जा सकेगा और उसकी सूचना निदेशक, स्थानीय निकाय और शासन को प्रेषित की जायेगी।

(v) पूर्ववर्ती खण्डों के अन्तर्गत प्रयुक्त विकल्प की सूचना नगरपालिका बोर्ड की दशा में जिलाधिकारी द्वारा और नगरपालिका की दशा में प्रशासन या मुख्य नगर अधिकारी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति से सम्बन्धित सेवा पुस्तिका, चरित्र पंजिका और व्यक्तिगत फाइल और उसकी शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से शासन को प्रेषित की जायेगी और ऐसा करते समय उक्त प्राधिकारी अपनी यह संस्तुति भी प्रेषित करेगा कि कर्मचारी का कार्य व्यवहार, योग्यता और निष्ठा के बारें में सामान्य ख्याति केन्द्रीयित सेवा में उसके संविलयन/नियुक्ति को उचित ठहराती है या नहीं।

(vi) पूर्ववर्ती खण्डों में विनिर्दिष्ट अधिकारियों और सेवकों, जो संविलयन/नियुक्ति के प्रतिकूल विकल्प का चयन करते हैं और जो संविलयन/नियुक्ति के अयोग्य पाये जाते हैं, की सेवायें समाप्त हो जायेगी और उनके किसी छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्यूटी, जिसे वे अपनी सेवा निवृत्ति या सेवा समाप्ति, यथास्थिति, पर यदि वह नियमावली नही बनी होती, तो पाने के हकदार होते या प्राप्त करते, के उनके दावे पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव डाले उपनियम (2) के खण्ड (v) में दी गयी रीति के अनुसार प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

(vii) खण्ड (iv) में उल्लिखित प्रतिकर का भुगतान उस पालिका/नोटीफाइड एरिया/टाउन एरिया कमेटी द्वारा किया जायेगा जिसमें वह अधिकारी या सेवक उसके पद के केन्द्रीयित सेवा में शामिल किये जाने के ठीक पूर्व नियोजित था;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह उपनियम उन अधिकारियों और सेवकों पर लागू नहीं होगा जो पहले ही संविलीन किये जा चुके हैं या जो किसी केन्द्रीयित पद पर स्थायी या अस्थायी रूप से नियुक्त किये जा चुके है।

7. अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व—अनुसूचित जातियों, आरक्षण अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों) और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 के अनुसार होगा।

भाग IV
योग्यता

8. राष्ट्रीयता—केन्द्रीयित सेवा में किसी पद भर्ती के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित में से कोई होना चाहिए—

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) सिक्किम का निवासी, या

(ग) तिब्बती, जो भारत में एक जनवरी, 1982 ई0 से पूर्व स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान से प्रवर्जन किया हो,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त श्रेणी (ग) एवं (घ) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के पास पुलिस उप महानिरीक्षक जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा अर्हता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;

किन्तु आगे प्रतिबन्ध यह है कि उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के पास पुलिस उप महानिरीक्षक अधिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त अर्हता का प्रमाण पत्र होना अपेक्षित है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई अभ्यर्थी श्रेणी (घ) से सम्बन्धित है, तो उसकी अर्हता का प्रमाण पत्र उसकी नियुक्ति की तिथि केवल एक वर्ष की अवधि तक के लिए वैध होगा और उसके पश्चात् वह सेवा में केवल तभी बना रह सकता है यदि वह भारत का नागरिक बन जायें।

टिप्पणी–श्रेणी (ग) में किसी तिब्बती की नियुक्ति हेतु अन्तिम अनुमोदन से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

9. आयु–केन्द्रीयित सेवाओं में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष, जिसमें भर्ती की जाय, के अगले अनुवर्ती वर्ष की पहले जनवरी को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 32 वर्ष की आयु न पूरी की हो।

प्रतिबन्ध यह है कि–

(1) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसने किसी भी केन्द्रीयित सेवा अथवा पालिका में एक वर्ष या उससे अधिक की सेवा कर ली हो, अधिकतम आयु निरन्तर सेवा अथवा 7 वर्ष, इससे जो भी कम हो, की सीमा तक अधिक होगी।

(2) यदि कोई अभ्यर्थी को अपनी आयु के आधार पर किसी ऐसे वर्ष में चयन में उपस्थित होने के लिए हकदार होता, जिसमें कोई चयन नहीं किया गया हो तो वह अपनी आयु के आधार पर अगले अनुवर्ती चयन में उपस्थित होने के लिए हकदार समझा जायेगा।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों की दशा में अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष अधिक होगी।

(4) राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस नियम में विहित अधिकतम आयु सीमा को किसी अभ्यर्थी का अभ्यर्थियों के वर्ग के पक्ष में शिथिल कर सकती है, यदि वह उचित व्यवहार के हित में या लोक हित में आवश्यक समझे।

10. चरित्र–(1) नियुक्ति प्राधिकारी स्वयम का समाधान करेगा कि नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह केन्द्रीयित सेवा में नियेाजिते किये जाने के लिए सभी प्रकार से सुयोग्य है।

(2) भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षित होगा कि वे अन्तिम संस्था के प्रधानाध्यापक/प्रमुख और दो राजपत्रित अधिकारियों (जो अभ्यर्थी से सम्बन्धित न हो) जो राज्य या केन्द्र सरकार की सक्रिय सेवा में हो और उसके व्यक्तिगत जीवन से परिचित हों किन्तु उसके स्कूल, कालेज या विश्वविद्यालय से असम्बद्ध हों, से प्राप्त चरित्र प्रामण पत्र प्रस्तुत करें।

11. शारीरिक दक्षता–कोई भी व्यक्ति केन्द्रीयित सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक न हो और वह ऐसे किसी शारीरिक दोष से मुक्त न हो जो उसके सरकारी कर्तव्यों के सम्पादन की क्षमता को प्रभावित करता हो। सीधी भर्ती द्वारा प्रवर सेवा में किसी पद पर किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति को अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व यह अपेक्षित होगा कि वह चिकित्सकीय परीक्षण हेतु राज्य चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अधीनस्थ सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित किसी व्यक्ति को उस स्थान के सिविल सर्जन जहां वह नियुक्त किया जाये, से शारीरिक दक्षता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

12. अर्हतायें–केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी आवश्यक अर्हतायें होना चाहिए जो राज्य सरकार द्वारा समय पर विनिर्दिष्ट की जाये।

13. अधिमान्य अर्हता–किसी अभ्यर्थी (i) जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, (ii) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर से 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर, को केन्द्रीयित सेवा में सीधी भर्ती के मामलें में अधिमान्यता प्रदान की जायेगी।

14. वैवाहिक स्थिति–कोई पुरूष ा अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिसके पास पहले से ही एक पत्नी है, केन्द्रीयित सेवा में भर्ती के लिए अर्ह नहीं होगे;

किन्तु प्रतिबन्ध यसह है कि राज्यपाल, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशिष्ट आधार है, किसी व्यक्ति को इस नियम के उपबन्धों के प्रभाव से मुक्त कर सकेगा।

भाग V
सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया

15. रिक्तियों की संख्या की सूचना देना–शासन द्वारा उस वर्ष जुलाई माह में जिसमें भर्ती की जानी है, भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियां, यदि कोई हो, की सूचना आयेाग को दी जायेगी।

16. आवेदन पत्र–(क) केन्द्रीयित सेवा में भर्ती के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा आमन्त्रित किये जायेंगे और वह विहित आकार पत्र, जो भुगतान किये जाने पर आयोग के सचिव से प्राप्त किया जा सकेगा, पर किया जायेगा और ऐसी अवधि के भीतर जमा किया जायेगा जो विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(ख) केन्द्रीयित सेवा में पहले से नियोजित अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र समुचित माध्यम से षासन को प्रेशित करेंगे जो उसे उनकी सामायिक रिपोर्ट के साथ आयोग को प्रेषित करेगा।

17. भर्ती, आवेदन पत्रों की जांच, मौखिक परीक्षा आदि की पद्धति–(क) प्रशासनिक, लेखा और अनुसचिववीय सेवा में किसी पद पर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जायेगी। आयोग द्वारा प्राप्त किये गये आवेदन पत्रों की जांच करेगा और अर्ह अभ्यर्थियों की प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करेगा। किसी ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक उसके पास आयोग द्वारा प्रदत्त प्रवेश पत्र न हों।

लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को सारणीबद्ध करने के पश्चात् आयोग उन अभ्यर्थियों की व्यक्तित्व परीक्षा के लिए बुलायेगा जिन्होने लिखित परीक्षा में सेवा के लिए अपनी सुयोग्यता प्रदर्शित की है। व्यक्तिगत परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किया गयाअंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्रापत किये गये अंक में जोड़ा जायेगा और मेरिट का क्रम इन दोनों के सम्पूर्ण योग के आधार पर अभिनिधारित किया जायेगा।

आयोग, अनुसूचित जाति के लिए रिक्तियों के आरक्षण से सम्बन्धित उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वरीयता क्रम में व्यवस्थित कर अभ्यर्थियों की एक सूची बनायेगा और उसे शासन को अग्रसारित करेगा। इस सूची में नामों की संख्या उद्घोषित रिक्तियों की संख्या से कुछ अधिक होगी।

यदि दो या अधिक अभ्यर्थी सम्पूर्ण रूप से एक समान अंक प्राप्त करते है, तो आयोग उनके नामों को, सेवा के लिए उनकी सामान्य सुयोग्यता के आधार पर मेरिट क्रम में रखा जायेगा।

(ख) अन्य केन्द्रीयित सेवाओं में भर्ती केवल, साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर होगी। आयोग उनसे प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा हेतु बुलायेगा जो सेवा में नियुक्ति हेतु सबसे सुयोग्य मालूम पड़ते हों। तत्पश्चात् आयोग अधिमान क्रम में व्यवस्थित कर अभ्यर्थियों की एक सूची बनायेगा और उसे षासन को अग्रसारित करेगा।

(ग) इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, शासन विशिष्ट परिस्थितियों में और आयोग की परामर्श से, केन्द्रीयित सेवा के लिए आयोग द्वारा सम्पादित विशेष परीक्षा या साक्षात्कार परीक्षा के परिणाम के आधार पर विशेष या आपातकालीन भर्ती की व्यवस्था कर सकेगा। ऐसी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता, अनुभव और आयु वह हो सकेगी जैसा कि आयोग से परामर्श के पश्चात् शासन द्वारा अभिनिर्धारित किया जायेगा। विशेष परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा यथास्थिति उप नियम (क) या (ख) में उपबन्धित रीति से सम्पन्न की जायेगी। आयोग अधिमान क्रम में व्यवस्थित कर अभ्यर्थियों की एक सूची बनायेगा और उसे शासन को अग्रसारित करेगा। ऐसे अभ्यर्थियों की आपसी ज्येशठता उनके द्वारा विशेष परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा की मेरिट क्रम में उनके स्थान के अनुसार अभिनिर्धारित की जायेगी और उनकी ज्येष्ठता उस वर्ष के नियमित

परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थियों और इस नियमावली के नियम 20 के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों के नीचे प्रदर्शित की जायेगी।

18. शुल्क–(1) सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी आयोग और चिकित्सकीय बोर्ड को ऐसे शुल्क का भुगतान करेगा जैसा शासन द्वारा समय–समय पर विहित किया जा सकेगा। शुल्क को वापस करने का किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) प्रतियोगी परीक्षा से सम्बन्धित पाठ्य विवरण और नियम शासन के अनुमोदन से आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किया जायेगा।

19. अनुमोदित सूची–नियम 17 के अन्तर्गत आयोग द्वारा तैयार सूची प्राप्त होने पर, नियम 7, 10 और 20 के अधीन रहते हुए अभ्यर्थियों का नाम प्रतीक्षा सूची में शासन द्वारा उसी क्रम में प्रविष्ट किया जायेगा जिस क्रम में वह आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए अनुमोदित किया गया है।

भाग V
पदोन्नति के लिए प्रक्रिया

20. पदोन्नति–(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से उसकी केन्द्रीयित सेवा के ठीक निम्न पदक्रम के सभी पात्र अधिकारियों में से ज्येष्ठता के आधार पर किन्तु अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए अधिकारियों का एक पात्रता सूची उपनियम (2) में दी गई रीति से तैयार की जायेगी।

(2) उपनियम (7) में यथा उपबन्धित के सिवाया सरकार ज्येशठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी, जिसे पात्रता सूची कहा जायेगा, जिसमें यथसम्भव निम्नलिखित अनुपात में नाम होंगे–

1 से 5 रिक्तियों के लिए–रिक्तियों की संख्या का दो गुना किन्तु कम से कम 5/5 से अधिक रिक्तियों के लिए–रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना, किन्तु कम से कम 10;

परन्तु यदि भर्ती एक से अधिक वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के लिए की जानी हो, तो ऐसे प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में पृथक पात्रता सूची तैयार की जायेगी। ऐसे मामलों में, भर्ती की द्वितीय और अनुवर्ती वर्ष के लिए पात्रता सूची तैयार करते समय पात्रता, सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगी–

(क) द्वितीय वर्ष के लिए–उक्त अनुपात के अनुसर जिसमें प्रथम और द्वितीय वर्षो की रिक्तियों की संख्या को जोड़ दिया जायेगा।

(ख) तृतीय वर्ष के लिए–उक्त अनुपात के अनुसार जिसमें प्रथम और द्वितीय वर्षो की रिक्तियों की संख्या को जोड़ दिया जायेगा।

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थियों को जो प्रथम दृष्टया पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझे जायें, उक्त अनुपात की गणना करने में सम्मिलित नहीं किया जायेगा और इस आशय की एक टिप्पणी कि उन पर विचार नहीं किया गया, उनके नाम के सामने लिख दी जायेगी।

स्पष्टीकरण–इस नियम में 'रिक्तियों की संख्या' का तात्पर्य एक वर्ष में होने वाली मौखिक या अस्थायी रिक्तियों की कुल संख्या से है।

(5) उप नियम (1) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित होंगेः

(क) वर्ग एक और वर्ग दो के पदो पर प्रोन्नति की स्थिति में–

(एक)	सचिव उत्तर प्रदेश सरकार नगर विकास विभाग	...	अध्यक्ष
(दो)	सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग या उनका नाम–निर्दिशितों जो संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो	...	सदस्य
(तीन)	निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश	...	सदस्य

(चार)	यदि उपखण्ड (एक) से (तीन) में निर्दिष्ट अधिकारी अनुसूचित जातियों या अन्य पिछड़े वर्गो का न हो तो उक्त जातियों या वर्गो, जिनका प्रतिनिधित्व न हो, के एक अधिकारी को सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास विभाग द्वारा, ऐसे अधिकारियों में से, जो कम से कम उस पद से जिसके लिए चयन समिति गठित की जानी है, से एक वेतनमान उच्च पद पर हो, नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा	...	सदस्य

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट पदों से भिन्न पदों पर पदोन्नति की स्थिति में–

(एक)	सचिव उत्तर प्रदेश सरकार नगर विकास विभाग या उनका नाम–निर्देशित जो विशेष सचिव से अनिम्न स्तर का हो	...	अध्यक्ष
(दो)	सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो	...	सदस्य
(तीन)	निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश	...	सदस्य
(चार)	यदि उपखण्ड (एक) से (तीन) में निर्दिष्ट अधिकारी अनुसूचित जातियों या अन्य पिछड़े वर्गो का न हो तो उक्त जातियों या वर्गो, जिनका प्रतिनिधित्व न हो, के एक अधिकारी को सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास विभाग द्वारा, ऐसे अधिकारियों में से, जो कम से कम उस पद से जिसके लिए चयन समिति गठित की जानी है, से एक वेतनमान उच्च पद पर हो, नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा	...	सदस्य

(4) (एक) सरकार चयन समिति की बैठक के लिए दिनांक नियत करेगी;

(दो) जहां चयन समिति यह आवश्यक समझे कि पात्रता सूची में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उसके द्वारा किया जाना चाहिए तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है;

(तीन) चयन समिति प्रत्येक मामलें में अभ्यर्थी की चरित्र पंजी पर विचार करेगी और किसी अन्य तथ्य पर विचार कर सकती है, जो उसकी राय में सुसंगत हो।

(5) चयन समिति ज्येश्ठताक्रम में दो सूचियां तैयार करोगी, अर्थात्–

सूची क. इसमें मौलिक रिक्तियों प्रति स्थायी नियुक्ति के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों के नाम होंगे।

सूची ख. इसमें अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियों के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों के नाम होंगे;

परन्तु यदि भर्ती एक से अधिक वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के प्रति उसकी क्रम में, जिसमें उनके नाम सूची में आये हों, नियम 21 के उपनियम (1) के अधीन नियुक्त किये जायेंगे।

(6) (क) (एक) सूची 'क' में सम्मिलित अभ्यर्थी मौलिक रिक्तियों के प्रति उसी क्रम में, जिसमें उनके नाम सूची में आये हों, नियम 21 के उपनियम (1) के अधीन नियुक्त किये जायेंगे।

(दो) सूची 'क' में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिनके लिए मौलिक रिक्तियां तुरन्त उपलब्ध न हो, उक्त क्रम में, अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों के प्रति उन अभ्यर्थियों पर, जो सूची 'ख' में सम्मिलित हों, अधिमान देकर नियुक्त किये जायेंगे।

(तीन) सूची 'क' में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थीं के नाम जिनके लिए उस वर्ष के दौरान जिसके लिए उनका चयन किया गया हो, मौलिक रिक्तियां उपलब्ध नहीं की जा सकती, वर्ष के अन्त में अनुवर्ती वर्ष में रिक्त होने वाली मौलिक रिक्तियों के प्रति नियुक्ति के लिए अग्रेनीत किये जायेंगे या अनुवर्ती वर्ष के लिए तैयार और अनुमोदित की गयी सूची 'क' के, यदि कोई हो, शीर्ष पर अन्तरित कर दिये जायेगें।

(ख) खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सूची 'ख' में सम्मिलित अभ्यर्थी उसी क्रम में जिसके उनके नाम सूची में आए हों, अस्थायी रिक्तियों के प्रति सूची 'क' के निःशोषित होने के पश्चात् नियुक्त किये जायेंगे। उन्हें मौलिक नियुक्ति के प्रति भी नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु अस्थायी आधार पर। यदि किसी समय नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि सूची 'ख' से नियुक्त किसी अधिकारी ने अवसर का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो ऐसे अधिकारी को उस पद पर जिससे उसे पदोन्नत किया गया था, बिना कोई कारण बताये प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(7) यदि किसी मामलें में पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या कम हो और नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए स्पष्टतः उचित समझे और जहां कोई अतिक्रमण अन्तर्वलित न हो तो वह प्रस्ताव को तुरन्त अनुमोदित कर सकता है। उस स्थिति में किसी चयन समिति के गठन की आवश्यकता नहीं होगी और इस प्रकार अनुमोदित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वे पदोन्नति के लिए सम्यक् रूप से चुन लिए गये है।

भाग VI

नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

21. नियुक्ति–(1) मौलिक रिक्ति होने पर, शासन नियम 19 के अन्तर्गत तैयार की गयी सूची से ओर नियम 20 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति से केन्द्रीयित सेवा में नियुक्ति करेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां नियुक्ति पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों द्वारा की जाती है, वहां शासन द्वारा ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति यथासम्भव पदोन्नत और सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों की दोनों सूची में से अनुक्रम के आधार पर अभ्यर्थियों को लेकर किया जायेगा। अभ्यर्थियों को उसी क्रम में लिया जायेगा जिस क्रम में वे मेरिट सूची में है और प्रथम अभ्यर्थी पदोन्नत अभ्यर्थियों की सूची से लिया जायेगा।

(2) शासन अस्थायी रिक्तियों पर भी छः सप्ताह से अनधिरक अवधि के लिए नियम 20 के अन्तर्गत पदोन्नति के लिए चयनित व्यक्तियों में से नियुक्ति कर सकेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी नियुक्ति के लिए कोई अनुमोदित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, तो शासन ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्त कर सकेगा जो इस नियमावली के अन्तर्गत केन्द्रीयित सेवा में स्थायी भर्ती के लिए अर्ह हो। इस परन्तुक के अन्तर्गत नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक आयोग (कार्य सीमा) विनियम, 1954 में उपबन्धित के अधीन होगी।

21–क. तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण–(1) किसी व्यक्ति को–

(i) जो सेवा में 1 मई, 1983 के पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किया गया और इस नियमावली के प्रारम्भ की तिथि को उस रूप में निरन्तर सेवारत रहा हो;

(ii) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियम 12 के अधीन नियमित नियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित अर्हतायें रखता हो; और

(iii) जिसने यथास्थिति, तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो या पूरी करने के पश्चात्,

किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में जो उलपब्ध हो, नियमित नियुक्ति के लिए ऐसी रिक्ति में इस नियमावली में निहित उपबन्धों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति करने के पूर्व उसके सेवा अभिलेख और सुयोग्यता के आधार पर विचार किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के अन्तर्गत नियमित नियुक्ति करते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, पिछड़े वर्गो और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उसके सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(3) उप नियम (1) के प्रयोजनार्थ सरकार एक चयन समिति का गठन करेगी और इसके लिए आयोग से परामर्श कराना आवश्यक नहीं होगा।

(4) निदेशक, स्थानीय निकाय अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची उस ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा जैसा कि उनकी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के दिनांक से अभिनिर्धारित हो, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें, तो उस क्रम में तैयार करेगा, जिस क्रम में उसके नाम उक्त नियुक्ति के आदेश में क्रमबद्ध किये गये हों, सूची को अभ्यर्थियों का चरित्र पंजिकाओं और उनके सम्बन्ध में ऐसे अन्य अभिलेखों सहित, जो उनकी सुयोग्यता को निर्धारित करने के लिए आवश्यक समझा जाये, चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी।

(5) चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उपनियम (4) में निर्दिष्ट उनके अभिलेखों के आधार पर विचार करेगी।

(6) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी, सूची में नाम ज्येशठता क्रम में रखे जायेंगे, और वह उसे सरकार और निदेशक, स्थानीय निकाय को भेजेगी।

(7) राज्य सरकार या निदेशक स्थानीय निकाय इस नियम के उपनियम (2) और नियम (6) के उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस नियम के उपनियम (6) के अधीन तैयार की गयी सूची में से नियुक्तियां उस क्रम में करेगें जिस क्रम में उनके नाम उक्त सूची में रखे गये हों।

(8) उपनियम (7) के अधीन की गयी नियुक्तियां नियम 21 में दिये गये सुसंगत उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

(9) इस नियम के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियम के अनुसार चयन के पश्चात् केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येशठता का हकदार होगा और सभी माललों में उसे इस नियम के अन्तर्गत उसकी नियुक्ति के पूर्व इस नियमावली के भाग V में सीधी भर्ती के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।

(10) यदि दो या अधिक व्यक्ति इस नियम के अन्तर्गत एक साथ नियुक्त किये जायें तो उनकी आपसी ज्येशठता नियुक्ति आदेशों में उल्लिखित क्रम में अभिधारित की जायेगी।

(11) ऐसे व्यक्ति की सेवा जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो, और जो सुयोग्य न पाया जाये या जिसका मामला इस नियम के उपनियम (1) के अन्तर्गत न आता हो, तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और ऐसी समाप्ति पर वह एक मास का वेतन पाने का हकदार होगा।

22. परिवीक्षा–(1) केन्द्रीयित सेवा में किसी मौलिक रिक्ति के विरूद्ध सीधे नियुक्त कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि केन्द्रीयित सेवा में शामिल किये गये किसी पद कार्यवाहक या अस्थायी रूप से की गयी नियमित सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से, परिवीक्षा की अवधि में संगणित करने हेतु शासन द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

किन्तु आगे प्रतिबन्ध यह है कि शासन पर्याप्त कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किया जायेगा, वैयक्तिक मामलों में परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष से अनधिक अग्रिम अवधि के लिए बढ़ा सकेगा। ऐसा कोई आदेश उस अवधि को विनिर्दिष्ट करेगा जिस अवधि के लिए वृद्धि की गयी है।

(2) यदि परीवीक्षा अवधि या परिवीक्षा की बढ़ायी गयी अवधि के दौरान या उसके अन्त होने पर यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने अपने अवसर का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या उससे अपेक्षित मापदण्ड को सन्तुष्ट करने से अन्यथा असफल रहा हो, तो उसकी

सेवा, यदि सीधी भर्ती है, बिना किसी सूचना या प्रतिकर के समाप्त की जा सकेगी, या यदि पदोन्नति द्वारा नियुक्ति है, उस पद पर प्रत्यावर्तित कर दी जायेगी जिससे पदोन्नति हुई थी।

23. स्थायीकरण–कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा की अवधि या परिवीक्षा की बढ़ायी गयी अवधिकी समाप्ति पर, यदि उसका कार्य और व्यवहार सन्तोशजनक रहा हो और उसी निष्ठा प्रमाणित हो, अपने पर पर स्थायी कर दिया जायेगा।

24. ज्येष्ठता–केन्द्रीयित सेवा में किसी पद पर ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर अभिनिर्धारित की जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक ही तिथि को नियुक्त हो, तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में अभिनिर्धारित की जायेगी जिस क्रम में उनके नाम नियम 19 और 20 के अन्तर्गत तैयार की गयी सूची में है।

25. स्थानान्तरण–(1) राज्य सरकार केन्द्रीयित सेवाओं के किसी अधिकारी का एक पालिका से दूसरी पालिका में स्थानान्तरण कर सकती है।

(2) मण्डलायुक्त केन्द्रीय प्रवर सेवाओं के किसी अधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी का अपने मण्डल के अन्तर्गत एक पालिका से दूसरी पालिका में स्थानान्तरण कर सकता है।

(3) कोई पालिका, केन्द्रीयित सेवा के किसी अधिकारी का स्थानान्तरण करने हेतु निवेदन पालिका संघटित करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से इस आशय का एक विशेष संकल्प पारित करके कर सकती है।

भाग VII

अन्य उपबन्ध

26. संदाय आकिारी (Paying Authority)–केन्द्रीयित सेवाओं के अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते, जो राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाये, का भुगतान पालिका द्वारा सीधे अधिकारियों को किया जायेगा।

27. परिवीक्षा अवधि में वेतन–(1) परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से ही किसी पालिका की स्थायी सेवा में न हो, परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष के लिए पद का न्यूनतम वेतन तथा वेतन वृद्धियां जैसे कि वे प्रदूभूत हो, प्राप्त करेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि संतोषजनक कार्य न करने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो बढ़ाई गयी अवधि की संगणना वेतन वृद्धि में तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ऐसा निर्देश न दे, किन्तु स्थायी हो जाने पर उसे वही वेतन प्राप्त होगा जो उसके सेवाकाल के अनुसार अनुमन्य होता।

(2) परिवीक्षा अवधि में ऐसे किसी व्यक्ति, जो केन्द्रीयित सेवा में भर्ती किये जाने के पूर्व किसी पालिका को सेवा में पहले से ही किसी मौलिक पद पर हो, का वेतन, पालिकाओं के कर्मचारियेां का वेतन निश्चित करने से सम्बद्ध सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

29. दक्षतारोध पार करने हेतु मापदण्ड–(1) केन्द्रीयित सेवाओं के किसी सदस्य को प्रथम दक्षतारोध पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसके सम्बन्ध में यह नहीं पाया जाये कि उसे संतोशजनक रूप से और अपनी पूरी योग्यता से कार्य किया है, और उसकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे प्रमाणित न कर दी जाये।

(2) केन्द्रीयित सेवाओं के किसी सदस्य को द्वितीय तथा अनुवर्ती दक्षतारोध पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि वह अपने कार्य, आचरण, सत्यनिश्ठा तथा योग्यता से पूर्णतः सन्तुष्ट न कर दें।

(3) केन्द्रीयित सेवाओं के सदस्यों को दक्षतारोध पार करने की अनुमति दी जाये, जिसा पर वह पहले रोक दिया गया था, तो दक्षतारोध पाकर करने के दिनांक से उसका वेतन मान (Time scale) ऐसे प्रक्रम पर निशचित किया जायेगा जो उसे मिलता, यदि वह दक्षतारोध पर रोग नहीं लिया गया होता।

29. संयाचना (Canvassing)–भर्ती हेतु इस नियमावली के अन्तर्गत अपेक्षित संस्तुतियों से भिन्न संस्तुतियों पर चाहे वे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अभ्यर्थता के लिए उपयों द्वारा समर्थन प्राप्त करने का प्रयास उसे नियुक्ति हेतु अनर्ह कर देगा।

30. अवकाश, अवकाश भत्ता, स्थानापन्न वेतन, शुल्क और मानदेय–(1) इस नियमावली में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय अवकाश और अवकाश वेतन से सम्बन्धित सभी मामलें समान प्रास्थिति के सरकारी सेवकों या प्रयोज्य अवकाश सम्बन्धी नियमों में निर्धारित रीति से विनियमित होंगे और समय–समय पर उससे सम्बन्धित सभी संशोधन सभी व्याख्याओं और स्पष्टीकरण के साथ, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(2) वेतन जिसमें स्थानापन्न वेतन और अतिरिक्त वेतन भी सम्मिलित है, विशेष वेतन मानदेय, प्रतिकर भत्ता, निर्वाह भत्ता तथा शुल्कों की स्वीकृति उन्हें शर्तो पार विनियमित होगी जो समान प्रास्थिति के सरकारी सेवकों पर उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड II, भाग II-IV तक में किये गये उत्तर प्रदेश मौलिक और सहायक नियमावली के अधीन प्रयोज्य है।

टिप्पणी–तदनुरूप प्राधिकारी, जो इस निमयावली के प्रयोजनार्थ उपयुक्त वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के अन्तर्गत विभिनन अधिकारों का प्रयोग करने हेतु सक्षम हो, वे होंगे जिन्हें शासन द्वारा समय–समय पर आदेश द्वारा निर्धारित किया जाये।

31. तदर्थ एवं अस्थायी स्थानापन्न नियुक्तियां–नियम 21 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार मौलिक या अस्थायी रूप से रिक्त होने वाले पदों पर तदर्थ नियुक्तियां या अस्थायी स्थानापन्न व्यवस्था कर सकती है।

32. अवकाश व्यय आदि का भार–एक पालिका से दूसरी पालिका में स्थानान्तरित किसी अधिकारी का अवकाश व्यय, मार्गस्थ वेतन और भत्ते जिसमें यात्रा भत्ता भी सम्मिलित है, निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार विनियमित किया जायेगा–

(क) जब किसी अधिकारी को एक पालिका से दूसरी पालिका में स्थानान्तरित किया जाता है, तो उसका मार्गस्थ वेतन और भत्ते जिसमें यात्रा भत्ता भी सम्मिलित हे, उस पालिका द्वारा दिया जायेगा जहां पर उसका स्थानान्तरण किया गया है।

(ख) अवकाश वेतन उस पालिका द्वारा दिया जायेगा जहां से अधिकारी अवकाश पर जाता है।

33. भविष्य निधि–सभी केन्द्रीयित सेवाओं के लिए एक सामान्य भविष्य निधि स्थापित किये जाने के समय तक, इस नियमावली द्वारा नियंत्रित अधिकारी जब तक कि इस नियमावली में अन्यथा व्यवस्था न हो, उस पालिका के जिसमें वह तत्समय तैनात किया गया हो भविष्य निधि सम्बन्धी नियम या नियमों द्वारा नियन्त्रित होते रहेगें;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी पालिका के नियमों या विनियमों में किसी बात के होते हुए भी अधिकारी द्वारा निधि में दिये जाने वाले अंशदान की रकम उसकी पलिब्धियों की 6¼ प्रतिशत की दरन से कम नहीं होगी। ('परिलब्धिों' पद का, अभिप्राय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड II में यथापरिभाषित वेतन, अवकाश वेतन या निर्वाह अनुदान से हैं) और पालिका द्वारा जिसमें दिया जाने वाला अंशदान परिलब्धियों के 6¼ प्रतिशत की दर से होगा और दोनों रकम निकटतम पूरे रूपये में की जायेगी। (पचास पैसा या उससे अधिक की गणना अगले उच्च रूपये में की जायेगी);

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई अधिकारी जो केन्द्रीयित सेवाओं में संविलीन हो जाने या उसमें नियुक्त हो जाने के ठीक पूर्व किसी पेंशन और सामान्य भविष्य निधि विनियमों या किसी पालिका के नियमों से नियन्त्रित होता रहा है, वह इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति, ऐसे पेंशन या सामान्य भविष्य निधि विनियमों या नियमों द्वारा निम्नलिखित प्रकार से नियन्त्रित होता रहेगा–

(i) ऐसे अधिकारी के सामान्य भविष्य निधि में अंशदान की रकम उस पालिका द्वारा जिसमें वह तत्समय तैनात हो, प्रतिमाह उसके वेतन में से काट ली जायेगी।

(ii) उक्त पालिका ऐसी पालिका को जिसमें उक्त अधिकारी केन्द्रीयित सेवा में संविलीन हो जाने या उसमें नियुक्त हो जाने से ठीक पूर्व नियोजित था, सामान्य भविष्य निधि में उसके अंशदान की रकम तथा उक्त अधिकारी के सम्बन्ध में अपना पेंशन सम्बन्धी अंशदान सम्बन्धित निधियों में जमा करने हेतु भुगतान करेगी।

(iii) जिस पालिका में उक्त अधिकारी केन्द्रीयित सेवाओं में संविलीन हो जाने या उसमें नियुक्त हो जाने से ठीक पूर्व नियोजित रहा हो, वह पालिका उसके सेवा निवृत्त होने के पश्चात्, यथास्थिति, उक्त पेंशन तथा सामान्य भविश्य निधि विनियमों या नियमतों के अनुसार उसे उसकी पेंशन ग्रेच्यूटी तथा सामान्य भविश्य निधि का या उसके परिवार के सदस्यों को ग्रेच्यूटी तथा पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

34. भविष्य निधि के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध–120 दिन से अधिक के अवकाश की स्थिति में, एक पालिका से दूसरी पालिका में स्थानान्तरण होने पर तत्काल उस पालिका में जहां पर अधिकारी का स्थानान्तरण किया गया है, उसके नाम से एक नया भविष्य निधि खाता खोला जायेगा और उस पालिका का जहां से उसका स्थानान्तरण किया गया है मुख्य नगर अधिकारी या अध्यक्ष, यथास्थिति ऐसे स्थानान्तरण की तिथि से तीस दिन के भीतर उस पालिका को जहां पर उसका स्थानान्तरण किया गया है, अधिकारी के भविष्य निधि का एक पूर्ण लेखा भेजेगा तथा पुराने खाते में उसकमे नाम से जमा की गयी रकम तथा ब्याज को जिसकी गणना उस माह तक की जायेगी सिजमें खाता हस्तान्तरित किया जाये उसके नये खाते में हस्तान्तरित करायेगा। अगले अनुवर्ती माह में ऐसी रकम पर आगे का कुल ब्याज उस पालिका द्वारा देय होगा जहां पर न या खाता खोला गया हो।

35. नियत 34 में उल्लिखित परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में अधिकारी अपने वर्तमान भविष्य निधि में अंशदान देता रहेगा और ऐसी अतिरिक्त धनराशि भी देगा जो उसके सम्बन्ध में उससे मॉगी जाये और निधि का प्रबन्ध करने वाले पालिका उसमें अपना अंशदान जमा करती रहेगी और उस पालिका के लिए, जहां पर अधिकारी स्थानान्तरण किया गया है, यह अनिवार्य होगा कि वह उस पालिका को जहां से अधिकारी का स्थानान्तरण किया गया है, उसकी परिलब्धियों की वास्तविक रकम के बारें में यथाशीघ्र सूचना दे। इसी प्रकार उसमें प्रत्येक परिवर्तन के बारें में भी सूचना तत्काल दी जायेगी।

36. किसी रकम के देय हो जाने पर उसके भुगतान का उत्तरदायित्व उस पालिका का होगा जो तत्समय भविष्य निधि रखने हेतु उत्तरदायी हों।

37. अनुशासनिक कार्यवाहियॅा–(1) ऐसे उपान्तरों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार समय–सयम पर करे, अनुशासनिक कार्यवाही, दण्ड के विरूद्ध अपील ओर अभ्यावेदन सम्बन्धी नियम जो उत्तर प्रदेश महापालिका सेवा नियमावली, 1962 के अधीन महापालिका के कर्मचारियों पर लागू है, केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों पर लागू होगी।

(2) केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों पर पदच्युत करने या सेवा से हटाने या पदावनत करने का दण्ड अधिरोपित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार होगी। अन्य दण्डों के सम्बन्ध में नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष या महापालिका का मुख्य नगर अधिकारी यथास्थिति समक्ष प्राधिकारी होगा,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे अधिकारी के सम्बन्ध में पदच्युत करने या सेवा से हटाने या पदावनत करने का कोई आदेश देने से पूर्व आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।

(3) केन्द्रीयित सेवा के किसी अधिकारी की तत्काल निलम्बन की अपेक्षा होने की दशा में, निलम्बित करने की शक्ति का प्रयोग ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसे सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें ओर अन्य दशाओं में किसी अधिकारी का निलम्बन अपेक्षित होने पर सरकार को विनिर्देश किया जायेगा।

(4) ऐसे मामलों में उपर्युक्त उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार अध्यक्ष या मुख्य नगर अधिकारी द्वारा किसी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी हो और जांच के पूरा होने के पश्चात् वह इस अनन्तिम निष्कर्ष पर पहुॅचे कि पदच्युत करने

या सेवा से हटाने या पदावनत करने का दण्ड देना आवश्यक है, तो वह उस मामलें को अपने निष्कर्षो और सिफारिशों के साथ सरकार को अन्तिम आदेश देने के लिए विनिर्दिष्ट करेगा।

38. सेवानिवृत्ति की आयु–(1) उपनियम (2) और (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए केन्द्रीयित सेवाओं के समस्त अधिकारियों की सेवा से निवृत्त होने की आयु 60 वर्श होगी, जिसके पश्चात् सामान्यतया किसी को भी पालिका की सेवा में नहीं रखा जायेगा।

(2) सरकार किसी भी समय केन्द्रीयित सेवा के किसी अधिकारी को (चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी) सूचना देकर, बिना कोई कारण बताये, उससे पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकेगी या ऐसी केन्द्रीयित सेवा का अधिकारी पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या बीस वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूरी कर लेने पर सरकार को नोटिस देकर स्वेच्छा सेवानिवृत्त हो सकेगा। ऐसी नोटिस की अवधि तीन माह होगी,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि–

(क) किसी ऐसे केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी को पचास वर्ष की आयु प्रापत कर लेने के पश्चात् किसी भी समय सरकार के आदेश से ऐसी सचूना के बिना या कालाविधि की सूचना पर तत्काल सेवा निवृत्ज्त किया जा सकेगा, और ऐसी सेवानिवृत्ति पर केन्द्रीयित सेवा का अधिकारी सूचना की अवधि के लिए या ऐसी सूना तीन माह से जितनी कम हो उतनी अवधि के लिए, यथास्थिति, उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते की यदि कोई हो, राशि के बराबर रकम का दावा करने का हकदार होगा जिस पर वह उनको सेवा निवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहा था।

(ख) यदि सरकार चाहें, तो वह किसी केन्द्रीयित सेवा के अतधिकारी को किसी सूचना के बिना या अल्पावधि की सूचना पर और सूचना के बदलें में उससे किसी शास्ति का भुगतान करने की अपेक्षा किये बिना, सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा प्रदान कर सकेगी;

किन्तु अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी द्वारा, जिसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन या अपेक्षित हो, दी गयी सूचना तभी प्रभावित होगी ज बवह सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जाये, किन्तु किसी अपेक्षित अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति में केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी को उसकी सूचना स्वीकार न किये जाने की सूचना उसकी सूचना की अवधि समाप्त होने से पूर्व दे दी जायेगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने के लिए उप नियम (2) के अधीन केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी द्वारा एक बार दी गयी सूचना उसके द्वारा सरकार की अनुज्ञा के बिना वापस नहीं ली, जा सकेगी।

(3) प्रत्येक केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी को जो इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होता है या जिसके सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है या जिसे सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दउी जाती है, उस पर लागू सुसंगत नियमों के उपबन्धों के अनुसार और उसके अधीन रहते हुए सेवानिवृत्त पेंशन और या सेवानिवृत्ति सम्बन्धी अन्य लाभ यदि कोई, उपलब्ध होंगे।

स्पष्टीकरण–(1) उपनियम (2) के अधीन सरकार का केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी से सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट है, करने का निर्णय लिया जायेगा यदि सरकार को यह लोक हित में प्रतीत हो, किन्तु इसमें दी गयी किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि आदेश में इसका उल्लेख करने की अपेक्षा की गयी है कि ऐसा निर्णय लोक हित में लिया गया है।

(2) प्रत्येक ऐसा निर्णय, जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध न कर दिया जाये लोकहित में लिया गया समझा जायेगा।

(3) सरकार का प्रत्येक आदेश, जिसमें केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी से इस नियम के उपनियम (3) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड (क) के अधीन तत्काल सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की गयी हो, जारी किये जाने की तिथि के उपरान्त से प्रभावी होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसके जारी किये जाने के पश्चात् सम्बद्ध केन्द्रीयित सेवा का अधिकारी सद्भावपूर्वक से और उस आदेश की अनभिज्ञता से अपने पदीय कर्तव्यों का अनुपालन करता है, तो उसके कार्यो को इस तथ्य के होते हुए भी कि वह पहले ही सेवानिवृत्त हो गया विधिमान्य समझा जायेगा।

39. सेवा की अवधि का बढ़ाया जाना–केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों की सेवा में विशिष्ट कारणें से, जिन्हें सरकार अभिलिखित करेगी, 62 वर्ष की अवस्था तक विस्तार किया जा सकेगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सेवा में विस्तार

(1) एक बार में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए; और

(2) जब तक कि सम्बद्ध अधिकारी शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ्य तथा कार्य दक्ष न हो, नहीं किया जायेगा।

40. (1) यदि इस नियमावली के किन्ही उपबन्धों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई विवाद उठे या कठिनाई उत्पन्न हो, तो सरकार को विनिदिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम तथा निश्चायक होगा।

(2) इस नियमावली के अधीन न आने वाले विषय ऐसे आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे जिन्हें राज्य सरकार जारी करना उचित समझें।

41. निर्वाचन और अन्य विषयों का विनियमन–इस नियमावली में दी गयी किसी बात के होते हुए भी यदि सरकार का यह समाधान हो जाये कि इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों को लागू करने से किसी विशेष मामलें में अन्याय होता है, तो वह आदेश द्वारा उक्त उपबन्ध की अपेक्षाओं की उस सीमा तक तथा ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो उस मामलें में न्यायोचित और साम्यिक रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, मुक्त या शिथिल कर सकेगी।

42. शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन–सरकार इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियां और कृत्य निदेशक स्थानीय निकाय अथवा किसी अन्य अधिकारी को, जिसे वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

43. पालिका पर्वतीय उप सवर्ग का गठन–(1) इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी अनुसूची चार के स्तम्भ–1 में उल्लिखित केन्द्रीयित सेवाओं का एक पृथक् पालिका पर्वतीय उप संवर्ग होगा जिसमें उसके स्तम्भ–2 में उनके सामने उल्लिखित पद होंगें।

(2) ऐसे पदो के पदधारी उकत उप संवर्ग में उनके आबंटन के पश्चात् नियम 44 के अनुसार पर्वतीय जिलों अर्थात्, अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ और उत्तर–काशी के बाहर स्थानान्तरित होने के दायी नहीं होंगे।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक केन्द्रीयित सेवा को पलिका पर्वतीय उप संवर्ग की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार समय–समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत करें।

44. सेवा के सदसयों का पालिका पर्वतीय उप संवर्ग को आबंटन–(1) अनुसूची चार के स्तम्भ दो में उल्लिखित पदों पर सेवा कर रहे केन्द्रीयित सेवा केक वर्तमान सदस्यों उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (बीसवा संशोधन) नियमावली, 1996 के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन मास के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह अपेक्षा की जोयगी कि वे पालिका पर्वतीय उप संवर्ग में आबंटन के लिए या सामान्य संवर्ग में बने रहने के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करें।

(2) एक बार दिया गया विकल्प अंतिम और अप्रति सहरणीय होगा;

(3) यदि उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विकल्प का प्रयोग न किया जाय तो यह समझा जायेगा कि केन्द्रीयित सेवा का सदस्य सामान्य संवर्ग में रहना चाहता है और अपना आबंटन पालिका पर्वतीय उप संवर्ग में नहीं चाहता है।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी के ऐसे व्यक्तियों की जिन्होने पालिका पर्वतीय उप संवर्ग में आबंअन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया है, केन्द्रीयित सेवाओं में उनकी ज्येष्ठता के अनुसार एक सूची तैयार करेगा।

(5) पालिका पर्वतीय उप संवर्ग में व्यक्तियों का आबंटन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस क्रम में किया जायेगा जिस क्रम में उसके नाम उप नियम (4) के अधीन तैयार की गयी सूची में आयें हों और यदि ऐसी सूची में व्यक्तियों की संख्या पदों की संख्या से अधिक हो तो पदों की संख्या से अधिक व्यक्तियों की एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी और जब कभी पालिका पर्वतीय उप संवर्ग में कोई रिक्ति हो उनका उक्त उप संवर्ग में आबंटन किया जायेगा।

(6) यदि उपनियम (4) के अधीन तैयार की सूची में व्यक्तियों की संख्या पालिका पर्वतीय उप संवर्ग में पदों की संख्या से कम हो तो शेष रिक्त पदोंक को इस नियमावली के अनुसार भरी जायेगीः

परन्तु जब तक इस नियमावली के अनुसार पदों को भरा नहीं जाता है तब तक पदों को सामान्य संवर्ग से स्थानान्तरण द्वारा जायेगा।

45. पालिका पर्वतीय उप संवर्ग में भर्ती–पालिका पर्वतीय उप संवर्ग में पदों पर भर्ती, यथास्थिति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा इस नियमावली के अनुसार की जायेगीं

परन्तु जहां पालिका पर्वतीय उप संवर्ग में आने वाले किसी पद पर भर्ती पदोन्नति द्वारा की जानी हो तो पालिका पर्वतीय उप संवर्ग के सदस्यों को पृथक पात्रता सूची तैयार की जाय और उससे भर्ती की जायेगी।

46. पालिका पर्वतीय उप संवर्ग के व्यक्तियों की ज्येश्ठता–पालिका पर्वतीय उप संवर्ग किसी सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता इस नियमावली के अनुसार अवधारित की जायेगी।

47. अन्य विषयों का विनियमन–ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली के अन्तर्गत न आते हों, केन्द्रीयित सेवाओं में नियुक्त व्यक्ति, जिसमें पालिका पर्वतीय 34 संवर्ग सम्मिलित हैं राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

48. व्यावृत्ति–इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रिसायतों पर नहीं पड़ेगा, इस सम्बन्ध में जिनके लिए सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों और नियम 7 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो के नागरिकों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

अनुसूची 1

{नियम 6 (1)(एक) देखिये}

केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
(1)	(2)
उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासनिक (प्रवर) सेवा उत्तर प्रदेश पालिका एलोपथिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (पुरूष) सेवा उत्तर प्रदेश पालिका एलोपैथिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (पुरूष)	नगर निगमों के उप नगर अधिकारी, नगर निगमों और नगरपालिका परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों/ औषधालयों एवं संक्रामक रोग चिकित्सालयों के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (पुरूष)
उत्तर प्रदेश पालिका एलोपैथिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (महिला)	नगर निगमों और नगरपालिका परिशदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों औषधालयों एवं संक्रामक रोग चिकित्सालयों को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (महिला)
उत्तर प्रदेश पालिका आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा	नगर निगमों के (श्रेणी एक) के वैद्य।
उत्तर प्रदेश पालिका यूनानी चिकित्सा सेवा	नगर निगमों के (श्रेणी एक) के हकीम।
उत्तर प्रदेश पालिका होम्योपैथिक सेवा	नगर निगामें के होम्योपैथिक औषधालयों के श्रेणी एक के चिकित्सा अधिकारी।
उत्तर प्रदेश पालिका लोक स्वास्थ्य सेवा	नगर निगमों और नगरपालिका परिषदों के मुख्य सफाई निरीक्षक।
उत्तर प्रदेश पालिका अभिन्त्रण (प्रवर) सेवा	(एक) नगर निगमों के मुख्य अभियन्ता।
उत्तर प्रदेश पालिका यातायात अभियन्त्रण सेवा	(दो) नगर निगमों के अधिशासी अभियन्ता नगर निगमों के अधिशासी अभियन्ता (यातायात एवं परिवहन नियोजन)।
उत्तर प्रदेश पालिका यांत्रिक अभियन्त्रण (प्रवर) संवा।	नगर निगम कानपुर के यांत्रिक अभियन्ता।
उत्तर प्रदेश पालिका लेखा परीक्षा (प्रवर) सेवा	नगर निगमों के मुख्य नगर लेखा परीक्षक।
उत्तर प्रदेश पालिका लिपिक वर्गीय सेवा।	(एक) नगर निगम के कार्यालय अधीक्षक। (दो) श्रेणी एक की नगरपालिका परिषदों के प्रधान लिपिक/कार्यालय अधीक्षक।
उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासी (अधीनस्थ) सेवा	श्रेणी चार की नगरपालिका परिषदों अधिशासी अधिकारी।

अनुसूची 2

{नियम 6 (1)(दो) देखिये}

केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
(1)	(2)
उत्तर प्रदेश पालिका राजस्व (अधीनस्थ) सेवा	श्रेणी तीन की नगरपालिका परिषदों के राजस्व और कर निरीक्षक।

उत्तर प्रदेश पालिका एलोपैथिक, चिकित्सा और स्वास्थ्य मेला (पुरूष)	नगर निगमों और नगरपालिका परिषदों के एलौपैथिक चिकित्सालयों, औषधालयों और संक्रामक रोग चिकित्सालयों के श्रेणी–दो के चिकित्सा अधिकारी (पुरूष)।
उत्तर प्रदेश पालिका एलोपैथिक और स्वास्थ्य सेवा (महिला)	नगर निगमों और नगरपालिका परिषदों के एलौपैथिक चिकित्सालयों, शिशु प्रसूति और परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों की श्रेणी–दो के चिकित्सा अधिकारी (महिला)।
उत्तर प्रदेश पालिका आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा	नगर निगमों के (श्रेणी दो) के वैद्य।
उत्तर प्रदेश पालिका यूनानी चिकित्सा सेवा	नगर निगमों के श्रेणी दो के हकीम।
उत्तर प्रदेश पालिका होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा	नगर निगमों के होम्योपैथिक औषधालयों के श्रेणी दो के चिकित्सा अधिकारी।
उत्तर प्रदेश पालिका लोक स्वास्थ्य सेवा	नगर निगमों और नगरपालिका परिषदों के सफाई निरीक्षक।
उत्तर प्रदेश पालिका पशु चिकित्सा सेवा	(एक) नगर निगमों के (श्रेणी–दो) के सहायक पशु चिकित्सक। (दो) श्रेणी एक और दो नगरपालिका परिषदों के (श्रेणी–दो) सहायक पशु चिकित्सक।
उत्तर प्रदेश पालिका अभियंत्रण (अधीनस्थ) सेवा	(एक) नगर निगमों और नगरपालिका परिषदों अवर अभियन्ता, सिविल, विद्युत एवं यात्रिक (अर्ह)। (दो) नगर निगमों के अवर अभियंता (यातायात और परिवहन नियोजन) (तीन) नगर पंचायतों के अवर अभियन्ता सिविल, विद्युत एवं यात्रिक (अर्ह)।
उत्तर प्रदेश पालिका यातायात अभियंत्रण सेवा	नगर निगमों के अवर अभियन्ता (यातायात और परिवहन नियोजन)।
उत्तर प्रदेश पालिका तरूपालन (प्रवर) सेवा	कानपुर के लिए तरूपालक।
उत्तर प्रदेश पालिका तरूपालन (अधीनस्थ) सेवा	नगर निगमों और नगरपालिका परिषदों उद्यान और बाग अधीक्षक।
उत्तर प्रदेश पालिका जनसम्पर्क सेवा	नगर निगमों के जनसम्पर्क अधिकारी।
उत्तर प्रदेश पालिका लिपिक वर्गीय सेवा	श्रेणी–तीन के नगरपालिका परिषदों के प्रधान लिपिक।
उत्तर प्रदेश पालिका लेखा–परीक्षा (अधीनस्थ) सेवा	श्रेणी–तीन के नगरपालिका परिषदों के लेखाकार।
उत्तर प्रदेश पालिका लेखा–परीक्षा (अधीनस्थ) सेवा	नगर निगमों के सहायक लेखा परीक्षक।

अनुसूची 3

{नियम 6 (1)(तीन) देखिये}

केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम

(1)	(2)
उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासनिक (प्रवर) सेवा	नगर निगमों के सहयक नगर अधिकारी श्रेणी –एक की नगरपालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी। नगरपालिका कानपुर के अनुभागीय अधिकारी।
उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासनिक (अधीनस्थ) सेवा	श्रेणी तीन और चार के नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी। नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी।
उत्तर प्रदेश पालिका राजस्व (प्रवर) सेवा	नगर निगमों और नगरपालिका परिषदों के कर निर्धारण अधिकारी।
उत्तर प्रदेश पालिका राजस्व (अधीनस्थ) सेवा	नगर निगमों के कर अधीक्षक। श्रेणी–दो के नगर पालिका परिषदों के कर निर्धारण अधिकारी। श्रेणी–एक के नगर पालिका परिषदों के कर अधीक्षक। नगर निगमों के सहायक कर अधीक्षक। श्रेणी तीन और चार नगर पालिका परिषदों के कर निर्धारण अधिकारी। श्रेणी–एक के नगर पालिका परिषदों के सहायक कर अधीक्षक। श्रेणी–दो केक नगर पालिका परिषदों के कर अधीक्षक। श्रेणी–तीन के नगर पालिका परिषदों कर अधीक्षक। नगर निगमों और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के राजस्व/कर निरीक्षक श्रेणी–यदो के नगर पालिका परिषदों के राजस्व/कर निरीक्षक।
उत्तर प्रदेश पालिका एलोपैथिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा (पुरूष)	नगर निगमों और नगरपालिकाओ, एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों और संक्रामक रोग चिकित्सालयों के श्रेणी एक के चिकित्सा अधिकारी (पुरूष)
उत्तर प्रदेश पालिका एलोपैथिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा (महिला)	नगर निगमों और नगरपालिका परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों/ औषधालयों प्रसूति एवं शिशु कल्याण और परिवार नियोजन केन्द्रों का श्रेणी–एक की चिकित्सा अधिकारी (महिला)
उत्तर प्रदेश पालिका पशु चिकित्सा सेवा	(एक) नगर निगमों के श्रेणी–एक के सहायक पशु चिकित्सक। (दो) नगर निगमों के श्रेणी दो और नगरपालिका परिषदों के श्रेणी–एक और श्रेणी–दो के सहायक पशु चिकित्सक।
उत्तर प्रदेश पालिका अभियन्त्रण (प्रवर) सेवा	(एक) नगर निगमों के सहायक अभियन्ता (सिविल, विद्युत यांत्रिक या आटोमोबाइल)

	(दो) नगर निगमों के सहायक अभियन्ता (यातायात और परिवहन नियोजन)। (तीन) श्रेणी एक के नगरपालिका परिषदों अर्ह सिविल अभियन्ता।
उत्तर प्रदेश लेखा (प्रवर) सेवा उत्तर प्रदेश लेखा (अधीनस्थ सेवा।	(एक) नगर निगमों के लेखाधिकारी
उत्तर प्रदेश लेखा (अधीनस्थ) सेवा।	(दो) श्रेणी–एक के नगरपालिका परिषदों के लेखाकार।
उत्तर प्रदेश लेखा परीक्षा (अधीनस्थ) सेवा।	नगर निगमों के लेखा परीक्षक।

अनुसूची 4
{नियम 43 (1) और 44 (1) देखिये}

क्र0सं0	केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
	(1)	(2)
1.	उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासनिक (प्रवर) सेवा	1. श्रेणी एक के नगरपालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी। 2. श्रेणी दो की नगरपालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी।
2.	उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासनिक (अधीनस्थ) सेवा	3. श्रेणी तीन के नगरपालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी। 4. श्रेणी चार की नगरपालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी। 5. नगर पंचायत का अधिशासी अधिकारी।
3.	उत्तर प्रदेश पालिका राजस्व (अधीनस्थ) सेवा	1. श्रेणी एक के नगरपालिका परिषदों के कर निर्धारण अधिकारी। 2. श्रेणी–दो के नगरपालिका परिषदों के कर निर्धारण अधिकारी। 3. श्रेणी एक के नगरपालिका परिषदों के कर अधीक्षक। 4. श्रेणी एक को नगरपालिका परिषदों के सहायक कर अधीक्षक। 5. श्रेणी दो के नगरपालिका परिषदों के कर अधीक्षक। 6. श्रेणी दो और तीन की नगरपालिका परिषदों के कर निर्धारण अधिकारी। 7. श्रेणी तीन के नगरपालिका परिषदों के कर अधीक्षक। 8. श्रेणी एक और दो के नगरपालिका परिषदों के राजस्व कर निरीक्षक। 9. श्रेणी तीन के नगरपालिका परिष्दों के राजस्व कर निरीक्षक।
4.	उत्तर प्रदेश पालिका एलोपैथिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (पुरूष)	1. श्रेणी एक के नगरपालिका परिषदों के चिकित्सा अधिकारी (पुरूष) 2. श्रेणी दो के नगरपालिका परिषदों के चिकित्सा अधिकारी (पुरूष)।

5.	उत्तर प्रदेश पालिका एलोपैथिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (महिला)	1. श्रेणी एक के नगरपालिका परिषदों की चिकित्सा अधिकारी (महिला) 2. श्रेणी दो के नगरपालिका परिषदों की चिकित्सा अधिकारी (महिला)।
6.	उत्तर प्रदेश पालिका लोकस्वास्थ्य सेवा	1. नगरपालिका परिषदों के मुख्य सफाई निरीक्षक।
7.	उत्तर प्रदेश पालिका पशु चिकित्सा सेवा	1. नगरपालिका परिषदों के सफाई निरीक्षक नगरपालिका परिषदों के सहायक पशु चिकित्सा श्रेणी एक/दो।
8.	उत्तर प्रदेश पालिका अभियंत्रण (प्रवर) सेवा	1. श्रेणी एक के नगरपालिका परिषदों के सिविल अभियन्ता 2. श्रेणी दो के नगरपालिका परिषदों सिविल अभियन्ता (अर्ह)। 3. श्रेणी दो के नगरपालिका परिषदों के सिविल अभियन्ता (अर्ह)।
9.	उत्तर प्रदेश पालिका अभियंत्रण (अधीनस्थ)सेवा	1. नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों के अवर अभियन्ता (सिविल, विद्युत और यांत्रिक) (अर्ह)।
10.	उत्तर प्रदेश पालिका लेखा (अधीनस्थ) सेवा	1. नगरपालिका परिषदों के उद्यान एवं बाग अधीक्षक।
11.	उत्तर प्रदेश पालिका लेखा (अधीनस्थ) सेवा	1. श्रेणी एक नगरपालिका परिषदों के लेखाकार।
12.	उत्तर पालिका लिपिक वर्गीय सेवा	1. श्रेणी एक के नगरपालिका परिषदों के कार्यालय अधीक्षक और प्रधान लिपिक 2. श्रेणी एक के नगरपालिका परिषदों के अनुभागीय/विभागीय प्रधान लिपिक। 3. श्रेणी दो के नगरपालिका परिषदों के प्रधान लिपिक/कार्यालय अधीक्षक। 4. श्रेणी तीन नगरपालिका परिषदों के प्रधान लिपिक।

संलग्नक–3
उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित सेवा) सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1981

1. संक्षिप्त शीर्ष और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा सेवानिवृत्ति नियमावली, 1981 कही जायेगी।

(2) ये नियम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषा–इस नियमावली में, जब तक कि कोई बात या सन्दर्भ या प्रसंग के प्रतिकूल न हो–

(1) 'अधिनियम' का तात्पर्य सन्दर्भ के अनुसार उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 या उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(2) 'औसत परिलब्धियों का तात्पर्य उस तिथि से जब सम्बद्ध अधिकारी को सेवानिवृत्त होना हो, ठीक पूर्ववर्ती गत 10 माह के दौरान सम्बद्ध अधिकारी को देय परिलब्धियों के मासिक औसत से है,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि–

(i) यदि सेवा के अन्तिम दस मास के दौरान कोई आकिारी बिना भत्ते की छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो या ऐसी परिस्थितियों में निलम्बित किया गया हो, कि निलम्बन को अवधि की गणना सेवा के रूप में न की जाय, तो इस प्रकार व्यतीत की गयी अवधि की गणना नहीं की जायेगी और अन्तिम 10 माह के ठीक पूर्व की उतनी ही अवधि को सम्मिलित किया जायेगा; और

(ii) यदि सेवा के अन्तिम दस मास के दौरान कोई अधिकारी भत्ते सहित छुट्टी या ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो या निलम्बित किये जाने पर, सेवा का समपहरण किये बिना सेवा में बहाल किया गया हो तो औसत का अभिनिश्चय करने के प्रयोजनार्थ उसकी ऐसी परिलब्धियों की गणना की जायेगी जो उस दशा में होती यदि वह ड्यूटी से अनुपस्थित न रहा होता या निलम्बित न किया गया होता।

स्पश्टीकरण–इस खण्ड में पद 'भत्ता' के अन्तर्गत वेतन और समस्त भत्ते है जो किसी अधिकारी को अनुमन्य हो।

(3) 'केन्द्रीयित सेवा' का तात्पर्य नगरपालिका परिषदों और नगर निगमों के लिए उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 के नियम के अधीन सृजित उभयनिष्ठ सेवाओं से है,

(4) 'परिलब्धियों' से तात्पर्य वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड II से IV तक के नियम 9(2) में यथापरिभाषित वेतन से है।

टिप्पणी–यदि कोई अधिकारी सेवानिवृत्ति होने या मृत्यु से ठीक पूर्व भत्ते सहित छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो, तो उसकी सेवा ग्रेच्यूटी और/या मृत्यु एवं सेवानिवत्ति ग्रेच्यूटी के प्रयोजनार्थ उसकी ऐसी परिलब्धियों की गणना की जायेगी जो उस दशा में होती यदि वह ड्यूटी से अनुपस्थिति न रहा होता :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ग्रेच्यूटी की राशि में वृद्धि, वास्तव में आहरित न किये गये वेतन में वृद्धि होने पर, नहीं होती है और उच्च स्थानापन्न या अस्थायी वेतन का लाभ केवल तब दिया जाता है जब यह प्रमाणित हो जाता है कि यदि वह छुट्टी पर नहीं गया होता तो उच्च स्थानापन्न या अस्थायी नियुक्ति को धारण किये होता है।

(5) 'परिवार' से तात्पर्य किसी अधिकारी के निम्नलिखित सम्बन्धियों से है–

(i) पत्नी, पुरूष अधिकारी की दशा में;

(ii) पति, स्त्री अधिकारी की दशा में;

(iii) पुत्र, अविवाहित एवं विधवा पुत्री (इसके अन्तर्गत सौतेले एवं दत्तक सन्तान भी शामिल है);

(iv) 18 वर्ष से कम आयु का भाई और अविवाहित एवं विधना बहन (इसके अन्तर्गत सौतेले भाई एवं बहन भी शामिल है);

(v) पिता;

(vi) माता;

(vii) विवाहित पुत्री (इसके अन्तर्गत सौतेली पुत्री भी शामिल है); और

(viii) पूर्व मृत पुत्र की सन्तान;

(6) 'आकार पत्र' से तात्पर्य इस नियमावली में संलग्न आकार पत्र से है;

(7) 'अधिकारी' से तात्पर्य पालिका (केन्द्रीयित सेवा से सम्बन्धित किसी अधिकारी अथवा सेवक (चाहे अवर या अधीनस्थ से सम्बन्धित हो) जो केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत पेंशन वाला स्थायी पद धारण करता है या ऐसे पद को धारण कर चुका हो और उसकी सेवा निलम्बित न की गयी हो, से है;

(8) 'पालिका' का तात्पर्य सन्दर्भ की अपेक्षानुसार किसी नगर निगम या नगरपालिका परिशद या दोनों से है।

(9) 'पेंशन योग्य पद से तात्पर्य उस पद से है जो निम्नलिखित तीन शर्तो के पूरा करता है, अर्थात–

(i) पद उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 के अन्तर्गत किसी कैडर के अन्तर्गत आता है;

(ii) नियोजन मौलिक और स्थायी हो; और

(iii) सेवा कार्य हेतु भुगतान किसी पालिका द्वारा किया जाता हो।

(10) 'अर्हकारी सेवा' का तात्पर्य ऐसी सेवा से है जो निम्नलिखित को छोड़कर, समय–समय पर यथासंशोधित सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छे 368 उपबन्धों के अनुसार पेंशन के लिए अर्हता प्रदान करती है :

(i) किसी नगर निगम या नगरपालिका परिषद् के अधीन पेंशन रहित अधिष्ठान में अस्थायी या स्थानापन्न सेवा की अवधि;

(ii) किसी कार्य–प्रभारित अधिष्ठान में सेवा की अवधि, और

(iii) किसी ऐसे पद पर जिसके लिए आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है, सेवा की अवधिः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी नगर निगम या नगरपालिका परिषद् के अधीन निरन्तर अस्थायी या स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना अर्हकारी सेवा के रूप में की जायेगी यदि उसी या किसी अन्य पद पर सेवा के किसी व्यवधान के बिना बाद में उसे स्थायी कर दिया जाये।

टिप्पणी–यदि किसी पेंशन रहित अधिशठान, कार्य प्रभारित अधिष्ठान में या आकस्मिकता निधि से भुगतान किए जाने वाले किसी पद पर की गयी सेवा किसी पेंशन युक्त अधिष्ठान में अस्थायी सेवा की दो अवधि के बीच या किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में अस्थायी सेवा और स्थायी सेवा की अवधि के बीच पड़ती हो तो वह सेवा का व्यवधान नहीं होगी।

(11) 'सेवानिवृत्ति' से तात्पर्य किसी अधिकारी की अधिवर्षिता आयु पूरा होने पर केन्द्रीयित सेवा से अनिवार्यतः या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने पर या स्थायी पद या स्थायी नियुक्ति को समाप्त किये जाने पर, यदि उस अधिकारी की नियुक्ति किसी अन्य पद पर नही की जाती है या उसे पूर्ववर्ती मौलिक पद, यदि कोई हो, पर प्रत्यावर्तित करना सम्भव नहीं है, सेवामुक्त होने से है,

टिप्पणी–सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 के नियम 39 में विनिर्दिश्ट आयु के पूर्ण हो जाने पर सेवानिवृत्ति से है।

(12) 'सेवानिवृत्ति पेंशन' से तात्पर्य उस पेंशन से है जो किसी अधिकारी को जिसे अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने से पूर्व ही सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान कर दी जाती है, अनुमोदित की जा सकती और इसके अन्तर्गत वह पेंशन भी शामिल है जो किसी अधिकारी को जिसे अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने से पूर्व ही सेवानिवृत्त होना अपेक्षित है, स्वीकृत कमी जा सकेगी,

(13) 'अधिवर्षिता पेंशन'–से तात्पर्य उस पेंशन से है जिसे कोई अधिकारी जो उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) नियमावली, 1966 के नियम 38 के अन्तर्गत अभिनिश्चित् विशिष्ट आयु पूर्ण करने या उक्त नियमावली के नियम 39 के अन्तर्गत सेवा विस्तार की अवधि पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त करने का हकदार होता है।

3. नियमावली का लागू होना–(1) यह नियमावली उन सभी अधिकारियों, जो 9 जुलाई, 1966 को या उसके पश्चात् उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) नियमावली, 1966 के नियम 21 के खण्ड (1) के अनतर्गत नियुक्त किये गये हैं और केन्द्रीयित सेवा में किसी पद स्थायी हो गये हो, पर लागू होगी।

(2) उन अधिकारियों जिनका संविलियन उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) नियमावली, 1966 की धारा 6 के खण्ड (2) के अन्तर्गत किसी पद पर अन्तिम रूप से हो चुका था, को यह विकल्प होगा वे पालिका की विद्यमान पेंशन/भविश्य निधि नियमावली से नियन्त्रित होंगे या इन नियमों द्वारा नियन्त्रित होंगें। इस विकल्प का प्रयोग इस नियमावली के लागू होने के 90 दिन के भीतर किया जायेगा और एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अन्तिम होगा।

(3) यदि कोई अधिकारी इन नियमों को स्वीकार कर अपने भविष्य निधि खाते में जमा पालिका के अभिदाय और बोनस को अन्तिम रूप से आहरित कर लेता है, तो वह सम्पूर्ण रकम उसके द्वारा इस नियमावली के भाग VI के अन्तर्गत स्थापित पेंशन, निधि में रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित दर पर ब्याज के साथ जमा की जायेगीं

(4) यदि किसी नगरपालिका ने इस नियमावली को स्वीकार करने वाले अधिकारी का बोनस और अपना अभिदाय उसके भविष्य निधि खाते में जमा नहीं किया है, तो पालिका उक्त उपनियम (3) में उल्लिखित दर पर ब्याज के साथ ऐसी रकम पेंशन निधि में जमा करेगी।

(5) इस नियमावली का विलक्प स्वीकृत करने वाले अधिकारी के सम्बन्ध में महापालिका पेंशन निधि में पड़ी भारी रकम ओर वह रकम की जो ऐसे अधिकारी द्वारा विकल्प स्वीकृत किये जाने की तिथि तक उस निधि में जमा किये जाने योग्य है, भी इस नियमावली के खण्ड VI के अन्तर्गत स्थापित पेंशन निधि में जमा किया जायेगा।

(6) पालिका को अंशदान की रकम और सम्बन्धित अधिकारी के भविष्य निधि खाते में जमा रकम पालिका द्वारा भविष्य निधि खाते से आहरित की जायेगी और उक्त पेंशन निधि में जमा की जायेगी।

(7) यह नियमावली उन अधिकारियों पर लागू नहीं होगी जो उल्लिखित अवधि के भीतर इसका विकल्प स्वीकार नहीं करते हैं या जो उप–नियम (3) में उल्लिखित शर्तो को युक्तियुक्त अवधि जो निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित की जा सकेगी, के भीतर पूरा नहीं करते हैं।

(8) इस नियमावली से नियन्त्रित होने वाले अधिकारियों पर इस नियमावली के उन पर लागू होने की तिथि से उनके भविष्य निधि में देय समस्त बोनस एवं अंशदान के लाभ से जब्त कर लिया जायेगा।

भाग I
पेंशन एवं ग्रेच्यूटी

4. पेंशन एवं ग्रेच्यूटी की संगणना–(1) अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति अक्षम और प्रतिकारात्मक पेंशन या ग्रेच्यूटी की रकम वह रकम होगी जो उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों पर लागू प्रक्रिया और नियम के अनुसार संगणित की जाये।

(2) कोई विशिष्ट अतिरिक्त पेंशन प्रदान नहीं की जायेगी।

(3) 'अक्षम और प्रतिकरात्मक पेंशन' पद का वही अर्थ होगा जो सिविल सेवा वि नियम के अन्तर्गत विनिश्चित किया गया है।

भाग II

मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी

5. मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी—(1) किसी अधिकारी को सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्यूटी का भुगतान किया जायेगा जिसकी रकम, उसकी परिलब्धियों में अर्हकारी सेवा की शटमासिक अवधि की सम्पूर्ण संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का एक चौथाई होगी, किन्तु यह रकम अधिकतम उसकी परिलब्धियों की 16.5 गुना हो सकेगी।

(2) यदि कोई अधिकारी इस नियमावली के भाग I के अन्तर्गत पेंशन या ग्रेच्यूटी प्राप्त करने का हकदार हो जाता है, और सेवा काल में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति या व्यक्तियों को जिस पर नियम 6 के उप नियम (1) से (8) के अन्तर्गत ग्रेच्यूटी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है, को ग्रेच्यूटी का भुगतान किया जायेगा जिसकी रकम उसकी परिलब्धियों में अर्हकारी सेवा की शटमासिक अवधि की सम्पूर्ण संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का एक चौथाई होगी, किन्तु यह रकम अधिकतम उसकी परिलब्धियों की 16.5 गुना और कम से कम 12 गुना होगी और यदि ऐसा व्यक्ति नहीं हो तो इसका भुगतान नियम 6 के उपनियम (9) में विनिर्दिष्ट रीति से किया जायेगा।

(3) यदि कोई अधिकारी इस नियमावली के भाग I के अन्तर्गत पेंशन या ग्रेच्यूटी प्राप्त करने का हकदार हो जाता है या वास्तव में प्राप्त करता है, और सेवानिवृत्त होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसे देय सम्पूर्ण रकम का योग या उसके द्वारा मृत्यु होने के समय तक ऐसी ग्रेच्यूटी या पेंशन के रूप में उसके द्वारा प्राप्त की गयी रकम उप नियम (1) के अन्तर्गत प्रदान की गयी ग्रेच्यूटी की रकम ओर उसके द्वारा राशिकरण कराई गयी पेंशन के किसी भाग का सरांशिकृत मूल्य का सम्पूर्ण योग उसकी परिलब्धियों के 12 गुना रकम से कम हो, तो उस कम रकम के बराबर ग्रेच्यूटी का भुगतान उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को किया जायेगा।

(4) उक्त उपनियम (2) के अनुसार स्वीकृत ग्रेच्यूटी की रकम किसी भी दशा में रू0 30,000 से अधिक नहीं होगी।

6. नामनिर्देशन—(1) सभी अधिकारी, इस नियमावली का विकल्प स्वीकृत करने के पश्चात् या इस नियमावली के लागू होने के पश्चात् यथाशीघ्र; एक या अधिक व्यक्तियों को नियम 5 के उपनियम (2) या (3) के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली ग्रेच्यूटी ओर वह ग्रेच्यूटी जो नियम 5 के उपनियम (1) के अन्तर्गत उसे देय होने के पश्चात् उसकी मृत्यु के पूर्व उसे प्रदान की गयी हो, प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हुए, नामनिर्दिष्ट करेंगे;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि नाम निर्देशन करते समय अधिकारी का परिवार है, तो नाम निर्देशन उसके परिवार के सदस्यों में से एक या अधिक सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में नहीं होगा।

टिप्पणी—नामनिर्देशन या उसमें परिवर्तन किसी अधिकारी द्वारा उसके सेवाकाल में या अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् निदेशक, स्थानीय निकाय के अनुमोदन से किया जा सकता है।

(2) उपर्युक्त उप—नियम (1) के अन्तर्गत यदि कोई अधिकारी एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करता है तो वह उस रकम को विनिर्दिष्ट करेगा जो उस रीति से प्रत्येक नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को होगी जिससे कि ग्रेच्यूटी की सम्पूर्ण रकम आच्छारित हो जायें।

(3) कोई अधिकारी नाम निर्देशन में यह उपबन्धित कर सकेगा—

(क) कि किसी विशिष्ट नामनिर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में यदि उकसी मृत्यु अधिकारी से पूर्व हो जाती है तो उसे प्रदत्त अधिकार ऐसे व्यक्ति को अन्तरित हो जायेगें जो नाम—निर्देशन पत्र में विनिर्दिष्ट किया जायः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामनिर्देशन करते समय अधिकारी के पास एक से अधिक व्यक्तियों वाला परिवाहर है, तो उक्त विनिर्दिष्ट व्यक्ति उसके परिवार से परे व्यक्ति नहीं होगा;

(ख) कि नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम–निर्देशन उसमें विनिर्दिष्ट आकस्मिक घटना घटित होने पर अवैध हो जायेगा।

(4) किसी अधिकारी द्वारा किया गया नामनिर्देशन, जिसके पास नाम–निर्देशन करते समय कोई परिवार नहीं दर्ज था या उपधारा (3) के खण्ड (क) के अन्तर्गत नाम–निर्देशन में एक उपबन्ध उस अधिकारी द्वारा बनाया गया, जिसका परिवार नामनिर्देशन की तिथि पर केवल एक व्यक्ति का था, अवैध हो जायेगा यदि पश्चात्‌वर्ती रूप से यथास्थिति, उस अधिकारी के पास परिवार हो जाता है या उसके परिवार में कोई अतिरिक्त सदस्य आ जाता है।

(5) (क) सभी नाम–निदेशन आकार पत्र 'क' से 'घ' में से किसी आकार पत्र में जैसा कि मामलें की परिस्थितियों में उपुर्यक्त, हो किया जा सकेगा;

(ख) कोई अधिकारी उपनियम (7) में उल्लिखित समुचित प्राधिकारी को लिखित सूचना भेजकर किसी भी समय नाम–निर्देशन को रद्द कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह अधिकारी ऐसी सूचना के साथ इन नियमों के अनुसार एक नया नामनिर्देशन भेजेगा।

(6) किसी नामनिर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु के ठीक पश्चात्, जिसके संबंध में उपनियम (3) के खण्ड (क) के अन्तर्गत किये गये नामनिर्देशन में उसके अधिकारों के दूसरों व्यक्तियों को अन्तरित होने के बारें में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है या उपनियम (3) के खण्ड (ख) या उप–नियम (4) के अनुसार किसी ऐसी घटना जिसके घटित होने पर नामनिर्देशन अवैध हो जायेगा, घटित हो जाती है तो अधिकारी समुचित प्राधिकारी को लिखित सूचना द्वारा पूर्ववर्ती नामनिर्देशन रद्द करते हुए इन नियामें के अनुसार एक नया नामनिर्देशन करेगा।

(7) किसी अधिकारी द्वारा प्रत्येक नाम–निर्देशन और उसको रद्द करने की सूचना निदेशक, स्थानीय निकाय को भेजी जायेगी जो उसे प्रतिहस्ताक्षरित कर और उसे प्राप्त होने की तिथि अंकित कर अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

(8) किसी अधिकारी द्वारा किया गया सभी नामनिर्देशन और रद्द करने के लिए दी गयी सूचना, जिस सीमा तक वह वैध है, उस तिथि को प्रभावी होगी जिस तिथि, को वह उपनियम (7) के अन्तर्गत उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा अधिप्राप्त की जाती है।

(9) यदि किसी अधिकारी की जिसके पास परिवारहै, परिवार के एक या अधिक सदस्यों को अधिकार प्रदान करते हुए नामनिर्देश किये बिना मृत्यु हो जाती है, तो उस रकम का भुगतान नियम (2) के उपनियम (5) में उल्लिखित श्रेणी (i) से (iii) में वर्णित परिवार के उत्तरजीवी सदस्यों को सिवाय विधवा पुत्रियों के, बराबर–बराबर अंशों में किया जारयेगा। जहां ऐसा कोई उत्तरजीवी सदस्य नहीं है, किन्तु उस अधिकारी की विधवा पुत्रियां और/या नियम (2) के उपनियम (5) की श्रेणी (iv) से (viii) तक में वर्णित परिवार का एक या अधिक सदस्य उत्तरजीवी है, तो ग्रेच्यूटी की रकम का भुगतान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को बराबर–बराबर अंशों में किया जायेगा।

भाग III
पारिवारिक पेंशन

(7) पारिवारिक पेंशन–किसी केन्द्रीयित सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति के परिवार की पारिवारिक पेंशन उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगी।

भाग IV
सरांशिकरण

8. संराशीकरण–पेंशन के सरांशीकरण की सुविधा उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (संराशिकरण) नियम के संराशीकरण के भाग–I के अधीन अनुमन्य पेंशन की एक तिहाई तक होगी;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संराशीकरण के पश्चात् वस्तुतः देय पेंशन किसी भी दशा में सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 474 और 474–क के अधीन अनुमन्य पेंशन का कम से कम आधा या 20 रूपये, जो भी अधिक हो, होगी।

भाग V
प्रकीर्ण

9. ग्रेच्यूटी या पेंशन से वसूली–निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश को पालिका से सम्बद्ध किसी अधिकारी द्वारा विधितः संदेय रकम को उसे अनुमोदित ग्रेच्यूटी या पेंशन से वसूल करने का अधिकार होगा।

10. कतिपय मामलों में ग्रेच्यूटी/पारिवारिक पेंशन न प्रदान किया जाना–यदि कोई अधिकारी आपराधिक दुराचार के लिए दण्डित किया गया हो या दुराचार, पागलपन या गबन के कारण सेवा में पदच्युत कर दिया गया हो, या हटाया गया हो, तो उसे ग्रेच्यूटी या पारिवारिक पेंशन सामान्य रूप से प्रदान नहीं किया जायेगा,

किन्तु निदेशक, स्थानीय निकाय अनुकम्पा के आधार पर नियम 4 के अधीन रकम के आधे तक पेंशन स्वीकृत कर सकता है।

11. पेंशन सम्बन्धी अंशदान–प्रत्येक ऐसे अधिकारी की दशा में जो इस नियमावली के अन्तर्गत पेंशन का हकदार है, नगरपालिका में अध्यक्ष और नगर महापालिका में मुख्य नगर अधिकारी, प्रतिमाह उस निधि से जिससे अधिकारी का वेतन देय हो अधिकारी के वेतन के बारह प्रतिशत रकम के बराबर पेंशन सम्बन्धी अंशदान का आहरण करेगा और उसे निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार जमा करेगा। इस अंशदान की रकम, प्रत्येक माह के छठवें दिन के पूर्व जमा की जायेगी।

12. पेंशन सम्बन्धी अंशदान का लेखा–उपर्युक्त नियम 11 में उल्लिखित अंशदान और उससे किये गये विनियोजन का लेखा निदेशक, स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार रखा और तैयार किया जायेगा।

13. सेवानिवृत्त होने वाले पदधारियों के सम्बनध में अग्रिम कार्यवाही–(1) पालिकाओं के विभागाध्यक्ष या जहां कोई विभागाध्यक्ष न हो, वहां ऐसे कार्यालय अधीक्षक/प्रधान लिपिक, जिन्हें अधिष्ठान का कार्य सुपुर्द किया गया हो, 1 जनवरी और 1 जुलाई को केन्द्रीयित सेवा के ऐसे समस्त अधिकारियों की जो आगामी दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले हों, छमाही सूची तैयार करेगें और इस सूची को प्रतिवर्ष 31 जनवरी और 31 जुलाई को नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी को और नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को प्रेषित करेगे। विभागाध्यक्ष या कार्यालय अधीक्षक/प्रधान लिपिक, यथास्थिति अधिकारी के सेवानिवृत्ति होने की तिथि से एक वर्ष छः माह पूर्व यह भी सुनिश्चित करेगें कि सम्बद्ध अधिकारी से उसके सेवानिवृत्त होने की तिथि तक कोई देय वसूल किये बिना न रह जाय। नगर निगमों के मुख्य नगर अधिकारी और नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारी प्रतिवर्ष 15 फरवरी और 15 अगस्त तक इस सूची की एक प्रतिलिपि निदेशक, स्थानीय निकाय को निश्चिम रूप से प्रेषित करेंगे।

(2) केन्द्रीयित सेवा के प्रत्येक अधिकारी की सेवानिवृत्ति की तिथि के एक वर्ष पूर्व विभागाध्यक्ष या कार्यालय अधीक्षक/प्रधान लिपिक, यथास्थिति आकार पत्र 'छ' में उसके आवेदन पत्र को उसकी पेंशन और ग्रेच्यूटी से सम्बन्धित अन्य अभिलेखों को पूरा करेंगें ओर उन्हें नगर निगमों में लेखाधिकारी और नगरपालिकाओं के लेखाकार को प्रेषित करेगें। लेखाधिकारी या लेखाकार, यथास्थिति पेंशन और ग्रेच्यूटी की रकम की जांच करने के पश्चात् उसे मुख्य नगर आकिारी या अधिशासी अधिकारी के माध्यम से नगर निगम के उप नगर प्रमुख या नगरपालिका के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा जो पेंशन और ग्रेच्यूटी के पत्रों की संवीक्षा करेगा। इस पत्रों की संवीक्षा उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से

उत्तर प्रदेश महापालिका लेखा नियमावली/नगरपालिका लेखा संहित के अधीन पालिका निधि के दावों की परीक्षा की जाती है। उप नगर प्रमुख/अध्यक्ष इस पत्रों को अधिकारी की सेवानिवृत्ति की तिथि के छः माह पूर्व निदेशक, स्थानीय निकाय को अवश्य प्रेषित करेगा।

(3) निदेशक, स्थानीय निकाय और/या ग्रेच्यूटी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। यदि अधिकारी का सेवा अभिलेख संतोषजनक नहीं है, तो निदेशक, स्थानीय निकाय को पेंशन और/या ग्रेच्यूटी में कटौती करने का अधिकार होगा। नगर निगम के उप–नगर प्रमुख या नगरपालिका का अध्यक्ष, यथास्थिति निदेशक, स्थानीय निकाय को पेंशन सम्बन्धी पत्रों को प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा और अपना समाधन करेगा कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी की सेवा संतोषजनक रही है और उसे इस नियमावली के अधीन देय पूर्ण पेंशन और/या ग्रेच्यूटी की सिफारिश करेगा, और यदि सेवा संतोषजनक न रही हो तो वह यह सिफारिश करेगा कि पेंशन और/या ग्रेच्यूटी में कटौती की जाय या नहीं। जहां पेंशन और/या ग्रेच्यूटी में कटौती करने की कोई ऐसी सिफारिश प्राप्त हुई हो वहां निदेशक, स्थानीय निकाय सिफारिश के सार के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के उद्‌देश्य से सम्बद्ध अधिकारी को स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करेगा।

(4) पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान/मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी के गलत निर्धारण के कारण अतिरिक्त भुगतान को वापस किया जायेगा तथा इसको बाध्यकर बनाने हेतु सेवानिवृत्ति होने वाले प्रत्येक अधिकारी से आकार पत्र 'ज' या 'झ' यथास्थिति, में पहले से ही घोषणा करा ली जायेगी।

(5) सम्बद्ध अधिकारी द्वारा आकार पत्र 'घ' में पेंशन की स्वीकृति हेतु आवेदन–पत्र उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जायगा और अधिकारी की मृत्यु होने की दशा में ग्रेच्यूटी/ पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र दावेदार द्वारा विहित आकार पत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

14. यदि इस नियमावली के अधीन विहित आकार पत्र पेंशन के मामलों के निस्तारण के लिए अपर्याप्त हो तो राज्य सरकार के सेवकों की पेंशन स्वीकृत करने के लिए विहित आकार पत्रों का उपयोग किया जा सकता है।

15. विवाद या कठिनाई की स्थिति में राज्य सरकार का विनिश्चय–(1) यदि इस नियमावली के किन्ही उपबन्धों का निर्वचन करने के सम्बन्ध में कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्णय उसके सम्बन्ध में अंतिम और निश्चायक होगा।

(2) ऐसे विषय जो इस नियमावली के अन्तर्गत न आते हों, ऐसे आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा जारी करना उचित समझे।

भाग VI
पेंशन निधि की स्थापना और भुगतान की प्रक्रिया

16. पेंशन निधि–निदेशक, स्थानीय निकाय के अधीन एक सामान्य पेंशन निधि की स्थापना की जायेगी जो 'उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा में अधिकारी पेंशन निधि' के नाम से जानी जायेगी और ''निधि'' शब्द से विनिर्दिष्ट किया गया है। नियम 11 के अन्तर्गत पालिका द्वारा देय पेंशन सम्बन्धी अंशदान की रकम इस निधि में जमा की जायेगी।

17. कैश–बुक रखना–निधि में जमा की जाने वाली सम्पूर्ण रकम और उससे किये जाने वाले समस्त भुगतान एक कैश–बुक में प्रविष्टि किये जायेगें। कैश–बुक इस नियमावली में संलग्न आकार–पत्र ''ञ'' में निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा रखी जायेगी।

18. पेंशन निधि का बैंक में रखा जाना–निधि का बैंक खाता भारतीय स्टेट बैंक में रखा जायगा।

19. पेंशन अंशदान के संबंध में प्रक्रिया–पेंशन सम्बन्धी अंशदान की रकम नगर महापालिका के मुख्य नगर अधिकारी ओर नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह के छठवें दिन से पूर्व भारतीय स्टेट बैंक में जमा की जायेगी। चालान इन नियमावली में संलग्न प्रपत्र

''ट'' में तैयार किया जायगा। चालान के साथ एक सूची होगी जिसमें अधिकारी का नाम, पद, वेतन और अंशदान की रकम का पूर्ण विवरण दिया जायेगा। चालान चार प्रतियामें तैयार किया जायेगा। चालान की प्रथम और द्वितीय प्रतियां बैंक द्वारा जमाकर्ता को वापस कर दी जायेंगी और चालान की तृतीय और चतुर्थ प्रतियां सूची के साथ प्रत्येक माह की दस तारीख तक क्रमशः बैंक एवं जमाकर्ता द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रेशित की जायेगी। निदेशालय, स्थानीय निकाय का लेखाधिकारी चालान की इन प्रतियों का मिलान करेगा और अंशदान की रकम को कैश बुक में प्रविष्ट करेगा। चालान की प्रतियां लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ गार्ड फाईल में सुरक्षित रखी जायेगी।

20. लेखा–बही का रखा जाना–सम्बन्धित अधिकारी का खाता लेखा भी इस नियमावली से संलग्न आकार–पत्र ''ठ'' में जायेगा। लेाबही में अधिकारी को वेतन के रूप में भुगतान की गयी रकम और प्रत्येक माह में जमा की गयी अंशदान की रकम प्रविष्ट की जायेगी। लेखा बही में प्रविष्टियां चालान की प्रतियों से की जायेंगी और प्रत्येक माह के अन्त में लेखा बही में प्रविष्टि किये गये अंशदान की रकम का मिलान कैश बुक में प्रविष्टि की गयी तत्समान धनराशि से किया जायेगा। लेखा बही का पुर्नविलोकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायगा कि समस्त अधिकारियों से सम्बन्धित पेंशन सम्बन्धी अंशदान जमा कर दिया गया है या नहीं। यदि किसी मामलें में उसे जमा नहीं किया गया है तो उसे तुरन्त जमा कराया जायेगा।

21. पेंशन भुगतान आदेश–इस नियमावली के नियम 13 के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेशन/ग्रेच्यूटी की रकम अनुमोदित होने के पश्चात् प्रत्येक मामलें में अनुमोदित पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्यूटी के भुगतानार्थ इस नियमावली से संलग्न आकार–पत्र ''ड.'' में 'पेंशन भुगतान आदेश' निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया जायेगा। आदेश की प्रतियां पेंशनार्थी, पालिका को जहां से सम्बन्धित अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ है और भारतीय स्टेट बैंक को पृष्ठांकित की जायेगी;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक, स्थानीय निकाय को यदि यह समाधान हो जाय कि किसी विशिष्ट मामलें में पेशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्यूटी अनुमोदित करने में काफी विलम्ब की संभावना है, तो वह सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आकार पत्र ''ढ'' में घोषणा के आधार किये जाने पर अन्तरिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्यूटी अनुमोदित कर सकता है किन्तु यह रकम आकलित पेंशन और ग्रेच्यूटी की रकम के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार मृतक अधिकारी की दशा में अन्तरिम पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्यूटी अनुमोदित करने से पूर्व उसके विधिक वारिसों से आकार–पत्र ''ण'' में घोशणा प्राप्त की जायेगी।

22. पेंशन के प्रथम भुगतान का अभिलेख–पेंशन के प्रथम भुगतान के समय भारतीय स्टेट बैंक का अभिकर्ता का पूरा विवरण और पता जैसा कि पेंशन भुगान आदेश पर अंकित है उस पर अभिलिखित करेगा और पेंशन भुगतान आदेश पर उसमें दिये गये आकार पत्र के अनुरूप पेंशन का मासिक भुगतान अभिलिखित करेगा।

23. पेंशन के मासिक भुगतान की प्रक्रिया–पेंशनार्थी प्रत्येक माह अपना बिल दो आकार–पत्र ''त'' में दो प्रतियों में भारतीय स्टेट बैंक को प्रस्तुत करेगा। बिल की समीक्षा करने के पश्चात् भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पेंशनार्थी को भुगतान किया जायगा और भुगतान की रसीद स्वयं बिल पर ही प्राप्त की जायेगी। भुगतान करने के पश्चात् बिल की एक प्रति भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रेषित की जायेगी।

24. निदेशालय में भुगतान का अभिलेख–निदेशालय, स्थानीय निकाय में भुगतान की गयी बिलों की रसीदों की प्रतियां प्राप्त होने पर इन भुगतानों को लेखाधिकारी द्वारा कैश बुक में प्रविष्ट किया जायेगा और इन बिलों को लेखा के प्रयोजनार्थ गार्ड फाईल में सुरिक्षत रखा जायेगा।

25. लेखा परीक्षा जांच पंजिका–पेंशनार्थियों को पेंशन का समय पर और सही से भुगतान सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से निदेशालय, स्थानीय निकाय में आकार–पत्र ''थ'' में एक 'लेखा–परीक्षा जांच पंजिका' रखी जायेगी। इस पंजिका में प्रत्येक पेंशनार्थी का एक पृथक खाता खोला जायगा। भुगतान किये गये बिल प्राप्त होने पर सम्बन्धित पेंशनार्थी के बही–खातो में भुगतान की प्रविष्टि की जायेगी।

26. ग्रेच्यूटी के भुगतान का आदेश–ग्रेच्यूटी अनुमोदित होने के पश्चात् ग्रेच्यूटी भुगतान आदेश (जी0पी0ओ0) आकार पत्र 'द' में भारतीय स्टेट बैंक को जारी किया जायगा। इसकी एक प्रति सम्बद्ध व्यक्ति को भी पृष्ठांकित की जायेगी। आवश्यक समीक्षा के पश्चात् इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को किया जायेगा और भुगतान के पश्चात् इसे निदेशक, स्थानीय निकाय को वापस कर प्रेषित कर दिया जायगा।

27. ग्रेच्यूटी और पेंशन के भुगतान का विवरण–पत्र–भारतीय स्टेट बैंक आकार पत्र ''ध'' में पूर्ववर्ती माह में पेंशन एवं ग्रेच्यूटी के रूप में भुगतान की गयी रकम को उल्लिखित करते हुए एक विवरण निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रत्येक माह की पांच तारीख को प्रेषित करेगा। निदेशालय, स्थानीय निकाय में विवरण का मिलान कैश बुक और जांच पंजिका में की गयी प्रविष्टियों से किया जायेगा।

28. प्राप्तियों और भुगतानों मासिक विवरण–नियम 27 में विनिर्दिष्ट विवरणों के अलावा भारतीय स्टेट बैंक निदेशक, स्थानीय निकाय प्रत्येक माह की छः तारीख को पूर्ववर्ती माह में किये गये जमा और भुगतान को धनराशि दिखाते हुए मासिक विवरण भेजेगा। निदेशालय स्थानीय निकाय में इस मिलान कैश बुक में किया जायेगा।

29. कैश–बुक–कैश बुक में लेखे रोजाना बन्द और संतुलित किये जायेगें और उस पर निदेशालय, स्थानीय निकाय के लेखाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगे। प्रत्येक माह की समाप्ति पर कैश बुक में प्रविष्टि आय और भुगतान की रकम का मिलान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरण में दिखाये गये तत्समय जमा और भुगतान से किया जायेगा। यदि दोनों के बीच कोई अन्तर पाया जाता है तो माह के के अन्त में स्पष्टीकरण प्रविष्ट किया जायेगा। माह के अन्त में कैश बुक को बन्द किये जाने के पश्चात् इसे निदेशक, स्थानीय निकाय के समक्ष उसके पुर्नविलोकन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

30. पेंशन निधि का विनिवेश–पेंशन निधि की रकम सरकारी प्रतिभूति में या किसी अनुसूचित बैंक/डाकघर की दीर्घ अवधि जमा/सावधिक जमा और अन्य बचत खातों में जैसा निदेशक, स्थानीय निकाय उपुर्यक्त समझें, विनिवेशित की जायेगी, किन्तु चालू खाते में अतिशेष सदैव उतना रखा जायगा जितना कि अधिकारियों को दिये जाने वाले ग्रेच्यूटी और मासिक पेंशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। विनिवेश की प्रविष्टि एक विनिवेश पंजिका में की जायेगी जो प्रपत्र ''न'' में रखा जायगा।

31. लेखा परीक्षा–पेंशन निधि की प्रतियां संपरीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश द्वारा लेखा परीक्षा की जायेगी, और उसके द्वारा प्रेषित लेखा–परीक्षा रिपोर्ट एवं आपत्तियों पर लेखाधिकारी, निदेशालय, स्थानीय द्वारा कार्यवाही की जायेगीं।

32. अतिरिक्त आकार पत्र–निदेशक, स्थानीय निकाय पेंशन निधि के खाते को व्यवस्थित क्रम में रखने हेतु उन आकार–पत्रों, जो इस नियमावली में संलग्न है, के सिवाय किसी अन्य आकार–पत्र को विहित कर सकेगा।

आकार पत्र ''क''

{दिखें नियम 6(5) }

मृत्यु एवं सेवा–निवृत्ति ग्रेच्यूटी के लिए नामनिर्देशन

(जब अधिकारी का परिवार हो और वह उसके एक सदस्य को नामनिर्देशित करना चाहें)

मैं निम्नलिखित व्यक्ति को, जो मेरे परिवार का सदस्य है, एतदद्वारा नामनिर्देशित करता हूँ और उसे कोई ग्रेच्यूटी जो सेवाकाल में मेरी मृत्यु होने की दशा में निदेशक द्वारा मुझे स्वीकृत किया जाये, प्राप्त करने का अधिकार और मेरी मृत्यु हो जाने पर कोई ग्रेच्यूटी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ, जो सेवानिवृत्ति होने पर मुझे अनुमन्य हो जाने पर मेरी मृत्यु के समय असंदत्त रह जाय–

नामनिर्देशित व्यक्ति का नाम और पता	अधिकारी के साथ सम्बन्ध	आयु	आकस्मिक	उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का, यदि कोई हो, नाम, पता और सम्बन्ध जिसे/जिन्हें नामनिर्देशित व्यक्ति की अधिकारी से पूर्व मृत्यु हो जाने या नामनिर्देशित व्यक्ति की मृत्यु अधिकारी की मृत्यु के पश्चात् किन्तु ग्रेच्यूटी का भुगतान प्राप्त करने से पूर्व हो जाने की स्थिति में नाम निर्देशित व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार अन्तरित हो जायेगा।	प्रत्येक को संदेय ग्रेच्यूटी का अंश या रकम
1	2	3	4	5	6

यह नामनिर्देशन मेरे द्वारा पूर्व में .... को किये गये नामनिर्देशन का, जो रद्द हो जायेग, पर अभिभावी होगा।
दिनांक .... माह ....वर्ष .... स्थान ....
साक्षियों के हस्तार
1...
2...

अधिकारी के हस्ताक्षर

यह सारणी इस प्रकार भरी जानी चाहिए कि ग्रेच्यूटी की सम्पूर्ण रकम इसके अन्तर्गत आ जाये।
(नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा)
.... द्वारा नाम निर्देशन
पदनाम...
कार्यालय..
नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक ....
पदनाम...

आकार पत्र ''ख''
{देखें : नियम 6(5)}
मृत्यु एवं सेवा–निवृत्ति ग्रेच्यूटी के लिए नाम–निर्देशन

जब अधिकारी का परिवार मुक्त हो और वह उसमें से किसी एक से अधिक सदस्य को नामनिर्देशित करना चाहें)

मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार के सदस्य है, एतद्द्वारा नाम निर्देशित करता हूँ और उन्हें यह ग्रेच्यूटी जो सेवा काल में मेरी मृत्यु होने की दशा में मुझे स्वीकृत की जाये, विनिर्दिष्ट सीमा तक प्राप्त करने का अधिकारी और मेरी मृत्यु होने पर नीचे विनिर्दिष्ट कोई अन्य ग्रेच्यूटी प्राप्त सेवा अधिकार प्रदान करता हूँ, जो मेरे सेवानिवृत्ति होने पर मुझे अनुमन्य हो जाने पर मेरी मृत्यु के समय अंसदत्त रह जाये।

नामनिर्देशित व्यक्ति का नाम और पता	अधिकारी के साथ सम्बन्ध	आयु	आकस्मिकतायें जिनके कारण नाम–निर्देशन अवैध हो जायेगा	उस व्यक्ति, यदि कोई हो, नाम, पता और सम्बन्ध जिसको नामनिर्देशित व्यक्ति की अधिकारी के पूर्व मृत्यु हो जाने या नामनिर्देशित व्यक्ति की मृत्यु अधिकारी की मृत्यु के पश्चात् किन्तु ग्रेच्यूटी का भुगतान प्राप्त करने से पूर्व हो जाने की स्थिति में नाम निर्देशित व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार अन्तरित हो जायेगा।	प्रत्येक को संदेय ग्रेच्यूटी का अंश या रकम
1	2	3	4	5	6

यह नामनिर्देशन मैने द्वारा पूर्व में .... को किये गये नामनिर्देशन, जो रद्द समझा जायेगा, अभिभावी होगा।

विशेष टिप्पणीः—अधिकारी अन्तिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान में एक रेखा खीची जाना चाहिए ताकि उसके हस्ताक्षर के पश्चात् किसी नाम को प्रविष्टि न किया जा सकें।

दिनांक .... माह ....वर्ष .... स्थान ....

साक्षियों के हस्तार

1...

2...

अधिकारी के हस्ताक्षर

यह सारणी इस प्रकार से भरी जानी चाहिए कि ग्रेच्यूटी की सम्पूर्ण क्रिया इसके अन्तर्गत आ जाये।

इस सारणी में प्रदर्शित ग्रेच्यूटी का अंश/रकम उस सम्पूर्ण रकम/अंश के अन्तर्गत मूल नाम निदेर्शित को संदेय सम्मिलित करना चाहिए।

(नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

.... द्वारा नाम निर्देशन

पदनाम..

कार्यालय...

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक ....

पदनाम...

आकार पत्र ''ग''

{देखें : नियम 6(5)}

मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी के लिए नाम–निर्देशन

(जब अधिकारी का परिवार न हो और वह किसी एक व्यक्ति को नामनिर्देशित करना चाहें)

मैं जिसका परिवार नहीं है, निम्नलिखित व्यक्ति को एतदद्वारा नामनिर्देशित करता हूँ, और उसे वह ग्रेच्यूटी जो सेवाकाल में मेरी मृत्यु होने की दशा में निदेशक द्वारा स्वीकृत की जायेगी, प्राप्त करने का अधिकारी और मेरी मृत्यु होने पर कोई अन्य ग्रेच्यूटीह प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ जो मेरे सेवानिवृत्ते होने पर मुझे अनुमन्य हो जाने पर मेरी मृत्यु के समय असंदत्त रह जाये,

नाम निर्देशित व्यक्ति का नाम और पता	अधिकारी के साथ सम्बन्ध	अ ायु	आकस्मिकतायें जिनके कारण नाम–निर्देशन अवैध हो जायेगा	उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का, यदि कोई हो, नाम, पता और सम्बन्ध जिसे/जिन्हें	प्रत्येक को संदेय ग्रेच्यूटी का अंश

				नामनिर्देशित व्यक्ति की अधिकारी से पूर्व मृत्यु हो जाने या नामनिर्देशित व्यक्ति की मृत्यु अधिकारी की मृत्यु के पश्चात् किन्तु ग्रेच्यूटी का भुगतान प्राप्त करने से पूर्व हो जाने की स्थिति में नाम निर्देशित व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार अन्तरित हो जायेगा।	या रकम
1	2	3	4	5	6

यह नामनिर्देशन मैने द्वारा पूर्व में .... को किये गये नामनिर्देशन, जो रद्द समझा जायेगा, अभिभावी होगा।

दिनांक .... माह ....वर्ष .... स्थान ....
साक्षियों के हस्तााार
1..
2...

अधिकारी के हस्ताक्षर

यह सारणी इस प्रकार से भरी जानी चाहिए कि ग्रेच्यूटी की सम्पूर्ण क्रिया इसके अन्तर्गत आ जाये।

(नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

.... द्वारा नाम निर्देशन
पदनाम..
कार्यालय..
नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक ....
पदनाम...

प्रपत्र ''घ''

{देखें : नियम 6(5)}

मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के लिए नाम–निर्देशन

(जब अधिकारी का परिवार न हो और वह एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करना चाहें)

मैं जिसका परिवार नहीं है, निम्नलिखित व्यक्ति को एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता हूँ, और उसे वह ग्रेच्यूटी जो सेवाकाल में मेरी मृत्यु होने की दशा में निदेशक द्वारा स्वीकृत की जाये नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक, प्राप्त करने का अधिकारी और मेरी मृत्यु होने पर कोई अन्य ग्रेच्यूटी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ जो मेरे सेवानिवृत्ते होने पर मुझे अनुमन्य हो जाने पर मेरी मृत्यु के समय असंदत्त रह जाये,

नामनिर्देशित व्यक्ति का नाम और पता	अधिकारी के साथ सम्बन्ध	आयु	आकस्मिकतायें जिनके कारण नाम–निर्देशन अवैध हो जायेगा	उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का, यदि कोई हो, नाम, पता और सम्बन्ध जिसे/जिन्हें नामनिर्देशित व्यक्ति की अधिकारी से पूर्व मृत्यु हो जाने या नामनिर्देशित व्यक्ति की मृत्यु अधिकारी की मृत्यु के पश्चात् किन्तु ग्रेच्यूटी का भुगतान प्राप्त करने से पूर्व हो जाने की स्थिति में नाम निर्देशित व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार अन्तरित हो जायेगा।	प्रत्येक को संदेय ग्रेच्यूटी का अंश या रकम
1	2	3	4	5	6

यह नामनिर्देशन मैने द्वारा पूर्व में .... को किये गये नामनिर्देशन, जो रद्द समझा जायेगा, अभिभावी होगा।

विशेष टिप्पणीः–अधिकारी अन्तिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान में एक रेखा खीची जाना चाहिए ताकि उसके हस्ताक्षर के पश्चात् किसी नाम को प्रविष्टि न किया जा सकें।

दिनांक .... माह ....वर्ष .... स्थान ....

साक्षियों के हस्तार

1...

2..

अधिकारी के हस्ताक्षर

यह सारणी इस प्रकार से भरी जानी चाहिए कि ग्रेच्यूटी की सम्पूर्ण क्रिया इसके अन्तर्गत आ जाये।
इस सारणी में प्रदर्शित ग्रेच्यूटी का अंश/रकम उस सम्पूर्ण रकम/अंश के अन्तर्गत मूल नाम निदेर्शित को संदेय सम्मिलित करना चाहिए।

(नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

.... द्वारा नाम निर्देशन
पदनाम..
कार्यालय..
नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक ....
पदनाम...

प्रपत्र ''ड.''
{ देखें नियम 6(5)}
पारिवारिक पेंशन के लिए नामनिर्देशन

मैं, निम्नलिखित व्यक्तियो को, जो मेरे परिवार के सदस्य है, पारिवारिक पेंशन जो 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् मेरी मृत्यु होने पर निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत की जाय, नीचे दिये गये क्रम में प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित करता हूँ:

नामनिर्देशित व्यक्तियों का नाम और पता	अधिकारी के साथ सम्बन्ध	आयु	विवाहित या अविवाहित
1	2	3	4

यह नामनिर्देशन मैने द्वारा पूर्व में .... को किये गये नामनिर्देशन, जो रद्द समझा जायेगा, अभिभावी होगा।

विशेष टिप्पणीः—अधिकारी अन्तिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान में एक रेखा खीचची जाना चाहिए ताकि उसके हस्ताक्षर के पश्चात् किसी नाम को प्रविष्टि न किया जा सकें।

दिनांक .... माह ....वर्ष .... स्थान ....
साक्षियों के हस्तार
1...
2..

अधिकारी के हस्ताक्षर

(नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

.... द्वारा नाम निर्देशन
पदनाम...
कार्यालय...
नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक ....
पदनाम...

प्रपत्र ''च''
{देखें : नियम 7(9)}
कार्यालय के स्व0 .... की पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन–पत्रः

आवेदन का आकार

1– आवेदककर्ता का नाम...
2– मृतक अधिकारी/पेंशनार्थी के साथ सम्बन्ध
3– सेवानिवृत्ति होने की तिथि, यदि मृतक अधिकारी पेंशन का हकदार था...........................
4– अधिकारी/पेंशनार्थी की मृत्यु की तिथि ....
5– क्रम जिसमें आवेदककर्ता का नामनिर्देशन आकार पत्र ''ड.'' में प्रदर्शित है.......................
6– मृत अधिकारी के उत्तरजीवी आश्रितों का नाम और आयु..............................
नाम जन्म तिथि
(ईसाई कैलेण्डर के अनुसार)
(1) विधवा/पति ....
(2) पुत्र ....

(3) अविवाहित पुत्रियां..........................
(4) विधवा पुत्रियां.................... (पुत्र और पुत्रियों में सौतेली और दत्तक सन्तान भी शामिल है)
(5) पिता..
(6) माता...
(7) अविवाहित भाई ....
(8) अविवाहित बहिनें.....................................
(9) विधवा बहिनें.................................. (भाई ओर बहिनों में सौतेले भाई और सौतेली बहिनें भी शामिल है)

7– नगरपालिका/नगर महापालिका का नाम जहां पेशन का भुगतान वांछनीय हैः–
8–आवेदक के बारें में विवरणः–
(1) जन्मतिथि (ईसई कैलेण्डर के अनुसार)
(2) लम्बाई.....................................
(3) चेहरा, हाथ आदि पर पहचान का वैयक्तिगत चिन्ह, यदि कोई हो.................................
(4) हस्ताक्षर या बायें हाथ की अंगूली और अंगूठे का चिन्ह

कनिष्का अनामिका मध्यमा तर्जनी
अंगूष्ठ

9– निम्नलिखित साक्षियों द्वारा प्रमाणित : निम्नलिखित द्वारा साक्षीकृत :

(1) .... (1) ....
..
(2) .... (2) ....
..
10– आवेदक का पूरा पता..

टिप्पणी :
(1) आवेदन का विवरण और उसका हस्ताक्षर/अंगूठा और अंगुली निशान नगर या ग्राम जहां आवेदनकर्ता निवास करता हो, दो उत्तरदायी नागरिकों द्वारा समुचित रूप से सत्यापित किए गए प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि पेंशन आवेदननत्र के साथ नत्थी की जानी चाहिए।
(2) यदि आवेदनकर्ता आवेदन–पत्र की प्रविष्टि 6 (2) के अन्तर्गत आता है, तो उसे मृत अधिकारी/पेंशनार्थी का आश्रित होने का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए।

(3) यदि आवेदनकर्ता मृत अधिकारी/पेंशनार्थी का अव्यस्क भाई है तो प्रविष्टि 8(i) के समर्थन में उसे आयु प्रमाण पत्र, जिसमें उसकी जन्मतिथि अंकित हो, की मूल और दो प्रमाणित प्रतियां नत्थी करनी चाहिए।
प्रमाण पत्र की मूल प्रति सत्यापन के पश्चात् वापस कर दी जायेगीं।

प्रपत्र ''छ''
{देखें नियम 13(2)}
पेंशन या ग्रेच्यूटी और मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी के लिए आवेदन–पत्र

1– आवेदनकर्ता का नाम ....
2– पिता का नाम (महिला अधिकारी की स्थिति में पति का नाम भी)..................................
3– धर्म और राष्ट्रियता...
4– स्थायी निवास का पता जिसमें ग्राम, नगर, जिला और राज्य प्रदर्शित हो.....................
5– (क) वर्तमान या अन्तिम नियुक्ति ....
(ख) वर्तमान या अन्तिम मौलिक नियुक्ति ....
6– (क) सेवा प्रारम्भ करने की तिथि ....
(ख) सेवा समाप्ति की तिथि ....
7– महापालिका/नगरपालिका जिसमें नियोजन के क्रम में सेवा की गयी है–...................
8– सेवा की अवधि, व्यवधान और अनर्हकारी अवधि के विवरण सहित ....
वर्ष .... मास .... दिन.................
9– आवेदिन पेंशन या ग्रेच्यूटी की श्रेणी और आवेदन का कारण ....
10– औसत परिलब्धियां..
11– प्रस्तावित पेंशन या ग्रेच्यूटी ....
12– प्रस्तावित मृत्य एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी ....
13– तिथि, जब से पेंशन शुरू होगी...
14– भुगतान का स्थान..
15– नामनिर्देशन किस हेतु किया गया था :–
(1) पारिवारिक पेंशन, और ....
(2) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी ....
16– ईसई कैलेण्डर के अनुसार आवेदनकर्ता की जन्मतिथि ....
17– ऊंचाई ....
18– (क) पहचानचिन्ह ....
(ख) बायें हाथ के अंगूठे और अंगुलियों के निशान

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा

अनामिका कनिष्ठिका

19– तिथि जब आवेदनकर्ता नें पेंशन/ ग्रेच्यूटी के लिए आवेदन किया ....

20– यदि आवेदनकर्ता भविष्य निधि का सदस्य हो, तो उसकी बचत खाता संख्या उल्लिखित करें....................

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर मुख्य नगर अधिकारी/अध्यक्ष के हस्ताक्षर

यदि सटीक रूप से ज्ञात न हो, तो इसे सबसे सही सूचना के आधार पर भरा जाना चाहिए।

अधिकारी जो अपना नाम अग्रेंजी, हिन्दी या अन्य क्षेत्रीय भाशाओं में लिख सकते है, को अपना अंगूठा और अंगुली निशान देने की, कोई आवश्यकता नहीं है।

सेवा का इतिकृत जिसमें व्यवधान और जन्म का दिनांक दिया जाय^

अधिश्ठान	नियुक्ति	वेतन	कार्य भत्ता	प्रारम्भ तिथि	समापन तिथि
1	2	3	4	5	6

अवधि, जिसकी गणना सेवा के रूप में की गई	अवधि जिसकी गणना सेवा के रूप में नहीं की गयी	टिप्पणी	किस प्रकार सत्यापित की गयी	संपरीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उ0 प्र0 द्वारा टिप्पणी
7	8	9	10	11

(क) कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की अभ्यक्ति–

1– आवेदनकर्ता के चरित्र ओर विगत क्रिया–कलापों के बारें संबंध में ....
2– किसी निलम्बन या पदावनति का स्पष्टीकरण.................
3– आवेदनकर्ता द्वारा पहले प्राप्त की जा चुकी ग्रेच्यूटी या पेंशन के संबंध में........
4– कोई अन्य टिप्पणी............................
5– कार्यालय/विभाग के प्रमुख का विशिष्ट अभिमत कि क्या दावाकृत सेवा प्रमाणित है और उसे स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं।

(ख) पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी के आदेश

अधोहस्ताक्षरी का समाधान है कि श्री .... द्वारा की गई सेवा संतोषनजक रही है। अतएव एतद्द्वारा इस नियमावली के अन्तर्गत अनुमन्य पूर्ण पेंशन/ग्रेच्यूटी प्रदान करने का आदेश दिया जाता है, जो निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा। पेंशन का भुगतान .... तिथि से प्रारम्भ होगा।

अथवा

अधोहस्ताक्षरी का समाधान होने पर कि श्री ....द्वारा की गई सेवा संतोशजनक नहीं रही है, अतएव एतद्द्वारा इस नियमावली के अन्तर्गत अनुमन्य पूर्ण पेंशन/ग्रेच्यूटी, जो निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा, रू0 .... (यहां विनिर्दिष्ट रकम या प्रतिशत दिया जायेगा) की कटौती करने का आदेश दिया जाता है। पेंशन का भुगतान .... तिथि से प्रारम्भ होगी।

सेवा की अवधि ....पेंशन, ग्रेच्यूटी, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी, यदि कोई हो... मे संदेय है और पेंशन निधि पर प्रभार्य है।

यह आदेश इस शर्त के अधीन है कि यदि निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत पेंशन की रकम, यदि बार में उस रकम से अधिक पायी जाती है जिसके लिए इस नियमावली के अधीन पेशनार्थी हकदार है, तो उसे वह अधिक रकम वापस करने हेतु बुलाया जायेगा। इन शर्त को स्वीकृत करने वाली सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी की उद्घोशणा प्राप्त की जा चुकी है, और संलग्न है। उदघोशणा पृथक रूप से प्राप्त और प्रस्तुत की जायेगी।

निदेशक, स्थानीय निकाय
उ0प्र0 लखनऊ।

(ग) **लेखा परीक्षा मुखांकन**

1. अर्हकारी सेवा की सम्पूर्ण अवधि जो अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति पेंशन प्रदान करने के लिए स्वीकृत की गयी और ऐसे कारण जिनसे सेवा की किसी अवधि की, यदि कोई हो, गणना न की गयी, जो सेवा की ऐसी अवधि से, यदि कोई हो, भिन्न हो जिसकी गणना न किये जाने के कारणों से को निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा द्वितीय पृष्ठ पर अभिलिखित किया गया हो।

टिप्पणी–सेवा प्रारम्भ होने की तिथि से और सेवानिवृत्ति की तिथि तक की सेवा अब तक सत्यापित नहीं की गयी हो, यह सत्यापन पेंशन अनुमोदित करने वाले प्राधिकारी द्वारा इसके पश्चात् अन्तिम पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के सयम कर लिया जाना चाहिए।

2– अधिवार्षिता/सेवानिवृत्ति पेंशन की रकम जो स्वीकार की गई .... रूपया।
3– निम्नलिखित कटौति करने के पश्चात् अधिवार्षिता/सेवानिवृत्ति पेंशन की रकम .... रूपया

पेंशन में से पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा कटौती की गयी रकम .... रूपया।
मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी में निगम/पालिका के अशंदान के समतुल्य पेंशन की रकम .... रूपया।
सम्पूर्ण कटौती.......................... रूपया।
वास्तविक पेंशन की रकम .... रूपया।
4– अर्हकारी सेवा की कुल अवधि, जो विशेष अतिरिक्त पेंशन प्रदान करने के लिए स्वीकृत की गयी है।
5– विशेष अतिरिक्त पेंशन, यदि कोई हो, की रकम।
6– तिथि जबसे अधिवार्षिता/सेवानिवृत्ति पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी अनुमन्य है।
7– लेखा शीर्ष, जिसमें पेशन/ ग्रेच्यूटी और मृत्यु सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी प्रभार्य है।

निदेशक, स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश।

(संक्षिप्त विवरण)
पेंशन या ग्रेच्यूटी के लिए आवेदन–पत्र

आवेदन की तिथि ....
आवेदनकर्ता का नाम ....
अन्तिम नियुक्ति ....
पेंशन या ग्रेच्यूटी की श्रेणी...........................
स्वीकृति प्राधिकारी ....
स्वीकृत पेंशन की रकम ....
स्वीकृत ग्रेच्यूटी की रकम ....
प्रारम्भ होने की तिथि ....
स्वीकृति की तिथि ....

स्वीकृति प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

आकार पत्र ''ज''
{ देखें : नियम 13(4) }
(सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा)

चूंकि निदेशक, स्थानीय निकाय ने दिनांक .... से मेरी पेंशन के रूप में मुझे .... रूपये प्रतिमास की रकम और मेरी ग्रेच्यूटी/मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी की रकम के रूप में .... रूपये की रकम स्वीकृत करने की सहमति कर दी है। अतएव मैं एतद्द्वारा अभिस्वीकृत करता हूँ। उक्त रकम (रकमों) को स्वीकार करने में, मैं पूर्णतया समझता हूँ कि यह पेंशन/ग्रेच्यूटी और मृत्यु एवं

सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी उस रकम से, जिसका मैं नियमों के अधीन हकदार हूँ, अधिक पाये जाने पर पुनरीक्षण के अधीन होगी और मैं वचन देता हूँ कि मैं पुनरीक्षण के लिए कोई आपत्ति नहीं करूंगा। मैं ऐसी रकम को, जो मुझे उस रकम से जिसका मैं अन्ततः हकदार पाया जाऊ, अधिक भुगतान की गई हो, वापस करने का भी वचन देता हूँ।

सेवा–निवृत्त होने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

1– साक्षी का हस्ताक्षर, पता और व्यवसाय–

(i) ....

(ii) ....

(iii)..

2– साक्षी का हस्ताक्षर, पता और व्यवसाय–

(i) ....

(ii) ....

(iii)..

यह घोषणा–पत्र पर उस नगर, ग्राम या परगना के, जिसमें आवेदनकर्ता निवास करता है, दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत होना चाहिए।

आकार पत्र ''झ''
{ देखें : नियम 13(4) }
(मृत अधिकारी के विधिक उत्तराधिकारी या परिवार द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा)

चूंकि निदेशक, स्थानीय निकाय ने श्री .... (पदनाम) जो दिनांक .... को सेवानिवृत्त हुए और जिनकी मृत्यु दिनांक .... को हुई .... की ग्रेच्यूटी/मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी/पारिवारिक पेंशन की रकम के रूप में मुझे .... रूपया की रकम स्वीकृत करने की सहमति प्रदान कर दी है। अतएव, मैं एतद्द्वारा अभिस्वीकृत करता हूँ कि उक्त रकम (रकमें) को स्वीकार करने में, मैं पूर्णतया समझता हूँ कि यह पेंशन/ग्रेच्यूटी और मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी, उस रकम से, जिसका मैं नियमों के अधीन हकदार हूँ, अधिक पाये जाने पर पुनररक्षण के अधीन होगी और मैं वचन देता हूँ कि मैं ऐसे पुनरीक्षण के लिए कोई आपत्ति नहीं करूंगा। ऐसी रकम को, जो मुझे उस रकम से, जिसमें मैं अन्ततः हकदार पाया जाऊ, अधिक भुगतान की गई हो, वापस करने का भी वचन देता हूँ।

मृत अधिकारी के विधिक उत्तराधिकारी
या परिवार के सदस्य का
हस्ताक्षर

1– साक्षी का हस्ताक्षर, पता और व्यवसाय–

(i) ....
(ii) ....
(iii)..
2— साक्षी का हस्ताक्षर, पता और व्यवसाय—
(i) ....
(ii) ....
(iii)..

यह घोषणा—पत्र पर उस नगर, ग्राम या परगना के, जिसमें आवेदनकर्ता निवास करता है, दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत होना चाहिए।

आकार पत्र ''ञ''
{ देखें : नियम 17 }
कैश—बुक
आय—पक्ष

तिथि	स्थानीय निकाय का नाम जो अंशदान प्रदान करता है	अधिकारी का नाम और पदनाम जिसके लिए अंशदान जमा किया जाता है	चालान संख्या और तिथि	रकम
1	2	3	4	5

योग	बैंक में जमा करने की तिथि	रकम
6	7	8

व्यय–पक्ष

तिथि	व्यय वाउचर की संख्या	भुगतान का पूरा ब्यौरा	रकम	योग	बैंक का नाम जहां से भुगतान हुआ है
1	2	3	4	5	6

आकार पत्र ''ट''

{देखें : नियम 19 }

चालान संख्या .... भारतीय स्टेट बैंक.................... जिला ....। इस चालान की रकम भारतीय स्टेट बैंक................. .... में जमा की जा चुकी है।

लेखाधिकारी / लेखाकार द्वारा भरा जायेगा		अधिशासी अधिकारी / मुख्य नगर अधिकारी द्वारा भरा जायेगा			
जिसके द्वारा जमा किया जायेगा	स्थानीय निकाय का नाम	जमा की गयी रकम का पूरा विवरण	रकम रू0 पै0	लेखा का शीर्ष जिसमें रकम जमा की जायेगी	बैंक के लिए निदेश
1	2	3	4	5	6

कृपया रकम प्राप्त करें ओर उसकी अभिस्वीकृति दें।
अधिशासी अधिकारी / मुख्य नगर अधिकारी के हस्ताक्षर।
कुल योग............................

रकम शब्दों में ....
प्राप्त की गयी रकम (शब्दों में)

कैशियर, भारतीय स्टेट बैंक
भारतीय स्टेट बैंक

लेखाकार, भारतीय स्टेट बैंक अभिकर्ता,

(निदेशक, स्थानीय निकाय के कार्यालय में भरा जायेगा)

प्रमाणित किया जाता है कि इस चालान की रकम कैश–बुक में दिनांक .... को जमा की गयी और अंशदान की रकम को बही–खाते में उक्त वर्णित प्रत्येक व्यक्ति के सामने दर्ज कर दिया गया है।

लेखाकार निदेशक
स्थानीय निकाय

लेखाधिकारी, निदेशक
स्थानीय निकाय

अंशदान जमा करने के चालन के साथ यह विवरण संलग्न किया जायेगा :

1– स्थानीय निकाय का नाम ....

2– माह................................

क्रम सं0	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पदनाम	पालिका में वर्तमान नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4

स्थानीय निकायों का नाम जहां वह वर्तमान में नियुक्ति के पूर्व नियुक्त था	माह जिसके लिए वेतन आहरित किया गया	जमा किये गये अंशदान की रकम	अन्य विवरण
5	6	7	8

आकार पत्र ''ठ''
{देखें नियम 20}
पेंशन निधि का बही खाता

I-माह का नाम ....

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पदनाम	माह, जिसके लिए वेतन आहरित किया गया	जमा किए जाने वाली अंशदान की रकम

1	2	3	4	5

वास्तव में जमा की गयी अंशदान की रकम	पालिका का नाम जिसने अंशदान जमा किया	चालान की सं0और दिनांक	बैंक का नाम जहां रकम जमा की गयी है।
6	7	8	9

आकार पत्र ''ड''
{ देखें नियम 21 }
पेंशन भुगतान आदेश

पी0पी0ओ0 सं0 .... दिनांक..............................
..

सेवा में,
अभिकर्ता,
भारतीय स्टेट बैंक।
....

श्रीमान,

अग्रिम सूचना तक, और प्रत्येक माह की समाप्ति पर, कृपया श्री .... को रू0 .... (आयकर की कटौतीन करके) की रकम जो उसके पेंशन की रकम है, इस आदेश की पेंशनार्थी की प्रति प्रस्तुत करने पर दावेदार से उपुर्यक्त आकार पत्र पर रकम की प्राप्ति सुनिश्चित कराकर, भुगतान कर दें।

भुगतान दिनांक .... से प्रारम्भ होना चाहिए।

2– श्री .... की मृत्यु होने की दशा में, श्रीमती .... को श्री .... की मृत्यु होने की दशा में रू0 .... प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन श्रीमती .... को श्री .... की मृत्यु की तिथि से उसके पुनर्विवाह अथवा मृत्यु तक जो भी पूर्ववर्ती हो, (विधवा से मृत्यु प्रमाण–पत्र और आवेदन का आकार पत्र प्राप्त होने पर) भुगतान किया जा सकेगा।

भवदीय,
हस्ताक्षर ....
पदनाम...

पेंशन भुगतान आदेश के पेंशनार्थी के भाग की नीचे दी गयी प्रतिलिपि श्री .... पेंशनार्थी को अग्रसारित। भुगतान प्राप्त करने हेतु उसे अभिकर्ता, भारतीय स्टेट बैंक............................. के समक्ष उपस्थित होना चाहिए।

पेंशनार्थी का नाम

नाम	पेंशन की श्रेणी और प्रारम्भ की तिथि	चेहरे या सिर पर वैयक्तिक चिन्ह, यदि कोई हो	ऊंचाई	जन्मतिथि	धर्म और राष्ट्रियता	ग्राम और परगना प्रदर्शित करते हुए निवास	मासिक पेंशन की रकम रू0 पै0
1	2	3	4	5	6	7	8

हस्ताक्षर ....
पदनाम..

प्रतिलिपि नगरपालिका/महापालिका के अध्यक्ष/मुख्य नगर अधिकारी को भी उसके पत्र सं0 .... दिनांक .... के सन्दर्भ में सूचनार्थ अग्रसारित की जाती हैं।
हस्ताक्षर ....
पदनाम..

हस्ताक्षर के स्थान पर प्रथम भुगतान के समय पेंशनार्थी का हस्ताक्षर लिए जाने के लिए स्थानः

नाम	पेंशन की श्रेणी और प्रारम्भ की तिथि	चेहरे या सिर पर वैयक्तिक चिन्ह, यदि कोई हो	ऊंचाई	जन्मतिथि	धर्म और राष्ट्रियता	ग्राम और परगना प्रदर्शित करते हुए निवास	मासिक पेंशन की रकम रू0 पै0
1	2	3	4	5	6	7	8

(अभिकर्ता, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भरा जायेगा और प्रमाणित किया जायेगा)
1. ....
2. पारिवारिक पेंशन ....
पेंशनधारी की जन्मतिथि
पेंशन की रकम रू0 ....(शब्दों में)

यह दस्तावेज आहरणकर्ता अधिकारी (अभिकर्ता, भारतीय स्टेट बैंक) द्वारा प्राधिकार के प्रवृत्त रहने तक ऐसी रीति से रखा जायगा कि पेंशनार्थी उस तक पहुंच न सकें। प्रत्येक पृथक भुगतान नीच अभिलिखित किया जायगा :

वर्ष 19					वर्ष 19		
माह जिसके लिए पेंशन देय हो	भुगतान की तिथि	भुगतान की गई रकम	आहरणकर्ता अधिकारी का आद्याक्षर	भुगतान तिथि	भुगतान की गई रकम	आहरणकर्ता अधिकारी का आद्याक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
मार्च							
अप्रैल							
मई							
जून							
जुलाई							
अगस्त							
सितम्बर							
अक्टूबर							
नवम्बर							
दिसम्बर							
जनवरी							
फरवरी							

पेंशनार्थी की पहचान सम्बन्धी टिप्पणी
(वार्षिक रूप से अपेक्षित)

टिप्पणी—(1) पेंशनार्थी के प्रति किसी मांग के लिए ऋणदाता के अनुरोध पर भारत के किसी न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा पेंशन का अभिग्रहण, उसकी कुर्की या उसे परिबद्ध नहीं किया जायगा (धारा 11, 1871 का अधिनियम संख्या 23)

(2) निम्नलिखित अपवादों के अधीन रहते हुए इस आदेश के अधीन भुगतान केवल पेंशनार्थी को ही व्यक्तिगत रूप से किया जायगा।

(क) ऐसे व्यक्ति जिन्हें सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई हो,

(ख) ऐसी महिलाए जो जनता के बीच उपस्थित होने की प्रथा न हों ओर ऐसे पुरूष जो बीमारी या षारीरिक अशक्तता के कारण उपस्थित होने में असमर्थ हों।

भुगतान, उपर्युक्त (क) और (ख) दोनों ही मामलों में, जीवित होने का प्रमाण पत्र, जो सरकार के उत्तरदायी अधिकारी या अन्य सुप्रसिद्ध विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो, प्रस्तुत करने पर किया जाय।

(ग) कोई ऐसा व्यक्ति, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त किसी निबन्धक या उप–निबन्धक द्वारा या किसी ऐसे पेंशनार्थी अधिकारी द्वारा जिसने सेवानिवृत्त होने के पूर्व मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग किया हो या किसी मुन्सिफ द्वारा या पुलिस थाने के प्रभारी उप–निरीक्षक के पद से अन्यून पद के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी डाकपाल द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक के किसी प्रथम वर्ग के अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक के किसी अधिकारी या स्टाफ असिस्टेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित जीवित होने का प्रमाण–पत्र भेजें।

(घ) भारत में निवास करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी ऐसे अभिकर्ता के माध्यम से अपनी पेंशन आहरित करता हो जिसने अधिक भुगतान को वापस न करने के लिए इस शर्त पर बन्ध–पत्र निश्पादित किया हो कि पश्चात्वर्ती व्यक्ति कम से कम वर्ष में एक बार खण्ड (ग) में उल्लिखित किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित जीवित रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(ड.) खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सभी मामलों में आहरण अधिकारी कम से कम वर्ष में एक बार पेंशनार्थी के निरन्तर जीवित रहने के ऐसे प्रमाण की अपेक्षा करेगा जो जीवित हाने के प्रमाण–पत्र द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण से अलग होगा। खण्ड (घ) में निर्दिष्ट मामलों में अन्तिम प्राप्त जीवित होने के प्रमाण–पत्र के दिनांक के पश्चात् एक वर्ष से अधिक लेखा अवधि की पेंशन का भुगतान नहीं किया जायगा और आहरण अधिकारी को किसी पेंशनार्थी की मृत्यु की प्रामणिक सूचना के लिए सजग रहना चाहिए और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर यह अग्रेत्तर भुगतान तुरन्त बन्द कर देगा।

आकार पत्र ''ढ''
{ देखें : नियम 21 का परन्तुक }
घोषणा–पत्र का प्रपत्र

चूंकि निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश ने आवश्यक जांच और सही रकम के अवधारण को अन्तिम रूप दिये जाने की प्रत्याशा में मुझे (श्री ....) ग्रेच्यूटी के रूप में .... रूपये और पेंशन के रूप में .... रूपये प्रतिमाह अग्रिम अन्तरिम भुगतान करने की सहमति दे दी है, अतएव, मैं इस करार के माध्यम से स्वीकार करता हूँ कि ग्रेच्यूटी और मासिक पेंशन की अग्रिम रकम लेने में मैं पूर्णतया समझता हूँ कि यह मुझे अनुमन्य ग्रेच्यूटी और पेंशन की धनराशि के सम्बन्ध में आवश्यक जांच पूरी होने के पश्चात् पुनरीक्षण के अधीन होगी, ओर मैं पुनरीक्षण पर इस आधार पर कोई आपत्ति न उठाने का वचन देता हूँ कि अन्तरिम ग्रेच्यूटी और पेंशन की रकम

जो इस समय मुझे भुगतान की जा रही है, ग्रेच्यूटी और मासिक पेंशन की उस रकम से अधिक है जो मुझे अन्तिम रूप से स्वीकृत की जायेगी। अन्तिम रूप से स्वीकृत ग्रेच्यूटी और मासिक पेंशन की रकम से अधिक भुगतान की गई रकम को, यदि कोई हो, तुरन्त वापस करने का भी वचन देता हूँ।

साक्षियों के हस्ताक्षर और पता–

1–..

2–..

हस्ताक्षर ....

दिनांक ....

आकार पत्र ''ण''

{देखें : नियम 21 का परन्तुक }

(मृत अधिकारी के विधिक उत्तराधिकारी द्वारा दिये जाने वाले घोषणा–पत्र का आकार पत्र)

चूंकि निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश ने आवश्यक जांच पूरी होने और सही रकम के अवधारण को अन्तिम रूप दिये जाने की प्रत्याशा में मुझे (श्री ....) पारिवारिक पेंशन के रूप में .... रूपये प्रतिमाह और ग्रेच्यूटी के रूप में .... रूपये की रकम का, जो मृतक को देय है, अग्रिम अन्तरिम भुगतान करने की सहमति दे दी है, अतएव, मैं इस भार के माध्यम से स्वीकार करता हूँ कि ग्रेच्यूटी और मासिक पेंशन की अग्रिम धनराशि लेने में मैं पूर्णतया समझता हूँ कि यह मुझे अनुमन्य ग्रेच्यूटी और पेंशन की धनराशि के सम्बन्ध में आवश्यक जांच पूरी होने के पश्चात् पुनरीक्षण के अधीन होगी, और मैं पुनरीक्षण पर इस आधार पर कोई आपत्ति न उठाने का वचन देता हूँ कि अन्तरिम ग्रेच्यूटी और पेंशन की रकम जो इस समय मुझे भुगतान की जा रही है, ग्रेच्यूटी और मासिक पेंशन की उस रकम से अधिक है जो मुझे अन्तिम रूप से स्वीकृत की जायेगी। अन्तिम रूप से स्वीकृत ग्रेच्यूटी और मासिक पेंशन की रकम से अधिक भुगतान की गई रकम को, यदि कोई हो, तुरन्त वापस करने का भी वचन देता हूँ।

साक्षियों के हस्ताक्षर और पता–

1–..

2–..

हस्ताक्षर ....

दिनांक ....

आकार पत्र ''त''

{देखें : नियम 23}

बिल

उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों की पेंशन/पेंशन भुगतान आदेश संख्या ....

अधिवार्षिता भत्ता और पेंशन

भारतीय स्टेट बैंक........................... वाउचर संख्या ....दिनांक .... रूपया प्राप्त किया जो माह .... 19 के लिए मुझे देय पेंशन की रकम है...

दावे की पूर्ण रकम .... रूपया

आयकर .... रूपया

शुद्ध देय रकम .... रूपया

स्टाम्पयुक्त रसीद यदि रकम 20 रूप्ये से अधिक हो।

पेंशनार्थी

बैंक में भुगतान

.... रूपये का भुगतान (नकदी में) किया जाय और आयकर आदि के सम्बन्ध में अन्तरण/जमा करके .... रूपये का भुगतान किया जाय।

परीक्षित
लेखाकार
अभिकर्ता

बैंक को प्राप्तिकर्ता का उन्मोचन

भुगतान प्राप्त किया।

मैं घोषणा करता हूॅ कि मैनें उस अवधि के दौरान जिसके लिए इस बिल में दावा की गई पेंशन की रकम देय है, किसी भी रूप में न तो सरकारी अधिष्ठान में और न ही किसी स्थानीय निधि से भुगतान किये जाने वाले किसी अधिष्ठान में कार्य करने के लिए कोई पारिश्रमिक प्राप्त किया है।

पेंशनार्थी

टिप्पणी—ऐसे पेंशनार्थी के मामलें, जो पुनः सेवायोजित होने का विवरण प्रमाण—पत्र में प्रस्तुत करें (वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड V, भाग II का पैरा 526 देखियें), आहरण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए और रिपोर्ट देनी चाहिए कि ऐसे पुनर्नियोजन से सम्बन्धित नियमों का सम्यक् अनुपालन किया गया है या नहीं।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... जीवित है और दिनांक .... को मेरे समक्ष उपस्थित हुए।

अधिकारी का नाम ....

पूरा पदनाम ....

दिनांक ....19.............

(अनुच्छेद 946, सिविल सेवा विनियम)

निदेशालय, स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश में प्रयोग के लिए .... रूपया ग्रहण किया गया।
पेंशनार्थी के बही–खाता में दर्ज किया गया।

लेखाकार
लेखाधिकारी

आकार पत्र ''थ''
{देखें : नियम 25}
लेखा परीक्षा जांच पंजिका

भारतीय स्टेट बैंक में देय पेंशन

पेंशन भुगतान आदेश संख्या	पेंशनार्थी का नाम	जन्म तिथि	अन्तिम आहरित वेतन	पेंशन की श्रेणी	पेंशन की मासिक रकम	प्रारम्भ की तियथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

पेंशन के भुगतान की तिथि

माह	वर्ष	लेखाधिकारी का हस्ताक्षर	वर्ष	लेखाधिकारी का हस्ताक्षर	वर्ष	लेखाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7
जनवरी						
फरवरी						

मार्च
अप्रैल
मई
जून
जुलाई
अगस्त
सितम्बर
अक्टूबर
नवम्बर
दिसम्बर

आकार पत्र ''द''
{देखें नियम 26}

निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पी0पी0ओ0सं0 .... दिनांक ....

सेवा में,

भारतीय स्टेट बैंक,

....

श्रीमान,

निवदेन है कि आप 'उ0 प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा कर्मचारी पेंशन निधि' से रू0 .... की रकम (आयकर की कटौती करके) जो कि ग्रेच्यूटी की रकम है, श्री .... को भुगतानार्थ व्यवस्था करें। उसकी पहचान से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है:–

जन्म तिथि	पिता का नाम	पहचान के लिए व्यक्तिगत चिन्ह	ऊंचाई	मूल, जाति एवं धर्म	ग्राम और परगना प्रदर्शित करते हुए निवास
1	2	3	4	5	6

2– कृपया इस आदेश की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,
लेखाधिकारी

श्री .... को इसकी प्रतिलिपि इस निदेश के के साथ कि वह अपनी प्रतिलिपि भारतीय स्टेट बैंक के समक्ष प्रस्तुत करें और भुगतान प्राप्त करें, सूचनार्थ अग्रसारित की जाती है।

लेखाधिकारी

भुगतान प्राप्त किया।

दिनांक... हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

पदनाम ....

(निदेशक, स्थानीय निकाय के कार्यालय के प्रयोग हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान कैश बुक में दिनांक .... को दर्ज किया गया और अन्य सहायक अभिलेखों में दर्ज किया गया।

लेखाकार
लेखाधिकारी

आकार पत्र ''ध''
{देखें : नियम 27}
ग्रेच्यूटी एवं पेंशन के भुगतान का मासिक विवरण

1– माह
2– भारतीय स्टेट बैंक

क्र0सं0	भुगतान तिथि	भुगतान कार्यालय	पी0पी0 ओ0 सं0	प्राप्तकर्ता का नाम	प्राप्तकर्ता का पूरा पता	भुगतान का प्रकार	भुगतान की गई रकम	अन्य, विवरण यदि कोई हों
1	2	3	4	5	6	7	8	9

आकार पत्र ''न''
{देखे : नियम 30}
निवेश पंजिका

क्र0 सं0	निवेश तिथि, प्रतिभूति के क्रय या जमा करने, यथास्थिति की तिथि	निवेश का विवरण और सरकारी प्रतिभूतियों के मामलें में उसकी सं0 एवं तिथि	रकम रू0 पै0	ब्याज की दर
1	2	3	4	5

लेखाधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय का आद्याक्षर	ब्याज की वसूली और लेखें में समायोजित किये जाने की तिथि	ब्याज की वसूली और लेखें में समायोजित की गयी रकम	लेखाधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय का आद्याक्षर
6	7	8	9

संलग्नक–4
उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण उसके लिए यह आवश्यक हो गया है कि तत्काल नियम बनाये जायें।

अतएव, अब उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (3) और संयुक्त प्रान्त नगरपालिका, अधिनियम 1916 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1, सन् 1916) की धारा 12–ख की उपधारा (2) के साथ पठित 1916 के उक्त अधिनियम की धारा 296 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्–

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रवर्तन और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 कही जायेगी,

(2) यह उत्तर प्रदेश में सम्पन्न नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगी।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होगी,

2. परिभाषायें–इस नियमावली में–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है;

(ख) '1950 का अधिनियम' का तात्पर्य प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से है;

(ग) 'विधान सभा' का तात्पर्य राज्य विधान सभा से है;

(घ) 'मुख्य निर्वाचन अधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी से है जिसे आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से राज्य में निर्वाचन नामावली के तैयार किये जाने, पुनरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) के रूप में पदभिहित किया गया हो,

(ङ) 'आयोग' का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग से है,

(च) 'निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी अधिकारी से है जिसे आयोग ने, राज्य सरकार के परामर्श से, जिले में वार्ड के निर्वाचक नामावली को तेयार करने, पुनरीक्षण और प्रकाशन के लिए नाम निर्दिष्ट या पदाभिहित किया हो,

(छ) 'आकार पत्र' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न आकार पत्रों से है;

(ज) 'नामावली' का तात्पर्य निर्वाचक नामावली से है;

3. नगरपालिका द्वारा व्यय का वहन किया जाना–किसी नगरपालिका क्षेत्र में नामावली के तैयार किये जाने और पुनरीक्षण के संबंध में उपगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निदेशित के सिवाय, नगरपालिका–पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दी गयी रीति से और उस सीमा तक भारित होंगे ओर उसे वसूलीय होंगे।

4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता–निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आयोग द्वारा इस निमित्त किये गये किसी निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, बोर्ड के लिए निर्वाचक नामावली के तैयार किये जाने और पुनरीक्षण के लिए ऐसे व्यक्तियों को जैसा वह उचित समझे, सेवायोजित कर सकता है।

5. नामावली का स्वरूप और भाषा–किसी वार्ड में नामावली हिन्दी में देवनागरी लिपि में उस प्रपत्र में जिसमें नामावली विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र के लिए 1950 के अधिनियम के अधीन तैयार की जाती है, तैयार की जायेगी।

6. नामावली का तैयार किया जाना–(1) आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, प्रत्येक बोर्ड के लिए प्रथम नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, 1950 के अधिनियम के अधीन उक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली को, जहां तक उसका संबंध उक्त बोर्ड के क्षेत्र से हो, अंगीकार करते हुए तैयार की जायेगी–

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे बोर्ड के लिए नामावली में ऐसे वार्ड के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन करने के लिए अन्तिम दिनांक के पश्चात् और ऐसे निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व कोई परिवर्तन, संशोधन या शुद्धि सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर अपनी मुहर लगायेगा।

7. नामावली का प्रारूप में प्रकाशन–(1) किसी वार्ड के लिए नामावली के तैयार हो जाने पर, यथाशीघ्र, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसकी एक प्रति प्रारूप में नगरपालिका के कार्यालय पर चिपका कर और उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराकर प्रकाशित करेगा।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वार्ड के क्षेत्र में पर्याप्त परिचालन वाले किसी हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करके इस तथ्य को अधिसूचित करेगा कि वार्ड के लिए नामावली प्रकाशित कर दी गयी है और उसकी प्रति का निःशुल्क निरीक्षण कार्यालय समय के दौरान नगरपालिका कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उप–नियम (2) में निर्दिष्ट नामावली की प्रति निःशुल्क निरीक्षण के लिए कार्यालय समय के दौरान प्रकाशन के दिनांक से सात दिन की अवधि तक उपलब्ध रहेगी–

नामावली का पुनरीक्षण

8. किसी वार्ड की नामावली में नामों को सम्मिलित किये जाने के दावे–कोई व्यक्ति

(क) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचन की नामावली में सम्मिलित हो किन्तु वार्ड की नामावली में सम्मिलित न किया गया हो, या

(ख) जिसका नाम गलती से किसी अन्य वार्ड की नामावली में सम्मिलित कर दिया गया हो, या

(ग) जिसका नाम वार्ड क्षेत्र से संबंधित विधानसभा क्षेत्र की नामावली में या वार्ड की नामावली में सम्मिलित न हो किन्तु जो वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अन्यथा अर्ह हो, या

(घ) जिसका नाम किसी अनर्हता के कारण वार्ड की नामावली से काट दिया गया हो, किन्तु जो यह दावा करें कि उसकी अनर्हता को अब दूर कर दिया गया है, अपना नाम वार्ड की नामावली में सम्मिलित कराने के लिए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन दे सकता हैः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि आवेदन पर नियम–7 के उप–नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशन होने की दिनांक से सात दिन के पश्चात् मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अन्यथा निर्देशित के सिवाय, विचार नहीं किया जायेगा–

किन्तु अग्रेसर प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड के लिए सदस्य के निर्वाचन की अपेक्षा करने की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् इस नियम के अधीन किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

9. वार्ड की नामावली में प्रविष्टियों पर आपत्तियां–कोई व्यक्ति जिसका नाम किसी वार्ड की नामावली में अंकित है, और–

(क) जो ऐसी प्रविष्टि के संबंध में किसी ब्यौरे पर आपत्ति करना चाहता हो ओर उसकी शुद्धि चाहता हो, या

(ख) जो वार्ड की नामावली में किसी अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने पर इस आधार पर आपत्ति करें कि वार्ड से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में उस व्यक्ति का नाम सम्मिलित नहीं है या

(ग) जो वार्ड की नामावली मतें किसी नाम को रखने पर इस आधार पर आपत्ति करें कि प्रश्नगत व्यक्ति की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिनियम की धारा 12–घ के अधीन अनर्ह हो गया है,

नियम 7 के उप नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशित होने के दिनांक से सात दिन के भीतर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, यथास्थिति, प्रविष्टि के ब्यौरे की शुद्धि के लिए या नाम को हटा देने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है–

प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड के लिए सदस्य के निर्वाचन जो अपेक्षा करने की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. दावों और आपत्तियों के सम्बन्ध में ब्यौरे–(1) नियम–8 के अधीन प्रत्येक दावा या आवेदन प्रपत्र 1–क में प्रस्तुत किया जायेगा जिसे यथास्थिति, दावेदार या आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और ऐसे एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा जिसका नाम पहले से ही वार्ड की नामावली के उस भाग में सम्मिलित हो जिसमें दावेदार अपना नाम सम्मिलित कराने का इच्छुक है और उसे निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या ऐसे व्यक्ति को जिसे निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस निमित्त पदामिहित करें, प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) उक्त दावें में जहां आवश्यक हो, अर्हताओं सहित वे आधार, जिन पर नाम को सम्मिलित किये जाने की मांग की गई है, दिए जायेंगे।

(3) नियम 9 के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक आपत्ति प्रपत्र 1–ख में की जायेगी और उसे उप–नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित किया जायेगा। नियम 9 के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन प्रत्येक आपत्ति यथास्थिति आकार पत्र 1–ग या 1–घ में की जायेगी और उसे उप–नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित, प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

प्रपत्र 1–ग या 1–घ में आपत्ति दो प्रतियों में की जायेगी, जिसकी एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी जिसके विरूद्ध आपत्ति की जाये।

(4) आपत्ति में उस व्यक्ति में जिसका नाम सम्मिलित किए जाने का उससे संबंध है या ब्यौरों को, जिसकी शुद्धि चाही गई है, नामावली में दर्ज सभी ब्यौरे और उन आधारों को, जिस पर आपत्ति की गई है, उल्लिखित किया जायेगा।

11. पदामिहित अधिकारी द्वारा प्रक्रिया–नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन पदामिहित प्रत्येक अधिकारी नियम 8 और 9 में निर्दिष्ट पत्रों की एक सूची रखेगा और आवेदन पत्रों को ऐसी अभ्युक्तियों के साथ, यदि कोई हो, जैसी वह उचित समझे, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अग्रसारित कर देगा।

12. कतिपय दावों और आपत्तियों का निरस्त किया जाना–नियम 8 या 9 के अधीन कोई आवेदन पत्र जो इस नियमावली में विहित समय के भीतर या प्रारूप पर या रीति में न दिया गया हो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

13. नोटिस और उसकी तामीली–(1) उन मामलों के सिवाय जिनमें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावे या आपत्ति को ग्राहृाता से प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो, प्रत्येक व्यक्ति जिसके दावे आपतित प्राप्त की गयी हो, अथवा दावे या आपत्ति प्रस्तुत करने वाले उसके अभिकर्ता और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर जिनका नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में आपत्ति की गयी है, आकार पत्र 1 में एक नोटिस तामील की जायेगी, जिसमें स्थान व समय विनिर्दिष्ट अभिकर्ता को ऐसे साक्ष्य के साथ, यदि कोई हो, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है, उपस्थित होने का निदेश दिया जायेगा।

(2) उस व्यक्ति को, जिसका नाम सम्मिलित करने के संबंध में आपत्ति की गयी है, नोटिस के साथ आपत्ति की एक प्रति दी जायेगी।

(3) उप नियम (1) के अधीन नोटिस, यदि संभव हो व्यक्तिगत रूप में तामील की जायेगी और व्यक्तिगत रूप से तामील न होने पर वार्ड के भीतर संबंधित व्यक्ति के निवास या अन्तिम निवास स्थान पर चस्पा करके तामील की जायेगी।

(4) व्यक्तिगत या अन्यथा तामील का प्रमाण पत्र, ऐसी तामील के तथ्य का निश्चायक प्रमाण समझा जायेगा।

14. दावों और आपत्तियों की जांच–(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रस्तुत किये गये प्रत्येक दावे या आपत्ति की; जिसके संबंध में नोटिस दिया गया हो, संक्षिप्त जांच करेगा और उस पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा और विनिश्चय के अनुसार नामावली में कोई वृद्धि शुद्धि या लोप का आदेश देगा और ऐसी वृद्धि, शुद्धि या लोप तद्नुसार की जायेगीं–

प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड में, निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन किये जाने के अंतिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन की समाप्ति के पूर्व किसी प्रकार की ऐसी वृद्धि, शुद्धि या लोप नहीं की जायेगी।

(2) सुनवाई में उस व्यक्ति को जिसकी ऐसा नोटिस जारी किया गया हो और किसी अन्य व्यक्ति को जोक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की राय मे उसके लिए सहायक हो सकता है उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने विवेक में,–

(क) किसी व्यक्ति से जिसको नोटिस दिया गया हो, अपने समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा शपथ पर साक्ष्य देने और इस प्रयोजन के लिए शपथ दिलाने की अपेक्षा कर सकता है।

टिप्पणी–जांच के प्रयोजन के लिए निम्न 7 के अधीन प्रकाशित नामवली को शुद्ध माना जायेगा।

(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र–2 में दावों और आपत्तियों की एक सूची रखी जायेगी।

15. वार्ड में नामावली का अन्तिम प्रकाशन–(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तद्पश्चात् नियम 14 के अधीन अपने विनिश्चियों को कार्यान्वित करने के लिए संशोधनों की एक सूची तैयार करेगा और नामावली को संशोधनों की सूची के साथ उसकी प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाकर प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसे प्रकाशन पर, संशोधनों को सूची के साथ गठित नामावली, वार्ड की निर्वाचक नामावली होगी।

16. त्रुटियों की शुद्धि–आयोग के किसी निदेश के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी भी समय नामावली में किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटि को शुद्ध करने और दोहरी प्रविष्टियों को निकालने का आदेश दे सकता है और तद्नुसार ऐसी शुद्धि या निकालने की कार्यवाही की जायेगी।

17. संशोधनों आदि को किस प्रकार किया जायेगा–(1) अधिनियम की धारा 12–च के अधीन किसी वार्ड की नामावली में शुद्धि उस रीति से की जायेगी जिस रीति से 1950 के अधिनियम के अधीन निर्वाचक नामावलियों में की जाती है।

(2) मतदान के लिए अनर्ह व्यक्तियों के नामों को काटा जाना और अधिनियम की धारा 12–घ के अधीन ऐसी अनर्हता के हटाये जाने के पश्चात् ऐसे नामों का पुनः स्थापन यथासंभव उस रीति से किया जायेगा जैसी 1950 के अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन नामों को काटने और पुनः स्थापन के लिए विहित की जायें।

(3) नियम 14 और नियम 16 के उप–नियम (2) के अधीन आदेशित संशोधनों को, इस निमित्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के किसी सामान्य निदेश के अधीन रहते हुए, वार्ड की नामावली और संशोधनों की सूची, यदि कोई हो, जो व्यक्ति नामावली का भाग हो में, किया जायेगा।

(4) जहां नियम 8 के खंड (ख) के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह उस व्यक्ति का नाम उस वार्ड की नामावली से तत्काल हटा देगा या हटवा देगा।

18. वार्डो के पुनः परिसीमन पर नामावली की तैयारी के लिए विशेष उपबन्ध—(1) यदि विधि के अनुसार किसी वार्ड का नवीन परिसीमन किया जाय और यदि ऐसे वार्ड को नामावली की शीघ्र तैयारी आवश्यक हो तो, मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह निदेश दे सकता है कि उसे निम्नलिखित प्रकार से तैयार किया जायेगा—

(क) ऐसे वर्तमान वार्डो या उनके भागों जैसे नये वार्ड के क्षेत्र के भीतर सम्मिलित हो, की नामावली को साथ—साथ रखकर, और

(ख) इस प्रकार पूरी की गयी नामावली की व्यवस्था क्रम संख्या और शीर्षकों में समुचित परिवर्तन करके।

(2) इस प्रकार तैयार की गयी नयी नामवली के नियम 7 में विनिर्दिष्ट रीति से प्रकाशित किया जायेगा और नये प्रकाशन पर वह नये बोर्ड की नामावली होगी।

19. अधिनियम की नामावली का पुनरीक्षण—(1) अधिनियम की धारा 12—छ के अधीन किसी वार्ड के लिए नामावली का पुनरीक्षण या तो गहन रूप से या संक्षिपत रूप से या अंशतः नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते है।

(2) जहां किसी वर्ष में ऐसी नामावली गहन रूप से पुनरीक्षित की जानी हो, वहां नये सिरे से तैयार की जायेगी और नियम 3 से 16 लागू होंगे जैसे कि ये वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते है।

(3) जहां किसी वर्ष में, ऐसी नामावली संक्षिप्त रूप से तैयार की जानी हो वहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी सूचना के आधार पर, जैसी सुगमता से उपलब्ध हो नामावली के सुसंगत भाग के लिए संशोधनों की एक सूची तैयार करवायेगा और नामावली को संशोधनों की सूची के साथ प्रारूप में छपवायेगा और नियम 6 से 16 के उपबन्ध ऐसे पुनरीसक्षण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते है।

(4) जब अधिनियम (2) के अधीन पुनरीक्षित नामावली के प्रारूप में या विनियम (3) के अधीन नामावली और संशोधनों की सूची के प्रकाशन और उपमुक्त उपनियम (2) या (3) के साथ पठित नियम 15 के अधीन उनके अन्तिम प्रकाशन के बीच किसी समय अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी वार्उ की नामावली में किन्हीं नामों को सम्मिलित किये जाने का आदेश दिया जाय, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जब तक उसकी राय में ऐसे नामों को सम्मिलित किये जाने में कोई विधिमान्य आपत्ति न हो वार्ड की पुनरीक्षित नामावली के नामों को सम्मिलि करवायेगा।

20. आदेशों के विरूद्ध अपील—(1) नियम 13, 14 या 19 के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरूद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट की प्रस्तुत की जायेगी—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां अपील करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति ने अपने उन मामलों पर जो अपील की विषयवस्तु, है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसकी अभ्यावेदन करने के अपने अधिकार का प्रयोग न किया हो व हां अपील नहीं की जायेगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक गठित—

(क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मेमोरेण्डल के प्रारूप में होगी;

(ख) विनिश्चय के दिनांक के सात दिन के भीतर अपील अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी;

(ग) आदेश की प्रति जिसके विरूद्ध अपील की जाय, और पांच रूपये शुल्क के साथ, जा—

(i) नान जुडीसियल स्टैम्प द्वारा, या

(ii) राजकीय कोषागार में जमा करके ऐसी जमा की रसीद के संलग्न करके, या

(iii) ऐसी अन्य रीति में जैसी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निदेशित किया जाये प्रस्तुत की जायेगी।

(3) इस नियम के अधीन केवल अपील का प्रस्तुत किया जाना नियम 15 दो के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कृत्यों को रोकने या स्थगित करने का प्रभाव नहीं होगा।

(4) अपील अधिकारी का प्रत्येक निश्चिय अन्तिम होगा, किन्तु जहां तक वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चयत को उलटता हो या उपान्तरित करता हो, वह अपील में विनिश्चय के दिनांक से प्रभावी होगा।

(5) पूर्वगामी उपनियमों के अधीन रहते हुए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली में ऐसे संशोधन करवायेगा जैसे कि इस नियम के अधीन अपील अधिकारी के विनिश्चय को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो।

प्रकीर्ण

21. नामावलियों की अवधि–नियम–6 के उपबन्धों के अधीन तैयार की गयी किसी वार्ड की नामावली नियम 7 के अधीन उसके प्रकाशित होने पर और नियम 14, 16 और 18 के अधीन उसमें किये गये संशोधनों, पुनरीक्षणों आदि के अधीन रहते हुए तुरन्त प्रवृत्त होगी और तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक वार्ड के लिए तत्पश्चात् तैयार की गयी नामावली प्रवृत्त न हो जाये।

22. नामावली आदि की अभिरक्षा और परीक्षण–(1) नियम–8 के अधीन किये गये सभी दावे और नियम–9 के अधीन की गयी सभी आपत्तियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन पर अभिलिखित स्थान जैसा मुख्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान, जैसा मुमख्य निर्वाचक अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, वार्ड के अगले पुनरीक्षण तक या नई तैयार की गयी नामावली के प्रवृत्त होने तक जो भी पहले हो रखा जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड की नामावली के अतिरिक्त उकसी प्रतियां उतनी संख्या में जिनती मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में और नगरपालिका कार्यालय में रखी जोयगी। इन प्रतियों को मूल नामावली में किये गये संशोधनों के अनुसार समय–समय पर संशोधित किया जायेगा।

(3) उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतियों को जमा करने के पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधि–प्रमाणित किया जायेगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति को उप–नियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन पत्रों का निरीक्षण करने और उसकी प्रमाणित प्रतियां, ऐसी फीस का भुगतान करने पर प्राप्त करने का अधिकारी होगा जैसी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

(5) प्रत्येक वार्ड की निर्वाचक नामावली की मुद्रित प्रतियां वार्ड की अगली नियमावली के प्रकाशन तक जनता को विक्रय के लिए ऐसे मूल्य पर जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) किसी वार्ड की नामावली के प्रकाशन पर नयी नामावली के प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त नामावली को उतने वर्ष के लिए जैसा कि मुख्य निर्वाचक अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, संबंधित नगरपालिका के अभिलेखों में जमा रखा जायेगा।

आकार पत्र–1
(नियम 13 देखिये)
नोटिस

सेवा में,

....

....

....

दावेदार/दावेदार का अभिकर्ता
आपत्तिकर्ता/आपत्तिकर्ता का अभिकर्ता
विरोधी पक्षकार

नोटिस दी जाती है कि नगरपालिका .... के वार्ड .... नामावली के सम्बन्ध, में आपके द्वारा आपके नाम को सम्मिलित किये जाने के लिए प्रस्तुत दावे/आपत्ति की सुनवाई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समय दिनांक .... को .... स्थान .... (समय) पर होगी , आपको निर्देश दिया जाता है कि आप सुनवाई के समय ऐसे साक्ष्य के साथ जिसे आप प्रस्तुत कराना चाहें, उपस्थित हो,

''निर्वाचक नामावली में आपका नाम सम्मिलित किये जाने पर जो आपत्ति की गई है उसकी एक प्रति साथ में भेजी जाती है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

को नोटिस मिली। जिस व्यक्ति पर नोटिस तामील की जायेगी उसके हस्ताक्षर

* आपत्ति की प्रति प्राप्त हुई।

** यदि नोटिस दावेदर या आपत्तिकर्ता या इनमें से किसी के अभिकर्ता को तामील की जाये, तो उसे काट दिया जाये।

तमील करने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट ....

आकार पत्र 1–क
(नियम 8 और 10 देखिये)
नाम सम्मिलित किये जाने के लिए दावा/आवेदन पत्र

सेवा में,
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
.... वार्ड

महोदय,

मै, प्रार्थना करता हूँ कि मेरा नाम उपर्युक्त वार्ड के भाग संख्या .... से संबंधित निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाये।

मेरा नाम (पूरा) ....
मेरे पिता/माता/पति का नाम ....
मेरे निवास स्थान का ब्यौरा निम्नलिखित ....
मकान संख्या ....
मार्ग/मुहल्ला ....
वार्ड ....
नगर ....

मैं एतद्द्वारा अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ कि ....

(एक) मैं भारत का नागरिक हूँ ....

(दो) मेरी आयु गत पहली जनवरी को .... वर्ष और .... मास थी,
(तीन) मैं ऊपर दिये गये पते पर मामूली तौर से निवासी हूँ ....
(चार) मैने किसी अन्य वार्ड की नामावली में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन नहीं किया है,
(पांच) मेरा नाम इस या किसी अन्य वार्ड की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है।

या

मेरा नाम .... वार्ड की निर्वाचक नामावली में नीचे उल्लिखित पते के अधीन सम्मिलित किया गया होगा और यदि ऐसा है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसयको उक्त निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाये।

स्थान ....

दिनांक ....

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

मैं निर्वाचक नामावली के उस भाग में सम्मिलित एक निर्वाचक हूँ जिससे दावेदार ने अपना नाम सम्मिलित कियसे जाने के लिए आवेदन किया है अर्थात् .... से संबंधित भाग संख्या .... जिसमें मेरी क्रम संख्या .... है। मैं इस दावे का समर्थन करता हूँ और उस पर प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ

निर्वाचक के हस्ताक्षर

(पूरा नाम) ....

आकार पत्र 1–ख
(नियम 9 और 10 देखिये)
किसी प्रविष्टि में दिये गये ब्यौरे पर आपत्ति

सेवा में,
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
.... वार्ड

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे संबंधित प्रविष्टि जो वार्ड संख्या .... की नामावली के भाग .... में क्रम संख्या .... पर ''.........................'' इस रूप में है, शुद्ध नहीं है। इससे शुद्ध किया जाय जिससे ब्यौरे निम्न प्रकार पढ़े जाए।

....

....

स्थान...................................... निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

दिनांक ....

आकार पत्र 1–ग
(नियम 9 और 10 देखिये)
नाम सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति

सेवा में,
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
.... वार्ड

महोदय,
वार्ड संख्या .... की नामावली के भाग .... के क्रम संख्या .... पर .... के नाम को सम्मिलित किये जाने पर मैं निम्नलिखित कारण/कारणों से आपत्ति करता हूँ :–
''..
....''
मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।
पूरा नाम ....
पिता/पति/माता का नाम ....
क्रम–संख्या ....
भाग संख्या ....

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

डाक का पता

दिनांक 19

....
मैं वार्ड संख्या .... की नामावली के उसी भाग में सम्मिलित एक निर्वाचक हूँ जिसमें आपत्तिजनक नाम विद्यमान है वह नाम है
अर्थात् .... से सम्बन्धित...
भाग संख्या .... जिनमें मेरी क्रम संख्या ....
है। मैं आपत्ति का समर्थन करता हूँ और इस प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर...........................

पूरा नाम ....

आकार पत्र 1–घ
(नियम 9 और 10 देखिये)
नाम के रखने पर आपत्ति

सेवा में,
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
.... वार्ड
महोदय,
वार्ड संख्या .... की नामावली के भाग .... में क्रम संख्या .... पर .... के नाम का रखने पर मैं इस आधार पर आपत्ति करता हूँ कि वह अधिनियम की धारा 12–घ के अधीन उस वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निम्नलिखित कारण/कारणों से अनर्ह हो गया है–
''...
....''

स्थान.................................. आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
दिनांक .... डाक का पूरा पता ....

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास के अनुसार, उस वार्ड के लिए नामावली में मेरा नाम निम्न प्रकार से सम्मिलित किया गया है–
पूरा नाम ....
पिता/पति/माता का नाम ....
क्रम–संख्या ....
भाग संख्या ....

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

डाक का पता

दिनांक 19
मैं घोषणा करता हूँ कि मैं वार्ड संख्या .... की नामावली के भाग संख्या .... में क्रम संख्या .... पर मैं नामांकित किया गया एक निर्वाचक हूँ। मैं इस आपत्ति का समर्थन करता हूँ और उस पर प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर..........................
(पूरा नाम) ....

आकार पत्र–2
(नियम 14 (4) देखिये)
दावों और आपत्तियों की सूची के प्रपत्र

नगरपालिका ....
वार्ड ....

दावों और आपत्तियों की सूची

दावा/आपत्ति की क्रम संख्या	प्रस्तुत करने का दिनांक	दावेदार/आपत्तिकर्ता का नाम	विनिश्चय का दिनांक	परिणाम
1	2	3	4	5

संलग्नक–4

एकल अन्तरणीय मतदान द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया सम्बन्धी नियम

(Regulations Regarding the Method of Election by Single Transferable Vote)

1. इन विनियमों में–

(क) 'सतत् अभ्यर्थी' से किसी दी गयी अवधि में निर्वाचन द्वारा न निर्वाचित या न विवर्जित अभ्यर्थी अभिप्रेत है।

(ख) 'रिक्त पत्र' से मत पत्र जिस पर किसी सतत् अभ्यर्थी के लिए कोई अग्रेत्तर वरीयता अभिलिखित नहीं है, अभिप्रेत है परन्तु ऐसा कोई पत्र भी रिक्त पत्र समझा जायेगा, यदि उस पर–

(i) दो या अधिक अभ्यर्थियों, चाहे वे सतत् हो या न हो, का नाम एक ही अंक द्वारा अंकित है और वरीयता क्रम में ठीक नीचे है, या

(ii) वरीयता क्रम में ठीक नीचे क्रम के अभ्यर्थी, चाहे सतत् हों या न हो, का नाम –

(क) मत पत्र पर किसी अन्य अंक के ठीक पश्चात्वर्ती क्रम में न आने वाले अंक द्वारा अंकित है या

(ख) दो या अधिक अंकों द्वारा अंकित है।

(ग) 'प्रथम वरीयता' से वह अभ्यर्थी जिसे नाम के आगे 1 अंक, 'द्वितीय वरीयता' से वह अभ्यर्थी जिसके नाम के आगे 2 अंक, 'तृतीय वरीयता' से वह अभ्यर्थी जिसके नाम के आगे 3 अंक और आगे भी इसी प्रकार अंक मत पत्र पर अंकित है, अभिप्रेत है।

(घ) किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में 'मूल मत' वे वह मत पत्र अभिप्रेत है जो मत पत्र पर ऐसे अभ्यर्थी के लिए प्रथम वरीयता के रूप में अंकित है।

(ङ) 'कोटा' से किसी अभ्यर्थी के लिए मूल और अन्तरिम मतदों के मूल्य की वह संख्या जो कोटा से अधिक है, अभिप्रेत है।

(च) 'सचिव' से सभा का सचिव अभिप्रेत है।

(छ) 'अधिशेष' से किसी अभ्यर्थी के लिए मूल और अन्तरित मतदों के मूल्य की वह संख्या जो कोटा से अधिक है, अभिप्रेत है।

(ज) किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में 'अन्तरित मत' से वह मत जो मत पत्र पर द्वितीय या अनुवर्ती वरीयता क्रम में ऐसे अभ्यर्थी के लिए अंकित है और जिसका मूल्य या मूल्य का भाग ऐसे अभ्यर्थी को प्रदत्त किया जाता है, अभिप्रेत है।

(झ) 'अरिक्त पत्र' से वह मत पत्र जिस पर किसी सतत् अभ्यर्थी के लिए अग्रेत्तर वरीयता अंकित है अभिप्रेत है।

2. (1) नगरपालिका का अध्यक्ष निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों का नामाकंन प्राप्त करने हेतु तिथि एवं समय निर्धारित करेगा और सचिव नगरपालिका के सदस्यों को इस प्रकार निर्धारित तिथि एवं अवधि से संसूचित करेगा,

परन्तु जब नगरपालिका सत्र में हो और इसके अधिवेशन के प्रारम्भ होने के तीन दिन पूर्व उत्तर प्रदेश विधान परिषद् नियमावली के नियम 25 के अधीन नगरपालिका भवन में, नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित् स्थान पर नोटिस चिपका दी गयी हो, तो यह समझा जायेगा कि ऐसी संसूचना दी जा चुकी है।

(2) नामांकन पत्र जो लिखित रूप में सचिव, नामांकन पत्र को सम्बोधित होगा, सचिव को सौंप दिया जायेगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा उसे प्रेषित कर दिया जायेगा। नामाकंन पत्र जो सचिव द्वारा उन्हें प्राप्त करने के लिए निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त किया जाता है, अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(3) हर नामाकंन पत्र सभा के दो सदस्यों द्वारा, प्रस्तावक और अनुसमर्थक के रूप में, हस्ताक्षरित किया जायेगा और या तो नामांकन के लिए सहमति प्रदान करने वाले अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित होगा या लिखित रूप में उसकी सहमति को संलग्नित करेगा, किन्तु कोई

अभ्यर्थी ऐसे नामांकन पत्र पर जिस पर उसका स्वयं का नाम उल्लिखित है, प्रस्तावक या अनुसमर्थक के रूप में हस्ताक्षर नहीं करेगा, न तो सदस्य रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों की संख्या के प्रस्तावित या अनुसमर्थित करेगा।

(4) सचिव नामाकंन पत्रों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित अवधि के ठीक पश्चात् ऐसे सदस्यों की उपस्थिति में जो उपस्थित हो सके, नामांकन पत्रों की जांच करेगा और उन सभी नामांकनों को जो सम्यक् रूप से नहीं किये गये है, अस्वीकृत कर देगा। यदि किसी नामाकंन की वैधता के बारें में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो वह प्रश्न स्पीकर को विनिर्दिष्ट कर दिया जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

3. नामांकन पत्रों की जांच करने के पश्चात् यथाशीघ्र सचिव अध्यक्ष को उन अभ्यर्थियों का नाम प्रदर्शित करते हुए जिनका नामाकंन सम्यक् रूप से किया गया है, विवरण प्रस्तुत करेगा। कोई नाम निर्दिष्ट व्यक्ति निर्वाचन से अपना नाम, सचिव को इस आशय से लिखे गये पत्र द्वारा, वापस ले सकेगा। ऐसी वापसी के लिए पत्र निर्वाचक के लिए निर्धारित तिथि से पूर्ववर्ती तिथि को दोपहर 12 बजे तक सचिव को प्रापत हो जाना चाहिए, ऐसे पूर्ववर्ती तिथि को सार्वजनिक अवकाश ही क्यों न हों।

4. यदि अभ्यर्थियों की संख्या जिनका नामांकन सम्यक् रूप से किया गया है, में से नाम वापस लेने वाले व्यक्तियों, यदि कोई हो, की संख्या घटाने के पश्चात् विनियम, 5 के अधीन, भरी जाने वाली रिक्तियों से कम हो, तो स्पीकर विनियम 2 में विहित रीति से अग्रेत्तर नामांकन मंगवायेगा।

5. यदि मूल तिथि पर या ऐसी अग्रेत्तर तिथि (यदि कोई हो) जो निर्धारित की जाये, पर प्राप्त नामाकंनों की संख्या उसमें से विनियम 3 के अधीन वापस लिये गये नामांकनों, यदि कोई हो, घटाने के पश्चात्, भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या के बराबर रहती है, तो स्पीकर ऐसे नामांकित अभ्यर्थियों को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोशित करेगा।

6. यदि उक्त प्रकार से सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की संख्या, उसमें से विनियम 3 के अधीन नाम वापस लेने वाले व्यक्तियों, यदि कोई हो, की संख्या घटाने के पश्चात भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या में अधिक रहती हे, तो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि और स्थान पर नियम समय पर निर्वाचन होगा और यदि नगरपालिका सत्र में नहीं है, तो सचिव लिखित रूप में सदसयों को अधिसूचित करेगा या यदि नगरपालिका सत्र में है, तो अध्यक्ष नगरपालिका के अधिवेशन में इसकी घोषणा करेगा। निर्वाचन की दशा में सदस्यों को विनियम 2(1) में उपबन्धित रीति से सभी सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों के नामों के बारें में सूचित किया जायेगा।

7. हर सदसय व्यक्तिगत रूप से मतदान करेगा और परोक्ष रूप में कोई मतदान अनुमेय नहीं होगा।

8. सचिव रिटनिंग आफसिर के रूप मतें कार्य करेगा और इस विनियमों के अधीन रहते हुए निर्वाचन सम्पन्न करने हेतु सभी आवश्यक कार्य करेगा।

9. रिटनिंग आफिसर सम्यक् रूप से निर्वाचित सदस्यों के नाम को निर्दिष्ट करते हुए स्पीकर को विवरण देगा और स्पीकर ऐसे सदस्योंक के नामों से सभा को संसूचित करेगा।

10. सचिव, नामाकंन पत्रों और मतपत्रों को एक वर्ष के लिए मुहरबन्द पैकेट में रखेगा।

11. मतदार वोट डाल कर किया जायेगा। हर मत पत्र में निर्वाचन के लिए सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट सभी अभ्यर्थियों का नाम वर्गक्रमानुसार अन्तर्विष्ट होगा जो इन विनियमतों में संलग्न आकार पत्र में मुद्रित होगा।

12. रिटनिंग आफिसर सभा के सदस्य की एक सूची रखेगा और प्रत्येक सदस्य को सूची में क्रमशः अंकित करेगा।

13. जब कोई सदस्य मत देने हेतु उपस्थित हो, तो रिटनिंग आफिसर वि नियम 12 के अधीन रखी सूची में उसके नाम के सामने अंकित क्रमांक को प्रतिपत्र पर प्रवृष्टि करेगा। तत्पश्चात् वह मत पत्र को प्रतिपर्ण से फाड़ेकगा और सदस्य को प्रदान करेगा। उसी समय वह उक्त सूची में सदस्य के नाम के सामने एक चिन्ह अंकित करेगा। यह चिन्ह यह निर्दिष्ट करेगा कि सदस्य ने मत पत्र प्रापत किया, किन्तु यह निर्दिष्ट नहीं करेगा कि उसने कितनी संख्या में मत पत्र प्राप्त किया।

14. जब सदस्य मत पत्र प्राप्त कर लें, तो वह उसे इस प्रयोजन हेतु निर्धारित गुप्त स्थान पर ले जायेगा और वहां विनियम 16 में उपबन्धित रीति से उस सदस्य को चिन्हित करेगा जिसको वह मत देना चाहता है, तत्पश्चात् सदस्य मत पत्र को मोड़ेगा और रिटनिंग आफिसर के सामने रखी गयी मत पेटी में इसे डालेगा।

15. यदि कोई सदसय अनबन्धानतावश कोई मत पत्र खराब कर दे तो वह उसे रिटनिंग आफिसर को वापस कर सकेगा जो यदि ऐसी अनबन्धातावश से सन्तुष्ट हो जाये, उसे दूसरा मत पत्र प्रदान करेगा और खराब मत पत्र को अपने पास रख लेगा और इस खराब मत पत्र को तत्काल निरस्त करेगा और ऐसे निरस्तीकरण के बारें में प्रतिपर्ण पर अंकित करेगा।

16. हर सदस्य का केवल एक वोट होगा। मतदान करते समय किसी सदस्य द्वारा–

(क) मत पत्र में उस अभ्यर्थी के नपाम के आगे के वर्ग में एक अंक अंकित किया जाना चाहिए जिसे वह मतदान कर रहा हो,

(ख) इसके अलावा अपने मत पत्र में अन्य अभ्यर्थियों के नाम के आगे वर्ग में अपनी वरीयता क्रम के अनुसार 2 अंक या 2 या 3 अंक या 2, 3 और 4 अंक ओर आगे इसी प्रकार का अंक अंकित किया जा सकेगा।

17. कोई मत अवैध होगा–

(क) जिस पर कोई सदस्य अपना नाम या कोई शब्द लिखता है, या कोई ऐसा चिन्ह अंकित करता है, जिससे वह पहचानने योग्य हो जाता है; या

(ख) जो रिटनिंग आफिसर द्वारा प्रदत्त आकार पत्र पर नहीं है; या

(ग) जिस पर 1 अंक अंकित नहीं किया गया है; या

(घ) जिस पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के नामों से अधिक अभ्यर्थियों के नामों के सामने 1 अंक अंकित किया गया हो; या

(ङ) जिस पर अभ्यर्थी के नाम के आगे 1 अंक और कोई अन्य अंक अंकित किया गया हो; या

(च) जो अचिन्हित हो या अनिश्चितता पूर्ण हों।

18. रिटनिंग आफिसर इन विनियमों के अनुसरण में–

(क) सभी अंशों की अवहेलना कर देगा;

(ख) निर्वाचित या निर्वाचन से अपवर्जित अभ्यर्थियों के लिए अंकित सभी वरीयता को छोड़ देगा।

19. मतदान करने के लिए निर्धारित अवधि के पश्चात् यथाशीघ्र रिटनिंग आफिसर मत पत्रों की जांच करेगा और किसी अवैध पत्र को अस्वीकृत करने के पश्चात् शेष पत्रों को प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त प्रथम वरीयता के मतों को अलग–अलग भागों में रखेगा। तब वह प्रत्येक भाग के पत्रों की गणना करेगा।

20. इन विनियमों द्वारा विहित प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक मत पत्र एक सौ के मूल्य के बराबर समझा जायेगा।

21. रिटनिंग आफिसर तब सभी भागों के पत्रों के मूल्यों को एक साथ जोड़ेगा और कुल योग में भरी जाने वाली रिक्तियों से एक संख्या अधिक वाली संख्या से, भाग देगा और भागफल में एक जोड़ेगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या किसी अभ्यर्थी को वापसी सुरक्षित करने हेतु पर्याप्त संख्या होगी और 'कोटा' कही जायेगी।

22. यदि किसी समय इन विनियमों के अधीन कोटा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित होकने वाले व्यक्तियों के बराबर होती है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को निर्वाचित माना जायेगा और अग्रेत्तर कोई भी कार्यवाही नही की जायेगी।

23. (1) हर अभ्यर्थी जिसके भाग का मूल्य जो प्रमि वरीयता के आधार पर संगणित किया गया है कोटा के बराबर या अधिक है, तो वह निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

(2) यदि किसी ऐसे भाग में पत्रों का मूल्य कोटा के बराबर है, तो पत्रों को अन्तिम रूप में निस्तारित मानते हुए रख दिया जायेगा।

(3) यदि किसी ऐसे भाग में पत्रों का मूल्य कोटा से अधिक है, तो अधिशेष पत्रों को मतपत्रों में मतदाता वरीयता क्रम में ठीक नीचे निर्दिष्ट सतत् अभ्यर्थी को नीचे लिखित विनियमों में विहित रीति के अनुसार अन्तरित कर दिया जायेगा।

24. (1) यदि और जब कभी इन विनियमतों द्वारा विहित प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कोई अभ्यर्थी कोई अधिशेष रखता है, तो वह अधिशेष इस विनियम के उपबन्धों के अनुसार अन्तरित हो जायेगा।

(2) यदि एक से अधिक सदस्य अधिशेष रखते है, तो सबसे बड़ा अधिशेष ग्रहता मूल्य के क्रम में प्रथम और अन्य के साथ जोड़ दिया जायेगा, परन्तु प्रथम बार की गणना से प्राप्त हर अधिशेष द्वितीय बार की गणना से पूर्व जोड़ दिया जायेगा और इसी प्रकार आगे भी जोड़ा जायेगा।

(3) जहां दो या अधिक अधिशेष बराबर हो, रिटनिंग आफिसर विनियम 29 के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित करेगा कि अधिशेष को पहले जोड़ा जाये।

(4) (क) यदि किसी अभ्यर्थी का अन्तरित किया जाने वाला अधिशेष केवल मूल मतों से उत्पन्न होता है, तो रिटनिंग आफिसर उस अभ्यर्थी से सम्बन्धित भाग के सभी पत्रों की जांच करेगा और अरिक्त पत्रों को उसमें अंकित नीचे की वरीयता के अनुसार, उप–भागों में विभाजित करेगा। वह रिक्त पत्रों के लिए भी पृथक उप भाग बनायेगा।

(ख) वह प्रत्येक उप–भाग के पत्रों और सभी रिक्त पत्रों के मूल्य को सुनिश्चित करेगा।

(ग) यदि अरिक्त पत्रों का मूल्य अधिशेष से अधिक है, तो वह अरिक्त पत्रों के उपभागों को अन्तरित करेगा और मूल्य जिस पर प्रत्येक पत्र अन्तरित किया जायेगा, को अधिशेष में अरिक्त पत्रों की कुल संख्या से भाग देकर सुनिश्चित करेगा।

(5) यदि किसी अभ्यर्थी का अधिशेष मूल मतों और अन्तरित मतों से उत्पन्न हुआ हो, तो रिटनिंग आफिसर उस अभ्यर्थी को अन्त में अन्तरित किये गये उपभाग के सभी पत्रों की पुनः जांच करेगा और अरिक्त पत्रों को उन पर अंकित नीचे की वरीयता के अनुसार उप–भागों में अन्तरित करेगा। तदुपरान्त वह उपभागों के साथ उसी रीति से बर्ताव करेगा जो अन्तिम पूर्वगामी उप–भाग में निर्दिष्ट उपभागों के मामलों में उपबन्धित है।

(6) प्रत्येक अभ्यर्थी को अनतरित पत्रों को ऐसे अभ्यर्थी से सम्बन्धित पत्रों के उपभागों के साथ जोड़ दिया जायेगा।

(7) किसी निर्वाचित अभ्यर्थी के भाग या उपभागों के सभी पत्र जो इस विनियम के अधीन अन्तरित नहीं किये गये है। अन्तिम रूप से निस्तारित मानकर रख दिये जायेंगे।

25. (1) यदि एतद्पूर्व निर्देशित रीति से सभी अधिशेषों के अन्तरित किये जाने के पश्चात् अपेक्षित अभ्यर्थियों की संख्या से कम अभ्यर्थी निर्वाचित होते हैं, तो रिटनिंग आफिसर मतदान में निम्नतम अभ्यर्थी को मतदान से अपवर्जित कर देगा और उसके अरिक्त पद को उस सपर अंकित नीचे की वरीयता के अनुसार सतत् अभ्यर्थियों में विभाजित कर देगा। कोई रिक्त पत्र अन्तिम रूप से निस्तारित मानकर रख दिया जायेगा।

(2) किसी अपवर्जित अभ्यर्थी के मूल मतों को अन्तर्विष्ट करने वाले पत्रों को पहले अन्तरित किया जायेगा। प्रत्येक पत्र का अन्तरित मूल्य एक सौ होगा।

(3) तब किसी अपवर्जित अभ्यर्थी के अन्तरिम मतों को अन्तर्विष्ट करने वाले पत्रों को, उस अन्तरण के क्रम में और उस मूल्य पर जिसमें और जिस पर उसने उन्हें पव्रापत किया था, अन्तरित किया जायेगा।

(4) ऐसे अन्तरणों का प्रत्येक अधिशेष पृथक अन्तरण समझा जायेगा।

(5) इस विनियम द्वारा निर्देशित प्रक्रिया मतदान में निम्नतम अभ्यर्थियों के एक के बाद एक के उत्तरवर्ती अपवर्जन पर तब तक बार–बार लागू होगी जब तक कि अन्तिम रिक्ति या कोटा द्वारा निर्वाचन से एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से भर न जायें।

26. यदि इन विनियमों के अधीन पत्रों के अनतरण के फलस्वरूप किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों का मूल्य कोटा के बराबर या अधिक हो जाता है, तब अन्तरण प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी, और आगे किसी पत्र का अन्तरण उसे नहीं किया जायेगा।

27. (1) यदि विनियमों के अधीन किसी अन्तरण के पूर्व होने के पश्चात् किसी अभ्यर्थी के मतों का मूल्य कोटा के बराबर या अधिक हो जाये, तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

(2) यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी के मतों का मूल्य कोटो के बराबर होगा, तो ऐसे सभी पत्र जिन पर ऐसे मत अंकित किये गये हैं, अन्तिम रूप से निस्तारित रूप में रख दिये जायें।

(3) यदि ऐसे किसी अथ्यर्थी के मतों का मूल्य कोटा से अधिक हो जायें, तो उसके अधिशेष मतों का वितरण एतद्पूर्व उपबन्धित रीति से किसी अन्य अभ्यर्थी को अपवर्जित किये जाने से पूर्व किया जायेगा।

28. (1) जब सतत् अभ्यर्थियों की संख्या न भरी गयी शेष रिक्तियों की संख्या तक कम हो जाये तो सतत् अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

(2) जब केवल एक रिक्ति बिना भरे रह जाये और किसी एक सतत् अभ्यर्थी के मतों को मूल्य दूसरे सतत् अभ्यर्थी के सभी मतों के मूल्य, किसी अन्तरित न किये गये अधिशेष के साथ से अधिक हो, तो वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोशित कर दिया जायेगा।

(3) जब केवल एक रिक्ति बिना भरे रह जाये और केवल दो सतत् अभ्यर्थी हो, और उन दोनों के मतों का मूल्य बराबर हो और कोई अधिशेश अन्तरित होने योग्य न रह गया हो, तो अगले उत्तरवर्ती विनियम के अधीन एक अभ्यर्थी को अपवर्जित घोषित कर दिया जायेगा और दूसरे को निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

29. एक से अधिक अधिशेष तिरित करने के लिए बचें हो और यदि दो या दो से अधिक अधिशेष बराबर हो या यदि किसी समय किसी अभ्यर्थी को अपवर्जित करना आवश्यक हो जाये और दो या अधिक अभ्यर्थियों के मतों का मूल्य बराबर हो और मतदान में वे निम्नतम् हो, प्रत्येक अभ्यर्थी के मूल मतों को महत्व प्रदान किया जायेगा ओर अभ्यर्थी जिसे सबसे कम मूल मत प्राप्त हुए है यथास्थिति के अधिशेष को पहले वितरित किया जायेगा या को पहले अपवर्जित किया जायेगा। यदि उन मूल मतों का मूल्य बराबर हो तो रिटनिंग आफिसर लाट द्वारा यह निर्धारित करेगा कि किस अभ्यर्थी के अधिशेष का वितरण किया जायेगा या को अपवर्जित किया जायेगा।

30. नामाकंन या निर्वाचन दिये जाने की वैधता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति रिटनिंग आफिसर के समक्ष मतदान बन्द होने के 15 मिनट के भीतर की जायेगी। यदि कोई आपत्ति दाखिल नहीं की जोय या इसमें नियत अवधि के पश्चात् दाखिल की जाये, तो रिटनिंग आफिसर विनियम 9 के अनुसार कार्यवाही करेगा। यदि आपत्ति दाखिल की जाये, तो इसे रिटनिंग आफिसर द्वारा सुसंगत बिन्दुओं पर एक ज्ञापन और परिणाम के साथ अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तमुत किया जायेगा। अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

आकार पत्र–I
{देखें : विनियम 11}

प्रतिपर्ण संख्या	वरीयता क्रम	अभ्यर्थी का नाम

सदस्यों को अनुदेश

(क) प्रत्येक सदस्य का एक वोट और केवल एक वो है।

(ख)	सदस्य– (क) '1' अंक उस अभ्यर्थी के नाम के सामने अंकित जिसे वह सबसे अधिक चाहता है मतदान करेगा, उसे निम्नलिखित भी अंकित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है– (ख) अपने द्वितीय विकल्प वाले अभ्यर्थी के नाम के सामने '2' अंक
(ख)	अपने तृतीय विकल्प वाले अभ्यर्थी के नाम के सामने '3' अंक और इसी प्रकार आगे भी उतने अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में क्रमांकित कर सकेगा जितने को वह अपने वरीयता क्रम के अनुसार करना चाहे। वरीयता की संख्या रिक्तियों की संख्या तक ही सीमित नहीं है।

विशेश टिप्पणी–यदि '1' अंक एक से अधिक अभ्यर्थियों के नामों के आगे अंकित किया जाता है, तो मत बेकार हो जायेगा।

दृष्टांत स्वरूप निर्वाचन

विनियम 9–निम्नलिखित पूर्ववर्ती विनियमों के अनुसार एकल अन्तरणीय पद्धति पर निर्वाचन किये जाने का एक उदाहरण है–

मान लीजिए सात सदस्य निर्वाचित किये जाने है, सोलह अभ्यर्थी है, और 54 निर्वाचक है।

वैध मत पत्रों को प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अंकित प्रथम वरीयता के मतों के अनुसार पृथक भागों में व्यवस्थित किया जायेगा और प्रत्येक भाग के पत्रों की गणना की जायेगी।

यह मान लिया जाय कि परिणाम निम्नवत् है–

क –	–	–	–	–	2	
ख	–	–	–	–	–	9
ग –	–	–	–	–	3	
घ –	–	–	–	–	1	
ङ –	–	–	–	–	11	
च –	–	–	–	–	3	
छ –	–	–	–	–	5	
ज	–	–	–	–	–	2
झ –	–	–	–	–	4	
ञ –	–	–	–	–	3	
ट –	–	–	–	–	2	

ठ –	–	–	–	–	2	
ड –	–	–	–	–	2	
ढ –	–	–	–	–	2	
ण –	–	–	–	–	1	
त	–	–	–	–	–	–
कुल योग–	–	–	–	–	54	

विनियम 20–प्रत्येक वैध मत पत्र एक सौ मूल्य का माना जा रहा है और सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मतों की संख्या वह है जो परिणाम शीट के प्रथम स्तम्भ में प्रदर्शित की गयी है।

विनियम 21–सभी पत्रों के मूल्यों को एक साथ जोड़ा जाता है और योग 5400 में 8 (वह संख्या जो री जाने वाली रिक्तियों की संख्या से एक अधिक है) से विभाजित किया जाता है। 676 (भागफल 675 में क जोड़ने पर प्राप्त संख्या) वह संख्या है जो किसी सदस्य को वापसी सुरक्षित करने हेतु पर्याप्त है और कोटा दिलाती है। इस प्रक्रियसा को निम्नवत् प्रदर्शित किया जा सकेगा–कोटा = 5400/8+1 = 675+1 = 676

विनियम 23 (1)–अभ्यर्थी ख और ङ, जिनके मतों का मूल्य कोटा से अधिक है, को निर्वाचित घोषित किया जाता है।

विनियम 23 (3)–अधिशेष का अन्तरण–चूंकि ख और ङ के भागों के पत्रों का मूल्य कोटे से अधिक है, इसलिए प्रत्येक अभ्यर्थी का अधिशेष अन्तरित किया जाना चाहिए। ख का अधिशेष 224 (900–76) और ङ का अधिशेश 424 (1100–676) है।

विनियम 24 (2)–अधिकतम अधिशेष, जो कि ङ का है, पहले अन्तरित किया जायेगा।

विनियम 24(4)(क)–अधिशेष मूल मतों से उत्पन्न है, इसलिए ङ के सभी पत्रों को उन पर अंकित नीचे की वरीयता के अनुसार उपभागों में विभाजित किया जाता है और रिक्त पत्रों के एिल भी एक पृथक भाग बनाया जाता है। यह मान लिया जाये कि परिणाम निम्नवत् है–

पत्र

छ को प्राप्त वरीयता के आधार पर नीचे अंकित किया गया– 5

ज ,, ,,

3

ठ ,, ,,

2

अरिक्त पत्रों का कुल योग

10

रिक्त पत्रों की संख्या

1

पत्रों की कुल योग

11

विनियम 24 (4) (ख)–उपभागों में पत्रों का मूल्य निम्नवत् है–

छ – – –
500

ज – – –
300

ठ – – –
200

अरिक्त पत्रों का कुल योग
1000

रिक्त पत्रों की संख्या
100

कुल मूल्य
1100

विनियम 24 (4) (ख)–अरिक्त पत्रों का मूल्य 1000 है और अधिशेष से अधिक है। इसलिए अधिशेश को निम्नवत् अन्तरित किया जाता है–

सभी पत्रों को अन्तरित किया जाता है, किन्तु घटे मूल्य पर, जो अधिशेष में अरिक्त पत्रों की संख्या से भाग देकर सुनिश्चित किया जाता है।

सभी पत्रों के घटे मूल्य को, अंशों की उपेाा करने के फलस्वरूप समाप्त मूल्य के अतिरिक्त, जब एक साथ जोड़ा है तो यह अधिशेष के बराबर होता है। इस मामलें में प्रत्येक अन्तरित पत्र का नया मूल्य है–

424 (अधिशेष), मूल्य के अवशिष्ट 42, अरिक्त पत्रों की संख्या 10, ङ द्वारा अपना कोटा पूरा करने हेतु अपेक्षित मूल्य 65, उदाहरणार्थ–एक अरिक्त पत्र (मूल्य 100) + दस अरिक्त पत्रों का मूल्य (580)।

अन्तरित उपभागों का मूल्य है–

छ = 210 (42 मूल्य पर 5 पत्र)

ज = 126 (42 मूल्य पर 3 पत्र)

ठ = 84 (42 मूल्य पर 2 पत्र)

इस प्रक्रिया को अन्तरण पत्र पर निम्नवत् प्रदर्शित किया जा सकता है–

अन्तरण पत्र

–अन्तरित किये जाने अधिशेशों (ङके) का मूल्य – – 424

ङ के भाग में पत्रों की संख्या

11

भाग के प्रत्येक पत्र का मूल्य

700

अरिक्त पत्रों की संख्या

10

अरिक्त पत्रों का मूल्य

1000

प्रत्येक अन्तरित अधिशेष का नया मूल्य =

ङ के अन्तरित किये जाने वाले अधिशेषों का मूल्य/अरिक्त पत्रों की संख्या = 4224/10

42

प्राप्त वरीयता के आधार पर ठीक नीचे अंकित अभ्यर्थियों के नाम	अन्तरित किये जाने वाले पत्रों की संख्या	अन्तरित किये जाने वाले उप भागों का मूल्य
छ — — —	5	213
ज — — —	3	123
ठ — — —	2	84
कुल योग	10	420
रिक्त पदों की संख्या	1	—
अंशों को उपेक्षित करने के फलस्वरूप मूल्य में की	—	4
कुल योग	11	424

उपभागों के मूल्यों को अभ्यर्थियों छ ज एवं ठ को प्रदत्त भत्तों के मूल्यों में जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को परिणाम शीट पर प्रदर्शित किया जाता है।

विनियम 27 (1)—इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप छ का कुल योग कोटा से अधिक हो जाता है और उसे निर्वाधित घोषित किया जाता है।

विनियम 27 (2)—तब ठीक नीचे का सबसे बड़ा अधिशेष, जो कि, ख का 224 है, अन्तरित किया जाता है। प्रक्रिया ङ के अधिसंख्य के अन्तरण में उल्लिखित प्रक्रिया के समान ही होगी। मान लीजिए कोई रिक्त पत्र नही है। इसलिए ठीक नीचे का मूल्य 224/9 या 24 है। अधिशेष नीचे की वरीयता के अनुसार निम्नवत् वितरित किया जाता है—

(24) — — —

— 120

म = (4X24) — — — —

96

अंशो की उपेक्षा के कारण मूल्य में कमी 8

कुल योग 224

विनियम 24 (5)—ब छ का अधिशेष अ ब अन्तरित किया जाता है। केवल अन्तिम अन्तरित उपभोग की पुनः जांच की जा रही है। विस्तृत विवरण निम्नवत् है—

छ के अधिशेष का मूल्य — — —

34

उपभोग के पत्रों की संख्या — — — 5

उसमें के प्रत्येक पत्र का मूल्य — — — 42

अरिक्त पत्रों की संख्या — — —

5

रिक्त पत्रों का मूल्य — — — 210

अन्तरित किये गये प्रत्येक पत्र का — — 6

नवीन मूल्य — — —

35.5

वितरण का परिणाम, परिणाम शीट पर प्रदर्शित किया जाता है। 6 मूल्य प्रति मत के तीन पत्र क को और उसी मूल्य के दो पत्रों को ण को अन्तरित किया जाता है।

विनियम 25 (1)—यहां अग्रेत्तर कोई अधिशेष न होने के कारण मतदान में निम्नतम् अभ्यर्थी को अब अपवर्जित किया जाता है। घ और त दोनों का मूल्य 100 है।

विनियम 29—रिटनिंग आफिसर लाट डालता है और त को उपवर्जित करने के लिए चुना जाता है।

विनियम 25 (2)—एक समूह होने के कारण त के पत्र को 100 के मूल्य पर झ को अन्तरित किया जाता है जिसकी निर्वाचक द्वारा द्वितीय वरीयता पर अंकित किया गया है। अब 'घ' को निम्नतम होने के कारण इसके ठीक बाद अपवर्जित किया जाता है। उसके 100 को इसी प्रकार ट को अन्तरित किया जाता है।

विनियम 29—इसके अनुसार ङ और ढ प्रत्येक 200, निम्नवत् बचते है ओर ङ की लाट द्वारा पहले अपवर्जन हेतु चुना जाता है उसके पत्रों को क और ग में क्रमशः 100 मूल्य प्रति मत के आधार पर अन्तरित किया जाता है।

तब ढ को अपवर्जित किया जाता है और उसके पत्रों च और ड को अन्तरित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक 100 मूल्य प्राप्त करते है।

विनियम 25 (3) इसके अनुसार ण निम्नवत् बचता है और उसे अपवर्जित किया जाता है। उसके 212 में 2 मूल मत और 2 अन्तरित मत, प्रत्येक 6 मूल्य के है। क और ग एक मूल मतों के आधार पर वरीयता क्रम में ठीक नीचे है और प्रत्येक 100 प्राप्त करते है। ञ दोनों अन्तरित मतों के आधार पर ठीक नीचे के वरीयता क्रम में है और 12 मूल्य प्रापत करता है। अब ठ 284 के साथ निम्नतम है और अपवर्जित किया जाता है। उसके दो मत पत्र 100 मूल्य प्रति मत के आधार पर क और ज को अन्तरित किये जाते है। शेष 85 में दो मत, 42 प्रति मत का प्रतिनिधित्व करते है और ये इसी पद पर ग और छ को जाते है।

अब ञ 312 के साथ निम्नतम् है और इसलिए अपवर्जित किया जाता है उसके 3 मूल पत्रों को क, ग और झ को 100 मूल्य प्रति मत के आधार पर अन्तरित किया जाता है, पुराने 12, 6 के मूल्य पर 2 अन्तरित मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते है और ये च को जायेंगे जो प्रत्येक पत्र पर ठीक नीचे की वरीयता से है।

विनियम 27 (1)–क, ग और झ सब कोटे से अधिक है और निर्वाचित घोषित किये जाते है, और मात्र एक रिक्ति भरी जाने के लिए शेष बचती है।

विनियम 25 (1) एवं 25 (1)–विनियम 29, विनियम 24 (5)–अग्रेत्तर अपवर्जनों से एवं इन अभ्यर्थियों को वितरित कर लिया जाये। क और ग दोनों के अधिशेष 62 है, किन्तु क के मूल मत ग की अपेक्षा कम है, उसके अधिशेष पहले वितरित किये जायेंगे। क को अनतरित उप–भाग में एक पत्र या जो 100 के मूल्य पर अन्तरित किया गया था, जो अधिशेष को बढ़ाता है, और इस पत्र पर च ठीक नीचेक की वरीयता क्रम में था। सम्पूर्ण अधिशेश उसे अन्तरित किये जाते है। तब ग के अधिशेष को वितरित किया जाये और वही प्रक्रिया अपनायी जाये, तो सम्पूण्र अधिशेष ज को चली जाते है। तब झ के अधिशेषों को वितरित किया जाये जो ट को जाते है।

ट अब तीनों सतत् अभ्यर्थियों में निम्नतम् है और विनियम 28 (2) की शर्तें पूरी नहीं होती है अतः ट को अपवर्जित किया जाता है।

उसके 366 में 2 मूल मत 100 के मूल्य पर अन्तरित किया गया मत पत्र 42 के मूल्य पर अन्तरित पत्र और 24 के मतूल्य पर अन्तरित मत है। दो मूल मतों की पहले अनतरित किया जाता है और तब 100 के मूल्य पर अन्तरित पत्र को अन्तरित किया जाता है, क्योंकि यह अन्तरित पत्रों में प्रथम है।

विनियम 25 (2) और (3)–ज इन तीन पत्रों में ठीक नीचे की वरीयता क्रम मे था और इसलिए उसे 300 अन्तरित किया जाता है।

विनियम 25 (4) ओर 26–अब ज कोटे से अधिक हो जाता है, और निर्वाचन पूर्ण हो जाता है और त के अन्तरण को पूरा किया जाना आवश्यक है। पूर्ण विवरण शीट पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

परिणाम शीट

मतों का मूल्य = 5400

अभ्यर्थियों के नाम	प्रथम गणना पर मतों का मूल्य	ङ के अधिसंख्यों का वितरण	परिणाम	ख के अधिसंख्यों का वितरण	परिणाम	ज के अधिसंख्यों का वितरण	परिणाम	ट और ध के अधिसंख्यों का वितरण	परिणाम	ढ और ण के अधिसंख्यों का वितरण
क	200	—	200	120	320	18	338	—	338	100
ख	900	—	900	224	676	—	676	—	676	—
ग	300	—	300	96	396	—	396	—	396	—
घ	100	—	100	—	100	—	100	100	—	—
ङ	1100	424	676	—	676	—	676	—	676	—
च	300	—	300	—	300	—	300	—	300	100
छ	500	210	710	—	710	34	676	—	676	—
ज	200	126	326	—	326	—	326	—	326	—
झ	400	—	400	—	400	—	400	100	500	100
ञ	300	—	300	—	300	—	300	—	300	—
ट	200	—	200	—	200	—	200	100	300	—
ठ	200	84	284	—	284	—	284	—	284	—
ड	200	—	200	—	200	—	200	—	200	200
ढ	200	—	200	—	200	—	200	—	200	200
ण	200	—	200	—	200	12	212	—	212	—
त	100	—	100	—	100	—	100	100	—	—
अंशों को उपेक्षित करने के कारण	—	4	4	8	12	4	16	—	16	—

मूल्य में कमी										
कुल योग–	5400	–	5400	–	5400	–	5400	–	5400	–

कोटा $= \frac{5400}{8} + 1 = 676$

परिणाम	ण के मतों का विवरण	परिणाम	ठ के मतों का विवरण	परिणाम	ञ के मतों का विवरण	परिणाम	क, ग और झ के मतों का विवरण	परिणाम	ट के मतों का विवरण	परिणाम	निर्वाचन का परिणाम
438	100	538	100	638	100	738	62	676	—	676	निर्वाचित
676	—	676	—	676	—	676	—	676	—	676	″
496	100	596	42	638	100	738	62	676	—	676	″
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	निर्वाचित नहीं
676	—	676	—	676	—	676	—	676	—	676	निर्वाचित
400	—	400	100	500	12	512	62	574	—	574	निर्वाचित नहीं
676	—	676	—	676	—	676	—	676	—	676	निर्वाचित
326	—	326	—	326	—	326	62	388	300	688	″
600	—	600	—	600	100	700	24	376	—	676	″
300	12	312	42	312	312	—	—	—	—	—	निर्वाचित नहीं
300	—	300	284	342	—	342	24	366	—	366	″
284	—	284	—	—	—	—	—	—	—	—	″
200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	″
200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	″
212	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	″
16	—	16	—	16	—	16	—	—	—	—	″

5400	–	5400	–	5400	–	5400	–	5400	–	5400	

संलग्नक 5
उत्तर प्रदेश नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण और आबंटन) नियमावली, 1994

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण उसे तात्कालिक प्रभाव से नियम बनाना आवश्यक है–

अतएव अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (3) और उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 9–ए के साथ पठित 1916 के उक्त अधिनियम की धारा 296 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है।–

1. संक्षिप्त नाम लागू होना और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण और आबंटन) नियमा,ली 1994 कही जायेगी;

(2) यह उत्तर प्रदेश के सभी नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं–इन नियमावली में–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है;

(ख) 'पद' का तात्पर्य यथास्थिति नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद से है;

(ग) 'स्थान' का तात्पर्य यथास्थिति नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के स्थान से है।

(घ) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(ङ) 'राज्य के नगर क्षेत्र' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन गठित नगर के नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर राज्य की समस्त नगरपालिकाओं के नगरपालिका क्षेत्र से है।

3. कक्षों की व्यवस्था–अधिनियम की धारा 11–क की उपधारा (1) के अनुसार कक्षों का परिसीमन करने के पश्चात् किसी नगरपालिका क्षेत्र में कक्षों को ऐसी रीति से संख्यांकित करने के पश्चात् क्रम में रखा जायेगा कि नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अधिकतम जनसंख्या वाले कक्ष को 1 संख्याकित किया जायेगा और कक्ष संख्या 1 की अपेक्षा अनुसूचित जातियों की कम जनसंख्या वाले कक्ष को 2 संख्यांकित किया जायेगा और शेष कक्षों को इसी प्रकार संख्यांकित किया जायेगा।

4. आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या की अवधारणा–(1) अधिनियम की धारा 9–क की उपधारा (1) के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए किसी नगरपालिका में आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या की अवधारणा इस प्रकार किया जायेगा कि वह यथाशक्य निकटतम किसी नगरपालिका की कुल स्थानों की संख्या के उसी समानुपात में हो जो नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों का या

नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और यदि भाजक के आधे से अधिक हो तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या होगी।

(2) अधिनियम की धारा 9–क उपधारा (2) के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए किसी नगरपालिका में आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या उस नगरपालिका में कुल स्थानों की संख्या का सत्ताईस प्रतिशत होगी और यदि स्थानों की ऐसी संख्या का धारण करने में कोई शेष बचता है तो यदि यह भाजक का आधार या आधे से कम है तो इसे छोड़ दिया जायेगा और यदि भाजक के आधे से अधिक है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या होगी।

(3) अधिनियम की धारा 9–क की उपधारा (3) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए किसी नगरपालिका में आरक्षित किये जाने वाले सथानों की संख्या उपनियम (1) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए और उप नियम (2) के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए अवधारित स्थानों की संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि स्थानों की संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या होगी।

(4) अधिनियम की धारा 9–क की उपधारा (4) के अधीन महिलाओं के लिए किसी नगरपालिका में आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या उस नगरपालिका में कुल स्थानों की संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि स्थानों की ऐसी संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए उपनियम (3) के अधीन अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या होगी।

5. स्थानों का आबंटन–(1) अन्य उपनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियम–4 के अधीन अवधारित स्थानों की संख्या किसी नगरपालिका में, विभिन्न कक्षों को एतद्द्वारा उपबन्धित रीति से आबंटित की जाएगी–

(क) पहले नगरपालिका क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनंसख्या के अनुसार नगरपालिका के कक्षों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा और नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उप नियम (1) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नगरपालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आबंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों को जिनमें इस खण्ड के अधीन इस प्रकार आबंटित स्थानों की अनुसूचित जातियोंक की जनसंख्या के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आबंटित की जाएगी :

परन्तु उस कक्ष को, जिसमें किसी निर्वाचन में अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थान आबंटित था, उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में अनुसूचित जातियों की महिलाओं को आबंटित नहीं किया जायेगा और ऐसे अगले कक्ष को आबंटित किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान हो।

(ख) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) के अधीन स्थान आबंटित किए गए हैं, कक्षों को नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उप नियम (1) के अधीन अनुसूचित जन–जातियों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जन–जातियों की जनसंख्या नगरपालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो आबंटित किया जायेगा, और ऐसे कक्षों जिनमें इस खण्ड

के अधीन इस प्रकार आबंटित स्थानों को अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आबंटित की जायेगी।

परन्तु उस कक्ष को, जिसमें किसी निर्वाचन में अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए स्थान आबंटित था, उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को आबंटित नहीं किया जायेगा और ऐसे अगले कक्ष को आबंटित किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थान हो।

(ग) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) और (ख) के अधीन स्थान आबंटित किए गए हैं, कक्षों को नगरपालिका क्षेत्र में पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा आर नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उप नियम (1) के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों, जिनमें पिछड़े वर्गो की जनसंख्या नगरपालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आबंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों जिनमें इस खण्ड के अधीन इस प्रकार आबंटित स्थानों को पिछडे वर्गो की महिलाओं की जनसंख्या के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और पिछडे वर्गो की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आबंटित की जायेगी।

परन्तु उस कक्ष को, जिसमें किसी निर्वाचन में पिछडे वर्गो की महिलाओं के लिए स्थान आबंटित था, उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में पिछडे वर्गो की महिलाओं को आबंटित नहीं किया जायेगा और ऐसे अगले कक्ष को आबंटित किया जायेगा जिसमें पिछडे वर्गो के लिए आरक्षित स्थान हो।

(घ) उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन स्थान आबंटित किए गए हैं कक्षों को नगरपालिका क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और पिछड़े वर्गो की महिलाओं के अवधारित स्थानों की संख्या को छोड़ते हुए उक्त नियम के उप नियम (3) के अधीन महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे प्रथम और एकान्तर कक्षों को आबंटित किया जायेगा।

परन्तु उस कक्ष को, जिसमें किसी निर्वाचन में महिलाओं के लिए स्थान आबंटित था, उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में इस खण्ड के अधीन महिलाओं को आबंटित नहीं किया जायेगा और उसे अगले कक्ष को आबंटित किया जायेगा।

(2) यदि किसी नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या किसी नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की या किसी नगरपालिका क्षेत्र में पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के आधार पर–

(क) यथास्थिति अनुसूचित जातियों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए या पिछड़े वर्गो के लिए केवल एक ही स्थान आरक्षित किया जा सके तो ऐसा स्थान यथास्थिति ऐसी जातियों, जनजातियों या वर्गो की महिलाओं को आबंटित किया जायेगा, किन्तु यदि ऐसा स्थान किसी निर्वाचन में यथास्थिति ऐसी जातियों, जनजातियों या वर्गो की महिलाओं के लिए आबंटित हो तो उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में वह स्थान यथास्थिति ऐसी जातियों, जनजातियों के वर्गो की महिलाओं के लिए आबंटित नहीं किया जायेगा।

(ख) यथास्थिति, अनुसूचित जातियों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए या पिछड़े वर्गो के लिए कोई भी स्थान आरक्षित न किया जा सके तो उन नियम (1) के निर्दिष्टि स्थानों के आबंटन की रीति ऐसी होगी, मानों उसमें यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन–जातियों या पिछड़े वर्गो के लिए कोई निदेश नहीं है।

6. अध्यक्ष के पदों का आरक्षण और आबंटन–(1) अधिनियम की धारा 9–क की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष के पदों का आरक्षण और आवंटन नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए अलग–अलग एतद्पश्चात उपबन्धित रीति से किया जायेगा।

(2) आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या–

(क) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए इस प्रकार अवधारित की जायेगी कि वह यथाशक्य निकटतम राज्य में पदों की कुल संख्या के उसी समानुपात में हो जो कि राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या राज्य के नगरीय क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का राज्य के ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और यदि ऐसे पदों की संख्या अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो यदि वह भाजक का आधा या आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा और यदि वह भाजक के आधे से अधिक हो तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन–जातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी;

परन्तु इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए आरिक्षत किये जाने वाले पदों की संख्या राज्य में पदों की कुल संख्या के चौदह प्रतिशत से अनधिक होगी।

(ख) महिलाओं के लिए, जिसमें यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की महिलायें भी सम्मिलित हैं, नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन उपबन्धित रीति से अवधारित की जायेंगी।

(3) (क) और (ख) के अधीन रहते हुए उपनियम (2) के अधीन राज्य के नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों के लिए अवधारित पदों की संख्या राज्य के यथास्थिति विभिन्न नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को इस रीति से आवंटित की जायेगी किः–

(एक). उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपनियम के खण्ड (क) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित पदों की संख्या को राज्य की यथास्थिति ऐसी नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को जिनमें राज्य की नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हो, आबंटित किया जायेगा और यथास्थिति, नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों, जिनको इस उपखण्ड के अधीन इस प्रकार पद आबंटित किये गये है, को अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को पुनर्व्यवस्थित किये गये यथास्थिति ऐसे नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को पहले आबंटित किया जायेगा :

परन्तु अनुसूचित जातियों की महिलाओं को किसी निर्वाचन में आबंटित पदों को ठीक बाद वाले निर्वाचन में अनुसूचित जाति की महिलाओं को आबंटित नहीं किया जायेगा और उन्हें ऐसे अगले नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को आबंटित किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए पद आरक्षित हों।

(दो). उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपनियम के खण्ड (क) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित पदों की संख्या को राज्य की ऐसी नगर पालिका परिशदों या नगर पंचायतों को जिनमें राज्य की यथास्थिति नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हो, यथास्थिति उन नगर पालिका परिशदों या नगर पंचायतों को छोड़ते हुए, जिन्हे उपखण्ड (एक) के अधीन पद आबंटित किये गये हो, आबंटित किया जायेगा और, यथास्थिति, नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों जिनको इस उपखण्ड के अधीन इस प्रकार पद आबंटित किये गये है, को अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के

आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित किये गये, यथास्थिति, ऐसे नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को पहले आबंटित किया जायेगा;

परन्तु अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए किसी निर्वाचन में आबंटित पदों को ठीक बाद वाले निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आबंटित नहीं किया जायेगा और उन्हें ऐसी अगले नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को आबंटित किया जायेगा, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए पद आरक्षित हों;

(तीन). उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपनियम के खण्ड (क) के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए अवधारित पदों की संख्या को राज्य की ऐसी नगर पालिका परिशदों या नगर पंचायतों को जिनमें राज्य की यथास्थिति नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हो, यथास्थिति उन नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को छोड़ते हुए जिन्हे उप खण्ड (एक) और (दो) के अधीन पद आबंटित किए गए हों, आबंटित किया जायेगा और इस खण्ड के अधीन यथास्थिति नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को उनकी पिछड़ी जातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा। पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या यथास्थिति, पुनर्व्यवस्थित की गई ऐसी नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को पहले आबंटित की जायेगी :

परन्तु पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए किसी निर्वाचन में आबंटित पदों को ठीक बाद वाले निर्वाचन में पिछड़े वर्गो की महिलाओं को आबंटित नहीं किया जायेगा और ऐसी अगली नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को आबंटित किया जायेगा, जिनमें पिछड़े वर्गो के लिए पद आरक्षित हैं।

(चार). ऐसे नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को छोड़ते हुए जिन्हें उपखण्ड (एक), (दो) और (तीन) के अधीन पद आबंटित किए गए हों, यथास्थिति, नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को छोड़ते हुए, उक्त खण्ड के अधीन महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को पहलें, यथास्थिति, ऐसी नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को आबंटित किया जायेगा ;

परन्तु किसी निर्वाचन में महिलाओं के लिए आबंटित पदों को ठीक बाद वाले निर्वाचन में इस खण्ड के अधीन महिलाओं को आबंटित नहीं किया जायेगा और उन्हें नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत को आबंटित किया जायेगा :

(ख) खण्ड (क) के अधीन पदों के आबंटन के लिए, नियम 5 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के उपबन्ध यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

6—क. उपाध्यक्ष पदों का आरक्षण और आवंटन—(1) अधिनियम की धारा—9—क की उपधारा (5) के अधीन नगर पालिका परिषदों के ज्येष्ठ उपाध्यक्ष या नगर पंचायतों के उपाध्यक्ष के पदों का आरक्षण और आबंटन नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए पृथक रूप से एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से किया जायेगा।

(2) आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या—(क). अनूसूचित जातियों या अनुसूचित जन—जातियों या पिछड़े वर्गों के लिए इस प्रकार अवधारित की जाएगी कि वह यथाशक्य निकटतम राज्य में अध्यक्ष के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के उसी समानुपात में हो जो कि राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या राज्य के नगरीय क्षेत्र में पिछड़े वर्गो की जनसंख्या का राज्य के ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और यदि ऐसे पदों की संख्या अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो यदि वह भाजक का आधा या आधे से कम हो, तो उसे छोड़ दिया जायेगा और यदि वह भाजक के आधे से अधिक हो, तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन—जातियों या पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या होगी:

परन्तु इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या राज्य में अध्यक्ष के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के चौदह प्रतिशत से अनधिक होगी,

(ख) महिलाओं के लिए अधिनियम की धारा 9–क की उपधारा (5) के अधीन आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या अध्यक्ष के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि ऐसे पदों की संख्या को अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वालें पदों की संख्या होगी।

(3). (क) और (ख) के अधीन रहते हुए, उपनियम (2) के अधीन राज्य के राज्य के नगरपालिका परिशदों या नगर पंचायतों के लिए अवधारित उपाध्यक्ष के पदों की संख्या राज्य में यथास्थिति विभिन्न नगरपालिका परिशदों या नगर पंचायतों को इस रीति से आंबटित की जायेगी कि–

(एक). उपनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित उपाध्यक्ष के पदों की संख्या का राज्य की यथास्थिति ऐसी नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों को जिनमें राज्य की नगरपालिका परिशदों या नगर पंचायतों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हो, आबंटित किया जायेगा;

(दो). उपनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित पदों की संख्या को राज्य की यथास्थिति नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हो, यथास्थिति उन नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों को छोड़ते हुए, जिन्हें उपखण्ड (एक) के अधीन पद आबंटित किए गए हों, आबंटित किया जायेगा;

(तीन). उपनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए अवधारित पदों की संख्या को जिनमें राज्य की यथास्थिति नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों में पिछड़े वर्गो की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हो, यथास्थिति उन नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों को छोड़ते हुए, जिन्हें उपखण्ड (एक) और (दो) के अधीन पद आबंटित किए गए हों, आबंटित किया जायेगा; और

(चार) ऐसी नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों को छोड़ते हुए जिन्हें उपखण्ड (एक), (दो) और (तीन) के अधीन पद आबंटित किए गए हो, नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और उपनियम (3) के खण्ड (ख) के अधीन महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को यथास्थिति, इस प्रकार व्यवस्थित नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों को पहले आबंटित किया जायेगा;

परन्तु इस खण्ड के अधीन किसी निर्वाचन में महिलाओं के आबंटित पदों को इस खण्ड के अधीन ठीक बाद वाले निर्वाचन में महिलाओं को आबंटित नहीं किया जायेगा और उन्हें, यथास्थिति अगली नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत को आबंटित किया जायेगा।

(ख). खण्ड (क) के अधीन पदो ंके आबंटन के लिए, नियम 5 के उपनियम (3) के उपबन्ध यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगें।

(4) जिन नगरपालिका परिषदों में ज्येष्ठ उपाध्यक्ष के पद अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गो या महिलाओं के लिए आरक्षित हों ऐसी नगरपालिका परिषदों में कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद क्रमशः यथास्थिति पिछड़े वर्गो महिलाओं या अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होगें।

7. आबंटन के आदेश–(1) पूर्ववर्ती नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार नियम 4 या उपनियम (2) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, पिछड़े वर्गो और महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों और पदों की संख्या का अवधारित करने के पश्चात्, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, स्थानों और पदों को, यथास्थिति, कक्षों और नगरपालिकाओं को आबंटित करेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन आदेश का प्रारूप कम से कम सात दिन की अवधि के लिए आपत्तियों के लिए प्रकाशित किया जाएगा।

(3) राज्य सरकार आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी, परन्तु ऐसी आपत्तियों पर व्यक्तिगत सुनवाई किया जाना आवश्यक न होगा जब तक कि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक न समझे और तदुपरान्त वह अन्तिम हो जाएगा।

(4) उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट आदेश का प्रारूप सम्बन्धित जिले में व्यापक परिचालन रखने वाले कम से कम एक दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशित किया जाएग और जिला मजिस्ट्रेट और सम्बन्धित नगरपालिका के कार्यालयों के सूचना पटों पर भी चस्पा किया जाएगा।

संलग्नक–6
उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिषद (कक्ष समितियॉ) नियमावली, 1995

(उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 3–ख के अधीन निर्मित)

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिषद् (कक्ष समितियां) नियमावली, 1995 कही जाएगी;

(2) यह ऐसी नगरपालिका परिषदों पर लागू होगी जिनकी अपने नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर कक्ष समितियां हों,

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं–(1) जब तक विषय का प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है;

(ख) 'क्षेत्र' का तात्पर्य किसी समिति के प्रादेशिक क्षेत्र से है;

(ग) 'समिति' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 6–क के अधीन गठित कक्ष समिति से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के तात्पर्य वहीं होगें, जो उनके लिए अधिनियम में दिए गए है।

3. समिति की शक्तियां–समिति इस नियमावली और अधिनियम के अधीन कृत्यों का सम्पादन करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, अर्थात्–

(1) यह सुनिश्चित करना कि नगरपालिका परिषद् कक्ष के स्थानीय निवासियों की आकांक्षाओं के प्रति पूर्णरूपेण अनुक्रियाशील है;

(2) नागरिकों को अपने–अपने स्थानीय क्षेत्रों को सफाई और विकास में अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करना;

(3) आबंटित निधियों और अंशदानों से स्वैच्छिक अभिकरणों को सहमति से स्थानीय निर्माण–कार्यो के निश्पादन के लिए माध्यम के रूप में कार्य करना;

(4) निर्माण–कार्यो की प्रगति का पुनर्विलोकन करना और क्षेत्र के लिए आय–व्ययक सम्मिलित निर्माण–कार्यो के निष्पादन में तेजी लाने के लिए अग्रेत्तर उपायों का सुझाव देना;

(5) नगरीय नगरपालिका सेवाओं, सुविधाओं और सुख–सुविधाओं के संधारण में कमी और गलती को पहचान करवाना और सुसंगत निकायों से कार्यवाही करने के लिए कहना।

4. समिति के कृत्य–कक्ष समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे–

(1) उपर्युक्त कृत्यों से सम्बन्धित निवासियों को शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना;

(2) क्षेत्र के भीतर पथों, सड़कों, गलियों, नालियों, सीवरों, जल सम्बन्धी सार्वजनिक सड़कों पर रोशनी, नगर की सफाई करना, पार्को का कूड़ा–करकट हटवाने, पार्को में खेल के मैदानों और खुले स्थानों के निर्माण पुननिर्माण मरम्मत साधारण नवीकरण के लिए नगरपालिका परिषद की योजनाओं का निश्पादन सुनिश्चित करना;

(3) पथों, सड़कों, गलियों, नालियों, सीवरों और समस्त सार्वजनिक स्थानों, समस्त पार्को, खुले स्थानों और खुले के मैदानों को पानी से धुलाई, फहारों, द्वारा, उनकी सफाई तथा उन्हें स्वच्छ रखना और मल इत्यादि दुर्गन्धयुक्त पदार्थ और कूड़े–करकट को एकत्र कराना और हटवाना, मनुष्यों के उपयोग के लिए उपर्युक्त होने वाले जल को दूषित न होने देना और क्षेत्र में दूषित जल के ऐसे उपयोग को रोकना सुनिश्चित करना;

(4) यह सुनिश्चित करना कि उसके क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति कर और अन्य कर प्रभार और शुल्क नगरपालिका परिषद् की मांगों के अनुसार वसूल किए जा रहे हैं और करों, प्रभारों और शुल्कों की मांग के अधिकतम प्रतिशत तक की उगाही के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव भी देना;

(5) प्रत्येक कक्ष के भीतर मकानों पर संख्या लिखवाना और पथों, सड़कों, गलियों और परिक्षेत्रों का नाम रखा जाना या नया नाम रखा जाना सुनिश्चित करना और समय–समय पर उनकी जांच पड़ताल भी करना;

(6) यह सुनिश्चित करना कि नगरपालिका परिषद द्वारा की गयी अनुज्ञप्तियों द्वारा उसके क्षेत्र के भीतर दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है;

(7) अतिक्रमण को हटवाना और सुनिश्चित करना कि क्षेत्र के भीतर अग्रेत्तर कोई अतिक्रमण न हों;

(8) आग–वस्त्रों का संधारण सुनिश्चित करना।

5. विशेष आमंत्रित–कक्ष समिति अपनी बैठकों में समिति के कार्य के भीतर के मामलों के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले विशेशज्ञों को आमंत्रित कर सकती है, किन्तु ऐसे आमंत्रितों को मत देने का अधिकार नहीं होगा।

6. समिति की बैठकें–समिति की बैठक प्रति मास ऐसे स्थान और समय पर होगी जैसा समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए।

संलग्नक–7

उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1996

भाग–1
सामान्य

1. संक्षिप्त शीर्ष, विस्तार और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली 1995 कही जायेगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश में समस्त नगर नियमों, नगरपालिका परिषद् और जल संस्थानों पर लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2– परिभाषायें–यदि विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो तो इस नियमावली में–

(एक) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार से है;

(दो) 'केन्दीयित सेवाओं' का तात्पर्य नियम 3 के अधीन सृजित की गई जल संस्थानों और नगर निगमों और नगरपालिका परिषदों के जलकलों को सामान्य सेवाओं से हैं;

(तीन) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(चार) नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों, ओर जल संस्थानों में व 'क' 'ख' और 'ग' के जलकल का तात्पर्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट उपक्रमों से है;

(पांच) श्रेणी एक, दो, तीन या चार की नगरपालिका परिषदों' का तात्पर्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट नगरपालिका परिषदों से है;

(छः) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है,

(सात) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(आठ) 'निगम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 4 के अधीन गठित नगर निगम से है;

(नौ) 'सीधी भर्ती' का तात्पर्य इस नियमावली के भाग–पांच में विहित रूप से की गयी भर्ती से है;

(दस) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ग्यारह) 'सामान्य संवर्ग' का तात्पर्य केन्द्रीयित सेवाओं के पदों के संवर्ग से है, जो पालिका पर्वतीय उप संवर्ग में सम्मिलित नहीं है;

(बारह) 'जल संस्थानो', का तात्पर्य उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 18 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित जल संस्थानों से है।

(तेरह) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन केन्द्रीयित सेवा के संवर्ग में किसी पद के प्रति आमेलित या नियुक्त व्यक्ति से है;

(चौदह) 'अधिकारियों' का तात्पर्य नियम 3 के अधीन केन्द्रीयित सेवाओं के अधिकारियों से है।

(पन्द्रह) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए (आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(सोलह) 'पालिका' का तात्पर्य, यथास्थिति किसी नगर निगम या नगरपालिका परिषद् से है;

(सत्रह) 'पालिका पर्वतीय उप संवर्ग' का तात्पर्य नियम 41 के अधीन गठित पालिका पर्वतीय उप संवर्ग से है;

(अठारह) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है; और

(उन्नीस) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य ऐसी नियुक्ति से है, जो तद्र्थ नियुक्ति न हो और इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो।

भाग 2
संवर्ग और सदस्य संख्या

3. केन्द्रीयित सेवाओं का गठन–पालिकाओं और जल संस्थानों में निम्नलिखित केन्द्रीयित सेवायें होंगी और सेवाओं में उनके सामने उल्लिखित पद होंगे–

(1)	उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (वरिश्ठ) सेवा	(एक)	नगर निगमों के नगर अभियन्ता (जल)।
		(दो)	जल संस्थानों के महाप्रबन्धक।
		(तीन)	अधिशासी अभियन्ता।
(2)	उत्तर प्रदेश पालिका ओर जल संस्थान अभियन्त्रण (अधीनस्थ) सेवा	(एक)	अवर अभियन्ता
		(दो)	अवर अभियन्ता।

स्पष्टीकरण–(1) नीचे स्तम्भ–1 में उल्लिखित सेवाओं के पदों पर आमेलित अधिकारी अपने आमेलेन के दिनांक से इन पदो के सामने स्तम्भ–2 में उल्लिखित सेवाओं के पदों पर आमेलित समझे जायेंगे।

स्तम्भ–1			स्तम्भ–2	
(1)	उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (वरिष्ठ) सेवा	1.	अधिशासी अभियन्ता।	नगरपालिका परिषदों और जल संस्थानों के 'क' श्रेणी के उपक्रमों के जलकल अभियन्ता
		2.	सहायक अभियन्ता	नगरपालिका परिषदों और जल संस्थानों के 'ख' श्रेणी के उपक्रमों के

				जलकल अभियन्ता या सहायक जलकल अभियन्ता (अर्ह)।
(2)	उत्तर प्रदेश पालिका ओर जल संस्थान अभियन्त्रण (अधीनस्थ) सेवा	3.	अवर अभियन्ता श्रेणी–एक	1. नगरपालिका परिषदों और जल संस्थानों के 'ग' श्रेणी के उपक्रमों के जलकल अभियन्ता (अर्ह) 2. मुख्य मोटर निरीक्षक 3. मुख्य पाइप लाइन निरीक्षक 4. मुख्य जोनल निरीक्षक 5. मुख्य वेस्ट डिटेक्शन निरीक्षक
		2.	अवर अभियन्ता	पाइप लाइन निरीक्षक

4. वेतन–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

5. सेवा की सदस्य संख्या–(1) नियम 3 के अधीन सृजित प्रत्येक केन्द्रीयित सेवा की सदस्य की संख्या उतनी होगी जितनी कि सरकार द्वारा समय–समय पर नियत करें।

(2) जब तक सरकार पदों की संख्या अवधारित न करें; जैसा कि उप नियम (1) के अधीन परिकल्पित है, सेवा में पदों की वर्तमान सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी नगर निगमों, सभी श्रेणियों की नगरपालिका परिशदों और जल संस्थानों के अधीन दिनांक 12 दिसम्बर, 1983 को पद विद्यमान थे तथा उस दिनांक के पश्चात् ऐसे पद जो शासन के अनुमोदन से सृजित हुए।

(3) नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और जल संस्थानों की केन्द्रीयित सेवाओं के अधीन किसी भी वर्तमान पद को या किसी ऐसे पद को जो भविष्य में सृजित किया जाये, समाप्त करने का अधिकार न होगा।

भाग 3
भर्ती का स्त्रोत और आमेलन

6. भर्ती के स्त्रोत–नियम 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए–

(एक) अनुसूची एक में उल्लिखित पद नियम 20 में दी गयी रीति से पदोन्नति द्वारा भरे जायें;

(दो) अनुसूची दो में उल्लिखित पद इस नियमावली के भाग पांच में दी गयी रीति से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे;

(तीन अनुसूची तीन में उल्लिखित पद ऊपर उल्लिखित दोनों स्त्रोंतों से बराबर–बराबर संख्या में भरे जायेंगे किन्तु इस प्रकार शेष पद पर यदि कोई हो, पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा;

परन्तु यदि इस उपनियम के अधीन यथास्थिति पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा भर्ती के लिए अपेक्षित संख्या में उपर्युक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो कमी को पूर्ति उक्त दोनों स्त्रोतों में से किसी भी स्त्रोत से की जा सकती है : या सरकार के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति करके अस्थायी नियुक्ति की जा सकती है।

परन्तु यह और कि अनुसूची–तीन में उल्लिखित सहायक अभियन्ता के पदो के सम्बन्ध में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में से 5 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे अवर अभियन्ताओं में से भरी जायेगी, जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अभियान्त्रिक स्नातक की उपाधि हो या जो इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स के एसोसियेट मेम्बर हों।

7. आमेलन–(1) इस नियमावली के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पालिका और जल संस्थान के ऐसे अधिकारियों और सेवकों का जो नियम 3 में निर्दिष्ट पद धारण कर रहे हों या उस पद के कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन कर रहे हों, आमेलेन या उनके सेवा का समाप्ति निम्नलिखित उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होगी–

(एक) पालिकाओं और जल संस्थानों के ऐसे अधिकारी और सेवक, जो नियम 3 में उल्लिखित किसी सेवा में कोई पद धारण कर रहे हों, जब तक वे अन्यथा विकल्प न करें, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जैसा सरकार प्रत्येक मामलें में पारित करें, अन्तिम रूप से आमेलित हो जायेंगे;

(दो) ऐसे अधिकारी और सेवक जो खण्ड (एक) के अधीन अन्तिम रूप से आमेलित किए जायें, सरकार के अनुवर्ती आदेशों द्वारा जिसे 31 दिसम्बर, 1986 के पूर्व पारित किया जायेगा, यदि उपयुक्त पायें जायें, अन्तिम रूप से आमेलित कर लिये जायेगें।

(तीन) यदि किसी मामलें में खण्ड (दो) में उल्लिखित दिनांक से पूर्व सरकार द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाये तो अधिकारी या सेवक को अन्तिम रूप से आमेलन समझा जायेगा;

(चार) ऐसे अध्किारियों और सेवकों को जिनकी पूर्ववर्ती खण्डों में निहित किया गया है और जो आमेलन का विकल्प न करें और उन अधिकारियों और सेवकों को या जो आमेलन के लिए अनुपयुक्त पाये जायें, सेवायें समाप्त हो जायेगी, और उन्हें उनके किसी ऐसे छुट्टी पेन्शन, भविश्य निधि या उपादान के किसी दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो वे यदि यह–नियमावली न बन गयी हो तो, यथास्थिति, अपनी सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति पर लेने–पाने के हकदार होते, निम्नलिखित प्रतिकर के हकदार होगें–

(अ) स्थायी अधिकारियों या सेवकों को–

(क) उनकी सेवा की शेष अवधि के वेतन के बराबर धनराशि; या

(ख) उन अधिकारियों और सेवकों की स्थिति में जिनकी इस नियमावली के प्रारम्भ के ठीक पूर्व कुल निरन्तर सेवा दस वर्ष से अधिक हो, छः मास के वेतन के बराबर धनराशि और उन अधिकारियों और सेवकों की स्थिति में जिनकी उपुर्यक्त के अनुसार निरन्तर कुल सेवा दो वर्ष से अधिक न हो, तीन मास के वेतन के बराबर धनराशि इनमें से जो भी कम हो।

(आ) खण्ड (क) से उल्लिखित अधिकारियों और सेवओं से भिन्न अधिकारियों और सेवकों को एक मास के वेतन के बराबर धनराशि।

स्पष्टीकरण–खण्ड (एक) में निर्दिष्ट ऐसे स्थायी अधिकारियों और सेवकों को जिनकी सेवायें या उपादान इस खण्ड के अन्तर्गत समाप्त हो जाये, अनुमन्य पेंशन या उपादान की, यदि कोई हो, गणना करने के प्रयोजन के लिए पेंशन या उपादान का अर्हता प्राप्त करने के उनके सेवा में निम्नलिखित अवधि बढ़ा दी गयी समझा जायेगी–

	पेन्शन या उपदान की अर्हता प्राप्त करने के लिए सेवा काल	अवधि जो बढ़ा दी जायेगी।
(एक)	पांच वर्ष तक	एक वर्ष
(दो)	पांच वर्ष से अधिक और दस वर्ष तक	दो वर्ष
(तीन)	दस वर्ष से अधिक और पन्द्रह वर्ष तक	तीन वर्ष
(चार)	पन्द्रह वर्ष से अधिक	चार वर्ष

स्पष्टीकरण दो–इस खण्ड के प्रयोजन के लिए 'वेतन' के अन्तर्गत कोई मंहगाई भत्ता या अन्तरिम सहायता के रूप में कोई अन्य तदर्थ वृद्धि, जो अनुमन्य हो, भी है।

(पांच) खण्ड (चार) में उल्लिखित प्रतिकर का भुगतान, उस पालिका या जल संस्थान द्वारा जिसके अधीन अधिकारी या सेवक इस नियमावली के प्रारम्भ के ठीक पूर्व नियोजित था, किया जायेगा।

(छः) खण्ड (एक) में उल्लिखित विकल्प का प्रयोग 31 अक्टूबर, 1986 के पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है और उसके प्रयोग की सूचना सरकार को भेजी जायेगी जब तक इसके प्रतिकूल विकल्प का प्रयोग न किया जाये, अधिकारी या सेवक पूर्ववर्ती खंडों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तिम रूप से आमेलित हो जायेंगे।

8. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का प्रतिनिधित्व–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछडऋे वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अनुसार होगा।

भाग 4
अर्हतायें

9. केन्द्रीयित सेवाओं में किसी पद पर भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित होना आवश्यक है–

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) कोई तिब्बती जो भारत में स्थायी रूप से बस जाने के विचार से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आया हो; या

(घ) भारतीय उद्भाव का कोई व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बस जाने के विचार से पाकिस्तान से प्रवर्जन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त वर्ग (ग) या (घ) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि वर्ग (ग) के किसी अभ्यर्थी से ऐसा पात्रता प्रमाण–पत्र मान्य करने की अपेक्षा की जायेगी जो पुलिस उप महानिरीक्षक अधिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान किया गया हो;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त वर्ग (घ) का हो, तो पात्रता प्रमाण–पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। उसके बाद वह सेवा में केवल तभी रखा जायेगा जब वह भारत का नागरिक हो जायें।

10. आयु–केन्द्रीयित सेवाओं में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष, जिसमें भर्ती की जाय, के ठीक पश्चात्वर्ती वर्ष की पहली जनवरी को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 32 वर्ष की आयु न पूरी की हो।

प्रतिबन्ध यह है कि–

(1) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसने यथास्थिति, किसी भी केन्द्रीयित सेवा या पालिका या जल संस्था कि किसी सेवा में एक वर्ष या उससे अधिक की सेवा कर ली हो, अधिकतम आयु निरन्तर सेवा अथवा 7 वर्ष, इससे जो भी कम हो, की सीमा तक अधिक होगी।

(2) यदि कोई अभ्यर्थी को अपनी आयु के आधार पर किसी ऐसे वर्ष में चयन में उपस्थित होने के लिए हकदार था, जिसमें कोई चयन नहीं किया गया हो तो वह अपनी आयु के आधार पर ठीक पश्चात्वर्ती चयन में उपस्थित होने के लिए हकदार समझा जायेगा।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों की दशा में अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी।

(4) राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस नियम में विहित अधिकतम आयु सीमा को किसी अभ्यर्थी का अभ्यर्थियों के वर्ग के पक्ष में शिथिल कर सकती है, यदि वह उचित व्यवहार के हित में या लोक हित में आवश्यक समझे।

11. चरित्र–(1) नियुक्ति प्राधिकारी अपना समाधान कर लेगा कि नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का चरित्र इस प्रकार का है कि उसके कारण वह केन्द्रीयित सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार उपयुक्त है।

(2) भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेग कि वह उस संस्था के जिसमें वह अन्तिम बार पढ़ा हो, मुख्य अध्यक्ष का और दो राजपत्रित अधिकारियों का (जो अभ्यर्थी से सम्बन्धित न हो) चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें जो राज्य या संघ की सक्रिय सेवा मेंक हो और जो उनके निजी जीवन से भली–भांति परिचित हों, किन्तु उसके विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के जीवन से सम्बन्धित न हो।

12. शारीरिक दक्षता– केन्द्रीयित सेवाओं में किसी पद पर मौलिक रूप से किसी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ न हो और उसमे कोई ऐसा किसी शारीरिक दोष न हो जिससे उसे अपने सरकारी कार्यो का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। प्रवर सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पहले किसी अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह राज्य चिकित्सा परिषद् के सामने चिकित्सकीय परीक्षण के लिए उपस्थित हो;

परन्तु यह कि अधीनस्थ सेवा में पदों पर भर्ती के लिए अनुमोदित व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह शारीरिक स्वस्थता के विषय में मुख्य चिकित्सा से कए चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

13. अर्हतायें–केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत किसी पद पर नियुक्ति के लिए किसी अभ्यर्थी की ऐसी अर्हतायें होनी चाहिए जैसी राज्य सरकार समय–समय पर निदिष्ट करें।

14. अधिमान्य अर्हता–अन्य बातों के समान होने पर केन्द्रीयित सेवा में सीधी भर्ती की दशा में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने (1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो या (2) नेशनल कैडेट कोर से 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

15. वैवाहिक स्थिति–कोई पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, केन्द्रीयित सेवा में भर्ती के लिए अर्ह नहीं होगा :

परन्तु यह कि यदि सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

भाग 5
सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया

16. रिक्तियों की संख्या की सूचना देना—सरकार आयोग को वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगी और आयोग सूचित करेगी।

17. प्रार्थना पत्र—(क) केन्द्रीयित सेवा में भर्ती के लिए प्रार्थना पत्र आयोग द्वारा आमन्त्रित किये जायेंगे और वे विहित प्रपत्र में दिये जायेगें जो आयोग के सचिव से भुगतान करने पर प्राप्त किये जा सकते है और वे ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत किये जायेगे जो विनिर्दिष्ट किया जाये।

(ख) केन्द्रीयित सेवा में पहले से सेवायोजित अभ्यर्थी अपने प्रार्थना—पत्र उचित माध्यम से सरकार को प्रस्तुत करेंगे जो उन्हें अपनी सामायिक रिपोर्ट सहित आयोग को भेज देगी।

18. आवेदन की संवीक्षा साक्षात्कार अादि—केन्द्रीयित सेवाओं के पदों पर भर्ती, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जायेगी। आयोग प्राप्त प्रार्थना—पत्रों की संवीक्षा करेगा और अर्ह अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा देगा। किसी भी अभ्यर्थी को तब तक परीक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश का प्रमाण—पत्र न हो।

अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात् आयोग उतने अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व परीक्षा के लिए बुलायेगा जिन्होने लिखित परीक्षा में सेवा के लिए अपनी उपयेागिता प्रदर्शित की हो, व्यक्तित्व परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे और उक्त दोनों अंकों के योग से योग्यता—क्रम को निर्धारित किया जायेगा।

आयोग नियम 8 के अधीन अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण से सम्बद्ध उपबन्ध के अधीन रहते हुए, अभ्यर्थियों की एक सूची अधिमान—क्रम से तैयार करेगा और उसे सरकार के पास भेज देगी। इस सूची में नामों की संख्या घोषित रिक्तियों की संख्या से कुछ अधिक होगा।

यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों को योग के समान अंक प्राप्त हुए हो तो आयोग उनके नामों को सवेा के लिए उनकी सामान्य उपयेागिता के आधार पर योग्यता—क्रम में रखेगा।

19. फीस—(1) सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी आयोग को और चिकित्सा परिशद् को ऐसी फीस का भुगतान करेगे जो सरकार द्वारा समय—समय पर विहित की जाय। फीस की वापसी के लिए कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) प्रतियोगिता परीक्षा के सम्बन्ध में पाठ्य विवरण और नियम सरकार के अनुमोदन से आयोग द्वारा समय—समय पर विहित किया जायेगा।

20. अनुमोदित सूची—नियम 18 के अधीन आयोग द्वारा तैयार की गयी सूची प्राप्त होने पर सरकार नियम 8, 11 और 21 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए एक प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी के नाम उसी क्रम में दर्ज करायेगी जिस क्रम से आयोग ने नियुक्ति के लिए उनके नामों को सिफारिश की हो।

भाग 6
पदोन्नति की प्रक्रिया

21. पदोन्नति–(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से उसी केन्द्रीयित सेवा के ठीक निम्न पदक्रम के सभी पात्र अधिकारियों में से ज्येशठता के आधार पर किन्तु अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए अधिकारियों का एक पात्रता सूची उपनियम (2) में दी गई रीति से तैयार की जायेगी।

(2) उपनियम (7) में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय सरकार ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी, जिसे पात्रता सूची कहा जायेगा, जिसमें यथसम्भव निम्नलिखित अनुपात में नाम होंगे–

1 से 5 रिक्तियों के लिए–रिक्तियों की संख्या का दो गुना कम से कम 5

5 से अधिक रिक्तियों के लिए–रिक्तियों की संख्या का 1 1/2 (डेढ़) गुना किन्तु कम से कम 10 :

परन्तु यदि भर्ती एक से अधिक वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के लिए की जानी हो, तो ऐसे प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में पृथक पात्रता सूची तैयार की जायेगी। ऐसे मामलों में, भर्ती की द्वितीय और अनुवर्ती वर्षो के लिए पात्रता सूची तैयार करते समय पात्रता, सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगी–

(क) द्वितीय वर्ष के लिए–उक्त अनुपात के अनुसर जिसमें प्रथम और द्वितीय वर्षो की रिक्तियों की संख्या को जोड़ दिया जायेगाः

(ख) तृतीय वर्ष के लिए–उक्त अनुपात के अनुसार जिसमें प्रथम और द्वितीय वर्षो की रिक्तियों की संख्या को जोड़ दिया जायेगा।

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थियों को जो प्रथम दृष्टया पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझे जायें, उक्त अनुपात की गणना करने में सम्मिलित नहीं किया जायेगा और इस आशय की एक टिप्पणी कि उन पर विचार नहीं किया गया, उनके नाम के सामने लिख दी जायेगी।

स्पष्टीकरण–इस नियम में रिक्तियों की संख्या का तात्पर्य एक वर्ष में होने वाली मौलिक या अस्थायी रिक्तियों की कुल संख्या से है।

(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित होंगेः

(क) वर्ग एक और वर्ग दो के पदो पर प्रोन्नति की स्थिति में–

(एक)	सचिव उत्तर प्रदेश सरकार नगर विकास विभाग	अध्यक्ष
(दो)	सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग या उनका नाम–निर्दिशितों जो संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो	सदस्य
(तीन)	निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(चार)	यदि उपखण्ड (एक) से (तीन) में निर्दिष्ट अधिकारी अनुसूचित जातियों या अन्य पिछड़े वर्गो का न हो तो उक्त जातियों या वर्गो, जिनका प्रतिनिधित्व न हो, के एक अधिकारी को सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास विभाग द्वारा, ऐसे अधिकारियों में से, जो कम से कम उस पद से जिसके लिए चयन समिति गठित की जानी है, से एक वेतनमान उच्च पद पर हो, नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा़	सदस्य

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट पदों से भिन्न पदों पर पदोन्नति की स्थिति में–

(एक)	सचिव उत्तर प्रदेश सरकार नगर विकास विभाग या उनका नाम–निर्देशित जो विशेष सचिव से अनिम्न स्तर का हो	अध्यक्ष
(दो)	सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो	सदस्य
(तीन)	निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(चार)	यदि उपखण्ड (एक) से (तीन) में निर्दिष्ट अधिकारी अनुसूचित जातियों या अन्य पिछड़े वर्गो का न हो तो उक्त जातियों या वर्गो, जिनका प्रतिनिधित्व न हो, के एक अधिकारी को सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास विभाग द्वारा, ऐसे अधिकारियों में से, जो कम से कम उस पद से जिसके लिए चयन समिति गठित की जानी है, से एक वेतनमान उच्च पद पर हो, नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा़	सदस्य

(4) (एक) सरकार चयन समिति की बैठक के लिए दिनांक नियत करेगी;

(दो) जहां चयन समिति यह आवश्यक समझे कि पात्रता सूची में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उसके द्वारा किया जाना चाहिए तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है;

(तीन) चयन समिति प्रत्येक मामलें में अभ्यर्थी की चरित्र पंजी पर विचार करेगी और किसी अन्य तथ्य पर विचार कर सकती है, जो उसकी राय में सुसंगत हो।

(5) चयन समिति ज्येष्ठताक्रम में दो सूचियां तैयार करोगी, अर्थात्–

सूची क– इसमें मौलिक रिक्तियों प्रति स्थायी नियुक्ति के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों के नाम होंगे।

सूची ख– इसमें अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियों के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों के नाम होंगे;

परन्तु यदि भर्ती एक से अधिक वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के लिए की जाय तो ऐस प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में उस वर्ष के लिए तैयार की गई पात्रता–सूची से किया जायेगा।

(6) (एक) सूची 'क' में सम्मिलित अभ्यर्थी मौलिक रिक्तियों के प्रति उसी क्रम में, जिसमें उनके नाम सूची में आये हों, नियम 21 के उपनियम (1) के अधीन नियुक्त किये जायेंगे।

(दो) सूची 'क' में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिनके लिए मौलिक रिक्तियां तुरन्त उपलब्ध न हो, उक्त क्रम में, अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों के प्रति उन अभ्यर्थियों पर, जो सूची 'ख' में सम्मिलित हों, अधिमान देकर नियुक्त किये जायेंगे।

(तीन) सूची 'क' में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थीं के नाम जिनके लिए उस वर्ष के दौरान जिसके लिए उनका चयन किया गया हो, मौलिक रिक्तियां उपलब्ध नहीं की जा सकती, वर्ष के अन्त में अनुवर्ती वर्ष में रिक्त होने वाली मौलिक रिक्तियों के प्रति नियुक्ति के लिए अग्रेनीत किये जायेंगे या अनुवर्ती वर्ष के लिए तैयार और अनुमोदित की गयी सूची 'क' के, यदि कोई हो, शीर्ष पर अन्तरित कर दिये जायेगें।

(ख) उपनियम (6) के खण्ड (दो) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सूची 'ख' में सम्मिलित अभ्यर्थी उसी क्रम में जिसके उनके नाम सूची में आए हों, अस्थायी रिक्तियों के प्रति सूची 'क' के निःशोषित होने के पश्चात् नियुक्त किये जायेंगे। उन्हें मौलिक नियुक्ति के प्रति भी नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु अस्थायी आधार पर। यदि किसी समय नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि सूची 'ख' से नियुक्त किसी अधिकारी ने अवसर का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो ऐसे अधिकारी को उस पद पर जिससे उसे पदोन्नत किया गया था, बिना कोई कारण बताये प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

भाग 7
नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

22. नियुक्ति—(1) मौलिक रिक्तियों के होने पर सरकार केन्द्रीयित सेवा में नियुक्तियां नियम 20 के अधीन तैयार की गयी सूची से और नियम 21 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति द्वारा करेगी :

परन्तु जहां किसी मामलें में पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों द्वारा ही नियुक्ति की जानी हो तो सरकार पदोन्नति और सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों को दोनों में से यथासंभव बारी—बारी से अभ्यर्थी को लेकर ऐसी रिक्तियां में नियुक्त करेगी। अभ्यर्थी उसी क्रम से लिये जायें, जिस क्रम में उनके नाम सूची में हो और पहला भ्यर्थी पदोन्नत अभ्यर्थियों की सूची से लिया जायेगा।

(2) सरकार ऐसी अस्थायी रिक्तियों में भी जिनकी अवधि छः सप्ताह से अधिक हो, नियम 21 के अधीन पदोन्नति के लिए चुने गये व्यक्तियों में से नियुक्ति कर सकती हैः

परन्तु यदि ऐसी नियुक्ति के लिए कोई अनुमोदित अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो सरकार ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति कर सकती है जो केन्द्रीयित सेवाओं में स्थायी तौर पर भर्ती के लिए इस नियमावली के अधीन पात्र हो, इस उपबन्ध के अधीन नियुक्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 में दिए गए उपबन्धों के अधीन होगी।

23. तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण—(1) (एक) कोई भी व्यक्ति जो 1 अक्टूबर, 1986 के पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किया गया और इस नियमावली को प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में निरन्तर सेवारत रहा हो;

(दो) जो सीधी तदर्थ नियुक्ति के समय नियम 13 के अधीन नियमित नियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित अर्हता पाता हो; और

(तीन) जिसने यथास्थिति, तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो या पूरी करने के पश्चात् किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में जो उलपब्ध हो, नियमित नियुक्ति के लिए ऐसी रिक्ति में इस नियमावली में निहित उपबन्धों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति करने के पूर्व उसके सेवा अभिलेख और उपयुक्तता के आधार पर निरन्तर किया जायेगा।

(2) इस नियम के अधीन नियमित नियुक्ति करते में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, पिछड़े वर्गो और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति और पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(3) उपनियम (1) के प्रयोज्य के लिए सरकार एक चयन समिति का गठन करेगी और आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा।

(4) स्थानीय निकाय निदेशक अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची उस ज्येश्ठता क्रम में तैयार करेगा जैसा कि उनकी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के दिनांक से अभिनिर्धारित हो, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें, तो उस क्रम में तैयार करेगा, जिस क्रम में उसके नाम उक्त नियुक्ति के आदेश में क्रमबद्ध किये गये हों। सूची को अभ्यर्थियों का चरित्र पंजिकाओं और उनके सम्बन्ध में ऐसे अन्य अभिलेखों सहित, जो उनकी सुयोग्यता को निर्धारित करने के लिए आवश्यक समझा जाये, चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी।

(5) चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उपनियम (4) में निर्दिष्ट उनके अभिलेखों के आधार पर विचार करेगी।

(6) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी, सूची में नाम ज्येष्ठता क्रम में रखे जायेंगे, और वह उसे सरकार और स्थानीय निकाय निदेशक को भेजेगी।

(7) सरकार या स्थानीय निकाय निदेशक इस नियम के उपनियम (2) और नियम 6 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस नियम के उपनियम (6) के अधीन तैयार की गयी सूची में से नियुक्तियां उस क्रम में करेगें जिस क्रम में उनके नाम उक्त सूची में रखे गये हों।

(8) उपनियम (7) के अधीन की गयी नियुक्तियां नियम 21 में दिये गये सुसंगत उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

(9) इस नियम के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियम के अनुसार चयन के पश्चात् केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येशठता का हकदार होगा और सभी माललों में उसे इस नियम के अन्तर्गत उसकी नियुक्ति के पूर्व इस नियमावली के भाग V में सीधी भर्ती के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।

(10) यदि दो या अधिक व्यक्ति इस नियम के अन्तर्गत एक साथ नियुक्त किये जायें तो उनकी आपसी ज्येष्ठता नियुक्ति आदेशों में उल्लिखित क्रम में अवधारित की जायेगी।

(11) ऐसे व्यक्ति की सेवा जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो, और जो सुयोग्य न पाया जाये या जिसका मामला इस नियम के उपनियम (1) के अन्तर्गत न आता हो, तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और ऐसी समाप्ति पर वह एक मास का वेतन पाने का हकदार होगा।

24. परिवीक्षा–(1) केन्द्रीयित सेवाओं में, मौलिक स्थिति में या उसके प्रति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा :

परन्तु सरकार केन्द्रीयित सेवाओं के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर स्थानापन्न और अस्थायी रूप से की गयी लगातार सेवा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिवीक्षा अवधि में जोड़ने की अनुज्ञा दे सकती है।

परन्तु यह और कि सरकार किसी व्यक्ति विशेष के मामलें में पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगें, अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकती है। बढ़ाने के ऐसे आदेश में वह ठीक अवधि लिखित जायेगी जब तक के लिए उक्त अवधि बढ़ायी गयी हो।

(2) यदि परीवीक्षा अवधि या परिवीक्षा की बढ़ायी गयी अवधि में अथवा उसके अन्त में किसी समय यह पाया जाता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है अथवा अन्य किसी प्रकार से उक्त कार्य स्तर के संबन्ध में जिसे उससे अपेक्षा की जाती है, सन्तुष्ट करने

से असफल रहा है तो उसकी सेवायें यदि वह सीधी भर्ती से लिया गया हो, तो समाप्त की जा सकती है जिसके लिए वह किसी नोटिस अथवा प्रतिकर का हकदार न होगा या यदि वह पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उस पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है जिससे वह पदोन्नत किया गया हो।

25. स्थायीकरण–कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में पद पर स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक हो और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाये।

26. ज्येष्ठता–केन्द्रीयित सेवा में किसी पद पर ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के दिनां से अवधारित की जायेगी, किन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक ही दिनांक को नियुक्त किये जायें तो उनकी ज्यष्ठता उस क्रम में अवधारित की जायेगी जिस क्रम में उनके नाम नियम 20 और 21 के अन्तर्गत तैयार की गयी सूची में आयें हों।

27. स्थानान्तरण–(1) राज्य सरकार केन्द्रीयित सेवाओं के किसी अधिकारी का एक पालिका या जल संस्थान से दूसरी पालिका या जल संस्थान में स्थानान्तरण कर सकती है।

(2) यथास्थिति या जल संस्थान कोई पालिका केन्द्रीयित सेवा के किसी अधिकारी का स्थानान्तरण करने हेतु निवेदन पालिका संघटित करने वाले यथास्थिति पालिका या जल संस्थान के दो तिहाई बहुमत से इस आशय का एक विशेष संकल्प पारित कर सकती है।

भाग 8
अन्य उपबन्ध

28. वेतन और भत्ते–राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीयित सेवाओं के अधिकारियों के लिए निश्चित वेतन तथा भत्ते, यथास्थिति पालिका या जलसंस्थान द्वारा सीधे अधिकारियों को दिये जायेगें।

29. परिवीक्षा अवधि में वेतन–(1) परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से ही यथास्थिति किसी पालिका या जल संस्थान की स्थायी सेवा में न हो, परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष के लिए पद का न्यूनतम वेतन और वेतन छुट्‌टियां, जैसे कि वे प्रदूभूत हो, लेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि संतोषजनक कार्य न करने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि में तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ऐसा निर्देश न दे, किन्तु स्थायी हो जाने पर उसे वही वेतन प्राप्त होगा जो उसके सेवाकाल के अनुसार अनुमन्य होता।

(2) परिवीक्षा अवधि में ऐसे किसी व्यक्ति, जो केन्द्रीयित सेवा में भर्ती किये जाने के पूर्व यथास्थिति किसी पालिका या जल संस्थान की सेवा में पहले से ही किसी मौलिक पद पर हो, का वेतन यथास्थिति पालिका या जल संस्थान के कर्मचारियेां का वेतन निश्चित करने से सम्बद्ध संगत नियमों के अनुसार निश्चित किया जायेगा।

30. दक्षतारोध पार करने हेतु मापदण्ड–(1) केन्द्रीयित सेवाओं के किसी सदस्य को प्रथम दक्षतारोध पार करने की तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसके सम्बन्ध में यह नहीं पाया जाये कि उसे संतोशजनक रूप से और अपनी पूरी योग्यता से कार्य किया है, और उसकी सत्यनिश्ठा संदेह से परे प्रमाणित न कर दी जाये।

(2) केन्द्रीयित सेवाओं के किसी सदस्य को द्वितीय तथा अनुवर्ती दक्षतारोध पार करने की तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि वह अपने कार्य, आचरण, सत्यनिश्ठा तथा योग्यता से पूर्णतः सन्तुष्ट न कर दें।

(3) केन्द्रीयित सेवाओं के सदस्यों को दक्षतारोध पार करने की अनुज्ञा का आदेश सरकार द्वारा जारी किया जायेगा।

(4) प्रत्येक अवसर पर, जब किसी कर्मचारी को ऐसी दक्षता रोक पार करने की अनुमति दी जाय, जिस पर वह पहले रोक लिया गया हो, तो दक्षतारोध पार करने के दिनांक से उसका वेतन समयमान में ऐसे प्रक्रम पर निश्चित किया जायेगा जो उसे मिलता, यदि वह दक्षतारोध पर रोग नहीं लिया गया होता।

31. पक्ष समर्थन–भर्ती हेतु इस नियमावली के अन्तर्गत अपेक्षित सिफारिशों पर चाहे वे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अभ्यर्थता के लिए उपयों द्वारा समर्थन प्राप्त करने का प्रयास उसे नियुक्ति हेतु अनर्ह कर देगा।

32. अवकाश भत्ता, स्थानापन्न वेतन, फीस और मानदेय–(1) इस नियमावली में अन्यथा उपबन्धित व्यवस्था को छोड़कर अवकाश तथा अवकाश वेतन से सम्बद्ध सभी मामलें समान परिस्थिति के सरकारी सेवकों या प्रयोज्य अवकाश सम्बन्धी नियमों में निर्धारित रीति से विनियमित होंगे और समय–समय पर जारी किए गए संशोधन की व्याख्याओं और स्पश्टीकरण सहित आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(2) वेतन जिसके अन्तर्गत स्थानापन्न वेतन और अतिरिक्त वेतन भी है, विशेश वेतन मानदेय, प्रतिकर भत्ता, निर्वाह भत्ता तथा शुल्कों की स्वीकृति उन्हीं शर्तो पर विनियमित होगी जो समान प्रास्थिति के सरकारी सेवकों यू0पी0 फाइनेन्सियल हैंडबुक खण्ड 2, भाग दो से चार में दिये गये यू0पी0 फंडामेंटल एण्ड सब्सीडियरी रूल्स के अधीन प्रयोज्य है।

(3) इस नियमावली से स्पष्ट रूप उपबंधित व्यवस्था को छोड़कर यू0पी0 फाइनेन्सियल हैंडबुक खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिए हुए यू0पी0 फंडामेंटल एण्ड सब्सीडियरी रूल्स तथा फाइनेन्सियल हैंडबुक खण्ड 3 में दिये हुए ट्रेवलिंग एलाउन्स रॅल्स आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

टिप्पणी–तत्समान अधिकारी, जो इस निमयावली के प्रयोजनों के लिए उक्त फाइनेन्सियल हैंडबुकों के अन्तर्गत विभिन्न अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो, वे होंगे जिन्हें सरकार समय–समय पर आदेश द्वारा अवधारित करें।

33. अवकाश व्यय का आपात–यथास्थिति एक पालिका या जल संस्थान से दूसरी पालिका या जल संस्थान में स्थानान्तरित किये गये किसी अधिकारी का अवकाश व्यय, भार्गस्थ वेतन और भत्ते, जिसके अन्तर्गत यात्रा भत्ता भी है, निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार विनियमित किया जायेगा–

(क) जब किसी अधिकारी को यथास्थिति एक पालिका या जल संस्थान से दूसरी पालिका या जल संस्थान में स्थानान्तरित किया जाता है, तो उसका भार्गस्थ वेतन और भत्ता जिसके अन्तर्गत यात्रा भत्ता भी है, उस पालिका या जल संस्थान द्वारा दिया जायेगा जहां पर उसका स्थानान्तरण किया जाय;

(ख) अवकाश वेतन, यथास्थिति उस पालिका या जल संस्थान द्वारा दिया जायेगा जहां से अधिकारी अवकाश पर जायें।

34. भविश्य निधि–सभी केन्द्रीयित सेवाओं के लिए एक सामान्य भविष्य निधि स्थित कर दिये जाने के समय तक, इस नियमावली द्वारा शासित अधिकारी जब तक कि इस नियमावली में अन्यथा व्यवस्था न हो, यथास्थिति उस पालिका या जल संस्थान के जिसमें वह तत्समय तैनात किया गया हो भविष्य निधि सम्बन्धी विनियमों अथवा नियमों द्वारा शासित होते रहेगें;

परन्तु ऐसी पलिका या जल संस्थान के विनियमों या नियमों में किसी बात के होते हुए भी अधिकारी द्वारा निधि में दिये जाने वाले अंशदान की धनराशि उसकी पलिब्धियों की सवा छः प्रतिशत की दर से कम नहीं होगी। (पद उपलब्धिों' का तात्पर्य फाइनेशियल हैंडबुक खंड 2 में यथापरिभाषित वेतन, अवकाश

वेतन या निर्वाह अनुदान से हैं) और यथास्थिति पालिका या जल संस्थान द्वारा जिसमें दिया जाने वाला अंशदान उपलब्धियों के सवा छः प्रतिशत की दर से होगा और दोनों धनराशियां निकटतम पूरे रूपये में की जायेगी। 50 पैसा या उससे अधिक की गणना अगले उच्च रूपये में की जायेगी।

परन्तु यह और कि कोई अधिकारी जो केन्द्रीयित सेवाओं में अपने आमेलन हो जाने या उसमें नियुक्ति के ठीक पूर्व यथास्थिति, किसी पालिका या जल संस्थान के पेंशन तथा सामान्य भविश्य निधि विनियमों या नियमों द्वारा शासित होता रहा है, वह इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति, ऐसे पेंशन या सामान्य भविष्य निधि विनियमों या नियमों द्वारा निम्नलिखित प्रकार से शासित होता रहेगा–

(एक) ऐसे अधिकारी के सामान्य भविष्य निधि में अंशदान की धनराशि यथास्थिति, उस पालिका या जल संस्थान द्वारा जिसमें वह तत्समय तैनात हो, प्रतिमाह उसके वेतन में से काट ली जायेगी।

(दो) उक्त पालिका या यथास्थिति या जल संस्थान ऐसी पालिका या यथास्थिति, या जल संस्थान को जिसमें उक्त अधिकारी केन्द्रीयित सेवा में अपने आमेलन हो जाने या उसमें नियुक्ति के ठीक पूर्व सेवायोजित या, सामान्य भविष्य निधि में उसके अंशदान की रकम तथा उक्त अधिकारी के सम्बन्ध में अपना पेंशन सम्बन्धी अंशदान सम्बन्धित निधियों में जमा करने हेतु भुगतान करेगी।

(तीन) जिस पालिका या यथास्थिति या जल संस्थान में उक्त अधिकारी अपने केन्द्रीयित सेवाओं में आमेलन हो जाने या उसमें नियुक्ति के ठीक पूर्व सेवानिवृत्त होने के पश्चात्, यथास्थिति, उक्त पेंशन तथा सामान्य भविष्य निधि विनियमों या नियमों के अनुसार उसे उसका पेंशन, अनुग्रह धन तथा सामान्य भविष्य निधि विनियमों या नियमों के अनुसार उसे उसकी पेंशन, अनुग्रह धन तथा सामान्य भविष्य निधि का या उसके परिवार के सदस्यों को अनुग्रह तथा पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगी।

35. भविष्य निधि के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध–(1) 120 दिन से अधिक के अवकाश की स्थिति में, यथास्थिति एक पालिका या जल संस्थान से यथास्थिति दूसरी पालिका या जल संस्थान में यथास्थिति स्थानान्तरण होने के तुरन्त यथास्थिति उस पालिका या जल संस्थान में जहां पर अधिकारी का स्थानान्तरण किया गया है, उसके नाम से एक नया भविष्य निधि खाता खोला जायेगा और यथास्थिति उस पालिका या जल संस्थान का जहां से उसका स्थानान्तरण किया गया है मुख्य नगर अधिकारी, अध्यक्ष या जल संस्थान का महाप्रबन्धक, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे स्थानान्तरण के दिनांक से तीस दिन के भीतर यथास्थिति उस पालिका या जल संस्थान को जहां पर उसका स्थानान्तरित किया गया है, अधिकारी के भविष्य निधि का एक पूर्ण लेखा भेजेगा तथा पुराने खाते में उसके नाम से जमा की गयी धनराशि तथा ब्याज को जिसकी गणना उस माह तक की जायेगी जिसमें लेखा हस्तान्तरित किया जाये उसके नये लेखें में हस्तान्तरित करायेगा। अगले अनुवर्ती माह में ऐसी धनराशि पर आगे का कुल ब्याज उस पालिका द्वारा देय होगा जहां पर न या लेखा खोला गया हो।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में अधिकारी अपने वर्तमान भविष्य निधि में अंशदान देता रहेगा और ऐसी अतिरिक्त धनराशि भी देगा उसके सम्बन्ध में उससे मांगी जाय और निधि का प्रबन्ध करने वाली यथास्थिति पालिका या जल संस्थान उसमें अपना योगदान जमा करता रहेगा और यथास्थिति उस पालिका या जल संस्थान के लिए जहां पर अधिकारी का स्थानान्तरण किया गया हो, यह अनिवार्य होगा कि वह; यथास्थिति, उस पालिका या जल संस्थान को जहां से अधिक स्थानान्तरण किया गया हो, यथास्थिति उस, पालिका या जल संस्थान को परिलब्धियों की वास्तविक धनराशि की भी सूचना युक्तियुक्त शीघ्रता से दें। इसी प्रकार उसमें प्रत्येक परिवर्तन की भी सूचना तुरन्त दी जायेगी।

36. अनुशासनिक कार्यवाहियॉ–(1) ऐसे उपान्तरों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार समय–सयम पर अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में दण्ड के विरूद्ध अपील और अभ्यावेदन सम्बन्धी नियम जो सरकारी सेवकों पर लागू है, सेवा के अधिकारियों पर लागू होगें।

(2) केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों पर कोई बड़ा या छोटा दण्ड आरोपित करने के लिए राज्य सरकार सक्षम प्राधिकारी होगी :

परन्तु कोई छोटा दण्ड देने की शक्ति भी यथास्थिति नगरपालिका, नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष या जल संस्थान के महाप्रबन्धक में निहित होगी :

परन्तु यह भी है कि किसी ऐसे अधिकारी के सम्बन्ध में पदच्युत करने या सेवा से हटाने या पदावनत करने का कोई आदेश देने से पूर्व आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।

(3) केन्द्रीयित सेवा के किसी अधिकारी को निलम्बित करने की शक्ति का प्रयोग केवल राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(4) ऐसे मामलों में उपर्युक्त उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार यथास्थिति, अध्यक्ष या मुख्य नगर अधिकारी या महाप्रबन्धक द्वारा किसी अधिकारी के प्रति अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी हो और जांच के पूरा होने के पश्चात् वह इस अनन्तिम निष्कर्ष पर पहुॅचे कि पदच्युत करने या सेवा से हटाने या पदावनत करने का दण्ड देना आवश्यक है, तो वह उस मामलें को अपने निष्कर्षो और सिफारिशों के साथ सरकार को अन्तिम आदेश देने के लिए विनिर्दिष्ट करेगा।

37. सेवानिवृत्ति की आयु–(1) उपनियम (2) और (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए केन्द्रीयित सेवाओं के समस्त अधिकारियों की सेवा से निवृत्त होने की आयु साठ वर्श होगी, जिसके पश्चात् साधारणतया किसी को भी पालिका की सेवा में नहीं रखा जायेगा।

(2) सरकार किसी भी समय केन्द्रीयित सेवा के किसी अधिकारी को (चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी) नोटिस देकर, बिना कोई कारण बताये, उससे पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकती है या ऐसी केन्द्रीयित सेवा का अधिकारी पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या बीस वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूरी कर लेने पर सरकार को नोटिस देकर स्वेच्छा सेवानिवृत्त हो सकेगा।

(3) ऐसी नोटिस की अवधि तीन माह होगी, परन्तु

(क) किसी ऐसे केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी को पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् किसी भी समय सरकार के आदेश से ऐसी नोटिस के बिना या अल्पाविधि को नोटिस पर तत्काल सेवा निवृत्त किया जा सकेगा, और ऐसी सेवानिवृत्ति पर केन्द्रीयित सेवा का अधिकारी सूचना की अवधि के लिए या यथास्थिति ऐसी नोटिस तीन मास, से जितनी कम हो उतनी अवधि के लिए, उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते की यदि कोई हो, राशि के बराबर रकम का दावा करने का हकदार होगा जिस पर वह उनको सेवा निवृत्ति के ठीक पहले पा रहा था।

(ख) यदि सरकार चाहें, तो वह किसी केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी को नोटिस के बिना या अल्पावधि की सूचना पर सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा प्रदान कर सकेगी;

परन्तु यह और कि ऐसे केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी द्वारा, जिसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित या अनुध्यात हो, दी गयी नोटिस तभी प्रभावी होगी यदि वह सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, किन्तु किसी अनुध्यात अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति में केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी को उसकी नोटिस स्वीकार न किये जाने की सूचना उसकी सूचना की अवधि समाप्त होने से पूर्व दे दी जायेगी।

परन्तु यह और कि स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने के लिए उप नियम (2) के अधीन केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी द्वारा एक बार दी गयी नोटिस उसके द्वारा सरकार की अनुज्ञा के बिना वापस नहीं ली जा सकेगी।

(4) प्रत्येक केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी को जो इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होता है या जिसके सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है या जिसे सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, उस पर लागू सुसंगत नियमों के उपबन्धों के अनुसार और उसके अधीन रहते हुए सेवानिवृत्त पेंशन और या सेवानिवृत्ति सम्बन्धी प्रसुविधाएं, यदि कोई हों, उपलब्ध होंगी।

स्पष्टीकरण—(1) उपनियम (2) के अधीन सरकार का केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी से सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट है, करने का निर्णय सरकार के द्वारा यह बात लोक हित में प्रतीत होने पर लिया जायेगा, किन्तु यहां दी गयी किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि आदेश में इसका उल्लेख करने की अपेक्षा की गयी है कि ऐसा निर्णय लोक हित में लिया गया है।

(2) जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये, प्रत्येक ऐसे निर्णय, के विषय में यह उपधारणा की जाएगी कि लोकहित में लिया गया है।

(3) सरकार का प्रत्येक आदेश, जिसमें केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी से इस नियम के प्रतिबन्धात्मक खण्ड (क) के अधीन तत्काल सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की गयी हो, जारी किये जाने के दिनांक के अपरानह से प्रभावी होगा, किन्तु यदि उसके जारी किये जाने के पश्चात् सम्बद्ध केन्द्रीयित सेवा का अधिकारी सदाशयता से और उस आदेश की अनभिज्ञता से अपने पदीय कर्तव्यों का अनुपालन करता है, तो उसके कार्यो को इस तथ्य के होते हुए भी कि वह पहले ही सेवानिवृत्त हो गया विधिमान्य समझा जायेगा।

38. सेवा की अवधि का बढ़ाया जाना—केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों की सेवा की अवधि विशिष्ट कारणों से, जिन्हें सरकार अभिलिखित करेगी, 62 वर्ष की आयु तक बढ़ायी जा सकती है :

परन्तु सेवा की अवधि—

(एक) एक बार में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए; और

(दो) जब तक कि सम्बद्ध अधिकारी शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ्य और दक्ष न हो, नहीं बढ़ायी जायेगी।

39. निर्वाचन और अन्य विषयों का विनियमन—इस नियमावली में दी गयी किसी बात के होते हुए भी यदि सरकार का यह समाधान हो जाये कि इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों को लागू करने से किसी विशेष मामलें में कोई कठिनाई होती है तो वह आदेश द्वारा उक्त उपबन्ध की अपेक्षाओं की उस सीमा तक तथा ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो उस मामलें में न्यायपूर्ण तथा सामयिक (Equitable) रूप से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगी।

40. शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन—सरकार इस नियमावली के अधीन अपनी—अपनी शक्तियां तथा कृत्य निदेशक स्थानीय निकाय अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को, जिसे वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकती है।

41. पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उप सवर्ग का गठन—(1) इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी अनुसूची चार के स्तम्भ—1 में उल्लिखित केन्द्रीयित सेवाओं का एक पृथक् पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उप संवर्ग होगा जिसमें उसके स्तम्भ—2 में उनके सामने उल्लिखित पद होंगें।

(2) ऐसे पदों के पदधारी उक्त उपसंवर्ग में उनके आबंटन के पश्चात् नियम 44 के अनुसार पर्वतीय जिलों अर्थात्, अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल, उधमसिंह नगर और उत्तरकाशी के बाहर स्थानान्तरित होने के दायी नहीं होंगे।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक केन्द्रीयित सेवा को पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उप संवर्ग की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार समय–समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत करें।

42. सेवा के सदस्यों का पर्वतीय उप संवर्ग को आबंटन–(1) अनुसूची चार के स्तम्भ–2 में उल्लिखित पदों पर सेवारत केन्द्रीयित सेवा के वर्तमान सदस्यों से उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1996 के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन मास के भीतर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा यह अपेक्षा की जोयगी कि वे पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उप संवर्ग में आबंटन के लिए या सामान्य संवर्ग में बने रहने के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करें।

(2) एक बार दिया गया विकल्प अंतिम और अप्रतिसहरणीय होगा;

(3) यदि उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विकल्प का प्रयोग न किया जाय तो यह समझा जायेगा कि केन्द्रीयित सेवा का सदस्य सामान्य संवर्ग में रहना चाहता है और अपना आबंटन पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उप संवर्ग में नहीं चाहता।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी के ऐसे व्यक्तियों को जिन्होने पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उप संवर्ग में आबंटन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया है, केन्द्रीयित सेवाओं में उनकी ज्येष्ठता के अनुसार एक सूची तैयार करेगा।

(5) पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उप संवर्ग में व्यक्तियों का आबंटन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस क्रम में किया जायेगा जिस क्रम में उसके नाम उप नियम (4) के अधीन तैयार की गयी सूची में आयोजित हों और यदि ऐसी सूची में व्यक्तियों की संख्या पदों की संख्या से अधिक हो तो पदों की संख्या से अधिक व्यक्तियों की एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी और जब कभी पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उप संवर्ग में कोई रिक्ति हो उनका उक्त उप संवर्ग में आबंटन किया जायेगा।

43. पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उप संवर्ग में भर्ती–पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उप संवर्ग में पदों पर भर्ती, यथास्थिति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा इस नियमावली के अनुसार की जायेगीं

परन्तु जहां पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उप संवर्ग में आने वाले किसी पद पर भर्ती पदोन्नति द्वारा की जानी हो तो पालिका पर्वतीय उप संवर्ग के सदस्यों को पृथक पात्रता सूची तैयार की जाय और उससे भर्ती की जायेगी।

44. पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उप संवर्ग के व्यक्तियों की ज्येष्ठता–पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उप संवर्ग किसी सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता इस नियमावली के अनुसार अवधारित की जायेगी।

45. निर्वचन–यदि इस नियमावली के किन्ही उपबन्धों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई विवाद उठे या कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे सरकार को अभिदिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पन निर्णय अन्तिम तथा निश्चायक होगा।

46. अन्य विषयों का विनियमन–ऐसे विशयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली के अन्तर्गत न आते हों, केन्द्रीयित सेवाओं में नियुक्त व्यक्ति, जिसमें पालिका और जल संस्थान पर्वतीय 34 संवर्ग सम्मिलित हैं राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

47. व्यावृत्ति–इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रिसायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका नियम 8 और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

अनुसूची 1
{नियम 6 (1)(एक) देखिये}

केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
(1) उत्तर प्रदेश पालिका और जलकल अभियन्त्रण (वरिष्ठ) सेवा	(एक) नगर निगमों के नगर अभियन्ता (जल) (दो) जल संस्थानों के महाप्रबन्धक (तीन) अधिशासी अभियन्ता

अनुसूची 2
{नियम 6 (1)(दो) देखिये}

केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
(1) उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियन्त्रण (अधीनस्थ) सेवा	अवर अभियन्ता

अनुसूची 3
{नियम 6 (1)(तीन) देखिये}

केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
(1) उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान अभियन्त्रण (वरिष्ठ) सेवा	सहायक अभियन्ता
(2) उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्था जलकल अभियन्त्रण (अधीनस्थ) सेवा	अवर अभियन्ता श्रेणी–1

अनुसूची 4
{नियम 41 देखिये}

केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम

(1) उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्था जलकल अभियन्त्रण (वरिष्ठ) सेवा	(एक) जल संस्थानों के महाप्रबन्धक (दो) जल संस्थानों के अधिशसी अभियन्ता (तीन) जल संस्थानों के सहायक अभियन्ता
(1) उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्था जलकल अभियन्त्रण (अधीनस्थ) सेवा	(एक) अवर अभियन्ता श्रेणी–1 (दो) अवर अभियन्ता

आज्ञा से,

आर0वी0 भाष्कर,

सचिव।

संलग्नक–8

विभिन्न शाासनादेश

संख्या 1066 / नौ–3 / 93 नगर विकास अनुभागक–4, लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 1993

प्रेषक,

श्री आर0एस0 माथुर,

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय– उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1511/11–1–79–38–ई0 ओ0/77, दिनांक 3 अप्रैल, 1979 द्वारा उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा में अन्तिम रूप से संविलीन अधिकारियों के स्थायीकरण की अवधारणा के सम्बन्ध में आदेश जारी किए गए थे। प्रदेश की विभिन्न स्थानीय निकायों में विभिन्न पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्त त था निरन्तर कार्यरत कर्मचारियेां के स्थायीकरण के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं किए है। ऐसे कर्मचारियेां के स्थायीकरण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 में भी कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप लगातार कई वर्षो से कार्यरत रहने के बाजवूद भी कई कर्मचारी अपने पदों पर स्थायी नहीं हो पाये है।

अतएव उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 के नियम 40 (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय यह आदेश प्रदान करते हैं कि वर्ष 1977 से पूर्व उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा में कार्यरत कर्मचारियों, जिनका चयन लोक सेवा आयेाग के माध्यम से नहीं हुआ है और जो अपने पद पर नियमित भी नहीं हुए हैं, परन्तु निरन्तर रूप से कार्यरत है, ऐसे कर्मचारियों के स्थायीकरण के दिनांक का अवधारण निम्न प्रकार होगा–

(1) तदर्थ रूप से नियुक्त तथा निरन्तर कार्यरत कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के ठीक दो वर्ष बाद उसे उस पद पर स्थायी कर दिया जायेगा जिस पद पर नियुक्त के बाद कर्मचारी ने कार्यभार ग्रहण किया हो।

उपरोक्त आदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आर0एस0 माथुर,
प्रमुख सचिव।

नगर विकास अनुभाग–1 (आर0जी0), लखनऊ दिनांक 16 नवम्बर, 1995

प्रेषक,

श्री आर0बी0 भास्कर,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम।

विषय– प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों द्वारा सड़क अनुदान तथा अन्य मदों में स्वीकृत अनुदान से अधिक व्यय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि स्थानीय निकायों द्वारा शासन द्वारा स़क अनुदान एवं अन्य मदों में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय किया जा रहा है। प्रदेश के नगर निगमों एवं नगरपालिका परिशदों द्वारा सड़क अनुदान के अंशदान के रूप में 25 प्रतिशत तथा नगर पंचायतों के सम्बन्ध में 10 प्रतिशत की धनराशि का व्यय अपने निजी संसाधनों से वहन किया जायेगा। यह देखा जा रहा है

कि स्थानीय निकायों शासन द्वारा स्वीकृत सड़क अनुदान तथा अन्य मदों में स्वीकृत धनराशि निर्धारित सीमा से अधिक व्यय कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप इसके भुगतान में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

(2) अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निर्धारित व्यय सीमा से अधिक धनराशि से व्यय किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित स्थानीय निकायों के समक्ष अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(3) कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
आर0बी0 भास्कर,
अनु सचिव।

संख्या 8654/9–9–93–14–ई0/95, नगर विकास अनुभाग–1, लखनऊ :
दिनांक 28 दिसम्बर, 1995

प्रेषक,
श्री पृथ्वी पति मिश्र,
अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग,
52, वजीर हसन मार्ग, लखनऊ उत्तर प्रदेश।

विषय– नगर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 1995 के सम्बन्ध में दायर की जाने वाली निर्वाचन याचिकाओं के प्रस्तुत करने हेतु प्रतिभूति निर्धारित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3383/रा0नि0आ0अनु0–95 दिनांक 8 दिसम्बर, 1995 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्ररेश नगर पालिका अध्यक्षों के निर्वाचन और निर्वाचन याचिकाओं के आदेश 1983 के आदेश संख्या 63 के अधीन निर्वाचन याचिकाओं पर रू0 500/– की प्रतिभूति ओर यदि कोर्ट फीस एक्ट, 1870 में प्रावधान न हो तो रू0 125/– का स्टाम्प शुल्क अदा करने का प्रावधान है।

भवदीय,
पृथ्वी पति मिश्र,
अनु सचिव।

संख्या : 4172/9–4–95–97–ज/92, नगर विकास अनुभाग–4, लखनऊ
दिनांक 19 जनवरी, 1996

प्रेषक,
श्री आर0बी0 भास्कर,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय– समता समिति उत्तर प्रदेश, 1989 (स्थानीय निकाय) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के अनुसार प्रदेश के शहरी निकायों में विभिन्न पदों पर नये वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 10551/9–1–89–सा–89, दिनांक 14 फरवरी, 1990 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों हेतु समता समिति, 1989 की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय उक्त शासनादेश दिनांक 14 फरविरी, 1990 के संलग्नक के शीर्षक ''पालिका प्रशासनिक एवं राजस्व लेखा'' के क्रम संख्या 1, 2,3 तथा 'पालिका इंजीनियरिंग जलकल, इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल सेवा' के क्र0सं0 10, 11, क, ख, 12 एवं शीर्षक 'पालिका चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य सेवा' के क्रमांक 27 एवं शीर्षक 'पालिका लेखा (एकाउन्ट्स) सेवा के क्रम संख्या 59 एवं शीर्षक 'सिटी बोर्ड तथा नगरपालिका श्रेणी–1' के क्रम संख्या–2, शीर्षक 'नगरपालिका श्रेणी–2' के क्रम संख्या–1 तथा शीर्षक 'नगरपालिका श्रेणी–3' के क्र0सं0–1 के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित वेतनमानों के स्थान पर इस शासनादेश के संलग्नक के स्तम्भ–4 में अंकित वेतनमान तथा स्तम्भ–5 में अंकित अभ्युक्तियां प्रतिस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रू0 2,200–4,000 के वेतनमान के ऐसे नियमित पदधारक जिन्होने दिनांक 1 जनवरी, 1986 को अथवा विकल्प की तिथि को 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली थी, का वेतन निर्धारण दिनांक 1 जनवरी, 1986 को अथवा विकल्प की तिथि को सीधे रू0 3,000–4600 के वैयक्तिक वेतनमान में शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 1990 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। ऐसे पदधारक जो निर्धारित शर्तो की पूर्ति दिनांक 1 जनवरी, 1986 अथवा विकल्प की तिथि के बाद करते है। उनका वेतन निर्धारण उनके द्वारा प्राप्त नीचे के वेतनमान के स्तर से अगले स्तर पर निर्धारित किया जायेगा। इसी प्रकार की प्रक्रिया रू0 3,000–4,500 के पदों के विरूद्ध 20 प्रतिशत पदों पर रू0 3,700–4,500 के वैयक्तिक वेतनमान हेतु और पदधारकों के लिए भी अपनाई जायेगी। अर्ह अधिकारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति के आदेश सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।

3. उक्त षासनादेश दिनांक 14 जनवरी, 1990 को उक्त सीमा तक सम्बन्धित समझा जाये।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या वे0ओ0–2–697/दस–95 दिनांक 11 दिसम्बर, 1995 में प्रापत उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
आर0बी0 भास्कर,
सचिव।

शासनादेश दिनांक 14 फरवरी, 1990 के अनुसार क्र0सं0	पद नाम अथवा सेवा का नाम	वर्तमान वेतनमान	संशोधित वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
	पालिका प्रशासनिक एवं राजस्व सेवा			
1.	उप नगर अधिकारी (स्पेशन ग्रेड)	3700–5000	(1) 3,700–125–4,700–150 –5,000 (2) 4,500–150 –5,700 (सेलेक्शन ग्रेड)	रू0 3,000–4,500 तथा रू0 3,700–5,000 में उपलब्ध पदों के 15 प्रतिशत पद वेतनमान रू0 4,500–5,700 के सेलेकशन ग्रेड के रूप में इस प्रतिबन्ध के साथ रखे जायें कि इस प्रकार आगणित सेलेक्शन ग्रेड के पदों की संख्या उस संवर्ग में उपलब्ध रू0 3,700–5,000 के पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।
2.	उप नगर अधिकारी	3,000–4,500	(1) 3,000–100–3,500 –125–4,500 (2) 3,700–125 –4,700–150 –5,000	रू0 3,000–4,500 वेतनमान के 20 प्रतिशत पदों पर रू0 3,700–5,000 का वैयक्तिक वेतनमान ऐसे नियमित पदधारकों को अनुमन्य होगा जिनकी निरन्तर संतोषजनक सेवा 18 वर्ष पूरी हो जतीी है। रू0 3,000–4500 का वैयक्ति वेतनमान ऐसे नियमित पद धारकों को देय होगा जिन्होने 12 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा रू0 2,200–4,000 का उसके समकक्ष वेतनमान में पूरी कर ली
3.	सहायक नगर अधिकारी	2,200–4,000	(1) 2,200–75– 2,800–द0रो0– 100–4,000 (2) 3,000–100–3,500–125–7–500 (वैयक्तिक वेतनमान)	

संख्या : 102/9—आ—4—95—485—एन/95, आवास अनुभाग—4, लखनऊ
दिनांक 29 जनवरी, 1996

प्रेषक,
श्री राकेश कुमार गोयल,
संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) उपाध्यक्ष,
ल्खनऊ/देहरादून विकास प्राधिकारण।

विषय— नगर परिषदों/नगर निगमों द्वारा नजूल भूमि पर दुकानें बनाकर किराये पर उठाये जाने की स्थिति में फ्री—होल्ड की प्रक्रिया।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि नगर परिषदों, नगर निगमों द्वारा शासन को पूर्ण अनुमति प्राप्त कर नजूल भूमि पर दुकानें बनाकर किराये पर उठा दी गयी हो तो ऐसे प्रकरणों में त्रिपक्षीय कार्यवाही होगी। अर्थात् ऐसे प्रकरणों में जिला मजिस्ट्रेट, नगरपालिका तथा दुकानों के किरायेदार तीन पक्ष होंगे। षासनादेश दिनांक 2 दिसम्बर, 1992 के अनुसार दुकान के किरायेदार को फ्री—होल्ड की सुविधा दी जायेगी परन्तु ये फ्री—होटल केवल नजूल भूमि के लिए किया जायेगा और दुकान के निर्माण का डिप्रिसियेटेड मूल्य नगर पालिका कोश में जमा किया जायेगा।

भवदीय,
राकेश कुमार गोयल,
संयुक्त सचिव।

संख्या : 296/9—3796, नगर विकास अनुभाग—3, लखनऊ दिनांक 7 फरवरी, 1996

प्रेषक,
श्री नवल किशोर ,
संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
(4) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) अध्यक्ष, समस्त जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।
(6) महाप्रबन्धक, समस्त जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।

विषय— उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जल—कल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय आख्या अंकित किये जाने की प्रक्रिया एवं समय—सारिणी का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4820/9—3—87—140—डब्लू/87, दिनांक 17, अगस्त, 1987 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जल—कल अभियंत्रण (केन्द्रीयित)

सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के सभी सम्वर्गो के सम्बन्ध में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां अंकित करने हेतु पूर्व निर्धारित प्रारूप के स्थान पर नवीन प्रारूप निर्धारित किया गया है, जो संलग्न है।

2. यह प्रारूप वर्तमान वित्तीय वर्ष (1995–96) से लागू होगा। अतः अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जल–कल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा के सभी सम्वर्गो के अधिकारियों/कर्मचारियें के सम्बनध में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां संलग्न प्रारूप में ही अंकित कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

3. सम्बन्धित अधिकारियों को यह निर्देश दे दिए जाएं कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों की वर्ष 1995–96 की प्रविष्टियां संलग्न प्रारूप पर ही अंकित करें तथा उन्हें प्रत्येक दशा में दिनांक 31 मई, 1996 तक पूरी करके अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।

4. यह भी स्पष्ट करना है कि शासनादेश संख्या 4820/9–3–87–140– डब्लू/97, दिनांक 17 अगस्त, 1987 में निर्धारित प्रावधान यथावत् लागू रहेगें।

5. कृपया भविष्य में वार्षिक प्रविष्टियां अंकित करने के सम्बन्ध में तद्नुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

भवदीय,
नवल किशोर,
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जल–कल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन का आभार पत्र

वर्ष
नाम अधिकारी :
पदनाम और आलोच्य अवधि में तैनाती का स्थान :
अवधि जिसके लिए प्रतिवेदन अंकित होना है :
अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि में किये गये कार्यो का वर्णन स्वयं अधिकारी द्वारा भरा जायेगा।
(जो लागू न हो उसे काट दिया जाय)
(1) करों की वसूली

कर का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत

(2) राज्य नागर विकास अधिकरण द्वारा संचालित एवं अन्य विभिन्न कार्यक्रमों की उपलब्धियां (अभियंत्रण सेवा के सदस्यों के लिए इसी स्थान पर निर्माण कार्यो को अंकित जायेगा)।

कार्यक्रम	लक्ष्य		उपलब्धि		प्रतिशत
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	

(3) विश्व बैंक पोषित योजना के अन्तर्गत वसूली की प्रगति

कार्यक्रम	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत

(4) अनुदानों का समय से उपयोग एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का प्रेषण
(5) नागरिक सुविधाओं की वृद्धि के लिए योगदान
(6) अन्य कार्य

प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा मूल्याकंन

सामान्य मूल्याकंन–

सम्बन्धित अधिकारी के व्यक्तित्व तथा कार्य के मूल्याकंन हेतु मुख्यतः निम्नलिखित विशिष्ट पहलुओं की पृष्ठभूमि वर्णनात्क शैली में लिखी जाए :

(1) विभागीय कार्यो/लक्ष्यों हेतु तकनीकी क्षमता का मूल्याकंन
(2) विभागीय कार्यो में निष्ठा एवं लगन का स्तर/केन्द्रीय निर्देश के प्रति लगन
(3) जनसम्पर्क और जनता से व्यवहार
(4) श्रेणी : उत्कृष्ठ/अति उत्तम/उत्तम/अच्छा/खराब
(5) सत्यनिश्ठा प्रमाण पत्र

प्रतिवेदक प्राधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक
साफ अक्षरों में नाम ....
पदनाम और मुहर ....

संख्या : 583/9–1–96–8–ई0/95 नगर विकास अनुभाग–1, लखनऊ
दिनांक 15 फरवरी, 1996

प्रेषक,
श्री आर0बी0 भास्कर,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग।
सेवा में,
(1) समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

विषय– नगर स्थानीय निकायों की बैठकों में हिला सदस्यों के साथ उनके सम्बन्धियों आदि का उपस्थित न रहना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के समक्ष ऐसे उदाहरण हैं कि नगरपालिकाओं की बैठकों में महिला अध्यक्ष अथवा सदस्यों के साथ ही उनके पति अथवा सम्बन्धी भी सम्मिलित होते हैं और बैठक की कार्यवाही में भाग लेते है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 तथा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उनके अधीन प्रवृत्त नियमावलियों के प्रावधानों के अनुसार यथा निर्वाचित अध्यक्ष

या सदस्य ही सम्मिलित हो सकते हैं और बैठक में विचाराधीन बिन्दुओं पर अपने मतों की अभिव्यक्ति कर सकते है। ऐसी स्थिति में नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों ओर नगर पंचातयों की बैठकों में यह सुनिश्चित रहना आवश्यक है कि यथानिर्वाचित अथवा पदेन पदाधिकारियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति बैठक में सम्मिलित न होने पाये और न ही उसके द्वारा अपने किसी मत की अभिव्यक्ति बैठक में की जाये।

2. यह भी सुनिश्चित रहना आवश्यक है कि महिला पदाधिकारियों के किसी भी सम्बन्धी को स्थिति नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत के अभिलेखों के अवलोकन की अनुमति प्रदान न की जाय जब तक उनके द्वारा विधिवत् निरीक्षण हेतु आवेदन न किया गया हो और यथास्थिति मुख्य नगर अधिकारी या अधिशासी अधिकारी द्वारा ऐसे निरीक्षण की लिखित अनुमति प्रदान न कर दी गयी हो। यह आदेश सभी महिला पदाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने का कष्ट करें।

भवदीय,
आर0बी0 भास्कर,
सचिव।

संख्या : 940/9–3–96, नगर विकास अनुभाग–3, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 1996

प्रेषक,
श्री नवल किशोर ,
संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
(4) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) अध्यक्ष, समस्त जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।
(6) महाप्रबन्धक, समस्त जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।

विषय– उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जल–कल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय आख्या अंकित किये जाने के सम्बन्ध में प्रतिवेदक समीक्षक एवं स्वीकर्ता अधिकारी का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 296/9–3–96, दिनांक 7 फरवरी, 1996 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जल–कल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के सभी सम्वर्गो के सम्बन्ध में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां अंकित करने हेतु शाासनादेश संख्या 4820/9–3–87–140–डब्लू/87, दिनांक 17, अगस्त, 1987 के साथ संलग्न विवरण पत्र में उक्त सेवा के अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता अधिकारी के पूर्व में दिये गये निर्धारण को संशोधित करते हुए संलग्न विवरण पत्र के अनुसार निर्धारित किया जाता है। भविष्य में इसी आधार पर जल संस्थान/जलकल प्रतिष्ठान के अभियंत्रण सेवा (केन्द्रीयित) के अधिकारियों/कर्मचारियों के सभी सम्वर्गो के सम्बन्ध वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां अंकित कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,
नवल किशोर,
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश पालिका जल संस्थान जल–कल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों की प्रविष्टियां अंकित करने के लिए प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकर्ता अधिकारी का निर्धारण :

	अधिकारी / कर्मचारी का पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महाप्रबन्धक (जल संस्थान) क्षेत्रीय जनसंस्थान	अध्यक्ष / आयुक्त	सचिव,	सचिव, नगर विकास
2.	महाप्रबन्धक (जल संस्थान को छोड़कर)	मुख्य नगर अधिकारी	आयुक्त एवं प्रमुख / प्रशासक	सचिव, नगर विकास
	नगर अभियंता (जल) नगर निगम	मुख्य नगर अधिकारी	आयुक्त एवं प्रमुख / प्रशासक	सचिव, नगर विकास
1.	अधिशासी अभियंता (जल संस्थान) क्षेत्रीय जनसंस्थान	महाप्रबन्धक	आयुक्त	सचिव, नगर विकास
2.	अधिशासी अभियंता (जल संस्थान को छोड़कर)	महाप्रबन्धक	मुख्य नगर अधिकारी	सचिव, नगर विकास
3.	अधिशासी अभियंता / 'ए' श्रेणी जलकल अभियंता	अधिशासी अधिकारी	जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष	सचिव, नगर विकास
4 (1)	सहायक अभियन्ता (जल संस्थान)	अधिशासी अभियन्ता	महाप्रबन्धक	निदेशक, स्थानीय निकाय
(2)	'बी' श्रेणी जलकल अभियंता / सहायक अभियंता जलकल प्रतिश्ठान	'ए' श्रेणी जलकल अभियंता / अधिशासी अभियंता (जहां 'ए' श्रेणी जलकल अभियंता सनहीं है वहां अधिशासी अधिकारी)	अध्यक्ष	निदेशक, स्थानीय निकाय
5. (1)	अवर अभियंता (जल) अवर अभियंता (जल) ग्रेड 1 (जल संस्थान)	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियंता एवं महाप्रबन्ध	निदेशक, स्थानीय निकाय
(2)	अवर अभियंता (जल) अवर अभियंता (जल) ग्रेड 1 'सी' श्रेणी जलकल अभियंता (जल प्रतिश्ठान)	सहायक अभियन्ता अधिशासी अभियंता	अध्यक्ष	निदेशक, स्थानीय निकाय

संख्या : एक / 372–16–टी0सी.792, लखनऊ दिनांक 13 अप्रैल, 1996

प्रेषक,

निदेशक, ,

स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश 4, प्राग नारायण रोड, लखनऊ।

सेवा में,

(1) समस्त नगर पालिकाओं के मुख्य नगर अधिकारी।

(2) समस्त नगर पालिका / नोटीफाइड एरिया / टाउन एरियाज के प्रशासक / अध्यक्ष।

विषय— प्रदेश की विभिन्न स्थानीय निकायें में दिनांक 11 अक्टूबर, 1989 को कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवा में रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि शासन के शासनादेश संख्या 1076/9—1—92—95—सा0/91, दिनांक 3 फरवरी, 1992 द्वारा प्रदेश की विभिन्न स्थानीय निकायों में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी, जिन्होने दिनांक 11 अक्टूबर, 1989 को 3 वर्ष की सेवा और प्रत्येक वर्ष 240 दिन कार्य करने की शर्त पूर्ण कर ली है, को नियमित करने हेतु आदेश निर्गत कर दिये हैं। इसी सन्दर्भ में शासन के शासनादेश संख्या 171/9—1—92, दिनांक 8 जनवरी, 1922 द्वारा विभिन्न स्थानीय निकायों में दिनांक 11 अक्टूबर, 1989 को कार्यरत वेतन भोगी ऐसे कर्मचारी जिन्होने उक्त तिथ को 3 वर्ष की सेवा तथा प्रत्येक वर्ष में 240 दिन कार्य करने की शर्त पूरी नहीं की थी, उन्हें सेवा से न निकालने एवं भविश्य में रिक्तियों में समायोजित करने का निर्णय लिया था।

(2) शासन के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि विभिन्न स्थानीय निकायों में जो नियमति पद सेवा निवृत्ति या अन्य कारण से रिक्त हो रहे हैं या उन पर बाहर से नियुक्तियां की जा रही है और दैनिक वेतन के उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को अवसर नहीं दिया जा रहा है। यह स्थिति उचित नहीं है।

(3) अतः शासन ने निर्णय लिया है कि स्थानीय निकायों में जो नियमित सृजित पद रिक्त है, या होंगे उन पर वरिश्ठता क्रम में निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी जो दिनांक 11 अक्टूबर, 1989 को कार्यरत थे किन्तु उक्त तिथि को जिन्होने 3 वर्ष की सेवा और 1 वर्ष में 240 दिन कार्य की शर्त नहीं पूरी की थी। ऐसी नियुक्तियों में भी आरक्षण का कोटा अवश्यक पूरा किया जायेगा।

(4) कृपया इन आदेशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

जे0एच0 खान,

निदेशक

संख्या : 1670/नौ—1—96 नगर विकास अनुभाग—4, लखनऊ दिनांक 15 अप्रैल, 1996

प्रेषक,

श्री आर0बी0 भास्कर,

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त।

(2) समस्त जिलाधिकारी।

विषय— विभिन्न श्रेणियों की नगर पालिका परिषदों में अधिशासी अधिकारियों के पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में। ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनहित में प्रशासनिक दृष्टिकोण से निम्न निर्णय लिया गया है—

(1) पालिका केन्द्रीयित प्रशासी सेवा के अधिशासी अधिकारी श्रेणी—1 के अधिकारियों की नगर निगमों में कर निर्धारण अधिकारी एवं नगर पलिका परिषद् श्रेणी—1 में कर निर्धारण अधिकारी के रिक्त पदों पर, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व (प्रवर) सेवा के अधिकारियों के उपलब्ध न होने की दशा में तैनाती की जा सकेगी।

(2) पालिका केन्द्रीयित प्रशासी सेवा के श्रेणी–1 के अधिशासी अधिकारियों की तैनाती नगर निगम के सहायक नगर अधिकारियों एवं पूर्व में सिटी बोर्ड के रूप में नामित नगर पलिका परिषदों के अधिशासी अधिकारियों के रिक्त पदों पर भी की जा सकेगी।

(3) श्रेणी–2 की नगर पलिका परिषदों में अधिशासी अधिकारियों के पदों पर भी पालिका केन्द्रीयित प्रशासी सेवा के अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1 के अधिकारियों की तैनाती की जा सकेगी।

(4) विशेष परिस्थितियों मतें नगर पलिका परिषद श्रेणी–1 में अधिशासी अधिकारी के पदों पर पालिका केन्द्रीयित प्रशासी सेवा के अधिशासी अधिकारी श्रेणी–2 की तैनाती की जा सकेगी।

(5) उपरोक्त की भाति विशेष परिस्थितियों में पालिका केन्द्रीयित प्रशासी सेवा के अधिशासी अधिकारी श्रेणी–3 के अधिकारियों को नगर पलिका परिषद श्रेणी–4 तथा पालिका केन्द्रीयित प्रशासी सेवा के अधिशासी अधिकारी श्रेणी–4 के अधिकारियों की तैनाती नगर पलिका परिषद श्रेणी–3 के अधिशासी अधिकारी के पदों पर की जा सकेगी।

2– उपरोक्त स्थानान्तरणों/तैनाती के फलस्वरूप किसी अधिकारी के सेवा वर्ग, श्रेणी एवं वेतनक्रम और श्रेणी में पदस्थ हैं उसी सेवा वर्ग, श्रेणी और वेतनक्रम में बना रहेगा।

भवदीय,
आर0बी0 भास्कर,
सचिव।

संख्या : 16/नौ–1–96–4–आरसी/96, नगर विकास अनुभाग–4, लखनऊ :
दिनांक 14 मई, 1996

प्रेषक,
श्री आर0बी0 भास्कर,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
(1) समस्त नगर निगमों के मुख्य नगर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

विषय– **नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों को परामर्श सेवायें।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपको सूचित करने का मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संविधान (74वें संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में किये गये व्यापक संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में नगर पालिकाओं (नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों) के अनिवार्य तथा विवेकाधीन कृत्यों में पर्याप्त वृद्धि होने के साथ ही सामाजिक आर्थिक नियोजन, शहरी गरीबी उन्मूल न कार्यक्रमों का प्रशासन, आदि विषयों के कारण उनके उत्तरदायित्व प्रर्याप्त अधिक हो गये है। ऐसी स्थिति में उनकी संगठनात्मक सामर्थ्य में वृद्धि, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार तथा वित्तीय प्रबन्ध एवं शहरी गरीबी उनमूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सर्वेक्षण आदि के कार्य होना समाधीन है। नगर प्रशासन तथा प्रबन्धन के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शोध तथा परामर्श के लिए सी0 पी0 102, सेक्टर–5स, इन्दिरा नगर, लखनऊ स्थित क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र में आवश्यक परामर्श की सुविधा उपलब्ध है अतएव शहरी संशोधनों को गतिशील बनाने, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों का संचालन करने, बजट तैयार करने तथा संगठनात्मक ढांचे का पुनः रूपांकन करने के सम्बन्ध में, यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत उक्त केन्द्र से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

भवदीय,

आर0बी0 भास्कर,
सचिव।

संख्या : 123/नौ–6–96–1(47)/95, नगर विकास अनुभाग–6, लखनऊ :
दिनांक 27 जून, 1996

प्रेषक,
जे0पी0 विश्वकर्मा,
विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

विषय– उत्तर प्रदेश, पालिका (केन्द्रीयित सेवा संवर्ग के पदों पर स्थानीय निकायों के अकेन्द्रीयित संवर्ग के कर्मचारियों की स्थानीय सतर पर की गयी व्यवस्था के अधीन नियुक्ति पर रोक।

महोदय,
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि नगर स्थानीय निकायों द्वारा उत्तर प्रदेश, पालिका केन्द्रीयित सेवा संवर्ग के पदों पर स्थानीय स्तर पर, कार्य चलाने के आधार पर, अकेन्द्रीयित सेवा संवर्ग के कार्मिकों की नियुक्ति/पदोन्नति, अस्थायी/प्रभारी अथवा किसी अन्य प्रकृति में नियुक्ति कर ली जाती है, यह व्यवस्था ठीक नहीं है। इस प्रकार की गयी समस्त नियुक्तियां अनियमित एवं नियमों के विपरीत है, जिनसे कालान्तर में अनेकों न्यायिक विवाद उत्पन्न होते है। अतः उक्त व्यवस्था के अधीन की गयी समस्त नियुक्तियों/पदोन्नतियों को कृपया तत्काल समापत करना सुनिश्चित करें। भविष्य में इस प्रकार की नियुक्तियां पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,
जे0पी0 विश्वकर्मा,
विशेष सचिव।

संख्या : एक–575/1 सा0अधि0/निद0/85, लखनऊ दिनांक 9 अगस्त, 1996

प्रेषक,
निदेशक, ,
स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश
आठवां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
सेवा में,
(1) मुख्य नगर अधिकारी,
समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
(2) अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी,
समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
(3) महाप्रबंधक,
समस्त जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।

विषय– उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा संवर्ग के पदों पर स्थानीय निकायों के अकेन्द्रीयित संवर्ग के कर्मचारी की स्थानीय स्तर पर की गई व्यवस्था के अधीन नियुक्ति पर रोक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 123/नौ–6–96–(4)/95, दिनांक 27 जून, 1996, जो समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को सम्बोधित है, की प्रति संलग्न करते हुए निवेदन है कि संदर्भित पत्र में निहित निर्देशों के पालन में यदि स्थानीय स्तर पर कार्य चलाने हेतु किसी प्रकार की कोई नियुक्ति/व्यवस्था की उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा संवर्ग के पदों पर की गई हो तो उसे तत्काल समाप्त कर दिया जाये तथा भविश्य में पालिका (केन्द्रीयित) सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था स्थानीय स्तर पर न की जाये।

2. कृपया शासन के उक्त आदेश दिनांक 27 जून, 96 का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

योगेश कुमार,

निदेशक

संख्या : 5429/नौ–4–92, नगर विकास अनुभाग–4, लखनऊ : दिनांक 26 अगस्त, 1996

प्रेषक,

श्री पी0 एल0 पुनिया,

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय– स्थानीय निकायों के बी0 ई0/ ए0 एम0 आई0 ई0 उपाधि धारक अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियनता के पद पर प्रोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा अवधि का निर्धारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञापन संख्या 1574/11–4–एम–82–68–ई–82, दिनांक 13 जनवरी, 1987 द्वारा स्थानीय निकायों के उन अवर अभियन्ताओं के लिए, जो बी0 ई0/ ए0 एम0 आई0 ई0 उपाधि धारक हो सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु 5 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए है। उक्त कार्यालय ज्ञापन में इन उपाधि धारकों की प्रोन्नति हेतु कोई अर्हकारी सेवा अवधि स्पष्ट नहीं की गयी है। जिसके कारण इस प्रकार के मामलों के निस्तारण में शासनादेश संख्या 3857/11–496–ई0जी0/78, दिनांक 25 मई, 1979 में निर्धारित दस वर्श की सेवावधि अर्हकारी सेवा अवधि के रूप में मानी जा रही है जबकि लोक निर्माण विभाग में इन उपाधि धारकों की प्रोन्नति के लिए कोई अहकारी सेवा अवधि निर्धारित नहीं है।

(2) अतः विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्थानीय निकायों में सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु बी0 ई0/ ए0 एम0 आई0 ई0 उपाधि धारक अवर अभियन्ताओं के लिए कोई अर्हकारी सेवावधि न रखी जाये। यह प्रोन्नतियां निर्धारित 5 प्रतिशत सीमा के अन्तर्गत ही की जायेगी। शासनादेश संख्या 3857/11–496–ई0जी0/78, दिनांक 25 मई, 1979 को तद्नुसार संशोधित समझा जायेगा।

(3) कृपया उपरोक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

पी0 एल0 पुनिया,

सचिव।

संख्या : 6700/नौ–4–96–9–एल0बी0/87, नगर विकास अनुभाग–4, लखनऊ :
दिनांक 3 दिसम्बर, 1996

प्रेषक,
श्री आर0बी0 भास्कर,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग।
सेवा में,
निदेशक,
स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय– निदेशक, स्थानीय निकाय को अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1960/11–4–87–9 एल0बी0/87 दिनांक 1 जून, 1982 के अनुक्रम में राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 के नियम 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उक्त नियमावली के नियम 3 में पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के सम्मिलित 2200–4000 के वेतनमान से न्यून वेतनमान के पदों के पदधारकों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की निम्नलिखित शक्तियों तथा कृत्यों का प्रतिनिधायन करते हैं–

(1) प्रोन्नति के प्रकरण।
(2) अनुशासनिक कार्यवाही एवं दण्ड जिसके समख राज्य सरकार अपीलीय प्राधिकारी रहेगें।
(3) नियमितीकरण के मामलें।
(4) वेतन एवं अवकाश स्वीकृति।
(5) दक्षता रोक पार करने की अनुमति।
(6) प्रतिकूल प्रविष्टियां संसूचित किया जाना और ऐसी प्रविष्टियों के समक्ष प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर निर्णय।
(7) ज्येष्ठता सूचियों की संरचना एवं प्रभावीकरण।
(8) न्यायिक विवादों में प्रतिवाद/प्रतिज्ञापथ पत्र दाखिल करना व पैरवी।
(9) सेवा पुस्तिका एवं चरित्र–पंजियों का अनुरक्षण।
(10) समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के अधिकार।
(11) शेष मामलें जो शासनादेश संख्या–1960/11–4–87–9 एल0बी0/87 दिनांक 1 जून, 1982 एंव शासनादेश संख्या 5634/नौ–4–92–9 एल0बी0/87 दिनांक 1 सितम्बर, 1992 में उल्लिखित है।

3. उक्त प्रतिनिधायन के अनुसार राज्य सरकार की शक्तियों का विधिसम्मत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
आर0बी0 भास्कर,
सचिव।

संख्या : 6783(1)/9–1–96–215–डब्लू0/96, नगर विकास अनुभाग–4, लखनऊ :
दिनांक 31 दिसम्बर, 1996

प्रेषक,
श्री आर0बी0 भास्कर,

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

(4) समस्त अधिशाासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

विषय— स्थानीय निकायों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी समस्याओं की समयबद्ध रूप से निस्तारित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा अवकाश, चिकित्सा अवधि के वेतन का भुगतान तथा दक्षतारोक पास कराये जाने आदि से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु अपने अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है, लेकिन उस पर समयान्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है। अतः बाध्य होकर सम्बन्धित कर्मचारियेां को मा0 न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। यह स्थिति अत्यन्त ही असंतोषजनक है।

2. अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह अति आवश्यक है कि यदि किसी स्थानीय निकाय के कर्मचारी की सेवा सम्बन्धी समस्या के सम्बन्ध में उससे सम्बन्धित स्थानीय निकायों के अधिकारियों/निदेशक, स्थानीय निकाय के पास प्रार्थना—पत्र पहुंचता है, तो नियमानुसार उस पर समयबद्ध रूप से एक माह के अन्दर निर्णय लेकर संबंधित कर्मचारी को अवश्य ही अवगत करा दिया जाये तथा विलम्ब करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये। इससे सम्बन्धित कर्मचारियों को छोटे—छोटे प्रकरणों के निस्तारण हेतु मा0 न्यायालय की शरण नहीं लेनी पड़ेगी और रिटों में शासन स्तर पर अनावश्यक समय व्यर्थ नहीं होगा। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने के साथ—साथ उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कश्ट करें।

भवदीय,

आर0बी0 भास्कर,

सचिव।

————————

संलग्नक–9

उ0 प्र0 नगर पालिका सेवक अपील नियमावली, 1967

[U.P. Municipal Servants Appeal Rules, 1967]

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और लागू होना (Short title, commencement and Application)-

(1) यह नियमावली उ0प्र0 नगर पालिका सेवक अपील नियमावली, 1967 कही जा सकेगी।

(2) यह शासकीय गजट में अपने प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(3) यह उ0प्र0 में नगर पालिका के सभी सेवकों पर, नगर पालिका के शिक्षण संस्थानों में नियुक्त सेवकों के सिवाय, लागू होगा।

2. परिभाषाएं (Definitions)–इस नियमावली में जब तक कि विषय अथवा संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो–

(i) ''अधिनियम'' से तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उ0प्र0 अधि0 सं0 2, 1916) अभिप्रेत है।

(ii) ''अपीलीय प्राधिकारी'' से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसके समक्ष अधिनियम अथवा इस नियमावली के अन्तर्गत किसी दण्डात्मक आदेश के विरूद्ध कोई अपील दाखिल हो रही हो,

(iii) ''सक्षम प्राधिकारी'' से, किसी आदेश अथवा कार्यवाही के ससन्दभ्र में, नगर पालिका का कोई प्राधिकारी, यथास्थिति, अभिप्रेत है, जो विधि की दृष्टि में ऐसा आदेश पारित करने हेतु अथवा ऐसी कार्यवाही करने हेतु सक्षम हो,

(iv) ''दण्डात्मक आदेश'' से सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश अथवा प्रस्ताव अभिप्रेत है, जो किसी सेवक की पदच्युति, उसे पद से हटाने अथवा पदावनत करने से अथवा उत्तर प्रदेश नगर पालिका सेवक (जांच, दण्ड एवं सेवामुक्ति) नियमावली, के नियम 4 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कोई अन्य शास्ति अधिरोपित करने से सम्बन्धित हो,

(v) किसी विभाग के सम्बन्ध में ''मुख्य अधिकारी'' से ऐसे विभाग का प्रभारी अधिकारी अभिप्रेत है,

(vi) ''दण्ड प्राधिकारी'' किसी दण्डादेश के सन्दर्भ में, दण्ड का आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी अभिप्रेत है,

(vii) ''धारा'' और ''उप–धारा'' से अधिनियम की धारा और उपधारा विनिर्दिष्ट है।

3. अपील (Appeals)–अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, दण्डादेश के विरूद्ध अपील निम्नलिखत के समक्ष दाखिल होगी–

(i) धारा 76 के अन्तर्गत अध्यक्ष से भिन्न दण्ड प्राधिकारी द्वारा पारित ओदश की दशा में अध्यक्ष के समक्ष,

(ii) धारा 74 के अन्तर्गत दण्ड प्राधिकारी द्वारा अथवा धारा 76 के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश की दशा में, मण्डलायुक्त के समक्ष।

4. अपील दाखिल करने की रीति–(1) अपील दाखिल करने वाला हर व्यक्ति उसे पृथक रूप से और अपने नाम से दाखिल करेगा। अपील उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगी और उस पर उसका डाक का पूर्ण पता उल्लिखित होगा।

(2) कोई भी अपील ग्राहृा नहीं होगी, जब तक कि वह दण्डादेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी हो, को अपीलार्थी को संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर प्रस्तुत न की गयी हो,

परन्तु 30 नवम्बर, 1964 को अथवा उसके पश्चात् किन्तु इस नियमावली के प्रकाशित होने के पूर्व किसी सेवक के विरूद्ध पारित दण्डादेश के विरूद्ध कोई अपील, इस नियमावली के प्रकाशन से साठ दिन के पूर्व दाखिल की जा सकेगी।

(3) हर अपील प्राधिकारी को सम्बोधित होगी और उस प्राधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा, जिनके आदेश के विरूद्ध अपील दाखिल की जा रही हो।

(4) प्राधिकारी, जिसके आदेश के विरूद्ध अपील दाखिल की जा रही है, उसे पैराक्रमानुसार अपनी टिप्पणी, सभी सम्बन्धित अभिलेखों और सुसंगत कागजातों, जिसमें अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका, चरित्र पंजिका तथा व्यक्तिगत फाइल भी सम्मिलित होगी, के साथ सम्यक् रूप से सभी प्रकार के पूर्ण रूप में, अपील प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। यदि किसी अन्य कारणों से उकत अवधि सीमा के भीतर अपील प्रेषित न की जा सके, तो अवधि के समाप्त होने से पूर्व वह उन कारणों से अपील प्राधिकारी को

अवगत करायेगा ओर तत्पश्चात् ऐसे दिनांक तक जो अपील प्राधिकारी द्वारा नियत किया जाये, अपील को अग्रसारित करेगा।

(5) हर अपील में अपीलार्थी द्वारा विश्वास किया गया सभी तात्विक विवरण और तर्क अन्तविष्ट होगा। इसमें कोई भी असमर्यादित अथवा अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं होगा और वह हर प्रकार से पूर्ण होगी।

(6) अपीलार्थी, यदि वह अपेक्षित समझे, अपील की एक अग्रिम प्रतिलिपि सीधे अपील प्राधिकारी को प्रेषित कर सकेगा।

(7) यदि उप–नियम (4) में विहित अवधि के भीतर कोई अपील अपील प्राधिकारी को अग्रसारित न की जाये, तो अपील प्राधिकारी उसे मंगा सकेगा तथा दिनांक नियम कर सकेगा, जब तक दण्ड प्राधिकारी अपील को उक्त उपनियम में उपबन्धित रीति से अग्रसारित करेगा।

5. अपील प्राधिकारी द्वारा अपील पर विचार (Consideration of an Appeal by Appellate Authotiry)–अपील प्राधिकारी किसी अन्य सुसंगत तत्वों के अथवा निम्नलिखित के बारें में विचार करेगा–

(i) क्या वह तथ्या जिस पर दण्डादेश आधारित है, स्थापित हो चुका है।

(ii) क्या स्थापित तथ्य कार्यवाही किये जाने हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करता है, तथा

(iii) क्या अधिरोपित शास्ति अधिक है अथवा पर्याप्त है अथवा अपर्याप्त है।

6. अपील प्राधिकारी द्वारा अपील का आदेश (Orders on an Appeal by the Appellate Authority)–नियम 5 में उपबन्धित रीति से अपील पर विचार करने के पश्चात अपील प्राधिकारी धारा 77 क में वर्णित कोई आदेश पारित कर सकेगा।

7. कोई प्राधिकारी जिसके आदेश के विरूद्ध इस नियमावली के अन्तर्गत कोई अपील दाखिल की जाती है, उक्त अपील पर अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश को समुचित रूप से लागू करेगा।

8. (1) अन्तिम आदेश के संसूचित किये जाने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि बीतने से पूर्व सरकार किसी भी समय धारा 3 की उपधारा (ii) में विहित अपील प्राधिकारी के द्वारा निर्णीत किसी अपील का अभिलेख मंगा सकेगी तथा यदि उसके विचार में विधि के गलत निर्वचन के कारण अथवा अन्यथा न्याय का गम्भीर रूप से हनन किया गया है, तो वह अपील प्राधिकारी के आदेश पर पुनर्विचार कर सकेगी।

(2) मंडलायुक्त पूर्ववर्ती उपनियम (1) में वर्णित तत्समान शक्ति का प्रयोग नियम 3 के उपनियम (1) में अपील प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी अपील के मामलें में कर सकेगा।

9. किसी सेवक, जो सेवा से पदच्युत अथवा हटा दिया जाये, द्वारा रिक्त किया गया पद जब तक मौलिक रूप से नहीं भरा जायेग, जब तक कि नियम 9 के उपनियम (2) में अपील के लिए अवधि समाप्त न हो जाये अथवा अपील, यदि कोई दाखिल की गयी हो, में ऐसा कोर्ठ आदेश अन्तिम रूप से अस्वीकृत कर दिया जाये। यदि पद पर कोई नियुक्ति अस्थायी आधार पर की गयी हो, तो उक्त अवधि के दौरान, अपील में पारित आदेश के प्रकाश में पुनरीक्षित किया जायेगा, बशर्ते कि पहले ही सेवा समाप्त न की जा चुकी हो।

संलग्नक–10
राज्य नगर पालिका परिषद् संघ (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1969
[The State Municipal Borads union (Uttar Pradesh) Rules, 1969]

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ (Short title and commencement)-

(i) यह नियमावली राज्य नगर पालिका संघ (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1969 कही जा सकेगी।

(ii) यह शासकीय गजट में अपने प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं (Definitions)–इस नियमावली के अन्तर्गत, जब तक कि विषय अथवा प्रसंग में अन्यथा उपबन्धित न हो, ''संघ'' से उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उ0प्र0 अधि0 सं0 1, सन् 1926) की धारा 110–क के अन्तर्गत निर्मित एवं इस नियसमावली के अनुसार गठित उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिशद संघ अभिप्रेत है।

3. संघ का उद्देश्य और विषय (Aims and Objrcts of the Union)–संघ का उद्देश्य और विषय निम्नवत् होगा–

(क) घटक परिषद् के प्रतिनिधि निकाय के रूप में कार्य करना;

(ख) नगर पालिका परिषद् के प्रतिनिधियों और उनके कर्मचारियों की सामयिक बैठक, यदि आवश्यक हो; बुलाना,

(ग) नगर पालिका परिषद् से सम्बन्धित प्रशासनिक एवं अन्य समस्याओं के सुधार हेतु प्रोत्साहित करना; तथा

(घ) नगर पालिका परिषद् की सामान्य हित को अग्रसर करने हेतु अन्य आवश्यक कार्यवाही करना।

4. सदस्यता ओर वार्षिक शुल्क (Membership and the annual Subscription)–(1) संघ की सदस्यता राज्य की सभी नगर पालिका परिशदों के लिए खुली होगी। प्रत्येक नगर पालिका परिषद् का प्रतिनिधित्व उसके अध्यक्ष और एक सदस्य, यदि परिषद् की कुल सदस्य संख्या 15 से अधिक न हो तथा यदि नगर पालिका परिषद् की सदस्य संख्या 15 से अधिक हो, तो उसके अध्यक्ष और परिषद् के दो सदस्यों द्वारा नियम 5 में विनिर्दिष्ट सामान्य परिषद् (General Council) में किया जाएगा।

(2) संघ के हर सदस्य द्वारा दो सौ रूपये (200 रू0), प्रथम श्रेकणी की दशा में तथा सौ रूपये (100 रू0) अन्य परिषदों की दशा में वार्षिक शुल्क के रूप में देय होगा। विहित शुल्क पूर्ण रूप में देय होगा, जब कोई परिषद् संघ का सदस्य बने।

(3) वार्षिक शुल्क का भुगतान करने की अन्तिम तिथि हर वर्ष 31 मार्च होगी।

(4) वार्षिक शुल्क के भुगतान में कोई चूक सदस्य–परिषद् को संघ की सदस्यता से हटाने योग्य बना देगी।

5. संघ की सामान्य परिषद् (General Council of the Union)–(1) संघ की एक सामान्य परिषद् होगी, जो परिषद के अध्यक्ष सदस्यों से मिलकर गठित होगी ओर जो अपनी बीच से परिषद के एक अध्यक्ष और एक सचिव का निर्वाचन करेगें।

(2) सामान्य परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे–

(क) सामान्यतः संघ से सम्बन्धित सभी मामलों को विनियमित और निर्धारित करना,

(ख) संघ की कार्यवाहियों से सम्बन्धित व्यय को पारित करना, वार्षिक बजट को पारित करना एवं उसमें कोई परिवर्तन, यदि कोई हो, करना तथा

(ग) संघ के कारोबार को संचालित करने हेतु नियम 6 में विनिर्दिष्ट कार्यकारी समिति (executive Committee) को ऐसा निर्देश, जिसे वह उचित समझे, जारी करना।

6. कार्यकारी समिति (executive Committee)–सामान्य समिति द्वारा वार्षिक रूप से निर्वाचित की गई संघ की एक कार्यकारी समिति होगी, जिसके अध्यक्ष और सचिव को सम्मिलित करते हुए, 21 सदस्य होंगे। यह संघ की वार्षिक बजट तैयार करेगी तथा ऐसा अन्य कार्य, वार्षिक बजट में अनुमोदित कोष के लिए आवेदन करने को

सम्मिलित करते हुए, जो सामान्य परिषद् द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से अपनी तरफ से करने हेतु उसे समनुदेशित किया जाए। सामान्य परिषद् के अध्यक्ष और सचिव क्रमशः कार्यकारी समिति के भी अध्यक्ष और सचिव होंगें।

7. अध्यक्ष और सचिव की आपातकालीन शक्ति (Emergency power of President and Secretary)—आपातकालीन स्थिति में सामान्य परिषद का अध्यक्ष अथवा सचिव क्रमशः सौ रू0 ओर पचास रू0 से अनधिक किसी व्यय के लिए, अनुमोदित कर सकेगा, किन्तु ऐसा अनुमोदन इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसे प्रत्येक व्यय के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट वयय किए जाने के पश्चात् सामान्य परिषद की अगली बैठक में उसकी सूचना हेतु प्रस्तुत की जाएगी।

8. लेखा का सम्परीक्षण (Audit of Accounts)—संघ के लेखा का सम्परीक्षण स्थानीय कोष लेखा परीक्षक द्वारा तन्निमित नाम निर्दिष्ट सम्परीक्षक द्वारा किया जाएगा।

9. विनियम (Regulations)—कार्यकारी समिति इस नियमावली के उपबन्धों से सुसंगत और सामान्य समिति के निर्णयों की अनुरूपता में संघ, कार्यकारी समिति और सामान्य परिषद् के कारोबार के संचालन हेतु और इन अंगों के कुशलतापूर्वक अपने कृत्यों के संचालन हेतु विनियम निर्मित कर सकेगी।

——————

संलग्नक–11

नगर पालिका परिषद् के सेवकों का प्रतिधारण और सेवा निवृत्ति विनियम, 1965

[Retention and Retirement of Sertvants of Municipal Boards Regulations, 1965]

1. ये विनियम नगर पालिका परिषद् के सेवकों का प्रतिधारण और सेवानिवृत्ति विनियम, 1965 कहे जा सकेंगें।

2. ये गजट में अपने प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगें।

3. (i) उपविनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 60 वर्ष से निम्न आयु के सभी नगर पालिका परिषद् के सभी सेवक तीस जून, 1964 अथवा एतद्पश्चात् नियुक्त सभी सेवक 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होंगे ओर इसके पश्चात् सामान्यतः कोई भी नगर पालिका परिषद् की सेवा में नहीं रोका जाएगा।

(ii) नियुक्तकर्ता प्राधिकारी किसी सेवक से यदि वह शारीरिक रूप से अनुपयूक्त अथवा अकुशल हो, तीन माह की नोटिस देकर उसको 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा कर सकेगा,

परन्तु इस उपनियम की कोई भी बात नगर पालिका परिषद् के उन सेवकों पर लागू नहीं होगी, जो 31 दिसम्बर, 1955 को 50 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु पूर्ण कर चुके है।

(iii) नगर पालिका परिषद् का कोई सदस्य 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को तीन माह की नोटिस देकर सेवानिवृत्त हो सकेगा। उस सेवक की दशा में, जिसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां लम्बित हो अथवा अपेक्षित हो, यह नोटिस मात्र तभी प्रभावी होगी, जब यह नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर ली जाये।

सेवक द्वारा एक बार दी गयी नोटिस नियुक्तिकर्ता अधिकारी की अनुमति के बिना वापस नहीं ली जा सकेगी।

4. सेवा में विस्तार, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विशेष कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् 62 वर्ष की आयु तक दिया जा सकेगा।

परन्तु कोई भी सेवा विस्तार–

(1) एक बार में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, अथवा

(2) जब तक कि सम्बन्धित सेवक शारीरिक रूप से उपयुक्त और सक्षम न हो,

प्रदान नहीं किया जायेगा।

———————————

संलग्नक–12

उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद् सेवक (जांच, दण्ड और सेवामुक्ति) नियमावली, 1960

[Uttar Pradesh Municipal Boards Servants (Inquiry Punbishment and Termination of Service) Rules, 1960]

1. (1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद् सेवक (जांच, दण्ड और सेवामुक्ति) नियमावली कही जा सकेगी।

(2) यह तत्काल प्रवृत्त होगी।

2. इस नियमावली, में जब तक कि कोई बात विषय अथवा प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी–

(i) ''सक्षम प्राधिकारी'' किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में, से विधि के अधीन ऐसी कार्यवाही करने वाले सक्षम प्राधिकारी अथवा परिषद् अभिप्रेत है।

(ii) ''सेवक'' से परिषद् का सेवक अभिप्रेत है।

3. इस नियमावली के उपबन्ध नगर पालिका के अन्तर्गत रखे गये सरकारी सेवकों से भिन्न सभी सेवकों पर लागू होगी, किन्तु इसमें संलग्न अनुसूची की सारणी के स्तंभ तीन में उल्लिखित सेवकों के सम्बन्ध में इसका निर्वचन ऐसे परिवर्द्धनों के साथ किया जाएगा जो उसकी सारणी चार में पूरक उपबन्ध के रूप में उल्लिखित किया गया है,

परन्तु नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत रखे गये सरकारी सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां इस नियमावली के नियम 12 व 13 के अनुसार की जाएगी।

4. इस नियमावली के उपबन्ध के ओर नगर पालिका परिषद् को नियंत्रित करने वाली किसी विधि के अधीन रहते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी सेवक पर, अच्छे और पर्याप्त कारणों, से निम्नलिखित शास्तियॉ अधिरोपित की जा सकेंगी, अर्थात–

(i) निदा (Ceucure)

(ii) वेतन वृद्धि रोकना, किसी सक्षमता बाधा पर रोकने को सम्मिलित करते हुए,

(iii) निम्न पद अथवा टाइम सकेल अथवा टाइम स्केल में निम्न स्तर पर पदावनति,

(iv) निलम्बन,

(v) नगर पालिका परिषद् की सेवा से हटाना, जो भावी नियोजन के लिए अनर्ह नहीं बनाता हो,

(vi) नगर पालिका परिषद् की सेवा से पदच्युति, जो सामान्यतः भावी से अनर्ह बनाती हो,

(vii) जुर्माना (केवल उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत नियुक्त सेवकों के मामलें में),

परन्तु ऐसे जुर्माने की कुल धनराशि सामान्यतः जुर्माना किए गए कर्मचारी के 1/2 माह के वेतन से अधिक नहीं होगा और यह उसके वेतन से किस्तों, जो एक माह के वेतन में 1/4 से अधिक नहीं होगी, कटौती की जाएगी।

स्पश्टीकरण–(क) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी व्यक्ति की, परिवीक्षा की अवधि के दौरान अथवा के समाप्त होने पर, नियुक्ति की शर्ता और परिवीक्षा कालीन सेवा को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अनुसार सेवामुक्ति (discharge), अथवा

(ख) कोई अस्थाई नियुक्ति को धारण करने वाले व्यक्ति, जिसकी नियुक्ति संविदा से भिन्न रीति में की गई हो कि नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर, सेवामुक्ति, अथवा

(ग) अस्थाई नियुक्ति को धारण करने वाले व्यक्ति, जिसकी नियुक्ति संविदा से भिन्न रीति में की गई हो और अनिर्धारित अवधि के लिए की गई हो, नियम 11 के उपबन्धों के अनुसार, सेवामुक्ति अथवा

(घ) संविदा के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति, उसकी सेवा शर्मो के अनुसार, सेवामुक्ति,

इस नियम अथवा नियम 5 के अर्थो के सेवा में से हटाना अथवा पदच्युति नही होगा।

5. (i) पदच्युति सेवा से हटाने अथवा पदावनत किए जाने (जिसमें किसी निम्न पद अथवा टाइम सकेल अथवा टाइम स्केल के निम्न स्तर में पदावनत किया जाना सम्मिलित है, किन्तु किसी व्यक्ति का, जो काई उच्च पद स्थानान्तरण (officiating) आधार पर धारण कर रहा हो, को उच्च पद को धारण करने की सामान्य

अनुपयुक्तता के आधार पर पदावनत किया जाना सम्मिलित नहीं है) का कोई आदेश (उस आदेश से भिन्न, जो ऐसे तथ्यों पर आधारित हो जो आपराधिक आरोप पर उसे दोषसिद्ध घोषित करता हो) सेवक के सम्बन्ध में पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उन आधारों के बारें में जिन पर ऐसी कार्यवाही प्रस्तावित हो, लिखित रूप में सूचित न कर दिया गया हो और उसे स्वयं की प्रतिरक्षा हेतु समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान न किया गया हो। आधार, जिस पर कार्यवाही की जानी प्रस्तावित हो, को एक निश्चित आरोप अथवा आरोपों के रूप में निर्मित किया जाएगा, जिसे आरोपित सेवक को संसूचित किया जाएगा और जो इतना स्पष्ट और सारगर्भित हो कि वह उसके विरूद्ध तथ्यों और परिस्थितियों का पर्याप्त विनिर्दिष करता हो। युक्तियुक्त अवधि के भीतर लिखित कथन के रूप में अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने हेतु और यह अभिकथन कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर चाहता है, करने हेतु उससे अपेक्षा की जाएगी। यदि वह उक्त इच्छा रखता है, अथवा यदि सम्बन्धित प्राधिकारी इस प्रकार से निर्देशित करे तो ऐसे आरोपों के सम्बन्ध में जो स्वीकृत न किए गए हो, एक मौखिक जांच की जाएगी। जांच में ऐसे मौखिक साक्ष्यों को सुना जाएगा, जिसे जांचकर्ता प्राधिकारी आवश्यक समझे। आरोपित व्यक्ति साक्ष्यों के प्रतिपरीक्षण हेतु, व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य देने हेतु और प्रतिरक्षा में ऐसे साक्ष्यों को बुलाने हेतु, जिसे वह चाहे, हकदार होगा, परन्तु जांचकर्ता प्राधिकारी लिखित रूप में पर्याप्त कारणों से किसी साक्षी को बुलाने से अस्वीकृत कर सकेगा। न तो नगर पालिका परिषद् न आरोपित सेवक अधिवक्ता के द्वारा प्रतिनिधत्व किए जाने का हकदार होगा। जांच कार्यवाही में दण्ड प्राधिकारी जांच प्राधिकारी से भिन्न हो तो पश्चात्वर्ती भी, इन कार्यवाहियों से पृथक आरोपित सेवक अधिरोपित किए जाने वाले दण्ड के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियां कर सकेगा,

परन्तु इस उपनियम के उपबन्ध वहां लागू नहीं होगें जहां आरोपित व्यक्ति भाग गया हो अथवा जहां अन्य कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, उसे सम्पर्क किया जाना अव्यवहार्य हो,

परन्तु अग्रेत्त कि इस उपनियम के सभी अथवा कोई उपबन्ध, अभिलिखित कारणों से छोड़े जा सकते है जहां ऐसी अपेक्षाओं को पूर्ण किए जाने में कठिनाई हो तथा उनके पूर्ण न किए जाने पर, जांचकर्ता प्राधिकारी के विचार में आरोपित व्यक्ति को कोई अन्याय कारित होने की सम्भावना न हो।

(ii) सेवक के विरूद्ध जांच पूर्ण कर लिए जाने के पश्चात् और अधिरोपित की जाने वाली षास्ति के सम्बन्ध में दण्ड प्राधिकारी द्वारा अनन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् आरोपित सेवक को यदि प्रस्तावित शास्ति पदच्युति, सेवा से हटाना, पदावनति हो, तो उपनियम (1) के अन्तर्गत तैयार की गई कार्यवाही की प्रतिलिपि, दण्ड के सम्बन्ध में जांच अधिकारी की संस्तुति, यदि कोई हो, को छोड़कर की आपूर्ति की जाएगी तथा किसी विनिर्दिष्ट दिनांक तक, जिससे उसे युक्तियुक्त अवधि प्राप्त हो, यह कारण बताने हेतु कहा जाएगा कि प्रस्तावित शास्ति उसके ऊपर क्यों न अधिरोपित की जाए,

परन्तु यदि दण्ड प्राधिकारी उपनियम (1) के अन्तर्गत तैयार की गई सम्पूर्ण कार्यवाही अथवा उसके किसी भाग से असहमत हो, तो ऐसी असहमत के बिन्दु अथवा बिन्दुओं को भी, उसके आधारों के संक्षिप्त विवरण के साथ उक्त कार्यवाही की प्रतिलिपि के साथ आरोपित सेवक को संसूचित किया जाएगा।

(iii) आरोपित सेवक द्वारा तन्निमित प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण, पर अन्तिम आदेश पारित करने से पूर्व दण्ड प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा।

(iv) पदच्युत किये जाने, सेवा से हटाए जाने अथवा पदावनित किए जाने का हर आदेश लिखित रूप में होगा और उसमें लगाए कगए आरोप अथवा आरोपों, प्रतिरक्षा, यदि कोई हो तथा आदेश हेतु कारणों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

6. (i) प्राधिकारी, जिस पर औपचारिक कार्यवाहियां प्रारम्भ करने का उत्तरदायित्व हो, सभी मामलों में यथासम्भव शीघ्र निर्णय करेगा कि जांच, जो जटिल होना सम्भाव्य है, पुलिस अथवा स्वयं स्थानीय निकाय की विशेष जांच अभिकरण द्वारा करया जाना अपेक्षित है अथवा नहीं तथा जांच पर समग्र रूप से दृष्टि रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी चरण में कार्यवाही में असम्यक् रूप से विलम्ब न हो।

(ii) जब जांच (यदि कोई हो), पूर्ण कर ली जाए और औपचारिक अनुशासनिक कार्यवाहियां किए जाने का निर्णय ले लिया जाए, तो यथासम्भव निम्नलिखित समय सूची का अनुपालन किया जाएगा–

(क) इस नियमावली में संलग्न प्रारूप में आरोप विरचित किया जाएगा और औपचारिक कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने का निर्णय लिए जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर आरोपित सेवक को सुपुर्द किया जाएगा।

(उसी समय यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि सेवक को, जांच के लम्बित रहने के दौरान, निलम्बित रखा जाना चाहिए अथवा नहीं)

(ख) आरोपित सेवक की प्रतिरक्षा में लिखित अभिकथन को सामान्यतः एक पक्ष के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जानी चाहिए, तथा किसी भी दशा में इस प्रयोजन हेतु एक माह से अधिक अवधि प्रदान नही की जानी चाहिए।

(ग) जांच, साक्षियों के मौखिक परीक्षण को सम्मिलित करते हुए लिखित कथन को प्रस्तुत किए जाने के एक माह के भीतर पूर्ण की जानी चाहिए।

(घ) यदि जांच प्राधिकारी स्वयं दण्ड प्राधिकारी न हो तो पूर्ववर्ती जांच बन्द किए जाने के एक पक्ष के भीतर पूर्ववर्ती को, दण्ड के सम्बनध में अपने निष्कर्ष और संस्तुतियों को अन्तर्विष्ट करते हुए, एक रिर्पोट प्रस्तुत करेगा।

(ङ) जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर उसकी एक प्रतिलिपि आरोपित सेवक को, एक पक्ष से एक माह के बीच की अवधि के भीतर जो दण्ड प्राधिकारी द्वारा मामलें की प्रकृति के अनुसार नियत की जाए, प्रस्तावित दण्ड के विरूद्ध उसे कारण बताने हेतु कहते हुए, उसकी प्रतिलिपि प्रेषित की जाएगी।

(च) दण्ड प्राधिकारी, स्पष्टीकरण पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् उसे प्राप्त होने के एक पक्ष के भीतर अन्तिम आदेश पारित करेगा।

(छ) आदेश पारित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र व्यवहार्य रूप से, सम्बन्धित सेवक को संसूचित किया जाएगा।

7. (1) जब कभी सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो कि ऐसी कार्यवाही किए जाने हेतु पर्याप्त कारण विद्यमान है, तो निम्नलिखित शास्ति–

(i) निन्दा, अथवा

(ii) किसी सक्षमता बाधा पर रोक,

सम्बन्धित सेवक के विरूद्ध औपचारिक आरोप विरचित किए बिना और उसे स्पश्टीकरण हेतु बुलाए बिना अधिरोपित कर सकेगा।

(2) उन सभी मामलों में जहां निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित किए जाने का प्रस्ताव किया जाए, टाइम स्केल में उस स्तर पर जहां कोर्ठ सक्षमता बाधा न हो, वेतनवृद्धि रोकना, अथवा जुर्माना,

अपराध अथवा चूक का विवरण सम्बन्धित सेवक का स्पष्टीकरण और अधिरोपित दण्ड हेतु कारण को अन्तर्विष्ट करते हुए औपचारिक कार्यवाही दर्ज की जाएगी,

परन्तु उन मामलों में जहां किसी सेवक, की उसके वेतन के टाइम स्केल में किसी सक्षमता बाधा से भिन्न किसी स्तर पर, वेतनवृद्धि को उसकी आस्था के अप्रमाणित रहने के कारण रोका गया हो, वहां ऐसी कार्यवाही दर्ज किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

8. (1) नगर पालिका परिषद् को नियन्त्रित करने वाले किसी विधि के उपबन्धों के अन्तर्गत रहते हुए, कोई सेवक जिसके विरूद्ध कोई जांच प्रारम्भ की जानी हो अथवा की जा रही हो, समक्ष प्राधिकारी के विवेकाधिकार से जांच का निष्कर्ष लम्बित रहने के दौरान निलम्बित रखा जा सकेगा।

टिप्पणी–एक नियम के रूप में निलम्बन का कोई आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, जब तक कि सेवक के विरूद्ध आरोप इतना गम्भीर न हो कि उसके स्थापित हो जाने की दशा में सामान्य रूप से उसको पदच्युत किया जाना सेवा से हटाया जाना अथवा पदावनत किया जाना अपेक्षित न हो। निलम्बन, जहां आवश्यक समझा जाए, यथासम्भव आरोप विरचित किए जाने और उसे आरोपित सेवक को संसूचित किए जाने के तत्काल बाद किया जाना चाहिए।

(2) जब कोई सेवक निलम्बित किया जाए तो उसे निलम्बन की अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। ऐसे भत्ते की रकम सरकारी सेवकों पर लागू नियम के अनुसार नियन्त्रित होगा।

9. जहां किसी परिवीक्षार्थी (Probationer) का नियोजन, चाहे परिवीक्षा अवधि के दौरान अथवा उसके पूण्र होने पर अथवा किसी अस्थाई सेवक की सेवा किसी विशेष चूक अथवा सेवा के लिए उसकी अनुपयुक्तता के आधार पर समाप्त किया जाना प्रस्तावित हो, तो वहां नियम 5 में उपबन्धित विस्तृत प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना आवश्यक नहीं होगा। ऐसे मामलें में सम्बन्धित परिवीक्षार्थी अथवा अस्थाई सेवक को ऐसे प्रसताव के आधार से अवगत कराया

जाएगा, उसके विरूद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किए जाने के पूर्व, तन्निमित उसके स्पष्टीकरण, यदि कोई हो पर सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा।

10. स्थाई सेवक का कार्यकाल तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि–

(क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसक त्याग पत्र स्वीकार न कर लिया जाए अथवा सेवकों की सेवा को विनियमित करने वाले नियमों के लागू होने से वह नगर पालिका परिषद् की सेवा में न रह जाए, अथवा

(ख) उसने ऐसे प्राधिकारी को कम से कम तीन माह की नोटिस न दी हो, अथवा

(ग) उसने नगर पालिका परिषद् को तीन माह के वेतन के बराबर धनराशि का भुगतान अथवा समनुदेशन न किया हो, अथवा

(घ) उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा तीन माह से अन्यून अवधि की नोटिस न दी गई अथवा नोटिस के बदले में तीन माह के वेतन के बराबर धनराशि न दी गई हो, अथवा

(ङ) वह इस नियमावली के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् की सेवा से पदच्युत अथवा हटा न दिया गया हो,

परन्तु खण्ड (घ) के अन्तर्गत कोई नोटिस केवल तब जारी की जाएगी जब परिषद् द्वारा अनुमोदित किसी छटनी योजना के अन्तर्गत किसी सेवक की सेवा समाप्त किया जाना प्रस्तावित हो, तथा सभी मामलों में जहां कनिष्ठतम व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की सेवा समाप्ति न की जाए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके लिए कारण अभिलिखित किया जाएगा ओर ऐसी सेवा समाप्ति के विरूद्ध प्रत्यावेदन, सम्बन्धित सेवक को उसे संसूचित किए जाने के तीन माह के भीतर, सरकार के समक्ष संस्थित होगा।

11. (1) नियम 9 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अस्थायी सेवक की सेवायें, या तो सेवक द्वारा सक्षम प्राधिकारी को अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवक को लिखित रूप में किसी भी समय नोटिस देकर समाप्त किये जाने योग्य होंगी।

(2) या तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवक को या सेवक द्वारा सक्षम प्राधिकारी को ऐसी नोटिस दिये जाने की अवधि एक माह होगी, परन्तु सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नोटिस की दशा में पश्चात्वर्ती नोटिस की पूर्ण अथवा आंशिक अवधि को उसके बदले में वेतन में प्रतिस्थापित कर सकेगी, परन्तु अग्रेत्तर कि सक्षम प्राधिकारी किसी सेवक को बिना नोटिस के अथवा न्यून अवधि की नोटिस पर, सेवक से नोटिस के बदले किसी शास्ति का भुगतान करने की अपेक्षा किये बिना, सेवा से मुक्त करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

(3) इस नियमावली में ''अस्थायी सेवा'' से नगर पालिका परिषद् में किसी अस्थायी पद पर स्थानापन्न और मौलिक सेवा और किसी स्थायी पद पर स्थानापन्न सेवा अभिप्रेत है।

(4) इस नियमावली की कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी–

(क) संविदा पर नियोजित सेवक,

(ख) किसी नगर पालिका परिषद् के नियोजन में पूर्णकालिक नियोजन में न रहने वाले सेवक,

(ग) समाश्रित कोष से भुगतान किये जाने वाले सेवक, तथा

(घ) कार्य–प्रभार संस्थापन में नियोजित व्यक्ति।

12. (क) नगर पालिका परिषद् की सेवा में कोई सरकारी सेवक एतद्पश्चात् उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसरण के बिना न तो दण्डित किया जायेगा न उसकी सेवायें समाप्त की जायेगीं

(ख) जब कोई नगर पालिका परिशद् प्रस्ताव पारित करे कि उसके नियोजन के अन्तर्गत किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जानी चाहिए, तो परिषद् का अध्यक्ष प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि, मामलें की सुंसंगत सामग्री और अभिलेख के साथ, सेवक सरकारी कर्मचारी को दण्डित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा तथा ऐसा प्राधिकारी तत्पश्चात् शासकीय सेवक (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमावली अथवा अधीनस्थ सेवा दण्ड और अपील नियमावली, यथास्थिति मतें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।

13. जब नगर पालिका परिषद् यह विचार करे कि उसके नियोजन में सरकारी सेवक जांच के लम्बित रहने के दौरान निलम्बन में रखा जाना चाहिए, तो वह इसे सरकारी सेवक के रूप में उसे दण्डित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सन्दर्भित करेगा और ऐसा प्राधिकारी स्वविवेक से सेवक को निलम्बित कर सेगा।

14. इस नियमावली में अर्न्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी नगर पालिका परिषद् का, इसके चिकित्सा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, पशु चिकित्सा, विद्युत, लोक निर्माण विभाग के जल संकर्म में पद धारण करने वाला, कोई सेवक, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा अर्हता विहित की गयी हो, और जिसकी सेवायें युद्ध, महामारी, अकाल, मान व अथवा पशुओं को तपेदिक बीमारी के फैलने पर, बाढ़ अथवा कोई तत्समान आपात्कालीन स्थिति के घटित होने पर थवा मेला अथवा लोंगों की व्यापक भीड़ को सम्मिलित करने वाली किसी अन्य घटना के अवर पर नियुक्त करने हेतु सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अधियाचित किये जाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधियाचित किये जाने पर, नगर पालिका परिषद् को अधियाचन तामील किये जाने के दिनांक से सरकार की सेवा में समझा जायेगा तथा पदत्याग अथवा अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में वे सभी नियम लागू हेांगे, जो सरकारी सेवकों पर लागू होते है।

अनुसूची
(नियम 3 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	नियम जिससे परिवर्द्धन अथवा अनुपूरक उपबन्ध सम्बन्धित हो।	नियम जिससे परिवर्द्धन अथवा अनुपूरक उपबन्ध निर्वाचित किया जाना हो।	परिवर्द्धन, जिसके अधीन नियम का निर्वचन किया जाना हो
1	2	3	4
1.	4, 5, 6(प) 7 और 8	(i) सेवक यथा अधिशासी अधिकारी, सचिव और उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 68 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सभी सेवक	उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 68, 69 एवं 69–क के उपबन्ध
2.	4, 5, 6, 7, 8 और 9	(ii) नगर पालिका परिषद् के शिक्षण संस्थानों के सेवक	उ0 प्र0 नगर पालिका परिषद् नियमावली, 1954 (अधिसूचना सं0 B–825/XV– 1015–51, दिनांक 28 फरवरी, 1955)
3.	5 और 10	(i) कोई सांविधिक सेवक अथवा कोई सेवक जिसके लिए राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की शर्ते निर्धारित करते हुए नियम निर्मित किये गये हों,	किसी सेवक के वेतन में कटौती अथवा उसकी सेवा मुक्ति, चाहे मितव्ययता अथवा छंटनी के तौर पर अथवा अन्यथा, दण्ड अथवा सेवा से हटाने के तुल्य समझा जायेगा वह मात्र परिषद् के विशेष प्रस्ताव, कटौती अथवा सेवा मुक्ति के आधारों को स्पष्ट रूप से उल्लिखित करते हुए, द्वारा जो परिषद् को गठित करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्पित हो, तथा उसे आदेश को संसूचित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील करने के उसके अधिकार के अधीन होगा।
		(ii) उपर्युक्त धारा 68 में विनिर्दिश्ट कोई इंजीनियर अथवा सहायक इंजीनियर	ऐसा कोई सेवक सेवा से तब तक मुक्त नहीं किया जायेगा जब तक उसे छः माह की नोटिस के बदले वेतन न दिया जाये।
		(iii) एकाउन्टेंट	कोई भी नगर पालिका का एकाउन्टेंट परिषद् को गठित करने वालो सदस्यों के दो तिहाई से अन्यूनतम सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थित प्रस्ताव के बिना सेवामुक्त अथवा से से हटाया नहीं जायेगा तथा यह प्रस्ताव उसे आदेश के संसूचित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील राज्य सरकार के समक्ष अपील करने के उसके अधिकार के अधीन होगा।

4.	5	(i) सिविल इंजीनियर और सहायक सिविल इंजीनियर (ii) नाली कार्य के लिए संस्थापनों के पदों, जिनके लिए तकनीकी अर्हता विहित हो, पर नियुक्त सेवक	कोई भी सेवक, किसी व्यावसायिक कर्तव्य के तथाकथित भंग के लिए, तब तक पदच्युत नहीं किया जायेगा, जब तक कि मुख्य इंजीनियर, स्थानीय स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग का विभाग अभिमत प्राप्त न कर लिया जाये।
		(iii) विद्युत आपूर्ति के अनुरक्षण के लिए संस्थापनों के पदों, जिनके लिए तकनीकी अर्हता विहित हो, पर नियुक्त सेवक	कोई भी सेवक किसी व्यावसायिक कर्तव्य के तथाकथित भंग के लिए, तब तक पदच्युत नहीं किया जायेगा, जब तक कि विद्युत निरीक्षक का अभिमत प्राप्त न कर लिया जाये।
5.	7	मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक तथा स्वास्थ्य निरीक्षक	किसी सेवक की वेतनवृद्धि रोकने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी से परामर्श की जायेगी।
6.	5.	कोई सेवक, जिसकी सेवायें नगर पालिका परिषद् द्वारा सरकार को किराये पद दी गयी हो अथवा अन्तरित की गयी हो।	उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 78 की उपधारा (3) के उपबन्ध लागू होंक।

अनुशासनिक कार्यवाहियों में आरोपों के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रारूप

विशेष टिप्पण–(1) आरोप पत्र सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जाना चाहिए तथा उसका हस्ताक्षर नगर पालिकाारोप पत्र की एक प्रतिलिपि पर लिया जाना चाहिए। यदि ऐसा करना सम्भव न हो, तो इसका तामील उसे पंजीकृत डाक से किया जाना चाहिए।

(2) प्रत्येक आरोप सार रूप में और स्पष्ट रूप में उल्लिखित किया जाना चाहिए और अस्पष्टता से बचने का प्रयास करना चाहिए।

.... का कार्यालय

दिनांक................................ 19................,

सेवा में,

(आरोपित सेवक का पूरा नाम तथा पदनाम)

आपको एतद्द्वारा निम्नवत् आरोपित किया जाता है–

(1) कि आपने .... दिनांक को (अथवा के आस–पास) (.. .... से .... के बीच) .... और तद्नुसार नियम .... का भंग कारित किया है,

अथवा .... आदेश का अननुपालन किया है, अथवा अपने कर्तव्य के पालन में असफल रहने अथवा यदि, आदि, का दोष कारित किया था। आरोप के समर्थन में विचार किये जाने हेतु प्रस्तावित साक्ष्य निम्नवत् है–

(प)

(पप)

(पपप)

(2) कि आपने .... आदि

(3) कि आपने .... आदि

(उतनी बार दुहराया जायेगा जितने आरोप हों।)

आपसे एतद्द्वारा .... 19................... को अथवा उससे पूर्व आरोप के उत्तर में अपनी प्रतिरक्षा में लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। आपको सावधान किया जाता है कि ऐसा कोई अभिकथन आपसे प्रदान की अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है और आपसे मामलें में तद्नुसार आदेश पारित कर दिया जाएगा। आपसे अग्रेत्तर अपेक्षा की जाती है कि आप साथ ही साथ अधोहस्ताक्षरी को यह भी सूचित करेंगे कि आप व्यक्तिगत रूप से सुनवाई किया जाना चाहते हैं कि नहीं, तथा यदि आप किसी साक्षी परीक्षण अथवा प्रतिपरीक्षण करना चाहते हैं तो अपने लिखित अभिकथन के साथ उसका नाम और पता साक्ष्य के संक्षिप्त निर्देश के साथ, जिसे प्रत्येक प्रतिरक्षा साक्षी देने हेतु अपेक्षित होगा।

जांच अकिारी का हस्ताक्षर और पदनाम

(के लिए और की तरफ से)

————————

————————————————

1. सेवक के कार्य अथवा चूक को यथासम्भव साररूप में अभिकथित कीजिए।

2. यदि कार्य अथवा चूक किसी विशिष्ट नियम अथवा आदेश से सम्बन्धित न किया जा सकें, तो यहां पर एक सामान्य कथन यथा–''तद्नुसार 'उपेक्षा', बेइमानी, कर्तव्य में असावधानी बरतने आदि का दोष कारित किया है'' को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

3. यह आवश्यक नहीं है कि साक्ष्य को विस्तार में लिखित किया जाए। साक्ष्य के विभिन्न भागों को, जिन्हें आरोपित सेवक के विरूद्ध विचार में लिया जाना प्रस्तावित हो, को संक्षेप विनिर्दिष्ट करना ही पर्याप्त होगा यथा अमुक–अमुक का कथन अथवा अमुक–अमुक का पत्र अथवा रिपोर्ट, दिनांक अमुक–अमुक। फिर भी इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि उल्लिखित साक्ष्य पूर्ण हो क्योंकि बाद में आरोपित सेवक के विरूद्ध कोई अग्रेत्तर साक्ष्य विचारित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसे इसकी नई नोटिस न दी जाए और उसका प्रतिवाद करने के लिए अवसर न दिया जाए।

4. सेवक द्वारा किए गए कार्य अथवा लोप को यथासम्भव सार रूप में उल्लिखित कीजिए।

5. यहां सक्षम दण्ड प्राधिकारी का पदनाम दीजिए, यदि वह जांच प्राधिकारी से भिन्न हो।

संलग्नक–13

नगर पालिका सेवक आचरण विनियम

[Municipal Servants Condusct Regulations]

1. परिभाषा–इन विनियमें–

(क) ''सेवक'' से नगर पालिका परिषद् के मामलों के सम्बन्ध में किसी सेवा में अथवा पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, किन्तु इसमें कोई अधीनस्थ सेवक सम्मिलित नहीं है तथा किसी सेवक के सम्बन्ध में ''परिवार के सदस्य'' के अंतर्गत–

(i) ऐसे सेवक की पत्नी, बच्चे अथवा सौतले बच्चे, चाहे वे उसके साथ रहते हों या नहीं और ऐसे सेवक की दशा में जो स्त्री हो, उसके साथ निवास करने वाला पति अथवा उसके आश्रित; तथा

(ii) कोई अन्य सम्बन्धी, चाहे वह सेवक अथवा ऐसे सेवक की पत्नी के रक्त द्वारा हो अथवा विवाह द्वारा हो, और पूर्णतः सेवक पर आश्रित हो, किन्तु इसमें सेवक से विधितः पृथक पत्नी अथवा पति, अथवा बच्चे अथवा सौतेले बच्चे, जो किसी प्रकार से उस पर आश्रित न हो, अथवा जिनके संरक्षण हेतु सेवक को विधि द्वारा अपवर्जित कर दिया गया हो, सम्मिलित नहीं है।

2. सामान्य–हर सेवक हर समय अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और आस्था रखेगा।

3. सभी के लिए सामान्य बर्ताव–हर सेवक सभी व्यक्तियों, उनकी जाति वर्ग अथवा धर्म से निरपेक्ष रहते हुए, सामान बर्ताव करेगा।

4. दान–कोई सेवक अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन के बिना–

(क) प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं अपनी तरफ से अथवा किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से; अथवा

(ख) अपने परिवार के किसी सदय को अपने किसी घनिष्ठ सम्बन्धी से विभिन्न किसी व्यक्ति से कोई दान, ग्रेच्यूटी अथवा पुरस्कार न तो प्राप्त करेगा, न प्राप्त करने की अनुमति देगा

परन्तु वह किसी व्यक्तिगत मित्र से वैवाहिक भेंट अथवा किसी समारोह के अवसर पर कोई भेंद, रू0 51 से अनधिक मूल्य का, स्वीकार कर सकेगा अटावा अपने परिवार के किसी सदस्य को स्वीकार करने की अनुमति दे सकेगा। फिर भी सभी सेवक ऐसे भेंट को प्रदान करने को हतोत्साहित करने का अपना पूरा प्रयास करेगें।

5. चन्दा–कोई सेवक, परिषद के अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से, चिकित्सकीय सहायता, शिक्षा अथवा लोक हित के अन्य उद्देश्यों से सम्बन्धित किसी पूर्व प्रयोजन के लिए चन्दा अथवा अन्य आर्थिक सहायत प्राप्त करने हेतु कह सकेगा अथवा स्वीकार कर सकेगा अथवा उसमें भाग ले सकेगा, किन्तु उसके लिए यह अनुमेय नहीं होगा कि वह किसी अन्य प्रयोजनार्थ, चाहे जो हो चन्दा आदि के लिए कह सकें।

6. धन उधार देना व उधार लेना–कोई भी सेवक परिषद् के किसी सदस्य अथवा सेवक की न कोई ऋण देगा अथवा से न कोई ऋण लेगा अथवा नगर पालिका की सीमा में निवास करने वाले किसी व्यक्ति से कोई ऋण लेगा,

परन्तु कोई सेवक–

(1) किसी प्राइवेट सेवक को अग्रिम वेतन दे सकेगा अथवा व्यक्तिगत मित्र अथवा सम्बन्धी को ब्याज मुक्त रूप से छोटी रकम ऋण के रूप में दे सकेगा, अथवा

(2) किसी व्यक्तिगत मित्र अथवा सम्बन्धी से ब्याज मुक्त रूप से कोई छोटी धनराशि विशुद्ध रूप से अस्थाई ऋण के रूप में स्वीकृत कर सकेगा, अथवा किसी

सद्भावपूर्ण बैंकर में अपना खाता संचालित कर सकेगा अथवा अध्यक्ष के अनुमोदन से किसी बैंक, सहकारी समिति अथवा किसी फर्म से धन उधार ले सकेगा।

7. अचल सम्पत्ति धारण करना अथवा अर्जित करना–(1) कोई भी सेवक, अध्यक्ष को सूचित किये बिना किसी अचल सम्पत्ति को बन्धक, क्रय, विक्रय अथवा अन्यथा, या तो अपने नाम में या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम में न अर्जित करेगा न निस्तारित करेगा,

परन्तु ऐसा कोई संव्यवहार, जो नियमित और ख्याति प्राप्त डीलर के माध्यम से किया जाये, किये जाने से पूर्व अध्यक्ष की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

(2) कोई सेवक जो पांच सौ रूपये मूल्य से अधिक की किसी चल सम्पत्ति या संव्यवहार, चाहे क्रय के माध्यम से अथवा अन्य माध्यय से अथवा अध्यसक्ष की पूर्वानुमति से नहीं करेगा।

(3) प्रथम नियुक्ति के समय और तत्पश्चात् पांच वर्ष के अन्तराल पर हर सेवक नियमित माध्यम से अध्यक्ष के समक्ष अपनी समस्त अचल सम्पत्ति, जिसका वह स्वामी हो अथवा जिसे उसने अर्जित किया हो अथवा विरासत में प्राप्त किया हो अथवा जो उसके द्वारा पट्टे पर अथवा बंधक पर धारित की गई हो और अपने शेयरों अथवा अन्य जमा पूंजी, जिसे वह अथवा उसके परिवार के सदस्य समय–समय पर धारित करते हों अथवा उसके अथवा उनके द्वारा अर्जित किया गया हो, के बारें में घोषण करेगा ऐसी घोषण में सम्पत्ति शेयर और अन्य जमा पूँजी का पूर्ण विवरण उल्लिखित किया जाएगा।

(4) अध्यक्ष किसी भी समय सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सेवक से ऐसी चल अथवा अचल सम्पत्ति, जो उसके द्वारा उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा धारित अथवा अर्जित की गई हो, जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, का पूर्ण विवरण देने की अपेक्षा कर सकेगा। ऐसे विवरण में, यदि ऐसा अपेक्षित हो, साधन, जिसके द्वारा अथवा स्त्रोत, जहां से ऐसी सम्पत्ति अर्जित की गई थी, का विवरण भी सम्मिलित होगा।

8. निवेश, जो अचल सम्पत्ति में निवेश से भिन्न हो–कोई सेवक पूर्ववर्ती विनियम द्वारा अनुमेय अचल सम्पत्ति में अथवा बैंक, मान्यता प्राप्त प्रतिभूति में, जो उसे ऐसी प्राइवेट ब्याज दे, उन मामलों में जिससे उसका लोक कर्तव्य सम्बन्धित हो, जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधक होगा अथवा को प्रभावित करेगा, न तो स्वयं निवेश करनेगा न अपने परिवार के किसी सदस्य को निवेश करने की अनुमति देगा। वह स्टाक, शेयर अथवा अन्य प्रतिभूतियों में सट्टेबाजी नहीं करेगा।

9. प्राईवेट व्यापार तथा नियोजन–कोई भी सेवक अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना, किसी व्यापार अथवा वाणिज्य में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं लेगा या किसी अन्य नियोजन में नियोजित नहीं होगा,

परन्तु कोई सेवक, ऐसी अनुमति के बिना सामाजिक अथवा पूर्त प्रकृति के अथवा किसी साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक प्रकृति के सामाजिक कार्यो में मानदेय रूप से नियोजित हो सकेगा, बशर्ते कि उससे उसके पदीय कर्तव्य को नुकसान न हो तथा वह ऐसे कार्य में नियोजित हाने के एक माह के भीतर वह अध्यक्ष को सूचित करेगा, किन्तु वह ऐसे कार्य में नियोजित नहीं होगा और उसे जारी नहीं रखेगा, यदि अध्यक्ष द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाए।

10. दिवालियापन और स्थाई ऋणग्रस्तता–कोई सेवक अपने प्राइवेट मामलों को इस प्रकार से व्यवस्थित करेगा कि वह दिवालियापन अथवा स्थाई ऋणग्रस्तता से बच सकें। कोई सेवक, जो दिवालियापन के लिए विधिक कार्यवाही का विशय बन जाए, उसके बारें में पूर्ण तथ्य की रिपोर्ट अध्यक्ष को देगा।

11. कार्यालय की सूचना को गुप्त रखना—जहां किसी विधि द्वारा अथवा के अधीन अथवा परिषद अथवा इसके अध्यक्ष द्वारा किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अपेक्षित किया जाए, को जोड़कर कोई सेवक किसी दस्तावेज अथवा सूचना जो उसके कर्तव्यों के दौरान उसके कब्जें में आया हो अथवा उन कर्तव्यों के दौरान उसके द्वारा अथवा संग्रहीत किया गया हो, चाहे कार्यालय के स्त्रोतों से अथवा अन्यथा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेस को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे ऐसा दस्तावेज अथवा सूचना देने के लिए प्राधिकृत न हो, नही देगा।

12. प्रेस अथवा रेडियों से सम्बन्धित—

(1) कोई भी सेवक, अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना किसी समाचार पत्र अथवा अन्य सामूहिक प्रकाशनों के सम्पादन अथवा प्रबंधन में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से भाग नहीं लेगा अथवा उसका सम्पादन या प्रबंधन नही करेगा।

(2) कोई सेवक अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन के बिना अथवा सद्भावपूर्वक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में रेडियो प्रसारण में भाग नही लेगा अथवा किसी सामयिक समाचार पत्र में कोई निबंध अथवा कोई पत्र गुमनाम रूप से अथवा अपने नाम से अथवा किसी अन्य के नाम से लिखेगा,

परन्तु ऐसा कोई अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा, यदि ऐसा प्रसारण अथवा ऐसा लेखन विशुद्ध रूप से साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक प्रकृति का हो।

13. राजनीति में भाग लेना—(1) कोई सेवक किसी राजनीतिक पार्टी अथवा किसी संगठन, जो राजनीति में भाग लेता हो, का सदस्य नही होगा अथवा के साथ अन्यथा सम्बद्ध नही होगा, न तो वह किसी ऐसे आन्दोलन, संगठन, जो विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति विद्रोही हो अथवा उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा झुकाव हो, में भाग लेगा, या सहायता हेतु चन्दा देगा या किसी प्रकार से सहायता करेगा,

(2) हर सेवक का, अपने परिवार के किसी सदस्य को, किसी ऐसे आन्दोलन अथवा गतिविधि जो विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति विद्रोह हो अथवा उसक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा झुकाव, में भाग लेने से रोकने का पूरा प्रयास करना, कर्तव्य होगा और जहां ऐसा सेवक अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन अथवा गतिविधि में भाग लेने से रोकने में असफल हो जाये, उस आशय की रिपोर्ट अध्यक्ष को देगा।

14. स्थानीय प्राधिकारी, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत अथवा विधायी निकाय का चुनाव—कोई भी सेवक किसी विधानमण्डल, स्थानीय प्राधिकारी, न्याय—पंचायत अथवा ग्राम पंचायत के निर्वाचन में न प्रचार करेगा अथवा न किसी प्रकार से उसे प्रभावित करेगा अथवा न उसमें भाग लेगा, परन्तु—

(1) ऐसे निर्वाचन में मत देने हेतु अर्ह सेवक मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेगा, किन्तु जहां वह ऐसा करेगा, तो वह उस रीति के बारें में, जिस प्रकार से वह मतदान करने वाला है अथवा उसने मतदान किया है, के बारें में कोई संकेत नहीं देगा, तथा

(2) कोई सेवक मात्र इस कारण से कि उसने तत्समय प्रचलित किसी विधि द्वारा अथवा के अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्य के सम्यक् अनुपालन में निर्वाचन के संचालन में सहायक प्रदान की है, इस विनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला नहीं समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण—किसी सेवका द्वारा अपने शरीर, वाहन अथवा आवास पर किसी प्रकार के निर्वाचन चिन्ह को प्रदर्शित किया जाना इस विनियम के अर्थो में निर्वाचन के सम्बन्ध में अपने प्रभाव का उपयेाग करना माना जायेगा।

15. सरकार आदि के सदस्यों के पास सीधे जाना—कोई भी सेवक सरकार अथवा विधान मंडल के सदस्यों अथवा सचिवालय के अधिकारियों केपास सेवा मामलों से सम्बन्धित किसी व्यक्तिगत, अथवा सामान्य प्रश्न के बारें में सिवाय अध्यक्ष के माध्यम के, सीधे न तो जायेगा, या न जाने का प्रयत्न करेगा, ऐसे सदस्यों के साथ सिवाय पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के और समुचित माध्यम के, न तो सीधे बत करेगा न बात करने का प्रयत्न करेगा।

16. प्रेस के माध्यम से समस्या प्रकाशित न करना—कोई भी सेवक परिषद् की अपने सेवा, जिसमें वह कार्य कर रहा हो, सम्बन्धित मामलों से सम्बन्धित किसी व्यक्तिगत या सामान्य समस्या को प्रेस के माध्यम से प्रकाशित नहीं करेगा।

17. अन्यत्र नियोजन खोजना—कोई भी सेवक किसी प्राधिकरण के अधीन किसी पद के लिए आवेदन, सिवाय समुचित माध्यम से आवेदन करने के, नही करेगा, न तो कोई सेवक भारतीय संघ में किसी सरकार के अधीन किसी पद पर नियोजन हेतु आवेदन करेगा न किसी प्रकार का करार करेगा, सिवाय समुचित माध्यम से सम्बन्धित मंडलायुक्त की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करने के।

18. सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी की आलोचना—कोई भी सेवक किसी रेडियो प्रसारण में अथवा गुमनाम या अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में प्रकाशित किसी दस्तावेज में या प्रेस को किसी संसूचना में या किसी सार्वजनिक सभा में, तथ्यों का कोई विवरण या विचार, जो किसी उच्च अधिकारी के किसी निर्णय या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी नवीन या तत्कालीन नीति या कार्यवाही की प्रतिकूल आलोचना को परिलक्षित करता हो, व्यक्त नही करेगा।

19. सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन—कोर्ठ भी सेवक अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन के सिवाय, अपने सम्मान में अथवा किसी सेवक के सम्मान में आयोजित किसी स्वागत अथवा विदाई समारोह में सम्मिलित होगा अथवा न ऐसे किसी बैठक या सार्वजनिक मनोरंजन में भाग लेगा।

परन्तु इस विनियम की कोई भी बात उसकी सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने केक अवसर पर तात्विक रूप से प्राइवेट अथवा अनौपचारिक और उसके सम्मान में आयोजित विदाई समारोह पर लागू नहीं होगी।

20. बीमा व्यवसाय—कोई भी सेवक अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, नगरपालिका, जिसमें वह सेवारत हो, की सीमा के भीतर, बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान नही करेगा।

21. सेवक के कृत्यों और चरित्र का प्रकाशन—कोई भी सेवक, अध्यक्ष की पूर्वानुमति के सिवाय, किसी पदीय कृत्य को किसी न्यायालय में नहीं उठाएगा या प्रेस में प्रकाशित नहीं करेगा, जो प्रतिकूल आलोचना का विशय हो अथवा मानहानिकारक प्रकृति का हो।

स्पष्टीकरण—इस विनियम की कोई बात उसे अपने प्राइवेट चरित्र या किसी प्राइवेट क्षमता में अपने द्वारा किये गये कृत्य को प्रकाशित करने को रोकने वाली नहीं जायेगी।

22. सेवा के मामलों में विवाद—कोई भी सेवक अपने नियोजन या सेवा शर्ता के सम्बन्ध में किसी समस्या पर, उन मामलों में भी जहां ऐसा उपचार विधितः स्वीकृति योग्य हो, उपचार हेतु सामान्य कार्यालयी माध्यम को अभिप्राप्त किये बिना निर्णय हेतु किसी विधि के न्यायालय का सहारा नहीं लेगा।

23. द्विविवाह—कोई भी सेवक, जिसकी पत्नी जीवित हो, परिषद् की पूर्वानुमति के बिना, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा पश्चात्वर्ती विवाह उस पर तत्समय लागू व्यक्तिगत विधि के अन्तर्गत अनुमेय हो, कोई दूसरा विवाह नहीं करेगा।

24. सुविधाओं का समुचित उपयेाग–कोई भी सेवक परिषद् द्वारा, उसके लोक कृत्यों के निर्वहन को सुलभ बनाने हेतु, उसे प्रदत्त सुविधाओं का दुरूपयोग या असावधानी पूर्वक उपयोग नहीं करेगा।

25. क्रय का भुगतान–जब तक कि प्रथागत रूप से अथवा विशेष उपबन्धों द्वारा किश्तों में भुगतान उपबन्धित किया गया हो अथवा किसी सद्भावपूर्ण व्यापारी के पास कोई क्रेडिट खाता रखे हो, कोई भी सेवा स्वयं द्वारा क्रय की गई किसी वस्तु के उचित और पूर्ण भुगतान के नहीं रोकेगा, चाहे ऐसा क्रय पर्यटन के समय किया गया हो अथवा अन्यथा।

26. बिना भुगतान के सेवाओं का उपयोग–कोई भी सेवक बिना उचित और पर्याप्त भुगतान के कोई सेवा या मनोरंजन, जिसके लिए किराया या मूल्य या प्रवेश शुल्क प्रभार्य हो, अपने हेतु प्राप्त नही करेगा।

27. अन्य व्यक्तियों से सम्बन्धित वाहनों का उपयोग–कोई सेवक, अपवादित परिस्थितियों के सिवाय, किसी प्राइवेट सेवक या किसी सेवक, जो उसके अधीनस्थ हो, वाहन का उपयेाग नहीं करेगा।

28. अधीनस्थों के द्वारा क्रय–कोई भी सेवक किसी व्यक्ति, जो उसके अधीनस्थ हो, से उसकी तरफ से या उसके परिवार के किसी सदस्य की तरफ से क्रय, जो स्थानीय हो या बाहर से हो चाहे अग्रिम भुगतान द्वारा या अन्यथा, करने हेतु न तो कहेगा, न ऐसा कहने हेतु अपने परिवार के किसी सदस्य को अनुमति देगा।

परन्तु यह विनियम ऐसे क्रय पर लागू नहीं होगा, जो उसे सेवक से सम्बन्धित किसी अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा किए जाने हेतु अपेक्षित किया जाए।

29. निर्वचन–इस विनियम के निर्वचन से सम्बन्धित यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार को संदर्भित किया जाएगा, जिसका निर्णय अन्तिम हो।

30. निरसन एवं व्यावृति–इन विनियमतों के प्रवृत्त होने से ठीक पूर्व, इस विनियम के समान कोई विनियम यदि प्रचलित हो और सेवकों पर लागू हो, तो यह एतदद्वारा निरसित किया जाता है,

परन्तु उक्त निरसित विनियमों के अन्तर्गत पारित कोई आदेश या कारित कोई कृत्य इस विनियम के तत्समान उपबन्धों के अन्तर्गत किया गया समझा जायेगा।

विनियम
म्यूनिसिपल मैनुअल के पैरा विनियम 279 (1) के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले विनियम
अनुपस्थिति और अन्य भत्तों से सम्बन्धित विनियम

{खण्ड (ञ) के अन्तर्गत}

1. परिषद् के सेवक द्वारा अनुपस्थिति और कार्य भत्तों का प्राप्त किया जाना सरकारी मूल नियम (Government Fundamental Rules) के अराजपत्रित अधिकारियों पर लागू होने वाले नियमों द्वारा विनियमित होगा।
2. सरकार अथवा विहित प्राधिकारी, तथा स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी की दशा में निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं यथास्थिति, की पूर्वानुमति के सिवाय परिषद् का कोई सेवक तत्समान पद और स्तर वाले सरकारी अधिकारी को देय यात्रा भत्ता से अधिक रकम यात्रा भत्ता के रूप में प्राप्त नहीं करेगा।

कर्मचारियों की प्रतिभूति

{खण्ड (झ) के अन्तर्गत}

1. इस विनियम में ''प्रतिभूति'' के अन्तर्गत प्रत्येक सरकारी पत्र अथवा अन्य स्टाक अथवा सम्पत्ति स्वरूप बांड सम्मिलित सहै।

2. प्रतिभूमि निम्नलिखित सेवकों द्वारा अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के समाधान में दी जाएगी और सम्बन्धित धनराशि उनके नामों के आगे प्रविष्ट की जाएगी।

सेवक का पदनाम.....................................

3. पूर्ववर्ती विनियम से प्रभावित हर सेवक इस विनियम में संलग्न प्रारूप में बांड भरने के लिए आबद्ध होगा।

4. अधिशासी अधिकारी/सचिव यह देखने हेतु उत्तरदायी होगा कि विनियम (2) में उल्लिखित सेवकों द्वारा सम्यक् प्रतिभूति दी गई है तथा प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रतिभूतियां ठीक है, और यदि आवश्यक हो तो नई प्रतिभूति हेतु कह सकेगा।

5. इस विनियम के अन्तर्गत प्रतिभूति जमा करने हेतु आबद्ध हर सेवक अपनी किसी प्रतिभूति के समाप्त होने पर अधिशासी अधिकारी/सचिव को उसकी सूचना देगा, जिससे कि नई प्रतिभूति लिए जाने हेतु अविलम्ब व्यवस्था की जा सके।

6. इस विनियम द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति जमा करने में, ऐसा करने हेतु बुलाए जाने के पश्चात् एक माह से अधिक अवधि तक, असफल रहने, पर अपनी नियुक्ति खोने हेतु उत्तरदायी होगा।

7. प्रतिभूतियां एक मजबूत बाक्स में रखी जाएगी, जिसकी चाबी अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के पास रखी जाएगी।

अवकाश ओर अवकाश भत्ते
{खण्ड (ञ) के अन्तर्गत}

परिषद् के सदस्यों को अवकाश दिया जाना और उनके स्थान पर, जब वह छुट्टी पर हो, कार्य करने हेतु नियुक्त किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक प्रदान किया जाना सरकारी मूल नियम (Government Fundamental Rules) के अन्तर्गत अराजपत्रित अधिकारियों पर लागू होने वाले नियमों से नियंत्रित होगा।

टिप्पणी–यदि कोई परिषद् अवकाश व अवकाश भत्तों के सन्दर्भ में विस्तृत विनियम निर्मित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकेती है, किन्तु प्रदत्त अवकाश अथवा भत्ते की यात्रा मूल नियम के अन्तर्गत अनुमेय यात्रा से अधिक नहीं होगा।

———————————

संलग्नक–14
कर्मचारियों का प्रतिधारण और सेवानिवृत्ति
{खण्ड ट के अन्तर्गत}

1. प्रत्येक वर्ष एक सितंबर या उससे पूर्व, संलग्न प्रारूप में परिषद, की सेवा में कार्यरत सभी कर्मचारियों, जिनकी आयु अगले वित्तीय वर्ष में 55 वर्ष से अधिक हो जाएगी, एक सूची तैयार की जाएगी।

2. सूची पर परिषद् द्वारा अपनी बैठक में, अथवा ऐसे कर्मचारियों की दशा में, जिनकी नियुक्ति अन्य प्राधिकारी के हाथ में हो, ऐसे प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा तथा परिषद् अथवा उक्त विनिर्दिष्ट ऐसे प्राधिकारी द्वारा निश्चित आदेश पारित किया जाएगा कि उसमें उल्लिखित हर कर्मचारी को सेवा में रोके रखा जाएगा या सेवानिवृत्ति किया जाएगा।

3. परिषद् के किसी सदस्य की पदावधि का पर्यावसान नही किया जाएगा, जब तक कि–

(क) उसका त्यागपत्र, उसके उत्तरवर्ती को नियुक्त करने हेतु, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, लिखित रूप में स्वीकृत न कर लिया जाए, अथवा

(ख) ऐसे प्राधिकारी द्वारा उसे, जहां उसका वेतन 15 रू0 से अधिक हो, कम से कम तीन माह की नोटिस और अन्य मामलों में कम से कम एक माह का नोटिस न दी गई हो, अथवा

(ग) उसने जहां उसका वेतन 15 रू0 से अधिक हो, तीन माह के वेतन के बराबर धनराशि और अन्य मामलों में एक माह के वेतन के बराबर धनराशि परिषद् को भुगतान अथवा समनदेशन किया हो, अथवा

(घ) उसे जहां उसका वेतन 15 रू0 से अधिक हो, उसके उत्तराधिकारी को नियुक्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा तीन माह से अन्यून नोटिस के बदले में तीन माह के वेतन के बराबर धनराशि और अन्य मामलों में एक माह से अन्यून नोटिस या बदले में एक माह के वेतन के बराबर धनराशि न दी गयी हो,

परन्तु इस विनियम की कोई भी बात किसी सेवक को, जिस पर धारा 85 की उपधारा (1) के उपबन्ध लागू हों, को तद्धीन उस पर अधिरोपित किए जाने वाले उत्तरदायित्व से मुक्त करने वाली नहीं समझी जाएगी।

संलग्नक–15
नगर पालिका कर्मचारियों की पदच्युति, पद से हटाने अथवा पदावनति से सम्बन्धित विनियम
{खण्ड (ठ) के अंतर्गत}

1. कोई भी अधिकारी अथवा सेवक, उसके सम्बनध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध उसे कारण बताने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिए बिना, पदच्युति, पद से हटाया या पदावनत नहीं किया जाएगा। दी गई कोई भी लिखित प्रतिरक्षा अभिलिखित की जाएगी और लिखित आदेश पारित किया जाएगा।

2. पदच्युति, पद से हटाने अथवा पदावतन करने का हर आदेश लिखित रूप में होगा और लगाए गए आरोप या आरोपों, प्रतिरक्षा और आदेश के कारणों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

टिप्पणी–यह विनियम उस सेवक पर लागू नहीं होगा, जिसे उसके द्वारा कारित से भिन्न कारण से सेवामुक्त कर दिया गया हो।

सेवा पुस्तिका

{खण्ड (ञ), (ट) ओर (ठ) के अंतर्गत}

टिप्पणी–खण्ड (ञ), (ट) ओर (ठ) के अंतर्गत विनियमों के प्रयोजनार्थ सेवा पुस्तिका रखा जाना अपेक्षित है।

1. परिषद् के स्थाई कर्मचारी, जिसका वेतन 10 रू0 प्रतिमाह और उससे अधिक हो, के लिए सेवा पुस्तिका रखी जाएगी। ऐसी पुस्तिका सिविल सेवा विनियम में लिए गए प्रारूप में रखी जाएगी।

2. सेवा पुस्तिका ऐसे हर सेवक को उसकी प्रथम नियुक्ति के समय उसकी अपनी लागत पर प्रदान की जाएगी।

3. सेवा, वेत न, अवकाश, नियोजन से निलम्बन की अवधि अथवा सेवा में अन्य प्रकार के अवरोध तथा किसी कीर्तिमान के संदर्भ, विशेष रूप से अच्छी या बुरी सेवा जैसी की परिस्थिति हो, का पूर्ण विवरण सेवा पुस्तिका अधिशासी अधिकारियों/सचिव द्वारा अथवा स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, इंजीनियर आदि द्वारा अपने अधीनस्थों की सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा।

4. परिषद् के हर सदस्य का यह देखना कि उसकी अपनी सेवा पुस्तिका समुचित रूप से रखी गई है और कि प्रथम पृष्ठ पर की गई प्रविष्टि हर पांच वर्ष में अधिप्रमाणित की जा रही है, कर्तव्य होगा।

————————

संलग्नक–16

राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, अधिसूचना सं0 2230/रा0नि0आ02अनु0–98, दिनांक 17 नवम्बर, 1998, उ0प्र0 गजट, असाधारण, भाग 4, खण्ड (ख), दिनांक 17 नवम्बर, 1998 को प्रकाशित हुआ

विषय– राजनीति का अपराधीकरण–निर्वाचन प्रक्रिया में अपराधियों का प्रत्याशी के रूप में भाग लेना–अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराये जाने पर अनर्हता–अपील तथा जमानत का प्रभाव के संबंध में।

चूंकि देश राजनीति के अपराधीकरण की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है जिसमें अपराधी अर्थात् विधि न्यायालयों द्वारा कतिपय अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराये जाने वाले व्यक्ति भी निर्वाचन में भाग ले रहे हैं और प्रत्याशी के रूप में निर्वाचन लड़ रहे है।

और चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग क विचार है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचन समाज–विरोधी तत्वों के प्रभाव से डावाडोल होते हैं, जिनकी अवैधानिक क्रिया–कलाप का सहारा लेने और नागरिकों को स्वतंत्रापूर्वक उचित रूप से और शान्तिपूर्ण ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोकने के लिए मतदाताओं को प्रभावित करने की प्रवृत्ति है।

और चूंकि यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि ये निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष और शान्तिपूर्ण ढंग से कराये जायें, यह समीचीन है कि केवल सत्यनिष्ठा ओर आचरण वाले व्यक्तियों को ही उक्त निर्वाचन लड़ने की अनुमति दी जाए।

और चूंकि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 1994 द्वारा यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 ऐसे व्यक्ति को, जिसे अधिनियम की धारा 5–क के खण्ड (क), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ) और ड में उल्लिखित अपराधों में से किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, ग्राम पंचायत का सदस्य जुने जाने के लिए अनर्हित करता है।

और चूंकि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 1994 द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 ऐसे व्यक्ति को जिसे अधिनियम की धारा 13 के खण्ड (क), (च) (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ड) में उल्लिखित अपरोधों में से किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, क्षेत्र पंचायत अथवा जिला पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए अनर्हित करता है।

और चूंकि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 ऐसे व्यक्ति को, जिसे अधिनियम की धारा 13–घ के खण्ड (झ), (ञ), (ट) में उल्लिखित अपराधों में से किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, नगर पंचायत अथवा नगर परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिए अनर्हित करत है।

और चूंकि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1994 द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 ऐसे व्यक्ति को, जिसेक अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (च), (छ), (ज), (झ) और (ञ) में उल्लिखित अपराधों में से किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, नगर निगम का सदस्य चुने जाने के लिए अनहिर्तत करता है।

और चूंकि आयोग ने इस प्रश्न का सावधानीपूर्वक परीक्षण और विचारण किया है कि क्या ऐसी व्यक्ति जो क्रमशः संगत विधियों में से किसी विधि में उल्लिखित अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, उस अवधि में जब उसे जमान पर मुक्त (रिहा) कर दिया गया हो और अपील या निगरानी के अनिर्णीत रहने की अवधि में दण्ड को अस्थगित कर दिया हो, चुनाव लड़ सकता है।

और चूंकि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक मामलों में यह धारित किया है कि दोषसिद्धि और दण्डादेश के विरूद्ध केवल अपील या निगरानी याचिका दायर करना और ऐसे सिद्धदोष ठहराये गये व्यक्तियों को जमानत पर रिहाई अथवा अपील या निगरानी का निर्णय होने तक उसे दिये गये दण्ड का स्थगन मात्र दोषसिद्धि और दण्ड का लोप नहीं करता अथवा उसे समाप्त नहीं करता ओर ऐसी दोषसिद्धि इस बात के होते हुए भी कि चाहे सिद्धदोष ठहराया गया व्यक्ति अपील अथवा निगरानी के लम्बित रहने के दौरान जमानत पर रिहा कर दिया गया हो अथवा नहीं, विचारण न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराये जाने के दिनांक से प्रभावी हो जाती है।

और चूंकि संगत विधियों अथवा तद्धीन बनाये गये निगमों या तद्धीन विहित नामांकन पत्र में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी द्वारा शपथ–पत्र अथवा घोषणा पत्र दाखिल करने अथवा दोषसिद्धि के ब्यौरों, यदि कोई हो, जो उन्हें चुनाव के लिए अनर्हित करते हों, देने का कोई उपबन्ध नहीं है।

और चूंकि इन निर्वाचन अधिकारियों को प्रभावी ढंग से नामांकनों की जांच करते हुए समर्थ बनाने की दृष्टि से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की दोषसिद्धि, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के लिए समुचित अनुपूरक और आनुषंगिक उपबन्ध बनाना समीचीन है।

अब, इसलिए उत्तर प्रदेश अधिनियम संया 9, सन् 1995 द्वारा यथासंशोधित संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 5–क के खण्ड (क), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ) और (ड) तथा धारा 12 खण्ड, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 13 के खण्ड (क), (च) (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ड) और उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 13–घ के खण्ड (झ), (ञ), (ट) उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (च), (छ), (ज), (झ) और (ञ) उपधारा (2) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) तथा उपधारा (3) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–ट तथा अनुच्छेद 243–य के द्वारा प्रदत्त षक्तियों और इस सम्बन्ध में समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके उपयुक्त प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण में होने वाले निर्वाचनों के संबंध में आयोग निम्नलिखित आदेश बनाता है, अर्थात्–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह आदेश उत्तर प्रदेश पंचायत और नगर पालिका निर्वाचन (नामांकन के सम्बन्ध में अनुपूरक और आनुषंगिक उपबंध) आदेश 1998 कहा जायेगा।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

2. निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी द्वारा सूचना का दिया जाना–प्रत्येक व्यक्ति जो किसी पंचायत या नगर पालिका का निर्वाचन लड़ने के लिए प्रत्याशी होने के लिए नामांकन–पत्र दाखिल करता है, को अपने नामांकन–पत्र के साथ संलग्नक–दो में उल्लिखित सूचना के साथ संलग्नक–एक में शपथ–पत्र दाखिल करना होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामलें में शपथ–पत्र के स्थान पर संलग्नक–तीन में एक घोषणा–पत्र दाखिल किया जा सकता है।

संलग्नक एक

समक्ष निर्वाचन अधिकारी .... के

निर्वाचन के लिए ....

निर्वाचन क्षे से

शपथ पत्र

मैं ....
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... आयु लगभग ....
.. वर्ष निवासी ग्राम/मौहल्ला ....
...... एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक निम्नलिखित प्रतिज्ञान और घोशण करता हूँ–

(1) यह कि मैंने उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अपना नामांकन–पत्र दाखिल कर दिया है।

(2) यह कि उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अपनी उम्मीदवारी के सम्बन्ध में, मैं एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के उत्तर प्रदेश पंचायत और नगरपालिका निर्वाचन (नामाकंन के सम्बन्ध में अनुपूरक और आनुषंगिक उपबंध) आदेश, 1998 में अपेक्षित सूचना विहित प्रपत्र में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

(3) यह कि विहित प्रपत्र में एतद्द्वारा संलग्न सूचना मेरी सम्यक् जानकारी और विश्वास में सत्य है और मेरे द्वारा कोई भी तथ्या छिपाया नहीं गया है।

शपथी
मेरे समक्ष सत्यापित किया
(मोहर सहित सत्यापित करने
वाले अधिकारी का हस्ताक्षर)
स्थान ....
दिनांक ....

संलग्नक–दो

.... का निर्वाचन
नगरपालिका ग्राम पंचायत .... से प्रत्याशी का
नाम और पता ....
.... पिता/माता/पति का नाम
....

(1) क्या आप किसी विधि न्यायालय द्वारा किसी मामलें में सिद्धदोष ठहराये गये हैं?

(2) यदि हां तो निम्नलिखित विवरण दीजिये–

(एक) न्यायालय का नाम, जिसके द्वारा सिद्धदोष ठहराये गये ....

(दो) दोषसिद्धि का दिनांक ....

(तीन) कारित अपराध को प्रकृति ....
(संगत अधिनियम और धाराओं के विवरण सहित)

(चार) दण्ड का विवरण ....

(पांच) कैद भोगने की अवधि, यदि कोई हो ....

(छः) कारागार से रिहाई का दिनांक ....

(3) क्या उपर्युक्त दोशसिद्धि कोई अपील/निगरानी दायर की गयी थी? ....हॉ/नहीं

(एक) दायर की गयी अपील/निगरानी की संदर्भ संख्या यदि कोई हो ......

(दो) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/निगरानी दायर की गयी थी ....

(तीन) क्या उपर्युक्त अपील/निगरानी निस्तारित कर दी गई है अथवा लम्बित है .... निस्तारित हो गयी है/लम्बित है

(चार) यदि निस्तारित की गई हो तो–

(क) निस्तारण का दिनांक ....

(ख) पारित आदेश की प्रकृति ....

(पांच) क्या अपील/निगरानी के लम्बित रहने की अवधि से कोई जमानत स्वीकृत की गयी थी अथवा नहीं

(छः) यदि हां, तो अवधि जिसमें जमानत पर रहे

प्रत्याशी का हस्ताक्षर

स्थान ....

दिनांक ....

संलग्नक–तीन

समस्त निर्वाचन अधिकारी ....

ग्राम पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के लिए ....

कक्ष संख्या .... कक्ष का नाम ....

घोशणा

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नी ....आयु लगभग .... वर्ष निवासी ग्राम .... एतद्द्वारा निम्नलिखित घोषणा करता हूँ–

(1) यह कि मैंने उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अपना नामांकन–पत्र दाखिल कर दिया है।

(2) यह कि उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अपनी उम्मीदवारी के सम्बन्ध में, मैं उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के उत्तर प्रदेश पंचायत और नगरपालिका निर्वाचन (नामाकंन के सम्बन्ध में अनुपूरक और आनुशंगिक उपबंध) आदेश, 1998 के उपबन्धों द्वारा यथा अपेक्षित सूचना विहित प्रपत्र में एतद्द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूँ।

(3) यह कि एतद्द्वारा संलग्न प्रपत्र में दी गयी सूचना मेरी सम्यक् जानकारी और विश्वास में सत्य है और मेरे द्वारा कोई भी तथ्या छिपाया नहीं गया है।

षपथी

मेरे समक्ष सत्यापित किया
(मोहर सहित सत्यापित करने
वाले अधिकारी का हस्ताक्षर)
स्थान ....
दिनांक ....
ज्ञापन संख्या .... दिनांक ....
प्रेषक,

निर्वाचन अधिकारी ....

सेवा में,

....

*प्रत्याशी का नाम

विशयः कक्ष संख्या .... से .... का निर्वाचन।

नाम .... आपका ध्यान .... अधिनियम .... के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. इस बात का समाधान करने के लिए कि आप उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों में उल्लिखित अनर्हता से ग्रस्त नहीं है। एतद्द्वारा आपसे संलग्न प्रपत्र में मांगी गयी सूचना, आपके द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक के समक्ष सम्यक् रूप से सत्यापित शपथ–पत्र द्वारा समर्थित हो उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है।

3. इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई भी दोषपूर्ण सूचना आपको समुचित विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी बनायेगी।

4. इस बात का ध्यान रखा जाये कि अपेक्षित सूचना आप द्वारा नामांकन–पत्र के साथ अथवा किसी भी दशा में नामांकन–पत्रों की जांच प्रारम्भ करने के पूर्व अवश्यक उपलब्ध करा दी जाये।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

निर्वाचन अधिकारी।

क्रम संख्या-18

पंजीकृत संख्या-यू०ए०/डी०ओ०-30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 31 जनवरी, 2005 ई०
माघ 11, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 422/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, 31 जनवरी, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 29 जनवरी, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 11, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन)
अधिनियम, 2005
(उत्तरांचल अधिनियम सं० 11, सन् 2005)

[भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा अधिनियमित]

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

1-यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

मूल अधिनियम की धारा 54 का संशोधन

2–उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 जिसे यहां पर मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 54 में उपधारा (2), के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात् :–

(2) उपाध्यक्ष की पदावधि उसके निर्वाचन के दिनांक से दो वर्ष या नगरपालिका के सदस्य के रूप में उसके पद के कार्यकाल की शेष अवधि, इसमें जो भी कम हो; होगी।

(3) उक्त उपधारा (2) के उपबन्ध ऐसे किसी उपाध्यक्ष पर भी लागू होंगे, जो गत निर्वाचन में निर्वाचित घोषित किये गये हों।

मूल अधिनियम (संख्या 2, सन् 1916) की धारा 47–क का निकाला जाना

3–मूल अधिनियम की धारा 47–क निकाल दी जायेगी।

धारा 48 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 48 में–

(क) उपधारा (2) खण्ड (ख) में, उपखण्ड (आठ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिये जायेंगे :–

अर्थात्–

(नौ) नगरपालिका की किसी सम्पत्ति को हानि या क्षति पहुंचायी हो; या

(दस) नगरपालिका की निधि का दुर्विनियोग या दुरुपयोग किया है; या

(ग्यारह) नगरपालिका के हित के प्रतिकूल कार्य किया है; या

(बारह) इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन किया है; या

(तेरह) नगरपालिका की बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है कि किसी बैठक में नगरपालिका का कार्य संचालन असंभव हो जाता है, या ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित किया है; या

(चौदह) इस अधिनियम के अधीन दिये गये राज्य सरकार के किसी आदेश या निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन किया है; या

(पन्द्रह) नगरपालिका के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ बिना किसी न्यायोचित कारण के दुर्व्यवहार किया है; या

(सोलह) नगरपालिका की किसी सम्पत्ति का उसके बाजार मूल्य पर व्ययन किया है; या

(सत्रह) नगरपालिका की भूमि, भवन या किसी अन्य अचल सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया है, किसी अन्य को अतिक्रमण करने में सहायता की है या प्रेरित किया है।

(ख) उपधारा (2–क) में परन्तुक निकाल दिया जायेगा।

धारा 87–क का निकाला जाना

5–मूल अधिनियम की धारा 87–क निकाल दी जायेगी।

मूल अधिनियम की धारा 96 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 96 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में–

(क) शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रुपये" रख दिये जायेंगे,

(ख) शब्द "तीन हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह हजार रुपये" रख दिये जायेंगे,

(ग) परन्तुक में शब्द "बीस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "एक लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

आई० के० मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव।

No. 422/Vidhayee & Sansadiya Karya/2005
Dated Dehradun, January 31, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) (Third Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 11 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 29-1-2005.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1916) (THIRD AMENDMENT) ACT, 2005

(THE UTTARANCHAL ACT NO. 11 OF 2005)

[Enacted by the Uttaranchal Legislative Assembly in the Fifty-fifth Year of the Republic of India]

Further to amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) Adaptation and Modification Order, 2002

AN

ACT

1. The Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) (Third Amendment) Act, 2005. Short Title

2. In Section 54 of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) Adaptation & Modification Order, 2002 hereinafter referred to as the Principal Act, in sub-section (2) the following sub-sections shall be substituted, namely :– Amendment of Section 54 of the Principal Act

(2) the term of office of a Vice-chairman shall be two years and six months from the date of his election or the residue of his term as a member, whichever is less.

(3) the provision of aforesaid sub-section(2) shall also apply to the Vice-chairman, who is declared elected in the last election.

3. Section 47–A of the Principal Act shall be omitted. Omission of Section 47-A of the Principal Act. (Act No. 2 of 1916)

4. In Section 48 of the Principal Act-- Amendment of Section 48

(a) In sub-section(2), in clause (b) after sub-section (viii), the following sub-clauses shall be inserted, namely :--

(ix) caused loss or damage to any property of the Municipality; or

(x) misappropriated or misused the Municipal fund; or

(xi) acted against the interest of the Municipality; or

(xii) contravened the provisions of this Act or the rules made thereunder; or

(xiii) created an obstacle in a meeting of the Municipality in such manner that it becomes impossible for the Municipality to conduct its business in the meeting or instigated some one to do so; or

(xiv) wilfully contravened any order or direction of the State Government given under this Act; or

(xv) misbehaved without any lawful justification with the officers or employees of the Municipality; or

(xvi) disposed off any property belonging to the Municipality for a price less than its market value; or

(xvii) encroached, or assisted or instigated any other person to encroach upon the land, building or any other immovable property of the Municipality.

(b) In sub-section (2-A) the proviso shall be omitted.

Omission of Section 87-A

5. Section 87-A of the principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 96 of the Principal Act

6. In section 96 of the Principal Act, in sub-section (I), in clause (b)–

(a) for the words "ten thousand rupees" the words "fifty thousand rupees" shall be substituted,

(b) for the words "three thousand rupees" the words "fifteen thousand rupees" shall be substituted,

(c) in the proviso for the words "twenty thousand rupees" the words "one lakh rupees" shall be substituted.

By Order,

I. J. MALHOTRA,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 11 विधायी/35–2005–85+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तर प्रदेश
नगर निगम अधिनियम, 1959
(उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1959)

(Municipal Corporation Act, 1959)

(उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 सन् 1995 द्वारा संशोधित)
(उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 1998 द्वारा संशोधित)
तथा
(उ0प्र0 अधिनियम संख्या 17 सन् 1999 द्वारा संशोधित)
(उ0प्र0 अधिनियम संख्या 7 सन् 2000 द्वारा संशोधित)
(उ0प्र0 अधिनियम संख्या 23 सन् 2001 द्वारा संशोधित)
तथा
(उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 24 सन् 2001 द्वारा संशोधित)
(नियमों सहित)

लेखक
विवेक मिश्रा
एडवोकेट, हाईकोर्ट, इलाहाबाद

2004

प्रकाशक
हिन्द पब्लिशिंग हाउस
कानूनी पुस्तकों के प्रकाशक एवं विक्रेता
1, महात्मा गांधी मार्ग (उच्च न्यायालय के सामने) पोस्ट बाक्स संख्या 1–092
इलाहाबाद–211001

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959

विषय सूची

अध्याय 1

प्रारम्भिक

धारा				पृष्ठ संख्या
1.		संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ	...	2
2.		परिभाषायें	...	2
3.		इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए स्थानीय क्षेत्रों को नगर घोषित करना	...	12
4.		**अध्याय 2** **निगम का संगठन तथा शासन**	...	
5.		प्रत्येक नगर के लिए नगर निगम	...	12
6.		निगम के प्राधिकारी	...	13
7.	5–क	स्थानीय निकाय निदेशक	...	13
8.		निगम की संरचना	...	13
9.	6–क	कक्ष समितियों का संगठन और संरचना	...	14
10.		स्थानों का आरक्षण	...	14
11.		निगम का कार्यकाल बना रहेगा	...	15
12.	8.क	{***}	...	15
13.	8. कक	निगम के गठन के लिए और नगर के रूप में अधिसूचित क्षेत्र के प्रशासन के लिए अस्थायी उपबन्ध	...	15
14.		निगम के संगठन की विज्ञप्ति	...	16
15.		**नगर–प्रमुख तथा उपनगर–प्रमुख**	...	
16.		उपनगर–प्रमुख	...	16
17.		नगर–प्रमुख तथा उपनगर–प्रमुख के पद के लिए निर्वाचन की अर्हतायें	...	16
18.	11–क.	नगर–प्रमुख का निर्वाचन	...	16
19.		उप नगर प्रमुख का निर्वाचन	...	17
20.		सभासदों का निर्वाचन कब पूर्ण समझा जायेगा	...	17
21.		नगर–प्रमुख अथवा उपनगर–प्रमुख के पदों की आकस्मिक रिक्ति	...	17
22.		नगर–प्रमुख तथा उपनगर–प्रमुख की पदावधि	...	17
23.	15.क	{***}	...	18
24.		नगर–प्रमुख के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव	...	18
25.		नगर प्रमुख सदस्य होगा	...	20
26.		नगर प्रमुख के भत्ते	...	20

27.	नगर प्रमुख तथा उपनगर प्रमुख का त्यागपत्र	...	20
28.	**निगम के सदस्य**	...	
29.	निकाली गई।	...	20
30.	निकाली गई।	...	20
31.	निकाली गई।	...	20
32.	सभासदों पर प्रयोज्य कतिपय उपबन्ध नाम निर्दिष्ट सदस्य पर हों	...	20
33.	सभासद के निर्वाचन के लिए अर्हतायें	...	20
34.	सभासदों की अनर्हतायें	...	20
35.	सभासद की पदावधि	...	22
36.	सभासदों का निर्वाचन	...	22
37.	सभासद के पद की आकस्मिक रिक्ति	...	22
38.	सभासदों का त्यागपत्र	...	23
39.	एक से अधिक कक्ष के निमित्त एक ही व्यक्ति का निर्वाचन	...	23
40. 30. क	सदस्यों को वाहन भत्ता या सुविधायें	...	23
41.	**कक्षों का परिसीमन**		
42.	कक्षों की व्यवस्था	...	23
43.	परिसीमन आज्ञा	...	23
44.	परिसीमन आज्ञा में परिवर्तन अथवा संशोधन और उसका प्रभाव	...	24
45.	**निर्वाचक तथा निर्वाचक नामावली**		
46.	{***}	...	24
47.	प्रत्येक कक्ष के लिए निर्वाचक नामावली	...	24
48.	निर्वाचकों की अर्हतायें	...	24
49.	निर्वाचकों की अनर्हतायें	...	25
50.	पंजीयन एक कक्ष तथा एक स्थान में होगा	...	25
51.	निर्वाचक नामावली की तैयार और प्रकाशन	...	25
52.	निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण	...	26
53.	निर्वाचकों तथा निर्वाचक नामावलियों के सम्बद्ध अन्य विषय	...	26
54.	**मतदान**		
55.	मत देने का अधिकार	...	27
56.	{***}	...	27
57.	मतदान की रीति	...	27
58.	**निर्वाचकों का संचालन**		
59.	निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण आदि	...	27
60.	निर्वाचनों के संचालन सम्बन्धी आदेश	...	27

61.		निर्वाचनों का न हो पाना	...	28
62.		निर्वाचन अपराध	...	29
63.		सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक	...	29
64.		निर्वाचन और रिक्ति के लिए अधिसूचना	...	29
65.		**कार्यकारिणी–समिति**		
66.		कार्यकारिणी समिति का संगठन तथा अवधि	...	30
67.		कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन	...	31
68.		कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का पदत्याग	...	31
69.		**विकास समिति**		
70.		विकास समिति का संगठन तथा उसका कार्यकाल	...	31
71.		विकास समिति के सदस्यों का निर्वाचन	...	32
72.		विकास समिति के सदस्यों का पदत्याग	...	32
73.		**धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन संगठित समितियां**		
74.		धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन समितियों का संगठन	...	31
75.	57.क	महानगर योजना समिति	...	32
76.		**मुख्य नगराधिकारी**		
77.		मुख्य नगर अधिकारी और अपर मुख्य नगर अधिकारी की नियुक्ति	...	33
78.		मुख्य नगराधिकारी और अपर मुख्य नगर अधिकारी का वेतन और भत्ते आदि	...	34
79.		**निर्वाचनों से संबद्ध विवाद**		
80.		जब तक आपत्ति आदि न की जाय निर्वाचन मान्य होगा	...	34
81.		नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख के निर्वाचन पर आपत्ति करना	...	34
82.		सभासद के निर्वाचन पर आपत्ति करना	...	34
83.		आवेदन का आकार–पत्र तथा उसका विषय	...	34
84.		अनुतोष (relief), जिसका आवेदक दावा कर सकता है	...	35
85.		प्रत्यारोपण	...	35
86.		आवेदन कब खारिज किया जायेगा	...	35
87.		आवेदन की सुनवाई की प्रक्रिया	...	35
88.		आवेदन का स्थानान्तरण	...	35
89.		आवेदन पर निर्णय	...	36
90.		आवेदन के निस्तारण करते हुए अन्य आज्ञाओं का दिया जाना	...	36
91.		निर्वाचन को शून्य घोषित करने के आधार	...	36

92.	आधार, जिन पर निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न कोई उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जा सकता है	...	37
93.	मतों की समानता की दशा में प्रक्रिया	...	37
94.	जिला जज की आज्ञा के विरूद्ध अपील	...	37
95.	आज्ञाओं तथा निर्णयों की अंतिमता	...	
96.	आज्ञा का संवहन	...	
97.	आज्ञा का प्रभावी होना	...	
98.	भ्रष्टचरण	...	
99.	निर्वाचनों से सम्बद्ध विवादों के निर्णय संबधी नियम	...	
100.	निर्वाचन अपराधों तथा भ्रष्टाचरणों के कारण अनर्हतायें	...	
101.	**कुछ अन्य विषय**		
102.	शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने से पूर्व अथवा अर्ह न होने की दशा में स्थान ग्रहण करने या मत देने पर दंड	...	
103.	अनर्हता से सम्बद्ध प्रश्नों का राज्य सरकार द्वारा निर्णय	...	
104.	सदस्यों का हटाया जाना	...	
105.	{***}	...	
106.	सभासदों इत्यादि द्वारा निष्ठा की शपथ लिया जाना	...	
107.	निर्वाचन व्यय	...	
108.	नियम बनाने का अधिकार	...	
109.	**अध्याय 3 निगम, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति तथा अन्य समितियों की कार्यवाहियां**		
110.	निगम के अधिवेशन	...	
111.	कार्यकारिणी समिति के आदि के अधिवेशन	...	
112.	गणपूर्ति	...	
113.	अधिवेशन और कार्यो की सूचना	...	
114.	निगम के अधिवेशनों में बहुमत द्वारा निर्णय	...	
115.	निगम की कार्यकारिणी समिति आदि के अधिवेशन का स्थगन	...	
116.	अधिवेशनों के अधिष्ठाता	...	
117.	विशेष समितियां तथा संयुक्त समितियां	...	
118.	अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से कार्य सम्पादन	...	
119.	उप–समितियां	...	
120.	प्रश्न करने का अधिकार	...	
121.	अन्य समितियों के अधिवेशनों में किसी समिति के सभापति की उपस्थिति	...	

122.	नगर प्रमुख तथा उप नगर प्रमुख के पदों की रिक्ति	...	
123.	अधिवेशनों में मुख्य नगराधिकारी तथा अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति	...	
124.	निगम, कार्यकारिणी समिति इत्यादि की कार्यवाहियां	...	
125.	इस अध्याय के अधीन निर्मित उपविधियां	...	
126.	रिक्ति आदि के कारण कार्यवाहियां अमान्य न समझी जायेंगी	...	
127.	केवल अनियमितता के आधार पर कार्य और कार्यवाहियों पर आपतित करने के संबंध में प्रतिबन्ध	...	
128.	**अध्याय 4** **पदाधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग**		
129.	पदों का सृजन	...	
130.	पदों पर नियुक्ति	...	
131.	कतिपय पदों पर स्थानापन्न और अस्थायी नियुक्तियां	...	
132. 108.क	निगमों द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के अध्यापकों की नियुक्ति	...	
133.	सेवा की शर्ते इत्यादि	...	
134.	निगम के पदाधिकारियों के दण्ड की व्यवस्था	...	
135.	राज्य सरकार के नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार	...	
136.	कतिपय पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य	...	
137. 112.क	सेवाओं का केन्द्रीकरण	...	
138. 112.ख	आवश्यक सेवायें	...	
139. 112.ग	आवश्यक सेवाओं के सदस्य बिना अनुमति के त्यागपत्र आदि न देंगें	...	
140. 112.घ	आपात की घोशणा करने का राज्य सरकार का अधिकार	...	
141.	नियम बनाने का अधिकार	...	
142.	**अध्याय 5** **निगम और उनके प्राधिकारियों के कर्तव्य और अधिकार**		
143.	निगम के अनिवार्य (Obligatory) कर्तव्य	...	
144.	निगम के स्वविवेकानुसार (discretaionary) कर्तव्य	...	
145.	निगम प्राधिकारियों में कृत्यों का विभाजन	...	
146.	निगम प्राधिकारियों के कृत्य	...	
147.	मुख्य नगर लेखा परीक्षक के अधिकार तथा कर्तव्य	...	
148.	कृत्यों का प्रतिनधायन	...	
149.	मुख्य नगराधिकारी द्वारा अन्य विधियों के अधीन निगम के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन	...	

150.	निगम कार्यकारिणी समिति से कार्यवाहियों आदि के अवतरण मंगा सकती है	...	
151.	मुख्य नगराधिकारी से लेख्य विवरणी तथा प्रतिवेदन आदि प्रस्तुत कराने के सम्बन्ध में निगम के अधिकार	...	
152.	आवश्यक व्यय के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रयोग निगम की स्वीकृति के अधीन होगा	...	
153.	नियम बनाने का अधिकार	...	
154.	**अध्याय 6** **सम्पत्ति और संविदें**		
155.	निगम के सम्पत्ति अर्जित करने और रखने के अधिकार	...	64
156.	कतिपय दशाओं में सम्पत्ति आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और आभारों का उत्तराधिकार	...	64
157.	सम्पत्ति के अर्जन को नियमित करने वाले कतिपय उपबन्ध	...	65
158.	सम्पत्ति बेचने का अधिकार	...	66
159.	सम्पत्ति के निस्तारण सम्बन्धी उपबन्ध	...	66
160. 129.क	निगम के भू–गृहादि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1966 के अध्याय 7 का लागू किया जाना	...	67
161.	अचल सम्पत्ति के अनुबन्ध द्वारा अर्जित न होने की दशा में प्रक्रिया	...	67
162.	संविदे करने का निगम का अधिकार	...	68
163.	संविदों के निष्पादित किये जाने से सम्बद्ध कुछ उपबन्ध	...	68
164.	निष्पादन की रीति	...	69
165.	निर्माण कार्यो का निश्पादन	...	69
166.	पांच लाख रूपये से अनधिक के तखमीने	...	69
167.	पांच लाख रूपये से अधिक तखमीने	...	69
168. 136.क	कतिपय परियोजनाओं के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध	...	70
169.	भूमि के तत्कालीन स्वामी के विरूद्ध समझौते (convenants) प्रवृत्त (enforce) करने के निगम के अधिकार	...	70
170.	नियम बनाने का अधिकार	...	
171.	**अध्याय 6–क** **वित्त आयोग**		
172. 138.क	वित्त आयोग	...	71
173.	**अध्याय 7** **निगम निधि तथा अन्य निधियां**		
174.	निगम निधि तथा अन्य निधियों का संगठन	...	72
175.	प्रयोजन जिनके लिए निगम निधि का उपयोग किया जायेगा	...	73

176. 140.क	कतिपय मुकदमों पर निगम निधि से होने वाले व्यय पर निर्बन्धन किया जाना	...	74
177.	सार्वजनिक सेवाओं के लिए अत्यावश्यक कार्यो के निमित्त निगम निधि में से अस्थायी भुगतान	...	74
178.	लेखें रखना तथा उनकी परीक्षा	...	74
179.	विशेष लेखा–परीक्षा	...	74
180.	लेखा परीक्षकों को समस्त निगम लेखा अभिलेखों को आदि का प्राप्त होना	...	75
181.	वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन तथा लेखों के विवरणों की तैयारी	...	75
182.	बजट	...	76
183.	बजट के पुनरीक्षित तखमीने	...	76
184.	करों की दरों का निर्धारण	...	76
185.	निगम बजट अनुदानों की राशि बढ़ा सकती है और अतिरिक्त अनुदान भी दे सकती है	...	76
186.	निगम निधि से परिव्यय पर प्रतिबन्ध	...	77
187.	बजट के तखमीनों में परिवर्तन	...	77
188.	ऋणी निगम	...	77
189. 152.क	अधिभार	...	77
190.	नियम बनाने का अधिकार	...	77
191.	**अध्याय 8** **ऋण लेने के अधिकार**		
192.	निगम के ऋण लेने का अधिकार	...	78
193.	निगम का सार्वजनिक प्रतिभूतियों पर बैंक से ऋण लेने का अधिकार	...	79
194.	कब और केसे ऋण का भुगतान किया जाय	...	79
195.	निक्षेप निधि का संधारण तथा उपयोग	...	79
196.	निक्षेप निधि का लगाया जाना (investment)	...	80
197.	निक्षेप निधि तथा अतिरिक्त धनराशि का निगम द्वारा जारी किये गये ऋणपत्रों में लगाया जाना	...	80
198.	निक्षेप निधियों की वार्षिक परीक्षा	...	81
199.	ऋण के भुगतान न करने पर निगम निधि का कुर्क किया जाना	...	81
200.	ऋण–पत्रों के आकार–पत्र	...	82
201.	ऋण–पत्रों से संलग्न कूपनों पर कार्यकारिणी समिति के सभापति और मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर होंगे	...	82
202.	दो या दो से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त रूप से जारी किये गये ऋण–पत्र	...	82

203.	प्रतिभूतियों की द्वितीय प्रतियों (duplicates) का जारी किया जाना	...	82
204.	ऋण–पत्रों का नवीकरण	...	83
205.	नवीकृत ऋण–पत्र के सम्बन्ध में दायित्व	...	84
206.	कतिपय स्थितियों में मुक्त भार होना	...	84
207.	क्षति–पूर्ति (indemnity)	...	84
208.	वार्षिक विवरण–पत्र मुख्य नगराधिकारी द्वारा तैयार किया जाना	...	85
209.	नियम बनाने का अधिकार	...	85
210.	**अध्याय 9 निगम कर**		
211.	इस अधिनियम के अधीन कर लगाये जायेंगें	...	85
212.	**संपत्ति–कर**		
213.	सम्पत्ति कर लगाये जा सकेंगे	...	86
214.	वार्षिक मूल्य की परिभाषा	...	87
215.	जल–कल लगाने पर प्रतिबन्ध	...	87
216.	जल–कलों ओर जल निस्तारण के निर्माण कार्यो से होने वाली आय को एकत्र करना	...	87
217.	किन भू–गृहादि पर सामान्य कर आरोपित किया जायेगा	...	88
218.	अनुध्यासन (nonoccupation) के कारण छूट	...	88
219.	वार्षिक मूल्य पर लगाये जाने वाले कतिपर्य सम्पत्ति करों के लिए प्राथमिक उत्तरदायित्व	...	89
220.	ऐसे अन्य करों के भुगतान का दायित्व	...	89
221.	सम्पत्ति–कर उन भू–गृहादि पर, जिस पर वे निर्धारित किये गये हों, प्रथम भार (charge) होगा	...	89
222.	**वाहनों और नावों तथा पशुओं पर कर**		
223.	वाहनों और नावों तथा पशुओं पर कर	...	90
224.	धारा 172 में उल्लिखित कतिपय करों से मुक्ति	...	90
225.	**अन्य कर**		
226.	परिवृद्धि–कर (betterment tax)	...	91
227.	परिवृद्धि कर की धनराशि	...	91
228.	परिवृद्धि कर कर का भुगतान	...	91
229.	परिवृद्धि कर लगाये जाने की नोटिस	...	91
230.	परिवृद्धि कर का निर्धारण	...	91
231.	परिवृद्धि कर का भुगतान करने के सम्बन्ध में विकल्प (alternative)	...	92

232.	परिवृद्धि कर की बकाया धनराशि की वसूली	...	92
233.	अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण के लेखों (deeds of transfer) पर कर	...	92
234.	विज्ञापनों पर कर	...	92
235.	मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना विज्ञापनों का प्रतिषेध	...	93
236.	कतिपय दशाओं में मुख्य नगराधिकारी की अनुमति का शून्य होगा	...	94
237.	विज्ञापन से लाभानुयोग उत्तरदायी समझा जायेगा	...	94
238.	अप्राधिकृत विज्ञापनों का हटाया जाना	...	94
239.	प्रेक्षागृह कर से मुक्ति (exemptions from threatre tax)	...	94
240.	{* * *}	...	95
241.	**करों का आरोपण**		
242.	प्रारम्भिक प्रस्थापनाओं (proposals) का तैयार किया जाना	...	95
243.	प्रस्थापनाएं तैयार करने के पश्चात् की प्रक्रिया	...	95
244.	प्रस्थापनाओं की स्वीकृति, अस्वीकृति अथवा परिष्कृत करने का राज्य सरकार का अधिकार	...	96
245.	कर–आरोपण का आदेश देने के हेतु निगम का संकल्प	...	96
246.	कर का आरोपण	...	96
247.	करों की परिवर्तित करने की प्रक्रिया (procedure)	...	96
248.	राज्य सरकार की किसी कर को कम करने अथवा समाप्त कर देने का अधिकार	...	96
249.	निगम को कर	...	96
250.	**सम्पत्ति करों का निर्धारण और लगाया जाना**		
251.	निर्धारण–सूची का तैयार किया जाना	...	97
252.	सूची का प्रकाशन	...	97
253.	सूची की प्रविष्टियों पर आपत्तियां	...	97
254.	सूची का प्रमाणीकरण और उसकी अभिरक्षा	...	98
255.	सूची का पुनरीक्षण तथा उसकी अवधि	...	98
256.	सूची की प्रविष्टियां (entries) का निश्चयात्मक होना	...	98
257.	सूची में संशोधन तथा परिवर्तन	...	98
258.	संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने का आभार	...	99
259.	पुनः अध्यासन का नोटिस देने का आभार	...	99
260.	करों का संहत किया जाना (consolidation)	...	100
261.	छूट (exemption) के कारण कमी (deduction)	...	100

262.	ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध सरसरी कार्यवाहियों जो नगर छोड़ कर जाने ही वाले हों	...	100
263.	अन्य विषय		
264.	निर्धारण, उगाही तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में नियम	...	100
265.	अभिसन्धान (composition)	...	101
266.	छूट (exemption)	...	101
267.	दायित्व प्रकट करने का आभार	...	101
268.	खोज (discovery) करने के अधिकार	...	101
269.	अपवाद (savings)	...	102
270.	अनुपूरक कर		
271.	अनुपूरक कर (supplementary taxtion) लगाने के रूप में इस अधिनियम के अधीन आरोपित किये जा सकने वाले योग्य किसी कर में वृद्धि की जा सकती है अथवा उसे नये रूप में लगाया जा सकता है	...	102
272.	कर सम्बन्धी विषयों में दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का निषेध	...	102
273.	नियम बनाने का अधिकार	...	102
274.	अध्याय 10 नालियॉ तथा जलोत्सारण निगम की नालियां		
275.	मुख्य नगराधिकारी द्वारा नालियों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत की व्यवस्था	...	102
276.	निगम द्वारा नालियों तथा नालियों के जल के या मलादि (drainage or sewage) के निस्सारण के निर्माण कार्यो का अपनाया जाना (adpotion)	...	103
277.	नालियां बनाने का अधिकार	...	104
278.	नालियों में परिवर्तन और उन्हें बन्द करना	...	104
279.	नालियों की सफाई	...	105
280.	निजी सड़कों की नालियों तथा भू–गृहादि का निस्सारण		
281.	निजी सड़क की नालियों को निगम की नाली से जोड़ने का अधिकार	...	105
282.	भवनों तथा भूमि के सवामियों और अध्यासियों को निगम की नालियों में जल निस्सारण का अधिकार	...	105

283.	मुख्य नगराधिकारी के नालियों अथवा प्रस्तावित नालियों के इस प्रकार निर्मित किये जाने की मांग का (to require) अधिकार कि वे सामान्य प्रणाली (general system) के भाग बन जाय	...	105
284.	धारा 233 तथा 234 के अनुकूलन निगम की नालियों से अन्य नालियों के जोड़ने का कार्य (connection) नहीं किया जायेगा	...	106
285.	नालियों को अन्य व्यक्तियों की भूमि के बीच से ले जाने के भू–गृहादि के स्वामियों तथा अध्यासियों के अधिकार	...	106
286.	मुख्य नगराधिकारी निगम नाली से सौ फीट के भीतर स्थित ऐसे भू–गृहादि में जल–निस्सारण व्यवस्था को लागू कर सकता है जिनमें जल–निस्सारण की व्यवस्था न हो	...	107
287.	मुख्य नगराधिकारी ऐसे भू–गृहादि पर, जो निगम की नाली से सौ फीट के भीतर स्थित न हो और जल–निस्सारण की व्यवस्था से रहित (undrainded) हों, जल–निस्सारण को लागू कर सकता है	...	108
288.	व्यापारिक व्यर्थ द्रव–पदार्थ (trade effluent) से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध	...	108
289.	मुख्य नगराधिकारी का भू–गृहादि से संयुक्त रूप से जल–निस्सारण का अधिकार	...	108
290.	मुख्य नगराधिकारी वर्तमान निजी नालियों का प्रयोग बन्द अथवा सीमित कर सकता है	...	109
291.	सम्पत्ति के एक मात्र (sole) प्रयोग के लिए नालियों का विहित किया जाना और उसका संधारण	...	109
292.	ऐसे भू–गृहादि का जो निगम के न हों, नालियों आदि पर निगम का अधिकार जिनका निर्माण आदि निगम निधि किया गया हो	...	110
293.	नये भवनों बिना नालियों के नहीं बनाये जायेंगे	...	110
294.	नालियों के स्वामियों का अपनी नालियोकं का अन्य व्यक्तियों को प्रयोग करने या संयुक्त स्वामित्व की अनुज्ञा देने का आभार	...	110
295.	स्वामी से भिन्न व्यक्ति द्वारा किसी नाली के प्रयोग और संयुक्त स्वामित्व का अधिकार कैसे प्राप्त किया जा सकता है	...	110
296.	जल इत्यादि और बरसाती पानी की नालियां अलग–अलग होंगी	...	111
297.	नालियों को संजीवित करने (vestilation) इत्यादि के लिए पाइपों का लगाना	...	111
298.	**मल इत्यादि का निस्सारण (disposal of sewage)**		
299.	नालियां खाली करने और मल इत्यादि के निस्तारण के लिए स्थानों का निश्चित किया जाना	...	112
300.	मल निस्सारण के लिए साधनों की व्यवस्था	...	112
301.	**नाबदान, संडास, मूत्रालय आदि**		
302.	नाबदानों (water closets) और संडासों (privies) का निर्माण	...	113

303.	नव निर्मित या पुनर्निर्मित भवनों में नाबदान और अन्य स्थान (accomodation)	…	113
304.	सार्वजनिक आवश्यकताएं (public necessities)	…	113
305. 306.	**निरीक्षण**		
307.	ऐसी नालियों आदि का, जो निगम की न हों, निरीक्षण और परीक्षण हो सकेगा	…	113
308.	निरीक्षण या परीक्षण के प्रयोजनों के लिए भूमि आदि को खोलने का अधिकार	…	114
309.	मुख्य नगराधिकारी मरम्मत आदि कराने की मांग कर सकता है	…	114
310.	**सामान्य उपबन्ध**		
311.	ऐसे कार्यो का प्रतिषेध जो इस अधिनियम, नियमावली या उपविधियों का उल्लंघ करते हों या जो बिना स्वीकृत किये गये हों	…	114
312.	नाबदान को न क्षति पहुंचायी जायेगी और न उसे अनुचित रूप से गन्दा किया जायेगा	…	115
313.	राज्य सरकार की सीमा के बाहर अनुच्छेद के उपबन्ध प्रसारित कर सकती है	…	116
314.	अपीलें	…	116
315.	नियम बनाने का अधिकार	…	116
316.	**अध्याय 11** **जल सम्भरण (water supply)** **निगम की जलकल (waterwork) का निर्माण तथा संधारण**		
317.	जलकलों के निर्माण, संचालन अथवा बन्द करने के संबंध में निगम के अधिकार	…	117
318.	जलकलों का निरीक्षण	…	117
319.	निगम द्वारा आग बम्बों (fire hydrants) की व्यवस्था	…	118
320.	जल प्रणाली (water mains) आदि को ले जाने का अधिकार	…	118
321.	निगम के जलकलों पर प्रभाव डालने वाले कुछ कार्यो का प्रतिषेध	…	118
322.	धारा 267 का उल्लंघ करने किये जाने वाले कार्यो के विरूद्ध कार्यवाही तथा जल सम्भरण के किसी स्त्रोत (source) के निकट शौचालयों, आदि का हटाया जाना	…	119
323.	जल–कल लगाने वाली निगम का आभार (obligation)	…	119
324.	जल के सकपट (frauduled) तथा अनधिकृत प्रयोग का प्रतिषेध	…	120
325.	नियम बनाने का अधिकार	…	120
326.	**अध्याय 12**		

	सड़कें सड़कों का निर्माण, संधारण और सुधार		
327.	सार्वजनिक सड़कों का निगम में निहित होना	...	121
328.	सार्वजनिक सड़कों के संबंध में मुख्य नगराधिकारी का अधिकार	...	121
329.	नई सार्वजनिक सड़के बनाने का अधिकार	...	122
330.	नई सावजनिक सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई	...	122
331.	किसी उपमार्ग, पुल आदि को अपना लेने (to adopt) निर्मित करने या परिवर्तित करने का अधिकार	...	122
332.	कुछ प्रकार के यातायात (traffic) के लिए सार्वजनिक सड़कों का प्रयोग प्रतिषिद्ध करने का अधिकार	...	123
333.	सार्वजनिक सड़कों के सुधार के लिए भू–गृहादि को अर्जित करने का अधिकार	...	123
334.	सड़क की पंक्तियों (Street lines) को विहित करने का अधिकार	...	124
335.	भवनों को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाना	...	125
336.	भवनों को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाने की आज्ञा देने के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी का अतिरिक्त अधिकार		125
337.	सड़क की पंक्ति के भीतर की खुली भूमि या ऐसी भूमि को अर्जित करना जिस पर प्लेटफार्म, आदि हों	...	125
338.	भवन और भूमि के उन भागों को, जो सड़क की किसी नियमित पंक्ति के भीतर हो, अर्जित करने के पश्चात् उनके शेष भागों को अर्जित करना	...	126
339.	भवनों को सड़क की पंक्ति तक आगे बढ़ाना	...	126
340.	प्रतिकर दिया जायेगा ओर उन्नति के परिव्यय (betterment charges) लगाये जायेंगे	...	126
341.	निजी सड़कों के संबंध में उपबन्ध		
342.	भवन के रूप में भूमि का निस्तारण करते समय सड़क बनाने के लिए स्वामी का आभार	...	127
343.	भवनों और निजी सड़कों के लिए भूमि का विन्यास करने के लिए नोटिस	...	127
344.	नोटिस की समाप्ति तक भवन निर्माण के लिए भूमि का उपयोग और निजी सड़क का विन्यास नहीं किया जायेगा	...	128
345.	निजी सड़कों तथा पहुंचने के साधनों का सममतल किया जाना और उनकी जन–निस्सारण व्यवस्था	...	129
346.	निजी सड़को को सरकारी सड़क घोषित करने का अधिकार	...	130
347.	किसी सड़क के अंशतः सार्वजनिक और अंशतः निजी होनपे की दश में धरा 289 ओर धारा 290 का लागू होना	...	130
348.	बाहर निकले हुए भाग और अवरोध **(Projections and Obstructions)**		

349.	सड़कों आदि पर बाहर निकले हुए भागों का प्रतिषेध	...	130
350.	कुछ दशाओं में सड़कों के ऊपर बाहर निकले हुए भागों की अनुमति दी जा सकती है	...	131
351.	सबसे नीचे की मंजिल के दरवाजे, आदि सड़कों पर बाहर की ओर नहीं खुलने चाहिए	...	131
352.	सड़कों के संबंध में अन्य प्रतिषेध	...	132
353.	मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसी वस्तु को जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके निर्मित की जाय, जमा की जाय या फेरी से बेची जाय या विक्री के लिए प्रदर्शित की जाय, बिना नोटिस के हटा सकता है	...	132
354.	झाड़ियों और पेड़ों को छाँटने के लिए आदेश देने का अधिकार	...	133
355.	दुर्घटनात्मक अवरोधों को हटाने का अधिकार	...	133
356.	नियम दिन के पहले निर्मित या संस्थापित किसी ढांचे या संलग्नक को हटाने के आदेश देने का अधिकार	...	133
357.	मुख्य नगराधिकारी त्योहारों के अवसर पर सड़कों या छप्पर आदि खड़े करने की अनुमति दे सकता है	...	133
358.	**सड़कों पर या उनके निकट निर्माण–कार्यो के सम्पादन के संबंध में उपबन्ध**		
359.	सड़कों पर या उनके निकट निर्माण–कार्यो का संपादन	...	133
360.	बिना अनुमति के सड़क न खोदी जाय, न तोड़ी जाय और न उन पर भवन सामग्री एकत्र की जाय	...	133
361.	उन व्यक्तियों द्वारा जनसुरक्षा के पूर्वोपायों (precautioas) का किया जाना, जिन्हें धारा 302 के अधीन अनुज्ञा दी जाय	...	134
362.	भवन, जो सड़कों के कोनों पर हों	...	135
363.	**आकाश–चिन्ह और विज्ञापन**		
364.	आकाश–चिन्ह के संबंध में विनियम	...	135
365.	विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण	...	136
366.	**खतरनाक स्थान व ऐसे स्थान, जहां कोई ऐसा निर्माण–कार्य किया जा रहा हो, जिससे जनता की सुरक्षा व सुविधा पर प्रभाव पड़ता हो**		
367.	सड़क से सटे हुए किसी भवन पर निर्माण–कार्य के समय बाड़ों का लगाया जाना	...	136
368.	मुख्य नगराधिकारी खतरनाक या ऐसे स्थानों की जहां कोई ऐसा निर्माण–कार्य किया जा रहा है जिससे सुरक्षा और सुविधा पर प्रभाव पड़ता हो, मरम्मत या उन्हें घेरने (enclosing) की कार्यवाही करेगा	...	136
369.	गिराने के कार्य के समय संरक्षण की कार्यवाहियां	...	137

370.	**सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना**		
371.	सार्वजनिक सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था की जाएगी	...	137
372.	**सड़कों पर पानी का छिड़काव (watering)**		
373.	सड़कों पर पानी के छिड़काव के लिए उपाय	...	137
374.	**विविध**		
375.	सड़कों की बत्तियों या अन्य निगम संपत्ति को हटाने आदि का प्रतिबन्ध	...	138
376.	राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को नगर की सीमा के बाहर प्रवृत्त कर सकती है	...	138
377.	नियम बनाने का अधिकार	...	138
378.	**अध्याय 13** **निर्माण के विनियम** **भवनों के निर्माण आदि से संबद्ध नोटिस**		
379.	परिभाषा	...	139
380.	भवन निर्माण का नोटिस	...	139
381.	भवन में मरम्मत, परिवर्तन इत्यादि के सम्बन्ध में नोटिस	...	139
382.	योजनाओं आदि का अस्वीकार करना यदि वे विहित रीति से न बनायी गयीा हों या जब प्रार्थी मुख्य नगराधिकारी द्वारा मांग गये ब्यौरे प्रस्तुत न करें	...	140
383.	अवधि, जिसके भीतर मुख्य नगराधिकारी कार्य संपादन करने में निमित्त अनुज्ञा देगा अथवा न देगा	...	140
384.	कार्यकारिणी समिति का अभिदेश, यदि मुख्य नगराधिकारी अनुमोदन अथवा अनुज्ञा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने में विलम्ब करें	...	140
385.	आधार, जिन पर भवन के स्थल के निमित्त अनुमोदन अथवा भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण करने की अनुज्ञा अस्वीकृत की जा सकती है	...	141
386.	भवन निर्माण की अनुज्ञा को निलंबित करने के लिए विशेष अधिकार	...	141
387.	कुछ दशाओं में मनोरंजन के किसी स्थान के निर्माण के निमित्त स्वीकृति प्रदान करने के विशेष अधिकार पर निर्बन्धन	...	141
388.	**कार्य का आरम्भ**		
389.	भवन का निर्माण अथवा निर्माण कार्य का संपादन कैसे कार्यान्वित किया जायेगा	...	142

390.	भवनों के निर्माण, उनमें परिवर्तन आदि के दौरान में मुख्य नगराधिकारी द्वारा उसका निरीक्षण	...	142
391.	भवनों तथा निर्माण कार्यो से सम्बद्ध उपबन्धों का प्रवर्तित किया जाना	...	142
392.	अधिनियम, नियमों अथवा उपविधियों के प्रतिकूल प्रारम्भ कि ये गये भवन अथवा निर्माण कार्य के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही	...	143
393.	प्रार्थी के सारवान भ्रांत कथन (material misrepresntation) के आध्णार पर मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा निरस्त करने का अधिकार	...	143
394.	समाप्ति के प्रमाण–पत्र, कब्जा करने अथवा प्रयोग की अनुज्ञा	...	143
395.	भवनों की नियत–कालीन जांच	...	144
396.	ऐसी संरचनाओं इत्यादि का हटाया जाना जो, खंडहर है (in ruins) अथवा गिरने वाले हों	...	144
397.	भवनों में संकटमय छिद्र	...	145
398.	**अवैध रूप में किये गये निर्माण–कार्य**		
399.	अवैध रूप से निर्माण कार्य करने का आदेश देने वाले व्यक्ति को हटाने के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी के अधिकार	...	145
400.	कतिपय परिस्थितियों में किसी भवन को खाली कराने के लिए मुख्य नगराधिकारी का अधिकार	...	146
401.	**विशेष सड़कों या स्थानों में कुछ श्रेणियों के भवनों का विनियमन**		
402.	विशेष सड़कों या स्थानों में कतिपय श्रेणी के भवनों के भावी निर्माण को विनियमित करने का अधिकार	...	147
403.	धारा 335 के उपबन्धों का उल्लंघन किये जाने के मामलों में मुख्य नगराधिकारी का अधिकार	...	147
404.	परित्यक्त अथवा अन्ध्यासित भू–गृहादि	...	148
405.	अगम्य स्थानों पर भवन के पुनः निर्माण को प्रतिषिद्ध करने का अधिकार	...	148
406.	कतिपय दशाओं में किसी भू–गृहादि से भवन निर्माण सामग्री का हटाया जाना	...	148
407.	आवास के संबंध में विवरण–पत्र मांगने का मुख्य नगराधिकारी का अधिकार	...	148
408.	राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को नगर की सीमा के बाहर लागू कर सकती है	...	148
409.	नियम बनाने का अधिकार	...	149
410.	**अध्याय 14 विकास योजनाएं**		

411.	विकास योजनाओं के प्रकार	...	149
412.	सामान्य विकास योजना	...	149
413.	बस्ती सुधार (slum clearance) योजना	...	149
414.	गृह पुनर्निर्माण योजना (rehousing shcemes)	...	150
415.	सड़क योजना	...	151
416.	भावी सड़क योजना	...	151
417.	गृह स्थान योजना (housing accomodation)	...	152
418.	नगर प्रसार योजना	...	152
419.	योजना तैयार करना	...	153
420.	विकास योजनाओं का संयोजन	...	153
421.	वे विषय जिनकी व्यवस्था विकास योजना द्वारा की जायेगी	...	153
422.	कतिपय विकास योजनाओं में नगर के बाहर के क्षेत्रों को सम्मिलित करना	...	154
423.	विकास योजनायें तैयार करते समय विचारणीय विशेषय	...	154
424.	विकास समिति द्वारा विचार किया जाना	...	154
425.	विकास योजना की नोटिस	...	155
426.	भूमि के प्रस्तावित अर्जन की नोटिस	...	155
427.	निगम द्वारा योजना पर विचार	...	155
428.	निगम द्वारा योजना स्वीकृति अथवा परित्याग (abandonment)	...	155
429.	योजना के संबंध में राज्य सरकार के अधिकार	...	156
430.	निगम द्वारा परिष्कृत की जाने वाली योजना के संबंध में प्रक्रिया	...	156
431.	विकास योजना की स्वीकृति की विज्ञप्ति	...	157
432.	स्वीकृति के पश्चात् विकास योजना में परिवर्तन	...	157
433.	विकास योजना के लिए अपेक्षित भूमि का अर्जन	...	157
434.	भवन इत्यादि के संबंध में निर्बन्धन (restriction)	...	158
435.	भवनों को गिराने का आदेश	...	358
436. 367.क	योजना का परित्याग	...	358
437.	भूमि निस्तारित करने का अधिकार	...	159
438.	परिमापन करने के अधिकार	...	159
439.	प्रविष्टि के अधिकार	...	159
440.	न्यायियक (tribunal) का संगठन	...	159
441.	न्यायाधिकरण के कर्तव्य–	...	159
442.	न्यायाधिकरण के सदस्यगण	...	160

443.	पारिश्रमिक	...	160
444.	न्यायाधिकार के कर्मचारी	...	161
445.	लैंड ऐक्टवीजिशन ऐक्ट, 1894 परिष्कार	...	161
446.	न्यायाधिकरण पर प्रवृत्त विधि	...	161
447.	{***}	...	161
448.	न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा	...	161
449.	न्यायाधिकरण की आज्ञा का प्रवर्तित किया जाना	...	161
450.	अपीलें	...	161
451.	वृक्षों तथा वनभूमियों का परिरक्षण	...	162
452.	नगर के लिए महायोजना	...	163
453. 383.क	नगर के लिए विकास योजना तैयार करना	...	163
454.	नियम बनाने का अधिकार	...	163
455.	**अध्याय 15** **सफाई व्यवस्था** **सड़क की सफाई तथा स्वच्छता**		
456.	मुख्य नगराधिकारी द्वारा सड़क की सफाई और कूड़ा–करकट हटाने के संबंध में की जाने वाली व्यवस्था	...	164
457.	गैर सरकारी अभिकरण द्वारा हटाये गये कूड़ा करकट आदि के निस्ताश्रण का विनियमन	...	164
458.	कूड़ा–करकट आदि निगम की सम्पत्ति होगी	...	164
459.	मुख्य नगराधिकारी मलमूत्रादि तथा दूषित वस्तुओं को जमा करने इत्यादि के संबंध में व्यवस्था कर सकता है	...	165
460.	कतिपय स्थानों पर विशेष सफाई का प्रबन्ध	...	165
461.	**भू–गृहादि के निरीक्षण और सफाई सम्बन्धी विनियमन**		
462.	सफाई के प्रयोजन से भू–गृहादि के निरीक्षण का अधिकार	...	165
463.	मनुश्यों के रहने के लिए अयोग्य भवन अथवा भवनों के कमरे	...	165
464.	अस्वास्थ्यकर भवनों को मरम्मत कराने का आदेश देने का अधिकार	...	166
465.	अस्वास्थ्यकर भवनों को गिरवाने की आज्ञा देने का अधिकार	...	166
466.	भवन गिराने की आज्ञा को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया	...	167
467.	भवनों को गिराने की आज्ञा के विरूद्ध	...	167
468.	पशुओं के शवों का निस्तारण	...	168
469.	स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खेती बाड़ी, खाद के उपयोग अथवा सिचई का निषेध	...	168

470.	हानिकर वनस्पतियों को साफ करने के लिए स्वामियों से अपेक्षा करने का अधिकार	...	168
471.	**सार्वजनिक स्नान, धुलाई आदिका विनियमन**	...	
472.	सार्वजनिक स्नान आदि के स्थान मुख्य नगराधिकारी द्वारा निश्चित किए जायेंगे और ऐसे स्थानों के उपयोग का विनियमन	...	169
473.	आज्ञा के विपरीत स्नान करने का प्रतिषेध	...	169
474.	**फैक्ट्रियों, व्यापारों इत्यादि का विनियमन**		
475.	बिना मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के नई फैक्ट्री इत्यादि स्थापित न की जायेगी	...	170
476.	रासायनिक द्रव्यों आदि जल के गन्दे या दूषित किये जाने का प्रतिषेध	...	170
477.	निजी जल प्रणाली इत्यादि की सुई करने या उसे बन्द कर देने की आज्ञा देने का अधिकार	...	170
478.	फैक्ट्रियों, स्कूलों तथा अन्य सार्वजनिक समागत के स्थानों के निमित्त शौचालय	...	171
479.	तालाब इत्यादि से होने वाले अपदूषणों को हटाने का आदेश देने का अधिकार	...	171
480.	**भयानक रोगों का निवारण और उनकी रोकथाम**		
481.	भयानक रोगों के संबंध में मुख्य नगराधिकारी और स्वास्थ्य चिकित्साधिकारी इतदि के अधिकार	...	171
482.	भयानक रोग के फैलने सये रोकने के निमित्त किसी भी स्थान का किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है	...	171
483.	भयानक रोगों की सूचना दी जायेगी	...	172
484.	निवास–गृहों अथवा भोजनालयों का बन्द किया जाना	...	172
485.	भयानक रोग को फैलने से रोकने के निमित्त किसी भी स्थान का किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है	...	172
486.	भयानक रोगों की सूचना दी जायेगी	...	172
487.	**मृतकों का निस्तारण**		
488.	मृतकों के निस्तारण के स्थानों का पंजीयन किया जायेगा	...	173
489.	मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के बिना मृतकों को निस्तारित करने के लिए नये स्थान न खोले जायेंग	...	173
490.	मृतकों के निस्तारणार्थ नये स्थानों की व्यवस्था	...	173
491.	मृतकों को दफनाने के स्थान बन्द किया जाना	...	173
492.	मृतकों के दफनाने के स्थान का फिर से चालू किया जाना	...	174
493.	मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के बिना मुर्दे न खोदे जायेंगे तथा उपासना के स्थानों के भीतर दफनाएं न जायेंगे	...	174

494.	मृतकों के निस्तारण के संबंध में प्रतिसिद्ध काय	...	175
495.	राज्य सरकार इस अधयाय के उपबन्धों को नगर की सीमाओं के बाहर लागू कर सकती है	...	175
496.	नियम बनाने का अधिकार	...	176
497.	**अध्याय 16 बाजारों, वध–शालाओं, कतिपय व्यापारों और कार्यो आदि का विनियमन**		
498.	किसी निजी बाजार और वधशाला समझा जायेगा	...	177
499.	बाजारों ओर वधशालाओं, आदि के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी के अधिकार	...	177
500.	निजी बाजारों, तथा निजी वधशालाओं का खोला जाना	...	178
501.	किसी निगम वधशाला, वधार्थ–पशु स्थान बजाार या भू गृहादि से जीवित ढोर, भेड़, बकरी या सुअरों को हटाना	...	178
502.	नियमों, उपविधियों या विनियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को निश्कासित करने का अधिकार	...	179
503.	बिना अनुज्ञप्ति के नियम के बाजारों में बिक्री का प्रतिषेध	...	179
504.	अनाधिकृत निजी बाजारों में बिक्री का प्रतिषेध	...	179
505.	बाजारों से अन्यत्र पशुओं, आदि की बिक्री का प्रतिषेध	...	179
506.	बिक्री के निमित्त रक्खे गये पशुओं के वध पर निर्बन्धन	...	180
507.	ऐसे पशुओं के जो बिक्री के लिए अभिप्रेत न हो या जिनका वध धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाना, वध के लिए स्थान	...	180
508.	ऐसे पशुओं के संबंध में जिनका बिक्री के प्रयोजनार्थ वध नहीं किया जाता हो, जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार	...	180
509.	बिना अनुज्ञा नगर में पशु आदि के आयात का प्रतिसेद	...	180
510.	मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है जहाँ इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल पशु–वध या मांस की बिक्री किये जाने का सन्दे हो	...	180
511.	मुख्य नगराधिकारी मानव भोजनार्थ बिक्री के लिए प्रदर्शित की गई वस्तुओं के निरीक्षण की व्यवस्था करेगा	...	181
512.	अस्वास्थ्य कर (unwholesome) वस्तुओं आदि का अभिग्रहण	...	181
513.	धारा 435 के अधीन अभिग्रहण की गई खराब होने वाली वस्तुओं का निस्तारण	...	181
514.	हानिकर व्यापार का विनियमन	...	182
515.	बिना अनुज्ञप्ति के कतिपय वस्तुयें न रखी जायेगी और कतिपय व्यापार और कार्य सम्पादित नहीं किये जायेंगे	...	182
516.	कसाइयों और ऐसे व्यक्तियों को जो पशुओं का मांस बेंचते हों, अनुज्ञप्ति लेनी होगी	...	183

517.	दुग्धशाला अन्य पदाथर्झे का व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित होगी	...	184
518.	शर्ते जिनके अधीन वास्तुशास्त्री, अभियंता, ढांचा निर्माण, भू–मापक या नल मिस्त्री नगर के भीतर अपना–अपना व्यापार कर सकते हैं	...	184
519.	अनुज्ञप्त नल मिस्त्री उचित रूप से कार्य सम्पादित करने के लिए बाध्य होंगें	...	184
520.	कार्यकारणी समिति नल मिस्त्रियों के लिए शुल्क निश्चित करेगी	...	184
521.	अनैतिक प्रयोजनों के लिए इधर उधर घूमना और याचना करना	...	184
522.	वेश्वागृह आदि	...	184
523.	भिक्षावृत्ति आदि	...	185
524.	दुग्धशाला के प्रयोजनार्थ रखे गये अथवा भोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले पशुओं को अनुचित भोजन देना	...	185
525.	ज्वलनशील वस्तुओं का ढेर लगाना आदि	...	185
526.	खंड़जों (pavements) आदि स्थानध्युक्त करना	...	185
527.	आग्नेयास्त्र चलाना आदि	...	186
528.	अनुज्ञप्तियां और लिखित अनुज्ञायें देने, उन्हें निलम्बित करने या उनका प्रतिसंहरण करने तथा शुल्क आदि के लगाये जाने के संबंध में सामान्य उपलब्ध	...	186
529.	अनुज्ञप्ति शुल्क इत्यादि	...	186
530.	नियम बनाने का अधिकार	...	187
531.	अध्याय 17 जन्म–मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े		
532.	जन्म तथा मृत्यु का पंजीयन (registration)	...	187
533.	नियम बनाने का अधिकार	...	187
534.	अध्याय 18 प्रतिकर (**compensation**)		
535.	प्रतिकर अदा करने का मुख्य नगराधिकारी का सामान्य अधिकार	...	187
536.	मूल्यांपकर्षित (deteriornated) अचल सम्पत्ति के मूल्य के लिए स्वामी को दिया जाने वाला प्रतिकर	...	188
537.	सिद्धान्त, जिन पर और रीति जिनसे प्रतिकर निर्धारित किया जायेगा	...	188
538.	नियम बनाने का अधिकार	...	188
539.	अध्याय 19 षास्तियां (**Penalties**)		
540.	कुछ अपराध, जिनमें जुर्माने का दंड दिया जा सकता है	...	188

541.	पीनल कोड के अधीन दंडनीय अपराध	...	189
542.	{***}	...	189
543.	संविदा आदि में स्वत्व अर्जित करने वाले सदस्य या नगर प्रमुख को दंड	...	189
544.	संविदा आदि से कर्मचारियों के स्वत्व रखने के विरूद्ध उपबन्ध	...	190
545. 464.क	धारा 112–ग और 112–क का उल्लंघन करने के लिए दण्ड	...	190
546.	धारा 267 के प्रतिकूल किये गये अपराधों के लिए दंड	...	191
547.	{***}	...	191
548.	सामान्य शास्ति	...	191
549.	स्वामियों के अभिकर्ताओं तथा न्यासियों के उत्तरदायित्व के संबंध में शास्ति की आयति	...	191
550.	समवाय (companies) आदि द्वारा किये गये अपराध	...	191
551.	इस अधिनियम के प्रतिकूल दोषी व्यक्तियों द्वारा की गयी क्षति के लिए उनके द्वारा देय प्रतिकर	...	191
552.	**अध्याय 20** **न्यायाधीश (judge), जिला जज और मैजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाहियां**		
553.	न्यायाधीश (Judge) का अभिदेश (reference)	...	192
554.	**मूल्याकंनों और करों के विरूद्ध अपील**		
555.	अपीले कब और किसकी की जायेगी	...	192
556.	शिकायत का कारण कब प्रोदभूत समझा जायेगा	...	192
557.	मध्यस्थ निर्णय (arbitration)	...	193
558.	कुशल मूल्याकंन करने वाले की नियुक्ति	...	193
559.	जिला जज को अपीलें	...	194
560.	अपील में कार्यवाहियों का व्यय	...	194
561.	ऐसे मूल्याकंन और कर, जिनके विरूद्ध अपील न की गई हो, ता अपील में किये गये निर्णय अन्तिम होंगे	...	194
562.	**न्यायाधीश (Judge) तथा जिला जज के समक्ष अपीलें**		
563.	न्यायाधीश के समक्ष अपील	...	194
564.	भवन गिराने की आज्ञा के विरूद्ध अपील	...	195
565.	संपादित कार्यो के व्यय के भुगतान के संबंध में न्यायाधीश (Judge) के निर्णय के विरूद्ध अपील	...	195
566.	**न्यायाधीश (Judge) के समक्ष कार्यवाहियां**		

567.	भवन या भूमि के स्वामी का ऐसे अध्यासी के विरूद्ध उपशमाधिकार, जो ऐसे स्वामी को इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुपालन से रोके	...	196
568.	साक्षियों को बुलाने और लेख्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने का अधिकार	...	196
569.	न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही का शुल्क	...	197
570.	निर्धन व्यक्तियों की शुल्क से मुक्ति	...	197
571.	सुनवाई के पूर्व समझौता हो जाने पर आधे शुल्क की वापसी	...	197
572.	प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति	...	197
573.	**मैजिस्ट्रेटों को अभिदेश**		
574.	मैजिस्ट्रेटों को अभिदेश	...	198
575.	ऐसे पशुओं तथा शीघ्र खराब न होने वाली वस्तुओं का निस्तारण, जिनका धारा 435 के अधीन अभिग्रहण किया जाय	...	198
576.	ऐसा भोजन रखने के सम्बन्ध में दंड, जो रोगग्रस्त, विकृत अथवा अस्वास्थ्यकर अथवा मानव भोजन के लिए अनुपयुक्त प्रतीत हो	...	198
577.	उचित समय के भीतन न दिए जाने पर आह्वान संबंधी प्रार्थना–पत्र अस्वीकारकार किया जायेगा	...	198
578.	**मैजिस्ट्रेट तथा सत्र न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियां**		
579.	हस्तक्षेप योग्य अपराध	...	198
580.	कालावधि जिसके भीतर इस अधिनियम के दंडनीय अपराध के परिवार लिये जायेंगे का परिसीमन	...	199
581.	मैजिस्ट्रेट का अभियुक्त की अनुपस्थिति में वाद की सुनवाई करने का अधिकार	...	199
582.	सरकार के लोक विश्लेषक का प्रतिवेदन	...	199
583.	अपदूषणों संबंधी परिवाद	...	199
584.	धारा 496 के अधीन पारित आज्ञा के विरूद्ध सत्र न्यायालय में अपील	...	200
585.	**अपराधियों की गिरफ्तारी (Arrest)**		
586.	इस अधिनियम के विरूद्ध आचरण करने वाले अपराधी कुछ दशाओं में पुलिस पदाधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए जा सकते हैं	...	200
587.	**प्रकीर्ण**		
588.	कोड आफ सिविल प्रोसीजन का लागू होना	...	200
589.	कालावधि	...	200
590.	न्यायाधीश (Judge) और जिला जज की आज्ञा का सम्पादन	...	201

591.	मैजिस्ट्रेट के समक्ष समस्त जाचों और कार्यवाहियों में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू होगा	...	201
592.	अध्याय 21 करों तथा अन्य निगम देयों की (**dues**) की वसूली		
593.	निगम करों की वसूली की रीति	...	201
594.	बिल प्रस्तुत करना	...	201
595.	बिल में समाविष्ट होने वाले विषय	...	201
596.	मांग का नोटिस	...	202
597.	वारन्ट जारी होना	...	202
598.	वारन्ट की कार्यान्विति के लिए बलपूर्वक प्रवेश	...	202
599.	वारन्ट कार्यान्वित करने की रीति	...	203
600.	वारन्ट के अधीन सामानों की बिक्री ओर उससे प्राप्त धन का उपयोग	...	203
601.	नगर के बाहर स्थिति सम्पत्ति के संबंध में कार्यवाही की प्रक्रिया	...	203
602.	बाकीदार की अचल संपतित की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूली	...	203
603.	चल सम्पत्ति की दशा में वारन्ट किसी प्रकार कार्यान्वित होगा	...	204
604.	अचल सम्पत्ति की बिक्री	...	204
605.	{***}	...	205
606.	देय किराये की कुर्की	...	205
607.	यदि आवश्यक हो तो बाकीदारों पर बकायें के लिए वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा	...	205
608.	शुल्क व व्यय (cost)	...	205
609.	अपवाद	...	205
610.	ऐसे देयों (dues) की वसूली, जिनके संबंध में घोषणा की जा चुकी हो कि वे कर के रूप में वसूल किये जा सकते है	...	205
611.	कुछ धाराओं के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा सामानों के हटाये जाने के संबंध में व्यय की वसूली	...	205
612.	इस अधिनियम के अधीन वसूलने योग्य व्यय मांग करनले पर देय होंगे और यदि मांग करने पर अदा न किये जायं तो वे सम्पत्ति कर की बकाया की भांति वसूल किये जायेंगे	...	206
613.	यदि बाकीदार उस भू–गृहादि का स्वामी हो, जिसके सम्बन्ध में व्यय देय हो, तो अध्यासी भी उस व्यय का देनदार होगा	...	207
614.	मुख्य नगराधिकारी व्यय को किस्तों में लेने के लिए अनुबन्ध कर सकता है	...	207
615.	कुछ व्यय विकास व्यय घोषित किये जा सकते है	...	207

616.	विकास व्ययों का निश्चित अनुपात किराये में से काटा जा सकता है	...	208
617.	विकास व्यय के निमित्त भाग विमोचल (redemption of chage)	...	208
618.	धारा 524 व 525 के अधीन देय किस्तों की वसूली	...	208
619.	किसी भू–गृहादि के स्वामी द्वारा चूक करने पर अध्यासी कार्य सम्पन्न कर सकता है तथा स्वामी से व्यय वसूल कर सकता है	...	208
620.	व्यय अथवा प्रतिकर के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध उनकी वसूली कावाद प्रस्तुत किया जा सकता है	...	208
621.	अध्याय 22 नियंत्रण		
622.	राज्य सरकार का कार्यवाहियों इत्यादि के अवतरण मांगने का अधिकार	...	209
623.	राज्य सरकार का निरीक्षण करने का अधिकार	...	209
624.	राज्य सरकार के कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निर्देश देने के अधिकार	...	209
625.	राज्य सरकार से चूक (default) करने की कार्यवाही करने के लिए किसी व्यक्ति को निगम के खर्च से नियुक्त करने का अधिकार	...	209
626.	आपात के समय राज्य सरकार के अधिकार	...	210
627.	राज्य सरकार को संकल्पों की प्रतियों का प्रस्तुत किया जाना	...	210
628.	राज्य सरकार का इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही को निलम्बित करने का अधिकार	...	210
629.	अक्षमता, सतत चूक या अधिकरों के अतिक्रमण या दुरूपयोग की दशा में राज्य सरकार का निगम को विघटित करने का अधिकार	...	211
630.	राज्य सरकार का निगम को अधिकांत करने का अधिकार	...	211
631.	अध्याय 23 नियम, उपविधियां तथा विनियमन		
632.	राज्य सरकार द्वारा नियमों का बनाया जाना	...	211
633.	किन प्रयोजनों के लिए उपविधियां बनायी जायेगीं	...	212
634.	मुख्य नगराधिकारी उपविधियों के पांडुलेख को निगम के समक्ष विचारार्थ रखेगा	...	215
635.	प्रस्तावित उपविधियों के संबंध में की गयी आपत्तियों की निगम द्वारा सुनवाई	...	215
636.	उपविध्यिों को प्रकाशित किया जाना	...	215
637.	उपविधि की मुद्रित प्रतियां बिक्री के लिए रखी जायेगी	...	216
638.	निगम द्वारा उपविधियों का परिष्कार और खंडन	...	216
639.	राज्य सरकार उपविधियों को परिष्कृत या निरस्त कर सकती है	...	216

640.	विनियम	...	216
641.	राज्य सरकार का उपविधियाँ तथा विनियम बनाने का का अधिकार	...	217
642.	नियमों, उपविधियाँ अथवा विनियमों की अवहेलना करने का दंड	...	218
643.	**अध्याय 24** **विविध** **सार्वजनिक नोटिस तथा विज्ञापन**		
644.	सार्वजनिक नोटिसों का प्रचार कैसे किया जायेगा	...	218
645.	विज्ञापन किस प्रकार किया जायेगा	...	218
646.	निगम आदि द्वारा लिखित लेख्यों (written documents) में सहमति आदि दिया जाना	...	219
647.	**नोटिसों आदि की तामील**		
648.	नोटिस और उनका तामील	...	219
649.	नोटिस आदि पर हस्ताक्षर मुद्रांकित किये जा सकते हैं	...	220
650.	मुख्य नगराधिकारी का भू–गृहादि के स्वामित्व के संबंध में सूचना मांगने का अधिकार	...	220
651.	**अनाधिकृत कार्य**		
652.	मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना किये गये निर्माण अथवा कार्य अनाधिकृत समझे जायेंगे	...	221
653.	निर्माण आदि, जिन्हें किसी व्यक्ति, से सम्पादित करने की अपेक्षा की गयी हो, कुछ दशाओं में उक्त वयक्ति की लागत पर मुख्य नगराधिकारी द्वारा सम्पादित किये जा सकते हैं	...	221
654.	सामग्री का सम्भरण (supply)	...	221
655.	**प्रवेश तथा निरीक्षण के अधिकार**		
656.	प्रवेश तथा निरीक्षण के अधिकार	...	222
657.	निर्माण–कार्यो से संलग्न भूमियों पर मुख्य नगराधिकारी का प्रवेशाधिकार	...	223
658.	प्रवेश करने का समय	...	223
659.	धारा 560 या 561 के अधीन प्रवेश अवरूद्ध करने का प्रतिषेध	...	223
660.	**वैधिक कार्यवाहियां**		
661.	दीवानी तथा फौजदारी कार्यवाहियों के निंवेशन आदि तथा विधिक परामर्श प्राप्त करने सम्बन्ध में उपबन्ध	...	224
662.	**सामान्य**		

663.	सभासद इत्यादि जल–सेवक (Public Servant) समझे जायेंगे	...	225
664.	पुलिस पदाधिकारियों के कर्तव्य	...	225
665.	पुलिस पदाधिकारियों का लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार	...	226
666.	निगम कर्मचारियों द्वारा पुलिस के अधिकारों का प्रयोग	...	226
667.	निगम इत्यादि अनौपचारिकताएं तथा त्रुटियां ऐसे निर्धारण आदि को अवैध करने वाली ना समझी जायेगी	...	226
668.	सद्भावना से किये गये कार्यो के लिए क्षति	...	226
669.	इस अधिनियम के अधीन काम करने वाले व्यक्तियों का वादों में संरक्षण	...	226
670. 571.क	निगम के अभिलेखों की प्रमाणित करने की रीति	...	227
671. 571.ख	लेख्यों को प्रस्तुत करने के लिए निगम के पदाधिकारियों या सेवको को आहूत करने पर निर्बन्धन	...	227
672.	कुछ दशाओं में दीवानी न्यायालय अल्पकालिका निशेधाज्ञा न दे सकेगा	...	228
673.	स्वामी के अभिकर्ता या न्यासी के दायित्व की सीमा	...	228
674.	**अध्याय 25** **संक्रातिकालीन (transitory) उपबन्ध,** **निरसन (repeal) तथा संशोधन**		
675.	अन्य विधायनों के निर्देशों का अर्थ	...	228
676.	देय धनराशियां	...	229
677.	ऋण, आभार, संविदाएं तथा विचाराधीन (pending) कार्यवहियां	...	229
678.	नियुक्तियों, करों, बजट के तखमीनों तथा निर्धारणों का जारी रहना	...	230
679.	अधिक्रान्त अथवा विघटित नगरपालिका अथवा स्थानीय प्राधिकारी के लिए व्यवस्था	...	232
680.	विशेष उपबन्घ	...	232
681. 579.क	नगर निगम के संगठतन तक के लिए व्यवस्था	...	
682.	कठिनाइंयों को दूर करने की शक्ति	...	
683. 580.क	कुछ दशाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों दायित्वों तथा आभारों का उत्तराधिकार	...	
684. 580.ख	महापालिका देय धनराशियां	...	
685. 580.ग	महापालिका के ऋण, आभार, संविदायें तथा विचाराधीन कार्यवाहियां	...	
686.	निरसन	...	
687.	**अनुसूचिया**		

688. अनुसूची			
689.		...	
690. .	निगम प्राधिकारियों के अप्रत्यनिधान्य कृत्य भाग (क)	...	
691.	निगम के कृत्य जो प्रतिनिधानित न किये जायेंगें भाग (ख)	...	
692.	कार्यकारिणी समिति के कृत्य, जो प्रतिनिधनित न किये जायेंगें भाग (ग)	...	
693.	विकास समिति के कृत्य, जो प्रतिनिधानित न किये जायेंगें। भाग (घ)	...	
694.	मुख्य नगराधिकारी के वे कृत्य, जो अन्य पदाधिकारियों अथवा सेवकों को प्रतिनिधानित न किये जायेंगे	...	
695. .	लैंड एक्वीजिशेन ऐक्ट, 1894 में संशोधन	...	
696. .	दंड सारिणी (भाग 1)	...	
697.	दण्ड सारिणी (भाग 2)	...	
698.	उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण नियमावली, 1994	...	
699.	उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आबंटन) नियमावली, 1994	...	
700.	उत्तर प्रदेश नगर निकाय के निर्वाचन आदेश, 1999	...	
701.	उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000		

{उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2004}

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004 पर दिनांक 11 अगस्त, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2004)

{जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ}

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

(2) यह 21 नवम्बर, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 के सामान्य संशोधन—उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में, जिसे लागे मूल अधिनियम कहा गया है, शब्द ''मुख्य नगर अधिकारी'' ''अपर मुख्य नगर अधिकारी'', ''उप नगर अधिकारी'', ''सहायक नगर अधिकारी'', ''नगर प्रमुख'', ''उप नगर प्रमुख'', ''सभासद'' और सभासदों, शीर्षक, उपशीर्षक, पार्श्वशीर्षक सहित जहां कही भी आयें हों, के स्थान पर क्रमशः ''नगर आयुक्त'', ''अपर नगर आयुक्त'', ''उप नगर आयुक्त'', ''सहायक नगर आयुक्त'', ''महापौर'', ''उप महापौर'', ''पार्षद'' रख दिये जायेंगें।

3. धारा 5 का संशोधन—मूल अधिनियम की धारा 5 में, खण्ड (घ) के सथान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

''(घ) इस अधिनियम के अधीन निगम के लिए नियुक्ति एक नगर आयुक्त और एक या अधिक अपर नगर आयुक्त, नियुक्त करते हैं''

4. धारा 16 का संशोधन—मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

(क) उपधारा (14) में शब्द ''अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने की दशा में इस आख्या के सहित कि नगर प्रमुख ने धारा 19 के साथ पठित उप धारा (17) के उपबन्धों के अधीन त्याग—पत्र अग्रसारित किया है या नहीं'' के स्थान पर शब्द ''अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने की दशा में'' रख दिये जायेंगे।

(ख) राज्य सरकार द्वारा महापौर के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये जाने की दशा में ऐसी अस्वीकृति के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर उसी महापौर में अविश्वास के किसी पश्चात्वर्ती प्रस्ताव की नोटिस स्वीकार नहीं की जायेगी।''

(ग) उपधारा (15) में शब्द ''दो तिहाई के स्थान पर शब्द ''तीन चौथाई'' रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (16) में शब्द ''दो तिहाई'' के स्थान पर शब्द ''तीन चौथाई'' रख दिये जायेंगे।

5. धारा 25 का संशोधन—मूल अधिनियम की धारा 25 में,—

(क) उपधारा (1) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

''(घ) वह राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम या निकाय की सेवा में हो अथवा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, काउन्सेल अथवा अपर या सहायक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउन्सेल अथवा अवैतनिक मजिस्ट्रेट अथवा अवैतनिक मुंसिफ अथवा अवैतनिक कलेक्टर हो,''

(ख) उपधारा (4) में, खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखि खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :–

''(3) निगम की किसी बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है कि निगम के उस बैठक का कार्य संचालन असम्भव हो जाये अथवा ऐसा करने के लिए किसी को उकसाया है; या

(4) निगम के किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ दुव्यर्वहार किया है; या

(5) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निगम की किसी सम्पत्ति को कोई हानि या क्षति पहुंचाई है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी हानि या क्षति के लिए दुष्प्रेरित करता है; या

(6) किसी उपराध के लिए, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्गस्त है, सिद्धदोष ठहराया जाय।''

6. धारा 132 का संशोधन–मूल अधिनियम की धारा 132 में,–

(क) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात् :–

''(3–क) कोई ऐसी संविदा, जिसमें दो लाख रूपये से अधिक और चार लाख रूपये से अनधिक का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, नगर आयुक्त द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि उसे महापौर द्वारा स्वीकृत न कर दिया जाय''।

(ख) उपधारा (4) में शब्द ''पांच लाख रूपये'' के स्थान पर शब्द ''आठ लाख रूपये'' रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (5) में शब्द ''पचास हजार रूपये'' के स्थान पर शब्द ''एक लाख रूपये'' रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :–

''(7) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट आर्थिक सीमाओं को लागत में वृद्धि या कार्य की अत्यावश्यकता और निगमों की दक्षता को दृष्टि में रखते हुए उपान्तरित कर सकती है''

7. धारा 135 का संशोधन–मूल अधिनियम की धारा 135 में,–

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द ''पांच लाख रूपये'' के स्थान पर शब्द ''आठ लाख रूपये'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द ''एक लाख रूपये'' के स्थान पर ''दो लाख रूपये'' रख दिये जायेंगे;

(दो) प्रति बन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायेगा;

(ग) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :–

''(1–क) महापौर किसी तखमीने को जो लाख रूपये से अधिक न हो, दे सकता है;

8. धारा 136 का संशोधन–मतूल अधिनियम की धारा 136 में,–

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द ''पांच लाख रूपये'' के स्थान पर शब्द ''आठ लाख रूपये'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (1) में शब्द ''पांच लाख रूपये'' के स्थान पर शब्द ''आठ लाख रूपये'' रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (2) में, खण्ड (क) में शब्द ''दो लाख रूपये'' के स्थान पर शब्द ''सोलह लाख रूपये'' रख दिये जायेंगे।

9. धारा 177 का संशोधन–मूल अधिनियम की धारा 177 में,–

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखि खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

''(ग) भवन, जो एकमात्र स्कूलों या इण्टरमीडिएट कालेजों के रूप में प्रयुक्त होते हों चाहे वे सहायतित हों अथवा न हों;''

(ख) खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

''(ज) भवन स्वामी द्वारा अध्यासित आवासीय भवनों जो किसी ऐसे क्षेत्र में हो, जिसें पांच वर्ष के भीतर निगम की सीमा में सम्मिलित किया गया हो अथवा उस क्षेत्र में सड़क, पेय जल और मार्ग प्रकाश की सुविधाऐं उपलब्ध करा दी गई हो, जो भी पहले हों''।

10. धारा 207 का प्रतिस्थापित–मूल अधिनियम की धारा 207 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''207. निर्धारण सूची का तैयार किया जाना–नगर आयुक्त समय–समय पर नियमावली में विहित रीति के अनुसार नगर या उसके किसी भाग की क्षेत्रवार किराया दर और निर्धारण सूची तैयार करायेगा।''

11. धारा 207–ख का बढ़ाया जाना–मूल अधिनियम की धारा 207–क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

''207–ख. कर निर्धारण के लिए भवनों या भूमियों का विवरण प्रस्तुत किया जाना–(1) वार्षिक किराये के मूल्य के प्रयोजनों के प्रत्येक भवन या भूमि का स्वामी या अध्यासी ऐसे दिनांक तक जैसा विहित किया जाय एक सम्पत्ति विवरणी प्रस्तुत करेगा।''

(2) कोई व्यक्ति जो बिना उचित कारणों के उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहा हो, वह ऐसी शास्ति जो विहित की जाय, भुगतान करने का दायी होंगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट शास्ति का प्रशमन नगर आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

12. धारा 208 का प्रतिस्थापन–मूल अधिनियम की धारा 208 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

''208. सूची का प्रकाशन–नगर आयुक्त धारा 207 के अधीन तैयार की गई सूची का प्रकाशन नियमावली में विहित रीति के अनुसार करेगा।''

13. धारा 209 का प्रतिस्थापन—मूल अधिनियम की धारा 209 के स्थान पर निम्नलिखिज धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

''209. प्रस्तावित दरों तथा सूची पर आपत्तियां—नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, नियमावली में विहित रीति के अनुसार आपत्तियों का निपटारा करेगा।''

14. धारा 210 का संशोधन—मूल अधिनियम की धारा 210 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

''(1) नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी यथास्थिति, नगर या उसके किसी भाग की क्षेत्रवार किराया दरों ओर निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित करेगा।''

15. धारा 213 का संशोधन—मूल अधिनियम की धारा 213 में, उपधारा (1) में शब्द कार्यकारिणी समिति अथवा एतदर्थ नियुक्त की गयी उसकी कोई उपसमिति'' के स्थान पर शब्द ''नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी'' रख दिये जायेंगें।

16. धारा 214 का प्रतिस्थापन—मूल अधिनियम की धारा 214 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी दी जायेगी, अर्थात् :—

''214. संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने की बाध्यता—(1) जब किसी भवन का निर्माण या पुनर्निमाण अथवा उसमें कोई विस्तार उसके स्वामी या अध्यासी द्वारा किया जाय और आच्छादित क्षेत्रफल 25 प्रतिशत से अधिक हो जाय, तो वह समापन के दिनांक के अथवा अध्यासन के दिनांक के, जो भी पहले हो, साठ दिन के भीतर नगर आयुक्त को उसकी सूचना विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से देगा।

(2) ऐसे स्वामी या अध्यासी, जो बिना किसी उचित कारण के उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत नहीं करते हैं, ऐसे जुर्माने से, जो निर्धारित सामान्य कर के दोगुना बराबर की धनराशि या 500 रूपये प्रतिदिन जो भी कम हो, तक हो सकता है, दण्डित किये जाने के भागी होंगें।

(3) नगर आयुक्त उपधारा (2) के अधीन प्रस्तावित शास्ति का प्रशमन कर सकेगा।''

17. निरसन और अपवाद—(1) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 29 सन् 2003

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 2002

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2003

उद्देश्य और कारण

नगर निगम के कतिपय पदो ्के नामतों में देश के अन्य निगमों के साथ एकरूपता लाने और वर्तमान स्थिति में उपबन्धों को और अधिक प्रभावी और व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 संख्या 1959) को संशोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20, सन् 2002) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2003

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8, सन् 2003) को क्रमशः दिनांक 21 नवम्बर, 2002 और 8 अप्रैल, 2003 को प्रख्यापित किया गया था। उक्त अध्यादेशों के उपबन्धों को उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 29 सन् 2003) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था किन्तु उसे विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सका और उसकी लोप कर दिया गया। अब, यह निश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात् 21 नवम्बर, 2002 से, संशोधित करके निम्नलिखित व्यवस्था की जाय :–

(1) नगर निगमों के कतिपय पदों के नामों में परिवर्तन किया जाना;

(2) किसी नगर निगम में एक से अधिक अपर नगर आयुक्त के लिए उपबन्ध किया जाना;

(3) नगर निगम के सदस्यों की कुल संख्या के तीन चौथाई बहुमत द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करके राज्य सरकार द्वारा महापौर को हटाया जाना;

(4) कतिपय ऐसे कृत्यों को अन्तः स्थापित किया जाना जो किसी निगम के पार्षद, उपमहापौर या महापौर के रूप में बने रहने या चयनित किये जाने के लिए किसी व्यक्ति को निर्हित करते हैं;

(5) संविदाओं के निश्पादन और प्राक्कलानों की संस्वीकृति के सम्बनध में महापौर, निगम और नगर आयुक्त की वित्तीय अधिकारिता में वृद्धि किया जाना;

(6) सम्पत्ति कर के अधिरोपण और उसकी वसूली की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाना।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

धर्मवीर शर्मा
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1959}

जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित अधिनियम संख्या 23 सन् 2001

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1959	उ0प्र0 अधिनियम संख्या 35, 1979
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 22, 1961	उ0प्र0 अधिनियम संख्या 7, 1982
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 23, 1961	उ0प्र0 अधिनियम संख्या 17, 1982
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 17, 1963	उ0प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1983
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1964	उ0प्र0 अधिनियम संख्या 15, 1983
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1966	उ0प्र0 अधिनियम संख्या 25, 1983
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1970	उ0प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1984
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1970	उ0प्र0 अधिनियम संख्या 27, 1985
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 22, 1972	उ0प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1987
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1972	उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1991
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 25, 1974	उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1994 द्वारा संशोधित
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975	उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1995
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976	उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1998
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1977	उ0प्र0 अधिनियम संख्या 17, 1999
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1977	उ0प्र0 अधिनियम संख्या 7, 2000
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 10, 1978	उ0प्र0 अधिनियम संख्या 23, 2001 और
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 35, 1978	उ0प्र0 अधिनियम संख्या 24, 2001 द्वारा संशोधित।

{उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 15 सितम्बर, 1985 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 17 दिसम्बर, 1958 की बैठक में स्वीकृत किया।

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 22 जनवरी, 1959 की स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट दिनांक 24 जनवरी, 1959 को प्रकाशित हुआ।

उ0प्र0 नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 (सं0 12) 1994 की धारा 163 निम्नलिखित है–

''163 संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 और संयुक्त प्रदेश म्यूनिसपिलटीज नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया'' (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1994 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। (उ0प्र0 गजट असाधारण भाग–1 खण्ड 'क' दिनांक 2 मई, 1994 द्वारा प्रकाशित)

सामान्य संशोधन

उ0प्र0 नगर स्वायत शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 संख्या 12, 1994 की धारा 3 के अन्तर्गत्

मूल अधिनियम के शीर्षकों, उपशीर्षकों और पार्श्वांकित शीर्षकों को सम्मिलित करते हुए शब्द, ''नगरपालिका, महापालिका और महापालिकायें'' जहां कही भी आयें हो, के स्थान पर क्रमशः शब्द 'नगर निगम, निगम, निगमों और निगम'' रख दिये जायेंगे और संबंधित क्रिया पदों को तदानुसार संशोधित कर दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के कतिपय नगरों के लिए नगर निगमों की स्थापना की व्यवस्था करने का

यह इष्टकर है कि कतिपय नगरों में नगर निगमों की स्थापना के लिए व्यवस्था की जाय जिससे उन नगरों में श्रेष्ठ नगर–शासन सुनिश्चित हो सकें, अतएव, एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 कहा जायेगा;

(2) इसका प्रसार उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण राज्य में होगा।

(3) यह अध्याय तुरन्त प्रवर्तित हो जायगा और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध, जहां तक उनका संबंध किसी नगर (city) से है, ऐसे दिनांक से प्रवर्तित होंगे जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करें और विभिन्न उपबन्धों के विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अधीन किसी नगर के लिए निगम का संगठन करने के सी मित प्रयोजन के लिए अध्याय 11 के उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है:—

(क) नगर में कक्षों (wards) का परिसीमन;

(ख) निर्वाचक सूचियों (electoral rolls) का तैयार किया जाना ओर उनका प्रकाशन;

(ग) किसी निगम का नगर प्रमुख {***} या सभासद चुने जाने तथा नगर प्रमुख {***} या सभासद निर्वाचित किये जाने के लिए उम्मीदवार के रूप में नाम निर्देशित किये जाने के निर्मित्त अर्हतायें तथा अर्नहाएं; और

(घ) सामान्यतया, निर्वाचन का संचालन तथा निगम के यथावत् संगठन (constitution) के लिए आवश्यक अन्य समस्त विषय

धारा 3 के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से उक्त नगर में और उसके सम्बन्ध में प्रवर्तित होंगे और किन्हीं अन्य विधयनों (enactment) में किसी बात के रहते हुए भी निगम के यथावत् संगठन के लिए उक्त अध्याय तथा तदन्तर्गत बने नियमोंक के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचन करने के निमित्त ऐसे समस्त कार्य तथा कार्यवाहियों की जा सकती हैं, जो आवश्यक हों।

2. परिभाषायें विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकू न होने पर इस अधिनियम में:—

(1) ''विज्ञापन'' (advertisement) से तात्पर्य है दीप्तियुक्त (illumination) अथवा दीप्तिहीन कोई ऐसा शब्द, वर्ण, नमूना (model), चिन्ह विज्ञापन फलक (Placard Board), नोटिस युक्ति (device) अथवा प्रतिरूप (represntation) जो विज्ञापन, घोषणा (announcement) या निर्देश (direction) के प्रकार (nature) का हो और उन्हीं प्रयोजनों के लिए पूर्णतः या अंशतः प्रयुक्त किया गया हो और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी तख्ती (hoarding) तथा इसी प्रकार के अन्य ढांचे (structure) हैं जो या तो विज्ञापन के प्रदर्शनार्थ प्रयुक्त होते हों या जो इस प्रकार प्रयुक्त किये जाने के लिए अनुकूलित कर लिये गये हों;

(2) ''नियम वेतन'' (appointed day) से, किसी नगर के सम्बन्ध में तात्पर्य है वह दिन जिस पर उक्त नगर के लिए निगम का यथावत् संगठन गजट में विज्ञापित कर दिया जाय;

(3) ''विधान सभा की सूचियां'' (Assembley Rolls) से तात्पर्य है ऐसी निर्वाचक सूचितयां जो रिप्रेजेटेंशन आफ दि पीपुल ऐक्ट, 1950 के उपबन्धों के अधीन और अनुसार विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तैयार की गई हों;

(4) ''नानबाई की दुकान या नानबाई गृह'' (bakery or bake-house) से तात्पर्य है कोई ऐसा स्थान जिसमें बिक्री या लाभ के लिए किसी रीति से रोटियां (bread), बिस्कुट या लेमनजूस आदि मिठाइंया (confectionery) सेंकी, पकाई या तैयार की जाती हों

(5) ''बजट अनुदान'' से तात्पर्य है ऐसी कुल धनराशि जो नियमों द्वारा विहित किसी मुख्य शीर्षक (major head) में बजट तखमीनों के व्यय के अन्तर्गत दिखाई हो तथा निगम द्वारा अंगीकृत हो और उसके अन्तर्गत ऐसी धनराशि भी है जिसके द्वारा ऐसा बजट अनुदान इस अधिनियम के उपबन्धों और नियमों के अनुसार अन्य शीर्षकों से, या को स्थानान्तरित (transfer) करके बढ़ाया या घटाया जाय;

(6) ''भवन'' के अन्तर्गत मकान, घर के बाहर के कक्ष (out-house), अस्तबल, छादक (shed), झोपड़ी तथा अन्य घिरा हुआ स्थान (enclosure) या ढांचा (structure) है, चाहे वह पत्थर (masonry); ईंट, लकड़ी, मिट्टी (mud), धातु से या अन्य किसी भी वस्तु से बना हो और चाहे वह मनुष्यों के रहने के लिए या अन्यथा प्रयुक्त होता हो, और इसके अन्तर्गत बरामदे, स्थिर चबूतरे (fixed platform) , मकानों की कुर्सियां (Plinth), दरवाजे की सीढ़ियां (door-steps), दीवालें तथा हातों की दीवालें (compound walls) और मेंड़ (fencing) तथा ऐसे ही अन्य निर्माण भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत तम्बू या ऐसा ही अन्य वहनीय अस्थायी ढांचा (portable temporary structure) नहीं है।

(7) ''भवन पंक्ति'' (building line) से तात्पर्य है वह पंक्ति जो ''सड़क रेखाकरण (Street Alignment) से पृष्ठ भाग में हो, तथा जिस तक सड़ से लगइ हुई भवन की मुख्य दीवार वैधरूप से बढ़ायी जा सकती हो और जिसके आगे भन का कोई भाग बढ़ाया न जा सकता हो, सिवाय उस दशा के, जो भवन संबंधी नियमों में विहित की गयी हो;

(8) 'उपविधि' से तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बनायी गयी कोई उपविधि;

(9) ''मलकूप'' (cesspool) के अन्तर्गत कोई ऐसी भराव वाली टंकी (Settlement tank) या अन्य टंकी है जो भवनों से निकलने वाली गलीज (foul matter) को ग्रहण करने उसके निस्तारण (disposal) के लिए हो;

(10) 'नगर' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243—य के खण्ड (2) के अधीन यथा अधिसूचित वृहत्तर नगरीय क्षेत्र से है;''

''(10—क) 'वाणिज्यक भवन' का तात्पर्य ऐसे किसी भवन से है जो कारखाना न हो और जिसका उपयोग या अध्यासन कोई व्यापार या वाणिज्य या उसमें सम्बद्ध या आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई कार्य करने के लिए किया जाय;''

(11) थ्कसी नगर के सम्बन्ध में ''डिवीजन के कमिशनर'' से तात्पर्य है उस डिवीजन का कमिश्नर जिसमें उकत नगर सिति हो और उसके अन्तर्गत ऐसा अतिरिक्त कमिश्नर भी है जिसे डिवीजन के कमिश्नर ने इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्य प्रतिनिधानित कर दिये हों;

''(11—क) 'निगम' या 'नगर निगम' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243—य के खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के लिए संगठित नगर निगम से है;''

(12) ''घनाकार स्थान'' (Cubical contents) से, जब उसका प्रयोग किसी भवन की माप के प्रसंग में किया गया हो, तात्पर्य है वह स्थान (space) जो उसकी दीवालों और छत के वाह्य (external) धरातलों तथा उसके सबसे नीचे के खण्ड (storey) के फर्श के ऊपरी (upper) धरातल के या, यदि भवन के एक ही खण्ड (storey) का हो तो उसके फर्श के ऊपरी धरातल में समविष्ठ हो'

(13) ''दुग्धशाला'' (Dairy) के अन्तर्गत ऐसा कोई फार्म (farm), पशुशाला (cattle-shed), दूध गोदाम, दूध की दुकान या अन्य ऐसा स्थान है, जहां से विक्रय के लिए दूध दिया जाता हो (supplied) या जहां बेचने के प्रयोजनों के लिए दूध रखा जाता हो, या जहां बेचने के लिए दूध से मक्खन, घी, पनीर (cheese), दही या सुखाया हुआ अथवा जमा हुआ (Dried or condensed) दूध तैयार किया जाता हो और ऐसे ग्वाले (dairy-man) के सम्बन्ध में, जिसके अध्यासन में दूध बेचने के लिए कोई स्थान नहीं है, दुग्धशाला के अन्तर्गत ऐसा स्थान है जहां वह दूध बेचने के लिए प्रयुक्त अपना पात्र (cessel) रखता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी कोई दुकान या अन्य स्थान नहीं है जहां केवल वहा पर ही उपयोग के लिए दूध बेचा जाता हो;

(14) ''ग्वाला'' (dairy-man) के अन्तर्गत गाय, भैंस, बकरी गधी (ass) या उन पशु का, जिसका दूध मनुायों के उपयोग (consumption) के निर्मित बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता हो या प्रस्तुत किया जाना अभिप्रेत हो, रक्षक (keeper) ओर दूध जुटाने वाला (purveyor) तथा दुग्धशाला का अध्यासी (occuier) भी है;

(15) ''दुग्धशाला के पदार्थ'' (dairy produce) के अन्तर्गत दूध, मक्खन, दही, मट्ठा (butter milk), पनीर (cheese) तथा दुग्धजन सभी पदार्थ हैं;

(16) ''भयानक रोग'' (dangerous disease) से तात्पर्य है हैजा, ताऊन (plague), चेचक (small-pox) या अन्य कोई ऐसा संक्रामक (epidemic) तथा संसर्गजन्य (infection) रोग, जिससे मनुष्यों का जीवन खतरे में पड़ जाता है और जिसे निगम समय–समय पर सार्वजनिक नोटिस द्वारा भयानक रोग घोषित करें;

(17) {***}

(17–क) 'निदेशक का तात्पर्य धारा 5–क के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश से हैद्व''

(18) ''जिला जज'' के अन्तर्गत ऐसा अतिरिक्त जिला जज भी है, जिसे इस अधिनियम के अधीन जिला जज का कोई कृत्य हस्तान्तरित किया गया हो;

(19) ''नाली'' (drain) के अन्तर्गत नाला (sewer), सड़क के नीचे की नालियां (tunnel), पाइप खाई (ditch), जलमार्क (gutter) अथवा प्रणाली (channel), जलकुन्ड (cistern), फ्लश टंकी (Flush-tank), मलटंकी (septic-tank) या कोई अन्य युक्ति (device), जो मल इत्यादि यादुर्गन्धित पदाथ (sewerage of offensive matter) दूषित–जल (polluted water), कूड़ा करकट (sullage), बेकार जल, नाली के जल अथवा उपभूमिगत जल (sub-soil water) को ले जाने अथवा उसके बहाने के लिए प्रयुक्त होते हों, तथा उनसे संसक्त (connected) कोई पुलिया, संवजीजन दण्ड (cenatilation shaft) या पाइप अथवा अन्य उपकरण या संसाधन (fittings) है। नाली के अन्तर्गत किसी स्थान से मल इत्यादि अथवा दुर्गन्धयुक्त पदार्थो को उठाने, एकत्र करने,

निकालने के लिए प्रयुक्त कोई निष्कासक (ejector), दबी हुई हवा से युक्त प्रणाल (compressed air mais), मल इत्यादि के मुहरबन्द प्रणाल (selaed sewage mains) तथा कोई विशेश यन्त्र अथवा उपकरण भी है।

(20) ''भोजनालय'' (eating house) से तात्पर्य है कोई ऐसा भू गृहादि (premises), जहां जनता अथवा जनता का कोई वर्ग (section) जा सकता हो ओर वही अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के, जो उक्त भू–गृहादि का स्वामी हो अथवा उसमें कोई स्तत्व (interest) रखता हो, या उसका प्रबन्ध करता हो लाभ अथवा फायदे के लिए किसी प्रकार का भोजन तैयार या सम्भरित (supplied) किया जाता है;

(21) ''निर्वाचक'' से किसी कक्ष (ward) के सम्बन्ध में तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसका नाम तत्समय उस कक्ष की निर्वाचक सूची में दर्ज हो;

(22) ''आवश्यक सेवायें'' से तात्पर्य है धारा 112–ख में निर्दिष्ट सेवा;

(23) ''फैक्टी'' (factory) से तात्पर्य {***} फैक्ट्रीज ऐक्ट, 1948 में परिभाशित कोई फैक्ट्री (factory);

(24) ''गलीज'' (filth) के अन्तर्गत मल इत्यादि, विष्ठा तथा अन्य दुर्गन्धयक्त पदार्थ है;

(24–क) ''वित्त आयोग'' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–झ के अधीन संगठित

(25) ''वित्तीय वर्ष'' (financial year) से तात्पर्य है, पहली अप्रैल से आरम्भ होने वाला वर्ष;

(26) ''भोजन'' (food) के अन्तर्गत भेषजों (drugs) अथवा जल से भिन्न ऐसी प्रत्येक वस्तु है, जो मनुष्य द्वारा खाने अथवा पीने के काम में लायी जाती हो तथा ऐसी कोई वस्तु भी है जो सामान्यतया मनुष्यों का भोजन तैयार करने अबवा बनाने में डाली जाती हो अथवा प्रयुक्त होती हो, तथा उसके अन्तर्गत मिठाईयां, स्वादिष्ट बनाने तथा रंगने की वस्तुएं, मसाला एवं चटरी (condiments) भी है;

(27) ''ढांचे पर बने भवन'' (frame uilding) से तात्पर्य है ऐसा भवन, जिसकी बाहर की दीवालें लकड़ी अथवा लोहे के ढांचे की बनी हो, तथा जिसका स्थायित्व उस ढांचे पर निर्भर करता हो;

(28) ''गृहनाली'' (house-drain) से तात्पर्य है वह नाली जो एक या एकाधिक भवनों या भू–गृहादि की नाली हो और उसके जल–निस्सारण के लिए प्रयुक्त होती हो, और केवल निगम की नाली से मिलाने के प्रयोजन के लिए बनाई गई हो;

(29) ''गृह–पथ'' अथवा ''सेवा–पथ'' (house-gully or service passage) से तात्पर्य है ऐसा पथ अथवा भूमि की ऐसी पट्टी (strip of land) जो नाली के रूप में उपयोग में लाये जाने, अथवा किसी संडास, मूत्रालय, मलकूप अथवा गलीज या दूषित पदार्थ एकत्र करने के किसी पात्र तक पहुॅचने के लिए, निगम के कर्मचारियों के अथवा उपर्युक्त संडास इत्यादि की सफाई करके अथवा जहां से उक्त पदार्थ हटाने के लिए कार्य में नियोजित किसी व्यक्ति के वहां तक पहुंचने के लिए मार्ग देने के लिए निर्मित की गई हो, अलग कर दी गई हो, अथवा उपयेाग में लायी जाती हो;

(30) ''कुटी'' (hut) से तात्पर्य है कोई ऐसा भवन जो मूलतः लकड़ी, मिट्टी, पत्तियों, घास,च कपड़े अथवा फूस आदि से निर्मित किया गया हो तथा उसके

अन्तर्गत किसी प्रकार का कोई ऐसा अस्थायी ढांचा अथवा किसी भी समान से निर्मित कोई ऐसा छोटा भवन भी है, जिसे निगम इस अधिनियम के लिए ''कुटी'' घोषित कर दें;

(31) ''निवासी'' (inhabitant) से किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में तात्पर्य है कोई ऐसा व्यक्ति जो उस क्षेत्र में सामान्यतया निवास अथवा कारबार करता हो, अथवा वहां अचल सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी हो;

(32) ''न्यायाधीश'' (judge) से तात्पर्य है प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट ऐक्ट, 1887 के अधीन नगर में क्षेत्राधिकार रखने वाले लघुवाद न्यायालय (court of Small Causes) का न्यायाधीश;

(33) ''भूमि'' के अन्तर्गत ऐसी भूमि पर कोई निर्माण हो रहा हो, अथवा निर्माण हो चुका हो, अथवा जो पानी की ढंकी हो, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, जमीन से संलग्न अथवा जमीनसे संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप से बंधी हुई वस्तुयें, और वे अधिकार है जो किसी सड़क के संबंध में विधायन (legislative enactment) द्वारा सृजित हुए हों;

(34) ''अनुज्ञप्त नल मिस्त्री'' (licensed plumber), ''अनुज्ञप्त भूमापक'' (licensed surveyor), ''अनुज्ञप्त वास्तुशास्त्री'' (licensed architect), ''अनुज्ञप्त अभियन्ता'' (licensed engineer), ''अनुज्ञप्त ढांचा निर्माण'' (licensed structural designer) तथा ''अनुज्ञप्त निर्माण लिपिक'' (licensed clerk of works) से तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन निगम ने क्रमशः नल मिस्त्री, भूमापक, वास्तुशास्त्री, अभियन्ता, ढांचे का निर्माण (structral desinger) अथवा निर्माण लिपिक के रूप अनुज्ञप्त किया हो;

(35) ''निवास गृह'' (loding house) से तात्पर्य है कोई भवन अथवा भवन का कोई भाग, जहां कि धन के प्रतिफल (monetary condideration) में भोजन अथवा अन्य सेवा के सहित अथवा उनसे रहित निवास की व्यवस्था की जाती हो, और इसकेक अन्तर्गत भवनों का ऐसा समुदाय (collection) अथवा कोई भवन अथवा भवन का भाग भी है, जो धन देकर अथवा अन्यथा तीर्थ यात्रियों अथवा यात्रियों को ठहराने के लिए प्रयुक्त होता हो;

(36) ''बजार'' (market) के अन्तर्गत ऐसा कोई स्थान है, जहां पशु–धन अथवा पशुओं के लिए खाद्य पदार्थ मांस, मछली, फल, साग सब्जी, मनुष्यों के भोजन के लिए अभिप्रेत पशु अथवा मनुष्यों के भोजन के अन्य पदार्थ, चाहे वे कुछ भी हो, के विक्रय के लिए अथवा विक्रयार्थ प्रदर्शित करने के निमित्त लोग ऐसे स्थान के स्वामी की अनुमति से अथवा बिना उसकी अनुमति से एकत्रित होते हों, चाहें वहां क्रेताओं तथा विक्रेतओां के एकत्र होकने के सम्बन्ध में कोई सामौन्य विनियमन न हो, और चाहे उस स्थान के स्वामी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा बाजार के कारबार पर अथवा बाजार में आने जाने वाले व्यक्तियों पर कोई नियंत्रण रखा जाता हो अथवा न रखा जाता हो;

(37) ''पक्का भवन'' (masonry Building) से तात्पर्य है ढांचे पर बने भवन अथवा कुटी से भिन्न कोई भवन और इसके अन्तर्गत ऐसा ढांचा (structure) भी है, जिसका पर्याप्त भाग ईट, पत्थर अथवा फौलाद अथवा लोहा या अन्य किसी वस्तु से बना हो;

(38) 'निगम का सदस्य' का तात्पर्य किसी सभासद, पदेन सदस्य, नाम–निर्दिष्ट सदस्य या धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन स्थापित किसी समिति यदि कोई

हो, के अध्यक्ष यदि वह निगम के सदस्य नहीं है, से है और; जब तक कोई प्रतिकूल बात व्यक्त न की गयी हो, इसके अन्तर्गत नगर प्रमुख भी है''

(39) 'मुख्य नगर अधिकारी' का तात्पर्य धारा 58 के अधीन नियुक्त मुख्य नगर अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत उक्त धारा के अधीन नियुक्त अपर मुख्य नगर अधिकारी और धारा 107 के अधीन नियुक्त कोई उप नगर अधिकारी और सहायक नगर अधिकारी भी है, जब वे धारा 112 के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हों;''

(40) ''निगम की नाली'' से तात्पर्य है निगम में निहित कोई नाली;

(41) ''निगम का बाजार'' से तात्पर्य है कोई बाजार जो निगम में निहित हो अथवा जिसका प्रबन्ध निगम द्वारा किया जाता हो;

(42) ''निगम की वधशाला'' से तात्पर्य है कोई वधशाला जो निगम में निहित हो अथवा उसका प्रबन्ध निगम द्वारा किया जाता हो;

(43) ''निगम कार्यालय'' से तात्पर्य है नगर निगम का कार्यालय;

(44) ''निगम कर'' से तात्पर्य है कोई लाभकर (impost) जो इस अिनियम के उपबन्धों के अधीन लगाया गया हो;

(45) ''निगम जलकल'' से तात्पर्य है वह जलकल जो निगम का हो अथवा उसमें निहित हो;

(45–क) ''महानगर क्षेत्र'' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–त के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित क्षेत्र से है;

(45–ख) ''नगरपालिका'' का तात्पर्य धारा 4 के अधीन गठित स्वायत्त शासन की संस्था से है;

(45–ग) ''न गरपालिका क्षेत्र'' का तात्पर्य किसी निगम के प्रादेशिक क्षेत्र से है;

(46) ''अपदूषण'' (nuisance) के अन्तर्गत कोई ऐसा कार्य, कार्यलोप (omission), स्थान या वस्तु है, जिससे कि चक्षु, प्राण अथवा श्रवण की इंद्रियों को क्षति, संकट, उद्धेजन अथवा कष्ट पहुंचे अथवा पहुंचने की संभावना हो, अथवा जो जीवन के लिए संकट उत्पन्न करने वाली हो या हो सकती हो, अथवा जो स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए हानिकारक हो;

(47) ''अध्यासी'' के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :–

(क) कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि अथवा भवन का, जिसके सम्बन्ध में किराया दिया जाता हो अथवा देय हो, तत्समय उसके स्वामी की कोई किराया अथवा उसका कोर्ठ भाग दे रहा हो अिवा उसके लिए देनदार हो;

(ख) स्वामी, जो अपनी भूमि या भवन में रह रहा हो अथवा अन्य प्रकार से उसे प्रयोग में ला रहा हो;

(ग) किराया–मुक्त किरायेदार या काश्तकार (tenant);

(घ) किसी भूमि अथवा भवन का अध्यसासी अनुज्ञप्ति गृहीता (licensee); तथा

(ङ) कोई भी व्यक्ति जो किसी स्वामी को किसी भूमि अथवा भवन के अध्यासन अथवा प्रयोग के लिए क्षतिपूर्ति (damages) का देनदान (liable) हो;

(48) ''दुर्गन्धयुक्त पदार्थ'' के अन्तर्गत पशुओं की लाशें, गोबर धूल तथा मल इत्यादि के भिन्न दुर्गन्धित सड़े अथवा सड़ाने वाले (putrid of putrefying) पदार्थ है;

(49) ''निगम का पदाधिकारी'' से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति, जो तत्समय इस अधिनियम द्वारा अथसा इसके अधीन सृजित अथवा जारी रखे गये किसी पद पर आसीन हो, किन्तु उसके अन्तर्गत निगम अथवा किसी समिति के सदस्य न होंगें।

(50) ''सरकारी गजट'' से तात्पर्य है राज्य सरकार के अधनी प्रचारित गजट;

(51) ''आज्ञा'' से तात्पर्य है वह आज्ञा जो सरकारी गजट में अथवा विहित रीति से प्रकाशित की गई हो;

(51–क) ''पिछड़े वर्गो'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गो से है;

(52) ''स्वामी से तात्पर्य है;

(क) किसी भू–गृहादि के सबंध में प्रयुक्त होने पर वह व्यक्ति जो उक्त भू–गृहादि का किराया लेता हो अथवा उक्त भू–गृहादि किराये पर उठाये जाने की दशा में उसका किराया लेने का अधिकारी हो तथा इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं;

(1) कोई अभिकर्ता अथवा न्यासी जो स्वामी के लिए किराया प्राप्त करता हो;

(2) कोई अभिकर्ता अथवा न्यासी जो धर्मोत्तर अथवा दानोत्तर प्रयोजनों के लिए समर्पित (devoted) किसी भू–गृहादि का किराया लेता हो अथवा जिसे उक्त भू–गृहादि सौंपा गया हो या जिसका सम्बन्ध उक्त भू–गृहादि से हो;

(3) कोई आदाता (receiver) व्यवस्थापक (sequestrator) अथवा प्रबन्धक, जिससे सक्षम क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय ने उक्त भू–गृहादि को अवधायन (charge) में लेने अथवा उसके स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया गया हो; तथा

(4) भोग–बन्धकी (mortageagee-in possession)'

(ख) किसी पशुवाहन अथवा नाव के सम्बन्ध में प्रयोग किये जाने पर इस (स्वामी) के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जो तत्समय उक्त पशु, वाहन अथवा नाव का अवधायक (incharge) हो;

''(52–क) 'पंचायत' का तात्पर्य संशोधन के अनुच्छेद 243–त के खण्ड (च) में निर्दिष्ट पंचायत से है;

(53) ''भवन का भाग'' के अन्तर्गत कोई दीवाल, भूमिगत कमरा या मार्ग (underground room or passage) बरामदा, स्थित चबूतरा, कुर्सी, जीना या दरवाजे की सीढ़ी है, जो किसी वर्तमान भवन से सम्बद्ध हो या उसके अहाते के भीतर बनी हो या जो ऐसी भूमि पर बनी हुई जो, जो प्रस्तावि (Projected) का भवन का स्थल (site) या अहाता होने वाली हो;

(53–क) 'जनसंख्या' का तात्पर्य ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गयी जनसंख्या से है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गया है;

(54) ''भू–गृहादि'' का तात्पर्य किसी भूमि या भवन से है;

(55) ''विहित'' से तात्पर्य है इस अधिनियम द्वारा अथवा तदन्तर्गत बने नियम या आज्ञा द्वारा या किसी अन्ध विधायन द्वारा या उसके अधीन विहित;

(56) ''विहित प्राधिकारी'' से तात्पर्य है कोई पदाधिकारी या निगमित संस्था जो राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियुक्त की गयी हो और यदि कोई ऐसा पदाधिकारी या निगमित संस्था नियुक्त न की जाय, तो उस डिवीजन का कमिश्नर, जिसमें वह नगर स्थित हो;

(57) ''पेट्रोलियम'' से तात्पर्य है, पेट्रोलियम ऐक्ट, 1934 में पारिभाषित पेट्रोलियम;

(58) ''निजी सड़क'' से तात्पर्य है कोई सड़क जो सार्वजनिक सड़क न हो,

(59) ''संडास'' (privy) से तात्पर्य है वह स्थान, जो शौच निवृत्ति या लघुशंका निवृत्ति या दोनों के लिए अलग कर दिया गया हो और इसमेंकवह ढांचा, जिससे यह स्थान बनाया गया हो, उसके भीतर मलमूत्रादि के लिए रक्खा गया बर्तन तथा उससे संसक्त सधाायन (fitting) और उपकरण यदि कोई हो, सम्मिलित होंगे। इसके अन्तर्गत शुष्क प्रकार का नाबदान, जल संडास (aqua privy), शौचालय तथा मूत्रालय भी है;

(60) ''सार्वजनिक स्थान'' के अन्तर्गत कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या उद्यान या कोई मैदान (ground) है, जिसमें जन–साधारण जा सकते हैं या उन्हें वहां जाने की अनुमति हो;

(61) ''सरकारी प्रतिभूतियां'' (public securities) से तात्पर्य है :–

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियां;

(ख) प्रतिभूतियों, संभार (stocks) ऋणपत्र (debentures) या अंशक (shares) जिन पर केन्द्रीय सरकार या राज्य ने ब्याज संरक्षित किया हो;

(ग) धन के ऋणपत्र (debentures) या अन्य प्रतिभूतियां, जिन्हें किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओकर से भारतीय गणतन्त्र के किसी भाग में तत्समय प्रचलित किसी विधायन द्वारा प्राप्त अधिकारी का प्रयोग करके जारी किया गया हो;

(घ) प्रतिभूतियां, जो किसी ऐसी आज्ञा द्वारा स्पष्टतः प्राधिकृत की गई हो जो सरकार एतदर्थ दे;

(62) ''सार्वजनिक सड़क'' से तात्पर्य है कोई सड़क–

(क) जो अब तक निगम की निधियों या अन्य सार्वजनिक निधियों से सममतल की गई हों जिसमें खंडजा लगाया गया हो, जो पक्की की गयी हो, जिसमें नालियां बनायी गयी हों, नाले लगाये गये हों या जिसकी मरम्मत की गई हो; (levelled, paved, metalled, channeled, or sewered or repaired) अथवा

(ख) जो धारा 290 के उपबनधों के अधीन साव्रजनिक सड़क घोषित की जाय या जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन सार्वजनिक सड़क हो जाय;

(63) (क) को
ई व्यक्ति, किसी निवास–गृह में ''रहने वाला'' (resode) समझा जाता है जिसे या जिसके कुछ भाग को वह सोन के कमरे के रूप में कभी–कभी प्रयोग करता है–चाहे व्यवधानों के साथ (interuptedly) या निरन्तर; और

(ख) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इस कारण से यह न समझा जायगा कि उसने किसी निवास–गृह ''में रहना छोड़ दिया है'' कि वह उसमें अनुपस्थित है या

उसके पास दूसरे स्थान पर दूसरा निवास गृह है, जिसमें वह रता है, यदि वह किसी भी उसम उसमें लौट आने के लिए स्वाधीन हो और उसमें लौट आने के अभिप्राय का परित्याग न किया गया हो;

(64) ''कूड़ा–करकट'' (rubbish) के अन्तर्गत धूल, राख, टूटी हुई ईटे, बजरी (mortar) टूटे हुए शीशे, उद्यान अथवा अस्तबल का कूड़ा–करकट और किसी प्रकार का कूड़ा–करकट, जो दुर्गन्धयुक्त पदार्थ या मल इत्यादि न हो, है;

(65) ''नियम'' से तात्पर्य है इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों के अधीन बनाये गये निवास;

(66) ''अनुसूची'' से तात्पर्य है इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची'

(67) {***}

(68) ''अनुसूचित बैंक'' पद का वही अर्थ होगा, जो अर्थ (Scheduled Bank) का रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, 1934 में किया गया है;

(69) ''निगम का सेवक तथा निगम का कर्मचारी'' से तात्पर्य है कोई व्यक्ति, जो निगम से वेतन प्राप्त करता हो और उसकी सेवा में होद्ध

(70) ''मल इत्यादि'' (sewage) से तात्पर्य है विष्ठा (nioghtsoil) और नाबदानों, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों, मलकूपों अथवा नालियों में पड़ी हुई अन्य वस्तुयें (contents) और गन्दगी, गलीज आदि के स्थानों (sinks), स्नानघरों, अस्तबलों, पशुशालाओं तथा इसी प्रकार से अन्य स्थानों से निकाला हुआ दूषित जल और इसके अन्तर्गत व्यापारिक व्यर्थ द्रव–पदार्थ और सब प्रकार के कारखानों (maniufactories) से निकलने वाले तरल पदार्थ भी है;

(71) ''आकाश चिन्ह'' (sky-sign) से तात्पर्य है कोई शब्द, वर्ण, नमूना (model) चिन्हायुक्त या अन्य प्रतिरूप (representation), जो विज्ञापन, घोषणा (announceemnt) या निर्देशन (direction) के रूप में हो और जो किसी भवन या ढांचे पर उसके ऊपर पूर्णतः या अंशतः किसी खम्भे (post) बल्ली (pole) ध्वजदंड (standard) चौखट या अनय किसी अवलम्ब (support) के सहारे रखा हुआ हो या उससे संलग्न हो (supported or attached) और जो किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान के किसी भी स्थल से पूर्णतः या अंशतः आकाश पर दिखायी देता हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित है :–

(क) उक्त अवलम्ब का प्रत्येक भाग; और

(ख) कोई गुब्बारा, हवाई छतरी (parachute) अथवा ऐसी ही अन्य कोई युक्ति (device), जो पूर्णतः या अंशतः किसी विज्ञापन या घोषणा के प्रयोजनों के लिए काम में लायी गई हो और जो किसी भवन, ढांचे या किसी प्रकार के निर्माण (erection) पर या उसके ऊपर हो या जो किसी सड़क अथवा सार्वजनिक स्थान पर या उसके ऊपर हो;

किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं समझे जायेंगें–

(1) ध्वजस्तम्भ (flagstaff) बल्ली, वायु–दिग्दर्शन पंख (weathercock) या वायु दिशा सूचक यंत्र (vane) जब तक कि वे पूर्णतः या अंशतः किसी विज्ञापन या घोषणा के लिए अनुकूलित या प्रयुक्त न किये गये हों;

(2) चिन्ह जो किसी ऐसे पटल (board) चौखट या अन्य प्रारूप (contrivance) पर हो जो किसी भवन की दीवाल या भित्ति (parapet) के सबसे

ऊपरी बाग (top) पर, किसी कारनिस या दीवाल से सटकर बने हुए भागों (blocking corse) पर या किसी छत के किनारे (ridge) पर सुरक्षित रूप से लगया गया हो यदि उक्त प्रारूप एक ही अटूट सतह पर बना हो और खुला–कार्य (open work) न हो और उक्त दीवाल, भित्ति या किनारे के किसी भाग के ऊपर तीन फीट से अधिक ऊंचाई तक न हो; या

(3) कोई प्रतिरूप (representation) जो केवल इंडियन रेलवेज ऐक्ट, 1890 में परिभाषित (defined) रेल प्रशाासन (Railway Administration) के कारबार से संबंध रखत हो और जो पूर्णतः उक्त रेल प्रशासन के किसी रेवले स्टेशन के चत्वर (yard) प्लेटफार्म अथवा स्टेशन के सन्निकट सथान (approach) पर या उसके ऊपर या ऐसे भू–गृहादि या उसके ऊपर रखा गया हो या और जो इस ढंग से रक्खा गया हो कि वह किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर न गिर सकें;

(72) ''विशेष निधि'' (Special fund) से तात्पर्य है धारा 139 के अधीन संगठित कोई निधि;

(73) ''राज्य सरकार'' से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश सरकार;

''(73–क) 'राज्य निर्वाचन आयोग' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छे 243–ट में निर्दिष्ट निवाचन आयोग से है''

(74) ''सड़क'' (street) के अन्तर्गत को राजमार्ग, पुलियों–पुलों की ऊँची सड़क (Åcauseway) पुल, मार्गसेतु (Viaduct) मेहराव, पथ (road) गली, पगडंडी (footway) उपमार्ग, आंगन (court) सकरी–गली (alley) या घुड़सवारी का मार्ग या रास्ता–चाहे वह सार्वजनिक मार्ग हो या न हो, जिसके ऊपर जन–साधारण को आने जाने या प्रवेश का अिकार हो या जिसके ऊपर जनसाधारण लागातार बीस वर्षो से आते–जाते अथवा प्रवेश करते रहे हों, है ओर किसी सड़क में पंगडंडी और वाहन मार्ग दोनों ही हों तो सड़के अन्तर्गत दोनों ही होंगें;

(75) ''सड़क रेखाकरण'' (Street alignment) से तात्पर्य है वह रेखा (line) जो किसी सड़क में सम्मिलित और उसका भाग बनी हुई भूमि को पार्श्ववर्ती (adjoining) भूमि से अलग करती हो;

(76) ''मिठाई की दुकान'' से तात्पर्य है कोई भू–गृहादि का वह भाग जो किसी आइस्क्रीम अथवा अन्य किसी प्रकार की मिठाइयों को चाहे वह किसी के लिए भी अभिप्रेत हों और चाहे उनका जो भी नाम हो और चाहे वे भू–गृहादि में या, उसके बाहर उपभोग के लिए हों बनाने, व्यवहृत करने या बिक्री के लिए संग्रह करने (majufacture treatment or storage for sale) अथवा थोक या फुटकर विक्रय के निमित्त प्रयुक्त होता;

(77) ''प्रेक्षागृह कर'' (theatre tax) से तात्पर्य है मनोविनोदों अथवा मनोरंजनों (amusemnts or entertainments) पर लगाया गया कर;

(78) ''व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ'' (trade effluent) से तात्पर्य है कोई तरल पदार्थ चाहे उसमें न्यू पदार्थो के कण घुले मिले हों या न हो और जो पूर्णतः या अंशतः किसी व्यापारिक भू–गृहादि (trade premises) में किये जाने वाले व्यापार का उद्योग में उत्पादित होती हो, और किसी व्यापारिक भू–गृहादि के संबंध में इसका तात्पर्य है उपर्युक्त प्रकार का कोई तरल पदार्थ जो उक्त भू–गृहादि में किये जाने वाले व्यापार या

उद्योग में उक्त प्रकार से उत्पादित होता हो किन्तु इसके अन्तर्गत घरेलू मल इत्यादि नहीं है;

(79) ''व्यापारिक भू–गृहादि'' (trade premises) से तात्पर्य है, कोई भू–गृहादि जो किसी व्यापार या उद्योग के संचालन के लिए प्रयुक्त किये जाते हों या प्रयुक्त किये जाने के लिए अभिप्रेत है;

(80) ''व्यापारिक कूड़ा–करकट'' (trade refuse) से तात्पर्य है, और इसके अन्तर्गत सम्मिलित है किसी व्यापार, निर्माण (manufacture) या कारबार का कूड़ा करकट;

(81) ''वाहन'' (vehcle) के अन्तर्गत है यान (carriage) गाड़ी (cart), परिवहन (van), ठेला गाड़ी (dray) मोटरठेला (truck), हाथ से चलायी जाने वाली बाइसिकिल, ट्राईसिकिल, मोटरकार तथा पहियेदार ऐसा प्रत्येक वाहन, जो सड़क पर प्रयुक्त किया जा सकता हो;

(82) ''कक्ष'' (ward) का तात्पर्य निगम के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से है;

''(82–क) 'कक्ष समितियों' का तात्पर्य है संविधान के अनुच्छे 243–ध में निर्दिष्ट कक्ष समितियों से है,''

(83) ''नाबदान'' (water closet) से तात्पर्य है ऐसा नाबदान जिसमें जल निस्सारण प्रणाली से संसक्त कोई पृथक् स्थिर पात्र (fixed receptacle) लगा हुआ हो, और जिसमें यंत्र द्वारा या स्वयं चालित (automatic) रूप में स्वच्छ जल से धोये जाने को पृथक व्यवस्था हो;

(84) ''जल सम्बन्ध'' (water connection) में निम्नलिखित सम्मिलित है :–

(क) कोई टंकी (tank), जल कुन्ड (cistern) पानी निकालने का बम्बा (hydreant) बम्बा (stanpipe) मीटर अथवा नल (tap) जो किसी निजी संपत्ति पर स्थित हो और महापालिका के किसी जल–प्रणाल (water-main) अथवा पाइप से मिलता हो; और

(ख) पानी का पाइप जो उक्त टंकी (tank) जलकुन्ड पानी निकालने के बम्बे, बम्बे मीटर अथवा नल को उपर्युक्त जल प्रणाल अथवा पाइप से मिलता हो;

(85) ''जलमार्ग'' (water course) के अन्तर्गत कोई नदी, सोता (stream) अथवा गूल (channel) है चाहे वचह प्राकृतिक हो अथवा कृत्रिम;

(86) ''घरेलू प्रयोजनों के लिए जल'' के अन्तर्गत ऐसा पानी नहीं है जो ढोरों अथवा घोड़ों के लिए हो अथवा वाहनों (vehcles) को धोने के लिए हो, जब उक्त ऐार, घोड़े अथ्वा वाहन बिक्री या किराये के लिए रखे जाते हों अथ्वा समवाहक (common carrier) के पास हों, और इसके अन्तर्गत किसी व्यापार, निर्माण (manufacture) अथवा कारोबार अथवा भ्वन के प्रयोजनों के लिए अथवा बागों अथवा सड़कों पर पानी के छिड़काव के लिए अथवा निर्झर (fountains) अथवा अन्य किसी सजावट या यांत्रिक प्रयोजनों के लिए जल सम्मिलित नहीं है;

(87) ''जलकल'' (water works) के अन्तर्गत कोई झील, सोता (stream), झरना (spring), कुयें का पम्प (well-pump), जलाशय, जलकुन्ड (cistern), टंकी (tank), प्रणाली (duct) चाहे वह ढकी हुई हो अथवा खुली हुई, बांध

(sluice), मुख्य पाइप (main pipe), पुलियों (culvert), इंजिन (engine), जल–वाहन (water-truck), पानी निकालने के बम्बे (hydrant), बम्बा (stand pipe), जल से जाने की अन्य कोई व्यवस्था (conduit) और यंत्र आदि (machinery) तथा भूमि, भवन अथवा वस्तु है जो जल संभरण के लिए हों अथवा एतदर्थ प्रयुक्त होती हों अथवा जल संभरण के स्त्रोंतों (sources) की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होती हों;

(88) ''कारखाना'' (workshop) से तात्पर्य है कोई भवन स्थान अथवा भू–गृहादि अथवा उसका कोई भाग, जो फैक्टरी न हो और वहां अथवा जिसके ऊयपरा, वहाू काम करने वाले व्यक्तियों को तथा नियोजक (employor) को प्रवेश करने तथा उन पर नियंत्रण करने का अधिकार हो और जहां अथवा जिनके आहाते अथवा घेरे (compound or precincts) के भीतर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किसी प्रक्रिया (process) में सहायता देने के लिए, अथवा उसके प्रासंगिक रूप से शारीरिक श्रमक रने वाले लोग निपयोजित हो अथवा प्रयुक्त होते हों–

(क) कोई वस्तु अथवा उसका कोई भाग बनाना; अथवा

(ख) कोई वस्तु परिवर्तित करना, उसकी मरम्मत करना, उसकी सजावट करना अथवा उसे अंतिम रूप देना; अथवा

(ग) किसी वस्तु की बिक्री के लिए अंगीकार करना।

(89) ''संक्रमणशील क्षेत्र'' और ''लघुत्तर नगरीय क्षेत्र'' पदो ंके वही अर्थ ओंगे जो संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 में क्रमशः उनके लिए किये गये है

3. बृहत्त नगरीय क्षेत्र की घोषणा–(1) संविधान के अनुच्छेद 243–घ के खण्ड (2) के अधीन राज्यपाल द्वारा अधिसूचना में बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र, जिसकी सीमायें उसमें विनिर्दिष्ट हों, ऐसे नाम के नगर से जाना जायेगा जिसे वह विनिर्दिष्ट करें।

(2) जहां, संविधान के अनुच्छेद 243–य के खण्ड (2) के अधीन किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा राज्यपाल किसी क्षेत्र की नगर में सम्मिलित करें, वहां ऐसे क्षेत्र पर इस या किसी अन्य अधिनियमित के अधीन बनाई गई या जारी की गयी और ऐसे क्षेकत्र को सम्मिलित किये जाने के ठीक पूर्व नगर में प्रवृत्त अधिसूचनायें, नियम, विनियम, उपविधियों, आदेश और निदेश लागू हो जायेंगे और इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित समस्त कर, फीस और प्रभार उपयुक्त क्षेत्र में लगाये और वसूल किये जायेंगें और किये जाते रहेंगे।

अध्याय 2
निगम का संगठन तथा शासन

''4. **नगर निगम का निगमित निकाय होना**–संविधान के भाग 9–क के अनुसार उसके अनुच्छेद 243–य के खण्ड (1) के उपखण्ड (1) के अधीन संगठित किसी नगर निगम को .... (नगर का नाम) नगर निगम के नाम से जाना जायेगा और वह एक निगमित निकाय होगा।''

5. निगम के प्राधिकारी–प्रत्येक नगर के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित निगम प्राधिकारी उत्तरदायी होंगें :–

(क) निगम

(कक) कक्ष समितियां

(ख) निगम की कार्यकारणी समिति;

(खख) नगर प्रमुख;

(ग) निगम की विकास समिति;

(घ) इस अधिनियम के अधी न निगम के लिए नियुक्त एक मुख्य नगराधिकारी और एक अपर मुख्य नगर अधिकारी तथा

(ङ) ऐसी स्थिति में जब निगम विद्युत सम्भरण अथवा सार्वजनिक परिवहन उपक्रम (electrictiy supply or public transport undertaking) अथवा अन्य सार्वजनिक उपयोगी सेवायें स्थापित अथवा अर्जित करे तो निगम की ऐसी अन्य समिति अथवा समितियां, जिन्हें निगम राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उनके लिए स्थापित करें।

5.क— **स्थानीय निकाय निदेशक**—(1) राज्य सरकार किसी अधिकारी को स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश नियुक्त करेगी।

(2) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अभिव्यक्ततः समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त, निदेशक, निगम के कार्यकलापों के संबंध में, राज्य सरकार के ऐसे अधिकारों का (जो धारा 538 और 539 के अधीन अधिकार न हों) जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तो तथा निर्बन्धनों के अधीन (जिनके अन्तर्गत स्वयं उसके द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है) जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, उसे प्रतिनिहित करें, प्रयोग करेंगा।

6. **निगम की संरचना**—(1) निगम एक नगर प्रमुख और निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) सभासद जिनकी संख्या उतनी होगी जितनी राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत करे, परन्तु साठ से अन्यून और एक सौ दस से अनधिक होगी और जो संख्या खण्ड (ख) के अधीन नाम—निर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त होगी।

(ख) नाम निर्दिष्ट सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इसी प्रकार की विज्ञप्ति द्वारा उन व्यक्तियों में से, जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का विशिष्ट ज्ञान या अनुभव हो, नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और जिनकी संख्या पांच से अन्यून और दस से अनधिक होंगी।

(ग) पदेन सदस्य जिसमें लोक सभा और राज्य विधान सभा के वे सदस्य हैं जो निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें नगर पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है;

(घ) पदेन सदस्य जिसमें राज्य सभा और राज्य विधान परिषद् के वे सदस्य हैं जो उस नगर में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं;

(ङ) धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन सथापित समितियों के यदि कोई हो, अध्यक्ष, यदि वे निगम के सदस्य नहीं हैं;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को निगम की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि खण्ड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट श्रेणी के सदस्यों में किसी रिक्ति में निगम के संगठन या पुनसंगठन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी।

(2) सभासद कक्षों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे।

''6—क. कक्ष समितियों का संगठन और संरचना—(1) तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले निगम के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर संविधान के अनुच्छेद 243—य के खण्ड (1) के अधीन संगठित प्रत्येक कक्ष समिति में दस कक्ष होंकगे।

(2) कक्ष समिति का प्रादेशिक क्षेत्र उस समिति में समविष्ट कक्षों के प्रादेशिक क्षेत्रों से मिलकर बनेगा।

(3) प्रत्येक कक्ष समिति में निम्नलिखित होंगें:—

(क) कक्ष समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीरत कक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सभासद;

(ख) पांच से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा सम्बद्ध कक्ष समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों में से, जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभाव हो नाम—निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(4) कक्ष समिति अपने संगठन के पश्चात् अपनी प्रथम बैठक में और प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में उसी मास में अपनी प्रथम बैठक में उपधारा (3) में उल्लिखित सदस्यों में से एक को समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगी।

(5) अध्यक्ष के पद का कार्यकाल एक वर्ष होगा किन्तु यह अपना उत्तराधिकारी चुने जाने तक पद धारण करेगा और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

(6) सभासद न रह जाने पर अध्यक्ष तुरन्त अपना पद रिक्त कर देगा।

(7) अध्यक्ष के पद का उसकी पदावधि के समाप्त होने के पूर्व त्यागपत्र या अन्यथा किसी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में कक्ष समिति, रिक्ति होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उपधारा (4) के अनुसार नये अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष केवल उस अवशेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर उसे निर्वाचित किया गया है, पद धारण करता यदि ऐसी रिक्ति न हुई होती।

(8) कक्ष समिति का कार्यकाल निगम की अवधि के साथ समाप्त होगा।

(9) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कक्ष समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो नियमों द्वारा विहित किये जाएँ।''

7. स्थानों का आरक्षण—(1) प्रत्येक निगम में अनुसूचित जातियों, और अनुसूचित जनजातियों ओर पिछड़े वर्गो के लिए स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या अनुपात निगम में प्रत्यक्ष चुनाव से भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या में यथाशक्य, वही होगा जो नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों को या नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या नगरपालिका क्षेत्र में पिछड़े वर्गो की जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो और ऐसे स्थान किसी निगम में विभिन्न कक्षों को चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में, चक्रानुक्रम में आबंटित किये जायेंगे जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाए।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि निगम में पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण कुछ स्थानों की संख्या के सत्ताईस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

किन्तु अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गो के आंकडे उपलब्ध न हो तो नियमों द्वारा विहित रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।

(2) {***}

(3) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या का एक तिहाई से अन्यून स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो की स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जायेगें।

(4) उपधारा (3) के अधीन आरक्षित स्थानों को सम्मिलित करते हुए किसी निगम में स्थानों प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेगें और ऐसे स्थान किसी निगम के विभिन्न कक्षों का चक्रानुक्रम में आबंटित किये जायेंगे द्वारा, ऐसे क्रम में जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

(5) राज्य में निगमों के नगर प्रमुख के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित किये जायेगें जो नियमों द्वारा विहित की जाए।

(6) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस धारा के अधीन स्थानों और पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा।

स्पष्टीकरण–यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की काई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो और स्त्रियों को अनारक्षित स्थानों या पदो के लिए चुनाव पड़ने से निवारित नहीं करेगी।''

8. निगम का कार्यकाल बना रहेगा–(1) कोई निगम जब कि उसे धारा 538 के अधीन पहले ही विघटित न कर दिया जाय अपनी प्रथम बैठक लिए नियत दिनांक से 5 वर्ष तक, न कि उससे अधिक।

(2) किसी निगम के संगठन के लिए निर्वाचन–

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व, या

(ख) धारा 538 के अधीन उसके विघटन के आदेश के दिनांक से छः माह की अवधि के समाप्ति के पूर्व;

पूरा कराया जायेगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां विघटित निगम की शेष अवधि बनी रह सकती थी, छः मास से कम है, वहॉ ऐसी अवधि के लिए निगम का संगठन करने के लिए कोई निर्वाचन करना आवश्यक न होगा।

(3) किसी निगम के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके विघटन पर संगठित किया गया निगम उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए, जिस अवधि तक विघटित निगम, उपधारा (1) के अधीन बना रहता, यदि उसे विघटित नहीं किया गया होता, बना रहेगा।

8–क {***}

8–कक. **निगम के गठन के लिए और नगर के रूप में अधिसूचित क्षेत्र के प्रशासन के लिए अस्थायी उपबन्ध**–(1) जहां किसी क्षेत्र के संविधान के अनुच्छेद 243–य के खण्ड (2) के अधीन बृहत्तर नगरीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया गया है ओर राज्य सरकार की राय है कि संविधान के अधीन ऐसे क्षेत्र के लिए, निगम का सम्यक् संगठन होने तक ऐसा करना समीचीन है, वहां राज्य सरकार, इस अधिनियम या ततसमय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि–

(क) ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए संगठित नगरपालिका परिषद या कोई अन्य स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे दिनांक से, जैसा उकत आदेश में विनिर्दिष्ट

किया जाय, जिसे आगे इस धारा में ''विनिर्दिष्ट दिनांक'' कहा गया है, यथास्थिति, विघटित हो जायेगा या ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा;

(ख) निगम उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख कक्ष समिति कार्यकारिणी समिति विकास समिति और धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन स्थापित अन्य समितियों की ओर मुख्य नगराधिकारी की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य विनिर्दिष्ट दिनांक से, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी में (जिसे आगे प्रशासक कहा गया है) निहित हो जायेंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग अनुपालन और निर्वहन किया जायेगा और प्रशासक को विधि की दृष्टि से निगम नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, कक्ष समिति, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति अन्य समिति या मुख्य नगराधिकारी, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायेगा;

(ग) प्रशासक को, ऐसे वेतन और भत्ते जो राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा इस निमित्त नियम किये जायें, निगम की निधि से दिये जायेंगें।

(2) प्रशासक, राज्य सरकार के किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए खण्ड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त षक्तियों में से सब या किन्हीं के बारें में–

(एक) उस निर्मित विनिर्दिष्ट रीति से संगठित ऐसी समिति या अन्य निकाय से, यदि कोई हो, परामर्श कर सकेगा; या

(दो) इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों को, ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझें, उसके द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को या उपखण्ड (एक) के अधीन गठित किसी समिति या अन्य निकाय को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) इस धारा के उपबन्ध 579 ओर 580 में दिये गये उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनका अल्पीकरण करेंगेंक।

9. निगम के संगठन की विज्ञप्ति–किसी नगर की निगम के सभासदों {***} तथा नगर प्रमुख के निर्वाचन पूरे हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करेंगी कि उक्त नगर की निगम यथावत् संगठित हो गयी है।

नगर–प्रमुख तथा उपनगर–प्रमुख

10. **उपनगर–प्रमुख**–(1) प्रत्येक निगम के लिए एक उपनगर प्रमुख होगा।

(2) यदि कभी नगर–प्रमुख किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो अथवा नगर–प्रमुख का पद रिक्त हुआ हो तो इस पद के समस्त कर्तव्यों का पालन यथास्थिति नगर–प्रमुख के पुनः कार्यभार सम्भालने अथवा रिक्त स्थान की पूति होने तक उपनगर–प्रमुख करेगा।

11. **नगर–प्रमुख तथा उपनगर–प्रमुख के पद के लिए निर्वाचन की अर्हतायें**–(1) कोई भी व्यक्ति नगर–प्रमुख के पद पर निर्वाचन के लिए अर्ह न होगा–

(क) यदि वह नगर में निर्वाचक नहीं है,

(ख) यदि उसकी आयु तीस वर्ष की नहीं हो गयी है;

(ग) यदि वह धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन सभासद {***} के रूप में निर्वाचित होने के निमित्त अनर्ह है, अथवा

(घ) यदि वह {***} सभासद के लिए किसी स्थान के लिए निर्वाचन में हार चुका हो ओर उस निर्वाचन का फल घोषित होने के दिनांक के पश्चात् छः महीने व्यतीत न हो गये हों।

(2) {***}

(3) कोई व्यक्ति जो निगम का सभासद नहीं है, उपनगर–प्रमुख के पद पर निर्वाचन के लिए पात्र न होगा।

11.क **नगर–प्रमुख का निर्वाचन**–(1) नगर–प्रमुख का निर्वाचन नगर में निर्वाचकों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।

(2) धारा 16 में यथा उपबन्धित के सिवाय अपने पद से हटने वाला नगर–प्रमुख पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

(3) किसी सभासद के निर्वाचन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन तथा निर्वाचन अपराध से सम्बन्धित विवाद भी है) नगर–प्रमुख के निर्वाचन के सम्बनध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू।

(4) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति नगर–प्रमुख और सभासदों दोनों रूप में या किसी उप चुनाव में सभासद के रूप में होने पर नगर–प्रमुख निर्वाचित होता है तो वह नगर–प्रमुख के रूप में अपने निर्वाचन के दिनांक से सभासद नहीं रह जायेगा।

12. ''(1) उप **नगर**–प्रमुख, सभासदों का निर्वाचन पूरा हो जाने के पश्चात् या किसी उपनगर–प्रमुख की पदावधि समाप्त हो जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, निर्वाचित सभासदों में से निर्वाचित किया जायेगा।'';

(2) {***}

''(3) उप नगर–प्रमुख, निगम के नगर–प्रमुख, सभासदों, पदेन सदस्यों और नामनिर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित होगा ओर ऐसे निर्वाचन में मतदार गुढ़–शलाका द्वारा होगा।

(3–क) उपधारा (3) के अधीन किसी निर्वाचन में अधिकतम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को निर्वाचित घोषित किया जायेगा और मत बराबर होने की दशा में निर्वाचित अधिकारी लाट द्वारा यह विनिश्चय करेगा और उस व्यक्ति को निर्वाचित घोषित करेगा जिस पर लाट पड़ा हो।''

(4) यदि उप नगर–प्रमुख, नगर–प्रमुख के पद पर निर्वाचित हो गया हो तो उपनगर–प्रमुख के पद को रिक्ति उस दिनांक से होगी, जब से वह नगर–प्रमुख का पद ग्रहण करें।

(5) धारा 47 उपबनध यथा सम्भव {***} निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होंगें।

13. **सभासदों का निर्वाचन कब पूर्ण समझा जायेगा**–{***}–उपनगर–प्रमुख के निर्वाचन के प्रयोजनों के निमित्त सभासदों का निर्वाचन किसी स्थान के आपूरित रहने पर भी पूर्ण समझा जायेगा यदि धारा 6 के अधीन निश्चित

सभासदों की कुल संख्या की कम से कम चतुश्पुचमांश (four-fiths) संख्या पूरी हो गई हो।

14. **नगर–प्रमुख अथवा उपनगर–प्रमुख के पदों की आकस्मिक रिक्ति**–यदि नगर–प्रमुख तथा उपनगर–प्रमुख की मृत्यु, अथवा उनके पद–त्याग अथवा अन्य किसी कारण से उनके पद रिक्त हो जाये तो यथास्थिति नगर–प्रमुख अथवा उपनगर–प्रमुख का निर्वाचन तत्पश्चात् यथाशीर्ष धारा 11–क में या यथास्थिति धारा 12 में उपबंधित रीति से होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी योष पदावधि दो महीने अथवा उससे कम की है तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायेगी तब तक कि निगम अन्यथा संकल्प न करें।

15. **नगर–प्रमुख तथा उपनगर–प्रमुख की पदावधि**–(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,–

(क) नगर–प्रमुख की पदावधि निगम के कार्यकाल के साथ–साथ समाप्त होगी;

(ख) उपनगर–प्रमुख की पदावधि उसके निर्वाचन के दिनांक से एक वर्ष या सभासद के रूप में उसके पद के शेष कार्यकाल के लिए जो भी काल हो, होगी।

(2) किसी आकस्मिक पद, की पूर्ति के निमित्त निर्वाचित नगर–प्रमुख तथा उपनगर–प्रमुख की पदावधि उसके पूर्वाधिकारी की शेष पदावधि तक के लिए ही होगी।

(3) नगर–प्रमुख अथवा उपनगर–प्रमुख, जब तक कि वह अपना पदत्या नहीं कर देता अथवा उसका अर्ह होना समाप्त नहीं हो जाता, अथवा वह अनर्ह नहीं हो जाता, उस समय तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नगर प्रमुख अथवा उपनगर–प्रमुख, जैसी स्थिति हो, के पद को ग्रहण नहीं करता।

15–क– {***}

15. **नगर–प्रमुख और उप नगर–प्रमुख का हटाया जाना**–(1) ''जहां राज्य सरकार को यह विश्वास करने का कारण हो कि–

(क) नगर–प्रमुख या उपनगर–प्रमुख ने–

(एक) धारा 11 ओर 25 में उल्लिखित कोई अनर्हता उपगत कर ली है; या

(दो) धारा 463 के अर्थान्तर्गत निगम के साथ उसके द्वारा या उसकी ओर से, किसी संविदा या सेवायोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भागीदार द्वारा कोई अंध या हित, चाहे धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का हो, जान–बुकर अर्जित किया है; या

(तीन) जान–बुझकर किसी ऐसे मामलें में, जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भागीदार द्वारा कोई अंश या हित हो, चाहे वह धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार हो या जिसमें किसी मुवक्किल, मालिक या अन्य व्यक्ति की ओर से उसका वृत्तिक रूप में हित था; या नगर–प्रमुख या उपनगर–प्रमुख या सभासद के रूप में जान–बूझकर किसी ऐसे मामलें में, कार्य किया है; या

(चार) निगम के प्रबन्ध में सौंपी गयी किसी नजूल भूमि के सम्बन्ध में किसी वाद या अन्य विधि कार्यवाही में किसी व्यक्ति की ओर से नगर निगम के विरूद्ध या राज्य सरकार के विरूद्ध विधि व्यवसायी के रूप में कार्य किया है या उपस्थ्हित हुआ है या किसी

ऐसे व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से जिसके विरूद्ध नगर निगम द्वारा या उसकी ओर से कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई हो, कार्य किया है या उपस्थित हुआ है; या

(पांच) निगम से नगर पालिका क्षेत्र में अपने सामान्य निवास स्थान का परित्याग कर दिया है; या

(छ:) अपने कर्तव्यों के निवर्हन में अवचार का दोष रहा है; या

(सात) निगम के चालू या पूर्ववर्ती कार्यकाल में नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख के रूप में या किसी समिति के सभापति या सभासद के रूप या किसी अन्य हैसियत से, चाहे जो भी हो, कार्य करते हुए अपने पद का इतना घोर दुरूपयोग किया है या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी नियम, विनियम या उपविधि का जान–बुझकर उल्लंघन किया है या निगम की निधि या सम्पत्ति को ऐसी हानि या क्षति पहुंचायी है जो उसे नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख बने रहने के अयोग्य बना देती है; या

(आठ) किसी अन्य अवचार का दोषी है चाहे ऐसा अवचार उसने नगर प्रमुख के रूप में या उपनगर प्रमुख के रूप में या सभासद के रूप में किया हो;

(नौ) निगम के हित के प्रतिकूल कार्य किया है; या

(दस) निगम की किसी बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है कि निगम का उस बैठक का कार्य संचालन असंभव हो जाये या ऐसेा करने के लिए किसी को दुष्प्रेरित किया है; या

(ग्यारह) इस अधिनियम के अधीन दिये गये राज्य सरकार के किसी आदेश या निर्देश का जान–बूझकर उल्लंघन किया है; या

(बारह) निगम के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ बिना किसी न्यायोचित्य कारण के, दुर्व्यवहार किया है; या

(तेरह) निगम की किसी सम्पत्ति का उसके बाजार मूल्य से कम मूल्य पर व्ययन किया है; या

(चौदह) निगम की भूमि, भवन या किसी अन्य अचल सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया है या किसी अन्य व्यक्ति को अतिक्रमण करने में सहायता की है या दुष्प्रेश्रित किया है।

तो उस उससे नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकेगी कि क्यों न उसे पद से हटा दिया जाये।

(2) राज्य सरकार, नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख द्वारा दिये गये किसी स्पष्टी करण पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, कारणों को अभिलिखित करते हुए नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख को उसके पद से हटा सकेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन हटाया गया नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख, सभासद भी नहीं रह जायेगा और उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित किसी आधार पर हटाये जाने की दशा में अपने हटाये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख के रूप में पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।

17— नगर प्रमुख सदस्य होगा—(1) नगर प्रमुख निगम का पदेन सदस्य होगा।

(2) निगम अथवा उसकी किसी समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करते समय नगर प्रमुख मतों की समानता (equality of vote) की दशा में एक निर्णायक मत

(casting vote) देने का अधिकारी होगा परन्तु सदस्य के रूप में जो मत देने का अधिकार न होगा।

18— **नगर प्रमुख के भत्ते**—नगर प्रमुख तथा उप नगर प्रमुख को ऐसे भत्ते या सुविधायें जो निगम राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निश्चित करे, दी जा सकती है।

19— **नगर प्रमुख तथा उपनगर प्रमुख का त्यागपत्र**—(1) यदि नगर प्रमुख अपना पद त्याग करना चाहे तो वह अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो राज्य सरकार को सम्बोधित होगा, ऐसा कर सकता है, और त्यागपत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जिस दिन यह सूचना कि उसका त्यागपत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, मुख्य नगराधिकारी को प्रापत हो।

(2) उप—नगर प्रमुख किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो नगर प्रमुख को सम्बोधित होगा, अपना पद त्याग कर सकता है और यह त्याग—पत्र नगर प्रमुख को मिलते ही प्रभावी हो जायेगा।

निगम के सदस्य

20— {***}

21— {***}

22— {***}

23. **सभासदों पर प्रयोज्य कतिपय उपबन्ध नाम निर्दिष्ट सदस्य पर हों**—धारा 24, 25, 26, 28, 29, 30—क, 81, 82, 83, 85, 87, 538, 565, 570 और 572 के उपबन्ध जैसे सभासदों पर लागू होते हैं वैसे नामनिर्दिष्ट सदस्यों पर, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।''

24. **सभासद के निर्वाचन के लिए अर्हतायें**— कोई व्यक्ति सभासद के रूप में चुने जाने के लिए और सभासद होने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह—

(क) नगर का निर्वाचक न हो;

(ख) 21 वर्ष की आयु प्राप्त न कर चुका हो तथा

(ग) स्थान के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो या स्त्रियों के लिए आरक्षित होने की दशा में, जैसी भी स्थिति हो, सम्बन्धित श्रेणी का नहीं है।

25. {***} **सभासदों की अनर्हतायें**—(1) कोई भी व्यक्ति इस बात के होते हुए भी कि वह अन्यथा अर्ह है, सभासद चुने जाने तथा होने के लिए अनर्ह होगा यदि—

(क) उसे इस अधिनियम के आरम्भ के पूर्व अथवा पश्चात् भारत के किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी पाया गया हो, तथा उसे दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए कारावास का दंड दिया गया हो, जब तक कि उसके छूटने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि या इससे कम ऐसी अवधि, जिसकी अनुमति राज्य सरकार किसी विशेष मामलें में दे, व्यतीत न हो गई हो।

(ख) वह अनुमुक्त दिवालिया हो;

(ग) वह निगम के लाभा के किसी पद पर हो;

(घ) वह राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम या निकाय की सेवा में हो अथवा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउन्सेल अथवा अपर सहायक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउन्सेल अथवा अवैधानिक मजिस्ट्रेट अथवा अवैतनिक मुंसिफ अथवा अवैतनिक असिस्टेंट कलेक्टर हो;

(ङ) वह चाहे स्वयं चाहे उसके लिए न्यासी के रूप में अथवा उसके लाभ के लिए या उसके लेखें में किसी व्यक्ति द्वारा, निगम को माल सम्भरित करने के लिए या किसी निर्माण–कार्य के निष्पादन के लिए किन्हीं सेवाओं को, निका भार निगम ने अपने ऊपर लिया हो, सम्पन्न करने के लिए किये गये किसी संविदे में कोई हिस्सा (share) या हित (interest) रखता हो;

(च) वह निगम को देय ऐसे कर के जिन पर धारा 504 लागू होती है अथवा ऐसे मूल्य के, जो निगम द्वारा दिये गये पानी के लिए देय हो एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाये का देनदार हो;

(छ) यदि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण करके भ्रष्टाचार अथवा राजद्रोह के लिए पदच्युत हो चुका हो, जब तक कि उसके पदच्युत होने के दिनांक से छः वर्ष की अवधि न व्यतीत हो गई हो;

(ज) वह किसी सक्षम प्राधिकारी आाज्ञ से वकालत करने के लिए विवर्जित कर दिया गया है;

(झ) वह इस अधिनियम की धारा 80 तथा 83 के अधीन निगम का सदस्य होने के लिए अनर्ह है;

(ञ) वह {***} किसी ऐसे सुसर्गजन्य रोगों में से किसी से ग्रस्त है, और राज्य सरकार की आज्ञा से निर्दिष्ट किये जायेंगे और मुख्य अधिकारी से अन्यून पद के किसी चिकित्साधिकारी (Medical Officer) ने उस रोग को असाधय (incruable) घोषित कर दिया है :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है यह और कि (च) की दशा में बकाया अदा कर देने पर तुरन्त अनर्हता समाप्त हो जायेगी।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी कर अथवा पानी का बकाया जो उस क्षेत्र, जिसको अब नगर अधिसूचित कर दिया गया है, में क्षेत्राधिकार रखने वाली निगम परिशद अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी को देय हो, उसको निगम का बकाया समझा जायेगा।

''(ट) राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्सयम प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन अनर्ह हो–

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो;''

(2) {***}

(3) {***}

(4) कोई व्यक्ति {***} सभासद चुन लिये जाने पर {***} सभासद बने रहने के लिए अनर्ह होगा यदि वह–

(1) स्वयं अथवा किसी ऐसे फर्म के नाम से, जिसमें वह साझीदार है, अथवा जिसके साथ वह वृत्तिक हैसियत से लगा हुआ है, किसी ऐसे वाद या कार्यवाही के सिलसिले में जिसमें निगम अथवा मुख्य नगराधिकारी का कोई हित या संबंध है (interest

of concerned) वह वृत्तिक हैसियत (Professional capacity) से रोक रखा जाता है अथवा नियोजित किया जाता है, अथवा

(2) बीमारी अथवा निगम द्वारा स्वीकृत अन्य किसी कारण से अनुपस्थिति को छोड़कर निगम के अधिवेशनों में लगातार छह महीने तक अनुपस्थित रहता है।

''(3) निगम के किसी बैठक में इस प्रकार से बाधार उत्पन्न की है कि निगम का उस बैठक का कार्य संचालन असम्भव हो जाये अथवा ऐसा करने के लिए किसी को दुष्प्रेरित किया है;

(4) निगम के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ बिना न्यायोचित कारण के दुर्व्यवहार किया है;

(5) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निगम की किसी सम्पत्ति को हानि या क्षति पहुंचायी है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी हानि या क्षति के लिए दुष्प्रेरित करता है;

(6) किसी अपराध के लिए, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, सिद्धदोष ओर करावास से दण्डित किया जाये।''

(5) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इसलिए अनर्ह हुआ न समझा जायेगा कि वह—

(1) कोई पेंशन पाता है,

(2) नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख या सभासद {***} के रूप में काम करते हुए कोई भत्ता या सुविधा पाता है।

(6) उपधारा (6) के खण्ड (ङ) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इसलिए अनर्ह हुआ न समझा जायेगा कि उसका निम्नलिखित में कोई हिस्सा या हित हैं—

(1) कोई संयुक्त सम्भार समवाय (Joint Stock Company) अथवा उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन पंजीकृत अथवा पंजीकृत समझी गयी कोई समिति जिससे निगम की ओर से मुख्य नगराधिकारी संविदा करेगा अथवा जिसे वह नियोजित करेगा;

(2) निगम के लिए मुख्य नगराधिकारी को बेजी जाने वाली किसी ऐसी वस्तु के प्रायिक (occasional) विक्रय में जिससे वह किसी कैलेंडर वर्ष में कुल मिलाकर 2000 रू0 से अनधिक मूल्य का नियमित रूप से व्यापार करता है।

(7) कोई व्यक्ति जो सभासद के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात् इस धारा के अधीन अनर्ह हो जाये, सभासद नहीं रह जायेगा और उसक स्थान ऐसी अनर्हता होने के दिनांक से रिक्त हो जायेगां

26. सभासद की पदावधि—(1) आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के निर्मित निर्वाचित सभासद {***} से भिन्न {***} की पदावधि निगम के कार्यकाल के समकक्ष होगी।

(2) आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए निर्वाचित किसी भी सभासद {***} का कार्यकाल उसके पूर्वाध्किारी की पदावधि का अवशिष्ट भाग होगा।

27. सभासदों का निर्वाचन—(1) सभासदों का निर्वाचन इस अधिनियम के उपबन्धों ओर इसके अधीन बने नियमों के अनुसार पौढ़ मताधिकारी प्रणाली के अनुसार होगा।

(2) अपने पद से हटने वाला सभासद पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

28. **सभासद के पद की आकस्मिक रिक्ति**–यदि किसी सभासद की पदावधि समाप्त होने के पूर्व उसके स्थान की रिक्ति उसकी मृत्यु अथवा त्याग–पत्र, अथवा अन्यस किसी कारण से हो जाये, तो ऐसी रिक्ति होने के पश्चात् यथाशीघ्र दूसरा सभासद यथाशक्य उसी रीती से, किन्तु इस अधिनियम में एतदर्थ बनाये गये अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए निर्वाचित किया जायेगा, जो सामान्य निर्वाचन में सभासदों के निर्वाचन के लिए अधिनियम द्वारा उसके अधीन उपबंधित हो ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि पद से हटाने वाले (outgoing) सभासद की पदावधि साधारणतः रिक्त हांने के चार महीने के भीतर समाप्त हो रही हो, तो ऐसी रिक्ति बिना पूर्ति के छोड़ दी जायेगी जब कि निगम अन्यथा संकल्प न करें।

29. **सभासदों का त्यागपत्र**–कोई सभासद किसी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो नगर प्रमुख को संबोधित होगा, अपना पद त्याग सकता है और उसक त्यागपत्र नगर प्रमुख को प्रापत होते ही प्रभावी हो जायेगा।

30. **एक से अधिक कक्ष के निमित्त एक ही व्यक्ति का निर्वाचन**–(1) यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक कक्षों से सभासद निर्वाचित हो जाय तो वह ऐसे अन्तिम निर्वाचन के दिनांक के तीन दिन के भीतर मुख्य नगराधिकारी को उस कक्ष की सूचना देगा, जिसकी सेवा में वह रहना चाहता है।

(2) ऐसी सूचना न देने पर मुख्य नगराधिकारी लाटरी डालकर वह कक्ष निर्धारित करेगा और उसकी अधिसूचित करेगा, जिसकी सेवा में ऐसा व्यक्ति रहेगा।

(3) ऐसा व्यक्ति इस प्रकार चुने हुए अथवा अधिासूचित कक्ष के लिए ही निर्वाचित समझा जायेगा तथा अन्य किसी कक्ष अथवा कक्षों से प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली रिक्तियां नवीन निर्वाचन द्वारा इस प्रकार भरी जायेगी मानों कि वे आकस्मिक रिक्तियां हो।

30–क–सदस्यों को वाहन भत्ता या सुविधायें–सभासदों {***} को निगम के और उसकी समितियों के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए ऐसा वाहन भत्ता या वाहन भत्ते के बदले में ऐसी सुविधायें दी जा सकती हैं जिनकी नियमों द्वारा व्यवस्था की जायं

कक्षों का परिसीमन (Delimitation of Wards)

31. **कक्षों की व्यवस्था**–(1) सभासदों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ धारा 32 में दी हुई रीति से प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बाटा जायेगा जो कक्ष कहे जायेंगे और प्रत्येक कक्ष के लिए पृथक निर्वाचक नामावली होगी।

(2) प्रत्येक कक्ष का प्रतिनिधत्व निगम में एक सभासद द्वारा किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में 'अन्तिम पूर्वगत जनगणना जिसके संगत आंकड़े प्रकाशित कर दिये गये है' के प्रति निर्देश को, उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के लिए 1971 की जनणगना की प्रति निर्देश समझा जायेगा और जन संख्या के प्रति कोई निर्देश उस जनगणना के आधार पर जनसंख्या के प्रति निर्देश होगा।

(3) {***}

32. **परिसीमन आज्ञा–** ''(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा–

(क) किसी नगरपालिका क्षेत्र को ऐसी रीति से, कि प्रत्येक कक्ष की जनसंख्या जहां तक सम्भव हो सके, सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र के समान हो, कक्षों में विभाजित करेगी;

(ख) कक्षों की संख्या जिसमें किसी नगर पालिका क्षेत्र को विभाजित किया जायेगा, अवधारित करेगी;

(ग) प्रत्येक कक्ष का विस्तार अवधारित करेगी;

(घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो या महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या अवधारित करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन आज्ञ का पॉडुलेख आपत्तियों के लिये, जो सात दिन से कम न हो, सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार उपधारा (2) के अधीन की गयी किन्हीं आपत्तियों पर विचार करेगी, और यदि आवश्यक हुआ तो तद्नुसार आज्ञा का पांडुलसेख संशोधित, परिवर्हित अथवा परिष्कृत किया जायेगा और तत्पश्चात् वह अंतिम हो जायेगा।

33. **परिसीमन आज्ञा में परिवर्तन अथवा संशोधन और उसका प्रभाव–**(1) राज्य सरकार अपनी किसी परवर्ती आज्ञा (subsequent order) द्वारा धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन की गयी किसी भी अन्तिम आज्ञा को परिवर्तित अथवा संशोधित कर सकती है।

''(1–क) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के परिवर्तन या संशोधन के लिए, धारा 32 की उपधारा (2) और (3) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।''

(2) इस धारा के अधीन किसी भी अन्तिम आज्ञा के परिवर्तन संशोधन के पश्चात् राज्य सरकार विद्यमान सभासदों को परिवर्तित अथवा संशोधित कक्षों में इस प्रकार विभाजित (apportion) कर देगी कि जहां तक युक्तितः साध्य हो, वे अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों का यथासंभव अधिक से अधिक संख्या का प्रतिनिधित्व करते रहें।

(3) विद्यमान सभासद उसी कक्ष में पदासीन होगा जो उसे नियम किया गया है और इस पद पर ऐसी अवधि तक के लिए आसीम रहेगा, जिस अवधि तक के लिए वह उस पर ऐसी दशा में पदासीन रहता यदि कक्ष अपरिवर्तित तथा असंशोधित ही रहे होते।

निर्वाचक तथा निर्वाचक नामावली

34. {***}

35. **प्रत्येक कक्ष के लिए निर्वाचक नामावली**–प्रत्येक कक्ष के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन तैयार की जायेगी।''

36. **निर्वाचकों की अर्हतायें**–धारा 37 और 38 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्श की जिसमें निर्वाचक नामवली तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और जो कक्ष के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हो, कक्ष की निर्वाचक नामावली में पंजीयन का पात्र होगा।

स्पष्टीकरण—(एक) किसी व्यक्ति के सम्बनध में केवल इसी कारण कि कक्ष के क्षेत्र में उसका किसी निवास—गृह पर स्वामित्व या कब्जा है, यह न समझा लिया जायेगा कि वह उस कक्ष के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(दो) अपनी मामूली निवास—स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह न समझा जायेगा कि वह वहां मामूली तौर से निवासी नहीं रहा।

(तीन) संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में कक्ष के क्षेत्र से अनुपस्थित रहने मात्र के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होने से परिविरत नहीं समझा जायेगा।

(चार) यह विनिश्चय करने के लिए कि किन व्यक्तियोंक को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी समझा जाय या न समझा जाय, किन्हीं अन्य तथयों पर, जिन्हें विहित किया जाय, विचार कि या जायेगा।

(पांच) यदि किसी मामलें में यह प्रश्न उसे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति मामूली तौर से कहां का निवासी है तो उस प्रश्न का अवधारण मामलें के सभी तथयों के निर्देश में किया जायेगा।

37. निर्वाचकों की अनर्हतायें—(1) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन नामावली में पंजीयन के लिए अनर्ह होगा, यदि वह—

(एक) भारत का नागरिक न हो; या

(दो) विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो; या

(तीन) निर्वाचन सम्बन्धों भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तत्समय अनर्ह हो।

(2) किसी व्यक्ति, जो पंजीयन के पश्चात् उपर्युक्त रूप से अनर्ह हो जाता है, का नाम उस कक्ष की उस निर्वाचक नामावली से जिसमें उसका नाम लिखा है, तुरन्त ही काट दिया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (1) के अधीन किसी अनर्हता के कारण किसी व्यक्ति का नाम किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली से काट दिया जाता है तो उक्त नामावली के प्रचलित रहने (inforce) की अवधि में, इस अधिनियम के उपबन्धों, अथवा उक्त निवारण को प्राधिकृत करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन उपर्युक्त अनर्हता समाप्त कर दिये जाने पर उसे तुरन्त पुनः दर्ज कर लिया जायेगा।

38. पंजीयन एक कक्ष तथा एक स्थान में होगा—(1) कोई भी व्यक्ति एक ही नगर में एक से अधिक कक्षों के लिए निर्वाचक नामावली में पंजीयन का पात्र न होगा।

(2) कोई व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार पंजीकृत होने का पात्र न होगा।

(3) कोई व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचन नामवली में पंजीयन का पात्र न होगा, यदि उसका नाम किसी नगर या किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, संक्रमणशील क्षेत्र, छावनी या ग्राम पंचायत से सम्बन्धित किसी निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, जब तक कि वह दर्शित न करें कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है।

''39. **निर्वाचक नामावली की तैयार और प्रकाशन**–(1) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, प्रत्येक कक्ष के लिए निर्वाचक नामावली मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) के पर्यवेक्षण के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियमों द्वारा विहित रीति से तैयार और प्रकाशित की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिश्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी होंगे जिन्हे राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, इस निमित्त पदाभिहित या ग्रामनिर्दिष्ट करें।

(3) निर्वाचक नामावली के प्रकाशन पर, इस अधिनियम के, या उसके अधीन बनाये गये नियमों के, अनुसार किये गये किसी परिवर्तन, परिवर्धन या सुधार के अधीन रहते हुए, वह इस अधिनियम के अनुसार तैयार की गयी कक्ष की निर्वाहक नामावली होगी।

(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी कक्ष के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त विधान सभा की सूची को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के अनुसार अपना सकता है जहां तक उसका सम्बन्ध उस कक्ष के क्षेत्र से हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कक्ष के लिए निर्वाचक नामावली में, ऐसे कक्ष के लिए नाम–निर्देशन के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व किसी संशोधन, परिवर्तन या सुधार को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(5) जहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, चाहे उसको दिये गये किसी आवेदन–पत्र पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, यह समाधान हो जाय कि निर्वाचक नामावली में कोई प्रविशिट सुधारी या निश्कासित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्धित किया जाना चाहिए, वहां वह इस अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और आदेशों के अधीन रहते हुए किसी प्रविष्टि का यथास्थिति सुधार, निष्कासन या परिवर्धन करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, निष्कासन, या परिवर्धन, कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नाम–निर्देशन होने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व नहीं किया जायेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निश्कासन जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना, नहीं किया जायेगा।

(6) निर्व्राचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित करने, निष्कासित करने, या सुधार करने के सम्बन्ध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी आदेश के विरूद्ध अपील ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से है और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय, प्रस्तुत की जायेगी।

40. **निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण**–राज्य निर्वाचन आयोग यदि वह सामान्य या उप–निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे सभी कक्षों की या किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली का ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, पुनरीक्षण करने का निर्देश दे सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कक्ष को निर्वाचक नामावली, जैसा कि वह कोई ऐसा निदेश दिये जाने के समय प्रवृत्त हो, जब तक कि इस प्रकार निर्देशित पुनरीक्षण पूरा न हो जाय।''

41. **निर्वाचकों तथा निर्वाचक नामावलियों के सम्बद्ध अन्य विषय**–जहां तक निम्नलिखित विषयों में से किसी के सम्बन्ध में इस अधिनिययम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा उपबन्ध न किया जाये, राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली से सम्बद्ध निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में आज्ञा द्वारा उपबन्ध बना सकती है, अर्थात्–

(क) दिनांक, जब इस अधिनियम के अधीन प्रथम बार तैयार की गई निर्वाचक नामावलियॉ और बाद में तैयार की गई निर्वाचक नामावलियां प्रवृत्त होंगी और उनके प्रवर्तन की अवधि;

(ख) सम्बद्ध निर्वाचक (elector) के प्रार्थना–पत्र पर निर्वाचक नामावली की किसी वर्तमान प्रविष्टि को ठीक करना,

(ग) निर्वाचक नामावलियों में लिपिक या मुद्रण सम्बन्धी गलतियों को ठीक करना;

(घ) किसी क्षेत्र के संबंध में निर्वाचक नामावलियों में बहुत से नाम छूट जाने की दशा में उनमें सुधार करना;

(ङ) निर्वाचक नामावलियों में किसी भी ऐसे वयक्ति का नाम दर्ज करना–

(1) जिसका नाम कक्ष से सम्बद्ध क्षेत्र की विधान सभा की सूचियों में है, परन्तु कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, अथवा जिसका नाम गलती से किसी अन्य कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज कर लिया गया होय, अथवा

(2) जिसका नाम विधान सभा की सूचियों में दर्ज नहीं है, परन्तु जो अन्यथा कक्ष की निर्वाचक नामावली में पंजीयन के लिए अर्ह है;

(च) ऐसे व्यक्तियों के नामों का अपवर्जन जो पंजीयन के लिए अनर्ह है;

(छ) ऐसे व्यक्तियों का अभिलेख रखना जो मत देने के लिए अनर्ह है;

(ज) नामों के समावेश तथा अपवर्जन के निर्मित प्रार्थना पत्र पर देय शुल्क,

(झ) {***}

(ञ) निर्वाचक नामावलियों की अभिरक्षा तथा उसका परिरक्षण (custody and preservation) ; तथा

(ट) सामान्यतया निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा उस प्रकाशित करने से सम्बद्ध सभी विषय।

मतदान

42. **मत देने का अधिकार**–(1) कोई व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज न हो उस कक्ष में मत देने का अधिकारी न होगा तथा इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से उपबन्धित दशा को छोड़कर प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज है, उस कक्ष में मत देने का अधिकारी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी कक्ष के किसी निर्वाचन में मत नहीं दे सकेगा, यदि वह धारा 37 में उल्लिखित अनर्हताओं में से किसी के अधीन है।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी सामान्य निर्वाचन में निगम के एक से अधिक कक्षों में मतदान नहीं करेगा और यदि वह उक्त किसी एक से अधिक कक्षों में मतदान करता है तो सभी कक्षों में उसके मत शून्य हो जायेंगें।

(4) इस बात के होते हुए भी किसी निर्वाचक का नाम किसी कक्ष की निर्वाचन नामावली में एक से अधिक बार दर्ज हो गया है, वह व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा और यदि वह मतदार करता है तो उस कक्ष में उसके सभी मत शून्य हो जायेंगे।

(5) यदि कोई व्यक्ति कारावास की, निर्वासन की अथवा अन्य किसी प्रकार दण्डाज्ञा के अधीन किसी कारावास में बन्द है, अथवा पुलिस की वैद्य अभिरक्षा (lawful custodoy) में है, तो वह मतदान नहीं करेगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में कोई बात उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जो तत्समय प्रचलित किसी विधि के अन्तर्गत निवारक निरोध (Preventive detention) के अधीन हो।

43. {***}

44. **मतदान की रीति** –किसी कक्ष के प्रत्येक निर्वाचन में, जहां मतदान लिया जाए मत गूढ़ शलाका (Secret ballot) द्वारा दिये जायेंगे तथा कोई मत प्रतिनिधिक मतदान (Proxy) द्वारा नहीं दिया जायेगा।

निर्वाचकों का संचालन

45. **निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण आदि**–(1) निगम के नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख और सभासदों के निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन ओर नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। ''

''(2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए धारा 39 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) के नगर प्रमुख, जब नगर प्रमुख और सभासदों के निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण होगा।''

46. **निर्वाचनों के संचालन सम्बन्धी आदेश** –किसी मामलें के संबंध में, जहां तक इस अधिनियम द्वारा उपधारा नहीं बनाये गये हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर प्रमुख तथा उपनगर प्रमुख के पदों तथा {***} सभासदों के स्थानों के निर्वाचनों से संबंधित मामलों की व्यवस्था कर सकती है, अर्थात्–

(क) {***}

(ख) निर्वाचन अधिकारियों, सहायक निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचन अध्यक्षतों तथा मतदान अधिकारियों और क्लर्को की नियुक्ति, उनके अधिकार ओर कर्तव्य,

(ग) नाम निर्देशन, परीक्षण नाम वापस लेने तथा मतदान के लिए दिनांकों को निश्चित करना,

(घ) वैध (valid) नाम निर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने की रीति तदर्थ अपेक्षायें, नाम निर्देशनों का परीक्षण और उम्मीदवारी से नाम वापस लेना;

(ङ) निर्वाचन अभिकर्ताओं तथा मतदान अभिकर्ताओं तथा गणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति तथा उनके कर्तव्य;

(च) सामान्य निर्वाचनों के विषय में प्रक्रिया, जिसमें मतदान के पूर्व ही किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाना भी है, सविरोध और निर्विरोध निर्वाचनों (contested or uncontested) की प्रक्रिया, {***}

(छ) मतदाताओं की पहचान (Identification);

(ज) मतदान का समय;

(झ) मतदान का स्थगित किया जाना, तथा फिर से मतदान कराना;

(ञ) निर्वाचनों में मतदान की रीति;

(ट) मतों का परीक्षण तथा उनकी गणना, पुर्नगणना तथा मतों की संख्या की समानता की दशा में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और परिणाम की घोशणा;

(ठ) सभासद, {***} नगर प्रमुख तथा उप नगर प्रमुख के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के नामों की विज्ञप्ति;

(ड) जमा की हुई धनराशियों की वापसी तथा जब्ती;

(ढ) निर्वाचन अध्यक्ष, मतदान अभिकर्ता तथा अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान की रीति, जो किसी कक्ष मे ंनिर्वाचन होने के कारण मतदान अधिकारी हैं, किन्तु जो किसी ऐसे पोलिंग स्टेशन पर कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, जहां उसे मतदान का अधिकार नहीं है;

(ण) प्रक्रिया, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान के सम्बन्ध में अनुसरित की जायेगी जो अपने को ऐसा निर्वाचक बतलाता है, जिसके नाम से कोई व्यक्ति मत दे चुका है;

(त) मतदान बक्सों, मत–पत्रों तथा निर्वाचक सम्बन्धी अन्य कागज–पत्रों की अभिरक्षा, अवधि जब तक उन्हें सुरक्षित रखना है तथा ऐसे कागज–पत्रों का निरीक्षण करना तथा उन्हें प्रस्तुत करना;

(थ) {***}

(द) निर्वाचन पत्रों की प्रतियों को जारी करना तथा उन प्रतियों के लिए मूल्य निर्धारित करना;

(ध) {***} उप नगर प्रमुख के निर्वाचन {***} के लिए ''धारा 12 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट निर्वाचक मण्डल'' {***} की सूची रखना; और

(न) सामान्तया निर्वाचन के संचालन संबंधी अन्य सभी विशय।

47. **निर्वाचनों का न हो पाना**–(1) यदि सभासद {***} के किसी निर्वाच न में कोई स्थान बिना पूर्ति के रह जाता है, तो उस रिक्ति की पूर्ति के लिए फिर से निर्वाचन होगा।

(2) निर्वाचन के संचालन तथा सभासद {***} के कार्य–काल के निर्धारण के लिए उपधारा (1) के अधीन हुए निर्वाचन के विषय में यह समझा जायेगा कि वह आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए हुआ है।

48. **निर्वाचन अपराध**–(1) लोक प्रतिनित्व अधिनियम, 1951 के भाग सात के अध्याय तीन की धारा 125, 126, 127, 127–क, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 134–क, 135–क और 136 के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों–

(क) किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में आया हुआ निर्देश इस अधिनियम के अधीन किये गये निर्वाचन का निर्देश हो;

(ख) शब्द 'निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर शब्द 'कक्ष' रख दिया गया हो;

(खख) धारा 127–क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) में, शब्द 'मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्थान पर शब्द मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) रख दिये गये हों;

(ग) धारा 134 और 136 में, शब्द 'इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन' के स्थान पर शब्द उ0प्र0 नगरनिगम अधिनियम, 1959 के द्वारा या के अधीन' रख दिये गये हों।

(2) यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी {नगर स्थानीय निकाय} को यह विश्वास करने का कारण हो कि निगम के किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में उक्त अध्याय की धारा 129 या धारा 134 या धारा 134–क के अधीन या धारा 136 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया है तो वह ऐसी जांच करा सकता है और ऐसे अभियोग चला सकता है जो परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक प्रतीत हो।

(3) धारा 14 अथवा धारा 134 अथवा धारा 134–क अथवा धारा 136 की उपधारा (2) के खण्ड (ए) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध की सुनवाई तब तक न करेगा जब तक कि निर्वाचन संचालक (स्थानीय निकाय) की आज्ञा द्वारा अथवा उसके अधिकार के अधीन कोई शिकायत न की जाय।

49. **सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक**–किसी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित की अधिकारिता न होगी–

(क) इस प्रश्न को ग्रहण करना या उस पर निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में पजीयन का पात्र है या नहीं; या

(ख) निर्वाचक नामावलियों के तैयार करने और प्रकाशन के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन की गई किसी कार्यवाही की वैधता पर आपत्ति करना; या

(ग) निर्वाचन अधिकारी द्वारा या किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा की गयी कार्यवाही या किसी विनिश्चय की वैधता पर आपत्ति करना।

50. **निर्वाचन और रिक्ति के लिए अधिसूचना**–(1) किसी निगम के गठन या पुनर्गठन प्रयोजन के लिए एक सामान्य निर्वाचन कराया जायेगा।

(2) उक्त प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसे दिनांक को जिसकी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सिफारिश की जाय, नगर में सभी कक्षों को, इस अधिनियम के उपबन्ध और इसके अधीन बनाये गये नियमों और कथनों के अनुसार सभासदों और नगर प्रमुख का निर्वाचन करने के लिए आहूत करेगी।

''(2–क) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन के परामर्श से, सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा धारा 12 के अधीन उपनगर प्रमुख के निर्वाचन के लिए एक सा उससे अधिक दिनांक नियत करेगी ओर सभी सदों को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उपनगर प्रमुख का निर्वाचन करने के लिए आहतूत करेगी।''

4. संक्रमणकालीन उपबन्ध–इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा 50 के उपबन्ध ऐसे उप नगर प्रमुख के सम्बन्ध में भी लागू होंगे, जिसका पद इस अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक को उसकी पदावधि के समाप्त होने के कारण रिक्त हो रहा हो और राज्य निर्वाचन द्वारा जारी कोई ऐसा आदेश या अधिसूचना, जिसमें ऐसी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन हेतु एक या उससे अधिक दिनांक नियत किया गया हो, विखण्डित हो जायेगी

मानों इस अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

(3) यदि मृत्यु या त्याग पत्र या किसी अन्य कारण से नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख या किसी सभासद के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो, यथास्थिति ऐसा पद या स्थान राज्य सरकार द्वारा, सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, रिक्त घोषित कर दिया जायेगा।

(4) जब कोई पद या स्थान रिक्त घोषित कर दिया गया हो तो राज्य निर्वाचन आयोग सरकारी ग जट में अधिसूचना द्वारा सम्बन्धित कक्ष या, यथास्थिति, सभासदों को इस अधिनियम के उपबन्धों और इसके अधीन बनाये गये नियमों या आदेशों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के प्रयोजन से, ऐसे दिनांक के पूर्व, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, किसी व्यक्ति का निर्वाचन करने के लिए आहूत करेगा।

कार्यकारिणी—समिति

51. कार्यकारिणी समिति का संगठन तथा अवधि—(1) कार्यकारिणी समिति—

(क) नगर प्रमुख जो पदेन कार्यकारिणी समिति का सभापति (Chairman) होगा; तथा

(ख) ऐसे 12 व्यक्तियों को, जो निगम द्वारा सभासदों {***} में से चुने जायेंगे; से मिलकर बनेगी।

(2) कार्यकारिणी समिति अपने प्रथम अधिवेशन में तथा तत्पश्चा् उतनी बार, जितनी कि उप—सभापति के स्थान की रिक्ति की पूर्ति करने के निमित्त आवश्यक हो; अपने सदस्यों में से किसी एक को उप—सभापति निर्वाचित करेगी।

(3) उप—सभापति, ज्योंही वह कार्यकारिणी समिति का सदस्य न रहे, उप—सभापति न रहेगा।

(4) उपधारा (1) के खंड (ख) में अभिदिष्ट व्यक्ति निगम द्वारा सामान्य निर्वाचन के पश्चात् होने वाले उसके प्रथम अधिवेशन में निर्वाचित किये जायेंगे।

(5) कार्यकारिणी समिति के आधे सदस्य प्रत्येक अनुगामी वर्ष में उस महीने की पहली तारीख को मध्यान्ह में, जिसमें कि उपधारा (4) में उल्लिखित निगम का पहला अधिवेशन निश्पन्न हुआ था, सेवानिवृत्त हो जाया करेंगे—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हो, तब कार्यकारिणी समिति के समस्त पदासीन सदस्य उपधारा (4) के अधीन नयी समिति के निर्वाचित होने पर सेवा—निवृत्त हो जायेंगें।

(6) वे सदस्य, जो उपधारा (5) के अधीन अपने उपधारा (4) के अन्तर्गत निर्वाचन के एक वर्ष पश्चात् सेवा—निवृत्त हो, उपधारा (5) में निर्दिष्ट सेवा—निवृत्त के पूर्व ऐसे समय और रीति से, जिसे कार्यकारिणी समिति का सभापति अवधारित करे, लाटरी डालकर निर्धारित किये जायेंगे तथा अनुगामी वर्षो में वही सदस्य इस धारा के अधीन सेवा—निवृत्त होगें, जिनका कार्य—काल अधिकतम रहा हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस सदस्य की दशा में, में जो पुनर्नियुक्त हुआ हो, उसके इस उपधारा के प्रयोजनों के निर्मित कार्यकाल का आकलन उसकी पुनर्नियुक्ति के दिनांक से किया जायेगा।

(7) निगम उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट सेवा—निवृत्ति के दिनांक से ठीक पूर्व पड़ने वाले महीने में निष्पन्न अपने अधिवेशन में कार्यकारिणी समिति के सदस्य उन व्यक्तियों

के पदों की पूर्ति करने के लिए निमित्त नियुक्त करेगी जिन्हें उक्त दिनांक पर सेवा–निवृत्त होना हो।

(8) समिति के किसी सदस्य के स्थान को आकस्मिक रिकित के पूर्ति उसके शेष कार्यकाल तक के लिए एक सदस्य निर्वाचित करके की जायेगी–

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि शेष अवधि दो मास से कम की है तो उस रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायगी जब तक कि निगम अन्यथा संकल्प न करें।

(9) सेवा–निवृत्त होने वाला सदस्य–पुनर्निवार्चित का पात्र होगा।

52. **कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन**–कार्यकारिणी समिति के सदस्यों तथा उसके उप सभापति (vice-Chairman) का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति (system of proportional representation) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा होगा तथा उसे निर्वाचन में मतदान गुढ़शकाला (Secrect ballot) द्वारा होगा।

53. **कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का पदत्याग**–कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य, जो अपना पद त्याग करना चाहे, नगर प्रमुख को सम्बोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा ऐसा कर सकता है और वह नगर प्रमुख को प्रापत होने के साथ ही प्रभावी हो जायेगा।

विकास समिति

54. **विकास समिति का संगठन तथा उसका कार्यकाल**–(1) विकास समिति–

(क) उपनगर प्रमुख जो कि इसके पदेन सभापति (Chairman) होगा;

(ख) {***} सभासदों में से निगम द्वारा निर्वाचित किये जाने दस व्यक्तियों; तथा

(ग) ऐसे दो व्यक्तियों, जो खंड (क) और (ख) में उल्लिखित सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से, जिन्हें उक्त सदस्यों की राय में निगम के प्रशासन अथवा सुधार, विकास या नियोजन संबंध विष्यों का अनुभव हो, संयोजित (co-opted) किये जायेंगें;

से मिलकर बनेगी।

(2) विकास समिति अपने प्रथम अधिवेशन में तथा तत्पश्चात् उप–सभापति के पद में रिक्ति होने के कारण जब कभी भी आवश्यक हो, अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक को अपना उप–सभापति निर्वाचित करेगी।

(3) उप–सभापति सदस्य न रहने पर यथाशीघ्र पद छोड़ देगा।

(4) संयोजित (co-opted) सदस्य को विकास समिति अथवा उसकी किसी उपसमिति में जिसका वह सदस्य हो, भाशण करने तथा उनकी कार्यवाहियों में अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का अधिकारी न होगा।

(5) संयोजित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

(6) उपधारा (1) के खंड (ख) में अभिर्दिष्ट व्यक्ति निगम द्वारा सामान्य निर्वाचनों के पश्चात् होने वाले उसके पहले अधिवेशन में निर्वाचित किये जायेंगें।

(7) विकास समिति के आधे सदस्य प्रत्येक अनुगामी वर्ष में उस महीने के पहले दिन के मध्यान्ह में, जिसमें कि उपधारा (6) में उल्लिखित निगम का पहला अधिवेशन सम्पन्न हुआ था, सेवा–निवृत्त हो जाया करेगें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हो तब विकास समिति के समस्त पदासीन सदस्य उपधारा (6) के अधीन नयी समिति के निर्वाचित होने पर सेवानिवृत्त होंगे।

(8) वे सदस्य, जो उपधारा (7) के अधीन, अपने उपधारा (6) के अधीन निर्वाचन के एक वर्ष पश्चात् सेवानिवृत्त होंगे, उपधारा (7) में निर्दिष्ट सेवा निवृत्ति के दिनांक के पूर्व ऐसे समय और रीति से, जिसे विकास समिति का सभापति अवधारित करें, लाटरी डालकर चुने जायेंगे तथा अनुगामी वर्षो में वे ही सदस्य इस धारा के अधीन सेवा–निवृत्त होंगे, जिनका कार्यकाल अधिकतम रहा हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस सदस्य की दशा में, जो पुनर्नियुक्त हुआ हो, उसके इस उपधारा के प्रयोजनों के निर्मित्त कार्यकाल का आकलन उसकी पुनर्नियुक्ति के दिनांक से किया जायेगा।

(9) निगम उपधारा (7) में निर्दिष्ट सेवा–निवृत्ति के दिनांक से ठीक पूर्व पड़ने वाले महीने में निष्पक्ष अपने अधिवेशन में विकास समिति के नये सदस्य उन व्यक्तियों के पदों की पूर्ति करने के निमित्त नियुक्त करेगी, जिन्हें उक्त दिनांक पर सेवा–निवृत्त होना हो।

(10) समिति के किसी सदस्य के स्थान की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति पद से हटने वाले सदस्य के शेष कार्यकाल तक के लिए की जायेगी:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त शेष अवधि दो मास से कम की है तो उस रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायेगी जब तक कि निगम अन्यथा संकल्प न करें।

(11) सेवा–निवृत्त होने वाला कोई सदस्य, चाहे वह निर्वाचित रहा हो अथवा संयोजित, पुननिर्वाचन अथवा पुनसंयोजन का पात्र होगा।

55. **विकास समिति के सदस्यों का निर्वाचन**–विकास समिति के सदस्यों तथा उसके उप सभापति (vice-Chairman) का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति (system of proportional representation) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा होगा तथा उसे निर्वाचन में मतदान गुढ़शकाला (Secrect ballot) द्वारा होगा।

56. **विकास समिति के सदस्यों का पदत्याग**–विकास समिति का कोई भी सदस्य, जो अपना पद त्याग करना चाहे, अपने हस्ताक्षर सहित लिखित त्याग पत्र नगर प्रमुख को प्रस्तुत कर सकता है और ऐसा त्यागपत्र नगर प्रमुख को मिल जाने पर प्रभावी हो जायेगा।

धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन संगठित समितियां

57. **धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन समितियों का संगठन**–(1) के

धारा (5) के खंड (ङ) के अधीन संगठित किसी समिति में उतने ही सदस्य होंगे, जितने कि निगम निर्धारित करे, किन्तु उनकी संख्या 12 से अधिक न होगी।

(2) राज्य सरकार के एतदर्थ किन्हीं ऐसे निदेशों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए उपधारा (1) में उल्लिखित किसी समिति के सदस्य अपने में से एक सभापति तथा

एक उप सभापति चुनेंगें तथा सभापति अथवा उपसभापति के पद की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति नये निर्वाचन द्वारा करेगें।

(3) कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की पदावधि तथा निर्वाचन की रीति से संबद्ध उपबन्ध धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन संगठित किसी समिति पर यथाशक्य लागू होंगें ?

57.क— महानगर योजना समिति—(1) सम्पूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए प्रत्येक महानगर क्षेत्र में एक महानगर योजना समिति संगठित की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट महानगर योजना समिति एक अध्यक्ष जो नियमों द्वारा नियम रीति से चुना जायेगा, और इक्कीस से अन्यून और तीस से अनधिक संख्या में सदस्यों से, जो राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, मिलकर बनेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कुल सदसयों की संख्याम ें से—

(क) दो तिहाई सदस्य महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा उस क्षेत्र में नगरपालिकाओं की और पंचायतों की जनसंख्या के बीच अनुपात के अनुसार अपने में से निर्वाचित किये जायेंगे। और

(ख) एक तिहाई सदस्य राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से निर्दिष्ट किये जायेंगे—

(एक) एक अधिकारी, जो केन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय में उपसचिव से अनिम्न स्तर का हो;

(दो) एक अधिकारी, जो राज्य सरकार के नगर विकास विभाग में संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो;

(तीन) एक अधिकारी, जो राज्य सरकार के वन विभाग में संयुक्त सचिव से अन्म्नि स्तर का हो;

(चार) मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश;

(पांच) निदेशक, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश।

(छः) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 के अधीन स्थापित जल निगम का प्रबन्ध निदेशक;

(सात) उत्तर प्रदेश जल म्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 के अधीन स्थापित महानगर क्षेत्र में स्थित जल संस्थान का महाप्रबन्धक;

(आठ) लोक निर्माण विभाग का एक अधीक्षण अभियन्ता;

(नौ) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का एक अधीक्षण अभियन्ता;

(दस) महानगर क्षेत्र में विकास प्राधिकार का उप सभापति।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट महानगर योजना समिति का निर्वाचित सदस्य जिस पर होने के के आधार पर ऐसा सदस्य बना था, उस पर न रहने पर समिति का सदस्य न रह जायेगा

(5) उपधारा (3) के खण्ड (ख) के उप खण्ड (एक) में निर्दिष्ट कोई शहरी विकास विभाग भारत सरकार के सचिव की सिफारिश पर नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(6) सदस्यों की कोई रिक्ति महानगर योजना समिति के संगठन या पुर्नसंगठन में बाधक नहीं होगी।

(7) महानगर योजना समिति विकास समिति प्रारूप तैयार करने में—

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी :—

(एक) महानगर क्षेकत्र में नगरपालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गयी योजनायें;

(दो) नगर पालिकाओं और पंचायतों के बीच सामान्य हित के मामलें, जिनके अन्तर्गत क्षेकत्र की समन्वित योजना जल और अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक साधनों में हिस्सा अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है;

(तीन) भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निश्चित समय उद्देश्य और प्राथमिकताएं;

(चार) उन विनिधानों की सीमा और प्रकृति जो भारत सरकार और राज्य सरकार अधिकरणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किए जाने सम्भाव्य हैं तथा अन्य उपलब्ध साधन चाहे वे वित्तीय हो या अन्य;

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा विनिश्चित करें।

(7) महानगर विकास समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की गई विकास योजना राज्य सरकार को भेजेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''नगर पालिका'' का तात्पर्य नगर निगम, नगरपालिका परिषद् और नगर पंचायत से है।''

मुख्य नगराधिकारी

58. **मुख्य नगर अधिकारी और अपर मुख्य नगर अधिकारी की नियुक्ति**—राज्य सरकार प्रत्येक नगर निगम के लिए एक मुख्य नगर अधिकारी और एक या अधिक अपर मुख्य नगर अधिकारी, जिसे वह उचित समझे, नियुक्त करेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जो पहले से राज्य सरकार की सेवा में नही है, तब तक मुख्य नगर अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य लोक सेवा आयोग उसकी नियुक्ति का अनुमोदन न कर दे।''

''किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी व्यक्ति को अपर मुख्य नगर अधिकारी के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किा जायेगा जब तक कि वह निगम का ज्येश्ठतम वेतनमान में उप नगर अधिकारी न हो।''

59. **मुख्य नगराधिकारी और अपर मुख्य नगर अधिकारी का वेतन और भत्ते आदि**—(1) मुख्य नगराधिकारी और अपर मुख्य नगर अधिकारी निगम निधि में से उतना मासिक वेतन और ऐसे भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार समय—समय पर निर्धारित करें।

(2) नियोजन (employment) की अन्य शर्ते, जिनमें छुट्टियां, पेंशन तथा भविश्य निधि (Provident Fund) में अंशदान भी सम्मिलित है, वे होंगी, जिन्हें राज्य सरकार विहित करें।

निर्वाचनों से संबद्ध विवाद

60. **जब तक आपत्ति आदि न की जाय निर्वाचन मान्य होगा**—इस अधिनियम के अधीन किसी भी निर्वाचन के संबंध में इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन की गयी व्यवस्था के अनुकूल आपत्ति न की जायेगी।

61. **नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख के निर्वाचन पर आपत्ति करना**—(1) किसी व्यक्ति के नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख के रूप में निर्वाचन

पर उक्त निर्वाचन का कोई भी असफल उम्मीदवार अथवा कोई भी व्यक्ति, जिसका निर्वाचन पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो अथवा निगम का कोई भी सदस्य नगर में क्षेत्राधिकारयुक्त जिला जज के समक्ष धारा 71 में उल्लिखित एक या एकाधिक आधारों पर याचिका प्रस्तुत करके आपत्ति कर सकता है।

(2) याचिका निर्वाचन फल घोषित होने के सात दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

62. सभासद के निर्वाचन पर आपत्ति करना–(1) सभासद के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन पर निर्वाचन में असफल किसी व्यक्ति ारा या किसी ऐकसे व्यक्ति द्वारा जिसका निर्वाचन में नाम–निर्देशन पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो या सम्बन्ध कक्ष के निर्वाचक द्वारा आपत्ति की जा सकती है।

(2) याचिका धारा 71 में उल्लिखित एक या एकाधिक आधारों पर प्रस्तुत की जा सकती है।

(3) किसी व्यक्ति के {***} सभासद के रूप में निर्वाचन पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकेंगी कि किसी व्यक्ति का नाम, जो मत देने के लिए अर्ह था, निर्वाचन सूची अथवा सूचियों में लुप्त कर दिया गया है अथवा किसी व्यक्ति का नाम, जो मत देने के लिए अर्ह नहीं था, निर्वाचन–सूची अथवा सूचितयों में सम्मिलित कर दिया गया है।

(4) याचिका, निर्वाचन के परिणाम की घोशणा के 30 दिन के भीरत नगर में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला जज को प्रस्तुत की जायेगी।

63. आवेदन का आकार–पत्र तथा उसका विषय–(1) निर्वाचन आवेदन में वह या वे आधार निर्दिष्ट रहेगें, जिन पर प्रतिवादी (respondent) के निर्वाचन के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी हो और उसमें उन वास्तविक तथयों का भी संक्षिप्त उल्लेख होगा जिन पर आवेदन (petitioner) आश्रय करता है। उसमें उस भ्रष्टाचार के, जिसके विशय में आवेदक का कथन है कि उसका व्यवहार हुआ है, पूरे विवरण उल्लिखित किये जायेंगे और उन पक्षों (parties) के नाम, जिनके संबंध में यह कहा गया है कि उन्होने भ्रष्टाचार का व्यवहार किया है तथा इस प्रकार किये गये भ्रष्टाचार का दिनांक और स्थान आदि के संबंध में यथासंभव पूरा ब्यौरा दिया जायेगा।

(2) आवेदन पर और यदि उसके साथ कोई अनुसूची अथवा संलग्नक (annexure) हो तो ऐसी अनुसूची अथवा संलग्नक पर भी आवेदक के हस्ताझर होंगे तथा वह ऐसी रीति से प्रमाणीकृत होगा, जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 (1908 का ऐक्ट 5) में पक्ष निवेदनों (pleading) के प्रमाणीकरण के लिए निर्दिष्ट की गयी है।

(3) आवदेक (petitioner)–

(क) यदि वह धारा 61 {***} के अधीन किसी घोषणा का दावा करता है तो अपने से भिन्न अन्य सभी प्रतिद्वन्द्वी उम्मीदवारों को तथा अन्य किसी दशा में सभी निर्वाचित उम्मीदवारों को; और

(ख) अन्य ऐसे उम्मीदवारों को, जिसके विरूद्ध आवेदन में भ्रष्टाचार आरोप किया गया है,

अपने आवेदन में प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित करेगा।

64. **अनुतोष (relief), जिसका आवेदक दावा कर सकता है**—आवेदक यह दावा करने के अतिरिक्त के समस्त अथवा किसी सफल उम्मीदवारों का निर्वाचन शून्य है, इस घोषणा के लिए भी दावा कर सकता है कि वह स्वयं अथवा अन्य कोई उम्मीदवार यथोचित रूप से निर्वाचित हुआ है।

65. **प्रत्यारोपण**—(1) यदि किसी निर्वाचन आवेदन में किसी ऐसी घोषणा का दावा किया गया हो कि निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न कोई उम्मीदवार विधिवत् निर्वाचित हुआ है तो निर्वाचित उम्मीदवार अथवा अन्य कोई पक्ष यह सिद्ध करने के लिए साक्ष्य दे सकता है कि यदि उक्त निर्वाचित हो गया होता और उसके निर्वाचन के सम्बन्ध में आपत्ति करने वाला कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया होता तो उस उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य हो गया होता :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचित उम्मीदवार (retunred candidate) अथवा उपर्युक्त कोई अन्य पक्ष (party) उक्त साक्ष्य देने का तब तक अधिकारी न होगा जब तक कि उसने—यदि वह निर्वाचन, जिसके सबंध में आपत्ति की गयी हो, {***} सभासद का हो तो उस पर निर्वाचन आवेदन के नोटिस तामील होने के 21 दिन के भीतर तथा अन्य सभी दशाओं में 3 दिन के भीतर—निर्वाचन आवेदन की सुनवाई करने वाला जिला जज को अपने उक्त आशय का नोटिस न दे दिया हो और धारा 79 में विहित प्रतिभूति (security), यदि कोई हो, न दे दी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक नोटिस के साथ निर्वाचन याचिका की दशाा में धारा 63 द्वारा अपेक्षित विनिर्देशन, विवरण तथा ब्यौरे दिये गये जायेंगे तथा वे उसी रीति से हस्ताक्षरित और सत्यापित किये जायेंगें।

66. **आवेदन कब खारिज किया जायेगा**—यदि कोई निर्वाचन याचिका इस अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत न की गयी हो अथवा प्रतिभूति जमा करने के संबंध में धारा 79 के अधीन बनाये गये उपबन्धों का पालन न किया गया हो अथवा उस पर निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक मुद्रांक शुल्क न दिया गया हो तो जिला जज तत्काल उसे अस्वीकार (reject) कर देगा।

67. **आवेदन की सुनवाई की प्रक्रिया**—(1) जिला जज किसी ऐसे निर्वाचन आवेदन की, जो धारा 66 के अधीन खारिज न किया गया हो, सुनवाई करेगा।

(2) आवेदन की सुनवाई करने वाला जज ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो धारा 79 के अधीन विहित की जाय।

68. **आवेदन का स्थानान्तरण**—(1) निर्वाचन आवेदन से सम्बद्ध किसी पक्ष के प्रार्थना पत्र पर तथा अन्य पक्षों को नोटिस देने के पश्चात् और ऐसे पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् जो सुनवाई चाहते हैं, अथवा बिना किसी प्रकार की नोटिस दिये हुए स्वितः किसी भी समय, हाईकोर्ट—

(क) किसी जिला जज के पास विचाराधीन किसी निर्वाचन आवेदन को सुनवाई के लिए किसी अन्य जिला जज को स्थानान्तरित कर सकता है; अथवा

(ख) सुनवाई के लिए ऐसे आवेदन को उस जिला जज को पुनः स्थानान्तरित कर सकता है, जिसके यहां से वह आवेदन हटा लिया गया था।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन कोई निर्वाचन आवेदन स्थानान्तरित अथवा पुनःस्थानान्तरित किया गया हो तो वह जिला जज जो तत्पश्चात् उक्त आवेदन की सुनवाई करेगा, स्थानान्तरण की आज्ञा में किसी अनुकूल निर्देश के अधीन रहते हुए ऐसे अवस्थान (point) से सुनवाई आरम्भ कर सकता है जिस अवस्थान से वह स्थानान्तरित अथवा पुनः स्थानान्तरित किया गया था :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह उचित समझे तो ऐसे साक्षियों को, जिसकी पहले गवाही हो चुकी थी, पुनः बुला सकता है और उनका पुनः परीक्षण कर सकता है।

69. **आवेदन पर निर्णय**–यदि सुनवाई के सयम आवेदन अनय प्रकार के स्वीकृत न हुआ हो तो जिला जज निर्वाचन आवेदन की सुनवाई हो जाने के पश्चात्–

(क) निर्वाचन आवेदन को खारिज करने की; अथवा

(ख) समस्त अथवा किसी निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की, अथवा

(ग) समस्त अथवा किसी निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करने तथा आवेदक अन्य किसी उम्मीदार को यथाविधि निर्वाचित घोषित करने की आज्ञा देगा।

70. **आवेदन के निस्तारण करते हुए अन्य आज्ञाओं का दिया जान**ा–धारा 69 के अधीन कोई आज्ञा देते समय जिला जज ऐसी आज्ञा भी देगा, जिसमें–

(क) यदि आवेदन में यह दोषारोपण है कि निर्वाचन में कोई भ्रष्टाचारण किया गया है, तो

(1) यदि आपत्ति को जो कि निर्वाचन में किसी उम्मीदवार अथा उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा उसकी सहमति (concent) से किया गया कोई भ्रश्टाचार सिद्ध हो गया है या नहीं सिद्ध हुआ है और उस भ्रष्टाचार के प्रकार को; और

(2) ऐसे समस्त व्यक्तियों के नामों को, यदि कोई हो, जिनके बारें में सुनवाई के समय यह सिद्ध हो गया हो कि वे किसी भ्रष्टाचरण के दोषी हैं और ऐसे आचरण के प्रकार (natrue) को अभिलिखित किया हो; तथा

(ख) देय वाद–व्ययों को निर्दिष्ट किया हो और उन व्यक्तियों को भी निर्दिष्ट किया हो, जिनके द्वारा अथवा जिन्हें वे व्यय अदा किये जायेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (क) के उपखंड (2) के अधीन दी गयी किसी व्यक्ति का नाम तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि–

(क) उस जिला जज के समक्ष उपस्थित होने तथा यह कारण दिखाने का नोटिस न दिया गया हो कि एतदर्थ उसका नाम क्योंक न लिख जाय; और

(ख) यदि नोटिस के अनुसार वह उपस्थित होता तो जब तक कि उसे किसी ऐसे गवाह से, जिसका जिला जज ने पहले ही परीक्षण कर लिया हो तथा जिसे उस व्यक्ति के विरूद्ध साक्ष्य दिया हो, जिरह करने का और अपनी सफाई देने और सुने जाने का अवसर न दिया गया हो।

71. **निर्वाचन को शून्य घोषित करने के आधार**–यदि जिला जज का मत हो कि–

(क) अपने निर्वाचन के दिनांक पर कोई निर्वाचित उम्मीदवार इस अधिनियम के अधीन उक्त स्थान की पूर्ति के निमित्त चुने जाने के लिए नहीं था अथवा अनर्ह था; अथवा

(ख) निर्वाचित उम्मीदवार अथवा उसके अभिकर्ता अथवा निर्वाचित उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारा 78 में निर्दिष्ट कोई भ्रष्टाचार किया गया है; अथवा

(ग) कोई निर्वाचन–पत्र अनुचित रूप से अस्वीकार किया गया है; अथवा

(घ) निर्वाचन फल पर जहां तक उसका सम्बन्ध निर्वाचित उम्मीदवार से है–

(1) कोई निर्वाचन–पत्र अनुचित रूप से स्वीकार किये जाने से; अथवा

(2) निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किये गये किसी भ्रष्टाचार से, जिसे निर्वाचित उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता अथवा ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति ने किया; अथवा

(3) किसी मत के अनुचित रूप से ग्रहण करने, न लेने अथवा अस्वीकार कर देने या किसी ऐसे मत के ग्रहण करने से जो शून्य हो; अथवा

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा उसके अधीन बने किन्हीं नियमों अथवा दी गयी किन्हीं आज्ञाओं का अपालन करने के कारण;

सारवान प्रभाव पड़ है,

तो जिला जज निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करेगा।

72. **आधार, जिन पर निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न कोई उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जा सकता है**–यदि किसी व्यक्ति ने, जिसने आवेदन प्रस्तुत किया है, निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन पर आपत्ति करने के अलावा इस घोषणा का भी दावा किया है कि वह स्वयं अथवा अन्य कोई उम्मीदवार विधिवत् निर्वाचित हुआ है ओर जिला जज का यह मत है कि–

(क) वस्तुतः आवेदक अथवा उक्त अन्य उम्मीदवार ने वैध मतों का बहुमत (majority) प्राप्त किया है, अथवा

(ख) यदि निर्वाचित उम्मीदवार को भ्रष्टाचार के कारण प्रापत हुए मत न मिले तो तो आवेदक अथवा अन्य उम्मीदवार ने वैध मतों का बहुमत प्राप्त किया होता;

तो जिला जज निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करके यथासिति आवेदक अथवा उक्त अन्य उम्मीदवार को विधिवत् निर्वाचित घोषित करेगा।

73. **मतों की समानता की दशा में प्रक्रिया**–यदि किसी निर्वाचन आवेदन की सुनवाई करते समय यह प्रतीत हो कि निर्वाचन में किन्हीं उम्मीदवारों ने बराबर–बराबर मत प्राप्त किये हैं और उनमें से किसी एक के पक्ष में एक मत के बढ़ जाने से वह व्यक्ति निर्वाचित घोषित किये जाने का अधिकारी हो जायेगा तो–

(क) इस अधीनियम के उपबन्धों के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया गया कोई निर्णय, जहां तक वह उक्त उम्मीदवारों के मध्य उपुर्यक्त प्रश्न को निर्धारित करता है, आवेदन के प्रयोजनों के लिए भी प्रभावी होगा; और

(ख) जहां तक उक्त निर्णय उपर्युक्त प्रश्न को निर्धारित न करता हो जिला जज उन उम्मीदवारों के बीच लाटरी द्वारा निर्णय करेगा और ऐसी कार्यवाही करेगा मानो जिस उम्मीदवार के पक्ष में लाटरी निकले उसने एक अतिरिक्त मत प्राप्त किया है।

74. जिला जज की आज्ञा के विरूद्ध अपील—(1) जिला जज द्वारा धारा 69 ओर 70 के अधीन दी गई प्रत्येक आज्ञा के विरूद्ध आज्ञा से तीस दिन के भीतर हाईकोर्ट को अपील हो सकेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि हाई कोर्ट उपर्युक्त तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाय कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारणवश इस अवधि के भीतर अपील नहीं प्रस्तुत कर सका।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करने के स्मृति—पत्र के साथ सरकारी खजाने की ऐसी रसीद नत्थी करेगा जो यह प्रकट करती हो कि उसके द्वारा किसी सरकारी खजाने अथवा स्टेट बैंक आफ इण्डिया में हाईकोर्ट के नाम अपील के वाद वयय की प्रतिभूति के रूप में पांच सौ रूपये की धनराशि जमा की गई है।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए हाईकोर्ट की इस अध्याय के अधीन अपील के संबंध में वही अधिकारी, क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार होंगे तथा वह उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, मानों कि वह उसके स्थनिक दीवानी अपील संबंधी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्थित किसी दीवानी न्यायालय द्वारा पारित मूल डिक्री से प्रोद्भूत अपील होः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील दो से अन्यून जजों की बैंकच द्वारा सुनी जायेगी।

(4) प्रत्येक अपील यथासंभव शीघ्रता से निर्णीत की जायेगी और यह प्रवास किया जायेगा कि हाईकोर्ट में अपी का स्मृति—पत्र प्रस्तुत किये जाने के तीन महीने के भीतर अपील अन्तिम रूप से समाप्त हो जाय।

(5) हाईकोर्ट का निबन्धक अपील पर दी गई हाईकोर्ट की आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार को सूचनार्थ भेजेगा।

(6) जब धारा 69 के खंड (ख) के अधीन आज्ञा के विरूद्ध कोई अपील की जाय तो हाईकोई पर्याप्त कारण प्रदर्शित करने पर उस आज्ञा की कार्यान्विति स्थगित कर सकता है, जिसके विरूद्ध अपील की गई हो तथा ऐसी दशा में यह समझा जायेगा कि धारा 77 के अधीन आज्ञा कभी प्रभावी नहीं हुई तथा जब तक अपील खारिज न कर दी जाय, आज्ञा प्रभावशील न हो सकेगी।

75. **आज्ञाओं तथा निर्णयों की अंतिमता**—धारा 74 के अधीन अपील होने पर हाईकोर्ट का निर्णय तथा केवल ऐसे निर्णय केक अधीन रहते हुए ही धारा 69 अथवा 70 के अधीन दी हुई जिला जज की आज्ञा अन्तिम एवं निश्चायक होगी।

76. **आज्ञा का संवहन**—धारा 69 तथा 70 के अधीन दी गयी अपनी आज्ञाओं की घोषणा करने के बाद जिला जज एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा।

77. **आज्ञा का प्रभावी होना**—धारा 69 अथवा 70 के अधीन जिला जज द्वारा दी गयी कोई आज्ञा उस दिन के, जिस पर उसकी घोशण की गयी हो, बाद वाले दिनांक से प्रभावी होगी।

78. **भ्रष्टचरण**—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित भ्रष्टाचरण समझे जायेंगे :—

(1) घूस देना, अर्थात् उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता अथवा किसी अन्य वयक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को कोई परितोष (gratification) का दन, समुपस्थान अथवा

उसके लिए वचन देना (gift, offer or promise) जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से—

(क) किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न होने के लिए अथवा अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए; अथवा निर्वाचन लड़ने से हटा जाने के लिए; अथवा

(ख) किसी निर्वाचक को निर्वाचन में मत देने अथवा न देने के लिए प्रेरित करना हो; अथवा जो—

(1) किसी व्यक्ति को, जो इस प्रकार उम्मीदवार के रूप में खेड़े होने या न खड़े होने के लिए, अथवा अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए अथवा चुनाव पड़ने से हट जाने के लिए अथवा

(2) किसी निर्वाचक को मत देने के लिए अथवा न देने के लिए;

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए शब्द ''परितोषण'' (gratification) ऐसी पास्तुष्टियां तक ही सीमित नहीं है जो धन के रूप में हो अथवा जिन्हें धन के रूप में व्यक्त किया जा सके अपितु इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के मनोरंजन (entertainment) तथा पुरस्कारार्थ सभी प्रकार के नियोजन (emplyment) भी सम्मिलित है।

(2) अनुचित प्रभाव डालना अर्थात् किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी निर्वाचन में निर्वाचन संबंध किसी अधिकार के स्वंत्रत प्रयोग में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना अथवा हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करना :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) इस खंड के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें उल्लिखित कोई व्यक्ति, जो—

(1) किसी उम्मीदवार को अथवा किसी निर्वाचक को अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसमें वह उम्मीदवार अथवा निर्वाचक अभिरूचि रख्ता हो, किसी भी प्रकार की हानि पहुॅचाने की धमकी देता है, जिसमें सामाजिक बहिष्कार (social ostractism) और किसी जाति अथवा सम्प्रदाय से अलग कर देना (ex-comunication or expulsion) भी सम्मिलित है; अथवा

(2) किसी उम्मीदवार को अथवा निर्वाचक को ऐसा विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है अथवा प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह अथवा अन्य कोई व्यक्ति, जिसमें वह अभिरूचि रखता है, दैवी प्रकोप अथवा आध्यात्मिक अपराज (divine displeasure or qpiritual censure) का भागी होगा या बना दिया जायेगा;

तो यह समझा जायेगा कि वह व्यक्ति इस खण्ड के अर्थ में उक्त उम्मीदवार अथवा निर्वाचक के निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारी के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप कर रहा है;

(ख) किसी सार्वजनिक नीति की घोषणा अथवा किसी सार्वजनिक कार्यवाही का वचन अथवा किसी ऐसे विधिक अधिकार का प्रयोग जिसका उद्देश्य निर्वाचन संबंधी अधिकारों में हस्तक्षेप करना न हो, इस खंड के अर्थ में हस्तक्षेप न हीं समझे जायेगें।

(3) जाति, मूलवंश, समाज अथवा धर्म अथवा प्रथा के आधार पर उम्मीदवार अथवा उसके अभिकर्ता अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा मत देने अथवा मत न देने के लिए क्रमबद्ध अपील अथवा उम्मीदवार के निर्वाचन की सफलता की सममुन्नत करने के लक्ष्य से धार्मिक चिन्हों के प्रति अपील अथवा राश्ट्रीय चिन्होंक जैसे कि राष्ट्रध्वज अथवा राष्ट्रप्रतीक का प्रयोग अथवा उनके प्रति अपील।

(4) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी अथवा उम्मीदवारी की वापसी अथवा चुनाव लड़ने से हटने के संबंध में ऐसे तथ्य के प्रकथन का प्रकाशन जो असत्य हो, और जिन्हें या तो वह असत्य समझता हो, अथवा जिसका सत्यता में उसे विश्वास न हो और जो उस उम्मीदवार के चुनाव के सुयोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तितः आयोजित हो।

(5) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता का किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम में वह चाहे जीवित हो या मृत अथवा किसी बनावटी नाम में अथवा अपने ही नाम से, जब कि वह व्यक्ति उसी या दूसरे कक्ष में पहले ही मतदान कर चुकने के फलस्वरूप मत देने का अधिकारी न हो, शलाका पत्र के लिए प्रार्थना करवाना अथवा प्रार्थना करने में प्रोत्साहन देना अथवा प्रार्थना कराने का प्रयत्न करना।

(6) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वयं उम्मीदवार के अथवा उसके परिजनों अथवा अभिकर्ता से भिन्न किसी निर्वाचक की धारा 46 के अधीन प्रचरित आज्ञा द्वारा व्यवस्थित मतदान स्थल तक अथवा वापस ले जाने के लिए धनराशि देकर अथवा अन्य या किसी वाहन अथवा यान (vchicle or vessel) का किराये पर लेना या अन्यथा प्राप्त करना;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी एक निर्वाचक द्वारा अथवा कई निर्वाचकों द्वारा संयुक्त लागत पर उसे या उन्हें किसी मतदान स्थल तक अथवा मतदान के लिए, निश्चित स्थान तक और वापस लाने ले जाने के प्रयोजन से किसी वाहन या यान का किराये पर लिया जाना इस खंड के प्रयोजन के निमित्त भ्रष्टाचरण न होगा, यदि इस प्रकार किरये पर लिया गया वाहन या यान ऐसा वाहन या यान हो, यांत्रिक शक्ति द्वारा परिचालित न होता होः

और प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी निर्वाचक द्वारा अपनी लागत पर किसी मतदान स्थल तक अथवा मतदान के लिए निश्चित स्थान तक जाने और वापस आने के लिए किसी सार्वजनिक परिवहन के वाहन तथा यान के अथवा किसी ट्रैप या रेल के डिब्बे का प्रयोग इस खंड के प्रयोजन के निमित्त भ्रष्टाचरण न समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण–इस खंड के पद ''वाहन'' से तात्पर्य है कोई ऐसा वाहन, जो सड़क परिवहन में प्रयुक्त किया जाय अथवा प्रयोग के किये जाने के योग्य हो, चाहे वह यांत्रिक, शक्ति द्वारा परिचालित होता हो अथवा अन्य किसी प्रकार से अथवा चाहे वह अन्य वाहनों को खींचने के लिए अथवा अन्य किसी प्रकार से प्रयुक् त होता हो।

(7) किसी उम्मीदवार अथवा उसके अभिकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकार की सेवा में संलग्न तथा निम्नलिखित वर्गो से संबद्ध किसी भी व्यक्ति से उक्त उम्मीदवार के निर्वाचन को सफलता की संभावना को समुन्नत करने के लिए (मत देने से भिन्न) अन्य कोई सहायता प्राप्त करने या प्राप्त करवाने के लिए प्रेरित अथवा प्रयास करना–

(क) गजटेड अधिकारी;

(ख) वेतन भोगी जज और मजिस्ट्रेट;

(ग) भारत संघ की सशस्त्र सेनाओं के सदस्य;

(घ) पुलिस दल के सदस्य;

(ङ) आबकारी विकास के अधिकारी;

(च) माल विभाग के अधिकारीगण, जिनके अन्तर्गत गांव के एकाउन्टेन्ट जैसे पटवारी, लेखपाल, तलती, कारनाम तथा उनके समकक्ष अधिकारीगण किन्तु इसके अन्तर्गत अन्य ग्राम्य अधिकारी गण नहीं है; तथा

(छ) राज्य की सेवा में संलग्न अन्य ऐसे व्यक्तियों के वर्ग जो नियत किये जाय।

79. **निर्वाचनों से सम्बद्ध विवादों के निर्णय संबधी नियम**—राज्य सरकार निम्नलिखित विशयों के संबंध में नियम बना सकती हैं :—

(क) निर्वाचन आवेदनों की सुनवाई करने वाले जिला जजों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक;

(ख) निर्वाचन आवेदनों की समाप्ति ओर वापसी;

(ग) अनुपस्थित अथवा असंचालन (non-prosecution) अथवा न्यायालय की आज्ञाओं के तथा इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्न्तर्गत दी गयी आज्ञाओं के अपालन (non-prosecution) के फलस्वरूप निर्वाचन आवेदनों को खारित (disimissal) करना;

(घ) आवेदनों की सुनवाई की प्रक्रिया;

(ङ) निर्वाचन आवेदनों की सुनवाई करने वाले जिला जज के अधिकार;

(च) सुनवाई का स्थान (place of trial);

(छ) प्रतिभूति एवं अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करना;

(ज) जमा की गयी प्रतिभूति की वापसी अथवा जब्ती (forfeiture);

(झ) धारा 70 के अधीन प्रदत्त (awarded) व्यय की प्राप्ति;

(ञ) पक्षों (parties) को स्थापन्न करना (substituion);

(ट) निर्वाचन आवेदनों के निर्णयाभिलेखों का रखा जाना तथा छांटा जाना;

(ठ) अन्य विषय, जिनकी राज्य सरकार की राय में व्ययवस्था करना आवश्यक हो।

80. **निर्वाचन अपराधों तथा भ्रष्टाचरणों के कारण अनर्हतायें**—(1) इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 171—ई या 171—एफ के अधीन कारावास से दंड्य अपराध तथा रिप्रेजेटेंशन आफ दि पीपुल एक्ट, 1951, जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों पर धारा 48 द्वारा प्रवृत्त किया गया हो, की धारा 135 अथवा धारा 136 के अधीन दंड्य अपराध निगम की सदस्यता के लिए अनर्हत उत्पन्न करेंगें।

(2) धारा 78 में निर्दिष्ट भ्रष्टाचार निगम की सदस्यता के लिए अनर्हता उत्पन्न करेंगें।

(3) अनर्हता की अवधि उप—धारा (1) के अधीन अनर्हता के संबंध में दोष—सिद्धि के दिनांक के आरम्भ से तथा उपधारा (2) के अधीन अनर्हता के सम्बन्ध में जिला जज द्वारा धारा 70 के अधी न दी गयी उपपति (finding) के धारा 77 के अधीन प्रभावी होने के दिनांक से 5 वर्ष की होगी।

कुछ अन्य विषय

81. **षपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने से पूर्व अथवा अर्ह न होने की दशा में स्थान ग्रहण करने या मत देने पर दंड**—यदि कोई व्यक्ति निगम के नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख अथवा सदस्य के रूप में निगम के किसी अधिवेशन या उसकी किसी समिति की बैठक में धारा 85 की उपधारा (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन किये बिना, अथवा यह जानते हुए कि वह यथास्थिति नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख {***} या सभासदइ होने के लिए अर्ह नहीं है अथवा अनर्ह है, स्थान ग्रहण करता है अथवा मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए जिस पर वह उक्त प्रकार से स्थान ग्रहण करता है अथवा मत देता है, दंड

स्वरूप 50 रू0 जुर्माना देने का भागी होगा, जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूल किया जायेगा।

82. **अनर्हता से सम्बद्ध प्रश्नों का राज्य सरकार द्वारा निर्णय**—यदि वह प्रश्न उठ खड़ा हो कि निगम का कोई सदसय धारा 25 में उल्लिखित किसी अनर्हता से ग्रस्त है अथवा नहीं, तो वह प्रश्न निर्णयार्थ राज्य सरकार को विहित रीति से निर्दिष्ट कर दिया जायेगा और इस संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

83. सदस्यों का हटाया जाना—(1) राज्य सरकार निगम आिवा उसकी किसी सिमति के किसी सदस्य को निम्नलिखित किसी भी आधार पर हटा सकती है—

(क) कि उसने धारा 25 के खंड (ङ) में निर्दिष्ट विषय में किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसमें प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षः उसका कोई निजी स्वार्थ हो अथवा जिसमें वह अपने वाद ग्राहक (client), निर्देश (Principal) अथवा किसी व्यक्ति की ओर से वृत्तिक रूप से (Professionally) अभिरूचि रखता हो, यथास्थिति {***} सभासद या किसी समिति के सदस्य के रूप में मत देकर अथवा उनकी चर्चाओं में भाग लेकर कार्य किया हो;

(ख) कि वह उक्त सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य पालन में शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है।

(ग) कि उक्त सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य के पालन में घोर दुराचार का दोषी रहा है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन हटाये जाने की आज्ञा राज्य सरकार द्वारा न दी जायेगी तब तक कि आज्ञा से संबद्ध {***} सभासद अथवा समिति के सदस्य को इस बात का कारण बताने का उचित अवसर न दे दिया गया हो कि उसे ऐसी आज्ञा क्यों न दी जाय।

(2) किसी व्यक्ति को सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ही हटाया जायेगा तथा वह हटाया जाना विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगा।

(3) राज्य सरकार किसी सदस्य को जो राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट किये गये किसी भयंकर संसर्मजस्य रोगों में किसी से ग्रस्त हो, निगम अथवा उसकी किसी समिति, संयुक्त समिति अथवा उप—समिति के अधिवेशन में उपस्थित न होने का निदेश दे सकती हैं तथा कोई सदस्य जिसे इस प्रकार निदेश दिया गया हो, निगम या उसकी समिति, संयुक्त समिति अथवा उप—समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने का तब तक अधिकारी न होगा जब तक कि राज्य सरकार के संतोषानुसार उसके इस बात का प्रमाण देने पर कि वह उस रोग से मुक्त हो गया है, राज्य सरकार निदेश वापस नहीं ले लेती।

(4) कोई भी वह व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन निगम की सदस्यता से हटाया जा चुका हो, हटाये जाने के दिनांक से 4 वर्ष तक के लिए निगम के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने अथवा सदस्य होने से अनर्ह रहेगा, तथा कोई भी वह व्यक्ति, जो निगम की किसी समिति से हटाया गया हो, हटाये जाने के दिनांक से 4 वर्ष तक के लिए उस समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने अथवा उसक सदस्य होने के लिए अनर्ह रहेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी भी समय इस अनर्हता को हटाने की आज्ञा दे सकती है।

84. {***}

85. **सभासदों इत्यादि द्वारा निष्ठा की शपथ लिया जाना**–(1) इंडियन ओथ्स ऐक्ट, 1872 में किसी बात के होते हुए, भी प्रत्येक व्यक्ति, जो सभासद {***} निर्वाचित हो अथवा विकास समिति के सदस्य के रूप में संयोजित हो तथा प्रत्येक व्यक्ति, जो नगर प्रमुख निर्वाचित हो गया हो अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व निम्नलिखित रूप से षपथ लेगा, अथवा प्रतिज्ञान करेगा, अर्थात् :

''मैं .... क, ख, जो निगम का, सभासद {***} नगर प्रमुख/निर्वाचित, विकास समिति का सदस्य संयोजित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाये रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा।

(1–क) निगम की धारा 9 के अधीन संगठन का धारा 538 अथवा धारा 539 के अधीन पुनसंगठन हो जाने के सात दिन के भीतर मुख्य नगराधिकारी निर्वाचित घोषित किये गये नगर प्रमुख, और सभासदों का एक अधिवेशन बुलाएगा। डिवीजन का कमिशन और उसकी अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट नगर प्रमुख को शपथ दिलाएगा या प्रतिज्ञान कराएगा और तत्पश्चात् नगर प्रमुख ऐसे सभासदों {***} को, जो उपस्थित हों, शपथ दिलाएगा या प्रतिज्ञान कराएगा।

(2) कोई व्यक्ति जो सभासद या नगर प्रमुख {***} निर्वाचित हो चुका हो अिवा जो विकास समिति का कोई संयोजित सदस्य हो, अपनी पदावधि के प्रारम्भ से ती न महीने के भीतर या उक्त दिनांक के पश्चात् आयोजित निगम के प्रथम तीन अधिवेशनों में से किसी एक में, दोनों में से जो भी परवर्ती हो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट तथा एतदथ अपेक्षित शपथ अथवा प्रतिज्ञान न करे तो वह अपने पद पर आसीन न रहेगा और उसका पद रिक्त समझा जायेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने की अपेक्षा की गई है, निगम के किसी अधिवेशन में अथवा विकास समिति का सदस्य संयोजित होने की दशा में उस समिति के किसी अधिवेशन में उस समय तक न तो स्थान ग्रहण करेगा और न यथास्थिति सभासद, {***} अथवा नगर प्रमुख अथवा विकास समिति के सदस्य के रूप में कोर्ठ कार्य ही करेगा जब तक कि उसने उपधारा (1) में निर्दिष्ट शपथ न ली हो अथवा प्रतिज्ञान किया हो।

86. **निर्वाचन व्यय**–(1) किसी नगर की निर्वाचन सुचियों को तैयार करने तथा उनके पुनरीक्षण तथा उस नगर के लिए इस अधिनियम के अधीन संचालित निर्वाचनों के संबंध में किए गए समस्त व्यय, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा आदेश न दे, राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से और उसके द्वारा निर्दिष्ट अवधि (extent) पर्यन्त निगम पर भारित होंगे तथा उन्हें निगम से वसूल किया जा सकेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी अथवा निर्वाचन का संचालन करने का उत्तरदायी कोई पदाधिकारी निगम को यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसी धनराशि दे जो उस निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक हो और तत्पश्चात् निगम निर्वाचन अधिकारी अथवा अन्य संबद्ध पदाधिकारी को उक्त धनराशि उपलब्ध कराएगा।

87. नियम बनाने का अधिकार–(1) राज्य सरकार विहित किए जाने वाले विषयों के सम्बन्ध में किन्तु जो अधिनियम में अथवा आज्ञा द्वारा विहित नहीं किए गए हैं नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :–

(क) नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख {***} या सभासद के निर्वाचन तथा नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख {***} अथवा सभासद के स्थान की रिक्ति की विज्ञप्ति की रीति;

(ख) कार्यकारिणी समिति, विकास समिति तथा धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन संगठित समितियों के सदस्यों के निर्वाचन की तथा विकास समिति के सदस्येां के संयोजन की रीति;

(ग) कार्यकारिणी समिति तथा विकास समिति के उप सभापति (vice-Chairman) के निर्वाचन की तथा धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन संगठित समितियों के सभापति तथा उप सभापति के निर्वाचन की रीति;

(घ) मुख्य नगराधिकारी के अधिकतम वेतन और भत्ते;

(ङ) किसी सदस्य की अनर्हता के सम्बन्ध में धारा 82 के अघीन किसी प्रशन के प्रतिप्रेक्षण (referece) की रीति;

(च) यह जानने की प्रक्रिया की धारा 25 तथा 83 के प्रयोजनों के निमित्त कोई सदस्य किसी भयानक रोग से पीड़ित है या नहीं;

(छ) धारा 85 के अधीन शपथ ग्रहण करने से सम्बद्ध विषय।

अध्याय 3
निगम, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति तथा अन्य समितियों की कार्यवाहियां

88. निगम के अधिवेशन–(1) निगम के कार्यो के सम्पादनार्थ प्रतिवर्ष कम से कम उसके 6 अधिवेशन होंगे तथा उसकी अन्तिम बैठक और आगामी अधिवेशन की पहली बैठक के लिए निश्चित दिनांक के बीच दो महीने से अधिक का अन्तर नहीं होने पायेगा।

(2) नगर प्रमुख और उसकी अनुपस्थिति में उप नगर प्रमुख जब उचित समझे निगम का अधिवेशन बुला सकता है तथा निगम के कुल सदस्यों की संख्या के छठे भाग से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर निगम का अधिवश्न अवश्य बुलायेगा। यह प्रार्थना पत्र यथास्थिति नगर प्रमुख अथवा उप नगर प्रमुख को उस पर हस्ताक्षर करने वाले किसी सदस्य द्वारा किया अथवा रजिस्ट्री से भेजा जा सकता है। ऐसे प्रार्थना पत्र पर अधिवेशन, प्रार्थना पत्र के दिये जाने अथवा तामीन किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर एक बुलाया जायेगा;

(2–क) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि प्रार्थना पत्र देने या तामील किए जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर अधिवेशन बुलाया जा चुका हो तो यथास्थिति, नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख उक्त प्रार्थना पत्र पर अलग से अधिवेशन बुलाने के बजाय, धारा 91 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पहले से ही बुलाए गए अधिवेशन में सम्पादित किये जाने वाले कार्यो की सूची में, ऐसे प्रार्थना पत्र में उल्लिखित विषयों की सम्मिलित कर सकता है, और तदुपरान्त ऐसा अधिवेशन ऐसे प्रार्थना पत्र पर बुलाया गया अधिवेशन भी समझा जायेगा।

(2–ख) नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख, यथास्थिति उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे सदस्यों के प्रार्थना–पत्र पर बुलाए गए अधिवेशन से भिन्न अधिवेशन को, ऐसी सूचना देकर, जिसकी उप विधियों द्वारा तदर्थ व्यवस्था की जाय, स्थगित कर सकता है।

(3) निगम का प्रत्येक अधिवेशन जनता के लिए खुला रहेगा जब तक कि पीठासीन अधिकारी यह न समझे कि जनता अधिवेशन के समस्त अथवा किसी भाग की अवधि में अपवर्जित कर दी जाय।

89. **कार्यकारिणी समिति के आदि के अधिवेशन**–(1) कार्य का सम्पादन करने के लिए कार्यकारिणी समिति, विकास समिति कक्ष समिति अथवा धारा 5 के अधीन निर्मित अन्य किसी समिति का अधिवेशन प्रति मास कम से कम एक बार अवश्य होगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित किसी समिति का सभापति (Chairman) अथवा उसकी अनुपस्थिति में उप–सभापति (Vice-Chairman) जब वह उचित समझे, समिति का अधिवेशन बुला सकता है ओक्र समिति के सदस्यों की कुल संख्या के एक चौथाई से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित रूप में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर समिति का अधिवेशन अवश्यक बुलायेगा।

90. **गणपूर्ति**–(1) यदि किसी विशेष संकल्प द्वारा कोई कार्य सम्पादित करना अपेक्षित है तो ऐसे कार्य के सम्पादनार्थ गणपूर्ति, यथास्थिति निगम अथवा समिति के सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होगी।

(2) उपधारा (3) में उपबन्धित, व्यवस्था को छोड़कर अन्य दशा में निगम कार्यकारिणी समिति, विकास समिति, कक्ष समिति अथवा धारा 5 के अधीन निर्मित अन्य किसी समिति के किसी अधिवेशन में जब तक कोई कार्य सम्पादित न किया जायेगा जब तक कि सम्पूर्ण अधिवेशन में कुल सदस्यों की कम से कम 1/5 संख्या उपस्थित न रहे।

(3) यदि कोई अधिवेशन नहीं होता अथवा गणपूर्ति के अभाव से अपना कार्य–संपादन जारी नहीं रख सकता है तो अधिवेशन का अधिष्ठाता (Presiding Officer) यह आदेश देगा कि ऐसे समय अथवा स्थान पर, जिसे वह उचित समझेक, अधिवेशन बुलाया जाय और तत्पश्चात मुख्य नगराधिकारी सभी सदस्यों को ऐसे अधिवशेन के समय और स्थान की सूचना देगा औा वह कार्य जो मूल अधिवेशन में लाया जायेगा और सामान्य रीति से सम्पादति किया जायेगा, किन्तु इसके लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता न होगी।

91. **अधिवेशन और कार्यो की सूचना**–(1) स्थगित किए गए अधिवेशन के अतिरिक्त अन्य सभी अधिवेशनों में सम्पादित होने वाले कार्यो की सूची यथास्थिति निगम कार्यकारिणी समिति, विकास समिति, कक्ष समिति अथवा धारा 5 के खंड (ङ) के अधी न निर्मित किसी समिति के प्रत्येक सदस्य के अपने दिए हुए पते पर भेज दी जायेगीं यह सूची ऐसे अधिवेशन के लिए निश्चित से निगम के अधिवेशन की दशा में कम से कम 96 घंटे पूर्व तथा उपर्युक्त अन्य समितियों के अधिवेशन की दशा में कम से कम 72 घंटे पूर्व दी जायेगी और उपधारा (2) में उपबन्धित अवस्था को छोड़कर, इस अधिनियम में उस काग्र के अलावास जिसकी सूचना दी गयी है, अन्य कोई भी कार्य न तो लाया जायेगा ओर न सम्पादित किया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि पूर्वोक्त कार्यो की सूची डाक द्वारा भेजी जाय तो वह डाक द्वारा भेजने के प्रमाण पत्र के अधीन भेजी जायेगी (under Certificate of posting)।

(2) यथास्थिति निगम अथवा उपधारा (1) में उल्लिखित किसी समिति का कोई सदस्य किसी ऐसे संकल्प मय उसकी एक प्रतिलिपि के, की नोटिस मुख्य नगराधिकारी को भेजेगा अथवा देगा, जिसे वह किसी ऐसे अधिवेशन में प्रस्तावित करना चाहता है जिसकी नोटिस उपधारा (1) के अधनी दी गयी है। यह नोटिस अधिवेशन के लिए निश्चित दिनांक से निगम के अधिवशेन की दशा में कम से कम 48 घंटे पूर्व और किसी समिति के अधिवेशन की दशा में कम से कम 24 घंट पूर्व दी जोयगी और तत्पश्चात् मुख्य नगराधिकारी संकल्प को ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, जितना शीघ्र हो सके, प्रत्येक सदस्य के पास घुमवा देगा। इस प्रकार भेजे गए किसी संकल्प पर, जब तक अधिवेशन अन्यथा निश्चित न करे अधिवेशन में विचार किया जायेगा और उसका निस्तारण किया जायेगा।

92. **निगम के अधिवेशनों में बहुमत द्वारा निर्णय**—निगम अथवा उसी किसी समिति द्वारा निर्णय के लिए अपेक्षित समस्त विषय, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित व्यवस्था को छोड़कर अधिवेशन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।

{***}

(2) समस्त अधिवेशन में मत हाथ उठा कर दिये जायेंगे, किन्तु निगम द्वारा बनायी जाने वाली उपविधियों में यह व्यवस्था की जा सकती है कि कोई प्रश्न अथवा प्रश्न वर्ग, जो निर्दिष्ट किया जाय, गूढ़ शलाका (Secret ballot) द्वारा निर्णीत किया जायेगा।

(3) किसी अधिवेशन में, जब तक उपस्थित सदस्यों की कम से कम एक चौथाई संख्या द्वारा मतदान की मांग नहीं की जाती, ऐसे अधिवेशन में अधिष्ठाता द्वारा की गयी इस आशय की कोई घोषणा कि संकल्प मान लिया गया अथवा गिर गया है और कार्यवाही के विवरण में इसी आशय की प्रविष्टि, बिना इस प्रमाण के कि इस संकल्प के पक्ष अथवा विपक्ष में प्राप्त कितने मत अभिलिखि हुए हैं अथवा मतों का कौन—सा अनुपात अधिलिखित हुआ है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतदर्थ निश्चयात्मक साक्ष्य होगी।

(4) यदि किसी अधिवशेन में उपस्थिति सदस्यों की कम से कम एक—चौथाई संख्यि मतदान की मांग करे तो अधिशठाता के आदेशों के अनुसार उपस्थिति सदस्यों के, जो मत देना चाहें, मत लिए जायेगें और ऐसे मतदान का परिणाम उस अधिवेशन निगम का संकल्प समझा जायेगा।

93. **निगम की कार्यकारिणी समिति आदि के अधिवेशन का स्थगन**—निगम अथवा धारा 89 में उल्लिखित किसी समिति के किसी अधिवेशन का, जिसमें गणपर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या उपस्थित हो, अधिष्ठाता उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति से समय—समय पर अधिवेशन को स्थगित कर सकता है।

94. **अधिवेशनों के अधिष्ठाता (Presiding Officer)**—(1) नगर प्रमुख ओर उसकी अनुपस्थिति में उप नगर प्रमुख निगम के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(2) किसी समिति के सभापति की अनुपस्थिति में उस समिति का उप सभापति समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(3) निगम की दशा में नगर प्रमुख तथा उप नगर प्रमुख और धारा 89 में उल्लिखित किसी समिति की दशा में सभापति और उप सभापति की अनुपस्थिति में, किसी अधिवेशन में, उपस्थिति सदस्यगण अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से ही किसी सदस्य का निर्वाचन करेंगे।

(4) धारा 17 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निगम अथवा किसी समिति के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति निगम अथवा समितियों के समक्ष किसी प्रस्ताव पर अपना मत दे सकता है और मतों की समानता की दशा में एक निर्णायक मत भी दे सकता है।

95. विशेष समितियां तथा संयुक्त समितियां–(1) निगम अपने अधिकारों, कर्तव्यों अथवा कृत्यों से संसक्त किसी मामलें की जांच करने तथा उसस पर प्रतिवेदन (report) देने के लिए विशेष संकल्प द्वारा समय–समय पर एक विशेष समिति का संगठन कर सकती है, जो ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों से, यदि कोई हो, मिल कर बनेगी जिन्हें वह एतदर्थ योग्य समझे। विशेष समिति के प्रत्येक सदस्य को समिति में बोलने तथा उसमें अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा परन्तु किसी भी व्यक्ति को, जो निगम का सदस्य नहीं है, समिति के किसी अधिवेशन में मत देने का अधिकार न होगा।

(2) निगम द्वारा धारा 5 में उल्लिखित समितियों से किसी दो अथवा दो से अधिक समितियों की ऐसे मामलों के लिए, जिनमें इन समितियों का संयुक्त हित हो, संकल्प द्वारा समय–समय पर एक संयुक्त समिति की स्थापना कर सकती है।

(3) प्रत्येक विशेष समिति अथवा संयुक्त समिति ऐसे समस्त आदेशों का पालन करेगी, जो निगत द्वारा समय–समय पर उसे दिए जायें।

(4) निगम किसी भी समय किसी विशेष समिति अथवा संयुक्त समिति को विघटित (dissolve) अथवा उसके विधान को परिवर्तित (alter) कर सकती है अथवा किसी विशेष समिति की प्रतिनिधानित कोई अधिकार, कर्तव्य अथवा कृत्य उससे वापस ले सकती है।

(5) प्रत्येक विशेष समिति तथा संयुक्त समिति अपने में से किसी एक सदस्य को सभापति नियुक्त करेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निगम का कोई भी सदस्य एक से अधिक विशेष समितियों अथवा संयुक्त समितियों का सभापति न हो सकेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी समिति का सभापति नियुक्त न किया जायेगा जो निगम का सदस्य न हो।

(6) किसी विशेष समिति अथवा संयुक्त समिति के अधिवेशन में सभापति की अनुपस्थिति में उस समिति के सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनेगें किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो निगम का सदस्य नहीं होगा इस पद के लिए नहीं चुना जायेगा।

(7) किसी विशेष समिति का प्रतिवेदन (report) यथाशक्य शीघ्र निगम के समक्ष रखा जायेगा और तत्पश्चात् निगम उसके संबंध में ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह उचित समझे अथवा ऐसी अन्य जांच पड़ताल करने तथा ऐसा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्मित्त, जिसके लिए वह आदेश दे, विशेष समिति को वापस भेज सकती है।

96. अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से कार्य सम्पादन–(1) निगम समय–समय पर निम्नलिखित के लिए छावनी के प्राधिकारी (cantoonment authority) अथवा अन्य किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा इन प्राधिकारियों के समवाय

(combination) के साथ मिल कर कार्य कर सकती है और यदि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो तो, ऐसा कार्य अवश्य करेगी–

(क) किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जिसमें उपर्युक्त सभी प्राधिकारियों का संयुक्त हित हो, उनके अपने–अपने निकायों में से एक संयुक्त समिति की स्थापना तथा ऐसी समिति के सभापति की नियुक्तिः

(ख) उक्त समिति को ऐसे निबन्धनों (terms) के, जो किसी संयुक्त कार्य के निर्माण और उसके भावी संधारण (maintenance) के संबंध में ऐसे प्रत्येक निकाय के लिए बन्धनकारी (binding) हों, बनाने का अधिकार और अन्य ऐसा अधिकार प्रतिनिधानित करना, जो इन निकायों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता हो; और

(ग) किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जिसके हेतु समिति की नियुक्ति की गयी है, ऐसी किसी समिति की कार्यवाहियों का विनियमन करने के निमित्त उपविधियां बनाना और उनमें संशोधन करना।

(2) यदि किसी मामलें के सम्बन्ध में निगम ने उपधारा (1) के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी की सहमति प्राप्त करने की प्रार्थना की हो और उस अन्य स्थानीय प्राधिकारी ने सहमति होने से इन्कार कर दिया हो तो राज्य सरकार पूर्वोक्त मामलें में छावनी प्राधिकारी से भिन्न उस अन्य प्राधिकारी की सहमति प्राप्त करने के लिए ऐसी आज्ञा जारी कर सकती है, जिसे वह उचित समझे तथा उक्त अन्य प्राधिकारी उस आज्ञा का पालन करेगा।

(3) यदि निगम तथा उक्त किसी अन्य प्राधिकारी के मध्य, जो इस धारा के अधीन निगम से मिल गई हो, कोई मतभेद उत्पन्न हो जाय तो उसे राज्य सरकार को भेज दिया जायगा तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम और बन्धनकारी होगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि सम्बद्ध प्राधिकारी कोई छावनी प्राधिकारी हो तो उस पर उक्त निर्णय तब तक बन्धनकारी न होगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार उसकी पुष्टि न करें।

(4) निगम छावनी प्राधिकारी अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा इन प्राधिकारियों के समवाय के साथ इन प्राधिकारियों की ओर से स्वयं चुंगी (octroi) अथवा सीमाकर (terminal tax) अथवा पथकर (tolls) लगाने के लिए समय–समय पर करार कर सकती है ऐसी दशा में लगाए गए करों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों नगर का क्षेत्र इतना बढ़ा दिया गया हो कि उसके अन्तर्गत वे क्षेत्र आते हों, जो ऐसे प्राधिकारी अथवा इन प्राधिकारियों के समवाय के नियंत्रण के अधीन हों।

(5) निगम जिन निबन्धनों (terms) पर उपधारा (1) अथवा उपधारा (4) के अधीन किसी छावनी प्राधिकारी अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा उन प्राधिकारियों के समवाय के साथ सम्मिलित होने का विचार करे वे लिखित रूप में रक्खें जायेगें तथा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन होंगे।

(6) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन उपधारा (5) में उल्लिति निबन्धन; समस्त सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारियों की सहमति से परिवर्तित अथ्वा विखण्डित (rescind) किए जा सकते हैं, और इस प्रकार को कोई परिवर्तन अथवा विखंडन ऐसे दिनांक से प्रभावी होगा जो परस्पर निश्चित कर दिया जाय तथा पूर्वोक्त स्थानीय प्राधिकारियां द्वारा निर्दिष्ट कर दिया जाय।

97.

उप–समितियां–(1) का

र्यकारिणी समिति, विकास समिति, कक्ष समिति, धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन नियुक्त कोई समिति, अथवा कोई संयुक्त समिति किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जिसके सम्बन्ध में उसे कार्यवाही करने का अधिकार हो और जो उसके मतानुसार अधिक उपयोगी ढंग पर किसी उप समिति द्वारा पूरा कियास जा सकता हो, एक अथवा एकाधिक उपसमितियों को नियुक्त कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई उप समिति ऐसे अधिकारों का उपयोग तथा ऐसे कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करेगी, जो उस नियुक्त करने वाली समिति समय–समय पर उसे प्रतिनिधानित करें; अथवा दें।

98. **प्रश्न करने का अधिकार**–नियमों द्वारा विहित शर्तो के अधीन रहते हुए कोई सभासद {***} इस अधिनियम की कार्यान्वित अथवा नगर के निगम षासन से सम्बद्ध किसी विशय पर प्रश्न कर सकता है।

99. **अन्य समितियों के अधिवेशनों में किसी समिति के सभापति की उपस्थिति**–नगर प्रमुख की अनुमति से निगम की किसी समिति का कोर्ठ सभापति निगम की किसी अन्य समिति के अधिवेशन में उपस्थित रह सकता है तथा उसमें भाशण कर सकता है परन्तु इस धारा के कारण वह इस समिति में मतदान का अधिकारी न होगा।

100. **नगर प्रमुख तथा उप नगर प्रमुख के पदों की रिक्ति**–जब कभी नगर प्रमुख तथा उप नगर प्रमुख दोनों के पद रिक्त हों तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे आदेशों (directions) के अधीन रहते हुए, जो विहित प्राधिकारी एतदर्थ दे, नगर प्रमुख अथवा उप नगर प्रमुख के निर्वाचित होने तक नगर प्रमुख के नैत्यिक (routing) कर्तव्यों का पालन करेगा।

101. **अधिवेशनों में मुख्य नगराधिकारी तथा अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति**–(1) मुख्य नगराधिकारी को निगम के अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत संगठित किसी समिति, समिति, संयुक्त समिति अथवा विशेष समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा वहां होने वाली चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा तथा वह पीठासीन अधिकारी की अनुमति से किसी भी समय कोई वक्तव्य अथवा वस्तुस्थिति संबंधी कोई स्पष्टीकरण दे सकता है, परन्तु उसे उस अधिवेशन में मत देने अथवा कोई प्रस्ताव (proposition) प्रस्तुत करने का अधिकार न होगा।

(2) निगम अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई समिति, विशेष समिति, संयुक्त समिति अथवा उप समिति निगम के किसी भी पदाधिकारी को आदेश दे सकती है कि वह उसके किसी ऐसे अधिवेशन में उपस्थित हो, जहां किसी ऐसे विषय पर चर्चा हो रही हो, जिस पर उस पदाधिकारी ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कोई कार्यवाही की हो और यदि किसी पदाधिकारी को ऐसे किसी अधिवेशन में उपस्थित होने के आदेश मिलते है तो यथास्थिति निगम समिति, विशेष समिति संयुक्त समिति अथवा उपसमिति के अपेक्षानुसार उससे को वक्तव्य देने अथवा वस्तुस्थिति का स्पष्टीकरण करने अथवा किसी विषय से, जिस पर उसने कार्यवाही की है, सम्बद्ध किसी ऐसी सूचना को प्रकट करने के लिए जो, उसके पास हो, अनुरोध किया जा सकता है।

(3) किसी भी ऐसे पदाधिकारी की जिसे राज्य सरकार ने विशेष रूप से एतदर्थ प्राधिकृत किया हो, निगम के अधिवशेन में उपस्थित रहने तथा उसमें किसी ऐसे

विषय पर भाषण देने का अधिकार होगा, जिसका प्रभाव उसे विभाग पर पड़ता हो अथवा जिसके संबंध में उसे विशेष ज्ञान हो।

(4) निगम राज्य सरकार से प्रार्थना कर सकती है कि वह किसी सरकारी विभाग के अध्यक्ष अथवा उस विभाग के किसी अन्य अधिकारी को निगम के अधिवेशन में उपस्थित होने का निदेश दे।

102. **निगम, कार्यकारिणी समिति इत्यादि की कार्यवाहियां**—कार्यकारिणी समिति, विकास समिति कक्ष समिति तथा उन सभी समितियों व उप—समितियों का अधिवेशन तथा उसके समक्ष आये हुए कार्यो का सम्पादन और निस्तारण द्वारा बनायी गयी उपविधियों द्वारा विहित रीति से किया जायगा।

103. **इस अध्याय के अधीन निर्मित उपविधियां**—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत तथा उनके अधीन रहते हुए निगम अपने और कार्यकारिणी समिति, विकास समिति कक्ष समिति तथा ऐसी समितियों जिनका निर्माण धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन .... समितियों तथा उपसमितियों के अधिवेशनों का आयोजन तथा उन अधिवेशनों में सम्पादित किये जाने वाले कार्यो का विनियम करने के लिए उपविधियां बना सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त अधिकारों की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए उपविधियों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(1) निगम सिमतियों और उप समितियों के अधिवेशनों का समय तथा स्थान;

(2) रीति, जिससे ऐसे अधिवेशनों की सूचना दी जायेगी;

(3) उक्त अधिवेशनों का प्रबन्ध तथा स्थगन और उनमें व्यवस्थित रूप से कार्य सम्पादन के विनियम, जिसके अन्तर्गत शांतिभंग करने के दोषी (guilty of disorly conduct) सदस्य को निकालना (withdrawal) अथवा उन्हें निलम्बित करना (suspension) भी है;

(4) निगम समिति अथवा उप समिति के अधिवेशनों की प्रक्रिया (procedure);

(5) विवरण पुस्तिका (minute book) तथा निगम, समितियों तथा उपसमितियों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखना;

(6) कार्यवाहियों के विवरणों तथा प्रतिवदेनों की जांच और शुल्क अदा करने पर अथवा अन्यि प्रकार से उसी प्रतियॉ सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों को दना;

(7) समितियों और उप समितियों का संगठन;

(8) किसी उप समिति को नियुक्त करने वाली समिति के समक्ष उप समिति के निर्णय की अपील;

(9) प्रश्न पूछने के अधिकारों से सम्बद्ध शर्ते तथा ऐसे प्रश्नों के उत्तर।

(3) इस धारा के अधीन निर्मित उपविधियां धारा 542, 543, 544, 546, 547 तथा 549 के अधीन होंगी।

104. **रिक्ति आदि के कारण कार्यवाहियां अमान्य न समझी जायेंगी**—(1) निगम अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति अथवा उप—समिति का कोई कार्य अथवा उसकी कार्यवाही इस कारण कि उसमें कोई रिक्ति थी, न तो अमान्य ही होगी और न उस पर आपत्ति ही की जायेगी।

(2) किसी व्यक्ति के जो सभासद {***} अथवा नगर प्रमुख अथवा उप नगर प्रमुख अथवा निगम के पीठासीन अधिकारी (presiding authority) अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति अथवा उप समिति के सभापति अथवा उप सभापति अथवा सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है, निर्वाचन अथवा उसकी नियुक्ति संबंध किसी अनर्हता अथवा त्रुटि के कारण यथास्थिति निगम अथवा किसी समिति अथवा उपसमिति के, जिसमें उक्त व्यक्ति ने भाग लिया है, किसी कार्य अथवा कार्यवाही को दोशपूर्ण नहीं समझा जायेगा (deemed to vitiate), किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिन व्यक्तियों ने उक्त कार्य अथवा कार्यवाही में भाग लिया हो उनका बहुमत ऐसा करने का अधिकारी रहा हो।

(3) जब तक अन्यथा सिद्ध न हो जाय निगम अथवा किसी समिति अथवा उप–समिति का प्रत्येक, अधिवेशन, ऐसी कार्यवाहियों के बारें में जिसका विवरण इस अधिनियम अथवा उपविधियों के अधीन तैयार तथा हस्ताक्षरित (signed) हो चुका हो, यथाविधि आयोजित और किया गया समझा जायेगा तथा अधिवेशन के समस्त सदस्यों के विषय में यह समझा जायेगा कि वे यथाविधि अर्ह रहे हैं, और यदि वे कार्यवाहियॉ किसी समिति अथवा उपसमिति की हों तो उस समिति अथवा उपसमिति के विषय में यह समझा जायेगा कि उसका यथाविध संगठन हुआ था और उसे विवरण पुस्तिका (minute book) में निर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अधिकार था।

105. **केवल अनियमितता के आधार पर कार्य और कार्यवाहियों पर आपतित करने के संबंध में प्रतिबन्ध**–इस अधिनियम के अधी न किये गये किसी कार्य अथवा कार्यवाही पर, प्रक्रिया में किसी ऐसे दोष अथवा अनियमितता के ही आधार पर, जिससे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, किसी न्यायालय में कोई आपत्ति न की जा सकेगी।

अध्याय 4
पदाधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग

106. **पदों का सृजन**–(1) ऐसी शर्तो के अधीन, जो विहित की जाये निगम अपने कार्यो के संचालनार्थ समय समय पर निम्नलिखित एक या एक से अधिक पदों का जैसा वह आवश्यक समझे, सृजन कर सकती है :–

(1) उप–नगराधिकारी;
(2) सहायक नगराधिकारी;
(3) मुख्य अभियंता;
(4) नगर स्वास्थ्य अधिकारी;
(5) मुख्य नगर लेखा परीक्षक; और
(6) पदाधिकारियों, कर्मचारी वर्ग तथा अन्य सेवकों के अन्य ऐसे पद जो उसके कृत्यों के कुशल सम्पादन के निर्मित आवश्यक हो।;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार इस आशय का आदेश देती है कि निगम किसी पद का सृजन करे तो उसके लिए उस पद का सृजन करना अनविार्य होगा :

और प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रथम प्रतिबन्ध के अधीन सृजित किसी पद की समाप्ति राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना न की जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन सृजित पदों पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हतायें वहीं होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये।

107. पदों पर नियुक्ति–(1) उप नगराधिकारी, सहायक नगराधिकारी, मुख्य अभियन्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक और ऐसे अन्य पदों पर, जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, नियुक्तियां राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् नगर प्रमुख द्वारा विहित रीति से की जायेगी, अन्य प्रकार से नहीं।

किन्तु प्रतिबनध यह है कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति जहां तक हो सके सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के उन अधिकारियों में से जिनको कि राज्य सरकार प्रति नियुक्ति (deputation) पर भेजना स्वीकार करे, की जायेगी तथा ऐसी दशा में राज्य के लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।

(2) ऐसे पदों पर जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट पदों में सम्मिलित नहीं हैं, पर नियुक्तियां राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् विहित रीति से की जायेंगी, अन्य प्रकार से नही। निगम के ऐसे पदाधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति का अधिकार–

(क) उन पदाधिकारियों एवं सेवकों के संबंध में जो मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ हों मुख्य नगर लेखा परीक्षक को; तथा

(ख) अन्य समस्त पदाधिकारियों एवं सेवकों के संबंध में मुख्य नगराधिकारी को; होगा।

(3) उपधारा (1), (2) तथा (5) में उल्लिखित नियुक्तियों को छोड़कर अन्य सब नियुक्तियां उपधारा (4) के अधीन संगठित चुनाव करने वाली समिति की सिफारिशों के अनुसार की जायेगी, और ऐसी नियुक्तियों का अधिकार–

(क) उन पदाधिकारियों एवं सेवकों के संबंध में जो मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ हों मुख्य नगर लेखा परीक्षक को; तथा

(ख) अन्य समस्त पदाधिकारियों एवं सेवकों के संबंध में मुख्य नगराधिकारी को; होगा।

(4) उपधारा (3) में उल्लिखित समिति (Selection Copmmittee) में मुख्य नगराधिकारी या उसके द्वारा नांमांकित व्यक्ति, मुख्य नगर लेखा परीक्षक तथा उस विभाग का अध्यक्ष जिसके लिए नियुक्ति करनी हो, होंगें। मुख्य नगराधिकारी तथा उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा एतदर्थ नामोर्दिष्ट किया गया सदस्य, चुनाव करने वाली समिति का सभापति होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगर अधिकारी या मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति के संबंध में जो ऊपर उल्लिखित समिति बनाई जायेगी उसमें मुख्य नगर अधिकारी या मुख्य नगर लेखा परीक्षक, जैसी भी दशा हो सभापति के रूप में होंगे तथा निगम के दो और पदाधिकारियों जिनकी कार्यकारिणी समिति नामोर्दिष्ट करेगी सदस्यों के रूप में होंगें

(5) निगम के इंजीनियरिंग, लो स्वास्थ्य और निगम के अन्य विभागों के ऐसे पदों पर जिनका वेतनमान उपधारा (3) में निर्दिष्ट पदो के वेतनमान से कम हो'' नियुक्तियां, निगम द्वारा एतदर्थ बनायी गयी किन्ही उपविधियों के अधीन रहते हुए, धारा 112 में उल्लिखित सम्बद्ध विभागाध्यक्षों द्वारा की जायेगी।

(6) नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी तथा राज्य के लोक सेवा आयोग के बीच मतभेद होने की दशा में मुख्य नगराधिकारी सम्बद्ध मामलें को राज्य सरकार को भेज देगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

108. **कतिपय पदों पर स्थानापन्न और अस्थायी नियुक्तियां**–धारा 107 में किसी बात के होते हुए भी उकत धारा की उपधारा (1), (2) और (3) में उल्लिखित पदों पर स्थानापन्न तथा अस्थायी नियुक्तियां उन उपधाराओं में निर्दिष्ट नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों द्वारा बिना राज्य के लोक सेवा आयोग के परामर्श के अथवा बिना चुनाव करने वाली समिति की सिफारिश प्राप्त किये, की जा सकती हैं, किन्तु यथास्थिति बिना राज्य के लोक सेवा आयोग के परामर्श के अथवा बिना चुनाव करने वाली समिति की सिफारिश के अनुसारण में ऐसी कोई नियुक्ति एक वर्ष से अधिक अवधि तक नहीं चलेगी और न कोई ऐसी नियुक्ति की जायेगी जिसके एक वर्ष से अधिक तक चलते रहने की आशा हो।

108.क **निगमों द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के अध्यापकों की नियुक्ति–क–** धारा 107 और 108 में किसी बात के होते हुए भी–

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में यथापरिभाषित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध और किसी नगर निगम द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय में किसी अध्यापक की नियुक्ति उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी; और

(ख) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अनुसार मान्यता प्राप्त और किसी नगर निगम द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था के अध्यापक या प्रधान की नियुक्ति उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

109. **सेवा की शर्ते** इत्यादि निगम के पदाधिकारियों, कर्मचारी वर्ग तथा अन्य सेवकों की उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्ते वहीं होगी, जिन्हें राज्य सरकार विहित करें।

110. **निगम के पदाधिकारियों के दण्ड की व्यवस्था**–निगम के किसी पदााधिकारी या लेखक को, जिस प्राधिकारी द्वारा वह नियुक्त किया गया था उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत न किया जायेगा न हटाया जायेगा न अन्य प्रकार से दण्डित किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उस पदाधिकारी या सेवक की स्थिति में जिसे धारा 107 के अधीन राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियुक्त किया जाना अपेक्षित है, सम्बद्ध प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह किसी ऐसे पदाधिकारी या सेवक को पदच्युत करने, हटाने या पंक्तिच्युत करने की आज्ञा देने के पूर्व विहित रीति से आयोग से परामर्श करें।

(2) निगम के पदाधिकारियों तथा सेवकों को दंडित होने के बाद अपील करने का वह अधिकार प्राप्त रहेगा जो विहित किया जाय।

111. **राज्य सरकार के नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार**–यदि धारा 107 में उल्लिखित कोई प्राधिकारी धारा 106 में उल्लिखित अथवा उसके अधीन सृजित किसी पद पर किसी उचित अवधि के भीतर नियुक्ति नही करता तो राज्य सरकार उस प्राधिकारी को उचित अवसर देने तथा राज्य के लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद, यदि आवश्यक हो, उस पद पर नियुक्ति कर सकेगी और तत्पश्चात् वह नियुक्ति समस्त प्रयोजनों के लिए संबद्ध प्राधिकारी द्वारा की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।

112. **कतिपय पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य**–(1) मुख्य नगराधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए अपर मुख्य नगर अधिकारी तथा सहायक नगराधिकारी, मुख्य नगराधिकारी के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेंगें, जिन्हें मुख्य नगराधिकारी एतदर्थ निर्दिष्ट करें।

(2) उपधारा (1) के अधीन उसे प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुसरण में अपर मुख्य नगर अधिकारी उपनगराधिकारी अथवा सहायक नगराधिकारी को उनके द्वारा सम्पादित समस्त कार्य तथा प्रयुक्त समस्त क्षेत्राधिकार सभी प्रयोजनों के लिए मुख्य नगराधिकारी द्वारा संपादित ओर प्रयुक्त समझे जायेंगें।

(3) मुख्य अभियंता नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक तथा अन्य ऐसे पदाधिकारी, जिन्हें राज्य सरकार निर्दिष्ट करें, निगम के विभागों के अध्यक्ष कहलायेंगे और ऐसे कर्तव्य का पालन तथा ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो उन पर इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन, अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधायन के अधीन आरोपित किये गये हों।

112.क— **सेवाओं का केन्द्रीकरण**—(1) धारा 106 से 110 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय ऐसे पदाधिकारियों और सेवकों की, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, एक या अधिक ऐसी सेवायें सृजित करने के लिए नियमों द्वारा व्यवस्था कर सकती है, जो राज्य की निगमों के लिए या निगमों, नगर पंचायतों नगर परिषदों ओर जल संस्थानों के लिए सामान्य हों, ओर किसी ऐसी सेवा में भर्ती करने की रीति और उनमें नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्ते विहित कर सकती है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के कुमायूं और गढ़वाल मण्डल में समविष्ट जिलों में नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों, या नगर पंचायतों, नगर पालिका परिशदों, नगर निगमों और जल संस्थानों के लिए सामान्य सेवाएं सृजित की जा सकेगी"।

(2) जब कोई ऐसी सेवा सृजित की जाय तो सेवा में सम्मिलित पदों पर काम करने वाले पदाधिकारियों और सेवकों तथा धारा 577 के खण्ड (ङङ) के उपखण्ड (1) के अधीन उन पदो के कर्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का सम्पादन करने वाले पदाधिकारियों और सेवकों को भी, यदि वे उपर्युक्त पाये जावें, विहित रीति से, अस्थायी या अन्तिम रूप से, सेवा में लिया जा सकता है और अन्य व्यक्तियों की सेवायें विहित रीति से समाप्त हो जायेंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि सेवा में ऐसे आमेलन से सेवा के किसी सदस्य के विरूद्ध ऐसे आमेलन के दिनांक के पूर्व किये गये किसी कार्य के संबंध में कोई अनुशासन की कार्यवाही करने या जारी रखने में कोई रूकावट न होगी।

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एसेसे नियमों में, उक्त उपधाराओं में अभिदिष्ट किन्हीं विषयों के संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की भी व्यवस्था की जा सकती है।

(4) पूर्ववर्ती उपधारा (1), (2) और (3) में या अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होतुए भी, राज्य सरकार, विहित दिनांक के पूर्व की गयी अस्थायी और तदर्थ नियुक्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किये बिना विनियमित करने के लिए भी नियमों द्वारा उपबनध कर सकती है।

112.ख— **आवश्यक सेवायें**—निगम की निम्नलिखित सेवाएं आवश्यक सेवाएं होगी:—

(क) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें;
(ख) जल—कल एवं यांन्त्रिक अभियन्त्रण सेवायें;
(ग) मेहतर;
(घ) रोशनी विभाग का कर्मचारी वर्ग;

(ङ) परिवहन सेवायें; और
(च) ऐसी अन्य सेवायें जो नियमों में निर्दिष्ट की जायें।

112.ग– आवश्यक सेवाओं के सदस्य बिना अनुमति के त्यागपत्र आदि न देंगें–आवश्यक सेवा का कोई सदस्य–

(क) (1) मुख्य नगराधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी पदाधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना; या

(2) बीमारी या ऐसी दुर्घटना के बिना जिससे कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाय या ऐसे अनय कारण के बिना जिसे मुख्य नगराधिकारी अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत पदाधिकारी पर्याप्त समझे; या

(3) मुख्य नगराधिकारी को तीन महीने का लिखित नोटिस दिये बिना–
न तो अपने पद से त्याग पत्र देगा, न अपने पद के कर्तव्यों से विलग होगा और न अपने कार्य पर अनुपस्थित रहेगा; और

(ख) न अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करेगा और न उन्हें पालन करने से इन्कार करेगा और न जान–बुझकर उनका पालन ऐसी रीति से करेगा कि मुख्य नगराधिकारी या ऐसे अन्य उपर्युक्त पदाकिारी की राय में अदक्षतापूर्ण हो।

112.घ– आपात की घोषणा करने का राज्य सरकार का अधिकार–(1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि आवश्यक सेवाओं में से किसी के कार्यकलाप के रूक जाने या बन्द हो जाने से नगर के जन समुदाय की सुरक्षा या स्वास्थ्य अथवा ऐसी सेवाओं को, जो जन समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक हों, बनाये रखने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि नगर में आपात विद्यमान है और ऐसी अवधि निर्दिष्ट करेगी जब तक ऐसी घोषणा लागू रहेगी।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन आपात की घोषणा लागू हो, तब ऐसी आवश्यक सेवाओं का, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जायें, कोई सदस्य, तत्समय प्रचलित किसी विधि या अनुबन्ध में किसी विपरीत बात के होते हुए भी–

(क) बीमारी या ऐसी दुघर्टना के बिना जिससे कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाय, न तो अपने कतव्यों से विलग होगा और न अपने काम पर अनुपस्थित रहेगा और

(ख) न अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करेगा और न उन्हें पालन करने से इन्कार करेगा और न जान–बुझकर उनका पालन ऐसी रीति से करेगा कि मुख्य नगराधिकारी या ऐसे अन्य उपर्युक्त पदाकिारी की राय में अदक्षतापूर्ण हो।

113. नियम बनाने का अधिकार
–(1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों के प्रभावी बनाने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस नियमों में निम्नलिखित बातों की व्यवस्था की जा सकती है–

(क) निगम के कार्य संचालनार्थ सृजित पदों पर नियुक्ति किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हतायें तथा भर्ती की रीति;

(ख) धारा 106 की उपधारा (1) के खंड (6) के अधीन सृजित पदाधिकारियों, कर्मचारी वर्ग तथा अन्य सेवकों के पदों के नाम (designation) तथा वेतनक्रम (grade);

(ग) अस्थायी और स्थानापन्न (officiating) रूप से व्यक्तियों की नियुक्ति;

(घ) पूर्वोक्त पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के वेतन उपलब्धियां और अन्य भत्ते;

(ङ) निगम के पदाधिकारियों, कर्मचारी वर्ग और अन्य सेवकों की छुट्टी, दंड व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत पदच्युति अथवा नौकरी से हटाया जाना भी होगा, अपील अनुशासन संबंधी अन्य कार्यवाहियां तथा सेवा की शर्ते;

(च) पदाधिकारियों को निगम के विभागाध्यक्षों के रूप में निर्दिष्ट करना; और

(छ) धारा 112–क के अधीन म्युनिसिपल सेवायें सृजित करना तथा उनमें भर्ती करना, वर्तमान पदाधिकारियों तथा सेवकों को उनमें लेना, और ऐसे पदाधिकारियों तथा सेवकों का स्थानान्तरण, छुट्टी, दण्ड जिसके अन्तर्गत पदच्युति और हटाया जाना भी है, अपील तथा अन्य अनुशानिक विषय और सेवा की अन्य शर्ते।

अध्याय 5
निगम और उनके प्राधिकारियों के कर्तव्य और अधिकार

114. **निगम के अनिवार्य (Obligatory) कर्तव्य**–निगम का यह अनिवार्य कर्तव्य होगा कि वह निम्नांकित विषयेां में से किसी भी ऐसे साधन या उपाय (means or measures) द्वारा, जिसका प्रयोग करने या जिसे ग्रहण करने के लिए वह विधि रूप से (lawfully) सक्षम है, समुचित और पर्याप्त व्यवस्था करे–

(1) उन स्थानों पर, जहां प्राकृतिक सीमा सूचक चिन्ह न हों, इस प्रकार के और उस स्थल (position) पर, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे, पर्याप्त संख्या में ऐसे सीमासूचक चिन्ह खड़े करना, जिनके द्वारा नगर की सीमाओं या उन सीमाओं में किसी परिवर्तन का निर्धारण होना हो;

(2) निगम में निहित सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के नाम रखना या उनकी संख्या निश्चित करना या भूगृहादि पर संख्या लिखवाना;

(3) मल इत्यादि (sewage), दुर्गन्धयुक्त पदार्थ (offensive matter) और कूड़े करकट को एकत्रित कराना और हटावाना तथा उपयोग (treatment), और निस्तारण (disposal) की व्यवस्था करना, जिसमें फार्म या फैक्ट्री स्थापित करना और उसका संधारण (mainmtaining) भी सम्मिलित है।

(4) नगर की समस्त सार्वजनिक सड़को और स्थानों की पानी से धुलाई (watering) बुहारी द्वारा उनकी सफाई (scavenging), तथा उन्हें स्वच्छ रखना (cleansing) और वहां से सारा कूड़ा–करकट (sweeping) हटवाना;

(5) नालियों और जल–निस्सारण निर्माण कार्यो, सार्वजनिक शौचालयों, नाबदानों (water-closets) मूत्रालयों तथा ऐसी ही अन्य सुविधाओं का निर्माण, उसका संधारण और उनकी सफाई (celansing);

(6) निगम द्वारा अनुमोदिन सामान्य व्यवस्था के अनुसार भू–गृहादि के मल इत्यादि (sewage) को प्राप्त करने और उसे निगम के नियंत्रण के अधी न नालियों में पहुंचाने के उद्देश से भू–गृहादि पर या उसके प्रयोग के लिए पात्रों (receptacles),

संसाधनों, पाइपों तथा अन्य उपकरणों (appliances) का सम्भरण (supply) और उनका निर्माण तथा संधारण;

(7) समस्त निगम जलकलों का प्रबन्धन तथा संधारण और ऐसे नये कार्यो का निर्माण या अर्जन (acquisition), जो घरेलू औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पर्याप्त जल–सम्भरण (supply water) के लिए आवश्यक हों;

(8) मनुष्यों के उपभोग के लिए प्रयुक्त होने वाले जल को दूषित (polluted) न होने देना और दूषित जल के ऐसे उपभोग को रोकना;

(9) निगम में निहित सार्वजनिक सड़कों, निगम बाजारों तथा सार्वजनिक भवनों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में रोशनी का प्रबन्ध करना;

(9–क) पार्किग स्थलों, बस स्टापों और जन सुविधओं का निर्माण ओर उनका संधारण;

(10) सार्वजनिक चिकित्सालयों तथा औषधालायों की, जिनमें संक्रामक या संसर्गजन्य रोगों से ग्रस्त अथवा इस प्रकार संदिग्ध व्यक्तियों को अलग रख कर उनकी चिकित्सा करने के चिकित्सालय भी सम्मिलित है, स्थापना, संधारण या उनकी सहायता करना तथा जनता को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें देने के लिए अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(11) संक्रामक, संसर्गजन्य तथा भायनक रोगों की रोकथाम करना और उनके प्रसार को नियंत्रित करना;

(12) जलान्तक रोगों (ant-rabic diseases) की चिकित्सा की व्यवस्था करना;

(13) बीमारों को ले जाने वाली गाड़ियों (ambulance service) की संसाधरण;

(14) सार्वजनिक रूप से टीके लगाने (Public vaccination) की पद्धति की स्थापना तथा उसका संधारण;

(15) प्रमुख आंकड़ों (statistics), जिनमें जन्म–मरण आकड़े भी है, का पंजीयन (registration);

(16) मातृत्व केन्द्रों और शिशु कल्याण एवं संन्तति निग्रह सदनों की स्थापना, उनका संधारण तथा उनकी सहायता करना और जनसंख्या नियंत्रण परिवार कल्याण और छोटे परिवार के मानक का उन्नयन;

(17) रोगों का या खाद्य पदार्थो में मिलावट का पता लगाने या सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंद्ध खोज कार्यो (reserch) के निमित्त पानी, खाद्य पदार्थ या भेषजों (drug) की परीक्षा का विश्लेषण के लिए रासायनिक या जीवाणु विज्ञान सम्बनधी प्रयोगशालाओं (bacteriological laboratoriecs) की व्यवस्था, उनका संसाधरण अथवा प्रबन्ध;

(18) अस्वास्थ्यकर स्थानों (localities) का पुरूद्धार (reclamtion), हानिकर (noxious) उद्भिज (vegetation) का हटाया जाना और सामान्यतः समस्त अपदूषणों (nuisance) का समाप्त किया जाना (batement);

(19) आपत्तिजनक (offensive) तथा खतरनाक किस्म के व्यापारों, आजीविकाओं (callings) तथा कार्यो (practices) जिसके अन्तर्गत वेश्यावृत्ति भी है, का विनियमन तथा उनका समाप्त किया जाना;

(20) मृतकों के शब–निस्तारण के स्थानों का संधारण, उन्हें नियत करना तथा उनका विनियमन और उक्त प्रयोजनों के लिए तथा ऐसे शवों का निस्तारण करने केलिए, जिनका, कोई न हो, नये स्थानों की व्यवस्था करना या किसी दूसरी संस्था द्वारा उक्त उद्देश्यों के लिए की गई व्यवस्था में यथा–शक्ति सहायता देना;

(21) सार्वजनिक बाजारों और वधशालाओं और चर्म शोधन शालों का निर्माण, तथा संधारण तथा समस्त बाजारों और वधशालाओं का विनियमन;

(22) खतरनाक भवनों तथा स्थानों का निरापद (secure) बनाना या हटाना;

(23) पानी निकालने के बम्बों (hydrants) का संधारण तथा आग लगने पर ऐसी सहायता पहुँचाना, जिसके लिए राज्य सरकार सामान्य या विशेष आज्ञ द्वारा समय–समय पर आदेश दे। इस सहायता में आग लगने पर उसे बुझाने के लिए दमतकलों (fire brigade) का संधारण या प्रबन्ध और जन–धन की रक्षा भी सम्मिलित है।

(24) सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में या पर, उपस्थित अवरोधें (obstruction) तथा बाहन निकलने हुए अनियमित भागों (projections) को हटाना;

(25) प्रारम्भिक (primary) शिक्षा, जिसके अन्तर्गत शिशु शिक्षा (nursery educatin) भी है, के लिए स्कूलों की सथापना, उनका संधारण तथा उनकी सहायता करना और उनके लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना;

(26) शरीर संवर्द्धन (physical cultrue) सम्बन्धी संस्थाओं की स्थापना और उनका संधारण करना या उन्हें सहायता देना;

(27) पशु–चिकित्सालयों का संधारण या उनके संधारण के लिए अंशदान देना (contributing);

(28) काजीहौजो (cuttlepounds) के निर्माण या अर्जन (acquisition) और संधारण;

(29) सार्वजनिक सड़कों, पुलों, उप–मार्गो, (subways), पुलियों–पुलों की ऊंची सड़कों (causeways) तथा अन्य ऐसे ही साधनों का निर्माण, संधारण और उनमें परिवर्तन या सुधार करना;

(30) सड़कों के किनारों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण करना तथा उनक संधारण;

(31) गमनागमन (traffic) का विनियमन तथा गमनागमन चिन्हों (traffic signs) की व्यवस्था करना;

(32) निगम के सफाई कर्मचारियों (Municipal Conservancy staff) तथा सब प्रकार के श्रमिक वर्गो के लोगों की, उनके रहने के लिए क्वार्टरों का निर्माण तथा संधारण करके अथवा ऋण देकर निवास–व्यवस्था में सहायता करना;

(33) नगर नियोजन तथा सुधार, जिसमें गन्दी बस्तियों की सुफाई, गृह–निर्माण योजनाओं को तैयार करना तथा उन्हें कार्यान्वित करना ओर नयी सड़कों (streets) का विन्यास (laying out) भी सम्मिलित है;

(33–क) नगरीय वानिकी और परिस्थितिकी पहलुओं की वृद्धि और पर्यावरण का संरक्षण;

(34) निगम में निहित अथवा उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी सम्पत्ति का संधारण तथा उसके मूल्य के विकास करना;

(34–क) समाज के दुर्बल वर्गो के, जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी है, हितों का संरक्षण;

(34–ख) सांस्कृतिक शैक्षणिक सौंदर्यपरक पहलूओं की अभिवृद्धि;

(34–ग) कांजी हाउस का निर्माण और संधारण और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण;

(35) निगम कार्यालय, समस्त सार्वजनिक स्मारकों, खुले सथानों (open space) तथा अन्य निगम में निहित सम्पत्ति का संधारसा;

(36) एक बुलेटिन प्रकाशित करना, जिसमें निगम तथा उसकी समितियों की कार्यवाहियों (Proceedings) या उन कार्यवाहियों के सार तथा निगम के कार्य–कलापों (activities) की अन्य सूचनायें दी गयी हों;

(37) सरकारी पत्रों पर तत्कताल ध्यान देना और ऐसे विवरण–पत्रों (return statements) तथा ऐसी रिपोर्टो को तैयार और प्रस्तुत करना, जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार निगम को आदेश दें और

(38) इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किसी आभार (obigation) की पूर्ति करना।

(39) गन्दी बस्ती का सुधार और उन्नयन;

(40) नगरीय निर्धनता कर्म करना;

(41) नगरीय सुख–सुविधाओं तथा सुविधाओं जैसे कि पार्क, उद्यान और खेत के मैदानों की व्यवस्था करना।

115. **निगम के स्वविवेकानुसार (discretaionary) कर्तव्य**–निगम निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विशयों के लिए समय–समय पर स्वविवेकानुसार पूर्णतः या अंशतः व्यवस्था कर सकती है–

(1) नगर के भीतर या बाहर, ऐसे व्यक्तियों की देखभाल के लिए, जो अशक्त (infirm), रूग्ण या असाध्य रूप से रोगग्रस्त हों या अंधे, बहरे, गूंगे (mute) या अन्य रूप से असमर्थ (disabled) व्यक्तियों या सुविधाहीन (hundicapped) बच्चों की देखभाल तथा प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं का, जिनमें पागलखाने कुष्ठाश्रम, अनाथालय तथा महिला सेवा आश्रम (rescue house) सम्मिलित है, संगठन, अथवा प्रबन्धन करना;

(2) व्यवस्था करना;

(3) तैरने के जल–कुन्ड (pools), कपड़ा धोने के सार्वजनिक घर (wash houses), स्नानगृह तथा अन्य संस्थायें जो नदी के किनारों पर स्नान–घाटों के विकास तथा निर्माण के लिए हों;

(4) नगर निवासियों के लाभार्थ दूध या दूध से बने पदार्थो का संभरण (supply) वितरण और वैज्ञानिक निर्माण क्रिया (processing) के निर्मित नगर में या उसके बाहर दुग्धशालायें (dairies) या फार्म स्थापित करना;

(5) सार्वजनिक सड़कों या स्थानों में मनुष्यों के लिए पीने के पानी के फौब्बारे (drinking fountain) अथवा प्याऊ अथवा पानी के बम्बों (standposts) का तथा पशुओं के लिए चरहियों (water troughts) का निर्माण तथा संधारण;

(6) संगीत तथा अन्य ललित कलाओं (fine arts) को प्रोत्साहन देना तथा सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक समागम स्थलों (pulic resorts) पर संगीत की व्यवस्था करना;

(7) नगर के भीतर तथा बहार स्थित शिक्षा संबंधी तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान देना;

(8) {***} मनोविनोद प्रदर्शन (recreation grounds), मूर्ति स्थापना तथा नगर को सुन्दर बनाने की व्यवस्था करना;

(9) प्रदर्शनी, व्यायाम प्रदर्शन (athletics) या खेलकूद के समारोहों का आयोजन;

(10) नगर में ठहरने की जगहों (lodging house), शिविर–स्थलों (camping grounts) और विश्राम गृहों का विनियमन;

(11) प्रेक्षा–गृहों (theatres), विश्राम–गृहों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों का निर्माण, उनकी स्थापना तथा उनका संधारण;

(12) वस्तुओं की दुष्प्राप्यता के समय जीवन–धारण के लिए आवश्यक वस्तुयें बेचने के निर्मित दुकानों और स्टालों का संगठन तथा संधारण;

(13) निगम के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियेां के लिए निवास–गृहों (dwellings) का निर्माण, उनकी खरीद तथा उनका, संधारण;

(14) निगम के कर्मचारियेां को निर्माण कार्य के लिए ऐसे निबन्धनों (terms) पर और ऐसी शर्तो के अधीन, जो निगम द्वारा विहित की जाय, ऋण देना;

(15) निगम के कर्मचारियेां या उनके किसी वर्ग के कल्याणार्थ कोई अन्य कार्य (measures) करना;

(16) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से बिजली या गैस का संभरण (supply) करने के लिए किसी संस्थापन (undertaking) को खरीदना याऐसे किसी संस्थापन को, जो जनता के सामान्य हितों के लिए हो, चलाना या उसे आर्थिक सहायता देना;

(17) नगर के भीतर या बाहर व्यक्तियों तथा माल को लाने ले जाने के लिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के ट्राम्बे, बिना पटरी की ट्रामें या मोटर गाड़ियों द्वारा यातायात की सुविधाओं का निर्माण, उनकी खरीद, उनका संगठन, संधारण या प्रबन्धन;

(18) धारा 114 के खंड (25) में उल्लिखित शिक्षा संबंधी उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों को बढ़ावा देना और नगर के भीतर और बाहर स्थित शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देना;

(19) पुस्तकालयों, संग्रहालयों और कलात्मक वस्तुओं के संग्रहालयों (art gallerices), वनस्पति–विज्ञान (botnical) या जीव विज्ञान विषयक (zoological) संग्रहालयों (collections) की स्थापना और संधारण या उनकी सहायता देना तथा उनके लिए भवनों का खरीदना या बनवाना;

(20) बांधों (dam) तथा सार्वजनिक उपयेाग के अन्य कार्यो का निर्माण उसकी स्थापना, उनका संधारण या उनके संधारण के लिए अंशदान देना;

(21) अशक्तों के लिए सेवाश्रमों (infirmaties) या पशुओं के लिए चिकित्सालयों का निर्माण तथा संधारण;

(22) ऐसे पशु–पक्षियों को, जिनके कारण अपदूषण (nuisarice) पैदा होता हो, या हानिकर कीड़े–मकोड़े (vermins) को नष्ट कराना तथा छुट्टे (stray) या लावारिस कुत्तों को पकड़कर बन्द करना (confiement) या नष्ट करना;

(23) नगर के भीतर पीड़ित व्यक्तियों के सहायतार्थ (relief) अथवा लोक कल्याणार्थ स्थापित किसी सार्वजनिक निधि में अंशदान देना;

(24) अभिनन्दन पत्र (civic address) प्रदान करना तथा स्वागत करना;

(25) पशुचर भूमियों का अर्जन तथा संधारण और प्रजनन के लिए पशुओं के बाड़ो (breeding stud) की स्थापना तथा उनका संधारण;

(26) निवास–गृहों (dwellings) की व्यवस्था करने में या गृह निर्माण योजनाओं को कार्यान्वित करने में अभिरूचि रखने वाले किसी व्यक्ति, समिति या संस्था को ऋण या अन्य प्रकार की सुविधायें देना;

(27) गरीबों की सहायत (poor relief) की व्यवस्था करना;

(28) गौशालाओं और किराये की गाड़ियों (hackney carriages or carts) में प्रयुक्त होने वाले घोड़ों, टट्टुओं (ponies) और पशुओं के लिए आरोग्यकर पशुशालाओं (stables) का निर्माण, क्रय तथा संधारण;

(29) भवनों या भूमियों का सर्वेक्षण (survey);

(30) किसी ऐसी आपदा के, जिसका प्रभाव नगर की जनता पर पड़ता हो, निवारणार्थ सहायता कार्यो की व्यवस्था करना;

(31) धारा 114 में या इस धारा के अन्य खंडो में निर्दिष्ट उपायों से भिन्न अन्य उपाय करना, जिनसे सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधाओं में विकास होने की संभावना हो;

(32) बजट में धनराशि की व्यवस्था होने पर नगर में किसी सार्वजनिक समारोह (ceremoney) या मनोरंजन (entertainment) में निर्मित अंशदान देना;

(33) पर्यटक कार्यालय (tourist bureau) की स्थापना तथा संधारण;

(34) निगम कार्य के लिए तथा फालतू समय में मूल्य (charges) लेकर निजी कामों के लिए प्रेस और कारखाना (workshop) स्थापित करना तथा उसका संधारण करना;

(35) बिष्टा (night sail) और कूड़ा करकट से कमपोस्ट खाद तैयार करने का प्रबन्ध करना;

(36) व्यापार तथा उद्योग की उन्नति के उपायों की व्यवस्था करना तथा निगम बैंक की स्थापना करना;

(37) अपने कर्मचारियों के लिए श्रम–हितकारी केन्द्रों की स्थापना करना ओर ऐसे कर्मचारियों के किसी संगठन (association), यूनियन या क्लब की सामान्य प्रगति के लिए अनुदान अथवा ऋण देकर उसके कार्य–कलापों (activities) में आर्थिक सहायता देना;–

(38) निगम यूनियनों को संगठित करना और उन्हें अंशदान देना;

(39) अनुसचित जातियों तथा पिछड़े वर्गो की सामाजिक निर्योग्यताओं (disabilities) को दूर करने की व्यवस्था करना;

(40) भिक्षा–वृत्ति के नियंत्रण तथा निवारण के लिए कार्यवाही करना;

(41) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से पुलिस के ऐसे कर्तव्यों का, जो विहित किये जायं, भार–ग्रहण करने और ऐसी रीति से, जो विहित की जायं उनका निर्वहन करने के लिए निगम के पुलिस दल (force) की स्थापना तथा संधारण;

(42) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किसी ऐसे व्यावसायिक कार्य का भार ग्रहण करना, जिसका उद्‌देश्य सुख–सुविधा (amenity) या रोजगार की व्यवस्था करना या उसमें वृद्धि करना अथवा बेकारी को दूर करना हो;

(43) कोई ऐसा कार्य जिस पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार या राज्य सरकार की स्वीकृति से निगम यह घोषित करे कि वह निगम निधि पर उपयुक्त रूप से भारित (appropriate charge) है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वक्षरा किसी एक निगम या समस्त निगमों के संबंध में यह घोषणा कर सकती है कि इस धारा में उल्लिखित कृत्यों में से कोई कृत्य को सम्पन्न करना संबद्ध निगम या निगमों का कर्तव्य होगा और तदुपरान्त इस अधिनियम के उपबन्ध उस संबंध में इस प्रकार लागू होंगे मानो वह धारा 114 द्वारा आरोपित कोई कर्तव्य हो;

116. निगम प्राधिकारियों में कृत्यों का विभाजन–(1) विभिन्न निगम प्राधिकारियों के कृत्य क्रमशः वे ही होंगे, जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन विशिष्ट रूप से विहित किये जायें।

(2) यदि ऐसा कोई संशय (doubt) या विवाद (dispute) उत्पन्न हो कि अमुक कृत्य किस निगम प्राधिकारी विशेष का कृत्य है, तो मुख्य नगराधिकारी संशाय या विवाद को राज्य सरकार को प्रतिप्रेषित कर सकता है या यदि नगर प्रमुख ऐसा आदेश दे तो उसे राज्य सरकार को प्रतिप्रेषित करेगा। इस संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा और उसके बारें में किसी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

117. निगम प्राधिकारियों के कृत्य–(1) उस दशा को छोड़कर जबकि इस अधिनियम में स्पष्टतः अन्यथा व्यवस्था की गयी हो, नगर का निगम प्रशासन (corporation administration) निगम में निहित होगा।

(1–क) इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर प्रत्येक कक्ष समिति में, उस क्षेत्र के संबंध में जिसके लिए उसको संगठित किया गया है, निगम की ओर से ऐसी शक्तियां और कृत्य निहित होंगे, जिन्हें नियमों द्वारा विहित किया जाय।''

(2) इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर नगर के निगम प्रशासन (corporation administration) का अधीक्षण (superintendence) निगम के लिए ओर उसकी ओर से कार्यकारिणी समिति में निहित होगा।

(3) विकास समिति (development committee) अध्याय 14 में उल्लिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी और उसे उक्त अध्याय में उल्लिखित अधिकार प्राप्त होगें।

(4) धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन नियुक्त समिति के कृत्य और अधिकार वही होंगे, जो उसे राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से निगम द्वारा सौंपे जायें।

(5) नगर प्रमुख के सामान्य नियंत्रण और निदेशक, के, तथा जहां कही भी इसमें आगे स्पष्टतः ऐसा निदेश किया गया हो, यथास्थिति निगम या कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के अधीन रहते हुए, तथा इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन आरोपित अन्य समस्त प्रतिबन्धों, परिसीमाओं तथा शर्तो के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ कार्यपालिका के अधिकार (executive powers) मुख्य नगराधिकारी में निहित होगें, जो उन समस्त कर्तव्यों का पालन तथा उन समस्त अधिकारों का प्रयोग भी करेगा, जो विशिष्ट रूप से उस पर आरोपित किये गये हों या उसे दिये गये।

(6) उपधारा (5) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मुख्य नगराधिकारी–

(क) इस अधिनियम के तथा इसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नगर लेखा परीक्षक तथा उनके तुरन्त अधीनस्थ निगम पदाधिकारियों और सेवकों को छोड़कर समस्त निगम पदाधिकारियों (officer) तथा सेवकों (servants) के कर्तव्य करेगा और उनके कार्यो तथा कार्यवाहियों (proceedings) का निरीक्षण (suerpvision) नियन्त्रण करेगा और उक्त पदाधिकारियों तथा सेवकों की सेवा तथा विशेषाधिकार (provileges) और भत्तों से सम्बद्ध प्रश्नों का निस्तारण करेगा;

(ख) किसी आपातकाल (emertency) में जनता की सेवा या सुरक्षा के लिए या निगम सम्पत्ति की रक्षा के लिए ऐसी तात्कालिक कार्यवाही (immediate action) करेगा जो उस को देखते हुए अपेक्षित हो, भले ही ऐसी कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किसी भी निगम प्राधिकारी या राज्य सरकार की स्वीकृति, अनुमोदन या प्राधिकार के बिना न कर सकती हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति और निगम को तत्काल कार्यवाही की सूचना देगा, जो उसने की है और साथ ही उसे ऐसी कार्यवाही करने के कारण भी बतायेगा। मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति को यह भी सूचित करेगा कि ऐसी कार्यवाही के फलस्वरूप उस पर कितना धन, यदि कोई हो, जिसकी बजट अनुदान में व्यवस्था नहीं है, खर्च हुए है अथवा खर्च होने की संभावना है।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि मुख्य नगराधिकारी इस खंड के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा, यदि उस कार्य विशेष को करने में बजट अनुदान के अतिरिक्त किसी ऐसी धनराशि के व्यय की भी संभावना हो, जो–

(क) 10,000 रू0 से या जब उस कार्य के लिए नगर प्रमुख की सहमति प्राप्त हो तो 20,000 रू0 से अधिक हो; या

(ख) संबद्ध वित्तीय वर्ष में इसं खड के अधीन बजट अनुदान से अधिक पहिले से ही व्यय हो चुकी किसी धनराशि के सहित 50,000 रू0 से या जब उस कार्यवाही के लिए नगर प्रमुख की सहमति प्राप्त हो, 1,0,000 रू0 से अधिक हो।

118. **मुख्य नगर लेखा परीक्षक के अधिकार तथा कर्तव्य**–मुख्य नगर लेखा परीक्षक–

(क) ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन निर्देश हो, तथा निगम निधि के लेखों के परीक्षण के संबंध में ऐसे अन्य कर्तव्यों को करेगा जो निगम अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा उससे अपेक्षित हों;

(ख) कार्यकारिणी समिति द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अधीन रहते हुए अपने अधीनस्थ लेखा–परीक्षक तथा सहायक लेखा परीक्षक लिपिक तथा कर्मचारियों के कर्तव्य नियत करेगा; तथा

(ग) कार्यकारिणी समिति की आज्ञाओं के अधीन रहते हुए उक्त लेखापरीक्षकों, सहायक परीक्षकों लिपिकों, तथा कर्मचारियेां का निरीक्षण तथा नियंत्रण तथा नियमों के अधीन रहते हुए उक्त लेखा–परीक्षकों, सहायक लेखा परीक्षकों, लिपिकों तथा कर्मचारियों की सेवाओं, प्रतिफलों (remuneration) और विशेषाधिकारों से सम्बद्ध समस्त प्रश्नों का निस्तारण करेगा।

119. **कृत्यों का प्रतिनधायन (delegation)**–(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अधीन बने नियमों के अधीन रहते हुए तथा ऐसी शर्तो और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, जो द्वारा निर्दिष्ट किये जायें–

(क) निगम कार्यकारिणी समिति को या मुख्य नगराधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों में से किन्हीं ऐसे कृत्यों को प्रतिनिधानित कर सकती है जो अनुसूची 1 के भाग (क) में निर्दिष्ट कृत्यों से भिन्न हों;

(ख) कार्यकारिणी समिति मुख्य नगराधिकारी के अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों में से किन्ही ऐसे कृत्यों को प्रतिनिधानित कर सकेगी जो अनुसूची 1 के भाग (ख) में निर्दिष्ट कृत्यों से भिन्न हों;

(ग) विकास समिति (Development Committee) मुख्य नगराधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों से किन्ही ऐसे क्त्यों को प्रतिनिधारित कर सकेगी, जो अनुसूची 1 के भाग (ग) में निर्दिष्ट कृत्यों से भिन्न हो;

(घ) मुख्य नगराधिकारी किसी निगम कर्मचारी को अपने कृसत्यों में से किसी ऐसे कृत्यों को प्रतिनिधानित कर सकेगा जो अनुसूची 1 के भाग (घ) में निर्दिष्ट कृत्यों से भिन्न हो :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार समय–समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा अनुसूची 1 के भाग क, भाग ख, भाग ग अथवा भाग घ में उल्लिखित किसी कृत्य को प्रतिनिधान्य कृत्य के रूप में, अथवा ऐसे किसी कृत्य को जिसका उसमें उल्लेख नही है, अप्रतिनिधिमान्य कृत्य के रूप में घोषित कर सकती है तथा इस प्रकार की घोषणा के उपरान्त वह उपर्युक्त कृत्य, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिनिधानित किया जा सकेगा अथवा प्रतिनिधान्य कृत्य के रूप में न रह जायेगा मानों अनुसूची 1 में उसका कोई उल्लेख नहीं है अाविा उक्त सूची में उसका उल्लेख है।

(2) यदि मुख्य नगराधिकारी द्वारा कृत्यों को प्रतिनिधानित किया जाय तो उस आज्ञा की, जिसके द्वारा प्रतिनिधायन किया जाय, एक प्रति कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ रखी जायेगी।

(3) मुख्य नगराधिकारी द्वारा इस अधिनियम की इस धारा के अधीन उसके किसी कृत्य का प्रतिनिधान (delegation) होते हुए भी मुख्य नगराधिकारी उक्त कृत्य के यथाविधि सम्पादन के लिए उत्तरदायी बना रहेगा।

120. **मुख्य नगराधिकारी द्वारा अन्य विधियों के अधीन निगम के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन**–(1) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि द्वारा निगम को दिये गये, उस पर आरोपित किये गये या उसमें निहित कोई भी अधिकार, कर्तव्य और कृत्य ऐसी विधि के उपबन्धों तथा ऐसे प्रतिबन्धों, सीमाओं और शर्तो के अधीन रहते हुए, जो निगम द्वारा आरोपित की जाय, मुख्य नगराधिकारी द्वारा प्रयुक्त, संपादित या निर्वहित किये जायेंगे।

(2) मुख्य नगराधिकारी इस सम्बन्ध में किन्ही नियमों के अधीन रहते हुए लिखित आज्ञा द्वारा जिसकी एक प्रति सूचनार्थ कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखी जायेगी, मुख्य नगर लेखा परीखक से भिन्न किसी भी निगम पदाधिकारी को मुख्य नगराधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी अधिकार, कर्तव्य या कृत्य को, अपने पुनरीक्षण तथ ऐसी शर्तो और प्ररिसीमाओं के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जिन्हें आरोपित करना वह उचित समझे प्रयोग, सम्पादन तथा निर्वहन करने का अधिकार दे सकता है।

121. **निगम कार्यकारिणी समिति से कार्यवाहियों आदि के अवतरण मंगा सकती है**–किसी भी समय इस अधिनियम के अधीन बनी किसी समिति या उप समिति की कार्यवाहियों के अवतरण मंगा सकती है और वह किसी ऐसे विशय से सम्बद्ध या संसक्त विवरणी (return) विवरण पत्र लेखा या रिपोर्ट भी मंगा सकेगी जिसमें कार्यवाही न करने के लिए ऐसी समिति या उप–समिति को इस अधिनियम द्वारा या इसकेक अधीन अधिकार

प्राप्त हो और यथास्थिति मुख्य नगराधिकारी या उप–समिति द्वारा ऐसी किसी भी अधियाचना (requisition) की पूर्ति अनुचित विलम्ब किये बिना की जायेगी।

122. मुख्य नगराधिकारी से लेख्य विवरणी तथा प्रतिवेदन आदि प्रस्तुत कराने के सम्बन्ध में निगम के अधिकार–(1) निगम अथवा कार्यकारिणी समिति किसी भी समय मुख्य नगराधिकारी को आदेश दे सकती है कि वह–

(क) किसी ऐसे अभिलेख, पत्र–व्यवहार, योजना या अन्य लेख्य को प्रस्तुत करे जो नगराधिकारी के रूप में उसके कब्जे या नियंत्रण में हो या जो उसके कार्यालय अथवा उसके अधीनस्थ किसी निगम पदाधिकारी या किसी निगम पदाधिकारिी या किसी सेवक के कार्यालय की पत्रावलियों (file) में अभिलिखित हो;

(ख) इस अधिनियम के प्रशासन या नगर के स्थानीय प्रशासन विषयक किसी मामलें से सम्बद्ध या संसक्त कोई विवरण (return), योजना–तखमीना, विवरण–पत्र, लेखा या आंकडे प्रस्तुत करें;

(ग) इस अधिनियम के प्रशासन या नगर के स्थानीय प्रशासन से सम्बद्ध या संसक्त किसी विशय में स्वयं एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी से एक प्रतिवेदन प्राप्त करके उसे टिप्पणी के साथ प्रस्तुत करें।

(2) मुख्य नगराधिकारी ऐसी प्रत्येक अधियाचना (requisition) की पूर्ति करेगा जब तक कि उसके मतानुसार उसकी तत्काल पूर्ति करना, निगम या जनता के हितों के प्रतिकूल न हो, जिस दशा में वह उक्त आशय की लिखित रूप से घोषणा करेगा, और यदि निगम या कार्यकारिणी समिति द्वारा आदेश दिया जाय तो वह प्रश्न नगर प्रमुख को भेज देगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

123. आवश्यक व्यय के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रयोग निगम की स्वीकृति के अधीन होगा–इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किसी निगम प्राधिकारी को दिये गये किसी अधिकार के प्रयोग या उस पर आरोपित किसी ऐसे कर्तव्य का सम्पादन, जिसमें कोई व्यय होना हो, उस दशा को छोड़कर जब कि इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन स्पश्टतः अन्यथा व्यवस्था हो, निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन होगा–

(क) ऐसे व्यय के लिए, जहां तक उसे उक्त अधिकार के प्रयोग या कर्तव्य का पालन से सम्बद्ध वित्तीय वर्ष में करना हो, बजट अनुदान के अन्तर्गत व्यवस्था करना हो, और

(ख) यदि ऐसे आिकार का प्रयोग या कर्तव्य के पालन में उक्त वित्तीय वर्ष की किसी अवधि के लिए या उसकी समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय कोई व्यय होना हो, या होने की सम्भावना हो तो ऐसे व्यय के लिए दायित्व ग्रहण करने के पूर्व निगम की स्वीकृति ले ली गयी हो।

124. नियम बनाने का अधिकार–(1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है–

(क) धारा 114 के खंड (1) के अधीन सीमा सूचक चिन्हों के विवरण तथा स्थल के अनुमोदन की रीति

(ख) उन स्थितियों (cases) में जिनके निर्मित उक्त अधिनियम में कोई विशिष्ट व्यवस्था न की गई हो, धारा 114 और 115 में निर्दिष्ट कर्तव्यों के निर्वहिन इन या दायित्वों की पूर्ति के सम्बद्ध रीति तथा प्रक्रिया;

(ग) नगर के स्थानीय प्रशाासन की कार्यकारिणी समिति के अधीक्षण के अधिकारों के सम्बद्ध में प्रक्रिया;

(घ) वह रीति जिसके अनुसार मुख्य नगराधिकारी द्वारा कार्यपालिका अधिकारी (executive Powers) का प्रयोग किया जायेगा;

(ङ) धारा 117 की उपधारा (6) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट नगरपालिका के पदाधिकारियों तथा सेवकों के कर्तव्य, निरीक्षण (supervisison) और नियंत्रण से सम्बद्ध विषय;

(च) मुख्य नगराधिकारी के अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा सेवकों के कृत्यों के विषय में संशक्य (doubts) तथा विवादों का निर्णय;

(छ) धारा 119 तथा 120 की उपधारा (2) के अधीन मुख्य नगराधिकारी के अधिकारों को किसी अन्य पदाधिकारी को प्रतिनिधानित किये जाने के सम्बद्ध विषय;

(ज) धारा 120 की उपधारा (2) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा अपने अधिकारों के प्रतिनिधानित करने से सम्बद्ध प्रक्रिया;

(झ) रीति, जिसके अनुसार धारा 121 और 122 के अधीन कार्यवाहियों (proceedings) या अन्य लेख्यों या पत्रादि (papers) से अवतरण प्रस्तुत किये जाने की अधियाचना की जाय;

(ञ) ऐसी अधियाचना की पूर्ति विषयक प्रक्रिया;

(ट) रीति, जिसके अनुसार धारा 122 की उपधारा (1) के अधीन लेख्यों तथा अन्य पत्रादि (papers) को प्रस्तुत करने का प्रश्न अन्तिम रूप से निर्णय के लिए नगर प्रमुख को भेजा जायेगा;

(ठ) रीति, जिसके अनुसार धारा 122 की उपधारा (2) के अधीन मुख्य नगराधिकारी की घोशणा निगम को प्रेषित की जायेगी;

(ड) निगम या मुख्य नगराधिकारी का सामान्यतः किसी ऐसे विषय में पथ प्रदर्शन जो इस अध्याय के अधीन उनके कर्तव्यों का पालन, कृत्यों के सम्पादन या अधिकारों के प्रयोग से संसक्त हो, और

(ढ) ऐसे विषय जो इस अध्याय के अधीन विहित किये जाने वाले हों, या किये जाय।

अध्याय 6
सम्पत्ति और संविदें

125. निगम के सम्पत्ति अर्जित करने और रखने के अधिकार–(1) निगम इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पत्तियों या उसमें किसी स्वत्व को अर्जित करने, अपने अधिकार में रखने और उसका निस्तारण (disposal) करने का अधिकार होगा चाहे वह सम्पत्ति नगर की सीमाओं के भीतर स्थित हो या बाहर।

(2) ऐसी समस्त सम्पत्ति और सम्पत्ति में स्वत्व, जिन्हें निगम ने अर्जित किया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और इसके उपबन्ध के अधीन निगम में निहित होंगें।

(3) निगम ऐसी किसी अचल सम्पत्ति को, जो सरकार द्वारा उसे, हस्तान्तरित की जाय, ऐसी षर्तो के अधीन रहते हुए जिनके अन्तर्गत किसी निर्दिष्ट संभावना

की स्थिति के उत्पन्न होने पर सरकार द्वारा उसका पुनर्ग्रहण (resumption) भी है, अपने अधिकार में रखेगा और उसका उपयोग उन प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जिन्हें राज्य सरकार हस्तान्तरण करते समय आरोपित या निर्दिष्ट करें।

126. **कतिपय दशाओं में सम्पत्ति आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और आभारों का उत्तराधिकार**–(1) नियत दिनांक से तथा राज्य सरकार के किन्ही तदर्थ निदेशों, के अधीन रहते हुए–

(क) समस्त सम्पत्ति और सम्पत्ति में स्वत्व और नगदी रोकड़ (cash balance) सहित आस्तियां (assests) चाहे वह कहीं भी हो, जो उक्त दिनांक से ठीक पहले किसी नगर पालिका परिषद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारी में जो नगर के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के लिए अथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भाग के लिए स्थापित हो, अथवा ऐसे क्षेत्र के भीतर और बाहर ही जगह क्षेत्राधिकारी प्राप्त किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित थी {*****} इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे नगर की निगम निहित हो जायेंगी और उसके अधिकार में रहेंगी (held)' और

(ख) पूर्वोक्त नगर पालिका परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी के नगर (city) में सम्मिलित क्षेत्र के सम्बन्ध में समस्त अधिकार, दायित्व तथा आभार (obligations) चाहे वे किसी संविदा से या अन्य प्रकार से उत्पन्न हुए हों, और जो उक्त दिनांक से तत्काल पूर्व वर्तमान ऐसे निगम के अधिकार, दायित्व तथा आभार हतो जायेंगे।

(2) यदि ऐसा कोई संशय (doubt) या विवाद उत्पन्न हो कि अमुक सम्पत्ति, स्वत्व या आस्ति (assesst) उपधारा (1) के अधीन निगम में निहित हो गयी है या नहीं, अमुक अधिकार, दायित्व या आभार निगम के अधिकार, दायित्व या आभार हो गये हैं या नही तो ऐसा संशय या विवाद मुख्य नगराधिकारी द्वारा राज्य सरकार को भेज दिया जायेगा, जिसका निर्णय, यदि वह किसी न्यायालय के किसी निर्णय से अवक्रांत (supersede) न हो जाय, अंतिम होगा।

127. **सम्पत्ति के अर्जन को नियमित करने वाले कतिपय उपबन्ध**–(1) सम्पत्ति के समस्त अर्जन (acquisitions) निगम की ओर से मुख्य नगराधिकारी द्वारा किये जायेंगें।

(2) जहां कही यह व्यवस्था हो कि मुख्य नगराधिकारी किसी नगर के भीतर या बाहर किसी चल या अचल सम्पत्ति या ऐसी सम्पत्ति में किसी स्वत्व को अर्जित कर सकेगा अथवा जहां कही इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यह व्यवस्था आवश्यक या इष्टकर हो तो मुख्य नगराधिकारी ऐसी सम्पत्ति का अनुबन्ध (agreement) द्वारा या अन्य प्रकार से अर्जित कर सकेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि–

(क) मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के किसी ऐसे संकल्प से बाध्य होगा जिसके द्वारा किसी विशेष मामलें के लिए या मामलों के किसी वर्ग के लिए निबन्धन (terms), दरें या अधिकतम मूल्य निश्चित किये जायें;

(ख) निम्नलिखित के सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यक होगी :

(1) कि
सी सम्पत्ति के अनिवार्य रूप से अर्जित करने में;

(2) कि
सी अचल सम्पत्ति के विनियम (exchange) में,

(3) 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए किसी सम्पत्ति को पट्टे पर लेने में, या

(4) किसी आभारयुक्त (burdened by an obligation) सम्पत्ति का कोई दान अथवा रिक्तदाय (bequest) स्वीकार करने में, और

(ग) निम्नलिखित के सम्बन्ध में निगम की स्वीकृति की आवश्यकता होगीः–

(1) किसी अचल सम्पत्ति को स्वीकार करना या उसे अर्जित करना यदि उस सम्पत्ति को जिसे स्वीकार करने या अर्जित करने या विनियम में देने का विचार हो, मूल्य 5,000 रूपये से अधिक हो,

(2) किसी सम्पत्ति को तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर लेना, या

(3) किसी आभारयुक्त सम्पत्ति का कोई दान या रिक्तदाय स्वीकार करना, यदि ऐसी सम्पत्ति का मूल्य 5,000 रू0 से अधिक हो।

128. **सम्पत्ति बेचने का अधिकार**–(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निगम को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी किसी भी सम्पत्ति को या उसमें किसी स्तत्व को, जो इस अधिनियम के अधीन निगम द्वारा अर्जित किया गया हो या उसमें निहित हो बेचे, किराये पद दे, पट्टे पर उठाये, अथवा विनियम करे, उसे बन्धक रक्खे, दान में दे या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सरकार द्वारा निगम को हस्तान्तरित की गई कोई भी सम्पत्ति राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना हस्तान्तरण के निबन्धनों (terms) के विपरीत किसी रीति से न तो बेची जायेगी, न किराये पर दी जायेगी, न विनिमय की जायेगी, अथवा न अन्य किसी प्रकार से ही किसी को हस्तान्तरित की जायेगी (conveyed)

129. **सम्पत्ति के निस्तारण सम्बन्धी उपबन्ध**–उस सम्पत्ति के निस्तारण के लिए जो कि निगम की हो, निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावी होंगे, अर्थात्

(1) निगम की सम्पत्ति का प्रत्येक निस्तारण निगम की ओर से मुख्य नगराधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) मुख्य नगराधिकारी स्वविवेकानुसार निगम की किसी ऐसी चल सम्पत्ति को बेच कर, किराये पर देकर या अन्य रूप से व्ययन कर सकता है, जिसका मूल्य प्रत्येक व्ययन में 500 रूपये से अथवा उस मूल्य से अधिक न हो, जिसे निगम राज्य सरकार के अनुमोदन के समय–समय पर निर्धारित करे, या निगम को अचल सम्पत्ति का पट्टा, जिसमें मछली मारने या फल इक्ट्ठा करने या लेने तथा इसी प्रकार का कोई और अधिकार सम्मिलित हो, किसी ऐसी अवधि के लिए दे सकता है जो कि किसी एक समय में 12 महीने से अधिक न हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह मासिक लगान (monthly tenancy) का संविदा न हो या उसका वार्शिक लगान 3,000 रू0 से अधिक न होता हो, मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति को अचल सम्पत्ति के प्रत्येक पट्टे की सूचना उसके दिये जाने के 15 दिन के अन्दर देगा।

(3) मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से निगम की किसी ऐसी चल सम्पत्ति को बेच सकता है, किराये पर दे सकता है, या अन्य प्रकार से

उसका निस्तारण कर सकता है, जिसका मूल्य 5,000 रूपये से अधिक न हो, और इसी प्रकार की स्वीकृति से निगम की किसी अचल सम्पत्ति को जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकार भी है, जिसके बारें में पहले कहा जा चुका है, किसी ऐसे अवधि के लिए जो एक साल से अधिक हो, पट्टे पर दे सकता है, या निगम की किसी भी ऐसी अचल सम्पथ्तत को बेच सकता है, या स्थायी रूप से पट्टे पर दे सकता है जिसका मूल्य या नजराना (premium) 50,000 रूपये से अधिक न हो या जिसका वार्षिक किराया 3,000 रूपया से अधिक न हो।

(4) मुख्य नगराधिकारी निगम की किसी चल या अचल सम्पत्ति को निगम की स्वीकृति से पट्टे पर दे सकता है, बेच सकता है, किराये पर उठा सकता है या अन्य प्रकार से उसका हस्तान्तरण कर सकता है।

(5) उपधारा (5–क) और (5–ख) में यथा व्यवस्थस्थित के सिवाय निगम की कोई अचल सम्पत्ति उस दशा के सिवाय जब निम्नलिखित को भूमि बेची जायेगी, पट्टे पर दी जाये या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित की जाय, उसके बाजार मूल्य से कम धनराशि पर, न तो बेची जायेगी, न पट्टे पर दी जायेगी और न अन्य प्रकार से उसका हस्तान्तरण किया जायेग–

(क) कोई परिनियम निकाय;

(ख) कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसी भूमि (जो कृषि, औद्योगिकी या पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन तथा कुक्कुट पालन भी है, से सम्बद्ध प्रयोग के लिए धृत यसा अध्यासित न हो) या भवन से, अधिनियम के अधीन उसके अनिवार्य रूप से अर्जन किये जाने

(ग) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के शैक्षिक, सांस्कृतिक या अन्य पूर्त प्रयोजन के लिए (जिसके अन्तर्गत कोई धर्म कार्य या उसका प्रचार नहीं है और जिसमें धर्म, जाति या जन्म–स्थान के आधार पर लाभार्थियों का संबंध में विभेद नहीं हैं;

प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से भूमि को बेचने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने की दशा में इस प्रकार दी गयी किसी रियासत का मूल्य–

(1) पट्टे की दशा में, वार्षिक किराया मूल्य के आधे से,

(2) किसी अन्य हस्तान्तरण की दशा में, बाजार मूल्य के आधे या दस हजार रूपये से इसमें जो भी कम हो अधिक न होगा।

स्पश्टीकरण–यदि प्रस्तावित रियायती मूल्य के संबंध में अथवा इस संबंध में कोई प्रश्न उठे कि किसी प्रस्तावित हस्तान्तरण का उपर्युक्त के अनुसार कोई शैक्षिक, सांस्कृतिक या अन्य पूर्त प्रयोजन है या नहीं, तो राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(5–क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति किसी ऋण से निगम द्वारा बनाया गया कोई गृह या अर्जित भूखण्ड ऐसे ऋण के निबन्धनों और शर्तो के अनुसार निगम द्वारा बेचा जा सकता है, पट्टे पर दिया जा सकता है या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित किया जा सकता है।

(5–ख) राज्य सरकार की तदर्थ किसी सामान्य या विशेष आज्ञा के अधीन रहते हुए, निगम का कोई गृह स्थान, संघ के सशस्त्र सेनाओं के किसी ऐसे सदस्य के पक्ष में जिसके संबंध में विहित प्राधिकारी ने इण्डियन सोल्जर्स (लिटिगेशन) ऐक्ट, 1925 के अधीन इस बात का प्रमाण पत्र दिया हो कि वह शत्रु की कार्यवाही से उनकी मृत्यु हुई है, तो उसके ऐस दायादों के पक्ष में जो उसकी मृत्यु के समय उस पर आश्रित थे, निःशुल्क

अथवा ऐसी रियायती शर्तो पर जैसा कि निगम उचित समझे, बेचा जा सकता है, पट्टे पर दिया जा सकता है, या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित किया जा सकता है।

(6) उपधारा (3) अथवा उपधारा (4) के अधीन कार्यकारिणी समिति की अथवा निगम की स्वीकृति सामान्य रूप से (generallly) मामलों के किसी वर्ग (बसें) के लिए या किसी विशेष मामलें के लिए विशिष्ट रूप से (specially) दी जा सकती है।

(7) इस धारा के पूर्वोक्त उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन या इसके प्रयोजन के लिए किये गये निगम की सम्पत्ति के प्रत्येक निस्तारण पर लागू होंगे।

129—क— निगम के भू—गृहादि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1966 के अध्याय 7 का लागू किया जाना—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अध्याय 7 के उपबन्ध किसी ऐसे भू—गृहादि के सम्बन्ध में जो निगम के हों या उसमें निहित हो अथवा निगम द्वारा पट्टे पर लिये गये हों, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम में यथा परिभाषित परिषद के भू—गृहादि के सम्बन्ध में लागू होते हों ओर उसमें परिशद् तथा उक्त अधिनियम के अधीन नियत विषयों के लिए किये गये अभिदेश क्रमशः निगम तथा उस अधिनियम के अधीन विहित विषय के लिए किये गये अभिदेश समझे जायेगें।

130. **अचल सम्पत्ति के अनुबन्ध द्वारा अर्जित न होने की दशा में प्रक्रिया**—(1) जब कभी मुख्य नगराधिकारी किसी अचल सम्पत्ति की या किसी सुखाधिकार (casement) को जिसका निगम में निहित किसी अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध हो, धारा 127 के अधीन किसी अनुबंध (agreement) द्वारा अर्जित करने में असमर्थ हो या जब कभी कोई अचल सम्पत्ति या कोई सुखाधिकार जिसका निगम में निहित किसी अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध हो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो तो राज्य सरकार स्वविवेकानुसार, कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से दिये गये मुख्य नगराधिकारी के प्रार्थना पत्र पर और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह आज्ञा दे सकती है कि उसे निगम की ओर से अर्जित करने के लिए कार्यवाही की जाय मानो वह सम्पत्ति या सुखधिकार (property or easement) लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 या उस मामलें में लागू होने वाली किसी अन्य विधि के आश्यान्तर्गत कोई ऐसी भूमि है, जिसकी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

(2) जब कभी किसी नयी सड़क की व्यवस्था करने के लिए या किसी वर्तमान सड़क को चौड़ी करने अथवा उसमें सुधार करने के लिए भूमि अर्जित करने के निर्मित उपधारा (1) के अधीन कोई प्रार्थना पत्र दिया जाय तो मुख्य नगराधिकारी के लिए यह वैध होगा कि वह ऐसी नयी सड़क या वर्तमान सड़क की भूमि से मिली हुई ऐसी अतिरिक्त भूमि को, जो सड़क के दोनों किनारों पर बनायी जाने वाली इमारतों के लिए अपेक्षित हो, प्रार्थना—पत्र दे और ऐसी अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह भूमि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है।

(3) यह धारा अध्याय 14 के अधीन किसी अर्जन (acpuisition) पर लागू नहीं होगी।

131. **संविदे करने का निगम का अधिकार**—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निगम को ऐसे संविदे करने का अधिकार प्राप्त होगा जो इस अधिनियम के अधीन या इसके किन्हीं प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर हों।

132. **संविदों के निष्पादित किये जाने से सम्बद्ध कुछ उपबन्ध**–(1) धारा 131 में निर्दिष्ट ऐसे सब संविदे, जिनमें अचल सम्पत्ति या उसके किसी स्वत्व के अर्जन और निस्तारण से संबद्ध संविदे सम्मिलित हों, जो इस अधिनियम के अधीन निगम के कार्यो के सम्बन्ध में किये गये हों, निगम के लिए और उसकी ओर से किये गये व्यक्त किये जायेंगे और उक्त अधिकार का प्रयोग करके किये गये ऐसे सब संविदे तथा संपत्ति सम्बन्धी अधिकार पत्र (assurances of property) मुख्य नगराधिकारी द्वारा या निगम के ऐसे अन्य पदाधिकारी द्वारा, जिसे मुख्य नगराधिकारी सामान्यतः या किसी विशेष मामलें या मामलों के वर्ग के लिए लिखित रूप से अधिकृत करें, निगम के लिए और उसकी ओर से निष्पादित किये जायेंगे (exceuted)।

(2) किसी भी प्रयोजन के लिए ऐसा कोई संविदा जिसे मुख्य नगराधिकारी इस अधिनियम के या इसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार अन्य निगम अधिकारी की स्वीकृति के बिना न कर सकता हो, उसके द्वारा तब तक न किया जायेगा तब तक कि ऐसी स्वीकृति न दे दी गयी हो।

(3) कोई ऐसा संविदा, जिसमें एक लाख रूपये से अधिक और पांच लाख रूपये से अनधिक व्यय होना हो, मुख्य नगराधिकारी द्वारा तब तक न किया जायेगा जब तक कि वह कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृति न हो जाय।

(4) कोई ऐसा संविदा जिसमें पांच लाख रूपये से अधिक का व्यय होना हो, मुख्य नगराधिकारी द्वारा तब तक न किया जायेगा जब तक कि वह निगम द्वारा स्वीकृत न हो जाय।

(5) ऐसे प्रत्येक संविदे की सूचना जो मुख्य नगराधिकारी द्वारा किया जाय और जिसमें पचास हजार रूपये से अधिक तथा एक लाख रूपये से अनधिक का व्यय होना हो, संविदे के किये जाने के 15 दिन के भीतर, कार्यकारिणी समिति को दी जायेगी।

(6) इस धारा के पूर्वोक्त उपबन्ध किसी संविदे के प्रत्येक परिवर्तन तथा निर्वहन (कपेबींतहम) पर तथा किसी मूल्य संविदे पर लागू होंगे।

133. **निष्पादन की रीति**–(1) प्रत्येक ऐसा संविदा जो मुख्य नगराधिकारी द्वारा निगम की आरे से किया जाय, ऐसी रीति से और ऐसे रूप (form) में किया जायेगा कि वह उस पर अपनी ओर से किये गये किसी संविदे की भांति ही बन्धनकारी हो, और वह उसी भांति ही परिवर्तन या निर्वहन (discharge) किया जा सकेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि–

(क) निगम की सामान्य मुहर ऐसे प्रत्येक संविदा पर लगायी जायेगी जिस पर यदि संविदा साधारण व्यक्तियों के बीच किया जाय, तो उस पर मुहर लगाना आवश्यक होगा; और

(ख) किसी कार्य के निशपादन के लिए या किसी सामान या माल के सम्भरण (supply) के लिए किया गया प्रत्येक संविदा, जिसमें दो हजार पांच सौ रूपये से अधिक का व्यय होना है लिखित रूप में होगा और उस निगम की मुहर लगायी जायेगी और उसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा–

(1) यथास्थिति किया जाने वाला काम या सम्भरित (supply) किया जाने वाला सामान, माल;

(2) ऐसे काम, माल या सामान के लिए दिया जाने वाला मूल्य; और

(3) अवधि, जिसके भीतर उक्त संविदा या उकसा कोई निर्दिष्ट भाग कार्यान्वित किया जायेगा।

(2) निगम की सामान मुहर (common seal) मुख्य नगराधिकारी की अभिरक्षा (custody) में रहेगी, और किसी सभासद {***} की उपस्थिति के बना, किसी संविदे या दूसरे विलेख (instrument) पर नहीं लगाई जायेगी। सभासद {***} संविदे या विले पर अपने हस्ताक्षर करेगा जो इस बात का प्रतीत होगा कि संविदे पर मुहर उसके सामने लगायी गयी है।

(3) उक्त संविदे और लिखे पर उपर्युक्त सभासद {***} के हस्ताक्षर संविदे या लेख के निशपादन के समय किए गए किसी गवाह के हस्ताक्षर से भिन्न (distinct) होंगे।

(4) इस धारा में की गई व्यवस्था के अनुकूल निशपादित किया गया कोई संविदा निगम पर बन्धनकारी (binding) न होगा।

134. **निर्माण कार्यो का निष्पादन**–निगम मामलों के किसी वर्ग के लिए सामान्य रूप से अथवा किसी विशिष्ट मामलें में विशेष मामलें में विशेष रूप से यह निर्णय कर सकती है कि मुख्य नगराधिकारी संविदा द्वारा कार्य (work) का निष्पादन करेगा अथवा अन्य किसी प्रकार से।

135. **पांच लाख रूपये से अनधिक के तखमीने**–(1) मुख्य नगर अधिकारी किसी तखमीने की जिसकी एक लाख से से अधिक न हो, स्वीकृति दे सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई तखमीना जिसकी राशि पचास हजार रूपये से अधिक हो उसे मुख्य नगर अधिकारी द्वारा केवल नगर प्रमुख के पूर्व अनुमोदन से स्वीकृत किया जा सकता है।

(2) कार्यकारिणी समिति किसी तखमीने को जिसकी राशि पांच लाख रूपये से अधिक न हो, स्वीकृत कर सकती है।

136. **पांच लाख रूपये से अधिक तखमीने**–(1) यदि किसी कार्य के अथवा कार्यो के समूह के निशपादन के लिए कोई ऐसी योजना (project) बनायी जाय जिसकी पूरी तखमीनी लागत पांच लाख रूपये से अधिक हो, तो–

(क) मुख्य नगराधिकारी तत्सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन (report), जिसके अन्तर्गत ऐसे तखमीने और नक्शें भी होंगे, जो अपेक्षित हों, तैयार करायेगा और उसे कार्यकारिणी समिति को भेजेगा। कार्यकारिणी समिति अपने सुझावों सहित, यदि कोई हों, इस प्रतिवेदन को निगम के समक्ष रखेगी;

(ख) निगम उक्त प्रतिवेदन तथा सुझावों पर विचार करेगी और या तो उस योजना को अस्वीकार कर देगी या उसे पूर्णरूप से, अथ्वा उसमें परिष्कार (modification) करने के बाद स्वीकार कर लेगी।

(2) (क) यदि निगम उक्त योजना को अनुमोदित कर लेती है और उसकी सम्पूर्ण तखमीनी (estimated) लागत दस लाख रूपये से अधिक बैठती है, तो उपर्युक्त परिष्कारों के अधीन रहते हुए, उसका एक प्रतिवेदन (report) राज्य सरकार को भेजा जायेगा।

(ख) राज्य सरकार या तो उस योजना को अस्वीकार कर देगी अथवा उसे पूर्ण रूप से, अथवा उसमें परिष्कार करने के बद, स्वीकार कर लेगी।

(ग) परिष्कारों सहित अथवा रहित राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व कार्य प्रारमभ नहीं किया जायेगा।

(घ) उपर्युक्त प्रकार से स्वीकृत योजना में राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना कोई महत्वपूर्ण (material) परिवर्तन न किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा में धारा 135 में शब्द ''तखमीना (estimate) से तात्पर्य है समस्त योजना के लिए कुल तखमीना, जिसमें समस्त संव्यवहार (transaction), जो मिलकर योजना बनाते हैं, सम्मिलित है।

136.क– **कतिपय परियोजनाओं के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध**–इस अधिनियम में दी गयी किसी बात के हाते हुए भी, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित या विश्व बैंक या किसी अन्य विदेश संगठन से सहायता प्राप्त करने वाली किसी नगर विकास परियोजना के सम्बन्ध में प्रत्येक संविदा या तखमीना राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार तैयार या स्वीकृति किया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा परियोजना के अनुमोदन के दिनांक से एक मास के भीतर ऐसी नगर विकास परियोजनओं के लिए निधियों की स्वीकृति के लिए निगम की बैठक आयोजित करके विनिश्चय किया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि निगम की बैठक प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में विनिर्दिष्ट समय के भीतन न आयेाजित की जाय विनिश्चय न किया जाय, तो समझा जायेगा कि निगम ने निधि स्वीकृत कर दी है और यदि स्वीकृत करने से इन्कार कर दिया जाय या उपान्तरों सहित स्वीकृति दी जाय तो मामला राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट किया जायेगा और राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा और निगम पर बाध्यकारी होगा और यह समझा जायेगा कि निगम ने तद्नुसार निधि स्वीकृत कर दी है। मुख्य नगर अधिकारी तदुपरान्त परियेाजना का निष्पादन कर सकता है, निधि व्यय कर सकता है और नियत समय के भीतर परियोजना का पूरा होना सुनिश्चित करेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि निगम परियेाजनाओं का नियमित अनुश्रवण करेगा और अपनी आख्या राज्य सरकार को भेजेगा''

137. **भूमि के तत्कालीन स्वामी के विरूद्ध समझौते (convenants) प्रवृत्त (enforce) करने के निगम के अधिकार**–इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई ऐसा समझौता जो इस सम्पत्ति के स्वामी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे निगम की सम्पत्ति बिक्री अथवा विनियम (exchange) द्वारा हस्तांतरित की गई हो, निगम के साथ सम्पन्न किया गया हो– इस बात के होते हुए भी कि किसी ऐची अचल सम्पत्ति पर जिसके लाभार्थ वह समझौता हुआ था, न तो निगम का कब्जा ही है और न उसमें उसका कोई हित ही है, उसकी प्रकार और उस सीमा तक निगम द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध प्रवर्तनीय (enforceable) होगा, जिसे समझौते के अन्तर्गत स्वामित्व के अधिकार मिलते हों, मानों निगम का उस पर कब्जा है अथवा उसका उसमें हित हैं।

138. **नियम बनाने का अधिकार**–(1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकती है।

(2) उपर्युक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है–

(क) धारा 126 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन निगम में निहित होने वाली सम्पत्ति या अस्तियां (asstes) निश्चित करने के लिए प्रक्रिया;

(ख) धारा 126 को उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निगम के अधिकार, दायित्व और आभार निश्चित करने के लिए प्रक्रिया;

(ग) निगम के लिए या उसकी ओर से सम्पत्ति खरीदने या उसे अर्जित करने अथवा निगम में निहित उसके द्वारा अर्जित सम्पत्ति की बिक्री, उसका पट्टा करने, उसे किराये पर देने, उसका विनियम या निस्तारण करने के लिए सामान्य प्रक्रिया;

(घ) वे निबन्धन (term) तथा दरें, जिनके अनुसार निगम के लिए कोई अचल सम्पत्ति खरीदी अथवा किसी अनुबन्ध (agreement) द्वारा अर्जित की जाय;

(ङ) निगम के लिए तथा उसकी ओर से किसी सम्पति को अनिवार्य रूप से अर्जित करने के सम्बन्ध में हुए खर्चो, उसके लिए दिया गया प्रति (compensation) तथा तत्सम्बन्धी अन्य परिव्यय (charges) का भुगतान;

(च) संविदे करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया;

(छ) रीति जिससे संविदे निष्पादित किये जायं;

(ज) संविदें के यथावत् सम्पादन (performace) के लिए मांगी जाने वाली प्रतिभूति;

(झ) निर्माण कार्यो के लिए विस्तृत नक्शों और तखमीनों का तैयार और स्वीकृत किया जाना तथा टेन्डरों का आमंत्रित किया जाना उनकी जांच और उनका स्वीकार किया जाना;

(ञ) निर्माण कार्यो का निष्पादन तथा उनकी स्वीकृति की शर्ते;

(ट) वे विषय जो निर्दिष्ट किये जाने वाले हों या किये जाय।

अध्याय 6—क
वित्त आयोग

138.क— वित्त आयोग—(1) वित्त आयोग निगमों की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा और राज्यपाल को निम्नलिखित के सम्बन्ध में सिफारिशें करेगा—

(क) उन सिद्धान्तों की बाबत जो निम्नलिखित को शासित करेंगे :—

(एक) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का राज्य और निगमों के बीच वितरण और ऐसे आगमों का निगमों के अंश का आबंटन;

(दो) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण जो नगर पालिकाओं को समनुदिष्ट या उनके द्वारा विनियोजित किये जा सकेंगे;

(तीन) राज्य की संचित निधि में से निगमों के लिए सहायता अनुदान;

(ख) निगमों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय;

(ग) कोई अन्य विषय जो राज्यपाल द्वारा निगमों की ठोस वित्त व्यवस्था के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाय।

(2) राज्यपाल उपधारा (2) के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गयी प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गयी कार्यवही के स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेंगे।''

अध्याय 7

निगम निधि तथा अन्य निधियां

139. **निगम निधि तथा अन्य निधियों का संगठन**–(1) प्रत्येक निगम के लिए एक निधि, जिसे आगे निगम निधि कहा जायेगा, की स्थापना की जायेगी और इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन, इस निधि में वे सभी धनराशियां जमा की जायेगी जो इस अधिनियम अथवा अन्य किसी विधि अथवा संविदा के अधीन निगम द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त हों। इस धनराशियों में निम्नलिखित भी सम्मिलित है–

(क) निगम की सम्पत्ति से प्राप्त होने वाला धन;

(ख) निगम की सम्पत्ति के किराये;

(ग) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन लगाये गये समस्त करों अथवा शुल्कों (fees) और जुरमानों (न्यायालय द्वारा लगाये गये जुरमानों से भिन्न) से प्राप्त धन;

(घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रतिकर के रूप में अथवा अपराधों को अभिसंघित (compounding) करने से प्राप्त समस्त धनराशियां;

(ङ) निगम के धन के किसी विनिहितकरण (investment) से, अथवा इस धन के सिलसिलें में किये गये किसी संव्यवहार (transaction) से प्राप्त समस्त ब्याज और लाभ;

(च) निगम द्वारा अथवा उसकी ओर से सरकार अथवा सार्वजनिक संस्थाओं, निजी संस्थाओं, (private bodies) अथवा अन्य व्यक्तियों से अनुदान, दान (gift) अथवा जमा की हुई धनराशि के रूप में समस्त प्राप्त धन जिसमें राज्य की संचित निधि से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित है उन शर्तो के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो ऐसे अनुदान, दान अथवा जमा की हुई राशि पर लगाई जायं।

(2) निगम निधि में जमा की जाने वाली समस्त धनराशियां मुख्य नगराधिकारी द्वारा प्राप्त की जायेंगी। मुख्य नगराधिकारी इन धनराशियों को तत्काल स्टेट बैंक आफ इण्डिया अथवा राज्य सरकारी की पूर्व स्वीकृति से उत्तर प्रदेश को–आपरेटिव बैंक अथवा अन्य ऐसे अनुसूचित बैंक या बैंकों में जिन्हें निगम निश्चित कर एक खाते में जिसे .... की निगम निधि का खाता'' कहा जायेगा, जमा कर देगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति द्वारा जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए इतना नकद रूपया रोक सकता है जितना चालू भुगतानों के लिए आवश्यक हों।

(3) निगम एक विकास निधि की स्थापना करेगी और ऐसी विशेष निधियों की जो विहित की जायें, अथवा ऐसे अन्य निधियों को भी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, स्थापना कर सकती है। ऐसी निधियों का संगठन तथा निस्तारण विहित रीति से किया जायेगा।

140. **प्रयोजन जिनके लिए निगम निधि का उपयोग किया जायेगा**–निधि निधि में समय–समय पर जमा की जाने वाली धनराशियों का उपयेाग, सर्व प्रथम मजदूरों के वेतन और भत्तों का भुगतान करने के लिए और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिमान क्रम में किया जायेगा :

प्रथम अध्याय 8 के उपबन्धों के अधीन निगम द्वारा देय समस्त ऋणों की वापसी की यथोचित व्यवस्था (provision) करने में;

द्वितीय, धारा 126 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) पर आरोपित समस्त दायित्वों का निर्वहन करने में;

तृतीय, ऐसी समस्त धनराशियों, परिव्ययों (charges) तथा व्ययों (costs) के भुगतानों में, जो धारा 114 तथा 115 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए तथा इस अधिनियम के अन्य किसी प्रकार से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो अथवा जिन भुगतानों, की अदायगी इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन विधिवत् स्वीकृत की जायेगी जिनमें निम्नलिखित भी सम्मिलित होंगें–

(क) निगम लेखों की लेखा परीक्षा के व्यय;

(ख) इस अधिनियम के अधीन हुए प्रत्येक निर्वाचन के व्यय;

(ग) मुख्य नगराधिकारी तथा अन्य किसी ऐसे पदाधिकारी, के जिसकी सेवायें राज्य सरकार निगम की प्रार्थना पर निगम को दे दे, वेतन, भत्ते तथा सेवा निवृत्तियों के अंशदान (contribution to pensions) तथा छुट्टियों के वेतन :

(घ) सफाई मजदूरों से भिन्न निगम के पदाधिकारियों ओर सेवकों के वेतन ओर भत्ते और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निगम के समस्त पदाधिकारियों और सेवकों को देय समस्त निवृत्ति–वेतन, उपदान, अंशदान और कारूण्य अधिदेय;

(ङ) निगम के प्रशासन अथवा उपक्रम (undertaking) से उत्पन्न होने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में की जाने वाली कोई सेवा अथवा दिये जाने वाले किसी परामर्श के लिए विशेषज्ञों के वेतन का शुल्क;

(च) इस अधिनियम द्वारा निगम अथवा उन निगम पदाधिकारियों पर आरोपित किसी कर्तव्य के निर्वहन में अथवा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग में निगम अथवा निगम की ओर से उन निगम पदाधिकारियों द्वारा किये गये समस्त व्यय और लगी लागत जिसके अन्तर्गत वह धन भी है जिसे प्रतिकर के रूप में देना निगम के लिए अपेक्षित हो अथवा उसके अधिकार में हो;

(छ) प्रत्येक धनराशि जो–

(1) यथास्थिति राज्य सरकार की आज्ञा से अथवा आर्बीट्रिशन ऐक्ट, 1940 के अधीन दिये गये किसी निर्णय (award) के अनुसार अथवा दीवानी न्यायालय की डिगरी अथवा आज्ञा के अनुसार;

(2) मुख्य नगराधिकारी के विरूद्ध की गई किसी दीवानी अथवा फौजदारी न्यायालय की किसी आज्ञा अथवा डिगरी के अधीन;

(3) किसी वाद अथवा अन्य विधि कार्यवाही अथवा दावे में हुई सुलह के अनुसार,

देय हो;

(ज) सार्वजनिक संस्थाओं को दिये जाने वाले ऐसे चन्दे, जिनके बारें में निगम का परामर्श लेने के बाद, राज्य सरकार यह घोषित करे कि वे नगर विासयों के हित में है।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनार्थ, ऐसे किसी व्यक्ति को सफाई मजदूर समझा जायेगा, यदि वह निगम की सड़कों, गलियों, रास्तों, नालियों, सीवरों, शौचालयों और मूत्रालयों में झाड़ू लगाने और उनकी सफाई करने, मृत पशुओं और कूड़ा करकट को ढोने के प्रयोजनों के लिए और इसी प्रकार के अन्य कार्यो के लिए निगम द्वारा नियोजित है।

140.क– **कतिपय मुकदमों पर निगम निधि से होने वाले व्यय पर निर्बन्धन किया जाना**–राज्य सरकार द्वारा धारा 83, धारा 534, धारा 535, धारा 537 या 538 के अधीन, जो आदेश दिया गया है या दिया हुआ तात्पर्यित है, उसके सम्बन्ध में किसी नगर

निगम या नगर प्रमुख या उसके किसी प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किसी न्यायालय से संस्थित या प्रारम्भ की गई किसी कार्यवाही पर खर्च करने के प्रयोजनार्थ निगम निधि से कोई व्यय, निदेशक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा।

141. **सार्वजनिक सेवाओं के लिए अत्यावश्यक कार्यो के निमित्त निगम निधि में से अस्थायी भुगतान**–(1) राज्य सरकार अथवा विहित प्राधिकारी की लिखित अधियाचना (requisition) पर मुख्य नगराधिकारी किसी भी समय ऐसे किसी कार्य का सम्पादन कर सकता है जिसके बारें में यथास्थिति राज्य सरकार अथवा उक्त प्राधिकारी यह प्रमाणित करे कि सार्वजनिक उपयेागिता के लिए उस कार्य का करना अत्याधिक आवश्यक है। मुख्य नगराधिकारी इस प्रयोजन के लिए निगम निधि में से कोई भुगतान, जहां तक कि वह निगम प्रशासन के नियमित कार्यो में असम्यक् रूप से बाधा डाले बिना किया जा सकता हो, कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधियाचना प्राप्त होने पर मुख्य नगराधिकारी उसकी एक प्रति तत्काल नगर निगम को भेज देगा। इस प्रति के साथ वह निगम की सूचना के लिए उस कार्यवाही का एक प्रतिवेदन (report) भी भेजेगा जो उस उक्त अधियाचना के सम्बन्ध में की है।

(3) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन सम्पादित किये गये समस्त कार्यो तथा उन कार्यो तथा उन कार्यो में लगे हुए स्थापन (establishment) के व्यय वहन करेगी और उस समय को निगम निधि के खाते में डाल दिया जायेगा (credited)।

142. **लेखें रखना तथा उनकी परीक्षा**–(1) निगम की प्राप्तियां तथा व्यय के लेखें ऐसी रीति से रखे जायेंगें जो विहित की जाय।

(2) मुख्य नगर लेखा परीक्षक प्रतिमास निगम के लेखों की जांच एवं परीक्षण करेगा और कार्यकारिणी समिति को एक मास के भीतर उसके सम्बन्ध में प्रतिवेदन (report) देगा जो अन्तिम पूर्वगामी मास की प्राप्तियों और व्यय का सार (abstract) जिस पर समिति के दो से अन्यून सदस्यों तथा मुख्य नगर लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, प्रत्येक मास प्रकाशित करेगी।

(3) कार्यकारिणी समिति भी समय–समय पर और ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह उचित समझे, स्वतन्त्र रूप से (independently) निगम के लेखों की जांच तथा उनकी परीक्षा भी करा सकेगी।

143. **विशेष लेखा–परीक्षा**–राज्य सरकार किसी भी राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ नियुक्त लेखा परीक्षकों से निगम के ऐसी अवधि के, जिसे वह उचित समझें, लेखा को विशेष जांच और परीक्षा करने के आदेश दे सकती है। उपयुक्त लेखा परीक्षक ऐसी जांच तथा परीक्षा का एक प्रतिवेदन (report) राज्य सरकार को देंगें।

144. **लेखा परीक्षकों को समस्त निगम लेखा अभिलेखों को आदि का प्राप्त होना**–(1) धारा 142 अथवा 143 के अधीन लेखों की जांच एवं परीक्षा के प्रयोजनों के लिए मुख्य नगर लेखा परीक्षक तथा धारा 143 के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षक को निगम के समस्त लेखें तथा उनमें सम्बद्ध समस्त अभिलेख और पत्र–व्यवहार प्राप्त होंगे तथा

मुख्य नगराधिकारी उक्त लेखा परीक्षकों अथवा कार्यकारिणी समिति की प्राप्तियों तथा व्यय (disposal) से सम्बद्ध ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण, जिसे वे मांगे, तत्काल प्रस्तुत करेगा।

(2) इन धाराओं के अधीन लेखों की जांच एवं परीक्षाा के लिए आवश्यक समस्त परिव्यय, शुल्क एवं व्यय (charges, fees and expesses) निगम द्वारा वहन किये जायेंगे।`

145. **वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन तथा लेखों के विवरणों की तैयारी**–(1) मुख्य नगराधिकारी प्रति वर्ष पहली अप्रैल के बाद यथाशक्य शीघ्र पूर्वगामी, राजकीय वर्ष (official year) में नगर के स्थानीय प्रशासन का एक विस्तृत प्रतिवेदन (report) और साथ ही एक ऐसा विवरण–पत्र तैयार करेगा जिसमें उक्त वर्ष में निगम निधि में जमा की गयी धनराशियां तथा उसमें से निकाले गये भुगतान (disbursement) उक्त वर्ष की समाप्ति पर निधि खाते मे बची हुई पूँजी (balance) दिखायी जायेगी। मुख्य नगराधिकारी इस प्रतिवेदन तथा विवरण–पत्र को कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखेगा।

(2) प्रतिवेदन ऐसे आकार में होगा तथा उसमें ऐसी सूचनायें दी जायेंगी, जिनका कार्यकारिणी समिति समय–समय पर निर्देश करे।

(3) तत्पश्चात् कार्यकारिणी समिति उक्त प्रतिवेदन तथा विवरण–पत्र की जांच करेगी। उक्त विवरण पत्र तथा समिति की समीक्षा (revise) की एक–एक प्रति राज्य सरकार तथा प्रत्येक सदस्य के पास भेज दी जायेगी उनकी प्रतियां निगम के कार्यालय में बिक्री के लिए भी रखी जायेंगी।

146.

बजट–(1) मुख्य नगराधिकारी ऋणी (indebted) निगमों की दशा में प्रति वर्ष 10 दिसम्बर को या उसके पूर्व तथा अन्य निगमों की दशा में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को या उसके पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निगम की निधि के आय और व्यय के तखमीने तैयार करवाये और उन्हें कार्यकारिणी समिति के समक्ष ऐसे आकार में, जो विहित किया जाय, और ऐसी रीति में रखा जायेगा, जिसे कार्यकारिणी समिति अनुमोदित करें।

(2) ऐसे तखमीनों में–

(क) सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अनुदानों का ध्यान रखा जायगा;

(ख) समस्त ऋणों के, जिनके अन्तर्गत सरकार के लिए गये ऐसे ऋण तथा उन पर देय ब्याज भी है, जिन्हें चुकाने का दायित्व निगम पर है, चुकाने की व्यवस्था होगी;

(ग) धारा 126 की उपधारा (1) के खंड (ख) के द्वारा निगम पर आरोपित दायित्व के विमोचन (discharge) की व्यवस्था होगी;

(घ) निगम निधि में ऐसी धनराशि को, जो शिक्षा के लिए विनिर्दिष्ट अनुदान की धनराशि के बराबर होगी, सुविधाजनक किस्तों में अथवा एकमुश्त अदा करने की व्यवस्था होगी;

(ङ) उक्त वर्ष के अन्त में ऐसी धनराशि से अन्यून नगद धनराशि (cash balance) रखने की व्यवस्था होगी, जिसे राज्य सरकार विहित करे;

(च) नगर प्रमुख द्वारा स्वविवेक से धारा 114 अथवा 115 में अभिदिष्ट किसी एक अथवा एकाधिक विषयों पर व्यय करने के लिए 5 हजार रूपये से अनधिक धनराशि की व्यवस्था होगी।

(3) कार्यकारिणी समिति मुख्य नगराधिकारी द्वारा तैयार किये गये बजट तखमीनों पर यथास्थिति 10 दिसम्बर अथवा 10 जनवरी को या उसके पश्चात् यथाशीघ्र विचार करेगी और उसमें ऐसे परिष्कार (modifications) करेगी जिन्हें वह उचित समझे तथा उन्हें ऋणी निगमों की दशा में 15 जनवरी तथा अन्य निगमों की दशा में 15 फरवरी से पहले निगम को प्रस्तुत करेगी।

(4) निगम बजट के तखमीनों की, यदि वह ऋण है तो एक मार्च से पूर्व और यदि ऋणी नहीं है तो तखमीनों से सम्बद्ध वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व अन्तिम रूप से अंगीकार करेगा और उनकी प्राप्तियां राज्य सरकार को तुरन्त भेजेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कारणवश निगम ने तखमीनों से सम्बद्ध वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व बजट के तखमीनों को अन्तिम रूप से अंगीकार नहीं किया है तो मुख्य नगराधिकारी द्वारा तैयार किये गये बजट के तखमीनों अथवा यदि उपधारा (3) के अधीन कार्यकारिणी समिति ने इन तखमीनों को प्रस्तुत कर दिया है तो ऐसे तखमीनों के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वे जब तक निगम द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है उस वर्ष के बजट के तखमीनें है :

और प्रतिबन्ध यह भी है कि ऋणी निगम के सम्बन्ध में इस उपधारा के अधीन बजट के तखमीनों का अंगीकार किया जाना राज्य सरकार के पुष्टिकरण के अधीन होगा।

147. **बजट के पुनरीक्षित तखमीने**–ऋणी निगम के सम्बन्ध में 1 सितम्बर तथा ऐसी निगम के सम्बन्ध में जो ऋण नहीं है 1 अक्टूबर के पश्चात् यथासंभव शीघ्र उस वर्ष के बजट केक पुनरीक्षित तखमीने निगम द्वारा अंगीकार किये जायेंगे, जहां तक संभव होगा, किन्तु यहा उल्लिखित परिष्कारों (modications) के अधीन रहते हुए, ये पुनरीक्षित तखमीने धारा 146 के समस्त उपबन्धों के अधीन रहेगें।

परिष्कार–

(1) धारा 146 की उपधारा (1) और (3) में ''10 दिसम्बर'' और 10 जनवरी'' के स्थान पर क्रमशः ''10 अगस्त'' और ''10 सितम्बर'' रखे गये समझे जायेंगे :

(2) धारा 146 की उपधारा (3) में ''15 जनवरी'' और ''15 फरवरी'' के स्थान पर क्रमशः ''15 अगस्त'' और ''15 सितम्बर'' रखे गये समझे जायेंगे।

(3) धारा के अन्त में प्रथम प्रतिबन्धक (Proviso) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धक रखा गया समझा जायगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक निगम बजट के पुनरीक्षित तखमीनों को अंगीकार नहीं करता तब तक इस अधिनियम के अधीन सम्बद्ध वर्ष की 1 अक्टूबर को प्रवृत्त बजट तखमीने, धारा 149 और 151 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस वर्ष के बजट तखमीने रहेंगे।

148. **करों की दरों का निर्धारण**–निगम यदि वह ऋणी है तो 15 जनवरी को या उसके पूर्व अन्य दशाओं में 15 मार्च को या उसके पूर्व, कार्यकारिणी समिति के प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् अध्याय 9 में विहित परिसीमाओं (limitations) तथा शर्तो के अधीन रहते हुए उन दरों का निर्धारण करेगी जिनके हिसाब से धारा 172 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट निगम कर आगामी वित्तीय वर्ष में लगाये जायेंगे।

149. **निगम बजट अनुदानों की राशि बढ़ा सकती है और अतिरिक्त अनुदान भी दे सकती है**–(1) कार्यकारिणी समिति की सिफारिश पर निगम किसी वित्तीय वर्ष में समय–समय पर बजट के किसी अनुदान की राशि में वृद्धि कर सकती है अथवा उक्त वर्ष

में किसी विशेष अथवा अप्रत्याशित आवश्यकता की पूर्ति के लिए बजट में कोई अतिरिक्त अनुदान भी कर सकती है, किन्तु इस बात का ध्यान रखा जायगा कि वर्ष के अन्त में अनुमानित नगद रोकड़ (cash balance) जिसमें किसी विशेष निधि की रोकड़ (balance), यदि कोई हो, अपवर्जित (exclude) कर दी जायगी, धारा 146 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन विहित धनराशि से अथवा निगम निधि या अन्य विशेष निधियों के सम्बन्ध में निगम द्वारा तत्समय एतदर्थ निश्चित की गई किसी और बड़ी धनराशि से कम न हो।

(2) ऐसे बढ़ाये गये अथवा अतिरिक्त बजट नुदानों के बारें में यह समझा जायेगा कि ये निगम द्वारा, उस वर्ष के लिए, जिनमें कि वे किये गये हैं, अनुमोदित बजट तखमीनों में सम्मिलित कर लिये गये है।

(3) बजट के एक मद (head) से दूसरे मद में अथवा एक ही मद के भीतन धनराशियों का स्थानान्तरण अथवा उसमें कमी कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार की जायेगी।

150. **निगम निधि से परिव्यय पर प्रतिबन्ध**—उन दशाओं को छोड़कर जिनकी व्यवस्था नियमों द्वारा एतदर्थ की जाय निगम निधि में से उस समय तक कोई व्यय भुगतान न किया जायेगा तब तक कि उसकी व्यवस्था किसी चालू बजट के अनुदान में नहीं हो जाती तथा जब तक कि ऐसे बजट अनुदान में ऐसी कमी अथवा स्थानान्तरण के होते हुए भी जो धारा 149 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार किया गया हो उसमें पर्याप्त बचत (balance) उपलब्ध न हो।

151. **बजट के तखमीनों में परिवर्तन**—निगम धारा 146 अथवा धारा 147 के अधीन अंगीकृत बजट तखमीनों को, समय—समय पर जैसा कि परिस्थितियोंक को देते हुए वांछनीय हो, बदल अथवा परिवर्तित कर सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऋण निगम की दशा में इस धारा के अधीन प्रत्येक परिवर्तन या तब्दीली राज्य सरकार के पुष्टिकरण के अधीन होगी।

152. **ऋणी निगम**—यदि राज्य सरकार की राय में किसी निगम पर इतना ऋण है कि उसके जट पर राज्य सरकार का नियंत्रण करना वांछनीय हो जाता हो, तो राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा विज्ञापित करके इस स्थिति की घोषणा कर सकती है और इस धिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी निगम ऋणी निगम समझी जायेगी।

152.क—अधिभार—(1)निगम का नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख तथा प्रत्येक सदस्य, पदाधिकारी और सेवक निगम के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरूपयोग के लिए अधिभार का भागी होगा, यदि ऐसी हानि, अपव्यय या दुरूपयोग ऐसे नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, सदस्य, पदाधिकारी या सेवक के इस रूप में कार्य करते समय उसकी अपेक्षा या दुराचरण के सीधे परिणामस्वरूप हुआ हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और हानि, अपव्य या दुरूपयोग में अन्तर्ग्रस्त धनराशि को वसूली की रीति ऐसी होगी जो नियमों द्वारा विहित की जाय।

(3) यदि अधिभार की कार्यवाही न की जाय तो निगम राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसे नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, सदस्य, पदाधिकारी या सेवक के विरूद्ध प्रतिकर के लिए वाद संस्थित कर सकती है।

153. **नियम बनाने का अधिकार**—राज्य सरकार इस अध्याय के समस्त अथवा किन्हीं उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए तथा विशेषतया एतद्द्वारा प्राप्त अधिकारों की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए नियम बना सकती है—

(क) निगम निधि के खाते में मुख्य नगराधिकारी द्वारा भुगतानों को प्राप्त करना तथा प्राप्त धन को किसी बैंकक अथवा बैंको में रखना;

(ख) निगम की निधियों का संचालन (operation);

(ग) निगम निधि के किसी अंश को नगर के बाहर स्थित किसी बैंक अथवा अभिकरण (agency) के पास जमा करना;

(घ) बचत (surplus) के धन को लाभ पर लगाना;

(ङ) निगम द्वारा रखे जाने वाले लेखें, वह रीति, जिससे लेखों का परीक्षण किया तथा उन्हें प्रकाशित किया जायेगा किसी व्यय को न मानने (disallowance) तथा अधिभार (surcharge) के सम्बन्ध में लेखा परीक्षकों के अधिकार और वह रीति जिसके अनुसार अधिभार की कार्यवाहियां की जायेगी;

(च) बजट की एक मद से दूसरी मद में अथवा एक ही मद के अन्दर धनराशियों का स्थानान्तरण अथवा उनमें कमी करना;

(छ) प्रकाशन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (report) और लेखों के विवरण की तैयारी;

(ज) निगम के लेखों को रखने की रीति।

अध्याय 8
ऋण लेने के अधिकार

154. **निगम के ऋण लेने का अधिकार**—(1) निगम, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, 1934 की धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समय—समय पर, एक या अधिक बार ऋण ले सकती है तथ ऋण—पत्रों (debentures) को जारी करके या अन्य प्रकार से किसी ऐसी अचल संपत्ति की प्रतिभूमि (security), पर जो निगम में निहित हो या जिसे निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन अर्जित किये जाने का प्रस्ताव हो, या समस्त अथवा किन्हीं करों (taxes), महसूलों (duties), पथकरों (tolls) उपकरों (cesses), शुल्कों (fees) तथा आदेयों (dues) जिन्हें निगम को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लगाने का प्राधिकार दिया गया हो, की प्रतिभूति पर अथवा उन समस्त प्रतिभूतियों या उनमें से किन्हीं प्रतिभूतियों पर ब्याज पर ऐसी कोई भी धनराशि ले सकता है, जो निम्नलिखित किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हो—

(क) इस अधिनियम के अनुसार किये गये कार्यो पर निगम द्वारा खर्च की गयी लागतों, परिव्ययों या व्ययों के भुगतान के लिए,

(ख) इस अधिनियम के अधीन किये गए किसी उधार (loan) के भुगतान के लिए या किसी ऐसे अन्य उधार या ऋण के भुगतान के लिए, जिसकी अदायगी या दायित्व निगम पर हो,

(ग) सामान्यतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए जिसमें इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत ऋण देना भी सम्मिलित है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि–

(1) कोई ऋण किसी स्थायी कार्य (permanent work) से भिन्न किसी अन्य कार्य के सम्पादनार्थ नहीं लिया जायगा। स्थायी कार्य के अन्तर्गत कोई ऐसा कार्य सम्मिलित होगा, जिस पर होने वाला व्यय राज्य सरकार की राय में, कई वर्षो तक होता रहे;

(2) कोई ऋण तब तक नहीं लिया जायेगा, जब तक कि राज्य यसरकार ऋण का प्रयोजन, उसकी धनराशि, उस पर देय ब्याज की दर तथा तत्संबधी अन्य शर्ते, जिसमें ऋण उगाहने का दिनांक तथा उसके भुगतान की अवधि तथा रीति सम्मिलित है, अनुमोदित न कर दें,

(3) वह अवधि जिसके भीतर ऋण का भुगतान किया जायेगा किसी भी दशा में 30 वर्ष से अधिक न होगी।

(2) जब कोई धनराशि उपधारा (1) के अधीन ऋण के रूप में ली गई हो या फिर से ली गई हो (bonowed) तो–

(क) ऋण, का कोई भाग, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जायेगा, जिसके लिए ऋण लिया गया था; और

(ख) किसी धनराशि को कोई भाग, जो किसी निर्माणकार्य (work) के सम्पादन के लिए प्रथम बार या पुनः ऋण के रूप में लिया गया हो, निगम के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के वेतन या भत्ते के भुगतान की सिवाय उनके जो एक मात्र (exclusively) उस निर्माण कार्य के सम्पादन में लगे हुए हो, जिसके लिए उक्त धनराशि ली गयी थी अथवा आवर्तक प्रकार के निर्माण की पूर्ति के लिए उपयोग में न लाया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निगम के ऐसे पदाधिकारियों या कर्मचारियों के, जो अंशतः नक्शों तथा प्राक्कलन के तैयार करने या उक्त निर्माण कार्य के लेखें रखने के लिए नियुक्त किये गये हों, वेतनों तथा भत्तों पर होने वाले व्यय का उतना भाग, जो कार्यकारिणी समिति निश्चयत करे, ऋण के रूप में ली गयी या फिर से ली गयी धनराशि में से अदा किया जा सकता है।

155. **निगम का सार्वजनिक प्रतिभूतियों पर बैंक से ऋण लेने का अधिकार**–धारा 154 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु रिजर्ब बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट, 1934 की धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निगम इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे बैंक या बैंकों से जिनमें या जिसमें निगम निधि की बचत धनराशियां जमा की गयी हों, किन्ही सार्वजनिक प्रतिभूतियों पर, जिनमें तत्समय निगम का नकदीश शेष (cash balance) लगायी गयी हो, ऋण ले सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऋणी निगम की दशा में इस धारा के अधीन ऋण राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ही लिया जायेगा।

156. **कब और केसे ऋण का भुगतान किया जाय**–(1) प्रत्येक ऋण का, जो धारा 154 के अधीन लि या गया हो, उस अवधि के भीतर भुगतान किया जायगा, जो उक्त धारा के अधीन उसके लिए अनुमोदित हो। यह भुगतान निम्नलिखित विधियों में से उस विधि से किया जायगा, जो उक्त उपबन्ध के अधीन अनुमोदित की जाय अर्थात्–

(क) किसी ऐसी निक्षेप निधि (sinking fund) में से भुगतान (payment) करके जो ऋण के सम्बन्ध में धारा 157 के अधीन स्थापित की गयी हो;

(ख) मूलधन और ब्याज के समीकृत भुगतानों (equal payments) द्वारा;

(ग) किसी ऐसी धनराशि से जो इस प्रयोजन के लिए धारा 154 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन उधार ली गई हो;

(घ) अंशतः उस निक्षेप–निधि से जो ऋण के सम्बन्ध में धारा 157 के अधीन स्थापित की गई हो और अंशतः उस धनराशि से जो इस प्रयोजन के लिए धारा 154 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन उधार ली गयी हो;

(ङ) ऐसी अन्य विधि से, जिसमें रूपया निकालना भी सम्मिलित है, जिसे सरकारी विनिर्दिष्ट करें।

(2) ऐसे किसी ऋण का, जो नियत दिन से पहले लिया गया हो, भुगतान सामान्यतः उसी विधि से किया जायगा जो ऐसे ऋण के भुगतान के लिए प्रवृत्त रही हो या यदि ऐसी कोई विधि न रही हो तो भुगतान उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी विधि से किया जायगा।

157. निक्षेप निधि का संधारण तथा उपयोग–(1) जब कभी धारा 154 की उपधरा (1) के प्रतिबन्ध (1) के अधीन निक्षेप निधि से किसी ऋण के भुगतान की स्वीकृति दी गई हो तो निगम ऐसी निधि को स्थापित करेगी और उसमें ऐसे दिनांकों पर जो उक्त प्रतिबन्ध के अधीन अनुमोदित हुए हों, उतनी धनराशि देगी, जो चक्रवृद्धि ब्याज सहित समस्त व्ययों के देने के बाद, अनुमोदित अवधि के भीतर ऋण की अदायगी के लिए पर्याप्त हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी समय ऋण के भुगतान के लिए स्थापित निक्षेप निधि में जमा धनराशि इतनी हो कि यदि उसे चक्रवृद्धि ब्याज पर बढ़ने दिया जाय तो उससे अनुमोदित अवधि के भीतर ऋण चुकता हो जायगा, तो राज्य सरकार की अनुज्ञा से ऐसी निधि में और धनराशियों का देना बन्द किया जा सकता है।

(2) निगम किसी निक्षेप निधि या उसके किसी भाग को उस ऋण के परिशोध (discharge) में या उसके निमित्त उपयोग में ला सकती है, जिसके लिए ऐसी निधि स्थापित की गयी हो और जब तक कि ऐसा ऋ़ण या उसका भाग पूर्णतः चुकता न हो जायय तब तक वह उसका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगी।

158. निक्षेप निधि का लगाया जाना (**investment**)–(1) निक्षेप निधि में जमा की गयी समस्त धनराशियां निगम द्वारा यथासम्भव शीघ्र मुख्य नगराधिकारी के नाम में–

(क) सरकारी प्रतिभूतियों में, या

(ख) सरकार द्वारा संरक्षित (guaranteed) प्रतिभूतियों में, या

(ग) निगम के ऋण पत्रों में;

लगायी जायेंगी और निगम द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों के समय–समय पर भुगतान के प्रयोजन के लिए निगम के कब्जों में रहेंगी।

(2) समस्त लाभांश (diveidends), ब्याज तथा अन्य धनराशियां जो इस प्रकार लगाई गई किसी धनराशि (investment) के सम्बन्ध में प्राप्त हो, प्राप्ति के

पश्चात्य यथा–संभव शीघ्र उपयुक्त निक्षेप–निधि में जमा की जायेंगी और उपधारा (1) में विहित रीति से लगायी जायेंगी (invested)।

(3) दो या दो से अधिक निक्षेप–निधियों के नाम में जमा धनराशियां निगम के स्वविवेकानुसार किसी एक ही (common) निधि में लगायी जा सकती हैं ओर निगम के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह इस प्रकार लगायी गई प्रतिभूतियों को विभिन्न निक्षेप–निधियों में बांट दे।

(4) यदि निक्षेप–निधि का कोई भाग निगम के ऋण पत्रों पर लगाया जाय या भुगतान के निश्चित अवधि से पहले ़ण के किसी भाग को चुकता करने के लिए उपयोग में लाया जाय तो वह ब्याज, जो अन्यथा ऐसे ऋण पत्रों या ऋण के ऐसे भाग पर देय होता, निक्षेप–निधि में दिया जायेगा और उसे उपधारा (1) में निर्दिष्टि रीति से लगाया जायेगा (invested)।

(5) इस धारा के अधीन लगाये गये धन मे ंउपधारा (1) के प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए परिवर्तन किया जा सकता है या उसे किसी दूसरी मद में स्थानान्तरित किया जा सकता है (transposed) :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब कभी कोई लगायी गयी धनराशि किसी दूसरे मद में स्थानान्तरित की जाय तो उस निक्षेप–निधि में जिसे से वह धनराशि दूसरी मद में स्थानान्तरित की गयी हो (transporsed) उतनी ही धनराशि बढ़ा दी जायेगी।

(6) उस वर्ष में जिसमें ऋण, जिसके चुकाने के लिए निक्षेप निधि स्थापित की गयी है, देय हो, वह धनराशि जो ऐसी निक्षेप निधि के मूलधन के भाग के रूप में अलग की जायेगी और वह धनराशि, जो ऐसी निक्षेप निधि के अंशभूत भाग पर ब्याज के रूप में प्राप्त हो, निगम द्वारा ऐसे रूप में रक्खी जायेगी (retained) जिसे वह ठीक समझें।

159. निक्षेप निधि तथा अतिरिक्त धनराशि का निगम द्वारा जारी किये गये ऋणपत्रों में लगाया जाना–(1) किन्हीं ऐसे निक्षेप निधियों के संबंध में जिन्हें इस अधिनियम के द्वारा निगम को सार्वजनिक प्रतिभूति में लगाने का ओदश या धिकार दिया गया हो और किसी अतिरिक्त (surplus) धनराशि के संबंध में, जिसे इस अधिनियम के द्वारा निगम की ओर मुख्य नगराधिकारी को प्रतिभूतियों में लगाने का धिकार दिया गया हो, निगम के लिए यह वैध होगा कि वह इस प्रकार धनराशि लगाने (investment) के प्रयोजन के हेतु किन्हीं ऋण–पत्रों; को किसी ऐसे ऋण के निमित्त जिसके लिए राज्य सरकार की यथावत् स्वीकृति ले ली गयी हो, जारी किये गये हों, या किये जाने वाले हों, रक्षित तथा पृथक कर दें (reserve and set apart) :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार ऋण पत्रों को रक्षित या पृथक् करने का आशय राज्य सरकार को ऋण जारी, करने की एक शर्त के रूप में विज्ञप्ति (notified) कर दिया हो।

(2) निगम की ओर मुख्य नगराधिकारी को और उसके नाम में उक्त किन्ही ऋण–पत्रों के जारी किये जाने का प्रभाव यह न होगा कि ऋण–पत्र समाप्त या रद्द हो जायेंगे, किन्तु इस प्रकार जारी किया गया प्रत्येक ऋण–पत्र सभी प्रकार से उसी रूप में वैध होगा मानों वह किसी अन्य व्यक्ति को और उसके नाम में जारी किया गया हो।

(3) निगम द्वारा जारी किये गये किसी ऋण–पत्र का निगम द्वारा क्रय या निगम अथवा मुख्य नगराधिकारी को उनका हस्तान्तरण (transfer), अभ्यर्पण (assignment) या पृष्ठांकन (endorsement) का प्रभाव यह नहीं होगा कि वह

ऋण–पत्र समाप्त या रद्‌द हो जायगा, किन्तु वह उसी प्रकार और उसी अवधि तक वैध (valid) और परक्राम्य (negotiable) होगा मानो वह किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हो या उसे हस्तांतरित, अभ्यर्पित या पृष्ठांकित किया गया हो।

160. **निक्षेप निधियों की वार्षिक परीक्षा**–(1) इस अधिनियम के अधीन स्थापित या संधारित सम्पूर्ण निक्षेप निधियों की एक्जामिनर लोकर फंड एकाउन्ट्स द्वारा वार्षिक परीक्षा की जायगी, जो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि रोकड़ (cash) और उससे सम्बन्धित प्रतिभूतियों का मूल्य वास्तव में उस धनराशि के बराबर है या नहीं, जो इस प्रकार की निधियों के नाम में जमा होती, यदि रूपया नियमित रूप से लगाया गया होता और उस पर उस दर से ब्याज मिला होता जो पहले से प्राक्कलित (estimated) की गयी थी।

(2) निक्षेप–निधि में जमा धनराशि का हिसाब भविष्य में किये जाने वाले ऐसे सम्पूर्ण भुगतनों के जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसी निधि में करना आवश्यक हो, वर्तमान मूल्य के आधार पर यह कल्पना करके लगाया जायेगा कि सम्पूर्ण धनराशियां नियमित रूप से लगाई जाती है और उन पर पहले की प्राक्कलित (estimated) दर से ब्याज मिलता है।

(3) किसी निक्षेप–निधि की प्रतिभूतियों का मूल्याकंन इस धारा के प्रयोजनों के लिए उनके चालू बाजार मूल्य पर किया जायेगा, किन्तु उन ऋण–पत्रों का मूल्य, जो इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये हों, सहमूल्य (at par) पर लगाया जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निगम उस हानि को तुरन्त पूरा करेगी, जो ऋण के भुगतान के समय ऐसे ऋण–पत्रों के वास्तविक विक्रय पर हुई हो।

(4) निगम किसी निक्षेप–निधि में, जब तक कि राज्य सरकार विशिष्ट रूप से क्रमिक पुनसंधान (gradual re-adjustment) की स्वीकृति न दे दे, किसी ऐसी धनराशि का तुरन्त भुगतान करेगी, जिसके कम होने की इक्जीमिनर लोकल फंड एकाउन्ट्स ने प्रमाणित किया हो।

(5) यदि किसी निक्षेप–निधि में जमा रोकड़ (cash) तथा प्रतिभूतियों का मूल्य उस धनराशि से अधिक हो, जो उसमें जमा होनी चाहिए, तो एक्जागिनर लोकल फंड एकाउन्ट्स ऐसी अतिरिक्त (excess) धनराशि को प्रमाणित करेगा और तत्पश्चात् महापालिका उक्त अतिरिक्त धनराशि को निगम निधि में स्थानान्तरित कर सकती है।

(6) यदि उपधारा (4) या (5) के अधीन एक्जामिनर लोकर फंड एकाउन्ट्स द्वारा दिये गये किसी प्रमाण पत्र की शुद्धता (accuracy) के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो, तो निगम भुगतान या स्थानान्तरण करने के पश्चात् संबद्ध विषय को राज्य सरकार को भेज सकती है, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

161. **ऋण के भुगतान न करने पर निगम निधि का कुर्क किया जाना**–(1) यदि निगम द्वारा उधार ली गयी किसी धनराशि या उस पर देय ब्याज या किसी व्यय (costs) का ऋण की शर्तो के अनुसार भुगतान न किया जाय, तो राज्य सरकार, यदि उक्त ऋण स्वयं उसी ने दिया हो, निगम निधि या उसके किसी भाग को कुर्क कर सकती है और यदि ऋण उसने नहीं दिया है तो वह ऋणदाता द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने पर तथा उसके संबधं में निगम के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निगम निधि या उसके किसी भाग को कुर्क करेगी।

(2) ऐसी कुर्की के पश्चात् कोई व्यक्ति, सिववाय उस पदाधिकारी के जिसे राज्यसरकार ने एतदर्थ नियुक्त किया हो, कुर्क की गयी निध या उसके किसी भाग के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करेगा, किन्तु वह पदाधिकारी या कर्म चारी ने उस दशा में किये होते, यदि ऐसी कुर्की न हुई होती और आग (proceeds) का उपयोग बकायों (arrears), उनके सम्पूर्ण ब्याज तथा उनके संबंध में देय व्यय और कुर्क के तथा परवर्ती कार्यवाहियों के कारण हुए समस्त व्ययों के शोधन के निमित्त कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कुर्की से कोई ऋण न तो मारा जायेगा (deceated) और न उसका उस ऋण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ेगा, जिसके लिए कुर्क निधि या उसका कोई भाग विधि के अनुसार पहले बंधक (pledged) रहा हो और ऐसे समस्त परिव्ययों (prior charges) का भुगतान निधि के आगम या उसके किसी भाग से किया जायेगा इसके पूर्व कि आगम के किसी भाग का उपयोग उस दायित्व के शोधन में किया जाय, जिसके संभव में कुर्की हुई थी।

162. **ऋण–पत्रों के आकार–पत्र**–(1) इस अधिनियम के अधीन जारी किये जाने वाले ऋण–पत्र ऐसे आकार पत्र (form) में होगें, जिसे निगम राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समय–समय पर निर्धारित करें।

(2) किसी ऐसे ऋण–पत्र का, जो उपधारा (1) के अधीन यथावत् प्राधिकृत आकार–पत्र में हो, ग्रहीता ऐसी शर्तो पर, जो निगम समय–समय पर निर्धारित करेगी, अपने ऋण–पत्र के विनियम (exchange) में कोई ऐसा ऋण–पत्र प्राप्त कर सकता है जो अन्य प्रकार से अधिकृत आकार–पत्र में हो।

(3) निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किया प्रत्येक ऋण पत्र पृष्ठांकन (endorsement) द्वारा हस्तांरणीय (transferable) होगा।

(4) उक्त किन्हीं ऋण–पत्रों द्वारा सुरक्षित धनराशियों की प्राप्ति का तथा उसके संबंध में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार तत्समयक ऋण–पत्र गृहीता में निहित होगा और इस संबंध में इस बात के लिए कोई अधिमान (preferece) प्राप्त न होगा कि ऐसे ऋण–पत्रों में से कुछ दूसरों से पहले के दिनांकों के हैं।

163. **ऋण–पत्रों से संलग्न कूपनों पर कार्यकारिणी समिति के सभापति और मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर होंगे**–इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये ऋण–पत्रों से संलग्न समस्त कूपनों पर निगम की ओर से कार्यकारिणी समिति के सभापति और मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और ऐसे हस्ताक्षर किसी यांत्रिक रीति द्वारा चित्रित (engrve) किये जा सकते हैं, लिथो से लिये जा सकते हैं या मुद्रांकित (impressed) किये जा सकते है।

164. **दो या दो से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त रूप से जारी किये गये ऋण–पत्र**–इंडियन कंट्रैक्ट ऐक्ट, 1872 की धारा 45 में किसी बात के होते हुए भी–

(1) यदि इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया कोई ऋण–पत्र या प्रतिभूति दो या दो से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त रूप से देय हो और उनमें से दोनों की या किसी एक की मृत्यु हो जाये तो उक्त ऋण–पत्र या प्रतिभूति ऐसे व्यक्तियों के उत्तरजीवी (survivor) को अथवा उत्तरजीवियों को देय होगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी हुई किसी बात का मृत व्यक्ति के किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा उक्त उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के विरूद्ध प्रस्तुत किये दावें (claim) पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

(2) यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी ऋण–पत्र या प्रतिभूति के संयुक्त गृहीता (joint holder) हों, तो जब तक ऐसे व्यक्तियों में से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा निगम को कोई प्रतिकूल नोटिस न दिया गया हो, ऐसे ऋण–पत्र या प्रतिभूति के सम्बन्ध में देय किसी ब्याज या लाभांश (devidend) के लिए उनमें से कोई व्यक्ति प्रभावकारी (effectual) रसीद दे सकता है।

165. **प्रतिभूतियों की द्वितीय प्रतियों (duplicates) का जारी किया जाना**–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी ऋण–पत्र के बारें में यह कहा जाय कि वह खो गया है, चुरा लिया गया है, पूर्णतया या अंशतः नष्ट हो गया है, उसका विरूपण हो गया है अथवा वह विकृत कर दिया गया है और कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि मैं वहीं व्यक्ति हूँ जिसे खो न जाने, चुना न लिए जाने, नष्ट न हो जाने, विरूपण न होने अथवा विकृत न होने की दशा में ऋण–पत्र देय होता, तो वह मुख्य नगराधिकारी को प्रार्थना–पत्र देकर और ऋण–पत्र के खो जाने, चुराये जाने, विरूपण होने अथवा विकृत किये जाने, नष्ट हो जाने के बारें में तथा अपने दावे के औचित्य का संतोशजनक प्रमाण प्रस्तुत करके निम्नांकित के लिए आज्ञा प्राप्त कर सकता है–

(क) यदि वह ऋण–पत्र जिसे खोया हुआ, चुराया हुआ, नष्ट हुआ, विरूपण हुआ, अथवा विकृत किया हुआ बताया गया हो उपधारा (2) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक के पश्चात् 6 वर्ष से अधिक की अवधि में देय हो, तो–

(1) उक्त ऋण–पत्र की द्वितीय प्रति (duplicate) जारी होने तक उस ऋण–पत्र से सम्बद्ध ब्याज के भुगतान के लिए, और

(2) प्रार्थी को देय ऋण–पत्र की द्वितीय प्रति जारी की जाने के लिए, या

(ख) यदि वह ऋण–यपत्र, जिसे खोया हुआ, चुराया हुआ, नष्ट हुआ, विरूपण हुआ, अथवा विकृत किया हुआ बताया गया हो उपधारा (2) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक के पश्चात् 6 वर्ष से अनधिक अवधि में देय हो, तो–

(1) उक्त ऋण–पत्र की द्वितीय प्रति को जारी हुए बिना ही उस ऋण–पत्र से सम्बद्ध ब्याज के भुगतान के लिए, और

(2) प्रार्थी को, उस दिनांक को या उसके पश्चात् जिस पर भुगतान देय होता हो, उक्त ऋण–पत्र पर देय (due) मूल धनराशि का भुगतान किये जाने के लिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आज्ञा तब तक न दी जायेगी जब तक कि ऋण–पत्र के खोने, चुराये जाने, नष्ट हो जाने, विरूपण हो जाने अथवा विकृत किये जाने के बारें में ऐसी विज्ञप्ति जारी न हो जाय जो निगम द्वारा विहित की जाय और जब तक कि ऐसी अवधि समाप्त न हो जाय जो निगम द्वारा विहित की जाय और वह आज्ञा उस समय तक न दी जायेगी जब तक प्रार्थी ऐसे क्षतिनिवारण (indemnity) न दे दे जो खोये हुए, चुराये हुए या नष्ट हुए, ऋण–पत्र के अन्तर्गत आगम प्राप्त समस्त व्यक्तियों (all persons derving title) के दावों के संबंध में निगम द्वारा अपेक्षित हो।

(3) उन ऋण–पत्रों की एक सूची, जिनके संबंध में उपधारा (1) में अधीन कोई आज्ञा दी जाय सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेगी।

(4) यदि किसी ऐसे ऋण–पत्र के संबंध में, जो पूरा–पूरा खोया हुआ, चुराया गया, नष्ट हुआ विरूपण हुआ या विकृत किया हुआ बताया गया हो, धारा 168 के

उपबनधोंके अधीन निगम अपने दायित्वों से मुक्त होने के पूर्व किसी भी समय ऐसा ऋण—पत्र मिल जाय तो इस धारा के अधीन उसके संबंध में दी गई आज्ञा रद्द कर दी जायेगी, किन्तु इससे मूलधन या ब्याज का कोई ऐसा भुगतान, जो पहले किया जा चुका हो, वाधित न होगा।

166. **ऋण—पत्रों का नवीकरण**—(1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी ऋण—पत्र का अधिकारी (entitled) होने का दावा करें, मुख्य नगराधिकारी को प्रार्थना—पत्र देकर और अपने दावें के औचित्य के बारें में उसका समाधान करके तथा प्राप्त ऋण—पत्र को ऐसी रीति से देकर और ऐसा शुल्क देकर, जिसे मुख्य नगराधिकारी विहित करें, ऐसा एक नवीकृत (renewed) ऋण—पत्र प्राप्त कर सकता है जो प्राथ्रना—पत्र देने वाले व्यक्ति को देय हों।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी ऐसे ऋण—पत्र के बारें, में जिसके नवीकरण के लिए प्रार्थना—पत्र दिया गया हो, आगम (title) विषयक कोई विवाद प्रस्तुत हो तो मुख्य नगराधिकारी—

(क) यदि विवाद से सम्बद्ध किसी पक्ष को सक्षम क्षेत्राधिकारयुक्त न्यायालय से कोई ऐसा अन्तिम निर्णय प्राप्त हो गया हो, जिसके द्वारा उसे ऐसे ऋण—पत्र का अधिकारी घोषित किया गया हो, ऐसे पक्ष के नाम एक नवीकृत ऋण—पत्र जारी कर सकता है,

(ख) उक्त निर्णय होने तक ऋण—पत्र का नवीकरण अस्वीकार कर सकता है, या

(ग) ऐसी जांच, जिसकी व्यवस्था आगे की गयी है, करने तथा उसके परिणाम पर विचार करने के पश्चात् लिखित आज्ञा द्वारा घोषित कर सकता है कि उसके मतानुसार सम्बद्ध पक्षों में से अमुक पक्ष उक्त ऋण—पत्र का अधिकारी है और ऐसी घोषणा के तीन मास की समाप्ति पश्चात् उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार ऐसे पक्ष के नाम—जब तक कि उस अवधि के भीतर मुख्य नगराधिकारी को इस आशय का नोटिस न प्राप्त हुआ हो कि ऐसे ऋण—पत्र के संबंध में अपने आगम (title) को स्थापित करने के लिए किसी व्यक्ति ने सक्षम क्षेत्राधिकारयुक्त किसी न्यायालय में कार्यवाही कर दी हैं—एक नवीकृत ऋण—पत्र जारी कर सकता है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद ''अन्तिम निर्णय'' से तात्पर्य है ऐसा निर्णय, जिसके विरूद्ध अपील न की जा सकती हो या ऐसा निर्णय, जिसके विरूद्ध अपील की तो जा सकती है किन्तु विधि द्वारा अनुज्ञात (allowed) कालावधि के भीतर की न गयी हो।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट जांच के प्रयोजनार्थ मुख्य नगराधिकारी ऐसे संपूर्ण साक्ष्या या उसके किसी भाग को, जैसा कि सम्बद्ध पक्ष प्रस्तुत करे, स्वयं अभिलिखित कर सकता है या जिला मैजिस्ट्रेट से या उसके अधीन किसी मैजिस्ट्रेट से अभिलिखित कराने का अनुरोध कर सकता है। साक्ष्य अभिलिखित करने वाला मैजिस्ट्रेट ऐसे साक्ष्य का अभिलेख मुख्य नगराधिकारी को प्रेषित करेगा।

(4) मुख्य नगराधिकारी या इस धारा के अधीन कार्य करने वाला कोई मैजिस्ट्रेट, यदि वह उचित समझे, तो षपथ लिवा कर साक्ष्य अभिलिखित कर सकता है।

167. **नवीकृत ऋण—पत्र के सम्बन्ध में दायित्व**—(1) यदि धारा 166 के अधीन किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई नवीकृत ऋण—पत्र जारी किया जा चुका हो तो इस प्रकार जारी किये गये ऋण—पत्र के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह निगम

तथा ऐसे व्यक्ति और उसके द्वारा तत्पश्चात् आगम प्राप्त करने वाले समस्त व्यक्तियों के मध्य किया गया संविदा है।

(2) ऐसे किसी नवीकरण का उन अधिकारों पर कोई प्रभाव न होगा, जो इस प्रकार नवीकृत ऋण–पत्र के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को निगम के विरूद्ध प्राप्त हों।

168. **कतिपय स्थितियों में मुक्त भार होना**–यदि धारा 165 के अधीन ऋण–पत्र की द्वितीय प्रति जारी की जा चुकी हो या धारा 166 के अधीन कोई नवीकृत ऋण–पत्र जारी किया जा चुका हो या यदि किसी ऐसे ऋण–पत्र पर, जिसके संबंध में ऋण–पत्र की द्वितीय प्रति जारी किये बिना ही मूल धनराशि लौटाने की आज्ञा धारा 165 के अधीन दी जा चुकी हो, देय मूलधन भुगतान के लिए नियम दिनांक को या तत्पश्चात् लौटा दिया गया हो, तो निगम ऐसे ऋण के संबंध में, जिसके स्थान पर ऋण–पत्र की द्वितीय प्रति या नवीकृत ऋण–पत्र इस प्रकार जारी किया जा चुका हेा या जिसके संबंध में देय धन लौटाया जा चुका हो, जैसी भी स्थिति हो–

(क) ऋण–पत्र की द्वितीय प्रति (duplicate) की दशा में धारा 165 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से या मूल ऋण–पत्र के ब्याज के पिछले भुगतान के दिनांक से 6 वर्ष पश्चात् इनमें से जो भी दिनांक परवर्ती हो;

(ख) नवीकृत ऋण–पत्र की दशा में उसके जारी किये जाने के दिनांक से 6 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात्; और

(ग) ऋण–पत्र की द्वितीय प्रति (duplicate) जारी किये बिना ही मूलधन करने की दशा में धारा 165 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से 6 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात्;

समस्त दायित्वों से मुक्त हो जायेगा।

169. **क्षति–पूर्ति (indemnity)**–धारा 166 में किसी बात के होते हुए भी मुख्य नगराधिकारी उस धारा के अन्तर्गत किसी स्थिति के उत्पन्न होने पर–

(1) मूल ऋण–पत्र के अधीन दावा प्रस्तुत करने वाले समस्त व्यक्तियों के दावों से निगम तथा मुख्य नगराधिकारी के पक्ष में क्षति–निवारण (indemnity) प्राप्त करने के पश्चात्, जैसा कि वह उचित समझे, एक नवीकृत ऋण–पत्र जारी कर सकता है, या

(2) जब तक उक्त क्षति–निवारण न हो जाय तब तक ऐसा नवीकृत ऋण–पत्र जारी करना अस्वीकृत कर सकता है।

170. **वार्षिक विवरण–पत्र मुख्य नगराधिकारी द्वारा तैयार किया जाना**–(1) मुख्य नगराधिकारी प्रत्येक वर्ष के अन्त में एक विवरण–पत्र तैयार करोगा, जिसमें निम्नांकित दिखाये जायेंगे–

(क) पिछले वर्षो के लिए गये ऋण, जिनके लिए निगम उत्तरदायी है और जिनका वर्ष आरम्भ होने के पूर्व पूर्णतः भुगतान न किया गया हो, वर्ष के आरम्भ में अदत्त धनराशि (amount outstanding) का ब्यौरा, ऋण लेने का दिनांक तथा वार्षिक ऋण परिव्यय (सवंद बींतहमे);

(ख) वर्ष में निगम द्वारा लिये गये ऋण तथा ऋण लेने के दिनांक तथा उसकी धनराशि विषयक ब्यौरे और वार्षिक ऋण परिव्यय (सवंद बींतहमे);

(ग) ऐसे प्रत्येक ऋण की दशा में, जिसके निमित्त निक्षेप निधि खोली गयी हो, वर्ष के अन्त में निक्षेप–निधि में जमा धनराशि (acumulation), जिसके वर्ष में उक्त निधि के हिसाब में जमा धनराशि अलग से दिखायी गयी हो;

(घ) वर्ष में चुकाये गये ऋण और किस्तों में या वार्षिक रूप से निकाली गयी धनराशियों द्वारा चुकाये गये ऋणों की दशा में उस वर्ष में चुकायी गयी धनराशियां और वर्ष के अन्त में देय शेष धनराशियां;

(ङ) उन प्रतिभूतियों के ब्यौरे, जिनमें निक्षेप निधियां लगायी गयी हों या जिनके लिए वे रक्षित हों।

(2) ऐसा प्रत्येक विवरण–पत्र निगम की बैठक के समक्ष रखा जायेगा और सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा और इस विवरण–पत्र की एक–एक प्रति राज्य सरकार तथा एक्जामिनर, लोकर फंड एकाउन्ट्स को भेजी जायेगी।

171. **नियम बनाने का अधिकार**–राज्य सरकार इस अध्याय के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए और विशेषतः एतद्द्वारा प्रदत्त अधिकारों की व्यापकता पर कोई प्रभाव डाले बिना निम्नांकित प्रयोजनों के लिए नियम बना सकती है–

(क) इस अध्याय के अधीन सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया;

(ख) निक्षेप निधि की स्थापना;

(ग) निक्षेप निधि में धन लगाना;

(घ) निक्षेप निधि की वार्षिक जांच और लेखा–परीक्षा;

(ङ) निगम निधि के कुर्क करने की रीति; और

(च) ऋण–पत्रों का मुद्रण।

अध्याय 9
निगम कर

172. **इस अधिनियम के अधीन कर लगाये जायेंगें**–(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और उसके तथा भारत का संविधान के अनुच्छेद 285 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निगम निम्नलिखित कर लगायेगी–

(क) सम्पत्ति कर;

(ख) यंत्र यालित वाहनों से भिन्न वाहनों (vehicles) तथा किराये पर चलने या नगर के भीतर रखी गयी गाड़ियों (conveyances) या वहां बांधी जाने वाली नावों पर कर;

(ग) सवारी करने, जोतने, गाड़ी खींचने या बोझ ढोने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले पशुओं पर कर, जब वे निगम के भीतर रखे जायं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करों के अतिरिक्त निगम इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तथा उसके उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित करों में से कोई भी कर लगा सकती हैं–

(क) व्यापारों, आजीविकाओं (callings) और व्यवसायों तथा सार्वजनिक या निजी नियुक्ति होने पर कर;

(ख) {* * *}

(ग) {* * *}

(घ) {* * *}

(ङ) नगर के भीतर रखे गये कुत्तों पर कर;

(च) परिवृद्धि कर (battermnet tax)
(छ) नगर के भीतर अचल संपत्ति के हस्तान्तरण लेखों पर कर;
(ज) समाचार–पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर;
(झ) प्रेक्षागृहों (जीतमंजतमे) पर कर;
(ञ) {* * *}
{* * *}

(3) निगम कर इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाई गई नियमावली और उपविधियों के अनुसार निर्धारित (assess) किये जायेंगें और लगाये जायेंगें (levied)।

(4) इस धारा की कोई बात कोई ऐसा कर लगाने का प्राधिकार न देगी, जिसे भारत का संविधान के अधीन राज्य विधानमंडल को राज्य में लगाने का अधिकार नहीं है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई कर भारत का संविधान के प्रारम्भ के ठीक पूर्व नगर में सम्मिलित किसी क्षेत्र में विधितः लगाया जा रहा था तो ऐसे कर का लगाया जाना और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाना जारी रखा जा सकता है जब तक कि संसद इसके विपरीत कोई उपबन्ध बनाये।

संपत्ति–कर

173. सम्पत्ति कर लगाये जा सकेंगे–(1) धारा 172 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए संपत्ति–कर में निम्नलिखित कर सम्मिलित होंगे, जो आगे व्यवस्थित अपवादों, परिसीमाओं और शर्तो के अधीन रहते हुए नगर में भवनों या भूमियों पर लगाये जायेंगें–

(क) सामान्य कर, जो यदि निगम ऐसा निर्धारित करें, आनुक्रमिक मद (graduated scale) आरोपित किया जा सकता है;

(ख) जल–कल जो उन क्षेत्रों में लगाया जा सकेगा जहां निगम द्वारा जल की आपूर्ति की जाती हो,''

(ग) जल निस्सारण कर (drainage tax) जो उन खेत्रों में लगाया जा सकेगा जहां निगम ने नालों (sewer) की प्रणाली की व्यवस्था की हो;

(घ) ऐसे क्षेत्रों में स्वच्छता कर (conservancy tax), जहां निगम संडासों, मूत्रालयों और नलकूपों से मलमूत्र और दूषित पदार्थ इकट्ठा करने, हटाने तथा उनका निस्तारण करने का कार्य–भार वहन करती है।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गयी नियमावली में स्पष्ट रूप से की अन्य व्यवस्था को छोड़कर ये कर यथास्थिति भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य (annual value) पर लगाये जायेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्पत्ति–करों का योग, किसी भी दशा में भवन या भूमि या दोनों ही, जिस पर उक्त कर निर्धारित किये गये हों, के वार्षिक मूल्य के बाईस प्रतिशत से कम और बत्तीस प्रतिशत से अधिक न होगा, किन्तु इस प्रकार ककि सामान्य कर, वार्षिक मूल्य के दस प्रतिशत से कम और पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न होगा, जल–कल, वार्षिक मूल्य के साढ़े दस प्रतिशत से कम और साढ़े बारह प्रतिशत से अधिक न होगा, जल–निस्सारण–कर वार्षिक मूल्य के ढाई प्रतिशत से कम और पांच प्रतिशत से अधिक न होगा और स्वच्छता–कर, वार्षिक मूल्य के दो प्रतिशत से अधिक न होगा।''

174. **वार्षिक मूल्य की परिभाषा**—वार्षिक मूल्य से तात्पर्य हैं—

(1—(क) रेलवे स्टेशनों, स्कूलों, छात्रावासों, कारखानों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावसिक भवनों की दशा में, नियम द्वारा निश्चित की गयी दर से मूल्याकंर्षण व्यय घटाने के पश्चात् भवन निर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत और उससे संलग्न भूमि के अनुमानित मूल्य को जोड़कर ग़िकिली गयी धनराशिका 5 प्रतिशत से अन्यून भाग जिसे एतदर्थ बनाये गये नियम द्वारा निश्चित किया जायेगा, और''

(1—ख) ऐसे भवन या भूमि की दशा में, जो खण्ड (क) के उप बन्धों के अन्तर्गत न आती हो, भवन के कारपेट एरिया भूमि के क्षेत्र पर, यथास्थिति, भवन के मामलें में कारपेट एरिया का प्रति वर्ग फीट पर किराये की प्रयोज्य न्यूनतम मासिक दर से गुणा करने पर प्राप्त मूल्य का बारह गुना, और इस प्रयोजन के लिए प्रति वर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर ऐसी होगी जैसी मुख्य नगर अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थितिस, भवनके निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट और ऐसे भवन या भूमि के लिए उस क्षेत्र में किराये की वर्तमान न्यूनतम दर और ऐसे अन्य कारणों के आधार पर, और ऐसी रीति से,जो विहित की जाय, निर्धारित की जा सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त रीति से हिसाब लगाने पर निगम की राय में किसी असाधारण परिस्थिति के कारण किसीभवनका वार्षिक मूल्य अत्याधिक होता हो तो निगम वार्षिक मूल्य के रूप में कोई ऐसी कम धनराशि की निश्चित कर सकती है जो न्याय संगत प्रतीत हो।

स्पष्टीकरण—एक :—वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कारपेट एरिया की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी :—

(एक) कमरे—आन्तरित आयाम की पूर्ण माप;

(दो) आच्छादित बरामदा— आन्तरित आयाम की पूर्ण माप;

(तीन) बालकनी, कारीडर— आन्तरित आयाम की पचास प्रति माप; रसाई और भण्डार गृह

(चार) गैराज— आन्तरित आयाम की एक चौथाई माप;

(पांच) स्नानगृह, शौचालय, पोटिर्को और जीने से आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—दो :—किसी भवन के मानक किराया या रीनेबुल एनुबुल रेन्ट की, जो उत्तर प्रदेश शहरी (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियम) अधिनियम, 1972 के प्रयोजन के लिए है, गणना उस भवन के वार्षिक मूल्य की गणना करते समय, नहीं की जायेगी।

(क) भूमि और स्वामी द्वारा अध्यासिक आवसिक भवन के मामलें में उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से, यदि भवन दस वर्ष से अधिक पुराना नही है तो 25 प्रतिशत कम, और यदि वह दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो चालीस प्रतिशत कम, समझा जायेगा; और

(ख) किराये पर उठाये गये आवसिक भवन के मामलें में उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से, यदि भवन दस वर्ष से अधिक पुराना है तो 25 प्रतिशत और यदि वह दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम पुराना है तो 12.5 प्रतिशत, अधिक समझा जायेगा और यदि वह बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो उसका वार्षिक मूल्य उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा।

175. **जल–कल लगाने पर प्रतिबन्ध**–धारा 173 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कर इस निर्बन्धन के अधीन रहते हुए लगाया जायेगा कि निम्नलिखित पर ऐसा कर न लगाया जाय,–

(1) किसी ऐसी भूमि पर जिसका उपयोग एकमात्र कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता हो, जब तक कि निगम द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए जल सम्भरित न किया जाय; या

(2) किसी ऐसे भू–खण्ड या भवन पर जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ आठ रूपये से अधिक न हो और जिसे निगम द्वारा जल सम्भरित न किया जाता हो; या

(3) किसी ऐसे भूखण्ड या भवन पर जिसका कोई भाग निकटतम बम्बा या अन्य–जल–कल से जहां पर जनता को निगम द्वारा जल उपबन्ध कराया जाता हो, उस नगर के लिए विहित अर्ध व्यास के भीतन न हो।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिये,–

(क) 'भवन' में उसका अहाता (यदि कोई हों) और जहां तक सामान्य अहाते में अनेक भवन हों, वहा ऐसे समसत भवन और सामान्य अहाता भी सम्मिलित है;

(ख) 'भू–खण्ड' का तात्पर्य किसी ऐसे भूमि के खण्ड से है जो किसी एकल अध्यासी द्वारा या अनेक अध्यासियों द्वारा सामान्य रूप से धृत हो जिसका कोई भी भाग किसी दूसरे भाग से किसी अन्य अध्यासी या अध्यासियों की भूमि या सार्वजनिक सम्पत्ति के द्वारा पूर्णतया पृथक–कृत न हों।

176. **जल–कलों ओर जल निस्तारण के निर्माण कार्यो से होने वाली आय को एकत्र करना**–जल–कर, जल–निस्सारण कर और स्वच्छता कर से होन वाली आय तथा ऐसी अन्य समस्त आय को, जो जल–कलों, जल निस्सारण कार्यो, नालियों तथा संडासों, मूत्रालयों और नलकूपों से इकट्ठा किये गये मल इत्यादि और दूषित पदार्थो और ऐसे पदार्थो के निस्तारण से तथा ''सलेज फार्मो'' से होती हो एकत्र किया जायेगा ओर उसे उक्त जल–कलों और जल–निस्सारण निर्माण, संधारण, विस्तार और सुधार के संबंध में और संडासों, मूत्रालयों तथा नलकूपों से मल इत्यादि और दूषित पदार्थ इकट्ठा करने, हटने और उनका निस्तारण करने के संबंध में, जिसके अन्तर्गत सलेज फार्मो का संघारण भी है, होने वाले व्ययों को पूरा करने के लिए खर्च किया जायेगा।

177. **किन भू–गृहादि पर सामान्य कर आरोपित किया जायेगा**–सामान्य कर नगर में स्थित सभी भवनों और भूमियों पर लगाया जायेगा, सिवाय–

(क) उन भवनों और भूमियों के, जो एकमात्र मृतकों के निस्सारण के संबद्ध प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती हों;

(ख) उन भवनों और भूमियों या उनके ऐसे भाग के, जो केवल सार्वजनिक उपासना या दानोत्तर के प्रयोजन के लिए अध्यासन में हों;

(ग) भवन जो एक मात्र जेलों, न्यायालय गृहों, कोशगार स्कूल और कालेजों के रूप में प्रयुक्त होते हों, किन्तु ऐसे वृत्तिक, व्यावसायिक प्राविधिक और चिकित्सकीय संस्थानों को छोड़कर जिन्हें ऐसे सरकार द्वारा न तो बढ़ाया जाता है और न प्रबन्ध किया जाता है।''

(घ) एन्शियन्ट मानुमेन्टस प्रिजर्वेशन ऐक्ट, 1904 में परिभाषित प्राचीन स्मारकों के किन्तु ऐसे किसी स्मारक के संबंध में राज्य सरकार के दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुए;

(ङ) किसी ऐसे भवन या भूमि के जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रूपये या इससे कम हो, प्रतिबन्ध यह है कि उसके स्वामी काउसी नगर में कोई अन्य भवन

या भूमि न हो, और निगम की मुख्य या शाखासीवर लाइन से तीस मीटर के भीतर स्थिति किसी भवन की स्थिति में, अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि उसके फ्लश की व्यवस्था सहित शौचालय हो, और

(च) भारत के संविधान के अनुच्छेद 285 के खंड (2) के उपबन्ध जहां लागू होते हों उन्हें छोड़कर भवन तथा भूमि जो भारत के संघ में निहित हों।

(छ) स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसा कोई आवासिक भवन जो तीस वर्ग मीटर के भूखण्ड पर निर्मित किया गया हो या जिसका कारपेट एरिया 15 वर्ग मीटर तक हो; प्रतिबन्ध यह है कि उसके स्वामित्व में नगर में कोई अन्य भवन न हो;

(ज) स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन जो किसी ऐसे क्षेत्र में हो जिसे पिछले दस वर्ष के भीतर नगर में सम्मिलित किया गया हो।''

178. अनुध्यासन (**nonoccupation**) के कारण छूट–(1) जब किसी वर्ष कोई भवन या भूमि निरन्तर नब्बे या इससे धिक दिनों तक खाली रही हो और उससे किराया न मिलता रहा हो तो मुख्य नगराधिकारी उस वर्ष के प्रत्येक संपत्ति कर में उतनी छूट दे देगा या उसे वापस कर देगा, जो उतने दिनों के अनुपात में हो, जितने दिनांक तक उक्त भवन या भूमि खाली रही हो ओर उससे किराया न मिला हो।

(2) यदि किसी भवन में अलग–अलग तघु गृह (tenements) हों ओर उनमें से एक या एकाधिक ऊपर उल्लिखित किसी अवधि तक खाली रहा हो, उसससे किराया न मिला हो, तो मुख्य नगराधिकारी प्रत्येक कर या किस्त के ऐसे भाग (यदि कोई हों) को छूट दे सकता है या उसे वापस कर सकता है, जो विहित किया जाय;

किन्तु प्रतिबनध यह है कि उस समय तक कोई छूट न दी जायेगी जब तक निगम को इस बात का लिखित नोटिस न दे दिया गया हो कि भवन या भूमि खाली है और उससे कोई किराया नहीं मिल रहा है, और ऐसा नोटिस देने के दिन से पूर्व की किसी अवधि के लिए कोई छूट या वापस प्रभावी न होगी।

(3) उन तथ्यों को, जिनके कारण कोई व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन उपशम (relief) प्राप्त करने का अधिकारी हो, प्रमाणित करने का भार स्ववयं उसी पर होगा।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई भवन या भूमि खाली न समझी जायेगी यदि वह आमोद–प्रमोद के स्थान (pleasure resort) या नगर गृह या ग्राम्यगृह (town or country house) के रूप में संधारित की जाती हो अथवा यह न समझा जायेगा कि उससे किराया नहीं मिल रहा है यदि उसे किसी ऐसे किरायेदार या काश्तकार (tenant) के पास छोड़ दिया गया हो, जिसे उसके निरन्तर अध्यासन का अधिकार हो, चाहे वह उसके वास्तविक अध्यासन में हो या न हो।

179. **वार्षिक मूल्य पर लगाये जाने वाले कतिपर्य सम्पत्ति करों के लिए प्राथमिक उत्तरदायित्व**–(1) अन्यथा विहित की गई व्यवस्था को छोड़कर, भवनों या भूमियों के वार्षिक मूल्य पर प्रत्येक कर (जो निस्सारण कर या स्वच्छता–कर से भिन्न हो) प्राथमिक रूप से उस सम्पत्ति के, जिस पर उक्त कर निर्धारित किये गयेक हों, वास्तविक अध्यासी पर लगाया जायेगा, सयदि वह उक्त भवनों या भूमियों का स्वामी हो या उसने उन्हें केन्द्रीय या राज्य सरकार या महापालिका से भवन सम्बन्धी पट्टे या अन्य पट्टे पर या किसी व्यक्ति से भवन संबंधी पट्टे पर लिया हो;

(2) किसी अन्य दशा में कर प्रथमतः (primarily) निम्नलिखित रूप से लगाया जायेगा, अर्थात्–

(क) यदि सम्पत्ति किराये पर उठाई गई हो तो पट्टा दाता से;

(ख) यदि सम्पत्ति शिकमी पट्टे पर दी गई हो तो वरिष्ठ (superior) पट्टादाता से;

(ग) यदि सम्पत्ति किराये पर नहीं उठाई गई हो तो उस व्यक्ति से, जिसमें उसे किराये पर उठाने का अधिकार निहित हो।

(घ) यदि सम्पत्ति, उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियम) अधिनियम, 1972 के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में किराये पर उठाई हो, तो किरायेदार से।''

(3) प्रथमतः देनदार व्यक्ति से कोई ऐसी धनराशि, जो उससे उक्त कर के रूप में प्राप्य (due) हो, वसूल न होने पर मुख्य नगराधिकारी उन भवनों या भूमियों के, जिनके संबंध में वह देय हो, किसी भाग के ध्यासी (opccupier) में उस कर का ऐसा भाग वसूल कर सकता है, जो देय कर की सम्पूर्ण धनराशि के उस अनुपात में हो जो उक्त अध्यासी द्वारा देय वार्षिक किराये की धनराशि में तथा उक्त पूरे भवन या भूमि के सम्बन्ध में देय कुल किराये की धनराशि या प्रमाणीकृत कर निर्धारण सूची (authenticated assessment list) में उसके किराये के मूल्य की कुल धनराशि में हो।

(4) यदि कोई अध्यासी कोई ऐसा भुगतान करे, जिसके लिए पूर्वोक्त उपबनधों के अधीन वह प्रथमतः देनदान नहीं है तो किसी विपरीत संविदा के न होने पर वह प्रथमतः देनदार व्यक्ति से उक्त धनराशि की भरपाई (reimbursement) पाने का धिकारी होगा।

180. **ऐसे अन्य करों के भुगतान का दायित्व**–(1) भवनों या भूमियों के वार्षिक मूल्य का जल–निस्सारण कर या स्वच्छता कर उस सम्पत्ति के, जिस पर वे कर निर्धारित किये गये हों, वास्तविक अध्यासी से वसूल किये जायेंगे;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी सम्पत्ति एक से अधिक अध्यासियों को किराये पर उठाई गई हो तो मुख्य नगराधिकारी को यह विकल्प (option) प्राप्त होगा कि वह वास्तविक अध्यासियों के बजाय पट्टादाता (lessor) से कर वसूल करें।

(2) कोई पट्टादाता, जिससे उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन कर वसूल किया गया हो, किसी विपरीत संविदा के न होने पर उक्त कर की धनराशि किन्हीं या सभी वास्तविक अध्यासियों से वसूल कर सकता"।

181. **सम्पत्ति–कर उन भू–गृहादि पर, जिस पर वे निर्धारित किये गये हों, प्रथम भार (charge) होगा**–(1) राज्य सरकार को किसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में देय मालगुजारी, यदि कोई हो, का पहले भुगतान कर दिये जाने के प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन उस भवन या भूमि के संबंध में देय संपत्ति–कर राज्य सरकार को सीधे लिये गये (held immediately) किसी भवन या भूमि की दश में, उक्त भवन या भूमि में उन करों के देनदार व्यक्ति के स्वतः पर तथा उक्त भवन या भूमि की दशा में उक्त भवन या भूमि पर, जो उस व्यक्ति की हो, जो ऐसे करों का देनदार है, सर्वप्रथम भार होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में शब्द ''संपत्ति—कर'' के संबंधों में यह समझा जायेगा कि उसके अन्तर्गत ऐसे व्यय को, जो किसी भू—गृहादि को सम्भरण किये गये जल के कारण देय हों और नियमावली में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर की वसूली पर होने वाले व्यय आ जातें है।

(2) उपधारा (1) के अधीन उत्पन्न किसी भार (charge) को कार्यान्वित करने के लिए प्रस्तुत वाद की किसी डिग्री में न्यायालय यह आज्ञा दे सकता है कि देय धनराशि पर वाद प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से उसकी वसूली के दिनांक तक उस ब्याज की दर से, जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, निगम को ब्याज दिया जाय और ऐसे ब्याज तथा ऐसे भार को कार्यान्वित करने के संबंध में होने वाला व्यय, जिसमें वाद—व्यय और उक्त डिग्री के अधीन सम्बद्ध भू—गृहादि या चल सम्पत्ति की बिक्री पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है, उपर्युक्त बातों के अधीन रहते हुए देय धनराशि सहित ऐसे भू—गृहादि और चल सम्पत्ति पर प्रथम भार होगा और न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि बिक्री की आय में से उक्त धनराशियों का भुगतान निगम को कर दिया जाय।

वाहनों और नावों तथा पशुओं पर कर

182. **वाहनों और नावों तथा पशुओं पर कर**—(1) धारा 172 की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कोई कर उन दरों से ऊँची दरों पर न लगाया जायेगा जो राज्य सरकार समय—समय पर एतदर्थ यथास्थिति, वाहनों और नावों अथवा पशुओं के संबंध में नियमों द्वारा निर्दिष्ट करें।

(2) निगम वर्ष—प्रतिवर्ष धारा 148 के अनुसार वह दरें निर्धारित करेगी, जिनके अनुसार उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर लगाया जायेगा।

(3) किसी ऐसे वाहन (vehicle), नाव या पशु के संबंध में, जो नगर की सीमाओं के बाहर रखा गया हो, किन्तु जो नियमित रूप से उन सीमाओं के भीतर प्रस्तुत होता हो, यह समझा जायेगा कि वह नगर में प्रयोग के लिए रखा गया है।

183. **धारा 172 में उल्लिखित कतिपय करों से मुक्ति**—(1) धारा 172 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कर निम्नलिखित के संबंध में न लगाया जा सकेगा—

(क) वाहन और नावें, जो निगम की हो;

(ख) भारत का संविधान के अनुच्छेद 285 के खंड (2) के उपबन्ध जहां लागू होते हों, उसे छोड़कर वाहन और नावें जो भारत के संघ में निहित हों।

(ग) भारत के संध में सम्मिलित किसी राज्य में निहित वाहन और नावें, जो केवल सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होती हों तथा लाभ के प्रयोजनार्थ न तो वे प्रयुक्त होती हों और न एतदर्थ उनका प्रयोग अभिप्रेत हो;

(घ) वाहन और नावें, जो केवल घायलों, बीमारों या मृतकों को निःशुल्क लाने ले जाने के लिए अभिप्रेत हों;

(ङ) बच्चों के पेराम्बुलेटर और तीन पहिये की साइकिलें;

(च) वाहन या नातें, जिन्हें वाहनों या नावों के वास्तविक व्यापारी (bonafide dealers) केवल विक्रय के प्रयोजनार्थ अपने पास रखते हों ओर जो प्रयुक्त न होती हों।

(2) धारा 172 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कर निम्नलिखित के संबंध में लगाया जा सकेगा—

(क) पशु जो निगम के हों;

(ख) भारत के संघ में निहित पशु, जब भारत का संविधान के अनुच्छेद 285 के खंड (2) के उपबन्ध लागू न होते हों;

(ग) भारत के संघ में सम्मिलित किसी राज्य में निहित पशु जो केवल सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होते हों तथा लाभ के प्रयोजनार्थ न तो वे प्रयुक्त होते हों और न एतदर्थ उनका प्रयोग अभिप्रेत हो।

(3) यदि उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खंड (ग) या उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन इस आशय का कोई प्रश्न उठा खड़ा हो कि भारत के संघ या उसमें सम्मिलित किसी राज्य में निहित कोई वाहन, नाव या पशु लाभ के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होता है या नहीं, अथवा एतदर्थ उसका प्रयोग अभिप्रेत है या नहीं तो उसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

अन्य कर

184. **परिवृद्धि–कर (betterment tax)**–परिवृद्धि कर से तात्पर्य वह कर है, जो किसी ऐसी भूमि के मूल्य की वृद्धि पर लिया जाय जो अध्याय 14 के अधीन प्रवृत्त किसी योजना में सम्मिलित हो, किन्तु उसके निष्पादन के लिए वास्तव में अपेक्षित न हो अािवा ऐसी किसी भूमि के मूल्य की वृद्धि पर, जो उक्त योजना की सीमा के पार्श्व में (adjacent) हो और उससे एक चौथाई मील के भीतर हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त पार्श्ववर्ती भूमि नगर के भीतर स्थित हो।

185. **परिवृद्धि कर की धनराशि**–परिवृद्धि कर की धनराशि धारा 187 की उपधारा (2) के अधीन सार्वजनि नोटिस में निर्दिष्ट दिनांक को उक्त भूमि के बाजार मूल्य और अध्याय 14 के अधीन योजना के अन्तिम रूप से विज्ञप्ति किये जाने के दिनांक को या उसके ठीक पूर्व के दिनांक पर उक्त भूमि के बाजार मूल्य के अन्तर की धनराशि के आधे के बराबर होगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन हिसाब लगाने के प्रयोजनों के लिए भूमि सब भवनों से रहित समझी जाएगी।

186. **परिवृद्धि कर कर का भुगतान**–जहां निगम ने धारा 172 की उपधारा (2) के खंड (च) में उल्लिखित कर आरोपित किया है, धारा 184 में उल्लिखित भूमि का प्रत्येक स्वामी या कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका उक्त भूमि के मूल्य की वृद्धि के संबंध में कोई स्वत्व हो, आगे व्यवस्थित रीति से निगम को उतना परिवृद्धि कर अदा करेगा, जितना मुख्य नगराधिकारी करें।

187. **परिवृद्धि कर लगाये जाने की नोटिस**–(1) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा वह दिनांक घोशित करेगी, जिस पर योजना पूर्ण हुई समझी जायेगी।

(2) उपधारा (1) में घोषित योजना पूर्ण होने के एक वर्ष के भीतर मुख्य नगराधिकारी निगम के इस अभिप्राय का एक सार्वजनिक नोटिस देगा कि वह एक निर्दिष्ट दिनांक से परिवृद्धि कर लगाना चाहता है।

188. **परिवृद्धि कर का निर्धारण**–(1)मुख्य नगराधिकारी उक्त नोटिस के प्रकाशन के एक मास के पश्चात् किसी भी

समय सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा देय परिवृद्धि कर की धनराशि निर्धारित करेगा और उस व्यक्ति को लिखित नोटिस देगा, जिसमें कर की धनराशि और किस्तों, यदि कोई हों, तथा दिनांक जब कर का भुगतान किया जायेगा और ऐसे अन्य विवरणों का, जो आवश्यक हो, उल्लेख किया जायेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (1) के अधीन निर्धारण का नोटिस तामील किया गया हो, ऐसा नोटिस किंकये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर उक्त निर्धारण के विरूद्ध मुख्य नगराधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी कोई आपत्ति स्वीकार की जा सकती है यदि उपधारा (3) में अभिदिष्ट कार्यकारिणी स मिति या उपसमिति का यह समाधान हो जाय कि आपत्ति ऐसे कारणों से की जा सकी थी, जो आपत्तिकर्ता के वश के बाहर थे।

(3) आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् कार्यकारिणी समिति या एतद्र्थ नियुक्त उसकी उपसमिति आपत्ति का निर्णय करेगी और तत्पश्चात् वह कर निर्धारण की पुष्टि कर सकती है, उसका परिष्कार कर सकतीर है या उसे रद्द (cancel) कर सकती है।

(4) यदि वह व्यक्ति, जिस पर उपधारा (1) के अधीन निर्धारण का नोटिस तामील किया गया हो; उपधारा (2) के अधीन आपत्ति प्रस्तुत नही करता तो कर–निर्धारण की आज्ञा निश्चायक होगी और उस पर किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण में कोई आक्षेप नहीं किया जायेगा।

189. **परिवृद्धि कर का भुगतान करने के सम्बन्ध में विकल्प (alternative)**–(1) परिवृद्धि कर का देनदान कोई व्यक्ति, यदि वह चाहे, तो महापालिका को उसका भुगतान करने के बजाय निगम के साथ इस आशय का एक अनुबन्ध निष्पादित कर सकता है कि वह इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वह प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज की निरन्तर अदायगी करता रहेगा, भूमि में अपने स्वत्व पर एक भार (charge) के रूप में उक्त भुगतान को बकाया रखेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया हो, किसी भी समय धारा 188 के अधीन निर्धारित कर की धनराशि की अदायकी कर सकता है, किन्तु उसे अपने इस अभिप्राय का 6 मास का नोटिस देना होगा।

190. **परिवृद्धि कर की बकाया धनराशि की वसूली**–परिवृद्धि कर की बकाया की वसूली अध्याय 21 में व्यवस्थित रीति से की जायेगीं

191. **अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण के लेखों (deeds of transfer) पर कर**–(1) यदि निगम ने धारा 172 के खंड (छ) में निर्दिष्ट कर लगाया हो तो अचल सम्पत्ति के किसी हस्तान्तरण लेख पर इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 द्वारा लगाया गया शुल्क (duty) नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति की दशा में प्रतिफल की धनराशि या मूल्य पर, जिसके अभिदेश में उक्त अधिनियम के अधीन शुल्क की गणना की जाय 2 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा दिया जायेगा।

(2) उक्त वृद्धि के फलस्वरूप, उगाही गई समस्त धनराशि, प्रासंगिक (incidental) व्ययों, यदि कोई हो, के घटाने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा निगम को उसी रीति से अदा की जायेगी, जो नियमों द्वारा विहित की जाय।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 की धारा 27 इस प्रकार पढ़ी जायेगी तथा उसका अर्थ इस प्रकार लगाया जायेगा मानों उसमें निर्दि॰ ब्यौरे निम्नलिखित के संबंध में पृथक–पृथक देना उसके द्वारा विशिष्ट रूप से अपेक्षित हो :–

(क) नगर के भीतर स्थित संपत्ति, और

(ख) नगर के बाहर स्थित संपत्ति।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 की धारा 64 को इस प्रकार पढ़ा जायेगा और उसका अर्थ इस प्रकार लगाया जायेगा मानों जिसमें निगम और राज्य सरकार दोनों ही को निर्दिश्ट किया गया हो।

192. **विज्ञापनों पर कर**–जहां निगम ने धारा 172 की उपधारा (1) के खंड (त) में उल्लिखित कर आरोपित किया है प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भूमि, भवन, दिवाल, तख्ती (hoarding) या ढांचे (structure) पर या उसके ऊपर कोई विज्ञापन लगाता, प्रदर्शित करता, चिपकाता या रखता है, (creats exhibits, fixes or retains) अथवा जो किसी भी स्थान में चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, किसी भी रीति से सर्वसाधारण के सम्मुख कोर्ठ विज्ञापन प्रदर्शित करता है, इस प्रकार लगाए गए, प्रदर्शित किये, चिपकाये गये, कायम रखे गये अथवा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किये गये, प्रत्येक विज्ञापन के लिए ऐसी दरों पर और ऐसी रीति से ऐसी मुक्तियों (exemptions) के अधीन रहते हुए, जिनकी व्यवस्था इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा की गई हो, लगाये गये कर का शोधन करेगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन निम्नलिखित प्रकार से विज्ञापन या नोटिस पर कोई कर नहीं लगाया जायेगा।

(क) सार्वजनिक सभाओं का (meetings); या

(ख) किसी विधायिका संस्था या निगम के निर्वाचन का; या

(ग) उक्त निर्वाचन के संबंध में उम्मीदवारी का;

यह भी प्रतिबन्ध होगा कि वह कर ऐसे विज्ञापन पर न लगाया जायेगा जो आकाश चिन्ह ॅालेपहद) न हो और जो–

(क) किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किया जाय, या

(ख) उस भूमि या भवन के भीतर किये गये जाने वाले व्यापार या व्यवसाय के बारें में हो, जिन पर या जिसके ऊपर विज्ञापन प्रदर्शित किया जातो या ऐसी भूमि या भवन या उनके भीतर सामान्य प्रभाव (effects) की किसी बिक्री या उसको किराये पर देने के बारें में हो या उसमें या उसके भीतर होने वाली किसी बिक्री, मनोरंजन या बैइक के बारें में हो; या

(ग) ऐसी भूमि अथवा भवन के नाम के बारें में हो, जिस पर अथवा जिसके ऊपर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो या उस भूमि या भवन के स्वामी अथवा अध्यासी के नाम के बारें में हो; या

(घ) किसी रेलवे प्रशासन के कारबार में हो; या

(ङ) किसी रेलवे स्टेशन के भीतर या रेलवे प्रशासन की किसी दवाल या किसी अन्य सम्पत्ति पर सिवाय ऐसी दीवाल या सम्पतित की सतह के किसी भाग के, जो किसी सड़क के सामने पड़ती हो, प्रदर्शित किया जाता हो।

स्पष्टीकरण 1–इस धारा में शब्द ''ढांचा'' (structure) के अन्तर्गत पहियेदार ऐसा सचल बोर्ड (movable board) भी होगा जिसका प्रयोग विज्ञापन अथवा विज्ञापन के साधन के रूप में किया जाता हो।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द ''सार्वजनिक स्थान'' का तात्पर्य है कोई ऐसा स्थान, जो जनता के प्रयोग तथा आमोद–प्रमोद के लिए उपलब्ध हो चाहे वह जनता द्वारा वास्तव में प्रयोग या उपयोग में लाया जाता हो या न लाया जाता हो।

193. **मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना विज्ञापनों का प्रतिषेध**—(1) निगम द्वारा धारा 192 के अधीन कर का लगाया जाना निर्धारित किये जाने के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नगर के भीतर किसी भूमि, भवन, दीवाल, विज्ञापन–फलक या ढॉचे पर कोई भी विज्ञापन न लगाया जायेगा, न प्रदर्शित किया जायगा, न चिपकाया या कायम रखा जायगा और न किसी स्थान में, किसी भी ढंग से प्रदर्शित किया जायगा।

(2) मुख्य नगराधिकारी ऐसी अनुमति न देगा यदि—

(क) उक्त विज्ञापन धारा 541 के खंड (48) के अधीन निगम द्वारा बनायी गई किसी उपविधि का उल्लंघन करता हो; या

(ख) विज्ञापन के सम्बन्ध में देय कर का, यदि कोई हो, भुगतान न किया गया हो।

(3) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे विज्ञापन के सम्बन्ध में, जिस पर विज्ञापन कर लग सकता हो, मुख्य नगराधिकारी ऐसी अवधि के लिए अनुमति प्रदान करेगा, जिससे कर का भुगतान सम्बन्ध रखता हो, और ऐसी अनुमति देने के निर्मित्त कोई शुल्क न लिया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपबन्ध किसी रेलवे प्रशासन के कारोबार संबंधी विज्ञापन पर या ऐसे विज्ञापन पर लागू न होंगे, जो किसी रेलवे कम्पनी के भू–गृहादि पर लगाया गया हो, प्रदर्शित किया गया हो, चिपकाया या कायम रखा गया हो।

194. **कतिपय दशाओं में मुख्य नगराधिकारी की अनुमति का शून्य होगा**—धारा 193 के अधीन दी गयी अनुमति निम्नलिखित दशाओं में शून्य (void) होगी, अर्थात्—

(क) यदि विज्ञापन धारा 541 के खंड (48) के अधीन निगम द्वारा निर्मित किसी उपविधि का उल्लंघन करता हो;

(ख) यदि विज्ञापन में कोई परिवर्द्धन किया गया हो, सिवाय उस दशा में जब मुख्य नगराधिकारी के आदेशानुसार उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन से किया जाय;

(ग) यदि विज्ञापन अथवा उसके किसी भाग में कोई महत्वपूर्ण (material) परिवर्तन किया जाय;

(घ) यदि विज्ञापन अथवा उसका कोई भाग दुर्घटना के अतिरिक्त अन्य प्रकार से गिर जाय;

(ङ) यदि उस भवन, दीवाल या ढांच में जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन लगाया, प्रदर्शित किया, चिपकाया या कायम रखा गया हो, कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाय और ऐसा परिवर्द्धन या परिवर्तन विज्ञापन अथवा उसकि किसी भाग के लिए बाधक सिद्ध होता हो; और

(च) यदि भवन, दीवाल या ढांचा जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन लगाया गया, प्रदर्शित किया गया, चिपकाया या कायम रखा गया हो, गिराया या नष्ट कर दिया जाय।

195. **विज्ञापन से लाभानुयोग उत्तरदायी समझा जायेगा**—यदि कोई विज्ञापन धारा 192 अथवा 193 का उल्लंघ करके किसी भूमि, भवन, दीवाल, विज्ञापन फलक

(hoarding) अथवा ढांचे (structue) पर अथवा उसके ऊपर लगाया (erected), प्रदर्शित किया, चिपकाया, या कायम रखा जायेग अथवचा उसे इस प्रकार कीस अवधि के लिए लगाने, प्रदर्शित करने, चिपकाराने या कायम रखने के लिए दी गयी लिखित अनुमति समाप्त या शून्य हो गई हो तो वह व्यक्ति, जिसके लिए अथवा जिसके प्रयोजनार्थ विज्ञापन प्रत्यक्षतः लगाया, प्रदर्शित किया, चिपकाया या कायम रखा गया हो तो, के विषय में यह समझा जायेगा कि वही वह व्यक्ति है जिसने उपबन्धों का उल्लंघन करके इस प्रकार के विज्ञापन को लगाया (erected), प्रदर्शित किया, चिपकाया या कायम रखा है, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि ऐसा उल्लंघन उसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो उसकी नौकरी अथवा नियंत्रण में नही था अथवा वह बिना उसके अज्ञानभिनय (connivance) के किया गया था।

196. **अप्राधिकृत विज्ञापनों का हटाया जाना**—यदि धारा 192 अथवा 193 के उपबन्धों के प्रतिकूल कोई विज्ञापन, लगाया, प्रदर्शित किया, चिपकाया या काम रखा गया हो तो अथवा उसे इस प्रकार किसी अवधि के लिए लगाने, प्रदर्शित करने, चिपकाने या कायम रखने के लिए दी गयी अनुमति समाप्त या शून्य हो गई हो तो मुख्य नगराधिकारी ऐसी भूमि, भवन, दीवाल विज्ञापन—फलक (hoarding) या ढांचे, के जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन लगाया, प्रदर्शित किया, चिपकाया या कायम रखा गया हो, स्वमी या अध्यासी को लिखित नोटिस देकर यह आदेशदे सकता है कि वह ऐसे विज्ञापन को उतार ले या हटा दे अिवा वह किसी भवन, भूमि या सम्पत्ति में प्रवेश कर सकता है और विज्ञापन को हटावा सकता है।

197. प्रेक्षागृह कर से मुक्ति (**exemptions from threatre tax**)—निम्नलिखि के विषय में प्रेक्षागृह—यकर नहीं लगाया जा सकेगा :—

(क) कोई मनोरंजन (entertainment) अथवा आमोद—प्रमोद (amusement), जिसमें प्रवेश के लिए कोई शुल्क न लिया जाता हो अथवा केवल नाममात्र (nominal) शुल्क लिया जाता हो;

(ख) कोई मनोरंजन (entertainment) अथवा आमोद—प्रमोद (amusement), जो सर्वसाधारण के लिए शुल्क पर उपलब्ध न हो;

(ग) कोई मनोरंजन अथवा आमोद—प्रमोद, जिसकी सम्पूर्ण आय बिना व्यय काटे हुए किसी सार्वजनिक दानोत्तर प्रयोजन (charitable purpose) के लिए व्यय की जाने वाली हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए नाममात्र शुल्क (nominal) वह शुल्क होगा जो नियमों द्वारा निश्चित किया जाय।

198. {* * *}

करों का आरोपण

199. प्रारम्भिक प्रस्थापनाओं (**proposals**) का तैयार किया जाना—(1) निगम द्वारा धारा 172 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई कर आरोपित करना चाहे तो वह संकल्प द्वारा कार्यकारिणी समिति को प्रस्थापनाएं तैयार करने का आदेश देगी जिसमें निम्नलिखित बाते निर्दिष्ट होंगी—

(क) कर, जो धारा 172 की उपधारा (2) में उल्लिखित करों में से हों, जिसे वह आरोपित करना चाहती है;

(ख) व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग, जिनकों उक्त कर देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना तथा सम्पतित का अथवा अन्य वस्तु अथवा विभव (cirumstances) जिस पर कर लगाया जा सकता हो, का विवरण, जिसके सम्बन्ध में उन्हें उत्तरदायी बनाया जायगा, सिवाय वहां ओर उस सीमा तक जहां इस अधिनियम द्वारा अथवा खंड (क) के अधीन पहले ही किसी वर्ग का विवरण (description) की परिभाषा पर्याप्त रूप से कर दी गई हो;

(ग) धनराशि अथवा दर, जो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से वसूल की जाने वाली हो;

(घ) धारा 219 में निर्दिष्ट अन्य कोई विषय, जिसे राज्य सरकार नियम द्वारा निर्दिष्ट करने का आदेश दें।

(2) उपधारा (1) के अधीन संकल्प के पारित हो जाने पर कार्यकारिणी समिति प्रस्थापनाएं तैयार करेगी और उन नियमों का पांडुलेख (draft) भी तैयार करेगी, जिन्हें वह धारा 219 में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बनवाना चाहती हो।

(3) तत्पश्चात् कार्यकारिणी समिति उपधारा (1) के अधीन तैयार की गयी प्रस्थापनाओं और उपधारा (2) के अधीन तैयार किये गये नियमों के पांडुलेख तथा साथ में नियम द्वारा विहित किये जाने वाले प्रपत्र (form) में एक नोटिस, नियमत द्वारा विहित रीत्यानुसार प्रकाशित करायेगी।

200. प्रस्थापनाएं तैयार करने के पश्चात् की प्रक्रिया—(1) उक्त नोटिस के प्रकाशन के दो सप्ताह के भीतर नगर का कोई भी निवासी निगम की पूर्ववर्ती धारा के अधीन बनाये गये किसी एक या सभी प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में अपनी लिखित आपत्ति भेज सकता है और इस प्रकार भेजी गयी किसी भी आपत्ति पर निगम विचार करेगी और विशेष संकल्प द्वारा उस पर आज्ञा देगी।

(2) यदि निगम परिष्कृत करने का निश्चय करे, तो मुख्य नगराधिकारी परिश्कृत प्रस्थापनाओं के, और यदि आवश्यक हो, नियमों के संशोधित पांडुलेख को प्रकाशित करेगा, और उसके साथ ही इस आशय का एक नोटिस भी प्रकाशित करेगा कि उक्त प्रस्थापना और नियम (यदि कोई हों) आपत्ति के निमित्त पूर्व प्रकाशित प्रस्थापनाओं और नियमों के परिष्कृत रूप है।

(3) परिष्कृत प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में जो आपत्तियां प्राप्त होंगी उन पर उपधारा (1) में विहित रीति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) जब निगम अपनी प्रस्थापनाओं को अन्तिम रूप से निश्चित कर ले तो मुख्य नगराधिकारी उन्हें इस सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों (यदि कोई हों), सहित राज्य सरकार के पास भेज देगी।

201. प्रस्थापनाओं की स्वीकृति, अस्वीकृति अथवा परिश्कृत करने का राज्य सरकार का अधिकार—पूर्ववर्ती धारा के अधीन प्रस्थापनायें और आपत्तियां प्रापत होने पर, राज्य सरकार उन पर स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है, अथवा उन्हें निगम के पास अतिरिक्त विचार के हेतु भेज सकती है अथवा उन्हें बिना किसी परिष्कार के अथवा ऐसे परिष्कार के साथ जिससे आरोपित की जाने वाली धनराशि में वृद्धि न हो, जैसा कि उसे उचित प्रतीत हो, स्वीकार कर सकती है।

202. **कर–आरोपण का आदेश देने के हेतु निगम का संकल्प**–(1) राज्य सरकार द्वारा प्रस्थापनाएं स्वीकृत कर ली जाने पर, राज्य सरकार निगम द्वारा प्रस्तुत नियमों के पांडुलेख पर विचार करन के पश्चात् कर के संबंध में ऐसे नियम बनाने के लिए कार्यवाही करेगी जिसे वह तत्समय आवश्यक समझे।

(2) नियम बन जाने पर स्वीकृति की आज्ञा तथा नियमों की एक प्रतिलिपि निगम के पास भेज दी जायेगी और तदुपरान्त नियम विशेष संकल्प द्वारा उस दिनांक से जो संकल्प किया जायेगा, कर के आरोपण का आदेश देंगी।

203. **कर का आरोपण**–(1) धारा 202 के अधीन पारित संकल्प की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

(2) संकलप की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर राज्य सरकार किसी निश्चित दिनांक से कर का आरोपण सरकारी गजट में विज्ञप्ति करेगी और सभी दशाओं में इस प्रकार विज्ञप्ति किये जाने की शर्त के अधीन ही कोई कर आरोपित किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन कर के आरोपण की विज्ञप्ति इस बात की निश्चायक प्रमाण होगी कि कर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आरोपित किया गया है।

204. **करों की परिवर्तित करने की प्रक्रिया (procedure)**–किसी कर को हटाने अथवा धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) तथा (ग) में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में किसी कर को परिवर्तित करने की प्रक्रिया, जहां तक संभव हो, वहीं होगी, जो धारा 199 से लेकर 202 में कर के आरोपण के लिए विहित है।

205. **राज्य सरकार की किसी कर को कम करने अथवा समाप्त कर देने का अधिकार**–(1) जब कभी राज्य सरकार को शिकायत किये जाने पर या अन्यथा यह प्रतीत हो कि किसी कर का उगाहना सार्वजनिक हितों के विरूद्ध है या यह कि कोई कर अपने भार में (incidence) उचित नही है, तो राज्य सरकार सम्बद्ध निगम के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् आज्ञा द्वारा उस निगम को यह आदेश दे सकती है कि वह उस अवधि के भीतर, जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट होगी, ऐसी किसी भी त्रुटि (defect) को दूर करने के उपाय करे, जो राज्य सरकार के विचार में उस कर में अथवा उसके निर्धारण या वसूली की पद्धति में विधमान है।

(2) यदि निगम राज्य सरकार के सन्तोषानुसार उपधारा (1) के अधी न दिये गये आदेश का पालन न कर सके या पालन करने में असमर्थ रहे तो राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा कर की अथवा उसके किसी अंश की उगाही उस समय तक निलम्बित कर सकती है, जब तक त्रुटि दूर न कर दी जाय अथवा कर को समाप्त या कम कर सकती है।

206. **निगम को कर–आरोपण का आदेश देने का राज्य सरकार का अधिकार**–(1) राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निगम को आदेश दे सकती है कि वह धारा 172 की उपधारा (2) में उल्लिखित कोई ऐसा कर, जो आरोपित न किया गया हो, ऐसी दर से और ऐसीव अवधि के भीतर, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाय, आरोपित करे और तत्पश्चात् निगम तदनुसार कार्य करेगी।

(2) राज्य सरकार निगम को किसी आरोपित किये गये कर की कदर को बढ़ाने, परिष्कृत करने अथवा परिवर्तित करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त निगम कर को आदेशानुसार बढ़ायेगा, परिष्कृत करेगा अथवा परिवर्तित कर देगा।

(3) यदि निगम उपधारा (1) अथवा (2) के अधीन दिये गये आदेश का पालन न कर सके तो राज्य सरकार कर को आरोपित करने, बढ़ाने, परिष्कृत करने अथवा परिवर्तित करने के लिए उपर्युक्त आज्ञा दे सकती है और तदुपरान्त राज्य सरकार की आज्ञा उसी प्रकार प्रवर्तन में आयेगी मानों वह निगम द्वारा यथावत् पारित संकल्प हो।

सम्पत्ति करों का निर्धारण और लगाया जाना

207. **निर्धारण–सूची का तैयार किया जाना**–मुख्य नगराधिकारी समय–समय पर नगर या उसके किसी भाग के सभी भवनों या भूमितयों अथवा दोनों की निर्धारण सूची तैयार करायेगा, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख होगा–

(क) सड़क या मौहल्ले का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो;

(ख) सम्पत्ति का नाम (designation), या तो नाम से अथवा संख्या से जो पहचान के लिए पर्याप्त हो;

(ग) स्वामी और अध्यासी के, यदि ज्ञात हो, नाम;

(घ) वार्षिक किराये का मूल्य अथवा वार्षिक मूल्य निर्धारित करने वाले अन्य विवरण; तथा

(ङ) उन पर निर्धारित की गई कर की धनराशि।

208. **सूची का प्रकाशन**–जब सम्पूर्ण नगर या उसके किसी भाग के लिए निर्धारण सूची, जिसमें धारा 207 के खण्ड (क) से (ङ) तक के ब्यौरे दिये गये हों, तैयार हो जाये तब मुख्य नगराधिकारी उस स्थान के सम्बन्ध में सार्वजनिक नोटिस देगा जहां पर उकत सूची अथवा उसकी प्रतिलिपि का निरीक्षण किया जा सकेगा और उक्त सूची सम्पत्ति का स्वामी अिवा अध्यासी होने का दावा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, और उसका अभिकर्ता उक्त सूची का निरीक्षण कर सकेगा और बिना कोई शुल्क दिये उससे अवतरण (extract) भी ले सकेगा।

209. **सूची की प्रविष्टियों पर आपत्तियां**–(1) साथ ही मुख्य नगराधिकारी इससे कम से कम एक मास पश्चात् ऐसे दिनांक का सार्वजनिक नोटिस देगा जब कि कार्यकारिणी समिति धारा 208 में उल्लिखित सूची में दर्ज मूल्याकंनों तथा निर्धारणों (valuations and assessments) पर विचार प्रारम्भ करेगी ओर ऐसे सभी मामलों में, जिनमें किसी सम्पत्ति पर प्रथम बार निर्धारण किया गया हो, अथवा उसके निर्धारण में वृद्धि गई हो, वह ऐसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा अध्यासी को भी, रूदि ज्ञात हों, उसका नोटिस देगी।

(2) मूल्याकंन (valuation) तथा निर्धारण के सम्बन्ध में सभी आपत्तियां नोटिस में निश्चित किये गये दिनांक से पूर्व, मुख्य नगराधिकारी के पास लिखित प्राथ्रना–पत्र के रूप में की जायेंगी, जिसमें उन कारणें का उल्लेख किया जायेगा जिसके आधार पर मूल्याकंन तथा निर्धारण पर आपत्ति की गयी हो ओर इस प्रकार दिये गये समस्त प्रार्थना–पत्रों का पंजीयन (registration) मुख्य नगराधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखी गयी पंजी (book) में किया जायेगा।

(3) कार्यकारिणी समिति, अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा एतर्थ नियुक्त की गई उपसमिति, प्रार्थी को स्वयं या उसके अभिकर्ता द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्–

(क) आपत्तियों का अनुसंधार और निबटारा करेगी;

(ख) उपधारा (2) के अधीन रखी गयी पंजी में उपुर्यक्त जांच का परिणाम लिखवायेगी; और

(ग) ऐसे परिणाम के अनुसार निर्धारण–सूची में आवश्यक संशोधन करायेगी।

210. **सूची का प्रमाणीकरण और उसकी अभिरक्षा**–(1) नगर या उसके किसी भाग के लिए जैसी भी दशा हो, सूची से सम्बन्धित आपत्तियों का निबटारा हो जाने के पश्चात्, कार्यकारिणी समिति या सम्बन्धित उप–समिति, यदि कोर्ठ हो, का सभापति उक्त सूची को और धारा 209 की उपधारा (3) के अधीन उसमें किये गये सभी संशोधनों को भी अपने हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत करेगा।

(2) इस प्रकार प्रमाणीकृत प्रत्येक सूची निगम के कार्यालय में जमा कर दी जायेगी।

(3) जब सम्पूर्ण नगर की सूची इस प्रकार जमा कर दी जाय तब यह सार्वजनिक नोटिस द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध घोषित कर दी जायेगी।

211. **सूची का पुनरीक्षण तथा उसकी अवधि**–(1) प्रत्येक दो वर्ष में एक बार धारा 207 से 210 तक में विहित रीति के अनुसार साधारणतया एक नीय निर्धारण सूची तैयार की जायेगी।

(2) धारा 213 के अधीन किये गये किसी परिवर्तन अथवा संधोन तथा धारा 472 के अधीन की गई अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए मूल्याकंन सूची में दर्ज प्रत्येक मूल्याकंन (valuaction) तथा निर्धारण नगर में उसी सूची के प्रभावी होने के दिनांक से नगर या उसके भाग में उस सूची के प्रभावी होने के दिनांक से और नई सूची के पूर्ण होने के ठीक पश्चात् आगामी मास के प्रथम दिन तक वैध रहेगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी विधि न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय के परिणामस्वरूप नयी निर्धारण सूची या उसका कोई भाग प्रभावी न हो सकता हो तो ऐसे आदेश या निर्णय के अधीन रहते हुए पुरानी निर्धारण सूची या उसका तद्नुरूप भाग प्रभावी बना रहा समझा जायेगा।

212. **सूची की प्रविष्टिय (entries) का निश्चयात्मक होना**–निर्धारण सूची में की गई कोई प्रविष्ट–

(क) उक्त सूची से संबंध रखने वाले कर से सम्बद्ध किसी प्रयोजन के निमित्त उस धनराशि के लिए, जो सूची से सम्बद्ध कालावधि में किसी भवन या भूमि के संबंध में लगायी जा सकती हो; ओर

(ख) किसी अन्य निगम कर के निर्धारण के प्रयोजन के निमित्त उक्त कालावधि में किसी भवन अथवा भूमि के वार्षिक मूल्य के लिए निश्चायक प्रमाण होगी।

213. **सूची में संशोधन तथा परिवर्तन**–(1) कार्यकारिणी समिति अथवा एतद्र्थ नियुक्त की गई उसकी कोई

उप–समिति किसी भी समय निम्न प्रकार से निर्धारण सूची में संशोधन अथवा परिवर्तन कर सकती है–

(क) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति अथवा सम्पत्ति के नाम की, जिसका प्रविष्टि होनी चाहिये थी अथवा किसी ऐसी सम्पत्ति की, जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकरण के पश्चात् कर–आरोपण के योग्य हो गई हो प्रविष्टि करके; या

(ख) उसमें किसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा अध्यासी के नाम के स्थान पर किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के नाम की प्रविष्ट करके जिसे हस्तान्तरण (transfer) अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा अध्यासन का उत्तराधिकार प्राप्त हो गया हो; या

(ग) किसी ऐसी सम्पत्ति के मूल्याकंन अथवा निर्धारण में वृद्धि करके, जिसका मूल्याकंन या निर्धारण गलत हो गया है या जिसका मूल्याकंन या निर्धारण छल, भ्रान्त कथन या त्रुटियों के कारण गलत किया गया है।

(घ) किसी ऐसी सम्पत्ति का फिर से मूल्याकंन अथवा निर्धारण करके, जिसका मूल्य भवन में किये परिवर्द्धनों अथवा परिवर्तनों के कारण बढ़ गया हो; अथवा

(ङ) जब इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उस वार्षिक मूल्य का जिस पर कोई कर लगाया जाना वाला हो, प्रतिशत निगम द्वारा परिवर्तित कर दिया गया हो, तो प्रत्येक मामलें में देय कर की धनराशि में तद्नुरूप (corresponding) परिवर्तन करके; या

(च) स्वामी का प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर, या इस बात पर सन्तोषजनक साक्ष्य मिलने पर किसी स्वामी का पता नही है (is untraceable) ओर साथ ही साथ कमी करने की आवश्यकता सिद्ध हो गयी है, स्वतः किसी ऐसे भवन के मूल्याकंन में कमी करके जो पूर्णतः या अंशतः गिरा दिया गया हो अथवा नष्ट कर दिया गया हो; अथवा

(छ) किसी लिपि संबंधी, गणना की (clerical, arthmetical) या अन्य प्रत्यक्ष भूल को ठीक करके;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यथास्थिति कार्यकारिणी समिति या उपसमिति स्वत्व रखने वाले (interested) किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के खंड (क), (ख), (ग) अथवा (घ) के अधीन कार्यकारिणी समिति या उपसमिति द्वारा प्रस्तावित किसी परिवर्तन या संशोधन का और उस दिनांक का, जिस पर परिवर्तन या संशोधन किया जायेगा, कम से कम एक महीने का नोटिस देगी।

(1–क) सन्देहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा यह घोशणा की जाती है कि वह आवश्यक न होगा कि धारा 148 के अधी न कर की दर निर्धारित करने के परिणाम स्वरूप उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन किये गये किसी परिवर्तन के संबंध में धारा 199 से 203 या धारा 207 से 210 तक में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाय।

(2) धारा 209 की उपधारा (2) तथा (3) के उपबन्ध जो उनमें उल्लिखित आपत्तियों पर लागू होते हो, यथासंभव उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन जारी किए गये किसी नोटिस के अनुसरण में की गई किसी आपत्ति पर तथा उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन दिये गये किसी प्रार्थना–पत्र पर भी लागू होंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक परिवर्तन या संशोधन धारा 210 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्ताक्षरों द्वारा प्रमाणीकृत किया जायेगा और धारा 472 के अधी न की गई अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए उस दिनांक से प्रभावी होगा, जिस पर अगली किस्त देय हो।

214. संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने का आभार—जब कोई भवन निर्मित या पुननिर्मित किया जाय अथवा विस्तार किया जाय तो स्वामी उक्त भवन के निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा विस्तार की समाप्ति के दिनांक से अथवा उक्त भवन के अध्यासन के दिनांक से, जो भी दिनांक पहले, पड़े, 15 दिन के भीतर उसका नोटिस मुख्य नगराधिकारी को देगा।

215. पुनः अध्यासन का नोटिस देने का आभार—किसी ऐसी भूमि अथवा भवन का जिसके लिए धारा 178 के अधीन कर में छूट दी जा चुकी हो अथवा कर लौटाया जा चुका हो, स्वामी ऐसे भवन या भूमि में पुनः अध्यासित होने के 15 दिन के भीतर ऐसे पुनः अध्यासन का नोटिस देगा।

216. करों का संहत किया जाना (consolidation)—धारा 173 में वर्णित सम्पत्ति करेां के निर्धारण (assessing), लगाये जाने (levying) अथवा उगाही (collection) के प्रयोजनों के लिए किन्तु आरोपण (imposing) अथवा मुक्ति (exemption) के प्रयोजन के लिए नहीं, निगम ऐसे किन्हीं दो अथवा अधिक करों को संहत (consolidate) कर सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संहत कर से सम्बद्ध किसी पंजी अविा निर्धारण सूची में, जो किसी व्यक्ति को निर्धारण सूची के अधीन उसके दायित्व की सूचना देने अथवा धारा 175 अथवा 176 के उपबन्धों का पालन करवाने के लिए प्रयोग में लायी जाती हो, मुख्य नगराधिकारी संहत कर को उसमें समाविष्ट विभिन्न करों में संविभाजित (apportion) करेगा, जिससे प्रतयेक कर के अधीन निर्धारित की गई अथवा उगामी गयी (assessed or collected) आसन्न धनराशि अलग—अलग दिखाई जा सके।

217. छूट (exemption) के कारण कमी (deduction)—(1) किसी संहत कर (consolidated) का निर्धारण करते समय उसमें समाविष्ट किसी एकल कर (any single tax) में अंशतः अथवा पूर्णतः दी गई छूट (exemption) को कार्यान्वित किया जायेगा।

(2) उक्त कार्यान्वयन करना निम्न प्रकार से होगा—

(क) आंशिक छूट (partial exemption) की दशा में संहत कर जो अन्यथा किसी ऐसे भवनों, भूमियों अथवा दोनों, जिस पर छूट लागू होती हो, के संबंध में लगाये जाने अथवा निर्धारित किये जाने योग्य (leviable or assessable) होता, की कुल धनराशि में से ऐसी धनराशि की जो एकल कर (single tax) के कारण अन्यथा निर्धारित की गई होती, छूट के समनुरूप (corresponding) अनुपातिक भाग (proportionate part) को कम करके; और

(ख) पूर्ण छूट (total exemption) की दशा में; उक्त कुल धनराशि में से एकल कर के कारण निर्धारित धनराशि को कम करके।

218. ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध सरसरी कार्यवाहियों जो नगर छोड़ कर जाने ही वाले हों—(1) यदि इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन वसूल करने योग्य कोई धनराशि किसी व्यक्ति से देय (due) हो गई हो अथवा देय होने ही वाली हो, और यदि मुख्य नगराधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि उक्त व्यक्ति नगर की

सीमाओं को छोड़ने हो वाला है, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे व्यक्ति को उक्त धनराशि तुरन्त ही अदा करने का आदेश दे सकता है और इसके लिए उसके पास प्राप्यक (bill) भिजवा सकता है।

(2) यदि ऐसा प्राप्यक (bill) प्रस्तुत किये जाने पर, उक्त व्यक्ति तुरन्त ही उक्त धनराशि नहीं अदा कर देता अथवा मुख्य नगराधिकारी के संतोषानुसार प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं करता तो उक्त धनराशि अध्याय 21 में निर्दिष्ट रीति के अनुसार उसकी चल–संपत्ति के अभिकरण (distress) और बिक्री द्वारा अथवा उसकी अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूल की जायेगी, परन्तु अपवाद यह है कि उसके ऊपर मांक की नोटिस (notice of demands) तामील करना आवश्यक न होगा, और मुख्य नगराधिकारी द्वारा अभिहरण तथा बिक्री का अधिपत्र (warrants of distress and sale) अविलम्ब जारी और निषदित किया जा सकता है।

अन्य विषय

219. **निर्धारण, उगाही तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में नियम**–निम्नलिखित विषय नियमों द्वारा विनियमित तथा नियमित (governed) होंगें, सिवाय उस सीमा तक जां तक कि उनके संबंध में इस अधिनियम में व्यवस्था की गई हो–

(क) करों का निर्धारण, उगाही अथवा संधान (assessment, collection or-composition) {***}

(ख) करों से बनने की रोकथाम;

(ग) प्रणाली, जिसके अनुसार धनराशि की वापसी (refund) स्वीकृत की जायेगी और उसका भुगतान किया जायेगा;

(घ) किसी कर के कारण भुगतान मांगने के नोटिस (notice demanding payment) तथा अभिहरण के अधिपत्रों (warrants of distress) के निष्पादन के लिए शुल्क;

(ङ) अभिहरित पशुधन के संधारण के लिये ली जाने वाली धनराशि की दरें;

(च) करों से सम्बद्ध अन्य कोई विषय, जिसके संबंध में इस अधिनियम में व्यवस्था न की गयी हो अथवा अपर्याप्त व्यवस्था की गयी हो ओर राज्य सरकार की राय में ऐसी व्यवस्था आवश्यक हो।

220. **अभिसन्धान (composition)**–(1) कि सी निगम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निगम राज्य सरकार द्वारा पुष्टीकृत (confirmed) किसी विशेष संकल्प द्वारा यह व्यवस्था कर सकती है कि किन्ही या सभी व्यक्तियों को किसी कर के निमित्त अभिसंधान करने (composition) की अनुज्ञा दी जा सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी कर के अभिसंधान (composition) के कारण देय कोई धनराशि अध्याय 21 व्यवस्थित रीति के अनुसार वसूल की जा सकेगी।

221. छूट (**exemption**)–(1) निगम किसी ऐसे व्यकित की एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर या उसके किसी अंश की अदायगी से मुक्त कर सकती है, जो उसकी राय में निर्धनता के कारण उसकी अदायगी करने में असमर्थ हो, और ऐसी छूट (exemption) का जितनी भी बा रवह आवश्यक समझे, नवीकरण कर सकती है।

(2) निगम राज्य सरकार द्वारा पुष्टीकृत किसी विशेष संकल्प द्वारा, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग को अथवा किसी संपत्ति अथवा संपत्ति के प्रकार को इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर या उसके किसी अंश की अदायगी से मुक्त कर कसती है।

(3) राज्य सरकार आज्ञा द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग को अथवा किसी सम्पत्ति या उसके प्रकार को इस अधिनियम के ऐसी अवधि के लिए जैसा आज्ञा में विनिर्दिष्ट किया जाय अधीन लगाये गये किसी कर या उसके अंश की अदायगी से मुक्त कर सकती है।

''221–क. **स्वामी या अध्यासी द्वारा देय ब्याज**–जहां किसी भू–गृहादि के संबंध में कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी ने निगम द्वारा इस निमित्त निर्धारित दिनांक तक इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा देय कर या उसके किसी अंश का भुगतान न किया हो, वहां उसके द्वारा धनराशि पर जो असंदत्त रह गयी हो, 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कर के भुगतान के लिए निर्धारित दिनांक से भुगतान के दिनाक तक देय होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां किसी भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी से अपने स्वयं के कर निर्धारण के आधार पर धारा 207–क के अधीन कर का भुगतान कर दिया है और इस प्रकार भुगतान किया गया कर उसके द्वारा देय कर की धनराशि से निगम द्वारा कम पाया जाता है तो उसके द्वारा कर को ऐसी धनराशि पर जितनी देय कर से कम भुगतान की गई हो बारह प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कर के भुगतान के लिए निगम द्वारा निर्धारित दिनांक से ऐसे अन्तर की धनराशि के भुगतान के दिनांक तक देय होगा।

221–ख. **कारपेट एरिया और क्षेत्रफल का विवरण**–(1) किसी भू–गृहादि के संबंध में कर के भुगतान के लिए मुख्तया दायी प्रत्येक स्वामी या अध्यासी, यथास्थिति, भवन के कारपेट एरिया के संबंध में या भूमि के क्षेत्रफल के संबंध में एक विवरण ऐसे प्रारूप में ऐसे समय पर जो इस निमित्त विहित किया जाय, निगम को प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि इस निमित्त, ऐसी रीति से, जो विहित की जाय की गई जांच से निगम का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किया गया विवरण, तथ्यात्मक रूप से असत्य है क्योंकि यथास्थिति भवन के कारपेट एरिया के किसी भाग या, भूमि के क्षेत्रफल के किसी भाग को छिपाया गया है, तो निगम व्यतिक्रमों पर, ऐसी रीति से, जो इस निमित्त विहित की जाय, एक हजार रूपये से अनधिक की शास्ति आरोपित कर सकता है।''

222. **दायित्व प्रकट करने का आभार**–(1) निगम लिखित पत्र (communication) द्वारा नगर के किसी

निवासी को ऐसी सूचना का आदेश दे सकती है जो निम्नलिखित किसी बात को निश्चित रूप से मालूम करने के लिए आवश्यक हो–

(क) क्या उक्त निवासी पर इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर को अदा करने का दायित्व है;

(ख) उस पर कितना कर निर्धारित किया जाना चाहिये;

(ग) उस भवन अथवा भूमि का वार्षिक मूल्य, जो उसके अध्यासन में हो और उसके स्वामी का नाम तथा पता।

(2) यदि कोई निवासी, जिसे इस प्रकार सूचना देने का आदेश दिया गया हो, उक्त सूचना नहीं देता अथवा ऐसी सूचना देता है जो असत्य हो तो दोष सिद्ध होने पर उस पर जुर्माना किया जा सकता है, जो 500 रू0 तक हो सकता है।

223. **खोज (discovery) करने के अधिकार**–मुख्य नगराधिकारी अथवा निगम के एतद्‌र्थ प्राधिकृत कोई पदाधिकारी या सेवक मूल्याकंन के प्रयोजनों के लिए किसी भवन में प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण तथा उसकी नाप (measure) कर सकता है अथवा किसी अस्तबल या वाहन–गृह (coach house) अथवा ऐसे अन्य स्थान में, जहां उसको यह विश्वास करने का कारण हो कि वहां कोई ऐसा वाहन अथवा पशु है जिस पर उसक अधिनियम के अधी न कर लगाया जा सकता है, प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है और ऐसे निरीक्षणों का धारा 560, 562 तथा 563 के उपबन्ध लागू होंगे।

224. अपवाद (**savings**)–कोई निर्धारण सूची या अन्य सूची नोटिस, प्राप्यक (bill) या इसी प्रकार का अन्य कोई लेख्य (document), जिसमें किसी कर, व्यय (charge), किराया या शुल्क के संबंध में किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, वस्तु या विभव (persons property, thing or cucumstances) का निर्देश किया गया हो, अथवा जिसमें ऐसा करना अभिप्रेत हो, केवी इसी कारण से अवैध न माना जायेगा कि उसमें उक्त व्यक्ति के नाम, निवास–स्थान, व्यापार के स्थान, अथवा धंधे (occupation) में अथवा सम्पत्ति, वस्तु या विभग के विवरण के संबंध में कोई गलती है, अथवा केवल लिपि संबंधी भूल (clerical error) अथवा उसके प्रपत्र (form) में कोई त्रुटि रह गयी है ओर अभिज्ञान (identification) के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति, सम्पत्ति वस्तु या विभव का पर्याप्त वर्णन कर दिया जाना ही यथोष्ट होगा तथा किसी कर की देनदारी के संबंध में किसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा अध्यासी का नाम दिया जाना आवश्यक न होगा।

अनुपूरक कर

225. **अनुपूरक कर (supplementary taxtion) लगाने के रूप में इस अधिनियम के अधीन आरोपित किये जा सकने वाले योग्य किसी कर में वृद्धि की जा सकती है अथवा उसे नये रूप में लगाया जा सकता है**–जब कभी किसी वित्तीय वर्ष में निगम अनुपूरक कर लगाने का निश्चय करे तो वह, इस अधिनियम में अथवा राज्य सरकार की आज्ञाओं अथवा स्वीकृति (sanction) में ऐसे कर के लिए विहित सीमा अथवा शर्तो के अधीन रहते हुए उक्त वर्ष की अव्यतीत अवधि के लिए ऐसे कर की दरों में, जो इस अधिनियम के अधीन आरोपित किया जा सकता हो, वृद्धि करके, अथवा इस अधिनियम के

अधीन आरोपित किये जा सकने वाले ऐसे कर को जो तत्समय न लगाया जा रहा हो, यथावत् स्वीकृति से लगाकर ऐसा कर सकता है।

226. **कर सम्बन्धी विषयों में दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का निषेध**—इस अधिनियम में व्यवस्थित रीति तथा प्राधिकारी के अतिरिकत अन्य रीति से तथा अन्य प्राधिकारी के सम्मुख किसी मूल्याकंन अथवा निर्धारण पर कोई आक्षेप न किया जायेगा और न उस व्यक्ति की जिस पर निर्धारण किया जाने वाला हो या कर लगाया जाने वाला हो, देनदारी पर कोई प्रश्न किया जायेगा।

227. **नियम बनाने का अधिकार**—(1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए प्रयोजन के लिए नियम बना सकती है।

(क) धारा 219 में निर्दिष्ट विषय;

(ख) वाहन, नाव तथा पशुओं पर करों से सम्बद्ध पंजी (register) का संधारण तथा निरीक्षण;

(ग) {***}

(घ) {***}

(ङ) करों का अग्रिम भुगतान;

(च) अभिहरण (distress) और कुर्की (attachment) के विरूद्ध की गयी आपत्तियों का सरसरी निस्तारण (summary disposal);

(छ) शर्तें, जिनके अधीन करों की छूट तथा वापसी स्वीकृति की जायेगी।

अध्याय 10
नालियॉ तथा जलोत्सारण
निगम की नालियां

228. **मुख्य नगराधिकारी द्वारा नालियों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत की व्यवस्था**—(1) उन सामान्य आदेशों के अधीन रहते हुए, जो कार्यकारिणी समिति एतदर्थ समय—समय पर दे, मुख्य नगराधिकारी निगम की समस्त नालियों का संरक्षण (maintain) तथा उनकी मरम्मत करायेगा और कार्यकारिणी समिति के अनुसार से नगर के भीतर तथा बाहर ऐसी नयी नालियों का निर्माण करायेगा, जो नगर तथा उसके सन्निकट के चतुर्दिक क्षेत्र में यथोउद्देय जल निस्सारण के लिए समय—समय पर आवश्यक प्रतीत हों :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी छावनी (cantonment) की सीमाओं के भीतर किसी भी नाली का निर्माण राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना तथा उसी डिवीजन के, जिसमें उक्त छावनी स्थित हो, जनरल आफिसर कमांडिंग की सहमति के प्रतिफल या ऐसी सहमति न दिये जाने की दशा में केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, न किया जायेगा।

(2) किसी ऐसी सड़क की दशा में, जिसमें निगम की नाली हो, मुख्य नगराधिकारी निगम की निधि पर भारित व्यय से किसी भू—गृहादि (premise) की नाली के, जिसे उक्त निगम की नाली से जोड़ना हो, ऐसे भाग को भी निर्मित करायेगा जिसका उक्त सड़क के किसी भाग के नीचे बनवाना आवश्यक हो तथा सड़क के नीच इस प्रकार बनवायी हुई जोड़ने वाली नालियों (connecting drains) का भाग निगम में निहित हो

जायेगा और मुख्य नगराधिकारी द्वारा निगम की नाली की भांति ही उसको संधारित किया जायगा और उसकी मरम्मत की जाती रहेगी।

229. **निगम द्वारा नालियों तथा नालियों के जल के या मलादि (drainage or sewage) के निस्सारण के निर्माण कार्यो का अपनाया जाना (adpotion)**–(1) इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए मुख्य नगराधिकारी किसी भी समय निगम के अनुमोदन से घोषणा कर सकता है कि कोई नाली अथवा उसका कोई भाग या नालियों या मलादि के निस्सारण के कोई निर्माण–कार्य जो नगर के भीतर स्थित हो अथवा नगर अथवा उसके किसी भाग के उपयोग में आ रहे हों, उस दिनांक से, जो घोषणा में निर्दिष्ट की जाय निगम में निहित हो जायेंगें।

(2) मुख्य नगराधिकारी, यह निर्णय करने में कि उपधारा (1) के अधीन घोषणा की जाय या नहीं, मामलों की समस्त परिस्थितियों तथा विशेषकर निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा–

(क) संबद्ध नाली अथवा निर्माण–कार्य (work), किसी जलोत्सारण (drainage) या नालियों के निस्सारण (drainage disposal) अथवा मल–निस्सारण (sewage disposal) को किसी ऐसी सामान्य प्रणाली के लिये, जिसकी व्यवस्था मुख्य नगराधिकारी ने नगर अथवा उसके किसी भाग के निमित्त की हो, अनुकूल है या नहीं अथवा उसके या उनके लिए अपेक्षित है या नहीं;

(ख) नाली सड़क के अथवा उस भूमि के नीचे निर्मित है या नहीं जो इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके उपबन्धों के अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के द्वारा, अथवा अधीन, सड़क के लिए सुरक्षित है।

(ग) भवनों की संख्या, जिनके लिए नाली का उपयोग अभिप्रेत है, और अन्य भवनों की निकटता (proximity) या भवी विकास की संभावना का ध्यान रखते हुए क्या यह संभव है कि वह अतिरिक्त भवनों के उपयोग के लिए अपेक्षित हो सकती है;

(घ) क्या प्रस्तावित घोषणा का करना सम्बद्ध नाली या निर्माण–कार्य के स्वामी के लिए अत्याधिक हानिकर (seriously detrimaental) होगा।

(ङ) क्या प्रस्तावित घोषण को करना सम्बद्ध नाली या निर्माण–कार्य के स्वामी के लिए अत्याधिक हानिकर (seriously determital) होगा।

(3) जब कभी उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने का प्रस्ताव हो तो मुख्य नगराधिकारी सम्बद्ध नाली अथवा निर्माण कार्य के स्वामी अथवा स्वामियों को प्रस्ताव की लिखित सूचना देगा कि वे तामील के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर उसके विरूद्ध कारण बतायें तथा पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने तक, या जब कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी हो तो उस आपत्ति के निस्तारण तक, घोषणा न की जायेगी।

(4) जब उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा का संबंध किसी ऐसी नाली, नालियों के जल के या मलादि (drainage or sewage) के निस्तारण के निर्माण कार्यो से हो जो निगम से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में स्थित हो, अथवा नगर के भीतर स्थित हो, किन्तु ऐसे क्षेत्र अथवा क्षेत्र के भाग के उपयोग में आ रहे हों, जो उक्त स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में हो, तो मुख्य नगराधिकारी उस प्राधिकारी को भी सूचना देगा तथा कोई घोषणा न की जायेगी, जब तक या तो उसके लिए उस प्राधिकारी की सहमति न प्राप्त हो गई हो अथवा राज्य सरकार ने चाहे बिना किसी शर्त के अथवा किन्ही ऐसी शर्तो के अधीन, जिन्हें लगाना वह उचित समझें, ऐसी सहमति की आवश्यकता न समझी हो।

(5) उपधारा (1) के अधी न किसी ऐसे नाली अथवा नाली के भाग या किसी निर्माण कार्य के संबंध में जो, निगम से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा रेलवे प्रशासन में निहित हो या हों, सम्बद्ध प्राधिकारी, सरकार या रेलवे प्रशासन की प्रार्थना के बिना कोई घोषणा न की जायेगी।

(6) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन घोशणा होने के तत्काल पूर्व सम्बद्ध नाली को उपयोग में लाने का अधिकारी था, घोषणा होते हुए भी उसे अथवा उसके स्थान पर बनायी गयी दूसरी नाली को पहले ही आयति (extent) तक ही उपयोग में लानेक का अधिकारी होगा।

230. नालियां बनाने का अधिकार–(1) मुख्य नगराधिकारी निगम की किसी नाली को किसी सड़क अथवा किसी अन्य स्थान के, जो सड़क के रूप में तैयार की गयी (laid out) हो या उसके लिये अभिप्रेत (intended) हो, बीच में से या उसके आरपार या उसके नीचे अथवा किसी सड़क के नीचे स्थित गोदाम (cellar) या तहखाने (valut) के नीचे से ले जा सकता है तथा सम्बद्ध भूमि के स्वामी या अध्यासी (occupier) को समुचित लिखित नोटिस देकर नगर के भीतर स्थिति किसी भी भूमि के भीतर से, बीच से या नीचे से ले जा सकता है या मल इत्यादि (sewage) वाहा गिरावट (outfall) या वितरण के प्रयोजन के लिए नगर के बाहर स्थित भूमि के संबंध भी ऐसा ही कर सकता है।

(2) मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसी भूमि में, जहां पहले ही से निगम की कोई नाली विधितः निर्मित हो, प्रवेश कर सकता है और वर्तमान नाली के स्थान पर कोई नयी नाली बना सकता है या इस प्रकार बनायी गयी निगम की किसी नाली की मरम्मत कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है।

231. नालियों में परिवर्तन और उन्हें बन्द करना–मुख्य नगराधिकारी, निगम की किसी नाली को बढ़ा सकता है, उसका मार्ग परिवर्तित कर सकता है या उसे गहरा कर सकता है या उसे छोटी कर सकता है, उस पर मेहराब बना सकता है या अन्य प्रकार से उसका सुधार कर सकता है, तथा किसी ऐसी नाली को हटा (discontinue) सकता है, बन्द कर सकता है या नष्ट कर सकता है, जो उसके मतानुसार बेकार या अनावश्यक हो गयी हो या किसी ऐसी नाली का उपयेाग या तो पूर्णतया या गन्दे पानी के उत्सारण के प्रयोजन के लिए या सतह के जल के उत्सारण (surface drainage) के प्रयोग के लिए प्रतिषिद्ध कर सकता है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस धारा में की गयी किसी बात के कारण कोई व्यक्ति किसी नाली के विधिपूर्वक प्रयोग से वंचित होता हो, तो मुख्य नगराधिकारी उसके उपयोग के लिए यथाशक्य शीघ्र निगम के व्यय से उतनी ही उपयुक्त किसी अन्य नाली की व्यवस्था कर देगा जितनी वह नाली थी, जो हटाई, बन्द की या नष्ट की गयी थी अथवा जिसका प्रयोग प्रतिषिद्ध कर दिया गया था।

232. नालियों की सफाई–(1) निगम की नालियां इस प्रकार निर्मित की जायेगी, संधारित एवं बनाये रखी जायेंगी कि उनसे कम से व्यवहार्य अपदूषण (practicable nuisance) उत्पन्न हो। इन नालियों को समय–समय पर ठीक ढंग से धोया (flushed), साफ किया और खाली किया जायेगा।

(2) उक्त नालियों को जल से धोने, उनकी सफाई करने तथा उन्हें खाली करने के लिए मुख्य नगराधिकारी ऐसे हौज (reser voirs), बॉध (sluice), इंजन तथा अन्य निर्माण–कार्य (works) बना अथवा स्थापित कर सकता है, जिन्हें वह समय–समय पर अनावश्यक समझे।

निजी सड़कों की नालियों तथा भू–गृहादि का निस्सारण

233. **निजी सड़क की नालियों को निगम की नाली से जोड़ने का अधिकार**–किसी निजी सड़क का स्वामी, विहित की जाने वाली शर्तो को पूरा करने पर, ऐसी सड़क की नाली को निगम की नाली से जोड़ सकता है।

234. **भवनों तथा भूमि के सवामियों और अध्यासियों को निगम की नालियों में जल निस्सारण का अधिकार**–(1) इस धारा के बाद उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी को यह अधिकार होगा कि वह अपनी नाली को निगम की नाली में अथवा अन्य ऐसे स्थान पर खाली करे (empty) जो नालियों के जल के निकास (discharge of drainage) के लिए वैध रूप से अलग कर दिया गया हो:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात किसी व्यक्ति को निम्नलिखित का अधिकार नहीं देगी–

(क) किसी निगम की नाली में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिवाय धारा 240 के उपबन्धों के अनुकूल किसी व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ (trade effluent) अथवा किसी ऐसे द्रव या अन्य पदार्थ को गिराना, जिसका गिराना इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के द्वारा या अधीन प्रतिषिद्ध हो ;

(ख) जहां गन्दे पानी (foul water) तथा सतह के पानी (surface water) के लिए निगम की अलग–अलग नालियों की व्यवस्था हो, वहां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से–

(1) गन्दे पानी को ऐसी नाली में गिराना जिसकी व्यवस्था सतह के पानी के लिए की गयी हो, या

(2) मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना सतह के पानी को ऐसी नाली में गिराना जिसकी व्यवस्था गन्दे पानी के लिए की गयी हो, या

(ग) अपनी नाली इस प्रकार बनाना कि वह झंझा के पानी (storm water) को बहा ले जाने वाली नाली से जाकर सीधी मिले।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों से लाभ उठाने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा प्राप्त करेगा और उन शर्तो को पूरा करेगा, जिन्हें मुख्य नगराधिकारी उस रीति (mode) तथा अधीक्षण (superintendence) के सम्बन्ध में विहित करे जिसके अनुसार या अधीन नालियां पूर्वोक्त निगम की नालियों अथवा पूर्वोक्त अन्य स्थानों से जोड़ी जायेगी।

(3) मुख्य नगराधिकारी, यदि वह उचित समझे तो उपधारा (2) के अधीन पूर्वोक्त अनुज्ञा देने के बदले, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके प्रार्थना पत्र को प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर नोटिस देने के उपरान्त स्वयं नाली या नाले (drain or sewer) को उक्त प्रकार से जुड़वा (connect) सकता है। यदि मुख्य नगराधिकारी ने इस उपधारा के अधीन

किसी मामलें में कोई कार्यवाही की हो तो इस प्रकार किसी निर्माण कार्य के लिए किया गया उचित व्यय पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा किया जायगा।

235. मुख्य नगराधिकारी के नालियों अथवा प्रस्तावित नालियों के इस प्रकार निर्मित किये जाने की मांग का (to require) अधिकार कि वे सामान्य प्रणाली (general system) के भाग बन जाय–(1) यदि कोई व्यक्ति किसी नाली के निर्माण का विचार करे तो मुख्य नगराधिकारी, यदि, वह समझता है कि प्रस्तावित नाली की आवश्यकता ऐसी सामान्य जल–निस्सारण प्रणाली का भाग बनने के लिए है अथवा पड़ सकती है, जिसकी निगम द्वारा व्यवस्था की गयी है अथवा जिसकी व्यवस्था करने का उसका विचार है, उस व्यक्ति से यह मांग कर सकता है कि वह उस नाली का निर्माण, पाइपों के धातु (material), आकार (size), गहराई गिरावट (fall), दिशा (directions) या वाह्य गिरावट (outfall) के संबधं में या अन्यथा उसी रीति से जिससे निर्माण करने का उनका विचार हो, भिन्न रीति से कराये और तत्पश्चात् उस व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जायेगा कि वह मुख्य नगराधिकारी की मांग (requissiton) का पालन करें।

(2) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के अनुसार नाली का निर्माण कराने वाले व्यक्ति को निगम निधि में से उस अतिरिक्त व्यय को, जो उसने मांग का पालन करने में समुचित रूप से किया हो, भरपाई कर देगा (reimburse) तथा जब तक वह नाली निगम की नाली नहीं हो जाती, वह निगम निधि में से समय–समय पर उसे उसके द्वारा समुचित रूप से किये गये उतने व्यय की भरपाई कर देगा जितना उसकी मरम्मत तथा उसके संधारण पर उक्त मांग के पालन करने में किया समझा जा सकें।

236. धारा 233 तथा 234 के अनुकूलन निगम की नालियों से अन्य नालियों के जोड़ने का कार्य (connection) नहीं किया जायेगा–धारा 233 और 234 में उपबन्धित व्यवस्था अथवा किसी विहित की गई व्यवस्था को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अपनी अथवा किसी अन्य व्यक्ति की नाली को किसी निगम की नाली अथवा किसी अन्य स्थान से, जो नालियों के जल के निकास के लिए विधिक रूप से अलग कर दिया गया हो, न तो जोड़ेगा और न जुड़वायेगा और मुख्य नगराधिकारी सम्बद्ध व्यक्ति को सूचना देने के उपरान्त इस धारा का उल्लंघन करके बनाये गये किसी ऐसे जोड़ (connection) बन्द करा सकता है, तुड़वा सकता है अथवा उसे परिवर्तित या पुननिर्मित कर सकता है तथा ऐसा करने में मुख्य नगराधिकारी द्वारा किये गये व्यय उस सड़क के स्वामी को या उस भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी को, जिसके लाभ के लिए जोड़ (connection) बनाया गया था अथवा दोषी (offending) व्यक्ति को वहन करना पड़ेगा।

237. नालियों को अन्य व्यक्तियों की भूमि के बीच से ले जाने के भू–गृहादि के स्वामियों तथा अध्यासियों के अधिकार–(1) यदि मुख्य नगराधिकारी को ऐसा प्रतीत हो कि सर्वाधिक सुविधाजनक साधनों (most convenient means) में एक मात्र साधन, जिसके द्वारा किसी भू–गृहादि का स्वामी अथवा अध्यासी अपनी नाली को निगम की नाली में अथवा किसी अन्य ऐसे स्थान में, जो नालियों के जल के निकास (discharge) कते लिए विधिक रूप से अलग कर दिया गया हो, खाली कर सकता है, यही है कि वह उसे उक्त स्वामी या अध्यासी से भिन्न किसी व्यक्ति की भूमि के भीतर से (into), बीच से (through) अथवा नीचे से जाय तो मुख्य

नगराधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा उक्त स्वामी को प्राधिकृत, (authorize) कर सकता है कि वह अपनी नाली उक्त भूमि के भीतर से, बीच से, अथवा नीचे से ऐसी रीति से ले जाय जिसकी अनुज्ञा देना (allow) वह उचित समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन तब तक कोई प्राधिकार प्रदान (authrization) नहीं किया जायगा जब तक कि भूमित के स्वामी को नोटिस न दे दी गयइ हो तथा उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्ति पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन ऐसी प्रत्येक आज्ञा, जिस पर मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर हों, उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में वह दी गयी हो अथवा उसके अभिकर्ता (agent) या सेवक (servant) को इस बात का पूर्ण प्राधिकार (complete authority) देगी कि वह समुचित रूप से नोटिस देने के बाद उक्त भूमि पर सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय अपने सहायकों और श्रमिकों (workmen) के सहित प्रवेश करें (enter upon) और आवश्यक निर्माण कार्य (work) सम्पादित करें।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी भू–गृहादि का स्वामी अथवा अध्यासी अथवा इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियोजित कोई अभिकर्ता या व्यक्ति किसी ऐसी भूमि के स्वामी को, जिसमें उसके उक्त भू–गृहादि के जल–निस्सारण के लिए पहले ही से कोई नाली विधितः निर्मित है, अपने ऐसा करने के आशय का समुचित रूप से लिखित नोटिस देने या प्रस्तुत करने के उपरान्त अपने सहायकों तथा श्रमिकें (workmen) के सहित उक्त भूमि पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच किसी भी समय प्रवेश कर सकता है तथा वर्तमान नाली के स्थान पर नई नाली बना सकता है या इस प्रकार निर्मित किसी नाली की मरम्मत कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है।

(5) इस धारा के अधीन किसी कार्य को सम्पादित करने में यथासंभव कम से कम क्षति (damage) पहुंचायी जायेगी तथा उस भू–गृहादि का, जिसके लाभ के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा है, स्वामी या अध्यासी–

(क) निर्माण–कार्य का सम्पादन इस प्रकार करायेगा कि उसमें कम से कम व्यवहार्य विलम्ब हो;

(ख) उक्त निर्माण कार्य के सम्पादन के प्रयोजन के लिए खुदवाई गई तोड़ी गयी हटायी गयी किसी भूमि अथवा किसी भवन के भाग या अन्य किसी निर्माण को अपने व्यय से तथा इस प्रकार भ्रवायेगा; पुनः स्थपित करायेगा (reinstate) तथा पूरा करायेगा (make goods) कि उसमें कम से कम व्यवहार्य विलम्ब हो;

(ग) किसी ऐस व्यक्ति को प्रतिकर (compensation) देगा जिसे उक्त निर्माण कार्य के सम्पादन के कारण क्षति उठानी पड़ी हो।

(6) यदि किसी ऐसी भूमि, जिसके भीतर से, बीच में या नीचे से इस धारा के अधीन उस समय कोई नाली जे जायी गयी थी जब उास पर कुछ बना नही था, का स्वामी बाद में किसी समय उक्त भूमि पर भवन निर्मित करने (erect) की इच्छा करे तो मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा उस भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी, जिसके लाभ के लिए उक्त नाली का निर्माण किया गया था, से यह मांग करेगा कि वह उस रीति से, जिसे मुख्य नगराधिकारी, अनुमोदित करेगा, उसे बन्द करा दे, हटा दे या मोड़ दे (divert) तथा भूमि को इस प्रकार भरवायें (fill in) पुनः स्थापित (reinstate) तथा पूरा कराये (make good) मानों उक्त नाली उसके भीतर से, बची से या नीचे से नहीं ले जायी गयी थी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई मांग (reequisition) तब तक न की जायेगी जब तक कि मुख्य नगराधिकारी की राय में यह आवश्यक और इष्टकर (empedient) न हो कि प्रस्तावित भवन के निर्माण की अनुज्ञा दिये जाने के लिए अथवा उसके सुरक्षित उपयोग (safe enjoyment) के लिए नाली को बन्द कर दिया जाय, हटा दिया जाय, या मोड़ दिया जाय।

238. **मुख्य नगराधिकारी निगम नाली से सौ फीट के भीतर स्थित ऐसे भू–गृहादि में जल–निस्सारण व्यवस्था को लागू कर सकता है जिनमें जल–निस्सारण की व्यवस्था न हो**–जब मुख्य नगराधिकारीकीर राय में कोई भू–गृहादि यथोद्देश्य जल–निस्सारण के पर्याप्त साधनों से रहित हो और कोई निगम नाली या नालियों के जल के निकास (discharge) के लिए विधिक रूप से अलग किया गया कोई स्थान उक्त भू–गृहादि के किसी भाग से सौ फीट से अनाधिक दूरी पर स्थित हो तो मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा, उक्त भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी से मांग कर सकता है कि वह–

(क) ऐसे सामग्री (material) ऐसे आकार (size) और ऐसे प्रकार (description) की नाली बनाये तथा उसे धरातल (level) पर रखे और इस प्रकार पंक्ति बद्ध (alignment) करे तथा ऐसी महापालिका की नाली में या पूर्वोक्त ध्यान में खाली करे जिसे मुख्य नगराधिकारी आवश्यक या उचित समझें,

(ख) ऐसे समस्त उपकरणों (appliances) तथा संसाधनों (fiaing) की व्यवस्था करे ओर उन्हें स्थापित करे जो मुख्य नगराधिकारी को उक्त भू–गृहादि से जल निस्सारण (drainage) को इकट्ठा करने (gatlaring) और प्राप्त करने तथा उसे उसके बाहर पहुंचाने तथा उक्त नाली तथा उससे सम्बद्ध प्रत्येक संलग्न (fixture) को यथोद्देश्य रूप से (effectually) जल से धोने (flusing) के प्रयोजनों के लिए आवश्यक प्रतीत हो;

(ग) किसी ऐसे वर्तमान नाली या अन्य उपकरणों (appliances) या वस्तुओं को, जो जल निस्सारण के लिए प्रयुक्त हों या जिनका उनके लिए प्रस्तुत किया जाना अभिप्रेत हो, हटा दे जो मुख्य नगराधिकारी की राय में स्वास्थ्य के लिए हानिकर हों अथवा किसी खुली नाली के स्थान पर बन्द नाली की व्यवस्था करे अथवा उसी प्रकार से अन्य ऐसे उपकरणों (appliances) या वस्तुओं की व्यवस्था करें, जिन्हे वह आवश्यक समझे;

(घ) ऐसे समसत उपकरणें तथा संसाधनों (fittings) की व्यवस्था करे तथा उन्हें लगाये ़(मज.नच) जो भवनों के धोये जाने के समय उनके फर्श तथा दीर्घाओं (galleries) से आने वाले बेकार पानी (waste water) को इकट्ठा करने तथा उसे ग्रहण करने (receiving) और टोटियों (spouts) से या जल नीचे जाने वाले पाइपों (downtake pipes) द्वारा स्थानान्तरित करने (converying) के प्रयोजन के लिए मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक प्रती हों ताकि उक्त बेकारी पानी को सीधे सड़कों या भू–गृहादि के किसी निचले भाग के भीतर जाने से रोका जा सकें।

239. **मुख्य नगराधिकारी ऐसे भू–गृहादि पर, जो निगम की नाली से सौ फीट के भीतर स्थित न हो और जल–निस्सारण की व्यवस्था से रहित (undrainded) हों, जल–निस्सारण को लागू कर सकता है**–जब कोई भू–गृहादि मुख्य नगराधिकारी की

राय में सफल जल–निस्सारण के पर्याप्त साधनों से रहित हों, किन्तु उक्त भू–गृहादि के किसी भाग से सौ फीट के भीतर कोई निगम नाली स्थित न हों, तो मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा उक्त भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी से मांग कर सकता है कि वह–

(क) एक नाली उस स्थान (point) तक, जो ऐसे नोटिस में विकिया किया जायेगा, निर्मित कराये, किन्तु वह स्थान उक्त भू–गृहादि के किसी भाग से सौ फीट की दूरी से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए; अथवा

(ख) ऐसे बन्द मलकूप (cesspool) का निर्माण कराये, जो ऐसी सामग्री (material), ऐसे आकार (size) और ऐसे प्रकार (description) का हो ओर ऐसी स्थिति (position) में हो, ऐसे धरातल (level) पर हो ओर उनमें ऐसे गिरावट (सिस) की गुजांइश (allowance) हो, जो मुख्य नगराधिकारी आवश्यक समझे और ऐसी नाली या नालियों का भी निर्माण कराये, जो इस मलकूप (cesspool) में खाली होती हो।

240. **व्यापारिक व्यर्थ द्रव–पदार्थ (trade effluent) से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध**–इस अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों (bye-laws) और तदर्थ किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी व्यापारिक भू–गृहादि (trade premises) का अध्यासी उन भू–गृहादि से निकलने वाले किसी व्यापारिक व्यर्थ द्रव–पदार्थ (trade effluent) को निगम नालियों में गिरा सकता है।

241. **मुख्य नगराधिकारी का भू–गृहादि से संयुक्त रूप से जल–निस्सारण का अधिकार**–(1) जब मुख्य नगराधिकारी की यह राय हो कि भू–गृहादि के किसी ऐसे गण या खंड (group or block) में जिसका कोई भाग किसी निगम नाली से अथवा निगम द्वारा नालियों के जल–निकास के लिए पृथक किये गये किसी ऐसे स्थान से, चाहे वह पले से ही वर्तमान हो या जिसका निर्माण होनेक वाला हो, सौ फीट के भीतर स्थित हो, जल–निस्सारण की व्यवस्था पृथक रूप से जल–निस्सारित किये जाने की अपेक्षा संयुक्त रूप से अधिक मितव्ययता अथवा लाभप्रद ढंग से की जा सकती है तो मुख्य नगराधिकारी भू–गृहादि के ऐसे गण या खंड में ऐसी रीति (method) से जल निस्सारण की व्यवस्था करवा सकता है, जो मुख्य नगराधिकारी को उसके निमित्त सर्वोत्तम प्रतीत हो तथा ऐसा करने में मुख्य नगराधिकारी द्वारा किये गये व्यय का भुगतान उन भू–गृहादि के स्वामियों को ऐसे अनुपात में करना पड़ेगा, जिसे मुख्य नगराधिकारी उचित समझें।

(2) इस धारा के अधीन किसी निर्माण कार्य (work) के प्रारम्भ होने के कम से कम 15 दिन पहले मुख्य नगराधिकारी ऐसे समस्त भू–गृहादि के, जल निस्सारित किये जाने वाले है, स्वामियों को निम्नलिखित के संबंध लि खित रूप से नोटिस देगा–

(क) अभिप्रेत निर्माण कार्य का स्वरूप (nature);

(ख) उसके ऊपर होने वाला अनुमानित व्यय; तथा

(ग) ऐसे व्ययों का वह अनुपात, जो प्रत्येक स्वामी द्वारा देय हो।

(3) उन अनेक भू–गृहादि के तत्कालीन स्वामी जो मिल कर कोई ऐसा गण या खंड बनाते हो, जिनका उपधारा (1) के अधीन जल–निस्सारण किया जाता हो, निर्मित की गई (constructed), खड़ी की गयी (erected) या लगायी गई (fixed) या केवल ऐसे भू–गृहादि के विशेष प्रयोग ओर लाभ के लिए जारी रखी गयी (continued) प्रत्येक नाली के संयुक्त स्वामी (joint owners) होंगें और यह निर्धारित किये जाने पर

कि मुख्य नगराधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन किये गये व्ययों को उक्त भू–गृहादि के स्वामियों को किस अनुपात में वहन करना है, वे स्वामी उसी अनुपात में उन व्ययों के लिए भी उत्तरदायी (responsible) होंगे, जो प्रत्येक ऐसी नाली को अच्छी मरम्मत कराकर इसे कुशल दशा (efficient condition) में संभरित रखने के संबंध में हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक ऐसी नाली को समय–समय पर निगम निधि से व्यय करके मुख्य नगराधिकारी द्वारा धुलाया जायेगा (cleansed), साफ किया जायगा तथा खाली किया जायगा।

242. **मुख्य नगराधिकारी वर्तमान निजी नालियों का प्रयोग बन्द अथवा सीमित कर सकता है**–(1) यदि किसी भू–गृहादि को किसी निगम की नाली या अन्य स्थान से जो नालियों के जल के निकास के लिए विधिक रूप से अलग कर दिया गया हो, जोड़ने वाली नाली चाहे वह उक्त भू–गृहादि के यथोद्देश्य जल–निस्सारण के लिए पर्याप्त हो तथा अन्य किसी प्रकार से भी आपत्तिजनक न हो, मुख्य नगराधिकारी की राय में नगर की या नगर के उस भाग की, जिसमें वह नाली स्थित हो, सामान्य जलोस्त्सारण प्रणाली (general drainage system) से अनुकूलित (adapted) नहीं है, तो मुख्य नगराधिकारी–

(क) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त नाली को बन्द कर सकता है, रोक सकता है या नश्ट कर सकता है और भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी को नोटिस देने के पश्चात् उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई कार्य करा सकता है;

(ख) आदेश दे सकता है कि ऐसी नाली, उस निांक से जो वह एतदर्थ निर्दिष्ट करे, केवल गन्दे पानी (sullage) और मल इत्यादि (sewage) के लिए या केवल बरसाती पानी के लिए या केवल अदूशित उपभूमिगत पानी (unpolluted subsoil water) के लिए या केवल बरसाती पानी और अदूशित उपभूमिगत पानी दोनों के लिए प्रयुक्त की जायगी और लिखित नोटिस द्वारा सम्बद्ध भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी से मांग कर सकता है कि वह बरसाती पानी द्वारा या अदूषित उपभूमिगत पानी या बरसाती पानी और अपदूषित उपभूमिगत पानी दोनों के लिए या गन्दे पानी (sullage) और मल इत्यादि (sewage) के लिए पूर्णतः भिन्न नाली बनाये।

(2) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी नाली को तब तक बन्द, रोक या नष्ट न कर सकेगा, जब तक कि वह भू–गृहादि के जल–निस्सारण के लिए वैसी ही प्रभावी और ऐसी निगम अथवा उपयुक्त अन्य स्थान, जिसे मुख्य नगराधिकारी ठीक समझे, से संचारित दूसरी नाली की व्यवस्था न कर देगा और मुख्य नगराधिकारी द्वारा इस प्रकार बनवायी गयी नाली और उक्त खंड के अधीन किये गये किसी कार्य के निर्माण के व्यय का भुगतान मुख्य नगराधिकारी द्वारा किया जायगा।

243. **सम्पत्ति के एक मात्र (sole) प्रयोग के लिए नालियों का विहित किया जाना और उसका संधारण**–धारा 228 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक नाली, जो बनायी गयी, लगायी गयी, खड़ी की गयी या स्थापित की गयी हो, चाहे इसका व्यय निगम ने वहन किया हो या नहीं, या जो किसी भू–गृहादि के गणन के एक मात्र प्रयोग और लाभ के लिए जारी रखी गई हो–

(क) धारा 244 में किसी बात के होते हुए भी, निश्चित दिन पर और से, ऐसे भू–गृहादि या भू–गृहादि के गण के स्वामी में निहित हो जायेगी;

(ख) नाली के लिए अन्य सभी उपकरणों तथा संसाधनों (fittings) की व्यवस्था की जायगी, जो उसके अधीन प्रभाव कर ढंग से काम में लाने के लिए मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक प्रतीत हो और ऐसे भू–गृहादि या भू–गृहादि के गण के, स्वामी द्वारा उक्त नाली की समय–समय पर अच्छी प्रकार मरम्मत की जाया करेगी, उसे अच्छी दशा में रखा जायेगा और उसे समय–समय पर निगम निधि पर भारित व्यय से धोया जायेगा (flushed), साफ किया जायेगा और खाली किया जायेगा।

244. **ऐसे भू–गृहादि का जो निगम के न हों, नालियों आदि पर निगम का अधिकार जिनका निर्माण आदि निगम निधि किया गया हो**–ऐसे जल निस्सारण निर्माण कार्य से सम्बद्ध सभी नालियां, संवीजन–दंडो (ventilation shafts) और पाइप तथा निर्माण कार्य संबंधी सभी उपकरण एवं संधायन (fittings) जो किसी भी समय निगम निधि या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की निधि से किये गये व्यय से, जिसका निगम की स्थापना के दिनांक से पूर्व नगर के किसी भाग में ऐसे भू–गृहादि पर क्षेत्राधिकार हो जो निगम का न हो, बनाये गये हों, खड़े किये हों या स्थापित किये गये हों और उक्त भू–गृहादि या भू–गृहादि के गण के एकमात्र प्रयोग या लाभ के लिए ही न हों निगम में निहित हो जायेंगें, जब तक कि महापालिका ने अन्यथा निर्धारित न किया हो।

245. **नये भवनों बिना नालियों के नहीं बनाये जायेंगे**–(1) नये भवन को निर्मित करना या किसी भवन को पुनर्निमित करना या किसी नव निर्मित या पुनर्निमित भवन पर अध्यासीन होना तब तक वैध न होगा, जब तक कि–

(क) किसी ऐसे आकार, सामग्री और प्रकार की तथा ऐसे धरातल पर (level) और ऐसी गिरावट (fall) की कोई नाली न बनायी गयी हो, जो मुख्य नगराधिकारी को उस भवन के यथोद्देश्य जल–निस्सारण (drainage) के लिए आवश्यक प्रतीत हो,

(ख) ऐसे भवन और उससे सम्बद्ध (appartment thereto) भू–गृहादि में ऐसे सभी उपकरणों और संधायनों (fittings) की व्यवस्था न की गई और उन्हें स्थापित (set-up) न किया गया हो जो उक्त भवन और उक्त भू–गृहादि से नालियों के जल को इकट्‌ठा करने और ग्रहण करने तथ्था बाहर ले जाने के प्रयोजनों के लिए और उक्त भवन और उससे सम्बद्ध प्रत्येक संलग्नक (fixture) की नाली को सफल रूप से (effectually), धोने (fushing) के लिए मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक प्रतीत हों।

(2) पूर्वोक्त प्रकार से निर्मित की जाने वाली किसी निगम नाली में या किसी ऐसे स्थान पर जो नालियों के जल के निकास (discharge) के लिए विधितः (lawfully) अलग कर दिया गया है और जो उस भू–गृहादि से, जिसमें उकत भवन स्थित हो, 100 फीट से अधिक दूरी पर न हो, खाली होंगी, किन्तु यदि उस दूरी के भीतर कोई ऐसी नाली या स्थान न हो तो वह नाली ऐसे मलकूप (lcesspool) में खाली होगी जिसे मुख्य नगराधिकारी निर्दिष्ट करें।

246. **नालियों के स्वामियों का अपनी नालियों का अन्य व्यक्तियों को प्रयोग करने या संयुक्त स्वामित्व की अनुज्ञा देने का आभार**–किसी निगम नाली या ऐसे अन्य स्थन से, जो नालियों के जल के निकास के लिए विधितः अलग किया गया हो, जुड़ी हुई नाली का प्रत्येक स्वामी अन्य व्यक्तियों को उसके प्रयोग करने की अनुज्ञा देने या उन्हें उनके संयुक्त स्वामी के रूप में ऐसे निबन्धों पर स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा जो धारा 247 के अधीन विहित किये जोयं।

247. स्वामी से भिन्न व्यक्ति द्वारा किसी नाली के प्रयोग और संयुक्त स्वामित्व का अधिकार कैसे प्राप्त किया जा सकता है–(1) कोई भी व्यक्ति, जो अपने भू–गृहादि को किसी ऐसी नाली में जिसका वह स्वामी नहीं है, निगम नाली में जल–निस्सारित करना चाहे वह स्वामी से नाली का प्रयोग करने की अनुज्ञा के लिए निजी रूप से प्रबन्ध कर सकता है या उस नाली के प्रयोग का प्राधिकार दिये ज ाने या संयुक्त स्वामी घोषित किये जाने के लिए मुख्य नगराधिकारी को प्रार्थना पत्र दे सकता है।

(2) यदि प्रार्थना पत्र प्राप्त होने या अन्यथा मुख्य नगराधिकारी की यह राय हो कि किसी भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी द्वारा उस भू–गृहादि की नाली को किसी निगम नाली में या अन्य ऐसे स्थान पर जो नालियों के जल के निकास के लिए विधितः अलग किया गया हो खाली कराने का एकमात्र अथवा सर्वाधिक सुविधाजनक साधन एक ऐसी नाली ही हो सकती है जो उक्त निगम नाली से या पूर्वोक्त स्थान से मिली हो, लेकिन जो उक्त स्वामी या अध्यासी से भिन्न व्यक्ति की हो, तो मुख्य नगराधिकारी नाली के स्वामी को उस सम्बन्ध में कोई आपत्ति करने का समुचित अवसर देने के पश्चात–यदि कोई आपत्ति न की जाय या यदि कोई आपत्ति की जाय और वह अस्वीकृत कर दी जाय तो–लिखित आज्ञा द्वारा या तो उक्त स्वामी या अध्यासी को नाली के प्रयोग के लिए प्राधिकृत कर सकता है या उसका संयुक्त स्वामी धोशित कर सकता है किन्तु एतदर्थ किराया या प्रतिकर देने या उक्त भू–गृहादि की नाली को मिलाने वाली उपर्युक्त नाली (communication drain) से जोड़ने ओर संयुक्त नाली के संधारण, मरम्मत, धुलाई, सफाई और खाली करने के लिए क्रमशः दोनों पक्षों के उत्तरदायित्व के संबंध में अथवा अन्यथा ऐसी शर्ते लागू की जा सकती है, जो मुख्य नगराधिकारी को न्यायसंगत प्रतीत हों।

(3) प्रत्येक ऐसी आज्ञा द्वारा जिस पर मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर हों, उस व्यक्ति को, जिसके पक्ष में वह दी गयी हो या किसी ऐसे अभिकर्ता या व्यक्ति को जो उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियेाजित किया गया हो नाली के स्वामी को उकत आज्ञा में निर्दिष्ट प्रतिकर या किराया देने या प्रस्तुत करने (tendering) के पश्चात् और जहां तक संभव हो अन्य प्रकार से भी उक्त आज्ञा की शर्ते पूरी करने के पश्चात् और नाली के स्वामी को अपने ऐसा करने के आशय की लिखित रूप से समुचित नोटिस देने के बाद उस भूमि पर, जिस पर उक्त नाली स्थित है सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में, सहायकों और श्रमिकों (workmen) के साथ प्रवेश करने और इस अधिनियम के सभी उपबन्धों के अधी न रहते हुए ऐसी सभी बातें करने का, जो निम्नांकित प्रयोजनोंक के लिए आवश्यक हों, पूर्ण अधिकार होगा;

(क) दो नालियों को जोड़ना; या

(ख) योगों (connections) का नवीनीकरण, उसकी मरम्मत या उन्हें परिवर्तित करना; या

(ग) उस व्यक्ति से सम्बद्ध किसी उत्तरदायित्व का निर्वहन करना जिसके पक्ष में संयुक्त नाली या उसके किसी भाग के संधारण, मरम्मत, धुलाई, सफाई या खाली करने के लिए मुख्य नगराधिकारी ने आज्ञा दी हो।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी निर्माणकार्य के सम्पादन के सम्बन्ध में वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा दी गई हो, उन्हीं प्रतिबन्धों (restrictions) और उत्तरदायित्वों के अधीन रहेगा जो धारा 237 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट किये गये हैं।

248. जल इत्यादि और बरसाती पानी की नालियां अलग–अलग होंगी–जब कभी इस अध्याय में इस बात की व्यवस्था की गई हो कि किसी भू–गृहादि के यथोद्देश्य जल–निस्सारण (effectual drainage) के लिए कार्यवाही की जायेगी या की जा सकती है तो मुख्य नगराधिकारी आदेश दे सकता है कि एक नाली गन्दे पानी, मल इत्यादि और दूषित पानी के लिए होगी और दूसरी तथा पूर्णतः भिन्न (distinct) नाली बरसाती पानी और अपदूषित उप भूमिगत पानी के लिए, या बरसाती पानी, और अपदूषित उपभूमिगत पानी दोनों के लिए होगी और प्रत्येक नाली अलग–अलग निगम नालियों में या अन्य ऐसे स्थानों पर, जो विधितः नालियों के जल के निकास के लिए अलग किये गये हों, या अन्य उपयुक्त स्थानों पर खाली होंगी।

249. नालियों को संजीवित करने (vestilation) इत्यादि के लिए पाइपों का लगाना–(1) किसी नाली या नलकूप को संवीजित करने (ventilation) के प्रयोजन के लिए चाहे वह निगम का हो या किसी अन्य व्यक्ति का, मुख्य नगराधिकारी किसी भू–गृहादि पर कोई ऐसे दंड (shaft) या पाइप खड़ा कर सकता है या उन्हें किसी भवन के बाहर या किसी पेड़ पर लगा सकता है जो मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक प्रतीत होंगें और किसी भवन के बाहर निकले हुए भाग को (projections) जिस में उसकी छत की कार्निस (caves) भी सम्मिलित है, काट सकता है, ताकि उक्त दंड या पाइप ऐसे बाहर निकले हुए भाग से होकर ऊपर ले जाया जा सके और उसे किसी ाूमि के भीतर, बीच में या उसके नीचे ऐसे उपकरणों लगा सकता है (lay) जो मुख्य नगराधिकारी की राय में वायु निकालने वाले ऐसे दण्ड या पाइप को उस नाली या मलकूप से, जिसे संवीजीत करने (ventilate) का विचार हो, जोड़ने के लिए आवश्यक है।

(2) ऐसा दण्ड या पाइप उस रीति से खड़ा किया जायेगा या लगाया जायेगा या हटाया जायेगा जो विहित की जाय।

(3) यदि उक्त भू–गृहादि, भरन या पेड़ों के स्वामी से अपेक्षा करने पर मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसे दण्ड या पाइप को हटाने से इन्कार करे जो एतदर्थ ब्ने नियमों के अनुसार उन पर या उनकेक साथ खड़े किये गये हों या लगाये गये हों तो स्वामी मुख्य नगराधिकारी का उत्तर प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर न्यायाधीन को प्रार्थना पत्र दे सकता है कि उन्हें हटा देने की आज्ञा दे दी जाय।

(4) उपधारा (3) अधीन दिये गये प्रार्थनापत्र की सुनवाई और निस्तारण (disposal) करने में न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाय। इस सम्बन्ध में न्यायाधीश द्वारा दी गयी आज्ञा अंतिम होगी और उसमें दोनों पक्ष बाध्य होंगें।

(5) यदि किसी ऐसे भवन या भूमि का जो उपधारा (1) के अधीन काटी गयी हो, खोली गई हों या अन्यथा व्यवहृत हो, स्वामी या नाली या मलकूप का स्वामी न हो, जिसे संयोजित (ventilation) करने का विचार हो तो मुख्य नगराधिकारी जहां तक व्यावहारि होगा निगम निधि से किये गये व्यय से उस भवन को पुननिर्मित करेगा और ठीक करवायेगा (reinstate and made good) और उस भूमि को भरा देगा और उसे ठीक करा देगा।

मल इत्यादि का निस्सारण (disposal of sewage)

250. नालियां खाली करने और मल इत्यादि के निस्तारण के लिए स्थानों का निश्चित किया जाना–मुख्य नगराधिकारी ऐसी रीति से, जिसे वह इस प्रयोजन के लिए

उपयुक्त समझे, सभी या किसी निगम नाली को किसी स्थान पर चाहे वह नगर के भीतर हो या बाहर खाली करा सकता है और नगर के भीतर या बाहर किसी भी स्थान पर मल निस्सारण कर सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि :–

(क) मुख्य नगराधिकारी बिना निगम की स्वीकृति के किसी निगम नाली को ऐसे स्थान पर खाली नहीं करायेगा या किसी स्थान का मल निस्सारण ऐसे स्थान पर या ऐसी रीति से नहीं करायेगा जहां ओर जिस रीति से वह जब तक खाली न की गई हो या मल निस्सारण न किया गया हो;

(ख) कोई निगम नाली किसी ऐसे स्थान पर खाली नहीं करायी जायेगी और किसी ऐसे स्थान पर ओर ऐसी रीति से मल इत्यादि का निस्सारण नहीं कराया जायेगा, जिसे अस्वीकार कर देना राज्य सरकार उचित समझे।

251. **मल निस्सारण के लिए साधनों की व्यवस्था**–मुख्य नगराधिकारी मलादि (sewage) को ग्रहण करने, व्यवहृत करने (treating), उसे इक्ट्ठा करने (storing), उसे कीटाणू रहित करने (disinfecting), उसका वितरण करने या अन्यथा उसका निस्तरण करने के लिए नगर के भीतर या बाहर कोई निर्माण कार्य करा सकता है या नगर के भीतर या बाहर किसी भूमि, भवन, इंजिन की सामग्री या स्थिरमंत्र (apparatus) की खरीद कर सकता है या पट्टे पर ले सकता है या किसी व्यक्ति के साथ किसी अवधि के लिए, जो 20 वर्ष से अनधिक हो, नगर की भीतर या बाहर मलादि (sewage) को हटाने या उसके निस्सारण के लिए कोई प्रबन्ध (arragement) कर सकता है।

नाबदान, संडास, मूत्रालय आदि

252. **नाबदानों (water closets) और संडासों (privies) का निर्माण**–(1) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति और ऐसे निबन्धनों कसे, जो तत्समय प्रचलित किसी नियम या उपविधि से असंगत न हो और जिनकी यह व्यवस्था करे, के अनुकूल किसी भू–गृहादि के लिए नाबदान या संडास का निर्माण करना वैध न होगा।

(2) ऐसे निबन्धनों की व्यवस्था करते समय मुख्य नगराधिकारी प्रत्येक दशा में यह निर्धारित कर सकता है कि–

(क) भू–गृहादि में नाबदान प्रणाली की व्यवस्था रहेगी अािवा संडास प्रणाली की अथवा अंशतः एक की और अंशतः दूसरे की, तथा

(ख) प्रत्येक नाबदान या संडास का स्थल (site) या स्थिति (position) क्या होगी।

(3) यदि किसी भू–गृहादि पर कोई नाबदान या संडास उपधारा (1) का उल्लंघ करके बनाया गया हो तो मुख्य नगराधिकारी उस भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी को कम से कम 10 दिन का नोटिस देने के बाद, उस नाबदान या संडास को बन्द कर सकता है, और उसे परिवर्तित कर सकता है अथवा गिरा सकता है (demolish) और ऐसा करने में मुख्य नगराधिकारी द्वारा किये गये व्यय का भुगतान उक्त स्वामी या अध्यासी या दोषी व्यक्ति (person offending) द्वारा किया जायगा।

253. **नव निर्मित या पुनर्निर्मित भवनों में नाबदान और अन्य स्थान (accomodation)**–(1) कि
सी ऐसे भवन का, जो मनुश्यों के निवास के लिए हो या उसके लिए अभिप्रेत हो, बिना उक्त नाबदान या संडा के स्थान के, और ऐसे मूत्रालय के स्थान तथा स्नान करने या ऐसे भवन के कपड़े और घरेलू बर्तन धोने के स्थान के, जिसको मुख्य नगराधिकारी विहित करे धारा 315 के अर्थ में निर्माण, पुनर्निर्माण या रूपान्तरण (to convert) वैध न होगा।

(2) किसी ऐसे स्थान को विहित करने में मुख्य नगराधिकारी प्रत्येक दशा में यह निर्धारित कर सकता है कि–

(क) ऐसे भवन या निर्माण–कार्य में नाबदान प्रणाली की व्यवस्था रहेगी या संडास प्रणाली की या अंशतः एक की और अंशतः दूसरी की;

(ख) प्रत्येक नाबदान, संडास, मूत्रालय या स्नान करने और धुलाई के स्थान का स्थल का स्थिति (site or position) क्या होगी और उसकी संख्या क्या होगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित स्थान (accomnodation) निर्धारित करने में मुख्य नगराधिकारी भवन के अध्यासियों (occupants) द्वारा नियोजित (employed) घरेलू नौकरों के लिए पर्याप्त और उपयुक्त नाबदान तथा संडास और स्नान करने के स्थानों की व्यवस्था करने की आवश्यकत का ध्यान रक्खेगा।

254. **सार्वजनिक आवश्यकताएं (public necessities)**–मुख्य नगराधिकारी सर्वसाधारण (public accommodation) के लिए उपयुक्त और सुविधाजनक स्थानों में नाबदान, संडास और मूत्रालय तथा ऐसी ही अन्य सुविधाओं की व्यवस्था और उनका संधारण करेगा।

निरीक्षण

255. **ऐसी नालियों आदि का, जो निगम की न हों, निरीक्षण और परीक्षण हो सकेगा**–(1) मुख्य नगराधिकारी सभी नालियों, संवीजन दंडो, और पाइपों मलकूपों, घर के जल–मार्गो (house gullies), नाबदानों, संडासों, शौचालयों तथा मूत्रालयों और स्नान करने तथा धुलाई के स्थलों जो निगम के न हों अथवा जो ऐसे भू–गृहादि पर जो निगम के न हों, निगम निधि से किये गये व्यय से उक्त भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी के प्रयोग या लाभा के लिए बनाये, खड़े या स्थापित किये गये हों (constructed, erected or set up) का निरीक्षण और परीक्षण कर सकेगा।

(2) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के अधी न निरीक्षण या परीक्षण करते समय, किसी ऐसे व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ (trade effluent) का नमूना प्राप्त कर सकता है या ले जा सकता है, जो ऐसे भू–गृहादि से बहकर, जिसका निरीक्षण या परीक्षण किया गया हो, किसी निगम नाली में जाता हो, उस नमूने का विश्लेषण (analysis) विहित रीति से किया जायेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किये गये नमूने का विश्लेशण का परिणाम इस अधिनियम के अधीन किसी विधि कार्यवाही में साक्ष्य रूप में ग्राहय होगा।

256. **निरीक्षण या परीक्षण के प्रयोजनों के लिए भूमि आदि को खोलने का अधिकार**–उक्त निरीक्षण या परीक्षण के प्रयोजन के लिए मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसी

भूमि या नाली के किसी भाग या अन्य निर्माण कार्य को, जो भवन के बाहर हों जिसे वह ठीक समझे, तुड़वा या हटावा सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है ऐसा निरीक्षण और परीक्षण करने में यथासंभव कम से कम क्षति पहुंचायी जायगी।

257. **मुख्य नगराधिकारी मरम्मत आदि कराने की मांग कर सकता है**–जब धारा 255 के अधीन किये गये निरीक्षण या परीक्षण के फलस्वरूप मुख्य नगराधिकारी को यह पता चले कि कोई नाली, संवीजन–दंड या पाइप, मलकूप, घर का जलमर्ग (house gully), नाबदान, संडास, शौचालय, मूत्रालय या स्नन करने या धुलाई का स्थल चालू या अच्छी दशा में नहीं है अथवा सिवाय उस दशा में जब वह मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा से या उसके अधीन बनाया गया हो, यदि वह अधिनियम, नियमावली या उपविधियों या तत्समय प्रचलित किसी विधायन (enactment) का उल्लंघन करके बनाया गया हो, तो मुख्य नगराधिकारी स्वामी को लिखित नोटिस देकर मांग कर सकता है कि वह दोष (defect) को ऐसी रीति से दूर कर दे, जिसे वह किसी प्रचलित नियमावली या उपविधि के अधीन रहते हुए, आदिष्ट (direct) करें।

सामान्य उपबन्ध

258. **ऐसे कार्यो का प्रतिषेध जो इस अधिनियम, नियमावली या उपविधियों का उल्लंघ करते हों या जो बिना स्वीकृत किये गये हों**–(1) कोई व्यक्ति–

(क) इस अधिनियम, नियमावली या उपविधियों के उपबनधों या इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस या दिये गये किसी आदेश का उल्लंघ करके या मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रकार से किसी नाली, संजीवन–दंड या पाइप, मलकूप, नाबदान, संडास, शौचालय या मूत्रालय या स्नन करने या धुलाई के स्थल या उससे संबद्ध जारी (trap), आवरण (covering) या अन्य संधायन या उपकरणों के स्थापन, विन्यास या स्थिति (frixing[disposition or position) को नहीं बदलेगा, न उनका निर्माण करेगा, न उन्हें खड़ा करेगा (erect) न स्थापित करेगा (set-up) न उनका नवीनीकरण करेगा, न उन्हें पुनर्निमित करेगा न हटायेगा, न अवरूद्ध करेगा, न रूकवायेगा, न नष्ट करेगा और न उनमें परिवर्तन करेगा;

(ख) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किसी नाली, संजीवन–दंड या पाइप, मलकूप, नाबदान, संडास, शौचालय या मूत्रालय या स्नन करने या धुलाई के स्थल या किसी संधायन या उपकरण को, जो इस अधिनियम या नियमावली या उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रोक दिया गया है, गिरा दिया गया है या बन्द कर दिया गया है या जिनके संबंध में ऐसा करने की आज्ञा दे दी गयी है, नवीकृत पुननिर्मित या चालू (instop) नहीं करेगा;

(ग) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना/किसी नाली, नलकूप, घर के जलमार्ग, नाबदान, संडास, शौचालय या मूत्रालय या स्नन करने या धुलाई के स्थल या उस पर अनियमित रूप से किसी आगे निकलने हुए भाग अथवा अतिक्रमण (projection over or encroachment upon) को निर्मित नहीं करेगा, न किसी भी प्रकार से उन्हें क्षति पहुंचायेगा, न पहुंचाने देगा और न क्षति पहुंचाने की अनुमति देगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस खंड की कोई बात तीन फीट से अनधिक चौड़ाई की किसी ऐसी बरसाती (weather shade) पर लागू न होगी, जो किसी ऐसी खिड़की पर लगी हुई हो, जो पार्श्ववर्ती (adjoning) घर की दीवाल या खिड़की के सामने न हों;

(घ) किसी नाली में कोई ईट, पत्थर, मिट्टी, राख, गोबर या ऐसी वस्तु या पदार्थ (substance or matter) न गिरायेगा, न डालेगा, न गिरवायेगा डलवायेगा या रखवायेगा, न गिराने, डालने या रखने की अनुमति देगा, जिससे नाली को क्षति पहुंचने या उसमें बहने वाली वस्तुओं (contents) को निर्बाध रूप से बहने में बाधा पड़ने की संभावना हो या जिससे उसमें बहने वाली वस्तुओं के व्यवहार या निस्तारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो;

(ङ) किसी विशेष प्रयोजन के लिए उपबन्धित (provided for) नाली में कोई ऐसा पदार्थ या तरल पदार्थ न डालेगा, न डलवायेगा, न डालने की अनुमति देगा, जिसके ले जाने (conveyance) के लिए उस नाली की व्यवस्था न की गई हो;

(च) इस अधिनिमय द्वारा या इसके अधीन की गयी व्यवस्था के अनुकूलन किसी नाली में कोई रायायिक असार वस्तु (chemical refuse) या बेकार जाने वाला वाश्प या ऐसा तरल पदार्थ, जिसका तापमान 120 डिग्री फारेनहाईट से अधिक हो और जो ऐसी आसार वस्तु या वाष्प हो, जो इस प्रकार से व्यवहृत होने पर चाहे स्वतः या नाली में बहने वाली वस्तु से मिलकर खतरनाक हो उठे या अपदूषण (nuisance) का कारण हो या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, न डलवायेगा और न डालने देगा (cause or suffer tp discharge)

(छ) किसी नाली में कार्बाइट आफ कैल्शियम या कोई ऐसा कच्चा पेट्रोल, कोई ऐसा तेल, जो पेट्रोल से बनाया गया हो, कोयला, शेल (shale), पत्थर या राल मिश्रित (lbituminous) वस्तु या कच्चे पेट्रोल से बनी हुई वस्तु या ऐसा पदार्थ या मिश्रण, जिसमें पेट्रोल हो और जिसकी जांच करने पर उसमें 73 डिग्री फारेनहाइट से कम तापमान पर शीघ्र जलने वाली (inflammeable) वाष्प निकलती हो, न डलवायेगा और न डालने देगा।

(2) यदि उपधारा (1) के डंडों के प्रतिकूल कोई निर्माण–कार्य सम्पादित करने या अन्य कार्य करने वाला वयक्ति नोटिस के समय उस भरवन या निर्माण–कार्य का स्वामी न हो तो उस भवन या निर्माण–कार्य का स्वामी ऐसे सभी कार्यो को सम्पादित करने के लिए उसी प्रकार (carrying out all such requisitions) उत्तरदायी समझा जायेगा जिस प्रकार ऐसा करने वाला व्यक्ति उत्तरदायी होगा।

259. नाबदान को न क्षति पहुंचायी जायेगी और न उसे अनुचित रूप से गन्दा किया जायेगा–(1) कोई व्यक्ति, किसी नाबदान, संडास, मूत्रालय या स्नान या धुलाई के सथल या उससे संबद्धि किसी संधायन या उपकरण को, जिसकी व्यवस्था एक या एकाधिक भवनों के निवासियों के संयुक्त प्रयोग के लिए की गई हो न तो क्षति पहुंचायेगा ओर न उसे कलुषित (foul) करेगा।

(2) यदि ऐसा नाबदान, संडास, मूत्रालय या स्नान करने या धुलाई के स्थल या उनसे सम्बद्ध कोई संधायन या उपकरण का उन तक पहुंचाने के माग्र या उसकी दीवालें, फर्श या स्थान (seats) या उस संबंध में प्रयोग में आने वाली कोई वस्तु उचित रूप से उसकी सफाई न होने के कारण ऐसी दशा में हो कि उस स्थान के निवासियों या

बटोहियों के लिए अपदूषण (nuisance) या उद्वेजन (annoyance) का कारण हो उनका प्रयोग करने वाले ऐसे व्यक्तियों के सबंध में जो दोषी हो (in default), अथवा इस बात के साक्ष्य न होने पर कि उनका संयुक्त प्रयोग करने वालों में से कौन व्यक्ति दोषी है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में यह समझा जायेगा कि इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

(3) इस धारा के उपबन्धों के कारण भवन या भवनों का स्वामी किसी ऐसे अंड से मुक्त न होगा, जिसका कि वह अन्यथा भागी होता।

260. **राज्य सरकार की सीमा के बाहर अनुच्छेद के उपबन्ध प्रसारित कर सकती है**—राज्य सरकार आज्ञा द्वारा, जो सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेगी, किसी क्षेत्र पर, जो आज्ञा में विनिर्दिष्ट किया जायेगा, किन्तु जो नगर सीमाओं से 2 मील से दूरी पर न हो, इस, अध्याय की किसी धारा और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्ध ऐसे अनुकूलनों (adaptations) चाहे वे संशोधन, परिवर्धन (addition) या लोप (omissions) के रूप में हों के अधीन रहते हुए जो उसे आवश्यक या इष्टकर (expendient) प्रतीत हो, लागू कर सकती है ओर तदुपरान्त इस प्रकार लागू किये गये उपबन्धों ओर नियमों का उस क्षेत्र पर वही प्रभाव होगा मानों वह नगर के भीतर हो।

261. अपीलें—कोई व्यक्ति जो—

(क) धारा 229 की उपधारा (1) के अधीन की गई घोषणा से क्षुब्ध हो; या

(ख) धारा 230 की उपधारा (1) के अधीन नाला या नाले (sewer) जोड़ने (connect) के नोटिस से क्षुब्ध होः या

(ग) धारा 235 की उपधारा (1) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी नाली को भिन्न प्रकार से बनाने के आदेश (requisition) से क्षुब्ध हो; या

(घ) मुख्य नगराधिकारी के धारा 236 के अधीन इस आशय के नोटिस से क्षुब्ध हो कि वह किसी जोड़ (connection) को बन्द करना, गिराना, बदलना, या फिर से बनवाना चाहता हो, या

(ङ) मुख्य नगराधिकारी की धारा 237 की उपधारा (1) के अधीन ऐसी आज्ञा से क्षुब्ध हो, जिसमें किसी स्वामी या अध्यासी को इस बात का प्राधिकार दिया गया हो कि वह अपनी नाली को किसी अन्य व्यक्ति की भूमि में या भूमि के बीच से या उसके नीचे से ले जायें; या

(च) मुख्य नगराधिकारी के धारा 237 की उपधारा (6) के अधीन इस आशय के नोटिस से क्षुब्ध हो कि उसने किसी भू गृहादि के स्वामी या अध्यासी को यह आदेश दिया है कि वह नाली को एक विशेष रीति से बन्द करे, हटाया या उसका मार्ग परिवर्तित करें; या

(छ) मुख्य नगराधिकारी के धारा 239 के अधीन नोटिस से क्षुब्ध होद्व या

(ज) मुख्य नगराधिकारी के धारा 242 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नोटिस से या खंड (ख) के अधीन किसी आदेश या नोटिस से क्षुब्ध हो; या

(झ) धारा 252 की उपधारा (3) के अधीन मुख्य नगराधिकारी के इस आशय के नोटिस से क्षुब्ध हो कि उसका विचार किसी नाबदान या संडास को बन्द क रने अथवा बदलने या गिरा देने का है; या

(ञ) धरा 257 के अधीन ऐसे नोटिस से क्षुब्ध हो, जिसमें स्वामी को किसी धुलाई स्थल के दोशों को दूर करने का आदेश दिया गया हो;

तो वह विहित अवधि के भीतर और विहित रीति से न्यायाधीश (judge) के समक्ष अपील कर सकता है।

262. **नियम बनाने का अधिकार**–(1) राज्य इस इस अध्याय के उपबन्धें को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वगामी अधिकारों को व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है–

(क) धारा 229 की उपधारा (3) के अधीन दिए गए किसी नोटिस के सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत करना और उनका निस्तारण (disposal);

(ख) वे शर्ते और निबन्धन (condition and restriction) जिनका नालियों के सम्बन्ध में पालन किया जायगा;

(ग) नालियों का निर्माण, संधारण, सुधार, परिवर्तन या बन्द कर दिया जाना (discontinuance):

(घ) निगम नालियों से अन्य नालियां जोड़ने (connection) की शर्तेद्व

(ङ) षर्ते जिन पर व्यापारिक भू–गृहादि के अध्यासी किसी व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ (trade effluent) को निगम नालियों में उत्सर्जित कर सकते हैं;

(च) वह रीति जिससे व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ के नमूनों का विश्लेषण किया जायेगा;

(छ) शर्ते जिनकी धारा 249 के अधीन संजीवन दंडों या पाइपों को खड़ा करने या लगाने में पालन किया जायेगा;

(ज) नाबदानों संडासों, मूत्रालयों, स्नान करने या धुलाई के स्थलों का निर्माण, स्थिति और संधारण (maintenance);

(झ) वह रीति जिससे मुख्य नगराधिकारी धारा 255 और 256 के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोगा करेगा;

(ञ) धारा 255 और 256 के अधीन निरीक्षण या परीक्षण करने के व्ययों का भुगतान;

(ट) धारा 261 के अधीन अपील प्रस्तुत करने और उसके निस्तारण की रीति और अवधि, जिससे भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

अध्याय 11
जल सम्भरण (water supply)
निगम की जलकल (waterwork) का निर्माण तथा संधारण

263. **जलकलों के निर्माण, संचालन अथवा बन्द करने के संबंध में निगम के अधिकार**–नगर में सार्वजनिक तथा निजी प्रयोजनों के लिए अचदे तथा पर्याप्त जल के सम्भरण की व्यवस्था करने के हेतु मुख्य नगराधिकारी इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नगर के भीतर या बाहर जलकलों का निर्माण, संधारण, मरम्मत, परिवर्तन, विकारा और विस्तार कर सकता है अथवा ऐसे किसी पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए ऐसे सम्पूर्ण कार्य कर सकता है जो प्रासंगिक (incidental) अथवा आवश्यक हों, जिनमें विशेष रूप से–

(1) किसी सड़क अथवा स्थान के बची, आर–पार, ऊपर या नीचे तथा किसी भवन अथवा भूमि (lands) के स्वामी या अध्यासी को लिखित रूप से समुचित

नोटिस देने के बाद उस भवन अथवा भूमि में, उस से होकर तथा उसके ऊपर या नीचे उक्त कलों (works) का ले जाना;

(2) निगम की सीमाओं के भतर या बाहर किसी प्रकार की जनकल को अथवा जल संचय करने, उससे ले जाने या स्थानान्तरित करने (to sotre to take or convecy) के अधिकारों को क्रय करना या पट्टे पर लेना सम्मितलित है।

264. जलकलों का निरीक्षण–(1) राज्य सरकार धारा 263 में निर्दिष्ट किसी जलकल या जल संबंध (water-connection) के निरीक्षण के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है ओर ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार से किसी जल संबंध अथवा जलकल से सम्बद्ध भूमि में प्रवेश या उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(2) मुख्य नगराधिकारी अथवा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, किसी जलकल या जल संबंध में, उस पर या उसके संबंध में निरीक्षण, मरम्मत या किसी निर्माण कार्य के संपादन के प्रयोजन से समस्त उचित समयों में :–

(क) नगर के भीतर या बाहर किसी ऐसी भूमि में–चाहे किसी में भी विहित क्यों न हो–प्रवेश कर सकता है अथवा उससे होकर गुजर सकता है जो इस प्रकार के जलकल या जल संबंध (water-connection) से मिली हुई हो या उसके निकट हों;

(ख) उक्त किसी भूमि पर और उस से होकर समस्त आवश्यक व्यक्तियों, सामग्रियों (materials), औरजारों तथा उपकरणों (toos and implemnets) को ले जाने की व्यवस्था कर सकता है।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार का प्रयोग करने में कम से कम क्षति पहुंचायी जायेगी। उक्त अधिकारों में किसी के प्रयोग में यदि कोई क्षति पहुंच तो उसकी पूर्ति निगम की निधियों में से की जायेगी।

(4) यदि उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया हो वह यथाशक्य शीघ्र मुख्य नगराधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ओर मुख्य नगराधिकारी अविलम्ब उसे कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखेगा। तत्पश्चात् कार्यकारिणी समिति उसे अपनी टिप्पणियों सहित राज्य सरकार के पास भेज देगी।

(5) राज्य सरकार कार्यकारिणी समिति की रिपोर्ट टिप्पणियें सहित, यदि कोई हों, प्रापत होने पर उस पर विचार करेगी और निगम को अपने निर्णयों की सूचना देगी तथा निगम उक्त प्रयोजन के लिए निधि प्राप्त होने पर राज्य सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होगी।

265. निगम द्वारा आग बम्बों (fire hydrants) की व्यवस्था–आग लग जाने पर उससे बचाव के लिए जल सम्भ्रण के निर्मित तथा सम्त पूर्ण प्रासंगिक (incidental) करर्यो के लिए मुख्य नगराधिकारी ऐसे समस्त स्थानों पर जिन्हें आवश्यक समझा जायेग, आग बम्बों (fire hydrants) की व्यवस्था, संधारण तथा मरम्मत करेगा।

266. जल प्रणाली (water mains) आदि को ले जाने का अधिकार–(1) नगर के भीतर या उसके बाहर जल प्रणाल (water main), पाइप और प्रणाली (ducts) ले जाने, उन्हें नयी करने और उनकी मरम्मत करने के प्रयोजनों के लिए मुख्य नगराधिकारी को वही अधिकार प्राप्त होंगे, और वह उन्हीं प्रतिबन्धों के अधीन रहेगा, जो

उसे नगर के भीतर नालियां ले जाने, उन्हें नयी करने और उनकी मरम्मत करने के सम्बन्ध में पहिले दिए हुए उपबन्धों के अधीन प्राप्त हैं और जिनके वह अधीन है।

(2) यह धारा निजी (Private) जल–प्रणाल, पाइप तथरा प्रणाली (ducts) के ले जाने, उन्हें नयी करने ओर उनकी मरम्मत करने के सम्बन्ध में उसी प्राकर लागू होगी जैसे वह निगम जल–प्रणाल, पाइप और प्रणाली, पाइप और प्रणाली (ducts) को ले जाने, उन्हें नयी करने और उनकी मरम्मत करने के संबंध में लागू होती है।

267. **निगम के जलकलों पर प्रभाव डालने वाले कुछ कार्यो का प्रतिषेध**–(1) मुख्य नगराधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना कोई व्यक्ति किसी भवन, दीवाल या किसी प्रकार के ढांचे (structure) का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण (erect or re-erect) न करेगा अथवा किसी निगम जलक–प्रणाल के ऊपर कोई सड़क अथवा छोटी रेलवे का निर्माण न करेगा।

(2) निगम की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई भी व्यक्ति–

(क) उक्त क्षेत्र के किसी ऐसे भाग में किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भवन का निर्माण न करेगा, जो किसी झील, तालाब, कुंआ, जलाशय या नदी के निकट, जहां से निगम के जलकलों के लिए पानी लिया जाता हो, मुख्य नगराधिकारी द्वारा सीमांकित कर दिया जायेगा;

(ख) उपर्युक्त क्षेत्र के सीमांकन निर्माण–कार्यो (demarcation work) को न हटायेगा, न परिवर्तित करेगा, न उन्हें हानि या क्षति पहुंचाएगा ओर न उनमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप करेगा;

(ग) किसी ऐसे भवन को, जो उपर्युक्त क्षेत्र में पहले से स्थित हो, न तो विस्तार करेगा, न उसमें परिवर्तन करेगा और न उसे किसी ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयुक्त करेगा जो उस प्रयोजन के लिए भिन्न हो जिसके लिए वह अभी तक प्रयुक्त होता रहा हो; या

(घ) उपर्युक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार से वस्तु निर्माण (manufacture), व्यापार या कृषि का कोई कार्य नहीं करेगा और न ऐसा कार्य करेगा, जिससे ऐसी किसी झील, तालाब, कुंए, जलाशय या नदी या उनके किसी भाग को हानि पहुंचे या जिससे ऐसी झील, तालाब, कुंआ, जलाशय या नदी का पानी कलुषित (fouled) या कम स्वास्थ्यप्रद हो जाय (rendered less wholesome)।

(3) उस दशा को छोड़कर जिसकी आगे व्यवस्था की गई है, कोई भी व्यक्ति–

(क) किसी निगम जल–कल में अथवा उस पर न तो कोई पदार्थ गिरवायेगा (percolate) अथवा बहवायेगा (drain) और न ऐसा होने देगा और उसमें या उस पर, न कोई ऐसी चीज ही डलवायेगा अथवा कोई ऐसा काय्र ही करवायेगा, जिससे उसका पानी कि प्रकार कलुषित (Foulded) अथवा दूषित (polluted) हो जाय, अथवा उसके गुण में कोई परिवर्तन आ जाय;

(ख) निगम की किसी ऐसी भूमि को, जो उक्त जल–कल से मिली हुई हो या उसके किसी भीग के रूप में हो, खेदकर या उस पर कोई वस्तु जमा (deposit) करके उसके धरातल में कोई परिवर्तन न करेगा;

(ग) उक्त जल–कल के पानी में किसी पशु का प्रवेश न करायेगा और न करने देगा;

(घ) उक्त जल–कल के पानी में या उसके ऊपर न तो कोई वस्तु फेंकेगा और न रखेगा; या

(ङ) उक्त जल–कल में या उसके निकट स्नान नहीं करेगा; या

(च) उक्त जल–कल में या उसके निकट किसी पशु या वस्तु को न तो घोयेगा और न धुलवायेगा।

268. **धारा 267 का उल्लंघ करने किये जाने वाले कार्यो के विरूद्ध कार्यवाही तथा जल सम्भरण के किसी स्त्रोत (source) के निकट शौचालयों, आदि का हटाया जाना**–(1) यदि धारा 267 की उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघ करके कोई भवन, दीवाल या ढांचा (Structure) निर्मित या पुनर्निर्मित किया जाय अथवा यदि धारा 267 की उपधारा (2) के खंड (क) का उल्लंघन करके कोई भवन निर्मित किया जाय तो मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से, उसे हटावा सकता है अथवा उसके सम्बन्ध में अन्य ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जिसे वह उचित समझे और ऐसा करने में जो व्यय होगा, वह दोषी व्यक्ति (personoffending) द्वारा वहन किया जायेगा।

(2) यदि कोई वयक्ति धारा 267 की उपधारा (2) के खंड ;ख), (ग) और (घ) के उपबन्धों का बार–बार उल्लंघन करे तो मुख्य नगराधिकारी कार्यसमिति समिति के अनुबन्मोद से पूर्वोक्त खंडों के उपबन्धों का और आगे उल्लंघन रोकने के लिए कार्यवाही कर सकता है जिसमें ऐसा न्यूनतम बल प्रयोग भी, जो आवश्यक हो, सम्मिलित है।

(3) मुख्य नगराधिकारी नोटिस द्वारा किसी स्वामी या अध्यासी (occupier) को, जिसकी भूमि पर कोई नाली, संडास (privy), षौचालय, मूत्रालय, मलकूप (cesspool) अथरवा कूड़ा–करकट या मैला रखने का कोई पात्र, किसी सोते (spring), कुएं तालाब, जलाशय, नदी या किीस अन्य स्त्रोत (source) से, जहां से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए पानी लाया जाता हो या लिया जाता हो, 50 फीट के अन्दर हो, उस नोटिस के तामील होने से एक सप्ताह के भीतर उसे हटाने अथवा बन्द करने के आदेशरा दे सकता है और यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त व्यक्ति आदेशानुसार कार्य नहीं करता है तो मुख्य नगराधिकारी उसे हटावा अथवा बन्द करवा देगा और ऐसा करने में जो व्यय होगा, वह दोषी व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा।

269. **जल–कल लगाने वाली निगम का आभार (obligation)**–यदि किन्हीं भवनों या भूमि पर जल–कर (water-tax) लगाया जाता है तो मुख्य नगराधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे भवनों या भूमि के स्वामियों या अध्यासियों के लिए जल–सम्भरण की व्यवस्था ऐसी उस रीति से, ऐसे समय में और इतनी मात्रा में करे, जो नियमों द्वारा विहित की जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी दुर्घटना (acdident), असाधारण सूखा पड़ने के कारण अथवा अन्य किन्ही अनिवार्य कारणों से निगम जल का सम्भरण नहीं कर पाता तो वह एतदर्थ किसी प्रकार की जब्ती (forfeiture), दंड या क्षति का उत्तरदायी नहीं होगी।

270. **जल के सकपट (frauduled) तथा अनधिकृत प्रयोग का प्रतिषेध**–(1) कोई भी व्यक्ति उसे निगम द्वारा सम्भरित (supplied) किसी प्रकार के जल का सकपट (fraudulently) निस्तारण नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसे निगम द्वारा निजी काम के लिए जल सम्भरित किया गया हो, सिवाय ऐसी स्थिति के जब जल के सम्भरण के लिए माप

(measurement) के अनुसार शुल्क (charge) लिया जाय, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे भू–गृहादि में नहीं रहता, जिसके संबंध में जलकर दिया जाता हो, उस भू–गृहादि से जहां जल सम्भारित किया जाता हो, जल ले जाने की अनुमति नहीं देगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐकसे भू–गृहादि में नहीं रहता, जिसके सम्बन्ध में जल–कर दिया जाता हो, किसी ऐसे भू–गृहादि से, जिसे निगम द्वारा निजी काम के लिए जल सम्भारित कियाहो, तब तक जल नहीं ले जाएगा जब तक कि यदि जल सम्भरण का शुल्क माप के अनुसार दिया जाता हो, एतदर्थ उस व्यक्ति की अनुमति न ले ले, जिसे उक्त प्रकार से जल सम्भरित किया गया हो।

271. नियम बनाने का अधिकार–(1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकारी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस प्रकार के नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है–

(1) निगम की सीमाओं के भीतर किसी निजी जल मार्ग (private water course) आदि का संधारण, सफाई कुशल संचालन (efficeint running) तथा उसका बन्द किया जाना;

(2) किसी ऐसे कुएं, तालाब या अन्य स्थानों के जहां से पीने के लिए जल लिया जा सकता हो, निरीक्षण तथा कीटाणु रहित करने (disinfecting) के निमित्त उपर्युक्त कार्यवाहियों की व्यवस्था तथा ऐसी कार्यवाहियां जो उनसे पानी निकालने को रोकने के लिए आवश्यक समझी जाय;

(3) निगम की सीमाओं के भीतर भूमि या भवन के किसी स्वामी या अध्यासी को अनुबन्ध (greement) द्वारा पानी का सम्भरण तथा एतदर्थ षर्ते और दरें;

(4) जल–सम्भरण के प्रयोजन;

(5) अन्य समस्त प्रयोजनों की अपेक्षा घरेलू प्रयोजनों के लिए जल–सम्भरण को प्राथमिकता (precedence) देना;

(6) पानी के मीटर तथा योजक पाइपों (connection pipes) का लगाना (installation);

(7) मीटरों, पाइपों (pipes), बम्बों (stanpipe), पंपों, पानी निकालने के बम्बों (hydrants) का आकार तथा प्रकार (size and nature) और वह रीति, जिससे वे सुचारूरूप से जल–सम्भरण करने के निमित्त लगाये जायेंगे, बनाए जायेंगे, नियंत्रित किए जायेंगे अथवा संधारित किए जायेंगे;

(8) प्रणाल (mains) या पाइप, जिसमें आग डट्टे (fireplug) लगाए जाने हो और वे स्थान जहां इन आग डट्टों की कुंजियां जमा की जायं;

(9) निगम द्वारा सम्भरित किए जाने वाले जल का किसी अर्ह (qualified) विश्लेशक द्वारा आवाकि विश्लेषण (anaylysis);

(10) निगम की सीमाओं के भीतर या बाहर स्थित जल–सम्भरण के स्त्रोतों (souces) तथा साधनों और जल वितरण के उपकरणों (appliances) का संरक्षण

(conservation) ओर उन्हें हानि पहुंचने अथवा दूषित होने (comtamination) से बचाना;

(11) वह रीति जिससे जल–कलों से जल के संबंध (connections) लगाये जायेंगे या संधारित किए जायेंगे और वह अभिकरण (agecny) जो उक्त निर्माण संधारण के लिए प्रयुक्त किया जायेगा या किया जा सकता है;

(12) जल सम्भरण व्यवस्था के सम्बनध में सभी मामलों का विनियम जिसमें टोंटी खोलना (turning on) या बन्द करना (turning off) और पानी को नष्ट होने से बचाना भी सम्मिलित है; और

(13) निगम की सीमाओं के बाहर जल–सम्भरण की व्यवस्था करना और ऐसे सम्भरण के संबंध में जल–करों तथा परिव्ययों (charges) की वसूली और करों को न देने (evasion of taxes) से संबद्ध मामलों की रोकथाम।

अध्याय 12
सड़कें
सड़कों का निर्माण, संधारण और सुधार

272. **सार्वजनिक सड़कों का निगम में निहित होना**–(1) समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी विशेष रक्षण के अधीन हुए नगर की सभी सड़कें, जो सार्वजनिक सड़कें हों या हो जायें– सिवाय उन सड़कोंक के जो निश्चित दिन पर राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई हों या जो उक्त दिन के पश्चात् महापालिका से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा निर्मित ओर संधारित की जायं–उनकी मिट्टी (sub-soil) तथा किनारे की नालियों, पंगडंडियों, खड़ंजो (side drains, footways, pavements), पत्थरों और उनके अन्य सामानय के सहित निगम में निहित हो जायेगीं और मुख्य नगराधिकारी के नियंत्रण में रहेगी।

(2) राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् विज्ञप्ति द्वारा उक्त किसी सड़क को, उसकी मिट्टी, नीचे की मिट्टी तथा किनारे की नालियों, पंगडंडियों, खड़ंजो, पत्थरों तथा उनके अन्य सामान सहित निगम के नियंत्रण से वापस ले सकती है।

273. **सार्वजनिक सड़कों के संबंध में मुख्य नगराधिकारी का अधिकार**–(1) मुख्य नगराधिकारी समय–समय पर पर सभी सार्वजनिक सड़कों को जो निगम में निहित हो, समतल करायेगा, पक्की या खंड़जे की करायेगा, उनमें नालियां बनरवायेगा, उन्हें परिवर्तित करायेगा और उनकी मरम्मत करायेगा (levelled, metalled of paved, channeled, altered and repaired) जैसा कि उस समय अपेक्षित हो ओर समय–समय पर किसी सड़क को चौड़ी अथवा विस्तृत करा सकता है या अन्य प्रकार से भी उसमें सुधार करा सकता है या उसकी मिट्टी को ऊंची नीची या परिवर्तित करा सकता है, वह पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए बाड़े या खंभे भी लगवा सकता है और उसकी मरम्मत करा सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी किसी सार्वजनिक सड़क को चौड़ी करने, विस्तृत करने या उसमें अन्य सुधार करने का ऐसा कार्य जिसकी कुल लागत पांच हजार रूपये से या इससे भी बड़ी ऐसी धनराशि से अधिक हो, जिसे निगम समय–समय पर निश्चित करे तब तक नहीं करायेगा, जब तक कि ऐसा किया जाना निगम द्वारा प्राधिकृत न किया गया हो।

(2) निगम की स्वीकृति से जो तदर्थ प्रचलित नियमों और उपविधियों के अनुसार दी गई हो, मुख्य नगराधिकारी निगम में निहित किसी संपूर्ण सार्वजनिक सड़क कीे या उसके किसी भाग को मोड़ सकता है, उसका मार्ग बदल सकता है अथवा उसका सार्वजनिक उपयोग रोक सकता है या उसे स्थायी रूप से बन्द कर सकता है और उसके इस प्रकार बन्द किये जाने पर राज्य सरकार और निगम की पूर्व स्वीकृति से उस सड़क के या उसके डस भाग के, जो बन्द कर दिया गया हो, स्थल (side) का इस प्रकार निस्तारण कर सकता है (dispose of) मानों वह महापालिका में निहित कोई भूमि हो।

274. **नई सार्वजनिक सड़के बनाने का अधिकार**–मुख्य नगराधिकारी जब तक वह निगम द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किया गया हो, किसी भी समय–

(क) नई सार्वजनिक सड़क का विन्यास कर सकता है और उसे बना सकता है;

(ख) किसी व्यक्ति से उसकी भूमि से होकर सार्वजनिक प्रयोग के लिए या तो पूर्णतः उस व्यक्ति के व्यय से या अंशतः उस व्यक्ति के व्यय से और अंशतः निगम के व्यय से सड़क बनाने का करार कर सकता है और यह भी करार कर सकता है कि ऐसी सड़क पूरी हो जाने पर, सार्वजनिक सड़क हो जाएगी और निगम में निहित हो जायेगी;

(ग) नई सार्वजनिक सड़क बनाने और उसके विन्यास के लिए सहायक सुरंगेस, पुल, रपटें (causeways) और अन्य निर्माण–कार्य (works) करा सकता है;

(घ) निगम में निहित किसी वर्तमान सड़क या उसके किसीभाग को बदल सकता है या उसे मोड़क सकता है (divert or turn)।

275. **नई सावजनिक सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई**–(1) निगम, समय–समय पर सार्वजनिक सड़कों की विभिन्न श्रेणियों के लिए यातायात, जिसके उन सड़कों पर होने की संभावना है, के प्रकार (natrue) स्थान (locality) जहां वे सिथत हैं, ऊंचाई जहां तक सड़कों से लगे भवन बनाये जा सकते हैं तथा इसी प्रकार की अन्य बातों (considerations) के अनुसार चौड़ाई निर्दिश्ट करेगा।

(2) धारा 274 के अधी न बनाई गई किसी नई सड़क की चौड़ाई उस चौड़ाई से कम न होगी, जो उपधारा (1) के अधीन उस श्रेणी के लिए विहित की गई हो, जिसके अन्तर्गत वह आती हो और कोई सीढ़ियां तथा धारा 293 के अधीन मुख्य नगराधिकारी को लिखित अनुमति के बिना अन्य बाहर निकले हुए भाग (projection) ऐसी सड़क के ऊपर बाहर न निकले रहेंगे, या सड़क तक आगे न बढ़े रहेंगे।

(3) मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से लिखित नोटिस द्वारा किसी भू–गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उपधारा (1) के अधी न नियम किसी सड़क को कम से कम चौड़ाई के भीतर स्थित निकले हुए भाग को हटाये या उसके संबंध में ऐसी कार्यवाही करे, जिसका वह निदेश दें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां बाहर निकला हुआ भाग विधितः खड़ा किया गया था या बनाया गया था तो उस दशा में मुख्य नगराधिकारी द्वारा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसे उसके हटाने या परिवर्तित करने में हानि या क्षति पहुंचे, प्रतिकर दिया जायेगा।

276. **किसी उपमार्ग, पुल आदि को अपना लेने (to adopt) निर्मित करने या परिवर्तित करने का अधिकार**–मुख्य नगराधिकारी निगम द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किये जाने पर किसी व्यक्ति के साथ–

(क) किसी वर्तमान या प्रस्तावित (projected) उपमार्ग (sub-way), पुल (viaduct) या मेहराब और उन तक पहुंचने वाले मार्ग को अपनाने और संधारित करने का करार कर सकता है और तद्नुसार ऐसे उपमार्ग, पुल, उत्तार या मेहराब ओर उन तक पहुंचने वाले मार्गो को सार्वजनिक सड़कों के रूप में या निगम में निहित सम्पत्ति के रूप में अपना सकता है और संधारित कर सकता है; या

(ख) किसी ऐस उपमार्ग, पुल, उत्तार या मेहराब के निर्माण या परिवर्तन के लिए या उनके शिलान्यास (foundations) और मजबूती (support) के लिए या उन तक पहुंचने वाले मार्गो के लिए अपेक्षित किसी पार्श्ववर्ती (adjoining) भूमि को या तो पूर्णतः उस व्यक्ति के व्यय से या अंशतः उसके व्यय से और अंशतः निगम के व्यय से क्रय करने या अर्जित करने के लिए करार कर सकता है।

277. कुछ प्रकार के यातायात (traffic) के लिए सार्वजनिक सड़कों का प्रयोग प्रतिषिद्ध करने का अधिकार–(1) मुख्य नगराधिकारी के लिए निगम की स्वीकृति होने पर यह वैध (lawful) होगा कि वह–

(क) किसी सार्वजनिक सड़क विशेष पर, जो निगम में निहित हो, उसके या उसके किसी भाग के दोनों सिरों पर खंभे गाड़ कर वाहनों के यातायात (vehicular traffic) का प्रतिषेध करें, जिससे जनता की विपत्ति, अवरोध अथवा असुविधा (danger, obstruction or incovenience) का निवारण हो सकें;

(ख) सभी सार्वजनिक सड़कों या विशेष सार्वजनिक सड़कों के संबंध में सिवाय, समय संकर्षण या प्रचलन के ढंग (mopdre of traction or locamotion) पथ–परिवहन की सुरक्षा के लिए उपकरणों (appliances) के प्रयोग, बत्तियों (lights), और सहायकों की संख्या और अन्य सामान्य पूर्वोपायों (precautions) और विशेष परिव्ययों के भुगतान के संबंध में ऐसी शर्तो के अधीन, जो प्रत्येक मामलें में सामान्य रूप से या विशेष रूप से मुख्य नगराधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जायं, किसी ऐसे वाहन के आने जाने का प्रतिषेध कर, जिसका रूप, बनावट भार या आकार ऐसा हो या जिन पर ऐसी भारी या बेसंभाल (unweildly) वस्तुयें लदी हो कि उनसे सड़क–पंथों (roadways) या उन पर बने किसी भवन आदि (construction) को क्षति पहुंचना संभवप समझा जाय या ऐसी सड़क या सड़कों पर उनके ऊपर चलने वाले अन्य वाहनों या पैदल चलने वालों को खतरा या अवरोध (risk or obstruction) पहुंचना संभव समझा जाय।

(2) ऐसे प्रतिषेधों के जो उपधारा (1) के अधीन आरोपित किये जायें, नोटिस सम्बद्ध सार्वजनिक सड़कों या उनके भागों के दोनों सिरों पर या उनके समीप प्रमुख स्थानों पर चिपका दिये जायेंगे, जब तक कि वे प्रतिषेध सामान्तया सभी सार्वजनिक सड़कों पर लागू न हों।

278. सार्वजनिक सड़कों के सुधार के लिए भू–गृहादि को अर्जित करने का अधिकार–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों तथा नियमों के अधीन रहते हुए मुख्य नगराधिकारी–

(क) किसी सार्वजनिक सड़क, पुल या उप मार्ग को खोलने, चौड़ा करने, बढ़ाने, बदलने या उसमें अन्यथा सुधार करने के लिए या किसी नई सार्वजनिक सड़क पुल या उप–मार्ग के बनाने के लिए अपेक्षित किसी भूमि ओर उस पर स्थित भवनों, यदि कोई हों, को अर्जित कर सकता है;

(ख) उक्त भूमि और उस पर स्थित भवन, यदि कोई हों, के अतिरिक्त, ऐसी सभी भूमि को भी उस पर स्थित भवनों, यदि कोई हों, के सहित, जिसे ऐसी सड़क की नियमित पंक्ति (regular line) अथवा अभिप्रेत (intended) नियमित पंक्ति के बाहर अर्जित करना, उसे सार्वजनिक हित में इष्टकर प्रतीत हो, अर्जित कर सकता है;

(ग) खंड (ख) के अधीन अर्जित किसी भूमि या भवन को पट्टे पर दे सकता हैं, बेच सकता है या अन्यथा निस्तारित (dispose of) कर सकता है।

(2) वाहनों के अड्डों के लिए स्थान की व्यवस्था करने, उसके विस्तार करने या उसमें सुधार करने के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह किसी सार्वजनिक सड़क की व्यवस्था करने, उसका विस्तार करने या उसमें सुधार करने के प्रयोजनार्थ किया गया भूमि का अर्जन है।

(3) उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी भूमि या भवन के हस्तान्तरण–पत्र (conveyance) में वर्तमान भवन को हटाने, निर्मित किये जाने वाले नये भवन के विवरण (description), अवधि जिसमें ऐसा नया भवन पूरा किया जायेगा यथा उसी प्रकार के अन्य विषयों के संबंध में ऐसी शर्ते समाविष्ट की जा सकती है, जिन्हें मुख्य नगराधिकारी उपयुक्त समझे।

279. सड़क की पंक्तियों (Street lines) को विहित करने का अधिकार–(1) मुख्य नगराधिकारी किसी सार्वजनिक सड़क के एक या दोनों ओर पंक्ति (line) विहित कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी सार्वजनिक सड़क को प्रत्येक नियमित पंक्ति (line) जो नगर के किसी भाग में तत्समय प्रचलित (inforce) किसी विधि के अधीन नियत दिन के ठीक पहले के दिन पर प्रवर्तित (operative) हो, के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन विहित की गई पंकित है जब तक कि इस धारा के अधीन मुख्य नगराधिकारी नई पंक्ति विहित न करें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि जब कभी किसी वर्तमान पंक्ति या उसके किसी भाग के स्थान पर नई पंक्ति विहित करने का प्रस्ताव किया जाय तो कार्यकारिणी समिति का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(2) तत्समय विहित पंक्ति सड़क की नियमित पंक्ति कहलायेगी।

(3) मुख्य नगराधिकारी एक पंजी (register) रखेगा जिसमेकं नक्शें (plans) संलग्न रहेगें, और उसमें ऐसी सभी सार्वजनिक सड़कें दिखाई जायेंगी जिनके संबंध में सड़क की एक नियमित पंक्ति विहित की गई हो और उस पंजी में ऐसे विवरण रहेगेंक जो मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक प्रतीत हों और कोई भी व्यक्ति ऐसा शुल्क देने पर, जिसे कार्यकारिणी समिति समय–समय पर विहित करें, उस पर पंजी का निरीक्षण कर सकेगा।

(4) (क) उपध ाारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति सिवाय मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा तथा उन शर्तो के अनुकूलन, जो उसके संबंध में लगई गई हों, सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर की भूमि पर किसी भवन के कि सी भाग का निर्माण या पुनर्निमाण नहीं करेगा और मुख्य नगराधिकारी प्रत्येक ऐसे मामलें में जिसमें वह उक्त अनुज्ञा दे कार्यकारिणी समिति को अपने कारणों का प्रतिवेदन (report) भी लिखित रूप में भेजेगा।

(ख) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर कोई सीमा भित्ति (boundary wall) या सीमा भित्ति के किसी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी व्यक्ति से सीमा भित्ति या उसके किसी भाग के निर्माण या पुनर्निमार्ण के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिन के भीतर मुख्य नगराधिकारी धारा 282 के अधीन सड़क की नियमित पंक्ति के भीतन भूमि अर्जित न कर सके तो उक्त व्यक्ति इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों तथा नियमों और उपविधियों के अधीन रहते हुए उस सीमा भित्ति या उसके किसी भाग का यथास्थिति निर्माण या पुर्ननिर्माण करा सकता है।

(5) (क) यदि मुख्य नगराधिकारी उपधारा (4) के खंड (क) के अधी न सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर भूमि पर किसी भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए अनुज्ञा दे देता है तो वह भवन के स्वामी को इस आशय का एक करार (agreement) निष्पादित करने का आदेश दे सक ता है कि वह और उसके आगम उत्तराधिकारी (successor-in-title) इस बात के लिए बाध्य (binding) होंगे कि यदि मुख्य नगराधिकारी तत्पश्चात् किसी भी समय उससे या उसके किसी आगम उत्तराधिकारी से उकत अनुज्ञा के अनुसार किये गये किसी निर्माण कार्य को या उसके किसी भाग को लिखित नोटिस द्वारा हटाने की मांग करे तो वे उसके लिए किसी प्रतिकर का दावा न करेंगे ओर यदि वे उक्त निर्माण या उसका कोई भाग न हटाये जिनके कारण उसे मुख्य नगराधिकारी को हटाना पड़े तो वे उसे हटाये जाने के व्यय का भुगतान करेंगे।

(ख) मुख्य नगराधिकारी ऐसा अनुज्ञा देने के पूर्व स्वामी को निगम कार्यालय में ऐसी धनराशि जमा करने का आदेश दे सकता है जो उसकी राय में हटाये जाने के व्यय को और ऐसे प्रतिकर को, यदि कोई हो, जो उस भवन के आगम उत्तराधिकारी या हस्तान्तरण ग्रहीता (transferee) को देय हो, पूरा करने के लिए पर्याप्त हों।

280. भवनों को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाना–(1) यदि कोई भवन या उसका कोई भाग जो सार्वजनिक सड़क से मिलता हो, सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, तो मुख्य नगराधिकारी जब कभी यह प्रस्तावित किया जाय कि–

(क) उस भवन को फिर से बनाया जाय या उसे उस सीमा तक नीचा किया जाय कि उसका आधे से अधिक भाग भूमि की सतह (ground level) के ऊपर रह जाये तो आधा भाग घनफुटों में नापा जायेगा; या

(ख) ऐसे भवन के, जो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, किसी भाग को हटा दिया जाय, फिर से निर्मित किया जाय या उसमें कोई परिवर्द्धन किया जाय, या उसके ढांचे में परिवर्तन किया जाय;

उस भवन को नियमित पंक्ति तक पीछे हटाये जाने का आदेश दे सकता है।

(2) जब कोई भवन या उसका कोई भाग, जो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, गिर पड़ेक या जल जाय, या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अन्यथा गिरा दिया जाय, तो मुख्य नगराधिकारी निगम की ओर से सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर की उस भूमि पर तुरन्त कब्जा कर सकता है जिस पर पहले से उक्त भवन रहा हो और यदि आवश्यक हो तो उसे साफ भी करवा सकता है;

(3) इस धारा निगम के अधीन अर्जित भूमि तत्पश्चात् सार्वजनिक सड़क का भाग समझी जायगी और इस रूप में निगम में निहित हो जायगी।

281. भवनों को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाने की आज्ञा देने के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी का अतिरिक्त अधिकार–(1) यदि कोई भवन या उसका कोर्ठ भाग किसी सार्वजनिक सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो औक्र यदि मुख्य नगराधिकारी की राय में, भवन को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाना आवश्यक हो, तो वह, यदि धारा 280 के उपबन्ध लागू न होते हों, लिखित नोटिस द्वारा उस भवन के स्वामी को ऐसी अवधि के भीतर जो निर्दिष्ट की जाय, यह कारण बताने का आदेश दे सकता है कि वह भवन या उसका कोई भाग, जो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, क्यों न गिरा दिया जाय और उस पंक्ति के भीतर की भूमि मुख्य नगराधिकारी द्वारा अर्जित क्यों न कर ली जाय।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दिये गये नोटिस के अनुसार स्वामी ऐसे पर्याप्त कारण न बता सके, जिनसे मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो सके, तो मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से, स्वामी को लिखित नोटिस द्वारा ऐसे भवन या उसके भाग को, जो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, ऐसी अवधि के भीतर गिराने का आदेश दे सकता है, जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाय।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन दिये गये नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, भवन का स्वामी ऐसे भवन या डसके किसी भाग को, जो उक्त पंक्ति के भीतर आता हो, न गिरा सके, तो मुख्य नगराधिकारी उसे गिरवा सकता है और ऐसा करने में हुए सभी व्ययों को स्वामी से वसूल सकता है।

(4) मुख्य नगराधिकारी निगम की ओर से सड़क की उक्त पंक्ति के भीतर स्थित भूमि के उस भाग पर भी अधिकार कर लेगा जिस पर पहले से उक्त भवन रहा हो और वह भूमि तत्पश्चात् सार्वजनिक सड़क का एक भाग समझी जायगी और इस रूप में निगम में निहित हो जायगी।

(5) इस धारा की कोई बात राज्य में निहित भवनों पर लागू नहीं समझी जायेगीं

282. सड़क की पंक्ति के भीतर की खुली भूमि या ऐसी भूमि को अर्जित करना जिस पर प्लेटफार्म, आदि हों–यदि कोई भूमि, जो निगम में निहित नप हो, चाहे वह खुली हुई हो या घिरी हुई (open or close), किसी सार्वजनिक सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो और उस पर कोई भवन न हो या यदि कोई मंच, बरामदा, सीढ़ी, घेरे की दीवाल, आड़ (hedge) या मेड़ (fence) या किसी भवन के बाहर की कोई अन्य संरचना (structrue) जो सार्वजनिक सड़क से लगी हुई हो, या किसी मंच, बरामदा, सीढ़ी घेरे की दीवाल, आड़, मेड़ या उक्त अनय संरच नाओं का कोई भाग उस सड़क की नियमित पंक्ति के भीता हो, तो मुख्य नगराधिकारी उक्त भूमि या भवन के स्वामी को कम से कम पूरे चौदह दिन का अपने ऐसा करने के आशय का लिखित नोटिस देने के पश्चात् तथा इस बीच में प्रस्तुत किन्हीं आपत्ति–पत्रों की सुनवाई करने के पश्चात् निगम की ओर से उक्त भूमि और उसके बाड़े की दीवालें (enclosing wall), आड़ या मेड़, यदि कोई हो, या उक्त प्लेटफार्म, बरामदा, सीढ़ी या अन्य ढांचे पर, जैसा कि ऊपर कहा गया है, या उक्त प्लेटफार्म, बरामदे, सीढ़ी या अन्य ऐसे ढॉचे के भाग पर, जैसा कि ऊपर कहा गया है, जो सड़क को नियमित पंक्ति के भीतर हों, अधिकार कर सकता है, और यदि आवश्यक हो तो साफ भी करवा सकता है और इस प्रकार से अर्जित की गई भूमि तत्पश्चात् सार्वजनिक सड़क का एक भाग समझी जायगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि या भवन राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार में निहित हो, तो संबद्ध सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना पूर्वोक्त प्रकार से उसे अधिकार में नहीं

लिया जायगा और यदि भूमि या भवन किसी ऐसे निगम में निहित हो, जो तत्समय प्रचलित किसी विधि के अनुसार संगठित किया गया हो (constituted) तो राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना पूर्वोक्त प्रकार से उसे अधिकार में नहीं लिया जायेगा।

283. **भवन और भूमि के उन भागों को, जो सड़क की किसी नियमित पंक्ति के भीतर हो, अर्जित करने के पश्चात् उनके शेष भागों को अर्जित करना**–(1) यदि कोई भवन या भूमि अंशतः सार्वजनिक सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो और मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो जाय कि उक्त पंक्ति के भीतर पड़ने वाले भाग को अलग कर देने के बाद शेष भूमि किसी लाभ प्रद प्रयोग के लिए उपयुक्त और ठीक न होगी तो वह स्वामी की प्रार्थना पर उक्त पंक्ति के भीतर पड़ने वाली भूमि के अतिरिक्त उक्त भूमि को भी अर्जित कर कसता है और ऐसी अतिरिक्त (surplus) भूमि निगम में निहित सार्वजनिक सड़क का एक भाग समझी जायेगी।

(2) तत्पश्चात् ऐसी अतिरिक्त (surplus) भूमि धारा 284 के अधीन भवनों को आगे बढ़ाने (setting forward) के प्रयोजनार्थ काम में लागयी जा सकती है।

284. **भवनों को सड़क की पंक्ति तक आगे बढ़ाना**–(1) यदि कोई भवन, जो सार्वजनिक सड़क से लगा हुआ हो (buts), उस सड़क की नियमित पंकित के पृष्ठ भाग में हो तो जब कभी–

(क) उस भवन को फिर से बनाने का; या

(ख) उस भवन में ऐसी रीति से परिवर्तन या मरम्मत करने का जिसमें उस भवन का या उसके उस भाग को जो उकत सड़क से लगा हुआ हो (abusts) भूमि की सतह से ऊपर उस भवन या भाग के आधे भाग तक (जो आधार घन फिटों में नापा जायेगा) हटाया जाना या पुनर्निर्माण अन्तगर्कत हो, प्रस्ताव किया जाय, मुख्य नगराधिकारी किसी आज्ञा में, जिसे वह उस भवन के पुनर्निर्माण, परिवर्तन करने या मरम्मत करने के संबंध में जारी करे यह अनुज्ञा दे सकता है या कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से आदेश दे सकता है कि उस भवन की सड़क की नियमित पंक्ति तक आगे बढ़ा दिया जाय।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई दीवाल, जो किसी भू–गृहादि की सार्वजनिक सड़क से अलग करती हो भवन समझी जायेगी और यदि उकत पंक्ति के साथ–सा कोई दीवाल ऐसे सामानों से और ऐसे नाम (dimensions) की बना दी जाय, जिसे मुख्य नगराधिकारी अनुमोदित करे, तो ऐसा करना उस अनुज्ञा या अपेक्षा का पर्याप्त अनुपालन समझा जायेगा, जो किसी भवन को सड़क की नियमित पंक्ति तक बढ़ने के लिए दी गई हो।

285. **प्रतिकर दिया जायेगा ओर उन्नति के परिव्यय (betterment charges) लगाये जायेंगे**–(1) धारा 280, 2881स, 282 या 283 के अधीन किसी सार्वजनिक सड़क के लिए अपेक्षित किसी भूमि या भवन के स्वामी को, मुख्य नगराधिकारी द्वारा उसके भवन या भूमि को इस प्रकार अर्जित कर लेने के परिणामस्वरूप उसे जो हानि हो और मुख्य नगराधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा के परिणामस्वरूप ऐसे स्वामी द्वारा जो व्यय किया गया हो, उसका प्रतिकर दिया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि–

(1) ऐसी अवशिष्ट (remainder) संपत्ति के, जिसका इस प्रकार अर्जित किया गया भवन या भूमि एक भाग थी, मूल्य में इस संपत्ति की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाने में, जो वृद्धि या कमी होने की संभावना हो, उस पर उक्त प्रतिकर की धनराशि निर्धारित करने में विचार किया जायगा और उसका संधान किया जायगा (allwed for);

(2) यदि मूल्य में ऐसी वृद्धि उस क्षति की धनराशि से अधिक हो, जो उक्त स्वामी को हुई हो या जो उसने व्यय की हो, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे सवामूी से ऐसी वृद्धि की आधी धनराशि उन्नत के परिव्यय (betterment charges) के रूप में वसूल कर सकता है।

(2) यदि धारा 284 के अधीन किसी भवन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य नगराधिकारी द्वारा दी गयी आज्ञा के परिणामस्वरूप उस भवन के स्वामी या कोई क्षति या हानि हो, तो उसे मुख्य नगराधिकारी द्वारा ऐसी क्षति या हानि के लिए, भवन को आगे बढ़ाने से उसके मूल्य में किसी संभावित वृद्धि का विचार करने के पश्चात् प्रतिकर दिया जायगा।

(3) यदि अतिरिक्त भूमि जो किसी ऐसे व्यक्ति के भू–गृहादि में सम्मिलित की जायगी जिसे धारा 284 के अधीन किसी भवन को आगे बढ़ाने का आदेश या अनुमति दी गई हो, निगम की हो, तो भवन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा या अनुज्ञा उस भूमि के उक्त स्वामी के लिए पर्याप्त हस्तान्तरण (conveyance) होगी और ऐसी अतिरिक्त भूमि मूल्य और हस्तान्तरण (conveyance) के अन्य निबन्धन और षर्ते (terms and conditions) उस आज्ञा या अनुज्ञा में निर्धारित कर दी जायेगी।

(4) यदि मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी भवन को आगे बढ़ाने की अपेक्षा करने पर, भवन का स्वामी निगम को दिये जाने के लिए निश्चित किये गये मूल्य या हस्तान्तरण के अन्य निबन्धनों या शर्तो के संबंध में असन्तुष्ट हो तो मुख्य नगराधिकारी, उक्त स्वामी को उक्त निबन्धन ओर शर्ते भेजने के पश्चात् 15 दिन के भीतर किसी भी समय स्वामी के प्रार्थना पत्र भेजने पर, मामलें के निर्धारण के लिए न्यायाधीश के पास भेज सकता है।

निजी सड़कों के संबंध में उपबन्ध

286. भवन के रूप में भूमि का निस्तारण करते समय सड़क बनाने के लिए स्वामी का आभार–यदि किसी भूमि का स्वामी उस भूमि या उसके किसी भाग या भागों को भवनों के निर्माण के लिए स्थलों (sites) के रूप में उपयोग करें, या उन्हें बेचे, या पट्टे पर दे या अन्यथा उनका निस्तारण करे, तो वह ऐसी दशाओं को छोड़कर जब ऐसा स्थल या ऐसे स्थल किसी वर्तमान सरकारी या निजी सड़क से मिले हुए हों, ऐसी सड़क या सड़कों या मार्ग या मार्गो का विन्यास करेगा और उन्हें बनायेगा जो उक्त स्थल या स्थलों तक पहुॅचते हों, और किसी वर्तमान सरकारी या निजी सड़क से मिलते हों।

287. भवनों और निजी सड़कों के लिए भूमि का विन्यास करने के लिए नोटिस–(1) यदि किसी व्यक्ति का विचार

(क) किसी भूमि को किसी क्रेता (purchaser) या पट्टाग्रहीता (lessee) को इस प्रसंविदा (convenant) या करार के अधीन बेचने या पट्टे पर देने का हो कि वह उस पर भवन बनायेगा;

(ख) भूमि को (चाहे उस पर कोई भी निर्माण न हो, या अंशतः निर्माण हो) भवन के लिए गाटों (plots) में बांटने का हो; या

(ग) किसी भूमि या उसके किसी भाग को भवन के प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाने की अनुज्ञा देने का हो; या

(घ) किसी निजी सड़क को बनाने या उसका विन्यास क रने का हो, चाहे जनता को उस सड़क से आने–जाने या वहां तक पहुंचने की अनुज्ञा देने का विचार हो या न हो, तो वह नियमों और उपविधियों में उल्लिखित रीति से अपने विचार का लिखित नोटिस मुख्य नगराधिकारी को देगा।

(2) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के अधीन दिये गये नोटिस पर उस रीति से कार्यवाही करेगा, जो नियमों ओर उपविधियों में विहित हों और ऐसे सामान्य आदेशों के अधीन जो कार्यकारिणी समिति एतदर्थ समय–समय पर दें, भवनों के लिए भूमि का विन्यास, प्रत्येक भवन के गाटे की लम्बाई–चौड़ाई (dimension) और क्षेत्रसफल, प्रतयेक निजी सड़क का तल (level), दिशा (direction), चौड़ाई और जल निस्सारण के साधन, ऐसी सड़कों के किनारे लगाये और पोषित किये जाने वाले पेड़ों की किस्म ओर संख्या, ऐसी भूमि पर या ऐसी सड़क के दोनों किनारों पर बनाये जाने वाले सभी भवनों की ऊँचाई, जल निस्सारण के साधन और उनका संजीवन (ventilation) और उनमें पहुंचने के मार्ग निर्धारित करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के अधीन प्राप्त नोटिस अथवा नियमों के अधीन मांगे गये नक्शे, खण्ड, ब्यौरे, योजनायें या अतिरिक्त सूचनायें, यदि कोई हों, प्राप्त होने के पश्चात् साठ दिन तक उस व्यक्ति को जिसने नोटिस दिया, विषयों में से किसी के सम्बन्ध में अपनी असहमति सूचित करने में उपेक्षा या चूक करता है, तो ऐसा व्यक्ति लिखित संसूचना द्वारा उपेखा या चूक की ओर मुख्य नगराधिकारी का ध्यान आकर्षित कर सकता है यदि वह उपेक्षा या चूक मुख्य नगराधिकारी द्वारा लिखित सूचना की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन की अतिरिक्त अवधि तक जारी रहती है तो यह समझा जायेगा कि उक्त व्यक्ति की प्रस्थापनाएं मुख्य नगराधिकारी द्वारा अनुमोदित कर ली गई है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि यहां अन्तर्विष्ट किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जायेगा कि उससे किसी व्यक्ति को अधिनियम अथवा किन्ही उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करने का अधिकार मिल जाता है।

(3) यदि मुख्य नगराधिकारी उक्त निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में कुछ शर्तो के अधीन या बिना किसी शर्त के अनुमोदन (approval) लिखित रूप में किसी व्यक्ति को सूचित कर दे या यदि उक्त निर्माण कार्य पूर्वोक्त रूप से मुख्य नगराधिकारी द्वारा अनुमोदित समझा जाय तो उक्त व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन मुख्य नगराधिकारी को नोटिस मिलने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर किसी भी समय नोटिस में या पूर्वोक्त किसी लेख्य (document) में दिये गये आशय (intention) के अनुसार और मुख्य नगराधिकारी द्वारा विहित शर्तो के अनुसार, यदि कोई हो, उक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकता है, किन्तु इस प्रकार से नहीं कि उससे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी नियम या उपविधि का उल्लंघ हो जाय।

288. नोटिस की समाप्ति तक भवन निर्माण के लिए भूमि का उपयोग और निजी सड़क का विन्यास नहीं किया जायेगा–(1) कोई व्यक्ति तब तक किसी भूमि को, चाहे उसका विकास न हुआ हो या अंशतः हुआ हो, भवन निर्माण के लिए न बेचेगा, न पट्टे पर देगा, न प्रयोग करेगा या उसकेक प्रयोग की अनुमति देगा, न ऐसी किसी भूमि को भवन के गाटों में बांटेगा, न किसी निजी सड़क की बनायेगा, न उसका विन्यास करेगा–

(क) जब तक कि धारा 286 के उपबन्धों का पालन न किया गया हो;

(ख) जब तक उस व्यक्ति ने धारा 287 में की गयी व्यवस्था के अनुसार अपने आशय का पहले ही, लिखित नोटिस न दे दिया हो और जब तक कि ऐसा नोटिस दिये जाने के पश्चात् 60 दिन समाप्त न हो गये हों और जब तक उक्त कार्य उन आदेशों के (यदि कोई हों), जो धारा 287 की उपधारा (2) के अधीन निश्चित और अवधारित किये गये हों, अनुकूल न हो;

(ग) जब कि धारा 287 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि समाप्त हो गयी हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति, जिसे धारा 287 की उपधारा (3) के अधीनर किसी निर्माण कार्य के सम्बन्ध में कार्य करने का अधिकार हो, उसमें निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा न कर सकें, तो वह किसी भी समय उस निर्माण काग्र को संपादित करने के अपने आशय का नये सिरे से नोटिस दे सकता है ओर ऐसा नोटिस धारा 287 की उपधारा (1) के अधीन नये सिरे से दिया गया नोटिस समझा जायगा।

(घ) जब तक कि वह व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी को उस दिनांक का लिखित नोटिस न दे जिस पर वह कोई ऐसे निर्माण कार्य के संबंध में कार्यवाही करना चाहता है, जिसे करने का उसे अधिकार है और नोटिस में उल्लिखित दिनांक से सात दिन के भीतर उस निर्माण कार्य को आरमी कर दे।

(2) यदि इस धारा का उल्लंघन करके कोई कार्य किया जाय या उसे करने की अनुज्ञा दी जाय तो मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा ऐसे कार्य करने वाले या करने की अनुज्ञा देने वाले किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह–

(क) उस दिन को या उससे पहले, जो उस नोटिस में निर्दिष्ट किया जायगा, ऐसे लिखित कदम द्वारा, जिस पर उसने एतदर्थ हस्ताक्षर किये हों और जो मुख्य नगराधिकारी को संबोधित हो, इस बात का कारण बतायें कि इस धारा का उल्लंघन करके जो विन्यास, गाटा, सड़क या भवन बनाया गया है, उसे मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार क्यों न बदल दिया जाय, या यदि ऐसा करना उसकी राय में अव्यवहारिक हो तो वह सड़क या भवन क्यों न गिरा या हटा दिया जाय, या भूमि उसी स्थिति में क्यों न कर दी जाय, जैसी कि वह आिधिकृत निर्माण कार्य से संपादित किये जाने के पहले थी; या

(ख) स्वयं या किसी ऐसे अभिकर्ता द्वारा जिसे उसने एतदर्थ यथावत् प्राधिकार किया हो, ऐसे दिन, समय और सथान पर जो उस नोटिस में निर्दिष्ट किया जायगा, उपस्थित हो और पूर्वोक्त रूप से कारण बतायें।

(3) यदि वह व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार यह कारण न बता सके कि वह सड़क या भवन उक्त रूप में क्यों न बदल दिया जाय, गिरा दिया जाय या हटा दिया या वह भूमि उकत पूर्व स्थिति में क्यों न कर दी जाय, तो मुख्य नगराधिकारी बदलवाने, गिराने, हटाने या भूमि को उकत स्थिति में करने का कार्य करा सकता है और उसका व्यय उक्त व्यक्ति द्वारा किया जायगा।

(4) धारा 286 के उपबन्धों के उल्लंघन की दशा में मुख्य नगराधिकारी उपधारा (3) में वर्णित कार्यवाही करने के बदलें कोई सड़क या सड़कों, मार्ग या मार्को को बना सकता है, जो धारा 286 में निर्दिष्ट स्थल या स्थलों तक पहूंचे और किसी वर्तमान सरकारी जो निजी सड़क से मिल जाय तथा ऐसा करने में किये गये व्यय की धनराशि स्थल अथवा स्थलों के स्वामी या स्वामियोंक से ऐस अनुपात तथा ऐसी रीति से वसूल करेगा जो निर्धारित की जाय।

289. निजी सड़कों तथा पहुंचने के साधनों का सममतल किया जाना और उनकी जन–निस्सारण व्यवस्था–(1) यदि

कोई निजी सड़क या किसी भवन तक पहुंचने का कोई अन्य साधान मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार सममतल, पक्का, चौरस, पत्थर का (flagged) या खड़न्जों (paved) का या नाली या नालियों तथा मोरियों (sewaged, drained channelled) सहित न बनाया गयसा हो, या जिसमें रोशनी या छाया के लिए वृक्षें की व्यवस्था न की गयी हो, तो वह कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से लिखित नोटिस द्वारा उन भू–गृहादि के, जो उक्त सड़क या पहुंच के अन्य साधनों के सामने पड़ते हो या उनसे सटे हो या उनसे लगे हुए हो (abutting) या जिन तक पहुंचाने का मात्र ऐसी सड़क या पहुंच के अन्य साधनों से हकर बनाया गया हो या जिन्हे इस धारा के अधीन संपादित निर्माण कार्यो से लाभ पहुंचेगा, स्वामी या अनेक स्वामियोकंक को पूर्वोक्त अपेक्षाओं में से किसी एक या एकाधिक को ऐसी रीति से पूरा करने का आदेश दे सकता है जो वह आदिष्ट करें।

(2) यदि नोटि में निर्दिष्ट समय के भीतर और निर्दिष्ट रीति से उपर्युक्त अपेक्षा या अपेक्षाओं को पूरा न किया जाय तो मुख्य नगराधिकारी यदि उचित समझे, उसे पूरा कर सकता है और उसका व्यय चूक करने वाले स्वामी या स्वामियों से अध्याय 21 के अधीन वसूल किया जायगा।

(3) यदि वसूली चूक करने वाले दो या दो से अधिक स्वामियों से की जानी हो तो वह इस आधार पर कि उनके भू–गृहादि का कितना भाग सामने पड़ता है और ऐसे अनुपात में की जायगी जो कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित किया जाय।

290. निजी सड़को को सरकारी सड़क घोषित करने का अधिकार–(1) जब कोई किसी सड़क मुख्य नगराधिकारी के संतोषानुसार सममतल, पक्की, चौरस पत्थर की या खड़ंजों की या नालों, नालियों तथा मोरियों सहित बनायी गयी हो और ठीक कर दी गयी हो, तो वह यदि रोशनी के खम्भे (lamp posts) ओर उक्त सड़क पर रोशनी के लिए अन्य आवश्यक स्थित–यंत्रों (apparatus) की व्यवस्था उसके सन्तोषानुसार की गयी हो– उस सड़क को सरकारी सड़क घोषित कर सकता है और सड़क के स्वामियों या किसी स्वामी की प्रार्थना पर यह घोषित करेगा कि उक्त निजी सड़क, सरकारी सड़क है। यह घोषणा ऐसी सड़क के किसी भाग पर लिखित नोटिस लगाकर की जायेगी और तत्पश्चात् वह निजी सड़क सार्वजनिपक सड़क हो जायेगी और उसी रूप में निगम में निहित हो जायेगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा नोटिस लगाने के पश्चात् एक मास के भीतर उस सड़क का उसके वृहत्त भाग का स्वामी, मुख्य नगराधिकारी को लिखित नोटिस देकर इस सम्बन्ध में आपत्ति करे तो वह सड़क में सार्वजनिक सड़क नही होगी।

(2) मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसे सड़क के जो सार्वजनिक सड़क न हो ओर उएपधारा (1) के अधीन न आती हो किसी भाग पर लिखित रूप से सार्वजनिक नोटिस लगाकर उसे सार्वजनिक सड़क घोषित करने के अपने आशय की सूचना दे सकता है। ऐसे नोटिस के इस प्रकार लगाये जाने के पश्चात् दो मास के भीतर उस सड़क के स्वामी उक्त नोटिस के विरूद्ध निगम के कार्यालय में आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते है। कार्यकारिणी समिति प्रस्तुत की गयी आपत्तियों पर विचारि करेगी और यदि वह उन्हें अस्वीकृत कर दे तो मुख्य नगराधिकारी उस सड़क या उस भाग पर, अतिरिक्त नोटिस लगाकर उसे सार्वजनिक सड़क घोषित करेगा।

291. किसी सड़क के अंशतः सार्वजनिक और अंशतः निजी होने की दश में धरा 289 ओर धारा 290 का लागू होना–यदि किसी सड़क का केवल कुछ भाग ही

सार्वजनि सड़क हो तो उस सड़क का शेष भाग धारा 289 और धारा 290 के समस्त प्रयोजनों के लिए निजी सड़क समझा जा सकता है।

बाहर निकले हुए भाग और अवरोध
(Projections and Obstructions)

292. **सड़कों आदि पर बाहर निकले हुए भागों का प्रतिषेध**–(1) धारा 293 में की गयी व्यवस्था के अनुकूल, कोई व्यक्ति किसी भू–गृहादि से सटाकर (against) या उसके सामने कोई संरचना या स्थापक (structure or fixture) न निर्मित करेगा, न लगायेगा, न बढ़ायेगा और न रक्खेगा, जो–

(क) किसी सड़क के ऊपर लटकता हो, जिसका कोना उसके आगे बढ़ा हुआ हो या उसके ऊपर निकला हो (just or project into) या जो किसी भी प्रकार से उसका अतिक्रमण करता हो या जो किसी भी प्रकार से सड़क पर जनता के सुरक्षित या सुविधाजनक गमनागन को अवरूद्ध करता हो; या

(ख) किसी सड़क की किसी नाली या खुली नाली के आगे बढ़ा हो या उसके ऊपर निकला हो, या उनका अतिक्रमण करता हो जिससे ऐसी नाली या खुली नाले के प्रयोग या उसके ठीक से काम करने में किसी प्राकर की बाधा पड़ती हो या उसके निरीक्षण या सफाई के कार्य को अवबाधित (impede) करता हो।

(2) मुख्य नगराधिकारी किसी भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी (occupier) में लिखित नोटिस द्वारा ऐसे किसी ढांचे या संलग्नक को, जो उक्त भू–गृहादि से सट कर या उसके सामने इस धारा का या नियम दिन के ठीक पहले दिन नगर में प्रचलित किसी विधि का उल्लंघन करके निर्मित किया गया हो, लगाया गया हो, बढ़ाया गया हो या रखा गया हो, हटाने या उसके संबंध में अन्य ऐसी कार्यवाही करने की, जिसका वह आदेश दे, अपेक्षा कर सकता है।

(3) यदि उक्त भू–गृहादि का अध्यासी उस नोटिस के अनुसार किसी ढांचे या संलग्नक को हटाये या बदले तो उसे जब तक कि उक्त ढांचा या संलग्नक स्वयं उसके द्वारा निर्मित किया गया, लगाया गया या रखा गया न हो उक्त नोटिस के पालन करने में सभी उचित व्ययों को भू–गृहादि के स्वामी के खाते में डालने का अधिकार होगा।

(4) यदि ऐसा कोई ढांचा या संलग्नक, जिसका उल्लेख उपधारा (1) में किया गया है किसी भू–गृहादि से सटाकर या सामने 1 अप्रैल, 1901 के पहले किसी समय निर्मित किया गया हो, लगाया गया हो, बढ़ाया गया हो, या रखा गया हो तो मुख्य नगराधिकारी उक्त भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी को लिखित रूप से नोटिस दे सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी ऐसे मामलें में ढांचा या संलग्नक वैध रूप से (lawfully) निर्मित किया गया हो, लगाया गया हो, बढ़ाया गया हो या रखा गया हो, तो मुख्य नगराधिकारी द्वारा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिकर दिया जायगा जिसके उसके हटाने या बदलने से हानि या क्षति पहुंचे।

293. **कुछ दशाओं में सड़कों के ऊपर बाहर निकले हुए भागों की अनुमति दी जा सकती है**–(1) मुख्य नगराधिकारी ऐसे निबन्धनों पर, जिन्हें वह प्रत्येक मामलें में उचित समझेगा, सड़क से लगे हुए किसी भवन के स्वामी या अध्यासी को–

(क) उस सड़क या उसके किसी भाग पर बरसाती कमाचा (arcade); या

(ख) किसी सड़क या उसके भाग के ऊपर या उसके आर–पार (over or across), बरामदा, छज्जा, मेहराब, योगमार्ग (connecting passage), बरसाती (sun shade), ऋतुसूचक ढांचा (weather frame), छत्र (canopy), तिरपाल (awning), या अन्य ऐसा ही ढांचा या वस्तु, जो किसी मंजिल (storey) से बाहर निकली हो, बनाने की लिखित अनुमति दे सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी ऐसे सार्वजनिक सड़कों पर बरसाती कमाचार (arcade) बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिस पर उसे बनाने की स्वीकृति सामान्यता निगम द्वारा न दी गई हो अथवा जब किनारों के बची की चौथाई 60 फीट से कम हों।

(2) इस धारा के अधीन दी गयी अनुमति के निबन्धनों के अधीन और उसके अनुसार निर्मित किये गये या रखे गये किसी बरसाती कमाचे, बरामदे, छज्जे, मेहराब, योगमार्ग, बरसाती ऋतुसूचक ढांचा, छत्र, तिरपाल या अन्य ढांचा या वस्तु धारा 292 के उपबन्ध लागू नहीं समझे जायेंगे।

(3) मुख्य नगराधिकारी किसी भी समय लिखित नोटिस द्वारा किसी भवन के स्वामी या अध्यासी को उपधारा (1) के उपबनधों के अनुसार बनाये गये बरामदे, छज्जे, मेहराब, योगमार्ग, बरसाती ऋतुसूचक ढांचे में ऐसी ही किसी वस्तु के हटाने का आदेश दे सकता है, ओर वह स्वमी या अध्यासी तद्नुसार कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा किन्तु उसे इस प्रकार हटाने के कारण हुई हानि तथा उस पर किये गये व्यय के लिए प्रतिकर पाने का अधिकार होगा।

294. सबसे नीचे की मंजिल के दरवाजे, आदि सड़कों पर बाहर की ओर नहीं खुलने चाहिए–(1) कोई दरवाजा, फाटक, परदा (bar) या सबसे नीचे के मंजित की खिड़की मुख्य नगराधिकारी से बिना अनुज्ञप्ति (licence) लिए हुए इस प्रकार लटकाई या रखी न जायेगी कि वह किसी सड़क पर बाहर की ओर खुले।

(2) मुख्य नगराधिकारी किसी भी समय लिखित नोटिस द्वारा किसी ऐसे भू–गृहादि के, जिसके सबसे नीचे की मंजिल का कोई दरवाजा, फाटक, परया या खिड़की, किसी सड़क पर बाहर की ओर, या ऐसी भूमि पर, जो सड़क के सुधार के लिए आवश्यक हो, उस रीति से खुलती हो कि उससे मुख्य नगराधिकारी की राय में उस सड़क के ऊपर जनता के सुरक्षित और सुविधाजनक गमनागत अवरूद्ध होते हों, स्वामी को आदेश दे सकता है कि वह उस दरवाजे, फाटक, परदे या खिड़की को इस प्रकार बदलवाये कि वह बाहर की ओर न खुले।

295. सड़कों के संबंध में अन्य प्रतिषेध–(1) कोई व्यक्ति धारा 293 या 300 के अधीन मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के अनुकूल किसी सड़क या उसके ऊपर या किसी सड़क की किसी खुली नाली (channel), पनाली, कुयें या तालब पर या उसके ऊपर कोई दीवाल, मेड़, (fence) कठघरा (rail), खम्भा, सीढ़ी, छप्पर या अन्य ढांचा, चाहे वह स्थिर हो या चल (fixed or movable) और चाहे स्थाी या अस्थाी प्रकार का हो या कोई संलग्नक (fixture) न इस प्रकार निर्मित करेगा और न लगायेगा कि उस सड़क, खुली नाली, कुंये या तालाब के लिए कोई अवरोध हो या उसका अतिक्रमण हो या वह उस पर आगे निकला हो, उसके ऊपर बहार निकला हो या उसके किसी भाग को घेरे हुए हों :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की काई बात ऐसे किसी निर्माण (erection) या वस्तु पर लागू नहीं समझी जायेगी जिस पर धारा 302 की उपधारा (1) का खंड (ग) लागू होता हो।

(2) कोई व्यक्ति, बिना मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के–

(क) किसी सड़क पर या किसी सड़क की खुली नाली (channel), पनाली (drain) या कुंऐ पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर, कोई दुकान (stall), कुरसी, बेंच, बक्स, सीढ़ी सामान का गट्ठर (bale) या कोई भी अनय वस्तु इस प्रकार न रखेगा या जमा करेगा कि उससे उस पर अवरोध हो या उसका अतिक्रमण (encroachment) हो;

(ख) किसी सड़क के ऊपर, या किसी सड़क की किसी खुली नाली, पनाली, कुंये या तालाब के ऊपर किसी भवन की कुरसी (Plinth) की रेखा (line) के आगे कोई तख्ता या कुसरी (chair) सड़क के धरातल से 12 फीट से कम की ऊंचाई पर बाहर नहीं निकालेगा;

(ग) किसी सड़क से लगी हुई दीवाल या भवन के भाग से पूर्वोक्त ऊंचाई पर कोई भी वस्तु न लगा सकता है और न लटका सकता है (attached to or suspend from) :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (क) की कोई भवन–सामग्री (building material) पर लागू नहीं होती।

(3) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक सड़क पर किसी पशु को न बांधेगा और न अपने परिवार या घर के किसी सदस्य को बांधने देगा ओर न बांधने की अनुमति देगा। पूर्वोक्त रूप में बांध गया कोई पशु मुख्य नगराधिकारी या निगम के किसी पदाधिकारी या नौकर द्वारा हटाया जा सकता है ओर उस उसके संबंध में वही कार्यवाही करेगा जो छूटे हुए (staray) पशुओं के संबंध में की जाती है।

296. मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसी वस्तु को जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके निर्मित की जाय, जमा की जाय या फेरी से बेची जाय या विक्री के लिए प्रदर्शित की जाय, बिना नोटिस के हटा सकता है–मुख्य नगराधिकारी, बिना नोटिस दिये निम्‍ नलिखित को हटा सकता है–

(क) कोई ऐसी दीवाल, मेंड (fencer), कठघरा (rail), खंभा, छप्पर (booth) या अन्य ढांचा–चाहे वह स्थिर हो या चल और चाहे वह स्थायी प्रकार का हो या अस्थायी या कोई ऐसा स्थायक (fixture) जो किसी सड़क में या उसके ऊपर या किसी खुली नाली, पनाली कुऐं या तालाब पर या उसके इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल नियम दिन के पश्चात् निर्मित या संस्थापित किया जाय;

(ख) कोई दुकान (stall), कुर्सी, बेंच, बक्स, सीढ़ी, सामान का गट्ठर, तख्ता या अलमारी या अन्य कोई भी वस्तु, जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके किसी स्थान पर रखी गई हो, किसी स्थान में जमा की गई हो, किसी स्थान से बाहर निकली हो, किसी स्थान से संलग्न हो या किसी स्थान पर लटका दी गई हो;

(ग) कोई भी वस्तु जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी सार्वजनिक सड़क में, इस अधिनियम का उल्लंघन करके फेरी से बेची जाए या बिक्री के लिए प्रदर्शित की जाय और कोई वाहन, बंडल (package), बक्स या ऐसी कोई अन्य वस्तु जिससे या जिन पर ऐसी वस्तु रखी हो।

297. **झाड़ियों और पेड़ों को छॉटने के लिए आदेश देने का अधिकार**–मुख्य नगराधिकारी नोटिस द्वारा किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी को, उस पर उगी हुई ओर सड़क के पास की झाड़ियों को, या उस पर उगे हुए पेड़ों की ऐसी शाखाओं को जो सड़क के ऊपर लटकती हो और उसे अवरूद्ध करती हों या जिनसे संकट उत्पन्न होता हो, कटाने या छांटने का आदेश दे सकता है।

298. **दुर्घटनात्मक अवरोधों को हटाने का अधिकार**–जब काई निजी मकान, दीवार या अन्य निर्माण या उनसे संबद्ध कोई अन्य वस्तु या कोई पेड़ गिर पड़े और सार्वजनिक नाली को अवरूद्ध करे या सड़क को घेर लें, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे अवरोध या घेरे (encumbrance) को उसके स्वामीह के व्यय से हटा सकता हैं और उस व्यय को अध्याय 21 में दी गई रीति से वसूल कर सकता है या नोटिस द्वारा स्वामी को आदेश दे सकता है कि वह नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर उसे हटा दें।

299. **नियम दिन के पहले निर्मित या संस्थापित किसी ढांचे या संलग्नक को हटाने के आदेश देने का अधिकार**–(1) मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा किसी ऐसे भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी को, जिससे सटे हुए या जिसके सामने या जिससे संबद्ध कोई ऐसी दीवाल, मेड़ कठघरा, खंभा, सीढ़ी, छप्पर या अन्य ढांचा या संलग्नक, नियत दिन के पूर्व निर्मित या संस्थापित किया गया हो जिसका निर्मित या संस्थापित किया जाना इस अधिनियम के अधीन अवैध हो, आदेश दे सकता है कि वह उक्त दीवाल, मेड़, कठघरे, खंभे, सीढ़ी, दुकान या अन्य ढांचे या वस्तु को हटा दे।

(2) यदि भू–गृहादि का स्वामी या अध्यासी सिद्ध करें कि ऐसा बाहर निकला हुआ भाग, अतिक्रमण्सा (encroachment) या अवरोध ऐसी अवधि से अस्तित्व में हो जो सीमा विधि के अधीन उसे रूढ़ि प्राप्त आगम (prescriptive title) देने के लिए पर्याप्त है (या यदि ऐसी अवधि 30 वर्ष से कम हो तो तीस वर्ष तक) या वह यह सिद्ध करें कि एतदर्थ यथावत् अधिकृत किसी निगम प्राधिकारी की सहमति से बनाया गया है, और यह सिद्ध करें कि वह अवधि, यदि कोई हों, जिसके लिए सहमति मान्य (valid) हो समाप्त नहीं हुई हैं, तो निगम ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे उसके हटाये या बदले जाने से क्षति पहुंचे, उचित प्रतिकर देगा।

300. **मुख्य नगराधिकारी त्योहारों के अवसर पर सड़कों या छप्पर आदि खड़े करने की अनुमति दे सकता है**–जिला मजिस्ट्रेट या ऐसे अन्य पदाधिकारी की, जिसे जिला मजिस्ट्रेट समय–समय पर एतदर्थ नामनिर्देशित करें, सहमति से मुख्य नगराधिकारी उत्सवों और त्यौहारों के अवसरों पर सड़कों पर छप्पर औरऐसा ही कोई अन्य ढांचा अस्थायी रूप से निर्मित करने की लिखित अनुमति दे सकता है।

सड़कों पर या उनके निकट निर्माण–कार्यो के सम्पादन के संबंध में उपबन्ध

301. **सड़कों पर या उनके निकट निर्माण–कार्यो का संपादन–जब कभी किसी सड़क पर या उसके निकट निगम की ओकर से किसी निर्माण**–कार्य का संपादन हो रहा हो तो मुख्य नगराधिकारी सुरक्षा और सुविधा के संबंध में ऐसी कार्यवाही करेगा, जिसे उसके लिए नियमों के अधीन करनप अपेक्षित हो। जब पूर्वोक्त कोई निर्माण–कार्य या कोई ऐसा निर्माण कार्य, जो विधितः सड़क पर संपादित किया जा सके, किया जा रहा हो तो

मुख्य नगराधिकारी नियमों में दी गई रीति से सड़क को गमनागमन के लिए पूर्णतया अंशतः या किसी ऐसे गमनागमन के लिए, जिसे वह आवश्यक समझें, बन्द कर सकता है।

302. बिना अनुमति के सड़क न खोदी जाय, न तोड़ी जाय और न उन पर भवन सामग्री एकत्र की जाय–(1) मुख्य नगराधिकारी या किसी निगम के पदाधिकारी या नौकर से भिन्न कोई व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा या अन्य वैध प्राधिकार के बिना–

(क) किसी भूमि या खंडजें या किसी दीवाल, मेंड, खम्भे, जंजीर या किसी अन्य सामग्री या वस्तु को, जो निगम में निहित किसी सड़क का भाग हो या किसी खुली जगह में हो, न खोदे, न तोड़े न अपने स्थान से हटाये (displace), न उसमें कोई परिवर्तन करना आरम्भ करे, न कोई परिवर्तन करेक और न उसे कोई क्षति पहुंचाये;

(ख) निगम में निहित किसी सड़क या खुली जगह पर कोई भवन सामग्री एकत्र न करें;

(ग) निगम में निहित किसी सड़क या किसी खुली जगह पर किसी भी निर्माण–सामग्री के प्रयोजन के लिए कोई पाढ़ (scaffold) या अनय स्थायी निर्माण (erection) या गारा बनाने (making mortar) या ईट, चूना, कूड़ाकरकट या अन्य सामग्री एकत्रित करने के लिए बाड़े के रूप में कोई खंभे, छड़ (bar), कठघरे, पट्टल (board) या अन्य वस्तुएं न लगाये।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) या (ग) के अधीन दी गई कोई अनुज्ञा मुख्य नगराधिकारी के विवेकानुसार उसके द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे अनुज्ञा दी गई हो, अनुज्ञा को समाप्त करने के संबंध में कम से कम 24 घंटे का लिखित नोटिस देने पर समाप्त की जा सकेगी।

(3) मुख्य नगराधिकारी बिना नोटिस दिये–

(क) ऐसी भूमि या खड़न्जे या किसी दीवाल, मेंड़, खम्भे, या छड़ या अन्य सामग्री या वस्तु को, जो सड़क का भाग हो, उसकी दशा में करवा सकता है, जैसा कि वह उपधारा (1) के अधीन मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा लिये बिना किसी प्रकार से खोदे जाने, तोड़े जाने, अपने स्थल से हटाये जाने या परिवर्तित किये जाने या क्षति पहुंचाये जाने के पूर्व थी;

(ख) उन दशाओं को छोड़कर, जिनमें उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी सड़क पर भवन–सामग्री एकत्र करने की अनुज्ञा के लिए प्रार्थना–पत्र दिया गया हो और प्रार्थना–पत्र देने के दिनांक से सात दिन के भीतर प्रार्थी को कोई उत्तर न भेजा गया हो, किसी भवन–सामग्री या किसी पाढ़ (scaffold) या किसी अस्थायी निर्माण या बाड़े के रूप में किसी खम्भो, छड़ों, कठघरों, पट्टलों, या अन्य वस्तुओं को, जो किसी सड़क पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञा या प्राधिकार से एकत्र की गई हो या लगायी गयी हो या जो ऐसी अनुज्ञा या प्राधिकार से एकत्रित की गई हों या लगायी गयी हो परन्तु उपधारा (2) के अधीन दिये गये निर्दिष्ट अवधि के भीतर हटाई न गई हो, हटावा सकता है।

303. उन व्यक्तियों द्वारा जनसुरक्षा के पूर्वोपायों (precautioas) का किया जाना, जिन्हें धारा 302 के अधीन अनुज्ञा दी जाय–(1) ऐसा व्यक्ति प्रत्येक, जिसे धारा 302 के अधीन अनुमति दी जाय अपने व्यय से उस स्थान को, जहां भूमि या खडंजा खोदा गया हो या तोड़ा गया हो या जहां उसने भवन–सामग्री एकत्र की हो, या कोई पाढ़, निर्माण या अन्य वस्तु लगायी हो, उचित रूप में मेड़ द्वारा घिरवायेगा

और उसकी रक्षा करवायेगा और ऐसी सभी दशाओं में, जिनमें उसका दुर्घटनायें बचाना आवश्यक हो, रात्रि में उस स्थान पर प्रकाश की अच्छी व्यवस्था करायेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे धारा 302 के अधीन किसी सड़क की भूमि या खड़ंजा खोदने या तोड़ने की अनुज्ञा दी गई हो या जो अन्य वैध प्राधिकार के अधीन किसी सड़क की भूमि या खंड़जा खोदे या तोड़े यथाशक्य पूर्णवेग से उस निर्माण कार्य को पूरी करेगा, जिसके लिए कि वह खोदे या तोड़ा जायेगा और भूमि को भरेगा और उस खोदी या तोड़ी गई सड़क या खंड़जे को अविलम्ब मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार फिर पूर्वावस्था में करके ठीक करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त व्यक्ति पूर्वोक्त प्रकार से सड़क या खड़ंजे को फिर पूर्वावस्था में करके ठीक न करे तो मुख्य नगराधिकारी उस सड़क या खडंजे को ठीक करवा सकता है और ऐसा करने में मुख्य नगराधिकारी द्वारा किया गया व्यय उक्त व्यक्ति को वहन करना पड़ेगा।

(3) मुख्य नगराधिकारी लि खित नोटिस द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे धारा 302 के अधीन किसी सड़क की भूमि या खड़ंजा खोदने या तोड़ने की अनमति दे गयी हो किसी अन्य वैध प्राधिकार के अधीन किसी निर्माण–कार्य के सम्पादन करने के लिए किसी सड़क की भूमि या खड़ंजा खेदे या तोड़े, यह आज्ञा दे सकता है कि वह उसके सन्तोशानुसार उस स़क से होकर या भू–गृहादि को जाने वाले मार्ग को सुरक्षित रखने के निमित्त यातायात (traffic) के लिए मार्ग या उसके परावर्तन (passage of diversion) को और किसी नाली, जल–संम्भरण या प्रकाश के ऐसे साधनों को, जो उक्त निर्माण कार्य के सम्पादन के कारण बाधित हो, व्यवस्था करें।

304. **भवन, जो सड़कों के कोनों पर हों**–(1) मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से लिखित आज्ञा द्वारा किसी ऐसे भवन के, जिसका निर्माण हो चुका हेा या जिसका निर्माण होने वाला हो या जिसका पुननिर्माण या मरम्मत होनी हो और जो दो या अधिक सड़कों के संगम पर स्थित होस, कोने को ऐसी ऊचाई पर और ऐसी रीति से, जिसे वह निर्धारित करे, गोल किये जाने या ढालू किये जाने (rounded and splayed) का आदेश दे सकता है ओर उक्त आज्ञा में चहारदीवार (compound wall) या मेंड. (fence) या आड़ (hedge) यसा किसी भी प्रकार की अन्य संरचना (structure) के संबंध में या उस भवन से सम्बद्ध भू–गृहादि पर कोई पेड़ लगाने या उसे रहने देने के संबंध में ऐसी शर्ते भी लगा सकता है, जिसे वह आवश्यक समझें।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई आज्ञा के कारण होने वाली किसी हानि या क्षति के लिए मुख्य नगराधिकारी द्वारा प्रतिकर दिया जायेगा।

(3) ऐसा प्रतिकर निर्धारित करने मे ंउस लाभ का ध्यान रखा जायेगा, जो उस भू–गृहादि को सड़कों के सुधार से प्राप्त हों।

आकाश–चिन्ह और विज्ञापन

305. **आकाश–चिन्ह के संबंध में विनियम**–(1) कोई व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना उस प्रकार का कोई आकाश–चिन्ह, जो नियमों के अनुसार विहित किया गया हो, चाहे वह नियत दिन को विद्यमान हो या न हो, न खड़ा करेगा, न लगायेगा और न रहने देगा। ऐसी लिाति अनुज्ञा उक्त प्रत्येक अनुज्ञा या नवीकरण के दिनांक से किसी भी अवधि के लिए, जो दो

वर्ष से अधिक न हो, दी या नवीकृत की जायेगी, पर इस षर्त के अधीन कि ऐसी अनुज्ञा शून्य समझी जायेगी, यदि

(क) मुख्य नगराधिकारी के आदेशों के अधीन उस आकाश–चिन्ह को सुरक्षित बनाने के प्रयोजन के सिवाय इसमें अन्य कोई परिवर्तन किया जाय;

(ख) आकाश–चिन्ह या उसके किसी भाग में कोई परिवर्तन किया जाय;

(ग) आकाश–चिन्ह या उसका कोई भाग दुघर्टना से नश्ट हो जाने से या किसी अन्य कारण से गिर जाय;

(घ) उस भवन या ढांचे में, जिस या जिसके ऊपर आकाश–चिन्ह खड़ा किया गया हो, लगाया गया हो, या रहने दिया गया हो, कोई परिवर्धन या परिवर्तन किया जाय, जिससे आकाश–चिन्ह या उसके किसी भाग का विस्थापन (distrubance) अन्तर्गत हो;

(ङ) वह भवन या ढांचा, जिस पर या जिसके ऊपर आकाश–चिन्ह खड़ा किया गया हो, लगाया गया हो या रहने दिया गया हो, खाली हो जाय अथवा गिरा दिया जाय या नष्ट हो जाय।

(2) यदि उस अनुज्ञा के अनुकूलन, जिसकी व्यवस्था इसके पूर्व की जा चुकी है, कोई आकाश–चिन्ह नियत दिन के पश्चात् किसी भूमि, भवन या ढांचे पर या उकसे ऊपर खड़ा किया जाय, लगाया जाय या रहने दिया जाय, तो उस भूमि, भवन या ढांचे के स्वामी या अध्यासी व्यक्ति (person inoccupation) के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने इस धारा का उल्लंघन करके ऐसे आकाश–चिन्ह को खड़ा किया, लगाया या रहने दिया ह, जब तक कि यह सिद्ध न करें कि उक्त उल्लंघन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो उसके नियोजन या निन्यत्रंण में नहीं था अथवा उसके अज्ञानभिनय के बिना हुआ है।

(3) यदि कोई आकाश–चिन्ह इस धारा के उपबन्धों के प्रतिकूल किसी अव धि के लिए उसके खड़े किये जाने, लगाये या रहने दिये जाने के लिए दी गई आज्ञा समाप्त या शून्य हो जाने के पश्चात् खड़ा किया जाय, लगाया जाय या रहने दिया जाय, तो मुख्य नगराधिकारी, लिखित नोटिस द्वारा उस भूमि, भवन या ढांचे के स्वामी या अध्यासी को, जिस पर या जिसके ऊपर आकाश–चिन्ह खड़ा किया, लगाया या रहने दिया गया हो, ऐसे आकाश–चिन्ह को उतारने और हटा देने का आदेश दे सकता है।

306. विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण–(1) मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा किसी भूमि, भवन दीवाल, बाड (hoadring) या संरचना के स्वामी या उसमें अध्यासीन व्यक्तियों को उस अवधि के भीतर जो नोटिस में निर्दिष्ट की गई हो, उस भूमि, भवन, दीवाल, भोजनालय या ढांचे पर के किसी विज्ञापन के उतारने या हटा देने का आदेश दे सकता है।

(2) यदि विज्ञापन उस अवधि के भीतर उतारा या हटाया न जाय तो मुख्य नगराधिकारी उसे उतरवा या हटावा सकता है, ओर उसके उतारने या हटाने में उचित रूप से किया गया व्यय ऐसे स्वामी या व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा।

(3) इस धारा के उपबन्ध किसी ऐसे विज्ञापन पर लागू नहीं होगें, जो–

(क) किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किया जाता हो,

(ख) ऐसे व्यापार या कारबार (trade or business) के सम्बन्ध रखता हो जो उस भूमि या भवन के विक्रय या उसे किराये पर उठाने के संबंध में रखता हो या जो उसमें आयेाजित किये जाने वाले किसी विक्रय, मनोरंजन या अधिवेशन (meeting) से संबंध रखता हो;

(ग) किसी रेल प्रशासन के कारबार से संबंध रखता हो,

(घ) किसी रेलवे स्टेशन के भीतर या रेल प्रशासन की किसी दीवाल या अन्य सम्पत्ति के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है, सिवाय ऐसी दीवाल या सम्पत्ति की सतह (surface) के उस भाग के जो किसी सड़क के सामने हो।

खतरनाक स्थान व ऐसे स्थान, जहां कोई ऐसा निर्माण–कार्य किया जा रहा हो, जिससे जनता की सुरक्षा व सुविधा पर प्रभाव पड़ता हो

307. **सड़क से सटे हुए किसी भवन पर निर्माण–कार्य के समय बाड़ों का लगाया जाना**–(1) कोई व्यक्ति, जो किसी भवन या दीवाल को बनाने, गिराने या फिर से बनाये या किसी भवन या दीवाल के किसी भाग में परिवर्तन करने या सकी मरम्मत करने का विचार करता हो, ऐसी किसी भी दशा में, जिसमें उससे सटी हुई किसी सड़क की पगडंडी अवरूद्ध या कम सुविधाजनक हो जाय, ऐसा करना तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक कि वह पहले सुविधाजनक मचान और कटेहरा सहित, उसके लिए पर्याप्त सथान हो, और मुख्य नगराधिकारी उसे वांछनीय समझे, उचित और पर्याप्त बाड़ (hoadring) या मेड़ न लगवा ले, जो ऐसे बाड़ या मेड़ के बाहर यात्रियों के लिए पंगडंडी का काम देगा।

(2) कोई बाड़ या मेड़ मुख्य नगराधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के तिबना उकत प्रकार से न लगायी जायेगी, और प्रत्येक ऐसा तख्ता या मेड़, जो ऐसी अनुज्ञा से पूर्वोक्त मचान और कटेहरा सहित लगायी गई हो, निर्माण–कार्य सम्पादित करने वाले व्यक्ति द्वारा मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार उस समय तक के लिए, जो सार्वजनिक सुरक्षा और सुविधा के लिए आवश्यक हो, खड़ी रहने दी जायेगी और ऐसी सभी दशाओं में, जिनमें वह दुर्घटनायें बचाने के लिए आवश्यक हों, उक्त व्यक्ति उस बाड़ या दीवार पर रात्रि में प्रकाश की अच्छी व्यवस्था करेगां

(3) मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को इस प्रकार लगाये गये किसी बाड़ या मेड़ को हटाने का आदेश दे सकता है।

308. **मुख्य नगराधिकारी खतरनाक या ऐसे स्थानों की जहां कोई ऐसा निर्माण–कार्य किया जा रहा है जिससे सुरक्षा और सुविधा पर प्रभाव पड़ता हो, मरम्मत या उन्हें घेरने (enclosing) की कार्यवाही करेगा**–(1) यदि कोई स्थान मुख्य नगराधिकारी की राय में किसी सड़क के यात्रियों या उसके पास–पड़ोस के लिए पर्याप्त मरम्मत, संरक्षण (protection) या घेरे के न होने के कारण या उस पर कोई निर्माण–कार्य सम्पादित किये जाने के कारण, संकट–प्रद हो या यदि कोई ऐसा निर्माण कार्य मुख्य नगराधिकारी की राय में उन व्यक्तियों की सुरक्षा या सुविधा पर प्रभाव डालता हो, तो वह लिखित नोटिस द्वारा उसके स्वामी या अध्यासी को उक्त स्थान की मरम्मतत करने, उसका संरक्षण करने या उसे घेरनले या अन्य ऐसी कार्यवाही करने का, जो मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक प्रतीत हो, आदेश दे सकता है, ताकि उससे उत्पन्न होने वाले संकट का निवारण हो सके या उक्त व्यक्तियों की सुरक्षा या सुविधा सुनिश्चित की जाय।

(2) मुख्य नगराधिकारी ऐसा कोई नोटिस देने से पूर्व या ऐसे नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व उक्त स्थान से होने वाले संकट के निवारणार्थ या उस निर्माण–कार्य पर सरुक्षा या सुविधा को सुनिशचित करने के लिए ऐसी अस्थायी कार्यवाही कर सकता है, जिसे वह ठीक समझे और ऐसी अस्थायी कार्यवाही करने में मुख्य नगराधिकारी

द्वारा किया गया व्यय उस स्थान के, जिसके संबंध में नोटिस दिया गया हो, स्वामी या अध्यासी को वहन करना पड़ेगा।

309. **गिराने के कार्य के समय संरक्षण की कार्यवाहियां**–(1) कोई व्यक्ति, जो किसी भवन या उसके किसी भाग को गिराने का विचार करता हो, ऐसा करना तब तक प्रारम्भ नही करेगा जब तक कि वह उक्त बाड़ या मेड़ के अतिरिक्त, जिसकी धारा 307 के अधीन, व्यवस्था करना उसके लिए अपेक्षित हो, उस भवन के चारों ओर उसकी पूरी ऊँचाई तक आवरण (screen) की व्यवस्था न कर ले ताकि आस–पास की वायु की धूल से दूषित होने से अथवा मलवें, ईटों, लकड़ी और अन्य सामानय के गिरने से होने वाली क्षति (injury) या हानि को बचाया जा सके।

(2) यदि कोई निर्माण–कार्य उपधारा (1) का उल्लंघ करके प्रारमभ किया जाय, तो मुख्य नगराधिकारी उसे तुरन्त बन्द करवा सकता है और ऐसे व्यक्ति को, जो उसे करवा रहा हो, पुलिस पदाधिकारियों द्वारा भू–गृहादि से हटवा सकता है।

सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना

310. **सार्वजनिक सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था की जाएगी**–(1) मुख्य नगराधिकारी–

(क) सार्वजनिक सड़कों, निगम उद्यानों और खुले स्थानों तथा निगम बाजारों और निगम में निहित सभी भवनों पर, उपयुक्त रीति से रोशनी के लिए उपाय करेगा;

(ख) बत्तियों, बत्तियों के खंभो और उनसे सम्बद्ध अन्य ऐसी वस्तुओं को उतनी संख्या में प्राप्त करेगा, लगायेगा और संधारित करेगा, जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हो; और

(ग) उक्त बत्तियों को तेल, गैस, बिजली या अन्य ऐसी रोशनी से जलवायेगा, जिसे निगम समय–समय पर निर्धारित करे।

(2) मुख्य नगराधिकारी प्रतिकर के किसी दावे का उत्तरदायी हुए बिना उक्त बत्तियसों को जलाने के लिए किसी अचल संपत्ति के नीचे, ऊपर, साथ–साथ या आर–पार बिजली के तार रख सकता है ओर संधारित कर सकता है और बत्तियों या बिजली के तारको ले जाने, निलंबित करने और सहारा देने के लिए खंभे, बल्लियां, ध्वजदंड रोक, अवलम्ब, ब्रैकेट्स अन्य युक्ति किसी अचल सम्पत्ति में या पर रख सकता है और धारित कर सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे तार, खंभे, बल्लियां, ध्वजदंड, रोक, अवलम्ब ब्रैकेट्स और अन्य युक्ति इस प्रकार रखे जायेंगे कि उनके कारण किसी व्यक्ति को न्यूनतम व्यावहारिक असुविधा हो या अपदूषण पैदा हो।

सड़कों पर पानी का छिड़काव
(watering)

311. **सड़कों पर पानी के छिड़काव के लिए उपाय**–मुख्य नगराधिकारी–

(क) सार्वजनिक सड़कों पर ऐसे समय और मौसमों में और ऐसी रीति से, जिसके वह ठीक समझें, पानी के छिड़काव के लिए उपाय कर सकता है।

(ख) ऐसे वाहनों, पशुओं और स्थिर–यन्त्रों (paratus) को, जिसे वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझें, प्राप्त और संधारित कर सकता है।

विविध

312. सड़कों की बत्तियों या अन्य निगम संपत्ति को हटाने आदि का प्रतिबन्ध–(1) कोई व्यक्ति बिना वैध (lawful) प्राधिकार के–

(क) किसी बत्ती, बत्ती के खंभे या बत्तियों की जाली (lam siron) को, जो किसी सार्वजनिक सड़क पर या निगम उद्यान, खुले स्थान या बाजार या महापालिका में निहित भवन में लगाई गई हो;

(ख) किसी बिजली के तार को, जो उक्त किसी बत्ती को जलाने के लिए हों;

(ग) किसी खंभे, बल्ली, ध्वजदंड, रोक, अवलम्ब, ब्रैकेट या अन्य युक्ति को, जो ऐसे किसी बिजली के तार या बत्ती को ले जाने, निलम्बित करने या सहारा देने के लिए हो;

(घ) किसी सड़क पर निगम की किसी सम्पत्ति को न ले जायेगा, न जान बुझकर तोड़ेगा, न नीचे फेकेगा और क्षति पहुंचायेगा और कोई व्यक्ति किसी बत्ती को जानबुझकर न बुझायेगा और न किसी बत्ती से सम्बद्ध किसी वस्तु को क्षति पहुंचायेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपेक्षा से या दुर्घटनावश या अन्य किसी सार्वजनिक सड़क या निगम बाजार, उद्यान या सार्वजनिक स्थान या निगम में निहित भवन पर लगाई गई किसी बत्ती को तोड़ेगा या किसी सड़क पर निगमक की किसी सम्पत्ति को तौड़ेगा या उसे क्षति पहुंचायेगा, तो उसे इस प्रकार की गई क्षति की मरम्मत कराने के व्यय को वहन करना होगा।

313. राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को नगर की सीमा के बाहर प्रवृत्त कर सकती है–राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा किसी ऐसे क्षेत्र में जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट किया जायेगा किन्तु जो नगर की सीमाओं से दो मील से अधिक दूर न होगा, इस अध्याय की किसी धारा और तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियमों के उपबन्धों को ऐसे अनुकूलनों के अधीन चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक और इष्टकर समझे, प्रवृत्त कर सकती है और तदुपरान्त उपर्युक्त रूप से प्रवृत्त उपबन्ध ओर नियम उसी प्रकार प्रभावशील होंगे मानों कि वह नगर के भीतर हों।

314. नियम बनाने का अधिकार–(1) इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(2) उपर्युक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुए ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है–

(क) रीति, जिससे धारा 273 के अधीन निगम किसी सार्वजनिक सड़क को बन्द करने की स्वीकृति देगी और ऐसी सड़क के स्थल का निस्तारण,

(ख) रीति, जिससे धारा 279 के अधीन किसी वर्तमान पंक्ति के स्थान पर सड़क की नई पंक्ति विहित करने के लिए कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति दी जायेगी;

(ग) रीति, जिससे कोई व्यक्ति धारा 287 के अधीन भूमि को भवन के प्रयोजनों के लिए बेचने या पट्टे पर देने (let) आदि या किसी निजी सड़क के विन्यास करने के अपने अभिप्राय का, नोटिस देगा और वह प्रक्रिया, जिसे मुख्य नगराधिकारी ऐसे नोटिस पर कार्यवाही करने में, जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त सूचना और प्रमाणीकृत नक्शा (plan) मांगना भी है, अपनायेगा;

(घ) धारा 301 के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा और सुविधा के लिए उस समय तक की जाने वाली कार्यवाही जब सड़कों पर या उनके पास किसी निर्माण कार्य का संपादन हो रहा हो।

अध्याय 13
निर्माण के विनियम
भवनों के निर्माण आदि से संबद्ध नोटिस

315. **परिभाषा**—इस अध्याय के पद 'भवन निर्माण करना' के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगें—

(क) उस व्यवस्था के अधीन रहते हुए, जो नियमों द्वारा विहित की जाय, किसी वर्तमान भवन के किसी सारभूत (substantial) भाग का पुनर्निर्माण;

(ख) किसी ऐसे भवन या भवन के भाग को, जो प्रारम्भ में मनुष्यों के रहने के अभिप्राय से न बनवाया गया हो, और जो पहले से मनुष्यों के रहने के लिए प्रयुक्त न हो रहा हो, निवास—गृह (dwelling house) में परिवर्तन करना;

(ग) किसी भवन के किसी एक निवास—स्थान (tenement) या दो अथवा उससे अधिक निवास—स्थानिों को संरचनात्मक परिवर्तन (structural alteration) द्वारा अधिक या कम निवास—गृहों में परिवर्तित करना, जिससे उसे जल—निस्सारण या सफाई की व्यवस्था अथवा उसकी मजबूती पर प्रभाव पड़े;

(घ) किसी ऐसे भवन को, संरचनात्मक परिवर्तन द्वारा किसी धार्मिक उपासना के स्थल अथवा पवित्र (sacred) स्थान के रूप में बदलना, जो प्रारम्भ (originally) में ऐसे प्रयोजन के लिए अभिप्रेत न रहा हो अथवा निर्मित न किया गया हो;

(ङ) दीवालों अथवा भवनों के बीच के किसी खुले स्थान को आच्छादित करना अथवा उसमें छत डालना (covering or roofing), जहां तक उस ढांचे का संबंध है, जो ऐसे खुली स्थान को आच्छादित करने अथवा उसमें छत डालने के तैयार होता हो;

(च) किसी ऐसे भवन को छोटी दुकान (stall), दुकान (shop), भंडार (ware house) अथवा माल गोदाम (godown) के रूप में परिवर्तित करना, जो प्रारम्भ में इस प्रकार के प्रयोग के लिए न बनवाया गया हो;

(छ) किसी ऐसी सड़क अथवा भूमि से संलग्न किसी दीवाल में, जो दीवाल के स्वामी में निहित न हो, ऐसा दरवाजा, बनाना जो ऐसी सड़क अथवा भूमि पर खुलता हो;

(ज) कोई अन्य कार्य, जिसके संबंध में एतदर्थ बनायी गयी किसी उपविधि द्वारा यह घोषित किया जाय कि वह किसी भवन का, निर्माण समझा जाय।

316. **भवन निर्माण का नोटिस**—प्रत्येक ऐसे व्यक्ति, जो भवन निर्माण करना चाहता हो, मुख्य नगराधिकारी को अपने ऐसा करने का अभिप्राय का लिखित नोटिस ऐसे प्रपत्र (form) में तथा ऐसी रीति से देगा और उसमें ऐसे ब्यौरे उल्लिखित होंगे जो उपविधियों द्वारा विहित किये जायं।

317. **भवन में मरम्मत, परिवर्तन इत्यादि के सम्बन्ध में नोटिस**—प्रत्येक व्यक्ति, जिसका अभिप्राय—

(क) किसी भवन में परिवर्द्धन करना;

(ख) किसी ऐसे भवन में जो ढांचे पर बना भवन (frame building) न हो, कोई परिवर्तन या मरम्मत करना, जिसमें उस भवन की किसी वाह्य दीवाल या पाख (parting wall) अथवा किसी ऐसी दीवाल का, जिसके ऊपर उसकी छत हो उस आयति तक हटाया जाना या पुनर्निर्माण अन्तर्ग्रस्त है, जो कुर्सी की सतह के ऊपर ऐसी दीवाल के आधे से अधिक हो, जो आधा बहिर्स्पर्शी (superficial) फुटों में नापा जायगा;

(ग) किसी ढांचे पर भवन में कोई परिवर्तन या मरम्मत करना, जिसमें उसकी पूर्वोक्त प्रकार के किसी दीवाल के आधे से अधिक खम्भों या धन्नियों (post or beams) का हटाया जाना या उसका पुनर्निर्माण अन्तर्ग्रस्त है या जिसमें उसकी पूर्वोक्त प्रकार की किसी दीवाल का उस आयति तक हटाया जाना या पुनर्निर्माण अन्तर्ग्रस्त है जो कुर्सी की सतह के ऊपर ऐसी दीवाल के आधे से अधिक हो, जो आधा बहिर्स्पर्शी फुटों में नापा जायगा;

(घ) भवन के किसी प्रकार का परिवर्तन (alteration) करना, जिसमें निम्नलिखित बातें अन्तर्ग्रस्त हों–

(1) ऐसे भवन के किसी कमरे की उपभागों में विभाजित करना, जिससे वह अलग–अलग दो या अधिक कमरों में परिवर्तन हो जाय;

(2) ऐसे भवन में किसी मार्ग या स्थल (passage or space) को कमरा या कमरों के रूप में परिवर्तित करना;

(3) सड़क से लगे हुए और उसकी नियमित पंक्ति के भीतर स्थित भवन के किसी भाग की मरम्मत करना, उसे हटाना, उसका निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना अथवा उसमें परिवर्द्धन करना;

(ङ) भवन में किसी प्रकार का कार्य संपादित करना, जिसमें निम्नलिखित अन्तर्ग्रस्त हों–

(1) छत का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण,

(2) छत को चौरस छत (terrace) के रूप में परिवर्तित करना;

(3) चौरस छत को छत के रूप में परिवर्तित करना; अथवा

(4) ''लिफ्ट शैफ्ट'' का निर्माण;

(च) भवन में किसी भी प्रकार की मरम्मत करना, जिसमें कमरे के फर्श का निर्माण अन्तर्ग्रस्त हो, (भूमि वाले फर्श को छोड़कर)

(छ) वाह्य दीवाल के किसी दरवाजे अथवा खिड़की को स्थायी रूप से बन्द करना; अथवा

(ज) मुख्य जीने का हटाया जाना अथवा उसका पुनर्निर्माण या उसकी स्थिति में परिवर्तन करना हो,

वह मुख्य नगराधिकारी को एक लिखित नोटिस ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी सूचना के साथ देगा, जो तदर्थ बनायी गयी उपविधियों के अनुसार अपेक्षित हो और उसके साथ ऐसे लेख्य तथा नक्शें भेजेगा जो विहित किये जांय।

318. योजनाओं आदि का अस्वीकार करना यदि वे विहित रीति से न बनायी गयी हों या जब प्रार्थी मुख्य नगराधिकारी द्वारा मांग गये ब्यौरे प्रस्तुत न करें–कोई नक्शा,

खंड (section) विवरण (description), संरचनात्मक चित्र (structural drawings) अथरवा संरचनात्मक परिगणना (structural calculation) और अन्य कोई नोटिस, जो उसके निमित्त विहित की गयी शर्तो की पूर्ति न करे या जिसके संबंध में अतिरिक्त विवरण तथा ब्यौरे मुख्य नगराधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर, जो उसके द्वारा नियत की जाय, प्रस्तुत न किये जायं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त तथा वैध नहीं समझा जायेगा।

319. **अवधि, जिसके भीतर मुख्य नगराधिकारी कार्य संपादन करने में निमित्त अनुज्ञा देगा अथवा न देगा**—धारा 316 या 317 के अधीन दिये गये किसी आवेदन—पत्र अथवा निगमों अथवा उपविधियों के अधीन अपेक्षित किसी सूचना, या लेख्य या अतिरिक्त सूचना या लेख्यों के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर मुख्य नगराधिकारी लिखित आाज्ञ द्वारा या तो ऐसी अनुज्ञा दे देगा या धारा 321 अथवा 322 में दिये हुए एक या एकाधिक कारणों से उसे अस्वीकार कर देगा।

320. **कार्यकारिणी समिति का अभिदेश, यदि मुख्य नगराधिकारी अनुमोदन अथवा अनुज्ञा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने में विलम्ब करें**—(1) यदि यथास्थिति धारा 318 अथवा 319 में दी गई अवधि के भीतर मुख्य नगराधिकारी ने भवन के निर्माण करने अथवा धारा 317 में निर्दिष्ट निर्माण—कार्य को संपादित करने के निमित्त, जिसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया हो, न तो अपनी अनुज्ञा दी हो और न अनुज्ञा देना अस्वीकार किया हो तो प्रार्थी को लिखित प्रार्थना—पत्र पर कार्यकारिणी समिति लिखित आज्ञा द्वारा यह निर्धारित करने के लिए बाध्य होगी कि ऐसा अनुमोदन अथवा अनुज्ञा दी जानी चाहिए अथवा नहीं।

(2) यदि कार्यकारिणी समिति उक्त लिखित प्रार्थना के प्राप्त होने के एक मास के भीतर यह निर्धारित नहीं करती कि इस प्रकार की अनुज्ञा दी जानी चाहिए अथवा नहीं, तो ऐसी अनुज्ञा दी गई समझी जायेगी और प्रार्थी को कार्य को सम्पादित करना आरम्म्भ कर देगा, किन्तु इस प्रकार नहीं कि उससे इस अधिनियम के अलावा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्ही नियमों या उपविधियों का उल्लंघन हो।

321. **आधार, जिन पर भवन के स्थल के निमित्त अनुमोदन अथवा भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण करने की अनुज्ञा अस्वीकृत की जा सकती है**—(1) वे कारण केवल जिनके आधार पर कोई भवन निर्मित करने या धारा 317 में निर्दिष्ट निर्माण कार्य संपादित करने की अनुज्ञा स्वीकृत की जा सकती है, निम्नलिखित है, अर्थात् :

(क) निर्माण कार्य या निर्माण कार्य के लिए स्थल (site) का उपयोग या स्थल के नक्शें (site plan); भूमि के नक्शें (ground-plan) उच्च स्थल (elecvation), खंड (sections) या विशेष विवरण (specifications) किसी विधि के किसी विशिष्ट (specified) उपबन्ध का या किसी विधि के अधीन दी गयी किसी विशिष्ट आज्ञा, बनाये गये नियम, की गयी घोषणा या निर्मित उपविधि का उल्लंघन करते हों;

(ख) उक्त अनुज्ञा के निमित्त दिये गये प्रार्थना—पत्र में वे विवरण नहीं है अथवा वह उस रीति से तैयार नहीं किया गया है, जो नियमों या उपविधियों द्वारा अपेक्षित है, या उस पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं, जैसा कि नियमों अथवा उपविधियों द्वारा अपेति है;

(ग) कोई सूचना अथवा लेख्य जो नियमों या उप–नियमों के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, यथावत् प्रस्तुत नहीं किये गये है;

(घ) प्रस्तावित भवन से सरकार अथवा निगम की भूमि का अतिक्रमण होगा;

(ङ) ऐसे भवन का स्थल किसी सड़क अथवा प्रस्तावित सड़क (projected street) से लगा हुआ नहीं है और ऐसे भवन में पहुंचने के लिए उस सड़क से कोई ऐसा या पंगडंडी (pathway) नहीं है, जो उस स्थल तक जारी हो ओर जो किसी भी स्थान पर 12 फुट से कम चौड़ी न हो;

(च) प्रस्तावित भवन का स्थल धारा 323 में निर्दिष्ट प्रकार का है;

(छ) निर्माण–कार्य के लिए स्थल उस क्षेत्र का एक भाग है, जिसके विन्यास (lay-out) का नक्शा धारा 287 के अधीन व्यवस्थानुसार स्वीकृति नहीं हुआ है;

(ज) प्रस्तावित भवन या निर्माण कार्य का प्रयोग द्वारा 383 के अधीन निर्मित नगर की महायोजना के अनुरूप नहीं है।

(2) जब कभी मुख्य नगराधिकारी अथवा कार्यकारिणी समिति भवन निर्माण करने अथवा धारा 317 में निर्दिष्ट निर्माण कार्य को सम्पादित करने की अनुज्ञा दे दे, तो ऐसे अस्वीकार के कारण आज्ञा में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होंगे।

322. **भवन निर्माण की अनुज्ञा को निलंबित करने के लिए विशेष अधिकार**–धारा 321 में किसी बात के होते हुए भी यदि स्थल के नक्शें में प्रदर्शित कोई सड़क कोई अभिप्रेत निजी सड़क हो तो मुख्य नगराधिकारी अपने विवेकानुसार भवन निर्माण की अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकता है, जब तक कि सड़क का बनाना प्रारम्भ आिवा समाप्त न हो जाय।

323. **कुछ दशाओं में मनोरंजन के किसी स्थान के निर्माण के निमित्त स्वीकृति प्रदान करने के विशेष अधिकार पर निर्बन्धन**–इस अधिनियम में अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि में किसी बात के होते हुए भी, सार्वजनिक मनोरंजन के किसी भवन के निर्माण या उसमें कोई परिवर्द्धन करने की स्वीकृति मुख्य नगराधिकारी या कार्यकारिणी समिति द्वारा बिना राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के न दी जायेगी यदि ऐसे भवन का निर्माण स्थल अथवा प्रस्तावित निर्माण स्थल–

(क) निम्नलिखित से एक फलांग (furlong) के अर्द्धव्यास (radius) के भीतर हो–

(1) कोई आवासिक संस्था, (residential institution), जो किसी अभिज्ञात शिक्षा संस्था जैसे कालेज, हाई स्कूल या लड़कियों के स्कूल से संलग्न (attached) हो; या

(2) कोई सार्वजनिक अस्पताल, जिसमें अस्पताल में भीर्ती होकर चिकित्सा कराने वाले रोंगियों के लिए एक बड़ा कक्ष (ward) हो; अथवा

(3) कोई अनाथालय, जिसमें एक सौ या उससे अधिक व्यक्ति रहते हों;

(ख) किसी घनी आबादी के ऐसे आवासिक क्षेत्र (residential area) में हो जो या तो केवल आवास के प्रयोजन के लिए हो अथवा व्यापारिक प्रयोजनों से भिन्न (as distinguished from) आवासिक प्रयोजनों के लिए रक्षित हो या सामान्तया प्रयुक्त होता हो; या

(ग) किसी ऐसे क्षेत्र में हो, जो किसी विधायन (enactment) के अन्तर्गत किसी गृह निर्माण अथवा नियोजन की योजना द्वारा या अन्य प्रकार से आवासिक प्रयोजनों के लिए रक्षित हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि चलचित्रों के प्रदर्शनार्थ प्रयुक्त किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी भवन के निर्माण की अनुज्ञा उस समय तक नहीं दी जायेगी जब तक कि कार्यकारिणी समिति को यह समाधान न हो जाय कि नक्शों और उसके विशेष ब्योरों के संबंध में सिनेमेटोग्राफ ऐक्ट, 1918 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।

कार्य का आरम्भ

324. **भवन का निर्माण अथवा निर्माण कार्य का संपादन कैसे कार्यान्वित किया जायेगा**—प्रत्येक व्यक्ति जो, कोई नया भवन निर्माण करना चाहता हो अथवा धारा 317 में निर्दिष्ट कोई निर्माण कार्य संपादित करना चाहता हो, भवन का निर्माण अथवा निर्माण कार्य का संपादन ऐसी रीति से, ऐसी देख–रेख में (supervision), ऐसे अर्हता प्राप्त अभिकरण (qualified agency) द्वारा और ऐसी शर्तो तथा निर्बन्धनों के अधीन करेगा, जो एतदर्थ उपविधियों द्वारा उपबन्धित किये जाय।

325. **भवनों के निर्माण, उनमें परिवर्तन आदि के दौरान में मुख्य नगराधिकारी द्वारा उसका निरीक्षण**—मुख्य नगराधिकारी अथवा निगम का एतदर्थ प्राधिकृत कोई पदाधिकारी या कर्मचारी भवन के निर्माण अथवा धारा 317 में निर्दिष्ट किसी निर्माण कार्य के संपादन के दौरान में या उसके समाप्त होने के तीन मास के भीतर किसी भी समय कोई निरीक्षण कर सकता है और यदि उसके पास ऐसी शंका करने का समुचित कारण है कि ऐसे भवन के निर्माण या किसी ऐसे निर्माण कार्य के संपादन में इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के किन्हीं उपबन्धों के प्रतिकूल कुछ किया गया है तो वह ऐसे भवन के निर्माण करने वाले अथवा निर्माण कार्य का निश्पादन करने वाले व्यक्ति को 15 दिन का पूर्व लिखित नोटिस देने के उपरान्त भवन के ऐसे भाग को, यदि कोई हों, जो ऐसी शंका की पर्याप्त रूप से पुष्टि अथवा निराकरण करने वाले तथ्यों की खोज करने में बाधक हो, काट सकता है, खोल सकता है या गिरा सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिस व्यक्ति के भवन अथवा निर्माण काय्र को खोला गया हो, या काटा गया हो, उस व्यक्ति को मुख्य नगराधिकारी उस खति के लिए जो ऐसे भवन या संरचना को ऐसे कार्य से पहुंचाय हो प्रतिकर देगा, यदि यह पता चले कि भवन के निर्माण अथवा उक्त निर्माण कार्य के संपादन में उस व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं किया गया है।

326. **भवनों तथा निर्माण कार्यो से सम्बद्ध उपबन्धों का प्रवर्तित किया जाना**— यदि मुख्य नगराधिकारी को उपर्युक्त भवन के निर्माण अथवा निर्माण कार्य के संपादन के दौरान में किसी भी समय या उसके समाप्त होने जाने के तीन मास के भीतर किसी भी समय, वाहे अपने निरीक्षण के फलस्वरूप या अन्यथा, किसी ऐसे विशय का पता चले जिसके संबंध में ऐसे भवन के निर्माण या ऐसे निर्माण कार्य के संपादन से इस अधिनियम के अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के किसी उपबन्ध का उल्लंघन हुआ है, तो वह स्वामी को जो उक्त निर्माण अथवा संपादन कर रहा है, या कर चुका है, ऐसे उपबन्ध या नियम या उपविधि के प्रतिकल किये गये किसी कार्य को संशोधित करने अथवा ऐसे

कार्य करने के लिए आदेश दे सकता है, जिसका किया जाना ऐसे विधि, उपबन्ध, या नियम या उपविधि के अनुसार अपेक्षित हो, किन्तु जो किया न गया हो।

327. **अधिनियम, नियमों अथवा उपविधियों के प्रतिकूल प्रारम्भ कि ये गये भवन अथवा निर्माण कार्य के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही**—यदि किसी भवन निर्माण का आरम्भ या धारा 317 में अभिदिष्ट निर्माण कार्य का संपादन नियमों अथवा उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल किया गया हो तो मुख्य नगराधिकारी जब तक कि वह ऐसे भवन अथवा निर्माण—कार्य के संबंध में धारा 328 के अधीन कार्यवाही करना आवश्यक न समझें—

(क) लिखित नोटिस द्वारा उस व्यक्ति से, जो ऐसा भवन निर्माण अथवा ऐसे निर्माण कार्य का संपादन कर रहा हो, अथवा कर चुका हो, यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे दिनांक को या उससे पूर्व जो उक्त नोटिस में निर्दिष्ट किया जायगा, अपने अथवा अपने द्वारा एतदर्थ यथावत् प्राधिकृत किसी अभीकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित (subscribed) एक लिखित प्रकथन (statement) में, जो मुख्य नगराधिकारी को संबोधित किया गया हो, इस बात का पर्याप्त कारण बताये कि उक्त भवन अथवा निर्माण—कार्य को क्यों न हटा दिया जाय (removed), परिवर्तित कर दिया जाय गिरा दिया हाय; अथवा

(ख) उपर्युक्त व्यक्ति से, ऐसे दिन को, ऐसे समय ओर ऐसे स्थान पर, जो उक्त नोटिस में निर्दिष्ट होगा, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने द्वारा तदर्थ यथावत् प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होने और इस बात का पर्याप्त कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा भवन निर्माण कार्य क्यों न हटा दिया जाय, परिवर्तित कर दिया जाय, अथवा गिरा दिया जाय।

(2) यदि उक्त मुख्य नगराधिकारी के संतोषानुसार इस बात का पर्याप्त कारण न दे सके कि ऐसा भवन या निर्माण—कार्य क्यों न हटा दिया जाय, परिवर्तित किया जाय अथवा गिरा दिया जाय तो मुख्य नगराधिकारी भवन अथवा निर्माण कार्य को हटा सकती है, परिवर्तित कर सकता है, अथवा गिरा सकता है और ऐसा करने का व्यय उक्त व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा।

328. **प्रार्थी के सारवान भ्रांत कथन (material misrepresntation) के आधार पर मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा निरस्त करने का अधिकार**—इस अधिनियम के अधीन किसी भवन निर्माण या निर्माण प्रारम्भ करने की अनुज्ञा प्रदान करने के पश्चात् यदि किसी भी समय मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो जाय कि ऐसी अनुज्ञा धारा 316 या 317 के अधीन दिये गये नोटिस या दी गई सूचना में वर्णित किसी सारवान भ्रान्त कथन या प्रतारक प्रकथन या दी गई किसी अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हों, के फलस्वरूप दी गई थी, तो वह उस अनुज्ञा को निरस्त कर सकता है और उसके अधीन किया गया कार्य बिना उसकी अनुज्ञा के किया गया समझा जायगा।

329. **समाप्ति के प्रमाण—पत्र, कब्जा करने अथवा प्रयोग की अनुज्ञा**—(1) प्रत्येक व्यक्ति भवन निर्माण अथवा धारा 317 में निर्दिष्ट किसी निर्माण कार्य की समाप्ति के एक महीने के भीतर, मुख्य नगराधिकारी को उसके कार्यालय में ऐसी समाप्ति के संबंध में एक नोटिस देगा या भेजेगा, अथवा दिलवायेगा या भिजवायेगा और उसके साथ उपविधियों में विहित प्रपत्र पर एक प्रमाण पत्र भी होगा, जिस पर विहित रीति से उसके हस्ताक्षर होंगे और साथ ही मुख्य नगराधिकारी को ऐसे भवन अथवा निर्माण—कार्य के निरीक्षण के निमित्त सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगा तथा भवन में कबज करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र भी देगा।

(2) कोई व्यक्ति उक्त किसी भवन पर न तो कब्जा करेगा और न कब्जा करने की अनुज्ञा देगा, या उस भवन का अथवा उसके किसी भाग का, जिस पर किसी निर्माण–कार्य का प्रभाव पड़ता हो, न प्रयोग करेगा ओर न प्रयोग करने की अनुज्ञा देगा, जब तक–

(क) एतदर्थ मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त न हो गयी हो, अथवा

(ख) मुख्य नगराधिकारी ने समाप्ति की नोटिस प्राप्त होने के 21 दिन तक अपनी उपर्युक्त अनुज्ञा अस्वीकृत करने की सूचना न भेजी हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन भवन के किसी भाग के लिए भी आवेदन–पत्र दिया जा सकता है और अध्यासित करने के लिए मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा भी दी जा सकती है, जब मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो जाय कि वह भाग निवास योग्य हो गया है।

संकटमय संरचनायें।

330. **भवनों की नियत–कालीन जांच**–(1) प्रत्येक भवन के स्वामी का यह कर्तव्य होगा कि वह भवन के प्रत्येक भाग ओर उससे संलग्न प्रत्येक वस्तु की मरम्मत करके उसे इस प्रकार संधरित करे कि वह संकटमय होने से बचा रहे।

(2) मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा किसी भी भवन के स्वामी को यह आदेश दे सकता है कि वह उपविधियों में विहित कालान्तरों (intervals) पर तथा रीति के अनुसार भवन का निरीक्षण करवायें।

(3) उपधारा (2) के अधीन भवन के निरीक्षण के दो महीने के भेरत स्वामी ऐसे मरम्मत करना आरम्भ कर देगा, जो निरीक्षण के परिणामस्वरूप इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के सभी उपबन्धों के ऐसी मरम्मत के संबंध में अनुपालन करने के पश्चात् धारा 331 के अर्थ में, सरंचना की स्थिति को कायम रखने के अभिप्राय से आवश्यक बताये गये हों, ओर ऐसी मरम्मतों की समाप्ति के बाद, मुख्य नगराधिकारी को निरीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसने (स्वामी ने) मरम्मत सम्बन्धी कार्य संतोषजनक रूप से कर दिये है।

(4) उपधारा (2) के अधी न किये गये प्रत्येक निरीक्षण की रिपोर्ट उस वयक्ति द्वारा जिसने भवन का निरीक्षण किया हो, तुरन्त मुख्य नगराधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी और यदि स्वामी उपधारा (3) के आदेशों के अनुपालन न करे तो मुख्य नगराधिकारी इस धारा के अधीन या इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन उस भवन के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह उचित समझें।

(5) उपधारा (4) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा किये गये व्यय स्वामी को वहन करने पड़ेगें।

331. **ऐसी संरचनाओं इत्यादि का हटाया जाना जो, खंडहर है (in ruins) अथवा गिरने वाले हों**–(1) यदि मुख्य नगराधिकारी को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि कोई संरचना, जिसके अन्तर्गत कोई भवन, दीवाल, खंड़जा (pavement), मुडेर (parapet), फर्श, सीढ़ियां, जंगले (railing), दरवाजे अथवा खिड़की की चौखटे (window frame), संधारक (shutters) अथवा छत या अन्य संरचना ओर कोई चीज जो किसी भवन, दीवाल, मुंडेर (parapet) अथवा अनय संरचना से लगी हुई हो, उससे बाहर निकली हो उस आश्रित हो खंडहर (in ruins) है, अथवा गिरने वाली है अथवा किसी भी प्रकार उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है, जो उसमें अथवा उसके पड़क की किसी अन्य संरचना (structuion)

या स्थल में रहता है, वहां आता–जाता है, या उसके पास से गुजरता है तो मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा, उस संरचना के स्वामी अथवा अध्यासी से उस संरचना या चीज को गिराने या उसे दृढ़ करने, हटाने अथवा उसकी मरम्मत करने या ऐसे ही एक या एकाधिक कार्य करने और उससे पैदा होने वाले संकट के समस्त कारणों को दूर करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) यदि मुख्य नगराधिकारी उचित समझे तो वह उपर्युक्त नोटिस द्वारा उक्त भवन के स्वामी अथवा अध्यासी से यह भी अपेक्षा कर सकता है कि वह या तो तुरन्त, या उपर्युक्त संरचना या चीज को गिराने, दृढ़ करने अथवा उसकी मरम्तत करने से पहले बटोहियों के और अन्य व्यक्तियों की रक्षा के लिए और उचित और पर्याप्त बाड़ अथवा घेरा लगाये, ऐसे सुविधाजनक मंच तथा जंगले (handrail), यदि उनके लिए पर्याप्त स्थान हो, और उन्हें मुख्य नगराधिकारी वांछनीय समझे, के सहित जो ऐसी बाड़ अथवा घेरा के बाहर आने–जाने वालों के लिए पंगडंडी (footway) के रूप में प्रयुक्त हो सकें।

(3) यदि मुख्य नगराधिकारी को यह यह प्रतीत हो कि किसी संरचना से, जो खन्डहर (ruinous) है, अथवा गिरने वाला है, शीघ्र ही कोई संकट पैदा हो सकता है, तो उपर्युक्त नोटिस देने से पूर्व अथवा नोटिस की अवधि समाप्त होने के पूर्व उस सरंचना पर घेरा डाल सकता है (fecene off), उसे गिरा सकता है (take down), उसे दृढ़ कर सकता है अथवा उसकी मरम्मत करा सकता है या ऐसे उपाय कर सकता है या ऐसा निर्माण कार्य संपादित करवा सकता है, जो उस संकट की रोकथाम कर दें।

(4) उपधारा (2) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा किये गये व्यय उक्त ढांचे के स्वामी अथवा अध्यासी को वहन करने होंगें।

(5) (क) मुख्य नगराधिकारी कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा यदि मुख्य नगराधिकारी की राय हो कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संरचना के स्वामी या अध्यासी के लिए उस संरचना को गिराने, दृढ़ करने या उसकी मरम्मत करने का एकमात्र अथवा सुविधायुक्त साधन यही हे कि उक्त संरचना से लगे हुए किसी अन्य व्यक्ति के किसी भू–गृहादि में प्रवेश किया जाय तो मुख्य नगराधिकारी ऐसी व्यक्ति को आपत्ति प्रस्तुत करने का उचित अवसर देने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति न प्रस्तुत की जाय अथवा यदि कोई ऐसी आपत्ति की जाय जो उसे अमान्य (invalid) अथवा अपर्याप्त प्रतीत हो, लिखित आज्ञा द्वारा उक्त स्वामी अथवा अध्यासी को उस संलग्न भू–गृाहदि (adjoining premise) में प्रवेश करने का अधिकार दे सकता है।

(ख) उक्त प्रत्येक आज्ञा द्वारा जिस पर मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर होंगे उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में वह दी जाय, या किसी ऐसे अभिकर्ता या व्यक्ति को जिसे अपने एतदर्थ नियोजित किया हो, भू–गृहादि (premises) के स्वामी को अपने अभिप्राय का उचित लिखित नोटिस देने के बाद इस बात का पर्याप्त प्राधिकार होगा कि वह उक्त भू–गृहादि में सहायकों तथा श्रमिकों के साथ सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बची किसी भी समय प्रवेश करें और आवश्यक निर्माण–कार्यो का सम्पादन करेंक।

(ग) इस धारा के अधीन कोई निर्माण–कार्य सम्पादित करते समय संलग्न संपत्ति के स्वामी को सम्पत्ति की यथासंभवन कम से कम क्षति पहुंचायी जायेगी तथा उस भू–गृहादि का स्वामी या अध्यासी, जिसके लाभ के लिए निर्माण कार्य सम्पादित किया जा रहा हो–

(1) निर्माण कार्य को कम से कम व्यावहारिक विलम्ब से सम्पादित करायेगा,

(2) किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर देगा, जिसे उक्त निर्माण–कार्य के सम्पादन के फलस्वरूप क्षति पहुंची हों।

332. **भवनों में संकटमय छिद्र**–यदि मुख्य नगराधिकारी को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि किसी भवन के किसी भी भाग में कोई ऐसा छिद्र (opening) है, जो मानव जीवन के लिए संकटमय है, तो वह लिखित नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि ऐसा छिद्र उनके सन्तोषानुसार छड़ों (bars) झंझरीदार, तर्वो (grills) अथवा ऐसी ही अन्य युक्तियों द्वारा घेर दिया जाय अथवा सुरक्षित कर दिया जाय।

अवैध रूप में किये गये निर्माण–कार्य

333. **अवैध रूप से निर्माण कार्य करने का आदेश देने वाले व्यक्ति को हटाने के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी के अधिकार**–(1) यदि मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो जाय कि किसी भवन का निर्माण अथवा धारा 317 में निर्दिष्ट किसी निर्माण–कार्य का सम्पादन किसी भू–गृहादि में अवैध रूप से आरम्भ किया गया है, अथवा अवैध रूप से किया जा रहा है तो वह लिखित नोटिस द्वारा निर्माण अथवा सम्पादन को आदिष्ट अथवा कार्यान्वित करने वाले व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उसे तुरन्त बन्द कर दें।

(2) यदि उक्त निर्माण अथवा सम्पादन तुरन्त बन्द न किया जाय तो मुख्य नगराधिकारी आदेश दे सकता है कि उस निर्माण अथवा संपादन को आदिष्ट अथवा कार्यान्वित करने वाले किसी व्यक्ति को पुलिस पदाधिकारी द्वारा उस भू–गृहादि से हटा दिया जाय और ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जिसे वह उक्त व्यक्ति को, बिना अपनी अनुज्ञा के, उस भू–गृहादि के पुनः प्रवेश करने से रोकने के लिए उचित समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही का व्यय उस व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा।

भू–गृहादि को खाली कराने का अधिकार

334. **कतिपय परिस्थितियों में किसी भवन को खाली कराने के लिए मुख्य नगराधिकारी का अधिकार**–(1) किसी अन्य उपबन्धों में कोई विपरीत बात के होते हुए भी, मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा जिसमें ऐसा करने के कारण (grounds) निर्दिष्ट होंगे, किसी भवन अथवा उसके किसी भाग को तुरन्त अथवा ऐसे समय केक भीतर जो उक्त नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, खाली कराने की आज्ञा दे सकता है–

(क) यदि उस भवन या उसके भाग में धारा 329 का उल्लंघन करके अवैध रूप से कब्जा किया गया हो;

(ख) यदि उस भवन या उसके भाग के संबंध में नोटिस जारी किया गया हो, जिसमें किसी वर्तमान जीने, दीर्घा (lobby), मार्ग अथवा उतारे के स्थान (landing) को परिवर्तित करने या पुनर्निर्मित करने की अपेक्षा की गयी है ओर उस नोटिस में निर्दिष्ट निर्माण कार्य आरम्भ अथवा समाप्त न किये गये हों;

(ग) यदि भवन अथवा उसका भाग धारा 331 के अर्थ में खंडहर अथवा संकटमय स्थिति में हो।

(2) उक्त भू–गृहादि के किसी भाग में पूर्वोक्त लिखित नोटिस के लगाये जाने से यह समझा जायेगा कि ऐसे भवन अथवा उसके भाग के अध्यासियों को पर्याप्त सूचना दे दी गई है।

(3) उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी होने के बाद ऐसे भवन अथवा उसके भाग का अध्यासी प्रत्येक व्यक्ति, जिससे नोटिस का संबंध हो, ऐसे भवन या उसके भाग नोटिस के आदेश के अनुसार खाली करेगा, और जब तक नोटिस वापिस नहीं लिया जाता तब तक कोई व्यक्ति उस भवन अथवा उसके भाग में प्रवेश नहीं करेगा किन्तु वह किसी ऐसे निर्माण–कार्य को कार्यान्वित करने के लि उसमें प्रवेश कर सकता है, जिसे उसको विधितः कार्यान्वित करना हो।

(4) मुख्य नगराधिकारी आदेश दे सकता है कि जो उपधारा (3) का उल्लंघ करे, किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा उक्त भवन अथवा उस भवन के भाग से हटा दिया जाय।

(5) मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति के आवेदन–पत्र पर, जिसने उपधारा (1) के अधीन दिये गये नोटिस के अनुसार किसी भू–गृहादि को खाली किया हो, ऐसे नोटिस की वापसी पर उसे उक्त भू–गृहादि में फिर से रखेगा जब तक उसकी राय में संरचना में किसी परिवर्तन अथवा उसे गिरा दिये जाने के कारण, वस्तुतः अध्यासन के उन्हीं निबन्धनों पर फिर से रखना अव्यावहारिक न हो।

(6) मुख्य नगराधिकारी, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उपधारा (5) के अधीन की गई किसी कार्यवाही में उसे बाधाा पहुंचाता हो पुलिस पदाधिकारी द्वारा उक्त भू–गृहादि से हटा दिये जाने का आदेश दे सकता है और ऐसी षक्ति का प्रयोग भी कर सकता है, जो उपर्युक्त भू–गृहादि में प्रवेश करने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो।

विशेष सड़कों या स्थानों में कुछ श्रेणियों के भवनों का विनियमन

335. **विशेष सड़कों या स्थानों में कतिपय श्रेणी के भवनों के भावी निर्माण को विनियमित करने का अधिकार**–(1) मुख्य नगराधिकारी निम्नलिखित को घोषित करते के अपने अभिप्राय का किसी ऐसी वैध आपत्ति केक अधीन रहते हुए, जो तीन मास के भीतर जा सकती है, सार्वजनिक नोटिस दे सकता है–

(क) कि ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट किसी सड़क या सड़क के भाग में नोटिस के पश्चात् निर्मित या पुननिर्मित या सभी भवनों या किन्हीं श्रेणियों के भवनों के सामने के भाग की ऊॅचाई (elecvation) या निर्माण जहां तक कि उनकी वास्तु विशयक विशिष्टताओं (architectural features) का संबंध है, वैसा ही होगा जैसा निगम उस स्थान (locality) के लिए उपर्युक्त समझे;

(ख) नोटिस में निर्दिष्ट किसी स्थानों (localities) में केवल असंलग्न अथवा अर्द्धसंलग्नक (detached or semi-detached) अथवा दोनों प्रकार के भवनों के निर्माण की अनुमति दी जायेगी और ऐसे प्रत्येक भवन से संलग्न भूमि का क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से कम नहीं होगा, जो ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट किया गया हो;

(ग) विशेष स्थानों के भवन के गाटो (plots) का न्यूनतम आकार (size) एक निर्दिश्ट क्षेत्रफल का होगा;

(घ) नोटिस में निर्दिष्ट किन्ही स्थानों के प्रत्येक एकड़ भूमि पर निर्दिष्ट संख्या से अधिक भवनों के निर्माण की अनुज्ञा दी जायेगी, अथवा

(ङ) ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट किन्ही सड़कों, सड़कों के भागों या स्थानों में–मुख्य नगराधिकारी की ऐसी विशेष अनुज्ञा के बिना, जो कार्यकारिणी समिति द्वारा

एतदउर्थ निर्मित सामान्य विनियमों के अनुसार दी गयी हो और केवल ऐसी ही अनुज्ञा के निबन्धनों के अधीन रहते हुए—दुकान, गोदामों (ware house), कारखानों, कुटियों, अथवा भवनों को जो विशेष प्रयोग के लिए अभिप्रेत हों, न बनाने दिया जायेगा।

(2) ऐसे नोटिस के प्रकाशन के तीन मही ने की अवधि के भीतर प्राप्त हुई सभी आपत्तियों पर कार्यकारिणी समिति विचार करेगी ओर तब नोटिस को, मय उन आपत्तियों के विवरण के, जो उसे प्राप्त हुई हों और उन अपनी राय को निगम को भेज देगी।

(3) उक्त तीन महीने की अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(4) निगम उपधारा (2) निर्दिष्ट सभी लेख्यों (documents) को, उनके प्राप्त होने के दो महीने की अवधि के भीतर जिन पर अपनी राय सहित राज्य सरकार को भेज देगी।

(5) उक्त घोषणा के संबंध में राज्य सरकार ऐसी आज्ञ दे सकती है, जो वह ठीक समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त घोषणा एतदद्वारा (thereby) किसी ऐसी सड़क, सड़क के भाग अथवा स्थान पर लागू न की जायेगी, जो उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये नोटिस में निर्दिष्ट नहो।

(6) घोषणा, जैसी कि वह राज्य सरकार द्वारा पुष्टीकृत अथवा परिष्कृत हुई हो, सरकरी गजट में प्रकाशित की जायेगी और ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

(7) कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी घोषणा काउल्लंघन करके कोई भवन निर्मित अथवा पुनर्निमित नहीं करेगा।

336. **धारा 335 के उपबन्धों का उल्लंघन किये जाने के मामलों में मुख्य नगराधिकारी का अधिकार**—मुख्य नगराधिकारी को धारा 335 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त होगा, जो उपविधियों या नियमों द्वारा विहित की जाय।

337. **परित्यक्त अथवा अन्ध्यासित भू—गृहादि**—यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि कोई भवन या संरचना परित्यक्त कर दी है (bandoned) या अनध्यासित (unoccupied) है औक्र वह षांति भंग करने वाले (disorderly) व्यक्तियों का अड्डा बन गयी है, अथवा अपनी दशा के कारण पड़ोसियों की सुख—सुविधा के लिए अत्यन्त बाधक हो गयी है, तो मुख्य नगराधिकारी उक्त भवन या संरचना के स्वामी को, यदि उसका पता ज्ञात हो और वह निगम की सीमाओं के भीतर निवास करता हो, अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो उसका स्वामी माना जाता हो, या जिसके सम्बन्ध में यह विश्वास जाता हो कि वह उसका स्वामी होने का दावास करता है और यदि वह निगम की सीमाओं के भीतर निवास करता है लिखित नोटिस देगा और उएकत भवन या संरचना के किसी प्रमुख भाग पर उस नोटिस की एक प्रतिलिपि भी चिपकायेगा, जिसमें उक्त भवन या संरचना में कोई अधिकार या स्वत्व रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह आदेश होगा कि वे उक्त भवन या सरंचना के संबंध में ऐसी आज्ञा प्राप्त करें, जो मुख्य नगराधिकारी की राय में उपर्युक्त रूप से अड्डा बनाये जाने अथवा पड़ोसियों की सुख सुविधा के लिए अत्यन्त बाधक होने को रोकने के लिए आवश्यक हो।

338. अगम्य स्थानों पर भवन के पुनः निर्माण को प्रतिषिद्ध करने का अधिकार–(1) यदि कोई भवन, जो इस प्रकार स्थित हो कि वह आग बुझाने वाले इंजिन के लिए अगम्य हो अिवा आग बुझाने वाले इंजिन का अन्य भवनों तक जाना अवरूद्ध करता हो, आग लग जाने वाले किसी अन्य प्रकार से गिर जाय या नष्ट हो जो मुख्य नगराधिकारी एक लिखित नोटिस द्वारा, जो उपर्युक्त गिरे हुए अथवा नष्ट हुए भवन के स्वामी को सम्बोधित किया गया हो, आदेश दे सकता है कि कोई ऐसा भवन न बनाया जाय जो आग बुझाने वाले इंजिन के लिए अगम्य हो या जो आग बुझाने वाले इंजिन का अन्य भवनों तक जाना अवरूद्ध करें।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये नोटिस का उल्लंघन करके कोई व्यक्ति भवन को निर्मित अथवा पुननिर्मित नहीं करेगा।

339. कतिपय दशाओं में किसी भू–गृहादि से भवन निर्माण सामग्री का हटाया जाना–यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि पत्थरों, बल्ले (rafters) भवन–निर्माण सामग्री अथवा भवन–निर्माण सामग्री का मलवा किसी भू–गृहादि में अथवा पर, इतनी मात्रा अथवा परिमाण में इस प्रकार जमा अथवा एकत्र किया गया है कि वह चूहों या अन्य कीड़ो–मकोंड़ों का आश्रय स्थल अथवा प्रजनन केन्द्र बन गया है, या अन्य प्रकार उपर्युक्त भू–गृहादि के अध्यासियों या उसके पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए खतरे या अपदूषण का कारण हो गया है, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे भू–गृहादि के या उसमें जमा अथवा एकत्रित किये हुए लरवे के स्वामी से लिखित नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकता है कि वह उसे ऐसे उचित समय के भीतर, जो नोटिस में नियम हो, हटावा दे या बेंच डाले या उनके सम्बन्ध में ऐसी आज्ञा प्राप्त करे जो मुख्य नगराधिकारी की राय में उपर्युक्त अपदूषण कम करने या उसकी पुनरावृत्ति को रोकनेक के लिए आवश्यक या इष्टकर हों।

340. आवास के संबंध में विवरण–पत्र मांगने का मुख्य नगराधिकारी का अधिकार–(1) किसी भवन का स्वामी मुख्य नगराधिकारी से लिखित नोटिस प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर ऐसे भवन या उसके अध्यासियों के सम्बन्ध में ऐसी सूचना देगा, जो महापालिका विहित करें।

(2) किसी ऐसे भवन का, जो एक अलग निवास–स्थान (tenement) के रूप में कब्जे में हो, अध्यासी वैसी ही नोटिस मिलने पर और उसी अवधि के भीतर उपर्युक्त भवन के संबंध में, जो कि उसके कब्जें में हो, ऐसी सूचना देगा, जो विहित की जाय।

341. राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को नगर की सीमा के बाहर लागू कर सकती है–राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा में निर्दिष्ट किये जाने वाले किसी क्षेत्र में, किन्तु जो नगर की सीमाओं के बाहर दो मील से अधिक दूरी पर न हो इस अध्याय की किसी धारा अथवा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों को ऐसे अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक और इष्टकर समझे, प्रयुक्त कर सकती है और तदुपरान्त इस प्रकार प्रवृत्त उपलब्ध तथा नियम उस क्षेत्र में उसी प्रकार प्रीाावी होंगे मानों वह क्षेत्र नगर के भीतर स्थित हो।

342. नियम बनाने का अधिकार–(1) राज्य सरकार इस अधय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है–

(क) भवनों के निर्माण के लिए अनुज्ञा देने की रीति;

(ख) संकटमय भवनों की मरम्मत करने, उन्हें गिराने, दृढ़ करने और हटाने की रीति, तथा ऐसे मरम्मत करने, गिराये जाने, दृढ़ किये जाने, या हटाये जाने के व्यय की वसूली;

(ग) निर्बन्धन, जिनके अधीन भवनों के प्रयोग में परिवर्तन किये जा सकते है;

(घ) नवनिर्मित भवनों का निरीक्षण;

(ङ) शर्ते, जिन पर भवन–निर्माण के लिए निगम निधि में से ऋण दिए जा सकते हैं, तथा ऐसे ऋणों के लिए आवेदन–पत्र देने का प्रपत्र।

अध्याय 14
विकास योजनाएं

343. **विकास योजनाओं के प्रकार**–नगर में विकास करने के प्रयोजनार्थ कोई विकास योजना नीचे लिखे प्रकार में से किसी भी प्रकार की हो सकती है, अथवा ऐसे दो या दो से अधिक प्रकारों आवा उसकी विशेषताओं से युक्त हो सकती है, अर्थात्–

(क) सामान्य विकास योजना;

(ख) बस्ती सुधार (slum clearance) योजना;

(ग) गृह पुनर्निर्माण योजना (rehousing shcemes);

(घ) सड़क योजना (street scheme);

(ङ) भावी सड़क योजना (Deffered street scheme);

(च) गृह स्थाान (housing accomodation) योजना; और

(छ) नगर प्रसार योजना (city expansion scheme)।

344. **सामान्य विकास योजना**–विकास समिति को जब कभी प्रतीत हो कि–

(क) किसी क्षेत्र में कोई भवन, जो रहने के लिए प्रयोग में लाये जा रहे हों, अथवा प्रयोग में लाये जाने की संभावना हो, मनुष्यों के रहने के योग्य नही हैं, या

(ख) किसी क्षेत्र में स्थित भवनों अथवा पास–पड़ोस के भवनों के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए ऐसे क्षेत्र में–

(1) सड़कों या भवनों के समूहों के संकरे होने, बहुत पास–पास होने, अथवा उनकी दशाा और प्रबन्ध खराब होने;

(2) प्रकाश, वायु संवीजन (ventilation) तथा उपयुक्त सुविधाओं का अभाव होने; अथवा

(3) अन्य कोई स्वच्छता सम्बन्धी त्रुटि के कारण संकट पैदा हो गया है;

तो विकास समिति यह संकल्प पारित कर सकती है कि उक्त क्षेत्र अस्वास्थ्यकार क्षेत्र (insanitary area) है तथा उस क्षेत्र की विकास योजना तैयार की जाय।

345. **बस्ती सुधार (slum clearance) योजना**–(1) यदि विकास समिति को यह प्रतीत हो कि कोई क्षेत्र पूर्वगत धारा के अर्थो में अस्वास्थ्यकर क्षेत्र है, और इस खेत्र में स्थिति भवनों तथा जहां पर वे निर्मित है, उन स्थलों (site) के तुलनात्मक मूल्य का ध्यान रखते हुए उस क्षेत्र अथवा उसके किसी अंश के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का सर्वाधिक संतोषजनक ढंग यह है कि अस्वास्थ्यकर क्षेत्र में वर्तमान भवनों

को हटाकर उनके स्थान पर नये भवनों का निर्माण किया जाय तो वह संकल्प द्वारा यह निर्देश (direct) कर सकती है कि इस धारा के अनुसार बस्ती सुधार की एक योजना तैयार की जाय।

(2) बस्ती सुधार योजना में निम्नलिखित व्यवस्था की जा सकती है–

(क) सड़कों के पीछे की गलियों (back lines) तथा खुले स्थानों (open spaces) का रक्षण (reservation) तथा तर्वमान सड़कों, पीछे की नालियों ओर खुले स्थानों का उस आयति तक विस्तार करना (enlargement) जो योजना के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों;

(ख) इस प्रकार रक्षित अथवा विस्तृत (enlarged) सड़कों, पीछे की गलियों, अथवा खुले स्थानों के क्षेत्र के स्थलों (sites) का पुनर्विन्यास (relaying out);

(ग) ऐसे किसी भी रक्षण (reservation) या विस्तार के सम्बन्ध में प्रतिकर का भुगतान तथा इस प्रकार रक्षित या विस्तृत सड़कों, पीछे की गलियों तथा खुले स्थानों का निर्माण;

(घ) वर्तमान भवनों तथा उनके उपाभूत भागों (appurtenances) का उनके स्वामियों द्वारा गिराया जाना, अथवा स्वामी द्वारा ऐसा न करने पर निगम द्वारा गिराया जाना तथा योजना के अनुसार उन स्थलों पर जिनकी परिभाषा योजना में की गई है, स्वामियों द्वारा भवनों का निर्माण अथवा स्वामियों के ऐसा न करने पर निगम द्वारा भवनों का निर्माण;

(ङ) स्वामियों को सूद तथा निक्षेप निधि (sinking fund) से सम्बद्ध ऐसे निबन्धनों तथा शर्तो पर और अन्यथा जो इस योजना के अन्तर्गत विहित की जाए, ऐसी अग्रिम धनराशि का दिया जाना जो योजनानुसार नये भवनों के निर्माणार्थ उन्हें सहायता देने के लिए आवश्यक हो;

(च) योजना में सम्मिलित किसी क्षेत्र में समाविष्ट किसी स्थल या भवन का निर्माण द्वारा अर्जन (acquisition):

किन्तु प्रतिबन्ध यह है निगम किसी भी भवन को गिराने से अपवर्जित (exclude) कर सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि वह भवन मनुष्यों के रहने के अयोग्य नहीं है, या संकटमय नहीं हैं, या स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं है अथवा उसमें सुधार करके उसे स्वास्थ्यकर तथा मनुष्यों के रहने के योग्य बनाया जा सकता है और उससे क्षेत्र में गन्दी बस्ती हटाने के कार्य में अथवा उस क्षेत्र में पुनर्विकास में बाधा नहीं पहुंचती।

346. **गृह पुनर्निर्माण योजना (rehousing shcemes)**–विकास समिति का जब ऐसी विकास योजना तैयार करने का निश्चय करती है जिसमें व्यक्तियों के विस्थापित होने की संभावना है, तो संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी से यह भी अपेक्षा करेगी कि वह ऐसे और उतने निवास गृहों तथा दुकानों के निर्माण, संधारण और प्रबन्धन के लिए, जिनकी उसके विचार में ऐसे व्यक्तियों के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए–

(क) जो इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत किसी विकास योजना के कार्यान्वित किये जाने के कारण विस्थापित हो जायं, या

(ख) जिनके इस अधिनियम के अधीन कोई विकास योजना जिसे तैयार करने का विचार हो, अथवा जिसे राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया हो, के कार्यान्वित किये जाने के कारण विस्थापित हो जाने की संभावना हो,

एक योजना (जिसे यहां गृह पुननिर्माण योजना (rehousing schem) कहा गया है) तैयार करें ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी विकास समिति को, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे इस धारा के अधीन दायित्व से मुक्त कर सकती है।

347. सड़क योजना—(1) यदि विकास समिति का मत हो कि—

(क) भवन के लिए स्थलों की व्यवस्था करने, अथवा

(ख) दोषपूर्ण संजीवन (ventilation) दोष रहित करने, या

(ग) यातायात (traffic) की सुविधाओं एं संचार के नये साधनों के सृजन अथवा वर्तमान साधनों में विकास करने, या

(घ) सफाई संरक्षण (conservancy) के लिए अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने, के प्रयोजनार्थ यह इष्टकर है कि नई सड़कों का विन्यास किया जाय, अथवा वर्तमान सड़कों में परिवर्तन किया जाय, तथा यह उद्‌देश्य अध्याय 12 के अन्तर्गत कार्यवाही करने से पूरा न हो सकता हो, तो विकास समिति संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी को एक योजना तैयार करने का आदेश दे सकती हैं जो ''सड़क योजना'' कहलायेगी।

(2) सड़क योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :

(क) किसी भूमि का अर्जन जो योजना के कार्यान्वित किये जाने के लिए विकास समिति की राय में आवश्यक हो;

(ख) इस प्रकार अर्जित सभी या किसी भूमि का पुनर्विन्यास (relaying out) जिसके अन्तर्गत निगम अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा भवनों का निर्माण भी है, तथा सड़कों का विन्यास निर्माण एवं परिवर्तन;

(ग) इस प्रकार निर्मित अथवा परिवर्तित सड़कों का जलोत्सारण (drainage), जल सम्भरण अथवा उनके लिए रोशनी की व्यवस्था (lighting);

(घ) इस योजना के प्रयोजनों के लिए निगम में निहित अथवा उसके द्वारा अर्जित की जाने वाली भूमि को ऊंचा करना, नीचा करना अथवा उसका पुनरूद्धार करना (reclamation);

(ङ) योजना में समाविष्ट क्षेत्रों में अधिक अच्छे सवीनज के लिए खुले स्थानों की व्यवस्था;

(च) योजना के अन्तर्गत किसी खुले स्थान (open space) अथवा सड़क के संलग्न किसी भूमि का अर्जन।

348. भावी सड़क योजना—(1) (क) यदि विकास समिति का यह मत हो कि धारा 247 में वर्णित प्रयोजनों में से किन्हीं के लिए यह इष्टकर है कि किसी वर्तमान सड़क के वर्तमान रेखांकर (alignment) को परिवर्तित करके, उसे अन्ततः चौड़ा करने की व्यवस्था की जाय, ताकि मुख्य नगराधिकारी द्वारा विहित किये जाने वाले ढंग से रेखाकरण (alignment) का विकास हो सकें, किन्तु प्रस्तावित विकसति रेखाकरण के भीतर स्थित सभी या किसी सम्पत्ति का तुरन्त अर्जित किया जाना इष्टकर नहीं है, तो विकास समिति, यदि उसका समाधान हो जाय कि निगम के पास पर्याप्त साधान हैं, संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह स्ड़क के प्रत्येक और रेखाकरण (alignment) को विहित करते हुए एक योजना तैयार करे, जो ''भावी सड़क योजना'' कहलायेगी।

(कक) उक्त संकल्प में योजना के निष्पादन के समय–सीमा निर्दिष्ट की जायेगी, जिसे विकास समिति; समय–समय पर, संकल्प द्वारा बढ़ा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन), अधिनियम, 1972 क प्रारम्भ होने के पूर्व अधिसूचित किसी योजना की दशा में, ऐसी समय–सीमा, यदि पहले ही निर्दिष्ट न की गयी हो, उक्त अधिनियम के प्रारमभ होने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर ही विकास समिति के एक नये संकल्प द्वारा निर्दिष्ट की जायेगी :

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समय–सीमा जिसके अन्तर्गत उसकी वृद्धि भी है, यदि कोई हो, धारा363 के अधीन योजना अधिसूचित किये जाने के दिनांक से किसी भी दशा में बीस वर्ष से अधिक न होगी।

(ख) धारा 363 के अधीन योजना अधिसूचित किये जाने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति, उसके निष्पादन की समय–सीमा के भीतर निगम की लिखित अनुज्ञा के अनुनकूल किसी भवन या दीवाल में कोई ऐसा निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्द्धन या परिवर्तन नहीं करायेगा, जिससे कि वह सड़क के लिए विहित रेखाकरण (alignment) के बाहर तक निकल आये (project)।

(2) भावी सड़क योजना में निम्नलिखित की व्यवस्था होगी–

(क) विहित सड़क रेखाकरण (alignemnt) के भीरत स्थित किसी सम्पूर्ण सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग का अर्जन,

(ख) ऐसे सभी या किसी सम्पत्ति का पुनर्विन्यास (relaying out) जिसके अन्तर्गत निगम अथवा अन्य किसी व्यिक्ति द्वारा भवनों का निमर्ताण तथा पुनर्निर्माण भी है, तथा सड़क का तैयार किया जाना और उसमें परिवर्तन,

(ग) इस प्रकार तैयार की गयी तथा परिवर्तित सड़क का जलोत्सारण (drainage) तथा उसके लिए रोशनी की व्यवस्था

(3) भावी सड़क योजना के अन्तर्गत आने वाली किसी सम्पत्ति का स्वामी धारा 363 के अधीन योजना के अधिसूचित किये जाने के पश्चात् किसीह भी समय किन्तु उसके लिए निष्पादन की समय–सीमा के भीतर अथवा तत्पश्चात् तीन वर्ष के भीतर निगम को नोटिस दे सकता है कि वह नोटिस के दिनांक के 6 महीने के भीतर ऐसी सम्पत्ति अर्जित कर लें। तदुपरान्त महापालिका तद्नुसार सम्पत्ति अर्जित करेगी, और यदि वह ऐसा न कर सके तो ऐसे प्रतिकर का भुगतान करेगी जो धारा 372 में अभिदिष्ट न्यायाधिकरण द्वारा अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार अवधारित किया जाय।

(4) उस सम्पत्ति के अतिरिक्त, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (3) के अधीन निगम को नोटिस मिल चुका हो, अन्य किसी सम्पत्ति को अर्जित करनेक के सम्बन्ध में कार्यवाही करने से पहले निगम उसके स्वामी को उस सम्पत्ति को अर्जित करने के अपने अभिप्राय के सम्बन्ध में 6 महीने का नोटिस देगा।

349. **गृह स्थान योजना (housing accomodation)**–यदि विकास समिति का मत् हो कि नगर के किसी वर्ग के निवासियों के लिए स्थान (accommodation) की व्यवस्था करना सार्वजनिक लाभ के लिए है और इष्टकर है तो वह संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी से अपेक्षा कर सकती है कि वह पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए एक योजना तैयार करे, जो गृह स्थान योजना कहलायेगी।

350. **नगर प्रसार योजना**–(1) यदि विकास समिति का यह मत है कि नगर के भावी प्रसार को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करना

सार्वजनिक लाभ के लिए है और इष्टकर है तो वह संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी से एक योजना तैयार करने की अपेक्षा कर सकती है सजो नगर प्रसार योजना कहलायेगी।

(1–क) उक्त संकल्प में योजना के निष्पादन के लिए समय–सीमा निर्दिष्ट की जायेगी जिसे विकास समिति, समय–समय पर बढ़ा सकती है :

विकास समिति; समय–समय पर, संकल्प द्वारा बढ़ा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन), अधिनियम, 1972 क प्रारम्भ होने के पूर्व अधिसूचित किसी योजना की दशा में, ऐसी समय–सीमा, यदि पहले ही निर्दिष्ट न की गयी हो, उक्त अधिनियम के प्रारमभ होने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर ही विकास समिति के एक नये संकल्प द्वारा निर्दिष्ट की जायेगी :

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समय–सीमा जिसके अन्तर्गत उसकी वृद्धि भी है, यदि कोई हो, धारा 363 के अधीन योजना अधिसूचित किये जाने के दिनांक से किसी भी दशा में बीस वर्ष से अधिक न होगी।

(2) ऐसी योजना में वे तरीके जिनके अनुसार विकसिक किये जाने वाले क्षेत्र का विवन्यास करने का प्रस्ताव है तथा प्रयोजन, जिनके लिए किसी क्षेत्र विशेष का उपयोग किया जायेग, दिखलाये जायेंगें।

(3) नगर प्रसार योजना के प्रयोजनार्थ धारा 360 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे, किन्तु निगम से ऐसे विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी, जो राज्य सरकार उचित समझे।

(4) धारा 363 के अधीन ऐसी योजना अधिसूचित किये जाने के पश्चात् किसी भी समय, किन्तु उसके निश्पादन की समय–सीमा के भीतर यदि कोई व्यक्ति उक्त योजना में समाविष्ट क्षेत्र के भीतर किसी भवन अथवा दीवार का निर्माण, पुर्ननिर्माण, परिवर्द्धन अथवा परिवर्तन करना चाहे तो उसे ऐसे करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए निगम को प्रार्थना पत्र देना होगा।

(5) यदि निगम किसी व्यक्ति को पूर्वोक्त क्षेत्र में स्थित उसकी भूमि पर किसी भवन अथवा दीवाल के निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन अथवा परिवर्तन की अनुज्ञा देना अस्वीकार कर दे और ऐसी अस्वीकृति से एक वर्ष के भीतर वह उक्त भूमि को अर्जित करने के लिए कार्यवाही न करे, तो वह उक्त अस्वीकृति के फलस्वरूप हुई उस व्यक्ति की किसी भी क्षति के लिए उसे उचित प्रतिकर देगा।

351. **योजना तैयार करना**–(1) जब कभी पूर्ववर्ती किसी भी धाारा के अधीन कोई विकास योजनास तैयसार करने की अपेक्षा की जाय तो मुख्य नगराधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह योजना का पान्डुलेख (draft) तैयार करे, और उसे विकास समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करें।

(2) विकास समिति के पूर्वानुमोदन से मुख्य नगराधिकारी बनायी जाने वाली विकास योजना तैयार करने के प्रयोजन के समाविष्ट क्षेत्र अथवा क्षेत्र की सीमा के भीतर अथवा बाहर के क्षेत्रों का परिमापन (survey) करवा सकता है।

352. **विकास योजनाओं का संयोजन**–ऐसे कितने ही क्षेत्र जिनके सम्बन्ध में विकास योजनायें तैयार की जा चुकी है अथवा प्रस्तावित हैं, किसी भी समय किसी एक संयोजित योजना (combined scheme) के अन्तर्गत लाये जा सकते है।

353. वे विषय जिनकी व्यवस्था विकास योजना द्वारा की जायेगी–(1) योजना के स्वरूप के अनुसार किसी भी विकास योजना के नीचे लिखे किन्हीं अथवा सभी विशयों की व्यवस्था की जा सकती है :–

(क) खरीद, विनिमय अथवा अन्य प्रकार से किसी सम्पत्ति का अर्जन, जो योजना को कार्यन्वित करने के लिए आवश्यक हो अिावा जिस पर योजना कार्यान्वित करने से प्रभाव पड़ता हो;

(ख) योजना में समाविष्ट किसी भूमि का पुनर्विन्यास;

(ग) योजना में समाविष्ट सम्पत्ति के स्वामियों के स्थलों (site) का पुनर्वितरण;

(घ) मनुष्यों के रहने के लिए अयोग्य निवास–गृहों अथवा उनके भागों को बन्द किया जाना अथवा गिराया जाना;

(ङ) अवरोध उपस्थित करने वाले (obstructic) भवनों अथवा उनके भागों का गिराया जाना;

(च) भवनों का निर्माण तथा पुननिर्माण;

(छ) योजना में समाविष्ट किसी सम्पत्ति का विक्रय, किराये पर उठाया जाना अथवा उसका विनिमय;

(ज) सड़कों तथा पीछे की गलियों (back lanes) का निर्माण तथा परिवर्तन और पैदल चलने वालो के पार्श्व पथों (side walks) की व्यवस्था

(झ) इस प्रकार निर्मित अथवा परिवर्तित सड़कों का जलोत्सारण, जल–सम्भरण तथा रोशनी की व्यवस्था;

(ञ) योजना में समाविष्ट किसी क्षेत्र अथवा उससे संलग्न (adjoining) क्षेत्र के लाभ के लिए खुले स्थानों (open spaces) की व्यवस्था तथा वर्तमान खुले स्थान तथा उन तक पहुंचने के मार्गो (approaches) का विस्तार;

(ट) योजना में समाविष्ट क्षेत्र के लिए अपेक्षित स्वस्थता सम्बन्धी प्रबंध जिसके अन्तर्गत सफाई संरक्षण (conservancy) तथा नदियों और जल–सम्भरण के अन्य स्त्रोंतो तथा साधनों को हानि पहुंचाने अथवा दूषित किये जाने को रोकना तथा उसे बचाना भी है;

(ठ) निवासियों के किसी भी वर्ग के लिए स्थान (accommodation) की व्यवस्था;

(ड) योजना के प्रयोजनों के लिए अग्रिम धनराशि का दिया जाना;

(ढ) संचार (commounication) की सुविधाओं की व्यवस्था;

(ण) बाजार, उद्यानों, वनरोपण के लिए भूमि का पुनरूद्धार या रक्षण, ईधन, घास के सम्भरण (supply) और जनता की अन्य आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था;

(त) योजना में समाविष्ट क्षेत्र में अधिक भीड़ को रोकने की व्यवस्था;

(थ) अन्य कोई विषय जिनके लिए राज्य सरकार की राय में किसी संबद्ध क्षेत्र के विकास अथवा योजना की सामान्य सक्षमता (general efficiency) के दृश्टिकोण से व्यवस्था करना इष्टकर हो।

(2) निगम समय–समय पर संकल्प द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है कि इस धारा के प्रयोजनार्थ किसेक अधिक भीड़ी समझा जायेगा और ऐसे संकल्प में यह निर्दिष्ट कर सकती है कि उस भू–गृहादि में जो निवास–गृह तथा अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाये जायं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आयु के अनुसार निम्नतम स्थान कितना होगा।

354. कतिपय विकास योजनाओं में नगर के बाहर के क्षेत्रों को सम्मिलित करना–धारा 343 के खंड (क) या (ख) या (छ) में उल्लिखित विकास योजना अपने अन्तगर्कत नगर की सीमा के बाहर दो मील तक किसी ऐसे समस्त क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग को सम्मिलित कर सकती है जिसे राज्य सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे और ऐसा क्षेत्र इस अध्याय के प्रयोजनों के निर्मित नगर के भीतर स्थित क्षेत्र समझा जायेगा।

355. विकास योजनायें तैयार करते समय विचारणीय विषय–किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई विकास योजना तैयार करते समय निम्नलिखित का ध्यान रखा जायेगा;

(क) पड़ोसी क्षेत्रों तथा सम्पूर्ण नगर की प्रकृति (nature) और दशायें (conditions);

(ख) विभिन्न दशायें, जिनमें नगर का प्रसार होना संभव है; और

(ग) नगर के अन्य भागों के लिए विकास योजनाओं के अपेक्षित होने की संभावना।

356. विकास समिति द्वारा विचार किया जाना–(1) विकास समिति मुख्य नगराधिकारी द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत की गयी योजना पर विचार करेगी और उसे परिष्कार सहित अथवा बिना परिश्कार के स्वीकृत कर लेगी अथवा मुख्य नगराधिकारी से अपेक्षा करेगी कि वह उसमें, परिवर्तन करके उसे समिति के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत करें।

(2) विकास समिति लिखित रूप से योजना पर स्वीकृति प्रदान करेगी ओर आदेश देगी कि योजना विज्ञाप्ति की जाय।

357. विकास योजना की नोटिस–(1) विकास योजना और पांडुलेख (draft) विकास समिति द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी एक नोटिस तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख होगा–

(क) यह तथ्य कि योजना तैयार की जा चुकी है;

(ख) योजना में समाविष्ट क्षेत्र की चौहद्दी;

(ग) स्थान, जहां योजना का विवरण, योजना में समाविष्ट क्षेत्र का नक्शा और उस भूमि के उल्लेख जिसके अर्जित किये जाने का प्रस्ताव है, देखा जा सकता है।

(2) मुख्य नगराधिकारी उक्त नोटिस लगातार तीन सप्ताह तक सरकारी गजट तथा निगम के बुलेटिन, यदि कोई हों, में प्रकाशित करायेगा तथा उसे एक या एकाधिक स्थानीय समाचार पत्र या समाचार पत्रों में जिन्हें मुख्य नगराधिकारी ठीक समझें प्रकाशित करायेगा औक्र उिसमें ऐसी अवधि का उल्लेख करेगा, जिसके भीतर इस सम्बन्ध में आपत्तियां ली जायेगी। यदि नगर से संलग्न कोई कन्टूनमेन्ट बोर्ड हो तो उक्त नोटिस की एक प्रति उसके सभापति (President) के पास भी भेज दी जायेगी।

(3) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के खंड (ग) में उल्लिखित सभी लेख्यों (documents) की प्रतिलिपियां किसी भी प्रार्थी को, उनके लिए विहित षुल्क प्राप्त होने पर दिलायेगा।

358. भूमि के प्रस्तावित अर्जन की नोटिस–(1) किसी विकास योजना के सम्बन्ध में धारा 357 के अधीन किसी नोटिस

के प्रकाशन के प्रथम दिन के पश्चात् से 30 दिनों तक की अवधि में मुख्य नगराधिकारी निम्नलिखित पर नोटिस तामील करायेगा–

(क) योजना की कार्यान्वित के निमित्त अर्जन के लिए प्रस्तावित किसी भूमि या भवन के वार्षिक मूल्य पर निर्धारित किसी क्र को अदा करने का प्रथम दायित्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर जिसका नाम निगम की निर्धारणसूची में दिखलाया गया हो; तथा

(ख) प्रत्येक भू–गृहादि, जिसे योजना को कार्यान्वित करने के लिए निगम ने अर्जित करने का प्रस्ताव किया हो औक्र जो निगम की निर्धारण सूची में दर्ज हो, के अध्यासी पर (जिसका नाम देना आवश्यक नहीं हैं)।

(2) उक्त नोटिस द्वारा–

(क) यह बतलाया जायेगा कि निगम किसी विकास योजना केा कार्यान्वित करने के प्रयोजन से उक्त भूमि अर्जित करना चाहती है; और

(ख) किसी व्यक्ति से, यदि वह उक्त अर्जन से असहमत हो, नोटिस तामील होने के 60 दिन के भीतर लिखित रूप से अपनी असहमति का कारण बताने की अपेक्षा की जायेगी।

359. **निगम द्वारा योजना पर विचार**–किसी विकास योजना के सम्बन्ध में क्रमशः धारा 357 तथा 358 के अधीन विहत अवधियों के व्यतीत हो जाने के पश्चात् विकास समिति तदन्तर्गत प्राप्त किसी आपित्त या निवेदन–पत्र (**representation**) पर विचार करेगी तथा उक्त आपत्तियां करने वाले व्यक्तियों अथवा ऐसे निवेदकों की जो सुनवाई चाहते हों, सुनवाई कर लेने तथा योजना में ऐसे परिश्कार यदि कोई हो, करनेक के पश्चात् जिसे वह उचित समझे उस योजना को उसके सम्बन्ध में प्राप्त हुई किसी आपत्ति या निवेदन पत्र सहित, निगम को अपनी इस सिफारिश के साथ प्रस्तुत करेगी कि योजना स्वीकृत की जानी चाहिए अिवा उसका परित्याग कर देना चाहिए।

360. **निगम द्वारा योजना स्वीकृति अथवा परित्याग (abandonment)**–(1) वि
कास समिति द्वारा योजना और उसके साथ धारा 357 तथा 358 के अधीन प्राप्त आपत्तियां या निवेदन–पत्र तथा धारा 359 के अधीन विकास समिति की सिफारिश प्राप्त होने पर निगम उस पर विचार करना आरम्भ करेगी, और या तो उस योजना का परित्याग कर देगी अथवा उसे ऐसे परिष्कारों, यदि कोई हों, के साथ स्वीकृत कर लेगी जिसे वह आवश्यक समझें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यसदि योजना की अनुमानित लागत 10,00,000 रूपये से अधिक हो तो राज्य सरकार की स्वीकृति भी ली जायेगी।

(2) उपधारा (1) के प्रतिबन्ध के अधीन राज्य सरकार को प्रस्तुत की गयी प्रत्येक योजना में निम्नलिखित बातें होंगी–

(क) योजना का वर्णन और उसके सम्बन्ध में पूरा विवरण तथा उसकी पूर्ण रूपरेखा और योजना की कार्यान्विति में लगाने वाली लागत के तखमीनें;

(ख) मूलतः निर्मित योजना में किये गये किन्हीं परिश्कारों के कारणों का विवरण;

(ग) धारा 357 के अधीन प्राप्त आपत्तियों का (यदि कोई हों) विवरण;

(घ) उन सभी व्यक्तियों के (यदि कोई हों) नामों की सूची, जिन्होने धारा 358 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अपनी भूमियों के प्रस्तावित अर्जन में असहमति प्रकट की हों और ऐसी असहमति के लिए दिये गये कारणों का विवरण; तथा

(ग) ऐसी योजना की जिसमें लोगों का फिर से घरों में बसाने की व्यवस्था करना अपेक्षित हो, कार्यान्विति के फलस्वरूप जिन व्यक्तियों के विस्थापित हो जाने की संभावना हो, उन्हें फिर से घरों में बसाने (rehousing) के लिए महापालिका द्वारा किए गए अथवा प्रस्तावित प्रबन्धों का विवरण।

(3) उपधारा (1) के प्रतिबन्ध के अधीन राज्य सरकार की योजना प्रस्तुत करने के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी इस बात का नोटिस द्वारा 357 में उपबन्धित रीति के अनुसार सरकारी गजट में तथा निगम के बुलेटिन, यदि कोई हो, में लगातार दो सप्ताह तक प्रकाशित करायेगा।

(4) निगम द्वारा योजना अनुमोदित न किये जाने पर मुख्य नगराधिकारी तुरन्त ही धारा 357 में उपबंधित रीति के अनुसार एक नोटिस तैयसार करके उसे प्रकाशित करायेगा, और उसे नोटिस में यह उल्लेख करेगा कि निगम ने योजना को आगे न बढ़ाने का संकल्प कर लिया है तथा उक्त प्रकाशन के उपरान्त धारा 357 के अधीन प्रकाशित योजना के संबद्ध विज्ञप्ति निरसित समझी जायेगी।

361. **योजना के संबंध में राज्य सरकार के अधिकार**–(1) राज्य सरकार धरा 360 के अधीन प्रस्तुत किसी योजना को परिष्कारों सहित बिना किसी परिश्कार के स्वीकृत कर सकती है अथवा अस्वीकृत कर सकती है, अथवा उसे पुर्नर्विचार के लिए वापस भेज सकती है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन पुनर्विचार के लिए वापस की गई योजना निगम द्वारा परिष्कृत कर ली जाय तो उसे निम्नलिखित दशा में धारा 357 के अनुसार पुनः प्रकाशित किया जायेगा।

(क) प्रत्येक ऐसी दशा में जिसमें परिश्कार के कारण योजना में समाविष्ट क्षेत्र की चौहद्दी (boundary) पर प्रभाव पड़ता हो, अथवा जिसमें पूर्व प्रस्तावित अर्जन से भिन्न किसी भूमि को अर्जित करने का प्रस्ताव किया गया हो; और

(ख) अन्य प्रत्येक दशा में जब तक कि परिष्कार राज्य सरकार की राय में इतने महत्व का न हो कि उसका पुनः प्रकाशन अपेक्षित हो।

362. **निगम द्वारा परिष्कृत की जाने वाली योजना के संबंध में प्रक्रिया**–यदि धारा 360 के अधीन आपत्तियों तथा निवेदन–पत्रों (representations) पर विचार करने के पश्चात् मूल योजना में कोई ऐसा परिष्कार किया गया हो, जिससे धारा 361 की उपधरा (2) में वर्णित दशायें उत्पन्न हो, तो किसी योजना के संबंध में, जिसे निगम स्वयं अपने अधिकार से स्वीकृत कर सकती हो, धारा 357 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगें।

363. **विकास योजना की स्वीकृति की विज्ञप्ति**–जब कभी निगम कोई योजना स्वयं अपने अधिकार से अथवा धारा 360 की उपधारा (1) के प्रतिबन्ध के अधीन राज्य सरकार की सहमति से स्वीकृत करे तो यह तथ्य सरकारी गजट में विज्ञप्ति के प्रकाशन द्वारा प्रख्यापित किया जायगा, और निगम के लिए यह आवश्यक होगा कि स्वयं अपने अधिकार से योजना स्वीकृत करने की दशा में, तुरन्त ही इसकी सूचना राज्य सरकार

को भेज दे; और राज्य सरकार को सूचनार्थ धारा 360 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित विवरण भी प्रस्तुत करें।

364. **स्वीकृति के पश्चात् विकास योजना में परिवर्तन**—राज्य सरकार द्वारा अथवा स्वयं अपने अधिकार से निगम द्वारा किसी योजना को स्वीकृत कर लिये जाने के पश्चात् किसी समय, किन्तु उसके पूर्ण हो जाने के पूर्व, निगम उसमें परिवर्तन कर सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) योजना से राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने की दशा में यदि किसी परिवर्तन के कारण योजना की कार्यान्विति के सम्बनध में अनुमानित लागत एक रूपये से अधिक बढ़ जाने का तखमीना हो तो बिना राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के उक्त परिवर्तन नहीं किया जायगा;

(ख) निगम द्वारा स्वयं अपने अधिकार से स्वीकृत की गई किसी योजना की दशा में उक्त परिवर्तन राज्य सरकार के सूचनार्थ भेजा जाएगा;

(ग) यदि किसी परिवर्तन के कारण किसी ऐसी भूमि के अनुबन्ध (agreement) द्वारा अर्जन से भिन्न अर्जन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, तो उसके सम्बन्ध में इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में विहित प्रक्रिया का ही, जहां तक वह लागू हो सकती हो, इस प्रकार अनुसरण किया जायगा मानों उक्त परिवर्तन एक अलग योजना ही हो।

365. **विकास योजना के लिए अपेक्षित भूमि का अर्जन**—(1) इस अध्याय के अधीन किसी योजना के स्वीकृत कि ये जाने पर मुख्य नगराधिकारी किसी भी व्यक्ति से किसी ऐसी भूमि को, जिसे विकास योजना के सम्बन्ध में अर्जित करने के लिए वह प्राधिकृत हो, अथवा उस भूमि से सम्बद्ध किसी स्वत्व (interest) को खरीदने, पट्टे पर लेने अथवा विनियम के लिए अनुबन्ध कर सकता है।

(2) इस अध्याय के अधीन स्वीकृत किसी विकास योजना के प्रयोजनार्थ निगम इस अध्याय द्वारा संशोधित लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 के उपबन्धों के अधीन भूमि अथवा भूमिगत कोई स्वत्व अर्जित कर सकती है।

(3) मुख्य नगराधिकारी किसी विकास योजना के प्रयोजनों के लिए धारा 273 की उपधारा (2) तथा धारा 190 के अधीन प्राप्त अधिकारों को काम में ला सकता है।

(4) इस अध्याय के अधीन किसी भावी सड़क—योजना या किसी नगर प्रसार—योजना से भिन्न अधिकृत विकास—योजना के निमित्त भूमि तथा भूमि में स्वत्व का समस्त अर्जन धारा 363 के अधीन योजना के विज्ञाप्ति किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि केक भीतर कम से कम निर्णय (award) देने के स्तर तक पूरा कर दिया जायगा और कोई भी भूमि जिसके सम्बन्ध में अर्जन इस प्रकार पूरा नहीं किया गया है तथा उसकास्वामी और अध्यासी इस अध्याय के अधीन किसी दायित्व के अधीन नहीं रह जायेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्टस, 1919 की धारा 42 या कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 की धारा 60 के अधीन अधिसूचित (भावी सड़क योजना या नगर प्रसार योजना से भिन्न) किसी ऐसी विकास योजना के सम्बन्ध में, जिसे धारा 577 के खंड (ग) के प्रभाव से इस प्रकार जारी रखा जा सकता है मानों वह इस अधिनियम के अधीन प्रारम्भ की गयी हो, इस उपधारा का ऐसा अर्थ लगाया जायेगा मानों शब्द तथा अंक ''धारा 363 के अधीन योजना के विज्ञाप्ति किये जाने के दिनांक से

पांच वर्ष की अवधि के भीतर'' के स्थान पर शब्द तथा अंक ''31 दिसम्बर, 1973 को या इससे पूर्व'' रखे गये हों;

(ख) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के पूर्व धारा 363 के अधीन अधिसूचित किसी विकास योजना के सम्बन्ध में इस उपधारा का ऐसा अर्थ लगाया जायेगा मानों शब्द ''पांच वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''दस वर्ष'' रखे गये हों :

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध हयह है कि राज्य सरकार, पांच वर्ष या दस वर्ष की उक्त अवधि या जैसी भी दशा हों, 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त होने वाली उक्त अवधि व्यतीत होने के पूर्व सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उक्त अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

366. **भवन इत्यादि के संबंध में निर्बन्धन (restriction)**—जब कि बस्ती सुधार (slum clearance) योजना के विषय में धारा 357 के अधीन कोई नोटिस प्रकाशित हो जाय तो कोई व्यक्ति अस्वास्थ्यकार (insanitary) तथा पुनर्निर्माण क्षेत्रों में समाविष्ट किसी भवन को निर्मित, पुनर्निर्मित, परिवर्द्धित अथवा परिवर्तित नहीं करेगा या किसी भूमि का अन्यथा विकास नहीं करेगा, सिवाय उक्त कार्य योजना के क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट पुनर्निर्माण नियोजन (rebuilding plan) के अनुसार तथा ऐसे निर्बन्धनों (restrictions) एवं शर्तो के अधीन रहते हुए किये जायं जिसे लगाना मुख्य नगराधिकारी उचित समझें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई स्वामी जो अपनी भूमि के प्रयोग पर इस प्रकार लगाई गई शर्तो तथा निर्बन्धनों के कारण अथवा मुख्य नगराधिकारी द्वारा बाद में ऐसी किसी शर्त अथवा निर्बन्धन को रद्द अथवा परिष्कृत करना अस्वीकार कर दिये जानें के कारण क्षुब्ध हो, तो वह तीस दिन के भीतर न्यायाधीश को अपील कर सकता है। न्यायाधीश इस विषय में, जैसा वह उचित समझेगा आज्ञा दे देगा तथा न्यायाधीश की आज्ञा अंतिम होगी :

367. **भवनों को गिराने का आदेश**—मुख्य नगराधिकारी विकास समिति की स्वीकृति से स्वीकृति को विज्ञप्ति की धारा 363 के अधीन प्रकाशित के पश्चात् किसी भी समय, अस्वास्थ्यकार क्षेत्र में समाविष्ट किसी भवन अथवा भवनों के अध्यासियों से अपेक्षा कर सकता है कि वे उन्हें गिराये जाने के प्रयोजन के लिए, नोटिस से ती न मास केक भीतर खाली कर दें तथा ऐसे भवन अथवा भवनों के स्वामी या स्वामियों से अपेक्षा कर सकता है कि उन्हें एक मास की अतिरिक्त अवधि के भीतर गिरा दें, तथा यदि उकत अवधि की समाप्ति के पूर्व भवन गिरा नहीं दिकया जाता है तो मुख्य नगराधिकारी स्वामी के जोखिम (risk) तथा व्यय पर उक्त भवन अथवा भवनों को गिराने की कार्यवाही करेगा, उसके मलबे (material) को बेचेगा तथा उस स्थान को साफ करायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भवनों को खाली किये जाने तथा गिराये जाने का कार्य एक ही समय में किया जा सकता है।

367 क. **योजना का परित्याग**—निगम राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी भी समय और ऐसी शर्तो के अनुसार, जो वह आरोपित करे, यू0पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 की धारा 42, कानपुर अरबन एरिया डेलवपमेंट ऐक्ट, 1945 की धारा 60 या इस अधिनियम की धारा 363 के अधीन विज्ञप्ति किसी योजना का परित्याग कर सकती है, और इस प्रकार परित्याग करने पर कोई भूमि जिसके संबंध में अभिनिर्णय देने के प्रक्रम तक

अर्जन पूरा न हुआ हो, और ऐसी भूमि का स्वामी तथा अध्यासी इस अध्याय के अधीन किन्हीं दायित्वों के अधीन न रह जायेंगे।

368. **भूमि निस्तारित करने का अधिकार**—इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधनी रहते हुए निगम इस अध्याय के अधीन अपने द्वारा अर्जित अथवा अपने में किनहित किसी भूमि को बनाये रख सकती है, पट्टे पर दे सकती है, बेच सकती है, विनियम कर सकती है अथवा उसे अन्यथा निस्तारित कर सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अध्याय के अधीन किसी योजना के निमित्त अर्जित भूमि को पट्टे पर देने, बेचने, विनियम करने अिवा उसे अन्यथा निस्तारित करने में प्राथमिकता उस आयति तक तथा उस रीति से, जो विहित की जाय, उन व्यक्तियों को दी जायेगी जिनकी भूमि योजना के निमित्त अर्जित की गयी हो।

369. **परिमापन करने के अधिकार**—मुख्य नगराधिकारी, जब कभी वह समझे कि इस अध्याय के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए किसी भूमि का परिमापन आवश्यक है, उस भूमि का सर्वेक्षण करा सकता है।

370. **प्रविष्टि के अधिकार**—(1) मुख्य नगराधिकारी, धरा 562 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने सहायकों तथा श्रमिकों (workmen) के साथ अथवा उसके बिना ही किसी भूमि में अथवा पर—

(क) कोई निरीक्षण, परिमापन, पैमाइश, मूल्याकंन अथवा जांच करने;

(ख) सतह लेने (take-levels);

(ग) भूमिगत मिट्टी (sub-soil) खोदने अथवा भेदने (bore);

(घ) चौहदिदयॉ (bounderies) तथा अभिप्रेत कार्यरेखाएं (line of works) निर्धारित करने ेमज.वनज);

(ङ) ऐसी सतहों (levels); चौहद्दियों तथा रेखाओं को चिन्हों द्वारा तथा खाई खोद कर चिन्हित करने; या

(च) अन्य कोई कार्यवाही करने;

के लिए जब कभी इस अध्याय अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम, उपविधि या स्वीकृत योजना के किसी प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, प्रवेश कर सकता है।

(2) यदि उपधारा (1) के अनुसरण में मुख्य नगराधिकारी के किसी भूमि में अथवा पर प्रवेश करने के कारण कोढ़ क्षति पहुंचे तो निगम उसे पूरा करेगी।

(3) मुख्य नगराधिकारी निरीक्षण अथवा छानबीन (serach) के प्रयोजन से प्रवेश कर सकता है तथा वह कोई दरवाजा, फाटक (gate) अथवा अन्य कोई अवरोध (barrier) खोल अथवा खुलवा सकता है, यदि—

(क) वह यह समझे कि उसका खोला जाना उक्त प्रवेश, निरीक्षण अथवा छानबीन के लिए आवश्यक है; और

(ख) उसका स्वामी अथवा अध्यासी अनुपस्थित हो, अथवा उपस्थित होने पर भी उक्त दरवाजा, फाटक अथवा अवरोध खोलने से इन्कार करें।

371. न्याययिक (**tribunal**) का संगठन–(1) राज्य सरकार एक न्याययिधकरण संगठित करेगी जिसके अधिकार तथा कर्तव्य वे होंगे जो आगे निर्दिष्ट किये गये हैं।

(2) यथास्थिति यूनाइटेड प्राविसेज टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 की धारा 57 अथवा कानपुर अर्बन एरिया डेलवपमेंट ऐक्ट, 1945 के अधीन संगठित न्यायाधिकरण नियत दिन से विघटित हो जायेगा।

(3) यथास्थिति, यूनाइटेड प्राविसेज टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 अथवा कानपुर अर्बन एरिया डेलवपमेंट ऐक्ट, 1945 के अधीन संगठित न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन सभी वाद अथवा कार्यवाहियों की सुनवाई अथवा संचालन उपधारा (1) के अधीन संगठित न्यायाधिकरण उसी भांति करेगा मानों कि वे उक्त न्यायायिकरण के समक्ष ही प्रस्तुत की गई हों, तथा इस अधिनियम के उपबन्ध तथा तदन्तर्गत निमित्त कोई नियम उक्त सभी वादों तथा कार्यवाहियों पर प्रवृत्त होंगें।

372. न्यायाधिकरण के कर्तव्य–(1) लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त निगम के लिए भूमि अर्जन संबंधी समस्त विषयों के संबंध में न्यायाधिकरण न्यायालयोंक के कृत्यों का निर्वहन करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि न्यायाधिकारण तब तक ऐसे किसी दावें की सुनवाई नहीं करेगा जब तक कि दावा करने वाला व्यक्ति न्यायालय में प्रतिभूति के रूप में वाद व्यय के लिए 7,000 रू0 से अनधिक की ऐसी धनराशि, जिसे नयायाधिकरण निश्चित करे, और जो दावा करने वाले व्यक्ति के असफल होने पर उसके विरोधी पक्ष को दी जा सके, न जमा कर दे।

(2) न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अध्याय 7 जैसा कि वह धारा 129–क के अन्तर्गत निगम के भू–गृहादि पर लागू है, में अभिदिष्ट कृत्यों का भी सम्पादन करेगा।

373. न्यायाधिकरण के सदस्यगण–(1) न्यायधिकरण एक सदस्य का होगा जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जायेगा, से मिलकर बनेगा।

(2) उक्त सदस्य जिला जज से अन्यून पद का एक व्यवहार न्यायिक पदाधिकारी (Civil Judical officer) होगा :

{***}

(3) उक्त सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा,

(4) यदि किसी कारण से नयायधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो जाय तो राज्य सरकार उस रिक्ति की पूर्ति के लिए इस धारा के अनुसार दूसरा व्यक्ति नियुक्त करेगी, ओर न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उसी प्रक्रम से जिस पर रिक्ति की पूर्ति की जाय जारी रखी जा सकती है।

(5) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व (सभापति और दो असेसरों से मिलकर बने) न्यायाधिकारके समस्त विचाराधीन कोई कार्यवाही, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् न्यायाधिकरण के समक्ष, जिसमें उसके पीठासीन अधिकारी के रूप में उक्त सभापति हो, उस प्रक्रम से जिस पर नयायाधिकरण के संगठन में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय, जारी रखी जा सकती है।

374. **पारिश्रमिक**—न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी को निगम द्वारा ऐसा निश्चित (fixed) पारिश्रमिक, यदि कोई हो, दिया जायेगा जो राज्य सरकार विहित करे।

375. **न्यायाधिकार के कर्मचारी**—(1) न्यायाधिकरण समय—समय पर एक विवरण तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित दिखलाये जायेंगें—

(क) न्यायाधिकरण के लिए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या तथा उनकी कोटि (grade);

(ख) वेतन जो प्रत्येक कर्मचारी को दिया जायेगा।

(2) न्यायाधिकारण के कर्मचारी की सेवा के निबन्धन तथा शर्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

376. **लैंड ऐक्टवीजिशन ऐक्ट, 1894 परिष्कार**—लैन्ड एक्वीशिजन ऐक्ट 1894 के अधीन निगम के निमित्त भूमि अर्जित करने के प्रयोजन के लिए, चाहे वह इस अधिनियम के इस अध्याय के अधीन हो, अथवा अन्य किसी अध्याय के—

(क) उक्त ऐकट इस अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट परिष्कारों के अधीन रहेगा;

(ख) न्यायाधिकरण का निर्णय (award), लैंड ऐक्टवीजिशन ऐक्ट, 1894 तथा इण्डियन, एवीडेन ऐक्ट, 1872 के उपबन्ध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, न्यायाधिकरण के समक्ष की जाने वाली सभी कार्यवाहियों पर प्रवृत्त होंगेंक।

377. **न्यायाधिकारण पर प्रवृत्त विधि**—कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 तथा इण्डियन एवीडेन्स ऐक्ट, 1872 के उपबन्ध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अंसगत न हो न्यायाधिकरण के समख की जाने वाली सभी कार्यवाहियों पर प्रवृत्त होंगें।

378 {***}

379 **न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा**—धारा 381 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा तथा इस पर किसी विधिक न्यायालय में आपत्ति नहीं की जोयगी।

380. **न्यायाधिकरण की आज्ञा का प्रवर्तित किया जाना**—धन की अदायगी के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण की प्रत्येक आज्ञा प्रार्थना—पत्र दिये जाने पर नगर के लघुवाद न्यायालय (Court of Small Causes) द्वारा इसी प्रकार प्रवर्तित की जायेगी, मानो कि वह उस न्यायालय की कोई डिक्री हो।

381. **अपीलें**—(1) न्यायाधिकरण के किसी निर्णय की अपील हाईकोर्ट में की जा सकेगी यदि—

(क) न्यायाधिकरण इस आशय का प्रमाण पत्र दे कि उक्त मामला अपील किये जाने योग्य है, अथवा

(ख) हाईकोर्ट अपील के लिए विशेष अनुमति दे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि हाईकोर्ट ऐसी विशेष अनुमति तब तक न देगा, जब तक कि न्यायाधिकरण ने खण्ड (क) के अधीन प्रमाण पत्र देना अस्वीकृत न कर दिया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन केवल निम्नलिखित एक या एकाधिक आधारों पर की जा सकेगी, अर्थात्–

(क) निर्णय किसी विधि अथवा विधि का प्रभाव रखने वाली किसी प्रथा (usage) के प्रतिकूल है,

(ख) निर्णय में विधि अथवा विधि का प्रभाव रखने वाली किसी प्रभा से संबद्ध किसी सारवान विषय (material issue) का निर्धारण नहीं किया गया है,

(ग) कोई ऐसी सारवान भूत अथवा त्रुटि रह गयी है, जिसके कारण गुण–दोष के आधार पर (on merits), किसी मामलें के निर्णय में तथ्य या विधि (point of fact or of law) संबंधी कोर्ठ भूल अथा त्रुटि हो गई है।

(3) पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी भी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन कोई अपील नहीं की जा सकेगी, जब तक कि अपीलकर्ता ने यह धनराशि न जमा कर दी हो, उस आज्ञा के अधीन जमा करना उसका दायित्व हो, जिसके विरूद्ध अपील दायर की गई है।

(4) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मूल डिग्रियों (decrees) की अपीलों के विषय में कोड आफ सिविल प्रोसीजन, 1908 के उपबन्धों तथा संभव इस अधिनियम के अधीन अपीलों पर लागू होंगें।

(5) (1) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रमाण–पत्र दिये जाने के लिए प्रार्थना–पत्र न्यायाधिकरण के निर्णय के दिनांक से तीस दिन के भीतर दिया जा सकता है।

(2) न्यायाधिकरण के निर्णय के विरूद्ध उक्त प्रमाण–पत्र दिये जानके दिनांक से साठ दिन के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) कके अधीन अपील के लिए विशेष अनुमति के निमित्त हाईकोर्ट को प्रार्थना–पत्र उक्त प्रमाण–पत्र अस्वीकार करने की आज्ञा के दिनांक से साठ दिन के भीतर दिया जा सकता है।

(5–क) उपधारा 5) के अधीन अपील या प्रार्थना–पत्र के सम्बपनध में परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 और 12 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तना के साथ लागू होंगे।

(6) इस अधिनियम के अधीन किसी अपील पर हाईकोर्ट की आज्ञा, प्रार्थना–पत्र देने पर, नगर के लघुवाद न्यायालय (Court of Small Causes) द्वारा उसी प्रकार प्रवचर्तित की जायेगी मतानों वह उसी न्यायालय की कोई डिग्री हो।

382. **वृक्षों तथा वनभूमियों का परिरक्षण**–(1) यदि विकास समिति को प्रतीत हो कि सुख–सुविधा के हित में नगर की किसी वन भूमि अथवा वृक्षों का परिरक्षण (preservation) इष्टकर है, तो मुख्य नगराधिकारी को निम्नलिखित की आज्ञा देने के लिए प्राधिकृत कर सकती है–

(क) मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के बिना आज्ञा में निर्दिष्ट किसी वृक्ष अथवा वृक्ष–समूहों को काट कर गिराने, उनकी ऊंचाई छाटने (lopping), डाल काटने (lopping) अथवा जानबुझा कर उन्हें नश्ट करने का प्रतिशेध;

(ख) वनभूमि के किसी ऐसे भाग में, जहां के वृक्ष, वन प्रबन्ध संबन्धी क्रियाओं के दौरान में मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा से अथवा बिना उसकी अनुज्ञा के गिरा दिये गये हों, आज्ञा में उल्लिखित रीति के अनुसार फिर से पौधे लगवाना (replanting)।

(2) उपधारा (1) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उस पर उक्त आज्ञा की तामील के दिनांक से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है तथा राज्य सरकार ऐसी किसी अज्ञाा की पुष्टि बिना किसी परिष्कार के अथवा ऐसे परिष्कारों के अधीन जिन्हें वह उचित समझे, कर सकती है अथवा उसके प्रतिसंहत (revoke) कर सकती है।

383. नगर के लिए महायोजना–(1) निगम इस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों द्वारा विहित रीति से तथा शर्तो के अधीन रहते हुए नगर के लिए एक महायोजना तैयार कर सकती है तथा राज्य सरकार द्वारा ऐसा अपेक्षित होने पर वह ऐसा अवश्य करेगी।

स्पष्टीकरण–इस धारा में ''महायोजना'' से तात्पर्य है वह विस्तृत योजना, जिसमें निम्नलिखित को वर्तमान तथा प्रस्तावित स्थिति (location) एवं उनका सामान्य विन्यास (general layout) दिखलाया गया हो–

(क) मुख्य सड़कें (Arterial streets) तथा यातयात के रास्ते;

(ख) आवासिक खंड (Residential Sections);

(ग) व्यवसाय क्षेत्र (Busines area)

(घ) औद्योगिक क्षेत्र;

(ङ) शिक्षा संस्थाएं;

(च) सार्वजनिक उद्यान, खेल के मैदान तथा मनोरंजन की अन्य सुविधाएं;

(छ) सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक भवन;

(ज) भूमि के अन्य प्रयोग जो आवश्यक हों।

(2) महायोजना प्रत्येक 10 वर्ष के अन्त में पुनरीक्षित की जायेगी तथा यदि निगम उचित समझे तो उससे पहले भी पुनरीक्षित की जा सकती है।

(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विकास योजनाएं, नयी, सड़कों, नालियों, उद्यानों, फैक्ट्रियों तथा भवनों का विन्यास यथासंभव महायोजना के अनुरूप होगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात यू0पी0 टाउन इम्प्रपूवमेंट ऐक्ट, 1919 अथवा कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 के अधीन पहले से ही स्वीकृत विकास योजनाओं पर लागू न होगी।

383.क– नगर के लिए विकास योजना तैयार करना–(1) निगम नगर के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट योजना को नियमों द्वारा विहित रीति से निगम की विकास समिति द्वारा तैयार किया जायेगा।

(3) योजना को निगम के समक्ष रखा जायेगा जो उसे उपान्तरों सहित या बिना किसी उपान्तर के ऐसे रूप में अनुमोदित कर सकता है जैसा वह उचित समझे और मुख्य नगर अधिकारी इसे संविधान के अनुच्छेद 243–यध में उल्लिखित जिला योजना समिति को उस दिनांक तक जो नियमों द्वारा विहित किया जाये, प्रस्तुत करेगा।''

384. नियम बनाने का अधिकार–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :–

(क) न्यायाधिकरणों के कार्यो का संचालन जो कोर्ड आफ सिविल प्रोसीजन के प्रतिकूल न हो;

(ख) विकास योजनाओं के सम्बनध में सरकारी तथा वैयक्तिक (public and personal) नोटिसें देने की रीति;

(ग) विकास योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में निगम द्वारा राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना;

(घ) नगर की महायोजना को तैयार करने तथा उसके पुनरीक्षण से सम्बन्धित सभी विषय; तथा

(ङ) भूमि प्रयोग सम्बन्धी परिवर्तनों का विनियम।

अध्याय 15
सफाई व्यवस्था
सड़क की सफाई तथा स्वच्छता

385. मुख्य नगराधिकारी द्वारा सड़क की सफाई और कूड़ा–करकट हटाने के संबंध में की जाने वाली व्यवस्था–समस्त सड़कों और भू–गृहादि की उत्तम सफाई एवं स्वच्छता (scavenging and cleansing) के प्रयोजनार्थ मुख्य नगराधिकारी निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा :

(1) शहरी की सभी सड़कों की सफाई (surface cleansing) और उन पर ढेर किये गये कूड़े–करकट को हटाना;

(2) निम्नलिखित को अस्थायी रूप से रखने के लि उचित और सुविधाजनक स्थानों (situations) में, सार्वजनिक पात्रों (public receptacles), संग्रहागारों (depots) और जगहों (places) की व्यवस्थ का निर्धारण–

(क) धूल, राख, कूड़ा–करकट तथा गन्दगी,
(ख) व्यापारिक कूड़ा–करकट
(ग) मृत पशुओं के शब,
(घ) मलमूत्र और दूषित वस्तुयें

(3) समस्त पात्रों (receptacles) तथा संग्रहागारों (depots) के भीतर की वस्तुओं (contents) और धूल, राख, कूड़ा–करकट, गन्दगी, व्यापारिक कूड़ा–करकट, मृत पशुओं के शव और मलमूत्रादि तथा दूषित वस्तुओं को अस्थायी रूप से जमा करने के लिए उसके हटाना इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन व्यवस्थित या निर्धारित समस्त स्थानों पर जमा वस्तुओं को हटाना :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (2) के खंड (क) से (घ) तक में उल्लिखित कूड़े–करकट आदि का अन्तिम रूप से निस्तारण निगम या राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य विशेष निर्देशों के अधीन होगा।

386. गैर सरकारी अभिकरण द्वारा हटाये गये कूड़ा करकट आदि के निस्ताश्रण का विनियमन–(1) मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति की पूर्व स्वीकृति से सार्वजनिक नोटिस द्वारा जो नियमों में विहित रीति से दिया जायेगा, ऐसे समय, ऐसी रीति ओर शर्तो आदि के सम्बन्ध में, जिनके अनुसार या जिनके अधीन द्वारा 385 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कूड़ा–करकट आदि सड़क पर से हटाया, वहां जमा किया या अन्यथा निस्तारित किया जा सकता है, आदेश जारी कर सकता है।

(2) उपर्युक्त अधिकरों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये किसी आदेश द्वारा बात की अपेक्षा की जा सकती है कि निजी तौर पर (Private) सफाई करते समय मेहतरों (scavangers) द्वारा जमा किया गया ऐसा सारा कूड़ा–करकट, जो धारा 385 की उपधारा (2) में उल्लिखित है, उक्त खंड के अधीन व्यवस्थित या निश्चित सार्वजनिक पात्रों, संग्रहागारों और स्थानों में जमा किया जायेगा।

(3) जब उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश जारी किया गया हो, तो कोई भी व्यक्ति धारा 385 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कूड़े–करकट आदि को ऐसे आदेश का उल्लंघन करते हुए सड़क पर से न हटाएगा, न जमा करेगा और न अन्य किसी प्रकार से उसका निस्तारण ही करेगा।

387. कूड़ा–करकट आदि निगम की सम्पत्ति होगी–धारा 385 के अधीन व्यवस्थति अथवा निश्चित सार्वजनिक पात्रों, संग्रहागारों और स्थानों में जमा सभी चीजें (matter) और उक्त धारा तथा 386 के अनुसार निगम कर्मचारियों अथवा ठेकेदारों द्वारा इकट्ठी की की गयी सभी चीजें निगम की सम्पत्ति होगी।

388. मुख्य नगराधिकारी मलमूत्रादि तथा दूषित वस्तुओं को जमा करने इत्यादि के संबंध में व्यवस्था कर सकता है–(1) मुख्य नगराधिकारी अपने इस आशय का एक सार्वजनिक नोटिस दे सकता है कि वह नगर के किसी ऐसे भाग में, जिसे वह निर्दिष्ट करें, संडासों (privies), मूत्रालयों तथा मलकूपों (cesspools) में सभी मल–मूत्र और दूषित वस्तुओं को किसी निगम अभिकरण (municipal agency) द्वारा इकट्ठा कराने, हटाने और निस्तारण करने के निमित्त व्यवस्थ करना चाहता हौर ऐसा करने पर मुख्य नगराधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह नगर के उक्त भाग में स्थिति सभी भू–गृहादि से उक्त वस्तुओं के प्रतिदिन इकट्ठा करने, हटाने और निस्तारण की व्यवस्था करें

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भाग और किन्हीं भू–गृहादि में, वे चाहे जहां भी स्थित हों, जहां किसी निगम नाली से जुड़ा हुआ (connected) कोई नाबदान (water closet) अथवा संडास हो किसी भी व्यक्ति के लिए जो मुख्य नगराधिकारी द्वारा अथवा उसकी ओर से नियेाजित न किया गया हो, बिना मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के, यह वैध (lawful) न होगा कि वह मेहतरों के किन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन करें।

389. कतिपय स्थानों पर विशेष सफाई का प्रबन्ध–(1) मुख्य नगराधिकारी किसी मन्दिरस, मठ, मस्जिद, कब्र अथवा धार्मिक उपासना या धर्मोपदेश अथवा मनोरंजन के किसी स्थान के, जहां विशेष अवसरों पर अधिक संख्या में जनता एकत्र हतोती हो आसपास किसी ऐसे स्थान में जो मेलों, त्यौहारों अथवा

सार्वजनिक समारोहों के आयोजन के निमित्त प्रयुक्त होता हो, सफाई बनाए रखने के निमित्त ऐसे विशेष प्रबन्ध कर सकता है जिन्हें वह पर्याप्त समझे।

(2) मुख्य नगराधिकारी ऐसे व्यक्ति को, जिसके नियंत्रण में उपुर्यक्त कोई स्थान हो, यह आदेश दे सकता है कि वह उपधारा (1) के अधीन किए गए विशेष कार्यो पर हुए व्यय का वह अंश (contribution) निगम को अदा करे, जिसे कार्यकारिणी समिति समय–समय पर निश्चित करें, और ऐसा व्यक्ति उसास्थानसे सम्बद्ध निधियों में से उक्त अंश अदा करने के लिए बाध्य होगा।

भू–गृहादि के निरीक्षण और सफाई सम्बन्धी विनियमन

390. **सफाई के प्रयोजन से भू–गृहादि के निरीक्षण का अधिकार**–(1) मुख्य नगराधिकारी किसी भी भवन अथवा दूसरे भू–गृहादि की सफाई की दशा जानने के प्रयोजन से उसका निरीक्षण कर सकताहै।

(2) यदि सफाई बनाये रखने के लिए मुख्य नगराधिकारी को ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो तो वह लिखित नोटिस द्वारा किसी भवन के स्वामी या अध्यासी को उस भवन या उसके किसी भाग को चूने द्वारा सफाई कराने, वहां कीटाणुनाशक द्रव का छिड़काव कराने (disinfect) अथवा अन्य प्रकार से उसे साफ कराने के आदेश दे सकता है।

391. **मनुष्यों के रहने के लिए अयोग्य भवन अथवा भवनों के कमरे**–(1) मुख्य नगराधिकारी का यह मत हो कि कोई भवन या भवन का कोई भाग, जो निवास के लिए अभिप्रेत हो अथवा प्रयुक्त होता हो, मनुष्यों के रहने के लिए अयोग्य है तो वह कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से और जब तक उसकी राय में अध्यासी के लिए तात्कालिक खतरा (imminent danger) न हो, ऐसे भवन के स्वामी या अध्यासी को कारण बताने का विहित रीति से अवसर देने के पश्चात् लिखित आज्ञा द्वारा उक्त भवन याउसके भाग को रहने के प्रयोजनार्थ उस समय तक उपयोग में लाने का प्रतिषेध कर सकता है जब तक वह निवासि के योग्य न बना दिया जाय।

स्पष्टीकरण–इस धारा में पदावलि ''मनुश्यों के रहने के लिए अयोग्य'' से तात्पर्य है स्वच्छता की त्रुटि के कारण अर्थात् वायु के लिए स्थाान अथवा संवीजन स्थान का अभाव, अंधेरा, सीलन, समुचित तथा शीघ्र प्राप्त जल या स्वच्छावास (sanitary accomodation) या अन्य विधाओं के अभाव तथा आंगन या मार्गो में जल निस्सारण की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण मनुष्यों के रहने के लिए अयोग्य।

(2) जब उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई आज्ञा दे दी गयी हो तो भवन का स्वामी अथवा अध्यासी उस भवन की मनुष्यों के रहने के लिए तब तक प्रयुक्त नही करेग, और न करने देगा, जब तक मुख्य नगराधिकारी यह प्रमाणित न करे दे कि वह भवन, रहने के योग्य हो गया है।

(3) जब मुख्य नगराधिकारी ने उपधारा (1) के अधीन कोई आज्ञा दी है तो वह भवन के स्वामी अथवा अध्यासी को लिखित रूप में ऐसे अनुदेश (instructions) देगा कि उक्त भवन अथवा भवन के भाग को मनुष्यों के रहने योग्य बनाने के निमित्त कौन–कौन से सुधार अथवा परिवर्तन किये जाने अपेक्षित है।

(4) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) का उल्लंघन करके किसी भवन अथवा कमरे को प्रयुक्त करने वाले किसी व्यक्ति को पुलिस के किसी पदाधिकारी अथवा निगम के किसी कर्मचारी द्वारा उस भवन अथवा कमरे से निकलवा सकता है।

(5) धारा 334 की उपधारा (5) और (6) के उपबन्ध, मुख्य नगराधिकारी द्वारा जारी किये गये इस आशय के प्रमाण–पत्र पर कि यथास्थिति भवन अथवा का भाग मनुष्यों के रहने के योग्य हो गया है उसी प्रकार लागू होंगें, मानो ऐसा प्रमाण–पत्र उपर्युक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये नोटिस का वापस लेना (withdrawal) हो।

392. अस्वास्थ्यकर भवनों को मरम्मत कराने का आदेश देने का अधिकार–(1) यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि रहने के लिए अभिप्रेत अविा प्रयुक्त कोई भवन किसी प्रकार से मनुष्यों के रहने के योग्य नहीं है, तो वह लिखित नोटिस द्वारा उस भवन के स्वामी को यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे कारण बतायें कि उस भवन में ऐसे कार्य सम्पादित करने अथवा ऐसे परिवर्तन करने की आज्ञा क्यों न दी जाय कि वह मनुष्यों के रहने के योग्य हो जाय।

(2) इस धाारा के अधीन भवन के स्वामी पर नोटिस तामील करने के साथ ही मुख्य नगराधिकारी जब नोटिस की प्रतिलिपि किसी ऐसे अन्य व्यक्ति पर तामील कर सकता है जो उक्त भवन में या उस भूमि जिस पर यह भवन निर्मित किया गया हो, चाहे बन्धकी (mortagagee), पट्टेदार (lessee) अथवा अन्य किसी रूप में कोई स्वत्व (interest) रखता हो।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट अथवा अन्य व्यक्ति कोई आपत्ति प्रस्तुत न करे अथवा आपत्तियों पर सुनवाई करने के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो जाय कि उस भवन को मनुष्यों के रहने के योग्य बनाने के लिए उसमें निर्माण कार्यो का सम्पादन अथवा परिवर्तन करना आवश्यक है तो वह लिखित नोटिस द्वारा भवन के स्वामी को यह आदेश देगा कि वह 21 दिन से अन्यून किसी ऐसी उचित अवधि के भीतर, जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाय, उक्त कार्य का सम्पादन अथवा उक्त परिवर्तन करें।

(4) यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी आवास (dwelling) को मनुष्यों के रहने के अयोग्य दशा में बनाये रखने से किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को हो सकने वाले आसन्न संकट को रोकने के प्रयोजनों के लिए तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है, तो वह उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी करने का परित्याग कर सकता है, तथा उपधारा (3) में निर्दिष्ट नोटिस तत्काल जारी कर सकता है और उसकी एक प्रति उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति पर तामील कर सकता है।

393. अस्वास्थ्यकर भवनों को गिरवाने की आज्ञा देने का अधिकार–(1) मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि कोर्ठ भवन जो रहने के लिए अभिप्रेत हो अथवा एतदर्थ प्रयुक्त होता हो, मनुश्यों के रहने योग्य नहीं है, और उचित व्यय करने के बाद भी इसे रहने के योग्य नहीं बनाया जा सकता है तो वह भवन के अध्यासी और भवन के स्वामी पर एक नोटिस तामील करेगा जिसमें उस दिनांक को, जो नोटिस तामील होने के बाद 21 दिन से अन्यून होगा और उस स्थान को उल्लिखित कर दिया जायेगा जहां कार्यकारिणी समिति द्वारा भवन की दशा और निर्माण–कार्य के सम्पादन के विषय में किसी प्रस्ताव (offer) अथवा भवन के भावी उपयोग के संबंध में विचार किया जायेगा और प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे उक्त नोटिस दिया गया होगा, मामलें पर विचार करने के समय अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिस पर उपधारा (1) के अधीन कोई नोटिस तामील किया गया हो नोटिस तामील होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कार्य केक सम्पदन के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव रखना चाहता हो, तो वह अपना प्रस्ताव (offer) प्रस्तुत करने के

आशय का एक लिखित नोटिस मुख्य नगराधिकारी पर तामील करेगा और ऐसी उचित अवधि के भीतर जो मुख्य नगराधिकारी निर्धारित करे वह उन निर्माण कार्यो की एक विवरण सूची उसके समक्ष रखेगा जिन्हें वह सम्पन्न करना चाहता है।

(3) मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से किसी भवन के स्वामी या उसमें स्वत्व रखने वाले (interested) किसी अन्य व्यक्ति से इस प्रकार का वचन (undertaking) ले सकता है, कि या तो वह, निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसमें ऐसे निर्माण कार्य करवायेगा, जिनसे वह भवन मुख्य नगराधिकारी की राय में, मनुष्यों के रहने के योग्य हो जाय वह भवन मनुष्यों के रहनेके लिए तब तक उपयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि मुख्य नगराधिकारी का यह समाधान न हो जाय कि वह भवन रहने के योग्य हो गया है और जब तक कि वह कार्यकारिणीसमिति के पूर्वानुमोदन से उक्त वचन को रद्द न कर दे।

(4) यदि मुख्य नगराधिकारी उपधारा (3) में उल्लिखित वचन स्वीकार नहीं करता, अथवा यदि किसी मामलें में मुख्य नगराधिकारी ने उक्त वचन स्वीकार कर लिया हो किन्तु उस वचन से संबद्ध निर्माण—कार्य निर्दिष्ट अवधि में किऐ न गये हों अथवा किसी समय भवन वचन की शर्तो के प्रतिकूल उपयोग में लाया गया हो तो मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से भवन को गिरवाने के निमित्त आज्ञा दे सकता है जिसमें वह आदेश भी होगा कि भवन को आज्ञा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो नोटिस के प्रभावी (operative) होने के दिनांक से 28 दिन से कम न होगी, खाली कर दिया जायेगा औरउतनी अतिरिक्त (further) अवधि के भीतर गिरवा दिया जायेगा, जिसे मुख्य नगराधिकारी उचित समझें। मुख्य नगराधिकारी उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर तामील करेगा जिस पर उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील किया गया था।

(5) यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति या सम्पत्ति अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकार के किसी भवन को आसन्न संकट से बचाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है और उक्त उपधारा के अधीन नोटिस देने में विलम्ब होने से उस धारा के अधीन कार्यवाही करने का उद्देश्य विफल हो जायेगा तो वह कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से यथाशक्य उस रीति से जिसकी व्यवस्थाा उपधारा (4) में की गयी है, किन्तु आज्ञा का पालन करने की कम से कम अवधि घटाकर 7 दिन करते हुए, उक्त भवन को गिरवाने की आज्ञा दे सकता है।

394. भवन गिराने की आज्ञा को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया—(1) धारा 393 के अधीन भवन गिराने की आज्ञा प्रभावी (operative) होने पर उस भवन का स्वामी आज्ञा में एतदर्थ निर्दिष्ट अविध के भीतर भवन को गिरवा देगा ओर यदि भवन निर्दिष्ट स्मय के भीतर न गिराया जाय तो मुख्य नगराधिकारी उसे गिरवाने और उसके मलवे (materials) को बेच देने की व्यवस्था कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा किए गए व्यय, मलवा बेचने से वसूल हुए रूपये का संधान करने के पश्चात् भवन के स्वामी द्वारा देय होंगे और व्यय चुकाने के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी अपने पास बचे हुए शेष धन को भवन स्वामी को वापस करेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (2) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा किए गए निर्णय से क्षुब्ध हो, 1 महीने की अवधि के भीतर जज को अपील कर सकता है।

395. भवनों को गिराने की आज्ञा के विरूद्ध—कोई व्यक्ति जो—

(1) धारा 391 की उपधारा (1) के अधीन दी गयी आज्ञा से; अथवा

(2) धारा 392 की उपधारा (3) अथवा उपधारा (4) के अधीन दी गयी आज्ञा से; अथवा

(3) भवन गिराने के संबंध में धारा 393 के अधीन दी गई आज्ञा, किन्तु जो उस धारा की उपधारा (5) के अधीन दी गयी आज्ञा न हो, से;

क्षुब्ध हो तो वह आज्ञा की प्रतिलिपि तामीन होने के पश्चात् 21 दिन के भीतर न्यायाधीश (judge) को अपील कर सकता है और जब तक उस अपील का अंतिम रूप से निर्णय न हो जाय तब तक मुख्य नगराधिकारी उस आज्ञा को जिसके संबंध में अपील की गई है, कार्यान्वित करने के बारें में कोई कार्यवाही नहीं करेगा।

पशुओं की लाशों का निस्तारण

396. पशुओं के शवों का निस्तारण—(1) मुख्य नगराधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह नगर के भीतर मरे हुए सभी पशुओं के शवों को हटाने की व्यवस्था करेकं।

(2) किसी भू–गृहादि जिसमें अथवा जिस पर कोई जानवर मरे अथवा जिसमें अथवा जिस पर किसी जानकार का शव पाया जायेगा, का अध्यासी और वह व्यक्ति, जो किसी ऐसे पशु का अवधायक (having the charge) हो तो किसी सड़क पर अथवा किसी खुले स्थान पर मरता है, उस जानवर के मरने के पश्चात् तीन घंटे के भीरत अथवा यदि वह पशु रात में मरता है तो सूर्योदय के पश्चात् 3 घंटे के भीतर, उसके मरने की रिपोर्ट निकटतम निगम स्वास्थ्य विभाग को करेगा।

(3) निगम अभिकरण (agency) द्वारा हटाए गए प्रत्येक शव को–चाहे वह किसी निजी भू–गृहादि से हटाया जाय या किसी सार्वजनिक सड़क या स्थानसे हटाने के निमित्त पशु के स्वामी को अथवा यदि स्वामी आज्ञात हो तो उस भू–गृहादि के अध्यासी को, जिसमें अथवा जिस पर उक्त जानवर मरा हो या उस व्यिक्ति को जिसके अवधारयन में उक्त पशु मरा हो, ऐसा शुल्क देना होगा जो मुख्य नगराधिकारी निर्दिष्ट करें।

397. स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खेती बाड़ी, खाद के उपयोग अथवा सिचाई का निषेध—''चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के निदेश या मुख्य चिकित्सा अधिकारी'' या नगर स्वास्थ्य अधिकारी यह प्रमाणित करे कि किसी निर्दिष्ट रीति से फसलों की किसी प्रकार की खेती–बाड़ी अथवा किसी प्रकार के खाद का उपयोग या किसी भूमि की सिंचाई–

(क) जो नगर की सीमाहों के भीतर किसी स्थान में की जाती हो, हानिकारक है या उससे ऐसी प्रक्रियायें उद्भूत होती हों जो पास–पड़ोस में रहने वालों के स्वास्थ्य के लिए हानिकर है; अथवा

(ख) जो उक्त नगर की सीमाओं के भीतर अथवा स्थित किसी स्थान में की जाती हैं, से ऐसे नगर के जल सम्भरण (water supply) के दूषित हो जाने अथवा अन्यथा पीने के प्रयोजनों के लिए जल के अनुपयुक्त (unfit) हो जाने की संभावना है;

तो मुख्य नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा उस फसल की खेती–बाड़ी, उक्त खादों का उपयोग अथवा सिचाई के उक्त साधनों के प्रयोग जो हानिकारक कहे जाते हें, का प्रतिषेध कर सकता है अथवा उनके संबंध में ऐसी शर्ते आरोपित कर सकता है जो उक्त हानि अथवा दूषण (contaminations) को रोंके :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी ऐसी भूमि पर जिसके सम्बन्ध में नोटिस जारी किया जा चुका हो, प्रतिषिद्ध कार्य प्रतिषेध के दिनांक से निरन्तर 5 वर्ष पूर्व तक साधारणतः खेती–बाड़ी के दौरान में किया जाता रहा हो तो उस भूमि में स्वत्व रखने वाले सभी व्यक्तियों को, जिन्हें उक्त प्रतिषेध द्वारा क्षति पहुंचेगी, निगम निधि में से प्रतिकरदिया जायेगा।

398. **हानिकर वनस्पतियों को साफ करने के लिए स्वामियों से अपेक्षा करने का अधिकार**–मुख्य नगराधिकारी नोटिस द्वारा किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी को किसी ऐसे वनस्पति या झांडी, (unbdergrowth) को साफ करने या हटाने का आदेश दे सकता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर या पड़ोसियों के लिए कष्टदायक हो।

सार्वजनिक स्नान, धुलाई आदिका विनियमन

399. **सार्वजनिक स्नान आदि के स्थान मुख्य नगराधिकारी द्वारा निश्चित किए जायेंगे और ऐसे स्थानों के उपयोग का विनियमन**–(1) मुख्य नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा समय–समय पर–

(क) जनता के लिए स्नान करने, पशुओं को धोने अथवा कपड़े धोने या सुखाने के प्रयोजनार्थ किसी नदी के भागों को या अन्य उपयुक्त स्थानों को, जो निगम में निहित हो, अलग कर देगा;

(ख) ऐसे समय निर्दिष्ट करेगा जब उन स्थानों का उपयोग किया जायेगा और यह भी निर्दिष्ट करेगा कि वे स्थान स्त्रियों द्वारा उपयोग में लाये जायेंगे अथवा पुरूषों द्वारा;

(ग) जनता द्वारा पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए किसी भी ऐसे स्थान का उपयोग प्रतिषिद्ध करेगा जो उन प्रयोजनों के लिए अलग न कर दिया गया हो;

(घ) उपर्युक्त किसी भी प्रयोजन के लिए जनता द्वारा नदी के किसी भी भाग के अथवा एसे स्थान के जो निगम में निहित न हो, उपयोग का प्रतिषेध करेगा;

(ङ) नदी के किसी भाग अथवा किसी अन्य स्थान का, जो निगम में निहित हो तथा मुख्य नगराधिकारी द्वारा पूर्वोक्त किन्हीं प्रयोजनों के लिए अलग कर दिया गया हो, जनता द्वारा उपयोग विनियमित करेगा; और

(च) जनता द्वारा उपर्युक्त किसी निगम भी प्रयोजन के लिए नदी के किसी भाग या अन्य किसी स्थान को, जो निगम में निहित न हो तथा किसी निर्माण कार्य और किसी निर्माण कार्य के जल को जो इस अधिनियम के अधीन किसी विशेष प्रयोजन के निमित्त विनिर्दिष्ट (assigned) तथा अलग कर दिया गया हो (set apart) प्रयोग विनियमित कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अलग किये गये किसी स्थान के किसी निर्दिष्ट (specified) वर्ग अथवा वर्गो के व्यक्तियों द्वारा या सामान्य जनता द्वारा प्रयोग के लिए मुख्य नगराधिकारी ऐसा शुल्क ले सकता है, जिसे कार्यकारिणी समिति निश्चित करें।

400. **आज्ञा के विपरीत स्नान करने का प्रतिषेध**–सिवाय जैसा कि मुख्य नगराधिकारी द्वारा दी गई किसी आज्ञा में अनुमति हो, कोई भी व्यक्ति–

(क) किसी झील, तालाब, जलाशय, फौव्वारें, जल–कुण्ड, प्रणालीस, बम्बे, सोते या कुएं या नदी के किसी भाग में अथवा निगम में निहित किसी अन्य स्थल में न नहायेगा;

(ख) किसी तालाब, जलाशय, सोते, कुएं अथवा खाई में कोई ऐसा पशु, वनस्पति (vegetable) या खनिज पदार्थ (mincral matter) न डालेगा जिससे उसक जल दूषित अथवा स्वास्थ्य के लिए भयप्रद (dangerous) हो जाय;

(ग) किसी संक्रामक, संसर्गजन्य अथवा घृणित रोग से ग्रस्त अव्स्था में किसी स्नान के प्लेट फार्म, झील, तालाब, जलाशय, फौव्वारे, जलकुण्ड प्रणाली, बम्बे, सोते या कुयें पर उसमें या उसके पास नहीं नहायेगा;

(घ) उक्त किसी स्थान या निर्माण–कार्य में या उसके पास कोई पशु, वस्त्र या अन्य वस्तुए न धोयेगा और धुलवायेगा;

(ङ) उक्त किसी स्थान या निर्माण–कार्य के जल में किसी पशु या वस्तु को न फेंकेगा, न वहां रखेगा और न प्रविष्ट होने देगा;

(च) उक्त किसी स्थान या निर्माण कार्य में या पर, न कोई वस्तु प्रवाहित करायेगा, न कराने देगा और न उसमें या उन पर कार्य करायेगा न कराने देगा, जिससे किसी भी अंश में जल गन्दा या दूषित हो जाय;

(छ) उक्त किसी स्थान में, या पर, कपड़े नहीं सुखायेगा;

(ज) मुख्य नगराधिकारी द्वारा धारा 399 के अधीनदी गयी किसी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए नदी के किसी भाग को अथवा किसी स्थान को, जो निगम में निहित न हो, उक्त धारा में उल्लिखित किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयोग में नहीं लायेगा;

फैक्ट्रियों, व्यापारों इत्यादि का विनियमन

401. **बिना मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के नई फैक्ट्री इत्यादि स्थापित न की जायेगी**–मुख्य नगराधिकारी की पूर्व प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति कोई फैक्ट्री, कारखाना या कार्यस्थान, जिसमें भाप, पानी, बिजली या किसी अन्य यंत्र चालित शक्ति का प्रयोग अभिप्रेत हो या ननबाई की दुकान–

(1) किसी भू–गृहादि में नये सिरे से स्थापित न करेगा;

(2) एक स्थान से दूसरे स्थान को न हटायेगा,

(3) तीन साल से अन्यून किसी अवधि तक बन्द रखने के पश्चात् न फिर से खोलेगा और न उसका नवीकरण करेगा, या

(4) का क्षेत्र या उनकी सीमाओं को न बढ़ायेगा न विस्तृत करेगा;

और न कोई व्यक्ति ऐसी किसी फैक्ट्री, कारखाने, कार्यस्थान या नानबाई की दुकान को बिना उक्त अनुज्ञा के चलायेगा या चलाने देगा;

किन्तु प्रतिबनध यह है कि यदि बन्द रहने की अवधि में उस स्थान से, जहां आरम्भ में कोई फैक्ट्री, कारखाना, कार्यस्थान अथवा नानबाई की दुकान स्थापित की गयी थी मशीने आदि न हटायी गई हो तो खंड (3) के प्रयोजनों के निमित्त ऐसी किसी अनुज्ञा की आवश्यकता न होगी।

402. **रासायनिक द्रव्यों आदि जल के गन्दे या दूषित किये जाने का प्रतिषेध**–धारा 438 या नियमावली में निर्दिष्ट किसी व्यापार या उत्पादन (manufacture) में संलग्न कोई व्यक्ति–

(क) महापालिका की किसी झील, तालाब, जलाशय, जलकुंड, कुंआ, प्रणाली या अन्य जल स्थान के या उनसे संचारित (communicating) किसी नाली या पाइप में जानबुझ कर उपर्युक्त व्यापार या उत्पादन के दौरान उद्भूत (produced) किसी धोवन (washing) या अन्य पदार्थ को न तो प्रवाहित करायेगा और न ऐसा करने देगा,

(ख) उपर्युक्त व्यापार या उत्पादन से संबद्ध कोई ऐसा कार्य जानबुझ कर न करेगा जिससे उक्त झील, तालाब, जलाशय, जलकुंड, कुंओं या प्रणाली या अन्य जलस्थान का जल खराब, दूषित या गन्दा हो जाय।

403. **निजी जल प्रणाली इत्यादि की सफाई करने या उसे बन्द कर देने की आज्ञा देने का अधिकार**–(1) मुख्य नगराधिकारी किसी निजी जल–प्रणाली (water course), स्त्रोंतो (spring), तालाब, कुंऐ या अन्य स्थान के जिसका पानी पीने के कार्य में लाया जाता हो स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को नेटिस द्वारा यह आदेश दे सकता है कि वह उसे मरम्मत करवा कर अच्छी हालत में रखे और समय–समय पर उसमें तलछट, कूड़ा–करकट या सड़ी–गली (decaying) वनस्पति हटा कर उसकी सफाई करें तथा उसे दूषित होने से इस रीति से बचायें, जिसे निगम उचित समझें।

(2) जब किसी ऐसी जल–प्रणाली, स्त्रोंतो, तालाब, कुएं या अन्य सथान का जल मुख्य नगराधिकारी के संतोशानुसार पीन के लिए अनुपयुक्त सिद्ध हो गया हो तो वह उसके स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को नोटिस द्वारा यह आदेश दे सकता है कि वह उस पानी का प्रयोग न करे और न दूसरों को उसका प्रयोग करने दे और यदि ऐसे नोटिस के पश्चात् कोई व्यक्ति उस पानी को पीने के काम में लाये तो मुख्य नगराधिकारी उसके स्वामी या उस पर नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति कतो नोटिस द्वारा उस कुएं को स्थायी या अस्थायी रूप में बन्द करने की या ऐसी जल–प्रणाली, सोते तालाब कुएं या अन्य स्थान को ऐसी रीति से घेर देने या उसके चारों ओर बाड़ा बना देने (fence) की आज्ञा दे सकता है, जिसे वह आदिष्ट करे; ताकि उसका पानी इस प्रकार प्रयुक्त न हो सकें।

404. **फैक्ट्रियों, स्कूलों तथा अन्य सार्वजनिक समागत के स्थानों के निमित्त शौचालय**–मुख्य नगराधिकारी ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने बीस से अधिक श्रमिक या मजदूरी नियोजित किये हों या जो किसी बाजार स्कूल या प्रेक्षागृह या अन्य सार्वजनिक समागम स्थान का स्वामी हो उसका प्रबन्ध करता हो या उस पर नियंत्रण रखता हो, नोटिस द्वारा या आदेश सकता है कि वह इतने शौचालय और मूत्रालयों की व्यवस्था करे, जिन्हें वह उचित समझें, उन्हें ठीक ढंग से बनाये रखे और प्रतिदिन उनकी सफाई करायें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि फैक्ट्रीज ऐक्ट 1948 द्वारा विनियमित फैक्ट्री पर इस धारा की कोई भी बात लागू न होगी।

405. **तालाब इत्यादि से होने वाले अपदूषणों को हटाने का आदेश देने का अधिकार**–मुख्य नगराधिकारी किसी भूमि या भवन के स्वामी या अध्यासी को नोटिस द्वारा यह आदेश दे सकता है कि वह किसी निजी कुंए तालाब या जलाशय, पोखरे (pools), गड्ढे या उतवात (excavation) को, जो मुख्य नगराधिकारी को स्वास्थ्य के निमित्त हानिप्रद या पास–पड़ोस वालों के लिए दोशकर प्रतीत हो साफ कराये, उसकी मरम्मत

कराये और उसे आच्छादित करायें (cover), भरवाये या उसको जल निकासी की व्यवस्था करें (drain off) :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त स्वामी या अध्यासी इस धारा के अधीन आदेशित जल–निकासी को कार्यन्वित करने के प्रयोजनार्थ निगम के व्यय से ऐसी जल–किनासी के लिए आवश्यक भूमि अथवा भूम्याधिकार अर्जित कराने या अन्यथा उसकी व्यवस्था करने की मुख्य नगराधिकारी से अपेक्षा कर सकता है।

भयानक रोगों का निवारण और उनकी रोकथाम

406. **भयानक रोगों के संबंध में मुख्य नगराधिकारी और स्वास्थ्य चिकित्साधिकारी इतदि के अधिकार**–यदि किसी भयानक रोग से पीड़ित या ग्रस्त कोई व्यक्ति–

(क) किसी वान या सार्वजनिक स्थान पर लेटा हुआ पाया जाय; या

(ख) बिना किसी उपयुक्त निवास या स्थान (lodging or accommodation) के हों; यसा

(ग) किसी एक कमरे के मकान में रहता हो, जिसका न वह स्वामी हो और न जिसके अध्यासन का अन्य रूप से ही उसे अधिकार हो; या

(घ) ऐसे कमरे में या कक्षों के समूह में रहता हो जो एक से अधिक परिवार के अध्यासन में हो और उनमें से कोई भी अध्यासी उसके रहने पर आपत्ति करे–

तो मुख्य नगराधिकारी चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से, जो असिस्टेन्ट सर्जन से न्यून न हो, उस रोगी को अस्पताल में या ऐसे अन्य स्थान में भिजवा सकता है जहां ऐसे रोग से ग्रस्त व्यक्ति चिकित्सा के लिए प्रविश्टि किये जाते हों उसको इस प्रकार हटाने के निमित्त कोई भी आवश्यक कार्यवाही कर सकता है।

407. **भयानक रोग के फैलने से रोकने के निमित्त किसी भी स्थान का किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है**–मुख्य नगराधिकारी किसी भी समय दिन में अथवा रात में बिना नोटिस दिये या अपने निरीक्षण की इच्छा का ऐसा नोटिस देने के पश्चात् जो उसे यथास्थिति उचित जान पड़े ऐसे किसी स्थान का निरीक्षण कर सकता है, जिसके संबंध में यह कहा जाता हो कि वहां भयकर रोग व्याप्त है अथवा जहां ऐसे रोग के विद्यमान होने की आंशका हो और ऐसे उपाय कर सकता है जिन्हें वह उक्त रोग को उस स्थान से बाहर फैलने से रोकने के लिए उचित समझे।

408. **भयानक रोगों की सूचना दी जायेगी**–

(क) जो चिकित्सक (medical practitioner) हो तथा जिसे चिकित्सा के दौरान यह ज्ञात हो कि नगर के सार्वजनिक अस्पताल से भिन्न किसी निवास–स्थान में कोई भयानक रोग विद्यमान है; या

(ख) जो उस निवास स्थान का स्वामी या अध्यासी हो, जिसे यह पता चले कि वहा कोई भयंकर रोग विद्यमान है, ऐसे चिकित्सक के चूक करने पर (indefault of),

(ग) जो ऐसे निवास–स्थान में उक्त भयानक रोग से ग्रस्त व्यक्ति का अवधायक हो या उसकी परिचर्या करता हेा और जिसे यह पता हो कि वहां भयानक रोग विद्यमान है, उक्त स्वामी या अध्यासी के चूक करने पर;

ऐसे किसी पदाधिकाकारी, जिसे मुख्य नगराधिकारी इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उक्त रोग के संबंध में सूचना देगा।

409. **निवास–गृहों अथवा भोजनालयों का बन्द किया जाना**–यदि मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो जाय कि कोई भी निवास–गृह या अन्य स्थान, जहां भोज्य और पेय पदार्थ बेचे या तैयार किये या विक्री के लिए संगृहीत या प्रदर्शित किये जाते हैं ऐसा निवास–गृह या स्थान, है जहां भयानक रोग फैला है, या जहां हाल ही मे फैल चुका है, और उस स्थान का बन्द किया जाना सार्वजनिक हित में होगा तो वह लिखित नोटिस द्वारा आदेश दे सकता है कि उस स्थान आदेश में निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बन्द कर दिया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि नगर स्वास्थ्य अधिकारी यह प्रमाणित कर दे कि उक्त निवास–गृह अथवा स्थान विसंक्रमित (disinfected) कर दिया है या संक्रामण (infection) से मुक्त है तो उस स्थान के खोले जाने की घोशणा की जा सकती है।

410. **भयानक रोग को फैलने से रोकने के निमित्त किसी भी स्थान का किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है**–कोई भी व्यक्ति जब तक वह किसी भयानक रोग घृणित दुर्व्यवस्था (loathsome disorder) से ग्रस्त हैं, तब तक–

(क) मानव उपयोग के लिए कोई भोज्य या पेय पदार्थ अथवा औषधि या भेषज बिक्री के लिए न तैयार करेगा और न प्रस्तुत करेगा; या

(ख) यदि उक्त कोई पदार्थ, औषधि या भेषज दूसरे व्यक्तियों द्वारा बिक्री के लिए खुला रखा गया (exposed) हो तो उसे जानबुझ कर न छुयेगा; या

(ग) गन्दे कपड़े धोने या उन्हें लाद कर ले जाने के किसी कारोबार में भाग न लेगा।

411. **भयानक रोगों की सूचना दी जायेगी**–(1) यदि किसी समय नगर में कोई भयानक रोग फैले या उसके फैलने की आंशक हो या यदि नलगर में कोई संसर्गजन्य (infectsdious) रोग फैले अथवा उसके फैलने की आशंका हो तो मुख्य नगराधिकारी यदि यह समझता है कि इस अधिनियम के या तदन्तर्गत बने नियमों के या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के सामान्य उपबन्ध इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं है तो वह राज्य सरकार की स्वीकृति से–

(क) ऐसे विशेष उपाय कर सकता है;तथा

(ख) सार्वजनिक नोटिस देकर जनता द्वारा या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के विशेष वर्ग द्वारा अनुपालनार्थ ऐसी अस्थायी आज्ञाएं विहित करसकता है तो तत्सम्बन्धी किसी नियमावली में निर्दिष्ट हो तथा जिन्हें वह ऐसे रोग के अविर्भाव या प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक समझे।

(2) मुख्य नगराधिकारी तुरन्त ही उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा किये गये किन्हीं उपातयों तथा दी गई किन्ही आज्ञाओं का प्रतिवेदन निगम को देगा।

मृतकों का निस्तारण

412. **मृतकों के निस्तारण के स्थानों का पंजीयन किया जायेगा**–(1) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्थान का स्वामी है या ऐसा स्थान उसके नियंत्रण में है जो पहले से ही मृतकों को दफनाने, अग्निदाह या किसी अन्य विधि से निस्तारित करने के लिए प्रयुक्त होता रहा हो, तो वह नियम दिन से 6 महीने के भीतर मुख्य नगराधिकारी के पास उसकी रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना–पत्र देगा, और मुख्य नगराधिकारी उसकी रजिस्ट्री करायेगा।

(2) ऐसे प्रार्थना–पत्रों केक साथ एक नक्शा (plan) भी होगा जिस पर अनुज्ञप्त भूमापक के इस बात के उपलक्ष्य में हस्ताक्षर होंगे कि वह उसके द्वारा अथवा उसके निर्देशन में तैयार किया गया है तथा उसमें पंजीकृत होने वाला स्थान, उसकी स्थिति, उसकी आयति (extent) और चौहद्दी (boundaries) दिखायी जायगी। प्रार्थना–पत्र में स्वत्वधारी (interested) स्वामी या जाति का नाम तथा प्रबन्ध की पद्धति तथा अन्य ऐसे ब्योरे भी होंगे, जिनकी मुख्य नगराधिकारी अपेक्षा करें।

(3) ऐसे प्रार्थना–पत्र और नक्शें की प्राप्ति पर मुख्य नगराधिकारी उस स्थान को एक रजिस्टर में, जो इस प्रयोजन के निमित्त रखा जायगा, पंजीकृत करेगा।

(4) मुख्य नगराधिकारी पंजीयन के समय निगम के कार्यालय में उपधारा (2) में निर्दिष्ट नक्शा जमा करवा लेगा।

(5) यदि उस नक्शें से या उसके ब्यौरे से मुख्य नगराधिकारी का समाधान न हुआ हो तो वह पंजीयन करने से इंकार कर सकता है या उसे ऐसे समय तक के लिए सथगित कर सकता है जब तक कि उसकी आपित्तयां दूर न कर दी जाय।

(6) मृतकों के दफनाने, अग्निहाद या अन्य किसी रीति से निस्तारित करने का प्रत्येक ऐसा स्थान, जो निगम में निहित हो, उपधारा (3) के अधीन रखे गये रजिस्टर में पंजीकृत किया जायगा तथा उस स्थान की स्थिति, आयति एवं सीमाओं का नक्शा, जिस पर मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, महापालिका कार्यालय में जमा कर दिया जायगा।

413. **मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के बिना मृतकों को निस्तारित करने के लिए नये स्थान न खोले जायेंगें**–ऐसा कोई स्थान, जो विधितः मृतकों के निस्तारणार्थ पहले कभी भी प्रयुक्त न हुआ हो और न इस प्रकार पंजीकृत हुआ हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए, बिना मुख्य नगराधिकारीकी लिखित अनुज्ञा के, जो निगम के अनुमोदन से ऐसी अनुज्ञा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है, न खोला जायगा।

414. **मृतकों के निस्तारणार्थ नये स्थानों की व्यवस्था**–(1) यदि किसी भी समय मृताकें के निस्तारणार्थ विद्यमान कोई स्थान अपर्याप्त प्रतीत हो या धारा 415 के उपबन्धें के अधीन कोई स्थान बन्द कर दिया हो तो मुख्य नगराधिकारी निगम की स्वीकृति से नगर के भीतर अथवा वाहर उन प्रयोजनों के लिए अन्य उपयुक्त और सुविधाजनक स्थानों की व्यवस्था कर सकता है तथा उन्हें धारा 412 के अधीन रखे गये रजिस्टर में पंजीकृत करेगा और ऐसे प्रत्येक स्थान के, जिसकी उक्त प्रकार से व्यवस्था की गई हो, पंजीयन के समय उसका एक नक्शा जिसमें उसकी स्थिति, आयति तथा सीमाएं दिखाई गयी होंगी, निगम के कार्यालय में जमा करेगा।

(2) इस अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के समस्त उपबन्ध ऐसे स्थान के संबंध में जिसकी उपधारा (1) के अधीन व्यवस्था की गई हो तथा जो नगर के बाहर स्थित हों, किन्तु निगम में निहित, उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों वह स्थान नगर के भीतर स्थित हों।

415. **मृतकों को दफनाने के स्थान बन्द किया जाना**–(1) यदि व्यक्तिगत निरीक्षण के पश्चात् कभी भी मुख्य नगराधिकारी का यह मत है कि–

(क) सार्वजनिक उपासना का कोर्ट स्थान अपने धरातल के नीचे या दीवालों के भीतर तहखानों (valuts) और कब्रो की दशा के कारण, या पास–पड़ोस में कोई कब्रिस्तान या दफनाने के स्थानि के कारण जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया है अथवा उसके हानिकर हो जाने की संभावना है;

(ख) मृतकों के निस्तारण के लिए अन्य कोई सथान सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो गया है या उसके हानिकर हो जाने की संभावना है;

तो वह अपना इस आशय का निश्चित मत तथा उसके कारण निगम के समक्ष रखेगा और निगम उसे और उसाके संबंध में स्वयं अपना मत राज्य सरकार के पास विचारार्थ अग्रसारित करेगी।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित मत प्राप्त होने पर राज्य सरकार ऐसी अतिरिक्त जांच के पश्चात् जिसे वह उपयुक्त समझे सरकारी गजट में तथा ऐसे पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, जिसे वह आवश्यक समझे यह आदेश दे सकती है कि सार्वजनिक उपासना का उक्त स्थान या अन्य स्थान भविष्य में मृतकों के निस्तारणार्थ प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त किसी विज्ञप्ति के दिनांक से तीन महीने की समाप्ति पर वह स्थान, जिससे वह विज्ञप्ति सम्बद्ध हो मृतकों के निस्तारणार्थ प्रयुक्त न किया जायेगा।

(4) मृतकों के दफनाने के लिए अलग किया गया (set aprt) निजी स्थान ऐसे निर्बन्धनों के अधीन, जिन्हें मुख्य नगराधिकारी एतदर्थ आरोपित करें, उक्त किसी आदेश से मुक्त किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे स्थान की सीमायें पर्याप्त रूप से परिभाषित हों तथा वह स्थान केवल अपने स्वामियों के परिवार के सदस्यों को दफनाने के लिए ही प्रयुक्त किया जाय।

416. **मृतकों के दफनाने के स्थान का फिर से चालू किया जाना**–(1) यदि व्यक्तिगत निरीक्षण के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी का यह मत हो कि ऐसा कोई भी स्थान, जो धारा 415 के उपबन्धों के अधीन बन्द कर दिया गया हो, समय बीतने (lapse of time) के कारण अब स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं रह गया है तथा अब वह बिना किसी जोखिम (risk) अथवा भय के उक्त प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है तो सह सकारण अपना मत निगम के पास प्रस्तुत करेगा और निगम अपने मत सहित उसे राज्य सरकार के पास विचारार्थ अग्रसारित करेगी।

(2) ऐसे मत की प्राप्ति पर राज्य सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उपर्युक्त समझे, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके आदेश दे सकती है उक्त स्थान मृतकों के निस्तारणार्थ पुनः चालू कर दिया जाय।

417. **मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के बिना मुर्दे न खोदे जायेंगे तथा उपासना के स्थानों के भीतर दफनाएं न जायेंगे**–(1) कोई भी व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना–

(क) किसी उपासना स्थान की किसी दीवाल के भीतर या किसी ऐसे स्थान के किसी उपमार्ग (passage), ड्योढ़ी (portico), कुर्सी (plinth) या बरामदे के नीचे कोई तहखाना या कब्र या, मजार (interment) न बनायेगा;

(ख) किसी ऐसे स्थान में जो धारा 415 के अधीन मृतकतों के लिए बन्द कर दिया गया हो कोई मजान न बनायेगा अथसा किसी अन्य रीति से कोई शव निस्तारित न करेगा;

(ग) किसी ऐसे स्थान में, जो धारा 412 के अधीन एतदर्थ रखे गये रजिस्टर में पंजीकृत न हो कोई कब्र या तहखाना न निर्मित करेगा न खोदेगा न निर्मित करवायेगा न खुदवायेगा, अथवा किसी भी रीति से किसी शब को न तो निस्तारित करेगा और न निस्तारित होने देगा;

(घ) सिवाय कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 की धारा 176 के या तत्समय प्रचलित अन्य किसी विधि के उपबन्धों के अधीन शवें के निस्तारण के किसी भी सथान से शवों को नहीं खोदेगा।

(2) मुख्य नगराधिकारी ऐसी सामान्य या विशेष आज्ञाओं के अधीन रहते हुए, जिन्हें सरकार एतदर्थ समय–समय पर दे, विशेष दशाओं में उपुर्यक्त प्रयोजनाथटों में किसी के निमित्त अनुज्ञा दे सकता है।

418. **मृतकों के निस्तारण के संबंध में प्रतिषिद्ध कार्य**–कोई भी व्यक्ति–

(क) किसी शव को मृत्यु की इतनी देर बाद तक कि वह अपदूषण का कारण बन जाय बिना अग्निदाह किये हुए, गाड़े हुए या अन्य किसी रीति से विधितः निस्तारित किय हुए किसी भू–गृहादि में रोक न रखेगा;

(ख) किसी शव या शव के भाग को बिना अच्छी तरह से ढके हुए या संक्रामण का जोखिम अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य की हानि को रोकने के लिए बिना ऐसे पूर्वावधान के, जिनकी मुख्य नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा समय–समय पर अपेक्षा करना उचित समझे, किसी भी मार्ग पर न ले जायगा;

(ग) सिवाय ऐसी दशा में जब दूसरा मार्ग उपलब्ध न हो, किसी भी शव या शव के भाग को उस मार्ग से न ले जायगा, जिस पर शवों को ले जाना मुख्य नगराधिकारी ने एतदर्थ दिये गये किसी सार्वजनिक नोटिस द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिया हो;

(घ) किसी ऐसे शव अन्यथा ऐसे शव के भाग को, जिसे चीर–फाड़ (dissection) के प्रयोजनार्थ रखा गया हो या प्रयुक्त किया गया हो, बिना किसी बन्द पात्र (receptaele) या वाहन में रखे हुए न हटायेगा;

(ङ) किसी शव या शव के भाग को ले जाते समय उसे तिबना किसी अत्यावश्यक प्रयोजन के किसी सड़क पर या उसके निकट न रखेगा और न छोड़ेगा;

(च) किसी शव या शव के भाग को किसी कब्र या तहखाने में या अन्यत्र किसी रीति से न तो दफनायेगा और दफनाने देगा, जिससे कफन की ऊपरी सतह या, यदि कफन न प्रयुक्त किया गया हो, तो शव का भाग भूमि के धरातल से 6 फुट से कम की गहराई में रहे;

(छ) किसी कब्रिस्तान में, किसी कब्र या तहाने को किसी दूसरी कब्र या तहखाने के पार्श्व के 2 फुट से कम की दूरी पर न तो निर्मित करेगा, न खोदेगा और न निर्मित करवायेगा, न खुदवायेगा;

(ज) किसी कब्रिस्तान में किसी पंक्ति में, जो मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा द्वारा अथवा उसके अधीन इस प्रयोजन के निमित्त अंकित (marked) न हो, कोई कब्र या तहखाना न निर्मित करायेगा, और न खोदेगा और न निर्मित करवायेगा न खुदवायेगा;

(झ) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी शव या शव के भाग का मजान बनाने के लिए किसी ऐसी कब्र या तहखाने को, जिसमें पहले से ही कोई शव रखा गया हो, दोबारा नहीं खोलेगा;

(ञ) किसी शव या शव के भाग को किसी शमशान में लाने या बिवा जाने के पश्चात् उसे उस स्थान पर लाने के छः घटे के भीतर उसका अग्निदहा कराने या करवाने में न चूकेगा;

(ट) किसी शव या शव के भाग को जलते या जलवाते समय उसको या उसके किसी अंश को श्मशान अथवा उसके निकट बिना पूर्णतः भस्मीभूत हुए न रहने देगा अथवा ऐसे शव या शव के अंश के ले जाने आिवा अग्निदाह के लिए प्रयुक्त किसी वस्त्र

या अन्य वस्तु को न तो वहां से हटाने देगा और न बिना पूर्ण रूप से भस्मीभूत हुए वहां रहने देगा।

419. **राज्य सरकार इस अधयाय के उपबन्धों को नगर की सीमाओं के बाहर लागू कर सकती है**—राज्य सरकार गजट में आज्ञा प्रकाशित करके उस आज्ञा में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र पर, जो नगर की सीमाओं के बाहर दो मील से अधिक दूरी पर न हो, इस अध्याय की किसी धारा तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के उपबन्ध, ऐसे अनुकूलनों (daptations) के अधीन रहते हुए—चाहे वे परिश्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में किया जायं—जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक और इष्टकर समझे, प्रवृत्त कर सकती है और तदुपरान्त इस प्रकार प्रवृत्त उपलब्ध और नियम उस क्षेत्र में उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानों वह क्षेत्र नगर के भीतर हों।

420. **नियम बनाने का अधिकार**—(1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के निमित्त नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) धूल इत्यादि को जमा करने और एकत्र करने के लिए स्वमियों ओर अध्यासियों का उत्तरदायित्व;

(ख) उन क्षेत्रों के, जो धारा 388 के अन्तर्गत न आते हों, अध्यासियों के ऐसे मूल—मूत्र तथा दूषित वस्तुएं, जो उनके भू—गृहादि में जमा हो जाया करती हो, ऐसे पात्रों (receptacles) आदि में जिनकी व्यवस्था धारा 385 के अधीन की गई हो एकत्र करने तथा हटाने का उत्तरदायित्व;

(ग) भू—गृहादि पर बहुत अधिक मात्रा में एकत्र हो जाने वाले कूड़े—करकट और गन्दगी को हटाना;

(घ) (अ) भू—गृहादि पर भवन निर्माण संबंधी सामग्री एकत्र करने;

(ब) भू—गृहादि की दोषपूर्ण (defective) छतों या अन्य अस्वास्थ्यकर वस्तुओं;

(स) निवास—स्थानों (dwellings) में पाकशाला के धुएं और धूल इत्यादि;

(द) पोखरे दलदल, खाई, तालाब, कुएं, तड़ाग, (pond), पत्थर की खानों के गड्ढे (quarry holes), नाली जल—प्रणाली तथा किसी जल—संग्रह;

(य) खतरनाक तालाब, कुंए, गड्ढे इत्यादि।

(र) पत्थरों की खतरनाक खानें खोदे जानें; तथा

(ल) भू—गृहादि में दुर्गन्ध—युक्त वस्तुएं एकत्र करने से उत्पन्न अपदूषणों को हटाना;

(ङ) अस्वास्थ्यकर निजी जल—प्रणालियों, सोतों, तालाबों, कुओं इत्यादि का, जिनका जल पीने के काम में आता हो, साफ किया जाना;

(च) नगर में पशुओं के रखने और उनके बांध जाने का विनियमन;

(छ) इंडियन ब्वायलर्स ऐक्ट, 1923 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए फैक्ट्रियों, कारखानों या कार्य–स्थानों इत्यादि का सफाई सम्बन्धी विनियमन तथा तत्संबंधी सूचनायें देना;

(ज) धोबियों द्वारा कपड़ा धोने का विनियमन तथा कपड़ा धोने के स्थान की व्यवस्था;

(झ) संक्रामक तथा संसर्गजन्य रोगों से ग्रस्त पशुओं के बारें में सूचनायें देना;

(ञ) भयानक रोगों के प्रसार को रोनके के लिए घरों तथा सार्वजनिक और निजी स्थानों का विसंक्रमण (disinfection);

(ट) सीटियों तुराहियों और लाउडस्पीकरों तथा अन्य यन्त्र चलित शोर मचाने वाले उपकरणों का प्रतिषेध और विनियमन;

(ठ) वृक्षों और झाड़ियों का हटाना, छांटना तथा काटना।

अध्याय 16
बाजारों, वध–शालाओं, कतिपय व्यापारों और कार्यो आदि का विनियमन

421. **किसी निजी बाजार और वधशाला समझा जायेगा**–इस अध्याय के प्रयोजनार्थ निगम और वधशालाओं से भिन्न समस्त बाजारों और वधशलाओं को निजी बाजार और वधशालाएं समझा जायगा।

422. **बाजारों ओर वधशालाओं, आदि के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी के अधिकार**–इस अधिनियम और उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए मुख्य नगराधिकारी को निम्नलिखित का अधिकार होगा–

(क) निगम द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किये जाने पर उसे निगम की सीमा के भीतर और राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उसकी सीमा के बारह किसी निगम के बाजार या निगम की वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान की स्थापना के प्रयोजनार्थ कोई भवन या भूमि निर्मित करना, खरीदना, पटटे पर लेना या किसी अन्य प्रकार से अर्जित करना और किसी वर्तमान निगम को बाजार या वधशाला का विस्तार या सुधार करना;

(ख) समय–समय पर ऐसे निगम के बाजारों, वधशालाओं ओर वधार्थ पशु–स्थानों और ऐसी छोटी दुकानों, दुकानों, आश्रय स्थलों, बाड़ों (pens) तथा अन्य भवनों ओर सुख–सुविधाा के स्थानों को, जो उक्त नियम के बाजारों, वधशालाओं या वधर्थ पशु–स्थानों में व्यापार या व्यवसाय करने वाले या वहां पर प्रायः आने वाले व्यक्तियोंक के प्रयोग के लिए आवश्यक समझे जायं, बनवाना और उनका संधारण करना;

(ग) ऐसे किसी निगम के बाजार में ऐसे भवनों, स्थानों, मशीनों, बाटो–तराजूओं, और मापों के, जिन्हें वह वहां विकने वाली वस्तुओं को तौलने ओर मापने के प्रयोजनार्थ उचित समझे, के संधारण की व्यवस्था करना;

(घ) निगम द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किये जाने पर किसी निगम के बाजार या वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान या उसके किसी भाग को बन्द करना और इस प्रकार बन्द किये गये किसी बाजार, वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान या उसके भाग के लिए अध्यासित भू–गृहादि को निगम की सम्पत्ति के रूप में निस्तारित करना;

(ङ) निगम की पूर्व स्वीकृति से समय–समय पर, सार्वजनिक नोटिस द्वारा किसी निगम के बाजार के पचास गज की दूरी के भीतर उक्त निगम के बाजार में

साधारणतया बेची जाने वाली ऐसी वस्तुओं को, जो नोटिस में निर्दिष्ट हो या उनमें से किसी वस्तु को बेचने या बेचने के लिए प्रदर्शित करने का प्रतिषेध करना और इसी प्रकार गिनम की पूर्व स्वीकृति से ऐसे नोटिस को किसी भी समय निरस्त या परिश्कृत करना;

(च) निगम के बाजार, वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान में किसी दोटी दुकान खड़ा होने का स्थान, आश्रय–स्थान या बाड़ा या अन्य भवन के अध्यासन या प्रयोग के लिए, ओर किसी निगम के बाजार में विक्रय के प्रयोजनार्थ वस्तुएं प्रदर्शित करने और ऐसे किसी बाजार मेकं बेचे जाने वाले सामान को तौलने और मापने का अधिकार प्रदान करना तथा ऐसी किसी निगम की वधशाला में पशुओं के वध का अधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में ऐसा भाड़ा किराया और शुल्क लेना, जो कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से, एतदर्थ समय–समय पर उसके द्वारा नियम किया जाय;

(छ) कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के उपर्युक्त प्रकार से लगाये जाने वाले भाड़े, किराये और शुल्क या उसके किसी भाग को एक समय में किसी ऐसी अवधि के लिए, जो एक वर्ष से अधिक न हो, निर्धारित करना;

(ज) ऐसे निबन्धनों और शर्तो के अधीन, जिन्हें वह ठीक समझे किसी निगम बाजार, या वधार्थ पशु–स्थान में किसी छोटे दुकान, दुकान, खड़े होने के स्थान, आश्रय–स्थान या बाड़े अथवा अन्य भवन के अध्यासन या उपयोग के विशेषाधिकार का सार्वजनिक नीलाम करने या कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से निजी बिक्री द्वारा उसे निस्तारित करना।

423. निजी बाजारों, तथा निजी वधशालाओं का खोला जाना–(1) निगम समय–समय पर यह निर्धारित करेगी कि नगर में अथवा नगर के किसी निर्दिष्ट भाग में नये निजी बाजारों की स्थापना अथा निजी वध–शालाओं की स्थापना या उसके संधारण की अनुज्ञा दी जाय या नहीं।

(2) बिना मुख्य नगराधिकारी की स्वीकृति के ओर उससे अनुज्ञप्ति (licence) प्राप्त किये हुए जो ऐसी स्वीकृति तथा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में उपधारा (1) के अधीन निगम के तत्सामयिक निर्णयों द्वारा निर्देशित (guided) होगा, कोई भी व्यक्ति मानव भोजन के लिए अभिप्रेत पशुओं या मानव भोजन की कोई वस्तु या पशुधन या पशुधन के निर्मित खाद्य सामग्रियों की बिक्री के लिए न तो किसी निजी बाजार की स्थापना करेगा और न किसी निजी वधशाला की स्थापना या उसका संधारण करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी नियत दिन पर पहले से ही विधितः स्थापित किसी निजी बाजार या वधशाला को चलाने की स्वीकृति देने या उसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने से इंकार न करेगा यदि ऐसी स्वीकृति तथा अनुज्ञप्ति के लिए नियत दिनांक से दो महीने के भीतर आवेदन पत्र दिया गया हो सिवाय इदस आधार पर कि उस स्थान में जहां बाजार या वधशाला की स्थापना की गई है इस अधिनियम की या तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम या उपविपधि की अपेक्षाओं (requirements) का पालन नहीं होता है।

(3) जब इस प्रकार किसी निजी बाजार या वधशाला की स्थापना की स्वीकृति दे दी गई हो, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसी स्वीकृति का नोटिस हिन्दी या किसी ऐसी अन्य भाषा या भाषाओं में; जिन्हें निगम समय–समय पर निर्दिष्ट करे उस भवन या स्थान पर या उसके निकट जहा ऐसा बाजार लगाया जाना है, किसी प्रमुख स्थल पर लगवा देगा।

स्पष्टीकरण–उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ किसी ऐसे स्थान के स्वामी या अध्यासी के बारें में जहां किसी निजी बाजार या वधशाला की स्थापना की गई हो यह समझा जायेगा कि उसने ही ऐसे बाजार की स्थापना की है।

(4) मुख्य नगराधिकारी किसी कारण से किसी निजी बाजार को खुला रखने के संबंध में किसी अनुज्ञप्ति को निरस्त या निलम्बित या उसके नवीकरण को अस्वीकार न करेगा सिवाय उस दशा में जब उसके स्वामी ने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी विनियम अथवा किसी उपविधि का अनुपालन न किया हो।

(5) मुख्य नगराधिकारी उस दशा में किसी अनुज्ञहिप्त को निरस्त या निलम्बित कर सकता है जब निजी बाजार का कोई स्वामी अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तो के अनुसार, किसी ऐसे भाड़े, किराया शुल्क या अन्य भुगतान की जो किसी छोटी दुकान, दुकान, खड़े होने के स्थान, आश्रय स्थान, बाड़े या उसमें सिकी अन्य स्थान के अध्यासन या प्रयोग के संबंध में किसी व्यक्ति से उसे या उसके अभिकर्ता को प्राप्त हो, लिखित रसीद न दे।

(6) जब मुख्य नगराधिकारी ने निजी बाजार को खुला रखने के निमित्त किसी अनुज्ञप्ति को अस्वीकार, निरस्त या निलम्बित किया हो तो वह अपने द्वारा ऐसे किये जाने का नोटिस ऐसी भाषा या भाषाओं में, जिसे निगम समय–समय पर निर्दिष्ट करें, उस भवन या स्थान के जहां पर ऐसा बाजार लगता हो, ऊपर या निकट किसी प्रमुख स्थान पर चिपकवा देगा।

424. **किसी निगम वधशाला, वधार्थ–पशु स्थान बजाार या भू गृहादि से जीवित ढोर, भेड़, बकरी या सुअरों को हटाना**–मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना अथवा ऐसे शुल्क का भुगतान किये बिना, जो वह विहित करे, कोई व्यक्ति किसी निगम वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान या किसी ऐसे निगम बाजार या भू–गृहादि से जो वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान के निमित्त या संबंध में प्रयोग में लाया जाता हो, या प्रयोग में लाये जाने के लिए अभिप्रेत हो, कोई जीवित ढोर, भेड़ बकरी या सुअर न हटायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे पशु को हटाने के लिए किसी अनुज्ञा की आवश्यकता न होगी जो ऐसी वधशाला, वधार्थ पशु–स्थान, बाजार या भू–गृहादि के भीतर न बेचा गया हो और जो मुख्य नगराधिकारी द्वारा एतदर्थ दी गई आाा में विहित अवधि से अधिक अवधि तक ऐसी वधशाला, वधार्थ पशु–स्थान, बाजार या भू–गृहादि में न रहा हो या जिसे किसी/किन्हीं उपविधियों के अनुसार ऐसी वधशाला, बाजार या भू–गृहादि में वध के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया हो।

425. **नियमों, उपविधियों या विनियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को निष्कासित करने का अधिकार**–(1) मुख्य नगराधिकारी किसी निगम के बाजार, वधशाला, वधार्थ पशु–स्थान से किसयी ऐसे व्यक्ति को निश्कासित कर सकता है जो स्वयं, अथवा जिसका नौकर ऐसे बाजार, वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान में प्रचलित किसी नियम, उपविधि या विनियम का उल्लंघ करने के कारण अपनराधी ठहराया गया हो और ऐसे व्यक्ति या उसके नौकरों को उस बाजार, वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान में भविष्य में कोई व्यापार या व्यवसाय करने अथवा उसमें किसी दोटी दुकान, दुकान, खड़ा होने के स्थान, आश्रय–स्थान, बाड़ा या अन्य स्थान को अध्यासित करने से रोक सकता है, तथा किसी ऐसे पट्टे या भोगावधि को समाप्तकर सकता है, जो उस व्यक्ति को, ऐसी छोटी दुकान, दुकान, खड़े होने के स्थान, आश्रय–स्थान, बाड़े या अन्य स्थान के सम्बन्ध में रखता हो।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त किसी बाजार या वधशाला का स्वामी या ऐसे बाजार या वधाशाला या उसमें किसी छोटी दुकान का पट्टेदार या ऐसे स्वामी या पट्टेदार या कोई अभिकर्ता या नौकर, किसी नियम, उपविधि या विनियमम का उल्लंघन करने के कारण अपराधी ठहराया गया हो, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे स्वामी,

पट्टेदारी, अभिकर्ता या नौकर को किसी ऐसे बाजार या वधशाला से ऐसे समय के भीतर, जो आदेश में दिया हुआ हो, चले जाने का आदेश दे सकता है और यदि वह उस आदेश का अनुपालन न करे तो वह किसी ऐसे दंड के अतिरिक्त जिस पर इस अधिनियम के अधीन आरोपित किया जाय, ऐसे भू—गृहादि से तुरन्त हटाया जा सकता है।

(3) यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी भी ऐसे मामलें में स्वामी या पटटेदार उपर्युक्त ऐसे दोषी ठहराये गये नौकर या अभिकर्ता के साथ अभिसंधि (collusion) से कार्य कर रहा है, जो उपधारा (2) के अधीन आदेश का अनुपालन नहीं करता, तो मुख्य नगराधिकारी, यदि वह उपयुक्त समझे,ऐसे भू—गृहादि के सम्बन्ध में उस स्वामी या पट्टेदार की अनुज्ञप्ति को निरस्त करसकता है।

426. **बिना अनुज्ञप्ति के नियम के बाजारों में बिक्री का प्रतिषेध**—(1) कोई व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी निगम के बाजार में किसी पशु या वस्तु को न बेचेगा ओर न बेचने के लिए प्रदर्शित करेगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को जो इस धारा का उल्लंघन करे, किसी निगम के पदाधिकारी या नौकर द्वारा तुरन्त हटाया जा सकता है।

427. **अनाधिकृत निजी बाजारों में बिक्री का प्रतिषेध**—यदि किसीह व्यक्ति को यह मालूम हो कि कोई बाजार मुख्य नगराधिकारी की स्वीकृति के बिना स्थापित किया गया है या उसे खुला रखने की अनुज्ञप्ति मुख्य नगराधिकारी द्वारा अस्वीकृत, निरस्त या निलंबित हो जाने के पश्चात् भी उसे खुला रखाा गया है तो वह उसमें किसी पशु या मानव भोजन के किसी वस्तु या पशुधन (livestock) या पशुधनकी भोजन—सामग्री को न बेचेगा और न बेचने के लिए प्रदर्शित करेगा।

428. **बाजारों से अन्यत्र पशुओं, आदि की बिक्री का प्रतिषेध**—मुख्य नगराधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निम्नलिखित को न बेचेगा और न बेचने के लिए प्रदर्शित करेगा—

(क) निगम या निजी बाजार से भिन्न किसी स्थान में मानव भोजन के लिए अभिप्रेत कोई चौपाया या किसी प्रकार का मांस या मछली;

(ख) निगम बाजार या निजी बाजार या अनुज्ञप्त, भोजनालय या मिठाई की दुकान से भिन्न किसी स्थान में बर्फ और शर्बत या सोडावाटर, कुल्फी, गन्ने का रस, कुटा या छिला हुआ फल और सब्जी, किसी भी प्रकार के बिस्कुट, पेस्ट्री इत्यादि या मिठाइंया अथवा ऐसा अन्य पका हुआ (cooked) भोजन या मानव उपभोग के लिए अभिप्रेत अन्य वस्तुएं जिन्हें समय—समय पर मुख्य नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा निर्दिष्ट करें।

429. **बिक्री के निमित्त रक्खे गये पशुओं के वध पर निर्बन्धन**—कोई व्यक्ति, मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के बिना, नगर में किसी बिक्री के लिए रक्े गये किसी पशु का, निगम वधशाला या अनुज्ञप्त निजी वधशाला के अतिरिक्त किसी और स्थान में न वध करेगा और न वध करवायेगा।

430. **ऐसे पशुओं के जो बिक्री के लिए अभिप्रेत न हो या जिनका वध धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाना, वध के लिए स्थान**—मुख्य नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा, और निगम की पूर्व स्वीकृति से, नगर केक भीतर ऐसे भू—गृहादि निश्चित कर सकता है जिसमें किसी विशेष प्रकार के पशु का वध करने, जो बिक्री के लिए न हो, या

उस पशु के शव को काटने की अनुज्ञा दी जायेगी और सिवाय उस दशा में जब आवश्यक पड़े नगर के किसी अन्य स्थान पर इस प्रकार के वध का प्रतिषेध कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के उपबन्ध ऐसे पशुओं पर लागू न होंगे, जिनका किसी धार्मिक प्रयोजनार्थ वध किया जाता हो।

431. **ऐसे पशुओं के संबंध में जिनका बिक्री के प्रयोजनार्थ वध नहीं किया जाता हो, जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार**—जब कभी शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट को यह आवश्यकता प्रतीत हो कि वह विहित प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन रहते हुए सार्वजनिक नोटिस द्वारा, किसी नगर की सीमा के भीतर, बिक्री से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए पशुओं या किसी निर्दिष्ट प्रकार के पशुओं के वधन का प्रतिषेध या विनियमन कर सकता है तथा वह रीजि जिससे और वह मार्ग जिसके द्वारा ऐसे पशु वध स्थान में लाये जायेंगे तथा वहां से मांस बाहर ले जाया जायेगा, विहित कर सकता है।

432. **बिना अनुज्ञा नगर में पशु आदि के आयात का प्रतिषेद**—(1) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति मानव भोजन के लिए अभिप्रेत किसी पशु, भेड़, बकरी या सुअर को या ऐसे किसी पशु के मासं को नगर में न लायेगा जिसका किसी ऐसी वधशाला में वध किया गया हो, जिनका संधारण इस अधिनियम के अधीन न किया जाता हों या जो इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त न हो।

(2) कोई पुलिस पदाधिकारी बिना वारेन्ट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारकरसकता है, जो उपधारा (1) का उल्लंघनकरके नगर के भीतर किसी ऐसे पशु या उसक मांस को ला रहा हो।

(3) इस धारा के उल्लंघन करके नगर में लाये गये किसी पशु का मुख्य नगराधिकारी या निगम का कोई पदाधिकारी या नौकर या पुलिस का कोई पदाधिकारी या रेलवे के भू—गृहादि या उस पर, रेलवे का कोई सेवक (servant), अभिग्रहण (size) कर सकता है और इस प्रकार अभिग्रहण किये गये किसी पशु या मांस को मुख्य नगराधिकारी के आदेशानुसार बेचा या अन्य प्रकार से निस्तारित किया जा सकता है और इस प्रकार प्राप्त धन (proceeds), यदि कोई हो, निगम का होगा।

(4) इस धारा की कोई बात उपचारित (cured) या संरक्षित (preserved) मांस के सम्बन्ध में लागू न समझी जायेगी।

433. मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है जहां इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल पशु—वध या मांस की बिक्री किये जाने का सन्दे हो—(1)

मुख्य नगराधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि मानव भोजन के लिए अभिप्रेत किसी पशु का वधन किया गया है, किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है अथवा ऐसे पशु का मासं किसी ऐसे स्थान में या ऐसरी रीति से बेचा जा रहा है या बेचने के प्रयोजनार्थ प्रदर्शित किया जा रहा है जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन यथावत् प्राधिकृत नहीं है तो मुख्य नगराधिकारी किसी भी समय, दिन को या रात को, बिना नोटिस दियेय, इस संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ कि वहां इस अधिनियम या किसी उपविधि के किसी उपबन्ध का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है, उस स्थान में प्रवेश कर सकता है और ऐसे पशु या ऐसे पशु के शव या मांस को जो वहां पाया जाय, अभिग्रहण कर सकता है।

(2) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहण किये गये किसी पशु या पशु के शव या किसी मांस को हटा सकता है उसे नीलाम द्वारा बेच सकता है या अन्य प्रकार से निस्तारित कर सकता है।

(3) यदि इस प्रकार अभिग्रहण किये जाने के एक महीन के भीतर पशु, पशु के शव या मांस का स्वामी मुख्य नगराधिकारी के सामने उपस्थित होकर उसके सन्तोशानुसार अपने दावे को प्रमाणित न कर सके अथवा यदि ऐसा स्वामी ऐसे पशु या शव या मांस के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हेा तो उपधारा (1) के अधीन किसी बिक्री से प्राप्त होने वाला धन निगम में निहित हो जायेगा।

(4) किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसी क्षति के लिए उपधारा (1) के अधीन किये गये किसी प्रवेश के कारण या ऐसा प्रवेश करने के लिए आवश्यक बल प्रयोग के कारण अनिवार्यतः पहुंची हो, कोई प्रतिकार का दावा न किया जा सकेगा।

434. **मुख्य नगराधिकारी मानव भोजनार्थ बिक्री के लिए प्रदर्शित की गई वस्तुओं के निरीक्षण की व्यवस्था करेगा**—मुख्य नगराधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे पशुओं, उनके शवों, गोश्त, मुर्ग—मुर्गियां, आखेद पशु, मासं, मछली, फल, सब्जी, अनाज, रोटी, आटा, दुग्धशाला के पदार्थो या अन्य वस्तुओं की निरन्तर एवं सर्तक निरीक्षण की व्यवस्था करें, जो बिक्री के लिए प्रदर्शित की गई हों या जिन्हें फरी लगाकर बेचा जाता हो, या जो बिक्री के लिए तैयार करने के प्रयोजनार्थ किसी स्थान में जमा की गई या लायी गई हों तथा जो मानव भोजन या औशधि के लिए अभिप्रेत हों। यह प्रमाणित करने का भार दोषारोपित (charged) पक्ष पर होगा कि उक्त वस्तुयें न प्रदर्शित की गयी थीं, न फेरी लगाकर बेची गई थी, न उन्हें उक्त प्रयोजनार्थ जमा किया या लाया गया था और न वे मानव भोजन या औषधि के लिए अभिप्रेत थी।

435. **अस्वास्थ्य कर (unwholesome) वस्तुओं आदि का अभिग्रहण**—(1) मुख्य नगराधिकारी सभी उचित समयों पर पूर्वोक्त किसी पशु या वस्तु का और उन्हें तैयार करने, बनाने या रखने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले बर्तन या भाड़े का निरीक्षण तथा परीक्षण कर सकता है।

(2) यदि मुख्य नगराधिकारी को कोई पशु या ऐसी कोई वस्तु मानव भोजन के लिए यथास्थिति, रोगग्रस्त (diseased) या विकृत (unsound) या अस्वास्थ्यकर (unwholesome) अथवा अनुपयुक्त प्रतीत हो या यह वैसी न हो जैसी कि बताई गई या रखी गई या रखी गयी हो वस्तुयें मानव भोजन के लिए अस्वास्थ्यकर या अनुपयुक्त हो जायं तो वह ऐसे पशु, वस्तु, बर्तन या भाड़े का अभिग्रहण कर सकता है और उसे उठा ले जासकता है, जिससे उसके संबां में आगे उपबन्धित ढंग से कार्यवाही की जा सके और वह ऐसे किसी पशु या वस्तु के अवधायक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उसे निकटतम थाने में ले जा सकता है।

436. **धारा 435 के अधीन अभिग्रहण की गई खराब होने वाली वस्तुओं का निस्तारण**—यदि किसी गोश्त, मछली, सब्जी या अन्य खराब होने योग्य वस्तु का धारा 435 के अधीन अभिग्रहण किया जाय और वह मुख्य नगराधिकारी की राय में यथास्थिति रोगग्रस्त, विकृत, अस्वास्थ्यकर या मानव—भोजन के लिए अनुपयुक्त हो तो, मुख्य नगराधिकारी तुरन्त ही उसे उस रीति से नष्ट करवा देगा कि वह फिर बिक्री के लिए प्रदर्शित किये जाने अथवा

मानव–भोजन के लिए प्रयोग किये जाने के योग्य न रह जायं और उसका व्यय उस व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा जिसके अध्यासन में वह वस्तु अभिग्रहण करने के समय थी।

437. हानिकर व्यापार का विनियमन–(1) यदि मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार यह बताया जाय कि नगर की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या भूमि को कोई व्यक्ति किसी वस्तु के निर्माण, संग्रह (stgorage), व्यवहार (treatment) या निस्तारण के प्रयोजनार्थ फैक्ट्री के रूप में या अन्य व्यापारिक स्थान के रूप में प्रयोग करता है या प्रयोग करना चाहता है और ऐसे प्रयोग के कारण अथवा अभिप्रेत प्रयोग के कारण कोई सार्वजनिक अपदूषण (public nuisance) पैदा होता हो या पैदा होने की संभावना हो तो, मुख्य नगराधिकारी विकल्प (option) का प्रयोग करके ऐसे भवन या स्थान के स्वामी या अध्यासी को सार्वजनिक नोटिस द्वारा आदेश दे सकता है कि वह–

(क) उक्त भवन या भूमि का यथास्थिति पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग करने या प्रयोग किये जाने की अनुमति देने से रोके या मना करें, या

(ख) उक्त भवन या स्थान को केवल ऐसे प्रयोजन के लिए, ऐसी दशाओं में या ढांचे संबंधी ऐसे परिवर्तनों के पश्चात् जिन्हें निगम आरोपित करें (imposes) या तो उक्त प्रयोजनार्थ उक्त भवन या स्थान के प्रयोग को आपत्ति मुक्त करने के उद्देश्य से नोटिस में विहित करे, प्रयोग करे या प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करें।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दिये गये नोटिस को प्रापत करने के पश्चात् कोई वयक्ति, ऐसे नोटिस का उल्लंघन करके, किसी भवन या स्थान या प्रयोग करे या करने की अनुमति दे तो अपराधी ठहराये जाने पर, जुर्माना किया जायेगा, जो दो सौ रूपये तक हो सकता है और उसे इसके अतिरिक्त भी जुर्माना किया जा सकता है जो प्रथम बार अपराधी ठहराये जाने के दिनानंक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए ज बवह उसस्थान या भवन का प्रयोग करता है या प्रयोग करने की अनुज्ञा देता है, चालिस रूपये तक हो सकता है।

438. बिना अनुज्ञप्ति के कतिपय वस्तुयें न रखी जायेगी और कतिपय व्यापार और कार्य सम्पादित नहीं किये जायेंगे–(1) सिवाय मुख्य नगराधिकारी द्वारा दी गयी अनुज्ञप्ति के अधीन तथा उसके निर्बन्धनों और शर्तो के अनुकूलन कोई भी व्यक्ति–

(क) किसी भू–गृहादि में या उसके ऊपर, उपविधियों में निर्दिष्ट कोई वस्तु किसी परिणाम (quantity) में अथवा उपविधियों में उस वस्तु के लिए निर्दिष्ट ऐसे अधिकतम परिणाम से, अधिक परिणाम में न रखेगा जो किसी एक समय में बिना अनुज्ञप्ति के उस भू–गृहादि में, या उसके ऊपर, रखा जा सकता हो;

(ख) किसी ऐसे भवन में या उसके ऊपर जो निवास के लिए अभिप्रेत हो या प्रयोग में लाया जा रहा हो, अथवा ऐसे भवन के 15 फीट के भीरत 4 अंडरवेट से अधिक परिणाम में कपास की दबी हुई गांठों में या बोरों में या खुली हुई रूई या कपास न रखेगा;

(ग) किसी भू–गृहादि में या उसके ऊपर निम्नलिखित किसी प्रयोजन के लिए घोड़े, पशु या अन्य चौपायें न रखेगा और न रखने की अनुज्ञा देगा :–

(1) बिक्री के लिए,

(2) किराये पर देने के लिए,

(3) ऐसे किसी प्रयोजन के लिए जिसके लिए कोई शुल्क लिया जाता हो या कोई पाश्रिमिक मिलता हो, अथवा

(4) उस से किसी उत्पादन (produce) की बिक्री के लिये।

(घ) किसी भू–गृहादि में या उसके ऊपर, निम्नलिखित कोई कार्य न सम्पादित करेगा और न संपादित करने की अनुज्ञा देगा–

(1) उप विधियों में निर्दिश्ट किसी व्यापार से संसक्त कोई व्यापार या कार्य;

(2) कोई ऐसा व्यापार या कार्य, जो वीन, स्वास्थ्य, या सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो या जिसके उसके प्रकार के कारण या ऐसी रीति या उन शर्तो के कारण जिससे या जिनके अधीन उसे सम्पादित किया जाता हो या सम्पादित करने का विचार हो, कोई अपदूषण पैदा होने की संभावना हो;

(ङ) नगर के भीतर अश्व चिकित्सक (farrier) का व्यापार या कार्य न करेगा और न किसी भू–गृहादि का उक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग करेगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुच्छेद (2) के अर्थ में कोई भी व्यक्ति इा बात से अभिन्न समझा जायेगा कि अमुक व्यापार खतनाक है या उससे अपदूषण पैदा होने की सम्भावना है यदि मुख्य नगराधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ इस आशय का लिखित नोटिस उक्त व्यक्ति पर तामील कर दिया गया हो या उस भू–गृहादि पर चिपका दिया गया हो, जिससे उस नोटिस का सम्बन्ध हो।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अर्थ में किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह कोई व्यापार, या कार्य सम्पादित कर रहा है या उसने व्यापार, या कार्य करने की अनुज्ञा प्रदान की है, यदि वह ऐसे व्यापार के बढ़ाने के लिए कोई कार्य करता है या वह प्रधान (principal)–अभिकर्ता (agent), लिपिक (clerk), स्वामी, नौकर, श्रमिक, दस्तकार (handicraftsman), के रूप में या अन्य प्रकार से उसमें किसी तरह संलग्न है या उससे सम्बन्ध रखता है।

(4) यदि उपधारा (1) के खण्ड (ग) या (घ) में वर्णित रीति से किसी भू–गृहादि का प्रयोग किया जा रहा हो जब कि उसके प्रतिकूल प्रमाणित न कर दिया जाय, यह उपधारणा की जायेगी (presumed) कि ऐसे भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी ने या दोनों ही ने उक्त प्रयोग की अनुमति दी है।

(5) मुख्य नगराधिकारी के लिए यह वैध होगा कि–

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अनुज्ञप्ति को ऐसे अतिरिक्त निर्बन्धनों या शर्तो के (यदि कोई हों) अधीन रखते हुए, जो मामले की परिस्थिति को देखते हुए उसे उपयुक्त जान पड़े;

(ख) किसी ऐसी अनुज्ञप्ति को रोक लें।

(6) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा अनुज्ञपित दी गई हो, ऐसी अनुज्ञप्ति को उस भू–गृहादि, यदि कोई हो, में या उसके ऊपर रक्खेगा, जिससे उसका सम्बन्ध हो।

(7) मुख्य नगराधिकारी दिन अथवा रात में किसी भी समय ऐस भू–गृहादि में प्रवेश कर सकता है अथवा उसका निरीक्षण कर सकता है, जिसके प्रयोग के लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई हों।

(8) उपधारा (6) और (7) की कोई बात रूई, जूट, ऊन या रेशम की कताई या बुनाई की मिलों या ऐसी किसी अन्य बड़ी मिल या फैक्ट्री पर लागू न होगी जिसे

मुख्य नगराधिकारी समय—समय पर कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से उक्त धारा के प्रवर्तन (operations) से विशेष रूप से मुक्त कर दें।

(9) किसी व्यक्ति के विरूद्ध उस क्षति के लिए कोई प्रतिकर का दावा न किया जा सकेगा जो ऐसे प्रवेश के कारण अथवा ऐसा प्रवेश करने के संबंध में आवश्यक बल प्रयोग करने के समय अनिवार्यतः पहुंची हो किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रवेश करने के लिए तब तक बल प्रयोग न किया जायेग, जब तक कि यह विश्वास करने का कारण न हो कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अथवा उसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के विरूद्ध कोई अपराध किया जा रहा है।

439. **कसाइयों और ऐसे व्यक्तियों को जो पशुओं का मांस बेंचते हों, अनुज्ञप्ति लेनी होगी**—कोई व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी द्वारा एतदर्थ दी गई अनुज्ञप्ति के बिना या उसके निबन्धनों के अननुकूल—

(क) नगर के भीतर या किसी निगम वधशाला में कसाई का व्यापार न करेगा;

(ख) नगर के भीतर किसी स्थान का प्रयोग मानव—भोजन के लिए अभिप्रेत किसी पशु के मासं की बिक्री के लिए न करेगा और न नगर में उपयोग के प्रयोजनार्थ ऐसे मास की बिक्री के लिए नगर के बाहर किसी स्थान का प्रयोग करेगा।

440. **दुग्धशाला अन्य पदाथर्झे का व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित होगी**—कोई व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी द्वारा एतदर्थ दी गई अनुज्ञप्ति के बिना या उसके निबन्धनों के अननुकूल—

(क) नगर के भीतर दुग्धशला का व्यापार या कारबार न करेगा,

(ख) नगर के भीतर किसी स्थान का प्रयोग दुग्धशाला के रूप में या दुग्धशाला जन्य पदार्थो की बिक्री के लिए न करेगा।

441. **षर्ते जिनके अधीन वास्तुशास्त्री, अभियंता, ढांचा निर्माण, भू—मापक या नल मिस्त्री नगर के भीतर अपना—अपना व्यापार कर सकते हैं**—(1) प्रत्येक वास्तुशास्त्री (architect), अभियन्ता, ढांचा निर्माता (structural designer), भू—मापक (serveyor) या नल मिस्त्री (plumber) को नगर में अपना व्यवासय करता हो, तदर्थ मुख्य नगराधिकारी से अनुज्ञप्ति लेगा;

(2) अनुज्ञप्ति, उपविधियों द्वारा नियत की जाने वाली अवधि के लिए होगी, किन्तु विहित शुल्क अदा करने पर अतिरिक्त अवधियों (futher terms) के लिए उतनी बार उसका नवीकरण किया जा सकेगा, जितनी बार आवश्यक हों।

(3) धारा (1) के अधीन तब तक कोई अनुज्ञप्ति न दी जायेगी जब तक कि उसके आवेदन—पत्र देने वाले व्यक्ति में वे अर्हतायें न हो जो तदर्थ विहित की गई हों, और अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन—पत्र अस्वीकृत न किया जायेगा यदि प्रार्थी में उपर्युक्त अर्हतायें वर्तमान हों सिवाय उस दशा में जब इस बात की समुचित आशंका हो कि वह व्यक्ति अक्षम (incompetent) है या वह, यथास्थिति, वास्तुशास्त्री, अभियन्ता, ढांचा निर्माता, भू—मापक अथवा नल मिस्त्री के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में गम्भीर दुर्व्यवहार (gross misconduct) का दोशी पाया गया है।

442. **अनुज्ञप्त नल मिस्त्री उचित रूप से कार्य सम्पादित करने के लिए बाध्य होंगें**—कोई अनुज्ञप्त नल मिस्त्री इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य को असावधानी

या उपेक्षा से सम्पादित न करेगा या ऐसे कार्य प्रयोजन के लिए खराब सामग्री, उपकरण या संधारण (fittings) का प्रयोग न करेगा।

443. **कार्यकारणी समिति नल मिस्त्रियों के लिए शुल्क निश्चित करेगी**—कार्यकारिणी समिति वह शुल्क या व्यय निश्चित करेगी जो इस अधिनियम के अधीन, किसी या सभी प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्त नल मिस्त्रियों को उनके द्वारा किये कार्यो के लिए दी जायेगी और अनुज्ञप्त नल मिस्त्री ऐसे कार्य के लिए निश्चित शुल्क या व्यय से अधिक न मॉगेगा और न प्राप्त करेगा।

444. **अनैतिक प्रयोजनों के लिए इधर उधर घूमना और याचना करना**—यदि कोई व्यक्ति नगर की सीमा के भीतर किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान में वेश्यागमन प्रयोजनार्थ घूमता है या लैगिंक अनैतिकता करने के लिए किसी व्यक्ति को संकेत करता है (importunes) तो वह अपराधी ठहराये जाने पर जुर्माने का भागी होगा, जो पचास रूपये तक हो सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कोई न्यायालय किसी अपराध का निग्रहण न करेगा सिवाय प्रेरित व्यक्ति की शिकायत पर अथवा एतद्र्थ क्रमशः निगम और जिला मजिस्ट्रैट द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किये गये किसी निगम प्राधिकारी या पुलिस प्राधिकारी, जो सब—इन्स्पेक्टर के पद से निम्न पद का न हो, की शिकायत पर।

445. **वेश्वागृह आदि**—(1) जब प्रथम श्रेणी के किसी मजिस्ट्रैट को यह सूचना मिले कि—

(क) किसी उपासना स्थल, शिक्षा संस्था के या किसी बोर्डिंग हाउस, छात्रवास या भोजनालय (mess) के निकट जिसक छात्र प्रयोग करते हों या जिसमें वे अध्यासित हों, कोई मकान वेश्यागृह (brothel) के रूप में या आभ्यासिक वेश्यावृत (habitual prositituion) के प्रयोजनार्थ अथवा किसी भी प्रकार के उच्छृंखल (disordedy) व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है; या

(ख) कोई मकान उपर्युक्त रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जो पास पड़ोस के प्रतिश्ठित निवासियों के परिभय (annhoyance) का कारण है; या

(ग) छावनी के ठीक पड़ोस में कोई मकान वेश्वागृह या आभ्यासिक वेश्यावृतित्त के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाया जा रहा है;

तो वह उस मकान के स्वामी, किरायेदार, प्रबन्धक या अध्यासी को स्वयं या अभिकर्ता द्वारा अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलवा सकता है, और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि उक्त मकान खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) में उल्लिखित रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो वह ऐसे स्वामी, किरायेदार, प्रबन्धक या अध्यासी को लिखित आदेश दे सकता है कि वह ऐसी आज्ञा में लिाति अवधि के भीतर, जो उस आज्ञा के दिनांक से पांच दिन से कम की न होगी, ऐसे प्रयोग को बन्द कर दें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही केवल—

(i) जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति या आज्ञा से; या

(ii) जिस मकान के संबंध में शिकायत हो, उसके ठीक पास—पड़ोस में रहने वाले तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों की शिकायत पर, या

(iii) महापालिका की शिकाय पर;

की जायेगी।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा आज्ञा दी गई है, ऐसी आज्ञा में दी गई अवधि के भीतर, उक्त आज्ञा का अनुपालन न कर सके तो मजिस्ट्रेट उस पर जुर्माना कर सकता है जो उक्त अवधि के व्यतीत होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें उस मकान के उपर्युक्त प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जाय, एक सौ रूपये तक हो सकता है।

446. **भिक्षावृत्ति आदि**—यदि कोई व्यक्ति नगर के भीतर किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान में लोगों को तंग करके भिक्षा मांगता है अथवा दान की भावना जागृत करने के उद्देश्य से किसी कुरूपता या रोग या दुर्गन्धयुक्त घाव या ब्रण को खुला रखता है या प्रदर्शित करता है तो अपराधी ठहराये जाने पर उसे कारावास का दण्ड दिया जा सकता है जो एक महीने तक हो सकता हैं या जुर्माना किया जा सकता है, जो पचास रूपये तक हो सकता है या दोनों ही दंड दिये जा सकते है।

447. **दुग्धशाला के प्रयोजनार्थ रखे गये अथवा भोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले पशुओं को अनुचित भोजन देना**—कोई भी व्यक्ति, उस पशु को जो दुग्धशाला के प्रयोजनार्थ रखा गया हो या जो भोजन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता हो, गन्दे या हानिकारक (deleterious) पदार्थ न तो खिलायेगा और न खिलाने की अनुमति देगा।

448. **ज्वलनशील वस्तुओं का ढेर लगाना आदि**—जब जीवन या सम्पत्ति पर आने वाले संकट के निवारणार्थ आवश्यक प्रतीत हो तो मुख्य नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा सभी व्यक्तियों को किसी भी स्थान में या नोटिस में निर्दिष्ट सीमा के भीतर लकड़ी, सूखी घास, पुआल, या अन्य ज्वलनशील (inflammable) वस्तुओं का ढेर लगाने या उन्हें संग्रह करने वाले अथवा चटाईयां या फूल की झोपड़ी रखने या आग जलाने का प्रतिषेध कर सकता है।

449. **खंड़जों (pavements) आदि स्थानध्युक्त करना**—(1) कोई व्यक्ति सार्वजनिक सड़क के खंड़जें, गन्दी मोरी (gutte), झण्डे या अन्य सामग्री, या उसकी भेड़, दीवाल या खम्भों या निगम की बत्ती (lamp), बत्ती का खम्भा, ब्रेकेट, मार्ग निर्देशन स्तम्भ (direction-post), पानी का बम्बा (stand-post), पानी निकालने का बम्बा (hydrant) या उसके भीतर की निगम की ऐसी ही अन्य सम्पत्ति को मुख्य नगराधिकारी या अन्य विधिपूर्ण प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना न स्थानच्युत (displace) करेगा, न लेगा और न उसमें परिवर्तन करेगा और न अन्य किसी प्रकार से उसमें हस्तक्षेप ही करेगा तथा कोई भी व्यक्ति निगम की बत्ती को नहीं बुझायेगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित किसी काम के लिए किये जाने के कारण निगम द्वारा जो व्यय किया जायेगा वह अपराधी (offender) से अध्याय 21 में उपबन्धित रीति से वसूल किया जा सकता है।

450. **आग्नेयास्त्र चलाना आदि** —कोई व्यक्ति उस रीति से आग्नेयास्त्र न चलायेगा अथवा आतिशबी या आग के गुब्बारे न छोड़ेगा, या खेल नकरेगा, जिससे राह चलने वाले या पास—पड़ोस में रहने या कार्य करने वाले व्यक्तियों के जीवन को संकट पहुंचे या पहूंचने की संभावना हो या जिससे सम्पत्ति को क्षति पहुंचने का डर हो।

451. अनुज्ञप्तियां और लिखित अनुज्ञायें देने, उन्हें निलम्बित करने या उनका प्रतिसंहरण करने तथा शुल्क आदि के लगाये जाने के संबंध में सामान्य उपलब्ध–(1) जब इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी प्रयोजनार्थ कोई अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा देने की व्यवस्था हो तो ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा में वह अवधि जिसके लिए और वह निर्बन्धन और शर्ते, जिनके अधीन रहते हुस दी गई हों और वह दिनांक भी दिया होगा, जिस तक उसके नवीकरण के लिए आवेदन–पत्र देना होगा और वह अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर से या धारा 119 के अधीन उसे देने के लिए अधिकृत किये गये किसी निगम पदाधिकारी के हस्ताक्षर से दी जोयगी।

(2) सिवाय उस दशा के जब इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई अन्य व्यवस्था की जाय, ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा के लिए ऐसी दर से शुल्क लिया जा सकता है, जिसे निगम की स्वीकृति से मुख्य नगराधिकारी समय–समय पर निश्चित करें।

(3) धारा 423 की उपधारा (2) के प्रतिबन्ध के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन दी गई कोई अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी भी समय निलम्बित या प्रतिसंहत की जा सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि उसे गृहीता (holder) ने भ्रान्त कथन या कपट से प्राप्त किया है या वह व्यक्ति, जिसे वह दी गई है, उसके किसी निर्बन्धन या शर्तो का अतिलंघन (infringe) या अपवन्चन (evade) करता है या यदि उक्त व्यक्ति किसी ऐसे मामलें में, जिससे उक्त अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा सम्बन्ध रखती हो, इस अधिनियम या किसी नियम, उपविधि या विनियम के किसी उपबन्ध का अतिलंघ (infringement) करने के कारण अपराधी ठहराया गया है।

(4) यदि उक्त कोई अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा निलम्बित या प्रतिसंहत की जाय या जब वह अवधि जिसके लिए वह अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा दी गई थी, समाप्त हो गई हो, तो वह व्यक्ति जिसे वह अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा दी गई हो, इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के एिल, उस समय तक बिना अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा के समझा जायेगा, जब तक कि मुख्य नगराधिकारी, यथास्थिति, अपने द्वारा अनिुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा को निलम्बित या प्रतिसंहत करने के निमित्त दी गई आज्ञा को निश्रस्त न कर दे या जब तक कि अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा का नवीकरण न कर दिया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा में निर्दिष्ट दिनांक तक उसके नवीकरण के लिए कोई आवेदन–पत्र दे दिया गया हो तो आज्ञा प्राप्त होने तक प्रार्थी को इस प्रकार कार्य करने का अधिकार होगा, मानो कि उसक नवीकरण हो गया है।

(5) प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा दी गई हो, सभी समुचित समयों, पर जब तक कि उक्त लिखित अनुमति या अनुज्ञप्ति प्रचलित हो, मुख्य नगराधिकारी द्वारा ऐसा आदेश दिये जाने पर, उस अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा को प्रस्तुत करेगा।

(6) अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के लिए प्रत्येक आवेदन–पत्र मुख्य नगराधिकारी को संबोधित किया जायेगा।

(7) मुख्य नगराधिकारी द्वारा या उसकी ओर से अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के लिए शुल्क स्वीकार किया जाना ही षुल्क देने वाले व्यक्ति को अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा का अधिकार नहीं बना देगा।

452. **अनुज्ञप्ति शुल्क इत्यादि**–मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसी अनुज्ञप्ति, स्वीकृति या अनुज्ञा के लिये जिसका उसके द्वारा दिया जाना इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन अधिकृत अथवा अपेक्षित है, उपविधि द्वारा निश्चित शुल्क ले सकता है।

453. **नियम बनाने का अधिकार**–(1) इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है

(2) उपर्युक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :–

(क) निगम या निजी बाजारों के भीतर या बाहर बिक्री का विनियमन;

(ख) निजी बाजारों की सीमा निश्चित या निर्धारित करना;

(ग) निजी बाजारों के लिए पहुंच के उचित रास्ते (approaches), आस–पास के स्थान एवं संवीजन (ventilation);

(घ) निजी बाजारों तथा वधशालाओं के लिए उचित खंड़जे तथा जल–निस्सारण का प्रबन्ध;

(ङ) अनुज्ञप्त भू–मापको (licensed surveyors), वास्तुशास्त्रियों (arcxhitects), अभियंताओं ढांचा निर्माताओं (structural designers) निर्माण लिपिकों तथा नल मिस्त्रियों के पथ प्रदर्शनार्थ क्रमशः आज्ञायें जारी करना।

अध्याय 17
जन्म–मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े

454. **जन्म तथा मृत्यु का पंजीयन (registration)**–मुख्य नगराधिकारी जन्म तथा मृत्यु का एक रजिस्टर रखवायेगा, जिसमें नगर में होने वाले प्रत्येक जन्म तथा मृत्यु को विहित रीति से दर्ज किया जायेगा।

455. **नियम बनाने का अधिकार**–राज्य सरकार निम्नलिखित की व्यसवस्था करने के लिए नियम बना सकती है–

(क) नगर में होने वाले जन्म और मृत्यु के बारें में सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया;

(ख) जन्म तथा मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज किये जाने वाले विवरण;

(ग) जन्म तथा मृत्यु के बारें में सूचना संग्रह करने के लिए निगम के पदाधिकारियों और सेवकों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले अधिकार;

(घ) नगर में होने वाले प्रत्येक जन्म तथा मृत्यु के सम्बन्ध में यथास्थिति नवजात अथवा मृत व्यक्ति के माता–पिता अथवा अन्य किसी सम्बन्धी अथवा अन्य किसी व्यक्ति का, निगम के पदाधिकारियों और सेवकों को सूचना देना तथा जन्म और मृत्यु के रजिस्टरों में गल्यिां ठीक किया जाना;

(ङ) बच्चे के नाम का अथवा नामों के परिवर्तन का पंजीयन (registration);

(च) अन्य ऐसे प्रासंगिक तथा आनुषंगिक विषय जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से आवश्यक हो।

अध्याय 18
प्रतिकर (compensation)

456. प्रतिकर अदा करने का मुख्य नगराधिकारी का सामान्य अधिकार—किसी ऐसे मामलें में, जिसको इस अधिनियम में अथवा इसके अन्तगर्कत बने कियी नियम अथवा उपविधि में स्पष्टतः अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो, मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर (compensation) अदा कर सकता है, जिसे इस अधिनियम द्वारा अथवा उक्त किसी नियम या उपविधि द्वारा मुख्य नगराधिकारी अथवा किसी निगम पदाधिकारी अथवा सेवक में निहित अधिकार का प्रयोग करने के कारण कोई क्षति हुई हो।

457. मूल्यांपकर्षित (deteriornated) अचल सम्पत्ति के मूल्य के लिए स्वामी को दिया जाने वाला प्रतिकर—(1) किसी ऐसे मामलें, जिसमें धारा 231, 232, 249, 250, 251 और 284 द्वारा प्रदत्त अधिकार का उपयोग करने के कारण किसी अचल सम्पत्ति के मूल्य में अपकर्ष हो गया हो (deteriorated), निगम उस सम्पत्ति के स्वामी को उचित प्रतिकर दे सकती है;

(2) यदि उस सम्पत्ति का, जिसके मूल्य में अपकर्ष हुआ हो, स्वामी प्रतिकर स्वीकार कर लेता है, तो यह समझा जायेगा कि उसने निगम को उपर्युक्त किन्हीं भी धाराओं के अधीन ऐसी रीति से अपने अधिकारों का प्रयोग जारी राने का सतत अधिकार (perpetual right) दे दिया है कि उस अपदूषण अथवा उस क्षति की अपेक्ष जो उस समय, जब प्रतिकर प्राप्त हुआ था, की जा रही थी या पहुंचायी जा रही थी, अधिक अपदूषण (nuisance) अथवा क्षति न की जायेगी और न पहुंचाई जायेगी।

458. सिद्धान्त, जिन पर और रीति जिनसे प्रतिकर निर्धारित किया जायेगा—(1) धारा 457 की उपधारा (1) के अधीन अदा किये जाने वाले प्रतिकर की राशि का निर्धारिण करते समय यथास्थिति मुख्य नगराधिकारी अथवा निगम यथासंभव लैन्ड एक्वीजिशन, ऐक्ट 1894 जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित हुआ है, की धारा 23 तथा 24 के उपबन्धों से तथा उन विषयों के सम्बन्ध में जिनपर इन उपबन्धों के अधीन विचार नहीं किया जा सकता, ऐसे उपबन्धों को निर्देशित (guided) होगा; जो नियमों द्वारा विहित किये जायं।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 456 अथवा 457 के अधीन दिये गये प्रतिकर के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी अथवा निगम के निर्णय से क्षुब्ध हो तो वह एक महीने की अवधि के भीतर अध्याय 20 के उपबनधों के अनुसार न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकता है।

459. नियम बनाने का अधिकार—(1) राज्य सरकार इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) वे सिद्धांत, जिनके आधार पर प्रतिकर का निर्धारण किया जायेगा,

(ख) मुख्य नगराधिकारी द्वारा प्रतिकर का निर्धारण,

(ग) अस्थायी निर्धारणों (tentative assessmernts) के सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत करना और उनका निस्तारण।

अध्याय 19
शास्तियां (**Penalties**)

460. **कुछ अपराध, जिनमें जुर्माने का दंड दिया जा सकता है**–(1) जो भी व्यक्ति–

(क) अनुसूची 3 की सारिणी के भाग 1 के पहले स्तम्भ में उल्लिखित किन्हीं धाराओं, उपधाराओं या खंडों या उनके अन्तर्गत दी गई किसी आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघ करे; या

(ख) उक्त किन्हीं धाराओं, उपधाराओं या खंडों के अधीन उसे विधितः दिये गये किसी आदेश का अनुपालन न करे;

तो उसे ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए अर्थ दंड दिया जायेगा, जो उस सम्बन्ध में उक्त भाग के दूसरे स्तम्भ में उल्लिखित धनराशि तक हो सकता है।

(2) जो भी व्यक्ति–

(क) अनुसूची 3 की सारिणी के भाग 2 के पहले स्तम्भ में उल्लिखित किन्हीं धाराओं, उपधाराओं या खंडों या उनके अन्तर्गत दी गई किसी आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघ करे; या

(ख) उक्त किन्हीं धाराओं, उपधाराओं या खंडों के अधीन उसे विधितः दिये गये किसी आदेश का अनुपालन न करे;

के कारण सिद्धदोष (**convicted**) हो जाने के पश्चात् भी बराबर उक्त उपबन्ध का उल्लंघन अथवा आदेश का अनुपालन करने में उपेक्षा करता रहे या उक्त उपबन्ध के उल्लंघन में किये गये किसी निर्माण कार्य या वस्तु को न हटाने या ठीक न करे, जैसी भी स्थिति हो, या किसी भू–गृहादि को रिक्त न करे, तो उसे प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जब तक वह उक्त अपराध करता रहे अर्थ दंड दिया जाये, जो उस सम्बन्ध में उक्त भाग के दूसरे स्तम्भ में उल्लिखित धनराशि तक हो सकता है।

461. **पीनल कोड के अधीन दंडनीय अपराध**–(1) जो भी व्यक्ति निम्नलिखित सारिणी के पहिले स्तम्भ में उल्लिखित इस अधिनियम की किन्हीं धाराओं, उपधाराओं या खंड या उनके अन्तर्गत दी गई किसी आज्ञा के उपबन्ध का उल्लंघन करे और जो भी व्यक्ति उक्त किन्हीं धाराओं, उपधाराओं या खंडो के अधीन उसे विधितः दिये गये उसी आदेश का अनुपालन न करे, तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है जो इंडियन पीनल कोड की उस धारा के अधीन दंडनीय है जो क्रमशः उक्त सारिणी के दूसरे स्तम्भ में उस कोड की ऐसी धारा के रूप में निर्दिश्ट की गयी है जिसके अधीन उस व्यक्ति को दंड दिया जायेगा, अर्थात :–

इस अधिनियम की धारायें	इंडियन पीनल कोड की वे धारायें जिनके अधीन अपराध दंडनीय है
267 (3), 400, खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च)	277
411	188
556	177

(2) जो भी व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी द्वारा विधितः दिये गये किसी ऐसे आदेश, नोटिस अथवा आज्ञा का अनुपालन नहीं करता, जो किसी भवन के वार्षिक मूल्य को

निर्धारित करने के सम्बन्ध में सूचना देने अथवा लिखित विवरण (return) के सम्बन्ध में हो या किसी निगम कर के लगाये जाने (levey) या निर्धारण के सम्बन्ध में हो, या जो भी व्यक्ति ऐसी सूचना दे या ऐसी विवरणी तैयार करें, जिसके विशय में वह यह जानता हो कि वह असत्य, अशुद्ध या भ्रामक (share) या स्वत्व (misleading) है, तो यह समझा जायेगा कि उसने इण्डियन पीनल कोड, की यथास्थिति, धारा 176 या 177 के अधीन दंडनीय अपराध किया है।

462. {***}

463. **संविदा आदि में स्वत्व अर्जित करने वाले सदस्य या नगर प्रमुख को दंड**–निगम का कोई सदस्य या नगर प्रमुख जो विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के अननुकूल जानबूझ कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या अपने साझीदार द्वारा, निगम के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर किसी संविदे या नियोजन (contract or employment) में कोई अंश (share) या स्वत्व (interest) अर्जित करें या उसे बराबर बनाये रखे, तो यह समझा जायेगा कि इण्डियन पीनल कोड की धारा 138 के अधीन अपराध किया है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के प्रयोजनों के किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि उसने किसी संविदे या नियोजन में कोई अंश या स्वत्व अर्जित किया है या उसे बराबर बनाये रखा है, यदि वह केवल–

(क) भूमि अथवा भवनों के किसी पट्टे, विऊय अथवा क्रय में अथवा उसके लिए किसी अनुबंध में, कोई अंश अथवा स्वत्व रखत हो, परन्तु ऐसा अंश अथवा स्वत्व उसके सदस्य अथवा नगर प्रमुख बनने के पूर्व ही अर्जित किया गया हो; अथवा

(ख) किसी ऐसे संयुक्त सम्भार अथवा (joint stock compoany) में कोई अंश रखता हो जो निगम के साथ संविदा अथवा निगम द्वारा या उसकी ओर से नियोजित होगा; अथवा

(ग) किसी ऐसे समाचार–पत्र में अंश अथवा स्वत्व रखत हो, जिसमें निगम के कार्यो के सम्बद्ध कोई विज्ञापन दिया जाता हो; अथवा

(घ) कोई ऋण–पत्र (debenture) रखता हो अथवा निगम द्वारा उसकी ओर से उगाहे गये (raised) ऋण में अन्यथा कोई स्वत्व रखता हो; अथवा

(ङ) निगम द्वारा विधिक व्यवसायी (legal practitioner) के रूप में बनाये रखा गया हो, (retained); अथवा

(च) किसी ऐसी वस्तु के प्रायिक (occasional) विक्रय में कोई अंश अथवा स्वत्व रखता हो, जिसका वह निगमत के साथ नियममित रूप से किसी एक वर्ष में ऐसी धनराशि से अनधिक का व्यवसाय करता हो, जिसे निगम राज्य सरकार की सवीकृति से एतदर्थ निश्चित करे; अथवा

(छ) जल संभरण के लिए, जिसका शुल्क लिया जाता हो, निगम के साथ किये गये किसी अनुबंध (agreement) में कोई पक्ष (party) हो।

464. **संविदा आदि से कर्मचारियों के स्वत्व रखने के विरूद्ध उपबन्ध**–(1) ऐसा कोई व्यक्ति जो निगम कर्मचारी से भिन्न किसी रूप में स्वयं, या अपने साझीदार द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निगम के साथ उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी संविदे से अथवा निगम के साथ, उसके द्वारा, उसके अधीन अथवा उसकी ओर से किसी

नियोजन में, कोई अंश या स्वत्व रखे, उक्त निगम का कर्मचारी बना रहने के लिए अनर्ह होगा।

(2) ऐसा निगम कर्मचारी जो स्वंय अथवा अपने साझीदार द्वारा, अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपर्युक्त संविदे अथवा नियोजन में कोई अंश या स्वत्व अर्जित करे अाविा बनाये रखे तो वह निगम कर्मचारी न रहेगा और उसका पद रिक्त हो जायगा।

(3) ऐसा निगम सेवक (servant) जो किसी निगम जिसका वह कर्मचारी है, के साथ अधीन अथवा उसकी ओर से किसी संविदे में अथवा उस दशा को छोड़कर जब संविदे का संबंध किसी निगम कर्मचारी के रूप में उसके नियोजन (employment) से हो–किसी नियोजन में जानबुझकर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोई अंश (share) या स्वत्व अर्जित करता है (acquires) अथवा बनाये रखता है– के संबंध में यह समझा जायगा कि उसने इंडियन पीन कोड की धारा 168 के अधीन अपराध किया है।

(4) इस धारा की कोई बात निगम के साथ, उसके अधीन, उसके द्वारा उसकी ओर से किये गये किसी ऐसे संविदे अथवा नियेाजन में, जो धारा 463 के प्रतिबन्दा के खंड (ख), (घ) तथा (छ) में निर्दिष्ट हो, किसी अंश तथा स्वत्व के संबंध में अथवा विहित प्राधिकारी की अनुज्ञा से भूमि अथवा भवनों के किसी पट्टे, क्रय या विक्रय में अर्जित किये अथवा बनाये रखे गये किसी अंश अथवा स्वत्व के, अथवा तदर्थ किये गये किसी अनुबन्ध के संबंध में लागू न होगी।

464.क– **धारा 112–ग और 112–क का उल्लंघन करने के लिए दण्ड**–जो भी व्यक्ति धारा 112–ग या धारा 112–क का उल्लंघन करके कोई कार्य करता है अथवा करने के लिए अनुत्तेजित करता है, तो सिद्धदोष हो जाने पर उसे या तो कारावास का दंड दिया जायगा, जो छः मास तक का हो सकता है अथवा अर्थ–दंड किया जायगा, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकता है अथवा दोनों दंड दिये जायेंगें।

465. **धारा 267 के प्रतिकूल किये गये अपराधों के लिए दंड**–(1) जो भी व्यक्ति धारा 267 की उपधारा (2) के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघ करे, उसे दोष सिद्ध होने पर, एक मास तक का करावास दंड अथवा 100 रूपये तक का अर्थ दंड अथवा दोनों ही दंड दिये जा सकते है।

(2) जब कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन सिद्ध–दोष होता है दोष–सिद्ध करने वाला मैजिस्ट्रेट ऐसे किसी भवन के तुरन्त हटाये जाने अथवा ऐसी किसी भूमि पर होने वाली क्रियाओं अथवा उस भूमि के प्रयोग को तुरन्त बन्द किये जाने की आज्ञा दे सकता है, जिसके संबंध में उक्त दोष–सिद्धि (conviection) की गयी है।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन दी गयी किसी आज्ञा का पालन न किया जाय अथवा उसके संपादन का विरोध किया जाय तो अपराधी व्यक्ति को दोष सिद्ध होने पर, एक महीने का कारावास दण्ड अथवा 100 रूपये तक अर्थ–दंड अथवा दोनों ही दण्ड दिये जा सकते है।

466. {***}

467. **सामान्य शास्ति**–जो भी व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अथरवा तदन्तर्गत प्रचारित किसी नियम, उपविधि, विनियम, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या नोटिस का उल्लंघन करे अथवा ऐसे किसी उपबन्ध के अधीन विधितः दी गयी किसी आज्ञा का पालन करने में असफल रहे, तो यदि इस अधिनियम के अन्य किसी उपबन्ध में ऐसे उल्लंघन अथवा

असफलता के लिए किसी शास्ति की व्यवस्था न की गयी हो, उसे ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए 100 रूपये का अर्थ दंड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष–सिद्धि के उपरान्त ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक कि उक्त उल्लंघन अथवा असफलता जारी रहे, 25 रूपये तक का अर्थ–दंड दिया जा सकता है।

468. **स्वामियों के अभिकर्ताओं तथा न्यासियों के उत्तरदायित्व के संबंध में शास्ति की आयति**–कोई भी व्यक्ति जो धारा 2 के खंड (52) के उपखंड (क) की कंडिका (1), (2) तथा (3) में वर्णित किसी भी रूप में भू–गृहादि का किराया प्राप्त करता है, उक्त भू–गृहादि के रूप में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य के न करने के लिए किसी शास्ति का भागी न होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि वह चूक (default) इसी कारण हुई है कि अपेक्षित कार्य पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए, उसके पास स्वामी को अथवा स्वामी की देय पर्याप्त धनराशि न थी।

469. **समवाय (companies) आदि द्वारा किये गये अपराध**–इस अधिनियम अथवा किसी नियम, उपविधि या विनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति, यदि कोई समवाय, निगर्मित संस्था, अथवा व्यक्तियों का संघ (चाहे वह निगमित हो अथवा न हो) या फर्म हो तो उसके प्रत्येक संचालक प्रबन्धक, मंत्री, अभिकर्ता या अन्य किसी पदाधिकारी अथवा उसके प्रबन्ध से सम्बद्ध किसी व्यक्ति तथा फर्म के प्रत्येक हिस्सेदार जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि उक्त अपराध बिना उसकी जानकारी अथवा सहमति के किया गया है, के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह उक्त अपराध का दोशी है।

470. **इस अधिनियम के प्रतिकूल दोषी व्यक्तियों द्वारा की गयी क्षति के लिए उनके द्वारा देय प्रतिकर**–(1) यदि कोई कार्य करने या न करने (omission) के कारण कोई व्यक्ति इस अधिनियम अथवा किसी नियगम, विनियम या उपविधि के प्रतिकूल किसी अपराध में सिद्ध–दोष हुआ हो और उस व्यक्ति के उक्त कार्य करने अथवा न करने के कारण निगम की किसी सम्पत्ति को क्षति पहुंची हो, तो उक्त अपराध के लिए उस व्यक्ति को दंड दिये जा चुकने पर भी उसे क्षति के पूर्ति देना होगा।

(2) कोई विवाद उठ खड़ा होने पर उक्त व्यक्ति द्वारा देय प्रतिकर की धनराशि उस मैजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की जायेगी, जिसके समक्ष उक्त अपराध के संबंध में वह सिद्ध–दोष हुआ हो और इस प्रकार निर्धारित प्रतिकर की धनराशि अदा न किये जाने पर वह उक्त मैजिस्ट्रेट के वारन्ट द्वारा इस प्रकार वसूल की जायेगी, मानो वह धनराशि मैजिस्ट्रेट द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति पर किया गया कोई जुर्माना हो, जिस पर उसे अदा करने का दायित्व हो।

अध्याय 20
न्यायाधीश (judge), जिला जज और मैजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाहियां

471. **न्यायाधीश (Judge) का अभिदेश (reference)**–निम्नलिखित मामलों में न्यायाधीश (Judge) को अभिदेश (reference) किया जायेगा–

(1) इस संबंध में कि धारा 249 के अधीन भवन अथवा कुटी के स्वामी के आवेदन–पत्र देने पर मुख्य नगराधिकारी को दंड या पाइप हटाने के लिए आदेश दिया जा सकता है या नहीं;

(2) धारा 284 के अधीन किसी भवन को आगे बढ़ाने (setting forward) के लिए अपेक्षित भूमि के मूल्य की धनराशि के संबंध में;

(3) धारा 522 के अधीन मुख्य नगराधिकारी या किसी निगम पदाधिकारी की आज्ञा के अधीन संपादित कोई निर्माण–कार्य अथवा किसी गया कोई कार्य (measure) या की गई बातों (things) के लिए व्यय की धनराशि अथवा उसके भुगतान के संबंध में;

(4) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा उपविधि के अधीन होने वाले व्यय या प्रतिकर की धनराशि या उसके भुगतान और संविभाजन के संबंध में (apportionment) जिसके लिए अन्यथा विशिष्ट रूप से व्यवस्था न की गयी हो।

मूल्याकंनों और करों के विरूद्ध अपील

472. अपीले कब और किसकी की जायेगी–(1) आगे दिये हुए उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन निश्चित (fixed) अथवा भारित (charged) किसी वार्षिक मूल्य या कर के विरूद्ध अपीले न्यायाधीन (Judge) द्वारा सुनी और निर्धारित की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि न्यायाधीश के समक्ष किसी प्रक्रम पर लम्बित कोई ऐसी अपील सुनवाई और निस्तारण के लिए जिला जज द्वारा लघुवाद न्यायालय के किसी अपर न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश या अपर सिविल न्यायाधीश को, जिसकी नगर में अधिकारिता हो, अन्तरित की जा सकती है।

(2) ऐसी कोई भी अपी उस समय तक न सुनी जायेगी जब तक कि–

(क) वह शिकायत का कारण प्रोद्भूत होने (accrual) के पश्चात् 15 दिन के भीतर न की गई हो;

(ख) वार्शिक मूल्य के विरूद्ध की गयी किसी अपील की दशा में पहिले आपत्ति न की गयी हो और धारा 209 के अधी न उसका निपटारा न किया जा चुका हो;

(ग) किसी ऐसे कर के विरूद्ध अपील की दशा में, जिसके संबंध में मांग के विरूद्ध मुख्य नगराधिकारी को आपत्ति किये जाने के लिए इस अधिनियम के अधीन व्यवस्था हो, ऐसी आपत्ति पहले न की गई हो और उसका निपटारा न किया जा चुका हो;

(घ) धारा 213 की उपधारा (1) के अधीन सम्पत्ति करों की निर्धारण सूची में किये गये किसी संशोधन या परिवर्तन के विरूद्ध की गयी किसी अपील की दशा में, उक्त उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन जारी किये गये नोटिस के अनुसरण में आपत्ति न की गयी हो और ऐसी आपत्ति का निपटारा न किया जा चुका हो;

(ङ) किसी कर के विरूद्ध अपील की दशा में वार्षिक मूल्याकंन के विरूद्ध अपील की दशा में, जब ऐसे मूल्याकंन पर निर्धारित कोई सम्पत्ति कर का बिल अपीलकर्ता को प्रस्तुत किया जा चुका हो, अपीलकर्ता में अभियाचित धनराशि उसके द्वारा मुख्य नगराधिकारी के पास जमा न कर दी गई हो।

473. शिकायत का कारण कब प्रोदभूत समझा जायेगा–धारा 472 के प्रयोजनों के लिए शिकायत का कारण निम्नलिखित प्रकार से प्रोद्भूत हुआ समझा जायेगा, अर्थात्–

(क) धारा 209 के अधीन ऐसे मूल्याकंन के विरूद्ध अपील की दशा में, उस दिन जब ऐसे मूल्याकंन के विरूद्ध मुख्य नगराधिकारी को की गई आपत्ति का निपटारा किया जाय;

(ख) धारा 472 की उपधारा (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट कर के विरूद्ध अपील की दशा मे, उस दिन जब ऐसे कर के विरूद्ध की गयी आपत्ति का संबंधित प्राधिकारी द्वारा निपटारा कर दिया जाय;

(ग) धारा 213 की उपधारा (1) के अधीन सम्पत्ति करों की निर्धारण सूची में किये गये किसी संशोधन या परिवर्तन के विरूद्ध की गयी किसी अपील की दशा में, उस दिन जब उक्त उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खंड के अीन जारी किये गये नोटिस के अनुसरण में आपत्ति का निपटारा कर दिया जाय;

(घ) किसी ऐसे कर के विरूद्ध अपील की दशा में जो उपर्युक्त खंड (ख) के अन्तर्गत न आता हो, उस दिन जब उसका भुगतान मांगा जाय अथवा बिल (bill) तामील किया जाय।

474. **मध्यस्थ निर्णय (arbitration)**–जब इस अधिनियम के अधीन निश्चित या भारित किसी वार्षिक मूल्याकंन या कर के विरूद्ध कोई अपील विचाराधीन हो तथा उसमें स्वत्व रखने सभी पक्ष इस बात से सहमत हो कि उनके बीच मतभेद का कोई भी विषय मध्यस्थ निर्णय के लिए निर्दिष्ट किया जाय तो वे ऐसी अपील के निर्णय होने से पूर्व किसी भी समय न्यायाधीश (Judge) को ऐसे विषय में अभिदेश (reference) की आज्ञा के निमित्त लिखित प्रार्थना–पत्र दे सकते हैं और ऐसा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वादों के माध्यस्थ निर्णयन संबंधी आर्बिट्रेशन ऐक्ट, 1940 के उपबन्ध जहां तक कि वे लागू किये जा सकते हों, उस प्रार्थना पत्र और उस आगे होने वाली कार्यवाही पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों उक्त न्यायाधीश (Judge) उस अधिनियम के अर्थ में कोई कोर्ट (न्यायालय) हो और वह प्रार्थना पत्र किसी वाद में प्रस्तुत किया गया कोई प्रार्थना–पत्र हो।

475. **कुशल मूल्याकंन करने वाले की नियुक्ति**–(1) यदि वार्षिक मूल्याकंन के विरूद्ध की गई किसी अपील का कोई पक्ष (party) अपील की सुनवाई से पूर्व अपील की सुनवाई के दौरान में किसी भी समय, किन्तु मूल्याकंन से सम्बद्ध साक्ष्य प्रस्तुत होने से पूर्व, न्यायाधीश (Judge) को प्रार्थना–पत्र देता है कि उस भू–गृहादि के निमित्त जिसके बारें में अपील की गई हो, मूल्याकंन के लिए आदेश (direction) दिया जाय तो न्यायाधीश (Judge) स्वविवेक से किसी भी सक्षम व्यक्ति को मूल्याकंन करने के लिए नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उस भू–गृहादि में प्रवेश करने, उसको परिमाप करने तथा उसका मूल्याकंन करने का अधिकार प्राप्त होगा जिसके संबंध में आदेश दिया गया हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस दशा को छोड़कर जब ऐसा प्रार्थना–पत्र मुख्य नगराधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाय, न्यायाधीश (Judge) तब तक ऐसा आदेश नहीं देगा जब तक प्रार्थी मुख्य नगराधिकारी को ऐसी प्रतिभूति न दे दे, जिसे न्यायाधीश (Judge) इस उपधारा के अधीन मूल्याकंन की लागत (costs) के भुगतान के लिए उचित समझें।

(2) उपधारा (1) के अधीन मूल्याकंन के लिए किया गया व्यय अपील का व्यय (costs) होगा, किन्तु वह पहले पहल (in the first instance) प्रार्थी द्वारा देय होगा।

(3) न्यायाधीश (Judge) को अधिकार होगा, ओर अपील के किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर उसके लिए आवश्यक होगा कि उपधारा (1) के अधीन मूल्याकंन करने वाले व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुलाये तथा जब वह इस प्रकार बुलाया जाय तो अपील के किसी पक्ष को उससे जिरह करने का अधिकार होगा।

476. **जिला जज को अपीलें**–जिला जज को निम्नलिखित मामलों में अपील हो सकेगी–

(क) धारा 472 के अधीन किसी अपील में न्यायाधीश (Judge) के उस निर्णय के विरूद्ध, जिसके द्वारा वार्षिक मूल्याकंन बारह हजार रूपये से अधिक निश्चित किया जाय; और

(ख) उक्त धारा के अधीन विधि संबंधी अथवा विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा (usage) संबंधी अथवा किसी लेख्य के अन्वय (contrction of a document) संबंधी किसी अपील मेंक न्यायाधीश (Judge) के किसी अन्य निर्णय के विरूद्ध :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई भी अपील जिला जज द्वारा तक न सुनी जायेगी, जब तक कि वह न्यायाधीश (Judge) के निर्णय के दिनांक से एक महीने के भीतर निर्विष्ट (file) न की जाय।

477. **अपील में कार्यवाहियों का व्यय**–न्यायाधीश (Judge) के समक्ष धारा 472 के अधीन अपील की कार्यवाही का, जिसके अन्तर्गत धारा 474 के अधीन मध्स्थ निर्णय की कार्यवाहिं तथा धारा 475 के अधीन मूल्याकंन की कार्यवाहियां भी हैं, व्यय उन पक्षों द्वारा और ऐसे अनुपात में देय होगा जिसे न्यायाधीश (Judge) आदिष्ट (direct) करें ओर यह धनराशि, यदि आवश्यक हो, इस प्रकार वसूल की जा सकगी मानों वह प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट 1887 के अधीन किसी स्माल काजेज कोर्ट द्वारा पारित डिक्री के अधीन देय हो।

478. **ऐसे मूल्याकंन और कर, जिनके विरूद्ध अपील न की गई हो, ता अपील में किये गये निर्णय अन्तिम होंगे**–(1) इस अधिनियम के अधीन निश्चित प्रत्येक ऐसा वार्षिक मूल्यकांन जिसके विरूद्ध पहले की गई व्यवस्था के अनुसार कोई शिकायत न की गयी हो तथा इस अधिनियम के अधीन किसी कर के निमित्त किसी व्यक्ति से अभियाचित (claimed) प्रत्येक धनराशि, यदि पहले दी हुई व्यवस्था के अनुसार उसके विरूद्ध कोई अपील न की गई हो, तथा ऐसे किसी मूल्याकंन अथवा कर के विरूद्ध की गई अपील में उपर्युक्त न्यायाधीश (Judge) का निर्णय, यदि धारा 476 के अधीन ऐसे निर्णय के विरूद्ध अपील न की जाय, ओर यदि ऐसी अपील की जाय तो ऐसी अपील पर जिला जज का निर्णय, अंतिम होगा।

(2) किसी ऐसे मूल्याकंन अथवा कर के विरूद्ध अपील होने पर, मुख्य नगराधिकारी द्वारा उक्त न्यायाधीश (Judge) अथवा जिला जज का निर्णय कार्यान्वित किया जायेगा।

न्यायाधीश (Judge) तथा जिला जज के समक्ष अपीलें

479. **न्यायाधीश के समक्ष अपील**–(1) न्यायाधीश (Judge) के समक्ष की जाने वाली ऐसी किसी अन्य

अपील के अतिरिक्त, जिसकी इस अधिनियम के अधीन व्यवस्था की गई हो, निम्नलिखित मामलों में मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा के विरूद्ध न्यायाधीश (Judge) के समक्ष अपील की जा सकेगी, अर्थात्–

(1) धारा 249 के अधीन दंड या पाइप को न हटाने की आज्ञा;

(2) धारा 284 के अधीन किसी भवन को आगे बढ़ाने की आज्ञा;

(3) धारा 308 के अधीन किसी स्थान के खतरनाक पाये जाने पर उसके स्वामी या अध्यासी उसकी मरम्मत करने, उसे सुरक्षित करने अथवा घेरने के लिए दी गई आज्ञा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी अपील तब तक न की जा सकेगी, जब तक कि वह मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा के दिनांक से एक महीने के भीतर निविष्ट न की जाय।

480. भवन गिराने की आज्ञा के विरूद्ध अपील–(1) धारा 393 के अधीन भवन गिराने की आज्ञा के विरूद्ध धारा 395 के अधीन अपील की जाने पर न्यायाधीश (Judge) उस आज्ञा को पुष्ट करने अथवा निरस्त करने अथवा परिवर्तित करने की ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे और यदि वह उचित समझे तो अपील करने वाले व्यक्ति से ऐसा कोई वचन (undertakingh) स्वीकार कर सकता है जिसे मुख्य नगराधिकारी ने स्वीकार किया होता तथा न्यायाधीश (Judge) द्वारा इस प्रकार स्वीकार किया गया कोई वचन उसी प्रकार प्रभावी होगा मानों वह धारा 393 के अधीन मुख्य नगराधिकारी को दिेया गया हो और उसके द्वारा स्वीकृत किया गया हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि न्यायाधीश (Judge) अपील करने वलो किसी ऐसे व्यक्ति से, जिस पर धारा 393 की उपधारा (1) में वर्णित नोटिस तामील किया गया हो, कोई निर्माण–कार्य संपादित करने का वचन तब तक स्वीकार न करेगा, जब तक कि अपील करने वाले व्यक्ति ने उपधारा (2) के आदेश का अनुपालन न किया हो।

(2) इस धारा के अधीन किसी अपील के संबंध में न्यायाधीश (Judge) द्वारा किये गये निर्णय के विरूद्ध ऐसे निर्णय के एक महीने के भीतर जिला जज को अपील हो सकेगी, यदि मुख्य नगराधिकारी निर्धारण पंजी में इस अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार दर्ज उस भू–गृहादि का वार्षिक मूल्याकंन जिनसे गिराये जाने की आज्ञा, जिसके विरूद्ध अपील की गई हो, पूर्णतः अथवा अंशतः सम्बद्ध हो 2,000 रूपये से अधिक दर्ज की गई हो।

(3) इस धारा के अधीन न्यायाधीश (Judge) द्वारा किया गया निर्णय, यदि उपधारा (2) के अधीन उसके विरूद्ध अपील न हो सकती हो अथवा यदि अपील न की जाय तथा यदि अपील निविष्ट की जाय तो जिला जज द्वारा अपील में किया निर्णय अंतिम होगा।

(4) ऐसी कोई आज्ञा, जिसके विरूद्ध इस धारा के अधीन अपील की जा सकती हो–यदि ऐसी अपील न की जाय–तो धारा 395 में उल्लिखित 21 दिन की अवधि समाप्त होने पर प्रभावी हो जायेगी तथा न विषयों के सम्बन्ध में जो उक्त अपील में उठाये जा सकते थे, अन्तिम और निश्चायक होगी और ऐसी कोई आज्ञा, जिसके विरूद्ध अपील की जाय–यदि और जहां तक न्यायाधीश (Judge) अथवा जिला जज उसे पुष्ट करे–अपील के अन्तिम निर्णय के दिनांक से प्रभावी हो जायेगी।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी अपील की वापस (withdrawal) उसका अन्तिम निर्णय समझा जायेगा तथा उसक वैसा ही प्रभाव होगा, जैसा उस आज्ञा को पुष्ट करने वाले निर्णय का हो, जिसके विरूद्ध अपील की गई हो तथा

उपर्युक्त बातों के अधीन रहते हुए, कोई भी अपील अन्तिम रूप से उस दिन निर्णीत समझी जायेगी, जिस दिन जिला जज निर्णय दे, अथवा जिला जज को अपील किये जाने की दशा में, उस अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् जिसके भीतर अपील की जा सकती है अथवा उस दश में जबकि जिला जज को अपील न हो सके, तो उस दिनांक को, जिस पर न्यायाधीश निर्णय दे, अंतिम रूप से निर्णीत समझी जायेगी।

481. संपादित कार्यो के व्यय के भुगतान के संबंध में न्यायाधीश (Judge) के निर्णय के विरूद्ध अपील–(1) किसी निर्माण–कार्य के संपादन के व्यय की धनराशि अथवा उसकी अदायगी के सम्बन्ध में, जबकि उस दावे की धनराशि जिसमें निर्णय दिया गया हो, 2,000 रू0 से अधिक हो, न्यायाधीश (Judge) के निर्णय के विरूद्ध जिला जज को अपील हो सकेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिला जज द्वारा ऐसी कोई अपील तब तक न सुनी जायेगी जब तक कि वह न्यायाधीश (Judge) के निर्णय के दिनांक से एक महीने के भीतर निविष्ट न की जाय।

(2) सम्पादित किये गये किसी निर्माण–कार्य के व्यय की धनराशि अथवा उसकी अदायगी के सम्बन्ध में न्यायाधीश (Judge) का निर्णय, यदि इस धरा के अधीन अपील निविष्ट न की जाय तथा यदि अपील निविष्ट की जाय, तो ऐसी अपील में जिला जज का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) जब सम्पादित किये गये किसी निर्माण–कार्य के व्यय की धनलराशि अथवा उसकी अदायगी के संबंध में किसी निर्णय के विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन कोई अपील निविष्ट की जाय तो मुख्य नगराधिकारी उक्त धारा के अधीन देय निर्धारित की गई धनराशि की वसूली की कार्यवाही तब तक के लिए स्थगित कर देगा जब तक कि जिला जज का निर्णय न हो जाय तथा निर्णय के पश्चात् उसी धनराशि की यदि कोई वसूली करेगा जो एतद्द्वारा देय निर्धारित की जाय।

न्यायाधीश (Judge) के समक्ष कार्यवाहियां

482. भवन या भूमि के स्वामी का ऐसे अध्यासी के विरूद्ध उपशमाधिकार, जो ऐसे स्वामी को इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुपालन से रोके–(1) यदि किसी भवन अथवा भूमि का स्वामी उसके अध्यासी द्वारा इदस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के किन्हीं उपबनधों के अथवा ऐसे भवन या भूमि के संबंध में इस अधिनियम या किसी ऐसे नियम, विनियम, उपविधि के अधीन दिये गये किसी आदेश के अनुपालन से रोका जाय, तो स्वामी न्यायाधीश (Judge) को प्रार्थना–पत्र दे सकता है।

(2) न्यायाधीश (Judge) ऐसे किसी प्रार्थना–पत्र की प्राप्ति पर लिखित आज्ञा द्वारा अथवा भूमि के अध्यासी को आदेश दे सकता है कि वह उक्त उपबन्ध अथवा आदेश के अनुपालनार्थ स्वामी को सभी उचित सुविधायें दे अथवा यदि उक्त उपबन्ध या आदेश धारा 331 के अन्तर्गत की जाने वाली किसी ऐसी कार्यवाही के संबंध रखता है, जिसमें उक्त अध्यासी की सुरक्षा ओर सुविधा अन्तर्ग्रस्त हो तो भू–गृहादि को अस्थायी रूप से खाली कर दे ताि यदि वह उचित समझे तो यह भी आदेश दे सकता है कि उक्त प्रार्थना–पत्र एवं आज्ञा का व्यय अध्यासी द्वारा वहन किया जाय।

(3) उक्त आज्ञा के दिनांक से आठ दिन के पश्चात उक्त अध्यासी, इसके लिए बाध्य होगा कि वह उपर्युक्त प्रयोजन के निमित्त उक्त आज्ञा में विहित रीति के अनुसार

स्वामी को समस्त यथोचित सुविधायें प्रदान करे या उक्त भू–गृहादि को अस्थायी रूप से खाली कर दे तथा यदि वह लगातार ऐसा करने से इन्कार करे तो उस समय तक जब तक वह इस प्रकार इन्कार करता रहे स्वामी किसी ऐसे दायित्व से मुक्त रहेगा, जो उक्त व्यवस्था या आदेश के अनुपालन न करने के कारण उस पर अन्यथा होता।

(4) इस धारा की काई भी बात इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन मुख्य नगराधिकारी के किसी भू–गृहादि को खाली कराने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगी।

483. **साक्षियों को बुलाने और लेख्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने का अधिकार**–इस अध्याय के प्रयोजनों के निमित्त निम्नलिखित विषयों से सम्बद्ध किसी वाद की सुनवाई करते समय न्यायाधीश को वहीं अधिकार प्राप्त होंगे, जो कोड आफ प्रोसीजर, 1908 ई0 के अधीन न्यायालय में विहत है, अर्थात् :–

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ अथवा प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना

(ख) किसी भी पक्ष को लेख्य (documents) प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना; तथा

(ग) साक्षियों की परीक्षा के आयोग (commissions) जारी करना, और इस अध्याय के अधीन न्यायाधीश (Judge) के समक्ष कोई कार्यवाहीं इंडियन पीनल कोड की धारा 193 तथा 228 के अर्थो में तथा 196 के प्रयोजनों के निमित्त ''जुडीशियन प्रोसीडिंग'' समझी जायेगी।

484. **न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही का शुल्क**–(1) राज्य सरकार समय–समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निम्नलिखित के निमित्त देय शुल्क, यदि कोई हो, विहित कर सकती है–

(क) इस अधिनियम केक अधीन न्यायाधीश (Judge) के समक्ष प्रस्तुत किसी प्रार्थना–पत्र, अपील अथवा अभिदेश पर; तथा

(ख) इस अधिनियम के अधीन न्यायाधीश (Judge) की किसी जांच अथवा कार्यवाही में कोई आह्वाहन (Summons) अथवा अन्य आदेशिका (process) जारी होने से पूर्व;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (क) के अधीन विहित शुल्क, यदि कोई हों, उन दशाओं में जब कि दावे अथवा वाद–विषय (subject-matter) का मूल्य रूपयों में आंका जा सकता हो, कोर्ट फीस ऐक्ट, 1870 के उपबनधों के अधीन ऐसे मामलों में तत्समय लगाए गए (levied) शुल्क से अधिक न होगा, जिसमें दावे अथवा वाद–विषय का मूल्य समान धनराशि का हो।

(2) राज्य सरकार समय–समय पर उक्त प्रकार की विज्ञप्ति द्वारा यह निर्धाकर कर सकती है कि उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन विहित शुल्क किस व्यक्ति को द्वारा देय हतोगा।

(3) न्यायाधीश (Judge) द्वारा कोई भी प्रार्थना–पत्र, अपील अथवा अभिदेश तब तक नहीं लिया जायेगा, जब तक कि तदर्थ उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन विहित शुल्क, यदि कोई न दे दिया गया हो।

485. **निर्धन व्यक्तियों की शुल्क से मुक्ति**–न्यायाधीश (Judge), जब भी यह उचित समझे, इस अधिनियम के अधीन किसी निर्धन व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी प्रार्थना–पत्र, अपील अथवा अभिदेश को ले सकता है और धारा 484 के अधीन विहित शुल्क की अदायगी के बिना अथवा उसकी आंशिक अदायगी पर किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से आदेशिका जारी कर सकता है।

486. **सुनवाई के पूर्व समझौता हो जाने पर आधे शुल्क की वापसी**–जब कभी इस अधिनियम के अधीन न्यायाधीश (Judge) के दिया गया कोई प्रार्थना–पत्र, अपील अथवा अभिदेश सुनवाई से पूर्व पक्षों में अनुबन्ध (agreement) द्वारा तय हो जाय तो उस समय तक अदा किए गए समस्त शुल्कों की आधी धनराशि न्यायाधीश (Judge) द्वारा क्रमशः उन्हीं पक्षों को वापस कर दी जायेगी, जिन्होने उसे अदा किया हो।

मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति

487. **प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति**–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के विरूद्ध किए गये अपराधों पर विचारार्थ निगम की सहमति से एक या एकाधिक प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेटों के पदों का सृजन कर सकती है अथवा किसी भी व्यक्ति को ऐसे पद पर नियुक्त कर सकती है, या ऐसे मैजिस्ट्रेट के न्यायालय के निमित्त ऐसे प्रशासी पदाधिकारी (ministerial offiers) नियुक्त कर सकती है, जिन्हें वह आवश्यक समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन प्रथम श्रेणी एक या एकाधिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति होते हुए भी जिला मैजिस्ट्रेट के न्यायालयोंक में कार्य–वितरण का विनियम करने वाले कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजन, 1898 ई0 की धारा 17 के अधीन तत्समय प्रचलित नियकों के अधीन रहते हुए इस बात के लिए स्वाधीन होगा कि वह ऐसे अपराधों की सुनवाई के कार्य का तथा मैजिस्ट्रेटों के, जिनके अन्तर्गत इस धारा के अधीन नियुक्त मैजिस्ट्रेट भी हैं, न्यायालय के अन्य समस्त कार्यो का ऐसा वितरण करे जो कार्य कुशलता के हित में उसे सर्वश्रेष्ठ प्रतीत हों।

(2) ऐसा मैजिस्ट्रेट अथवा ऐसे मैजिस्ट्रेट तथा उनके स्थापनों (establishments) को ऐसा वेतन, निवृत्ति–वेतन (pension), अवकाश भत्ते (leave allowance) तथ्रा अन्य भत्ते दिये जायेंगे, जिन्हें समय–समय पर राज्य सरकार निश्चित करें।

(3) उपधारा (2) के अधीन निश्चित किए गए वेतन तथा भत्तों की धनराशि की भरपाई, अन्य समस्त प्रासंतिगक परिव्ययों (charges) सहित निगम द्वारा राज्य सरकार को की जायेगी और निगम राज्य सरकार को ऐसे मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेटों के तथा उनके स्थापना के निवृत्ति–वेतनों, अवकाश भत्तों तथा अन्य भत्तों के लिए भी ऐसा अंशदान देगा, जिसे राज्य सरकार समय–समय पर निश्चित करें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार निगम की सहमति से यह आदेश दे सकती है कि इस धारा के अधीन देय धनराशियोंक के बदले निगम प्रतिवर्ष ऐसे दिनांक पर, जिसे राज्य सरकार एतदर्थ निश्चित करे, राज्य सरकार ऐसी नियत (fixed) धनराशि अदा करेगी, जो राज्य सरकार एतदर्थ निर्धारित करे।

मैजिस्ट्रेटों को अभिदेश

488. **मैजिस्ट्रेटों को अभिदेश**—नगर की सीमा के भीतर अधिकार क्षेत्र युक्त प्रथम श्रेकणी के मैजिस्ट्रेट को किसी भयानक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को नियमों के अधीन सार्वजनिक अस्पताल के निरूद्ध किए जाने (detention) के सम्बन्ध में, अभिदेश किया जायेगा।

489. **ऐसे पशुओं तथा शीघ्र खराब न होने वाली वस्तुओं का निस्तारण, जिनका धारा 435 के अधीन अभिग्रहण किया जाय**—(1) धारा 435 के अधीन अभिगृहीत कोई पशु तथा शीघ्र खराब न होने वाली कोई वस्तु अथवा कोई बर्तन या पात्र प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जायेगा।

(2) यदि ऐसे मैजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि ऐसा कोई पशु अथवा वस्तु यथास्थिति, रोग–ग्रस्त विकृत अथवा मानव उपभोग (consumption) के लिए अस्वास्थ्यकार अथवा अनुपयुक्त है, अथवा वह उस प्रकार की नही है जैसी कि वह बताई गई थी, अथवा ऐसा बर्तन या पात्र इस प्रकार का है, अथवा ऐसी दशा में है, जिससे उसमें तैयार किया गया, निर्मित अथवा रखा गया पदार्थ मानव उपयोग के लिए अस्वास्थ्यकार अथवा अनुपयुक्त हो जायेगा तो उसे अधिकार होगा कि—और यदि वह रोगग्रस्त, विकृत, अस्वास्थ्यकार अथवा मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है, तो उसके लिए आवश्यक होगा कि—वह उसे उस व्यक्ति के व्यय पर, जिसके कब्जें में वह अभिग्रहण के समय रहा हो, ऐसी रीति से नष्ट कर दे, जिससे कि वह फिर प्रदर्शित या फेरी लगाकर बेजी न जा सके या मानव उपभोग के लिए अथवा उपर्युक्त किसी वस्तु के तैयार या निर्मित करने या उसमें रखने के लिए प्रयुक्त न हो सकें।

490. **ऐसा भोजन रखने के सम्बन्ध में दंड, जो रोगग्रस्त, विकृत अथवा अस्वास्थ्यकर अथवा मानव भोजन के लिए अनुपयुक्त प्रतीत हो**—ऐसी प्रत्येक दशा में जब धारा 489 के अधीन भोजन सामग्री के संबंध में कार्यवाही किये जाने पर, मैजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि वह रोगग्रस्त, विकृत, अस्वास्थ्यकर अथवा मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है, तो उसका स्वामी अथवा वह व्यक्ति, जिसके कब्जे में वह पाया गया हो, किन्तु जो उसका केवल उपनिहिती अथवा वाहक (bailce or carrier) न हो, सिद्ध–दोष होने पर, यदि ऐसी दशा में इण्डियन पीनल कोड की धारा 273 के उपबनध न लागू होते हो, जुर्माने से दंडित किया जायेगा, जो 500 रू0 तक हो सकता है।

491. **उचित समय के भीतन न दिए जाने पर आह्वान संबंधी प्रार्थना–पत्र अस्वीकारकार किया जायेगा**—धारा 490 के अधीन सभी अभियोजनों में मैजिस्ट्रेट उक्त धारा के विरूद्ध अपराध करने वाले किसी अभियुक्त की उपस्थिति के लिए आह्वान जारी करने से इन्कार कर देगा जब तक कि उस अपराध का, जिसका कि उक्त व्यक्ति पर अभियोजन लगाया जाता है, उस कथित (alleged) दिनांक से उचित समय के भीतर आह्वान सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र ने दिया जाय।

मैजिस्ट्रेट तथा सत्र न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियां

492. हस्तक्षेप योग्य अपराध–(1) धारा 112–ग, धारा 112–घ या धारा 417 का उल्लंघन करने के अपराध हस्तक्षेप योग्य (congnizable) होगा।

(2) कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के विरूद्ध किये गये समस्त अपराध, चाहे वे नगर के भीतर किये गये हों अथवा नगर के बाहर, अभिक्षेत्र युक्त प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट द्वारा हस्तक्षेप योग्य होंगे, तथा कोई भी ऐसा मैजिस्ट्रेट केवल इसी कारण से किसी ऐसे अपराध अथवा एतद्द्वारा निरस्त किसी विधायन के विरूद्ध किये गये अपराध में हस्तक्षेप करने के निमित्त अक्षम न होगा कि वह किसी निगम कर का देनदार है अथवा उसे निगम निधि से लाभ पहुंचता है।

(3) उक्त कोड की धारा 200 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनाए गए किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के विरूद्ध किए गए किसी अपराध के विशय में परिवारी (complainant) की परीक्षा करना आवश्यक न होगा यदि परिवार (complaint) लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाय।

493. कालावधि जिसके भीतर इस अधिनियम के दंडनीय अपराध के परिवार लिये जायेंगे का परिसीमन–कोई भी मैजिस्ट्रेट इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के अधीन दंडनीय किसी अपराध में तब तक हस्तक्षेप न करेगा जब तक कि उसके समक्ष ऐसे अपराध के सम्बन्ध में परिवार निम्नलिखित अवधि के भीतर प्रस्तुत न किया जाय–

(क) ऐसा अपराध करने के दिनांक के पश्चात् 6 महीनों के भीतर, अथवा

(ख) यदि ऐसा दिनांक ज्ञात न हो या अपराध लगातार किया जाता हो तो उस अपराध के किये जाने अथवा उसकी जानकारी होने के 6 महीने के भीतर।

494. मैजिस्ट्रेट का अभियुक्त की अनुपस्थिति में वाद की सुनवाई करने का अधिकार–यदि इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के अधीन दंडनीय किसी अपराध के आरोप का प्रत्युत्तर देने के लिए किसी मैजिस्ट्रेट के समक्ष आहूत कोई व्यक्ति, आह्वान में वर्णित समय और स्थान पर उपस्थित न हो सके तथा यदि आह्वान की तामील मैजिस्ट्रेट के सन्तोशानुसार सिद्ध हो जाती है और ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति का कोई पर्याप्त कारण नहीं प्रदर्शित किया जाता है तो मैजिस्ट्रेट उसकी अनुपस्थिति में वाद की सुनवाई कर सकता है और उसमें निर्णय दे सकता है।

495. सरकार के लोक विश्लेषक का प्रतिवेदन–उत्तर प्रदेश सरकार के लोक विश्लेषक (Puyblic Analyst) के विश्लेषण के लिए यथोचित रूप से (duly) प्रेषित किसी भी पदार्थ के सम्बन्ध में, उसके हस्ताक्षर सहित किसी लेख्य (document) को, जो प्रतिवेदन के रूप में अभिप्रेत हो, उसमें उल्लिखित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या अभियोजन (prosecution) में बिना किसी प्रमाण मे प्रयुक्त किया जा सकता है।

496. अपदूशणों संबंधी परिवाद–(1) नगर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, उसमें अधिकार क्षेत्रयुक्त प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से नगर में किसी अप्रदूषण के विद्यमान होने के सम्बनध में अथवा इस सम्बन्ध में शिकायत कर सकता है कि धारा 231, 232, 249, 250, 251, 310 या 385 द्वारा

प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग करने में न्यूनतम व्यावहारिक अपदूषण से अधिक अपदूषण उत्पन्न हुआ है।

(2) किसी ऐसी शिकायत की प्राप्ति पर मैजिस्ट्रेट ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, मुख्य नगराधिकारी को निम्नलिखित आदेश दे सकता है कि यदि वह ऐसा करना उपयुक्त समझे–

(क) इस अधिनियम या किसी नियम, विनियम या उप–विधि के किन्ही उपबन्धों को प्रवर्तित करे या ऐसे उपाय करे जो उस मैजिस्ट्रेट को उस अपदूषण को रोकने, हटाने, कम करने या दूर करने के निमित्त व्यावहारिक और उचित जान पड़े;

(ख) परिवादी (complainant) को उक्त शिकायत तथा आज्ञा के या से सम्बद्ध ऐसे उचित व्यय (costs) अदा करे, जिसे उक्त मैजिस्ट्रेट निर्धारित करे, जिन व्ययों में उस शिकायत के सम्बन्ध में परिवादी के समय का जो अपव्यय हुआ है उसका प्रतिकर भी सम्मिलित है।

(3) धारा 497 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मुख्य नगराधिकारी उक्त प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

(4) इस अधिनियम में वर्णित कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रतिकर प्रापत करने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगी, जिसे अथवा जिसकी सम्पत्ति को, धारा 231, 232, 249, 250, 251, 310 अथवा 385 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके किए गए किसी कार्य के कारण हानि पहुंची हो।

497. धारा 496 के अधीन पारित आज्ञा के विरूद्ध सत्र न्यायालय में अपील–(1) धारा 496 के अधीन मैजिस्ट्रेट द्वारा पारित आज्ञा के विरूद्ध उस आज्ञा के दिनांक से एक महीने के भीतर सत्र–न्यायालय (Sessions Court) में अपील हो सकेगी।

(2) सत्र–न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन अपील निस्तारित करे समय, यह आदेश दे सकता है कि अपील का व्यय किसके द्वारा और कि अनुपाल में, यदि कोई हो, अदा किया जायेगा और इस प्रकार अदा किए जाने के लिए आदिष्ट व्यय, नगर में अधिकार क्षेत्र युक्त प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट को प्रार्थना–पत्र दिए जाने पर सत्र न्यायालय के आदेशानुसार उसके द्वारा उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानो वह उसके ,ारा किया गया कोई जुर्माना हो।

(3) यदि इस धारा के अधीन सत्र–न्यायालय में अपील निविष्ट की जाय तो मुख्य नगराधिकारी मैजिस्ट्रेट की आज्ञा पर तब तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर देगा जब तक वह अपील निस्तारित न हो जाय ओर तदुपरान्त सत्र–न्यायालय द्वारा उस अपील में पारित आज्ञा को अथवा यदि सत्र–न्यायालय मैजिस्ट्रेट को आज्ञा को बहक रखे तो मैजिस्ट्रेट की आज्ञा को तुरन्त कार्यान्वित करेगा।

(4) राज्य सरकार हाईकोर्ट से परामर्श के पश्चात् समय–समय पर उपधारा (1) के अधीन अपीलों के प्रवेश तथा उन पर न्यायिक विचार करने की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है।

अपराधियों की गिरफ्तारी (**Arrest**)

498. इस अधिनियम के विरूद्ध आचरण करने वाले अपराधी कुछ दशाओं में पुलिस पदाधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए जा सकते हैं–(1) कोई पुलिस पदाधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने उसके विचार

से इस अधिनियम के अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के विरूद्ध कोई अपराध किया हो, गिरफ्तार कर सकता है, यदि उस व्यक्ति का नाम और पता उसे ज्ञात न हो, तथा यदि वह व्यक्ति, पूछने पर अपना और पता न बताए अथवा ऐसा नाम और पता बताए जिसे ऐसा पदाधिकारी सकारण मिथ्या समझता है।

(2) इस प्रकार गिरफ्तार किया गया कोई वयक्ति, उसका ठीक नाम व पता ज्ञात हो जाने के पश्चात् या मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना, गिरफ्तारी से 24 घण्टे से अनधिक की ऐसी अवधि से अधिक के लिए, अभिरक्षा (custody) में न रखा जायेगा, जो उसे उक्त अपराध में हस्तक्षेप करने के लिए (to take congnizance) सक्षम (competent) मैजिस्ट्रेट के समक्ष पाने के लिए आवश्यक हो।

प्रकीर्ण

499. **कोड आफ सिविल प्रोसीजन का लागू होना**–(1) इस अध्याय में स्पष्ट रूप से की गई अपीलों से सम्बद्ध कोड आफ सिविल प्रोसीजन, 1908 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित, जिला जज को की जाने वाली अपीलों पर लागू होंगबे।

(2) अन्य समस्त विषय, जिनके लिए इस अधिनियम में स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, ऐसे नियमों द्वारा नियमित होंगे, जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर हाईकोर्ट के परामर्श करने के पश्चात् बनवायेगा।

500. **कालावधि**–(1) इस अध्याय में निर्दिष्ट अपील अथवा प्रार्थना–पत्र के लिए विहित कालावधि की संगणना करते समय इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 ई0 की धारा 5, 12 तथा 14 के उपबन्ध यथाशक्य लागू होंगे।

(2) यदि किसी अपील प्रार्थना पत्र अथवा अभिदेश को प्रस्तुत करने के निमित्त इस अधिनियम में कोई समय विहित न हो तो ऐसी अपील, प्रार्थना–पत्र अथवा अभिदेश उस आज्ञा के, जिसके सम्बन्ध में अथवा जिसके विरूद्ध उक्त अपील, प्रार्थना–पत्र अथवा अभिदेश प्रस्तुत किया गया हो, दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा।

501. **न्यायाधीश (Judge) और जिला जज की आज्ञा का सम्पादन**–(1) न्यायाधीश (Judge) की सभी आज्ञायें उसी रीति से सम्पादित की जायेंगी मानों वे प्राविन्शियल स्माल काजेज कोर्ट ऐक्ट, 1887 ई0 के अधीन स्माल कालेज कोर्ट द्वारा पारित डिक्रियां हों।

(2) जिला जज की सभी आज्ञायें उसी प्रकार सम्पादित होंगी मानों वे उसके न्यायालयों की डिक्रिया हों।

502. मैजिस्ट्रेट के समक्ष समस्त जाचों और कार्यवाहियों में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू होगा–कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 ई0 के उपबन्ध यथाशक्य इस अधिनियम के अधीन मैजिस्ट्रेट के समक्ष सभी जांचों और कार्यवाहियों पर लागू होंगें।

अध्याय 21

करों तथा अन्य निगम देयों की (dues) की वसूली

503. **निगम करों की वसूली की रीति**–कोई भी निगम कर निगमों द्वारा विहित रीति से निम्नलिखित ढंगो से वसूल किया जा सकता है–

(1) बिल प्रस्तुत करके;

(2) मांग का लिखित नोटिस तामील करके;

(3) बाकीदार की चल सम्पत्ति के अभिहरण (distraint) तथा बिक्री से;

(4) बाकीदार की अचल सम्पत्ति की कुर्की (attchment) तथा बिक्री से;

(5) {***}

(6) सम्पत्ति कर की दशा में सम्पत्ति पर देय किराये को कुर्क करने यदि ऐसे किरायेदार के हकदार किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कर देय हों

(7) वाद द्वारा।

504. **बिल प्रस्तुत करना**–(1) जैसे ही कोई व्यक्ति किसी कर तात्कालिक (immediate) मांग पर देय इसी प्रकार के अन्य कर से भिन्न किसी कर के रूप में किसी धनराशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी हो जाय, मुख्य नगराधिकारी यथाशीघ्र ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों को बिल प्रस्तुत करायेगा।

(2) जब तक निगम द्वारा अन्यथा व्यवस्था न हो, कोई भी व्यक्ति प्रत्येक कर तथा अनुज्ञप्ति शुल्क (licence fee) के भुगतान के लिए उस अवधि के आरम्भ होते ही उत्तरदायी हो जायेगा, जिसके संबंध में ऐसा कर या शुल्क देय हो।

505. **बिल में समाविष्ट होने वाले विषय**–उक्त प्रत्येक बिल में निम्नलिखित का उल्लेख होगा–

(क) अवधि जिसके निमित्त तथा सम्पत्ति, पेशा (occupation), हैसियत (circumstances) कोई बात, जिसके संबंध में किसी धनराशि की मांग की गई हो, तथा

(ख) भुगतान न करने की दशा में लागू किये जाने वाले (enforceable) दायित्व या षास्ति (penalty); तथा

(ग) समय, यदि कोई हो, जिसके भीतर धारा 472 में उपबन्धित अपील की जा सकती हो।

506. **मांग का नोटिस**–यदि कोई धनराशि, जिसके निमित्त उपर्युक्त बिल प्रस्तुत किया जाय, निगम के कार्यालय में या उस व्यक्ति को, जो किसी विनियम द्वारा ऐसा भुगतान लेने के लिए अधिकृत किया गया हो बिल प्रस्तुत करने के 15 दिन के भीतर न दे दी जाय, तो मुख्य नगराधिकारी उत्तरदायी व्यक्ति पर नियम द्वारा विहित प्रपत्र (form) में उक्त धनराशि के भुगतान की मांग का नोटिस तामील करा सकता है।

507. **वारन्ट जारी होना**–(1) यदि उक्त धनराशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति मांग के ऐसे नोटिस के तामील होने के 15 दिन के भीतर–

(क) नोटिस में मांगी गई धनराशि का भुगतान न करे, या

(ख) मुख्य नगराधिकारी अथवा ऐसे पदाधिकारी को जिसे निगम विनियम द्वारा एतदर्थ नियुक्त करे उसके संतोषानुसार उक्त धनराशि के भुगतान न किये जाने के कारण न बताये,

तो ऐसी धनराशि वसूली संबंध समस्त व्ययों (costs) सहित नियमों में विहित प्रपत्र में निगम द्वारा जारी कराये गये वारन्ट द्वारा अथवा बाकीदार की चल संपत्ति की तत्समान प्रभावी अभिहरण (distress) या बिक्री द्वारा वसूल की जा सकती है।

(2) इस धारा के अधीन जारी किये गये उक्त प्रत्येक वारन्ट पर मुख्य नगराधिकारी के या उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट पदाधिकारी के हस्ताक्षर होंगें।

508. **वारन्ट की कार्यान्विति के लिए बलपूर्वक प्रवेश**—उस निगम पदाधिकारी के लिये, जिसे धारा 507 के अधीन जारी किया गया वारन्ट सम्बोधित किया जाय, यह वैध होगा कि वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय, निम्नलिखित परिस्थितियों में और अन्यथा नहीं, वारन्ट में आदिष्ट अभिहरण को कार्यान्वित करने के लिए भन के किसी बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर उसमेंक प्रवेश करें—

(क) यदि वारन्ट में ऐसी कोई विशेष आज्ञा हो जिसमें उसे एतदर्थ प्राधिकृत किया हो;

(ख) यदि उसे यह विश्वास करने के उचित कारण हों कि भवन में ऐसी सम्पत्ति है जिसे वारन्ट के अधीन अभिगृहीत किया जा सकता है; तथा

(ग) यदि, अपना प्राधिकार (Authority) और प्रयोजन बताने और यथावत् प्रवेश मांगने के पश्चात् उसे अन्यथा प्रवेश न मिल सकता हो;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त पदाधिकारी महिलाओं के किसी कक्ष में तब तक न प्रवेश करेगा अथवा उसके दरवाजे को तब तक न तोड़ेगा जब तक कि उसने किसी भी महिला को, जो वहां हो, वहां से हटा जाने का अवसर न दे दिया हो।

509. **वारन्ट कार्यान्वित करने की रीति**—(1) उपधारा (2) तथा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त पदाधिकारी के लिए उस व्यक्ति को जिसका नाम बाकीदार के रूप में दर्ज किया गया हो, चल संपतित को, जहां कही भी वह हो, अभिहरण (distress) करना वैध होगा।

(2) निम्नलिखित सम्पत्ति अभिहृत न की जायेगी—

(क) बाकीदार, उसकी पत्नी और बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र तथा बिस्तरे,

(ख) कारीगरों (artisans) के औजार,

(ग) लेखा—पुस्तकें (books of account),

(घ) यदि बाकीदार खेतिहार (griculturist) हो, तो खेती के औजार बीच और ऐसे पशु जो उसके जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक हों।

(3) अभिहरण (distress) अतिशय (excessive) न होगा, अर्थात् अभिहृत सम्पत्ति मूल्य में यथासंभव उस धनराशि के बराबर होगी, जिसे वारन्ट के के अधीन वसूल किया जाना है और यदि किसी ऐसे व्यक्ति की राय में जिसे धारा 507 की उपधारा (2) के अधीन वारन्ट पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार दिया गया हो, कोई ऐसी वस्तुये अभिहृत हो गयी हों, जो अभिहृत न होनी चाहिए थी, तो वे तुरन्त वापस कर दी जायेगी।

(4) उक्त पदाधिकारी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने के पश्चात् तुरन्त उसकी सूची बनायेगा तथा उसे हटाने से पहले उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे में वह

सम्पत्ति अभिहरण के समय रही हो, नियम द्वारा विहित प्रपत्र में इस आशय का एक लिखित नोटिस देगा कि वह सम्पत्ति नोटिस में दी गई व्यवस्था के अनुसार बेच दी जायेगी।

510. **वारन्ट के अधीन सामानों की बिक्री ओर उससे प्राप्त धन का उपयोग**–(1) यदि अभिग्रहीत सम्पत्ति जल्द और स्वाभाविक रूप से खराब हो जाने वाली हो अथवा यदि उसे अभिरक्षा (custody) रखने का व्यय मय उस धनराशि के, जिसे वसूल किया जाना है, सम्पत्ति के मूल्य बढ़ जाने की आशंका हो, तो मुख्य नगराधिकारी या अन्य ऐसा पदाधिकारी, जिसने वारन्ट पर हस्ताक्षर किये हों, उस व्यक्ति को, जिसके कब्जसे से सम्पत्ति अभिग्रहीत की गयी थी, इस आशय का तुरन्त एक नोटिस देगा कि उसे फौरन बेच दिया जायेगा और यदि वारन्ट में उल्लिखित धनराशि का तुरन्त भुगतान नहीं कर दिया जाता तो वह उसे तद्नुसार बेच देगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन सम्पत्ति तुरन्त बेच नहीं दी जाती तो अभिग्रहीत सम्पत्ति अथवा उसका पर्याप्त भाग वारन्ट को कार्यान्वित करने वाले पदाधिकारी द्वारा तामील किये गये नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, निगम की आज्ञा के अधीन सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेच दिया जायेगा जब तक कि उस वयक्ति द्वारा जिसने वारन्ट पर हस्ताक्षर किये हों, वारन्ट निलम्बित न कर दिया जाय या बाकीदार देय धन और नोटिस, वारन्ट, अभिहरण और सम्पत्ति के निरोध (detention) के संबंध में हुए समस्त व्ययों का भुगतान न कर दें।

(3) अधि–धन (surplus), यदि कोई हो, तुरन्त ही निगम निधि में जमा कर दिया जायेगा तथा उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से सम्पत्ति ली गयी थी, जमा किये गये उक्त धन के सम्बन्ध में फौरन नोटिस दिया जायेगा और यदि नोटिस के दिनांक से एक वर्ष के भीरत मुख्य नगराधिकारी को दिये गये लिखित प्रार्थना–पत्र द्वारा उसके संबंध में कोई दावा किया जाय तो वह उस व्यक्ति को वापस कर दिया जायेगा। यदि नोटिस के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उक्त धन के संबंध में कोई दावा न किया जाय तो वह निगम की सम्पत्ति हो जायेगी।

511. **नगर के बाहर स्थिति सम्पत्ति के संबंध में कार्यवाही की प्रक्रिया**–(1) यदि किसी बकायेदार की पर्याप्त चल सम्पत्ति या ऐसे सम्पत्ति जो उस भू–गृहादि पर हो जिसके संबंध में उस पर कर निर्धारित किया गया हो नगर के भीतर प्राप्त न हो तो निगम के प्रार्थना पत्र देने पर जिला मैजिस्ट्रेट अपने न्यायालय के किसी पदाधिकारी को–

(क) बाकीदार की किसी ऐसी चल सम्पतित अथवा सामानों (erffects) के अभिकरण और बिक्री के लिए जो जिला मजिस्ट्रेट के अधिकर क्षेत्रस्थ किसी अन्य भाग में हो, या

(ख) बाकीदार की किसी ऐसी चल सम्पत्ति अथवा सामानों के अभिहरण और बिक्री के लिए जो किसी अन्य ऐसे जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में हो, जो उत्तर प्रदेश में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता हो,

अपना वारन्ट जारी कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कार्यवाही होने की दशा में अन्य जिला मैजिस्ट्रेट इस प्रकार जारी किये गये वारन्ट को अनुलिखित (endorse) करेगा तथा उसे कार्यान्वित करवायेगा और वसूल की हुई किसी धनराशि को वारन्ट जारी करने वाले जिला मैजिस्ट्रेट को प्रेषित करा देगा और वह उसे निगम को भेज देगा।

512. **बाकीदार की अचल संपतित की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूली**–धारा 507 की उपधारा (1) में वर्णित परिस्थितियों में मुख्य नगराधिकारी या धरा 507 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट, पदाधिकारी के चल संपतित के अभिहरण और बिक्री का वारन्ट जारी करने के स्थान पर या जब ऐसा वारन्ट जारी हो चुका हो किन्तु वसूल की जाने वाली धनराशि पूर्णतः अथवा अंशतः वसूल न हुई हो, बाकीदार की अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री के लिए वारन्ट जारी कर सकता है।

513. **चल सम्पत्ति की दशा में वारन्ट किसी प्रकार कार्यान्वित होगा**–(1) जब किसी अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री का वारन्ट धारा 512 के अधीन जारी किये जाये तो कुर्की ऐसी आज्ञा द्वारा की जायेगी जो बाकीदार को उक्त सम्पम्ति को किसी प्रकार से हस्तान्तरित अथवा भारित करने से तथा समस्त व्यक्तियों को ऐसे किसी हस्तान्तरण अथवा भार (charge) से लाभ उठाने से प्रतिषिद्धि करे तथा इस बात की घोषणा करे कि यदि 5 दिन के भीतर उक्त देय धन तथा वसूली का व्यय निगम के कार्यालय में जमा न किया गया तो सम्पतित बेच डाली जायेगी।

(2) ऐसी आज्ञा सम्पत्ति पर या उसके सन्निकट किसी स्थान पर डुग्गी पीट कर या अन्य रूढ़िगत ढंग (customary mode) से घोषित की जायेगी, तथाा आज्ञा की एक प्रति सम्पत्ति के किसी प्रमुख स्थान पर तथा निगम के कार्यालय के प्रमुख स्थान पर और यदि सम्पत्ति ऐसी हो जिससे राज्य सरकार को मालगुजतारी मिलती हो तो उस जिले के कलेक्टर के कार्यालय में भी, जहां वह भूमि स्थित हो, चिपका दी जायेगी।

(3) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना किया हुआ अभिहृत सम्पत्ति के किसी भार (charge) का या तदन्तर्गत स्वत्व (interest) का हस्तान्तरण, कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय (enforceable) निगम के सभी दावों के विरूद्ध शून्य होगा।

514. **अचल सम्पत्ति की बिक्री**–(1) यदि देय धनराशि धारा 513 की उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर अदा न कर दी जाय, तो मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा से अचल सम्पत्ति अथवा उसका पर्याप्ताशं आम नीलाम द्वारा बेचा जा सकात है जब तक कि वह वारन्ट को निलम्बित न कर दे या बाकीदार वसूली व्यय सहित देय धनराशि अदा न कर दें। मुख्य नगराधिकारी बिक्री से प्राप्त धनराशियों या उसके ऐसे अंश को जो आवश्यक हो उक्त देय धनराशि तथा वसूली के व्ययों की अदायगी में लगायेगा।

(2) अधि–धन (surplus) यदि कोई हो, तुरन्त ही निगम निधि में जमा कर दिया जायेगा, किन्तु यदि विक्रय के दिनांक से 6 महीने के भीतर मुख्य नगराधिकारी को लिखित प्रार्थना–पत्र देकर अधि–धन के लिए दावा प्रस्तुत किया जाय तो यह बाकीदार को वापस कर दिया जायेगा और यदि किसी अधि–धन का पूर्वोक्तानुसार 6 महीने के भीतर दावा न किया जाय तो वह निगम की सम्पत्ति हो जायेगी।

(3) यदि बाकीदार विक्रय होने से पूर्व देय धनराशि तथा वसूली की लागत का भुगतान कर दे तो अचल संपत्ति की कुर्की के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह उठा ली गयी है।

(4) इस धारा के अधीन अचल सम्पत्ति के विक्रय नियमों में विहित रीति से संचालित होंगें।

(5) पूर्वोक्तानुसार अचल सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी उसका कब्जा ऐसे व्यक्ति को दे देगा, जिसे खरीदार घोषित किया गया हो तथा उसे इस

आशय का एक प्रमाण–पत्र देगा कि उसने वह सम्पत्ति खरीद ली है, जिसका प्रमाण पत्र में निदेश है।

(6) मुख्य नगराधिकारी के लिए यह वैध होगा कि वह विक्रयार्थ प्रदर्शित अचल सम्पत्ति के लिए निगम की ओर से नाममात्रित बोली (nominal bid) बोले, किन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसी बोली के संबंध में कार्यकारिणी समिति से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो।

(7) मुख्य नगराधिकारी किसी पुलिस पदाधिकारी को किसी अचल सम्पत्ति पर से किसी ऐसे व्यक्ति को हटाने का आदेश दे सकता है, जो उपधारा (5) के अनुसार की गयी इसकी किसी कार्यवाही में बाधा डालता हो, तथा वह ऐसा बल भी प्रयोग कर सकता है जो ऐसी सम्पत्ति में प्रवेश के लिए समुचित रूप से आवश्यक हो।

515. {***}

516. **देय किराये की कुर्की**–(1) यदि सम्पत्ति कर के रूप में देय किसी धनराशि के निमित्त किसी भू–गृहादि के अध्यासी को धारा 504 की उपधारा (1) के अनुसार देय कोई बिल दिया जाय तो मुख्य नगराधिकारीउसके दिये जाने के समय या तत्पश्चात् किसी समय अध्यासी पर नोटिस तामील कराके यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति को, जो उक्त करके भुगतान के लिए प्रथमतः उत्तरदायी हो, देय अथवा देय होने वाले किरायें में से निगम को इतनी धनराशि दे जिससे उक्त देय धनराशि का भुगतान किया जा सके।

(2) ऐसा नोटिस उक्त किराये की कुर्की के समान प्रभावी होगा जब तक कि सम्पत्ति कर के रूप में देय धनराशि की अदायगी और भरपाई न हो जाय तथा अध्यासी को यह अधिकार हो कि वह उस नोटिस के अनुसार अपने द्वारा निगम को दी गई धनराशि उस व्यक्ति के किराये के हिसाब में से काट ले जिसे वह देय हो।

(3) पूर्वोक्त रूप से तामील किए गए नोटिस के अनुसार यदि किसी अध्यासी को यह आदेश दिये गये हों कि वह देय अथवा देय होने वाला किराया निगम को अदा करे और वह अध्यासी उक्त किराये की धनराशि निगम को न दे तो मुख्य नगराधिकारी उस धनराशि को उसी प्रकार वसूल कर सकता है मानो वह धारा 504 के अधीन सम्पत्ति कर की कोई बकाया हो।

517. **यदि आवश्यक हो तो बाकीदारों पर बकायें के लिए वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा**–किसी बाकीदार के विरूद्ध अभिहरण (disress), कुर्की (attachment) और विक्रय, जिनकी इससके पूर्व व्यवस्था की गयी है, सद्वारा कार्यवाही करने के बजाय अथवा यदि बाकीदार के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही में कोई सफलता न मिली हो अथवा आंशिक सफलता मिली हो, तो कर के रूप में किसी बाकीदार द्वारा देय (due) कोई धनराशि अथवा उसका कोई शेष भाग (balance), जैसी भी स्थिति हो, सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले किसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके उससे वसूल किया जा सकता है।

518. **शुल्क व व्यय (cost)**–

(क) धारा 506 के अधीन जारी किये गये प्रत्येक नोटिस का शुल्क,

(ख) धारा 509 के अधीन किया गया प्रत्येक अभिहरण (distress) का शुल्क; तथा

(ग) उक्त धारा के अधीन अभिगृहीत (seized) पशु–धन के रख–रखाव के व्यय (costs),
राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ बनाये गये नियमों में क्रमशः निर्दिष्ट दरों से वसूल किया जा सकेंगे (shall chargeable) तथा उन्हें धारा 507 के अधीन आदेश (to be levied) वसूली के व्ययों में सम्मिलित किया जायगा।

519. **अपवाद**–इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभिहरण (distress), कुर्की (attachment) विक्रय अवैध नहीं समझा जायेगा और न उसके अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति बिल, नोटिस, अभिहरण (distress) के वारन्ट, सूची (inventory) या तत्संबंधी कार्यवाही में कोई त्रुटि या कमी होने के कारण अनधिकार प्रवेश करने वाला (trespasser) ही समझा जायेगा।

520. **ऐसे देयों (dues) की वसूली, जिनके संबंध में घोषणा की जा चुकी हो कि वे कर के रूप में वसूल किये जा सकते है**–कोई निगम देय धनराशियां (dues), जिनके संबंध में इस अधिनियम या नियमावली या उपविधियों द्वारा यह घोषणा की जा चुकी हो कि वह इस अध्याय में उपबन्धित रीति से वसूल किये जा सकते हैं, मुख्य नगराधिकारी द्वारा यथासंभव धारा 504 से 514 तथा 516 से 519 तक के उपबनधों के अनुसार उसी प्रकार वसूल की जायेगी मानों वे कोई कर हों।

521. **कुछ धाराओं के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा सामानों के हटाये जाने के संबंध में व्यय की वसूली**–(1) मुख्य नगराधिकारी द्वारा, जो धारा 296 या 302 की उपधारा (3) के अधीन कोई सामान हटवाने या धारा 292 की उपधारा (2) या धारा 293 की उपधारा (3) या धारा 303, या धारा 305 की उपधारा (3) या धारा 306 की उपधारा (1) या धारा 331 के अधीन जारी किये गये लिखित नोटिस का अनुपालन न होने की दशा में, धारा 558 के अधीन किये गये व्यय तथा उपधारा (2) में निर्दिष्ट अन्य सभी व्यय और परिव्यय (charges), यदि कोई हो, उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, हटाये गए सामान बिक्री से वसूल किये जा सकेंगे, तथा यदि ऐसे सामान की बिक्री से प्राप्त धन यथोष्ट न हो तो उक्त सामान का स्वामी शेष धन का भुगतान करेगा।

(2) यदि सामान हटाने का व्यय किसी भी दशा में सामान की बिक्री से पहिले अदा कर दिया जाय तो मुख्य नगराधिकारी सामान को उसके मालिक को वापस कर देगा यदि उस सामान का स्वामी उसके बिकने अथवा अन्य रूप में निस्तारित होने के पूर्व तथा मुख्य नगराधिकारी द्वारा तदर्थ अथवा उसके अभिप्रेत (intended) विक्रय अथवा निस्तारण के संबंध में किये गये अन्य समस्त व्यय, यदि कोई हो तथा अन्य ऐसे समस्त परिव्यय (charges), यदि कोई हों, जिन्हें मुख्य नगराधिकारी सामान को जमा रखने (storage) के कारण निश्चित करे, अदा करने के पश्चात् उस सामान को वापस लेने के संबंध में दावा करें।

(4) यदि उपधारा (2) के अधीन सामान स्वामी को वापस न किया जाय तो मुख्य नगराधिकारी, उसे नीलाम द्वारा बेच देगा या अन्य ऐसी रीति से निस्तारित करेगा, जो वह उचित समझे;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि सामान शीघ्र नष्ट होने वाला है तो उसे तुरन्त बेचा या निस्तारित किया जा सकता है और यदि शीघ्र नष्ट होने वाला नहीं है तो उसके हटाये जाने

के दिनांक से एक महीने के भीतर यथा सुविधा बेचा या निस्तारित किया जायेग, चाहे सामान को हटाने का व्यय तथा उसे जमा रखने के परिव्यय, यदि कोई हों, इसी बीच में अदाकर दिये गये हों या नहीं तथा विक्रय अथवा अन्य प्रकार से निस्तारण से प्राप्त धन, यदि कोई हों, उसमें से, विक्रय का अन्य प्रकार के निस्तारण के व्यय और यदि आवश्यक हो, सामान हटाने का व्यय तथा उसे जमा रखने (storage) से सम्बद्ध परिव्यय (charge) काट लेने के बाद निगम निधि में जमा किया जायेगा तथा निगम की सम्पतित होगी।

522. **इस अधिनियम के अधीन वसूलने योग्य व्यय मांग करनले पर देय होंगे और यदि मांग करने पर अदा न किये जायं तो वे सम्पत्ति कर की बकाया की भांति वसूल किये जायेंगे**–(1) यदि इस अधिनियम, किसी नियम, विनियम या उपविधि के अधीन मुख्य नगराधिकारी अथवा धारा 119 में एतदर्थ अधिकृत किसी निगम पदाधिकारी द्वारा अथवा उसकी आज्ञा के अधीन कोई निर्माण–कार्य (work), कार्य (measure) या बात (things) सम्पादित की गयी हो ओर उसके व्ययों का भुगतान कि व्यक्ति द्वारा किया जाना हो तो मांग करने पर ऐसे व्यय देय (payable) होंगें।

(2) यदि उक्त व्यय मांग करने पर अदा न किये जायं तो इस धारा की उपधारा (4) तथा धारा 481 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मुख्य नगराधिकारी द्वारा बाकीदार की चल सम्पतित अभिहरण (distress) तथा बिक्री द्वारा या अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा उसी प्रकार वसूल किये जा सकेंगे, मानो वे बाकीदार द्वारा देय सम्पत्ति कर हों।

(3) मुख्य नगराधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन व्ययों के भुगतान की मांग करने पर यदि उनके इस प्रकार मांग प्रस्तुत करने के अधिकार या मांगी हुई धनराशि के सम्बन्ध में अथवा मुख्य नगराधिकारी द्वारा धारा 308 की उपधारा (2) के अधीन कोई अस्थायी कार्य सम्पादित करने की दशा में इस अस्थायी कार्य की आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई विवाद खड़ा कर दिया जाय, तो मुख्य नगराधिकारी निर्धारण के लिए उसे न्यायाधीश (Judge) के पास भेज देगा।

(4) मुख्य नगराधिकारी न्यायाधीश (Judge) का निर्णय होने तक अपने द्वारा अभियाचित (claimed) धनराशि की वसूली से संबंद्ध आगे की कार्यवाहियों को रोग देगा तथा निर्णय के पश्चात् धारा 481 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केवल ऐसी धनराशि, यदि कोई हो, वसूल करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा, जो निर्णय द्वारा देय (due) धनराशि निर्धारित की जाय।

523. **यदि बाकीदार उस भू–गृहादि का स्वामी हो, जिसके सम्बन्ध में व्यय देय हो, तो अध्याासी भी उस व्यय का देनदार होगा**–यदि धारा 522 में निर्दिष्ट व्यय किसी भवन या भूमि में अथवा पर, या उसके सम्बन्ध में सम्पादित किये गये किसी निर्माण कार्य, या की गयी किसी बात के सम्बन्ध में या किसी निजी सड़क से सम्बद्ध किसी समय या भूमि के सम्बन्ध में किये गये कार्य के फलस्वरूप देय हो और बाकीदार ऐसे भवन, भूमि या उस भू–गृहादि का, जो सड़क के सामने उसके पार्श्व में, या उससे संलग्न हो, जैसी भी स्थिति हो, स्वामी है, तो सम्बद्ध धनराशि की किसी ऐसे व्यक्ति से मांग की जा सकती है जो उक्त व्ययों के भुगतान से पूर्व किसी भी समय उक्त स्वामी के अधिकाराधीन उस भवन, भूमि या भू–गृहादि पर अध्यासित रहा हो, तथाा यदि ऐसा व्यक्ति उस धनराशि का भुगतान न करे तो वह उसकी चल सम्पत्ति के अभिहरण (disress) तथा विक्रय से अथवा संपत्ति

की कुर्की और विक्रय से उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानों वह धनराशि उसके द्वारा देय सम्पत्ति कर हो;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि–

(क) जब तक उक्त व्यक्ति, मुख्य नगराधिकारी द्वारा मांग करने पर, यह बात कि वह व्यक्ति उक्त भवन या भू–गृहादि के लिए कितना किराया देता है तथा उस व्यक्ति का नात और पता, जिसे किराया देय होता है, सच–सच बताने की उपेक्षा अथवा उससे इनकार न करे तब तब व्यक्ति उक्त व्ययों के रूप में उस धनराशि से अधिक का देनदार न होगा, जो मांग करने के समय तक उसके द्वारा उसी भवन, भूमि या भू–गृहादि के किराये के रूप में उसके स्वामी को देय हो; किन्तु इस बात को सिद्ध करने का भार उक्त व्यक्ति पर ही होगा कि उससे मांगी गई धनराशि उसके द्वारा स्वामी को देय धनराशि से अधिक है;

(ख) उक्त व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि यदि उसने उक्त व्ययों के कारण कोई धनराशि दी है अथवा कोई धनराशि उससे वसूल की गयी है तो वह उसे स्वामी के हिसाब में से काट लें।

(ग) इस धारा की कोई बात उक्त किसी निर्माण–कार्य, बात या कार्य के व्ययों के बारें में उक्त व्यक्ति तथा भवन, भूमि या भू–गृहादि के, जो उसके अध्यासन में है, स्वामी के बीच हुए किसी अनुबंध पर प्रभाव न डालेगी।

524. **मुख्य नगराधिकारी व्यय को किस्तों में लेने के लिए अनुबन्ध कर सकता है**–उपर्युक्त व्ययों को पूर्वोक्तानुसार किसी रीति से वसूली करने के बजाय मुख्य नगराधिकारी, यदि वह उचित समझे और कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से, उन व्ययों के देनदार व्यक्ति से अनुबन्ध कर सकता है कि वह व्यक्ति उस धनराशि को ऐसी किस्तों में तथा कलान्तरों (intervals) में अदा करे, जिससे पूरी देय धनराशि उस ब्याज सहित जो उस पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक ऐसी दर से लगाया जायेगा, जिसे कार्यकारिणी समिति समय–समय पर निश्चित करे, 5 वर्ष से अनधिक की अवधि के भीतर वसूल हो जाय।

525. **कुछ व्यय विकास व्यय घोषित किये जा सकते है**–(1) इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन किसी भवन या भूमि के सम्बन्ध में दिये गये (supplied) किसी सामान या संधायन (fitting) या उनमें, उन पर अथवा उनके सम्बन्ध में सम्पादित किये गये किसी निर्माण–कार्य अथवा की गई किसी बात के सम्बनध मे हुए व्यय, जो उस भवन या भूमि के स्वामी या अध्यासी से वसूल किये जा सकते (recoverable) हों, विनियमों के अधीन रहते हुए विकास व्यय घोषित किये जा सकते है, यदि मुख्य नगराधिकारी निगम की स्वीकृति से उन्हें इस प्रकार घोषित करना उचित समझे और ऐसी घोषणा होने पर उक्त व्यय तथा उपधारा (2) के अधनी उन पर देय ब्याज उन भू–गृहादि पर भार (charged) होंगे जिनकेक सम्बन्ध में अथवा जिनके लाभ के लिए वे व्यय किये गये हों।

(2) विकास व्यय किस्तों में वसूल किये जा सकेंगे, जो किसी भू–गृहादि के लिए 12 रूपये प्रतिवर्ष से कम की न होगी। ये व्यय ऐसे कालान्तरों (intervals) में वसूल किये जायेंगे, जिनसे वे उस ब्याज सहित, जो उन पर 6 प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर से लगाया जायेगा, जिसे कार्यकारिणी समिति समय–समय पर निश्चित करे, 30 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि में अदा किए जा सकेंगे, जिसे प्रत्येक मामलें में मुख्य नगराधिकारी निगम के अनुमोदन से निर्धारित करें।

(3) ऐसी किस्तें उस भू–गृहादि के, जिस पर व्यय और उसक ब्याज भारित हो, अध्यासी द्वारा देय होंगी अथवा ऐसे व्ययों के भुगतान की निश्चित अवधि व्यतीत होने से पूर्व या ब्याज सहित उक्त धनराशि पूर्णरूप से अदा किये जाने के पूर्व उक्त भू–गृहादि के किसी भी समय अनध्यासित हो जाने की दशा में, उक्त किस्तें, भू–गृहादि अनध्यासित रहने की अवधि तक उक्त भू–गृहादि के स्वामी द्वारा देय होगी।

526. **विकास व्ययों का निश्चित अनुपात किराये में से काटा जा सकता है**–(1) यदि कोई ऐसा अध्यासी, जिसके द्वारा कोई विकास व्यय अदा किये जाते हैं, ब्याज सहित भारित व्यय वाले किसी भू–गृहादि में किराये पर रहता हो तो उसे वह अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा भू–गृहादि के स्वामी को देय किराये में से पूर्वोक्त व्यय तथा ब्याज के रूप में दिए गए भुगतानों के निमित्त किराये का तीन चौथाई भाग काट लें।

(2) यदि वह भू–गृहादि का स्वामी (landlord), जिसके किरायें में से ऐसी कटौती की जाय, स्वयं ही उस भू–गृहादि के लिए, जिसके सम्बन्ध में कटौती की जाती हो, किरायेक का देनदार हो तथा वह भू–गृहादि उसके अधिकार में ऐसी अवधि के लिए हो, जिसके 20 से कम वर्ष व्यतीत हो (किन्तु अन्यथा नहीं) तो वह अपने द्वारा देय किरायें में से ऐसे अनुपात में कटौती कर सकता है, जो अपने द्वारा देय औरअपने को प्राप्त किराये में होता हो और यही क्रम एक ही (same) भू–गृहादि के ऐसे प्रत्येक स्वामी (जिसके अधिकार में वह भू–गृहादि 20 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए हो) के सम्बन्ध में लागू होगा, जो किराया प्राप्त कर रहा हो और किराये का देनदार भी हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा में किसी भी बात का ऐसा अर्थ न लगाया जायेगा कि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा देय किराये में से उसे प्राप्त किराये से काटी गई कुल धनराशि से अधिक काट लेने का अधिकार मिल गया है।

527. विकास व्यय के निमित्त भाग विमोचल (**redemption of chage**)–ब्याज सहित विकास व्यय के भुगतान की अवधि वयतीत होने के पूर्व किसी भी समय, उस भू–गृहादि का, जिस पर ऐसे व्यय भारित हो, स्वामी या अध्यासी, मुख्य नगराधिकारी को उक्त व्यय का ऐसा भाग तथा ऐसा देय (due) ब्याज, यदि कोई हों, अदा करके, जो पहले से अदा न किया गया हो अथवा वसूल न हुआ हो, उक्त भार (charge) का विमोचन (redemption) कर सकता है।

528. **धारा 524 व 525 के अधीन देय किस्तों की वसूली**–धारा 524 अथवा 525 के अधीन देय कोई भी किस्त या वह किस्त, जो देय हो जाने पर भी अदा न की जाय, मुख्य नगराधिकारी द्वारा उस व्यक्ति की, जिसके द्वारा वह देय हो, चल सम्पत्ति के अभिहरण (distress) और बिक्री अथवा अचल सम्पत्ति की कुर्की (attachment) और बिक्री करके उसी प्रकार वसूल की जा सकती है, मानों वह उक्त व्यक्ति द्वारा देय कोई सम्पत्ति कर हो।

529. **किसी भू–गृहादि के स्वामी द्वारा चूक करने पर अध्यासी कार्य सम्पन्न कर सकता है तथा स्वामी से व्यय वसूल कर सकता है**–जब किसी भवन या भूमि का स्वामी कोई ऐसा कार्य सम्पादित नहीं करता जिसकी उससे इस अधिनियम या किसी नियम, विनियमन या उपविधि के अधीन अपेक्षा की जाती हो तो ऐसी भूमि या भवन का अध्यासी, यदि कोई हो, मुख्य नगराधिकारी की स्वीकृति से उक्त कार्य सम्पन्न कर सकता है तथा

उस प्रकार सम्पन्न किये गये कार्य का उचित व्यय स्वामी से वसूल करने का अधिकार होगा और वसूली के अन्य किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह उसे स्वामी को समय–समय पर अपने द्वारा देय किरायें में से काट सकता है।

530. **व्यय अथवा प्रतिकर के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध उनकी वसूली कावाद प्रस्तुत किया जा सकता है**–किसी व्यय या प्रतिकर की, जिसकी देय धनराशि यहां पर पहले (hereinbefore) वर्णित रीति से निश्चित की जा चुकी हो, वसूली के सम्बन्ध में पूर्वोक्त रूप से कार्यवाही करने के बजाय या जब ऐसे कार्यवाही असफल या अंशतः सफल रही हो, तो देय धनराशि अथवा शेष (balance) धनराशि, जैसी भी स्थिति हो, समक्ष अधिकार क्षेत्र युक्त व्यक्ति (person-liable) युक्त न्यायालय में उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करके वसूल की जा सकेगी।

अध्याय 22
नियंत्रण

531. **राज्य सरकार का कार्यवाहियों इत्यादि के अवतरण मांगने का अधिकार**–(1) राज्य सरकार किसी भी समय निगम को यह आदेश दे सकती है कि वह उसे निगम कार्यकारिणी समिति अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्मित किसी अन्य समिति की किसी कार्यवाही से या निगम के नियंत्रणाधीन किसी अभिलेख से कोई अवतरण और इस अधिनियम के प्रशासन से सम्बद्ध या संसक्त कोई ऑकड़े प्रस्तुत करे और निगम उसे बिना अनुचित विलम्ब के प्रस्तुत करेगी ।

(2) राज्य सरकार किसी भी समय मुख्य नगराधिकारी को यह आदेश दे सकती है कि वह इस अधिनियम के कार्यपालिका प्रशासन से सम्बद्ध या संसक्त कोई सूचना, प्रतिवेदन, स्पष्टीकरण या ऑकड़े प्रस्तुत करे और मुख्य नगराधिकारी यथास्थिति बिना अनुचित विलम्ब में उन्हें प्रस्तुत करेगा।

532. **राज्य सरकार का निरीक्षण करने का अधिकार**–राज्य सरकार निगम के किसी विभाग, कार्यालय, सेवा–कार्य अथवा वस्तु का निरीक्षण अथवा परीक्षण करने और उस पर प्रतिदेने के लिए किसी पदाधिकारी को प्रतिनियुक्ति (depute) कर सकती है और इस प्रकार प्रतिनियुक्त पदाधिकारी ऐसे निरीक्षण अथवा परीक्षण के प्रयोजनों के लिए उन समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो धारा 531 के अधीन सरकार को प्राप्त है।

533. **राज्य सरकार के कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निदेश देने के अधिकार**–यदि धारा 531 अथवा 532 के अधीन कोई सूचना अथवा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा राज्य सरकार की यह राय हो कि–

(क) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अन्तर्गत निगम प्राधिकारी पर आरोपित किसी कर्तव्य का पालन नहीं किया है या अपूर्ण, अकुशल अथवा अनुपयुक्त रीति से उसका पालन किया गया है; या

(ख) उक्त किसी कर्तव्य का पालन के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था नहीं की गयी है,

तो राज्य सरकार आज्ञा द्वारा निगम अथवा मुख्य नगराधिकारी को आदेश दे सकती है कि वह उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर यथास्थिति कर्तव्य का उचित प्रकार से पालन

करने के लिए उसके संतोशानुसार प्रबन्ध करे अथवा कर्तव्य पालन करने के लिए उसके संतोशानुसार वित्तीय व्यवस्था करें।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक ऐसे कारणों के आधार पर, जो अभिलिखत किये जायेंगे, राज्य सरकार की राय में ऐसी आज्ञा का तात्कालिक निष्पादान आवश्यक न हो, राज्य सरकार इस धारा के अधीन कोई आज्ञा देने से पूर्व निगम को यह कारण बताने का अवसर देगी कि ऐसी आज्ञा क्यों न दी जाय।

534. **राज्य सरकार से चूक (default) करने की कार्यवाही करने के लिए किसी व्यक्ति को निगम के खर्च से नियुक्त करने का अधिकार**–(1) यदि धारा 533 के अधीन प्रसारित किसी आज्ञा द्वारा निश्चित अवधि के भीरत उस धारा के अधीन आदि कोई कार्यवाही यथावत् नहीं की गयी है तो राज्य सरकार आज्ञा द्वारा–

(क) इस प्रकार आदिष्ट कार्यवाही करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है;

(ख) उसे दिये जाने के लिए पाश्रिमिक निश्चित कर सकती है; और

(ग) यह आदेश दे सकती है कि ऐसा पाश्रिमिक और ऐसी कार्यवाही करने में होने वाले व्यय निगम निधि से पूरा किया जायेगा और यदि आवश्यक हो, तो अध्याय 9 के अधीन प्राधिकृत कोर्ठ एक या एकाधिक कर लगाये जयेंगे अथवा बढ़ाये जायेंगे, किन्तु इस प्रकार नहीं कि वे उस भाग द्वारा विहित अधिकतम सीमा से बढ़ जाय।

(2) उपर्युक्त रूप से आदिष्ट कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति को ऐसे संविदाओं (contracts) को जो आवश्यक हों, करने का अधिकार होगा और वह इस अधिनियम द्वारा अथवाउसके अधीन किसी निगम प्राधिकारी को प्रदत्त और उपधारा (1) के अधीन प्रचारित आज्ञा में एतदर्थ निर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग कर सकता है तथा उसे इस अधिनियम के अधीन उसी प्रकार संरक्षण (protection) का अधिकार प्राप्त होगा मानो वह निगम का प्राधिकारी है।

(3) राज्य सरकार, उक्त करों में से किसी कर को लगाने अथवा बढ़ाने का आदेश देने के अतिरिक्त या उसके बदले में विज्ञप्ति द्वारा यह आदेश दे सकती है कि कोई धनराशि जो उसकी राय में उसकी आज्ञाओं को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित हो, ब्याज की ऐसी दर से और उक्त करों में से सभी अथवा किसी कर की प्रतिभूति (secutiry) पर ऋण–पत्र (debenture) द्वारा भुगातन की अवधि और अन्य प्रकार की ऐसी शर्तो पर, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जायय, उधाार ली जाय।

(4) धारा 156 से लेकर 170 तक के उपबन्ध जहां तक संभव होगा, इस धारा के अनुसार लिये गये ऋण पर लागू होंगे।

535. **आपात के समय राज्य सरकार के अधिकार**–(1) आपात की दशा में राज्य सरकार किसी ऐसे निर्माण कार्य के ऐसे अभिकरण द्वारा तथा ऐसी रीति से जो वह अपनी आज्ञा में नियत कतरें, निश्पादन की अथवा ऐसे कार्य के करने की व्यवस्था कर सकती है, जो निगम अथवा मुख्य नगराधिकारी निगम या कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से अथवा उसके निष्पादन करने या उस कार्य के करने का अधिकार रखती हो और उसकी राय में जिसका तात्कालिक निष्पादन अथवा किया जाना जनता की सरुक्षा अथवा संरक्षण (safety or protection) के लिए आवश्यक हो और वह आदेश दे सकती है कि निर्माण–कार्य को करने का व्यय तुरन्त निगम द्वारा अदा किया जायेगा।

(2) यदि उक्त व्यय उपर्युक्त प्रकार से अदा न किया जाय तो राज्य सरकार एक आज्ञा दे सकती है, जिसमें निगम निधि को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति को ऐसी निधि में से उक्त व्यय अदा करने का आदेश दिया जायेगा।

536. **राज्य सरकार को संकल्पों की प्रतियों का प्रस्तुत किया जाना**—मुख्य नगराधिकारी राज्य सरकार को और राज्य सरकार यदि ऐसा आदेश दे तो विहित प्राधिकारी को निगम, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति के और निगम की समितियों, और संयुक्त समितियों तथा उपसमितियों के सभी संकल्पों की प्रतियां प्रस्तुत करेगी।

537. **राज्य सरकार का इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही को निलम्बित करने का अधिकार**—(1) यदि राज्य सरकार की राय हो कि निगम के अथवा निगम के किसी अन्य प्राधिकारी अथवा किसी अन्य समिति अथवा संयुक्त समिति अथवा उप समिति अथवा निगम के किसी पदाधिकारी अथवा कर्मचारी (servants) के किसी संकल्प या आज्ञा के निश्पादन अथवा किसी ऐसे कार्य के करने से जो निगम द्वारा या उसकी ओर किया जाने वाला हो या किया जा रहा हो, इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि का उल्लंघन होगा या उनका अतिक्रमण होगा या वह ऐसे किसी अधिकार का दुरूपयोग करके पातिर किया या दिया गया है या उससे शांति भंग होने या जनता अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा संस्था को बाधा, क्षति अथवा परिभव (annoyance) पहुंचने या मानव—जीवन, स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा के लिए खरात उत्पन्न होने की संभावना हो या वह जनहित के प्रतिकूल हो जो राज्य सरकार लिखित आज्ञा द्वारा ऐसे संकल्प अथवा आज्ञा के निष्पादन को निलम्बित कर सकती है या ऐसे किसी कार्य किये जाने का प्रतिबन्ध लगा सकती है।

(2) उक्त आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार द्वारा तुरन्त निगम को भेज दी जायगी।

(3) राज्य सरकार किसी भी समय निगम द्वारा अभ्यावेदन किये जाने अथवा अन्यथा उपधारा (1) के अधीन पातिर किसी आज्ञा को पुनरीक्षित, परिष्कृत अथवा प्रतिसंहत (revboke) कर सकती है।

538. **अक्षमता, सतत चूक या अधिकरों के अतिक्रमण या दुरूपयोग की दशा में राज्य सरकार का निगम को विघटित करने का अधिकार**—(1) यदि किसी समय अभ्यावेदन किये जाने पर राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि निगम इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि द्वारा अथवा उसके अधीन उस पर आरोपित कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है अथवा उनके पालन करने में सतत् चूक करती है अथवा अपने अधिकारों का एक बार से अधिक अतिक्रमण या दुरूपयोग करती है तो राज्य सरकार निगम को यह कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् कि क्यों ऐसी आज्ञा न दी जाय, सरकारी गजट में उसके कारणों के सहित एक आज्ञा प्रकाशित करके निगम को विघटित कर सकती है।

(2) उपधरा (1) के अधीन आज्ञा की एक प्रति यथासम्भव शीघ्र उत्तर प्रदेश विधान मंण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रख दी जायेगी।

''(3) यदि निगम उपधारा (1) के अधीन भंग कर दिया जाय तो निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगेंस,—

(क) नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख और समस्त सभासद आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक को पुनर्निर्वाचन की पात्रता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले अपने–अपने पदों को रिक्त कर देगें;

(ख) धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (ख)के अधीन निगम के संगठन तक मुख्य नगर अधिकारी निगम और धारा 5 में उल्लिखित समितियों के भी कार्य चलाता रहेगा।''

539. {x x}

अध्याय 23
नियम, उपविधियां तथा विनियमन

540. **राज्य सरकार द्वारा नियमों का बनाया जाना** – (1) इस अधिनियम के पूर्व अध्यायाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त नियम बनाने के अधिकार को अतिरिक्त राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के निमित्त नियम बना सकती है। निगम के पथ–पदर्शनार्थ (guidance) इस अथवा अन्य किसी विधायन के उपबन्धों को कार्यान्वित करने से सम्बन्धित विशयों के निमित्त आदर्श (Modal Rules) भी बना सकती है।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा द्वारा प्रदत्त अधिकरों में निगम तथा उसकी समितियों के अधिवेशनों के आयोजन को तथा ऐसे अधिवेशनों में सम्पादित किये जाने वाले कार्यो को विनियमित करने के सम्बन्ध में, जब तक कि इस अधिनियम के अन्तर्गत उस प्रयोजन के निमित्त उपविधियां न बन जायें, नियम बनाने का अधिकार भी सम्मिलित है।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार इस शर्ते के अधीन रहते हुए होगा कि पूर्व प्रकाशन के पश्चात् ही नियम बनाये जायेंगे और जब तक वे सरकारी गजट में प्रकाशित न हो जाये तब तक प्रभावी न होगें।

(3) राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई नियम सामान्यतः सभी निगमों के लिए या विशेशतः ऐसे किसी एक या एकाधिक निगम के लिए हो सकता है जो निर्दिष्ट किये जायें।

(4) {XXX}

541. **किन प्रयोजनों के लिए उपविधियां बनायी जायेगीं**–निगम समय–समय पर निम्नलिखित विशयों के सम्बन्ध में ऐसी उपविधियां बना सकती है, जो इस अधिनियम और नियमों से असंगत न हो, अर्थात–

1. ऐसे किसी विवरण के सम्बनध में जिसके लिए इस अधिनियम या नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था न की गयी हो, नालियों, संयोजन छड़ों या पाइपों, नलकूपों, नावदानों, संडासों, शौचालयों, मूत्रालयों, धुलाई–गृहों, प्रत्येक प्रकार के जलोत्सारण निर्माण–कार्यो चाहे वे निगम के हों अथवा अन्य व्यक्तियों, निगम जलकलों, निजी संचार पाइपों (Communication pipes), निजी सड़कों ओर सार्वजनिक सड़कों का निर्माण, संधारण, रक्षा धुलाई (Flashing), सफाई और नियंत्रण को विनियमित करना;
2. जल संभरण और उसके उपयोग से सम्बद्ध सभी विषयों को विनियमित करना;

3. सार्वजनिक और निजी गाड़ी के अड्डों के संसाधन, निरीक्षण (supervision) और प्रयोग को तथा उनमें से ऐसे अड्डों के प्रयोग के लिए जो निगम की हों, शुल्क लगाने का कार्य (levy) विनियमित करना;

4. धारा 316 और 317 के अधीन नोटिस का प्रकपत्र और विभिन्न श्रेणी के निर्माण–कार्यो के ढांचों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये जाने वाले सूचना आलेख्यों (information documents) तथा नक्शों (plans) एवं ऐसी रीति जिससे वे व्यक्ति, जिनके द्वारा नोटिसों पर हस्ताक्षर किये जायेगें तथा यह रीति जिससे नक्शा, खंड–विवरण, संरचना संबंधी रेखाचित्र (Structural drawing) या संरचना संबंधी गणनायें (Structural calculations) क्रमशः बनाये दिये, तैयार किये और हस्ताक्षरित किये जायेगें, विहित करना;

5. वह रीति, निरीक्षण (supervision) अभिकरण, शर्ते एवं निबन्धन विनियमित करना क्रमशः जिससे, जिसके अन्तर्गत, जिसके द्वारा और जिनके अधीन विशेष श्रेणियों के भवनों के निर्माण अथवा पुर्ननिर्माण का कार्य अथवा धारा 317 में वर्णित कोई कार्य किया जायेगा;

6. सुदृढ़ बनाने और अग्निकांड से बचाव तथा आग लगने की दशा में गृहवासियों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के प्रयोजनार्थ या तो सामान्यतः या निर्माण–कार्य के प्रकार और उसके अभिप्रेत प्रयोग की दृष्टि से दीवालें, नीवों, छतो और चिमनियों का ढांचा (structure), जीनों (Staircases) की संख्या, चौड़ाई और स्थिति, बरामदों (coorridors) और रास्तों की चौड़ाई, फर्श सीढ़ियों और छोटे–छोटे सभी टुकड़ों (scantlings), गार्डरों, खम्भों (posts) तथा भवन स्वामी की सामग्री, आकार और मजबूती;

7. कार्य करने वालों और सामान्य जनता की सुरक्षा के सुनिश्चित करने के निमित्त भवन निर्माण के प्रयोजनार्थ पाढ़ों (scanffolding) का निर्माण;

8. भवनों के पर्याप्त संवीजन के लिए वायु के निर्बाध संचार तथा अन्य साधनों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भवनों के निकट पर्याप्त खुली जगह– चाहें वह बाहर हो या भीतर की व्यवस्था करना तथा उसका संधारण;

9. भवनों के पहुंचने के लिए उपयुक्त साधनों की व्यवसाी और उनका संधारण तथा उनके अतिक्रमण (encroachment) का निवारण;

10. भवन पथों (House Gullies) और सेवा मार्गो (service passages) की व्यवस्था और उनका संधारण;

11. उन शर्तो को विनियमित करना, जिसके अधीन ढांचे के भवन (Frame building) बनाये जा सकते है;

12. भवन–निर्माण स्थल के रूप में भूमि के प्रयोग को विनियमित करना, ऐसे स्थलों का न्यूनतम आकार–सामान्यतः अथवा निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए विहित करना– और निर्दिष्ट स्थनों (localities) में, निर्दिष्ट सड़कों या सड़कों की श्रेणियों पर सभी या विशेष श्रेणियों के भवनों के लिए यह विहित करना कि सड़क के पार्श्व (margin) से वे कितने पीछे (set-back) रहेगें;

13. सामान्यतः अथवा उन सामानों की दृष्टि से, जिससे वे बनाये जायें या उन सड़कों की चौड़ाई की दृष्टि से, जिनकी ओर उनका सामने का भाग पड़ता हो, अथवा उन क्षेत्रों की दृष्टि से, जिनमें वे स्थित हों या उस प्रयोजन की दृष्टि से, जिसके लिए उनका प्रयोग अभिप्रेत हो, ढांचों की ऊँचाई को विनियमित करना;

14. भूमि के ऊपर, या अगली निचली मंजिल (next lower storey) के ऊपर भवन में बनाये जाने वाले मंजिलों की संख्या और ऊँचाई को विनियमित करना;

15. धारा 329 के अधीन अपेखित समाप्ति के प्रमाण–पत्रों का प्रपत्र, वह रीति जिससे तथा वह व्यक्ति जिसके द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जायेगा, विहित करना;

16. कालान्तरो (intervals), जिनपर रीति जिससे तथा व्यक्ति जिनके द्वारा धारा 330 के अधीन भवन का समय–समय पर निरीक्षण किया जायेगा, विनियमित करना;

17. निगम में निहित तथा समाज के निर्धन वर्गो के लिए अभिप्रेत निवासगृहों (dwellings) के प्रबन्ध, संधारण, नियंत्रण तथा प्रयोग को विनियमित करना;

18. अनुाप्त, भू–मापकों, वास्तुशास्त्रियों, अभियंताओं, ढांचा–निर्माताओं, निर्माणलिपिकों और नल–मिस्त्रियों के लिए अर्हतायें और अनुभव विहित करना;

19. किसी ऐसे विवरण की दृष्टि से जिसकी इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से व्यवस्था न की गयी हो, सफाई–संरक्षण और स्वच्छता का और कृन्तों (rodents) तथा अन्न को नुकसान पहूंचाने वाले अन्य कीड़े–मकोंड़ों के विनाश, मच्छरों, मक्खियों तथा अन्य कृमियों (pests) के विरूद्ध रोकथाम (preventive) तथा औपचारिक (remedial) उपायों की विनियमन;

20. धारा 438 में उल्लिखित किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रमुख सभी भू–गृहादि और उस पर किये जाने वाले सभी व्यापारों और उत्पादनों (manufactures) का नियंत्रण तथा निरीक्षण (supervision) तथा ऐसे किसी भू–गृहादि के निर्माण, आकार, संवीजन, प्रकाश, सफाई, जलोत्सारण तथा जल–संभरण को विहित तथा विनियमित करना;

21. दूध देने वाले पशुओं का निरीक्षण तथा पशुशालाओं (caule sheds) और दुग्धशालाओं के निर्माण, आकार, संवीजन, प्रकाश, सफाई, जलोत्सारण तथा जल–सम्भरण को विहित और विनियमित करना;

22. दूध के भण्डारों, दूध की दुकानों तथा ग्वालों (dairymen) या दूध बेचने वालों द्वारा दूध रखने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किये जाने वाले दुग्ध–भांडों की स्वच्छता को सुनिश्चित करना;

23. नगर में दूध की बिक्री को विनियमित करना, दूध को दूषित होने से बचाना और दूषित दूध की बिक्री की रोक–थाम करना;

24. जब दूध देने वाला कोई पशु किसी सांसर्गिक रोग से ग्रस्त हो जाय तो उस दशा में नोटिस दिये जाने का आदेश देना तथा दूध देने वाले पशुओं और दूध को संक्रमित (infection) या दूषित होने से (condemnation) बनाने के लिए पूर्वोपाय विहित करना;

25. पशुओं में ऐसी बीमारी के फैलने की दशा में, जो मनुष्यों को भी लग सकती है, किये जाने वाले उपायों (measares) तथा ऐसी सूचनायें देने के कार्यो को विनियमित करना, जो उन उपायों के सम्पन्न करने में सुविधा प्रदान करें;

26. बाजारों, वधशालाओं और ऐसी दुकानों के कुशल निरीक्षण को सुनिश्चित करना, जिसमें मानव–भोजन के लिए अभिप्रेत वस्तुयें रखी या बेची जाती हो;

27. नगर के भीतर या नगर के बाहर किसी निगम वधशाला में कारबार करने वाले कसाइयों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण;

28. निगम बाजार के किसी भवन, बाजार–स्थल (market place) या वधशाला या उसके किसी भाग के प्रयोग को विनियमित करना;

29. बजारों और वधशालाओं की सफाई की सिथति को नियंत्रित और विनियमित करना और उसमें निर्दयता (cruclty) के प्रयोग का निवारण करना;

30. धारा 183 के अधीन कर–निर्धारण से मुक्त ठेलों से भिन्न हाथ से चलाये जाने वाले ठेलों (handcarts) को अनुाप्त करना और ऐसे किसी ठेले का अभिग्रहण करना (Seizure) और उसे निरूद्ध करना, जो यथावत् अनुज्ञप्त न हो;

31. किसी ऐसे संक्रामक (infectious) रोग, महामारी या स्थानिक प्रकार के (epedemic) ऐसे रोगों की घटनाओं के संबंध में जो भयानक न हों, ऐसा नोटिस दिये जाने का आदेश देना, जो निर्दिष्ट किया जाय तथा किसी ऐसे रोग से ग्रस्त व्यक्ति या उस व्यक्ति द्वारा जिसे ऐसे रोग के संक्रमण की आशंका हो सकती हो (exposed to infection) किये जाने वाले पूर्वापायों (precautions) को विहित करना;

32. समाज के विभिनन वर्गो की धार्मिक प्रथाओं का उचित ध्यान रखते हुए मृतकों के निस्तारण की तथा मृतकों के निस्तारण के समस्त स्थानों का अच्छी, स्वच्छ तथा सुरक्षित दशा में संधारित किया जाना, विनियमित करना;

33. मृत पशुओं के शरीरों से चमड़ा निकालने (Skinning) और उन्हें काटने के निमित्त किसी स्थान के प्रयोग को विनियमित करना;

34. जन्म और मरण के पूर्ण यथार्थ पंजीयन को सुविधाजनक बनाना और सुनिश्चित करना;

35. विवाहों का पंजीयन (registration);

36. निगम में निहित या उसके नियंत्रण के अधीनस्थ सार्वजनिक बाजारों, उद्यानों, मोटर गाड़ी इत्यादि खड़ा करने के सार्वजनिक स्थानों (public parking places) तथा खुले मैदानों की क्षति या दुरूप्योग से रक्षा करना, उनके प्रबन्ध और उस रीति को विनियमित करना, जिससे वे जनता द्वारा प्रयुक्त किये जा सकते हों तथा वहां के लोगों के उचित व्यवहार (properbehaviour) की व्यवस्था करना;

37. किसी ऐसी सड़क, पगडंडी (pathway) या स्थान, जिसे प्रयोग करने या जिनमें आने–जाने का सर्वसाधारणको अधिकर हो, से लगी हुई भूमि या भू–गृहादि पर मेड़ लगाने के लिए कांटेदार तार या अन्य सामग्री के प्रयोग को विनियमित करना;

38. चिथड़ों, हड्डियों या पुराने (second hand) कपड़ों, बिस्तरों तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करना, जिसके अन्तर्गत किसी ऐसी वस्तु के आयात के समय या उसके हटाने जाने, बिक्री या बिक्री के लिए प्रदर्शित किये जाने या किसी उत्पादन–क्रिया में प्रयोग किये जाने के पूर्व उसे कीट रोधित (disinfect) करने के उपाय भी सम्मिलित है;

39. नगर में मेलों के आयोजन और औद्योगिक प्रदर्शनियों को विनियमित करना;

40. नगर के किसी निर्दिष्ट भाग में ज्वलनशील वस्तुएं एकत्रित करना और आग लगाने की विनियमित और प्रतिसि; करना;

41. इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन अनुज्ञप्ति, स्वीकृति अथवा अनुज्ञा प्रदान करने के लिए शुल्क निश्चित करना;

42. किसी निगम प्राधिकारी द्वारा की गयी सेवाओं के लिए शुल्क (charges) विनियमित करना;

43. निगम के अस्पतालों, औषधलयों (dispensaries), आरोग्यशालाओं (infirmaries), गृहों (homes) और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं में जनता के प्रवेश और जनता द्वारा उनके प्रयोग को और उसके संबंध में लिये जाने वाले शुल्क को विनियमित करना;

44. निगम की सम्पत्ति की रक्षा;

45. निगम अभिलेखों को जनता द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण और ऐसे निरीक्षण की अनुमति देने के पूर्व लिये जाने वाले शुल्कों का विनियमन;

46. निगम अभिलेखों से उद्धरणों को प्रमाणित प्रतिलिपियों या उद्धरण (extracts) दिये जाने और उनके लिए जाने वाले शुल्कों को विनियमित करना;

47. नगर में भवन और भूमियों के ऐसे स्वामियों द्वारा, जो उस नगर में निवास न करते हों इस अधिनियम या नियमों, विनियमों या उपविधियों के सभी या किसी प्रयोजन के लिए स्वामी की ओर से कार्य करने के निमित्त उक्त नगर में या उसके निकट रहने वाले अभिकर्ताओं की नियुक्ति को विनियमित करना;

48. विज्ञापनों का प्रतिषेध तथा विनियमन; और

(48–क) मिट्टी के बर्जन बनाने के व्यवसाय में परम्परागत रूप से जुड़े हुए व्यक्तियों को भूमि के बंटन के लिए व्यवस्था की रीति,

स्पष्टीकरण– किसी व्यक्ति को ऐसे व्यवसाय में परमपरागत रूप से जुड़ा हुआ समझा जायेगा यदि वह व्यक्ति के ऐसे वर्ग का हो जैसा राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया जायँ।''

49. सामान्यतया इस अधिनियम के उपबन्धों और अभिप्रायों को कार्यान्वित करना।

542. **मुख्य नगराधिकारी उपविधियों के पांडुलेख को निगम के समक्ष विचारार्थ रखेगा–** मुख्य नगराधिकारी का यह कर्त्वय होगा कि वह समय–समय पर निगम के समक्ष विचारार्थ किसी ऐसी उपविधिका पाडुंलेख रखे, जिसे वह इस अधिनियम के किसी प्रयोजनों को आगे बढ़ाने (furtherance) के लिए आवश्यक और वांछनीय समझे।

543. **प्रस्तावित उपविधियों के संबंध में की गयी आपत्तियों की निगम द्वारा सुनवाई**–निगम द्वारा कोई भी उपविधि न बनायी जायेगी जब तक कि–

(क) नोटिस में निर्दिश्ट किये जाने वाले दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसी उपविधि पर विचार किये जाने के निगम के अभिप्राय का नोटिस, उक्त दिनांक के पूर्व, सरकारी गजट और निगम की बुलेटिन, यदि कोई हो में न दे दिया गया हो।

(ख) ऐसी उपविधि की एक मुद्रित प्रति निगम के मुख्य कार्यालय में न रख दी गयी हो और किसी वयक्ति द्वारा जो खण्ड (क) के अधीन दिये गये नोटिस के दिनांक के बाद किसी उचित समय में उसे पढ़ना चाहता हो, सार्वजनिक रूप से निःशुल्क निरीक्षण किये जाने के लिए उपलब्ध न करा दी गयी हो।

(ग) ऐसी उपविधि की मुद्रित प्रतियां किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे उसको आवश्यकता हो, प्रत्येक प्रति के लिए ऐसा शुल्क भुगतान करने पर, जो मुख्य नगराधिकारी द्वारा निश्चित किया जायेगा, न दे दी गयी हो।

(घ) खण्ड (क) के अधीन दिये गये नोटिस के दिनांक के पूर्व उस उपविधि के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा की गयी सभी लिखित आपत्तियों और सुझावों के संबंध में निगम ने विचार न कर लिया हो।

544. **उपविध्यिों को प्रकाशित किया जाना**–''544–धारा 541 के अधीन बनाई गयी उपविधियॉ सरकारी गजट में प्रकाशित की जाऍगी।''

(2) राज्य सरकार किसी उपविधि को परिष्कार रहित अथवा ऐसे परिष्कारों सहित पुष्ट कर सकती है जिसे वह उचित समझे।

(3) उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किसी उपविध के पुष्ट कर दिये जाने के पश्चात् उसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा और तदुपरान्त उसका विधि का सा प्रभाव होगा।

545. **उपविधि की मुद्रित प्रतियां बिक्री के लिए रखी जायेगी**–(1) मुख्य नगराधिकारी समय–समय पर प्रचलित सभी उपविधियों को मुद्रित करायेगा और उनकी मुद्रित प्रतियॉ किसी भी व्यक्ति को जिसे उनकी आवश्यक हो, प्रत्येक प्रति के लिए ऐसा शुल्क देने पर, जिसे मुख्य नगराधिकारी निश्चित करे, दिलायेगा।

(2) तत्समय प्रलित उपविधियों की मुद्रित प्रतियां सर्वसाधरण के निरीक्षणार्थ निगम के कार्यालय के ऐसे भाग में, जहॉ सर्वसाधारण को आने–जाने का अधिकार हो तथा सार्वजनिक आश्रय–स्थान, बाजार, वधशालाओं या उससे प्रीाावित होने वाले अन्य निर्माण–कार्य या स्थान जैसे अन्य स्थानों में, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे रखी जायेगी और मुख्य नगराधिकारी उक्त प्रतियों के स्थान पर समय–समय पर नई प्रतियॉ रखेगा।

546. **निगम द्वारा उपविधियों का परिश्कार और खंडन**–(1) {निगम} अपनी बनाई हुई किसी उपविधि को परिश्कृत या खंडित कर सकती है।

(2) धारा 542, 543 और 544 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उपधारा (1) के अधीन उपविध के परिश्कार या खंडन (rescission) पर लागू होंगे।

547. **राज्य सरकार उपविधियों को परिश्कृत या निरस्त कर सकती है**–(1) यदि राज्य सरकार को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि किसी उपविधि को पूर्णतः या अंशतः परिश्कृत या निरस्त किया जाना चाहिए, तो वह अपने ऐसे मत के कारण निगम को सूचित करेगी और एक उपयुक्त अवधि विहित करेगी, जिसके भीतर उसके संबंध में निगम कोई ऐसा अभ्यावेदन (representation) कर सकेगी, जिसे वह उचित समझे।

(2) ऐसे किसी अभ्यावेदन के प्रापत होने और उस पर विचार करने के पश्चात् या यदि उस समय के भीतर कोई अभ्यावेदनप्राप्त न हुआ हो तो विहित अवधि के समाप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार किसी भी समय सरकारी गजट में विाप्ति द्वारा उक्त उपविधि को पूर्णतः या अंशतः परिष्कृत या निरसत कर सकती है।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी उपविधि का परिष्कार या निरसन उस दिनांक से, जिसे राज्य सरकार उक्त विाप्ति में निर्दिष्ट करे या यदि कोई ऐसा दिनांक निर्दिष्ट न किया जाय तो विाप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनॉक से प्रभावी होगा, सिवाय किसी ऐसी बात के संबंध में, जो उक्त दिनांक के पूर्व की गयी हो, करने दी गयी हों, या न की गयी (done or lsufferred or omitted to be done)

(4) उक्त विज्ञप्ति निगम की बुलेटिन में भी, यदि कोई हो, प्रकाशित की जायेगी।

548.

विनियम–(1) कार्यकारिणी समिति समय–समय पर निम्नलिखित विनियम के सम्बन्ध में ऐसे विनियम बनायेगा जो इस अधिनियम और नियमों तथा उपविधियों से असंगत न हो, किन्तु जो निगम द्वारा परित किये संकल्प के अनुकूल हों–

(क) किसी ऐसे निगम पदाध्किारी या कर्मचारी द्वारा, जिससे प्रतिभूत मॉगना इष्टकर समझा जाय, दी जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि और उसका प्रकार (nature) निश्चित करना;

(ख) निगम पदाधिकारियों और कर्मचारियों के छुट्टी का दियाजाना विनियमित करना;

(ग) उक्त किन्ही पदाधिकारियों और कर्मचारियों के छुट्टी पर अनुपस्थित रहने की अवधि में उनके स्थान पर कार्य के लिए नियुक्ति किये गये व्यक्तियों को दिया जाने वाला पाश्रिमिक निर्धारित करना;

(घ) उक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों को यात्रा या सवारी भत्ते (travelling or conveyance allowance) के भुगतान को प्राधिकृत करना;

(ङ) उक्त सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की अवधि विनियमित करना;

(च) उन शर्तो को, जिनके अधीन उक्त पदाधिकारी और कर्मचारी या उनमें से कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी सेवा–निवृत्त (retairement) या सेवा–मुक्त (discharge) होने पर, निवृत्ति–वेतन, उपदान या कारूण्य अधिदेय (compassionate allowace) प्राप्त करेगा और जिनके अधीन उत्तरजीवी पति/पत्नी (syouse) और बच्चे तथा उत्तरजीवी पति/पत्नी और बच्चों की अनुपस्थिति में, उक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों में से किसी पदाधिकारी या कर्मचारी पर आश्रित उनके माता–पिता, भाई और बहन, यदि कोई हो, उनकी मृत्यु के पश्चात्, कारूण्य अधिदेय प्राप्त करेंगे और ऐसे निवृत्ति वेतन उपदान या कारूण्य अधिदेय की धनराशि निर्धारित करना;

(छ) कतिपय विहित दरों से तथा कतिपय विहित शर्तो के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे निवृत्ति वेनत याभविश्य निधि (Provident fund) में जो कार्यकारिणी समिति की सवीकृति से उक्त पदाधिकाारियों और कर्मचारियों द्वारा स्थापित की जाय या ऐसी भविष्य निधि में यदि कोई हो, जो निगम द्वारा उक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियेां के लाभार्थ स्थापित की जाय अंशदानों (contributions) के भुगतान को प्राधिकृत करना;

(ज) वे शर्ते जिनके अधीन और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के जब वह कर्तव्यरत (on duty) हो या छुट्टी पर हो, किसी व्यक्ति या निजी संस्था या किसी सार्वजनिक संस्था, जिसके अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी भी सम्मिलित है, के लिए या सरकार के लिए कोई अनिष्ट सेवा या श्रेणीबद्ध सेवायें (series of service) सम्पादित करने और उसके लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है, विहित करना;

(झ) सामान्यतया उक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की किन्हीं अन्य शर्तो को विहित करना;

(2) कार्यकारिणी समिति, समय–समय पर निम्नलिखित के संबंध में ऐसे विनियम भी बना सकती है, जो इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों से अंसगत न हो–

(क) मनुष्यों के रहने के प्रयोजनार्थ भवनों की उपयुक्तता के स्तरों को निर्धारित करना;

(ख) उन व्ययों की घोषणा की विनियमित करना, जो किसी भवन या भूमि के लिए संभारित किये गये (supplied) सामानों या संधायनों (fittings), अथवा उसमें, उस पर या उसके संबंध में संपादित किये गये निर्माण–कार्य या किये गये काम के सम्बन्ध

में मुख्य नगराधिकारी द्वारा इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन किये गये हों और जो विकास व्यय के रूप उसके स्वामी या अध्यासी से वसूल किये जा सकते हों;

(ग) धारा 335 के अधीन प्रचलित (in force) घोषणा–पत्र में निर्दिष्ट किन्हीं सड़कों, सड़कों के भाग या स्थानों (localities) में विशेष प्रयोजनों के हेतु अभिप्रेत दुकानों, गोदाम (warehouse) फैक्टरियों, कुटियों, अथवा भवनों के निर्माण के लिए मुख्य नगराधिकारी द्वारा दी जाने वाली अनुमति को विनियमित करना;

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन कोई भी विनियम तेब तक प्रभावी न होगा जब तक कि उसकी पुष्टि निगम द्वारा न कर दी गई हो और यदि उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन बनाया गया हो जो जब तक कि उसकी पुष्टि राज्य सरकार द्वारा भी न कर दी गई हो और दोनों दशाओं में जब तक कि वह सरकारी गजट में प्रकाशित न कर दिया गया हो।

(4) निगम या राज्य सरकार उपधारा (2) के अधीन उसके समक्ष रखे गए किसी विनियम को पुष्ट करने से इन्कार कर सकती है या उसे परिष्कार रहित अथवा ऐसे परिष्कार के साथ जिसे वह उचित समझे, पुष्ट कर सकती है।

549. **राज्य सरकार का उपविध्यिां तथा विनियम बनाने का का अधिकार**–(1) यदि धारा 541 में निर्दिष्ट किन्हीं विषयों के संबंध में निगम ने कोई उपविधिंया न बनाई हो या यदि निगम द्वारा बनायी गई उपविधियां, राज्य सरकार की राय में में पर्याप्त न हों तो राज्य सरकार ऐसे विषय की व्यवस्था करने के लिए उस सीमा तक उपविधियां बना सकती है, जिसे वह उपयुक्त समझे।

(2) शब्द ''निगम'' के स्थान पर शब्द ''राज्य सरकार'' रख कर धारा 543 के उपबन्ध इस धारा के अधीन उपविध्यिां बनाने के संबंध में लागू होंगे और उपविध्यिों के सरकारी गजट में प्रकाशित होने पर उनका विधि का सा प्रभाव होगा।

(3) यदि इस धारा के अधीन बनाई गई किसी उपविधि का कोर्ठ उपबन्ध, निगम द्वारा बनाई गई उपविधि के किसी उपबन्ध के प्रतिकूल हो तो इस धारा के अधीन बनाई गई उपविधि प्रभावी होगी और धारा 541 के अधीन बनाई गई उपविधि, उसकी प्रतिकूलता की सीमा तक शून्य (void) होगी।

(4) राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, सरकारी बजट में प्रकाशन द्वारा धारा 548 की उपधारा (1) के खंड (च) में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में इस अधिनियम और नियमों तथा उपविधियों के अनुकूल विनियम बना सकती है।

550. **नियमों, उपविधियां अथवा विनियमों की अवहेलना करने का दंड**–नियम, उपविधियां अथवा विनियम बनाते समय यथास्थिति निगम अथवा कार्यकारिणी समिति या राज्य सरकार इस बात की व्यवस्था कर सकती है कि उसकी अवहेलना (breach) करने के लिए सिद्धदोष होने पर अपराधी पर–

(क) जुर्माना किया जायेगा जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है और निरन्तर अवहेलना की दशा में ऐसा जुर्माना किया जायेगा जो प्रथम अवहेलना की दोषसिद्धि (conviction) के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अवहेलना जारी रखी गयी हो, बीस रूपये तक हो सकता है;

(ख) मुख्य नगराधिकारी अथवा अवहेलना को रोकने के लिए तदर्थ यथावत् प्राधिकृत किसी निगम पदाधिकारी से लिखित नोटिस प्राप्त होने पर जुर्माना किया जायेगा, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अवहेलना जारी रखी गयी हो, बीस रूपये तक हो सकता है;

(ग) उक्त जुर्माना किये जाये के साथ–साथ्रा यह भी आदेश दिया जायेगा कि वह दूषण का यथाशीघ्र परिहार करे।

अध्याय 24
विविध
सार्वजनिक नोटिस तथा विज्ञापन

551. **सार्वजनिक नोटिसों का प्रचार कैसे किया जायेगा**–जब कभी इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन यह व्यवस्था हो कि किसी बात के संबंध में सार्वजनिक नोटिस दिया जाय अथवा दिया जा जा सकता है, तो ऐसी सार्वजनिक नोटिस, जब तक इसके प्रतिकूल कोई विशेष उपबन्ध न हो, लिखित रूप में होना और उस पर मुख्य नगराधिकारी अथवा उसे देने के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिकृत किसी मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर होंगें, तथा उससे प्रभावित होने वाले स्थानों (locality) में उसका व्यापक प्रचार किया जायेगा। यह प्रचार उक्त स्थान की प्रमुख सार्वजनिक जगहों पर नोटिस की प्रतियां चिपकार अथवा झुग्गी पिटवाकर, अथवा स्थानीय समाचार–पत्रों उसका विज्ञापन देकर अथवा निगम के बुलेटिन में उसे प्रकाशित करा कर, अथवा इनमें से किन्हीं दो या दो से अधिक साधनों द्वारा अथवा अन्य किन्हीं साधनों द्वारा, जिन्हें मुख्य नगराधिकारी उचित समझे, किया जायेगा।

552. **विज्ञापन किस प्रकार किया जायेगा**–जब कभी इस अधिनिय द्वारा इसके अधीन यह व्यवस्था हो कि नोटिस स्थानीय समाचार–पत्रों में विज्ञापन द्वारा दिया जायेगा अथवा यह कि कोई विज्ञप्ति अथवा सूचना स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित की जायेगी, तो यदि व्यावहारिक हो, ऐसी नोटिस, विज्ञप्ति सूचना नगर में प्रकाशित होने वाले, अथवा नगर में अपने वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में ऐसी भाषा अथवा भाषाओं में विज्ञापित की जायेगी, जिन्हें निगम समय–समय पर एतदर्थ निर्दिष्ट करें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि निगम अपना कोई बुलेटिन निकालती है तो निगम के बुलेटिन के दो लगातार प्रकाशित अंकों में उक्त नोटिस या प्रकाशन इस धारा के प्रयोजना के लिए पर्याप्त समझा जायेगा।

553. **निगम आदि द्वारा लिखित लेख्यों (written documents) में सहमति आदि दिया जाना**–(1) जब कभी इस अधिनियम, किसी नियम, उपनियम, विनियम अथवा आज्ञा के अधीन किसी कार्य का करना, न करना अथवा किसी कार्य की वैधता–

(क) निगम, कार्यकारिणी समिति अथवा अन्य किसी समिति; या

(ख) मुख्य नगराधिकारी अथवा किसी निगम पदाधिकारी;

की सम्मति, स्वीकृति, अनुमोदन सहमति, पुष्टीकरण, घोषणा, राय अथवा समाधान पर निर्भर करती है तो उपधारा (2) में उपबन्धित रीति से हस्ताक्षर किया हुआ कोई लिखित लेख्य (wrtten documents) जिसका उद्देश्य ऐसी सम्पत्ति, स्वीकृति, अनुमोदन, सहमति,

पुष्टीकरण, घोषणा, राय का समाधान के ज्ञापित करना अथवा उसकी सूचना देना हो, ऐसी सम्पत्ति, स्वीकृति, अनुमोदन, सहमति, पुष्टीकरण, घोषणा, राय का का पर्याप्त साक्ष्य होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लिखित लेख्य जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अन्यथा व्यवस्था न की गई हो :

(क) यदि सम्बद्ध प्राधिकारी, महापालिका, कार्यकारिणी समिति अथवा अन्य कोई समिति हो, जो ऐसे प्राधिकारी (authority) की ओर मुख्य नगराधिकारी

(ख) यदि संबंध प्राधिकारी, मुख्य नगराधिकारी अथववा कोई निगम पदाधिकारी हो तो यथास्थिति, मुख्य नगराधिकारी अथवा ऐसा निगम पदाधिकारी, हस्ताक्षर करेगें

नोटिसों आदि की तामील

554. नोटिस और उनका तामील—(1) नोटिस, बिल, अनुसूचियां, आहृान (summons) तथा अन्य ऐसे ही लेख्य, जिन्हें इस अधिनियम आिवा अन्य किसी विनियम या उपविधि द्वारा किसी व्यक्ति पर तामील करना, उसके लिए जारी करना, उसे प्रस्तुत करना अथवा देना अपेक्षित हो, निगम के पदाधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिन्हें मुख्य नगराधिकारी एतदर्थ प्राधिकृत करे, तामील किये जायेंगे, जारी किये जायेंगे, प्रस्तुत किये जायें अथवा दिये जायेंगे

(2) यदि इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि द्वारा किसी नोटिस, बिल, अनुसूची, आहान अथवा ऐसे अन्य लेख्य का किसी व्यक्ति पर तामील किया जाना, जारी किया, उसे प्रस्तुत किया जाना अथवा दिया जाना अपेक्षित हो, तो ऐसी तामील, जारी किया ना, उसे प्रस्तुम किया जाना अथवा दिया जाना उन दशाओं को छोड़ कर जिनके लिए उपधारा (3) में अन्यथा स्पष्ट व्यवस्था की गई हो, निम्नलिखित प्रकार से कर्यान्वित किया जायेगा—

(क) उक्त नोटिस, बिल अनुसूची आह्वान (summons) अथवा लेक्ष्य उक्त व्यक्ति को देकर अथवा प्रस्तुत करके;

(ख) उक्त व्यक्ति के न मिलने पर, उक्त नोटिस बिल, अनुसूची आह्वान अथवा अन्य लेख्य को नगर में उस व्यक्ति के अंतिम ज्ञात निवास स्थान को छोड़कर अथवा उसके परिवार के किसी व्यस्क सदस्य अथवा नौकर को देकर अथवा प्रस्तुत करके, अथवा उसके कारोबार (business) के सामान्य स्थान पर, यदि कोई हो, छोड़कर अथवा ऐसे स्थान में उसके व्यस्क कर्मचारी, यदि कोई हो, को देकर अथवा प्रस्तुत करके; अथवा

(ग) यदि उक्त व्यक्ति नगर में निवास न करता हो और यदि उसके अन्य स्थान का पता मुख्य नगराधिकारी को ज्ञात हो, तो उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आहृवान अथवा अन्य लेख्य ऐसे लिफाफे में रखकर जिस पर उसका उक्त पता लिखा हो, डाक द्वारा भेज कर; अथवा

(घ) यदि उपर्युक्त कोई भी साधन उपलब्ध न हो तो उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आहृवान अथवा अन्य लेख्य को उससे सम्बद्ध भवन अथवा भूमि, यदि कोई हो, के किसी प्रमुख स्थान पर चिपकवा कर।

(3) यदि इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम, या उपविधि द्वारा किसी नोटिस, बिल, अनुसूची, आहृवान अथवा अन्य लेख्य को किसी भवन अथवा भूमि अथवा अध्यासी पर तामील करना, जारी करना और उसे प्रस्तुत करना अपेक्षित हो तो उसमें स्वामी अथवा अध्यासी का नाम लिखिना आवश्यक न हो तथा उसकी तामीलस, उसका जारी किया

जाना और उसका प्रस्तुत किया जानाअ ंतिम पूर्ववर्ती उपधारा के अनुसार कार्यान्वित न किया जाना निम्नलिखित प्रकार से कार्यान्वित किया जायेगा, अर्थात्–

(क) उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आहृवान अथवा अन्य लेख्य को स्वामी अथवा अध्यासी को देकर अथवा उसे प्रस्तुत करके अथवा यदि स्वामी अथवा अध्यासी एक से अधिक हो तो ऐसे भवन अथवा भूमि के किसी भी एक स्वामी अथवा अध्यासी को देकर अथवा प्रस्तुत करके; अथवा

(ख) यदि स्वामी अथवा अध्यासी अथवा स्वामियों या अध्यासयिों में से कोई भी स्वामी अथवा अध्यासी न मिले तो उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आहृवान अथवा अन्य लेख्य को स्वामी या अध्यासी के परिवार के अथवा स्वामियों या अध्यासयिों में से किसी स्वामी या अध्यासी के परिवार के किसी व्यस्क सदस्य अथवा नौकर को देकर या उसे प्रस्तुत करके; अथवा

(ग) यदि पूर्वोक्त कोई भी साधन उपलब्ध न हो तो उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आहृवान अथवा अन्य लेख्य को सम्बद्ध भवन अथवा भूमि के किसी प्रमुख स्थान (conspicuous-part) पर चिपकवा कर।

(4) यदि वह व्यक्ति, जिस पर कोई नोटिस, बिल, अनुसूची, आहृवान अथवा अन्य कोई ऐसा ही लेख्य तामील किया जाना हो, अवस्क हो (monor) तो उसके अभिभावक (gardian) अथवा उसके परिवार के किसी व्यस्क पुरूश सदस्य अथवा नौकर पर उसका तामील किया जाना ही उस अवस्क पर उसकी तामील समझी जायेगी।

(5) इस धारा की कोई बात इस अधिनियम के अधीन किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये आहृवान (summons) पर लागू न होगी।

555. नोटिस आदि पर हस्ताक्षर मुद्रांकित किये जा सकते हैं–(1) प्रत्येक अनुज्ञप्ति, लिखित अनुमति, नोटिस, बिल, अनुसूची, आहृवान अथवा अन्य लेख्य, जिन पर इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम, उपविधि द्वारा मुख्य नगराधिकारी अथवा अन्य किसी निगम पदाधिकारी के हस्ताक्षर होने आवश्यक हो, यथेचित रूप से हस्ताक्षरित समझा जायेगा, यदि उस पर यथास्थिति मुख्य नगराधिकारी अथवा ऐसे महापालिका पदाधिकारी के हस्ताक्षर की अनुलिपि (faesimile) मुद्रांकित हो।

(2) इस धारा की कोई बात इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन निगम निधि के नाम काटे गये चेक (cheque) अथवा किसी संविदापत्र (deed of contract) पर लागू नहीं समझी जायेगी।

556. मुख्य नगराधिकारी का भू–गृहादि के स्वामित्व के संबंध में सूचना मांगने का अधिकार–(1) किसी नोटिस, बिल, अनुसूची, आहृवान अथवा अन्य ऐसे लेख्य को किसी व्यक्ति पर तामील करने, जारी किये जाने, प्रस्तुत करने या दिये जाने के कार्य को सुगम बनाने के लिए मुख्य नगराधिकारी किसी भी भू–गृहादि अथवा उसके किसी भाग के स्वामी अथवा अध्यासी को लिखित नोटिस द्वारा लिखित रूप में यह प्राक्कथन करने का आदेश दे सकता है कि वह ऐसी अवधि के भीतर जिसे मुख्य नगराधिकारी नोटिस में निर्दिष्ट करें यह बतो कि उसमें उसके स्वत्व (nature) है, तथा उसमें स्वत्व रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति का, चाहे वह माफीदार, बंधकी, पट्टेदार अथवा किसी अन्य रूप में हो, नाम औरपता, जहां तक कि ऐसा नाम और उसे ज्ञात हो क्या है।

(2) कोई व्यक्ति, जिसे मुख्य नगराधिकारी ने उपधारा (1) के अनुसार कोई सूचना देने के लिए आदेश दिया हो, उकत आदेश का पालन करने और ऐसी सूचना

जिसे वह अपनी जानकारी तथा विश्वास के आधार पर ठीक समझता हो, देने के लिए बाध्य होगा।

अनाधिकृत कार्य

557. **मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना किये गये निर्माण अथवा कार्य अनाधिकृत समझे जायेंगे**–(1) यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा निर्माण या कार्य जिसके लिए इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि के अधीन मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा अपेक्षित हो, बिना ऐसी अनुज्ञा प्राप्त किया हो, अथवा यदि ऐसी अनुज्ञा बाद में मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी कारण से निलम्बित अथवा प्रतिसंहत (revoked) कर दी गई हो, तो किया गया ऐसा निर्माण अथवा कार्य, अनाधिकृत समझा जायेगा और इस अधिनियम के उपबनधों के अधीन रहते हुए मुख्य नगराधिकारी किस समय लिखित नोटिस द्वारा आदेश दे सकता है कि उक्त निर्माण अथवा कार्य करने वाला व्यक्ति, ऐसे निर्माण को यथास्थिति हटा दे, गिरा दे अथवा अकारथ कर दे (undo)। यदि ऐसे निर्माण कार्य को सम्पादित अथवा कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा नोटिस दिये जाने के समय स्वामी न हो, तो उक्त नोटिस दिये जानके समय जो भी व्यक्ति स्वामी हो मुख्य नगराधिकारी के आदेशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) यदि उकत लिखित नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर यथास्थिति उक्त व्यक्ति या स्वामी द्वारा नोटिस में वर्णित आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया जाता, तो मुख्य नगराधिकारी उस निर्माण को हटा सकता है, परिवर्तित कर सकता है अथवा अकारथ कर सकता है तथा ऐसा करने में जो व्यय होगा वह यथास्थिति उक्त व्यक्ति अथवा स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।

निर्माण आदि के सम्बन्ध में आज्ञाओं का प्रवर्तन

558. **निर्माण आदि, जिन्हें किसी व्यक्ति, से सम्पादित करने की अपेक्षा की गयी हो, कुछ दशाओं में उक्त वयक्ति की लागत पर मुख्य नगराधिकारी द्वारा सम्पादित किये जा सकते हैं**–(1) इस अधिनियम तथा निमयों, उपविधियों एवं विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यदि इस अधिनियम अथवा किसी नियम, उपविधिय एवं विनियम के किसी उपबन्ध के अधीन मुख्य नगराधिकारी अथवा एतदर्थ यथावत् अधिकृत किसी निगम पदाधिकारी द्वारा लिखित नोटिस कोई आदेश दिया जाय तो ऐसे नोटिस में उक्त आदेश अथवा आज्ञा को कार्यान्वित किये जाने के लिए एक उचित अवधि विहित की जायेगी और यदि इस प्रकार विहित की गई अवधि के भीतर, उक्त आदेश अथवा आज्ञा अथवा उकत आदेश अथवा आज्ञा के किसी अंश का अनुपालन न किया गया हो तो मुख्य नगराधिकारी ऐसी कार्यवाही कर सकता है, अथवा ऐसा निर्माण संपादित करा सकता है, अथवा ऐसा काय्र करा सकता है जो उसकी राय में इस प्रकार दिये गये आदेश अथवादी गई आज्ञा को यथोचित रूप से प्रभाव पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक हो और जब तक कि इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्था न की गई हो उस पर होने वाला व्यय उस व्यक्ति द्वारा अथवा उनमें से किसी व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा, जिसे या जिन्हें उक्त आदेश अथवा आज्ञा संबंधित की गई थी।

(2) मुख्य नगराधिकारी इस धारा के अधीन, कोई कार्यवाही कर सकता है, कोई निर्माण सम्पादित करा सकता है अथवा अन्य कोई कार्य करा सकता है चाहे उक्त

आदेश अथवा आज्ञा का अनुपालन न करने वाला व्यक्ति, आज्ञा का अनुपालन न करने के लिए दंड का भागी रहा हो या अभियोजित किया गया हो (prosecсuted) या एतद्‌र्थ उसे किसी दंड का आदेश दिया जा चुका हो अथवा नहीं।

559. **सामग्री का सम्भरण (supply)**—किसी ऐसे व्यक्ति की लिखित प्राथ्रना पर जिसे इस अधिनियम के अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि के किसी उपबन्ध के अधीन कोई सामग्री अथवा संधायनों (fittings) के संभरण का आदेश दिया गया हो, मुख्य नगराधिकारी ऐसे व्यक्ति की ओर से आवश्यक सामग्री अथवा संधायनों का सम्भरण करके निर्माण करवा सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि धारा 524 या 525 के उपलब्ध लागू न होते हों, तो उक्त व्यक्ति द्वारा सर्वप्रथम ऐसी धनराशि जमा की जायेगी जो मुख्य नगराधिकारी की राय में उक्त सामग्री, संधायनों तथा निर्माण के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

प्रवेश तथा निरीक्षण के अधिकार

560. **प्रवेश तथा निरीक्षण के अधिकार**—(1) मुख्य नगराधिकारी अथवा उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत कोई निगम पदाधिकारी अथवा सेवक किसी ऐसे भू—गृहादि में या, पर जहां इस अधिनियम अथवा नियमों के उपबन्धों के द्वारा या अधीन उसे प्रवेश अथवा निरीक्षण करने का अधिकार हो अथवा कोई ऐसा निरीक्षण, तलाशी, भूपामन माप, मूल्याकंन अथवा जांच करने का कोई ऐसा निर्माण संपादित करने के निमित्त, जिसके लिए वह इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन प्राधिकृत किया गया हो विनियमों के प्रयोजनार्थ, अथवा अनुसार, आवश्यक हो, अपने सहायकों सहित या रहित प्रवेश कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के उपबनधों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, मुख्य नगराधिकारी अथवा उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किसी पदाधिकारी अथवा सेवक को निम्नलिखित दशाओं में किसी स्थान में प्रवेश करने और किसी वस्तु का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, अर्थात्—

(क) कोई, अस्तबल, मोटरखाना, वाहन—गृह (coach-house) अथवा अन्य कोई स्थान जहां कर लगाये जाने योग्य (liable to tax) कोई वाहन, नाव या पशु रखा जाता हो;

(ख) कोई भूमि, जहां निगम की गई नाली रही हेा अथवा जहां नाली बनाने का प्रस्ताव हो—धारा 230 के अधीन;

(ग) कोई भूमि, जो किसी व्यक्ति के कब्जें में स्वयं अपनी नाली निगम की नालियों में गिराने के उद्‌देश्य से हो—धारा 234, 236, 241 तथा 242 के अधीन;

(घ) कोई भूमि जिसमें नालियों के संवीजन के निमित्त दंड और पाइप लगाने की आवश्यकता हो— धारा 249 के अधीन;

(ङ) नालियां, संवजीन, दंड, पाइप, मलकूप, शौचालय, मूत्रालय, स्नन और धुलाई के स्थल—धारा 255 के अधीन;

(च) कोई, भूमि जिससे होगर जिगम की जल—कल में जाने का मार्ग हो—धारा 264 के अधीन;

(छ) कोई भू—गृहादि जिनके बारें में यह संशय हो कि उनमें धरा 438 का उल्लंघन करके कोई व्यापार किया जाता है या कोई वस्तु रखी जाती है;

(ज) कोई भू–गृहादि, जिसके प्रयोग के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता हो तथा जिसके इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञप्ति दी गयी हो;

(झ) निर्माण–कासल (during erection) में कोई भवन अथवा संपादन के समय कोई निर्माण कार्य (work)'

(ञ) कोई भू–गृहादि, जिनकी व्यवस्था निगम ने निगम पदाधिकारियों और सेवकों के रहने के लिए की हो।

(3) मुख्य नगराधिकारी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन प्रवेश करने के लिए तब तक बल प्रयोग न करेगा जब तक कि–

(क) ऐसा प्रवेश अन्यथा न किया जा सकता हो;

(ख) ऐसा विश्वास करने का कारण न हो कि इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम अथवा उपबन्ध के अधीन कोई अपराध किया जा रहा है अथवा किया जा चुका है।

561. निर्माण–कार्यो से संलग्न भूमियों पर मुख्य नगराधिकारी का प्रवेशाधिकार–(1) मुख्य नगराधिकारी इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम अथवा उपविधि द्वारा प्राधिकृत किसी निर्माण–कार्य से संलग्न अथवा उसके 100 गज के भीतर स्थित भूमि में, उसमें मिट्टी, बजरी (gravel), बालू, ईटें, पत्थर अथवा अन्य पदार्थ डालने या ऐसे निर्माण–कार्य में प्रवेश पाने के प्रयोजनार्थ अथवा ऐसे निर्माण–कार्यो को संपादित करने से सम्बद्ध किसी अन्य प्रयोजन के निमित्त प्रवेश कर सकता है।

(2) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी भूमि में प्रवेश करने से पूर्व जब तक कि इस अधिनियम में अथा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियाम या उपविधि में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी को (यदि कोई हो) अपने ऐसे प्रवेश के अभिप्राय का तथा तत्संबंधी प्रयोजन का तीन दिन पूर्व लिखित नोटिस देगा और यदि स्वामी अथवा अध्यासी ऐसी अपेक्षा करें तो पर्याप्त मेड़ों (fences) के द्वारा उतनी भूमि को पृथक् कर देगा जो उक्त उपधारा में उल्लिखित प्रयोजनार्थ अपेक्षित हो।

(3) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी भूमि में प्रवेश से पूर्व, कोई भी भुगतान करने अथवा कोई धन प्रस्तुत या जमा करने (tender or deposit) के लिए बाध्य नहीं होगा, किन्तु यथाशक्य कम से कम क्षति पहुंचायेगा तथा भूमि के स्वामी तथा अध्यासी को (यदि कोई हो), ऐसे प्रवेश के लिए तथा उसके फलस्वरूप हुई किसी अस्थायी क्षति के लिए प्रतिकर देगा तथा उक्त स्वामी को तज्जन्य किसी स्थायी क्षति के लिए प्रतिकर देगा।

562. प्रवेश करने का समय–(1) सूर्यास्त् के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व ऐसा प्रवेश नहीं किया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी दशा में, जिसमें इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन इसकी स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गयी हो ऐसा प्रवेश दिन में या रात में किया जा सकता है।

(2) उस दशा को छोड़कर जब इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन अन्यथा स्पष्ट व्यवस्था की गई हो, किसी भवन में, जो मनुष्यों के निवास के लिए प्रयुक्त होता हो, उसके अध्यासी की सहमति के बिना अथवा उसे अभिप्रेत प्रवेश तथा सिवाय उस दशा में जब तत्समबन्धी प्रयोजन बताना अनुपयुक्त समझा जाय, ऐसे प्रयोजन की 6 घंटे पूर्व लिखित सूचना दिये बिना प्रवेश न किया जायेगा।

(3) जब ऐसे भू–गृहादि से अन्यथा तिबना नोटिस दिये प्रवेश किया जा सकता हो, तो प्रत्येक मामलें में पर्याप्त नोटिस दिया जायेगा जिससे उस कक्ष के, जो महिलाओं के प्रयोग के लिए अलग कर दिया गया हो, रहने वाले वहां से हट सकें।

(4) जहां तक प्रवेश के प्रयोजन की आवश्यकतानुसार सुसंगत हो, उस भू–गृहादि के अध्यासियों की सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं की ओर सर्वदा समुचित ध्यान दिया जायेगा जहां प्रवेश किया जाय।

(5) धारा 438 की उपधारा (7) के अधीन प्रवेश से अथवा ऐसा प्रवेश करने के लिए प्रयुक्त आवश्यक बल प्रयोग से अनिवार्यतः हुई किसी क्षति के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिका का दावा नहीं किया जायेगा।

563. धरा 560 या 561 के अधीन प्रवेश अवरूद्ध करने का प्रतिषेध–कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से, मुख्य नगराधिकारी के धारा 560 या 561 के अधीन प्रवेश में या किसी निगम पदाधिकारी या अन्य ऐसे व्यक्ति के प्रवेश करने में बाधक न होगा जो ऐसे प्रवेश के प्रयोजन के लिए मुख्य नगराधिकारी की प्रार्थना से उसके साथ हो या जो उसकी आज्ञा से कार्य कर रहा हो।

वैधिक कार्यवाहियां

564. दीवानी तथा फौजदारी कार्यवाहियों के र्निवेशन आदि तथा विधिक परामर्श प्राप्त करने सम्बन्ध में उपबन्ध–मुख्य नगराधिकारी–

(क) किसी व्यक्ति के विरूद्ध जिस पर निम्नलिखित किसी अपराध केक सम्बन्ध में दोशारोपण किया गया हो (charged) कार्यवाही कर सकता है अथवा कार्यवाही वापस ले सकता है–

(i) इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के अधीन कोई अपराध,

(ii) ऐसा कोई अपराध जिससे निगम की सम्पत्ति अथवा स्वत्व पर अथवा इस अधिनियम के उचित प्रशासन पर, प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की आशंका हो;

(iii) को

ई भी अपदूशण करना;

(ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों, उपविधियों या विनियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का षमन, चाहे अभियोजन निवेशित किये जाने के पूर्व या पश्चात् राज्य सरकार की इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आज्ञा के अधीन रहते हुए, अपराध के लिए नियम अर्थ–दंड की अधिकतम धनराशि से अनधिक शभन फीस की ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर कर सकता है और जहां अपराध इस प्रकार शमन :–

(i) अभियोजन निवेशित किये जाने के पूर्व किया जाय, हवां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन निवेशित किए जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा।

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किसी निर्वाचन यचिका में अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन से सम्बद्ध किसी अन्य कार्याही में, यदि स्वयं उस पर अथवा निगम अथवा अन्य किसी निगम पदाधिकारी पर वाद चलाया गया हो (sued), प्रतिवाद कर सकता है;

(घ) वार्षिक मूल्याकंन या कर के विरूद्ध धारा 472 के अधीन की गई किसी अपील का प्रतिवाद कर सकता है, उसे स्वीकार कर सकता है उसमें समझौता (compromise) कर सकता है;

(ङ) धारा 470 की उपधारा (2), धारा 522 की उपधारा (3) व (4) तथा धारा 481 के अधीन तथा ऐसे प्रतिकर या व्यय की वसूली के निमित्त, जिनके सम्बन्ध में यह दावा किया गया हो कि वे निगम को प्राप्य (due) हैं, कार्यवाही कर सकता है, कार्यवाही वापस ले सकता है अथवा उसमें समझौता कर सकता है;

(च) मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के साथ किये गये किसी संविदे के अधीन देय अर्थ–दंड के सम्बन्ध में उस व्यक्ति के विरूद्ध 500 रू0 से अनधिक के तथा कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से 500 रू0 से अधिक की धनराशि के किसी दावे को वापस ले सकता है या उसमें समझौता कर सकता है;

(छ) निगम के विरूद्ध लाये गये या मुख्य नगराधिकारी या किसी निगम पदाधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध, उनके द्वारा अपने अधिकारी रूप में (official capacity) क्रमशः किये अथवा न किये गये (omitted) किसी कार्य के सम्बन्ध में लाये गये किसी वाद अथवा विधिक कार्यवाही का प्रतिवाद कर सकता है;

(ज) निगम के विरूद्ध या मुख्य नगराधिकारी या किसी निगम पदाधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध उपर्युक्त प्रकार से कृताकृत (done or omitted to be done) किसी कार्य के सम्बन्ध में लाये गये किसी दावे, वाद अथवा विधिक कार्यवाही को कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से स्वीकृत कर सकता है अथवा उसमें समझौता कर सकता है;

(झ) उपर्युक्त प्रकार के अनुमोदन से किसी वाद को निविष्ट तथा अभियोजन (institute and prosecute) कर सकता है अथवा किसी वाद या खंड (च) में वर्णित दावे से भिन्न किसी वाद को, जो निगम अथवा मुख्य नगराधिकारी के नाम से निर्दिष्ट किया हो वापस ले सकता है या उसमें समझौता कर सकता है।

(ञ) ऐसा विधिक परामश्र या सहातय का, जिसे वह समय–समय पर इस उपधारा के पूर्वगामी खंडों में वर्णित किसी प्रयोजन के लिए अथवा किसी निगम प्राधिकारी, या पदाधिकारी या कर्मचारी में निहित या उस पर आरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के प्रयोग अथवा पालन का सुनिश्चित (secure) करने के निमित्त, प्राप्त करना आवश्यक या इश्ठकर समझे, या जिसे निगम या कार्यकारिणी समिति उसके द्वारा प्राप्त करवाना चाहे, प्राप्त कर सकता है तथा उसके लिए भुगतान कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी खंड (छ) के अधीन किसी वाद अथवा विधिक कार्यवाही का प्रतिवाद सर्वप्रथम तत्सम्बन्धी विधिक परामर्श प्राप्त किये बिना न करेगा, तथा वह किसी भी ऐसी वाद को निवेशित एवं अभियोजित करेगा, जिसके सम्बन्ध में निगम यह निर्धारित करे कि वह निवेशित एवं अभियोजित किया जाय।

सामान्य

565. सभासद इत्यादि जल–सेवक (Public Servant) समझे जायेंगे–(1) मुख्य नगराधिकारी तथा प्रत्येक सभासद {* * *} और प्रत्येक निगम पदाधिकारी या कर्मचारी, जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त हुआ हो तथा निगम को प्राप्य किसी कर, शुल्य या अन्य धनराशि की उगाही के निमित्त प्रत्येक ठेकेदार या अभिकर्ता तथा ऐसे किसी ठेकेदार या अभिकर्ता द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति इंडियन पीनल कोड की धारा 21 के अर्थ में जन–सेवक (public servant) समझे जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के निमित्त इंडियन पीनल कोड की धारा 161 में ''लीगल रेम्यूनरेशन'' (legal remuneration) की परिभाषा के अन्तर्गत शब्द ''गवर्नमेंट (Government)'' में निगम का अन्तर्भाव भी समझा जायेगा।

566. **पुलिस पदाधिकारियों के कर्तव्य**—प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :

(क) इस अधिनियम के, अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम, उपविधि या विनियम के अधीन कोई अपराध कियसे जाने के षडयंत्र (design) की या इस बात की कि अपराध किया जा चुका है, कोई सूचना प्राप्त होने पर अविलम्ब उसे उपयुक्त निगम पदाधिकारी को ज्ञापित करना;

(ख) मुख्य नगराधिकारी को या किसी निगम पदाधिकारी या कर्मचारी को या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे मुख्य नगराधिकारी ने विधितः अधिकारों का प्रतिनिधायन किया हो, जो इस अधिनियम अथवा किसी ऐसे नियम, उपविधि या विनियम के अधीन उक्त मुख्य नगराधिकारी में या ऐसे पदाधिकारी या कर्मचारी या व्यक्ति में निहित किसी अधिकार के वैध प्रयोग के लिए उचित रूप में उसकी सहायता मांगता हो, सहायता देना;

तथा ऐसे समस्त प्रयोजनों के लिए उसे वहीं अधिकार प्राप्त होंगे जो अपने सामान्य पुलिस कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त है।

567. **पुलिस पदाधिकारियों का लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार**—यदि कोई पुलिस पदाधिकारी किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम, उपविधि अथवा विनियम के किसी उपबन्ध के विरूद्ध कोई अपराध करता हुआ पाये तो वह यदि उस ऐसे व्यक्ति का नाम या पता ज्ञात न हो तथा यदि पूछने पर वह अपना और पता बताने से इन्कार करें या ऐसा नाम या पता बताये जिसके सम्बन्ध में उक्त पदाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह असत्य है, उसे गिरफ्तार कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति को—

(क) उसका ठीक—ठाक नाम और पता ज्ञात होने के पश्चात् या

(ख) बिना मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटो से अनधिक की ऐसी अवधि से अधिक के लिए, जो उसे किसी मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हो,

अभिरक्षा में निरूद्ध न किया जायेगा।

568. **निगम कर्मचारियों द्वारा पुलिस के अधिकारों का प्रयोग**—राज्य सरकार किसी निगम पदाधिकारी या कर्मचारी की या निगम पदाधिकारियों या कर्मचारियों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त पुलिस पदाधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार दे सकती है।

569. **निगम इत्यादि अनौपचारिकताएं तथा त्रुटियां ऐसे निर्धारण आदि को अवैध करने वाली ना समझी जायेगी**—(1) इस अधिनियम या किसी नियम, विनियम या उपविधि के अधीन किये गये किसी निर्धारण (assessment) या किया गया अभिहरण (distress levied) या की गयी कुर्की (attachment) या जारी किये गये किसी नोटिस बिल, अनुसूची, आहृान या लेख्य में

कोई अनौपचारिकता (informality), लिपिकत्रुटि, अकर्म (omission) या अन्य दोष किसी भी समय यथाशक्य ठीक किये जा सकते है।

(2) उक्त कोई भी ऐसी अनोपचारिकता (informality), लिपिक त्रुटि, अकार्य या अन्य दोष उपर्युक्त निर्धारण, अभिहरण (distress), कुकी (attachemernt), नोटिस, बिल अनुसूची, आहृान या अन्य लेख्य को अमान्य अथवा अवैध करने वाली न समझी जायेगी, यदि इस अधिनियम के तथा नियमों, विनियमो और उपविधियों के उपबन्ध सारतः तथा प्रभावतः (in substace and effect) अनुपालित किये गये हों किन्तु किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे अनोपचारिकता, लिपिक–त्रुटि, अकार्य या अन्य दोष के कारण कोई विशेष क्षति पहुंची हो, किसी अधिकार–क्षेत्रयुक्त सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके उसके लिए प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार होगा।

570. **सद्भावना से किये गये कार्यो के लिए क्षति**–पूर्ति–इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये गये समझे गये या अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार, किसी सभासद { * * * }, नगर प्रमुख या मुख्य नगराधिकारी या किसी निगम पदाधिकारी या कर्मचारी या इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के निगम पदाधिकारी या कर्मचारी के या मैजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन और अनुसार कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी।

571. **इस अधिनियम के अधीन काम करने वाले व्यक्तियों का वादों में संरक्षण**–(1) इस अधिनियम के अनुसार अथवा इदस अधिनियम की कार्यान्विति अथवा अभिप्रेत कार्यान्विति के सम्बन्ध में किये गये या किये गये समझे गये किसी कार्य के सम्बन्ध में या इस अधिनियम की कार्यान्विति के सम्बन्ध में तथाकथित किसी असावधानी या (negect or default) के कारण निगम के या मुख्य नगराधिकारी के या किसी निगम पदाधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद तब तक निविष्ट नहीं किया जायेगा–

(क) जब तक ऐसी लिखित नोटिस के छोड़े या दिये जाने के पश्चात् दो मास की अवधि व्यतीत न हो जाये जो निगम की दशा में निगम के कार्यालय में छोड़ी जाये तथा मुख्य नगराधिकारी या निगम के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी की दशा में, उसे दी जाये उसके पास छोड़ी जाय और जिसमें वाद का कारण, प्रार्थित उपशम, (relieef) का प्रकार, अभियाचित (claimed) प्रतिकर, यदि कोई हो, की धनराशि और ऐसा वाद के प्रयोजन के लिए वादेच्छुवादी (intending plaintiff), उसके मुख्तयार (attomey) एडवोकेट, वकील या अभिकर्ता (agent) का नाम तथा निवास–स्थान समुचित ब्यौरों के साथ लिखा जायगा; तथा

(ख) जब तक कि वह वाद का कारण प्रोद्भूत होने के पश्चात् 6 माह के भीतर प्रारम्भ न किया जाय;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ न लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे वाद पर लागू होती है जिसमें प्रार्थित उपशम केवल व्यादेश (injunction) हो जिसका उद्देश्य नोटिस देने अथवा वाद या कार्यवाही का आरम्भ स्थगित कर दिये जाने के फलस्वरूप विफल हो जायगा।

(2) ऐसे किसी वाद पर विचार के समय–

(क) प्रतिवादी को उपर्युक्त प्रकार छोड़े गये नोटिस में वर्णित वाद कारण (cause of action) के अतिरिक्त अन्य किसी वाद कारण का साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति न दी जायेगी;

(ख) वाद, यदि क्षति के लिए हो, अपास्त (dismiss) कर दिया जायेगा, यदि वाद निवेशित किये जाने वाली क्षति की पर्याप्त रूप से पूर्ति कर दी गयी हो या यदि वाद के निवेशित किये जाने के पश्चात् न्यायालय में व्यय सहित पर्याप्त धनराशि जमा कर दी गयी हो।

(3) यदि किसी ऐसे वाद में प्रतिवादी कोई निगम पदाधिकारी या कर्मचारी हो तो वाद में, या उसके फलस्वरूप लागत, परिव्यय, व्यय, क्षति के लिए प्रतिकर के रूप में या अन्यथा उसके द्वारा धनराशि या उसके किसी भाग की अदायगी, कार्यकारिणी समिति से निगम, निधि से की जा सकती है।

571.क— **निगम के अभिलेखों की प्रमाणित करने की रीति**—निगम के कब्जे की किसी रसीद, प्रार्थना—पत्र, नक्शे, नोटिस, आदेश, किसी रजिस्टर की प्रविष्टि या अन्य लेख्य की प्रतिलिपि, यदि वह उसके विधिवत् रखने वाले या मुख्य नगराधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथाविधि प्रमाणित की गयी हो, ऐसी प्रविष्टि या लेख्य के विद्यमान होने के प्रथम दृष्टया (prima facie) साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषयों तथा व्यवहारों के लिए ऐसे प्रत्येक वाद में तथा उस आयति तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी, जिस आयति तक मूल प्रविष्टि या लेख्य, यदि वह प्रस्तुत किया गया होता ऐसे विषयों को प्रमाणित करने के लिए ग्राहृा होता।

571.ख— **लेख्यों को प्रस्तुत करने के लिए निगम के पदाधिकारियों या सेवको को आहूत करने पर निर्बन्धन**—निगम के किसी पदाधिकारी या सेवक से किसी विधि कार्यवाही में, जिसमें निगम एक पक्ष न हो, कोई ऐसा रजिस्टर या लेख्य प्रस्तुत करने की, जिसके तथ्या पिछली धारा के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध किये जा सकते हों, अथवा उसमें अभिलिखित विषयों का व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायेगी, जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से ऐसा आदेश न दे।

572. **कुछ दशाओं में दीवानी न्यायालय अल्पकालिका निषेधाज्ञा न दे सकेगा**—किसी वाद के दौरान में कोई दीवान न्यायालय—

(क) किसी व्यक्ति, को निगम या निगम की किसी समिति या उपसमिति के किसी सभासद, {***}, पदाधिकारी या कर्मचारी के अधिकारों का प्रयोग करने या कृत्यों अथवा कर्तव्यों का पालन करने से इस आधार पर कि वह व्यक्ति यथास्थिति यथोचित रूप में निर्वाचित या नियुक्त नहीं हुआ है, विरूद्ध करने के लिए (restraining); या

(ख) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को या किसी निगम, निगम की किसी समिति अथवा उपसमिति को कोई निर्वाचन करने या विशिष्ट रीति से निर्वाचन आयोजित करने से निरूद्ध करने के लिए;

कोई अल्पकालिक निषेधाज्ञा या अन्तरिम आज्ञा न देगा।

573. **स्वामी के अभिकर्ता या न्यासी के दायित्व की सीमा**—(1) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 2 के खंड (52) के उपखण्ड (क) के पैरा (1), (2) या (3) में वर्णित किसी रूप में किसी भी भू—गृहादि का किराया ग्रहण करता है,

कोई ऐसा कार्य करने के लिए उत्तरदायी न होगा जिसका इस अधिनियम के अधीन स्वामी द्वारा किया जाना अपेक्षित हो, जब तक कि उसके पास उस कार्य के व्यय को पूरा करने के लिए स्वामी की, या स्वामी को देय पर्याप्त धनराशि न हो, या अपने द्वारा अनुचित कार्य या चूक (improper act or default) न किये जाने की दशा में, जो उसके पास रही होता, न हो।

(2) उन तथ्यों को सिद्ध करने का भार, जिनके कारण किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन उपशमन प्राप्त करने का अधिकार हो, स्वयं उसी व्यक्ति पर होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उपशम (relief) प्राप्त कर ले तो मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति को स्वामी की ओकर से या स्वमी के प्रयोगार्थ सर्वप्रथम प्राप्त होने वाली धनराशियों से वह आभार (obligation) उत्सर्जित करने (discharge) का आदेश दे सकता है, जिसे वह उस उपशम के न मिलने की दशा में उत्सर्जित करता तथा यदि कोई व्यक्ति इस नोटिस का अनुपालन न करे, तो वह ऐसे आभार के उत्सर्जन के निमित्त व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी समझा जायेगा।

(4) इस धारा की किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक निर्माण—कार्य संपादित करने और उसका व्यय वास्तविक स्वामी से वसूल करने से रोकती है।

अध्याय 25
संक्रातिकालीन (transitory) उपबन्ध, निरसन (repeal) तथा संशोधन

574.

(1) अन्य विधायनों के निर्देशों का अर्थ—यू0पी0 म्यूनिसिपल ऐक्ट, 1916, यू0पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 तथा कानपुर अरबन एरिया डेलवपमेंट ऐक्ट, 1945 से भिन्न किसी विधायन (enactment) में, जो किसी नगर में, नियम दिन से ठीक पूर्व दिनांक पर प्रवृत हो या तदन्तगर्कत निर्मित या प्रचारित किसी नियम, आज्ञा या विज्ञप्ति में, जो उक्त दिनांक पर उक्त नगर में प्रवृत्त हो (in force), जब तक कि यह न प्रतीत हो कि उसमें कुछ और आशय है—

(क) यू0पी0 म्यूनिसिपल ऐक्ट, 1916 के अधीन संगठित यथास्थिति नगर पालिका या नगर पालिका क्षेत्र और म्यूनिसिपल बोर्ड या नगर पालिका परिषद, के प्रति किये गये निर्देशों (references) का अर्थ यह लगाया जायेगा कि वे यथास्थिति नगर और उक्त नगर को निगम को प्रति किये गये निर्देश है और ऐसा विधायन, नियम, आज्ञा अथवा विज्ञप्ति उक्त नगर अविा निगम के सम्बन्ध में लागू होंगी;

(ख) यू0पी0 म्यूनिसिपल ऐक्ट, 1916 के अधीन संगठित म्यूनिसिपल बोर्ड या यथास्थिति नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष (President) अथवा उपाध्यक्ष (Vice-President) के प्रति किये गये निर्देशों का अर्थ नगर के सम्बन्ध में यह लगाया जायेगा कि वे इस अधिनियम के अधीन नियुक्त मुख्य नगराधिकारी के प्रति किये गये निर्देश है।

(ग) यू0पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 अथवा कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 के अधीन संगठित इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या डेवलपमेंट बोर्ड तथा ऐसे ट्रस्ट या बोर्ड के चेयरमैन या अध्यक्ष (President) के प्रति किये निर्देशों का अर्थ नगर के

सम्बन्ध में यह लगाया जायेगा कि वे क्रमशः इस अधिनियम के अधीन संगठित विकास समिति तथा मुख्य नगराधिकारी के प्रति किये गये निर्देश है;

(घ) यू0पी0 म्यूनिसिपल ऐक्ट, 1916 के अधीन संगठित म्यूनिसिपल बोर्ड या यथास्थिति नगर पालिका परिशद के सदस्यों के प्रति किये गये निर्देशाों का अर्थ नगर के सम्बन्ध यह लगाया जायेगा कि वे इस अधिनियम के अधीन नगर के संगठित निगम के सदस्य के प्रति किये गये निर्देश है; तथा

(ङ) यू0पी0 म्यूनिसिपल ऐक्ट, 1916, यू0पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 के किसी अध्याय अथवा किसी धारा के प्रति किये गये निर्देशाों का अर्थ किसी नगर के सम्बन्ध में यथाशक्य यह लगाया जायेगा कि वे इस अधिनियम, या इसके तत्स्थान (correspoding) अध्याय या धारा के प्रति किये गये निर्देश है।

''(2) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, किन्हीं नियमों, विनियमों, उपविधियों, परिनियम लिखतों में या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में, या किसी लेखा या कार्यवाही में नगर निगम या निगम के प्रति दिये गये निर्देशों का अर्थ यह लगाया जायेगा कि वह क्रमशः नगर निगम या निगम के प्रति किये गये निर्देश है।''

575. **देय धनराशियां**—चाहे वे किसी कर (tax) के चाहे अन्य किसी लेखे (account) के सम्बन्ध में देय हो, किसी ऐसे क्षेत्र के जो अब नगर बना दिया गया हो, नगरपालिका अथवा स्थानीय प्राधिकारी को देय सभी धनराशि नगर के मुख्य नगराधिकारी द्वारा वसूल की जायेगी और ऐसी वसूली के प्रयोजनार्थ वह कोई ऐसा कार्य (measure) करने अथवा कोई ऐसी कार्यवाही निवेशित (institute) करने के लिए सक्षम होगा, जिसे इस अधिनियम के प्रवृत्त न होने, तथा उक्त क्षेत्र के नगर के रूप में संगठित न किये जाने की दशा में नगरपालिका अथवा स्थानीय प्राधिकारी सम्पन्न कर सकता है।

576. **ऋण, आभार, संविदाएं तथा विचाराधीन (pending) कार्यवहियां**—(1) या यथास्थिति म्यूनिसिपल बोर्ड अथवा नगर पालिका परिषद अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से नियत दिन से ठीक पूर्व उपगत (incurred) सभी ऋण तथा आभार (obligations) और किये गये संविदों के संबंध में, जो उक्त दिन पर विद्यमान (subsisting) हों, यह समझा जायेगा कि वे इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उक्त नगर के मुख्य नगराधिकारी द्वारा उपगत हुए है अथवा किये गये हैं और तदनुसार वे प्रवर्तन में बने रहेंगे।

(2) उक्त दिन पर यथास्थिति म्यूनिसिपल बोर्ड अथवा नगर पालिका परिषद या स्थानीय प्राधिकारी के किसी के समक्ष समस्त विचाराधीन कार्यवाहियां, जिन्हें इस अधिनियम के उपबन्धें के अधीन मुख्य नगराधिकारी के समक्ष निवेशित किया जाना अथवा उसके द्वारा सम्पन्न किया जाना अपेक्षित हो, उसे हस्तान्तरित कर दी जायेंगी, और उकसे द्वारा जारी रखी जायेंगी और ऐसी अन्य समस्त कार्यवाहियां यथाशक्य ऐसे अध्किारी को हस्तान्तरित कर दी जायेगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेगीं जिसके समक्ष अथवा जिसके द्वारा वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निवेशित की जाती अथवा सम्पन्न की जाती।

(3) उक्त दिनांक पर यथास्थिति म्यूनिसिपल बोर्ड अथवा नगर पालिका परिषद या स्थानीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन समस्त अपीलें, यथाव्यवहार्य इस प्रकार निस्तारित की जायेगीं मानों उन्हें प्रस्तुत करने के समय वह क्षेत्र नगर के रूप संगठित किया जा चुका हो।

(4) यथास्थिति म्यूनिसिपल बोर्ड अथवा नगर पालिका परिषद अथवा सथानीय प्राधिकारी द्वारा अथवा उसकी ओर से निवेदन सभी अभियोजन (prosecutions) तथा उक्त नगरपालिका, स्थानीय प्राधिकारी अथवा उस नरगपालिका या स्थानीय प्राधिकारी के किसी पदाधिकारी द्वारा अथवा उसके विरूद्ध निवेशित सरूभी वाद तथा अन्य विधि कार्यवाहियां जो उक्त दिनांक पर विचारााीन हो, यथास्थिति मुख्य नगराधिकारी अथवा उक्त नगर की निगम द्वारा उसके विरूद्ध इस प्रकार जारी रहेगीं मानों ऐसे अभियोजन वाद अथवा कार्यवाही के निवेशित किये जाने के समय वह क्षेत्र नगर के रूप में संगठित किया जा चुका हो।

577. **नियुक्तियों, करों, बजट के तखमीनों तथा निर्धारणों का जारी रहना**—इस अध्याय के उपबन्धों अािवा धरा 579 के अधीन प्रचारित किसी विज्ञप्ति द्वारा की गई स्पष्ट व्यवस्था को छोड़कर—

(क) यू0पी0 म्यूनिसिपल ऐक्ट, 1916 या कानपुर अरबन एरिया डेवलपमें ऐक्ट, 1945 या यू0पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 या नियत दिन से तुरन्त पूर्व नगर के रूप में संगठित किये गये किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवृत्त किसी अनय विधि के अधीन की गई, प्रचारित, आरोपित या स्वीकृत कोई नियुक्ति, प्रतिनिधायन (delegation), विज्ञप्ति, नोटिस, कर, आज्ञा, निदेश (direction), योजना, अनुज्ञप्ति (license), अनुज्ञा (permission), पंजीयन (registration), नियम उपविधि, विनियम तथा प्रपत्र (form) जहां तक वह इस अिानियम के उपबन्धों से असंगत न हो तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि वह यथास्थिति, इस अधिनियम अथवा पूर्वोक्त अन्य किसी विधि के अधीन की गई, प्रसारित आरोपित अथवा स्वीकृत किसी नियुक्ति, प्रतिनिधायन, विज्ञप्ति, नोटिस कर, आज्ञा, निदेश, योजना, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, पंजीयन, नियम, उपविधि, विनियम या प्रपत्र द्वारा अवक्रांत न कर दिया जाय;

(ख) नगर के अन्तर्गत किसी क्षेत्र की विकास योजना के संबंध में यू0पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 या कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 के अधीन प्रसारित किसी नोटिस, विज्ञप्ति या स्वीकृति (sanction) के विषय में यह समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन प्रसारित की गयी है, तथा ऐसी योजना को बढ़ाने के हेतु आगे की कार्यवाहियां तद्नुसार की जायेंगी;

(ग) यू0पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 या कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945, यू0पी0 म्यूनिसिपल ऐक्ट, 1916 या नगर के अन्तर्गत क्षेत्र पर लागू होने वाले अन्य किसी विद्यमान के अधीन किसी भूमि के अर्जन से सम्बद्ध सभी कार्यवाहियां, चाहे वे किसी विकास योजना के अनुसरण में अथवा अन्यथा आरव्ध (initiated) की गयी हो, उसी प्रकार जारी रखी जायेंगी मानो वे इस अधिनियम के अधीन आरव्ध हों;

(घ) यू0पी0 म्यूनिसिपल ऐक्ट, 1916 या यू0पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 या कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 या नियत दिनांक से तुरन्त पूर्व नगर के रूप में संगठित किये गये किसी क्षेत्र में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किये गये बजट के सभी तखमीने, निर्धारण, मूल्याकंन (valuations), माप (measurements) तथा विभाजन (divisions) जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत हों, इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे;

(ङ) नियत दिन से ठीक पूर्व यथास्थिति म्यूनिसिपल बोर्ड अथवा नगर पालिका परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, डेवलपमेंट बोर्ड या स्थानीय प्राधिकारी के नियोजन में होने वाले सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी धारा 196 और 107 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन अस्थायी रूप से नियोजित निगम के पदाधिकारी तथा कर्मचारी हो

जायेंगे और जब तक वे इस अधिनियम के अधीन सृजित पदों पर नियुक्त न किये जायें धारा 112–क के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा सृजित किसी केन्द्रीय सेवा में अन्तिम रूप स`ले न लिये जायें अथवा उनकी सेवायें ऐसी नियमावाली के अनुसाार समाप्त न हो जायें, वे वही वेतन और भत्ते पायेंगे और ऐसी नियमावली में अन्यथा की गयी व्यवस्ता को छोड़कर, सेवा की उन्हीं शर्तो के अधीन रहेगें जिनके कि वे नियत दिन के ठीक पूर्व अधिकारी अथवा अधीन थे।

(ङङ) जब तक कि धारा 106 में उल्लिखित पदों का निगम द्वारा सृजन नहीं किया जाता है और उन पर इस अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अनुसार औपचारिक नियुक्तियां नहीं की जाती–

(1) मुख्य नगराधिकारी खंड (ङ) में उल्लिखित वर्तमान पदाधिकारियों और सेवकों के पदनामें में ऐसे परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगा जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हों, और इस प्रकार नामोदिष्ट पदाधिकारी और सेवक ऐसे अधिकारों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन यथा कृत्यों का संपादन करने के लिए सक्षम होंगे जो उन्हें अधिनियम और उक्त नियमों के अधीन सौंपे गये हों :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उप–खंड के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा दिये गये प्रत्येक आदेश की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजी जायेगी जो उसमें ऐसे परिवर्तन कर सकती है जो आवश्यक या वांछनीय हों।

(2) राज्य स्वास्थ्य सेवा का ऐसा पदाधिकारी अथवा ऐसे पदाधिकारी जिसे/जिन्हें राज्य सरकार तदर्थ नाम–निर्दिष्ट अथवा नामोदिष्ट करें, अधिनियम के अधीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी या नगर स्वास्थ्य अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगें।

(3) राज्य सरकार के ऐसे अनेक जो नियत दिन से ठीक पूर्व या यथास्थिति म्यूनिसिपल बोर्ड अथवा नगर पालिका परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, डेवलपमेंट बोर्ड या स्थानीय प्राधिकारी के यहां प्रतिनियुक्ति हो, धारा 106 और 107 में किसी बात के होते हुए भी नगर निगम के यहां प्रतिनियुक्त समझे जायेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, किसी भी समय, स्वतः अथवा निगम द्वारा अनुरोध किये जाने पर किसी ऐसे पदाधिकारी को वापस बुला सकती है अथवा किसी ऐसे पदाधिकारी के स्थान पर नया पदाधिकारी भेज सकती है।

(च) खंड (ङ) में उल्लिखित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को निगम द्वारा धारा 106 के अधीन निर्मित पदों पर नियुक्ति करने में धारा 112–क के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

(1) उन पदों पर नियुक्ति का कार्य, जिनके संबंध में धारा 107 के अनुसार राज्य के लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है, उक्त धारा के अनुसार किया जायेगा।

(2) अन्य पदों पर नियुक्तियां मुख्य नगराधिकारी, नगर–प्रमुख के परामर्श से और इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य या विशेष निदेशों के अनुसार करेगा।

(3) यदि किसी पद के लिए उपर्युक्त अस्थायी पदाधिकारियों या कर्मचारियों में से कोई उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिए न मिले तो ऐसे पद के लिए अन्यथा इस अधिनियम के अधीन नियुक्ति कर ली जायेगी।

(4) यदि कोई उपर्युक्त अस्थायी पदाधिकारी या कर्मचारी निगम द्वारा निर्मित किसी पद के लिए उपर्युक्त न समझा जाये अथवा जिस पद पर उसकी नियुक्ति की जाये इस पद को ग्रहण करना वह इस कारण स्वीकार न करे कि उसका वेतन या वेतन का समय–मान (time-scael) उसके वर्तमान वेतन अथवा वेतन के समय–मान से

कम है तो उसकी सेवा को नियोजन की शर्तो के अपेक्षानुसार आवश्यक नोटिस देकर समाप्त कर दिया जायेगा परन्तु ऐसा प्रत्येक पदाधिकारी तथा कर्मचारी, जिसकी सेवायें इस प्रकार समाप्त कर दी गई हो, ऐसे अवकाश निवृत्त–वेतन (pension) या उपदान (gratuity) का अधिकार होगा जिसे वह इस अधिनियम के पारित न होने की दशा में सेवा से पृथक किये जाने पर ग्रहण करने या प्राप्त करने का अधिकारी होता।

(छ) खंड (ङ) में उल्लिखित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के नियम दिन से पूर्व जितीन भी सेवा (service) की होगी वह निगम के अधीन की गई सेवा समझी जायेगी।

''577–क. **सेवा की निरन्तरता**–उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्ता शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी नागर महापालिका के नियोजन में समस्त अधिकारी और कर्मचारी, ऐसे प्रारम्भ पर, इस अधिनियम के अधीन निगम के अधिकारी और कर्मचारी हो जायेगें, और वह वही वेतन और भत्ते पायेंगे और सेवा की उन्हीं शर्तो के अधीन रहेंगे जिनके कि वे ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व हकदार या अधीन थे।''

578. **अधिक्रान्त अथवा विघटित नगरपालिका अथवा स्थानीय प्राधिकारी के लिए व्यवस्था**–पूर्ववर्ती धाराओं में किसी नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी के प्रति कियास गया कोई निर्देश तदर्थ निर्मित किसी विधायन के अधीन किसी ऐसी नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी के अधिक्रान्त या विघटित होने अथवा किसी प्रशासन (administrator) के अवधायन में रख दिये जाने की दशा में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति किया गया निर्देश समझा जायेगा, जो ऐसी नगरपालिका या सथानीय प्राधिकारी से सम्बद्ध किसी विधि के अधीन उक्त नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करने अथवा कृत्यों का संपादन करने के लिए नियुक्त किया गया अथवा किये गये हों।

579. **विशेष उपबन्ध**–(1) जब कोई क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 243–घ के खण्ड (2) के अधीन वृहत्तर नगरीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जाय तो इस अधिनियम अथवा ऐसे क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधायन में किसी बात के रहते हुए राज्य सरकार–

(क) ऐसे नगर में निगम के संगठन के हेतु निर्वाचनों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन मुख्य नगराधिकारी के अधिकारों का प्रयोग एवं कृत्यों का संपादन करने के लिए सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किसी अन्तःकालीन मुख्य नगराधिकारी की नियुक्ति कर सकती है;

(ख) ऐसे नगर में निगम की स्थापना से सम्बद्ध समस्त कार्यो के प्रयोजनार्थ ऐसे नगर के अन्तर्गत स्थित क्षेत्र के संबंध में कार्य करने वाले नगर पालिका परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या विकास बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी की सेवायें अभियाचित (requisition) कर सकती है;

(ग) आज्ञा देकर अन्य ऐसे विषयों की व्यवस्था कर सकती है जो ऐसे नगर में महापालिका की स्थापना की सुगम बनाने के लिए आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का भुगतान उस स्थानीय प्राधिकारी की निधियों में से किया जायेगा जिसके कि वे सेवाओं की अभियाचना (requisition) के समय पदाधिकारी या कर्मचारी रहे हों तथा अन्तःकालीन मुख्य नगराधिकारी के वेतन और भत्तों का भुगतान ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की निधि में से किया जायेगा जिसे राज्य सरकार आदिष्ट करें।

579—क. नगर निगम के संगठतन तक के लिए व्यवस्था—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के अधीन नगर निगम के पहले संगठन तक की अवधि के दौरान नगर महापालिका और उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख और सदस्य क्रमशः नगर निगम और उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख और सदस्यों के अधिकारों का प्रयोग कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगें और नगर निगम के नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख और सदस्य समझे जायेंगे।

(2) ''जहां महापालिका जैसी कि वह उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी का कार्यकाल का बढ़ाया गया कार्यकाल ऐसे प्रारम्भ के पूर्व समाप्त हो गया है और राज्य सरकार द्वारा कोई अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है (जिसे आगे प्रशासक कहा गया है) तो निगम के प्रथम संगठन तक''

(क) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, सभासद और धारा 95 तथा 97 के अधीन संगठित तथा नियुक्ति समस्त विशेष समितियों, संयुक्त समितियों तथा उप समितियों के सदस्य तथा निगम का मुख्य नगर अधिकारी, अपना—अपना पद रिक्त कर देंगे, तथा ऐसी समस्त विशेष समितियों, संयुक्त समितियां और उप—समितियां विघटित हो जायेंगी।

(ख) निगम, उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख कार्यकारिणी समिति, विकास समिति तथा धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन नियुक्त अन्य समितियों की तथा मुख्य नगर अधिकारी की समस्त शक्तियां, कृत्य, तथा कर्तव्य उसमें निरन्तर निहित रहेंगे और उनका प्रयोग, पालन तथा निर्वहन प्रशासक द्वारा किया जाये जो विधि की दृष्टि से निगम नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति या अन्य समितियां अथवा मुख्य नगर अधिकारी जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायेगा;

(ग) प्रशासक, राज्य सरकार, के किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त षक्तियों में से सब या किन्हीं के बारें में—

(1) उसके द्वारा उस निमित्त निर्दिष्ट रीति से संगठित समिति या अन्य निकाय से, यदि कोई हो, परामर्श कर सकेगा, अथवा,

(2) इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों को ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो अधिरोपित करना यह उचित समझे, उसके द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट किये जाने वाले किसी व्यक्ति अथवा उप—खण्ड (1) के अधीन संगठित किसी समिति या अन्य निकाय को प्रत्यायोजित कर सकेगा,

(घ) प्रशासक का वेतन और भत्ते, जो उस निमित्त राज्य सरकार के साधारण या विशेष, आदेशों द्वारा नियत किए जाएं, निगम की निधि से दिए जायेंगें।

''(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, निगम के संगठन के लिए निर्वाचन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शाासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक से डेढ़ वर्ष की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कराये जायेंगें, और निगम का संगठन हो जाने पर उपधारा (2) के खंण्ड (ख), (ग) और (घ) के उपबन्ध प्रभावी नहीं रह जायेगें।''

(4) जहां उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ से पूर्व ही किसी निगम का कार्यकाल समाप्त हो गया हो वहां भी उपधारा (2) और (3) के उपबंध लागू होंगे और जहां ऐसे प्रारम्भ के पूर्व प्रशासक नियुक्त किया गया है उसे इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक समझा जायेगा।''

580. कठिनाइंयों को दूर करने की शक्ति–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावी बनाने में कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार जैसा अवसर विशेष पर अपेक्षित हो, अधिसूचित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हो, प्रभावी होगा, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझें।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा,

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा बनाए गए उपबंध प्रभावी होंगे मानों वे इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हैं और ऐसा कोई आदेश किसी भूतलक्षी दिनांक से, जो उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व का दिनांक न होगा, दिया जा सकता है।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमतों के संबंध में लागू होते है।''

580–क. कुछ दशाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों दायित्वों तथा आभारों का उत्तराधिकार–(1) उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ को और से, और धारा 140 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए–

(क) समस्त सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित और आस्तियां जिनके अन्तर्गत रोकड़ बाकी भी है, जहां कही भी वे स्थित हो, जो उक्त दिनांक के ठीक पहले नगर निगम में निहित थी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निगम में निहित हो जायेगी और इसके अधिकार में रहेगी, तथा

(ख) पूर्वोक्त नगर निगम के ऐसे समस्त अधिकार, दायित्व और आभार चाहे वे किसी संविदा से उत्पन्न हुए हों या अन्यथा जो उक्त दिनांक से ठीक पहले विद्यमान हो, उस निगम के अधिकार, दायित्व और आभार हो जायेंगें।

(2) यदि कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो कि कोई सम्पत्ति, हित या अस्ति उपधारा (1) के अधीन निगम में निहित हो गयी है, या नहीं, अथवा कोई अधिकार, दायित्व या आभार निगम का अधिकार, दायित्व या आभार हो गया है या नहीं, तो ऐसा संदेह या विवाद, यथास्थिति मुख्य नगर अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेग, जिसका निर्णय, जब तक कि वह किसी विधि न्यायालय के के किसी निर्णय से अवक्रान्त न हो जाय, अन्तिम होगा।

580–ख. महापालिका देय धनराशियां–किसी नगर निगम को देय समस्त धनराशियां, चाहे वे किसी कर के मद में देय हों या किसी अन्य खाते में निगम द्वारा वसूल की जायेगी और निगम ऐसी वसूली के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा कार्य करने के लिए सक्षम होगा या कोई ऐसी कार्यवाही करने के लिए सक्षमत होगा, जिसे उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रवृत्त न होने की दशा में उक्त नगरमहापालिका करने या प्रारम्भ करने की अधिकारी होती।

580–ग. महापालिका के ऋण, आभार, संविदायें तथा विचाराधीन कार्यवाहियां–(1) किसी नगर महापालिका द्वारा या उसकी ओर से धारा 580–क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट दिनांक के पूर्व उपगत सभी ऋणों और आभारों और की गयी सभी संविदाओं के सम्बन्ध में, जो उक्त दिनांक को विद्यमान हों, यह समझा जायेगा कि वे इस अधिनियम द्वारा उसे प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके निगम द्वारा हुए अथवा किये गये और तद्नुसार वे प्रवर्तन में बने रहेंगे।

(2) उक्त नगर निगम के किसी प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन ऐसी समस्त कार्यवाहियां, जिनका इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निगम के समक्ष प्रारम्भ किया जाना अथवा उसके द्वारा सम्पन्न किया जाना अपेक्षित हो, निगम को सवंमित कर दी जायेंगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेंगी, और ऐसी अन्य समस्त कार्यवाहियां भी, यथासम्भव, उस प्राधिकारी को सवंमित कर दी जायेंगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेगी, जिसके समक्ष अथवा जिसके द्वारा, वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, प्रारम्भ या सम्पन्न की जाती।

(3) उक्त नगर महापालिका के प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन समस्त अपीलें, यथा व्यवहार्य इस प्रकार निस्तारित की जायेंगी मानों उनके प्रारम्भ किये जाने के समय निगम विद्यमान था।

(4) उक्त नगर महापालिका द्वारा या उसकी आरे से चलाये गये सभी अभियोजन और उक्त नगर महापालिका द्वारा या उसके विरूद्ध या उक्त नगर महापालिका के किसी अधिकारी द्वारा या उसके विरूद्ध चलाये गये सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां जो उक्त दिनांक को विचाराधीन हों, निगम या अधिकारी द्वारा या उसके विरूद्ध उसी प्रकार जारी रहेंगी मानों ऐसे अभियोजन, वाद या कार्यवाही चलाये जाने के समय निगम संगठित किया जा चुका हो।

581. निरसन–यू0 पी0 म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, यू0 पी0 टाउन एरियाज ऐक्ट, 1914, यू0 पी0 इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919, यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट (अपील्स) ऐक्ट, 1890, यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट (एडाप्टेशन) ऐक्ट, 1948, यू0पी0 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, 1922, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) अधिनियम, 1953 तथा कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945, नियम दिन से जहां तक वे नगर में किसी क्षेत्र में प्रवृत्त हों, निरस्त हो जायेंगें।

———————————

अनुसूची 1
(धारा 119)
निगम प्राधिकारियों के अप्रत्यनिधान्य कृत्य
भाग (क)
निगम के कृत्य जो प्रतिनिधानित न किये जायेंगें

अध्याय	धारा	कृत्य
3	95	(1) विशेष समितियां अथवा संयुक्त समितियों का संगठन
	96	(2) किसी छावनी प्राधिकारी अथवा अन्य किसी विधिक प्राधिकारी अथवा ऐसे प्राधिकारी के समवाय (combination) में मिलना।

6	127	किसी अचल सम्पत्ति को मंजूर करने अथवा अर्जन करने की स्वीकृति देना यदि उस संपत्ति का मूल्य, जिसे मंजूर करने, अर्जित करने अथवा विनिमय में देने का प्रस्ताव है, पांच हजार रूपये से अधिक हो। तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी संपत्ति को पट्टे पर लेने की मंजूरी देगा। किसी आभारग्रस्त (burdened by an obligation) संपत्ति का दान अथवा हिस्सा (bequest) मंजूर करने की स्वीकृति देना, यदि उसका मूल्य पांच हजार रूपये से अधिक हो।
7	139	विशेष निधि का निर्माण करना
	146(4)	बजट अंगीकार करना।
	148	करों की दरें निर्धारित करना।
	154	
8	155	रूपया उधार लेना।
	157	निक्षेप निधि का संगठन करना।
9	172	कर लगाना।
	204	करों को हटाना या उसमें परिवर्तन करना।
	216	करों को संहत करना
	225	अनुपूरक करों का आश्रय लेना।
14	360	विकास–समिति द्वारा प्रस्तु योजना का संशोधनों सहित अथवा रहित परित्याग करना अथवा उसे स्वीकृत करना।
	364	निगम अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी योजना को पारित करने के पश्चात् उसमें परिवर्तन करना।
16	423	यह निर्धारित करना कि नगर में अथवा नगर के किसी निर्दिष्ट भाग में निजी बाजारों की स्थापना अथवा निजी वधशालाओं के संधारण की अनुज्ञा दी जाय या नहीं।
	भाग (ख)	
	कार्यकारिणी समिति के कृत्य, जो प्रतिनिधनित न किये जायेंगें	
6	127	(1) संपत्ति अर्जित करने के लिए निबन्धन दरें अथवा अधिकतम मूल्य निश्चित करना।
		(2) किसी सम्पत्ति के अनिवार्य रूप से अर्जित करने की और किसी अचल संपत्ति के विनिमय की स्वीकृति देना, और
		(3) किसी संपत्ति का 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर लेने की मंजुरी देना।
	135	दस हजार रूपये से अधिक की लागत की योजनाओं के तखमीनों की मंजूरी देना।
9	213	निर्धारण–सूची को परिवर्तित अथवा संशोधित करना।
16	443	नल–मिस्त्रियों के लिए शुल्क निर्धारित करना।
	भाग (ग)	
	विकास समिति के कृत्य, जो प्रतिनिधानित न किये जायेंगें।	
14	344	किसी क्षेत्र को अवस्थास्थ्यकर क्षेत्र घोषित करना।
	345	गन्दी बस्तियों को साफ करने तथा पुनर्निर्धारण की योजना बनाने के आदेश देना।

	351	परिमापन करने की आज्ञा देना।
	365	मुख्य नगराधिकारी द्वारा तैयार की गई कोई योजना संशोधनों सहित अथवा रहित स्वीकार करना।
	359	किसी विकास योजना के संबंध में आपत्तियों तथा अभ्यावेदन (representations) पर विचार करना
भाग (घ)		
मुख्य नगराधिकारी के वे कृत्य, जो अन्य पदाधिकारियों अथवा सेवकों को प्रतिनिधानित न किये जायेंगे		
4	107	(2) ऐसे पदों पर जो धारा 107 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पदों में सम्मिलित नहीं है पदों पर नियुक्तियां करना।
6	127	नगर के बाहर या भीतर किसी चल अथवा अचल संपत्ति अथवा ऐसी सम्पत्ति में कोई स्वत्व अर्जित करना।
	129	निगम की ओर से किसी सम्पतित का निस्तारण करना।
10	229	यह घोषित करना कि कोई नाली अथवा उसका कोई भाग अथवा जल–निस्सारण अथवा मल निस्सारण के निमार्ण–कार्य निगम में निहित होंगे।
	250	नालियां खाली करने अथवा मल आदि (sewage) निस्तारण के लिए स्थान निश्चित करना।
12	277	कुछ प्रकार के यातायात (traffic) के लिए सार्वजनिक सड़कोकं के प्रयोग का प्रतिशेध करना।
	278	सार्वजनिक सड़कों के सुधार के लिए भू–गृहादि अर्जित करना।
	279	सड़क की पंक्ति विहित करना।
	280 281	भवनों को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाना और किसी भवन के गिराने के आदेश न माने जाने पर उसको या उसके किसी भाग को गिराने की आज्ञा देना।
	282	सड़क की विनियमित पंक्ति के भीतर की खुली भूमि, अथवा
	283	चबूतरों (platforms)द्वारा घिरी हुई भूमि अर्जित करना।
	284	भवनों को आगे बढ़ाने की आज्ञा देना।
	290	किसी निजी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित करना।
	293	सड़कों पर निकले हुए भागों (project) को बनाने में अनुज्ञा देना।
	299	थ्नयत दिन के पहले निर्मित या संस्थापित किसी ढांचे अथवा संलग्नक को हटाने के आदेश देना।
	305	आकाश चिन्हों आदि के निर्माण की अनुज्ञा देना।
13	322	उस समय तक के लिए भवन को बनाने की अनुज्ञा न देना जब तक कि सड़क प्रारम्भ न कर दी जाय अथवा पूरी न कर ली जाय।
	328	प्रार्थी द्वारा सारवान भ्रान्त कथन के आधार पर किसी भवन अथवा निर्माण कार्य आरम्भ करने की अनुज्ञा रद्द करना।
13	333	अवैध कार्यो का निर्देशन करने वाले व्यक्तियों को हटाने के आदेश देना।
	334	कुछ परिस्थितियों में किसी भवन को खाली कराने की नोटिस जारी करना।
	335	विशेष सड़कों अथवा स्थानीय क्षेत्रों (localities) में ािवनों का भावी निर्माण विनियमित करना।
	338	ऐसे स्थानों पर भवनों के पुनर्निर्माण का प्रतिशेध करना जहां तक पहुंचा न जा सकें।

	340	आवास (accommodation) संबंधी विवरण मांगना।
16	430	पशुओं के वध के लिए निगम की अनुज्ञा से नगर के भीतर भू–गृहादि निश्चित करना।
20	525	निगम के अनुमोदन से कुछ व्ययों को विकास व्यय घोशित करना।

————————

अनुसूची 2
(धारा 376)
लैंड एक्वीजिशेन ऐक्ट, 1894 (जिसे अगे उक्त ऐक्ट कहा गया है) में संशोधन

1. धारा 3 का संशोधन—उक्त ऐक्ट की धारा 3 के खंड (ई) के पश्चात् निम्नलिखित रखा गया समझा जाय, अर्थात्

" (ee) the expression, 'local authority" includes a Mahapalika constituted under the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959".

2. विकास योजनाओं की दशा में धारा 4 तथा धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति का स्थान इस अधिनियम की धारा 357 तथा 363 के अधीन प्रचारित विज्ञप्तियां लेंगी—(1) इस अधिनियम की धारा 357 के अधीन किसी विकास—योजना का प्रथम प्रकाशित नोटिस, उक्त ऐक्ट की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीनर सम्बद्ध स्थान (locality) तथा सरकारी गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति का स्थान ले लेगा, और उसकी के समान प्रभावी होगा, सिवाय उस दशा के जब उक्त ऐक्ट की धारा 4 या 6 के अधीन पहले घोषणा की जा चुकी हो और अब भी प्रचलित हों।

(2) इस अनुसूची की कंडिकाओं 10 तथा 11 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम की धारा 348 की उपधारा (4) के अधीन अर्जित भूमि की दशा में उक्त उपधारा के अधीन तथा इस अधिनियम की किसी अन्य विकास—योजना के अधीन अर्जित भूमि की दशा में, इस अधिनयम की धारा 363 के अधीन प्रकाश्शिता विज्ञप्ति उक्त अधिनियम की धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी घोषणा का स्थान ले लेगी तथा उसी के समान प्रभावी होगी, जब तक कि उक्त धारा 6 के अधीन घोषणा पहले ही न की जा चुकी हो और अब भी प्रचलित न हो।

3. धारा 11 का संशोधन—उक्त ऐक्ट की धारा 11 के अन्त का फुलस्टाप सेमीकोलन में परिवर्तित समझा जाय तथा निम्नलिखि बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्—

"and

(iv) the cost which, in his opinion, should be allowed to person who if found to be entitled to compensation [* * *] as having been actually and reasonable incurred by such person in preparing his claim and putting,

The Collector may disallow, wholly or in part, costs incurred by any person, if he considers that the claim made by such person for compensation is extravagant."

4. धारा 15 का संशोधन–उक्त ऐक्ट की धारा 15 में शब्द तथा संख्या "and 24" के स्थान पर संख्या, षब्द तथा वर्ण "24 and 24-A" , जिसके पहले एक कॉमा भी होगा, रखे गये समझे जायॅं।

5. धारा 17 का संशोधन–(1) उक्त ऐक्ट की धारा 17 की उपधारा (3) में संख्या ''24'' के पश्चात् षब्द संख्या, तथा वर्ण "or section 24-A" रखे गये समझे जायॅं।

(2) उक्त धारा 17 में निम्नलिखित बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्–

"(5)" Sub-section (1) and (3) shall apply also in the case of any area which is stated in a certificate granted by the District Magistrate or a Magistrate or a Magistrate of the first class to be unhealthy.

(6)" Before granting any such certificate, the Magistrate shall cause notice to be served as promptly as may be on the person referred to in sub-section (3) of section 9, and shall here without any avoidable delay any objections which may be urged by them.

(7)" When proceedings have been taken under this section, for the acquisition of any land, and any person sustains damage in consequence of being suddenly dispossessed of such land, compensation shall be paid to such person for such dispossession."

6. निगम को भूमि हस्तान्तरण–उक्त ऐक्ट की धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित रखा गया समझा जाय, अर्थात्–

"17-A. In every case referred to in section 16 or section 17 the Collector shall, upon payment of the cost acquisition, make over charge of the land to the Mukhya Nagar Adhikari, and the land shall thereupon vest in the Mahapalika subject to the liability of the Mahapalika to pay any further costs which may be incurred on account of its acquisitior."

7. धारा 18 का संशोधन–उक्त ऐक्ट की धारा 18 की उपधारा (1) के अन्त का फुटस्टाप कामा में परिवर्तित समझा जाय तथा शब्द "or the amount of the costs allowed" बढ़ाये गये समझे जायं।

8. धारा 19 का संशोधन–उक्त ऐक्ट की धारा 19 के खंड (स) में शब्द "amount of compensation" के पश्चात् षब्द "and of costs (if any)" रखे गये समझे जायं।

9. धारा 19 का संशोधन–उक्त ऐक्ट की धारा 19 के खंड (सी) में शब्द "amount of the compensation" के पश्चात् शब्द "or costs" रखे गये समझे जायं।

10. धारा 23 का संशोधन–(1) उक्त ऐक्ट की धारा 23 की उपधारा (1) के पहले तथा छोटे खंड में शब्द "publication of the notification under Section 4, sub-section (1)" तथा शब्द "publication of the declaration, under section 6" के पश्चात्–

(क) इस अधिनियम की धारा 348 की उपधारा (1) के अधीन भूमि अर्जित किये जाने की दशा में शब्द "or in the case of acquisition under sub-section (3) of section 348 of the Uttar Pradesh Nagar Mahaplaika Adhiniyam, 1959 of the issued of the notice under sub-section (3) of section 348 of the Act, and;"

(ख) अन्य किसी दशा में शब्द "or in the case of acquisition of land under improvement scheme other than a Bahvi Sarak Yojna under Chapter XIV of the Uttar Pradesh Nagar Mahaplaika Adhiniyam, 1959, of the first publication of the notification under section 357 of that Act" बढ़ाये गये समझे जाय।

{* * *}

(3) उक्त ऐक्ट की धारा 23 के अन्त में निम्नलिखित बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्–

(2) For the purpose of clause first of sub-section (1) or this section.

(a) the market-value of the land shall be shall be the market-value according to the use to which the land was put at the date with reference to which the market-value is to be determined under that clause.

(b) if it be show that before such date of owner of the land had in goods faith taken active steps and incurred expenditure to secure a more profitable use of the same, further compensation based on his actual loss may be paid to him;

(c) if any person, without the permission of the Mukhya Nagar Adhikari required by clause (b) of sub-section (1) of section 348 or by sub-section (4) of section 350 of the Nagar Mahaplaika Adhiniyam, 1959, has erected, re-erected, added or altered any building or wall so as to make the same project

beyond the street alignment prescribed under the said section 348 or within the area specified in sub-section (4) of the said section 350, as the case may be, then any increase in the market-value resulting from such erection, re-erection, addition or alteration shall be disregarded;

(d) if the market value has been increased by means of any improvement made by the owner or his predecessor-in-interest within two years before the aforesaid date, such increase shall be disregarded unless it be proved that improvement so made was made in good faith and not in contemplation of proceedings for the acquisition of the land being taken under this Act.

(e) If the market-value is specially high in consequence of the land being put to a use which is unlawful or contrary to public poblicy, that use shall be desregarded and the market-value shall be deemed to be the market-value of the land if put to ordinary uses;

(f) if the market value of any building is specially high in consequence of the building being so overcrowded as to be dangerous to the health of the inmates, such overcrowding shall be disregarded, and the market-value shall be deemed to be the market-value of the building if occupied by such number of persons only as could be accommodated in it without risk of danger from overcrowding.

(g) when the owner of the land or building has after the passing of the U.P. Nagar Mahaplaika Adhiniyam, 1959, and within two years preceding the date with reference to which the market value is to be determined, made a return under section 158 the United Provinces Municipalities Act, 1916, of the rent of the land or building, the rent of the land or building shall not, in any case, be deemed to be greater that the rent shown in the latest return so made, save as the Court may otherwise direct, and the market-value may be determined on the basis of such rent:

Provided that where any addition to, or improvement of the land or building has been made after the date of such latest and provisions to the date with reference which the market-value is to be determined the Court may take into consideration any increase in the letting value of the land due to such addition or improvement."

11. धारा 24 का संशोधन–उक्त ऐक्ट की धारा 24 के खंड सातवें (Seventhly) के स्थान पर निम्नलिखित रखा गया समझा जाय, अर्थात्–

"Seventhly, any outlay on additions or improvements to land acquired, which was incurred after the date with reference to which the market-value is to be determined, unless such additions or improvements were necessary were necessary for the maintenance of any building a proper state or repair."

12. नयी धारा 24–ए–उक्त ऐक्ट की धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित रखा गया समझा जाय, अर्थात्–

"24.A. Further provision for determining compensation.-In determining the amount of compensation to be awarded for any land acquired under this Act, for a Mahapalika established under the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, the Court shall also have regard to the following provisions, namely:

(1) when any interest in any land acquired under this Act has been acquired after the date with reference to which the market-value is to be determined, no separate estimate of the value, of such interest shall be made so as to increase the amount of compensation to be paid for such land;

(2) if, in the opinion of the Court any building is in a detective state, from a sanitary point of view, or is not in a reasonably goods state of repair, the amount of compensation for such building shall not exceed the sum which the Court considers the building would be worth if it were put into a sanitary condition or into a reasonably good state of repair, as the case may be minus the estimated cast of putting it into such condition of state:

(3) if, in the opinion of the Court any building which is used or in intended or likely to be used for human habitation, is not reasonably capable of being made fit for human habitation, the amount of compensation of such building shall not exceed the value of the materials of the building, minus the cost of demolishing the building."

13. धारा 31 का संशोधन–(1) उक्त ऐक्ट की धारा 31 की उपधारा (1) में शब्द "The

compensation” के पश्चात् तथा उसी धारा की उपधारा (2) में शब्द “the amount of compensation” के पश्चात् शब्द “and costs (if any)” रखे गये समझे जायं।

(2) उक्त ऐक्ट की धारा 31 की उपधारा (2) के अन्तिम प्रतिबन्ध (proviso) में षब्द “compensation” के पश्चात् षब्द “(or costs)” रखे गये समझे जायं।

14. नयी धारा 48–ए–उक्त ऐक्ट की धारा 48 के पश्चात् निम्नलिखित रखा गया समझा जाय, अर्थात्–

“48-A. compensation to be awarded when land not acquired within two years-(1) If within of two years from the date of the publication of the declaration under section 6 in respect of any land, the Collector has not made an Award under section 11, with respect to such land, the owner of the land shall unless he bas been to a material extend responsible for the delay, be entitled to received compensation for the damage suffered by him in consequence of the delay.

(2) The provisions of Part III of this Act shall apply, so far as may be, to the determination of the compensation payable under this section.”

15. धारा 49 का संशोधन–उक्त ऐक्ट की धारा 49 (1) के पश्चात् निम्नलिखित रखा गया समझा जाय, अर्थात्–

“(1-a) For the purposes of sub-section (1), land which is held with and attached to a house and is reasonably required for the enjoyment of the house shall be deemed to be part of the house.”

————————

अनुसूची 3
(देखिये धारा 460)
दंड सारिणी
भाग 1

धारायें, उपधारायें तथा खंड		जुर्माना जो किया जा सकता है।
396 (2), 397, 398, 400 (छ), 400(ज), 400(झ), 403, 404, 405	...	दस रूपये
388(2), 408, 425(2), 438(6), 442, 443, 447, 448, 449	...	बीस रूपये
246, 277{**}, 294, 303(1), 307, 422(ङ), 424, 426(1), 428, 451(5)	...	पचास रूपये
238, 239, 242(1) (ख), 243(ख), 248, 257, 258, 259(1), 259(2, 270, 281(2), 289, 293(3), 295(1), 295(2), 299(1), 302(1), 302(1), 303(2), 304(1), 305(1), 305(3), 309(1), 312, 330(4), 332, 409, 410, 411, 418, 427, 430, 432(1), 439	...	सौ रूपये
236, 252(1), 253, 267(1), 292(1), (2), (4), 303(3), 308(1), 330(2), 330(3), 331(1), 334(3), 392(3), 423(2), 440, 482(3)	...	दो सौ रूपये
245(1), 228(1), 324, {***}, 329, 331(1), 331(2), 391(2), 394(1), 413, 417(1), 438(1)	...	पांच सौ रूपये
279(4), 326, 335(7), 401, 402	...	एक हजार रूपये

————————

भाग 2
दण्ड सारिणी

धारायें, उपधारायें तथा खंड		जुर्माना जो किया जा सकता है।
293(3), 294, 427, 428, 438(6)	...	पांच रूपये
236, 238, 424(1) (ख), 243(ख), 246, 248, 257, 258, 259(1), 259(2), 267(1), 270, 289, 292(2), (4), 295(1), 295(2), 299, 303(2), 305(1), 305(1), 305(3), 308(1), 309(1), 330(4), 422(ङ), 439, 451(5)	...	दस रूपये
374(1), 307, 330(2), 330(3), 333(1), 334(3), 440	...	बीस रूपये
245(1), 281 (2), 302(1), 303(1), 332, 391(2), 392(3), 394(2), 423(2), 438(1), 482(3)	...	पचास रूपये
279(4), 324, 329, 331(1), 331(2), 335(7)	...	सौ रूपये
401, 402	...	पांच सौ रूपये

उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण नियमावली, 1994

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण उसके लिए यह आवश्यक हो गया है कि तत्काल नियमावली बनायी जायें।

अतएव, अब उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (3) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन्, 1995) की धारा 39 की उपधारा (3) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन 1959) की धारा 39 के साथ पठित 1959 के उक्त अधिनियम की धारा 540 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्–

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रवर्तन और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 कही जायेगी,

(2) यह उत्तर प्रदेश में सम्पन्न नगर निगमों पर लागू होगी।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होगी,

2. परिभाषायें–इस नियमावली में–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य नगर निगम अधिनियम, 1959 से है;

(ख) '1950 का अधिनियम' का तात्पर्य प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से है;

(ग) 'विधान सभा' का तात्पर्य राज्य विधान सभा से है;

(घ) 'मुख्य निर्वाचन अधिकारी' का तात्पर्य राज्य में अधिनियम के अधीन निर्वाचक नामावली के तैयार करने, पुनरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए अधिनियम की धारा 39

के अधीन आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) से है,

(ङ) 'आयोग' का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग से है,

(च) 'निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी' का तात्पर्य निगम के किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली को तैयार करने उसको प्रकाशित और पुनरीक्षित करने के लिए आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट अधिकारी से है,

(छ) 'प्रपत्र' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्रों से है;

(ज) 'नामावली' का तात्पर्य निर्वाचक नामावली से है;

3. नगरपालिका द्वारा व्यय का वहन किया जाना—किसी नगर निगम क्षेत्र में नामावली तैयार, प्रकाशित और पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में उपगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित के सिवाय, सम्बन्धित नगर निगम पर राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर दी गयी रीति से और उस सीमा तक भारित होंगे और उससे वसूली योग्य होंगे।

4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता—निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आयोग द्वारा इस निमित्त किये गये किसी निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली तैयार और पुनरीक्षित करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को जैसे वह उचित समझे, सेवायोजित कर सकता है।

नामावली का तैयार किया जाना और प्रकाशन

5. नामावली का प्ररूप और भाषा—किसी वार्ड में नामावली हिन्दी में देवनागरी लिपि में उस प्ररूप में जिसमें नामावली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 1950 के अधिनियम के अधीन तैयार की जाती है, तैयार की जायेगी।

6. नामावली का तैयार किया जाना—(1) आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, किसी निगम में प्रत्येक वार्ड के लिए नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, 1950 के अधिनियम के अधीन उक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली को, जहां तक उसका संबंध उक्त बोर्ड के क्षेत्र से हो, अंगीकार करते हुए तैयार की जायेगी—

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वार्ड के लिए नामावली में ऐसे वार्ड के निर्वाचन के लिए नाम — निर्देशन करने के लिए अन्तिम दिनांक के पश्चात् और ऐसे निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व कोई परिवर्तन, संशोधन या शुद्धि सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली पर हस्ताक्षर करेगा और अपनी मुहर लगाये।

7. नामावली के आलेख का प्रकाशन—(1) जैसे ही किसी वार्ड के लिए नामावली के तैयार हो जाये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसके आलेख को नगर निगम के कार्यालय पर चिपका कर और उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराके प्रकाशित करेगा।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वार्ड के क्षेत्र में पर्याप्त परिचालन वाले किसी हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करके इस तथ्य को अधिसूचित करेगा कि वार्ड के लिए नामावली प्रकाशित कर दी गयी है और उसकी प्रति का निःशुल्क निरीक्षण कार्यालय समय के दौरान नगर निगम कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उप–नियम (2) में निर्दिष्ट नामावली की प्रति निःशुल्क निरीक्षण के लिए कार्यालय समय के दौरान उपनियम (1) के अधीन प्रकाशन के दिनांक से सात दिन की अवधि तक उपलब्ध कराई जायेगी।

नामावली का पुनरीक्षण

8. वार्ड की नामावली में नामों को सम्मिलित किये जाने के दावे–कोई व्यक्ति–

(क) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित हो किन्तु वार्ड की नामावली में सम्मिलित न किया गया है, या

(ख) जिसका नाम गलती से किसी अन्य वार्ड की नामावली में सम्मिलित कर दिया गया है, या

(ग) जिसका नाम वार्ड क्षेत्र से सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र की नामावली में या वार्ड की नामावली में सम्मिलित नहीं किया गया है किन्तु जो उक्त वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अन्यथा अर्ह हो, या

(घ) जिसका नाम किसी अनर्हता के कारण वार्ड की नामावली से काट दिया गया हो, किन्तु जो यह दावा करता है कि उसकी अनर्हता को, अब दूर हो गई है, अपना नाम वार्ड की नामावली में सम्मिलित किये जाने के लिए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन दे सकता हैः

प्रतिबन्ध यह है कि आवेदन पर नियम 7 के उप–नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशन होने की दिनांक से सात दिन के पश्चात् मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अन्यथा निर्देशित के सिवाय, विचार नहीं किया जायेगा–

अग्रेसर प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड के लिए सदस्य के निर्वाचन की अपेक्षा करने की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् इस नियम के अधीन किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

9. वार्ड की नामावली में प्रविष्टियों पर आपत्तियां– (क) जो ऐसी प्रविष्टि के संबंध में किसी बारें में किाी ब्यौरे पर आपत्ति करना चाहता हो ओर उसकी शुद्धि चाहता हो, या

(ख) जो वार्ड की नामावली में किसी अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने पर इस आधार पर आपत्ति करें कि वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में उस व्यक्ति का नाम सम्मिलित नहीं है या

(ग) जो वार्ड की नामावली में किसी नाम को रखने पर इस आधार पर आपत्ति करें कि प्रश्नगत व्यक्ति की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिनियम की धारा 37 के अधीन अनर्ह हो गया है,

नियम 7 के उप नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशित होने के दिनांक से सात दिन के भीतर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, यथास्थिति, प्रविष्टि के ब्यौरे की शुद्धि के लिए या नाम को हटा देने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड के लिए सदस्य के निर्वाचन की अपेक्षा करने की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. दावों और आपत्तियों के सम्बन्ध में ब्यौरे–(1) नियम 8 के अधीन प्रत्येक दावा या आवेदन प्रपत्र 1–क में होगा जिसे यथास्थिति, दावेदार या आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और ऐसे एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा जिसका नाम पहले से ही वार्ड की नामावली के उस भाग में सम्मिलित हो जिसमें दावेदार अपना नाम सम्मिलित कराने का इच्छुक है और उसे

निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या ऐसे व्यक्ति को जिसे निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस निमित्त पदामिहित करें, प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) उक्त दावें में जहां आवश्यक हो, अर्हताओं सहित वे आधार, जिन पर नाम को सम्मिलित किये जाने की मांग की गई है, दिए जायेंगे।

(3) नियम 9 के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक आपत्ति प्रपत्र 1–ख में की जायेगी और उसे उप–नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित किया जायेगा। नियम 9 के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन प्रत्येक आपत्ति यथास्थिति आकार पत्र 1–ग या 1–घ में की जायेगी और उसे उप–नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित, प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

प्रपत्र 1–ग या 1–घ में आपत्ति दो प्रतियों में की जायेगी, जिसकी एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी जिसके विरूद्ध आपत्ति की जाये।

(4) आपत्ति में उस व्यक्ति में जिसका नाम सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में वह आपत्ति या ब्यौरों को, जिसकी शुद्धि चाही गई है, नामावली में दर्ज सभी ब्यौरे और उन आधारों को, जिस पर आपत्ति की गई है, उल्लिखित किया जायेगा।

11. पदामिहित अधिकारी द्वारा प्रक्रिया–नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन पदामिहित प्रत्येक अधिकारी नियम 8 और 9 में निर्दिष्ट पत्रों की एक सूची रखेगा और आवेदन पत्रों को ऐसी अभ्युक्तियों के साथ, यदि कोई हो, जैसी वह उचित समझे, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अग्रसारित कर देगा।

12. कतिपय दावों और आपत्तियों का निरस्त किया जाना–नियम 8 या 9 के अधीन कोई आवेदन पत्र जो इस नियमावली में विहित समय के भीतर या प्रारूप पर या रीति में न दिया गया हो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

13. नोटिस और उसकी तामीली–(1) उन मामलों के सिवाय जिनमें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावे या आपत्ति को ग्राहृाता से प्रथमदृष्टया संतुष्ट हो, प्रत्येक व्यक्ति जिसके दावे आपतित प्राप्त की गयी हो, अथवा दावे या आपत्ति प्रस्तुत करने वाले उसके अभिकर्ता और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर जिनका नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में आपत्ति की गयी है, आकार पत्र 1 में एक नोटिस तामील की जायेगी, जिसमें स्थान व समय विनिर्दिष्ट होगा जहां और जब दावे या आपत्ति की सुनवाई की जायेगी और उसे या उसके अभिकर्ता को ऐसे साक्ष्य के साथ, यदि कोई हो, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है, उपस्थित होने का निदेश दिया जायेगा।

(2) उस व्यक्ति को, जिसका नाम सम्मिलित करने के संबंध में आपत्ति की गयी है, नोटिस के साथ आपत्ति की एक प्रति दी जायेगी।

(3) उप नियम (1) के अधीन नोटिस, यदि सम्भव हो व्यक्तिगत रूप में तामील की जायेगी और व्यक्तिगत रूप से तामील न होने पर वार्ड के भीतर संबंधित व्यक्ति के निवास या अन्तिम निवास स्थान पर चस्पा करके तामील की जायेगी।

(4) वैयक्तिक या अन्यथा तामील का प्रमाण पत्र, ऐसी तामील के तथ्य का निश्चायक प्रमाण समझा जायेगा।

14. दावों और आपत्तियों की जांच–(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रस्तुत किये गये प्रत्येक दावे या आपत्ति की; जिसके संबंध में नोटिस दिया गया हो, संक्षिप्त जांच करेगा और उस पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा और विनिश्चय के अनुसार नामावली में कोई वृद्धि शुद्धि या लोप का आदेश देगा और ऐसी वृद्धि, शुद्धि या लोप तद्नुसार की जायेगीं–

प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड में, निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन किये जाने के अंतिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन की समाप्ति के पूर्व किसी प्रकार की ऐसी वृद्धि, शुद्धि या लोप नहीं की जायेगी।

(2) सुनवाई में उस व्यक्ति को जिसकी ऐसा नोटिस जारी किया गया हो और किसी अन्य व्यक्ति को जोक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की राय मे उसके लिए सहायक हो सकता है उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(3) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने विवेकानुसार–

(क) किसी व्यक्ति से जिसे ऐसी नोटिस जारी की गई है, अपने समक्ष स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा शपथ पर साक्ष्य देने की अपेक्षा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए शपथ दिला सकता है।

टिप्पणी–जांच के प्रयोजन के लिए निम्न 7 के अधीन प्रकाशित नामवली को शुद्ध माना जायेगा।

(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र–2 में दावों और आपत्तियों की एक सूची रखी जायेगी।

15. वार्ड में नामावली का अन्तिम प्रकाशन–(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तद्पश्चात् नियम 14 के अधीन अपने विनिश्चियों को कार्यान्वित करने के लिए संशोधनों की एक सूची तैयार करेगा और नामावली को संशोधनों की सूची के साथ उसकी प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाकर प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसे प्रकाशन पर, संशोधनों को सूची के साथ पठित नामावली, वार्ड की निर्वाचक नामावली होगी।

16. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संशोधन–(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समय–समय पर अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(2) आयोग के किसी निदेश के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी भी समय नामावली में किसी लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटि को शुद्ध करने और दोहरी प्रविष्टियों को निकालने का आदेश दे सकता है और तद्नुसार ऐसी शुद्धि या निकालने की कार्यवाही की जायेगी।

17. संशोधनों आदि को किस प्रकार किया जायेगा–(1) अधिनियम की धारा 39 की उपधरा (5) के अधीन किसी वार्ड की नामावली में शुद्धि उस रीति से की जायेगी जिस रीति से 1950 के अधिनियम के अधीन निर्वाचक नामावलियों में की जाती है।

(2) मतदान के लिए अनर्ह व्यक्तियों के नामों को काटा जाना और अधिनियम की धारा 37 के अधीन ऐसी अनर्हता समाप्त होने के पश्चात् ऐसे नामों का पुनः स्थापन यथासंभव उस रीति से किया जायेगा जैसी 1950 के अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन नामों को काटने और पुनः स्थापन के लिए विहित की जायें।

(3) नियम 14 और नियम 16 के उप–नियम (2) के अधीन आदेशित संशोधनों को, इस निमित्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के किसी सामान्य निदेश के अधीन रहते हुए, वार्ड की नामावली और संशोधनों की सूची, यदि कोई हो, जो व्यक्ति नामावली का भाग हो में, किया जायेगा।

(4) जहां नियम 8 के खंड (ख) के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह उस व्यक्ति का नाम उस वार्ड की नामावली से तत्काल हटा देगा या हटवा देगा।

18. वार्डो के पुनः परिसीमन पर नामावली की तैयारी के लिए विशेष उपबन्ध–(1) यदि विधि के अनुसार किसी वार्ड का नवीन परिसीमन किया जाय और यदि ऐसे वार्ड को नामावली की शीघ्र तैयारी आवश्यक हो तो, मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह निदेश दे सकता है कि उसे निम्नलिखित प्रकार से तैयार किया जायेगा–

(क) ऐसे वर्तमान वार्डो या उनके भागों जैसे नये वार्ड के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट हो, की नामावली को मिलाकर, और

(ख) इस प्रकार पूरी की गयी नामावली की व्यवस्था क्रम संख्या और शीर्षकों में समुचित परिवर्तन करके।

(2) इस प्रकार तैयार की गयी नामावली के नियम 7 में विनिर्दिष्ट रीति से प्रकाशित किया जायेगा और ऐसे प्रकाशन पर वह नये वार्ड की नामावली होगी।

19. वार्ड की नामावली का पुनरीक्षण–(1) किसी वार्ड की नामावली अधिनियम की धारा 40 के अधीन या तो विस्तारपूर्वक या संक्षिप्त रूप से या अंशतः विस्तारपूर्वक या अंशतः या संज्ञिप्तः, जैसा आयोग निर्दिष्ट करे, पुनरीक्षित की जायेगी।

(2) जहां किसी वर्ष में ऐसी नामावली विस्तारपूर्वक पुनरीक्षित की जानी हो, वहां नये सिरे से तैयार की जायेगी और नियम 3 से 16 तक उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते है।

(3) जहां किसी वर्ष में, ऐसी नामावली संक्षिप्तः पुनरीक्षित की जानी हो वहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी सूचना के आधार पर, जैसी सुगमता से उपलब्ध हो नामावली के सुसंगत भाग के लिए संशोधनों की एक सूची तैयार करवायेगा और नामावली को संशोधनों की सूची के साथ प्रारूप में छपवायेगा और नियम 6 से 16 के उपबन्ध ऐसे पुनरीसक्षण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते है।

(4) जब अधिनियम (2) के अधीन पुनरीक्षित नामावली के प्रारूप में या उपनियम (3) के अधीन नामावली और संशोधनों की सूची के प्रकाशन और उपमुक्त उपनियम (2) या (3) के साथ पठित नियम 15 के अधीन उनके अन्तिम प्रकाशन के बीच किसी समय अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी वार्ड की नामावली में किन्हीं नामों को सम्मिलित किये जाने का आदेश दिया जाय, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जब तक उसकी राय में ऐसे नामों को सम्मिलित किये जाने में कोई विधिमान्य आपत्ति न हो वार्ड की पुनरीक्षित नामावली के नामों को सम्मिलि करवायेगा।

20. आदेशों के विरूद्ध अपील–(1) नियम 13, 14 या 19 के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरूद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट की प्रस्तुत की जायेगी–

प्रतिबन्ध यह है कि जहां अपील करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति ने अपने उन मामलों पर जो अपील की विषयवस्तु, है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसकी अभ्यावेदन करने के अपने अधिकार का प्रयोग न किया हो व हां अपील नहीं की जायेगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक गठित–

(क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी;

(ख) विनिश्चय के दिनांक के सात दिन के भीतर अपील अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी;
(ग) आदेश की प्रति जिसके विरूद्ध अपील की जाय, और पांच रूपये शुल्क के साथ, जो–

(एक) न्यायिकेतर स्टाम्प द्वारा, या
(दो) राजकीय कोषागार में जमा करके ऐसी जमा की रसीद के संलग्न करके, या
(तीन) ऐसी अन्य रीति में जैसी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निदेशित किया जाये प्रस्तुत की जायेगी।
(3) इस नियम के अधीन केवल अपील का प्रस्तुत किये जाने का यह प्रभाव न होगा कि कोई ऐसा कार्य रोक दिया या स्थगित कर दिया जाय जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियम 5 के अधीन किया जाता है।
(4) अपील अधिकारी का प्रत्येक निश्चिय अन्तिम होगा, किन्तु जहां तक वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चयत को उलटता हो या उपान्तरित करता हो, वह अपील में विनिश्चय के दिनांक से प्रभावी होगा।
(5) पूर्वगामी उपनियमों के अधीन रहते हुए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली में ऐसे संशोधन करवायेगा जैसे कि इस नियम के अधीन अपील अधिकारी के विनिश्चय को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो।

प्रकीर्ण

21. नामावलियों की अवधि–नियम–6 के उपबन्धों के अधीन तैयार की गयी किसी वार्ड की नामावली नियम 15 के अधीन उसके प्रकाशित होने पर और नियम 16, 18 और 19 के अधीन उसमें किये गये संशोधनों, पुनरीक्षणों आदि के अधीन रहते हुए तुरन्त प्रवृत्त होगी और तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक वार्ड के लिए तत्पश्चात् तैयार की गयी नामावली प्रवृत्त न हो जाये।

22. नामावली आदि की अभिरक्षा और परिरक्षण–(1) नियम–8 के अधीन किये गये सभी दावे और नियम–9 के अधीन की गयी सभी आपत्तियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन पर अभिलिखित स्थान जैसा मुख्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान, जैसा मुमख्य निर्वाचक अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, वार्ड के अगले पुनरीक्षण तक या नई तैयार की गयी नामावली के प्रवृत्त होने तक जो भी पहले हो रखा जायेगा।
(2) प्रत्येक वार्ड की नामावली के अतिरिक्त उकसी प्रतियां उतनी संख्या में जिनती मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में और नगरपालिका कार्यालय में रखी जोयगी। इन प्रतियों को मूल नामावली में किये गये संशोधनों के अनुसार समय–समय पर संशोधित किया जायेगा।
(3) उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतियों को जमा करने के पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधि–प्रमाणित किया जायेगा।
(4) प्रत्येक व्यक्ति को उप–नियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन पत्रों का निरीक्षण करने और उसकी प्रमाणित प्रतियां, ऐसी फीस का भुगतान करने पर प्राप्त करने का अधिकारी होगा जैसी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिश्ट की जाये।

(5) प्रत्येक वार्ड की निर्वाचक नामावली की मुद्रित प्रतियां वार्ड की अगली नियमावली के प्रकाशन तक जनता को विक्रय के लिए ऐसे मूल्य पर जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) किसी वार्ड की नामावली के प्रकाशन पर नयी नामावली के प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त नामावली को उतने वर्ष के लिए जैसा कि मुख्य निर्वाचक अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, संबंधित नगरपालिका के अभिलेखों में जमा रखा जायेगा।

प्रपत्र–1
(नियम 13 देखिये)
नोटिस

सेवा में,

....
....
....

दावेदार/दावेदार का अभिकर्ता

आपत्तिकर्ता/आपत्तिकर्ता का अभिकर्ता

————————————————

विरोधी पक्षकार

नोटिस दी जाती है कि नगर निगम .... की नामावली के सम्बन्ध में, आपके द्वारा आपके नाम को सम्मिलित किये जाने के लिए प्रस्तुत दावे/आपत्ति की सुनवाई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समय दिनांक .... को .... (स्थान) .... (समय)................................. पर होगी , आपको निदेश दिया जाता है कि आप सुनवाई के समय, ऐसे साक्ष्य के साथ जिसे आप प्रस्तुत कराना चाहें, उपस्थित हो,

*निर्वाचक नामावली में आपका नाम सम्मिलित किये जाने पर जो आपत्ति की गई है उसकी एक प्रति साथ में भेजी जाती है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

———————————————————————————————————————

नोटिस मिली।

* आपत्ति की प्रति प्राप्त हुई।

....

जिस व्यक्ति पर नोटिस तामील की जायेगी उसके हस्ताक्षर

** यदि नोटिस दावेदार या आपत्तिकर्ता या इनमें से किसी के अभिकर्ता पर तामील की जाय, तो उसे काट दिया जाये।

तमील करने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट ....
....

प्रपत्र 1–क

(नियम 8 और 10 देखिये)

नाम सम्मिलित किये जाने के लिए दावा/आवेदन पत्र

सेवा में,
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
.... वार्ड

महोदय,

मै, प्रार्थना करता हूँ कि मेरा नाम उपर्युक्त वार्ड के भाग संख्या .... से संबंधित निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाये।

मेरा नाम (पूरा) ....
मेरे पिता/माता/पति का नाम ....
मेरे निवास स्थान का ब्यौरा निम्नलिखित ....
मकान संख्या ....
मार्ग/मुहल्ला ....
वार्ड ....
नगर ....

मैं एतद्द्वारा अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ घोशणा करता हूँ कि ....

(1) मैं भारत का नागरिक हूँ ....

(2) मेरी आयु गत पहली जनवरी को .... वर्ष और .... मास थी,

(3) मैं ऊपर दिये गये पते पर मामूली तौर से निवासी हूँ ....

(4) मैने किसी अन्य वार्ड की नामावली में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन नहीं किया है,

(5) मेरा नाम इस या किसी अन्य वार्ड की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है।

मेरा नाम .... वार्ड की निर्वाचक नामावली में नीचे उल्लिखित पते के अधीन सम्मिलित किया गया होगा और यदि ऐसा है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसयको उक्त निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाये।

स्थान ....

दिनांक ....

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

मैं निर्वाचक नामावली के उस भाग में सम्मिलित एक निर्वाचक हूँ जिससे दावेदार ने अपना नाम सम्मिलित कियसे जाने के लिए आवेदन किया है अर्थात् .... से संबंधित भाग संख्या .... जिसमें मेरी क्रम संख्या .... है। मैं इस दावे का समर्थन करता हूँ और उस पर प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ

निर्वाचक के हस्ताक्षर
(पूरा नाम) ....

प्रपत्र 1–ख
(नियम 9 और 10 देखिये)
किसी प्रविष्टि में दिये गये ब्यौरे पर आपत्ति

सेवा में,
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
.... वार्ड

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे संबंधित प्रविष्टि जो वार्ड संख्या .... की नामावली के भाग .... में क्रम संख्या .... पर .... इस रूप में है, शुद्ध नहीं है। इससे शुद्ध किया जाय जिससे ब्यौरे निम्न प्रकार पढ़े जाए।

....
..

....
..

स्थान......................................

निर्वाचक के हस्ताक्षर या
दिनांक ....

अंगूठे का निशान

प्रपत्र 1–ग
(नियम 9 और 10 देखिये)
नाम सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति

सेवा में,
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
.... वार्ड

महोदय,

वार्ड संख्या .... की नामावली के भाग .... के क्रम संख्या .... पर .... के नाम को सम्मिलित किये जाने पर मैं निम्नलिखित कारण/कारणों से आपत्ति करता हूँ :–

....
....

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

पूरा नाम ....
पिता/पति/माता का नाम ....
क्रम–संख्या ....
भाग संख्या ....

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

डाक का पता ....

दिनांक ....

....

मैं वार्ड संख्या .... की नामावली के उसी भाग में सम्मिलित एक निर्वाचक हूँ जिसमें आपत्तिजनक नाम विद्यमान है वह नाम है

अर्थात् .... से सम्बन्धित...

भाग संख्या .... जिनमें मेरी क्रम संख्या ....

है। मैं आपत्ति का समर्थन करता हूँ और इस प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर..........................

पूरा नाम ....

प्रपत्र 1–घ

(नियम 9 और 10 देखिये)

नाम के रखने पर आपत्ति

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

.... वार्ड

महोदय,

वार्ड संख्या .... की नामावली के भाग .... में क्रम संख्या .... पर .... के नाम का रखने पर मैं इस आधार पर आपत्ति करता हूँ कि वह अधिनियम की धारा 12–घ के अधीन उस वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निम्नलिखित कारण/कारणों से अनर्ह हो गया है–

''...

....''

स्थान..................................

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

दिनांक ....

डाक का पूरा पता ....

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास के अनुसार, उस वार्ड के लिए नामावली में मेरा नाम निम्न प्रकार से सम्मिलित किया गया है–

पूरा नाम ....

पिता/पति/माता का नाम ....

क्रम–संख्या ....

भाग संख्या ....

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

डाक का पता ....
....

दिनांक ....

मैं घोशणा करता हूँ कि मैं वार्ड संख्या .... की नामावली के भाग संख्या . ... में क्रम संख्या .... पर मैं नामांकित किया गया एक निर्वाचक हूँ। मैं इस आपत्ति का समर्थन करता हूँ और उस पर प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर..........................
(पूरा नाम) ....

प्रपत्र–2
(नियम 14 (4) देखिये)
दावों और आपत्तियों की सूची के प्रपत्र

नगर निगम ....
वार्ड ....

दावों और आपत्तियों की सूची

दावा/आपत्ति की क्रम संख्या	प्रस्तुत करने का दिनांक	दावेदार/आपत्तिकर्ता का नाम	विनिश्चय का दिनांक	परिणाम
1	2	3	4	5

उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आबंटन) नियमावली, 1994

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण उसे तात्कालिक प्रभाव से नियम बनाना आवश्यक है–

अतएव अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (3) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 7 के साथ पठित और उसकी धारा 540 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है।–

1. संक्षिप्त नाम लागू होना और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आबंटन) नियमा,ली 1994 कही जायेगी;

(2) यह उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों पर लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं–इन नियमावली में–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है;

(ख) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगर निगम के नगर प्रमुख से है;

(ग) 'पद' का तात्पर्य यथास्थिति नगर निगम के नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख से है;

(घ) 'स्थान' का तात्पर्य नगर निगम के निर्वाचित सभासदों से है।

(ङ) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(च) 'राज्य के नगरीय क्षेत्र' का तात्पर्य राज्य के समस्त नगर निगमों के नगरपालिका क्षेत्र से है।

3. कक्षों की व्यवस्था–अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के अनुसार कक्षों का परिसीमन करने के पश्चात् किसी नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अधिकतम जनसंख्या वाले कक्ष को 1 संख्याकित किया जायेगा और कक्ष संख्या 1 की अपेक्षा अनुसूचित जातियों की कम जनसंख्या वाले कक्ष को 2 संख्यांकित किया जायेगा और शेष ककक्षों को इसी प्रकार संख्यांकित किया जायेगा।

4. आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या की अवधारणा–(1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए किसी नगर निगम में आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या की अवधारणा इस प्रकार किया जायेगा कि वह यथाशक्य निकटतम किसी नगर निगम की कुल स्थानों की संख्या के उसी समानुपात में हो जो नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों का या नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और यदि स्थानों की ऐजी संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो यदि वह भाजक का आधा या आधे से कम हो तो इसे छोड़ दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या होगी।

(2) अधिनियम की धारा 7 उपधारा (2) के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए किसी नगर निगम में आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या उस नगर निगम में कुल स्थानों की संख्या का सत्ताईस प्रतिशत होगी और यदि स्थानों की ऐसी संख्या का धारण करने में कोई शेष बचता है तो यदि यह भाजक का आधार या आधे से कम है तो इसे छोड़ दिया जायेगा और यदि भाजक के आधे से अधिक है तो भागफल में एक बढ़ा दिया

जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या होगभ।

(3) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए किसी नगर निगम में आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या उपनियम (1) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए और उप नियम (2) के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए अवधारित स्थानों की संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि सथानों की संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या होगी।

(4) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन महिलाओं के लिए किसी नगर निगम में आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या उस नगर निगम में कुल स्थानों की संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि स्थानों की ऐसी संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए उपनियम (3) के अधीन अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या होगी।

5. स्थानों का आबंटन–(1) अन्य उपनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियम–4 के अधीन अवधारित स्थानों की संख्या किसी नगर निगम में, विभिन्न कक्षों को एतद्द्वारा उपबन्धित रीति से आबंटित की जाएगी–

(क) पहले नगर पालिका क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनंसख्या के अनुसार नगर निगम के कक्षों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा और नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उप नियम (1) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नगरपालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आबंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों को जिनमें इस खण्ड के अधीन इस प्रकार आबंटित स्थानों की अनुसूचित जातियोंक की जनसंख्या के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आबंटित की जाएगी :

परन्तु वह कक्ष, जिसमें किसी निर्वाचन में अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थान आबंटित था, उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में अनुसूचित जातियों की महिलाओं को आबंटित नहीं किया जायेगा और ऐसे अगले कक्ष को आबंटित किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान हो।

(ख) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) के अधीन स्थान आबंटित किए गए हैं, कक्षों को नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उप नियम (1) के अधीन अनुसूचित जन–जातियों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जन–जातियों की जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो आबंटित किया जायेगा, और ऐसे कक्षों जिनमें इस खण्ड के अधीन इस प्रकार आबंटित स्थानों को अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आरोही क्रम में

पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आबंटित की जायेगी।

परन्तु उस कक्ष को, जिसमें किसी निर्वाचन में अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए स्थान आबंटित था, उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को आबंटित नहीं किया जायेगा और ऐसे अगले कक्ष को आबंटित किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थान हो।

(ग) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) और (ख) के अधीन स्थान आबंटित किए गए हैं, कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा आर नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उप नियम (1) के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों, जिनमें पिछड़े वर्गो की जनसंख्या नगरपालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आबंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों जिनमें इस खण्ड के अधीन इस प्रकार आबंटित स्थानों को पिछडे वर्गो की महिलाओं की जनसंख्या के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और पिछडे वर्गो की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आबंटित की जायेगी।

परन्तु उस कक्ष को, जिसमें किसी निर्वाचन में पिछडे वर्गो की महिलाओं के लिए स्थान आबंटित था, उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में पिछडे वर्गो की महिलाओं को आबंटित नहीं किया जायेगा और ऐसे अगले कक्ष को आबंटित किया जायेगा जिसमें पिछडे वर्गो के लिए आरक्षित स्थान हो।

(घ) उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन स्थान आबंटित किए गए हैं कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और पिछड़े वर्गो की महिलाओं के अवधारित स्थानों की संख्या को छोड़ते हुए उथ्त नियम के उप नियम (3) के अधीन महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे प्रथम और एकान्तर कक्षों को आबंटित किया जायेगा।

परन्तु उस कक्ष को, जिसमें किसी निर्वाचन में महिलाओं के लिए स्थान आबंटित था, उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में इस खण्ड के अधीन महिलाओं को आबंटित नहीं किया जायेगा और उसे अगले कक्ष को आबंटित किया जायेगा।

(2) यदि किसी नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या किसी नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की या किसी नगर पालिका क्षेत्र में पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के आधार पर–

(क) यथास्थिति अनुसूचित जातियों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए या पिछड़े वर्गो के लिए केवल एक ही स्थान आरक्षित किया जा सके तो ऐसा स्थान यथास्थिति ऐसी जातियों, जनजातियों या वर्गो की महिलाओं को आबंटित किया जायेगा, किन्तु यदि ऐसा स्थान किसी निर्वाचन में यथास्थिति ऐसी जातियों, जनजातियों या वर्गो की महिलाओं के लिए आबंटित हो तो उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में वह स्थान यथास्थिति ऐसी जातियों, जनजातियों के वर्गो की महिलाओं के लिए आबंटित नहीं किया जायेगा।

(ख) यथास्थिति, अनुसूचित जातियों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए या पिछड़े वर्गो के लिए कोई भी स्थान आरक्षित न किया जा सके तो उन नियम (1) के निर्दिष्टि स्थानों के आबंटन की रीति ऐसी होगी, मानों उसमें यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन–जातियों या पिछड़े वर्गो के लिए कोई निदेश नहीं है।

6. नगर प्रमुख के पदों का आरक्षण और आबंटन–(1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन नगर प्रमुख के पदों का आरक्षण और आवंटन एतद्पश्चात उपबन्धित रीति से किया जायेगा।

(2) आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या–
(क) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए इस प्रकार अवधारित की जायेगी कि वह यथाशक्य निकटतम राज्य में पदों की कुल संख्या के उसी समानुपात में हो जो कि राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या राज्य के नगरीय क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का राज्य के ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और यदि ऐसे पदों की संख्या अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो यदि वह भाजक का आधा या आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा और यदि वह भाजक के आधे से अधिक हो तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन–जातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी;

परन्तु इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए आरिक्षत किये जाने वाले पदों की संख्या राज्य में पदों की कुल संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अनधिक होगी।

(ख) महिलाओं के लिए, जिसमें यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की महिलायें भी सम्मिलित हैं, नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन उपबन्धित रीति से अवधारित की जायेंगी।

(3) (क) और (ख) के अधीन रहते हुए उपनियम (2) के अधीन अवधारित पदों की संख्या राज्य में विभिन्न नगर निगम को इस रीति से आवंटित की जायेगी कि:–

(एक). उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपनियम के खण्ड (क) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित पदों की संख्या को राज्य की यथास्थिति ऐसी नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को जिनमें राज्य के नगर निगमों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हो, आबंटित किया जायेगा और नगर निगमों, जिनको इस उपखण्ड के अधीन इस प्रकार पद आबंटित किये गये है, को अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को पुनर्व्यवस्थित किये गये यथास्थिति ऐसे नगर निगमों को पहले आबंटित किया जायेगा :

परन्तु अनुसूचित जातियों की महिलाओं को किसी निर्वाचन में आबंटित पदों को ठीक बाद वाले निर्वाचन में अनुसूचित जाति की महिलाओं को आबंटित नहीं किया जायेगा और उन्हें ऐसे अगले नगर निगमों को आबंटित किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए पद आरक्षित हों।

(दो). उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपनियम के खण्ड (क) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित पदों की संख्या को राज्य की ऐसी नगर निगमों को जिनमें राज्य के नगर निगमों में अनुसूचित जन जातियों की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हो, यथास्थिति उन नगर निगमों को छोड़ते हुए, जिन्हे उपखण्ड (एक) के अधीन पद आबंटित किये गये हो, आबंटित किया जायेगा और नगर निगमों को, जिनमें इस उपखण्ड के अधीन इस प्रकार पद आबंटित किये गये है, को अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित किये गये, यथास्थिति, ऐसे नगर निगमों को पहले आबंटित किया जायेगा;

परन्तु अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए किसी निर्वाचन में आबंटित पदों को ठीक बाद वाले निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आबंटित नहीं किया जायेगा और उन्हें ऐसी अगले नगर निगमों को आबंटित किया जायेगा, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए पद आरक्षित हों;

(तीन). उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपनियम के खण्ड (क) के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए अवधारित पदों की संख्या को राज्य के ऐसे नगर निगमों को जिनमें राज्य के नगर निगमों में पिछड़ी वर्गो की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हो, उन नगर निगमों को छोड़ते हुए जिन्हे उप खण्ड (एक) और (दो) के अधीन पद आबंटित किए गए हों, आबंटित किया जायेगा और नगर निगमों को, जिनमें इस उपखण्ड के अधीन इस प्रकार पद आबंटित किये गये हैं, पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के प्रतिशत के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा। पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या यथास्थिति, पुनर्व्यवस्थित की गई ऐसी नगर निगमों को पहले आबंटित की जायेगी :

परन्तु पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए किसी निर्वाचन में आबंटित पदों को ठीक बाद वाले निर्वाचन में पिछड़े वर्गो की महिलाओं को आबंटित नहीं किया जायेगा और ऐसी अगली नगर निगमों को आबंटित किया जायेगा, जिनमें पिछड़े वर्गो के लिए पद आरक्षित हैं।

(चार). ऐसे नगर निगमों को छोड़ते हुए जिन्हें उपखण्ड (एक), (दो) और (तीन) के अधीन पद आबंटित किए गए हों, नगर निगमों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को छोड़ते हुए, उक्त खण्ड के अधीन महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को ऐसे नगर निगमों को पहलें आबंटित किया जायेगा।

परन्तु किसी निर्वाचन में महिलाओं के लिए आबंटित पदों को ठीक बाद वाले निर्वाचन में इस खण्ड के अधीन महिलाओं को आबंटित नहीं किया जायेगा और उन्हें नगर निगमों को आबंटित किया जायेगा :

(ख) खण्ड (क) के अधीन पदो के आबंटन के लिए, नियम 5 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के उपबन्ध यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

6—क. उप महापौर के पदों का आरक्षण और आवंटन—(1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन उप महापौर के पदों का आरक्षण और आबंटन एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से किया जायेगा।

(2) आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या—(क). अनूसूचित जातियों या अनुसूचित जन—जातियों या पिछड़े वर्गों के लिए इस प्रकार अवधारित की जाएगी कि वह यथाशक्य निकटतम राज्य में महापौर के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के उसी समानुपात में हो जो कि राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या राज्य के नगरीय क्षेत्र में पिछड़े वर्गो की जनसंख्या का राज्य के ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और यदि ऐसे पदों की संख्या अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो यदि वह भाजक का आधा या आधे से कम हो, तो उसे छोड़ दिया जायेगा और यदि वह भाजक के आधे से अधिक हो, तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन—जातियों या पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या होगी:

परन्तु इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या राज्य में अध्यक्ष के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अनधिक होगी,

(ख) इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या नगर प्रमुख के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के एक

तिहाई से कम न होगी और यदि ऐसे पदों की संख्या को अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वालें पदों की संख्या होगी।

(3). (क) और (ख) के अधीन रहते हुए, उपनियम (2) के अधीन अवधारित उप महापौर के पदों की संख्या राज्य में विभिन्न नगर निगमों को इस रीति से आंबंटित की जायेगी कि—

(एक). उपनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित उपाध्यक्ष के पदों की संख्या का राज्य की यथास्थिति ऐसी नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों को जिनमें राज्य की नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हो, आबंटित किया जायेगा;

(दो). उपनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित पदों की संख्या उन नगर निगमों को छोड़ने के पश्चात् जिनके पदों को उपखण्ड (एक) के अधीन पद आबंटित किया जा चुका है, राज्य के ऐसे नगर निगमों को जिनमें राज्य के निगमों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हो आबंटित किया जायेगा;

(तीन). उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए अवधारित पदों की संख्या उन नगर निगमों को छोड़ने के पश्चात् जिनमें उपखण्ड (एक) और (दो) के अधीन पद आबंटित किया जा चुका है, राज्य के ऐसे नगर निगमों को जिनमें राज्य के नगर निगमों में पिछड़ी जाति की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हों, आबंटित किया जायेगा; और

(चार) राज्य के ऐसे नगर निगमों को छोड़कर जिन्हें उप खण्ड (एक), (दो) और (तीन) के अधीन पद आबंटित किए गए हो, को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को ऐसे नगर निगमों को पहले आबंटित किया जायेगा;

परन्तु इस खण्ड के अधीन किसी निर्वाचन में महिलाओं के आबंटित पदों को इस खण्ड के अधीन ठीक बाद वाले निर्वाचन में महिलाओं को आबंटित नहीं किया जायेगा और उन्हें, यथास्थिति अगले नगर निगम को आबंटित किया जायेगा।

————————

उत्तर प्रदेश नगर निकाय के निर्वाचन आदेश, 1999

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धरा 13—छ और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग निम्नलिखित आदेश बनाते हैं—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारूप.—(1) यह आदेश उत्तर प्रदेश नगर निकाय के निर्वाचन आदेश, 1999 कहा जायेगा।,

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होगा।

2. निर्वाचन के लिए जाति प्रमाणपत्र की आवश्यकता.—किसी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर निगम के किसी निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किसी स्थान या पद के लिए निर्वाचन पड़ने का इच्छुक व्यक्ति नामनिर्देशन या नामांकन पत्र के साथ सम्बन्धित तहसीलदार या उप जिला अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र, इस आदेश के साथ संलग्न प्रारूप ''एक'' में घोषणा पत्र और प्रारूप ''दो'' में शपथ—पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा और यदि ऐसा व्यक्ति स्त्री है जो ऐसा जाति प्रमाण पत्र उसके विवाह के पूर्व की जाति के सम्बन्ध में होगा।

प्रारूप ''एक''

समक्ष निर्वाचन अधिकारी

(क) नगर पंचायत	(1) सदस्य—कक्ष संख्या
	(2) अध्यक्ष
(ख) नगर पालिका परिषद्	(1) सदस्य—कक्ष संख्या
	(2) अध्यक्ष
(ग) नगर निगम	(1) सभासद—कक्ष संख्या
	(2) उप महापौर
	(3) महापौर

घोषणा पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... आयु लगभग .... वर्ष, निवासी मौहल्ला .... थाना .... जिला .... सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि—

(1) मैंने उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है;

(2) मैंने अपने नामनिर्देश/नामांकन पत्र के साथ तहसीलदार/उप जिलाधिकारी तहसील .... जनपद .... द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है;

(3) उक्त जाति प्रमाण पत्र में मेरी जाति .... दर्शायी गयी है जो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति है;

(4) उक्त प्रमाण पत्र मे दर्शायी गयी मेरी जाति वही है और उसी जाति में मैंने जन्म लिया है;

(5) उक्त जाति प्रमाण पत्र की शुद्धता के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हूँ।

टिप्पणी—जो लागू न हो उसे काट दें।

दिनांक....................................

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर/निशान अंगूठा

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया/निशानी

अंगूठा लगाया गया
(सत्यापित करने वाले अधिकारी का
हस्ताक्षर व मुहर)

प्रारूप ''एक''

समक्ष निर्वाचन अधिकारी............................

(क) नगर पंचायत	(1) सदस्य–कक्ष संख्या .... (2) अध्यक्ष
(ख) नगर पालिका परिषद्	(1) सदस्य–कक्ष संख्या .... (2) अध्यक्ष
(ग) नगर निगम	(1) सभासद–कक्ष संख्या .... (2) उप महापौर (3) महापौर

घोषणा पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... आयु लगभग .... वर्ष, निवासी मौहल्ला .... थाना .... जिला .... सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि–

(1) मैंने उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है;

(2) मैंने अपने नामनिर्देश/नामांकन पत्र के साथ तहसीलदार/उप जिलाधिकारी तहसील .... जनपद .... द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है;

(3) उक्त जाति प्रमाण पत्र में मेरी जाति .... दर्शायी गयी है जो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति है;

(4) उक्त प्रमाण पत्र मे दर्शायी गयी मेरी जाति वही है और उसी जाति में मैंने जन्म लिया है;

(5) उक्त जाति प्रमाण पत्र की शुद्धता के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हूँ।

टिप्पणी–जो लागू न हो उसे काट दें।

दिनांक.....................................

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर/निशान अंगूठा
मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया/निशानी
अंगूठा लगाया गया
(सत्यापित करने वाले अधिकारी का
हस्ताक्षर व मुहर)

———————————————

उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1959) की धारा 174, 207–क, 221–ख के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्पाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 540 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या 1763–नौ–9–1999– 63–ज/95 टी0सी0, दिनांक 16.6.1999 के अधीन पहले प्रकाशित किया जा चुका है।

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ.–यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 कही जायेगी।

(2) उत्तर प्रदेश में नगर निगम पर प्रवृत्त होगी लिकिन इसके ऐसे क्षेत्र को, जिसे पिछले दस वर्ष के भीतर नगर में सम्मिलित किया गया हो और ऐसा भवन जो 30 वर्ष मीटर के भूखण्ड पर निर्मित किया गया हो, या जिसका कारपेट एरिया पन्द्रह वर्गमीटर तक हो, छोड़कर उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगम पर, यदि ऐसे भवन के स्वामी के स्वामित्व में नगर में कोई भवन नहीं है, लागू होंगी।

(3) यह इस अधिवसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषायें.–इस नियमावली में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है;

(ख) ''भवनों का समूह'' का तात्पर्य नियम 4 के अधीन उल्लिखित भवनों के समूह से है;

(ग) ''भू–समूह'' का तात्पर्य नियम 4 के अधीन उल्लिखित भूमि के समूह से है;

(घ) ''कच्चा भवन'' का तात्पर्य ऐसे भवन से है जो पक्का नहीं है;

(ङ) ''अधिसूचित बैंक'' का तात्पर्य स्व निर्धारण विवरण के साथ कर की धनराशि को जमा करने के लिए नगर आयुक्त द्वारा अधिसूचित बैंक या बैंकों से है;

(च) ''सम्पत्ति'' का तात्पर्य यथास्थिति किसी भवन या भूमि या दोनों से है;

(छ) ''पक्का भवन'' का तात्पर्य ऐसे भवन जिसकी दीवार ईट या पत्थर या ऐसी ही किसी अन्य सामग्री से निर्मित हो, से है;

(ज) ''स्व–निर्धारण विवरण'' का तात्पर्य किसी स्वामी या अध्यासी द्वारा इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र ''क'' में दाखिल किये जाने वाले स्व–निर्धारण विवरण से है।

(झ) ''कारपेट एरिया'' का तात्पर्य अधिनियम धारा 14 की उपधारा (1) के स्पश्टीकरण (एक) में निर्दिश्ट कारपेट एरिया से है;

(ञ) ''आच्छादित क्षेत्रफल'' का तात्पर्य कुर्सी क्षेत्र के ऊपर जिस पर भवन निर्मित है के प्रत्येक तल आच्छादित क्षेत्र से है;

(ट) ''वार्षिक मूल्य'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 174 के अधीन निर्दिष्ट वार्षिक मूल्य से है;

(ठ) ''मासिक किराया दर'' का तात्पर्य नियम 4–ख के अनुसार नगर आयुक्त द्वारा विहित, यथा स्थित, भवनों या भूमि के कारपेट एरिया के प्रति वर्गफुट मासिक किराये से है;

(ङ) ''आवासीय भवन'' का तात्पर्य उस भवन से हे जिसकी प्रत्येक इकाई उसमें रहने वालेक व्यक्ति के अध्यासन में हो और उसमें ऐसे भवन भी है जिनमें आवासी उपयोग का प्राविधान हो, किन्तु इसमें व्यावसायिक उद्देश्य से उपयोग के लिए होटल, लाज या किसी अन्य प्रकार के भवन सम्मिलित न होंगे।

3. भवन या भूखण्ड का कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफल का विवरण–(1) नगर आयुक्त समाचार–पत्रसों में एक सूचना प्रकाशित करके सम्पतित कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी से इन नियमावली में संलग्न प्रपत्र ''ख'' में यथा स्थिति आवासी भवन या भूखण्ड के कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफल के सम्बन्ध में प्रत्येक चार वर्ष में एक विवरण कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ उक्त सूचना में नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(2) नगर आयुक्त सम्पतित के स्वामी या अध्यासी की सुविधा के लिए प्रपत्र 'ख' में विवरण प्रस्तुत करने के लिए नगर के विभिन्न वार्डो के लिए विभिन्न स्थानों को नियत कर सकता है।

(3) जब कभी स्वामी द्वारा स्व–अध्यासित या खाली भवन को किराये पर दिया जाये या इसके विपरीत हो, तो ऐसा होने के साठ दिन के भीतर स्वामी के लिए प्रपत्र ''ख'' में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।

(4) जब किसी भवन में निर्माण या पुर्निर्माण के फलस्वरूप आच्छादित क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत या अधिक की वृद्धि हो जाती है तो निर्माण के समापन या अध्यासन के दिनांक से, साठ दिन के भीतर, स्वामी या अध्यासी के लिए प्रपत्र ''ख'' में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।

4. सम्पत्तियों का वर्गीकरण–(1) नगर आयुक्त, अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाली सम्पतित की अवस्थिति का वार्डवार वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक वार्ड के भीतर तीन, विभिन्न प्रकार के मार्गो पर सम्पत्ति की स्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जायेग, अर्थात्

(क) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाला मार्ग;

(ख) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाला मार्ग;

(ग) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाला मार्ग।

(2) नगर आयुक्त, अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबनधों के अन्तर्गत न आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगा–

(क) पक्का भवन आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित;

(ख) अन्य पक्का भवन; या

(ग) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो कि खण्ड (क) और (ख) से आच्छादित नही ं है।

(3) नगर आयुक्त तद्नुसार वार्ड में नीचे दर्शाये गये अनुसार सभी भवनों का नौ विभिन्न समूह के अधिकतम संख्या में और सभी रिक्त भूखण्डों के मामलें में तीन विभिन्न समूह की अधिकतम संख्वया में व्यवस्था करेगा–

(क) भवन के मामलें में निम्नलिखित नौ समूह होंगे–

(एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन।

(दो) 12 मीटर से 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन।

(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन।
(चार) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग स्थित अन्य पक्का भवन।
(पांच) 12 मीटर से 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग स्थित अन्य पक्का भवन।
(छः) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग स्थित अन्य पक्का भवन।
(सात) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।
(आठ) 12 से 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।
(नौ) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।
(ख) भूमि के मामलें में निम्नलिखित तीन होंगे–
(एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।
(दो) 12 मीटर 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।
(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

4–क. न्यूनतम मासिक किराये की दर का निर्धारण.–नगर आयुक्त वार्ड के भीतर प्रत्येक दो वर्ष में एक बार यथास्थित भवनों के प्रत्येक समूह के लिए कारपेट एरिया को प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराये की दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराये को दर निम्न को ध्यान में रखते हुए नियत करेगा।
(एक) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर, और
(दो) ऐसे भवन भूमि के लिए क्षेत्र में वर्तमान किराए की न्यूनतम दर;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मासिक किराये की दर नियम करने के पूर्व नगर आयुक्त ऐसी प्रस्तावित दरों को ऐसे नगर में परिचारलन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियां दाखिल करने के लिए न्यूनतम 15 दिन का समय देगा। प्राप्त आपत्तियों के बारह भिन्न–भिन्न बण्डलों को अधिकतम संख्या में समूह बनाने के पश्चात् ऐसी सभी आपत्तियों का वार्डवार सुनवाई की जायेगी। प्रत्येक बण्डल में, यथास्थिति भवनों के एक समूह या भूमि के एक समूह के लिए प्राप्त आपत्तियॉ रहेगी। सभी आपत्तियों का निस्तारण स्वयं नगर आयुक्त द्वारा या नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी आपत्तिकर्ताओं को यह हितबद्ध व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सुना जाये। आपत्तियों का बण्डलवार विनिश्चित किया जायेगा।

स्पश्टीकरण–कार्पेट एरिया के निर्धारण में निहित कठिनाईयां को दृश्टिगत रखते हुए आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर दरें कारपेट आधारित दरों का 80 प्रतिशत होंगी, जिन्हें स्वकर निर्धारण के लिए माना जायेगा।

4–ख. न्यूनतम मासिक किराये की दर का प्रकाशन.–खंड 4–क के अधीन आपत्तियों के विनिश्चित किये जाने पर नगर आयुक्त ऐसे नगर में परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार–पत्रों में, यथास्थिति, वार्ड के भीतर भवनों के प्रत्येक समूह के लिए कारपेट एरिया के प्रति वर्गफुट किराये की न्यूनतम मासिक दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिए

क्षेत्रफल के प्रति वर्गफुट पर किराये की प्रयोज्य न्यूनतम मासिक लागू दर को अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् यह अन्तिम हो जायेगी।

4–ग. कर निर्धारण.–कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा–

(1) वार्षिक मूल्य की गणना

वार्षिक मूल्य=कारपेट एरियाXनिर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दरX12

या

आच्छादित क्षेत्रफलXनिर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दरX12X80 प्रतिशत

(2) देय कर–अधिनियत की धारा 148 के अधीन निर्धारित दरों के अनुसार वार्षिक मूल्य के आधार पर कर देय होंगे।

(3) छूट–अधिनियम में विहित उपबन्धों के अनुसार वार्शिक मूल्याकंन तथा देय कर में छूट अनुमन्य होगी।

(4) स्वनिर्धारण–आवासिक भवन के विशय में सम्पति तकर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी व्यक्ति या अन्य दायी व्यक्ति नियम 4 और नियम 4–ग के अनुसार कर निर्धारित करते हुए और नियम 3 में अपेक्षित विवरणी के स्थान पर इस नियमावली के प्रपत्र–क में सम्पतित का विवरण अंकित करते हुए नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित बैंक में नियम 3 (1) के अधीन निर्धारित दिनांक तक प्रपत्र क और चालान के साथ कर जमा करेगा।

(5) स्वकर निर्धारण में विशेष उपबन्ध–उपनियम (4) के अधीन नियत दिनांक तक स्वनिर्धारण द्वारा सम्पतित करों के दायित्व का भुगतान पूर्व वर्ष के दायित्व की सीमा, जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाये, से अधिक नहीं होगी।

5. कर निर्धारण सूची. –(1) सभी भवनों या भू–खण्डों या दोनों के सम्बन्ध में कर निर्धारण सूची कर गणना के पश्चात् निम्नलिखित आधार पर तैयार हो जायेंगी–

(क) भूमि या भवन के स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र क और ख पर प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर, या

(ख) नियत समय के भीतर प्रपत्र क या ख में सूचनायें न देने की स्थिति में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सूचनाओं के आधार पर,

(ग) कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे–

(एक) सड़क या मौहल्ले, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, का नाम;

(दो) नाम या संख्या या किसी अन्य विनिर्दिष्टि द्वारा जो पहचान के लिए पर्याप्त हो, सम्पत्ति का अभिधान;

(तीन) स्वामी का नाम, यह उल्लेख कतरे हुए कि यह स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है यदि किराये पर है तो किरायेदार का नाम;

(चार) भवन या भूमि के समूह के लिए कारपेट एरिया आधारित तथा आच्छादित क्षेत्र आधारित प्रति वर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर,

(पांच) भवन का कारपेट एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों;

(छः) (चार) भवन निर्माण का वर्ष;

(सात) भव
न निर्माण की प्रकृति;

(2) स्वकर निर्धारण के सम्बन्ध में सूची—ऐसे सभी आवासिक भवनों की, जिनके विषय में प्रपत्र क पर समय से स्वनिर्धारित कर जमा करा दिया गया हो उपनियम (1) के अन्तर्गत तैयार की गई सूची में प्रविष्ट तो किया जायेगा परन्तु नियम 5—क के प्राविधान ऐसे भवनों पर लागू नहीं होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी शिकायत या जांच के आधार पर यदि कोई विवरण सही नहीं पाया जाता है तो सूची में प्रविष्ट विवरण एवं उसमें निर्धारित कर को पुनरीक्षित किया जायेगा तथा कारण बताओं नोटिस के पश्चात् शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

5—क. सूची का प्रकाशन एवं आपत्तियों की प्राप्ति.—(1) जब
सम्पूर्ण नगर या उसके किसी भाग की कर निर्धारण सूची तैयार हो जाये तब नगर आयुक्त उस स्थान एवं समय के सम्बन्ध में जहां तक सूची का निरीक्षण किया जा सकेगा, नगर में परिचालन वाले दो समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवायेगा।

(2) भवनों के कारपेट एरिया, आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल की गणना या अन्य प्रविष्टियों तथा छूट आदि के सम्बन्ध में नगर आयुक्त को सम्बोधित सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर लिखित रूप में भेजी जायेगी। किराये की मासिक दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3) नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकारी अधिकारी आपत्ति कर्ताओं को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए आपत्तियों का निस्तारण करेगा।

6. करों का भुगतान.—नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी नियम 4, 4—ग और 5 के अधीन निर्धारित सम्पत्ति कर के भुगतान हेतु स्वामी या अध्यासी को बिल भेजेगा जिसमें एक ऐसा दिनांक निर्दिष्ट होगा, जब तक नगर आयुक्त द्वारा अधिसूचित बैंक या नगर निगम के कार्यालय में कर का भुगतान किया जायेगा। यदि नियत दिनांक तक कर की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो अधिनियम की धारा 221—क के अनुसार ब्याज देय होगा।

परन्तु यदि सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्वकर निर्धारण किया गया है तो कर का भुगतान सार्वजनिक सूचना द्वारा निर्धारित तिथि तक किया जायेगा।

7. कर का स्वनिर्धारण.—किसी आवासिक भवन के सम्बन्ध में कर के भुगतान के मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्पतित कर को स्वतः अवधारित कर सकता है और उसके द्वारा इस प्रकार निर्धारित सम्पत्ति कर को स्वकर निर्धारण विवरण के साथ अधिसूचित बैंक में जमा कर सकता है।

8. शास्ति.—(1) नगर आयुक्त यथास्थिति भवन या भूमि के प्रस्तुत कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफलों के विवरण या स्वकर निर्धारण के विवरणें की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत के विवरणों की यदा—कदा जांच करायेगा और भवन के कारपेट एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल के किसी भाग या भूमि के क्षेत्रफल के किसी भाग को छिपाने या दरों आदि का त्रुटिपूर्ण विवरण देने की दशा में यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी का इस आशय का दो सप्ताह का कारण बताओं नोटिस जारी करेगा कि क्यों न क्षेत्रफल को छुपाने को अथवा सम्पादक के त्रुटिपूर्ण विवरण से सम्पत्ति कर की देयता में होने वाले अन्तर के चार गुने से अनधिक की शास्ति अधिरोपित की जायें।

(2) यथास्थिति स्वामी या अध्यासी द्वारा दिये जाने वाले किसी स्पश्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच, जैसी आवश्यक समझी जाये, करने के पश्चात् नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो नोटिस के अनुसार देय शास्ति से अधिक न हो अधिरोपित कर सकता है और सम्पतित कर की धनराशि के साथ उसे वसूल किये जाने का आदेश दे सकता है।

(3) नियम 3 के उपनियम (1) ओर (3) के अधीन नियम समय के भीतर अपेक्षित विवरण न प्रस्तुत किये जाने की दशा में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो प्रश्नगत भू–खण्ड के क्षेत्रफल, 50 वर्ग मी0 तक, 200 वर्ग मी0 तक, 400 वर्ग मी0 तक तथा उससे अधिक होने पर क्रमशः 100.00 रूपये, 1000.00 रूपये, 5000.00 रूपये तथा 15000.00 रूपये हो सकती है परन्तु 30 दिन के विलम्ब की स्थिति में शास्ति का 5 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के रूप में जमा किया जायेगा।

नियत समय के भीतर विवरण प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में, नियम 5 के अधीन कर निर्धारण सूची तैयार करते समय नियम 4–क के अधीन प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्रफल दर का उपयोग भी शास्ति के अतिरिक्त किया जायेगा।

(4) किसी व्यक्ति द्वारा नियत 3 के उपनियम (4) का उल्लंघन करने की दशा में, सम्पत्ति कर की दुगुनी धनराशि अथवा प्रतिदिन 500.00 रूपये की दर से, जो भी कम हो, शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा।

9. शास्ति का प्रशमन.–नियम 8 के उपनियम (1) (3) और (4) के अधीन शास्तियों का प्रशमन नगर आयुक्त तथा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा शास्ति की अधिकतम धनराशि के एक तिहाई से अन्यून तथा आधे से अनधिक धनराशि पर किया जा सकेगा।

प्रपत्र–''क''

(नियम 7 देखिये)

सम्पत्ति कर स्वः निर्धारण प्रपत्र

(अधिनियम की धारा 207–क)

क. (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम ....

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम ....

(तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या ....

(चार) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता ....

(पांच) स्वामी/अध्यासी का अस्थायी पता...

(छः) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता ....

ख. निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी ब्यौरा ....

(एक) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)..

(दो) समस्त बालकनी, कारीडर, रसोई और भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में) ....

(तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाग (वर्ग फुट में) ....

टिप्पणी–स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिकों और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

ग. भवन का कारपेट एरिया–

= ख (एक) + 1/2 ख (दो) + 1/4 ख (तीन

घ. (एक) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) ....
.

(दो) भूमि का क्षेत्रफल, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में)

....

...

ङ.(क) भवन अवस्थित है

(i) 24 ☐

मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ii) 12 ☐

मीटर से 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर

(iii) 12 ☐

मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ख) भवन के निर्माण की प्रकति

(i) पक ☐

का भवन, आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित ☐

(ii) अन

य पक्का भवन

(iii) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है। ☐

(ग) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है

(i) 24 ☐

मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ii) 12 ☐

मीटर से 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर

(iii) 12 ☐

मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

टिप्पणी—कृपया उपर्युक्त (एक), (दो) या (तीन) के खाने में जो भी सही हो उसमें सही का निशान लगायें।

च.भवन स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है। कृपया उनमें से किसी एक का उल्लेख करें।

टिप्पणी.—यदि वह एक वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे सवामी या अध्यासित समझा जायेगा। यदि वह एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो उसे ''खाली'' उल्लिखित किया जायेगा;

छ. भवन के निर्माण का वर्ष ....

....

ज.

(एक) नगर आयुक्त द्वारा भवन के लिए निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर रूपये .... प्रति वर्ग फुट।

(दो) नगर आयुक्त द्वारा भूमि के लिए निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो रूपये .... प्रति वर्ग फुट।

झ.

(एक) भवन का वार्षिक मूल्य=12Xमुख्य नगर अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर X भवन का कारपेट एरिया = 12 X (च) (आई) X (सी0)

या

= 12 ग नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर X आच्छादित क्षेत्रफल X 80 प्रतिशत

(दो) भूमि का वार्षिक मूल्य, यदि उस कोई भवन निर्मित न हों = 12 X नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर X भूमि का क्षेत्रफल = 12 X ज (2) ग घ (2)

ट.

(एक) स्वामी द्वारा अध्यासित होने की दशा में भवन का मूल्य, धारा 174 (2) (क) में यथा उल्लिखित छूट देने के पश्चात्।

(दो) किराये पर होने की दशा में भवन का मूल्य, धारा 174 (2) (ख) में यथा उल्लिखित छूट देने के पश्चात्।

ठ.

(i) भवन का सामान्य कर = (में यथा अवधारित वार्शिक मूल्य) X सामान्य कर दर/100

(ii) भवन का जल कर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य X की जलकर दर/100

(iii) भवन का जल निस्सारण कर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य X की जल निस्सारण दर कर दर/100

(iv) भवन का स्वच्छता कर में यथा अवधारित वार्षिक मूल्य X स्वच्छता कर की दर/100

ङ. भूमि पर सामान्य कर, यदि उस कोई भवन निर्मित न हो = झ (दो) में यथा उल्लिखित वार्षिक मूल्य X सामान्य कर दर/100

ढ. नगर आयुक्त सद्वारा कर जमा करने के लिए निर्धारित नियत दिनांक....

....

ण. जमा किये गये कर का विवरण

क्र0सं0	कर	राशि	दिनांक	चालान संख्या	बैंक का नाम
1.	सामान्य कर				
2.	जल कर				
3.	जल निस्सारण कर				
4.	स्वच्छता कर				

सत्यापन

मैं एतदद्वारा घोषित करता हूँ कि स्वमूल्याकंन विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास में है, ठीक और पूर्ण है।

हस्ताक्षर ....

स्थायी पता ....

दिनांक ....

अनुप्रमाणक साक्षी

हस्ताक्षर.......................................

नाम ....
पिता माता का नाम ....
पूरा पता ....

प्रपत्र–''ख'

(नियम 3 देखिये)

भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्र के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करने के लिए

क.(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम ....
(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम ....
(तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या ....
(चार) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता ....
(पांच) स्वामी/अध्यासी का अस्थायी पता...
(छः) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता ....

ख.निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी ब्यौरा ....
(एक) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)..
(दो) समस्त बालकनी, कारीडर, रसोई और भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में) ....
(तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाग (वर्ग फुट में) ....

टिप्पणी–स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिकों और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

ग. भवन का कारपेट एरिया–
= ख (एक) + 1/2 ख (दो) + 1/4 ख (तीन

घ. (एक) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) ....
(दो) भूमि का क्षेत्रफल, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में)
....

ङ. (क) भवन अवस्थित है
(i) मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
(ii) मीटर से 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
(iii) मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
(ख) भवन के निर्माण की प्रकति
(i) ☐ का भवन, आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित ☐

(ii) अन

य पक्का भवन

(iii) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है।

(ग) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है

(i)

मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ii)

मीटर से 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर

(iii)

मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

टिप्पणी–कृपया उपर्युक्त (एक), (दो) या (तीन) के खाने में जो भी सही हो उसमें सही का निशान लगायें।

च. भवन स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है। कृपया उनमें से किसी एक का उल्लेख करें।

टिप्पणी.–यदि वह एक वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे सवामी या अध्यासित समझा जायेगा। यदि वह एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो उसे ''खाली'' उल्लिखित किया जायेगा;

छ. भवन के निर्माण का वर्ष ....

सत्यापन

मैं एतदद्वारा घोषित करता हूँ कि स्वमूल्याकंन विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास में है, ठीक और पूर्ण है।

हस्ताक्षर ....

स्थायी पता ....

दिनांक ....

अनुप्रमाणक साक्षी

हस्ताक्षर....................................

नाम ....

पिता माता का नाम ....

पूरा पता ....

अभिस्वीकृति

जिस व्यक्ति से प्रपत्र ''ख'' प्राप्त किया गया उसका विवरण नीचे दिया गया है–

(एक) स्वामी / अध्यासी का नाम ....

(दो) स्वामी / अध्यासी के पिता का नाम ....

(तीन) भवन / मकान / भूखण्ड संख्या ....

(चार) भवन / भूखण्ड की अवस्थिति का पता ....

(पांच) स्वामी / अध्यासी का अस्थायी पता..

(छः) स्वामी / अध्यासी का स्थायी पता ....

दिनांक..

हस्ताक्षर ...

नाम ....

पदनाम ....

आज्ञा से,
जे0 एस0 मिश्रा,
सचिव